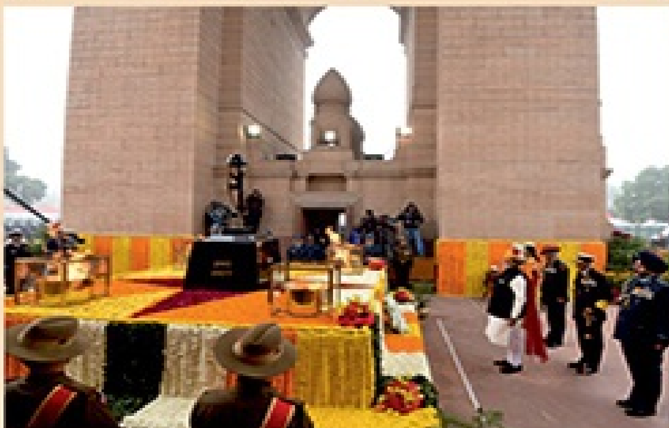
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भारत 2019











एक भारत श्रेष्ठ भारत





भारत 2019





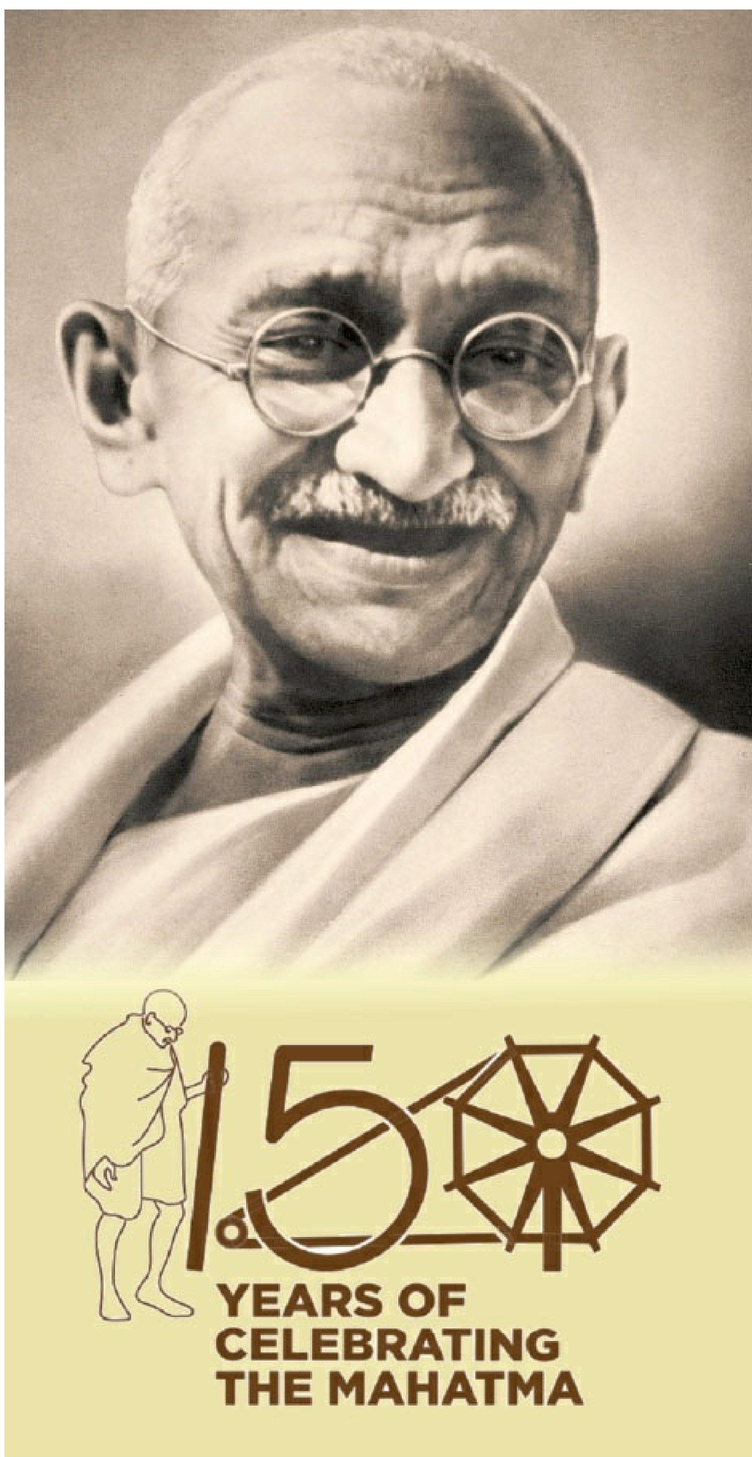






एक भारत श्रेष्ठ भारत




150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

भारत 2019
वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ

न्यू मीडिया विंग
द्वारा संकलित



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2019 (शक 1940)
63वां संस्करण
मुद्रित संस्करण (2019) का e-संस्करण*

ISBN : 978-81-230-3029-6

प्रकाशक

महानिदेशक,
प्रकाशन विभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 द्वारा प्रकाशित

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ई-मेलः dpda@nic.in

प्रकाशन विभाग
संपादन : राकेशरेणु, रेमी कुमारी

संकलन और समन्वय : न्यू मीडिया विंग
के. सतीश नम्बूदिरिपाड
सईद रबीहश्मी
साक्षी सिंह
सिम्मी कुमार
शिवानन्द पाण्डेय

संपादकीय समन्वय : दीपिका कच्छल, शमीमा सिद्दीकी
आवरण सज्जा : शिशिर कुमार दत्ता
उत्पादन : वी.के. मीणा

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें :

http://www.publicationsdivision.nic.in

*यह ई-पुस्तक (e-Book) पूरी तरह इसके मुद्रित संस्करण के अनुरूप है वर्तनी स्थानों के नाम, तथ्य तथा आंकड़े, व्यक्तियों के नाम और अन्य नामांकन मुद्रित संस्करण जैसे ही रखे गए हैं

अनुक्रम

1 भारत भूमि और उसके निवासी



'भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल भारत में निहित है '

- मार्क ट्वेन

भारत बेजोड़ संस्कृति वाला देश है और यह विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है यह उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांवों और दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है [1] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले कई वर्षों के दौरान भारत ने चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक प्रगति की है आकार की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से पृथक करते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं यह उत्तर में विशाल हिमालय से घिरा है और दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्करेखा पर शंकु आकार धारण किए पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला है

पूरी तरह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति 8°4 और 37°6' अक्षांश उत्तर तथा 68°7 और 97°25' देशांतर पूर्व में है उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार करीब 2,933 किलोमीटर है इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है

भौगोलिक पृष्ठभूमि

भारत की सीमा उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान; उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल; सुदूर पूर्व में म्यामां और पूर्व में बांग्ला देश से लगती है पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों- उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है यहां 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं

प्राकृतिक संरचना

मुख्य भूमि चार भागों - विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बंटी है

हिमालय पर्वतमाला में तीन लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं, जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित हैं, जिनमें से कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है, जिनमें दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुंबी घाटी होते

हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेप-ला, नाथू-ला और कल्पा (किन्नौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला प्रमुख हैं पर्वतमाला करीब 2,400 किलोमीटर में फैली है, जो अलग-अलग स्थानों पर 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है पूर्व में भारत और म्यामां तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएं हैं लगभग समूचे पूर्व पश्चिम में गारो, ख़ासी, जयंतिया और नगा पर्वतमालाएं इस श्रृंखला को उत्तर-दक्षिण में मिजो और रखाईं पर्वतमाला के साथ जोड़ती हैं

गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, करीब 2,400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो तीन विशेष नदी प्रणालियों- सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से मिल कर बने हैं ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बह कर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक हैं दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच करीब 1,600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर का ढाल है

रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है – 'वृहत् रेगिस्तान' और 'लघु रेगिस्तान ' वृहत रेगिस्तान कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है समूचा राजस्थान – सिंध सीमावर्ती क्षेत्र इसमें समाहित है लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर–पश्चिम तक है वृहत और लघु रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानी भूमि शामिल है

प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से सटा है, जिसमें 460 से 1,220 मीटर तक अलग-अलग ऊंचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल हैं इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख हैं प्रायद्वीप के एक तरफ़ पूर्वी घाट स्थित हैं जिनकी ऊंचाई करीब 610 मीटर है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 915 से 1,220 मीटर तक है, जो कुछ स्थानों पर 2,440 मीटर तक जाती है पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक वृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरि पर्वतमाला से निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसके परे कार्डमम हिल्स है जिसे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जा सकता है

भूगर्भीय संरचना

भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है और इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये हैं– हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाओं का समूह, सिंधु-गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय ढाल

उत्तर में हिमालय और पूर्व में नगा-लुशाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र हैं इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, वह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था करीब 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की श्रृंखलाओं में, तलछट चट्टानों ने अधिक ऊंचाई ग्रहण की मौसमी परिवर्तनों और भू-क्षरण से चट्टानों के टूटने के कारण मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है सिंधु-गंगा के मैदान विस्तृत कछारी क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से पृथक करते हैं

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है और इसमें कभी-कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है इस क्षेत्र में 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैल पाए जाते हैं; शेष चट्टानों में गोंडवाना संरचना, दक्षिणी पठार संरचना और कम प्राचीन तलछट भूमि शामिल है

नदी प्रणालियां

भारत की नदी प्रणालियों को चार समूहों:- (1) हिमालयी नदियों, (2) दक्षिणी नदियों, (3) तटवर्ती नदियों और (4) अंतरदेशीय बरसाती नदियों में वर्गीकृत किया जा सकता है हिमालयी नदियां बर्फ और हिमनदों के पिघलने से बनती हैं और इसलिए वे वर्षभर निरंतर बहती रहती हैं मानसून के महीनों में, हिमालयी क्षेत्र में तेज वर्षा होती है, जिससे नदियों में उफान आता है और बार-बार बाढ़ आती है दूसरी तरफ दक्षिणी नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, अतः उनका आकार घटता-बढ़ता रहता है इनमें से कई नदियां बारहमासी नहीं हैं

तटवर्ती नदियां, विशेषकर पश्चिमी तटवर्ती नदियों की लंबाई अधिक नहीं है और उनके जलग्रहण क्षेत्र सीमित हैं उनमें से अधिकतर बारहमासी नहीं हैं अंतरदेशीय बरसाती नदियां पश्चिमी राजस्थान थाले से संबद्ध हैं जो गिनी-चुनी और अलग-थलग हैं इनमें से ज्यादातर थोड़े दिन ही बहती हैं

मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियां सिंधु और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली का हिस्सा हैं सिंधु नदी, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट है और यह पहले भारत और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है भारतीय भू-भाग में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सतलुज (जो तिब्बत से निकलती है), व्यास, रावी, चिनाब और झेलम शामिल हैं गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है जिसके प्रमुख उप-थालों में भागीरथी और अलकनंदा के थाले शामिल हैं ये दो नदियां देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती है गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है भागीरथी, अतीत के मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से निकलती है जबकि पद्मा पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन शामिल हैं चंबल और बेतवा इसकी महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं, जो यमुना के गंगा में मिलने से पहले यमुना में समा जाती है पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में निरंतर बहती हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहां इसे त्सांगपो के रूप में जाना जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक यह दिहांग के नाम से एक लंबा मार्ग तय कर चुकी होती है पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और यह संयुक्त नदी असम घाटी में बहती है धुबरी से निचली धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है

भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलडिया और मानस शामिल हैं बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और वह अंततः गंगा में समाहित हो जाती है मेघना की मुख्यधारा के रूप में बराक नदी मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होती है इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मक्कू, तरांग, तुइवई, जीरी, सोनाई, रुकणी, कटाखल, धालेश्वरी, लांगचिनी, मदुआ और जयंतिया शामिल हैं बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा-ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान तक जारी रहती है

दक्षिणी क्षेत्र में, सामान्यतः पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकतर बड़ी नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल हैं नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं

दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है इसके बाद कृष्णा नदी घाटी का स्थान है और इस क्षेत्र में महानदी एक अन्य बड़ी नदी घाटी है दक्षिण क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा का थाला और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली कावेरी नदी का थाला, दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उनका स्वरूप और विशेषताएं भिन्न हैं

इस क्षेत्र में अनेक तटवर्ती नदियां हैं, जो अपेक्षाकृत छोटी हैं इन नदियों में गिनी-चुनी ऐसी हैं, जो पूर्वी तट के डेल्टा के निकट सागर में गिरती हैं, जबकि 600 ऐसी नदियां हैं; जो पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं

राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती हैं वे साल्ट लेक (लवण झील) में गिरती हैं और रेत में लुप्त हो जाती हैं इनके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियां हैं, जो कुछ दूरी तक बहती हैं और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं ये हैं– लूनी, माछु, रूपे, सरस्वती, बनास, घग्घर आदि

समूचे देश को बीस नदी घाटियों/नदी थाला समूहों में वर्गीकृत किया गया है जिनमें से 12 बड़े थाले और 8 संयुक्त नदी थाले हैं 12 बड़े नदी थालों में:- (1) सिंधु (2) गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (3) गोदावरी (4) कृष्णा (5) कावेरी (6) महानदी (7) पेन्नार (8) ब्राह्मणी-वैतरणी (9) साबरमती (10) (11) नर्मदा (12) ताप्ती हैं इनमें से प्रत्येक थाले का बहाव क्षेत्र 20 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक का है

आयोजन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आठ संयुक्त नदी थाले हैं, जो शेष सभी मध्यम (2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर बहाव क्षेत्र वाली) और लघु नदी प्रणालियों (2000 वर्ग किलोमीटर से कम बहाव क्षेत्र वाली) को उपयुक्त ढंग से जोड़ते हैं ये हैं– (1) सुवर्ण रेखा थाला, जो सुवर्ण रेखा और वैतरणी के बीच अन्य छोटी नदियों को जोड़ता है (2) महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां (3) पेन्नार और

कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां (4) राजस्थान के रेगिस्तान में अंतरदेशीय बहाव क्षेत्र (5) लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (6) ताप्ती से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (7) ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और (8) म्यामां (बर्मा) और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियां

जलवायु/ऋतुएं

भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय बरसाती कहा जा सकता है भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चार आधिकारिक ऋतुएं निर्दिष्ट की हैं:- (1) शीत, दिसंबर से अप्रैल के प्रारंभ तक वर्ष के सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी होते हैं, जब उत्तर-पश्चिम में औसत तापमान करीब 10-15 डिग्री सेल्सियस (50-59 डिग्री फारेनहाइट) होता है; भारत के दक्षिण-पूर्व में मुख्य भू-भाग पर जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तो औसत तापमान बढ़ता जाएगा, जो लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस (68-77 डिग्री फारेनहाइट) पर पहुंच जाएगा, (2) ग्रीष्म या मानसून पूर्व ऋतु, जो अप्रैल से जून तक (उत्तर-पश्चिमी भारत में अप्रैल से जुलाई) तक पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है; उत्तरी क्षेत्र में सबसे गर्म महीना मई का है अधिकतर दूरदराज के क्षेत्रों में औसत तापमान करीब 32-40 डिग्री सेल्सियस (90-104 डिग्री फारेनहाइट), (3) मानसून या वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक, इस मौसम में आर्द्र दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्म मानसून छाया रहता है, जो मई के अंत या जून के प्रारंभ में शुरू होकर धीरे-धीरे देशभर में फैलता है मानसून की वर्षा उत्तर भारत में अक्टूबर के शुरू में कम होने लगती है दक्षिण भारत में अधिक वर्षा होती है और (4) मानसून-परवर्ती ऋतु, अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर-पश्चिमी भारत में अक्टूबर और नवंबर आमतौर पर वर्षारहित होते हैं

हिमालयी राज्यों के अधिक समशीतोष्ण होने के कारण, यहां दो अतिरिक्त ऋतुएं होती हैं:– पतझड़ और वसंत परंपरागत रूप में भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिनमें प्रत्येक की अवधि करीब 2 महीने होती है ये हैं– वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पूर्व पतझड़ (शरद), उत्तर पतझड़ (हेमंत) और शीत (शिशिर) यह 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटने के ज्योतिषीय वर्गीकरण पर आधारित है प्राचीन हिंदू कैलेंडर भी इन ऋतुओं को उनके महीनों के क्रम में रखता है

भारत की जलवायु दो मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है– उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण-पश्चिमी मानसून उत्तर-पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जिसमें हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसमें हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ज़मीन की ओर बहती हैं दक्षिण-पश्चिमी मानसून से वर्ष के दौरान देश में सर्वाधिक वर्षा होती है

वनस्पति

भारत वनस्पति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है कोलकाता स्थित भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई) के अनुसार अभी तक करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों में 46,000 पादप प्रजातियां पाई गई हैं यहां उत्कृष्ट वनस्पतियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं

उष्ण से लेकर अतिशीत तक विविध जलवायु स्थितियों के साथ, भारत में समृद्ध और विविध वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस दृष्टि से भारत की बराबरी गिने-चुने देश कर पाते हैं भारत को आठ विशिष्ट वानस्पतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये हैं– पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिणी क्षेत्र, मालाबार और अंडमान क्षेत्र

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है इसके उष्ण अंचल के जंगलों में चीड़, अन्य शंकु वृक्ष और चौड़ी पत्तियों वाले उष्ण वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं उच्च शिखरों पर देवदार, नीले चीड़, सनोवर वृक्ष व श्वेत देवदार के जंगल हैं लगभग 4,750 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर उष्ण अंचल की ऊपरी सीमा से अल्पाइन अंचल यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है इस अंचल के विलक्षण वृक्षों में उच्च स्तरीय श्वेत देवदार, श्वेत भोज़ वृक्ष, सदाबहार वृक्ष शामिल हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर फैला है और दार्जीलिंग, कुर्सियांग और आसपास के क्षेत्रों को अपने में समेटे है इस उष्ण अंचल में ओक, जायफल,

द्विफल बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष, भोजवृक्ष और छोटी बेंत के जंगल हैं असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा घाटियां शामिल हैं, जहां आमतौर पर मोटे बांस के गुच्छे और लंबी घास वाले सदाबहार वन हैं सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं यह एक शुष्क एवं उष्ण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है, जहां गेहूं, गन्ना और चावल की खेती होती है इस भू-भाग में केवल छोटे से क्षेत्र में विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की समूची समतल भूमि समाहित है इस क्षेत्र में झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित पतझड़ी जंगलों की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं मालाबार क्षेत्र में अत्यधिक आर्द्र पर्वतीय प्रदेश शामिल है, जो प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है जंगली वनस्पतियों की दृष्टि से समृद्ध होने के अलावा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों जैसे– नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू की खेती की जाती है अंडमान क्षेत्र में प्रचुर सदाबहार, मैंग्रोव, तटवर्ती और बरसाती जंगल हैं हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है जिसमें सिक्किम, मेघालय और नगालैंड समाहित हैं दक्षिणी प्रायद्वीप स्थानिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे पेड़-पौधे हैं, जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं

देश की वनस्पति का अध्ययन भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई) और देशभर में स्थित इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है

एथनो-बोटेनिकल यानी मानव-वनस्पति अध्ययन में पादपों और उनके उत्पादों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है ऐसे पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन बीएसआई द्वारा किया गया है देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विस्तृत नृजातीय सर्वेक्षण किए जा चुके हैं विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियों को विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया है और उनकी पहचान की गई है

कृषि, उद्योग और शहरी विकास के लिए वनों के ह्रास के कारण कई भारतीय पौधों का अस्तित्व खतरे में है करीब 1,336 पादप प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है बड़े पौधों की करीब 20 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनका अस्तित्व समाप्त होने की आशंका है, क्योंकि उन्हें पिछले 6-10 दशकों से देखा नहीं गया है भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ने अस्तित्व समाप्ति का खतरा झेल रहे पौधों की एक सूची 'रेड डेटा बुक' के रूप में प्रकाशित की है

भारत के जीव संसाधन

भारत अपनी बेजोड़ जैव-भौगोलिक अवस्थिति, विविधतापूर्ण जलवायु स्थितियों और असंख्य पारिस्थितिकी विविधता और भू-विविधता के कारण जैविक विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है भारत की विशाल जैविक विविधता में पारिस्थितिकी प्रणालियां, जनसंख्या, प्रजातियां और उनके आनुवंशिक स्वरूप शामिल हैं इस विविधता का श्रेय भौतिक और जलवायु स्थितियों में व्यापक भिन्नता को जाता है, जिनके फलस्वरूप पारिस्थितिकी में प्राकृतिक वास संबंधी विविधताएं पैदा होती हैं और यह उष्णकटिबंधी, उप-उष्णकटिबंधी, समशीतोष्ण, अल्पाइन से रेगिस्तान तक फैली हुई है विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत दो प्रमुख क्षेत्रों (प्लेयाक्रेटिक और इंडो मलायन) और तीन बायोम्स अर्थात् पादप जीवन के प्रमुख रूपों (जैसे उष्णकटिबंधी आर्द्र वन, उष्णकटिबंधी शुष्क/पर्णपाती वन और गर्म रेगिस्तान/ अर्द्ध-रेगिस्तान) का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने एक संशोधित वर्गीकरण प्रस्तावित किया है, जो देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है– हिमालय-पार, हिमालयी, भारतीय रेगिस्तान, अर्द्ध-शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप और तटवर्ती क्षेत्र जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार, भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी विकास की दृष्टि से विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है वास्तव में विश्व के कुल भू-भाग में मात्र करीब दो प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व के कुल जीव-जंतुओं की 7.5 प्रतिशत प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें 92,037 प्रजातियां शामिल हैं इनमें मात्र कीटों की 61,375 प्रजातियां शामिल हैं अनुमान है कि अकेले भारत में आज जितनी प्रजातियां विद्यमान हैं, उसका करीब दो गुना ऐसी हैं, जिनकी अभी खोज की जानी है

जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि

जनगणना

भारत की जनगणना, 2001 इक्कीसवीं सदी और तीसरी सहस्राब्दी की प्रथम जनगणना होने के कारण ऐतिहासिक और युगारंभ करने वाली थी यह एक शताब्दी और सहस्राब्दी परिवर्तन के समय देश में उपलब्ध प्रचुर मानव संसाधनों की स्थिति, उनकी जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि, संस्कृति और आर्थिक संरचना के बारे में मानदंड निर्धारित करने वाले आंकड़े उद्घाटित करती है

भारत में 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी इसे दो चरणों में कराया गया: (1) मकानों की सूची और आवास गणना (अप्रैल से सितंबर, 2010) और (2) जनसंख्या की गणना (9 से 28 फरवरी, 2011 और संशोधनात्मक दौर 1 से 5 मार्च, 2011) संदर्भ तिथि तारीख 1 मार्च, 2011 मानी गई बर्फीले क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना 11 से 30 सितंबर, 2010 की अवधि में की गई थी जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल, 2013 को जारी किए गए

जनसंख्या

भारत की जनसंख्या 1 मार्च, 2011 को 121.09 करोड़ (62.33 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं) थी विश्व की 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भू-भाग में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.4 प्रतिशत है फिर भी यह विश्व की आबादी के एक बड़े हिस्से को आश्रय प्रदान करता है और उसका पालनपोषण करता है

भारत की जनसंख्या, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में करीब 23.84 करोड़ थी, 2011 में बढ़ कर 121.07 करोड़ हो गई 1911-21 के दशक को छोड़ कर, 1901 से प्रत्येक दशक में हुई जनगणनाओं के दौरान भारत की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या संकेंद्रण के महत्वपूर्ण पैमानों में जनसंख्या घनत्व भी एक है इसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 में 17.72 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था

1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है बड़े राज्यों में बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, जहां जनसंख्या का घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसके बाद पश्चिम बंगाल (1,028) और केरल (860) का स्थान है

लिंग अनुपात

लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी समाज में एक निर्दिष्ट काल के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने के लिए लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है देश में लिंग अनुपात महिलाओं की संख्या की दृष्टि से हमेशा प्रतिकूल रहा है 20वीं सदी के प्रारंभ में यह 972 था और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी दर्ज हुई 1901-2011 की अवधि में लिंग अनुपात में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 10 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई, परंतु बच्चों के लिंग अनुपात में गिरावट आई और यह प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होकर 919 पर आ गई

साक्षरता

2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति को साक्षर समझा गया, जो किसी भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, परंतु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं कहा जा सकता 1991 से पहले की जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्यतः निरक्षर समझा जाता था

2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है देश में साक्षरता की दर 73 प्रतिशत है, जिसमें 80.9 प्रतिशत पुरुष और 64.6 प्रतिशत महिलाएं हैं 94 प्रतिशत साक्षरता के साथ केरल ने प्रथम स्थान बनाए रखा है इसके करीब ही लक्षद्वीप (91.9 प्रतिशत) का स्थान है देश में साक्षरता की दृष्टि से बिहार अंतिम स्थान पर है, जहां साक्षरता की दर 61.8 प्रतिशत है 96.1 प्रतिशत पुरुष

साक्षरता और 92.1 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ केरल का देश में पहला स्थान है इसके विपरीत, पुरुषों (71.2 प्रतिशत) और महिलाओं (51.5 प्रतिशत), दोनों की साक्षरता दर के मामले में बिहार अंतिम पायदान पर है

टिप्पणी: विस्तृत विवरण के लिए कृपया जनगणना रिपोर्ट, 2011 देखें

2 | राष्ट्रीय प्रतीक



राष्ट्रीय ध्वज

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियां हैं सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज़ पर बनाया गया है इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसमें 24 तिल्लियां हैं भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गैर–सांविधिक अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (1950 का 12वां) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69वां) की व्यवस्थाएं लागू होती हैं

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुई, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है भारत की ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं हैं, परंतु इस बारे में राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है

राजचिह्न

भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड़ तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाए गए इस स्तंभ पर 'धर्मचक्र' सुशोभित है

भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए राजचिह्न में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड़ और बाईं ओर एक घोड़ा है दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं घंटाकार पद्म छोड़ दिया गया है फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है– 'सत्य की ही विजय होती है '

भारत के राजचिह्न का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियंत्रित होता है

राष्ट्रगान

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पूरे गीत में 5 पद हैं प्रथम पद,

राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है :

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे

राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं जो इस प्रकार हैं:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे

राष्ट्रगीत

बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था इसका प्रथम पद इस प्रकार है :

वंदे मातरम् ! वंदे मातरम् !
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम्!
वंदे मातरम् !
शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम् !
वंदे मातरम् ! वंदे मातरम् !

राष्ट्रीय पंचांग (कैलेंडर)

ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ-साथ देशभर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है 22 मार्च, 1957 को इन्हें सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : (1) भारत का राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित-पत्र

राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगेरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थाई सादृश्य है चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है

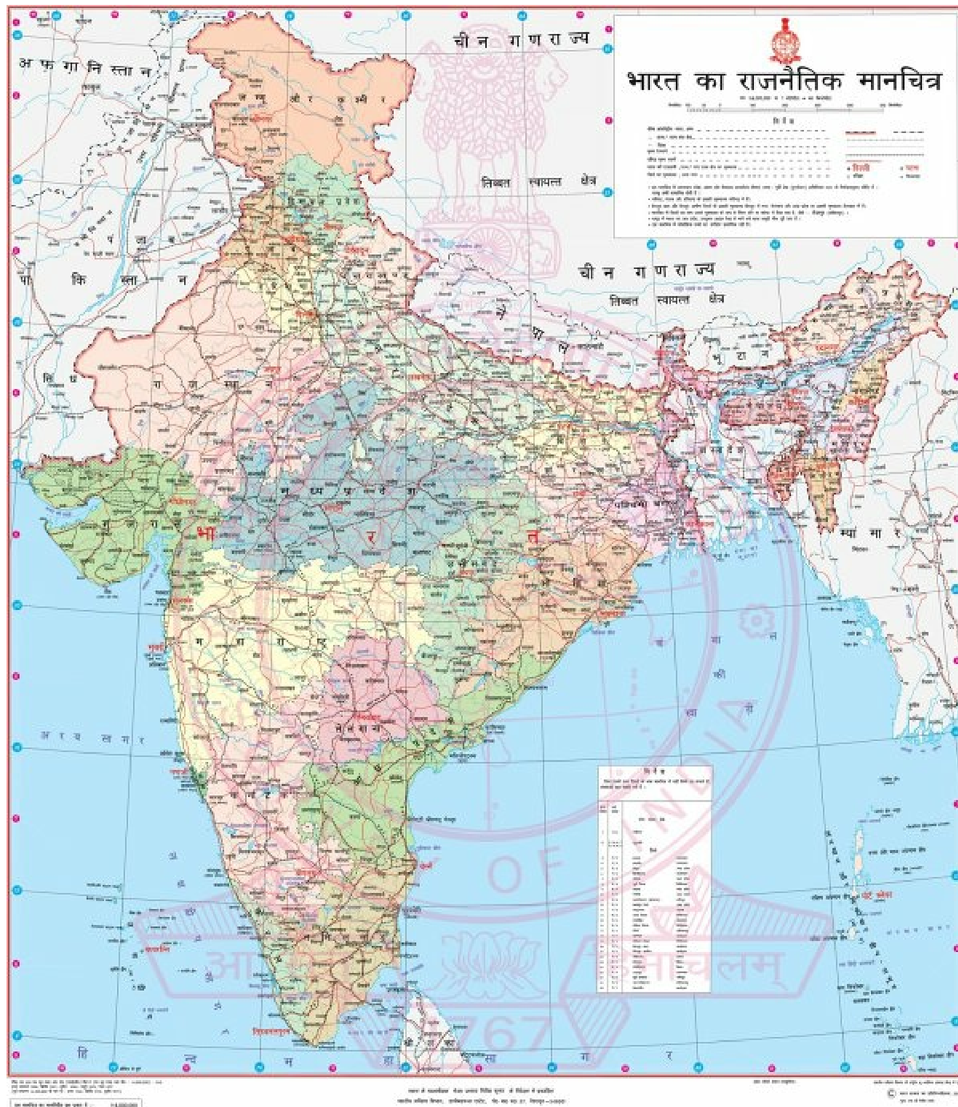
वेबसाइट: www.mha.gov.in
वेबसाइट: www.india.gov.in



राष्ट्रीय ध्वज



राष्ट्रीय चिह्न


भारत का राजनैतिक मानचित्र
चीन गणराज्य
तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र
म्यांमार

3 राजनीतिक संरचना



राज्यों का संघ भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है यह गणराज्य 26 जनवरी, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता हैं

संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में निहित होती है मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है

संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रावधान है

केंद्र और उसके क्षेत्र

भारत में 29 राज्य और सात केंद्रशासित प्रदेश हैं ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल केंद्रशासित प्रदेश हैं– अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुदचेरी

नागरिकता

संविधान में संपूर्ण भारत के लिए में एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है, जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत में स्थायी रूप से रहता हो; और (क) जो भारत में पैदा हुआ हो; अथवा (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ है, अथवा (ग) जो सामान्यतया कम से कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो नागरिकता अधिनियम, 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं

मौलिक अधिकार

संविधान में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है मोटे तौर पर संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई

है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती हैं संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद–12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है ये मौलिक अधिकार हैं: (1) समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोज़गार के लिए समान अवसर; (2) विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार सम्मेलन करने, संस्था या केंद्र बनाने, देश में सर्वत्र आने-जाने, भारत के किसी भी भाग में रहने तथा कोई रोज़गार या व्यवसाय करने का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकारों को देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता में सीमित किया गया है); (3) शोषण से रक्षा का अधिकारः इसके अंतर्गत सभी प्रकार की बेगार, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय का निषेध किया गया है; (4) अंत:करण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार; (5) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार; और (6) मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार

मौलिक कर्तव्य

1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है ये कर्तव्य संविधान के भाग चार 'ए' के अनुच्छेद – 51 (क) में दिए गए हैं इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें; स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करें; देश की रक्षा करें और कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा में जुट जाएं धर्म, भाषा और क्षेत्रीय तथा वर्ग संबंधी भिन्नताओं को भुला कर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत

संविधान में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूल आधार हैं' और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे ये सिद्धांत संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं उनमें कहा गया है– सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो सरकार ऐसी नीति-निर्देशित करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवनयापन के लिए यथेष्ट अवसर दे, सामान कार्य के लिए समान वेतन तथा अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम तथा शिक्षा दिलाने की प्रभावी व्यवस्था करे और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा अपंगता या अन्य प्रकार की अक्षमता की स्थिति में सबको वित्तीय सहायता दे सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह वेतन, कार्य की मानवोचित दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा उद्योगों के प्रबंधन में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए भी प्रयास करेगी

आर्थिक क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति इस ढंग से लागू करनी चाहिए जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अधिकार और उनका लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वे सभी लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो अतः यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध धन और उत्पादन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं हो

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशात्मक सिद्धांत हैं: बच्चों को स्वस्थ वातावरण में विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना; 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना; ग्राम पंचायतों का गठन; कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, संपूर्ण देश के लिए समान नागरिक संहिता की घोषणा; राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था; पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार; वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा; राष्ट्रों के बीच न्यायोचित तथा समानतापूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन; अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों का सम्मान एवं अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को बढ़ावा देना

संघ

कार्यपालिका

केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा करते हैं इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा पुनः निर्वाचित किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद–61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है वह उप-राष्ट्रपति को संबंधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा पद-त्याग करवा सकते हैं

कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कराते हैं रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने, संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने लोकसभा को भंग करने, दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने, बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश करने और विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान, दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, छूट देने या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं

उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं उप राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का और राज्य सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और उन्हें इस पद पर पुनःनिर्वाचित भी किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद-67(ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है

उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हों या जब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, तब छह महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते

मंत्रिपरिषद्

कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह केंद्र के कार्यों के संचालन के संबंध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों, कानून बनाने के प्रस्तावों तथा उनसे संबंधित जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहें

मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री तथा उपमंत्री होते हैं

विधायिका

संघ की विधायिका को 'संसद' कहा जाता है इसमें राष्ट्रपति, दोनों सदन (लोकसभा तथा राज्यसभा) शामिल हैं संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के छह महीने भीतर बुलानी होती है कुछ अवसरों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है

राज्यसभा

संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 से अधिक नहीं होगी राज्य सभा के सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट** में दिया गया है

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है; राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं वेबसाइट: www.rajyasabha.in

लोकसभा

लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अब अधिकतम 552 है (530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीय (एंग्लो इंडियन) समुदाय के दो व्यक्तियों को उस हालत में मनोनीत करने का अधिकार है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला) लोकसभा के लिए विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि राज्य के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात जहां तक संभव हो, सभी राज्यों में समान हो वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्य हैं इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा

लोकसभा का कार्यकाल, यदि उसे भंग न किया जाए, सदन की पहली बैठक को लेकर पांच वर्ष होता है किंतु यदि आपात स्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है परंतु यह वृद्धि एक समय पर एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती और आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में छह महीने से अधिक नहीं हो सकती अब तक 16 लोकसभाएं गठित की जा चुकी हैं प्रत्येक लोकसभा के कार्यकाल और उसके अध्यक्षों का विवरण तालिका-1 में दिया गया है 16वीं लोकसभा के सदस्यों के नाम, उनकी पार्टी और चुनाव क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट** में दिया गया है वेबसाइट: www.Ioksabha.in

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं

संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए अतिरिक्त योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है

संसद के कार्य और अधिकार

अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भांति भारत की संसद को भी कानून बनाने, प्रशासन की देख रेख, बजट पारित करने, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है केंद्र और राज्यों में अधिकारों के वितरण की संविधान में जो व्यवस्था

की गई है, उसके अनुसार विधायी क्षेत्र में कई तरह से संसद को उच्च स्थान दिया गया है संसद कुछ परिस्थितियों में ऐसे विषयों के विधायी अधिकार भी प्राप्त कर सकती है, जो अन्यथा राज्यों के लिए सुरक्षित हैं संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है

सभी कानूनों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है हालांकि, धन विधेयक के मामले में लोक सभा की 'मंजूरी' महत्वपूर्ण रहती है प्रदत्त विधान पर पुनरावलोकन और अधिकार संसद के पास होता है विधि निर्माण के अलावा, संविधान द्वारा संसद को संविधान के अधिकार भी सौंपे गए हैं

तालिका : 1

लोकसभा का कार्यकाल और उसके अध्यक्ष

लोकसभा	गठन के पश्चात् की प्रथम बैठक	भंग होने की तिथि	अध्यक्ष[1] का नाम	से	तक
पहली लोकसभा	13 मई, 1952	04 अप्रैल, 1957[2]	गणेश वासुदेव मावलंकर	15 मई, 1952	27 फरवरी, 1956[3]
			एम. अनंतशयनम आयंगर	8 मार्च, 1956	10 मई, 1957
दूसरी लोकसभा	10 मई, 1957	31 मार्च, 1962[4]	एम. अनंतशयनम आयंगर	11 मई, 1957	16 अप्रैल, 1962
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल, 1962	03 मार्च, 1967[5]	हुकम सिंह	17 अप्रैल, 1962	16 मार्च, 1967
चौथी लोकसभा	16 मार्च, 1967	27 दिसंबर, 1970[6]	नीलम संजीव रेड्डी	17 मार्च, 1967	19 जुलाई, 1969[7]
			गुरदयाल सिंह ढिल्लों	08 अगस्त, 1969	19 मार्च, 1971
पांचवीं लोकसभा	19 मार्च, 1971	18 जनवरी, 1977[8]	गुरदयाल सिंह ढिल्लों	22 मार्च,1971	01 दिसम्बर, 1975[9]
			बलिराम भगत	05 जनवरी, 1976	25 मार्च, 1977
छठी लोकसभा	25 मार्च, 1977	22 अगस्त, 1979[10]	नीलम संजीव रेड्डी	26 मार्च, 1977	13 जुलाई, 1977[11]
			के. एस. हेगड़े	21 जुलाई, 1977	21 जनवरी, 1980
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी, 1980	31 दिसंबर, 1984[12]	बलराम जाखड़	22 जनवरी, 1980	15 जनवरी, 1985
आठवीं लोकसभा	15 जनवरी, 1985	27 नवंबर, 1989[13]	बलराम जाखड़	16 जनवरी, 1985	18 दिसंबर, 1989
नौवीं लोकसभा	18 दिसंबर, 1989	13 मार्च, 1991[14]	रबि राय	19 दिसंबर, 1989	09 जुलाई, 1991
दसवीं लोकसभा	09 जुलाई, 1991	10 मई, 1996	शिवराज वी. पाटिल	10 जुलाई, 1991	22 मई, 1996
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई, 1996	04 दिसंबर, 1997[15]	पी. ए. संगमा	23 मई, 1996	23 मार्च, 1998 (पूर्वाह्न)
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च, 1998	26 अप्रैल, 1999[16]	जी. एम. सी. बालयोगी	24 मार्च, 1998	20 अक्टूबर, 1999 (पूर्वाह्न)
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर, 1999	06 फरवरी, 2004[18]	जी. एम.सी. बालयोगी	22 अक्टूबर, 1999	03 मार्च, 2002[17]
			मनोहर गजानन जोशी	10 मई, 2002	02 जून, 2004
चौदहवीं लोकसभा	02 जून, 2004	18 मई, 2009	सोमनाथ चटर्जी	04 जून, 2004	01 जून, 2009
पंद्रहवीं लोकसभा	01 जून, 2009	18 मई, 2014	मीरा कुमार	01 जून, 2009	18 मई, 2014
सोलहवीं लोकसभा	04 जून, 2014	—	सुमित्रा महाजन	06 जून, 2014	अब तक

1. संविधान के अनुच्छेद-94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता
2. अपने सामान्य कार्यकाल से 38 दिन पूर्व ही भंग हो गई
3. निधन
4. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 40 दिन पूर्व ही भंग हो गई
5. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 44 दिन पूर्व ही भंग हो गई
6. अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष 79 दिन पूर्व ही भंग हो गई
7. त्यागपत्र दे दिया
8. लोकसभा का कार्यकाल जोकि 18 मार्च, 1975 को समाप्त होना था (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए 18 मार्च, 1977 तक बढ़ा दिया गया इसे लोकसभा द्वारा एक वर्ष की और अवधि 18 मार्च, 1978 तक के लिए (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बढ़ाया गया हालांकि 5 वर्ष, 10 माह और 13 दिन तक अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया था
9. त्यागपत्र दे दिया
10. दो वर्ष चार माह और 28 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया था
11. त्यागपत्र दे दिया
12. अपने कार्यकाल की समाप्ति से बीस दिन पूर्व ही भंग हो गई
13. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 48 दिन पूर्व ही भंग हो गई
14. एक वर्ष, दो महीने और 25 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया
15. एक वर्ष, छह महीने और 13 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया
16. एक वर्ष, छह महीने और चार दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया
17. निधन
18. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 253 दिन पूर्व ही भंग हो गई

संसदीय समितियां

संसद के कार्यों में विविधता है चूंकि उसके पास समय सीमित होता है, इसलिए उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी अथवा अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो सकता है अतएव इसका बहुत-सा कार्य संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना, कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती है इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर एक जैसी ही है और यह संविधान के अनुच्छेद-118 (1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार नियंत्रित होती हैं

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं– स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं

स्थायी समितियां: लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों, अर्थात लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजानिक उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नज़र रखती हैं लोक लेखा समिति और सार्वजानिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं

प्राक्कलन समितिः प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती हैं तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? यह इस बात की भी जांच करती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही धन व्यय किया गया है या नहीं समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कराती है यह सुनिश्चित कराती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है सार्वजानिक उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच करती है वह इस बात की जांच भी करती है कि ये सार्वजनिक उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं तथा इनका प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं

इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा, लोकसभा की नियमों संबंधी समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश थी इसके अनुसार 8 अप्रैल, 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया, ताकि ऐसी ही 7 समितियां और गठित की जा सकें इस प्रकार इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ कर 24 हो गई

इन समितियों के कार्य हैं : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उनके बारे में सदन को सूचित करना; (ख) लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए ऐसे विधेयकों की जांच पड़ताल करना और जैसा भी मामला हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना; (ग) मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उन पर अपनी रिपोर्ट देना, और (घ) सदन में प्रस्तुत नीति संबंधी दस्तावेजों (यदि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए हैं) पर विचार करना और जैसा भी हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना

प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियां, उनके कार्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित हैं:

(1) जांच समितियाः (क) याचिका समिति विधेयकों और जनहित संबंधी मामलों पर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और केंद्रीय विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करती है; (ख) विशेषाधिकार समिति सदन या अध्यक्ष/सभापति द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है *(2)*समीक्षा समितियाः (क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों आदि पर उनके कार्यान्वित होने पर नज़र रखती है; (ख) अधीनस्थ विधि निर्माण समिति इस बात की जांच करती है तथा सदन को इसकी रिपोर्ट देती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उप-नियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है; और (ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों के अलावा, जोकि अधीनस्थ विधान संबंधी

समिति के कार्यक्षेत्र में आते हैं, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागज़ातों की जांच करती है और देखती है कि संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत कागज़ात प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं *(3)* सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां: (क) कार्य मंत्रणा समिति सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी एवं अन्य कार्यों के लिए समय-निर्धारण की सिफ़ारिश करती है; (ख)गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं उनके लिए समय का निर्धारण करती है, निजी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों पर बहस के लिए समय का निर्धारण करती है और लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पूर्व संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करती है राज्यसभा में इस प्रकार की समिति नहीं होती राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी विधेयकों एवं प्रस्तावों के चरण या चरणों में बहस के लिए समय के निर्धारण की सिफ़ारिश (अनुशंसा) करती है; (ग) नियम समिति सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफ़ारिश करती है, और (घ) सदन में बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी लोकसभा की समिति सदन के सदस्यों की बैठकों से अनुपस्थिति या छुट्टी के आवेदनों तथा सदस्यों की छुट्टी आदि पर विचार करती है राज्यसभा में इस प्रकार की समिति नहीं है और सदस्यों की छुट्टी अथवा अनुपस्थिति के आवेदनों पर सदन स्वयं विचार करता है *(4)* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समितिः इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं यह केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं *(5)* सदस्यों को सुविधा प्रदान करने संबंधी समितियाः (क) सामान्य प्रयोजन संबंधी समितिः सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है, जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तथा अध्यक्ष/सभापति को इस बारे में सलाह देती है; और (ख) आवास समिति – सदस्यों की आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था; (6) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति – यह समिति संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन गठित की गई है संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम बनाने के अतिरिक्त यह उनके चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के नियम बनाती है *(7)* लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समितिः यह केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियों एवं अन्य निकायों की संरचना तथा स्वरूप की जांच करती है, और यह सिफारिश करती है कि ऐसे कौन-कौन-से पद हों, जो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाते हैं *(8)* पुस्तकालय समितिः इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं यह समिति संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है *(9)* महिला अधिकारिता समितिः 29 अप्रैल, 1997 को महिलाओं के अधिकारों के बारे में दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं को हैसियत, गरिमा और समानता प्रदान करना है और *(10)* आचार: संहिता समिति – 4 मार्च, 1997 को राज्यसभा की आचार-संहिता समिति गठित की गई लोकसभा की आचार-संहिता समिति 16 मई, 2000 को गठित की गई

तदर्थ समितियां: इस तरह की समितियों को मोटेतौर पर दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है– (क) संसद के दोनों सदनों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव लाकर अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी विशिष्ट विषय पर जांच करने एवं रिपोर्ट देने हेतु समय-समय पर गठित समितियां, (उदाहरण स्वरूप संसदीय परिसर में खाद्य प्रबंधन पर समिति, संसदीय परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्रों/प्रतिमाओं की स्थापना पर समिति, संसदीय परिसर में सुरक्षा पर समिति, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति आदि) और (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त प्रवर एवं संयुक्त समितियां विधेयकों के संदर्भ में ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं और इनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष/सभापति के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है

संसद में विपक्ष के नेता

राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है 1 नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं

संसद में सरकारी कामकाज

संसदीय कार्यमंत्री को संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है इस दायित्व को निभाने हेतु दो राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं मंत्री दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों के नेताओं, मुख्य संचेतकों और संचेतकों के साथ निरंतर नज़दीकी संबंध बनाए रखते हैं

सलाहकार समितियां

भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक, विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसदीय सलाहकार समितियों का कार्य है सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता 10 और अधिकतम सदस्यता 30 है प्रत्येक लोकसभा भंग होने पर सलाहकार समिति भी भंग हो जाती है तथा नई लोकसभा के गठन के साथ सलाहकार समितियां भी पुनर्गठित की जाती हैं

16वीं लोकसभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 सलाहकार समितियां गठित की गई थी और जून 2016 से मई 2017 के बीच इनकी 96 बैठकें हुई थीं

युवा संसद प्रतियोगिता

युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित कराने की यह योजना सबसे पहले 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी बाद में 1978 में दिल्ली और आस-पास के केंद्रीय विद्यालयों में इस योजना को लागू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में केंद्रीय विद्यालयों में एक अलग योजना के रूप में इसे शुरू किया गया इसी तरह 1997-98 में दो नई योजनाओं के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता लागू की गई, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

समान हित के विषयों पर चर्चा करने तथा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु कानून बनाने वाली संस्थाओं के व्यावहारिक कार्य-संचालन से सदस्य संबंध रखने वाले केंद्र और राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है वर्ष 1952 से अब तक 17 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं

विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले

संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे दोपहर में सदस्य सार्वजानिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं राज्यसभा में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय प्रातः 11 बजे उठाते हैं मंत्रीगण कभी-कभी सदस्यों द्वारा इंगित बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सदन अथवा सदस्य को आश्वासन देते हैं कि संबंधित मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा

आश्वासनों का कार्यान्वयन

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों, संकल्पों को छांटकर उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए भेजता है इसके बाद इनके कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और वायदों की पूर्ति की दिशा में काम करने हेतु संबंधित मंत्रालयों को याद भी दिलाया जाता है मंत्रालयों से कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा समुचित जांच

के बाद सरकार द्वारा आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु की गई कारवाई को दर्शाने वाले विवरण समय-समय पर सदन के पटल पर रखे जाते हैं कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इसे सदन के पटल पर रखे जाने की सूचना सदस्यों तथा संबंधित मंत्रालय को दे दी जाती है

सद्भावना शिष्टमंडल

किसी देश के सांसद उस देश की नीति के निर्धारण तथा अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को दूसरे देशों के समकक्षों और राय निर्माताओं के समक्ष पेश करके भारत के पक्ष में उनका समर्थन पाने के लिए विशेषकर, भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश में कुछ संसद सदस्यों और विशिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं लेना उपयोगी एवं आवश्यक है

संसदीय कार्य मंत्रालय अन्य देशों के लिए सद्भावना शिष्टमंडल प्रायोजित करता है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत सांसदों का वैसा ही शिष्टमंडल देश में बुलाता है

संसद सदस्यों का कल्याण

संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले बीमार सांसदों के कल्याण को देखता है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाता है किसी संसद की दिल्ली में मृत्यु होने की स्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय मृत सदस्य के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु परिवार द्वारा चयनित स्थान पर ले जाने में शोकाकुल परिवार को हर जरूरी सहायता प्रदान करता है

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसे पद से हटाने के लिए वहीं कार्यविधि अपनाई जाती है, जो उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है अपना पद छोड़ने के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता है

केंद्र और राज्यों का लेखा-जोखा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र के लेखा-जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के लेखा-जोखा की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजी जाएंगी, जो इसे विधान सभा में प्रस्तुत कराएंगे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 में निर्धारित की गई हैं

वेबसाइट: www.Cag.gov.in

अटॉर्नी जनरल

भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बनने योग्य व्यक्ति की नियुक्ति इस पद के लिए की जा सकती है अटॉर्नी जनरल का काम कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करना और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर अपने तहत दिए गए कार्यों को निर्वहन करने संविधान या उसके तहत लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट या कार्य सौंपे जा सकते हैं अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भारत के क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होगा और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा

भारत का सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य वकील भी होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का अतिरिक्त कानून अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल का सहायक होता है और वह स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की

तरफ से सहायक होता है भारत के अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त वकील, सरकार को सलाह देते हैं और कानून अधिकारी (नियम और शर्तें) नियम, 1972 के संदर्भ में भारत के संघ की ओर से पेश होते हैं

हालांकि, भारत अटॉर्नी जनरल का पद, जो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, के विपरीत सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की पद केवल वैधानिक हैं सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति, कैबिनेट समिति द्वारा की जाती है

प्रशासनिक ढांचा

भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-77 के अंतर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 बनाए गए हैं इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है इन मंत्रालयों/ विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में भारत सरकार के कार्यों का संचालन इन नियमों में निर्दिष्ट विषयों के वितरण के अनुसार होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करते हैं प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री की मदद करता है

मंत्रिमंडल सचिवालय

मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है कैबिनेट सचिवालय का कार्य होता है: (क) मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग; और (ख) कार्य नियम

कैबिनेट (मंत्रिमंडल) सचिवालय भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें वह सरकार के मंत्रालय/विभागों में इन नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हुए और मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है

कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी कैबिनेट सचिवालय का काम है सभी सचिव समय-समय पर गतिविधियों के बारे में कैबिनेट सचिव को सूचित करते हैं कार्यकरण नियमों के संचालन के लिए भी यह आवश्यक है कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में विशेषकर यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा हो तो उसके बारे में कैबिनेट सचिव को सूचित किया जाए वेबसाइट: www.cabsec.gov.in

सरकार के मंत्रालय/विभाग

सरकार के कई मंत्रालय/विभाग होते हैं इनकी संख्या समय-समय पर इस बात पर निर्भर करती है कि काम कितना है तथा किस मामले को कितना महत्व दिया जा रहा है

मंत्रालयों/विभागों की सूची [1]

1. **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
   (i) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, (ii) कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग (iii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
2. **आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय**
3. **रसायन और उर्वरक मंत्रालय**

(i) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, (ii) उर्वरक विभाग (iii), औषध विभाग
4. नागर विमानन मंत्रालय
5. कोयला मंत्रालय
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(i) वाणिज्य विभाग, (ii)औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7. संचार मंत्रालय
(i) दूरसंचार विभाग, (ii) डाक विभाग
8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(i) उपभोक्ता मामले विभाग, (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
9. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
10. संस्कृति मंत्रालय
11. रक्षा मंत्रालय
(i) रक्षा विभाग, (ii) रक्षा उत्पादन विभाग, (iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, (iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग
12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
13. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
16. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
17. विदेश मंत्रालय
18. वित्त मंत्रालय
(i) आर्थिक कार्य विभाग, (ii) व्यय विभाग, (iii) राजस्व विभाग, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, (v) वित्तीय सेवाएं विभाग
19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
21. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(i) भारी उद्योग विभाग, (ii) लोक उद्यम विभाग
22. गृह मंत्रालय
(i) आंतरिक सुरक्षा विभाग, (ii) राज्य विभाग, (iii) राजभाषा विभाग, (iv) गृह विभाग, (v) जम्मू-कश्मीर विभाग, (vi) सीमा प्रबंधन विभाग
23. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, (ii) उच्चतर शिक्षा विभाग
25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
26. श्रम और रोज़गार मंत्रालय
27. विधि और न्याय मंत्रालय
(i) विधि कार्य विभाग, (ii) विधायी विभाग, (iii) न्याय विभाग
28. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
29. खान मंत्रालय
30. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
31. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
32. पंचायती राज मंत्रालय
33. संसदीय कार्य मंत्रालय
34. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, (iii)

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

35. **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
36. **योजना मंत्रालय**
37. **विद्युत मंत्रालय**
38. **रेल मंत्रालय**
39. **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**
40. **ग्रामीण विकास मंत्रालय**
    (i) ग्रामीण विकास विभाग, (ii) भूमि संसाधन विभाग
41. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
    (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, (iii) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
42. **पोत परिवहन मंत्रालय**
43. **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**
44. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**
    (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (ii) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
45. **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**
46. **इस्पात मंत्रालय**
47. **वस्त्र मंत्रालय**
48. **पर्यटन मंत्रालय**
49. **जनजातीय कार्य मंत्रालय**
50. **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**
51. **महिला और बाल विकास मंत्रालय**
52. **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय**
    (i) युवा कार्यक्रम विभाग, (ii) खेल विभाग

केंद्र सरकार के स्वतंत्र विभाग

53. **परमाणु ऊर्जा विभाग**
54. **अंतरिक्ष विभाग**

प्रमुख स्वतंत्र कार्यालय

55. **नीति आयोग**
56. **मंत्रिमंडल सचिवालय**
57. **राष्ट्रपति सचिवालय**
58. **प्रधानमंत्री कार्यालय**

रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक शस्त्रों (हथियारों) के विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग पर समझौता एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है (सीडब्ल्यूसी) जो रासायनिक शस्त्रों (हथियारों) के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग एवं उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर प्रतिबंध लगाती है यह संधि 1997 से लागू हुई और मार्च 2016 तक 192 देशों ने इस संधि का समर्थन अथवा इस पर हस्ताक्षर किए दी हेग, नीदरलैंड्स में स्थित रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन (ओसीडब्ल्यूसी) इस संधि के लिए बना बहुराष्ट्रिक संगठन है ओसीडब्ल्यूसी को 2013 में मिला नोबेल पुरस्कार इस संगठन की प्रभावशीलता को प्रमाणित करता हैं

इस संधि के प्रावधानों के पालन और देश में इस संधि से जुड़े सभी विषयों पर रासायनिक हथियारों पर

प्रतिबंध संगठन (ओसीडब्ल्यूसी) एवं अन्य सभी सहमत देशों से प्रभावपूर्ण तरीके से संपर्क बनाए रखने के लिए एक केंद्र के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तत्वावधान में रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी) का कार्यालय बनाया गया है संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित रासायनिक शस्त्र संधि अधिनियम जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ भारत 41 सदस्यीय ओसीडब्ल्यूसी की कार्यकारी समिति के चार अनिर्वाचित सदस्यों में से एक है ओसीडब्ल्यूसी की एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस (एबीएएफ), दी कॉन्फीडेंशिअलिटी कमीशन, नेटवर्क कमिटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी तथा हाल में ही सृजित एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच (एबीईओ) ऑफ ओसीडब्ल्यूसी में भारतीय प्रतिनिधित्व है इस संधि के प्रावधानों के अनुपालन में भारत ओसीडब्ल्यूसी और सभी सदस्यों के साथ सक्रिय सहयोग करता है

परियोजना निगरानी समूह

परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) विभिन्न मुद्दों, जिनमें बढ़ी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसी परियोजनाओं को लगाने तथा शीघ्र चालू करने हेतु त्वरित अनुमोदन शामिल हैं, के निपटारे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है परियोजना निगरानी समूह की स्थापना 2013 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन की गई थी वर्तमान में परियोजना निगरानी समूह 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य कर रहा है

निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों के यथासमय निपटान को सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर पीएमजी अपने वेब पोर्टल ई-निवेश मॉनीटर (e-hivesh.gov.in) के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्स के विकास और संचालन की निगरानी कर रहा है यह प्रणाली विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के ऑनलाइन प्रस्ताव बनाने और उनके निस्तारण में हुई प्रगति का पता लगाती है यह पोर्टल सभी मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न ऑनलाइन केंद्रीय सेवाओं/स्वीकृति पोर्टल्स से सूचना एकत्रित कर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से लेकर उसकी स्वीकृति जारी होने तक के डिजिटलीकृत प्रस्तावों की जांच करता है

लोक शिकायत

लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) की स्थापना लोक शिकायतों का संतोषजनक समाधान उचित समय सीमा में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नहीं हो पाने के मद्देनज़र इनके निराकरण हेतु वर्ष 1988 में की गई थी अतः डीपीजी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु अंतिम पड़ाव के रूप में कार्य करता है डीपीजी के पास शिकायतें डाक द्वारा, ई-मेल अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं ऑफलाइन द्वारा प्राप्त सभी मामलों को सिस्टम में डालने के बाद पीजीएआरएमएस एप्लीकेशन का प्रयोग कर कार्रवाई की जाती है

प्रत्येक शिकायत को पहले डीपीजी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों के आधार पर छांटा जाता है डीपीजी के कार्यक्षेत्र से बाहर क्षेत्रों से संबंधित मामलों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में उचित निष्पादन हेतु भेज दिया जाता है तथा इसकी सूचना शिकायकर्ता को दे दी जाती है शेष शिकायतों में मामले की गंभीरता देखी जाती है और देखा जाता है कि क्या संबंधित मंत्रालय/विभाग को शिकायत के निराकरण हेतु अवसर दिया गया है? गंभीर प्रकृति की शिकायतों को, जो या तो बहुत अधिक समय से लंबित हैं अथवा संबंधित सेवा संगठन/मंत्रालय से जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, विस्तृत जांच के लिए हाथ में लिया जाता है इन मामलों का अनुसरण उनके तर्कसंगत एवं उचित निर्णय होने तक किया जाता है अन्य मामलों को संबंधित मंत्रालय के पास समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है

डीपीजी द्वारा टिप्पणी मांगे जाने पर विभाग या संगठन से अपेक्षित है कि वे मामले की जांच करके 30 दिनों के भीतर उसका जवाब भेज दें टिप्पणी प्राप्त होने के बाद यदि डीपीजी आवश्यक समझता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायत को विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रोत्साहित तरीके से निपटाया गया, अतिरिक्त सूचनाएं मांग सकता है मामले को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत के संतोषजनक निपटारे की सहमति प्राप्त की जा सकती है

अपने शुरुआती दिनों से ही डीपीजी अपने कार्यों का निरंतर कंप्यूटरीकरण कर रहा है डीपीजी हेतु एक विशिष्ट स्वचलन कार्यक्रम, लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (पीजीआरएमएस) को 1999 में

ही अपना लिया गया था पीजीआरएमएस को अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए नए केंद्रीकृत लोक शिकायत निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) में समाहित कर लिया गया है निराकरण प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 से कुछ और उपाय भी शुरू किए गए हैं जिसमें पीजीआरएमएस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने के लिए इसका हिंदी संस्करण शुरू करना, शिकायतकर्ता से बेहतर संवाद और संपर्क के लिए ई-मेल/एसएमएस जैसी सुविधाओं का समावेश करने तथा डीपीजी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना शामिल है

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

किसी भी संगठन का आविर्भाव हमेशा एक विकासपरक प्रक्रिया के द्वारा होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी ऐसी ही अवस्था से निर्मित हुआ भारत सरकार ने 1999 में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की और गुजरात के भूकंप के पश्चात राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में

आपदा प्रबंधन के महत्व को मान्यता देते हुए और प्रभावी शमन तंत्र द्वारा सुझाव पर एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की पहली बार दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय को शामिल किया गया बारहवें वित्त आयोग में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने को अनिवार्य किया गया था

सरकार ने 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसने गृह मंत्रालय के तहत, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, देश में आपदा प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के नेतृत्व

और कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं एनडीएमए एक सर्वोच्च संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना; आपदा प्रबंधन के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है

इसकी कई जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना; राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना; राज्य योजना के निर्माण के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना; विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या आपदा पश्चात इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के दिशानिर्देश निर्धारित करना; बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन प्रदान करना; आपदा की रोकथाम के लिए अन्य उपाय करना या आपदा परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए राहत या तत्परता और क्षमता के निर्माण के रूप में आवश्यक विचार करना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना शामिल हैं वेबसाइट www.ndma.gov.in

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों को सुलझाने का कार्य करने वाली भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है यह आमतौर पर राज्यों से जुड़े मामले और विशेषकर केंद्र सरकार से जुड़े शिकायत के मामलों को देखती है विभाग कुशल प्रशासन से जुड़ी कार्यप्रणाली को ऑडियो-विजुअल और प्रकाशन माध्यमों से प्रसारित करने और प्रलेखन पर जोर देती है यह अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और लोक सेवा सुधारों के प्रोत्साहन में सहयोग को भी बढ़ावा देती है वेबसाइट: www.darpg.gov.in

लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के असाधारण तथा अभिनव कार्यों की पहचान एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रारंभ किए हैं इसके अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट और आदर्श कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है वर्ष 2007 में प्रारंभ से अब तक तीन श्रेणियों- व्यक्तिगत, सामूहिक एवं विभागीय के अंतर्गत 67 पुरस्कार दिए गए हैं वर्ष

2015-16 में प्राथमिकता कार्यक्रमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की एक नई श्रेणी शुरू की गई 2018 में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव अधिकारियों और निदेशक/उपसचिव पद पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए एक-एक नए पुरस्कारों की शुरूआत की गई थी यह पुरस्कार उनको कार्यविधियों/तंत्र को सरलीकृत और उसे पुनः व्यावहारिक बनाने के सुधारों के लिए दिया गया है

लोक सेवा दिवस

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोक सेवा अधिकारी नागरिक हितों के प्रति अपनी निष्ठा एवं कार्यों में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दोहराते हैं ऐसा पहला आयोजन 21 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु 'प्रधानमंत्री पुरस्कार' दिया था यह तिथि स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ पटेल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को 'मेटकाफ हाउस' नई दिल्ली में संबोधित किए जाने की तिथि से मेल खाती है

अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं सहयोग

विभाग लोक प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मामलों के लिए प्रमुख (नोडल) केंद्र है इसके कार्यों में भारत और अन्य देशों के बीच (द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय) समझौता/समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत परियोजनाओं/द्विपक्षीय उपायों से संबंधित हिस्से के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है अंतरराष्ट्रीय सहयोग घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार को सूचनाओं, सर्वोत्तम अनुभवों और कार्मिकों के आदान-प्रदान में सक्षम बनाना है अपने अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के तहत विभाग ने प्रशासनिक अनुभवों तथा आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन के साथ द्विपक्षीय और दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राज़ील के साथ (आईबीएसए) के तहत त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं इनमें लोक प्रशासन और सेवा वितरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा गतिविधियों का दायित्व शामिल है ताकि शासन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की बेहतर भावना पैदा हो सके तथा लोक सेवा वितरण, सुशासन, लोक सेवा में सुधार, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त हो सके

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र के साथ सहयोग

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र (सीएपीएएम) समूचे राष्ट्रमंडल में लोकप्रबंधन, लोकतंत्र एवं सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है इसका मुख्यालय कनाडा के ओटावा में है 1991 में हरारे तथा 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप इस केंद्र की स्थापना 1994 में की गई थी स्थापना के बाद से राष्ट्रमंडल देशों में इसकी सदस्य संख्या 1,100 से अधिक हो गई है भारत सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 1997 में सीएपीएम का संस्थागत सदस्य बना इस संस्था का सदस्य बनने से भारत सरकार सीएपीएएम द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय नवाचार सोपान कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय बैठकों, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों और कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं, प्रलेखों एवं अध्ययन रिपोर्टों से नवीनतम सूचनाएं हासिल कर सकती है अपने पुरस्कारों के माध्यम से सीएपीएएम चार श्रेणियों में सुशासन को मान्यता एवं प्रोत्साहन देता है अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कारों के द्वारा लोक सेवा क्षेत्र में सुशासन एवं सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है

विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रयासों के हिस्से के रूप में अन्य देशों के साथ जानकारी हासिल करने और प्रशासनिक अनुभवों का आदान-प्रदान करने की संभावना विशेषरूप से ई-शासन और सेवाओं के ऑनलाइन वितरण के क्षेत्र में तलाशी गई है वर्ष 2016-17 में विभाग ने ई-शासन आधारित नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' विषय पर दो लघु अवधि विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री विजेताओं/ई-शासन पुरस्कार विजेताओं सहित केंद्र और राज्य सरकारों/

केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए क्रमशः अगस्त 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईपीएसी), टोरॉन्टो, कनाडा तथा सितंबर 2016 में पीबीएलक्यू, दी हेग, नीदरलैंड्स में आयोजित हुए थे

यूएनडीपी परियोजना

पूरे देश में सरकारी ऑनलाइन सेवा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव करने और बेहतर सेवा वितरण के लिए सरकार द्वारा 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम पर जोर दिए जाने के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों में विभाग की भूमिका में सुधारों के लिए डीएआरपीजी-यूएनडीपी को सहयोग प्रदान कर रहा है संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ई-शासन सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है सर्वेक्षण में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 107वीं हैं जबकि 2014 में यह रैंकिंग 118 थी ई-सहभागिता में यह 27 है जबकि 2014 में 193 देशों में 40वां स्थान था ऑनलाइन सेवा सूचकांक में भारत बहुत ऊंचे स्थान पर है क्योंकि उसे 2014 में मिले 0.5433 अंकों के स्थान पर 2016 की रैंकिंग में 0.7464 अंक प्राप्त हुए हैं सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ऑनलाइन सेवाओं को सरकारी सेवा पोर्टल में लाकर यूएन- ई-शासन पोर्टल में भारत की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से यूएनडीपी और एनआईसी ने सरकारी सेवा पोर्टल शुरू किया था

ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डीएआरपीजी इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक राज्य सरकार के सहयोग से 1997 से ही प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है यह सम्मेलन राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सचिवों, केंद्रीय सरकार के आईटी प्रबंधकों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों, उद्योग एवं अकादमिक संस्थानों के बुद्धिजीवियों सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ई-गवर्नेंस (शासन) से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा अनुभव साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है अब तक 21 ई-गवर्नेंस (शासन) सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं

डीएआरपीजी ई-गवर्नेंस (शासन) प्रयासों को लागू करने में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में ऐसे सम्मेलनों में पुरस्कार प्रदान करता है: (i) सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता; (ii) नागरिक केंद्रित सेवा देने में उत्कृष्ट योगदान; (iii) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से अंतर अन्य सरकारी विभागों की मौजूदा परियोजनाओं में नवीकरण; (iv) पूर्वोत्तर राज्य में आईसीटी के जरिए सर्वश्रेष्ठ जिला स्तरीय पहल; (v) पर्वतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली के अलावा); (vi) ई-गवर्नेंस स्थापित तकनीक और जीआईएस का उपयोग; (vii) स्टार्ट-अप्स द्वारा ई-गवर्नेंस/शुरूआतों में आईसीटी का अभिनव प्रयोग; (viii) सरकारी पंजीकरण आदि

प्रत्येक श्रेणी को एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार दिया जाता है स्वर्ण पुरस्कार परियोजना और विजेता टीम को अधिकतम रुपये 2 लाख तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें प्रतिव्यक्ति अधिकतम राशि रुपये 75,000 की होती है रजत पुरस्कार विजेता परियोजना और उसकी टीम को अधिकतम रुपये 1 लाख का नगद पुरस्कार और प्रतिव्यक्ति रुपये 50,000 की अधिकतम राशि होती है

ई-ऑफिस परियोजना

भूतपूर्व राष्ट्रीय ई-ऑफिस योजना 2006 एनईजीपी 1.0 में चिह्नित 31 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक ई-ऑफिस परियोजना है इसका कार्यान्वयन डीएआर एंड पीजी द्वारा किया जा रहा है ई-ऑफिस को वर्तमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (एनईजीपी 2.0) में शामिल कर लिया गया है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति नियमित रूप से इस कार्यक्रम की निगरानी कर रही है

आधुनिकीकरण योजना

प्रशासनिक सुधार की समग्र प्रक्रिया के रूप में दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शाखा तथा अनुभाग स्तर पर आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा 1987-88 से ही आधुनिकीकरण योजना को लागू किया जा रहा है इस योजना के अनुसार डीएआरपीजी, परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में देता है और लाभार्थी

को लागत का 25 प्रतिशत वहन करना होता है

सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

डीएआरपीजी केंद्र सरकार के लिए लोक शिकायतों में हर्जाने से संबंधित मामलों की जांच और सहयोग तथा नीतिगत दिशानिर्देश के निर्गमन का कार्य करता है शासन प्रणाली के संघीय सिद्धांतों के अनुसार राज्यों से जुड़े लोग शिकायत के मामलों को राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया जाता है 2015 में एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप लांच की गई थी जिसके जरिए आमजन अपनी शिकायतें दर्ज और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी रख सकते हैं यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (यूएमएएनजी) के साथ जोड़ कर एप को और अधिक विकसित कर यूजर फ्रेंडली बनाया गया है

इसके अलावा, वास्तविक समय में जन शिकायतों पर निगाह रखने और प्रणालीगत सुधारों के पुनरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया गया है डैशबोर्ड पर शिकायती मामलों से संबंधित तंत्रगत सुधार और उनके निगरानी माप दर्शाए जाते हैं इनकी मदद से मंत्रिमंडल सचिवालय, डीएआरपीजी और संबंधित मंत्रालयी विभागों को सुधारों के अमल में लाए जाने पर दृष्टि रखने में मदद मिलती है समय-समय पर नागरिकों और स्वयं व्यस्था के समक्ष आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सीपीजीआरएएम को अपडेट किया जाता है मौजूदा समय में 2018 से सीपीजीआरएएमएस का छठा संस्करण कार्यरत है जिसके जरिए एक बार पंजीकरण किया जा सकता है इसकी मदद से नागरिक को सिंगल स्क्रीन पर उसकी शिकायत और संबंधित स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है

विभाग भारत सरकार के सिटिजन चार्टर और सूचना एवं सुविधा काउंटर्स (आईएफसीज़) पहल से भी सहयोग करता है जन सेवा डिलिवरी और सरकार को जन केंद्रीय बनाने के लिए ‘सर्वोत्तम’ नामक सुधार ढांचा भी विकसित किया गया है इसके अंतर्गत, बेहतर सेवा डिलीवरी प्रदान करने के लिए मंत्रालयों, विभागों सहित राज्य सरकारों को सर्वोत्तम ढांचे को अमल में लाए जाने पर सहयोग दिया गया है

प्रलेखन और प्रसार

विभाग का प्रलेखन और प्रसार प्रभाग मूल रूप से राज्यों के/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के अनुभव, एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने और उसे दोहराने के उद्देश्य से इनके प्रलेखन और प्रसार के कार्य में संलग्न है

बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता: योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन तथा प्रसार को बढ़ाने के लिए 3.0 रुपये तक की वित्तीय सहायता देना है अभी तक 82 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहयता दिए जाने की संशोधित योजना के अनुसार पेशेवर प्रलेखन रिपोर्ट कागज़ी प्रलेखन के स्थान पर अब ई-बुक में होगा तथा तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता से सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक लघु वृत्त चित्र भी बनाया जाएगा

श्रेष्ठ कार्यकलापों पर वृत्त चित्र का निर्माण: विभाग पूरे देश में श्रेष्ठ कार्यकलापों पर वृत्त चित्र बनाने का कार्य कर रहा है ये फिल्में प्रशासन के लिए उपयोगी हैं तथा सफलता की कहानियों के प्रसार से इन्हें किसी और स्थान पर दोहराने में सहायता मिलेगी ऐसे 78 वृत्त चित्रों का निर्माण किया जा चुका है ये वृत्त चित्र विभाग की वेबसाइट और यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं

क्षेत्रीय सम्मेलन: सुशासन के तौर तरीकों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के अनुभवों को साझा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों, बुद्धिजीवियों, मीडिया तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संगठनों को साथ लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं

सर्वोत्तम कार्यकलापों पर पुस्तकः यह प्रभाग चुनिंदा पुरस्कार विजेता सुशासन कार्यकलापों पर लेखों की पुस्तक प्रकाशित करता है ये लेख उन पहलों से संबंधित होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार या राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है यह संग्रह प्रशासकों के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि सफलता की कहानियों के प्रसार से इसे अन्यत्र दोहराने में सुविधा होती है प्रभाग (डिवीजन) ने इस विषय पर पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है

मिनिमम गवर्नमेंट - मैक्सिमम गवर्नेंसः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 1969 से सरकार का नियतकालिक जर्नल 'मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट' (एमआईजी) प्रकाशित करता है जिसका नाम अब 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' कर दिया गया है जर्नल में उन सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का वर्णन होता है जिनमें प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं और नेशनल ई-गवर्नेंस परस्कारों तथा 2015 में आई पहली ई-बुक की शुरुआत के बारे में भी इसमें बताया गया है 'मिनिमम गवर्नमेंट - मैक्सिमम गवर्नेंस' ई-बुक विभाग की वेबसाइट : http://darpg.gov.in/journal-MGMG पर भी उपलब्ध है

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

अवधारणात्मक रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की भूमिका को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है अपनी वृहद केंद्रीय भूमिका में यह सरकार की नीतियां तैयार करने और ऐसे निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके द्वारा निर्धारित मानक एवं स्वीकृत मानदंडों का पालन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य संबंधित विषयों के साथ अपने यहां कार्मिकों की भर्ती (नियुक्ति), सेवा शर्तों के नियमनपद स्थापना (तैनाती)/स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय किया जाता है विभाग सभी संस्थानों को कार्मिक प्रबंधन के बारे में परामर्श भी देता है अधिक तात्कालिक स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रत्यक्ष दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही केंद्रीय सचिवालय में तीन सचिवालय सेवाओं का संवर्ग (कैडर) नियंत्रक प्राधिकारी होना भी है विभाग सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भी चलाता है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं से उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें उपसचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में आवधिक प्रतिनियुक्ति (टेन्योर डेपुटेशन) के आधार पर तैनात करता है विभाग विभिन्न लोक उपक्रमों/प्रतिष्ठानों, निगमों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन बोर्डों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों/सदस्यों की नियुक्ति का भी काम देखता है यह विभिन्न विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति का कार्य भी करता है यह सभी अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की प्रशिक्षण नीतियों को बनाने और उनके समन्वयन के साथ ही राज्यसरकारों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है

वेबसाइट: www.dopt.gov.in

भर्ती एजेंसियां

विभाग जिन दो संगठनों के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों की भर्ती को सुनिश्चित करता है वे हैं- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) पहले संगठन का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय सेवाओं सहित उच्च लोक (सिविल) सेवाओं एवं लोक सेवक पदों पर नियुक्ति करने के लिए परीक्षाएं कराना है भर्ती के तरीकों, प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के समय अनुकरणीय सिद्धांतों तथा सभी अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श लिया जाना अनिवार्य है अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे सहायक, आशुलिपिक इत्यादि के लिए भर्ती करना कर्मचारी चयन आयोग का उत्तरदायित्व है

डीओपीटी द्वारा की गई पहल में शामिल हैं:

(क) ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार पर विराम

जनवरी 2016 से कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित) की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया यह प्रक्रिया भारत सरकार के मंत्रालयों/संबंधित/अधीन कार्यालयों/स्वायत्त इकाइयों सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए अमल में लाई जाएगी 18 राज्यों और सभी केंद्रशासित प्रदेशों, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुदचेरी शामिल हैं, ने निचले स्तर की भर्तियों के लिए साक्षात्कार की जरूरत को समाप्त करने की नीति को अपना लिया है

(ख) ओएमआर आधारित परीक्षा की बजाय कप्यूटर का चलन

पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया में कम समय व्यय करने के लिए सरकार ने एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (सीजीएलई, सीएचएसएलई, एमटीएस आदि) को पारंपरिक ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रीडर) से कंप्यूटर आधारित मोड में बदल दिया है

(ग) एकल पंजीकरण और परीक्षा का टू-टीयर तंत्र

मौजूदा समय में सरकारी नौकरी तलाश रहे परीक्षार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता हैं जिनमें उत्तीर्ण होने की समान योग्यताएं निर्धारित की गई हैं इस संबंध में विभिन्न भर्ती एजेंसियां न केवल परीक्षार्थियों पर बोझ बनती हैं बल्कि विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर अपव्यय भी होता है अब सरकार ने ग्रुप 'बी' के गैर-राजपत्रित स्थानों हेतु प्रत्याशी सूची तैयार करने के लिए एक समान योग्यता परीक्षाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा है और एसएससी द्वारा आयोजित टीयर-1 परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित/ऑनलाइन मोड परीक्षा की पहल की है नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के जरिए प्रत्याशियों का समान पंजीकरण किया जाएगा अंतिम चुनाव भर्ती एजेंसियों द्वारा अपने स्तर पर आयोजित विशिष्ट टीयर-2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा

(घ) नियुक्ति के लिए स्व-प्रमाणपत्र

जून 2016 से भर्ती एजेंसियां प्रत्याशियों द्वारा नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर मान्य स्व-प्रमाणीकृत आधारित पत्र जारी कर रही हैं इसके आधार पर नियुक्ति पुख्ता करने के लिए छह माह के भीतर पुलिस जांच करानी आवश्यक होती है ताकि नागरिकों में विश्वास मजबूत हो और पुलिस जांच के कारण कार्य में न्यूनतम विलंब हो

(ङ) दिव्यांग जन भर्तियों में तेजी

दिव्यांग जन को बराबर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मई 2015 को विशेष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई इसके जरिए केंद्र सरकार में दिव्यांग जन के लिए 15,694 भर्ती स्थानों में से 13,492 भर्तियां की जा चुकी हैं

(च) पूर्व-सैनिकों को आरक्षण लाभ

इससे पहले पूर्व सैनिकों असैनिक रोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाता था नए आदेशों के अनुसार, किसी भी असैनिक रोजगार से जुड़ने से पहले उन्हें अपनी पसंद का ओहदा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा

(छ) प्रशासन में नागरिक केंद्रीयता

नागरिकों को आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल को सीआईसी से पंजीकृत सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग को जोड़ा गया है सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग इसमें पंक्तिबद्ध तरीके से जोड़ा गया है

(ज) उच्च पद नियुक्ति व्यवस्था

यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता और निष्ठा के आधार पर हों संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर विभिन्न स्रोत से प्रतिपुष्टि को भी सम्मिलित किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड्स के चुनाव के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है कार्यकारी क्षेत्र में विस्तार और निजी क्षेत्र/राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के कार्यकारियों के अनुभवों का इस्तेमाल करने के लिए, उन कार्यकारियों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय पदों के उपयुक्त बनाना

(झ) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां

भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' की नीति का पालन करती है 'मिनिमम गवर्नमेंट-

मैक्सिमम गवर्नेंस' का आधारभूत लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार और उसकी एजेंसियां जन केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में काम करें इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निवारक और दंडात्मक कदम उठाए गए हैं

(ज) अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति की गहन पड़ताल

अकर्मण्य, बेअसर और संदिग्ध छवि वाले अफसरों को निकालने के लिए, नियम एफआर 56 जे के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड और अन्य संबंधित प्रावधानों की गहन पड़ताल की गई है सेवा रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल के बाद जिन अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायत और मामले प्राप्त हुए, ऐसी संदिग्ध छवि वाले अफसरों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने से जुड़े निर्णय भी लिए गए

प्रशासनिक सुधार आयोग

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) का गठन 2005 में हुआ था इसका कार्य जन प्रशासनिक तंत्र के जांच आयोग के तौर पर था यह सरकार को विचार हेतु 15 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है: (1) सूचना का अधिकारः कुशल प्रशासन की कुंजी, (2) अनलॉकिंग हुयमन कैपिटलः एनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस - ए केस स्टडी, (3) क्राइसिस मैनेजमेंट: फ्रॉम डेस्पेयर टू होप, (4) एथिक्स इन गवर्नेंस, (5) पब्लिक ऑर्डर: जस्टिस फॉर ईच... पीस फॉर ऑल, (6) लोकल गवर्नेंस, (7) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन - फ्रिक्शन टू फ्यूजन, (8) कॉम्बेटिंग टेररिज्म, (9) सोशल कैपिटल - ए शेयर्ड डेस्टिनी, (10) रीफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन - स्केलिंग न्यू हाइट्स, (11) प्रोमोटिंग ई-गवर्नेंस - द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, (12) सिटिजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन - द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, (13) ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (14) स्ट्रेंथेनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, (15) राज्य एवं जिला प्रशासन केंद्र सरकार ने 15 में से 14 रिपोर्टों पर विचार किया है और दूसरी एआरसी की सिफारिशों पर कार्रवाइयां विभिन्न चरणों में हैं

सूचना का अधिकार

नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिक तैयार करना है जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे और शासन के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाएंगे

अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत गठित सरकार संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के मालिकाना हक वाली, नियंत्रण और पर्याप्त वित्त पोषित संस्थाएं तथा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकार की परिभाषा में आते हैं अधिकार में शामिल हैं कार्य निरीक्षण, प्रलेख और रिकॉर्ड, नोट लेना, प्रलेखों या रिकार्ड का सार या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार या लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना इसमें किसी खास समय में लागू कानून के तहत लोक प्राधिकार की पहुंच वाली निजी संस्था से संबंधित सूचना शामिल है सूचना के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप ही लोक

प्राधिकार को प्रकाशित करना होता है

जो भी सरकार के किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहता है उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को एक अनुरोध करना पड़ता है अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है अनुरोध डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या फिर उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में किया जा सकता है और ई-मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, अपील कर सकता है अपील प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है यदि अपीलीय

अधिकारी के जवाब से भी आवेदक संतुष्ट नहीं होता तो वह 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकता है केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित अपील स्वीकार करता है जबकि राज्य सूचना आयोग संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उपक्रमों आदि से संबंधित अपील स्वीकार करता है

केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा सृजित उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का अधिकार है कानून काफी विस्तृत है और शासन के लगभग सभी स्तरों को शामिल करता है यह न केवल केंद्र/राज्य तथा स्थानीय सरकारों के लिए लागू है बल्कि सरकारी अनुदान पानेवालों पर भी लागू होता है इस अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच व्यापक होती है और छूट न्यूनतम है सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकार की कार्यप्रणाली में गोपनीयता की वर्तमान संस्कृति को खुलेपन और पारदर्शिता की संस्कृति में बदल दिया है

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद-343 (1) के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी अनुच्छेद-343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से वर्ष, अर्थात 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था अनुच्छेद-343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3 (2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष कार्यों, जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, ठेकों अदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा

राजभाषा के विषय में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग को स्थापित किया गया था तब से, ये विभाग हिंदी के (व्यवसाय के विनियोजन) नियम, 1961, के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में तेजी लाने के प्रयास कर रहा है इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उपकरण (मानकीकृत लिपि के साथ) को शामिल करने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो इत्यादि के आवश्यक मामले शामिल हैं

राजभाषा अधिनियम, 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ, की धारा 8 (1) के अंतर्गत 1967 में राजभाषा नियम बनाए गए थे इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) ये नियम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हैं, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) एवं इसके नियंत्रण वाले निगम या कंपनियां भी शामिल हैं इनमें तमिलनाडु राज्य शामिल नहीं है

(2) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (यथा उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली) या किसी व्यक्ति के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा हिंदी होगी

(3) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के राज्यों (पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव या दादरा और नगर हवेली) को पत्र अदि हिंदी में भेजे जाएंगे किन्तु यदि की संवाद अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा

(4) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या किसी अन्य कार्यालय (केंद्रीय कार्यालय नहीं होने पर) या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र 'ग' क्षेत्र के लिए अंग्रेजी में भेजे जाएंगे

(5) क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश या किसी कार्यालय (केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं हो) अथवा ऐसे राज्यों के किसी भी व्यक्ति को

हिंदी अथवा अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं

राजभाषा नीति

राजभाषा नीति की विशेषताएं हैं:

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियां, संहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे सभी प्रपत्र, पंजिकाओं (रजिस्टरों) के शीर्ष, नामपट्ट, सूचना पटल तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी

(2) अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों

(3) केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि नियम-12 के अंतर्गत जारी नियमों और निर्देशों तथा धारा की व्यवस्थाओं का पूरा पालन हो रहा है तथा इस पर नजर रखने के लिए समुचित एवं कारगर जांच बिंदु बनाए जाएं

वेबसाइट: www.rajbhasha.nic.in

वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा के संकल्प, 1968 का पालन करते हुए राजभाषा विभाग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्र-व्यवहार, हिंदी टंकक और आशुलिपिक की भर्ती, वेबसाइटों, हिंदी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें और निरीक्षण, पुस्तकालयों हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद आदि का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है इस लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में केंद्र सरकार के कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी जाती हैं इस तिमाही रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है यह वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है और इसकी प्रतियां राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भेजी जाती हैं

समितियां

केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया था इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशानिर्देश तय करती है राजभाषा पर संसद समिति का गठन 1976 में किया गया इसका गठन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए किया गया था

पुरस्कार योजनाएं

केंद्र की राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु राजभाषा विभाग कीर्ति पुरस्कार प्रदान करता है राजभाषा गौरव हिंदी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा केंद्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थानों के कार्यरत/सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों हेतु नगद पुरस्कार, शील्ड तथा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र की राजभाषा नीति केंद्र की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं

अंतरराज्यीय परिषद्

संविधान के अनुच्छेद-263 में अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान है केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतरराज्यीय परिषद् का गठन किया गया था अंतरराज्यीय परिषद् एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो इस विषय के संबंध में बेहतर नीतिगत समन्वय और कार्रवाई के लिए यह राज्यों के उन समान हित के मुद्दों पर भी विचार करती है जिसे परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया गया हो

माननीय प्रधानमंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होते हैं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (जहां विधानसभा हो) के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों (जहां विधानसभा न हो) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के छह मंत्री, जिन्हें इस परिषद् के अध्यक्ष ने नामांकित किया हो, इस परिषद् के सदस्य होते हैं

वेबसाइट www.interstatecouncil.nic.in

क्षेत्रीय परिषदें

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के अनुसार पांच क्षेत्रीय परिषदों यथा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी इनके उद्देश्य हैं- राष्ट्रीय एकीकरण; तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना; केंद्र और राज्यों में सहयोग तथा विचारों के आदान-प्रदान को सक्रिय बनाना तथा विकास योजनाओं के त्वरित तथा सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यों में परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण

क्षेत्रीय परिषदों की रचना

क्षेत्रीय परिषद	सदस्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़
मध्य क्षेत्रीय परिषद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , कर्नाटक, केरल, तेलंगाना तथा केंद्रशासित क्षेत्र पुदुचेरी

क्षेत्रीय परिषदों की संगठनात्मक संरचना: केंद्रीय गृहमंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष होते हैं प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में हर राज्य के दो अन्य मंत्री सदस्य होते हैं सदस्य राज्य के मुख्य सचिव, वार्षिक रोटेशन के आधार पर क्षेत्रीय परिषद के सचिव होते हैं तथा एक अन्य विकास अधिकारी/विकास आयुक्त तथा योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति (प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए) एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार होता है

राज्य

राज्यों में शासन व्यवस्था केंद्र से काफी मिलती-जुलती है

कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती हैं राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए करते हैं 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है राज्य की कार्यपालिका के सारे

अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह-सहायता देती है- सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक से भी करना होता है नगालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 क के अंतर्गत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी

गई है यद्यपि कानून-व्यवस्था संबंधित मामलों में उनके लिए मंत्रिपरिषद् से परामर्श करना जरूरी होता है, फिर भी वह कार्रवाई के बारे में अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं

इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 ज के अधीन कानून-व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे किन्तु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाएं कि कानून-व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं है तो वह आदेश जारी कर ऐसे निर्देश दे सकते हैं

इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली छठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार, जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अधिकार दिए गए हैं छठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर 1998 से लागू लगभग सभी कार्यों (कर लगाने और जिला परिषदों द्वारा गैर-जनजातीय समुदाय के धन उधार देने वालों के मामलों को छोड़कर) में अपने विवेक इस्तेमाल करने के अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है

सभी राज्यपालों को अपने ऐसे संवैधानिक कार्य करते समय, जैसे- मुख्यमंत्री की नियुक्ति अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की रिपोर्ट भेजते समय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है

मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है

विधानमंडल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद् और विधानसभा कहते हैं शेष राज्यों में विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, जिसे विधानसभा कहा जाता है किसी राज्य में वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहां वह नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है

विधान परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी (जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 50 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं) परिषद् के लगभग एक -तिहाई सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हों एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल करते हैं कुल सदस्य संख्या के 12वें भाग के बराबर सदस्यों का निर्वाचन राज्य की माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं अन्य 12वें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं जिन्हें स्नातक की उपाधि लिए हुए कम-से-कम तीन वर्ष हो गए हों शेष सदस्यों के नाम राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो विधान परिषदें भंग नहीं होती हैं उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं

विधानसभा

किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते हैं (संविधान के अनुच्छेद-371 'छ' के अनुसार, सिक्किम विधानसभा में 32 सदस्य हैं) इनका निर्वाचन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत किए गए स्थानों की संख्या के बीच अनुपात, जहां तक संभव हो, संपूर्ण राज्य में समान रहे आमतौर पर विधानसभा का कार्यालय पांच वर्ष का होता है, लेकिन उसे अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है

अधिकार और कार्य

राज्य विधानमंडलों को संविधान की सातवीं अनुसूची- में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार तथा उनकी सूची- में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण व्यय, आगे जाने वाले कर और ऋण प्राप्त करना शामिल है वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है विधान परिषद वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल सिफारिश कर सकती है, परंतु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए विधानसभा स्वतंत्र है

विधेयकों को रोके रखना

विधानमंडल कवर पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने से रोक सकता है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, उच्च न्यायालयों की शक्ति और स्थिति पर प्रभाव वाले उपाय, अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी विकास परियोजनाओं में पानी और बिजली के संग्रह, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से संबंधित विधेयक अनिवार्यतः इस तरह से रोके रखे जाने चाहिए राज्य विधानमंडल में अंतरराज्यीय व्यापार पर रोक लगाने का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता

कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानमंडल वित्त पर सामान्य नियंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद-विवादों, स्थगन, अविश्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों आदि सामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं उनकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा समितियां भी होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अनुदानों का उचित उपयोग किया जाए

केंद्रशासित प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रशासकों को उप-राज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का भी कार्य देखता है लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद् हैं पुडुचेरी विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- और सूची- में निहित, केंद्रशासित क्षेत्र से संबद्ध कानून बना सकती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को भी संविधान की अनुसूची- की प्रविष्टि 1, 2 और 18 को छोड़कर, जो विधानसभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत नहीं है, ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं कुछ विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है केंद्रशासित क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और स्वीकृति देने के लिए रोक लिया जाता है

स्थानीय प्रशासन

नगरपालिकाएं

भारत में स्थानीय निकायों का लम्बा इतिहास है सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर-निगम की स्थापना 1688 में की गई उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर-निगम मुंबई और कोलकाता (तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता) में स्थापित किए गए भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गावों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर, नगरपालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है इस प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई हैं

स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में (नगरपालिका एक्ट) नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित किया यह अधिनियम, 1993 से अमल में लाया गया भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून, 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क जोड़ दिया गया है, ताकि अन्य बातों के अलावा तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जा सके: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, निर्धारित अवधि की नगरपालिकाएं, राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति और महानगर तथा जिला योजना समितियों का गठन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचन आयोगों और वित्त आयोगों का गठन कर लिया है

पंचायतें

संविधान के अनुच्छेद-40 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सकें

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड (IX)जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न व्यवस्था भी की गई है- गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा; ग्राम और अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन; ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को सीधा चुनाव; ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों और पंचायत-अध्यक्षों के पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण; महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण; पंचायत के लिए पांच साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराना

निर्वाचन आयोग

भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है यह स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है संविधान ने संसद और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार आयोग में निहित किया है

निर्वाचन आयोग, आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है यह मतदाता सूचियां तैयार करता है और उनका रखरखाव करता है तथा समय-समय पर उन्हें अद्यतन करता है उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों के धन एवं खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी करता है यह चुनाव की प्रक्रिया में मीडिया द्वारा कवरेज में सहायता करता है, मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के उपाय करता है, मतदान केंद्रों और बूथों की व्यवस्था करता है और मतगणना तथा नतीजों की घोषणा की निगरानी करता है यह ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के जरिए मतदान कराता है और हाल में ही प्रायोगिक आधार पर वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाएबल

पेपर ऑडिट ट्रेल) की शुरुआत की गई है निर्वाचन मतदान के समय फोटो पहचान-पत्रों (इपीआइसी) फोटो पर्चियों के वितरण के माध्यम से अनिवार्य पहचान का भी प्रावधान किया है

चुनाव, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सहायता से कराए जाते हैं प्रमुख कानून राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952; जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 हैं सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 में निर्धारित मानदंड के आधार पर आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है यह दलों के बंटवारे/विलय से संबद्ध विवादों का भी फैसला करता है

राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, आयोग का समग्र नियंत्रण राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों के बीच में से चयन के आधार पर की जाती है भारत में जिला और उपमंडलीय स्तरों पर क्षेत्रीय प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (उपायुक्त/कलक्टर), सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व मंडलीय अधिकारी, तहसीलदार आदि द्वारा संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के इन अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी आदि की नियुक्ति कर चुनाव कार्य में इनका उपयोग करता है चुनाव के समय वे निर्वाचन आयोग को कमोबेश पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध होते हैं

पिछले 64 वर्षों के दौरान, आयोग ने लोकसभा के 16 आम चुनाव और राज्य विधानमंडलों के करीब 365 चुनाव संपन्न कराते हुए, शांतिपूर्ण, व्यवस्थित एवं लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया है

निर्वाचन आयोग ने शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और निर्वाचक लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन का अत्याधुनिक संसाधन केंद्र-भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) शुरू किया है वर्तमान में यह संस्थान नई दिल्ली से काम कर रहा है संस्थान निर्वाचन आयोग के क्षेत्र अधिकारियों और विदेशी भागीदारों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है आयोग अन्य देशों के निर्वाचन प्रबंध निकायों के साथ विशेषज्ञता एवं अनुभव की भागीदारी बढ़ा रहा है और द्विपक्षीय अनुरोधों एवं बहु-पक्षीय प्रबंधों के आधार पर निर्वाचन सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है भारत के निर्वाचन आयोग ने यूएनडीपी, अंतरराष्ट्रीय आईडीईए और आईएफईएस के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के अलावा 16 देशों के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं

वेबसाइट: www.eci.gov.in

4 | कृषि



भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है और देश के सकल मूल्य संवर्धन (वर्तमान मूल्य पर) 2016-17 में इसकी हिस्सेदारी 17.4 प्रतिशत है इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ 2016 के साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की भी शुरुआत की गई है

कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग के तीन घटकों में से एक है अन्य दो घटक हैं- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

वेबसाइट:www.agriculture.gov.in,www.agricoop.nic.in,www.dare.nic.in,www.dahd.nic.in

उत्पादन

2016 में मानसून की सामान्य वर्षा और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों से वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन संभव हो सका वर्ष 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन नए रिकार्ड को छूते हुए 110.15 मिलियन टन होने का अनुमान है यह पिछले रिकार्ड उत्पादन 106.65 मिलियन टन से 3.50 मिलियन टन अधिक है गेहूं उत्पादन 2015-16 के 92.29 मिलियन टन उत्पादन से 6.10 मिलियन टन अधिक हुआ है मोटे अनाजों का उत्पादन भी नए रिकार्ड स्तर 44.19 मिलियन टन पर पहुंचने का अनुमान है यह 2010-11 के सर्वाधिक उत्पादन 43.40 मिलियन टन से 0.79 मिलियन टन अधिक है यह 2015-16 के 38.25 मिलियन टन उत्पादन से 5.67 मिलियन टन अधिक है

किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति

भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी इस नीति के कई प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जा रहा है, जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है नीति के अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया

मुख्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का अनुमोदन 50,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि हेतु किया गया है पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य हैं- ज़मीनी स्तर

पर सिंचाई में निवेशों को समान्वित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी का अपव्यय कम करने हेतु और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग, सटीक सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि (प्रति बूंद अधिक फसल), भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में पीएमकेएसवाई को एक मिशन के रूप में लागू करने का फ़ैसला किया इस मिशन का संचालन जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ करता है

कृषि क्रेडिट

प्रत्येक वर्ष बजट में सरकार कृषि ऋण हेतु वार्षिक लक्ष्य की घोषणा करती है कृषि ऋण प्रवाह में प्रत्येक वर्ष निरंतर प्रगति हुई है वर्ष 2016-17 में 900,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित था और 10,65,756 करोड़ रुपये किसानों को कृषि ऋण के रूप में दिया गया था वर्ष 2017-18 में 10,00,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित था

विभाग, आर्थिक सहायता के वायदे वाली योजना के तहत ब्याज पर ऋण देता है इसके तहत किसानों को 7 प्रतिशत सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज़ एक साल के लिए देता है यदि इस ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो ब्याज की दर 4 प्रतिशत सालाना कर दी जाती है

फसल बीमा

प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों, बीमारियों और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया है इसके अंतर्गत रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल, खजूर बीमा योजना आती हैं इनके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम लागू होने के बाद वर्ष 2013-14 की रबी फसल से बंद कर दी गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2015-16 तक कर दी गई है

एक नई योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में खरीफ फसल से लागू की गई है इसके साथ-साथ पुनर्गठित प्रायोगिक एकीकृत पैकेज बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी लागू की गई हैं

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर परामर्श देना है इनमें 07 खाद्यान्न (धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का , रागी और जौ), 05 दलहनी उपजें (चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर), 07 तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तोरिया सरसों, कुसुम, निगेरसीड और तिल), कोपरा (सूखा नारियल), कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल हैं आयोग प्रतिवर्ष 05 अलग-अलग वर्गों- खरीफ फसलों, रबी फसलों, गन्ना, कच्ची पटसन और कपास के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट्स के रूप में अपनी अनुशंसाएं सरकार को देता है

आयोग ये पांच लागत नीति रिपोर्टें तैयार करने से पहले विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, किसानों, किसान संघों और अनुसंधान संस्थानों की राय लेता है

एमएसपी के निर्धारक

अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत (सीओपी) एमएसपी के निर्धारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक है मूल्य के अतिरिक्त, आयोग मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, अंतरफसल मूल्यों में समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव और भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी ध्यान रखता है अतः मूल्य नीति 'लागत जोड़' पर आधारित नहीं है, हालांकि लागत एमएसपी का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारत में कृषि क्षेत्र में नए रिकार्ड बन रहे हैं वर्ष 2016-17 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन होने का अनुमान है जो एक रिकार्ड है यह 2013-2014 के पिछले रिकार्ड उत्पादन से 4 प्रतिशत अधिक है इस उपलब्धि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है उसने देश में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रदर्शन और हस्तांतरण के जरिए इसमें योगदान किया है खेतों में कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए, कई कार्य किए गए हैं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, सुधार, प्रदर्शन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कई अन्य पहल की गई हैं ये हैं- सबसे पहले किसान, कृषि में युवाओं को बनाए रखना, जलवायु समेकित कृषि प्रणालियां, दलहन तथा तिलहन का क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन, दक्षिण एशिया के लिए अनाज सिस्टम पहल, पीपीवी एवं एफआरए के तहत किसानों की किस्मों का पंजीकरण तथा दस्तावेजीकरण, दाल बीज केंद्र, केवीके पोर्टल, मेरा गांव मेरा गौरव और बड़ी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरुकता पैदा करना जैसी पहल प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के जरिए किसानों के हित में शुरू की गई है

मिट्टी और जल उत्पादकता

देश के प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों, उप-प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (1992), कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (2015) और उप-कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी) ने एनबीएसएस भूमि जीओ पोर्टल विकसित किया है इससे मिट्टी, ज़मीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल वृद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र/क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकूल, लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी मिलती है राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरों ने जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एन्ड्रॉएड आधारित मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया है ताकि भूमि उपयोग नियोजन और गुजरात के लिए गांव और खेत स्तर पर, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए वेब आधारित सहायता प्रणाली स्थापित करने में मदद मिल सके इस एप पर मिट्टी मानचित्र इकाई की जानकारी और उस सर्वेक्षण संख्या के लिए भूमि उपयोग योजना संबंधी सुझाव दिए जाएंगे राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने अब तक 99 खंडों की भू-संसाधन सूची तैयार की है सूक्ष्म पोषक दर्जे के ये डिजिटीकृत नक्शों से कृषि उत्पादकता को निरंतर बनाए रखने के लिए सूक्ष्म पोषकों के स्थान विशेष के अनुरूप उपयोग के तरीके उपलब्ध कराने में सहायक होंगे

जेनेटिक स्रोत

कुल मिलाकर 21 अन्वेषण किए गए और 1,532 जर्मप्लाज़्म का संग्रह किया गया जिनमें 1,095 उगाए गए और 437 जंगली पौधे थे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में दो-दो अन्वेषण और अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, नगालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड में एक-एक अन्वेषण किया गया मध्य अंडमान द्वीप से एकत्र किए गए मोमोरीडका कोचिनचिनेनसिस को नई उप-किस्म मोमोरडिका कोचिनचिनेनसिस अंडमानिका के रूप में परिभाषित किया गया बाद में इन्हें डीएनए बारकोडिंग के जरिए प्रमाणित किया गया इस दौरान 411 वनस्पतियों के नमूने, पौधे उगाने के राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय में शामिल किए गए संग्रहित 28,516 पौधों में से 2,911 को 39 देशों से आयात किया गया था इनमें से 787 की जैविक और अजैविक संबंधी जांच की गई 7,343 को देश में अनुसंधान कार्य और फसल सुधार कार्यक्रम के लिए दिया गया जर्मप्लाज़्म के निर्यात के लिए दस फाइटोसैनेटरी प्रमाण-पत्र जारी किए गए

फसल सुधार

मुख्य रूप से नई किस्मों/अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न जैविक तथा अजैविक महत्व की संकर सहनशील किस्मों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया विकसित की गई 209 किस्मों में से 117 अधिक उत्पादन देने वाली अनाज की संकर किस्में थीं अनाज की इन फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूं की, 24 मक्का की, 5 रागी की, 3 बाजरा की और एक-एक ज्वार, जौ, कंगनी, कोदो बाजरा, छोटा बाजरा तथा प्रोसो

बाजरा की थी इन्हें देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उगाने के लिए जारी किया गया अधिक उत्पादन देने वाली तिलहन की 28, दालों की 32, वाणिज्यिक फसलों (कपास, गन्ना और जूट) की 24 और चारे की 8 फसलें जारी की गईं

पशुधन

गीर, कांकरेज और सहिवाल पशुओं के आनुवांशिक सुधार के लिए चयन परियोजना के जरिए स्वदेशी पशुओं की नस्ल में सुधार पर विचार किया गया भैंस सुधार परियोजना नेटवर्क के तहत नन्ली-रवि भदावरी तथा स्वैम्प प्रजनन केंद्र, संरक्षण और सुधार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं जफरबादी, पंधारपुरी तथा सुरती प्रजनन केंद्र, फील्ड वंश जांच और बैल उत्पत्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट गोवृंद के रखरखाव तथा 567 के प्रजनन योग्य खेड़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं बकरी सुधार के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 13 जनजातीय गांवों में चलाई जा रही है इससे जनजातीयों की आजीविका सुरक्षा बेहतर हुई है, क्योंकि बकरी जनजातीयों और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों के गरीबों की आय का प्रमुख स्रोत है मुर्गीपालन के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत सभी 12 केंद्र, स्थान विशेष ग्रामीण कुक्कुट नस्लों के विकास पर काम कर रहे हैं

फसल प्रबंधन

मक्का-गेहूं और चावल-गेहूं प्रणाली में दीर्घावधि खेती के प्रयोगों से संकेत मिले हैं कि चावल और मक्का की खेती गेहूं के खेत में करने से गेहूं की फसल प्रभावित नहीं होतीं गर्मियों में छिड़काव सिंचाई से संबंधित आधुनिक तकनीकों के जरिए जल के उपयोग से हरे चने की उत्पादकता बढ़ने से आईपीएम 205-7 की तुलना में सम्राट किस्म में अधिक स्थिरता का संकेत मिला है छिड़काव सिंचाई से पानी कम (26.3 प्रतिशत) इस्तेमाल हुआ, जल उत्पादकता अधिक (43.2 प्रतिशत) रही और बाढ़ सिंचाई के मुकाबले प्रतिफल (28.4 प्रतिशत) बेहतर रहा

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन

सभ्यता की शुरुआत से ही, कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं इन कार्यों ने न केवल भोजन की जरूरतों को पूरा किया है और पशुधन का विकास किया है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का भी काम किया है जलवायु और स्थलाकृति अनुकूल होने के कारण पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन गतिविधियों में पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की भी महती भूमिका रही है इनके कारण ग्रामीण भूमिहीन, छोटे और हाशिये पर रहने वाले किसानों, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुई और साथ ही लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हुआ है

पशुपालन और कृषि का आपस में गहरा संबंध है, दोनों क्षेत्र एक-दूसरे पर आश्रित हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा से भी जुड़े हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुपालन क्षेत्र कृषि जगत का महत्वपूर्ण उपक्षेत्र भी है यह अधिकांश किसानों के जीविकोपार्जन से जुड़ा है और कृषि को कई स्तरों पर मदद देता है, घर-परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आय में वृद्धि, रोज़गार के अवसर और अंततः जरूरत के समय 'मवेशी बैंक' के तौर पर भी काम आता है यह पूरक उपक्रम की भी भूमिका निभाता है

भारत के पास पशुधन और मुर्गीपालन की विशाल संपदा है जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका रहती है 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में करीब 300 मिलियन गाय, 65.07 मिलियन भेड़ें 135.2 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन शूकर हैं

पशुधन उत्पाद

पशुधन उत्पाद और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हैं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों बेहद जरूरी हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार, 2015-16 के

दौरान पशुधन क्षेत्र की मौजूदा उत्पाद दर 5,91,691 करोड़ रुपये रही जोकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पाद की 28.5 प्रतिशत है सतत मूल्य के अनुसार पशुधन उत्पाद की कीमत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का लगभग 29 प्रतिशत होती है भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है पशुधन की उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए कई नए कदम भी उठाए गए हैं, जिनके आधार पर दसवीं योजना (2006-07) के अंत में 10.26 करोड़ टन की बजाय दुग्ध उत्पाद ग्यारहवीं योजना (2011-12) में 12.79 करोड़ टन हो गया था

दुग्ध उत्पादन: 2015-16 और 2016-17 में दूध का उत्पादन क्रमशः 15.55 करोड़ टन और 16.54 करोड़ टन हुआ इस दौरान दूध के उत्पादन में सालाना 6.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई 2016-17 में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 355 ग्राम प्रतिदिन थी

अंडा उत्पादनः पिछले चार दशकों में देश में पोल्ट्री उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है इसका मूल कारण अत्याधुनिक तकनीकी आविष्कारों के आधार पर इस क्षेत्र का गैर-वैज्ञानिक से कमर्शियल उत्पाद तंत्र की श्रेणी में जा पहुंचना रहा है दसवीं योजना (2006-07) के दौरान क्षेत्र के उत्पादन का आंकड़ा 50.70 बिलियन था जबकि ग्यारहवीं योजना (2011-12) के दौरान यह 66.45 बिलियन रहा मौजूदा समय में (19वीं पशुधन गणना) पोल्ट्री उत्पाद 729.21 मिलियन है और 2016-17 के दौरान अंडा उत्पादन लगभग 88.14 बिलियन रहा 2016-17 के दौरान सालाना प्रतिव्यक्ति अंडा उपलब्धता का आंकड़ा 69 रहा वहीं पोल्ट्री मांस उत्पादन करीब 3.46 मिलियन टन रहा

ऊन उत्पादनः ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में ऊन उत्पादन में आंशिक गिरावट दर्ज की गई थी इस दौरान उत्पादन का आंकड़ा 44.7 मिलियन किलोग्राम रहा था जोकि दसवीं पांचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में 45.1 मिलियन किग्रा था बारहवीं योजना (2012-13) की शुरुआत में ऊन उत्पादन 46.05 मिलियन किग्रा रहा और 2014-15 के दौरान यह बढ़कर 48.1 मिलियन किग्रा पहुंच गया था 2016-17 के दौरान ऊन उत्पादन गिरकर 43.5 मिलियन किग्रा हो गया

मांस उत्पादनः दसवीं पांचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में मांस उत्पादन 2.3 मिलियन टन था जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत में यह बढ़कर 5.5 मिलियन टन तक पहुंच गया बारहवीं योजना (2012-13) के दौरान मांस उत्पादन 5.95 मिलियन टन था जोकि 2016-17 के दौरान बढ़कर 7.4 मिलियन टन तक जा पहुंचा था

मत्स्य पालन उत्पादः आंतरिक जल स्रोतों के अलावा लगभग 8,118 किमी लंबी तटीय रेखा के चलते देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं 2016-17 वित्त वर्ष के दौरान, भारत ने 37,870.90 करोड़ रुपये मूल्य के मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.92 प्रतिशत और कृषि जीडीपी (2015-16) का 5.23 प्रतिशत था भारत दुनिया में मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा और ताजा जल मत्स्य पालन का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है 1991-92 के 41.57 लाख टन (24.47 लाख टन समुद्री मछली और 17.10 लाख टन आंतरिक मत्स्य पालन) से बढ़कर 2016-17 (तात्कालिक) में यह आंकड़ा 107.90 लाख टन (35.8 लाख टन समुद्री मछली और 77.69 लाख टन आंतरिक मत्स्य पालन) तक पहुंच गया है 2017-18 की पहली छमाही में लगभग 5.80 मिलियन टन (तात्कालिक) मछली उत्पादन होने का अनुमान है

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

डेयरी और पॉल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर, पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए, 2014-15 में बारहवीं योजना के अंतर्गत, 2,800 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी इस मिशन की स्थापना पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य हेतु की गई थी, जिसके अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के प्रवाह में सुधार और पशुपालकों आदि को संगठित करना है इसके चार उप-लक्ष्य हैं- 1. पशुधन पालन विकास; 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शूकर पालन विकास; 3. उत्तम चारे की उपलब्धता; और 4. कौशल विकास, तकनीक हस्तांतरण और प्रसार

पशुधन स्वास्थ्य

संकरण कार्यक्रमों की मदद से मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ, मवेशियों में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है इनमें से कुछ रोग विदेशी पशुओं से भी फैलते हैं रुग्णता और मृत्युदर को कम करने की दिशा में, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें पॉलीक्लीनिकों, पशु अस्पतालों, चिकित्सालयों और प्राथमिक उपचार केंद्रों के अलावा घुमंतु पशु चिकित्सालयों की मदद से बेहतर उपचार उपलब्ध करा रही हैं

राज्यों में मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं के अलावा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है जो पूरी तरह काम कर रही हैं रोगनिरोधी टीकाकरण की मदद से मवेशियों और पॉल्ट्री के रोगों को रोकने के लिए आवश्यक टीके देशभर में 27 पशु चिकित्सालय टीका-उत्पादन इकाइयों में बनाए जा रहे हैं इनमें से 20 निजी क्षेत्र के संस्थान हैं एक ओर जहां देश में मवेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं बाहरी रोगों की रोकथाम के भी उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए पशुओं के लिए जरूरी दवाओं

और फॉर्मूलों की गुणवत्ता को बनाए रखने पर भी कार्य जारी है वर्तमान में भारतीय औषध महानियंत्रक, विभाग के परामर्श से पशुओं की दवाओं और जैविकों की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है

पशुधन गणना

देश में पशुओं की गणना पहली बार 1919-1920 हुई थी और उसके बाद से प्रत्येक पांच वर्षों में सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में यह गणना की जाती है विभिन्न मवेशियों और पॉल्ट्री पक्षियों से जुड़ी वृहद जानकारी एकत्र करने का यह एकमात्र स्रोत है राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के साथ 2012 में देश में 19वीं पशुपालन गणना कराई गई थी इसकी रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं और विभाग की वेबसाइट पर डाली गई हैं सामान्य सिद्धांत के तहत देशभर से 15 प्रतिशत नमूना गांवों में पशुधन की नस्लवार गणना के अनुमान के लिए 2013 में एक सर्वेक्षण किया गया

भारतीय मत्स्य पालन

मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पाद के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पाद प्राप्त करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मछली उत्पादन (तात्कालिक) 10.79 मिलियन मीट्रिक टन था इसमें से 7.21 मिलियन मीट्रिक टन अंतरदेशीय क्षेत्र से और 3.58 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र से था

मत्स्य पालन उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कई स्रोत और संभावनाएं हैं प्राथमिक तौर पर इससे 14.50 मिलियन लोग जुड़े हैं और आपूर्ति श्रृंखला में कई अन्य लोग भी इस उद्योग से जुड़े हैं मत्स्य पालन क्षेत्र के पारंपरिक रूप से व्यावसायिक रूपांतरण से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है

भारत में मछली पालन का इतिहास बताता है कि यहां समुद्री मछली पालन के स्थान पर अंत:देशीय मछली पालन का योगदान बढ़ा है पिछले ढाई दशक के दौरान मछली पकड़ने के बजाय मछली पालन का व्यवसाय बढ़ा है 1980 के दशक में मध्य में आंतरिक मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान 34 प्रतिशत था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप यह मछली उत्पादन का एक प्रमुख जरिया बन गया है लाभार्थियों को वित्तीय सहायता और तकनीक, अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रसार संबंधी सहायता के लिए मत्स्य कृषि विकास एजेंसियां गठित की गई हैं

वर्षों तक देश में मेरिकल्चर (सागरीय कृषि) अधिकतर खाने योग्य सीप, मोती-सीप और कुछ हद तक समुद्री शैवालों जैसे सीपी तक सीमित रही है पिछले दशक के दौरान समुद्री कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने से अग्रणी और पिछड़े संयोजनों के साथ विकास योजनाएं बनाई गई हैं ताकि इन गतिविधियों से देश में समुद्री आहार के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके

5 | संस्कृति और पर्यटन



संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, छह अधीनस्थ कार्यालय और 35 स्वायत्त संगठन हैं जो पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं देश के विभिन्न अंचलों की लोक और पारंपरिक कलाओं से संबंधित कार्यों के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्य कर रहे हैं इसके अलावा मंत्रालय के चार मिशन भी हैं जिनके नाम हैं: राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और गांधी धरोहर स्थल मिशन मोटे तौर पर मंत्रालय हर प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रहा है जिनमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की विरासत शामिल हैं इसके अलावा मंत्रालय पर गांधीजी की विरासत के संरक्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दी के आयोजन का भी दायित्व है मूर्त धरोहर के अंतर्गत मंत्रालय केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से करता है इसी तरह मंत्रालय देश में संग्रहालय आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है और अधिकतर संग्रहालय उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं मंत्रालय अनुदान सहायता देकर क्षेत्रीय संग्रहालयों को भी बढ़ावा देता है

अमूर्त कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय दृश्य कलाओं, निष्पादन कलाओं और साहित्यिक कलाओं में संलग्न व्यक्तियों, समूहों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है इसी तरह मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की पहचान कर साहित्य अकादमी और संगीत-नाटक अकादमी जैसी अपनी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें पुरस्कार प्रदान करता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश की पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए समसामयिक प्रासंगिकता वाले जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने में लगा है

जहां तक ज्ञान की धरोहर का सवाल है मंत्रालय देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों का संरक्षक हैं यह पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है और पुस्तकालयों के विकास के बारे में सभी नीतिगत मामलों के लिए भी उत्तरदायी हैं संस्कृति मंत्रालय बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य में भी लगा है और इसके लिए सारनाथ, वाराणसी और लेह आदि स्थानों में स्थित विभिन्न संस्थाओं की मदद ली जाती है भारतीय और एशियाई कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय का सुनियोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम है स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी (भारतीय पुरातत्व विज्ञान संस्थान), स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज (अभिलेखीय अध्ययन संस्थान), राष्ट्रीय इतिहास और कला संस्थान तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाएं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रमुख संगठनों में शामिल हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम मंत्रालय के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कुछ उदाहरण हैं मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को की विभिन्न संधियों के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है भारत के 107 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते हैं और उसने 69 देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों से संबंधित समझौते किए हैं

वेबसाइट: www.indiaculture.nic.in

ललित कला अकादमी

ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना 1954 में की गई यह भारत में दृश्य

कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है अकादमी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र के राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया है जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कला की जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूपों को प्रतिबिंबित करता है अकादमी पूरे साल कई ऐसी कई प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो महत्व की दृष्टि से बेजोड़ होते हैं अकादमी का अपना पुस्तकालय, कला संग्रह, संग्रहालय और परिरक्षण प्रयोगशाला है और यह देशभर में उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वानों तथा प्रकाशनों को मदद देती है

अकादमी के मिशन का मुख्य विषय है आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सकें इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले- इंडिया (त्रैवार्षिकी भारत) जैसे आयोजन करती है

अकादमी अपने कार्यक्रमों और नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करती है कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय और भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, गढ़ी (नई दिल्ली) स्थित केंद्रों तथा शिमला और पटना स्थित उप-केंद्रों में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शानदार कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है कला को बढ़ावा देने की अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं जैसे मूर्तिशिल्प, ग्रैफिक कला, सेरेमिक्स कला और चित्रकला के कलाकारों को काम करने के लिए स्टूडियो प्रदान करना है दिल्ली में अकादमी गढ़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है जिसमें 200 कलाकार नियमित रूप से कार्य करते हैं

अकादमी ने अनुसंधान और प्रलेखन संबंधी नियमित कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं इनके अंतर्गत विद्वानों को भारतीय समाज और कला के समसामयिक पक्षों के अध्यन की परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

वेबसाइट: www.lalitkala.gov.in

संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जिसकी आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है कलाएं क्षणिक और नश्वर होती हैं इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें आम आदमी को कलाओं को सीखने, अभ्यास करने और इसका प्रचार-प्रसार करने का मौका मिले 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास बनाकर उसके तहत तीन अकादमियों- नृत्य, नाटक और संगीत की अकादमी, साहित्य अकादमी और कला एवं स्थापत्य की अकादमी के गठन की बात कही गई थी इसी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद तीन अकादमियां गठित की गईं जिनमें से संगीत-नाटक अकादमी अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से हुई 1961 में सरकार ने संगीत-नाटक अकादमी का एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठन किया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1957 में यथा संशोधित) के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराया

अकादमी ने भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य साधना करने वालों की मदद के लिए एकीकृत ढांचे का निर्माण के लिए कार्य करती है जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण समेत देश के सभी भागों की पारंपरिक और आधुनिक कलाएं शामिल हों अकादमी द्वारा प्रस्तुत और प्रोत्साहित संगीत, नृत्य और नाटकों के कार्यक्रम देशभर में प्रस्तुत किए जाते हैं निष्पादन कलाओं की महान हस्तियों को अकदमी में अध्येता के रूप में चुना गया है संगीत नाटक अकादमी द्वारा हर साल जाने-माने कलाकारों और विद्वानों को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं दूर-दराज इलाकों समेत देशभर में संगीत, नृत्य और नाट्य विधा की शिक्षा देने वाली हजारों संस्थाओं ने अपने कार्य के लिए अकादमी से सहायता प्राप्त की है इसी तरह विभिन्न विधाओं के अनुसंधानकर्ताओं, लेखकों और प्रकाशकों को भी

संबंधित क्षेत्रों में सहायता दी गई है

अकादमी के पास श्रव्य और दृश्य टेप, 16 मिमी फिल्मों, फोटोग्राफ और ट्रांसपेरेंसीज का विशाल अभिलेखागार है और यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए देश में सूचनाओं और सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत है मंत्रालय का अपना संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें हैं अकादमी की प्रकाशन इकाई प्रासंगिक विषयों में छोटे पैमाने पर साहित्य का प्रकाशन करती है

अकादमी निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं और परियोजनाएं स्थापित करती है और उनकी देख-रेख करती है इंफाल स्थित जवाहर लाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी (जेएनएमडीए) की स्थापना 1954 में हुई थी यह मणिपुरी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने वाली प्रमुख संस्था है 1959 में अकादमी ने दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एशियाई रंगमंच संस्थान की स्थापना की 1964 में दिल्ली में ही कथक केंद्र स्थापित किया गया अकादमी की राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं में केरल का कुटियट्टम रंगमंच भी शामिल है जिसकी स्थापना 1991 में की गई 2001 में यूनेस्को ने कुटियट्टम को मानवता की अमूर्त और मौखिक धरोहर की उत्कृष्टतम कृतियों में से एक बताया था ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के छऊ नृत्य की परियोजना 1994 में प्रारंभ हुई असम के सत्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच तथा इन से संबंधित कलाओं को परियोजना सहायता 2002 में शुरू हुई

निष्पादन कलाओं में विशेषज्ञता वाली संस्था होने के नाते अकादमी भारत सरकार को निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम तैयार करने और उन पर अमल के बारे में परामर्श और सहायता प्रदान करती है यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा भी देती है अकादमी विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए विदेशों में प्रदर्शनियों और महोत्सव का आयोजन भी करती है

वेबसाइट : www.Sangeetnatak.gov.in

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) दुनिया का अग्रणी रंगमंच संस्थान है और भारत में अपनी तरह का पहला है 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्थान बना दिया गया जिसका वित्त पोषण पूरी तरह संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को रंगमंच के इतिहास, नाटकों के निर्माण, दृश्य आकल्पन, परिधान आकल्पन, प्रकाश, रूप सज्जा जैसे रंगमंच के विभिन्न पक्षों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना है विद्यालय का पाठ्यक्रम तीन साल का है और इसके लिए दो चरण वाली चयन प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थियों का चुनाव किया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा को भारतीय विश्व विद्यालय संघ से एम.ए. की डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त है और इसे हासिल करके कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त की जा सकती हैं और पी.एचडी. डिग्री के लिए पंजीयन कराया जा सकता है विद्यालय के प्रस्तुति स्कंध में पेशेवर रंगमंच के लिए नाट्य मंडली और प्रायोगिक रंगमंच के लिए संस्कार रंग टोली (थियेटर इन एजुकेशन) है, बाल रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कार रंग टोली का गठन 1989 में किया गया था और यह बच्चों के लिए नाटकों के निर्माण, दिल्ली के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रंगमंच कार्यशालाओं के आयोजन और शनिवारीय क्लबों के माध्यम से बाल रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है 1998 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हर साल 'जश्न-ए-बचपन' नाम का राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह आयोजित कर रहा है इस तरह का पहला समारोह भारत की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के सिलसिले में 18 मार्च से 14 अप्रैल, 1999 तक आयोजित किया गया तब से लगातार इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है

1978 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए 'विस्तार कार्यक्रम' नाम का अल्पावधि कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत विद्यालय स्थानीय रंगमंडलियों/कलाकारों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन करता है और ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में ही आयोजित किए जाते हैं कार्यशालाओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: प्रस्तुति मूलक कार्यशालाएं, प्रस्तुति मूलक बच्चों की कार्यशालाएं और रंगमंच के बारे में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम बंगलुरु में विद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जो दक्षिण के चार राज्यों और पुडुचेरी की रंगमंच संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है राष्ट्रीय

नाट्य विद्यालय रंगमंच के बारे में पाठ्यपुस्तकों का भी प्रकाशन करता है और इस विषय में महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध कराता है

वेबसाइट: www.nsd.gov.in

साहित्य अकादमी

साहित्य अकादमी भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय अकादमी है यह इन मान्यता प्राप्त भाषाओं में कार्यक्रमों का आयोजन करती है, इन भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान करती है और इनमें पूरे साल पुस्तकों का प्रकाशन करती है पिछले छह दशकों से भी अधिक अवधि में अकादमी ने 24 भाषाओं में 7,000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है अकादमी कथा साहित्य, कविता, ड्रामा और आलोचना की मौलिक पुस्तकों के साथ-साथ उनके अनुवाद भी प्रकाशित करती है और क्लासिकल, मध्यकालीन, प्राक्-आधुनिक और समसामयिक साहित्य इसके दायरे में आता है साहित्य अकादमी तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है: इंडियन लिटरेचर (अंग्रेजी द्वैमासिक), समकालीन भारतीय साहित्य (हिंदी द्वैमासिक) और संस्कृत प्रतिभा (संस्कृत त्रैमासिक) अकादमी श्रेष्ठ बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करती है अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई में इसके कार्यालय हैं

साहित्य अकादमी के पुरस्कार भारत में अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माने जाते हैं जो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाली सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है इसके अलावा साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने और समृद्ध करने वाले लेखकों/विद्वानों/संपादकों/संग्रहकर्ताओं/निष्पादकों/अनुवादकों तथा देश के क्लासिक व मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान के जरिए विलक्षण योगदान करने वालों को भाषा सम्मान के रूप में एक लाख रुपये और प्रशस्ति-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिए जाने वाले अनुवाद पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये की राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है अकादमी के दो अन्य पुरस्कार हैं- बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार जिनके अंतर्गत विजेताओं को 50 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है जबकि युवा भारतीय लेखकों को बढ़ावा देने के लिए अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान करती है

अकादमी भारतीय लेखन को महत्व प्रदान करने के लिए हर साल साहित्योत्सव का आयोजन करती है दिल्ली स्थित जनजातीय और मौखिक साहित्य केंद्र और इंफाल में पूर्वोत्तर मौखिक साहित्य केंद्र के माध्यम से अकादमी जनजातीय और मौखिक परंपरा के साहित्य को बढ़ावा देती है अकादमी जाने-माने भारतीय लेखकों और भारतीय साहित्य की सेवा में संलग्न विदेशी विद्वानों को फैलोशिप भी प्रदान करती है

अकादमी की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय लेखकों पर मोनोग्राफ, विश्वकोष, संकलन, भारतीय साहित्यिक अभिलेखागार , भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय पुस्तक सूची, भारतीय काव्य, शास्त्र का विश्वकोष और भारतीय साहित्य के इतिहास की परियोजनाएं प्रमुख हैं विदेशों में साहित्यिक उत्सवों और पुस्तक मेलों में भाग लेने के साथ-साथ अकादमी विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित करती है और हर साल लेखकों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करती है

नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तकालय गिने-चुने बहुभाषिक पुस्तकालयों में से एक है जो पूरी तरह से साहित्य को समर्पित है भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य और साहित्यिक परंपराओं की पुस्तकों के समृद्ध संग्रह वाला यह पुस्तकालय अपने आप में अनोखा है इस पुस्तकालय के अलावा साहित्य अकादमी के मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पुस्तकालय हैं साहित्य अकादमी पुस्तकालय में पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 13,219 हैं और पुस्तकों की कुल संख्या 1,72,000 है रोज़ाना करीब 150 सदस्य पुस्तकालय में आते हैं सभी 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य के बेहतर प्रसार के लिए साहित्य अकादमी हर साल देशभर में करीब 180 पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेती है

वेबसाइट: www.sahitya.akademi.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र है जिसके दायरे में क्लासिकल से लेकर लोक, लिखित से लेकर मौखिक और प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी प्रकार की कलाओं का अध्ययन और अनुभव शामिल है नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित यह कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त न्यास है यहां भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्वएशिया और पश्चिम एशिया के स्थापत्य, नृतत्वशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषा और साहित्य, कला व शिल्प समेत विभिन्न विषयों के संसाधनों का समृद्ध संकलन उपलब्ध है

आईजीएनसीए की छह कामकाजी इकाइयां यानी प्रभाग हैं- विविध रूपों में उपलब्ध पुस्तकों का संग्रहालय कलानिधि; भारतीय भाषाओं में मौलिक पाठ के अध्ययन और प्रकाशन को समर्पित कलाकोश; जीवन शैली संबंधी अध्ययन जनपद संपदा; आईजीएनसीए के अनुसंधान और अध्ययनों को प्रदर्शनियों के माध्यम से मूर्त रूप में प्रस्तुत करने वाली इकाई कलादर्शन; संस्कृति का परिरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी संबंधी उपायों का उपयोग करने वाली कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला; और सूत्रधार यानी प्रशासनिक अनुभाग जो रीढ़ की हड्डी की तरह इन सभी गतिविधियों में तालमेल और सहायता करता है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु में है, इसके अलावा पूर्व क्षेत्र का केंद्र वाराणसी, पूर्वोत्तर का गुवाहाटी में है इसके अलावा रांची, पुदुदचेरी, वडोदरा, त्रिशूर, गोवा और श्रीनगर में इसके छह नये केंद्र चालू हुए हैं आईजीएनसीए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी प्रबंधन करता है जिसने देशभर में फैले परिरक्षण केंद्रों के जरिए बहुमूल्य धरोहर का परिरक्षण और डिजिटाइजेशन किया है

वेबसाइट: www.ignca.gov.in

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में काम करने वाले अग्रणी संगठनों में से एक है इसकी स्थापना 1979 में स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय के अलावा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं- विद्यार्थियों में भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों की विविधता के बारे में जागरुकता और समझ पैदा करना और इस जानकारी को शिक्षा के साथ जोड़ना इसका मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि किस तरह शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाए और किस तरह से विद्यार्थियों को विकास कार्यक्रमों में संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जाए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र देश के विभिन्न भागों के शिक्षकों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से प्रतिभागियों में भारतीय कला और संस्कृति में अंतर्निहित सुंदरता, सौंदर्यबोध और दर्शन की समझ और पहचान पैदा करने में मदद मिलती है इनसे शिक्षण पाठ्यक्रमों में संस्कृति वाले घटक को शामिल करने के तौर-तरीकों का पता लगाने में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है इनमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आवास, कृषि, खेल-कूद आदि में संस्कृति की भूमिका पर भी जोर दिया जाता है इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान और प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं परिरक्षण में विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी भूमिका के बारे में जागरुकता लाने में भी मदद मिलती है

सीसीआरटी नाटक, संगीत और वाचिक कला विधाओं आदि के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करता है अध्यापकों को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जाता है जिनसे शैक्षिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने में कला विधाओं का लाभ उठाया जा सके सीसीआरटी स्मारकों, संग्रहालयों, कलावीथियों, शिल्प केंद्रों, चिड़ियाघरों और उद्यानों के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करता है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में शिविरों का भी आयोजन किया जाता है स्थानीय रूप से उपलब्ध कम लागत की वस्तुओं से शिल्पों के प्रशिक्षण के लिए भी शिविर आयोजित किए जाते हैं कलाकारों और विशेषज्ञों के व्याख्यान और कला-प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं इसके अलावा स्कूलों में भी कलाकारों और हस्तशिल्पियों को अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है इन सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की बौद्धिक और सौंदर्यबोध की क्षमताओं के विकास पर जोर दिया जाता है

पिछले कई वर्षों से सीसीआरटी पटकथाओं, रंगीन स्लाइडों, फोटोग्राफ और ऑडियो व वीडियो रिकार्डिंग तथा फिल्मों का संग्रह कर रहा है हर साल यह ग्रामीण भारत की कलाओं और शिल्प विधाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की समझ और परख को लेकर यह पुस्तकें भी प्रकाशित करता है सीसीआरटी सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना को भी लागू करता है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे या किसी पारंपरिक निष्पादन कला के घराने में तालीम हासिल कर रहे 10 से 14 साल के प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों, खासतौर पर दुर्लभ कला विधाओं में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ये छात्रवृत्ति उनके 20 साल का होने या विश्वविद्यालय की डिग्री के पहले साल में पहुंचने तक दी जाती है विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी लागू की गई है इसके अंतर्गत 18 से 25 साल तक के आयुवर्ग वालों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, उप-शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्य कलाओं, लोक/पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं में अधिकतम 400 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं

संस्कृति परियोजना संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत वाराणसी में शिक्षा संस्थाओं में इंटरप्रेटेशन सेंटरों का विकास/स्थापना की गई है शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र, पट्टिका और पच्चीस हजार रुपये नकद दिये जाते हैं

वेबसाइट: www.ccrtindia.gov.in

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरुकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि किस तरह ये मिलकर एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान बनती हैं और अंततः भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विविधता के रूप में परिलक्षित होते हैं इन केंद्रों ने समूचे देश में संस्कृति के संवर्द्धन, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अग्रणी एजेंसी के रूप में अपने आप को पहले ही स्थापित कर लिया है ये केंद्र साहित्य और चाक्षुष कलाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करके निष्पादन कलाओं को बढ़ावा देते हैं पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में सात क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना 1985-86 में की गई थी किसी राज्य की अपने सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में भागीदारी इन क्षेत्रीय केंद्रों के गठन की विशेषता है विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के सिद्धहस्त हस्तशिल्प और दस्तकार शिल्प मेलों में हिस्सा लेते हैं ये केंद्र जिस बात पर खास जोर देते हैं वह है- कला की विभिन्न दुर्लभ लोक और जनजातीय विधाओं का प्रलेखन करना राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कलाकारों, संगीतशास्त्रियों और विद्वानों का आदान-प्रदान किया जाता है इससे देश के विभिन्न भागों में कई तरह की लोक/जनजातीय कला विधाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है रंगमंच में नयी जान फूंकने के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिनेताओं, कलाकारों, निर्देशकों और लेखकों को एक मंच में आकर कार्य करने का अवसर मिलता है नयी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए गुरु-शिष्य परंपरा शुरू की गई है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शिल्प ग्रामों के जरिए हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देते हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपने-अपने इलाकों में विभिन्न निष्पादन/लोक कला विधाओं की पहचान करते हैं और प्रत्येक विधा के एक-दो प्रतिभाशाली कलाकारों का चयन करते हैं

एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई इस पहल के व्यापक लक्ष्य हैं: (1) हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का महिमामंडन और देश के लोगों के बीच परंपरा से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के ताने-बाने को बनाए रखना और सुदृढ़ करना; (2) सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सालभर तक चलने वाले सुनियोजित गहन और स्तरीय संपर्क के जरिए राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना; (3) किसी भी राज्य की समृद्ध धरोहर और संस्कृति तथा रीति-रिवाज़ और परंपराओं को प्रदर्शित करना ताकि लोग भारत की विविधता को समझ और परख सकें और उनके बीच एक जैसी पहचान को बढ़ावा मिले; (4) दीर्घावधि संपर्कों की स्थापना; (5) ऐसे वातावरण

का निर्माण करना जिसमें एक-दूसरे के बेहतरीन तौर-तरीकों और अनुभवों से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले

बौद्ध तिब्बती संस्थाओं का उद्देश्य देश की अमूर्त बौद्ध/तिब्बती/हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में मदद करना है

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत

इस योजना का उद्देश्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण करना है इसे 2011 में संशोधित किया गया था जिसके अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां करने वालों को अनुदान सहायता दी जाती है : (1) सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और अनुसंधान; (2) पुरानी पांडुलिपियों, साहित्य, कला व शिल्प का परिरक्षण और संगीत, नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का प्रलेखन; (3) कला और संस्कृति के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार; और (4) हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों में परंपरागत और लोक कलाओं में प्रशिक्षण कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं किसी एक संगठन को दी जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है

बौद्ध/तिब्बती संगठनों का विकास

इस योजना का उद्देश्य बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परंपराओं के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों और मठों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इस योजना को 2011 में संशोधित किया गया और इसमें सूचना टेक्नोलॉजी संबंधी सुधार, परिवहन सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रों, स्कूलों की इमारतों और कक्षाओं के निर्माण, परंपरागत सामग्री की दृश्य-श्रव्य रिकार्डिंग/प्रलेखन को भी शामिल कर लिया गया

केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान

लेह-लद्दाख स्थित केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) जिसे पहले बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री स्वार्गीय जवाहरलाल नेहरू की पहल पर 1959 में स्थापित किया गया जनवरी 2016 में इस संस्थान को डीम्ड, यूनीवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्था का दर्जा मिला

नव नालंदा महाविहार

नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार के नालंदा में राज्य सरकार ने की थी यह पालि और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का केंद्र है इस समय यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है और 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया

केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय

केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी की स्थापना 1967 में हिमालय में सीमावर्ती इलाकों के तिब्बती और भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए की गई थी बाद में 1988 में इसे विश्व विद्यालय के समकक्ष संस्था का दर्जा दे दिया गया

केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान

केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (सीआईएचसीएस) का 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत एक समिति के रूप में पंजीकरण कराया गया था संस्थान बौद्ध और हिमालयी अध्ययन के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करता है इसे अधीनस्थ स्कूल स्थापित करने और उनके संचालन का भी अधिकार है अनुदान प्राप्त करने वाली छह संस्थाओं- धर्मशाला स्थित तिब्बती कृतियों और अभिलेखों के पुस्तकालय; नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस; अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ; सिक्किम में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोमडिला में जीआरएल मोनास्टिक स्कूल को सहायता प्रदान की जाती है

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में की गई थी यह संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं- पुरातत्व अवशेषों का सर्वेक्षण और उत्खनन; केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव और संरक्षण स्मारकों और पुरातात्विक अवशेषों का रासायनिक अनुरक्षण; स्मारकों का वास्तुशास्त्रीय सर्वेक्षण; पुरालिपि अनुसंधान तथा मुद्रा अध्ययन जैसी विद्याओं का विकास; किसी स्मारक या पुरातात्विक स्थल पर संग्रहालय की स्थापना तथा पुनर्गठन; विदेशों में अभियान; पुरातत्व शास्त्र में प्रशिक्षण; और तकनीकी रिपोर्टों व अनुसंधान ग्रंथों का प्रकाशन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पांच क्षेत्रीय निदेशालय, 29 सर्किल और तीन मिनी सर्किल हैं जिनके माध्यम से यह अपने अधीन स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण करता है

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देशभर में 3,686 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है इनमें से 21 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं पांच स्थल- गुजरात में चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन (जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था), वृहदीश्वर मंदिर परिसर, गंगइकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर संकुल और वृहदीश्वर मंदिर संकुल के विस्तार के रूप में दारासुरम तंजावुर को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है यह शहर अब आमतौर पर जागृत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है

मुंबई की विक्टोरिया युग की कलाकृतियों (विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इनसेंबल) के संग्रहालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन संबंधी कागजात विश्व विरासत केंद्र को भेज दिए गए हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस समय 5,000 से अधिक संरचनाओं का रखरखाव कर रहा है अंतर्जलीय पुरातत्व स्कंध का मुख्य कार्य देश की समुद्री जलसीमा और अन्य क्षेत्रों में जलमग्न सांस्कृतिक धरोहरों की खोज, अध्ययन और संरक्षण करना है यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में खोज और उत्खनन का कार्य करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय देहरादून में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो स्मारकों, पुरावस्तुओं, पांडुलिपियों, चित्रकला आदि का रासायनिक संरक्षण करती हैं

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उद्यान शाखा देश के विभिन्न भागों में केंद्र द्वारा संरक्षित करीब 287 स्मारकों/स्थलों में उद्यानों का रखरखाव करती है दिल्ली, आगरा, श्रीरंगपट्टनम और भुवनेश्वर की प्रमुख पौधशालाओं से विभिन्न उद्यानों के लिए पौधे भेजे जाते हैं

वेबसाइट: www.asi.nic.in

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन की शुरुआत 2007 में हुई इसका उद्देश्य 11वीं योजना के दौरान निर्मित धरोहर और स्थलों तथा पुरावशेषों के बारे में विभिन्न स्रोतों एवं संग्रहालयों से राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि योजनाकार और अनुसंधानकर्ता आदि इसका उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में कर सकें इसमें शामिल कार्य के परिमाण को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार मिशन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रभाग बना दिया गया है

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन को सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार दो रजिस्टर यानी पंजियां तैयार की जानी हैं : (1) निर्मित धरोहरों और स्थलों का राष्ट्रीय रजिस्टर; और (2) पुरावशेषों का रजिस्टर विभिन्न द्वैतीय स्रोतों से 2 लाख निर्मित धरोहरों और स्थलों के डेटा का प्रलेखन किया गया है राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन के पास अब तक विभिन्न स्रोतों से करीब 15 लाख पुरावस्तुओं के डेटा का प्रलेखन किया है

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसकी देख-

रेख करने वाली नोडल एजेंसी बनाया गया था इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में विद्यमान देश की ज्ञान की विरासत को सहेज कर रखना था भारत की मूर्त विरासत के स्थान निर्धारण, प्रलेखन, परिरक्षण और प्रलेखन के लिए देशभर में पांडुलिपि संसाधन केंद्र, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण साझेदार केंद्र बनाए गए हैं

मिशन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं : सर्वेक्षण के माध्यम से पांडुलिपियों का प्रलेखन करना, निवारक और उपचारात्मक विधियों से पांडुलिपियों का संरक्षण, संरक्षण के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन करना, प्राचीन लिपियों के बारे में शिक्षण के लिए हस्तलिपि विज्ञान और पुरालेखशास्त्र की कार्यशालाएं आयोजित करना, पांडुलिपियों का डिजिटीकरण ताकि उन्हें अभिलेखागार में इस तरह से रखा जा सके जिससे ज्ञान के इस स्रोत तक आसानी से पहुंचा जा सके, प्रकाशनों के जरिए पांडुलिपियों में निहित ज्ञान का प्रसार और पांडुलिपियों के महत्व के बारे में जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए विस्तारण कार्यक्रम

राष्ट्रीय संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में की गई थी और यह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह कार्य करता है यह 2.6 लाख से अधिक कलाकृतियों का खजाना है जिनमें प्रागैतिहासिक काल की सामग्री से लेकर आधुनिक कला वस्तुएं भी शामिल हैं संग्रहालय की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं: कला वस्तुओं का प्रदर्शन, दीर्घाओं का आधुनिकीकरण/पुनर्संयोजन, शैक्षिक गतिविधियां और विस्तार कार्यक्रम, जनसंपर्क, प्रकाशन, फोटो प्रलेखन, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम, स्मारक व्याख्यान, फोटो यूनिट, मॉडलिंग यूनिट, पुस्तकालय, संरक्षण प्रयोगशाला और कार्यशालाएं

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) की स्थापना 1954 में समसामयिक भारतीय कला के विकास और संवर्धन के लिए की गई थी इसमें करीब 1,748 समकालीन भारतीय कलाकारों की 17,858 प्रतिनिधि कृतियां रखी हुई हैं संग्रहालय के अनमोल खजाने में चित्र कलाकृतियां, मूर्तिशिल्प, ग्राफिक कलाकृतियां और फोटोग्राफ शामिल हैं यह अपने संग्रह की कलाकृतियों के साथ-साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत प्राप्त कलाकृतियों की समय-समय पर प्रदर्शनियां आयोजित करता है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का उद्देश्य आधुनिक कलाकृतियों के बारे में लोगों की समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाना है

वेबसाइटः www.ngmaindia.gov.in

भारतीय संग्रहालय

कोलकाता का भारतीय संग्रहालय (इंडियन म्यूजियम) दुनिया के आठ सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है करीब 1.10 लाख कलाकृतियों का यह खजाना प्राच्य इतिहास और भारत की धरोहर की कहानी कहता है भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भारत की विरासत और संस्कृति के विकास के शानदार घटनाक्रम की गाथा कहता है भारत विद्या के महान विद्वान विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और अपना सारा जीवन भारत के विकास में लगा दिया डेनमार्क के वनस्पतिशास्त्रीय डॉ. नैथेनियल वालिच ने एशियाटिक सोसाइटी को एक पत्र लिखकर सोसाइटी परिसर में एक संग्रहालय स्थापित करने की जोरदार वकालत की इस तरह डॉ. नैथेनियल वालिच के दिशानिर्देशन में 1814 में 'एशियाटिक सोसाइटी परिसर' में एक संग्रहालय की स्थापना हुई प्रारंभ में इसे 'एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम' के नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम 'इंपीरियल म्यूजियम' कर दिया गया बाद में इसे 'इंडियन म्यूजियम' के नाम से पुकारा जाने लगा हालांकि यह संग्रहालय को देखने आने वालों में 'जादूघर' के रूप में भी मशहूर रहा है इंडियन म्यूजियम (भारतीय संग्रहालय) की शुरुआत केवल दो दीर्घाओं से हुई मगर बाद में यह बहुउद्देश्यी संगठन के रूप में उभरकर सामने आया इसके छह अनुभागों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संकलन किया गया हैं इनके नाम हैं- कला, पुरातत्व विज्ञान, मानवशास्त्र, जीव विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इस तरह एशियाटिक सोसाइटी की गोद में पला यह संग्रहालय देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है और राष्ट्र की

धरोहर और गौरव को प्रदर्शित करता है 1878 में यह अपने वर्तमान भवन में आया भारत की कला एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संग्रहालय को भारत गणराज्य के संविधान में अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है

भारतीय संग्रहालय न केवल भारतीय धरोहर की कला वस्तुओं के परिरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि भारतीय कला धरोहर की विवेचना को उत्प्रेरित करने में भी योगदान करता है विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित अपनी विविधतापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से यह दर्शकों के सीखने के केंद्र के रूप में काम करता है इस क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है यह दुनिया में अपनी तरह का अकेला संगठन है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों का सबसे बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है यह 'जनता के सशक्तीकरण के लिए विज्ञानसंचार' के लक्ष्य के साथ देशभर में फैले अपने विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से समाज में, खासतौर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने में लगा है देश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर विज्ञान केंद्र विकसित करने संबंधी विज्ञान योजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कार्यान्वयन एजेंसी है परिषद् का 25 विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों का नेटवर्क है और इसने 24 विज्ञान केंद्र विभिन्न राज्य सरकारों को बनाकर दिए हैं परिषद अन्य संगठनों को उत्प्रेरक सहायता भी उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत प्रदर्शन की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पारस्परिक संवाद आधारित प्रदर्शनियों का विकास किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान संचार परिषद दो तरह की गतिविधियों का संचालन करती है: विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों, गैलरी, प्रदर्शनी, वस्तुओं और नवसृजन केंद्रों का विकास; और करके सीखने पर आधारित विज्ञान कार्यक्रमों तथा विद्यालयेत्तर गतिविधियों का आयोजन इस तरह अपनी दोआयामी गतिविधियों से परिषद स्कूलों को विज्ञान शिक्षा में अनौपचारिक सहायता प्रदान करती है

भारत में म्यूजियम ऑन व्हील यानी चलती-फिरती प्रदर्शनी की अवधारणा की शुरुआत 1965 से हुई जब कोलकाता के रामकृष्ण मिशन स्कूल में सचल विज्ञान संग्रहालय के जरिए संचल विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई आज राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के विभिन्न विज्ञान केंद्रों से सचल विज्ञान प्रदर्शनियों की 23 बसों का काफिला जुड़ा हुआ है ये प्रदर्शनियां देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों का दौरा करती हैं और विज्ञान व टेक्नोलॉजी के संदेश को ग्रामीण जनता तक पहुंचाती हैं स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रदर्शनियों के अलावा सचल विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में विज्ञान शो, विद्यार्थियों के लिए करके सीखने की कार्यशालाएं, दूरबीन से रात को आकाश का प्रेक्षण और विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करके इनके महत्व में और वृद्धि की जाती है यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सफलतम कार्यक्रमों में से एक है और अब तक 6.5 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं इसका फायदा उठा चुके हैं पिछले साल इस कार्यक्रम को भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबी अवधि से चलाए जा रहे अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारतीय विद्यार्थियों के अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड (जूनियर श्रेणी) में भाग लेने में भी मदद करती है परिषद इसके लिए हर साल अभिविन्यास एवं चयन कैंप का आयोजन करती है तथा चुने गए विद्यार्थियों के लिए रवानगी से पहले का प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है परिषद विज्ञान केंद्रों/संस्थानों में नवसृजन केंद्र गठित करने की योजना को भी लागू कर रही है ताकि देश के युवाओं में नवसृजन, रचनात्मकता और विज्ञान के प्रति लगाव की संस्कृति को बढ़ावा मिले परिषद ने अमरीका, रूस, फ्रांस, बल्गारिया, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, ट्रिनिडाड़ और टोबैगो, गुयाना, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत 15 देशों के लिए चलती-फिरती प्रदर्शनियों की परिकल्पना करके उनका विकास किया है और वहां भेजा है इनका विवरण इस वेबसाइट पर उपलब्ध है:

वेबसाइट www.ncsm.gov.in

विक्टोरिया मेमोरियल

कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1921 में भारत-ब्रिटेन इतिहास को रेखांकित करने वाले कालखंड संग्रहालय के रूप में की थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया यह 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के भारत-ब्रिटेन इतिहास का अग्रणी कालखंड संग्रहालय है यह कोलकाता की प्रमुख कला दीर्घा, संग्रहालय, अनुसंधान पुस्तकालय और सांस्कृतिक स्थल भी है यह भारत में भारत-ब्रिटिश वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है जो 'राज के ताज' के नाम से भी मशहूर है दुनिया के सबसे बड़े यात्रा और पर्यटन संबंधी वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने 2017 में इसे भारत के 'नंबर 1' और एशिया के नंबर 9 संग्रहालय के रूप में चिह्नित किया भारत के शीर्षस्थ पर्यटन स्थल के रूप में इसके तेज़ी से बढ़ते कद का पता इसे लोनली प्लेनेट का 'टॉप च्वाइस' और 'फोर्स च्वाइस' का दर्जा मिलने से भी चलता है कुल मिलाकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के शीर्षस्थ संग्रहालयों में से एक है जहां 2017-18 के दौरान 21 लाख लोग इसकी दीर्घाओं में और 14 लाख अन्य इसके उद्यानों में पहुंचे 2015 में इसे 'भारत का सबसे स्वच्छ' स्मारक घोषित किया गया जिसके लिए इसे इंडिया टुडे सफाइगिरी पुरस्कार भी प्रदान किया गया

संग्रहालय के रूप में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की नौ दीर्घाओं में 28,394 शिल्पकृतियां हैं जो 1650 ई. के बाद की तीन सदियों की हैं संग्रह में ऑयल कलर और वाटर कलर में चित्रकृतियां, रेखाचित्र और ड्रॉइंग्ज, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां, टिकट और डाक लेखन सामग्री, सिक्के और मेडल, हथियार और कवच, मूर्तिशिल्प, पोशाक, व्यक्तिगत स्मृतिचिह्न और अभिलेखागार के महत्व वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं

वेबसाइट: www.Victoriamemorial-cal.org

कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान

यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई और इसे विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान का दर्जा दिया गया यह संग्रहालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र संग्रहालय विश्वविद्यालय है फिलहाल यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की पहली मंजिल में चल रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय का महानिदेशक इस विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति भी होते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों में (क) कला, इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में स्नातकोत्तर (एम.ए.) और पी.एचडी. स्तर की शिक्षा प्रदान; (ख) भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कला की परख के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित करना; और (ग) संग्रहालय शिक्षा, कला और संस्कृति पर संगोष्ठियां , कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेष व्याख्यान आयोजित करना है

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला की स्थापना 1976 में संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के तौर पर की गई थी इसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है यह संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों और अन्य संबद्ध सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण संबंधी मामलों में संरक्षण सेवाएं और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है यह संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है, संरक्षण की विधियों और तौर-तरीकों के बारे में अनुसंधान करता है, संरक्षण के बारे में ज्ञान का प्रसार करता है और देश में संरक्षण के कार्य में लगे कर्मियों को सेवाएं उपलब्ध कराता है

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय लखनऊ में है लखनऊ के जानकीपुरम में इसके प्रशिक्षण संस्थान का पूर्ण परिसर है और मैसूर में क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला के रूप में क्षेत्रीय केंद्र है जो दक्षिण भारत की संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है

रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान

इस संस्थान की परिकल्पना 1936 में श्री रामकृष्ण (1836-1886) की पहली जन्मशती के अवसर पर उनके स्थायी स्मारक के रूप में की गई थी इसकी विधिवत स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के रूप में श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के संदेश के प्रसार के लिए 1938 में की गई श्री रामकृष्ण ने अपने संदेश में मुख्य रूप से (1) सभी धर्मों की समानता; (2) मनुष्य में देवत्व की संभावनाओं; और (3) ईश्वर की उपासना के लिए मनुष्य की सेवा का रास्ता अपनाने वाले मानवता के नये धर्म पर जोर दिया था

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण दनिया में अपनी तरह का अनोखा संगठन है 65 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन भारतीय जनसंख्या की जैव-सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन का अपना दायित्व पूरा कर रहा है बीते दशकों में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण मजबूत होता चला गया है और इसने देश के मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक बेजोड़ परिप्रेक्ष्य विकसित कर लिया है इसकी गतिविधियों में शामिल हैं: मानव वैज्ञानिक सामग्री के संकलन, संरक्षण, रखरखाव और प्रलेखन के साथ-साथ प्राचीन मानव कंकालों के अवशेषों का अध्ययन करना हाल में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने अपने बुनियादी ढांचे का समग्र आधुनिकीकरण किया है और भारत में मानव जाति के आनुवंशिक विकास के अध्ययन के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी और मानववैज्ञानिक आनुवंशिकी का उपयोग प्रारंभ किया है कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय और सात क्षेत्रीय केंद्रों (पोर्टब्लेयर, शिलांग, नागपुर, मैसूर, देहरादून, उदयपुर और कोलकाता), एक उप-क्षेत्रीय केंद्र (जगदलपुर), तीन फील्ड स्टेनशनों (सागर, रांची और विशाखापत्तनम) और नई दिल्ली, स्थित कैंप कार्यालय के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की हैं सर्वेक्षण ने कई पुस्तकें, मोनोग्राफ, अनुसंधान रिपोर्ट और यदा-कदा छापे जाने वाले प्रकाशनों का भी प्रकाशन किया है इसके अलावा यह त्रैमासिक न्यूजलेटर और अर्धवार्षिक गृह पत्रिका भी छापता है भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण देश के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है

वेबसाइट: www.ansi.gov.in

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के प्रचलन से बाहर के रिकॉर्ड का संरक्षक है और रिकॉर्ड तैयार करने वालों तथा आम उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सामग्री को न्यासी की तरह सहेज कर रखता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दक्षिण-पूर्व एशिया में गैर-प्रचलित रिकॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार भी है अभिलेखागार किसी राष्ट्र की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर है और देश के अग्रणी अभिलेखीय संस्था के नाते भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अभिलेखागारों के विकास और उन्हें नयी दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के सार्वजनिक रिकॉर्ड के लिए केंद्र सरकार के एकमात्र भंडार के नाते इसकी स्थिति बड़ी अनोखी है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है इसे राष्ट्र की दस्तावेजी धरोहर के परिरक्षण का दायित्व सौंपा गया है यह 1993 के पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट और 1997 के पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स पर अमल के लिए भी यह नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण के लिए भी जिम्मेदार है भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और भुवनेश्वर, जयपुर और पुदुदचेरी में इसके तीन रिकॉर्ड सेंटर भी हैं

राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रमुख गतिविधियों में सार्वजनिक रिकॉर्ड को विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान करने वाले विद्वानों को उपलब्ध कराना; ऑनलाइन अनुसंधान पोर्टल www.abhilekh-patal.in के जरिए रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना; रिकॉर्ड के संरक्षण के बारे में व्यक्तियों और संस्थाओं को तकनीकी सहायता देना; राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज (अभिलेखागार अध्ययन विद्यालय) के जरिए अभिलेख विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है देश की

अभिलेख संपदा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों, अभिलेखागारों, स्वैच्छिक संगठनों और संरक्षण का कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है

ई-मेल : archives@nic.in

वेबसाइट : www.nationalarchives.nic.in

ऑनलाइन खोज पोर्टल : www.abhilekhpatal.in

पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल कर नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित कार्य करती है: (i) सभी प्रकार की महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्री (रोज़मर्रा की गैर-जरूरी सामग्री को छोड़कर) और राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियों का अधिग्रहण और संरक्षण; (ii) देश के बारे में तमाम मुद्रित सामग्री का संग्रह करना भले ही इस तरह की सामग्री कहीं भी छपी हो; (iii) सामान्य और विशिष्ट (दोनों प्रकार की वर्तमान और पुरानी सामग्री के बारे में ग्रंथ सूचीकरण और प्रलेखन सुविधा; (iv) परामर्श केंद्र के नाते ग्रंथसूची संबंधी तमाम सूचनाओं के तमाम स्रोतों के बारे में में पूर्ण और सही-सही जानकारी हासिल करना ग्रंथसूची संबंधी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना; और (v) अंतरराष्ट्रीय पुस्तक विनिमय केंद्र और देश के भीतर ऋण पर पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले केंद्र की भूमिका निभाना

वेबसाइट: www.nationalliabrary.gov.in

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार को प्रारंभ में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी कोलकाता के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई 1969 से यह पुस्तकालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में कार्य कर रहा है और इसमें मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों और मानविकी से संबंधित विषयों के 7 लाख से अधिक दस्तावेज उपलब्ध हैं यह केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के दस्तावेज समेत भारत के तमाम आधिकारिक दस्तावेजों का भंडारगृह है इसके क्षेत्रीय अध्ययन प्रभाग के पास उपलब्ध पुस्तकों का संकलन अनोखा है जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर पुस्तकों को रखा गया है इसके पास अत्यंत दुर्लभ पुस्तकों का एक संग्रह भी है जिसमें बड़ी संख्या में जीवनियां उपलब्ध हैं केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार केंद्र सरकार के अधिकरियों और पुस्तकालय में देशभर से आने वाले अनुसंधानकर्ताओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता है हाल में इसने भारत सरकार के राजपत्र, कमेटियों और आयोगों की रिपोर्टों का डिजिटाइजेशन किया और इस संग्रह के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग प्रणाली (जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन पुस्तकसूची) भी तैयार की है

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार की नई दिल्ली में दो शाखाएं हैं जिनमें से एक बहावलपुर हाउस के तुलसीसदन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों की है इसमें हिंदी और संविधान में स्वीकृत 21 अन्य भारतीय भाषाओं की 1.8 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं दूसरी शाखा नई दिल्ली में आर.के. पुरम में है जो पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्नातक स्तर तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है

पुस्तकालयों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में राजाराम मोहनराय पुस्तकालय न्यास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर रज़ा पुस्तकालय और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी शामिल हैं

वेबसाइट: www.CSI.nic.in

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के जीवन और समय के बारे में

एक संग्रहालय; अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग; एक पुस्तकालय (जिसे देश में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालयों में प्रमुख माना जाता है); मौखिक इतिहास प्रभाग; पांडुलिपि प्रभाग; समसामयिक अध्ययन केंद्र; तारामंडल और बच्चों और युवाओं के लिए नेहरू अधिगम केंद्र शामिल हैं इसका अभिलेखागार व्यक्तियों और संस्थानों के निजी दस्तावेजों का सबसे बड़ा संग्रह है जिनमें से अधिकांश स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित हैं भारत के आधुनिक और समसामयिक इतिहास के इस विशाल भंडार का उपयोग दुनियाभर के विद्वान और शिक्षाविद् अपने अनुसंधान कार्य में करते हैं

समसामयिक अध्ययन केंद्र फेलोशिप कार्यक्रम संचालित करता है (32 फेलो) जिसका अकादमिक जगत में बड़ा नाम है यह नियमित रूप से व्याख्यानों, सम्मेलनों, पुस्तक चर्चाओं, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं आदि का भी आयोजन करता है प्रकाशन विभाग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जाने-माने विद्वानों की रचनाओं और सम्मेलनों व संगोष्ठियों की कार्रवाई पर आधारित सामग्री का प्रकाशन करता है इसके अलावा यह ऑकिजनल पेपर्स नाम की एक अनुसंधान श्रृंखला का भी प्रकाशन करता है

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का तारामंडल दिल्ली क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है स्कूली बच्चों, कॉलेज के विद्यार्थियों, अध्यापकों और आम जनता समेत हजारों लोग रोजाना इसे देखने आते हैं और खगोलविज्ञान तथा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करते हैं

वेबसाइट: www.nehrumemorial.nic.in

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान दिए जाने के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में संस्कृति मंत्रालय ने 2012 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया इसे जो जिम्मेदारियां सौंपी गई वे हैं- भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के आदर्श पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तकालयों की गुणवत्ता और संख्यात्मक दृष्टि से सर्वेक्षण, और क्षमता निर्माण करना

भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का उद्देश्य भारत से संबंधित सूचनाओं और भारत में उत्पन्न सूचनाओं के बारे में ओपन एक्स से आधार पर डिजिटल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना है

निष्पादन कला

संस्कृति मंत्रालय का निष्पादन कला प्रभाग निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करता है :

निष्पादन कला अनुदान योजना *(कलाकार मंडली अनुदान)*

यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय की प्रमुख और प्रतिष्ठित योजना है इसके अतर्गत नाट्य मंडलियों, रंग मंडलियों, संगीत मंडलियों, बाल रंगटोलियों और विभिन्न प्रकार की निष्पादन कला विधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है रिपर्टरी ग्रांट (कलाकार मंडली) के तहत एक वित्तीय वर्ष में पूरे साल के लिए किसी सांस्कृतिक संगठन के एक गुरु/निर्देशक के अधीन अधिकतम 25 शिष्यों/ कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है प्रत्येक गुरु/निर्देशक के लिए वित्तीय सहायता की वर्तमान राशि 10,000 रुपये मासिक है

राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों के लिए योजना

देशभर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहन देने और उनकी मदद के लिए अनुदान सहायता दी जाती है यह ऐसे संगठनों को दी जाती है जिनका उचित तरीके से गठित प्रबंधन संगठन हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जिनका स्वरूप अखिल भारतीय हो, जो पूरे भारत में कार्य करते हों, जिनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों और जिन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में पिछले पांच साल में से तीन साल एक करोड़ रुपये या इससे अधिक ख़र्च किया हो इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि एक करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक हो सकती है अनुदान सहायता दो किस्तों में दी जाती है और ये किस्तें स्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बराबर होती हैं इस योजना का पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट:

http:/www.indiaculture.nic.in/scheme-financialassistance-culture-organisations-national-presence पर उपलब्ध है

भवन अनुदान सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले सांस्कृतिक संगठनों को सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थलों जैसे- ऑडीटोरियम, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कलाकारों को रिहर्सल और अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जगह तथा उपकरणों की खरीद में मदद करना है स्टूडियो थियेटर भी इस योजना का घटक है जिसके अंतर्गत थियेटर और अन्य निष्पादन कलाओं के लिए जगह उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है सहायता राशि महानगरों में कुल लागत के 60 प्रतिशत के बराबर होती है (महानगरों में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है जबकि अन्य स्थानों पर यह 25 लाख रुपये है) योजना का पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in/Scheme-building-grants-including-studio-theatres पर उपलब्ध है

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना पूर्ववर्ती बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर योजना का संशोधित और सुधरा हुआ रूप है गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती पर इसे नया नाम दिया गया इसके अंतर्गत अलग आकार के नये सांस्कृतिक परिसर बनाने और टैगोर जन्मशताब्दी के सिलसिले में 1960 और 1970 के दशक में देश के विभिन्न भागों में बनाए गए टैगोर ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण, मरम्मत और उच्चाकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है यह योजना राज्य सरकारों, राज्यों द्वारा प्रायोजित संगठनों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य संगठनों तथा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम न करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों के लिए खुली हुई है इसका पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in/scheme-tagore-culturals Complexes पर उपलब्ध है

कलाकारों को पेंशन और चिकित्सा सहायता देने की योजना

इस योजना के तहत जरूरतमंद कलाकारों और कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पारंपरिक विधाओं के विद्वानों को वित्तीय सहायता दी जाती है सहायता प्राप्त करने वाले की आमदनी उसके जीवनसाथी की आमदनी समेत 4,000 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उम्र भी 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में यह शर्त लागू नहीं होती) इस योजना के अंतर्गत आने वाले कलाकारों को केंद्र-राज्य कोटा के तहत साझेदारी आधार पर मासिक भत्ता दिया जाता है केंद्र और राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन दोनों ही इसमें अंशदान करते हैं जिसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों का हिस्सा/प्रति लाभार्थी कम से कम 500 रुपये मासिक होना जरूरी है ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला अंशदान 3,500 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस योजना के बारे में पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट: www.indiaCulture.nic.in/artists-pension-Scheme-and-welfare-fund पर उपलब्ध है

फेलोशिप और वजीफा योजना

(1) **संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने की योजना** *:* विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को कनिष्ठ (25 से 40 वर्ष) और वरिष्ठ (40 वर्ष से अधिक) फेलोशिप प्रदान की जाती हैं ये फेलोशिप्स दो साल के लिए होती हैं और इनके अंतर्गत कनिष्ठा अध्येता को 10,000 रुपये और वरिष्ठ अध्येता को 20,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अध्येताओं का चयन करती है इस तरह की 400 फैलोशिप्स (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) दी जाती हैं

(2) **विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना** *:* इस योजना के अंतर्गत 18 से 25 साल तक के उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, माइम, दृश्य कलाओं, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं और उप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र

में भारत के भीतर उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है चुने गए उम्मीदवारों को दो साल तक 5,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है इसके लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और खासतौर पर गठित विशेषज्ञ समिति उम्मीदवारों में से चयन करती है किसी एक बैच वर्ष में 400 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं

निर्माण अनुदान योजना : इस योजना के अंतर्गत मुनाफे के उद्देश्य से काम न करने वाले सभी संगठन, एनजीओ, सोसाइटियां, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और व्यक्ति आते हैं यह अनुदान संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अनुसंधान कार्यशालाओं, समारोहों, प्रदर्शनियों, विचार गाष्ठियों, नृत्य, संगीत, रंगमंच की प्रस्तुतियों और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर छोटी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिया जाता है अनुदान पाने के लिए जरूरी है कि संगठन कार्यरत हो और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1960 का xxiवां), ट्रस्ट्स अधिनियम, कंपनी अधिनियम या राज्यों और केंद्रों के किसी भी अन्य अधिनियम के तहत कम से कम तीन साल से पंजीकृत हो लेकिन योजना के तहत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए इससे छूट है योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है

टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप योजना

यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और देश की अन्य चिह्नित सांस्कृतिक संस्थाओं में नयी जान फूंकने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि विद्वानों/अकादमिक विशेषज्ञों को पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संगठनों से जुड़ने को प्रेरित किया जा सके संस्थाओं को ज्ञान की नयी पूंजी से समृद्ध करने के लिए योजना के तहत विद्वानों/ अकादमिक विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना और अनुसंधान कार्य के लिए संस्थाओं के किसी खास संसाधन का चयन करेंगे जो इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य से संबंधित हैं यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे उनमें नयी सृजन शक्ति और अकादमिक उत्कृष्टता का संचार होगा

यह योजना भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों ही के लिए खुली है विदेशियों का अनुपात साल में दिए जाने वाले फैलोशिप्स की कुल संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगा टैगोर फैलो को 80,000 रुपये मासिक अध्येतावृत्ति और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है जबकि टैगोर स्कॉलरों को 50,000 रुपये मासिक मानदेय और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है

गांधी धरोहर स्थल

2006 में भारत सरकार ने श्री गोपाल कृष्ण गांधी की अध्यक्षता में गांधी धरोहर स्थल पैनल का गठन किया था इस पैनल की सिफारिश पर 2013 में गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 साल नियत किया गया इसके लिए कुल 42 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया गया मिशन की अवधि मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है मिशन को 39 मुख्य स्थलों के साथ ही मास्टर सूची के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के परिरक्षण का दायित्व सौंपा गया है (मास्टर सूची में ऐसे 2,000 स्थान शामिल हैं जहां गांधीजी गए थे) इसके साथ ही मिशन संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशन करेगा और इसमें मदद देगा गांधीजी से जुड़ी मूर्त, साहित्यिक और चाक्षुष धरोहरों के डेटाबेस के निर्माण में भी मिशन सहायता देगा

गांधी स्मृति और दर्शन समिति

गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन 1984 में राजघाट स्थित गांधी स्मृति के विलय से एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता से कार्य करती है भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकी गतिविधियों में दिशानिर्देश के लिए इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं समिति का मूल लक्ष्य और उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार-प्रसार करना है इसके दो परिसर हैं:

गांधी स्मृति वह स्थान है जहां महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम 144 दिन रहे और जहां 30 जनवरी, 1948 को उनके महान जीवन का अंत हुआ वे जिस स्थान पर हत्यारे की गोलियों का शिकार हुए थे इस

स्थान पर बना शहीद स्तंभ भारत के लंबे स्वाधीनता संग्राम की तमाम पीड़ाओं और बलिदान को साकार करता खड़ा है गांधी स्मृति में उनके फोटोग्राफ, मूर्तिशिल्प , पेंटिंग्ज, भित्ति चित्र, प्रस्तर चित्र और यहां पर प्रवास के वर्षों के उनके स्मृतिचिह्न प्रदर्शित किए गए हैं गांधीजी के सादा व्यक्तिगत जीवन की मामूली वस्तुओं को भी यहां बड़ी सावधानी से सहेज कर रखा गया है

गांधी दर्शन वह दूसरा परिसर है जो राजघाट में गांधीजी की समाधि से सटा हुआ है 36 एकड़ में फैला यह विस्तृत परिसर महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी पर बनाया गया था इस अवसर की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय गांधी दर्शन प्रदर्शनी भी लगाई गई थी इस समय केंद्र में गांधीजी पर विस्तृत प्रदर्शनी, सम्मेलन कक्ष, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए शिविर की सुविधा, एक पुस्तकालय, निवासी विद्वानों के लिए हॉस्टल, बच्चों का कोना, फोटो यूनिट और प्रकाशन प्रभाग है

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) का गठन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के विकास पर लगातार ध्यान देने के लिए 4 मई, 2012 को एक अधिसूचना के जरिए किया भारत के राष्ट्रपति ने 3 फरवरी, 2014 को राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की शुरुआत की 12वीं योजना में इसके लिए कुल 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

राष्ट्रीय पुस्तक मिशन की सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- भारत की नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का सृजन (एनवीएलआई)
- एनएमएल मॉडल लाइब्रेरीज की स्थापना
- पुस्तकालयों का गुणात्मक और संख्यात्मक सर्वेक्षण
- क्षमता निर्माण

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35 राज्य पुस्तकालय, 35 जिला पुस्तकालय और 6 अन्य पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के दायरे में आएंगे भारत की नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी का उद्देश्य भारत के बारे में सूचनाओं के डिजिटल संसाधनों और भारत में सृजित सूचनाओं के ओपन एक्सेस एनवायर्नमेंट वाले विस्तृत डेटाबेस के निर्माण में मदद करना है

पुस्तकालयों के संख्यात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण के तहत भारत के 5,000 पुस्तकालयों के बारे में बुनियादी डाटा जुटाया जाएगा पुस्तकालय कर्मियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण का कार्य भी किया जाएगा

पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन स्थलों का समग्र विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है इसमें विभिन्न एजेंसियों जैसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और पर्यटन उद्योग से संबंध रखने वाले अन्य संगठनों के बीच तालमेल कायम करके सामूहिक प्रयास से बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, इंटरप्रेटेशन केंद्रों आर कौशल विकास केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है इस दिशा में एक कदम के रूप में हाल में 'एडोप्ट ए हैरिटेज' यानी किसी धरोहर स्थल की जिम्मेदारी लेने की परियोजना प्रारंभ की गई है इस तरह के धरोहर स्थलों को सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और व्यक्तियों को सौंपा जा रहा है ताकि वे परियोजना के तहत 'स्मारक मित्र' बनकर वहां पर्यटकों के लिए सभी सुख-सुविधाएं जुटा सकें

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है इस प्रकिया में मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से परामर्श और सहयोग करती है पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन और बहुत से देशों में विदेशी मुद्रा की आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत है और इन देशों में भारत भी शामिल है इसमें बड़े पैमाने पर और विभिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर पैदा करने की बड़ी क्षमता है और रोज़गार के ये अवसर अत्यधिक विशेषज्ञता वाले से लेकर अकुशल किस्म के भी होते हैं इसलिए ये रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं पर्यटन समता

के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसमें मदद करना है पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास, वीजा संबंधी कायदे-कानूनों को सरल बनाना, पर्यटन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, मानकों का आश्वासन देश को पूरे साल पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और पर्यटन का चिरस्थायी विकास आदि भी पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारियों में शामिल है

वेबसाइट: www.tourism.gov.in

विशेष पर्यटन क्षेत्र

विशेष प्रयोजन से गठित कंपनियों (एस.पी.वी.) का गठन कर राज्यों के सहयोग से विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ परामर्श करके नये कार्यक्रमों पर अमल के दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं और इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं

विदेशी पर्यटकों का आगमन

विशेष पर्यटकों का आगमन (एफ.टी.ए.) वर्ष 2017 के दौरान 10.18 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत पर आए जो पिछले साल की इसी अवधि में आए पर्यटकों की संख्या में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है 2016 में 8.8 लाख पर्यटक भारत आए और 2015 के मुकाबले पर्यटकों की संख्या में 9.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी 2016 में भारत यात्रा करने वाले प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई) की संख्या 5.77 लाख रही थी जो 2015 में भारत यात्रा करने वाले प्रवासी भारतीयों की तुलना में 9.7 प्रतिशत अधिक है अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या में भारत यात्रा पर आए विदेशी पर्यटक और प्रवासी भारतीय दोनों ही शामिल हैं

विदेशी मुद्रा की आय

2017 में पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय 1,80,379 करोड़ रुपये रही जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में हुई आय की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है 2016 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय रुपये 1,54,146 करोड़ रुपये रही और इसमें 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई

ई-वीजा सुविधा

विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा प्रणाली एक पूर्व-शर्त है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पहल कर रही हैं दिसंबर 2016 तक ई-वीजा सुविधा तीन श्रेणियों के तहत उपलब्ध हो चुकी थी इनके नाम हैं: ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा और ई-मेडिकल वीजा ई-वीजा सुविधा का विस्तार 163 देशों के नागरिकों के लिए कर दिया गया है

चौबीसों घंटे और सातों दिन बहुभाषी टूरिस्ट इंफो लाइन

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों/आगंतुकों को यात्रा और पर्यटन के बारे में सूचना उपलब्ध कराने और भारत में यात्रा करते समय सलाह देकर मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे बहुभाषी टूरिस्ट इंफो लाइन सेवा उपलब्ध कराती है भारत में रहते पर्यटकों द्वारा की गई कॉल्स (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू) निःशुल्क होती हैं यह सेवा टेलीफोन नं. 1800 111 363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर उपलब्ध रहेगी जिन अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में यह सेवा उपलब्ध है उनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियन, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं

विशिष्ट उत्पाद

भारत पहुंचने वाले लोगों में बांटने के लिए आप्रवास काउंटर पर प्रवास को अधिक सुरक्षित और आरामदेह

बनाने की कुछ हिदायतों वाले स्वागत कार्ड शुरू किए गए पर्यटन की मौसम पर निर्भरता संबंधी पहलू एक चुनौती है पर्यटन मंत्रालय ने देश के विशिष्ट पर्यटन उत्पादकों की पहचान करने, इनमें विविधता लाने, इनका विकास करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए पहल की है ऐसा मौसम पर निर्भरता उबरने और भारत को साल के सभी 365 दिन को गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, विशेष रुचियों वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और अनोखे पर्यटक उत्पादों की वजह से अपेक्षाकृत लाभप्रद भारत में पर्यटकों फिर से आने को लुभाने के लिए किया जाता है पर्यटन मंत्रालय ने जिन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की है उनमें शामिल हैं: क्रूज पर्यटन, एडवेंचर (साहसिक), मेडिकल (चिकित्सा), वैलनेस (आरोग्य), गोल्फ, पोलो, बैठक-प्रोत्साहन-सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई), इको-टूरिज्म, फिल्म पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन

राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन बोर्ड

राष्ट्रीय चिकित्सक और आरोग्य पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है जो भारत में चिकित्सा पर्यटन का संचालन और संवर्धन करने वाले छात्र संगठन के रूप में कार्य करेगा

आतिथ्य शिक्षा

आतिथ्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति का ढांचा खड़ा करना एक चुनौती है पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि आवश्यक बुनियादी ढांचे की सहायता से प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की ऐसी प्रणाली तैयार की जाए जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं को गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से पूरा कर सके इस समय देश में 42 होटल प्रबंधन संस्थान हैं जिनमें से 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान हैं और 10 पाक कला संस्थान (फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट) हैं जो मंत्रालय की मदद से बने हैं इनका गठन स्वायत्त समिति के रूप में आतिथ्य शिक्षा देने/आतिथ्य कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए किया गया जहां होटल प्रबंधन संस्थान डिग्री स्तर की आतिथ्य शिक्षा प्रदान करते हैं वहीं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कौशल स्तर की शिक्षा देते हैं राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद होटल प्रबंधन संस्थानों और भोजन कला संस्थानों के शैक्षिक प्रयासों को दिशा देते हैं और विनियमित करते हैं

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है और भुवनेश्वर, नेल्लौर, नोएडा और गोवा में इसके केंद्र हैं भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान यात्रा और पर्यटन शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है जो पर्यटन और यात्रा उद्योग के लिए विशेषज्ञता पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है

भारतीय पाक कला संस्थान

भारतीय पाक कला संस्थान की स्थापना पर्यटन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति में की है यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है इसका शैक्षिक सत्र 2016 से प्रारंभ हुआ मंत्रालय ने नोएडा में इसकी उत्तरी शाखा खोलकर संस्थान का विस्तार किया है

अतुल्य भारत

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाज़ारों में 'अतुल्य भारत' इंक्रेडिबल इंडिया के नारे के साथ प्रचार अभियान चलाता है इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आगमन हो और घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़े विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के जरिए महत्वपूर्ण और संभावित बाज़ारों में कई तरह की प्रोत्साहन गतिविधियां संचालित की जाती हैं इसी तरह के प्रयास घरेलू भारत पर्यटन कार्यालय देश के भीतर करते हैं इनका उद्देश्य देश की पर्यटन क्षमता को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के समक्ष उजागर करना है

अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन अभियान

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान की विश्वव्यापी शुरुआत की गई मंत्रालय ने इसका शुभारंभ प्रमुख टेलीविजन चैनलों जैसे- सीएनएन, बीबीसी, डिस्कवरी और टीएलसी, यूरो न्यूज, हिस्ट्री, सीएनबीसी, ट्रैवल चैनल, सीबीएस (अमरीका), ताबी (जापान), आरएमसी (फ्रांस) और गूगल के जरिए किया राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक व खान-पान संबंधी विविधता से देशवासियों को अवगत कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर किया

पूर्वोत्तर भारत

मंत्रालय भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को अपने अनेक मीडिया प्रचार अभियानों के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है मंत्रालय ने डिस्कवरी चैनल के सहयोग से पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'गो नॉर्थईस्ट' नाम की डॉक्यूमेंटरी शृंखला तैयार की है पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय के दो प्रमुख योजनागत कार्यक्रम हैं इनमें से 'स्वदेश दर्शन थीम' यानी किसी खास विषय पर आधारित पर्यटन सर्किटों के समन्वित विकास के लिए है जबकि 'प्रसाद' नाम का दूसरा कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थानों और धरोहर स्थलों समेत देश में पर्यटन के आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति का अभियान है

स्वदेश दर्शन योजना

स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित ऐसे पर्यटन सर्किटों (भ्रमण पथ) के विकास के लिए की गई है जिसमें पर्यटकों की अधिकतम सुविधा, प्रतिस्पर्धात्मकता और निरंतरता के सिद्धांतों पर अमल करते हुए सभी संबद्ध पक्षों के सरोकारों का ध्यान रखते हुए उनके प्रयासों को समन्वित करने पर जोर दिया गया है, ताकि पर्यटकों के सुखद अनुभवों में वृद्धि हो और पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़े योजना के अंतर्गत थीम पर आधारित 13 पर्यटन सर्किटों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है जिनके नाम हैं: उत्तर-पूर्वी भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, समुद्र तटवर्ती सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थलीय सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मक सर्किट, रामायण सर्किट और धरोहर सर्किट

प्रासाद योजना

तीर्थयात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्रासाद योजना के अंतर्गत धार्मिक महत्व के 25 स्थलों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है ये हैं: अमरावती (आंध्र प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), अयोध्या (उत्तर प्रदेश), बदरीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), देवघर (झारखंड), बेलूर (पश्चिम बंगाल), गया (बिहार), गुरुवयूर (केरल), हजरतबल (जम्मू-कश्मीर), कामाख्या (असम), कांचीपुरम (तमिलनाडु), कटरा (जम्मू-कश्मीर), केदारनाथ (उत्तराखंड), मथुरा (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), पुरी (ओडिशा), श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), सोमनाथ (गुजरात), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), त्रयंबकेश्वर (महाराष्ट्र), उज्जैन (मध्य प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और वेल्लांकणी (तमिलनाडु)

इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल एप

भारत को आध्यात्म, धरोहर, साहसिक, सांस्कृतिक, योग और आरोग्य तथा इसी तरह के विभिन्न अनुभव देने वाले समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल एप' जारी किया गया इसे आधुनिक पर्यटकों की रुचियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के रुझान तथा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है इस एप में भारत यात्रा के प्रत्येक चरण में पर्यटकों की मदद के लिए व्यवस्था की गई है

इंडिया टूरिज्म मार्ट *2018*

पहले इंडियन टूरिज्म मार्ट-2018 का आयोजन नई दिल्ली में फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स इन टूरिज्म एंड

हॉस्पीटेलिटी (एफएआइटीएफ यानी पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योगो की एसोसिएशनों के परिसंघ) ने राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के सहयोग से किया इसने पर्यटन से जुड़े विभिन्न पक्षों को विदेशी खरीदारों के साथ एक ही स्थान पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया

पर्यटन न्यूजलेटर

पर्यटन मंत्रालय सितंबर 2016 से त्रैमासिक पर्यटन समाचार-पत्र (न्यूजलेटर) भी प्रकाशित कर रहा हैं जिसमें पर्यटन मंत्रालय की गतिविधियों और उपलब्धियों को दर्शाया जाता है

स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 आदर्श संपर्क स्मारकों के लिए संचालित स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप को अब विंडोज फोन और आई-फोन पर भी उपलब्ध करा दिया गया है इससे पहले यह केवल एंड्रोइड पर उपलब्ध था पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई इस मोबाइल एप की निगरानी करती है पर्यटन मंत्रालय ने ई-वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों को यहां पहुंचने पर प्री-लोडेड सिम कार्ड उपलब्ध कराने की एक योजना की शुरुआत 2017 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से की इसके अंतर्गत बीएसएनएल ई-वीजा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्री-लोडेड सिम कार्ड वितरित करता है प्रारंभ में यह सुविधा ई-वीजा की सुविधा वाले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (टी-3 टर्मिनल) पर उपलब्ध थी और बाद में बाकी 15 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों में भी इसकी शुरुआत कर दी गई इस पहल का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को टेलीफोन संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने परिवार और परिजनों से संपर्क बनाए रख सकें साथ ही इससे वे मुसीबत के वक्त या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में पर्यटन मंत्रालय की सप्ताह में चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली बहुभाषिक निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा से सहायता और दिशानिर्देश प्राप्त कर सकें

6 मूल आर्थिक आंकड़े



वर्ष 1999 में सांख्यिकीय विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का आपस में विलय करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया मंत्रालय के दो खंड हैं: पहला सांख्यिकीय विषयक है और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है राष्ट्रीय संगठन (एनएसएसओ) आते हैं

कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के तीन प्रभाग हैं: (i) बीस सूत्रीय कार्यक्रम (ii) अवसंरचना एवं परियोजना अनुरक्षण (निगरानी) तथा (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इन तीन प्रभागों के अतिरिक्त भारत सरकार के संकल्प (एमओएसपीआई) के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) तथा एक स्वायत्त संस्थान भी है, अर्थात भारतीय सांख्यिकीय संस्थान; जिसे संसद द्वारा अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है

वेबसाइट: www.mospi.nic.in

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन

भारत सरकार ने 01 जून, 2005 को पारित एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएससी) की स्थापना का निर्णय लिया था एनएससी की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा उस रंगराजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद की गयी थी जिसने वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा की थी देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय एवं प्राधिकृत निकाय के रूप में कार्य करने वाली संस्था के तौर पर सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों का निर्धारण, निगरानी एवं प्रवर्तन करने और सांख्यिकीय समन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2006 में एनएससी का शुरुआती गठन किया गया था एनएससी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विभिन्न सांख्यिकीय विधाओं के विशेषज्ञ होते हैं इसके अतिरिक्त नीति आयोग के सचिव इस आयोग के अवैतनिक सदस्य होते हैं भारत के मुख्य सांख्यिकीयविद् ही इस आयोग के सचिव होते हैं

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) मंत्रालय का ही एक संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वयन करता है और सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण करता है इसके अलावा राष्ट्रीय आंकड़ों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी / ग्रामीण / संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास आंकड़े, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिंग आधारित आंकड़े भी सन्निहित हैं, से जुड़े क्रियाकलाप भी इस कार्यालय के जिम्मे हैं साथ ही यह कार्यालय ऊर्जा (बिजली) संबंधी, सामाजिक एवं पर्यावरण विषयक आंकड़ों का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भी तैयार करता है

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने जनवरी 2011 से देश के ग्रामीण और शहरी तथा संयुक्त रूप से दोनों के लिए (ग्रामीण+शहरी) अल्पकालिक आधार पर मूल्य तुलना हेतु अलग-अलग राज्य वार/केंद्रशासित प्रदेश वार अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक जारी करने शुरू कर दिए थे इनके लिए आधार वर्ष 2010 था तदनुसार इन सूचकांकों के आधार पर जनवरी 2012 से हर वर्ष वार्षिक मुद्रास्फीति के आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं सीएसओ ने सीपीआई के लिए आधार वर्ष को 2010 से बदल कर 2012 कर दिया है और संशोधित श्रृंखला जनवरी 2015 में शुरू की गई

संशोधित श्रृंखला के पहले वाली श्रृंखलाएं भी प्रयोगकताओं को उपलब्ध कराइ गईं ये सभी जानकारियां इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती हैं

वास्तविक आय और सकल राष्ट्रीय आय

वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आधारित प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय अर्थात प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2016-17 की संशोधित अनुमानित आय 82,229 रुपये की तुलना में 86,668 रुपये रही यह वर्ष 2017-18 में प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक है वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिव्यक्ति लगभग 1,12,835 रुपये आय का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित आय से 8.6 प्रतिशत अधिक है

राष्ट्रीय आय

मई 2018 में जारी 2017-18 की राष्ट्रीय आय के लिए जारी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार (2011-12 के) स्थिर मूल्यों पर 2017-18 हेतु जीडीपी 1,30.1 लाख रुपये रहा जबकि जनवरी 2018 में वर्ष 2016-17 के लिए जारी संशोधित आकड़ों के अनुसार यह 1,21.9 लाख करोड़ रुपये था वर्ष 2017-18 में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2016-17 में विकास दर 7.1 प्रतिशत थी

सेवा क्षेत्र

आंकड़ों के अनुसार आधारभूत मूल्यों (वर्तमान मूल्यों पर) भारत में सेवा क्षेत्र के अंशधारण का सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) वर्ष 2011-12 के 49 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 53.9 प्रतिशत हो गया इसमें निर्माण क्षेत्र को शामिल कर लेने से यह अंशधारण वर्ष 2017-18 में बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो जाता है विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों में 20.8 प्रतिशत अंशधारिता के साथ एक समूह के रूप में वित्तीय, भू-संपत्ति क्षेत्र और व्यावसायिक सेवाएं जीवीए में सबसे बड़े अंशदाता हैं व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण क्षेत्र इसके बाद आते हैं जिनकी अंशधारिता 18.5 प्रतिशत है लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं की अंशधारिता 14.5 प्रतिशत है

2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2017-18 में सेवा क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि 2016-17 में यह 7.5 प्रतिशत रही इस क्षेत्र की विकास दर 7.1 प्रतिशत की समग्र जीवीए वृद्धि से कहीं अधिक है और क्रमशः 2016-17 एवं 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर 6.5 प्रतिशत है

2016-17 में सेवा क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर 1.632 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया वहीं यह इससे पहले वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16 के 1.545 खरब अमरीकी डॉलर के निर्यात से 2016-17 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है वहीं दूसरी ओर 2015-16 और 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर क्रमशः 9.57 अरब अमरीकी डॉलर और 8.48 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य की सेवाओं का आयात किया गया यह 2016 -17 में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है यह सेवाओं के आयात के क्षेत्र में 2015-16 के -9.1 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 2016-17 में -3.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दिखाता है वर्ष 2016-17 में भारत के वस्तुओं के कुल व्यापार घाटे का लगभग 63.3 प्रतिशत सेवाओं के सकल आयात में हुआ वित्त पोषण है

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) भारत में औद्योगिक सांख्यिकीय जानने का प्रमुख स्रोत है इसके माध्यम से निर्माण प्रक्रिया, टूट-फूट मरम्मत सेवाओं, विदुयत उत्पादन, पारेषण इत्यादि, गैस एवं जलापूर्ति और शीत भंडारण में लगे हुए संगठित क्षेत्र के उद्योगों की संरचना और आकार, विकास में आए बदलावों के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से एवं वास्तविक रूप से सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं

एएसआई पूरे देश के लिए है इसके तत्वावधान में कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2 (एम) (1) और 2 (एम) (11) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने आते हैं जबकि निर्माण प्रक्रिया को इसी अधिनियम के अनुच्छेद 2 (के) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है सर्वेक्षण में बीड़ी और सिगार निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान भी हैं जिनको बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के

अंतर्गत पंजीकृत किया गया है ऐसे सभी विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण उपक्रम, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत नहीं हैं, एएसआई भी के अंतर्गत आते हैं

हालांकि रक्षा उद्यमों, तेल भंडारण और वितरण डिपुओं, रेलवे कार्यशालाएं आरटीसी कार्यशालाएं, सरकारी टकसालें, स्वच्छता उपकरण, जल आपूर्ति इत्यादि को सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है एएसआई के सर्वेक्षण का दायरा कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2 (एम) (1) और 2 (एम) (11) और बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 से आगे बढ़ा दिया गया है

इसके तत्वावधान में शुरुआत के तौर पर इसमें 100 या उससे अधिक श्रमिकों वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयां, जो कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2 (एम) (1) और 2 (एम) (11) के अंतर्गत अभी तक पंजीकृत नहीं हैं लेकिन इनमें से सात अन्य कानूनों/परिषदों/प्राधिकरणो ं अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956; फैक्ट्री अधिनियम, 1948, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र) के प्रतिष्ठान व्यवसाय पंजिका (बीआरई) में दर्ज हैं, को शामिल किया गया है ऐसी इकाइयों को आंध्र प्रदेश की बीआरई से एएसआई 2014-15 में तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान की बीआरई से एएसआई 2015-16 में शामिल किया गया है

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (स्पेशयल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स) के अनुरूप हर महीने औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) जारी किया जाता है जो अगले 06 सप्ताहों के लिए होता है आईआईपी का आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर 2011-12 किया गया और नई श्रृंखला मई 2017 में शुरू की गई यह सूचकांक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्थापित 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए तैयार किया जाता है तीन क्षेत्रों अर्थात खनन, निर्माण (उत्पादन) और विद्युत में सूचकांक के अलग-अलग आंकड़ों के अतिरिक्त प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत सामानों, मध्यवर्ती वस्तुओं, अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं, स्थाई उपभोक्ता वस्तुओं एवं जल्दी नष्ट हो जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुरूप आकड़े भी साथ-साथ ही जारी किए जाते हैं पहले-पहल मिले आंकड़ों को एक महीने बाद इन 14 एजेंसियों से उत्पादन के संशोधित आंकड़े मिलने के बाद पहले संशोधन के रूप में जारी किया जाता है फिर पहले संशोधन के दो महीने बाद इन आंकड़ों को दुबारा संशोधित किया जाता है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आईआईपी के आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है जो पूरे आईआईपी के लिए 407 में से 322 आंकड़े उपलब्ध कराकर कुल आंकड़ों का 47.5 प्रतिशत देता है

जुलाई 2018 तक आईआईपी के अंतर्गत वास्तविक निर्गमन कैलेंडर (तिथिपत्र) के अनुरूप मई 2018 तक के सूचकांक जारी कर दिए गए हैं 2016-17 की 4.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2017-18 में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है इस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र में 2016-17 की 5.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई खनन और निर्माण क्षेत्र में 2016-17 की क्रमशः 5.3 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2017-18 में क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है

उपयोग आधारित वस्तुओं के वर्ग में प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत सामानों,मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं के क्षेत्र में 2017-18 के दौरान क्रमशः 3.7 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2016-17 में यही वृद्धि दर क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत रही थी स्थायी उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में 2017-18 की अवधि में वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत रही जबकि 2016-17 में यह दर 2.9 प्रतिशत थी वहीं जल्दी नष्ट होने वाले उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर थी जबकि 2016-17 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि रही

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न विषयों के लिए व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाने हेतु उत्तरदायी है सांख्यिकीय अधिनियम एवं उपक्रम सर्वेक्षण नियमावली के अंतर्गत आर्थिक जनगणना के तारतम्य में अनुवर्ती गतिविधि के रूप में पूरे देश में घर-घर जाकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों एवं उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करने के बाद प्राथमिक आंकड़े जुटाए जाते हैं इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त एनएसएसओ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मदों के मूल्यों संबंधी आंकड़े एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए क्षेत्रवार गणना और फसल (उपज) अनुमान सर्वेक्षणों का अध्ययन व परिवीक्षण करके फसल संबंधी सांख्यिकीय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिदर्श तैयार करने के लिए शहरी क्षेत्र एककों की प्रणाली भी संचालित करता है एनएसएसओ उस राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के समग्र दिशानिर्देशों और निगरानी के अंतर्गत अपने सर्वेक्षणों के आधार पर आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और उनके प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के मामले में आवश्यक प्राधिकारों और स्वायत्तता के साथ कार्य करता है जो अपने सर्वेक्षणों के लिए आवश्यक उपकरणों और कार्यविधि को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों वाली तकनीकी समितियों और कार्यदलों की नियुक्ति भी करता है एनएसएसओ के समस्त कार्यकलापों के समग्र समन्वयन और निरीक्षण के लिए महानिदेशक (सर्वेक्षण) उत्तरदायी होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए चार अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं इतने व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण के चार महत्वपूर्ण कारकों की डिजाइनिंग और आयोजना, जमीनी स्तर पर कार्य, आंकड़ा प्रसंस्करण एवं समन्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के प्रभारी होते हैं

मूल्य संबंधी आंकड़ों का संग्रहण

ग्रामीण खुदरा मूल्य संग्रहण संबंधी आंकड़े उन क्षेत्रीय कार्य प्रभागों द्वारा एकत्र किए जाते हैं जो श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रमिक कार्यालय (लेबर ब्यूरो) से नियमित रूप से कृषि श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बनाने के लिए प्राप्त होते हैं वर्तमान में श्रमिक ब्यूरो ही कृषि श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का संकलन करके उसे प्रकाशित करता है खपत के स्वभाव और प्रकार से उपभोक्ता मदों के मूल्यों में आने वाले बदलावों को दर्शाने के लिए वर्ष 1986 में 260 वस्तुओं की आवश्यक वस्तु बास्केट अपनाई गई थी वस्तु बास्केट में शामिल मदों के मूल्य संबंधी आंकड़े प्रत्येक माह 20 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित 603 गांवों/बाजारों से अनुसूची 3.01 (आर) का प्रयोग करते हुए एकत्र किए जाते हैं आरपीसी बुलेटिन, जिसे 'ग्रामीण भारत में मूल्य और दिहाड़ी' भी कहते हैं, का प्रत्येक तिमाही में प्रकाशन किया जाता है, इसमें देशभर के आंकड़े मिलते हैं और दिहाड़ी से जुड़े आंकड़े राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के 26 प्रमुख शहरों के होते हैं

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

वर्ष 1975 में शुरू किए गए बीस सूत्रीय कार्यक्रम को 1982, 1986 और फिर 2006 में पुनर्गठित किया गया 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने और समाज के निर्धन एवं वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों-गरीबी, रोज़गार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय इस कार्यक्रम में शामिल हैं

मूलरूप से इस कार्यक्रम में 20 सूत्र और 66 मदें थीं जिनकी अलग-अलग निगरानी संबंधित विषय देख रहे केंद्रीय मंत्रालय करते थे इन 66 में से 25 की मासिक आधार पर और शेष की वार्षिक आधार पर इस मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती थी इन 25 में से 21 के बारे में आवश्यक सूचनाएं विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से एकत्र की जाती थी और शेष चार की जानकारी संबंधित मंत्रालयों से ली जाती थी 'संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना' इन 66 में से एक ऐसी योजना थी जिसे पहले 2008 से एक अन्य योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' में मिलाया गया और 2009 में इसका नया नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' कर दिया गया 2014 से आंकड़े हर तिमाही में एकत्र किए जाते हैं और मासिक निगरानी के स्थान पर तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है

वर्तमान में शेष 65 में से 19 योजनाओं की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जा रही है वर्तमान की

केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी में प्रखंड स्तर की निगरानी को जोड़कर टीपीपी -2006 के निगरानी कार्यतंत्र को विस्तृत किया गया है

निगरानी कार्यतंत्र

कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करने का प्राथमिक दायित्व उसे लागू करने वाली एजेंसी का है जो इस मामले में राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालय होते हैं सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय टीपीपी-2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन प्रतिवेदनों के विवेचन से करता है मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों त्वरित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की है

टीपीपी-2006 के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अधिकतर राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों ने टीपीपी-2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों/ योजनाओं कार्य प्रगति की निगरानी के लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित की हैं

निगरानी और प्रभाव का मूल्यांकन

मंत्रालय ने अभी तक दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए हैं पहला अध्ययन पूर्वोत्तर राज्यों के तीन चयनित जिलों में एमजीएनआरईजीए के प्रभाव से संबंधित है जबकि दूसरा अध्ययन दीनदयाल दिव्यांगता पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में किया गया था मंत्रालय ने नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकनों के प्रतिवेदनों की बारीकी से जांच करने का कार्य भी किया है

अवसंरचना निगरानी

देश में प्रमुख और महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की निगरानी की व्यवस्था निर्णय लेने वाले नीति नियंताओं को अब तक हर कार्यों का ब्योरा देने और कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों और रह गई कमियों का समग्र विवरण देने के लिए की गई है यह मंत्रालय ग्यारह प्रमुख अवरचना क्षेत्रों- ऊर्जा (विदुयत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम, सड़कें, रेलवे, पोत परिवहन, पत्तनों (बंदरगाहों), नागर विमानन और दूरसंचार के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा और विवेचना वर्तमान महीने और कुल अवधि के लिए निर्धारित वर्तमान लक्ष्य तथा इससे पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य के तुलनात्मक अध्ययन से की जाती है अवसंरचना कार्य निष्पादन पर मासिक समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अवसंरचनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भेजी जाती है

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) वर्ष 1993 में लागू की गई थी प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया था अक्टूबर 1994 में यह योजना सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई एमपीएलएडी योजना का उद्देश्य सांसदों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी योजनाओं में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देते हुए विकासोन्मुख कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सक्षम बनाना है ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं: स्थानीय आवश्यकताओं की अनुभूति पर आधारित पेयजल सुविधा, शिक्षा, विदुयत सुविधा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई सुविधा, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत, सीवर, रेलवे, सड़कें, खड़ंजे एवं पुल, स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य इत्यादि इस योजना के संचालन एवं प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमावली है योजना के लिए वर्तमान नियमावली 2016 में संशोधित एवं प्रकाशित की गई थी

प्रमुख विशेषताएं:

(i) पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना जिसके अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में कोष सीधे जिला प्रशासन को जारी किया जाता है

(ii) योजना के अंतर्गत जारी किया गया कोष कालातीत नहीं होता अर्थात किसी निर्धारित वित्त वर्ष में यदि स्वीकृत धनराशि जारी नहीं हो पाती तो इसे पात्रता होने की स्थिति में अगले वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है वर्तमान में प्रत्येक सांसद/संसदीय क्षेत्र के लिए 05 करोड़ रुपये वार्षिक की पात्रता है

(iii) योजना के अंतर्गत सांसद की भूमिका कार्यों के लिए प्रस्ताव देना व उनके लिए अनुशंसा करना है उन्हें स्वीकृत करना व कार्यान्वयन के बाद प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है

(iv) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सिफ़ारिश (अनुशंसा) कर सकते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिस राज्य से चुने गए हैं, वहां किसी भी स्थान के लिए सिफ़ारिश कर सकते हैं संसद के लिए नामित सदस्य देश में किसी भी स्थान में कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं

(v) सांसद निधि (एमपीएलएडीएस) कार्य बाढ़, तूफान, ओला वृष्टि, हिमस्खलन (ग्लेशियर खिसकने), बादल फटना, टिड्डी आक्रमण, चक्रवात, भूकंप, सूखा, सुनामी, अग्निकांड जैविक, रासायनिक, परमाणु विकिरण जैसे खतरों के रूप में आई प्राकृतिक आपदा से पीड़ित क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जा सकते हैं

(vi) अनुसूचित जाति/जनजाति वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से सांसद निधि (एमपीएलएडीएस) कोषों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में व 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा

(vii) यदि संसद का निर्वाचित सदस्य इन कोषों का उपयोग अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर जो उस राज्य में है अतः राज्य से बाहर हैं, के लिए आवश्यक समझता है तो इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष के लिए सिफ़ारिश कर सकता है ऐसी सद्भावना से जमीनी स्तर पर जन साधारण में राष्ट्रीय एकता, समरसता और बंधुत्व को प्रोत्साहन मिलेगा

(viii) संसद सदस्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तिपहिया रिक्शा (मोटर चलित रिक्शा सहित), बैटरी चलित व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग तथा नेत्रहीन एवं बधिर दिव्यांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर सकता है

(ix) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका के बारे में दिशानिर्देशों में स्पष्ट विवरण दिए गए हैं

7 वाणिज्य



वाणिज्य विभाग उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है वाणिज्य विभाग को आवश्यकतानुसार उचित अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्यिक नीतियों को बनाने व उनके प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के विनियमन, विकास और संवर्धन के लिए अधिकृत किया गया है विभाग का मूल कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास हेतु उचित वातावरण और आधारभूत ढांचे (अवसंरचना) के निर्माण में सहायता देना है विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का प्रतिपादन, क्रियान्वयन एवं निगरानी करता है जिसके द्वारा निर्यात और व्यापार संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली नीति और कार्यविधि का बुनियादी आधारभूत ढांचा मिलता है इसके अलावा विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुविधा, कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं

वेबसाइट: www.commerce.gov.in

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2020 तक देश को वैश्विक व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों में भारत की अग्रणी भूमिका को उसके बढ़ते महत्व के अनुरूप बनाने हेतु प्रयास करने की सोची है मध्यम अवधि की सोच में भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के 2017-18 तक निर्यात को 2008-09 के स्तर का दुगुना करना और दीर्घावधि की सोच में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को भी दुगुना करने का लक्ष्य है

वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक संकटों ने पूरे संसार को अलग-अलग ढंग से प्रभावित किया जिसमें आर्थिक मंदी और विश्व व्यापार में संकुचन भी आता है हालांकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के हालिया आंकड़े विश्व व्यापार के संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं वर्ष 2017 के लिए विश्व में व्यापारिक माल के लेनदेन में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है इसी वर्ष के लिए पिछला अनुमान 2.4 प्रतिशत था (जीडीपी) व्यापार विनिमय दरों (डब्ल्यूटीओ 2017) के 2.8 प्रतिशत वैश्विक सकल विकास दर के साथ व्यापार वृद्धि को 3.2-3.9 प्रतिशत की सीमा में रखा गया है विश्व व्यापार संगठन की 2017 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 'एशिया और उत्तरी अमरीका' में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है जहां 2016 के कमजोर परिणामों के बाद आयात की स्थिति फिर से सुधर रही है वर्ष 2018 में व्यापार वृद्धि 1.4 से 4.4 प्रतिशत की सीमा में रहते हुए 3.2 प्रतिशत तक रहनी चाहिए क्योंकि अभी वैश्विक सकल विकास दर कमोबेश स्थिर है स्थिति में इस सुधार पर व्यापारिक नीतिगत उपायों, कड़े आर्थिक उपायों, भौगोलिक राजनीतिक तनावों और खर्चीली प्राकृतिक आपदाओं के कारण विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है इस प्रकार यह विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी (आईएमएफ, जनवरी 2018) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर मजबूती आ रही है वैश्विक वित्तीय संकट के कारण 2016 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने सबसे निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर थी उसके भी अब 2018 और 2019 में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है बेहतर हुए बाहरी कारकों, अनुकूल वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हालत सुधरने से सहायता मिलने के कारण इस वर्ष और आने वाले वर्षों में उभरते हुए बाजारों और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है चीन और एशिया के अनेक उभरते हुए क्षेत्रों में विकास में मजबूती बनी हुई है

ध्यान देने योग्य वर्तमान मुद्दे

विकास की इस उत्साहजनक छलांग के बावजूद जहां तक निर्यात क्षेत्र का संबंध है, कई जोखिम के क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर विभाग को ध्यान केंद्रित करना है इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समीक्षा करके उसे मजबूत किया गया है वस्त्र क्षेत्र के दो उपक्षेत्रों, अर्थात तैयार (रेडीमेड) परिधानों और बने-बनाए वस्त्रों के लिए एमईआईएस प्रोत्साहनों को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें 2,743 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित सेवाओं जैसे- व्यवसाय, न्यायिक, लेखा कार्य, वास्तु- कला संबंधी, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), शैक्षणिक, चिकित्सालय, होटल एवं रेस्त्रां के लिए एसईआईएस प्रोत्साहनों को 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है सेवा क्षेत्र के लिए अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि 1,140 करोड़ रुपये होगी प्रतिभूति प्रमाण पत्रों व शेयरों के स्थानांतरण तथा बिक्री पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है तथा स्वयं घोषणा के साथ सीमा शुल्क छूट योजना के अंतर्गत निर्यात उत्पादनों के लिए करमुक्त निवेशों की अनुमति देने के लिए नई न्यासी आधारित स्वयं-सत्यापन योजना शुरू की गई है

जीएसटी के साथ श्रेणीबद्ध करना

निवेशों पर अग्रिम जीएसटी के भुगतान के कारण निर्यातकों की चालू पूंजी फंस जाने के मुद्दे को हल कर लिया गया है अग्रिम अधिकार देने के अंतर्गत 'पूंजीगत सामग्री योजना' (ईपीजीसी) के लिए निर्यात संवर्धन, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयूज) के लिए निर्यातकों को अपने निर्यात हेतु किसी भी प्रकार के जीएसटी के अग्रिम भुगतान के बिना विदेशों के अलावा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से भी निवेश तथा पूंजीगत सामान मंगाने की सुविधा दी गई है इन योजनाओं को चालू करने के लिए अप्रैल 2018 से ई-वॉलेट भी शुरू किया गया है जीएसटी ने भारतीय निर्यात के लिए एक नया नियामक तंत्र तैयार कर दिया है इसने घरेलू कारोबारी कंपनियों के साथ ही निर्यातक कंपनियों की सुविधा के लिए कई नए सकारात्मक बदलाव शुरू किए हैं कंपनियों को अब कम संख्या में करों का भुगतान करना होता है (17 करों के स्थान पर एक जीएसटी), कर की पहले से कम राशि; (जीएसटी से पहले के 25-28 प्रतिशत कराधान के स्थान पर औद्योगिक उत्पादों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी) अधिक कर भारों की तुलना में कम कर का भुगतान

सभी राज्यों में जीएसटी की एक समान दर ने कर भार और अनुपालन लागत को और अधिक घटा दिया है इन बदलावों से लागत में कमी आती है और प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है अतः निर्यात के लिए यह लाभदायक होगा जीएसटी निर्यात का मूल्यांकन शून्य आपूर्ति के रूप में करता है, यह डब्ल्यूटीओ द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है शुरुआत में जीएसटी नियमों के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए किसी भी निवेश का आयात करते समय सभी प्रकार के करों का भुगतान करना होता था और निर्यात के बाद ही करों के रूप में जमा कराए गए धन की वापसी होती थी हालांकि ऐसा करते समय निर्यातकों को अपनी पूंजी के अटक जाने की आशंका बनी रहती थी उनके अनुरोध पर जीएसटी परिषद ने अग्रिम अधिकार-पत्र, ईपीसीजी और 100 प्रतिशत ईओयू योजनाओं का उपयोग करते हुए निवेशों को मंगाते समय जीएसटी के भुगतान में छूट देने की अनुमति दे दी है

राजकीय ई-बाज़ार

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) ने सरकार/लोक उपक्रमों द्वारा खरीदी-बेची गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समर्पित 'ई-बाज़ार' की स्थापना की है यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की ख़रीद एवं आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है इस पोर्टल को अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और अक्टूबर 2016 तक यह पूरी तरह से सक्रिय हो गया था अक्टूबर 2017 में डीजीएसएंडडी को समेट दिया गया है राजकीय ई-बाजार (जीईएम) एक मापन प्रणाली है तथा यह पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी एवं व्यवस्था संचालित होने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की सरलता, कुशलता एवं तीव्रता से आपूर्ति करती है जीईएम आपूर्ति प्रक्रिया की अपनेआप में पूर्ण श्रृंखला है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण से लेकर क्रेता (खरीदार) द्वारा वस्तुओं का चयन, आपूर्ति आदेश बनाना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तुओं सेवाओं की पावती से लेकर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था है 2018 तक 4.44 लाख से अधिक उत्पाद एवं सेवाएं लगभग

71,700 आपूर्तिकर्ता और 16,000 से अधिक क्रेता संगठन जीइएम का अंग बन चुके हैं जीइएम के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2.36 लाख आदेश संसाधित किए जा चुके हैं

व्यापार सुगमीकरण

भारत द्वारा व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए) की संपुष्टि किए जाने के बाद राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण समिति (एनटीएफसी) का गठन किया गया चार कार्य समूहों का गठन (i) अवसंरचना, (ii) न्यायिक विषयों, (iii) पहुंच तथा (iv) समय निर्गमन अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है साथ ही सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण कार्य योजना (एनटीएफएपी) बनाई गई, जिसके द्वारा क्रियान्वयन समय सीमा के अंतर्गत 76 व्यापार सुगमीकरण उपायों की पहचान की गई जिनमें से 51 टीएफए + गतिविधियां हैं टीएफए श्रेणी 'बी' की वस्तुओं के लिए इन उपायों को पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के स्थान पर तीन वर्ष में ही लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं निर्यात की वस्तुओं और सॉफ्टवेयर की निगरानी करने और रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा सभी प्रकार के विवरणों एवं रिटर्नस जमा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत आईटी-आधारित प्रणाली जिसे 'निर्यात आंकड़े संसाधन एवं निगरानी प्रणाली' (ईडीपीएमएस) कहा जाता है सभी 19 समुद्री बंदरगाहों और 17 हवाई मालअड्डों पर सभी प्रवेश बीजकों (बिलों) के लिए 24X7 समयानुसार प्रत्येक दिन और चौबिसों घंटे सीमा शुल्क निकासी सुविधा प्रदान की गई है

आधुनिकतम व्यापार विश्लेषक

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में एक आधुनिकतम व्यापार विश्लेषक की स्थापना की गई है इस नवाचार में व्यापारिक अधिसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त व्यापारिक सूचनाओं एवं भारत के प्रमुख निर्यात बाज़ारों से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों का विश्लेषण करने और उनका संसाधन प्रोसेसिंग करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई की पहचान की व्यवस्था की गई है नए निर्यात बाज़ारों की खोज के अंतर्गत अफ्रीका जैसे विशाल संभावना वाले अभी तक के अल्पज्ञात एवं अछूते बाज़ारों में भारत का निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि न केवल वस्तुओं का व्यापार और निवेश ही बढ़े बल्कि क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य देखरेख एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाई जा सके कृषि उत्पाद संसाधन, उत्पादन, खनन, वस्त्र, उपभोक्ता उत्पाद, आधारभूत संरचना विकास और निर्माण ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र होंगे आसान ऋण सुविधा के माध्यम से परियोजनाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ ही लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों से अधिकाधिक अनुबंध करना

नवीन निर्यात उत्पादों की खोज

अब उन उत्पादों के निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा जो हाल के वर्षों में विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हो गए हैं, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि भारत के निर्यात का 70 प्रतिशत वे उत्पाद हैं जिनकी पूरे विश्व में हो रहे निर्यात में मात्र 30 प्रतिशत अंशधारिता है श्रमसाध्य एवं कृषि, समुद्री उत्पाद, कालीन, चमड़ा, आयुष एवं स्वास्थ्य, वस्त्र और तैयार वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प, नारियल रेशा, पटसन उत्पाद, हीरे, स्वर्ण एवं आभूषण के अतिरिक्त चिकित्सा प्रविधियां व उपकरण, तकनीकी वस्तुएं, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, परियोजना उत्पाद, रक्षा और उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के संभावनायुक्त उत्पाद समूहों पर ध्यान दिया जाएगा

इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात में वृद्धि पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा दीर्घावधि की स्थायी एवं 'खुली' निर्यात नीति खेत से बंदरगाह और हवाईअड्डे तक शीतगृहों और परिवहन-तंत्र सुविधाओं का निर्माण उचित नीति मध्यस्थताओं के माध्यम से जैविक निर्यात को बढ़ावा तथा विश्वसनीय एवं अद्यतन जैविक उत्पाद प्रमाणन एवं मान्यता कार्यक्रमों की शुरुआत

वेब पोर्टल

डीजीएफटी ने आसानी से काम करने वाली और जल्दी सूचना प्रदान करने वाली वेबसाइट शुरू की है इस

वेबसाइट में एक ज्यादा सक्रिय कॉम्पोनेंट है जिससे व्यापारी समुदाय सूचना, शिक्षा, संवाद (आईईसी) और अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं विभाग द्वारा शुरू किए गए भारतीय व्यापार पोर्टल में निर्यात एवं आयात से जुड़ी उपयोगी सूचनाएं डाली जाती हैं इसमें भारतीय वाणिज्य दूतावासों द्वारा अपलोड की गई जानकारी, भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगियों के शुल्क एवं व्यापार आंकड़े, निर्यात बाज़ार रिपोर्टें एवं व्यापार समझौते शामिल हैं

क्षमता निर्माण

निर्यात के लिए नए उद्यमियों का कौशल विकास एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है पिछले दो वर्षों में डीजीएफटी द्वारा लागू 'निर्यात बंधु कार्यक्रम' के अंतर्गत 50,000 से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर स्टार्टअप इंडिया एवं कौशल भारत (स्किल इंडिया) पहल पूरी की गईं विभाग के अधीन कार्यरत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, भारतीय प्लांटेशन संस्थान, निर्यात संवर्धन परिषद, उत्कृष्टता केंद्र, प्लांटेशन अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों में संस्थागत ढांचे को क्षमता निर्माण, निर्यात संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास और दीर्घावधि नीति-निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है

अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र

वैश्वीकरण प्रक्रिया की जटिलताओं और घरेलू नीति-निर्माण में इसके कारण आए उतार-चढ़ावों के चलते वर्तमान अनुसंधान क्षमताओं को और बड़े पैमाने पर बढ़ाने एवं उन्हें नए तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी इसी क्रम में एक नए संस्थान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) की स्थापना की गई आशा की जाती है कि यह संस्थान इन जरूरतों को पूरा कर सकेगा एवं उन विकासशील देशों के साथ ऐसे दीर्घावधि सहयोग संबंध बनाने में सहायक सिद्ध होगा जिनके हित भारत से मिलने की संभावना है और जो वैश्विक स्तर पर लंबे समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत के व्यापार सहयोगी बन सकते हैं सीआरआईटी के पांच अनुसंधान केंद्र- व्यापार निवेश कानून केंद्र, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, व्यापार संवर्धन केंद्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्ययन केंद्र होंगे

व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन 2015 में किया गया था यह परिषद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से उनके राज्यों में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम परिस्थितियों की उपलब्धता के लिए निरंतर विचार-विमर्श को सुनिश्चित करने के साथ ही देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को सक्रिय सहयोगी बनाने के लिए एक तंत्र तैयार करेगी

निर्यात में वृद्धि के संबंध में राज्यों से अपनी व्यापार नीति को विकसित करने, निर्यात आयुक्तों की नियुक्ति करने, वस्तुओं के आवागमन पर रोक लगाने वाली ढांचागत कमियों को दुरुस्त करने, मूल्यवर्धित कर (वीएटी), चुंगी, राज्य स्तरीय करों की धन वापसी, विभिन्न स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान एवं नए निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया था

एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक आधुनिक विश्वस्तरीय एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 1.2 लाख वर्ग मीटर का वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थल होने के साथ ही 7,000 व्यक्तियों की क्षमता वाला प्रतिष्ठित आधुनिकतम सम्मेलन केंद्र शामिल है इसी में 4,800 कारों (पीसीयू) के लिए भूमिगत पार्किंग बनाने की भी योजना है इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और सितंबर 2019 तक कार्य पूरा हो जाएगा यह केंद्र सभी प्रकार के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्मों के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा भारत का यह एक अनूठा प्रतीक होगा जो विश्व शक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं का द्योतक होगा

विशेष आर्थिक क्षेत्र

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया के पहले देशों में से एक था जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (ईपीजी) मॉडल के महत्व को समझा इसकी शुरुआत 1965 में कांडल स्थित एशिया के पहले ईपीजी के

साथ हुइ थी नियंत्रण और निगम की विविधता, विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक ढांचे और अस्थायी राजस्व व्यवस्था की कमियों को देखते हुए तथा भारत में वृहद विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजी) नीति की घोषणा की गई थी इस नीति के आधार पर, केंद्र और राज्यों में न्यूनतम संभव नियामकों और आकर्षक राजस्व पैकेज के आधार पर एसईजी को आर्थिक विकास के अग्रणी स्थल बनाने की तैयारी की गई वर्ष 2000 से 2006 तक भारत में एसईजी विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों पर चले जिसके बाद उचित कानूनों के आधार पर इनके लिए राजस्व को भी प्रोत्साहन दिया गया

एसईजी नियमाधारित 2005 का एसईजी कानून वर्ष 2006 में अमल में लाया गया इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारों से जुड़े मामलों को एक ही स्थान पर पारित करने और अन्य कार्यपद्धतियों को सरल बनाने का कार्य किया गया एसईजी कानून के प्रमुख लक्ष्य हैं; अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का विकास; वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन; घरेलू और विदेशी निवेश स्रोतों को प्रोत्साहन; रोजगार के अवसरों का विकास; और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास

निर्यात ऋण

विदेश मंत्रालय एवं भारतीय आयात निर्यात बैंक (ईएक्सआईएम) तथा भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति (गारंटी) निगम (ईसीजीसी) द्वारा दिए जा रहे ऋणों के लिए विशेष व्यवस्था के माध्यम से उच्च आधारिक संरचना आवश्यकताओं वाले उभरते हुए बाजारों में निर्यात परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है यह भारतीय उत्पादों के लिए जगह बनाने एवं भारत के निर्यात की आसान स्वीकृति को सुगम करने के साथ ही भारत के व्यवसायियों को दीर्घावधि के व्यापारिक संबंधों के लिए सक्षम बनाने का कार्य जारी रखेगा भारतीय आयात निर्यात बैंक (ईएक्सआईएम) नए बाजारों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, सीआईएस देशों एवं लैटिन अमरीका में देश का निर्यात बढ़ाने के लिए 'चक्रदार (रिवॉल्विंग) ऋण' की अवधारणा पर भी अध्ययन करने के साथ ही अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक, कैरीबियन बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता संस्थाओं के साथ सुदृढ़ संबंध बनाने की संभावनाएं भी तलाश करेगा विशेषकर नए एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले बाजारों में संभावना देख रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी ईसीजीसी की सहायता की जाएगी ईसीजीसी एक प्रमुख निर्यात ऋण देने वाली एजेंसी है और इसके कार्यक्षेत्र में लगभग 20,000 निर्यातक हैं जिनमें से 85 प्रतिशत एमएसएमई हैं ईसीजीसी को अगले तीन वर्ष में 2,000 करोड़ रुपये का नया पूंजीनिवेश मिलेगा, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये अभी दिए जा रहे हैं और इस राशि से यह बड़ी संख्या में निर्यातकों की सहायता करने में सक्षम हो सकेगा पिछले 10 वर्षों में ईसीजीसी ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया, जिससे निर्यातकों की सहायता हो पाई और बैंकिंग प्रणाली को राहत मिली

डिजिटाइजेशन और पीएफएमएस

इस विभाग के सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है डिजिटाइजेशन हेतु एक सिरे से दूसरे सिरे तक के ऑनलाइन भुगतान के लिए पीएफएमएस के ईएटी और डीबीटी मापदंड (मॉड्यूल) को लागू किया गया है पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीजकों (बिलों) की आंशिक पूर्व जांच और भुगतान किया जाता है

गुणवत्ता के मानक

सरकार भारत को उत्पादन और निर्यात का केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा अभी बहुत-से भारतीय उत्पाद जांच के दौरान उनमें कीटनाशकों, रोगाणुओं, अवैध रंजकों के अंश पाए जाने पर प्रयोगशाला परीक्षणों में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं भारतीय कारोबारी गुणवत्ता के ऊंचे मानकों को प्राप्त कर सकें इसके लिए गुणवत्ता और आधारभूत संरचनाओं को आधुनिकतम बनाने एवं मानकों पर खरे न उतर सकने वाले निम्न कोटि के आयात से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाने के प्रयास जारी रहेंगे अधिक से अधिक वैश्विक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना, भारतीय प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि और सहयोगी देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा उपभोक्ताओं का

संरक्षण, उत्पादित तिजारती सामान की गुणवत्ता में सुधार एवं सर्वाधिक सूक्ष्मदर्शी बाजारों तक भारतीय निर्यात बढ़ा सकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए एक रूपरेखा बना ली गई है

एंटीडंपिंग

विभाग के अधीन एंटीडंपिंग एवं संवर्गी शुल्क महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज-डीजीएडी) की भूमिका स्वदेशी उद्योगों को विदेशी निर्यातकों के समान अवसर उपलब्ध कराने की है ताकि वे घरेलू बाज़ारों में उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें यह उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के अंतर्गत किया गया है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुपालन में है अगस्त, 2017 में डीजीएडी की जांच प्रक्रिया को आईएसओ-9001:2015 आज्ञाकारिता (कमप्लाएन्ट) प्राप्त हो गई जिससे महानिदेशालय के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही आ गई है विभाग ने अपने क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज) को विकसित कर लिया है इन एसओपीज को गुणवत्ता नियमावली एवं प्रक्रियाओं में कूटबद्ध कर दिया गया है

मध्यम अवधि व्यय ढांचा

12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही वाणिज्य विभाग (डीओसी) की सभी चालू एवं नई योजनाओं के लिए 14 वें वित्त आयोग के मध्यम अवधि व्यय ढांचे (2017-18 से 2019-20) के लिए एक पूर्ण और सघन मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई डीओसी की सात केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं इस प्रकार हैं: बाज़ार पहुंच नवाचार, चाय विकास एवं संवर्धन, समेकित कॉफी विकास परियोजना, रबर क्षेत्र का दीर्घकालीन समग्र विकास, ईसीजीसी में पूंजी लगाना, एनईआईए न्यास और एपीईडीए में 2019-20 तक चलने वाले 500 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय के लिए अनुदान (राशि) सभी परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है

8 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी



संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय करता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिशन है, ई-गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सतत विकास को बढ़ावा देना साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है वहीं संचार मंत्रालय का काम डाक एवं दूरसंचार विभाग की देखरेख करना है इन विभागों की विशेषताएं, गतिविधियां और इनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में यहां बताया गया है

वेबसाइट: www.meity.gov.in, www.indiapost.gov.in

डाक

भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसे 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया डाक नेटवर्क का विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ वर्ष 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तात्कालीन तीन प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया जा सके इसके बाद, 1854 के डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल गया और 1 अक्टूबर, 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे देश में पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था डाक टिकटों की दरें कम और समान रखी गईं डाक दर दूरी के हिसाब से न होकर भेजे जाने वाले पत्र अथवा पैकेट के वजन से तय की गई आम जन पहली बार एक ऐसी सुविधा का उपयोग कर सके जिसके तहत उन्हें दरवाज़े तक पत्र मिलने लगे पहले इस तरह की सुविधा केवल राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी अधिकारियों को ही मिलती थी तब से डाक ने देश में सभी के जीवन को व्यवस्था/प्रभावित किया है यद्यपि ब्रिटिश शासन ने साम्राज्यवादी हितों के लिए डाकघरों की स्थापना की, लेकिन डाकघर रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बन गया

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है उन्नीसवीं सदी के मध्य में डाकघर डाक बंगलों और डाक सरायों की देखभाल करके यात्रा को भी सुगम और सहज बनाते थे मेल ऑर्डर सेवा 1877 में मूल्य देय प्रणाली शुरू होने के साथ प्रारंभ हुई जबकि 1880 से मनीऑर्डर सेवा के माध्यम से दरवाज़े पर धनराशि प्राप्त करना संभव हुआ 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक पहुंची और 1884 तक सभी सरकारीकर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया डाक संचार सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर नेटवर्क 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से धन का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा सेवा भी दे रहा है

संगठन का संक्षिप्त विवरण

डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड है बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं छह सदस्य हैं निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (डाक सेवा बोर्ड) के सचिव के रूप में बोर्ड की सहायता करते हैं बोर्ड की बैठकों में विभाग के महानिदेशक और

अतिरिक्त महानिदेशक भी शामिल होते हैं

वित्तीय सेवाएं

डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचागत और नियामकों में फेर-बदल करता है और डाक विभाग को पारिश्रमिक भुगतान करता है 31 मार्च, 2018 के आंकड़ों के अनुसार डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) में 37.40 करोड़ से अधिक खाताधारक थे बचत बैंक सुविधा 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है डाकघर बचत बैंक बचत खाते, रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), टाइम डिपॉजिट (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी), किसान विकास–पत्र (केवीपी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएं चलाते हैं 31 मार्च, 2018 तक डाकघरों में राष्ट्रीय बचत योजना और बचत सर्टिफिकेट के अंतर्गत 8,03,243 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी

कोर बैंकिग समाधान और एटीएम की स्थापना

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का हिस्सा है इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है परियोजना का उद्देश्य चालू योजनाअवधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना है परियोजना से ‘कहीं भी, कभी भी’ बैंकिंग, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी 10 अगस्त, 2018 तक 23,557 डाकघरों को सीबीएस परिवर्तित किए गए हैं देशभर में 995 स्थानों पर एटीएम भी स्थापित किए गए हैं

म्यूचुअल फंड्स बिक्री

डाकघर देश में पूंजी बाज़ार की पहुंच को बढ़ाने तथा सामान्य जन को बाज़ार आधारित निवेश विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वर्तमान में 2,000 डाकघरों के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों की रिटेलिंग की जा रही है

अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा

अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा विदेशों से व्यक्तिगत तौर पर भारत में धन भेजने का त्वरित और सहज तरीका है वेस्टर्न यूनियन जैसी अत्याधुनिक धन स्थानांतरण वित्तीय सेवाओं के डाकघरों तथा भारत सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से 195 देशों से भारत में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाला धन शीघ्र और सहज तरीके से मिल जाता है वर्तमान में यह सुविधा देश में 9,953 स्थानों पर उपलब्ध है

राष्ट्रीय पेंशन योजना

2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए करीबी इकाई है भारतीय डाक व्यवस्था आमजन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) है 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु तक योजना में अपना अंशदान कर सकता है पेंशन अंशदान का निवेश पेंशन फंड नियामक (पीएफआरडीए) द्वारा भुगतानकर्ता की प्राथमिकता के मुताबिक उसकी पसंद की योजना में किया जाता है

जन सुरक्षा योजनाएं

जन सुरक्षा योजनाएं तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) सभी सीबीएस डाकघरों में 07 सितंबर, 2015 से लॉन्च की गई थीं ये योजनाएं डाकघर के सभी बचत खाताधारकों के लिए उपलब्ध हैं डाक विभाग ने पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एनआईसी) और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के

साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 2015 से सीबीएस मुख्य डाकघरों में अटल पेंशन योजना (एपीवाइ) भी लॉन्च की गई थी

सुकन्या समृद्धि योजना

कन्या शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना नामक नई लघु बचत योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के नाम पर उसके कानूनी/नैसर्गिक अभिभावक एक खाता खुलवा सकते हैं इस योजना के अधीन वह दो कन्याओं के नाम पर उनके जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक दो अलग-अलग खाते भी खुलवा सकते हैं

ग्रामीण व्यवसाय

डाक विभाग का मुख्य नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में है देश के 1,54,965 डाकघरों में से 1,39,067 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं कुछ वर्षों से डाक विभाग (डीओपी) के वित्तीय समावेशन ग्रामीण बैंकिंग (आरबी) डिविजन को देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डाकघर की वित्तीय और डाक योजनाओं के दायरे में लाने का आदेश जारी किया है ताकि लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें

भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) भारत सरकार का बैंक है जो डाक विभाग के अधीन आता है सितंबर, 2018 को पहले चरण में बैंक की 650 शाखाएं और 3,250 डाकघरों का इसके अधिगम स्थल के तौर पर उद्घाटन किया गया था पहले चरण में दस हजार से अधिक डाकियों को इसके साथ जोड़ा गया इसका लक्ष्य देश के अधिगम स्थलों के इस्तेमाल करने का है जिससे तीन लाख से ज्यादा डाक सेवा कर्मचारी प्रत्येक घर तक बैंकिंग सेवा दे सकेंगे

2015 में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने और बेहतर बैंकिंग के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष बैंकिंग नीति की शुरुआत की इस बैंक का लाइसेंस इसी वर्ष भारतीय डाक विभाग को दिया गया 2016 में इसे पेमेंट्स बैंक के तौर पर भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया 2017 में आईपीपीबी की रायपुर और रांची की शाखाएं स्थापित की गईं

बैंक में बचत खाते, नगद हस्तांतरण और थर्ड पार्टी के जरिए बीमा की सुविधा है बिल और अन्य जरूरी भुगतान भी इसके जरिए किए जा सकते हैं वित्तीय समावेशन की दृष्टि से शुरू किए गए इस बैंक को देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के विचार से शुरू किया गया है

डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) का प्रारंभ 1 फरवरी, 1884 को डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना के तौर पर हुआ था और 1888 में इसके अंतर्गत टेलिग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी लाया गया था इसके अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं स्थानीय निकाय आदि आते हैं पीएलआई की बीमा सुविधा के अंतर्गत रक्षा सेवाओं तथा अर्द्ध- सुरक्षाबलों को भी लाया गया है केंद्र/राज्य सरकारों के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंकों में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों, संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों को भी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं पीएलआई की सुविधा अब डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, बैंकरों आदि को और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में सूचीबद्ध कंपनियों को भी उपलब्ध है

4,000 रुपये की उच्च बीमा सीमा से शुरू कर, इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये का अधिकतम बीमा

किया जाता है 31 मार्च, 2018 तक 63.69 लाख पॉलीसियों के अंतर्गत 1,22,544.08 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है वर्ष 2017-18 के लिए डाक जीवन बीमा शुल्क 7,499.18 करोड़ रुपये रहा है एकल बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त, पीएलआई, डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी चलाती है

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

ग्रामीण डाक बीमा योजना (आरपीएलआई) की शुरुआत 24 मार्च, 1995 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की गई थी इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण जन और विशेषकर गांवों के कमजोर वर्ग व महिलाकर्मियों को बीमा उपलब्ध कराना है और साथ ही ग्रामीण आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरुकता फैलाना भी है बीमा क्षेत्र के उदार बनने के साथ ही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक बीमा योजना को बाज़ार स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है पीएलआई और आरपीएलआई बीमा योजनाएं अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में कम लागत पर बीमा कवच उपलब्ध कराती हैं इसीलिए पात्र ग्राहकों में पीएलआई और आरपीएलआई बहुत लोकप्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं 31 मार्च, 2018 तक आरपीएलआई की 241.1 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में आ चुकी हैं जिनके जरिए 1,16, 17,428.14 करोड़ रुपये की राशि बीमाकृत हो चुकी है

डाक जीवन बीमा के 6 प्लान हैं

1. संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुरक्षा)
2. परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुविधा)
3. एंडोमेंट सुरक्षा (संतोष)
4. अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (सुमंगल)
5. संयुक्त बीमा सुरक्षा (युगल सुरक्षा)
6. बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

ग्रामीण जीवन बीमा के 6 प्लान हैं:

1. संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुरक्षा)
2. परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुविधा)
3. एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम संतोष)
4. अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम सुमंगल)
5. 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)
6. बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

नवीन एवं मूल्य संवर्द्धित सेवाएं

स्पीड पोस्ट

यदि बुकिंग के समय मोबाइल नंबर सही दिया गया हो तो डाक विभाग सामान के आ पहुंचने और डिलिवरी के बाद प्राप्तकर्ता को एसएमएस भी भेजता है स्पीड पोस्ट के सामान पर एड-ऑन सर्विस के रूप में 1 लाख रुपये की बीमा सुविधा भी दी जाती है

- स्पीड पोस्ट की शुरुआत अगस्त 1986 में की गई इस सेवा के अंतर्गत 35 किलो तक के वजन वाले पत्रों या पार्सलों को देशभर में कहीं भी तेजी से और निश्चित समयावधि में भेजा जा सकता है यह डाक विभाग का अग्रणी उत्पाद है और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका स्थान अग्रणी है इस सेवा से महीने में तीन करोड़ से अधिक पत्र और पार्सल भेजे जाते हैं स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा देश के लगभग सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध है और पूरे देश में सामग्री पहुंचाई जाती है स्पीड पोस्ट से भेजी गई सामग्री के बारे में ऑनलाइन 13 डिजिट के स्पीड पोस्ट आर्टिकल नंबर के जरिए इंडिया पोस्ट की

वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) से पता किया जा सकता है बुकिंग के समय दिए गए फोन नंबर के आधार पर डाक विभाग डिलिवरी के सामान के पहुंचने पर और डिलिवरी के पश्चात प्राप्तकर्ता को निःशुल्क एसएमएस भी भेजता है स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जाने वाले सामान पर रु. 1 लाख की सहायक बीमा सेवा भी उपलब्ध है

डाकघर नेटवर्क का पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में लाभ उठाना

विभाग की शुरुआत के साथ ही इसे पासपोर्ट सेवा के साथ भी जोड़ा गया है क्योंकि पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचते हैं पासपोर्ट सेवा को व्यापक स्तर पर और वृहद क्षेत्र के उसके अधीन लाने के लिए डाक विभाग और विदेश मंत्रालय नागरिकों की सुविधा के लिए डाकघर नेटवर्क को पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर लाभ उठाने के संबंध में राजी हुए हैं

एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल

भारत में बढ़ते हुए ई-कॉमर्स बाजार ने पार्सल खंड को गति दी है जहां बी2सी पार्सल में वृद्धि हो रही हैं इसी तरह, सी2सी श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल सेवाएं सरकार द्वारा 2013 से शुरू की गई

एक्सप्रेस पार्सल खुदरा व थोक ग्राहकों के लिए विशिष्ट पार्सल सेवा है इसके जरिए पार्सलों की समयबद्ध तथा सुरक्षित होम डिलिवरी की जाती है पारगमन में समय न लगे, इसलिए जरूरत के अनुसार तुरंत इन पार्सलों को हवाई जहाज के माध्यम से भेजा जाता है एक्सप्रेस पार्सल में न्यूनतम 0.5 किलोग्राम वजन पर शुल्क लिया जाता है, जबकि खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलोग्राम पर और संविदा ग्राहकों से 35 किलोग्राम पर शुल्क लिया जाता है

बिजनेस पार्सल का लक्ष्य कॉर्पोरेट ग्राहकों को मितव्ययी वितरण सेवा उपलब्ध कराना है इस श्रेणी में न्यूनतम शुल्क 2 किलोग्राम पर लिया जाता है जबकि अधिकतम शुल्क वजन 35 कि.ग्रा. पर है इसकी सेवा देश में सभी स्थानों पर दी जाती है

कैश ऑन डिलिवरी

ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति बढ़ते रुझान से भुगतान सेवाओं, ऑर्डर प्रोसेसिंग और उनकी पूर्ति करने वाली सेवाओं आदि को व्यापक अवसर मिले हैं इन व्यावसायिक अवसरों को पूरा करने तथा सामग्री डिलिवरी के समय धनराशि लेने और भेजने वाले को उसे सौंपने के लिए तेज, सुरक्षित और किफायती समाधान के लिए 2013 को कैश ऑन डिलिवरी सेवा की शुरुआत की कैश ऑन डिलिवरी सेवा एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट के संविदा ग्राहकों के लिए है

लॉजिस्टिक्स पोस्ट

लॉजिस्टिक्स पोस्ट की शुरुआत कॉरपोरेट ग्राहकों को वितरण से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं और देशभर में विशाल नेटवर्क के जरिए इस सेवा ने त्वरित संचालन सेवाएं मुहैया करा कर विशिष्ट दर्जा हासिल किया है लॉजिस्टिक्स पोस्ट के अंतर्गत डाक विभाग वितरण व्यवस्था के तौर पर, फुल ट्रक लोड (एफटीएल) सेवाएं, लेस दैन ट्रक लोड (एलटीएल) सेवाएं ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एवं पूर्ति सेवा तथा रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है लॉजिस्टिक्स पोस्ट द्वारा भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा नहीं होती जबकि न्यूनतम वजन सीमा 50 कि.ग्रा. हैं वायु सेवा द्वारा भेजे जाने वाले सामान में न्यूनतम 25 कि.ग्रा. वजन पर शुल्क लिया जाता है

लॉजिस्टिक्स पोस्ट एयर सेवा की शुरुआत 2013 में हुई थी शुरुआत में इसके अंतर्गत निम्न 15 शहरों को जोड़ा गया था अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इम्फाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम

बिजनेस पोस्ट

किसी पत्रादि को डाक में भेजने से पहले उसे फोल्ड करने, लिफाफे में डालने, टिकट चिपकाने, पता और पेस्टिंग जैसी कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है बड़ी संस्थाएं ऐसे प्री-मेलिंग कार्य करने में परेशानी महसूस कर रही थीं, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने 1996 में 'बिजनेस पोस्ट' सेवा की शुरुआत की थी इसके अंतर्गत, कॉरपोरेट/सरकारी संगठनों सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और अन्य कॉरपोरेट हाउसेज की प्री-मेलिंग जरूरतों का व्यापक समाधान किया जाता है अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अलावा, इस कार्य से कॉरपोरेट और विस्तृत डाक उपभोक्ताओं की जरूरतों का समाधान होता है देश के बड़े डाक घरों के बिजनेस पोस्ट केंद्रों में बिजनेस पोस्ट सेवाएं मौजूद हैं इसके अंतर्गत, होम/ऑफिस कलेक्शन, अंतर्वेश, सीलिंग, पता लिखना, चिपकाना, विशेष प्रबंधन आदि सेवाएं दी जाती हैं

मीडिया पोस्ट

भारतीय डाक सेवा भारतीय कॉरपोरेट जगत और अन्य सरकारी संस्थानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए मीडिया पोस्ट की अनोखी सुविधा उपलब्ध कराती है कोई भी अन्य माध्यम विस्तार और पहुंच में भारतीय डाक के प्रसार का मुकाबला नहीं कर सकता मीडिया पोस्ट डाकखाने, डाक स्टेशनरी, डाक परिसरों आदि जैसे विज्ञापन माध्यमों की भी सुविधा उपलब्ध कराती है

डायरेक्ट पोस्ट

देश में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के कारण व्यापारिक संगठनों के उत्पादों एवं सेवाओं की डायरेक्ट एडवरटाइजिंग की जरूरत बढ़ रही है बिक्री संदेश या किसी उपभोक्ता अथवा बिजनेस मार्केट से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार प्रकाशित सामग्री डायरेक्ट मेल सेवा कहलाती है यह डायरेक्ट एडवरटाइजिंग का सबसे सशक्त माध्यम है विकसित देशों में डायरेक्ट मेल डाक प्रशासनों द्वारा संचालित किया जाने वाला बहुत बड़ा माध्यम होता है डायरेक्ट मेल किसी विशेष पते के लिए या पता रहित भी हो सकता

भारत में डायरेक्ट मेल डायरेक्ट पोस्ट का पता रहित अंश होता है और इमें पत्र, कार्ड, ब्रॉशर्स, प्रश्नावलियां, पेम्पलेट्स, नमूने, सीडी/फ्लॉपी और कैसेट आदि जैसे प्रचार सामग्री हो सकती है इसके अलावा कूपन, पोस्टर्स, मेलर्स या भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 या भारतीय डाक घर नियम 1933 द्वारा गैर-प्रतिबंधित प्रकाशित सामग्री भी हो सकती है

रिटेल पोस्ट

ग्राहकों को सुविधा और वहन योग्य सेवाओं को उनके निकट लाने के लिए डाक विभाग को एक ही स्थान के तौर पर विकसित किया जा रहा है रिटेल पोस्ट का लाभ उठाने के लिए 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क को बिजली बिल, टेलिफोन बिल, कर, फीस, राखी लिफाफों की बिक्री, पता सत्यापन सेवा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार एजेंसियों आदि सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है

रेल मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों में सभी श्रेणियों की रेल टिकटों को सुविधाजनक स्थलों पर मुहैया कराया जा रहा है

डाक घरों के जरिए गंगाजल

भारतीय डाक व्यवस्था ने गंगाजल की सप्लाई एवं वितरण का भी प्रबंध किया है जो कि देशभर के डाक घरों में ऋषिकेश और गंगोत्री से प्राप्त होता है यह शुरुआत 2016 से की गई थी गंगाजल मुख्य डाकघरों और ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराया जाता है देशभर में स्पीड पोस्ट के जरिए भी गंगाजल घरों तक उपलब्ध कराए जाने की तैयारी भी चल रही है

पोस्ट शॉप

अपने ग्राहकों को खरीदारी का आरामदेह अनुभव प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने 'पोस्ट शॉप' के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है महत्वपूर्ण डाकघरों में स्थित पोस्टशॉप एक सुविधा स्टोर के तौर पर है, जहां आमतौर पर डाक टिकटें, फर्स्ट डे कवर्स, फ्रेम्स, एल्बम और 'माई स्टेम्प' कॉर्नर होते हैं जहां लोग अपनी

तस्वीर वाली स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं स्टेशनरी उत्पादों के अलावा इन दुकानों पर कवर्स/लिफाफे, सीडी मेलर्स आदि भी मिलते हैं पोस्ट शॉप्स में सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरों द्वारा स्थानीय स्तर पर काम में आने वाली पारंपरिक वस्तुओं को भी रखा जाता है यहां आधुनिक शेल्फ और रैक पर आकर्षक तरीके से वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं जिससे ग्राहकों को शॉपिंग का सुखद अहसास होता है

मौजूदा समय में देश में अस्सी पोस्ट शॉप कार्यरत हैं और इन्हें ग्राहकों की अधिकाधिक पहुंच के जरिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है

यात्री आरक्षण व्यवस्था

रेल मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के बीच कुछ डाक घरों में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था (पीआरएस) सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं सर्वप्रथम यह सेवा 30 डाकघरों में शुरू हुई थी अब इनकी संख्या 337 तक पहुंच चुकी है भारतीय डाक के पीआरएस केंद्र वाले डाक घरों की सूची एवं संपर्क ब्योरा वेबसाइट www.indipost.gov.in पर दिया गया है

2007 में इसकी शुरुआत के बाद से विभाग द्वारा आरक्षित टिकटों पर लिए जाने वाले सेवा शुल्क में भी ज्यादा वृद्धि नहीं की गई है

सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में शुरू की गई और वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना (एसजीबी) को भी विभाग सक्रियता से संचालित कर रहा है योजना का लक्ष्य सबसे निचले स्तर पर निवेशकों तक पहुंचना और जनता के बीच 'पेपर गोल्ड' को लोकप्रिय बनाना है

इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर

देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई फीस जमा कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर (ई-आईपीओ) की शुरुआत की गई थी यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा रखा गया था

धारक फीस ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए जमा करा कर इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं वह वीजा या मास्टर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से यह फीस जमा करा सकते हैं

इस सुविधा की शुरुआत 2013 को केवल प्रवासी भारतीयों के लिए की गई थी जो दुनिया भर में कहीं भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के जरिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) से सूचना प्राप्त कर सकते थे 2013 को विदेशों में स्थित 176 भारतीय दूतावासों में भी इस योजना को समाहित किया गया 2014 को भारतीय नागरिकों के लिए भी ईआईपीओ सुविधा आरंभ कर दी गई जिससे उन्हें आरटीआई फीस ऑनलाइन भरने में सुविधा हो

ई-डाकघर

ई-डाकघर डाक विभाग का ई-कॉमर्स पोर्टल है जो इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सुविधा प्रदान करता है पोर्टल का लक्ष्य आमजन को उनके घरों/दफ्तरों से कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देना है इसके जरिए ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिलाटेलिक टिकटों की खरीद और पीएलआई/आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं ग्राहक को पहली बार इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है

ई-डाक

2004 को आरंभ की गई ई-डाक सेवा इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने की सुविधा देने वाली गैर-पंजीकृत हाइब्रिड सेवा है जिसमें टेक्स्ट मैसेज, स्कैन किए गए चित्र तथा अन्य तस्वीरें शामिल हो सकती हैं हार्ड कॉपी डाकघरों के माध्यम से नियत स्थान पर पहुंचाई जाती है मौजूदा समय में, ई-डाक सुविधा 13,000 डाक घरों पर उपलब्ध है और उन्हें 1.54 लाख से अधिक डाकघरों आदि के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की मदद ग्राहक अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार संदेश को तैयार, डिजाइन और भेज सकते हैं प्री-

पेड ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रीचार्ज सुविधा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आधार पर उपलब्ध है

ई-भुगतान

व्यवसायों एवं संगठनों को डाकघर के माध्यम से अपने बिल या भुगतान प्राप्त करने के रूप में काम करने वाली सेवा है ई-भुगतान किसी भी संगठन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान प्राप्त कर सकती है इसके जरिए टेलिफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फीस, कर, विश्वविद्यालय फीस, स्कूल फीस आदि प्राप्त की जा सकती है

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है 192 देशों के इस संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, सुगम बनाना और सुधारना है यूपीयू के पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) के चुने गए सदस्य के रूप में भारत कमेटी-1 (सप्लाई चेन इंटिग्रेशन) का सह-अध्यक्ष भी है भारत सेवा निधि गुणवत्ता, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (क्यूएसएफ बीओटी) का प्रतिष्ठित सदस्य भी है जो विकासशील देशों में डाक सेवाओं के विकास के लिए काम करता है

भारत एशियन-पैसेफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के 31 सदस्य देशों में से एक है एपीपीयू का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सहयोग और उनमें सुधार लाना साथ ही, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डाक सेवाओं में सहयोग करना है

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमएनओपी) को डाक तंत्र को सुचारू बनाने के लक्ष्य से उसकी मूल कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया है इस परियोजना में स्पीड पोस्ट, अंतरराष्ट्रीय डाक, प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक को समाहित किया गया है

एमएनओपी को देशभर में 23 डाक सर्कलों के जरिए अमल में लाया गया है एमएनओपी परियोजना के जरिए नागरिकों को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी गुणवत्ता, स्पीड पोस्ट के जरिए बुकिंग से डिलिवरी तक की डाक विभाग की वेबसाइट पर सूचना जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा

सड़क परिवहन नेटवर्क विभाग

पार्सलों के सुरक्षित एवं त्वरित संचारण और विशेषकर ई-कॉमर्स द्वारा प्रेषित सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विभाग ने समर्पित मार्ग परिवहन नेटवर्क का गठन किया है इस पहल के अंतर्गत, अभी तक, देश के 67 शहरों के 17 सर्कलों के 42 रूट्स संचालित किए गए हैं इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 2 लंबे रूट्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं

पोस्टमैन मोबाइल एप *(पीएमए)*

डाक विभाग के मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) में पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'पोस्टमैन मोबाइल एप' नामक एंड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन विकसित की है इसे देशभर में 15,000 स्मार्टफोनों के जरिए लांच किया गया मोबाइल एप की मदद से डिलिवरी स्टाफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और सीओडी पार्सलों सहित रजिस्टर्ड पोस्ट की वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना का हिसाब रखता है एप में प्राप्तकर्ता/भेजने वाले के हस्ताक्षर लेने की भी सुविधा है वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना से पहले जैसी किसी भी तरह की गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है और ग्राहकों को डिलिवरी से जुड़ा असाधारण अनुभव प्राप्त होता है डाक विभाग अपने डिलिवरी स्टाफ को 38,000 अतिरिक्त स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है

फिलाटेली

फिलाटेली डाक टिकटों का संग्रह करने, डाक टिकटों का इतिहास और अन्य संबद्ध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि है यह टिकट संग्रह के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण

करने तथा राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और घटनाओं को प्रोत्साहित करने का तरीका है डाक टिकटें सचित्र प्रतिनिधि होती हैं यह देश की संप्रभुता की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं

स्वतंत्रता के उपरांत, डाक टिकटों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी में देश की उपलब्धियों को दर्शाया जाता था साथ ही, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास, और इस्पात संयंत्र और बांध आदि के बारे में भी बताया जाता था बाद में, देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाया गया और कई खूबसूरत डाक टिकटों में कला, स्थापत्य, कौशल, सामुद्रिक धरोहर, विज्ञान, तकनीकी, रक्षा एवं सिनेमा जैसे विषय भी दिखे स्मारक डाक टिकटों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं को भी सम्मान दिया गया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी का है राष्ट्रपिता को स्मारक एवं स्थायी डाक टिकटों के माध्यम से सम्मान दिया गया चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली विभूतियों को भी इस माध्यम से सम्मान दिया गया

'डाक चिह्न' और 'सांस्कृतिक राजदूत' के उनके दोहरे चरित्र को ध्यान में रखते हुए, डाक टिकटों की स्थायी व स्मारक, दो श्रेणियां हैं स्थायी डाक टिकटें प्रतिदिन की डाक भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इनके डिजाइन अपेक्षाकृत सरल, निर्माण में कम ख़र्चीले और लंबे समय तक इनकी बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग की जाती है वहीं दूसरी ओर, स्मारक डाक टिकटों को बेहतर कलात्मक दृष्टि से डिजाइन और प्रिंट किया जाता है इनका निर्माण सीमित मात्रा में होता है और इनको लेकर डाक टिकट के शौकीनों एवं संग्रहकर्ताओं के बीच गहरी रुचि दिखती है

डाक विभाग की फिलेटेलिक गतिविधियां हैं:

- फिलेटेलिक ब्यूरो और काउंटरों के माध्यम से विशेष/स्मारक डाक टिकटों की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, वितरण और बिक्री
- नियत डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी तथा लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, रजिस्टर्ड कवर की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और वितरण
- राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटेली को प्रोत्साहन और फिलेटेलिक प्रदर्शनियों का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय और विश्व प्रदर्शनियों में भागीदारी के साथ राज्य/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन
- राष्ट्रीय फिलेटेलिक संग्रहालय, डाक भवन का रख-रखाव

डाक टिकटों का लोकार्पण

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान 50 विषयों पर डाक टिकट जारी किए गए इनमें प्रमुख स्मारक चिह्न हैं- मेघालय की गुफाएं, संवेदनशील पक्षी, रामायण, महाभारत, भारतीय व्यंजन, घोंसले, बावड़ी, हाथ का पंखा, सौरमंडल, भारत की पगड़ियां, चम्पारण सत्याग्रह जयंती 40 देशों में भारतीय दूतावासों के जरिए रामायण की डाक टिकटें जारी की गईं

माई स्टाम्प्स

माई स्टाम्प्स भारतीय डाक टिकटों का निजी रूप है ग्राहक की तस्वीरें और संगठन स्मारकों अथवा कलाकृतियों की छोटी छवियां, धरोहरनुमा इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य पशुओं एवं पक्षियों आदि की छोटी तस्वीरों के माध्यम से उन्हें निजी कार्य हेतु उपयुक्त बनाया जाता है

माई स्टाम्प्स का निजीकरण

निजीकृत माई स्टाम्प्स डाक टिकटों का निजी प्रारूप होती हैं इन निजी विषयी टिकटों के साथ, ग्राहक अपनी, अपने अभिभावकों, परिवार आदि की तस्वीरों वाली टिकटें भी प्रिंट करवा सकते हैं निजी स्टाम्प्स में कुछ थीम ताज महल, हवा महल, मैसूर महल, भारतीय सेना, गुलाब, सालगिरह, वैष्णों देवी के होते हैं

माई स्टाम्प्स का अनुकूलन

अनुकूलित माई स्टाम्प्स में कारपोरेट, संगठन और संस्थान माई स्टाम्प थीम की शीट्स इंडिया पोस्ट से प्रिंट करवा सकते हैं इन निजीकृत विषयी डाक टिकटों के साथ ही, वह अपने लोगो, संगठन/संस्थान की छवियां

भी प्रिंट करा सकते हैं

ई-डाकघर

ई-डाकघर भारतीय डाक विभाग का ई-कॉमर्स पोर्टल है इसका आरंभ 2017 में वैश्विक स्तर पर 192 देशों के ग्राहकों के लिए किया गया था ताकि वह स्मारक डाक टिकटें, सहायक डाक सामग्री आदि ऑनलाइन खरीद सकें

प्रशिक्षण

भारत सरकार के 2012 की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की सहमति के साथ डाक विभाग ने 2012 में डाक प्रशिक्षण नीति की शुरुआत की थी डाक प्रशिक्षण नीति का मुख्य लक्ष्य 'सबके लिए प्रशिक्षण' है प्रशिक्षण कार्यक्रम भर्ती स्तर (प्राथमिक प्रशिक्षण) पर दिया जाता है और स्टाफ के सभी स्तर/श्रेणियों के लिए समय-समय पर तीन मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं विभाग ने अच्छी तरह प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थापना की है विभाग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान पूरा करते हैं:

- रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है जिसे उच्च प्रबंधन कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए डाक एवं संचार विभाग से मान्यता मिली हुई है इसमें भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक के अन्य प्रबंधन अधिकारियों को प्राथमिक और सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है अकादमी विदेशी डाक प्रशासन और केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों के प्रबंधकों को भी समान हित के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है अकादमी भारतीय डाक के अधिकारियों के लिए डीओपीटी द्वारा अधिसूचित मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 'एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम' (ईडीपी), 'मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम' (एमडीपी) और 'एडवांस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम' (एडीपी) का भी प्रशिक्षण देती है
- डाक प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर और वड़ोदरा में हैं जहां संचालन स्टाफ और निरीक्षण कैडर को प्रशिक्षित किया जाता है इनके अलावा, अन्य विशिष्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम भी हैं यह छह प्रशिक्षण केंद्र, विभाग के कार्यकारी स्टाफ की प्रशिक्षण जरूरतों के लिए, कंप्यूटर लैब्स, कक्षाओं एवं होस्टल सुविधाओं से संपन्न हैं

जन शिकायतें

कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी)

अपनी सेवाओं के संबंध में विभाग के पास जन शिकायतें सुनने की सुचारू प्रणाली है सेवाओं की गुणवत्ता और जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया भी मौजूद है

जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उनके सुचारू संचालन के लक्ष्य के आधार पर विभाग ने ग्राहक सेवा केंद्रों को वेब आधारित शिकायतों के संचालन की दृष्टि से अपग्रेड किया है कंप्यूटराइज्ड ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी) सॉफ्टवेयर के बदले स्वरूप को 2010 से काम में लाया जा रहा है इसके अलावा, स्वचालित पावती उत्पादन; अनसुलझी शिकायतों पर बेहतर कार्रवाई और शीघ्र निपटान के लिए अगले प्रशासनिक स्तर पर भेजना; शिकायतों का छोटी, बड़ी और गंभीर श्रेणियों में आवंटन; जांच पूरी होने पर शिकायतकर्ता को स्वचालित उत्तर; शिकायतकर्ता से फीडबैक उपलब्ध करना आदि जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है

मौजूदा समय में देशभर में डाकघरों, छंटाई केंद्रों, स्पीड पोस्ट केंद्रों और मंडलीय/क्षेत्रीय/सर्कल मुख्यालयों में जन शिकायतों के निपटान के लिए 19201 सीसीसीसी स्थापित किए जा चुके हैं जो इस संबंध में ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करते हैं इस नेटवर्क में देश के सभी मुख्य डाकघरों को समाहित किया गया है इसका लक्ष्य ग्राहकों की शिकायतों के अलावा, उनके लिए जरूरी सूचना और मदद को त्वरित और सुचारू बनाना है

सोशल मीडिया सेल

सोशल मीडिया सेल एक स्वायत्त इकाई है और ट्विटर तथा फेसबुक पर डाक विभाग के अकाउंट्स संभालता है सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें समयबद्ध होती हैं और 24 घंटे के भीतर इनका जवाब दिया जाता है सोशल मीडिया सेल प्रतिदिन सभी सर्कलों को भेजी गई शिकायतों पर नजर रखता है जुलाई 2018 तक विभाग को ट्विटर सेवा पर 1,06,096 शिकायतें प्राप्त हुई और उनके निपटान की दर 99.6 प्रतिशत रही

भारतीय डाक सहायता केंद्र *'1924'*

सरकार द्वारा कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा दिए जाने की शुरुआत को लेकर डाक विभाग ने 'भारतीय डाक सहायता केंद्र' की शुरुआत की थी यह वाराणसी में 01/06/2018 को स्थापित इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) से जुड़ी सेवा है जुलाई 2018 तक भारतीय डाक विभाग को इसके उपभोगकर्ताओं और प्रस्ताविक प्रयोक्ताओं की ओर से कॉल सेंटर को पूछताछ से जुड़े 1,59,586 प्रश्न प्राप्त हुए थे यह कॉल सेंटर आमजन की इस तरह मदद करता है: लोक शिकायतों में सुधार कार्य, विभिन्न शुरुआतों, गतिविधियों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं जारी परियोजनाओं संबंधित सूचना प्रसार

सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट (आईएसपी लाइसेंसिंग को छोड़कर) तथा साइबर सुरक्षा संबंधी नीतिगत विषयों को देखता है इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लांच करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है कार्यक्रम के तीन विजन हैं- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को पाट कर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण, कौशल तथा डिलिवरी लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी, पब्लिक क्लाउड के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना

मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाओं में सभी विभागों या क्षेत्राधिकारों को एकीकृत सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, कारोबारी सहजता के लिए डिजिटल रूप में परिवर्तित सेवाएं, निर्णय संबंधी सहयोग प्रणाली और विकास के लिए जीआईएस का लाभ उठाना शामिल है

नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैश्विक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और डिजिटल स्रोतों/सेवाओं को भारतीय भाषाओं में क्लाउड के माध्यम से सभी के अधिकार सुनिश्चित करना है

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के नौ स्तंभों यथा ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सब के लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के

विभागों के साथ किया जाता है मंत्रालय दो प्रमुख अधिनियमों के दायरे में कार्य करता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के आदान-प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों जिन्हें सामान्यतः 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिसमें पत्र-व्यवहार और सूचना के भंडारण के कागज आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है, किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में फाइल करने का प्रावधान है इसके अंतर्गत, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी निर्देशित किया गया है इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया इस संशोधन में 'डिजिटल दस्तखत' के स्थान पर 'इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत' शब्द रखा गया है इस संशोधन के माध्यम से नए खंड़ जोड़ने के साथ-साथ विभिन्न खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए

लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से आधार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के सभी प्रयास किए गए हैं आधार को वैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून, 2016 में सब्सिड़ियों, लाभों और सेवाओं की डिलिवरी में सुशासन, दक्षता, पारदर्शिता का प्रावधान है इस पर आने वाला खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है यह लाभ भारत में रहने वाले लोगों को आधार संख्या प्रदान कर दिया जाता है इस विधेयक में आधार नामांकन संख्या, यूआईडीएआई की मौलिक स्थापना आदि सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है यूआईडीएआई अब वैधानिक इकाई है

डिजिटल पहचान

आधार 12 अंकों का बायोमीट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान स्थापित करता है जो अपने आप में अनोखी, ऑनलाइन और प्रामाणिक होती है 12 जुलाई, 2016 को अस्तित्व में आए आधार विधान के अंतर्गत, यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार संबंधित कार्यों के सभी चरण, योजना विकास, व्यक्तियों को आधार वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली तथा प्रमाणीकरण की देखरेख और लोगों की निजी सूचना एवं प्रमाणीकरण रिकॉर्डों को सुनिश्चित करना शामिल है अभी तक 116 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल लेनदेन और भुगतान में भी सहायक भूमिका निभाता है इससे जुड़ी कुछ बड़ी शुरुआते हैं:

आधार सक्षम भुगतानः

1. आधार पेमेंट ब्रिज *(*एपीबी*):* ऐसे किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के जरिए उसके बैंक खाते में भुगतान भेजा जा सकता है, बशर्ते कि उसका खाता आधार नंबर से जुड़ा हो एपीबी के जरिए भारत सरकार लाभार्थियों के खातों में लाभ एवं सब्सिडी सीधे भेज सकती है

2. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली *(*एईपीएस*):* एईपीएस ऐसा मंच है जिसके जरिए व्यक्ति माइक्रो-एटीएम से अपने खाते में बुनियादी लेन-देन कर सकता है, जिनमें पैसा निकालना, कैश जमा कराना, पैसे का स्थानांतरण आदि शामिल हैं बैंक का चुनाव स्थानिक निवासी करता है क्योंकि यह स्थानिक आधारित लेन-देन होता है

3. आधार भुगतान*:* यह एईपीएस का व्यापारिक रूप है यह एप्लिकेशन सस्ते एंड्रॉयड फोन पर, सरल बायोमीट्रिक उपकरण से नियंत्रित किया जा सकता है इसके द्वारा व्यापारी ग्राहकों से कैशरहित भुगतान प्राप्त कर सकता है इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी

4. पे टू आधारः भीम एप से जुड़ी यह सुविधा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसके जरिए प्राप्तकर्ता के आधार नंबर को वित्तीय पते के रूप में पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) भुगतान किया जा सकता है भुगतान करने वाले और प्राप्तकर्ता के आधार नंबर जुड़े होने चाहिए 2017 को यह योजना शुरू की गई थी

आधार सक्षम सेवाएं

(1) पीडीएस के तहत अनाज का लक्षित वितरण*:* 18.05 करोड़ राशन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण के बाद राशन प्राप्त होता है इससे इस बात की सुनिश्चितता रहती है कि कोई अन्य उनका राशन न प्राप्त

करे और चोरी आदि जैसे मामलों में कमी आती है आधार व्यवस्था से 2.33 करोड़ जाली राशन कार्डो और डीबीटी प्रक्रिया पर रोक लगी है जिससे मार्च, 2017 तक 14,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है

(2) पहल और उज्ज्वला योजनाएं: पहल योजना के अंतर्गत 15.12 करोड़ एलपीजी लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी उनके बैंक खातों में प्राप्त होती हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 2.5 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए हैं

(3) ई-केवाईसी से बैंक खाते खोलने की सुलभताः आधार ने इसे बैंक खाता खोलने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर सक्षम बनाया है

(4) आयकर जमा कराने के लिए ई-सत्यापन: आधार द्वारा ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आयकर जमा कराने, और आयकर अधिकारियों को भौतिक तौर पर आईटीआर-5 भेजने के लिए आयकर देने वालों को सहूलियत दी गई है

ई-गवर्नेंस

शीर्ष कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ई-क्रांति, ई-गवर्नेंस प्रणालियों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति, ईमेल नीति, आईटी संसाधनों के उपयोग की नीति, सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोर्ड को खोल कर सहकारी एप्लीकेशन विकास की नीति, क्लाउड रेडी एप्लीकेशनों के लिए एप्लीकेशन विकास और ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा जैसी अनेक नीतिगत पहल की गई है इस दिशा में ई-जिले, समान सेवा केंद्र तथा राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) जैसी प्रमुख योजनाएं भी काम कर रही हैं

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति: यह नीति सरकारी संगठनों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) को औपचारिक रूप से अपनाने तथा उपयोग को प्रोत्साहन देती है सभी सरकारी संगठन, ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस तथा प्रणाली को लागू करते समय नीति का परिपालन सुनिश्चित करना होता है और रणनीतिक नियंत्रण, सुरक्षा, संपूर्ण जीवन लागत तथा समर्थन आवश्यकताओं के संदर्भ में ओएसएस तथा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर (सीएसएस) की तुलना करके निर्णय लेंगे

सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोड को खोल कर सहयोगी एप्लीकेशन विकासः इस नीति का उद्देश्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन की गति को बढ़ाना तथा ओपन सोर्स कोड अपनाना, उच्च गुणवत्ता संपन्न ई-एप्लीकेशनों को संयुक्त प्रयास से तेजी से क्रियान्वित करना है नवाचारी ई-एप्लीकेशनों और सॉल्यूशंस को संयुक्त प्रयास के जरिए प्रोत्साहन देना भी लक्ष्य है

सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग: यह नीति उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है इसका उद्देश्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तक उचित पहुंच और उपयोग को सुनिश्चित करना और उसका दुरुपयोग रोकना है

भारत सरकार की इमेल नीति: यह नीति सरकार की ईमेल सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशा- निर्देश निर्धारित करती है यह नीति भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करने वाले भारत सरकार के सभी कर्मचारियों/राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो भारत सरकार की ईमेल सेवा का उपयोग करते हैं इसका उद्देश्य भारत सरकार के ई-मेल सर्वर इस्तेमाल करने वालों को इसके सुरक्षित इस्तेमाल और एक्सेस को सुनिश्चित करना है

ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज (एपीआई): यह ओपन एपीआई के संबंध में सरकार की शुरुआत है जिसका उद्देश्य सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों तथा प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर के अंतरसंचालन को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करना है

ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा (ई-जीसीएफ): टूलकिट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एंड यूजर नॉलेज एरिया का सेट होता है इस रूपरेखा का उद्देश्य क्षमता सृजन योजना को सुदृढ़ बनाना है ताकि ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक सक्षमता आधारित प्रणाली के माध्यम से सक्षमता को चिह्नित और परिभाषित किया जा सके

सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करने तथा एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई-क्रांति' पहल का

उद्देश्य क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है इस कार्यक्रम का सिद्धांत 'परिवर्तन' करना है, कार्य में परिणत करना नहीं इसका उद्देश्य एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है, व्यक्तिगत सेवाएं देना नहीं एक अन्य महत्वपूर्ण पहल 'जीवन प्रमाण' है जिसका उद्देश्य पेंशनधारियों को आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करना है इसकी शुरुआत से अभी तक 88.72 लाख पेंशनधारकों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है और 77.04 लाख डिजिटल प्रमाणपत्रों को सफलतापूर्वक प्रोसेस्ड किया जा चुका हैं

एक 'डिजिटल लॉकर प्रणाली' की परिकल्पना एक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है जिससे नागरिक सेवा प्रदाताओं से अपना दस्तावेज साझा कर सकेंगे और सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के दस्तावेजों को एक्सेस कर सकेंगे 'ई-साइन' की रूपरेखा जारी कर दी गई है इससे नागरिक आधार कार्ड का उपयोग करते हुए दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकेंगे

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल किसी भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने वाला केंद्रीकृत मंच है इस प्रणाली में विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रार्थना पत्र, मंजूरी एवं अदायगी कार्य समाहित हैं 1.21 करोड़ से अधिक आवेदन जारी किए जा चुके हैं 8 मंत्रालयों/विभागों की 52 योजनाएं पंजीकृत की गई हैं

विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए मोबाइल सेवा कार्यक्रम लांच किया गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक कल्याण तथा ई-गवर्नेंस पर सूचना प्रदान करने के लिए 15 से अधिक भाषाओं में 'विकासपीडिया' पोर्टल लांच किया गया है इसमें और भाषाओं को जोड़ा जाएगा

Mygov.in एक अभिनव प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि सुशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके यह नागरिकों और विश्व भर के शुभेच्छुओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं के संबंध में लगातार फीडबैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'रेपिड असेसमेंट सिस्टम' (आरएएस) की शुरुआत की है इस प्रणाली में फीडबैक प्राप्ति के लिए विभिन्न चैनल हैं और विश्लेषणकर्ता इस पर नजर रखते हैं यह विश्लेषणकर्ता स्थायी सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए संबंधित विभागों को सहयोग करते हैं

ई-संपर्क डाटाबेस जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों को संदेश और ईमेल भेजने के लिए विकसित किया गया है इसे डाटाबेस में 1.90 लाख ईमेल एड्रेस और 82 करोड़ मोबाइल नंबर हैं 563 अभियानों के लिए मेलर्स/भेजी गई ईमेल्स की संख्या 301 करोड़ से अधिक है

ई-ताल वेब पोर्टल, मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की ई-गवर्नेंस योजनाओं के संबंध में ई-लेनदेन आंकड़ों के प्रसार का काम करता है यह वास्तविक समय के आधार पर, समय-समय पर, वेब आधारित एप्लीकेशनों द्वारा लेन-देन के आंकड़ों को प्राप्त करता है ई-ताल विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं से जुड़े आंकड़ों को सारणीबद्ध एवं ग्राफिकल स्वरूप में प्रस्तुत करता है, जिससे उनके लेन-देन से जुड़े विवरणों का शीघ्र पता चल सके

आधार सहायक बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (एईबीएस): सरकार में दक्षता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार सक्षम बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है

ई-पेमेंट संरचनाः सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी ऑनलाइन भुगतान के लिए सामूहिक मंच payonline.gov.in पोर्टल लांच किया गया है

ई-अस्पतालः बाह्यरोगी पंजीकरण (ओआरएफ) सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट सुविधा के लिए है इसमें रोगी देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएं तथा चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन को कवर किया गया है

ई-जिलेः यह ई-क्रांति के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) होती है इस परियोजना का नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसे राज्य सरकारों तथा उनकी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य जिला और ऐसे उपजिला स्तर पर, जो किसी अन्य मिशन मोड़ परियोजना का हिस्सा नहीं हैं, एमएमपी ई-अवसंरचना के चार स्तंभों का लाभ

उठाकर उन्हें अमल में लाती हैं यह परियोजना 634 जिलों में लांच की गई और 1012 ई-सेवाएं भी लांच की गई हैं

समान सेवा केंद्रः इस योजना का उद्देश्य भारत के 6 लाख गांवों में आईसीटी सक्षम फ्रंट एंड सेवा आउटलेट प्रदान करना है ऐसे इंटरनेट सक्षम केंद्रों से नागरिकों, निजी कौशल विकास, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक एक्सेस की अनुमति होती है बैंकिग, बीमा तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पेंशन सेवाओं ने समान सेवा केंद्रों (सीएससी) को जीवंत बना दिया है डिजिटल साक्षरता प्रसार के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए) से सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सक्रिय भागीदारी सक्षम बनाया गया है आधार नामांकन/अपडेट को सीएससी के जरिए सक्षम बनाया गया है देश में 3,00,774 सीएससी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें अगस्त 2017 तक 1,96,922 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर हैं

राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन): एसडब्ल्यूएएन को ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए मुख्य अवसंरचना तत्व के रूप में चिह्नित किया गया है राष्ट्रीय गवर्नेंस एक्शन प्लान के अंतर्गत इसे एनआईसीएनईटी/राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के जरिए ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है यह 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विभागों में कार्यरत है और इसकी औसत बैंडविड्थ उपयोग 60 प्रतिशत हैं एसडब्ल्यूएएन को 28 राज्यों/यूटीज में राष्ट्रीय ज्ञान संजाल (एनकेएन) के साथ जोड़ा गया है

क्षमता विकास योजना *2* (सीबी स्कीम *2*): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, एमईआईटीवाई के अंतर्गत, भारत सरकार ने क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण को पारित किया है इसके अधीन, सरकारी तंत्र में उचित योग्य गुणों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समानता और तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया है क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यीय/केंद्रशासित लाइन विभागों में विभिन्न पहलों के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त करना है यह पहल परियोजना गुटों की योग्यता के विकास की दिशा में की गई है ताकि उनमें परियोजनाओं के लिए समझ, संकल्पना और उन्हें पूरा करने की समग्र क्षमता विकसित हो सके

जीआई क्लाउड: क्लाउड संगणना के उपयोग और लाभ देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'जी क्लाउड' प्रारंभ किया है जिसे 'मेघराज' नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का फोकस रणनीति विकसित करने तथा सरकार में क्लाउड के प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यवस्था सहित विभिन्न घटकों को लागू करने पर है क्लाउड नीति तैयार करना एक प्राथमिक कदम हैं जो सरकार द्वारा क्लाउड को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायक होगा

राष्ट्रीय जियो-इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनसीओजी): यह केंद्र सरकारी मंत्रालयों/विभागों को जीआईएस आधारित सेवाएं प्रदान करता है एनसीओजी वर्तमान में विभिन्न संगठनों के लिए जीआईएस आधारित निर्णय समर्थ प्रणाली तैयार करने का काम कर रहा है ग्राम स्तर, प्रमुख सड़कों, नदियों, रेल तक प्रशासनिक सीमाओं के लिए पूरे देश में 1:10,000 के स्केल पर बेस मैप लेयर्स पूरे कर लिए गए हैं जीआईएस आधारित डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं अभी तक, विभिन्न डोमेन्स तक 21 एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

डिजिटल भुगतान तंत्र डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का नैसर्गिक विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेन को

औपचारिक बनाकर अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता है डिजिटल भुगतान के जरिए कम कीमत पर सेवाएं, व्यापक मापक क्षमता का वहन और छोटे तथा लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तथा ई-वाणिज्य के लाभ मुहैया कराए जा सकते हैं 2016 में नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 'डिजिशाला' नामक एक नये शैक्षिक चैनल की शुरुआत की गई थी डीडी फ्री डिश के साथ, डिजिशाला अब चैनल नंबर 2032 डिश टीवी (जी ग्रुप) पर भी उपलब्ध है डीडी फ्री डिश पर डिजिशाला शैक्षिक एवं गैर-व्यावसायिक टीवी चैनल के तौर पर उपलब्ध है

2016 में ही wwwCashlessindia.gov.in नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी बतौर ज्ञान संग्राहक, इसका लक्ष्य विभिन्न तरह की डिजिटल भुगतान विधियों, योजनाओं के प्रति नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना है

2016 में, शुरुआत के साढ़े चार महीने के दौरान ही भीम एप के डाउनलोड़ का आंकड़ा 2 करोड़ से अधिक पहुंच गया था और इसके जरिए 3,000 करोड़ रुपये का लेनदेन भी संपन्न हुआ व्यापारियों की ओर से भीम एप को बढ़ावा देने के लिए, 2017 को 'भीम आधार' की शुरुआत की गई डिजिटल भुगतान एवं लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिधन मिशन' नामक लक्ष्य निर्धारित किया गया है

सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता की राष्ट्रीय (2013) को दिव्यांग व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ उन्हें दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी में स्वतंत्र रूप भाग लेने के लिए शुरू किया गया था यह नीति दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव खत्म कर सकती है और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में अपने दम पर शामिल होने में सहायक साबित हो सकती है 25 दिसंबर, 2013 को मंत्रालय ने सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता से जुड़ी राष्ट्रीय योजना का आरंभ किया था यह नीति दिव्यांग्ता के आधार पर होने वाले भेदभाव समाप्त कर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईसीटी तक समान सुगमता की जरूरत पर जोर देती है नीति दिव्यांग लोगों की विविधताओं को मान्यता देते हुए उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है

साइबर सुरक्षा

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोग साइबर स्पेस में उपलब्ध सेवाओं और सूचनाओं पर निर्भर करते हैं सरकार, व्यवसाय और राष्ट्रीय अवसंरचना अधिकाधिक तौर पर साइबर स्पेस पर निर्भर हो रही है इलेक्ट्रॉनिक सूचना की गुणवत्ता और संख्या वृद्धि के साथ ही जहां बिजनेस मॉडलों में भी सुधार हुआ है, वहीं आपराधिक एवं विरोधी पक्षों ने भी अपनी गतिविधियों को छुपकर अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस को एक लाभकारी तरीके के तौर पर अपनाया है अतः राष्ट्रीय कार्यसूची में साइबर स्पेस की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है

इसके महत्व को समझते हुए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना तथा सूचना अवसंरचना को संरक्षित कर के, साइबर खतरों को रोकने के लिए क्षमता सृजन और संस्थागत अवसंरचनाओं, जनता, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी तथा सहयोग के माध्यम से अन्य साइबर घटनाओं से हुई क्षति को कम करके नागरिकों, व्यवसाय तथा सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है

नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर *(एनसीसीसी):* की स्थापना साइबर हमलों के लिए तैयारी और पूर्वानुमान लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है एनसीसीसी देशभर में सभी स्रोतों से साइबर हमलों से जुड़ी सूचना एकत्र कर के उनका आकलन और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा, जिसकी मदद से सही समय पर संकट सूचना और नियतकालीन रिपोर्टें प्राप्त हो सकें इस शुरुआत से लोगों की विशेषज्ञता के इस्तेमाल, प्रमाणिक मानदंडों के उपयोग और स्रोतों की सहभागिता से देश में साइबर स्पेस को मजबूती और साइबर सुरक्षा की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी

साइबर स्वच्छता केंद्र*;* इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) का आरंभ किया है यह केंद्र बैंकों और आम इस्तेमालकर्ताओं के पक्ष में खतरनाक कंप्यूटर कार्यक्रमों का पता लगाने और उसके लिए फ्री टूल्स मुहैया कराता है

वैधानिक संगठन

प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीए) द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे अधिनियम प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए) द्वारा अधिकार प्राप्त होता है सीसीए विभाग लाइसेंसशुदा प्रमाणन प्राधिकरों (सीए) को ई-साइन सेवा का अधिकार देता है जिसके लिए कानूनी ढांचा और दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं अभी तक आठ में से तीन लाइसेंसशुदा सीए को ही ई-साइन सेवा का अधिकार दिया गया है इन ई-साइन सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) को यूआईडीएआई से ईकेवाईसी की बुनियाद पर आधारधारकों के ही डिजिटल हस्ताक्षर का कार्य ही आगे बढ़ाने का अधिकार है वेबसाइट: www.cca.gov.in

साइबर अपीली अधिकरण

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 48(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार 2006 में साइबर नियामक अपील अधिकरण (सीएटी) की स्थापना की गई आईटी अधिनियम के अनुसार प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक या कानून के तहत किसी न्यायिक अधिकारी के आदेश से यदि कोई व्यक्ति आहत है तो वह साइबर अपीली अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स *(* सी-मेट*)*

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स (सी-मेट) की स्थापना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पदार्थों के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अंतर्गत 1990 में की गई थी सी-मेट अपनी पुणे, हैदराबाद और थ्रिसूर स्थित प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है इन तीन प्रयोगशालाओं के पास इलेक्ट्रॉनिक मैटीरियल्स से जुड़े विशेषाधिकार हैं, जिसके अंतर्गत यह भारतीय उद्योगों के लिए प्रयोगशाला स्तर से संयंत्र प्रदर्शन तक तैयार नई तकनीकों को लेकर आ सकते हैं

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है इसने देश में नेटवर्किंग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ईआरएनईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के अतिरिक्त आईटी परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा

प्रशिक्षण के जरिए अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन

देश में ई-गवर्नेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर ई-गवर्नेस डिविजन की स्थापना की गई एनईजीडी प्रोग्राम प्रबंधन तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों को पूरा करने में तकनीकी तौर पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

वर्ष 1976 में स्थापित एनआईसी निचले स्तर तक ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाने वाले वृहद संगठन और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसर प्रोत्साहक के रूप में उभरा है एनआईसी ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'एनआईसीएनईटी' के माध्यम से सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, 36 राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों और लगभग 650 से अधिक भारत के जिला प्रशासन के साथ संस्थापक संपर्क स्थापित कर दिया है एनआईसी केंद्र में सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्य, जिला तथा ब्लॉक तक ई- गवर्नमेंट/ई-गवर्नमेंट एप्लीकेशनों के संचालन में ये सहायक रहा है, सरकारी सेवाओं को सुधारने में सहायता देर रहा है, व्यापक पारदर्शिता ला रहा है और विकेंद्रित प्रबंधन और नियोजन को प्रोत्साहन दे रहा है वेबसाइट: www.nic.in

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन *(*एसटीक्यूसी*)* निदेशालय

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में प्रयोगशालाओं एवं केंद्रों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है इनके अंतर्गत, सरकारी व निजी संस्थाओं को परीक्षण, कैलिबरेशन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं प्रदान की जाती हैं

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज

एनआईएक्सआई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत) के तहत स्थापित गैरलाभकारी संगठन है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ता है और

देश के अंदर घरेलू ट्रैफिक का मार्ग तय करता हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोशण से एनआईएक्सआई निम्नलिखित गतिविधियां चला रहा है- 1. इंटरनेट एक्सचेंज, 2. आईएन रजिस्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय डोमेन नेम (आईडीएन), और 3. नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक सोसायटी है यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, साइबर कानून, साइबर सुरक्षा, आईपीआर, जीआईएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईएसडीएम, ई-कचरा, आईओटी, ई-गवर्नेंस तथा संबंधित इकाइयों के क्षेत्र में क्षमता सृजन और कौशल विकास का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है एनआईईएलआईटी औपचारिक और अनेक राज्यों में कर्मचारियों और जनता के लिए आईटी साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिमान्य एजेंसी है

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सोसायटी के रूप में की गई इसका मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है यह सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र का काम करता है एसटीपीआई द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यातक समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं वैधानिक, डाटा कम्युनिकेशन, संरक्षण सुविधाएं, मूल्यवृद्धि और परियोजना प्रबंधन सलाह सेवाएं होती हैं एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी है

मीडिया लैब एशिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित मीडिया लैब एशिया गैर-लाभकारी कंपनी है इस कंपनी का उद्देश्य जनसाधारण तक ईसीटी का लाभ पहुंचाना है इसकी गतिविधियों में एप्लीकेशन क्षेत्र यथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जीविका तथा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी को शामिल करना है

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की विस्तृत शाखा के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों को संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस कराने के लिए की गई थी इसके द्वारा प्रेषित सेवाओं में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, तकनीकी सहयोग, डिजाइन और विकास, संचालन और प्रबंधन, गुणवत्ता परख और संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस एवं सेवाएं शामिल हैं

दूरसंचार

ज्ञान की तेजी से बढ़ती दुनिया में दूरसंचार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना बन गया है देश के सभी हिस्सों में दूरसंचान सेवाओं की पहुंच नए परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी संपन्न समाज के विकास का अभिन्न हिस्सा है अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के बीच सकारात्मक संबंध है सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग तेज़ समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती तथा उच्च गुणवत्ता संपन्न कनवर्ज्ड दूरसंचार सेवाएं, कहीं भी, कभी भी देने के लिए संकल्पबद्ध है विभाग पूरे देश में सुरक्षित किफायती दर पर, विश्वसनीय तथा सुरक्षित वॉयस तथा डाटा सेवाएं प्रदान कर जनहित के

लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है

पिछले कुछ वर्षों से देश में दूरसंचार ने अभूतपूर्व विस्तार किया है उपभोक्ताओं की मांग के अलावा, भारत सरकार की मुक्त और सुधारवादी नीतियों के चलते भी इस क्षेत्र में तेजी विकास देखा गया है सरकार ने सेवा प्रदाताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा, और स्पष्ट एवं सक्रिय नियामक ढांचा सुनिश्चित किया है जिसके आधार पर दूरसंचार सेवाएं उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर पहुंच सकी हैं साथ ही, सरकार ने टेलिकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए हैं क्षेत्र में विकेंद्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण भी एफडीआई में वृद्धि हुई है मौजूदा दौर में भारत दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है और यहां इस क्षेत्र के 1.18 बिलियन ग्राहक हैं भारत की मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा दौर में समूचे टेलिफोन उपभोक्ताओं का 98 प्रतिशत इससे संबद्ध है 2020 तक मोबाइल उद्योग का कुल आर्थिक ढांचा 14 खरब (217.37 बिलियन डॉलर्स) रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है

वेबसाइट: www.dot.gov.in

टेली घनत्व

टेली घनत्व से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों के बीच टेलिफोन की संख्या से होता है यह देश में टेलिफोन की पहुंच के महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर होता है नवंबर 2017 के अंत तक भारत में टेली घनत्व 91.64 प्रतिशत था ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व 56.58 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 167.50 प्रतिशत रहा सेवा क्षेत्रों में टेली घनत्व आंकड़े हिमाचल प्रदेश (153.96 प्रतिशत), तमिलनाडु (124.38 प्रतिशत), पंजाब (123.62 प्रतिशत), केरल (118.58 प्रतिशत) और गुजरात (110.00 प्रतिशत) रहे यह आंकड़े बिहार (60.13 प्रतिशत), असम (6841 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (69.47 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (69.66 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (72.90 प्रतिशत) और ओडिशा (79.58 प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम रहे महानगरों में दिल्ली में टेली घनत्व सबसे अधिक 259.14 प्रतिशत रहा, जिसके बाद कोलकाता (184.56 प्रतिशत) और मुंबई (169.97 प्रतिशत) रहा

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच

मार्च 2017 के अंत तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड को मिलाकर) की संख्या 422.18 मिलियन रहीं जो कि सितंबर 2017 तक बढ़कर 429.23 मिलियन तक जा पहुंची थी सितंबर 2017 के अंत तक वायरलेस फोन आदि के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 407.88 मिलियन थी इसी अरसे के दौरान वायरलाइन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 21.35 मिलियन थी वहीं नवंबर 2017 के अंत तक ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 350.70 मिलियन थी मार्च से सितंबर 2017 तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में हुई कुल वृद्धि 7.05 मिलियन थी

अनुसंधान एवं विकास

स्वायत्त निकाय सी-डॉट दूरसंचार विभाग का अंग है यह संगठन लागत प्रभावी, स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है सी-डॉट उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन तथा मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है

डीओटी के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न संस्थानों के प्रशासनिक अधिकार आते हैं 1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल); 2. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल); 3. आईटीआई लिमिटेड; 4. टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल); 5. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल); 6. हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी और यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आती है यह देशभर में, दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है बीएसएनएल लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट्स और

लंबी दूरी की टेलिकॉम सेवाओं जैसी सभी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है ग्रामीण टेलिफोनी पर इसका विशेष फोकस है इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों तथा वामपंथी उग्रवाद झेल रहे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर इसका विशेष फोकस है

वेबसाइट: www.bsnl.co.in

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

1986 में स्थापित एमटीएनएल नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह देश के प्रमुख महानगरों, दिल्ली व मुंबई में सेवा प्रदान करती है इन दो महानगरों में एमटीएनएल निर्धारित लाइन की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है एमटीएनएल दिल्ली के साथ नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद तथा गाजियाबाद और मुंबई के साथ-साथ मुंबई महापालिका, नवी मुंबई निगम और ठाणे पालिका निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदान करती है एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर वायस, हाई स्पीड इंटरनेट तथा आईपीटीवी की ट्रिपल पे सेवा प्रदान करती है

वेबसाइट: www.mtnl.net.in

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड की स्थापना 1948 में तब के दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को उपकरणों की सप्लाई करने के लिए की गई थी आईटीआई ने अपना संचालन 1948 में बंगलुरु में शुरू किया बाद में इसका विस्तार हुआ और जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पलक्कड में इसकी उत्पादन इकाइयां स्थापित हुईं सभी उत्पादन इकाइयां आईएसओ 9001-2000 मानक प्राप्त हैं विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी है

वेबसाइट: www.itiltd-india.com

टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

टेलीकम्युनिकेशंस कंलस्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में की गई थी इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित विपणन नीति तैयार कर, निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेशी तथा घरेलू बाजारों में परिचालन की श्रेष्ठता बनाई रखी जा सके इसने साइबर पार्कों, इंटेलिजेंट बिल्डिंग, साइबर और स्मार्ट सिटी तथा ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंजरवेंट सेवा पर फोकस कर के, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में प्रवेश कर अपनी विविधता कायम की है टीसीआईएल बाहरी देशों में भी दूरसंचार और आईटी अवसंरचना विकसित कर रही हैं

वेबसाइट: www.tcil-india.com

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) को भारतीय कंपनी कानून 1956 के अंतर्गत 2012 को शामिल किया गया ताकि लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपीज़) में भारतनेट योजना लागू की जा सके

वेबसाइट: www.bbrd.nic.in

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड *(एचपीआईएल)*

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) डीओटी के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है विदेश संचार निगम लिमिटेड (अब टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड) की 25 प्रतिशत बिक्री के दौरान चार स्टेशनों की 1230.13 एकड़ भूमि में से 773.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सीमा तय कर दी गई थीं और यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त भूमि इस विनिवेश का हिस्सा नहीं होगी और इसकी देखभाल

के अन्य रियल्टी कंपनी करेगी

नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कार्यक्रम

इस नीति का उद्देश्य, विभिन्न संबधित नीतियों के अंतर्गत, एक नेटवर्क से पठनीय और मशीन सक्षम पठनीय रूप में सरकार का साझा करने लायक डाटा एक्सेस करना है इस संबंध में, पब्लिक डाटा एवं सूचना तक वृहद पहुंच के लिए भारत सरकार की विभिन्न धाराएं एवं नियम अनुमति प्रदान करते हैं

ई-ऑफिसः

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. सरकारी प्रतिक्रिया में सक्षमता, निरंतरता और प्रभाव बढ़ाना, 2. परिवर्तन समय में कमी लाना तथा नागरिक चार्टर मांगों की पूर्ति करना, 3. प्रशासन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कारगर संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना, 4. प्रोसेसिंग विलंब में कमी लाना, 5. पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करना, और 6. सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होना आदि

9 रक्षा



देश की सुरक्षा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान मानवीय मदद एवं आपदा प्रबंधन, सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत रक्षा उपकरणों का उत्पादन रक्षा मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्य हैं

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के समक्ष अनेक चुनौतियों के बावजूद स्थितियां काबू में रखी गई हैं सीमा रेखा और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार जारी अभियानों के आधार पर भारत के खिलाफ चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध को उकसाने वाले उद्देश्यों पर रोक लगी है सीएपीएफ और जेकेपी के साथ मिलकर सेना ने कश्मीर घाटी में हालात को सामान्य रखने के लिए दबाव बनाया हुआ है भारत-म्यांमार सीमांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए गोपनीय सूचना आधारित अभियानों की शुरुआत की गई है भारतीय सेना स्थानीय लोगों की मदद से मैत्रीपूर्ण अभियान चला रही है

'अल नगह' का दूसरा संस्करण: हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में भारतीय और ओमान सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ दोनों सेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आतंकी गुटों से मुकाबला करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना का आदान-प्रदान किया

सूर्य किरण *XI:* इस संयुक्त अभियान में भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन और नेपाली सेना की दुर्गा बहश बटालियन ने हिस्सा लिया नेपाल और भारत के बीच इस ग्यारवें बटालियन स्तर के अभ्यास का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ अभियानों का मुकाबला करने के लिए सैन्यबलों को प्रशिक्षण देना है इस अभियान में औपचारिक तौर पर मानवीय सहयोग और आपदा प्रबंधन (एचएडीआर) मुद्दों को भी जोड़ा गया और अभियान के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को बढ़ावा मिलेगा

नोमेडिक एलिफेंट: बारहवां भारत- मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास वायरेंग्ते में आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास में मंगोलियन सेना की अग्रणी स्पेशल टास्क फोर्स बटालियन ने तथा भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स सैन्यदल ने हिस्सा लिया अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र अधिकार क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सेना को प्रशिक्षित करना था

युद्ध अभ्यास-*2017:* अमेरिका में भारत-अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया अभ्यास का थीम संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र के अधीन शांति स्थापना अभियानों, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में आपसी सहयोग और सैन्य संबंधों में विकास करना है भारत-श्रीलंका के पांचवें संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र-शक्ति 2017' का आयोजन पुणे में किया गया यह अभ्यास अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर फोकस किया गया था

भारत और रूस के बीच पहले त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास 'इंद्र' का आयोजन रूस में किया गया वायरेंग्ते में भारत-बांग्लादेश के सैन्य अभ्यास 'सम्मृति' का आयोजन किया गया इसका प्रमुख लक्ष्य जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर की तरह अन्य क्षेत्रों में आतंकवादी और घुसपैठी तत्वों के खिलाफ अभियानों का अभ्यास करना था

भारत-यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यासः भारत-यूके सैन्य अभ्यास 'अजेय वारियर' का आयोजन राजस्थान में किया गया इस प्रशिक्षण के दौरान भारतीय तथा ब्रिटिश सेना की एक-एक कंपनियों ने शिरकत की सैन्य अभियान का लक्ष्य दोनों देशों के बीच विद्रोही और आतंकी गुटों का मुकाबला करने के लिए अनुभव साझा करना और द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करना था

भारतीय सेना द्वारा पहली बार विदेशी महिला सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया चेन्नई में आयोजित इस प्रशिक्षण अभियान में अफगान सेना और एयरफोर्स की महिला अधिकारियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार चलाना, रणनीति, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप में प्रशिक्षण किया गया

रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आवंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए इस विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करना यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए भी उत्तरदायी है; रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देसीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है; रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देता है और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साजो-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करता है; और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों को देखता है

वेबसाइट: www.mod.gov.in, www.mod.gov.in/dod, www.ddpmod.mod.gov.in, www.drdo.gov.in, www.desw.gov.in

सेना

वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक एवं भू-सामरिक मुद्दे भारत के सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करते हैं और उसे शक्ल देते हैं भारतीय सेना देश की सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है भारत की सुरक्षा के लिए बाहरी ख़तरा मुख्य रूप से दो पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्र और सीमा को लेकर विवाद के कारण पैदा होता है भारतीय सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के कठोर इलाकों और मौसम का सामना करते हुए हर समय प्रतिबद्ध रहती है छद्म युद्ध और उपद्रव के रूप में झड़पें होती रहती हैं भारतीय सेना अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हमेशा आगे रहती है इसके अलावा भारतीय सेना सीएपीएफ और प्रदेश पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने में भी अपने कौशल का उपयोग कर रही है और नक्सल उग्रवाद से लड़ने में उन्हें सक्षम बना रही है

अखिल भारतीय स्तर पर, खासकर दूरदराज और सीमा से लगे इलाकों में सेना की तैनाती के लिए जरूरी परिवहन, साजो-सामान और चिकित्सा सुविधाओं से स्थानीय लोगों को मानवीय आधार पर सहायता मिलती है और प्राकृतिक विपदा के समय सेना राहत पहुंचाने का काम करती है भारतीय सेना रेत के टीलों, मिट्टी और जल के संरक्षण में भी अपना योगदान देती है इतना ही नहीं, भारतीय सेना की प्रशिक्षण टीमें विश्व के 10 देशों में उनकी सेनाओं को प्रशिक्षण देने और सेनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं

थलसेना का आधुनिकीकरण पांच उप-व्यवस्थाओं यानी घातक शक्ति, बचे रहने की योग्यता, गतिशीलता, स्थिति के प्रति जागरुकता और टिके रहने की क्षमता के आधार पर किया जा रहा है लंबी दूरी तक आग्नेय मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सेना की आर्टिलेरी (तोपखाने) में कई तरह की तोपों को शामिल किया जा रहा है आर्टिलेरी की क्षमता को बढ़ाकर लक्ष्यभेदी बनाया जा रहा है और उसे विकसित करने के लिए प्रमुख तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है आर्मी एविएशन (सेना उड्डयन) टोह लेने, निगरानी करने, तोपों की गोलाबारी की दिशा बताने, सैनिक बलों को सहयोग देने और हताहतों को युद्धक्षेत्र से

निकालने के मामले में चतुर्थ आयामी युद्ध सहयोग मुहैया कराता है भारतीय सेना नई तकनीकियों और नए आविष्कारों के जरिए अपने उपकरणों और मानव संसाधन को अत्याधुनिक बनाकर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है भारतीय सेना इस समय संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में सबसे बड़ी सेना भेजने वालों में से एक है

वेबसाइट: www.indianarmy.nic.in

नौसेना

नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्र की सीमा में आने वाले समुद्र के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है, साथ ही दूसरों द्वारा उसके समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षा करना है नौसेना का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें एक तरफ शत्रु से घनघोर युद्ध करना तो दूसरी तरफ मानवीय सहायता करना और प्राकृतिक विपदा के समय राहत पहुंचाने का कार्य करना शामिल है उसके इस विस्तृत कार्यक्षेत्र को विशेष जरूरतों के अनुसार अलग-अलग भूमिकाओं में बांटा जा सकता है अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भारतीय नौसेना देश की समुद्री संप्रभुता और समुद्री गतिविधियों के व्यापक इस्तेमाल के प्रमुख गारंटर और रक्षक के तौर पर कार्य करती है भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिकाएं हैं- सैन्य, कूटनीतिक, सिपाहियों के दस्ते और सौम्यतापूर्ण व्यवहार

वेबसाइट: www.indiannavy.nic.in

प्रमुख कार्य भारतीय नौसेना का मुख्य सैन्य उद्देश्य देश के विरुद्ध किसी भी सैन्य दुस्साहस, जिसमें भारत के मामलों

और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध विध्वंसकारी रणनीतियां शामिल हैं, को रोकना है और हमला होने की स्थिति में दुश्मन को धूल चटाना है नौसेना द्वारा प्रतिरोध के उपायों और तरीकों में दुश्मन को रोकनाऔर उसे दंडित करना दोनों ही उपायों से परंपरागत प्रतिरोध शामिल है इसके लिए वह सुदृढ़ सैनिक क्षमता रखती है और संभावित दुश्मन को यह एहसास दिलाती है कि भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उसने किसी तरह का दुस्साहस किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है भारत में एक लंबा समुद्र तट और ढेरों द्वीप हैं, एक विशाल समुद्री इलाका, समुद्र तटीय क्षेत्र में ऊर्जा की अवसंरचनाएं और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, इसके अलावा बड़ी जनसंख्या है, जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तटीय इलाकों में रहता है चूंकि समुद्र में कोई भौतिक अवरोध नहीं होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों और संपत्तियों की सुरक्षा समुद्र के रास्ते होने वाले खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील या नाजुक होती है इसलिए भारतीय नौसेना की सैन्य भूमिका में अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी की भूमिका दी गई है जिसमें तटीय सुरक्षा और तट से दूर समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा शामिल है हालांकि पारंपरिक समुद्री सुरक्षा के खतरे का सामना करना भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य बना रहेगा, लेकिन हाल के वर्षों में गैर-पारंपरिक खतरों की वृद्धि को देखते हुए समुद्री सुरक्षा में नए सिरे से विकास को अनिवार्य बना दिया है पारंपरिक चुनौतियों की रेखाएं धुंधली होने के साथ गैर-पारंपरिक खतरों में, घटनाओं और उसके स्तर के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है इन गैर-पारंपरिक खतरों को पारंपरिक प्रतिष्ठानों से सहयोग, समर्थन और प्रायोजन मिलता है भारत एक समुद्री राष्ट्र है और इसकी अर्थव्यवस्था व्यापार के लिए महत्वपूर्ण रूप से समुद्र पर निर्भर है मात्रा के रूप से 90 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 77 प्रतिशत व्यापार समुद्र के रास्ते होता है आर्थिक वृद्धि के लिए समुद्री व्यापार पर भारत की निर्भरता समुद्री व्यापारियों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को अनिवार्य बना देती है

पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी आइओआर और मलक्का के जलडमरूमध्य से लेकर अदन की खाड़ी के आस-पास के इलाकों में भारत के सामरिक और सुरक्षा हित बहुत बढ़ गए हैं एक जिम्मेदार राष्ट्र और सभ्य समुद्री पड़ोसी के तौर पर आईओआर में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का प्रवर्तन, मानवीय सहायता और प्राकृतिक विपदा के समय राहत कार्य करना हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता में सबसे आगे बना रहेगा अंत में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थायित्व से संबंधित समस्याओं से निपटने में भारतीय नौसेना के सेवाओं की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है अपनी क्षमता, सामरिक स्थिति और आईओआर में मौजूदगी के कारण भारतीय नौसेना क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के लिए मुख्य आधार बनी हुई है आईओआर में समुद्री सुरक्षा की जटिल स्थिति

को देखते हुए भारतीय नौसेना को हर समय मुस्तैद और तत्पर रहना होता है बड़ी संख्या में परिचालन तैनातियों के अलावा भारतीय नौसेना मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ बहुत से युद्धाभ्यास करती है इसके अलावा भारतीय नौसेना साझा हितों के क्षेत्र में पड़ोसी देशों के सहयोग से गश्त भी लगाती रहती है इन युद्धाभ्यासों और गश्त लगाने से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, पेशेवर संबंध बनाने और अंतर-उपयोगी मुद्दों को कारगर में मदद मिली है

अपनी आरसी 'सिपाहियों द्वारा की जाने वाली गश्ती' भूमिका के अंग के तौर पर भारतीय नौसेना अवैध शिकार व तस्करी को रोकने, तटीय क्षेत्र की निगरानी करने और समुद्री डकैती को रोकने का काम करती है

वायुसेना

आइएएफ ने हमेशा से ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन योग्यता और क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया है स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफार्म तैयार करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की इसकी कोशिश के चलते आइएएफ की विभिन्न प्रणालियों महत्वपूर्ण प्रगति हुई है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीज़र 2016 में, मेक एंड बाइ (इंडियन इंडीजेनसली डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर (आइडीडीएम) श्रेणियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है एलसीए एमके-1ए, लाइट कम्बैट हेलिकॉप्टर (एलसीएच), एडब्ल्यूएसीएस (भारत) और हाइ फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट जैसे कुछ उदाहरण हैं जो आइडीडीएम रूट के जरिए तैयार किए जा रहे हैं

वेबसाइट; www.indianairforce.nic.in

मेक इन इंडिया

आईएएफ का एक प्रमुख लक्ष्य रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को सहयोग करना है ताकि रक्षा उपकरणों को आयात करने पर निर्भरता कम हो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलिकॉपटर्स (एएलएच) पहले ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बन चुके हैं जिससे स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिला है इसके अलावा, भविष्य में भारतीय वायुसेना अधिक क्षमतावान एलसीए एमके-1ए को भी शामिल करना चाहती है भारतीय वायुसेना रक्षा विभाग को एलसीएच, आरपीए, मध्यम श्रेणी के रेडार, लो लेवल ट्रेकिंग रेडार और अन्य सिस्टम्स में भी पूरा सहयोग दे रही है भारतीय वायु सेना डीआरडीओ के साथ मिलकर कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों के विकास पर भी काम कर रही है निर्माण उद्योग और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से भी आधुनिकीकरण योजना को मज़बूत किया जा रहा है भारतीय वायु सेना ने कई रक्षा उपकरणों की सिरीज की पहचान की है जिन्हें 'मेक श्रेणी के अंतर्गत निर्माण के लिए रखा गया है रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहता है 'सामरिक साझीदार' मॉडल के अंतर्गत 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन मिलेगा इससे न केवल रोजगार उपलब्ध होंगे, कौशल स्तर में सुधार होगा बल्कि देश में एयरोस्पेस क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी के विकास में भी सहायता मिलेगी

डिजिटल इंडिया पहल

भारतीय वायु सेना ने समूची वायु सेना के लिए 3जी डब्ल्यूसीडीएमए मोबाइल नेटवर्क एएफसीईएल की शुरुआत की है यह नेटवर्क वॉयस कॉल और डाटा सेवाओं के साथ पूरी तरह सक्रिय है वायु सेना के अन्य इन-हाउस विकास कार्यों में कुछ एप्स रहे हैं, जो हैं; इंस्टेंट मैसेजिंग (एएफबीएचएटी); आईएएफ डायरेक्टरी सर्च एप, कॉन्फ्रेंस शोल्डर एप, कॉलर आईडी एप, एयर फोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस (एएफसीएओ) एप और वेबसाइट, मेडवॉच एप

महिला सशक्तीकरण

वायु सेना के लड़ाकू पायलट वर्ग में 2016 में पहली बार कमीशंड अधिकारी के तौर पर शामिल होकर अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने इतिहास कायम किया सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा होने पर तीनों महिला पायलटों, को, जो अब फ्लाइंग ऑफिसर्स के तौर पर कार्यरत हैं, मिग-21 बिसोन एंड हॉक यूनिटों में स्कवॉडर्न पायलट्स के तौर पर तैनात किया गया लड़ाकू दस्तों के लिए महिलाओं के दूसरे बैच

का चयन भी किया जा चुका है मौजूदा दौर में, वह हकीमपेत वायु सेना स्टेशन में लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के दूसरे चरण को पूरा कर रही हैं और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें लड़ाकू पायलट दस्ते में शामिल किया जाएगा

कमीशन प्राप्त रैंक

तीनों सेनाओं में कमीशन प्राप्त रैंक इस प्रकार हैं- प्रत्येक रैंक को दूसरी सेना में उसके समान रैंक के सामने दिखाया गया है

थलसेना	नौसेना	वायुसेना
जनरल	एडमिरल	एयरचीफ मार्शल
लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
ब्रिगेडियर	कमोडोर	एयर कमोडोर
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट	सब-लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग ऑफिसर

भारतीय तटरक्षक

भारतीय तटरक्षक की स्थापना निम्नलिखित कर्तव्यों के उद्देश्य के साथ 1977 में की गई थी (क) कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा एवं बचाव, समुद्र में टर्मिनल और अधिष्ठापन; (ख) मछुआरों की सुरक्षा जिसमें समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना शामिल है; (ग) समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकना; (घ) तस्करी रोकने के अभियानों में कस्टम और अन्य विभागों की सहायता करना; (ङ) समुद्र में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना; समुद्री क्षेत्र में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को लागू करना

वेबसाइट: www.indiancoastguard.gov.in

भर्ती

सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक हैं सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो

सशस्त्र बलों में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी (एनए): संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सफल उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने एवं एनडीए की मेरिट सूची में आने वाले सफल उम्मीदवार आवेदन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है

(ख) संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा *(सीडीएसइ):* संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होना होता है मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को स्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी/नौसेना अकादमी में 18 महीने का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण एवं अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एसएससीओ) बनने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में 11 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है एसएससीओ 10 वर्ष की अवधि तक सेवा कर सकता है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है हालांकि वे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कमीशन के लिए अथवा पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प ले सकते हैं, जिस पर एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है

सेना में भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए तरीकों से भी सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती है

(क) विश्वविद्यालय प्रवेश योजनाः अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं पात्र अभ्यर्तियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैंपस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है इन अभ्यर्थियों को एसएसबी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में एक वर्षीय कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर एक कैडेट एक वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के भी हक़दार होते हैं

(ख) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम *(टीजीसी) :* सेना शिक्षा कोर के लिए इंजीनियरिंग की अधिसूचित शाखा के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंक योग वाले पोस्ट ग्रेजुएट एवं सैन्य फार्म के लिए कृषि/डेयरी में एमएससी डिग्री धारक उम्मीदवार इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं

(ग) अल्प सेवा कमीशन *(तकनीकी)* प्रवेशः अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओटीए चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर एक वर्ष पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं

(घ) 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना *(टीईएस):* जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड की 10+2 (टीईएस) के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं एसएसबी में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर वे प्रशिक्षण अकादमी, गया में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है

(ङ) अल्पकालिक सेवा कमीशन *(महिला):* पात्र महिला उम्मीदवारों को सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर ए रूप में भर्ती किया जाता है वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल कोर, सेना शिक्षा कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा, सेना आपूर्ति कोर, सेना आयुध कोर और सेना वायु रक्षा में कमीशन प्रदान किया जाता है महिलाओं को तीन स्ट्रीमों अर्थात् गैर-तकनीकी स्नातक, तकनीकी और स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ में इस वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है हाल ही में भारत

सरकार ने महिला अफसरों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेना शिक्षा कोर एवं जज एडवोकेट जनरल शाखा में स्थायी कमीशन का विकल्प प्रदान किया है अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी) प्रविष्टि के लिए अधिसूचित शाखाओं में बीई/बीटेक के उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं इसके पश्चात सीधे एसएसबी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच होती है हालांकि गैर तकनीकी स्नातक शाखाओं के लिए आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है और लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी साक्षात्कार के लिए आना होता है जैसा कि अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरों के मामले में किया जा रहा है गैर-तकनीकी शाखा की 20 प्रतिशत आवंटित सीटें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारित उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड एवं 50 प्रतिशत अंक योग प्राप्त किया हो आवेदन एनसीसी निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के माध्यम से भेजे जाएंगे जैसा कि पुरुष अफसरों के मामलों में किया जा रहा है जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें सीधे एसएसबी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है सेवा कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत (तकनीकी और गैर-तकनीकी, प्रत्येक शाखा में 2.5 प्रतिशत) सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी), एनसीसी प्रविष्टि एवं जज एडवोकेट जनरल शाखाओं के लिए लिखित परीक्षाओं से छूट है और इनके लिए सीधे अतिरिक्त भर्ती महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा अधिसूचना एसएससीडब्ल्यू (तकनीकी) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है

(च) एनसीसी *(*विशेष प्रवेश योजना*):* न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र और स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम 50 प्रतिशत समग्र अंक प्राप्त किए हों ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में चयन होने की स्थिति में 50 प्रतिशत समग्र अंक प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी ओटीए में प्रवेश लेने के समय उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अथवा तृतीय वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ओटीए में प्रशिक्षण आरंभ होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी इन कैडेटों को एसएसबी द्वारा आयोजित साक्षात्कार के पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है संबंधित ग्रुप मुख्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एनसीसी महानिदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन-पत्र रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय स्थित भर्ती निदेशालय को भेजता है

(छ) जज एडवोकेट जनरल प्रवेश*:* एलएलबी में न्यूनतम 55 प्रतिशत कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं पात्र उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात उनकी चिकित्सा जांच की जाती हैं यह अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार बाद में स्थायी कमीशन का चुनाव कर सकते हैं

जूनियर कमीशंड अफसरों तथा अन्य रैंकों *(*जेसीओ एवं ओआर*)* की भर्ती*:* सेना में 48 रेजीमेंटल केंद्रों के अतिरिक्त ग्यारह आंचलिक भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय और 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं जो अपने-अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में रैलियों के माध्यम से भर्तियां करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क/स्टोर कीपर ट्रेड एवं सोल्जर नर्सिंग सहायक श्रेणियों के लिए जेसीओओआर की भर्ती ऑनलाइन एप्लिकेशन सिस्टम द्वारा की जाती हैं हालांकि, रिलिजियस टीचर जेसीओ (आरटी जेसीओ), हवलदार एजुकेशन, हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर तथा जेसीओ केटरिंग जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन प्रणाली ही प्रयोग में लाई जा रही है जेसीओ/ओआर के लिए मौजूदा भर्ती में इच्छुक उम्मीदवारों की रैली साइट पर 1.6 किमी. की दौड़ के बाद छंटनी शामिल हैं और उसके बाद दस्तावेज की जांच, शारीरिक स्वस्थता जांच, शारीरिक नाप व चिकित्सा जांच की जाती है इसके बाद सभी जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि एक भर्ती वर्ष में एक बार भर्ती रैलियों द्वारा

देश के प्रत्येक जिले तक पहुंचा जा सके

भारतीय नौसेना में भर्ती

भर्ती का तरीका: भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी द्रुत और उम्मीदवारों के अनुकूल प्रक्रिया है भारतीय नौसेना में भर्ती दो तरीकों से की जाती है, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती

(क) संघ लोक सेवा आयोग भर्ती: संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में स्थायी कमीशन (पीसी) अफसरों के रूप में भर्ती के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन करता है 10+2 (पीसीएम) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं लिखित परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की छंटाई करता है इसके उपरांत उम्मीदवारों को बेंगलुरु, भोपाल, कोयंबटूर और विशाखापट्टनम में स्थित सेवा चयन बोर्डों के पास भेजा जाता है अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग को अंतिम मेरिट सूची के आधार पर एनडीएआईएनए में नियुक्ति के लिए सूचित किया जाता है एनडीएआईएनए में प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना कैडेटों को नौसेना समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में प्रशिक्षण पोतों पर भेजा जाता है स्नातक विशेष भर्ती योजना के लिए संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) का आयोजन करता है बी.टेक डिग्री स्नातक अथवा बी.टेक अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं सफल उम्मीदवारों को नौसेना अनुकूलन पाठ्यक्रम (एनओसी) के लिए एझिमला, केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शामिल किया जाता है

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती: गैर-यूपीएससी प्रवेश के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां स्थायी कमीशन (पीसी) और अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) दोनों के लिए होती हैं इस प्रकार की भर्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटाई की जाती है तत्पश्चात् छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अहर्ताप्राप्त उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाती है कार्यपालक, नौसेना वास्तुकार सहित इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नौसेना की शिक्षा शाखाओं/संवर्गों के लिए सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से गैर-यूपीएससी की भर्ती की जाती है

(ग) 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना): यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यपालक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है इस योजना के तहत 10+2 (पीसीएम) सफल उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें भारतीय नौसेना में कार्यपालक, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है

(घ) विश्वविद्यालय प्रवेश योजना *(यूईएस):* यूईएस को अल्पकालिक सेवा कमीशन के रूप में पुनःआरंभ किया गया है सातवें और आठवें सेमेस्टर के इंजीनियरिंग छात्र नौसेना की एग्जीक्यूटिव एवं तकनीकी शाखाओं में प्रवेश पाने के पात्र हैं एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मुख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए पूरे देश में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों का दौरा करते हैं उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाती है अंतिम चयन, सैन्य चयन बोर्ड साक्षात्कार में अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्राप्त अंकों तथा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होता है

महिला अधिकारी: नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा (पर्यवेक्षक, एटीसी, विधि एवं प्रचालन तंत्र), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरिंग शाखा के नौसेना वास्तुकला संवर्ग में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारी के रूप में महिलाओं का प्रवेश हो रहा है

एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशनः 2008 से रक्षा मंत्रालय ने एग्जीक्यूटिव शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुकला) के अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को स्थायी कमीशन प्रदान करना आरंभ किया है

एनसीसी के माध्यम से भर्ती: न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित स्नातक डिग्री परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक वाले एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक विश्वविद्यालय स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के

रूप में भर्ती किया जाता है इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल एसएसबी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है वे सीडीएसई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम (एनओसी) के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं

विशेष नौसेना वास्तुशिल्प प्रवेश योजना: सरकार ने हाल ही में 'विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना' (एसएनईएएस) के तहत भारतीय नौसेना में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में नौसेना वास्तुकार अफसरों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है नौसेना का एक सक्षम दल आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोच्चि (सीयूएसएटी) और आंध्र विश्वविद्यालय, जिनमें बी.टेक (नौसेना वास्तुशिल्प) पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, के कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने हेतु दौरा करता है चुने हुए उम्मीदवारों की निकटतम मिलिटरी अस्पताल में मेडिकल जांच की जाती है और उपयुक्त पाए जाने पर प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाता है

नौसैनिकों की भर्ती: नौसेना में भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार 'भर्ती योग्य पात्र पुरुष आबादी की राज्यवार मेरिट पर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है राज्य विशेष से भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या उन पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट और डॉक्टरी जांच तथा मेरिट में उनकी अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप होती है जाति/पंथ अथवा धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं होता है पात्र वालंटियरों से आवेदन पत्र मंगवाने हेतु सभी प्रमुख सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों और रोज़गार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं बहुत से स्कूलों/कॉलेजों और जिला सैनिक बोर्डें में भी प्रचार सामग्री भेजी जाती है स्थानीय प्रशासन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है

भर्ती के प्रकारः शैक्षिक योग्यताओं के साथ नाविकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं:-

(क) आर्टिफिसर स्प्रेंटिस (एए) - 10+2 (पीसीएम)
(ख) सीनियर सेकेंडरी रंगरूट (एसएसआर) - 10+2 (विज्ञान)
(ग) मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एमआर) - रसोइया, स्टीवार्ड एवं संगीतकार की भर्ती के लिए मैट्रिकुलेशन
(घ) गैर-मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एनएमआर), नाविकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए कक्षा VI
(ङ) सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

भारतीय वायुसेना में भर्ती

अफसरों का चयन

अफसरों की भर्ती: अफसरों की भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (एनडीए) और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है गैर यूपीएससी द्वारा अफसरों की भर्ती इस प्रकार की जाती है; एसएससी (पुरुष एवं महिला) उड़ान, एनसीसी भर्ती (पुरुषों के लिए), एएससी स्थायी (पुरुषों के लिए), जीडीओसी (गैर तकनीकी) (पुरुषों के लिए), एयरमैन भर्ती स्थायी (वायु योद्धाओं के लिए), एसएसएस (तकनीकी) (पुरुषों एवं महिलाओं के लिए) तथा एसएससी गैर तकनीकी (पुरुषों एवं महिलाओं के लिए)

सेवा चयन द्वारा भर्ती: सेवा चयन बोर्ड और वायुसेना बोर्ड फ्लाइंग (पायलट), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल), शिक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स, लेखा तथा मौसम विभागों में अफसरों का वायुसेना में चयन करता है

विश्वविद्यालय प्रवेश योजनाः विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत अंतिम और पूर्व अंतिम वर्ष इंजीनियरिंग संकाय के छात्र वायुसेना के तकनीकी विभागों में स्थायी कमीशन ऑफिसर भर्ती के योग्य होते हैं

महिला अफसरों की भर्ती: भारतीय वायुसेना में योग्य महिलाओं की भर्ती अल्पसेवा कमीशन ऑफिसरों के रूप में फ्लाइंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल),

शिक्षा, प्रशासन, मौसम, लेखा, लॉजिस्टिक्स विभागों में की जाती है

एनसीसी के माध्यम से भर्ती: वायुसेना में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा स्थायी कमीशन ऑफिसरों की भर्ती स्नातक में 50 प्रतिशत अंक और न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग वाला एनसीसी का 'सी' प्रमाण-पत्र रखने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों में से की जाती है फ्लाइंग ब्रांच कैडेट के पास 10+2 में मुख्य विषय के रूप में गणित और भौतिकी विषय होने चाहिए

ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती (पीओबीआर): ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती केंद्रित चयन प्रणाली के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय एयरमैन चयन बोर्ड (सीएएसबी) देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 14 एयरमैन चयन केंद्रों (एएससी) के सहयोग से अभ्यर्थियों का चयन करता है

प्रशिक्षण

रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान एक-दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे हैं जहां एक ओर कुछ संस्थान सभी तीनों सेवाओं यानी सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थान एकल सेवा की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं

तीनों सेवाओं का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध-नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र है इस कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों केब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं नामित अधिकारियों के ग्यारह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें सभी घरेलू क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं जिससे भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके

वेबसाइट: www.ndc.nic.in

रक्षा प्रबंधन कॉलेज

रक्षा प्रबंधन कॉलेज (सीडीएम) देश का एकमात्र त्रि-सेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निदेशात्मक और कार्यात्मक स्तरों पर रक्षा प्रबंधन की शिक्षा प्रदान करता है यह कॉलेज रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण पर कई असैन्य और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी भी करता है भारतीय सशस्त्र बलों में 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसे 'सैन्य मामलों में क्रांति' ने अनिवार्य बना दिया, सीडीएम ने अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना को सुधारा और यह ना तकरीबन 500 ऑफिसरों को प्रशिक्षित करता है सीडीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर प्रबंधन शिक्षा के लिए जरूरत के अनुसार कैप्सूल पाठ्यक्रम/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) भी विकसित किए हैं कई मित्र देश भी इन एमडीपी में शामिल होते हैं

वेबसाइट: www.Cdm.ap.nic.in

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) एक सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान (एएफटीआई) है, जो तीनों सेवाओं के चुनिंदा अधिकारियों के लिए और साथ ही केंद्रीय लोक सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी स्टाफ पाठ्यक्रम चलाता है इसके अतिरिक्त, मित्र देशों के रक्षा ऑफिसर भी इस कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे स्टाफ पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं डीएसएससी से पास होने वाले ऑफिसरों को चेन्नई विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की जाती है

वेबसाइट: www.dssc.gov.in

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संस्था है जहां सभी तीन सेवाओं के कैडेटों को उनसे संबंधित कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है एनडीए में भर्ती का आयोजन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो वर्ष में दो बार - अप्रैल और सितंबर में आयोजित की जाती है अभ्यर्थियों का 12वीं कक्षा पास होना तथा अकादमी में शामिल होते समय साढ़े सोलह वर्ष से साढ़े उन्नीस वर्ष के बीच की आयु का होना अपेक्षित है एनडीए में तीन वर्षों के पाठ्यक्रम को छह सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है और कैडेटों को बीए/बीएससी की डिग्री प्रदान की जाती है इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर कैडेट सशस्त्र सेना बलों में कमीशन प्राप्त अफसर बनने से पहले आगे का सेवा विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए अपनी-अपनी सेवा अकादमियों में जाते हैं वेबसाइट: www.nda.nic.in

भारतीय सैन्य अकादमी

वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, (आईएमए) देहरादून का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्णतः विकास करना है भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं:- एनडीए से स्नातक होने पर; सेना कैडेट कॉलेज से, जो आईएमए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर; सीधी भर्ती स्नातक कैडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं; तकनीकी पाठ्यक्रम (टीजीसी) के लिए; इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यूईएस) के अंतर्गत आईएमए मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है

अफसर प्रशिक्षण अकादमी

वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओटीएस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 1988 से इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) का नाम दिया गया वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जेंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओटीए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं

अफसर प्रशिक्षण अकादमी

अफसर प्रशिक्षण अकादमी 2011 में शुरू हुई थी फिलहाल इसकी प्रशिक्षण क्षमता 400 जैंटलमैन कैडेटों की है उत्तरोत्तर यह क्षमता बढ़ाकर 750 जैंटलमैन कैडेट की जाएगी ओटीए , गया निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है: 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना; विशेष कमीशन प्राप्त अफसर ओटीए. गया मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना 1948 में इंडियन मिलिट्री कैडेट कोर के तौर पर हुई थी यह संगठन स्कूल और कॉलेज के छात्रों को तीनों सेवाओं के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराता है इसने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं एनसीसी युवाओं में प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों को मजबूत करके, देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर तरह से विकास का प्रयत्न करता है, जिससे वे सफल नागरिक बन सकें एनसीसी का उद्देश्य है 'एकता और अनुशासन' एनसीसी कैडेटों की कुल स्वीकृत संख्या 15 लाख है इसमें वर्ष 2010 में दो लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या शामिल है इसके अधीन प्रतिवर्ष 40,000 कैडेटों को पांच चरणों में शामिल किया जा रहा है एनसीसी 16,288 संस्थानों के साथ देश के 716 में 703 जिलों में मौजूद है

सीनियर डिविजन/सीनियर विंग कैडेटों की भर्ती नीति को 2 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है

इसकी मदद से कैडेट्स के प्रशिक्षण स्तर और उनके आउटपुट की गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा एनसीसी को कक्षा 10 और 12 में अतिरिक्त/वैकल्पिक विषय के तौर पर शामिल किया गया है इसकी मदद से एनसीसी अधिक आकर्षक बनेगी और कैडेट्स को उनके शैक्षणिक नतीजों में अधिक अंक लेने में सहयोग मिलेगा

वेबसाइट: www.nccindia.nic.in

सैनिक स्कूल

सैनिक स्कूलों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था ये सैनिक स्कूल सोसायटी के अधीन कार्य करते हैं वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में 26 सैनिक स्कूल अवस्थित हैं सैनिक स्कूलों के उद्देश्यों में आम आदमी तक ऊंची पब्लिक स्कूल शिक्षा की पहुंच बनाना, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना एवं सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है सैनिक स्कूलों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में पहुंचने वाले कैडेटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की मार्फत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

देश में पांच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक के बंगलुरु और बेलगाम, हिमाचल प्रदेश के चैल और राजस्थान के अजमेर तथा धौलपुर में हैं ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण रूप से आवासीय स्कूल हैं जो रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करते हैं कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के परिणामों के आधार पर लड़कों की छठी और नवीं कक्षा में भर्ती होती है सेना, नौसेना और वायुसेना के जेसीओ/ओआर (पूर्व सैनिकों सहित) के आश्रितों के लिए 70 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं और शेष 30 प्रतिशत सीटें सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों (सेवानिवृत्त अफसरों सहित) तथा नागरिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहती हैं कुल 50 सीटें युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित होती हैं सभी श्रेणियों में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं

वेबसाइट: www.rashtriyarmilitaryschools.in

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज

भारतीय सशस्त्र बल में अधिकारी बनने के इच्छुक तथा भारत में जन्मे या रहने वाले लड़कों को आवश्यक प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) की वर्ष 1922 में स्थापना की गई थी यह संस्थान आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सहयोग संस्थान के रूप में काम कर रहा है आरआईएमसी के लिए चयन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है जिसमें एक लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार शामिल हैं यह कॉलेज लड़कों को आठवीं कक्षा में भर्ती करता है अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर बिना किसी आरक्षण के वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई में) प्रत्येक टर्म में 25 कैडेटों को भर्ती किया जाता है

वेबसाइट: www.rimc.gov.in

कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग

पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है यहां इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस तथा सिविलियन को प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अलावा, मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है सीएमई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से बी.टेक और एम.टेक डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भी सीएमई द्वारा चलाए जा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है

रक्षा उत्पादन

देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियारों, उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और उपस्करों के उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी गत वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोला-बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं विभाग ने रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की जिसका लक्ष्य है, निश्चित समयावधि में उपकरणों/हथियारों के डिजाइन, विकास और उत्पादन को पूरा करना

आयुध कारखाने

कोलकाता स्थित आयुध फैक्ट्री बोर्ड के मुख्यालय के तत्वावधान में आने वाली 41 फैक्टरियों - द इंडियन ऑर्डनेंस फैक्टरीज ऑर्गेनाइजेशन के पास रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 200 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है यह संस्थान भूमि, समुद्र और वायु उपकरणों के क्षेत्र में उत्पादन, परीक्षण, संचालन, अनुसंधान, विकास और मार्केटिंग के समग्र कार्यों से जुड़ा है भारतीय आयुध कारखाने रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे पुराना और बड़ा औद्योगिक ढांचा है आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपकरणों का एकीकृत केंद्र हैं और इनका प्रमुख लक्ष्य सशस्त्र सेनाओं को युद्ध से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है

आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) सेनाओं को अत्याधुनिक युद्ध उपकरण और गोला-बारूद मुहैया कराने के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है इनमें 155 मिमि. x 45 कैलिबर के 'धनुष' गन आर्मामेंट के लिए बाई-मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, बीएमपी-|| का उन्नयन आदि शामिल हैं ओएफबी डीआरडीओ के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूदों, जैसे 7.62 x 51 मिमि. असॉल्ट राइफल, प्रोटेक्टिव कार्बाइन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एम्युनिशन आदि, में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके उपरोक्त के अलावा, ओएफडी के 13 आयुध विकास केंद्र सेनाओं की भविष्य की आवश्यकताओं के विकास में लगे हुए हैं जैसे कि 'फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन', 'एयर डिफेंस गन फॉर आर्मी', 'माउंटेड गन सिस्टम' इसके लिए ओएफबी तकनीकों और उत्पादन के स्वदेशी विकास के लिए आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़ गया है

वेबसाइट: www.ofbindia.gov.in

रक्षा उपक्रम

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेडः वर्ष 1940 में स्थापित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एशिया की प्रमुख अग्रणी एयरोनॉटिकल कंपनी हैं एचएएल एक नवरत्न कंपनी है, जिसके पूरे में देश में नौ भौगोलिक क्षेत्रों में 20 उत्पादन डिविजन और 11 अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं एचएएल की विशेषज्ञता में विमानों, हेलिकॉप्टरों, एयरो इंजिनों, सहायक सामग्रियों, वैमानिकी और प्रणालियों के डिजाइन और विकास, उत्पादन, मरम्मत, ओवरहॉल तथा उन्नयन शामिल हैं एचएएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी बेड़ों के लिए और ओईएम ने जिन बेड़ों के सहायता देना बंद कर दिया है, जैसे कि एचएच-748, चीता/चेतक आदि, उन बेड़ों के लिए भी एचएएल भारतीय रक्षा सेवाओं को अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है यह कंपनी गैर-एचएएल उत्पादित विमानों और इंजनों के लिए भी सहायता प्रदान करती है जैसे कि मिराज 200, एएन-32, सी किंग हेलिकॉप्टर मॉड्यूल, जीनोम इंजन, टीएम-333 2बी2 इंजन आदि एचएएल भारतीय सेना और तटरक्षक बल के 100 प्रतिशत बेड़ों को अनुरक्षण सहायता देता है और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के संबंध में यह सहायता क्रमशः 75 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है एचएएल ने भारतीय रक्षा सेवाओं की विमानन आवश्यकताओं, जैसे- प्रशिक्षक, लड़ाकू , परिवहन विमान और हल्के हेलिकॉप्टरों, के लिए खुद को एक व्यापक समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित किया है

वेबसाइट: www.hal-india.co.in

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी देशभर में बीईएल की नौ विनिर्माण इकाइयां हैं कंपनी की मुख्य क्षमता रक्षा संचार, रडार और मिसाइल सिस्टम, सोनार एवं फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एवं वैमानिकी सिस्टम, नेटवर्क केंद्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, होम लैंड सिक्योरिटी आदि के क्षेत्रों में है कंपनी का तकरीबन 88 प्रतिशत टर्नओवर इन्हीं व्यावसायिक क्षेत्रों से आता है गैर-रक्षा क्षेत्र में बीईएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), टैबलेट पीसी (बीईएल द्वारा डिजाइन किए हुए), डॉपलर वेदर रडार, विभिन्न प्रकार के संघटक जैसे एकीकृत सर्किट, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर सैल आदि का निर्माण करता है इनके अलावा, बीईएल की मौजूदगी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और चुनिंदा गैर-रक्षा अनुप्रयोगों में भी हैं

वेबसाइट: www.bel-india.in

बीईएमएल लिमिटेड: 1964 में स्थापित बीईएमएल लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यह कोयला, खनन, इस्पात, सीमेंट, विद्युयत, सिंचाई, निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे, मेट्रो परिवहन प्रणाली और एयरोस्पेस जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री के बाद सेवा में लगा हुआ है बीईएमएल तीन व्यावसायिक श्रेणियों में कार्य करता है - खनन व निर्माण, रक्षा व एयरोस्पेस, रेल व मेट्रो तथा निर्यात गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग

वेबसाइट: www.bemlindia.in

भारत डायनेमिक्स लिमिटेडः मिनीरत्न श्रेणी-1 की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) का गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में किया गया था ऐंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (एटीजीएम) के निर्माण में अग्रणी बीडीएल और नवीनतम पीढ़ी के एटीजीएम का निर्माण करने वाली समेकित कंपनी का रूप ले चुकी है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, सामरिक हथियार, लांचर, पानी के अंदर मार करने वाले हथियार, दुश्मन को झांसा देने वाले और परीक्षण उपकरणों का निर्माण करती हैं सेना की मांग के अनुसार पुरानी मिसाइलों का आधुनिकीकरण करने और उनकी जीवन अवधि बढ़ाने का भी काम किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और महत्व को बढ़ाया जा सके

वेबसाइट: www.bdl-india.in

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिः मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लि. (एमडीएल) रक्षा उद्योग से जुड़ी अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी कंपनी को 1960 में भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था ऐसा करने के पीछे लक्ष्य इसे स्वदेशी युद्धपोत निर्माण करने के लिए प्रेरित करना था एमडीएल ने विभिन्न तरह के युद्धपोतों का निर्माण किया है जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिजेट्स, मिसाइल कोर्वेट्स, मिसाइल बोट्स और पनडुब्बियां इसके अलावा, एमडीएल ने कमर्शियल जहाज और ओएनजीसी के लिए रिग्स/प्लेटफॉर्स भी निर्मित किए हैं

युद्धपोत निर्माण के लिए कंपनी ने अपनी क्षमताओं में विस्तार भी किया है आधुनिकीकरण के संबंध में अतिरिक्त उत्पादन क्रम, मॉड्यूल वर्कशॉप और वेट बेसिन का निर्माण किया गया है पनडुब्बी निर्माण के लिए नई असेम्बली वर्कशॉप भी विकसित की गई है

वेबसाइट: www.mazagondeck.in

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेडः गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि. (जीआरएसई) एक मिनी रत्न श्रेणी-1 कंपनी है जिसे 1960 में रक्षा की पीएसयू के तौर पर निगमित किया गया था पिछले कई वर्षों से कंपनी ने पोत डिजाइन/पोत निर्माण में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है और

स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है अत्याधुनिक तेज़ हमलावर जहाजों के अलावा विश्वस्तरीय स्टेल्थ फ्रिजेट्स जैसे अनेकानेक जहाजों के निर्माण के साथ कंपनी पोत निर्माण में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है पोत निर्माण और मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने डीजल इंजन, विभिन्न डेक मशीनरी और प्री-फेब्रिकेटटेड स्टील ब्रिज जैसे अन्य इंजीनियरिंग व्यवसायों में भी कार्य विस्तार किया है कंपनी ने हाल में डीजल इंजन प्लांट का आधुनिकीकरण किया है और एमटीयू जर्मनी के साथ मिलकर स्वदेशी तौर पर मैरीन इंजन बनाने की शुरुआत की है

वेबसाइट: www.grse.in

गोवा शिपयार्ड लिमिटेडः गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) एक मिनी रत्न ग्रुप-1 स्तर की कंपनी है और इसका कार्य देश की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए उच्च तकनीक और परिष्कृत जहाजों का निर्माण करना है पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से, जीएसएल ने रक्षा वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए उच्चस्तरीय पोत डिजाइन और निर्मित किए हैं कंपनी की विशेषता स्टील और एल्युमिनियम ढांचे वाले आधुनिक पेट्रोल चालित पोतों का निर्माण करना है जीएसएल के उत्पादों में ऑफशोर पेट्रोल वैसल्स (ओपीवी), फास्ट पेट्रोल वैसल्स, मिसाइल नावे, सर्वे वैसल्स, लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी वैसल्स और अन्य सहायक जहाज शामिल होते हैं कंपनी ने ग्लास रीइन्फोर्ड प्लास्टिक (जीआरपी) इंटरसेप्टर नावों के निर्माण में भी सफलतापूर्वक कदम रखा है

वेबसाइट: www.goashipyard.in

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमि. (एचएसएल) की स्थापना मूल रूप से सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा 1941 में स्वदेशी जलयानों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी इस शिपयार्ड को 2010 में रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया इस शिपयार्ड का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है और पूर्वी समुद्री तट पर यह एक अग्रणी शिपयार्ड बनने की क्षमता रखता है एचएसएल में कई प्रकार जलपोतों का निर्माण किया जाता है जिनमें गश्ती लगाने वाली नौकाएं और पनडुब्बियों की मरम्मत आदि शामिल हैं अपनी स्थापना के बाद से यहां 179 जहाजों का निर्माण हो चुका है एचएसएल देश के पूर्वी तट पर स्थित है और यह जलपोतों का निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी है

वेबसाइट: www.hslvizag.in

मिश्र धातु निगम लिमिटेडः मिश्र धातु निगम लिमि. (एमआइडीएचएएनआइ) की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में की गई थी जिसका उद्देश्य शुरू में भारत के रक्षा उद्योग के सामरिक क्षेत्र में जरूरी महत्वपूर्ण सामग्री का निर्माण करना था मिधानी (एमआइडीएचएएनआइ) ढलाई के लिए धातु के पिंड (कास्ट इनगोट), फोर्जिंग, हॉट रोल्ड रॉड और कोल्ड रोल्ड रॉड, तार, धातु की चादरें एवं पट्टियां, अर्ध निर्मित आकार, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और औद्योगिक पेंच आदि रूपों में सुपर मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, स्पेशल स्टील, चुंबकीय मिश्र धातुओं का निर्माण करता है अपनी सीएसआर गतिविधि के अंग के तौर पर यह जरूरतमंद मरीजों के लिए बायो चिकित्सा इम्प्लांट भी बनाता है

वेबसाइट: www.midhani-india.in

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंस: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीक्यूए) सेना, नौसेना (युद्ध सामग्री को छोड़कर) और वायुसेना के लिए आयुध कारखानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं निजी क्षेत्र से मंगाई गई सामान्य वस्तुओं, रक्षा स्टोरों और उपकरणों, चाहे वे स्वदेशी हों या आयातित, की गुणवत्ता का आश्वासन दिलाता है यह देश की रक्षा तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डीजीक्यूए हथियारों को सेना में शामिल किए जाने से पहले उनका विस्तृत रूप से तकनीकी मूल्यांकन करता है जीडीक्यूए की भूमिका में बड़ा बदलाव आ गया है और अब वह क्वालिटी ऑडिट की जगह क्वालिटी प्रबंधन और निर्माण की प्रक्रिया का ऑडिट करता है क्योंकि नियंत्रित सिस्टम से स्वयं ही उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी

वेबसाइट: www.dgqadefence.gov.in

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंसः डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीएक्यूए) वायुसेना, थलसेना, नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के सैन्य उड्डयन स्टोरों

के क्वालिटी एश्युरेंस (क्यूए) की नियामक अथॉरिटी है यह रक्षा पीएसयू, आयुध कारखानों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, तेल रिफाइनरियों, निजी कंपनियों आदि में डिजाइन, विकास, उत्पादन, मरम्मत, उन्नतिकरण और सुधार के दौरान सेना के विमानों, हेलीकॉप्टरों, संबंधित उपकरणों, हवाई हथियारों, मानवरहित विमानों (यूएवी), मिसाइलों आदि को क्वालिटी एश्युरेंस मुहैया कराता है डीजीएक्यूए सैन्य उड्डयन स्टोरों की विदेशी खरीद के दौरान तकनीकी मूल्यांकन, फील्ड परीक्षण और प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन (पीडीआइ) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

वेबसाइट: www.dgaeroqa.gov.in

डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस) की स्थापना 1962 में की गई थी जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं की रक्षा सूची के प्रसार को नियंत्रित करना और उपकरणों/कलपुर्जों में सर्वोत्कृष्ट स्तर तक एकरूपता लाकर इसे सीमित करना था यह काम दिनोंदिन मानकीकरण, वस्तुओं के कोडिकरण और एंट्री कंट्रोल के जरिए पूरा किया जा रहा है

वेबसाइट www.ddpdos.gov.in

योजना एवं समन्वय निदेशालय

रक्षा उत्पादन विभाग से संबद्ध योजना एवं समन्वय निदेशालय की स्थापना 1964 में की गई थी इस निदेशालय का काम मेक इन इंडिया, एफडीआई नीति/औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में उदारीकरण, निजी क्षेत्र को समान अवसर देकर और स्वदेशी सामग्री की खरीद को प्राथमिकता देकर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है निदेशालय रक्षा विभाग के वेबसाइट पर, मेक इन इंडिया, पोर्टल का कामकाज देखने और उसे अपडेट करने का भी काम करता है यह निदेशालय रक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और दूसरे देशों को रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है इसके अलावा, यह सेना मुख्यालय के पूंजी (उपकरण आदि) अधिग्रहण प्रस्तावों पर सलाह देता है और रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीडीपी) को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह निदेशालय शिपयार्डों के जारी आधुनिकीकरण में भी बड़ी भूमिका निभाता है

भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां

भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का एक मंच उपलब्ध कराने के लिए रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ) एयरो इंडिया और डिफेक्सपो इंडिया नाम से द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करता है एयरो इंडिया जहां विमान और उड्यन उद्योग से संबंधित होता है, वहीं डिफेक्सपो इंडिया में थल एवं नौसेना के रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी की जाती है

विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां

भारतीय रक्षा उद्योग के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीईओ बड़े अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में, इंडिया पैवेलियन का आयोजन करता है ताकि भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के लिए बाजार विकसित किया जा सके

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिपबिल्डिंग

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिपबिल्डिंग (एनआइआरडीईएसएच) की स्थापना केरल के कोझीकोड में की गई है जिसका उद्देश्य रक्षा विभाग के लिए जलपोतों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है इस संस्थान को भारत के भावी जलपोत निर्माण कार्यक्रम के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में देखा गया है एनआइआरडीईएसएच के मुख्य कार्यों में अनुसंधान और विकास, जलपोतों का डिजाइन, प्रौद्योगिकी का विकास और प्रशिक्षण शामिल है

अनुसंधान और विकास

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है इसका गठन 1958 में किया गया था वैज्ञानिक समस्याओं पर रक्षा सेवा को सलाह और सहायता तथा रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 1948 में गठित रक्षा विज्ञान संगठन और तीनों सेनाओं के तकनीकी विकास स्थापना का विलय कर ही डीआरडीओ की स्थापना की गई प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए वर्ष 1980 में एक अलग रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का गठन किया गया वर्ष 1958 में इस प्रयोगशालाओं के साथ काम शुरू करने वाले डीआरडीओ के पास आज 46 प्रयोगशालाएं हैं ये प्रयोगशालाएं पूर्व में तेजपुर से पश्चिम में मुंबई तक और उत्तर में लेह से दक्षिण में कोच्चि तक फैली हैं डीआरडीओ हथियारों, प्लेटफार्मों और निगरानी सेंसरों के वैज्ञानिक पक्ष का आकलन करता है और सलाह देता है यह रक्षा सेनाओं के लिए उन्नत सेंसर, हथियार प्रणाली प्लेटफॉर्म तथा सहयोगी उपकरण के उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का विकास करता है

हाल में इसके कार्यों में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जोड़ दिया गया है, जिसमें जांच करने की क्षमता, सुरक्षा समाधान नेटवर्किंग पद्धतियां और साइबर सुरक्षा शामिल हैं इस प्रक्रिया में डीआरडीओ ने राष्ट्रीय अवसंरचना, औद्योगिक सुरक्षा की बड़ी क्षमता और समर्पित एवं उन्नत मानव संसाधन का विकास सुनिश्चित किया है

डीआरडीओं का प्रमुख रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता हैं जो रक्षा अनुसंधान विकास विभाग का सचिव और अनुसंधान एवं विकास का महानिदेशक भी होता है रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन की 46 प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के आधार पर इन्हें सात प्रौद्योगिक क्लस्टरों में बांटा गया है ये क्लस्टर हैं- 'आर्मामेंट और कम्बैट इंजीनियरिंग पद्धतियां (एसीई)', 'एयरोनॉटिकल पद्धतियां मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम (एमएसएस)', 'नौसेना पद्धतियां और सामग्री (एनएसएंडएम)', 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार पद्धतियां (ईसीएस)', 'माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कंप्यूटेशनल पद्धतियां (एमईडी एंड सीओएस)' और 'जीवन विज्ञान (एलएस)'

मानव संसाधन

उद्देश्यपूर्ण संस्था होने के नाते डीआरडीओ मानवशक्ति नियोजन की गतिशील प्रणाली का पालन करता है प्रयोगशालाओं के कार्यभार और नई परियोजना शुरू करने के कारण तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दूसरे वर्ष प्राधिकरण की समीक्षा की जाती है गतिशील मानवशक्ति प्रबंधन पद्धति के द्वारा यह संगठन मानवशक्ति का बेहतर इस्तेमाल करता है संगठन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए तथा सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयोगशालाओं की जरूरत के अनुसार हर वर्ष वैज्ञानिकों की भर्ती की जाती है अपनी सभी भर्तियों और मूल्यांकन के लिए डीआरडीओ ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करता है डीआरओ में कर्मियों की कुल संख्या 25,966 है इनमें से 7,574 रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा (डीआरडीएस) में, 9,643 रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) में तथा 8,775 प्रशासन एवं अन्य सहयोगी संवर्ग में है

डीआरडीओ प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अपने सभी संवर्गों के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है ये प्रशिक्षण संस्थान हैं डीआईएटी, पुणे (तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए), आईटीएम, मसूरी तकनीकी-प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए) और रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (तकनीकी, प्रशासनिक तथा संबद्ध संवर्ग के लिए) प्रायोजित कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष चुने हुए वैज्ञानिकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों में एमई/एमटेक/पी.एचडी करने के लिए भेजा जाता है डॉ. राजा रमन्ना कॉम्प्लेक्स, बंगलुरु में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों हेतु लक्षित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) भी डीआरडीओ के वार्षिक प्रशिक्षण का अंग है

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम चलाता है विभाग में पुनर्वास और पेंशन दो डिविजन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं- केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), महानिदेशालय (पुनर्वास) (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक

अनुदानित स्वास्थ्य योजना (सीओ, इसीएचएस) है

केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो शहीदों की विधवाओं/ युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों, ईएसएम और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है इसके कार्य में 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 392 जिला सैनिक बोर्ड सहायता करते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) शहीदों की जरूरतमंद विधवाओं/ विकलागों, ईएसएम और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है

वेबसाइट: www.ksb.gov.in

पुनर्वास महानिदेशालय

पुनर्वास महानिदेशालय एक त्रि-सेना संगठन है जो पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है और अफसरों, जेसीओ/ओआर तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्षों के साथ-साथ विधवाओं और आश्रितों को रोज़गार, स्वरोज़गार व प्रशिक्षण के बहुविध अवसर प्रदान करता है प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सैन्यकर्मी सेवानिवृत हो जाते हैं अथवा सक्रिय सेवा से हट जाते हैं, उनमें से अधिकांश की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होती है और उन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए दूसरा रोज़गार चाहिए होता है इन कर्मियों के रूप में देश के पास मूल्यवान, अनुशासित, सुप्रशिक्षित, प्रतिबद्ध एवं प्रतिभावान कार्मिक ताकत होती हैं

वेबसाइट: www.dgrindia.com

प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) को सेवा निवृत्त होने जा रहे/ सेवा निवृत्त हो चुके सैनिकों को दूसरी आजीविका के लिए तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) की समाज में उसके अनुरूप रोजगार उपलब्धता की दृष्टि से इन पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है

अधिकारी प्रशिक्षण: ईएसएम (अधिकारी) के प्रशिक्षण हेतु चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम, अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में परियोजना वित्तपोषण, शैक्षणिक संस्थाएं, आपूर्ति श्रृंखला, रिटेल, मानव संसाधन, सुविधा, आयात एवं निर्यात, इवेंट सिक्स सिग्मा, जेट ट्रांजीशन एंड सीफेरिंग इत्यादि जैसे- मॉड्यूलर प्रबंधन कार्यक्रम इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसी को स्व-रोज़गार के रूप में अपनी आजीविका बनाने के इच्छुक अधिकारियों के लिए छह सप्ताह का कॉरपोरेट सिक्युरिटी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम भी पहले से ही उपलब्ध है इन पाठ्यक्रमों की फीस का 60 प्रतिशत भुगतान डीजीआर द्वारा दिया जाता है अधिकारियों की विधवाएं भी इन पाठ्यक्रमों के योग्य मानी गई हैं

जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष प्रशिक्षण: जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष के लिए विभिन्न विधाओं में एक वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ये इस प्रकार हैं : सुरक्षा, अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा, 'ओ' स्तर की कंप्यूटर एवं आईटी, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, कृषि उत्पाद आधारित, व्यापार प्रबंधन, मॉड्यूलर प्रबंधन, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख, पुस्तकालय एवं सूचनाविज्ञान इत्यादि यह पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में चलाए जाते हैं इनमें लगने वाली शत-प्रतिशत फीस का भुगतान डीजीआर द्वारा किया जाता है विधवाएं जेसीओ / ओआर के एक आश्रित को भी डीजीआर द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है भूतपूर्व सैनिक अब डीजीआर प्रायोजित उस नियमित पाठ्क्रम में भी भाग ले सकते हैं जो सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारी द्वारा पूरी तरह से आवेदित न हो डीजीआर के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने का एक उद्देश्य यह भी है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पहले यदि ऐसे किसी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया हो, वे अब अपना कौशल सुधारने के लिए इन पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं सभी रेजिमेंटल सेंटर्स पर प्रतिमाह ऐसे दो नियमित पाठ्यक्रम पेंशन प्रक्रिया में आने वाले सैनिकों के लिए चलाए जाने की योजना है

ईएसएम प्रशिक्षण: इस योजना के अंतर्गत राज्य सैनिक बोर्डों को अपने-अपने राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के

लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए कोष आवंटित किया जाता है यह योजना मुख्यतः उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो कार्यकाल के दौरान पुनर्वास के लिए ऐसी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा सके थे

रोजगार के अवसर

सरकारी नौकरियों में आरक्षण: केंद्र सरकार ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की है : (अ) समूह 'ग' रिक्तियों में 10 प्रतिशत और समूह 'घ' पदों में 20 प्रतिशत इसके अतिरिक्त हर श्रेणी में 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांग हो चुके जवानों और विधवाओं/आश्रितों के लिए आरक्षित होंगे (आ) लोक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह 'ग' पदों में 14.5 प्रतिशत और समूह 'घ' पदों में 24.5 प्रतिशत (इ) अर्ध सैनिक बलों में सहायक सेनानी (कमांडेंट) पद के लिए 10 प्रतिशत और (ई) रक्षा सुरक्षा कोर में शत-प्रतिशत

आरक्षण का क्रियान्वयनः भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया है विभिन्न संगठनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 30 जून, 2015 तक की अवधि के लिए अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है

कॉरपोरेट/ निजी क्षेत्र में रोजगारः भूतपूर्व सैनिकों के लिए कॉरपोरेट/निजी क्षेत्र में रोजगार की अच्छी-खासी संभावनाएं हैं इस बारे में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों से अपने यहां भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए अनुरोध करने हेतु डीजीआर ने अगस्त 2014 में एक नेशनल कॉरपोरेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया था जिसमें कॉरपोरेट प्रमुखों के समक्ष भूतपूर्व सैनिकों की कार्यक्षमता का विवरण प्रस्तुत किया गया और रक्षा मंत्री ने उनसे अपने क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी खोलने का अनुरोध किया था इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डीजीआर ने भर्ती उद्योग महासंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं

स्व-रोजगार के लिए योजनाएं

कोयला ढुलान योजनाएं एवं टिपर संयोजनः जुलाई 2014 में नया समझौता ज्ञापन और दिशानिर्देशों के साथ इस योजना को फिर से तैयार किया गया है

कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा संचालित खुदरा (रिटेल) दुकानें: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप डीजीआर ने पूरे भारत में कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा संचालित खुदरा (रिटेल) आउटलेट्स योजना (सीओसीओ) के अंतर्गत आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स के प्रबंधन के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना प्रारंभ किया है

गोपालजी डेयरी एंड फ्रेश फार्म्सः इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जेसीओ/ओआर को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाना है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधनः नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को शामिल करने के लिए इस योजना का कार्यक्षेत्र पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित कर दिया गया है

सेना के अधिशेष 'वी' 'बी' श्रेणी वाहनों का आवंटनः भूतपूर्व सैनिक और सेवा अवधि के दौरान ही जिन सैनिकों का निधन हो गया, उनकी विधवाओं को सेना के अधिशेष 'वी' 'बी' श्रेणी वाहनों का आवंटन करने के योग्य माना गया है वर्ष के दौरान 75 भूतपूर्व सैनिकों का डीजीआर में पंजीकरण किया गया है

तेल उत्पाद एजेंसी योजनाः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल कंपनियों द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार डीजीआर को 8 प्रतिशत रक्षा कोटा के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है

स्वास्थ्य देखरेख

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजनाः भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत पहली अप्रैल 2003 को हुई थी अक्टूबर 2010 में इस विस्तार किया गया ईसीएचएस योजना का लक्ष्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अच्छी स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना है जो उन्हें देशभर में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों, सेना चिकित्सा सुविधाओं तथा नागरिक क्षेत्र के सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड)/शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से दी जाएंगी यह योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) की

तरह ही है और इसका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है इसके अंतर्गत वरिष्ठ सैन्यकर्मियों व उनके आश्रितों को इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा सुनिश्चित करना है

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों को 'बहिरंग रोगी स्वास्थ्य सेवा' के रूप में इस प्रकार गठित किया गया है जिसमें परामर्श, आवश्यक परीक्षण और औषधि उपलब्धता का प्रावधान है विशिष्ट परामर्श, परीक्षण और अंतरंग रोगी सेवा (चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती किया जाना) को सेना चिकित्सालयों, सभी सरकारी अस्पतालों के साथ ही ईसीएचएस के अंतर्गत इम्पैनल्ड नागरिक चिकित्सा सुविधाओं में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है

केंद्रीय संगठनः शीर्षस्थ स्तर पर केंद्रीय संगठन अर्थात ईसीएचएस नई दिल्ली में स्थित है जो रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में सेनाध्यक्षों की समिति (चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी) के अधीन एडजुटेंट जनरल के माध्यम से कार्यरत है केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष सेवारत मेजर जनरल होते हैं ईसीएचएस की कार्यकारी शक्तियां भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में निहित होती हैं

ईसीएचएस टोल फ्री हेल्पलाइनः सभी ईसीएचएस सदस्यों को 1800-114-115 नंबर पर टोल फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध करवाई गई है जहां से वे अपनी सदस्यता, उपचार और रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे यह सुविधा सभी कार्यदिवसों पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध होगी

ईसीएचएस वेबसाइटः ईसीएचएस से संबंधित सभी सूचनाएं, जिसमें इम्पैनल्ड सुविधाओं की सूची, सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र और नवीनतम नीतियां इत्यादि www.echs.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

रक्षा पेंशन

तकरीबन 31 लाख रक्षा पेंशन भोगियों/परिवार के पेंशनभोगियों को पूरे भारतवर्ष में फैले 21 सरकारी बैंकों, 3 निजी बैंकों, 283 कोषागारों, 64 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डीपीडीओ), 1 डाकघर, 1 वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) के माध्यम से वितरित की जाती है नेपाल में रह रहे सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का वितरण 3 पेंशन भुगतान कार्यालयों (पीपीओ) के माध्यम से किया जाता है

10 शिक्षा



शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, ऐसे में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले मजबूत देश को अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है इसके लिए उनके समग्र विकास की आवश्यकता है, जोकि शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से किया जा सकता है अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमिता का आधार है जो व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास एवं समृद्धि की शुरुआत करती है इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों और अध्यापन कार्य को समाज एवं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है इसके अलावा समस्या के समाधान की गुणवत्ता एवं कलात्मक सोच, अभ्यास के जरिए सीखने और युवावस्था से हीं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की कला को बढ़ावा देने की आवश्यकता है

मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, यथा- (1) अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन, (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन, (3) छात्रों के लिए 'राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' (एनएमएमएसएस), माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई), जम्मू एवं कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसे कार्यक्रम, (4) भेदभाव के निवारण के लिए विनियम और लोकपाल (ओम्वड्समैन) की स्थापना और (5) रैगिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित करना भारत सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए, इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना व जनजातीय उप-योजना (एससीएसपी, टीएसपी) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय में सभी को तथा इस विभाग के अंतर्गत सभी संगठनों व संस्थाओं को भेज दिए गए हैं मंत्रालय का जोर पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और जम्मू एवं कश्मीर सहित देश के सभी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित शैक्षणिक विकास पर रहा है वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है: (क) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और (ख) उच्च शिक्षा विभाग

वेबसाइट: www.mhrd.gov.in

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान

भारत के संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 देश में वर्ष 2010 में लागू हुआ आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है इन स्कूलों को कुछ अनिवार्य सिद्धांतों और मानकों का पालन करना होता है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने आरटीई नियमों की अधिसूचना जारी कर चुके हैं केंद्र प्रायोजित सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए); आरटीई अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देता है इसमें नये विद्यालयों की स्थापना, स्कूलों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल सुविधाएं, शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनीफॉर्म, सीखने के स्तर में सुधार हेतु, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी जैसे सहयोग शामिल होते हैं

कार्यक्रम हस्तक्षेप

1. सर्व सुलभता

प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) कार्यक्रम वर्ष 2001 से लागू किया गया है इसने शिक्षा को निष्पक्ष और सर्वसुलभ बनाने में काफी प्रगति की है

(क) नये स्कूलः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्षों में सर्व सुलभता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निरंतर बनी हुई है पिछले वर्षों में 2,04,740 प्राथमिक विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में 1,59,415 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है

(ख) स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण: आरटीई अधिनियम में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है स्कूल न जाने वाले बच्चों में से अधिकतर बच्चे वंचित (सुविधाहीन) समुदायों से आते हैं इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, प्रवासी, दिव्यांग, शहरी वंचित, कामकाजी, अन्य कठिन परिस्थितियों से आए बच्चे यथा- दुर्गम स्थानों में रहने वाले बच्चे, विस्थापित परिवारों के बच्चे और गृहयुद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे इत्यादि सम्मिलित हैं विशेष प्रशिक्षण, आवासीय अथवा गैर-आवासीय पाठ्यक्रम के तौर पर दिया जा सकता है विद्यालय परिसरों में ही यह व्यवस्था की जाती है परंतु यदि विद्यालय में इस तरह की वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो सुरक्षित और सुगम हों तब प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती हैं

(ग) आवासीय सुविधाएं: पर्वतीय अथवा बिखरे हुए तथा घने जंगलों वाले दुर्गम क्षेत्रों में स्कूली छात्रों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधा दी जाती है एसएसए ने 90,855 छात्रों की क्षमता वाली 826 आवासीय संस्थाएं प्रदान की हैं

(घ) परिवहन अथवा अनुरक्षण सुविधाएं: ये सुविधाएं उन बच्चों को प्रदान की जाती हैं जो दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियों में रहते हैं, या उन शहरी क्षेत्रों में जहां ज़मीन का मिलना एक समस्या है, या उन बच्चों को दी जाती है जो अत्यंत वंचित वर्ग के हैं अथवा विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) हैं

(ङ) पोशाकः सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को स्कूली वर्दी के दो-दो सेट दिए जाते हैं वर्दी देने का यह प्रावधान उस स्थिति में लागू होता है जहां:- (i) राज्य सरकारों ने अपने-अपने आरटीई कानूनों में यह प्रावधान किया है कि स्कूली वर्दी बच्चों का अधिकार है, (ii) राज्य सरकारें अपने बजट से पहले से ही वर्दी नहीं दे रही होती हैं

II. प्राथमिक शिक्षा में लड़के-लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना

(क) बालिका शिक्षाः आरटीई-एसएसए लड़कियों और वंचित तथा कमज़ोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर स्पष्ट जोर और विशेष ध्यान देता है एसएसए के तहत सामान्य हस्तक्षेप सभी लड़कियों और वंचित तथा कमजोर वर्गों के बच्चों पर लागू होता है इसमें आरटीई नियमों के अनुसार बस्तियों के अंदर ही प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है विशेष प्रशिक्षण के हस्तक्षेप भी मुख्यतः लड़कियों और वंचित समूहों पर ही केंद्रित होते हैं, क्योंकि यह बच्चों का वह वर्ग है जो शिक्षा के अवसर से सबसे अधिक वंचित हैं

(ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय *(*केजीबीवी*):* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)- अनु.जा., अनु.जन. जा., अ.पि.व, मुस्लिम समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं ये विद्यालय उन विकास खंडों में खोले गए हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां विद्यालय काफी दूरी पर हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा एक चुनौती है केजीबीवी उन किशोरियों को शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं जो नियमित विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं ये विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं जो दस वर्ष से अधिक आयु की हैं तथा प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी कर सकी हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं ये विद्यालय उन किशोरियों के लिए भी हैं जो दुर्गम और बिखरी हुई आबादी वाले उन क्षेत्रों के प्रवासी परिवारों से आती हैं, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पात्रता नहीं रखते केजीबीवी में 75 प्रतिशत स्थान अ.जा, अ.ज.जा, ओबीसी और अल्पसंख्यक परिवारों की बालिकाओं के लिए

आरक्षित होते हैं जबकि 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं राज्यों में 3.600 ऐसे विद्यालय हैं और इनमें 3,66,756 बालिकाएं सूचीबद्ध हैं

(ग) स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों से लिंग *(*जेंडर) के आधार पर भेदभाव हटानाः 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क' (एनसीएफ) वर्ष 2005 के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने जेंडर (यानी बालक-बालिकाओं के बीच अंतर) को बालिकाओं और महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के जरिए, बदलाव का महत्वपूर्ण नमूना स्थापित करने का सुविचारित निर्णय लिया है इसमें उनकी भूमिका को बदलने की व्यवस्था भी है अधिकतर राज्यों ने बालिकाओं की भर्ती, अनुत्तीर्णता और शिक्षा पूरी करने जैसे विषयों से निपटने के लिए अपनी नियमित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर को शामिल किया है बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता के मद्देनजर विद्यालयों में छात्राओं के लिए उचित वातावरण तैयार करने, जेंडर जागरुकता पर चर्चा के लिए महिला शिक्षकों के साथ सद्भावपूर्ण संपर्क आदि पर ध्यान दिया जाता है राज्यों में जेंडर संबंधित मुद्दों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेषकर किशोरियों से जुड़े जेंडर संबंधी मुद्दों पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है

(घ) बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु डिजिटल जेंडर एटलसः विद्यालयीन शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वेबसाइट पर भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति पर एक एटलस तैयार किया है यूनीसेफ की सहायता से निर्मित यह साधन उन क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा जहां पर अनु.जा., अनु.जन.जा. और मुस्लिम समुदायों जैसे वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर है शैक्षिक हस्तक्षेप की योजना बनाने और उसे लागू करने की दृष्टि से जेंडर एटलस का उद्देश्य विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित लड़कियों की समान शिक्षा को सुनिश्चित और चिह्नित करने में मदद करना है

(च) बालिकाओं के लिए अलग शौचालयः सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य स्कुल, गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में योजना बनाते हैं इन सुविधाओं में शौचालय और पेयजल भी शामिल है इसे उनकी वार्षिक कार्ययोजनाओं एवं बजट में दर्शाया जाता है सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत सभी नए स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय की सुविधा है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में बालिकाओं की शिक्षा का आह्वान करते हुए संकल्प व्यक्त किया कि एक वर्ष के अंदर राष्ट्र के सभी स्कूलों में शौचालय होगा; लड़कियों के लिए अलग शौचालय होंगे ताकि पढ़ाई बीच में छोड़ने को उन्हें विवश न होना पड़े प्रधानमंत्री के इस प्रेरक आह्वान को देखते हुए विद्यालयीन शिक्षा विभाग में 64 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 11 निजी कॉरपोरेट कंपनियों की भागीदारी में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए विद्यालय पहल की शुरुआत की

III समावेशी शिक्षा

(क) अनु. जाति, अनु. जनजाति और मुसलमान प्राथमिक स्कूलों में अनु. जाति के बच्चों का पंजीकरण 2015-16 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2010-11 में 19.06 प्रतिशत था यह (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) देश की इनकी कुल आबादी 16.60 प्रतिशत से अधिक है प्राथमिक स्तर पर अनु. जनजाति के बच्चों के पंजीकरण में वर्ष 2010-11 के मुकाबले वर्ष 2015-16 में मामूली गिरावट आई और यह 10.70 प्रतिशत से घटकर 10.35 प्रतिशत पर आ गया यह (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार), देश की कुल आबादी में इनकी 8.60 प्रतिशत संख्या से अधिक है मुसलमानों का पंजीकरण वर्ष 2010-11 के 12.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13.8 प्रतिशत हो गया यह इनकी 14.2 प्रतिशत आबादी (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से थोड़ा कम है वर्ष 2016-17 के लिए एसएसए के अंतर्गत कुल आवंटन का 19 प्रतिशत मुस्लिम बहुलता वाले 88 विशेष फोकस्ड जिलों के लिए किया गया है एसटी फोकस्ड वाले 109 जिलों के लिए वर्ष 2016-17 में एसएसए के तहत कुल आवंटन के 13 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है एसएसए के अंतर्गत कुल आवंटन का 19 प्रतिशत 61 एससी फोकस्ड जिलों के लिए निर्धारित किया गया है

(ख) दिव्यांग बच्चे *(*सीडब्ल्यूएसएन) आरटीई-एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर दिव्यांग बच्चे को चाहे वह किसी भी प्रकार से और कितना भी अशक्त क्यों न हो, उसे उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ऐसे बच्चों के लिए एसएसए हस्तक्षेप के मुख्य घटकों में शामिल हैं– शिनाख्त, क्रियाशीलता तथा औपचारिक आकलन, पर्याप्त शैक्षिक नियोजन, वैयक्तिक शिक्षा योजना की तैयारी,

सहायक यंत्रो तथा उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन समर्थन, संरचनात्मक बाधाओं को हटाना, निगरानी तथा मूल्यांकन और दिव्यांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना

(ग) बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं वर्ष 2016-17 में 8.38 करोड़ बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया गतिविधि आधारित कक्षा प्रक्रियाओं की सुविधा और सीखने की प्रक्रियाओं के संपूरण के लिए कई राज्यों द्वारा वर्कबुक और वर्कशीट उपलब्ध कराई जा रही हैं

IV. सर्वशिक्षा अभियान के तहत उप-कार्यक्रम

(क) पढ़े भारत, बढ़े भारत *(*पीबीबीबी*):* सर्व शिक्षा अभियान के इस उप-कार्यक्रम का उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में समझ के साथ पढ़ाई-लिखाई और गणित पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट हस्तक्षेप लागू कर रहे हैं तमिलनाडु में एबीएल, कनार्टक में नल्ली काली और गुजरात में प्रज्ञा के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित करने के कदम उठाए गए हैं पंजाब, मेघालय और दिल्ली ने पहली तथा दूसरी कक्षा में गणित की पढ़ाई को और बेहतर करने का कार्यक्रम शुरू किया है सिक्किम में समुदाय के सदस्यों की मदद से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए कक्षा बनाए गए हैं

(ख) सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' (आरएए) की शुरुआत स्व. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी इसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट व प्रेरित करना है ऐसा, कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, प्रयोग, अनुमान, चित्रांकन तथा मॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है आईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईटी जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों ने परामर्श के लिए स्कूलों को गोद लिया है कुछ राज्यों में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्द्धन के लिए उन्हें कारखानों और अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है विद्यालय स्तरों पर विज्ञान और गणित के क्लब गठित किए जा रहे हैं, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी खोज (नवाचार) दर्शाने के लिए छात्र प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं

(ग) सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक अन्य उप-कार्यक्रम 'विद्यांजलि' है इसका उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान के तत्वावधान में देशभर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है इसका उद्देश्य स्वयंसेवियों की सेवाओं के जरिए सरकारी विद्यालयों में सह-शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू करना है

(घ) शगुन पोर्टल*:* मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'शगुन' नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया है 'शगुन' 'शाला' और 'गुणवत्ता' शब्दों से निकला है राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षण के दो भाग हैं यथा, एक है श्रेष्ठ अभ्यासों, चित्रों, वीडियोज़, अध्ययनों, समाचार-पत्र आलेखों का संग्रह केंद्र ये सब सभी के उपयोग के लिए होंगे शगुन का वेबपोर्टल है: http://ssashagun.nic.in

V शिक्षक प्रशिक्षण

(क) शिक्षकों की उपलब्धताः प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2016-17 तक 19.49 लाख अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है शिक्षा का अधिकार के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा-टीईटी पास की हो सीबीएसई ऐसी ग्यारह परीक्षाएं आयोजित कर चुका है एसएसए के तहत 2.34 लाख अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है

(ख) सेवाकाल में शिक्षक प्रशिक्षण*:* शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए उनके सेवाकाल में एसएसए सभी शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन का प्रशिक्षण देता है एनसीटीई के मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जा चुके प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को दो वर्ष तक सालाना 6,000 रुपये की सहयता दी जाती है इसके अलावा नई भर्ती वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को एक महीने का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में अध्ययन प्रक्रिया और कक्षाओं में विद्या प्राप्ति के तरीकों में सुधार के लिए विषयवस्तु तथा तौर-तरीकों सहित, अध्यापन संबंधी सभी मुद्दों पर जोर दिया जाता है इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं- एनसीएफ 2005 के दिशानिर्देशक सिद्धांत, सीसीई, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय-विशिष्ट सामग्री अथवा

अध्ययन संबंधी मुश्किलें, गतिविधि उन्मुख पद्धतियां, टीएलएम अथवा अध्ययन किट का उपयोग

(ग) प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण: शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शिक्षण प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है

(घ) शिक्षकों के लिए सुदूर शिक्षा कार्यक्रमः कार्मिकों और संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' (इग्नू) तथा विभिन्न राज्यों में अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों की सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा सामग्री की डिजाइनिंग, विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है इस तरह राज्यों में पेशेवर रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है

VI. शिक्षण सहायता प्रणाली

(क) शैक्षिक सहायता ढांचाः शिक्षकों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता देने, उनके प्रशिक्षण तथा निरीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्र बनाए गए हैं सितंबर 2016 तक देशभर में 6,759 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 76,064 क्लस्टर संसाधन केंद्र बनाए जा चुके हैं

(ख) स्कूल और शिक्षक अनुदान: एसएसए, प्रासंगिक शिक्षण सहायता के लिए सभी शिक्षकों को 500 रुपये का अनुदान देता है डीआईईटी और बीआरसी विषय संबंधी कम कीमत की शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं स्कूलों में उपयोग की जानेवाली वस्तुओं पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5,000 और अन्य को 7,000 रुपये दिए जाते हैं इसके अलावा हरेक स्कूल को 7,500 रुपये रखरखाव के लिए दिए जाते हैं प्रत्येक नए प्राथमिक विद्यालय को 'टीचिंग, लर्निंग इक्विपमेंट' अनुदान के रूप में एक मुश्त 20,000 रुपये और इसमें उच्च स्तर के विद्यालयों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं

(ग) कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई: एसएएस के तहत स्कूलों में कंप्यूटर की मदद से बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है यह स्कूलों को कंप्यूटर उपकरणों अथवा प्रयोगशालाओं, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम आधारित ई-लर्निंग सामग्री के विकास और कंप्यूटर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए होता है इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद लगभग 1,06,753 स्कूल इससे लाभान्वित हुए हैं

(घ) प्रवीणता वृद्धि कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल व्यय का दो प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्ययन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार कर अच्छे नतीजे हासिल करना है

(ङ) विद्यार्थियों के अध्ययन के नतीजों में सुधारः एसएसए के विभिन्न गुणवत्ता हस्तक्षेपों का असर बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होने के नाते एनसीईआरटी ने एमएचआरडी की सलाह पर कक्षा 3, 5 और 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के निष्पादन स्तर को मापने का एक कार्यक्रम शुरू किया है कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के पठन-पाठन स्तर का आकलन करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एनसीईआरटी का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाता है एनएएस का सर्वेक्षण छात्रों की उपलब्धियों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराता है ताकि प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके एसएसए का प्रमुख घटक विद्यार्थियों के अध्ययन के नतीजों में सुधार करना है पठन-पाठन पर 'राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण' (एनएएस) के परिणामों के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को राज्य पठन-पाठन उपलब्धि सर्वेक्षण कराने के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है ताकि प्रखंड और जिला स्तर पर पठन-पाठन उपलब्धियों के सूक्ष्म स्तरीय चित्र स्पष्ट हो सके

VII. बुनियादी ढांचा

आरटीई-एसएसए, निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में राज्यों के प्रति काफी लचीला है केंद्र न तो डिजाइन और न ही इकाई की लागत का निर्धारण करता है राज्यों को स्थानीय स्थितियों के आधार पर भवन का डिजाइन तैयार करने और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दरों की सूची के आधार पर लागत अनुमान लगाने की छूट है हालांकि स्कूलों के आधारभूत ढांचे का प्रावधान अकेले राज्य की ही गतिविधि नहीं है

स्कूली बच्चों के पंजीकरण, हाजिरी तथा उनके पढ़ाइ जारी रखने में स्कूल के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता और डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका है एसएसए के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्य आरटीई के प्रावधानों के अनुसार हर मौसम के अनुकूल भवन उपलब्ध कराते हैं आरटीई- एसएसए के तहत स्थानीय समुदाय में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए सभी नागरिक कार्य संबंधी गतिविधियों में उन्हें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ठेकेदारों के निर्माण कार्य की तुलना में समुदाय जनित स्कूलों का निर्माण गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर साबित हुआ है स्कूल भवनों के स्थल और डिजाइन के चयन तथा देखरेख में समुदाय से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा रहती है देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां समुदाय ने अपने गांव के स्कूल के सुधार में धन व श्रम के लिहाज से उल्लेखनीय योगदान किया है

आरटीई एसएसए पुराने भवनों की मरम्मत में भी मदद करता है भवनरहित, जीर्ण-शीर्ण और नवीकृत स्कूली भवनों को जोखिम रहित बनाने का भी प्रावधान किया गया है आरटीई-एसएसए ने अब निर्माण कार्यों का अन्य पक्ष से मूल्यांकन कराया है निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक निरीक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है

स्कूल प्रबंधन समितियां और सामुदायिक भागीदारी

एसएसए ने सरकारी स्कूलों के प्रभावी संचालन के लिए समुदाय के स्वामित्व के महत्व को हमेशा स्वीकार किया है नियमों के अनुसार स्कूलों के लिए प्रबंधन समितियां (एसएमसी) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है इनके सदस्य संबंधित स्कूलों के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होते हैं

निगरानी संस्थान

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसएसए के कार्यान्वयन की सावधि निगरानी का काम विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा समाज विज्ञान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सौंपा गया है बड़े राज्यों में निगरानी का काम एक से अधिक संस्थानों को सौंपा गया है इन निगरानी संस्थानों को क्षेत्र का दौरा कर हर छह महीने में जमीनी स्तर पर एसएसए की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देने का काम दिया गया है हर दो साल बाद यह चक्र दोहराया जाता है एसएएस कार्यक्रम के तहत आवश्यकता के अनुरूप निगरानी संस्थानों की सीमा क्षेत्रों में बदलाव किया जाता है

आरटीई कानून की धारा *12 (1) (*ग*)* के तहत प्रवेश

इसके तहत गैर-सहायता प्राप्त सभी निजी और विशेष श्रेणी के स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है एसएसए के तहत भारत सरकार निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश पर किया गया व्यय राज्यों को वापस देगी यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा लागत नियमों पर आधारित होगा और एसएसए वार्षिक कार्ययोजना और बजट राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक होगा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य और अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उसकी गुणवत्ता सुधारना है इसमें बस्तियों में उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वर्ष 2017 तक 'सकल भर्ती अनुपात' (जीईआर) शत-प्रतिशत हो जाए और वर्ष 2020 तक सभी स्कूली बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें इसके अलावा सभी स्कूलों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, छात्राओं के साथ भेदभाव ख़त्म करना, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाएं समाप्त कर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनमें शामिल हैं; (i) अतिरिक्त कक्षा कमरे, (ii) प्रयोगशालाएं, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला एवं शिल्प कक्ष, (v) शौचालय खंड, (vi) पेयजल प्रावधान, (vii) विद्युत, टेलीफोन तथा इंटरनेट कनेक्टीविटी और (vii) दिव्यांगनुकूल प्रावधान

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरएमएसए के तहत की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

(i) शाला सिद्धिः वर्ष 2015 को स्कूल मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वेब पोर्टल शुरू किया गया स्कूलों में सुधार के लिए उनके मूल्यांकन के वास्ते यह एक व्यापक माध्यम है राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अधिक दक्ष और संकेंद्रित तरीके से अपने कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सक्षम बनाना है इससे उन्हें सुधार के लिए पेशेवर परख में सहायता मिलती है इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों और उनके मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक स्कूल के लिए सहमति वाले मानक स्थापित करना है

(ii) शाला दर्पण: सभी 1,099 केंद्रीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण परियोजना जून 2015 को शुरू की गई थी इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदायों के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है स्कूल सूचना सेवाओं के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी- स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, विद्यार्थी प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारी की जानकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अवकाश प्रबंध, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम पता लगाने का तरीका, विद्यार्थियों व प्रशासन के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट

(iii) जीआईएस मैपिंग: बिना किसी भेदभाव के उचित दूरी पर किसी भी बस्ती के माध्यमिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईएसआई में उपलब्ध स्कूल की सूचना सहित उसके भौगोलिक निर्देशांक, स्कूल के जीआईएस युक्त प्लेटफार्म http://schoolgis.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने एनआईसी के साथ स्कूलों की भौगोलिक निर्देशांक और जीआईएस मैपिंग को साझा किया है इस मैपिंग को यूडीआईएसई डाटा बेस से लिंक किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्कूल की मैपिंग की गई है और यह यूडीआईएसई जानकारी पर आधारित विस्तृत स्कूल रिपोर्ट के अनुरूप है स्कूल की सूचना (स्थानिक एवं गैर-स्थानिक आंकड़ों) के बारे में वेब युक्त प्लेटफार्म तैयार करने का प्रयास एसएसए तथा आरएमएसए के अंतर्गत नियोजन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और साधनों की उपलब्धता का बेहतर उपयोग हो सकेगा

(iv) कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षणः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण किया दसवीं कक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएएस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट 4 जनवरी, 2016 को मंत्रालय को सौंपी गई थी इसमें पांच विषयों- अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा में विद्यार्थियों के निष्पादन का परीक्षण किया जाता है नमूना डिज़ाइन की वैज्ञानिक प्रक्रिया, परीक्षण विकास और अनुवाद में तकनीकी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के बाद यह परीक्षण 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है

बच्चों की उपलब्धि उनकी पृष्ठभूमि के विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है सर्वेक्षण में इसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है उपलब्धि के अंकों और पृष्ठभूमि की विविधता की गहराई से विश्लेषण से नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम तैयार करने वालों तथा अन्य संबद्ध पक्षों को पूरी जानकारी मिलती है तदनुसार विभिन्न विषयों के संदर्भ में शैक्षणिक पहलुओं में सुधार के लिए एनएएस के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण (सेवा-पूर्व और सेवाकालीन) कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे इससे राज्यों को पाठ्यक्रम अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने तथा पाठ्यक्रम सुधार शुरू करने में मदद मिलेगी

(v) कला उत्सवः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कला उत्सव पहल का उद्देश्य शिक्षा में कला (संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कला तथा शिल्प) को बढ़ावा देना है उच्चतर शिक्षा के स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा के पोषण और प्रदर्शन से ऐसा किया जाता है यह, कलाओं को समग्र रूप में महत्व देने का एक मंच भी है

*(vi)*विज्ञान तथा गणित पर संकेंद्रण: वर्ष 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया इसके तहत विज्ञान और गणित के 1.04 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, इन विषयों के किट दिए गए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्रों तथा संग्राहलयों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विज्ञान का विशेष शिक्षण दिया गया, वैदिक गणित का शिक्षण दिया गया और जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई

(vii) शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः

आईसीटी के तहत सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी के इस्तेमाल और कंप्यूटर से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी के अभिनव इस्तेमाल के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षकों को प्रेरित करने के वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का प्रावधान है

(viii) विद्यार्थियों और शिक्षकों संबंधी: वर्ष 2016 में आधार के तहत 5-18 वर्ष की आयु के 25,04,73,095 (लगभग 71.6 प्रतिशत) बच्चे सूचीबद्ध थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 20,94,34,376 (लगभग 59.8 प्रतिशत) थी

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2011 में अनुमोदित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने की इस केंद्र प्रायोजित योजना को वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था ताकि इसे 'राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना' (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया जा सके जिसमें एनवीईक्यूएफ का विलय भी कर दिया गया है इस योजना में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' को भी शामिल कर लिया गया है इस योजना का उद्देश्य शिक्षित तथा रोजगार योग्य लोगों के बीच अंतर को पाटने, माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने और उच्च शिक्षा पर दवाब में कमी लाने के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोज़गार योग्य बनाना है यह सब मांग जनित, योग्यता आधारित, मानक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इच्छानुसार प्रवेश तथा निकासी (मल्टी एंट्री, मल्टी इक्जिट) के अध्ययन अवसरों और पात्रता में विषम स्तरीय गतिशीलता (वर्टिकल मोबिलिटी) तथा अंतर परिवर्तन की योग्यता (इंटरचेज एविलिटी) के प्रावधानों के जरिए किया जाएगा

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करते हुए यह जो संशोधित योजना बनाई गई है उसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का एकीकरण करना है तथा विद्यार्थियों को समस्तरीय और विषम स्तरीय गतिशीलता का अवसर प्रदान करना है इसमें अभिकल्पना, विकास, प्रदायत्री, आकलन और कौशल अंश के प्रमाणन में उद्योग जगत के साथ निकट सहभागिता की संभावनाओं का ध्यान रखा गया है

छात्राओं के हॉस्टल का निर्माण और संचालन

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए हॉस्टल के निर्माण और संचालन की केंद्र प्रायोजित यह योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी इसे वर्ष 2009-10 से लागू किया गया है इससे पहले गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित योजना लागू थी इस योजना को मई 2013 में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (आरएमएसए) में समाहित कर लिया गया था छात्राओं के लिए हॉस्टल की योजना का उद्देश्य यह है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा (IX-XII) की छात्राएं बीच में पढ़ाई न छोड़ें और उन्हें स्कूल की दूरी, अभिभावकों की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अन्य सामाजिक कारणों के बावजूद पढ़ाई आगे जारी रखने का अवसर मिल सके यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 14-18 वर्ष की आयु की नवीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीबी) से उत्तीर्ण छात्राओं को छात्रावास में वरीयता दी जाएगी कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की होनी चाहिए

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना

यह योजना विकलांग बच्चों के लिए पहले की एकीकृत शिक्षा योजना (आईईडीसी) के स्थान पर वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) को वर्ष 2013-14 के दौरान 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' में समाहित कर लिया गया है इसके अंतर्गत कक्षा IX से XII तक के विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में मदद दी जाती है इसका उद्देश्य सभी विकलांग बच्चों को आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्कूल (IX से XII) की और चार वर्ष की पढ़ाई, समग्र और अनुकूल माहौल में जारी रखने में सहायता करना है

यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो 'दिव्यांगता अधिनियम, 1995' तथा

'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' की परिभाषा के तहत एक या अधिक प्रकार से दिव्यांग हैं इनमें शामिल हैं- (i) दृष्टिहीनता, (ii) कम दृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, (iv) बधिर, (v) अंग संचालन अक्षमता, (vi) मानसिक अस्वस्थता, (vii) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, आत्मविमोह, (viii) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिवेल पाल्सी) यह योजना उनके लिए भी है जो बोलने, समझने में अक्षम हैं

इस योजना में शामिल हैं- दो प्रमुख घटकों में सहायताः *(क)* विद्यार्थी अभिमुखी घटकः (i) शैक्षिक व चिकित्सकीय आवश्यकताओं का आकलन, (ii) विद्यार्थी विशेष सुविधाओं का प्रावधान, जैसे सहायक उपकरण, आरोग्य सेवाएं पुस्तक सहायता सेवा इत्यादि, (iii) अध्ययन सामग्री का विकास, (iv) स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की खरीद दिव्यांग छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए माध्यमिक स्कूल तक उनकी शिक्षा में मदद के प्रयासों के तहत उन्हें प्रतिमाह 200 रुपये वजीफ़ा दिया जाता है केंद्रीय सहायता के रूप में सालाना 3,000 रुपये और राज्यों द्वारा 600 रुपये की छात्रवृत्ति अलग से दी जाती है

(ख) अन्य घटकः (i) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, (ii) विशेष शिक्षण में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों को प्रतिमाह 400 रुपये विशेष वेतन, (iii) साधन संपन्न कक्ष का निर्माण तथा उपकरण, (iv) विशेष आवश्यकताओं वाले (दिव्यांग) बच्चों के क्षमता निर्माण के लिए सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, (v) स्कूलों को निर्बाध बनाना

शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

(क) शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' के अनुसरण में केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1987 में शुरू की गई थी इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित किया गया और इसका परिव्यय संशोधित कर 6308.45 करोड़ रुपये कर दिया गया केंद्र और राज्य इस राशि को साझा करेंगे इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2011 तक गठित सभी जिलों में डी.आई.आई.टी. स्थापित करना; इनकी संख्या 571 से बढ़ाकर 646 करना; शिक्षक शिक्षण के कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 106 से 122 करना और मौजूदा सरकारी माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों का उन्नयन कर इन्हें सीटीई में तब्दील करना; आईएएसई की संख्या 32 से बढ़ाकर 39 करना; विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों का उन्नयन कर इन्हें आईएएसई में बदलना और चयनित 196 अनु. जाति, अनु. जनजाति व अल्पसंख्यक सघन जिलों में शिक्षक शिक्षा के ब्लॉक संस्थान स्थापित करना इनमें से 96 'ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान' (बीआईटीई) अ.जा. व अ.ज.जा. और अल्प संख्यक समुदायों के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृत किए गए हैं

ख*)* शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता

अलग कैडर बनाना: 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने शिक्षक शिक्षा योजना के तहत इन शिक्षकों को अलग कैडर बनाया है राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से इस कैडर को मजबूत करने को भी कहा गया है

नए मानक वर्ष *2014* के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कः वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वर्ष 2016-17) के अनुसार 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने डीएड, डीईएलएड पाठ्यक्रम 'नवीन मानक एवं प्रतिमान (एनसीटीई) नियमन, 2014' के अनुरूप संशोधित कर लिए हैं

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद *(*एनसीटीई*)* नियमन, *2014* मानक एवं प्रतिमानः एनसीटीई की स्थापना संसद द्वारा वर्ष 1993 में पारित एक कानून के तहत की गई थी इसका उद्देश्य, देशभर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली और इससे जुड़े विषयों में मानकों और प्रतिमाओं का नियमन एवं उचित संधारण करना है एनसीटीई द्वारा संशोधित नियमों को नवंबर 2014 में अधिसूचित किया गया था

शिक्षक शिक्षकों के लिए एससीईआरटी और कैडर पुनर्संरचना का पुनर्गठन व पुनर्संरचनाः सीएसएस-शिक्षक शिक्षा के तहत 9 राज्यों ने वर्ष 2016 में अपने एससीईआरटी का पुनर्गठन व पुनर्संरचना की है

सीएसएसटीई योजना के तहत नई गतिविधियां व पहल

इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल *(* प्रशिक्षक*):* मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता

विभाग ने 30 जून, 2016 को यह पोर्टल शुरू किया इससे शिक्षक विकास संस्थानों की निगरानी और भावी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने के लिए विस्तृत जानकारी मिल सकेगी

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा में अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है इसके लिए सरकार अल्पसंख्यकों के बच्चों को मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना (एसपीक्यूईएम) लागू कर रही है इस योजना के उद्देश्य हैं–

- वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर मदरसों तथा मक़तब में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना;
- मदरसों और मक़तबों में कक्षा 1 से XII में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक रूप से प्रवीण बनाना;
- मदरसे, मक़तब, दार-उल-उलूम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की मान्यता प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं जिसके लिए उन्हें उपयुक्त सहायता दी जाएगी;
- मदरसों, मक़तबों, दार-उल-उलूम में 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का अवसर देना और एसपीक्यूईएम के बारे में जागरुकता तथा निगरानी के लिए मदरसा बोर्ड को मजबूत करना

इस योजना के तहत :–

- विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा विज्ञान की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के वास्ते मदद दी जाती है पूर्ण कालिक ग्रेजुएट शिक्षक को एक वर्ष के लिए 6000 रुपये मासिक और पोस्ट ग्रेजुएट व बीएड को 12,000 रुपये वेतन दिया जाता है
- माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक मदरसों में विज्ञान, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं के लिए एकमुश्त 100,000 रुपये की सहायता दी जाती है रखरखाव के लिए 5,000 रुपये प्रति वार्षिक अनुदान दिया जाता है
- पुस्तकालयों, पुस्तक बैंकों, शिक्षण अध्ययन सामग्री के लिए एकमुश्त 50,000 रुपये तक और बाद में वार्षिक 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है विज्ञान, गणित किट और अन्य शिक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है
- एसईआरटी, डीआईईटी आदि से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रति शिक्षक 100 रुपये की राशि 15 दिनों के लिए दी जाती है
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस का विकल्प चुनने वाले छात्रों के पंजीकरण शुल्क और एनआईओएस द्वारा प्रदत्त पठन सामग्री की लागत के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है
- कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में आए तथा केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिनियमों अथवा मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्डों अथवा एनआईओएस के तहत पंजीकृत मदरसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं
- एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी योजनाओं के तहत नियुक्त मदरसा शिक्षकों के लिए समूहों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी
- जिन मदरसों के शिक्षकों के पारिश्रमिक का खर्च राज्य सरकार वहन करती है वे इस योजना में वेतन घटक के तहत राशि पाने के पात्र नहीं होंगे
- शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकों, कंप्यूटर, विज्ञान व गणित किट आदि के लिए किसी अन्य राज्य व केंद्रीय योजना से वित्तीय सहायता पाने वाले मदरसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे

अल्पसंख्यक संस्थान के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास

आईडीएमआई योजना अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर अल्पसंख्यकों की

शिक्षा में मदद करती है यह योजना समूचे देश में लागू है इसके तहत सहायता प्राप्त निजी, गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी प्रति स्कूल यह राशि अधिकतम 50 लाख रुपये होगी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे कम से कम पिछले वर्ष से काम कर रहे हों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों ने बड़ी संख्या में इनमें दाखिल लिया हो

यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से लागू की जाती है वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर राज्य सरकार विचार करती है इसके लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन किया जाता है राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार की अनुदान समिति गुण-दोष के आधार पर उन पर विचार करती है और सहायता की अनुशंसा करती है

वित्तीय सहायता केवल एक बार दी जाती है स्वयंसेवी संगठन अथवा शिक्षण संस्था पांच वर्ष में केवल एक बार ही लाभ ले सकती है भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से दो किस्तों में राशि जारी करती है दूसरी किस्त, पहली किस्त के एक वर्ष के भीतर ही ली जा सकती है इस एक वर्ष की अवधि में संस्था को आधारभूत संरचना के उन्नयन पर अपने हिस्से की 25 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी

केंद्र और राज्य सरकारें योजना का व्यापक प्रचार करेंगी योजना के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त समय पर किया जाएगा, जो निश्चित रूप से योजना के लागू होने के दो वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्र वृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) 2008 में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आठवीं कक्षा के बाद बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है चुने गए विद्यार्थियों को नौवीं से लेकर बारहवीं तक प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (500 रुपये प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं यह छात्रवृत्ति सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाती हैं विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की शासन प्रणाली के लिए अलग-अलग कोटा तय है जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी साधनों से आये 1,50,000 रुपये से कम है, वे छात्रवृत्ति के पात्र हैं राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार आरक्षण भी दिया जाता है छात्रवृत्तियों के लिए विद्यार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा

आयोजित की जाने वाली परीक्षा से किया जाता है छात्रवृत्तियों का वितरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खातों में तिमाही आधार पर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए किया जाता है

राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना

बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की यह केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) मई 2008 में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में विशेषकर अनु. जा. व अनु.जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी की जा सके इस योजना के अंतर्गत नौवीं कक्षा की अविवाहित पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये सावधिक खाते में जमा किए जाते हैं यह राशि वे दसवीं कक्षा पास करने और 18 वर्ष की होने पर ब्याज के साथ निकलवा सकती हैं यह योजना (1) अनु.जा. व अनु. जनजाति से संबंध रखने वाली आठवीं पास करने वाली और (2) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (वे अनु.जा. व अनु. जनजाति से संबद्ध हैं इस पर विचार किए बिना) से आठवीं पास करने वाली और राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में दसवीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए है

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का क्रियान्वयन

'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) योजना प्रणाली पहली जनवरी 2013 से शुरू की थी, जिसके तहत आठ मंत्रालयों व विभागों की 25 योजनाएं 16 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 43 जिलों में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग के तौर पर चुनी गई थी इसमें 'आधार भुगतान सेतु' (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते

में सीधे ही धनराशि भेज दी जाती है जनवरी 2015 से डीबीटी योजना पूरे देश में लागू हो गई है स्कूली शिक्षक और साक्षरता विभाग की दो योजनाएं- 'राष्ट्रीय साधन–सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना' (एनएमएमएसएस) और 'राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना' (एनएसआईजीएसई) को डीबीटी में शामिल किया गया है

राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और एनएसअईजीएसई के लाभार्थियों का प्रस्ताव तथा सूची ऑनलाइन भेजने के लिए एक 'राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल' (एनईएसपी) शुरू किया गया है विभाग ने राज्य सरकारों को लाभार्थी विद्यार्थियों की आधार संख्या प्राप्त कर उसे उनके डिजिटीकृत डेटाबेस से युक्त करने का परामर्श दिया था राज्यों को भी दोनों योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों को उनकी आधार संख्या से जोड़ने की सलाह दी गई है ताकि आधार भुगतान सेतु से आसानी से भुगतान किया जा सके

वयस्क शिक्षा

स्वतंत्रता के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी इसलिए वयस्क शिक्षा का जोर इसके सबसे नीचे के स्तर पर अर्थात् 'बुनियादी साक्षरता' पर ही था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम योजना अवधि से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए इनमें से जो सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित है, वह है 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' यह 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वर्ष 1988 में शुरू किया गया था 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' को वर्ष 2009 में संशोधित कर इसे 'साक्षर भारत' का नाम दिया गया नये मिशन में आजीवन शिक्षा का नया आयाम जोड़ा गया है देश की साक्षरता दर में पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु अब भी विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्प संख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान है व्यस्क शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर पूर्ण साक्षर समाज का निर्माण करना है

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए), प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालक और कार्यान्वयन संगठन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएलएमए साक्षरता दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने और लड़कों–लड़कियों की संख्या का अंतर 10 प्रतिशत से कम करने का प्रयास करता रहा है

साक्षर भारत कार्यक्रम के पात्र 410 जिलों में से 404 जिलों की 1.64 लाख ग्राम पंचायतों में इसे लागू करने की मंजूरी दी जा चुकी है ये सभी जिले 26 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में आते हैं इन 404 जिलों में यह कार्यक्रम वर्ष 2016-17 से जारी रहा है अक्टूबर 2016 के अंत तक करीब 1.56 लाख वयस्क शिक्षा केंद्र (एईसी) स्थापित किए गए हैं 1.64 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.57 लाख ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 10.68 करोड़ निरक्षरों की पहचान कर ली गई है 57.8 लाख साक्षरता केंद्रों में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया शुरू की गई है प्रधान प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 45.73 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों और 2.54 लाख प्रधान प्रशिक्षकों को उपाय कुशल (रिसोर्स) व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है इसके अलावा लगभग 13.5 हजार उपाय कुशल (रिसोर्स) व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया है वयस्क शिक्षा केंद्रों में गतिविधियां आयोजित करने हेतु 2.76 लाख प्रेरकों को नए काम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तेरह भाषाओं और 26 स्थानीय बोलियों में बेसिक साक्षरता प्राइमर प्रकाशित कर बांटे गए हैं

राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी) को शिक्षण पठन-पाठन सामग्री के विकास, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, वातावरण तैयार करने वाली गतिविधियों, कार्य अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में वयस्क एवं सतत शिक्षा को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन का सहयोग प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है वर्तमान में देश में 32 एसआरसी हैं 'जन शिक्षण संस्थानों' (जेएसएस) में निरक्षरों नवसाक्षरों वयस्कों के साथ-साथ पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जारी है यह प्रशिक्षण उस कौशल में दिया जाता है, जिसकी स्थानीय बाजार में उपयोगिता की पड़ताल कर ली जाती है जेएसएस की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक समीक्षा की भावना भरने के उद्देश्य से एक 'प्रबंधन सूचना प्रणाली' (एसआईएस) विकसित की गई है

'वयस्क शिक्षा निदेशालय' स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एनएलएमए का सहयोग प्रदान करता है

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएटी) 1958 में शुरू किया गया था प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रशंसनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के लिए हर वर्ष 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है इस अवसर पर दिए जाने वाले कुल 378 पुरस्कारों में से 23 संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश तथा संगठन के लिए शिक्षकों की संख्या के आधार पर कोटा निर्धारित है इनमें विदेशों में स्थित स्वतंत्र संबद्ध स्कूलों, भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन और परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूल शामिल हैं वर्ष 2011 से एक विशेष पुरस्कार भी शुरू किया गया है यह स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले और सामान्य स्कूलों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है यह विशेष पुरस्कार 43 शिक्षकों को इन श्रेणियों के लिए दिया जाता है

• मुख्यधारा के स्कूलों में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक; • समावेशी शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले विशेष या प्रशिक्षित सामान्य शिक्षक; • पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये नकद, एक रजत पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है

केंद्रीय विद्यालय संगठन

'केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना' को वर्ष 1962 में मंजूरी दी थी इसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तबादले की स्थिति में उनके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में की गई थी (अब यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इकाई है) शुरुआत में शिक्षण वर्ष 1963-64 के दौरान रक्षा कर्मियों की अधिकता वाले स्थानों पर संचालित 20 रेजीमेंटल स्कूलों का अधिग्रहण केंद्रीय विद्यालय के रूप में किया गया

केंद्रीय विद्यालय संगठन को 15 दिसंबर, 1965 को समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया संगठन का प्राथमिक उद्देश्य समूचे भारत और विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, धनसुलभता (निधियन), रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है भारत सरकार पूरी तरह संगठन का वित्त पोषण करती है

जवाहर नवोदय विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का उद्देश्य आवासीय नवोदय स्कूलों की स्थापना करना है ताकि समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति को 'समिति पंजीकरण अधिनियम-1860' के तहत पंजीकृत किया गया नवोदय विद्यालय की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बगैर मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरुकता, साहसिक गतिविधियों तथा शारीरिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा देने के लिए की गई थी

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेश की सरकार के प्रस्ताव पर की जाती है जिसके लिए वह लगभग 30 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराती है राज्य सरकार को बिना किराये के इस तरह का अस्थाई भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं ताकि समिति द्वारा स्कूल के भवन निर्माण तक तीन-चार वर्ष तक 240 विद्यार्थी और स्टॉफ उसमें रह सकें

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है इसकी स्थापना 1961 को शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रुप में की गई थी परिषद नीतियां और कानून बनाने और केंद्र एवं राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है इसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (वर्ष

1968-1986) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से नई योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने में मदद मिली है परिषद शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए आवश्यकता आधारित तथा नवाचार वाले पाठ्यक्रम तैयार करती है इसके द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और अन्य अध्ययन सामग्री से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिली है एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिछले 50 वर्ष के कामकाज से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है यह भारत का एक अनूठा संस्थान है जो अनुसंधान करता है, कुशल शैक्षिक वृतिजीवी तैयार करता है और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री तैयार करता है परिषद् की प्रमुख इकाइयां हैं-

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), नई दिल्ली:
(ख) केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), नई दिल्ली;
(ग) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल;
(घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा उमिअम (मेघालय) में क्षेत्रीय संस्थान (आरआईई)

राष्ट्रील बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त पोषण से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1956 में की गई थी बाल भवन एक आंदोलन के रूप में देश के कोने-कोने में फैला है देश भर में 134 बाल भवन और बाल केंद्र हैं इनके अलावा दिल्ली में 48 बाल भवन केंद्र और मांडी गांव में एक बाल भवन है राष्ट्रीय बाल भवन का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है इसके लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों तथा अवसरों के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि वे परस्पर संवाद तथा अनुभव और अपनी आयु, रुझान तथा योग्यता के अनुरूप अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकें ये बच्चों को स्वच्छंद माहौल में बिना किसी दबाव के नवाचार के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं राष्ट्रीय बाल भवन और इनसे संबद्ध संस्थानों में विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के लिए नियमित रूप से विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे केवल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू करें

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) किसी संस्थान से जुड़े बिना डिग्री पूर्व स्तर की शिक्षा पाने के इच्छुक बाहरी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में सीबीएसई ने अंतरनिहित लचीलेपन वाली परियोजना के तौर पर की थी वर्ष 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' ने मुक्त विद्यालय प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि देशभर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देने की स्वतंत्र व्यवस्था के साथ चरणबद्ध रूप से मुक्त शिक्षा की सुविधा दी जा सके इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने वर्ष 1989 में 'राष्ट्रीय खुला विद्यालय' (एनओएस) की स्थापना की जुलाई 2002 में संगठन का नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान कर दिया इसका उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं के आकलन तथा राष्ट्रीय नीति के दस्तावेजों के अनुरूप औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में प्राथमिकता वाले ग्राहक समूह को मुक्त शिक्षा व्यवस्था के जरिए डिग्री पूर्व स्तर तक स्कूली शिक्षा जारी रखना है इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा, समाज में अधिक समानता तथा न्याय और शिक्षा के विकास के जरिए अपना योगदान देना है

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 'मुक्त तथा सुदूर शिक्षा' (ओडीएल) के जरिए निम्न पाठ्यक्रम व कार्यक्रम उपलब्ध कराकर शिक्षा पाने के इच्छुक लोगों को अवसर प्रदान करता है 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर तथा प्रौढ़ समूह के लिए मुक्त मौलिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई), क, ख तथा ग स्तर पर शिक्षित करने का है जोकि तीसरी, पांचवीं और आठवीं की औपचारिक स्कूल प्रणाली के बराबर है इसमें माध्यमिक

शिक्षा पाठ्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, जीवन समृद्धि कार्यक्रम शामिल हैं

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, संस्थान मनपसंद विषयों व पाठ्यक्रमों (एनआईओएस) में एक श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम पर आधारित सतत अध्ययन की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया जाता है जिससे बच्चों, नवसाक्षरों, स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, वंचित और एनएफई पूरा करने वालों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित बनी रहे

सीखने की गति तथा सीबीएसई से क्रेडिट्स का अंतरण, स्कूल शिक्षा का कोई बोर्ड और राज्य मुक्त स्कूल के चयन संदर्भ में हर प्रकार की छुट देता है इसमें शिक्षा प्राप्त करने वालों को पांच वर्ष की अवधि में सार्वजनिक परीक्षा में नौ बार बैठने का मौका दिया जाता है पढ़ने वालों को जो अंक मिलते हैं, वे तब तक आपस में जुड़ते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति प्रमाणन हेतु अपेक्षित अंक न प्राप्त कर ले शिक्षा के तरीकों में शामिल हैं– मुद्रित स्व-निर्देशक सामग्री, दृश्य व अन्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीवी) में भागीदारी तथा शिक्षक द्वारा चिह्नित कार्य (टीएमए) छमाही पत्रिका- 'ओपन लर्निंग' के जरिए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्पन्न बनाया जाता है अध्ययन सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई जाती है उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मांग पर परीक्षा प्रणाली लागू है माध्यमिक परीक्षा के लिए 28 विषय, आठ माध्यमों में (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती, मलयालम तथा उड़िया) और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए भी 28 विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और ओडिया भाषा में उपलब्ध हैं इसके अलावा एनआईओएस ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक विषयों से मेल खाते व्यावसायिक विषयों और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के साथ मेल खाते 20 व्यावसायिक विषयों का भी प्रावधान किया है

मध्याह्न भोजन योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्वशिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों व मकतबों के पहली से आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है देशभर की 11.40 लाख संस्थाओं के 9.78 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन देने की यह विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयीन भोजन योजना है बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में लाने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा मध्याह्न भोजन योजना से सामाजिक और स्त्री-पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिला है इससे कक्षा में भूख से निवारण, स्कूल में उपस्थिति और सामाजिक समानता को बढ़ावा तथा बालक-बालिकाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है

मध्याह्न भोजन के मानक

(I) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्यः पके हुए भोजन में 100 ग्राम गेहूं/चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल/चिकनाई शामिल होती है, जिससे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, उसमें 150 ग्राम गेहूं/चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्ज़ी और 7.5 ग्राम तेल/चिकनाई होती है, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है

(II) एमडीएम योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागतः खाना पकाने की लागत में दालों, सब्ज़ियों, खाद्य तेल, मसालें और ईंधन का खर्च शामिल होता है जुलाई 2016 से खाना पकाने की लागत प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए 4.13 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए 6.16 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन पड़ती है गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खाना पकाने का व्यय 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जाता है पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड के तीन हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में केंद्र और संबंधित राज्य खर्च उठाते हैं

तिथि भोजन

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात

राज्य में 'तिथि भोजन' के नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ है समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को बच्चे को जन्म, परीक्षा में सफलता, गृहप्रवेश जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों को स्थानीय स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में योगदान देकर मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

समुदाय और परिवार स्वेच्छा से इसमें योगदान करते हैं नियमित मध्याह्न भोजन के साथ मिठाई और नमकीन, पूर्ण भोजन, अंकुरित अनाज आदि जैसे पोषक आहार के रूप में योगदान करने के अलावा रसोई के बर्तन, डिनर सेट और पानी पीने के गिलास आदि का भी योगदान किया जाता है

सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से 'तिथि भोजन' की प्रथा को इसी नाम से अथवा राज्य सरकारों की इच्छा के अनुकूल नाम से अपनाने के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया है विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग नाम से इस अवधारणा को अपनाना शुरू कर दिया है असम में 'संप्रीति भोजन', हिमाचल प्रदेश में 'धाम', महाराष्ट्र में 'स्नेह भोजन', कर्नाटक में 'शालेगागी नावू नीवू', पुदुदचेरी में 'अन्न धानम', पंजाब में 'प्रीतिभोज' और राजस्थान में 'उत्सव भोज' नाम से तिथि भोजन की परंपरा शुरू हो चुकी है

एमडीएमएस की निगरानी हेतु स्वचालित निगरानी प्रणाली

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एमडीएमएस की तात्कालिक व वास्तविक निगरानी के लिए आंकड़े प्राप्त करने की एक स्वचालित प्रणाली निभाई है ये आंकड़े सीधे स्कूलों से लिए जाते हैं और इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कोई खर्च नहीं करना होता है

स्वचालित प्रणाली के अंतर्गत राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश के स्कूलों से प्रतिदिन के आधार पर आंकड़ों की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त प्रणाली अर्थात इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस), एसएमएस, मोबाइल एप, वेब एप्लीकेशन स्थापित कर रहे हैं उन्होंने स्वचालित प्रणाली भी शुरू की है इसका उपयोग निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किया जा रहा है

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश के पूर्व निर्धारित प्रारूप में ये आंकड़े तत्काल एनआईसी के केंद्रीय सर्वर को भेज रहे हैं केंद्रीय स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल एनआईसी की देख-रेख में काम कर रहा है संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड स्तर पर योजना की तत्काल निगरानी के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं

बच्चों का शत-प्रतिशत आधार नामांकन

विभाग ने सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए आधार अधिनियम के तहत गजट अधिसूचना जारी की है सेवाओं या लाभों या अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने के लिए 'आधार पहचान पत्' का उपयोग सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं को सरल बना देता है तथा पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है आधार के तहत बच्चों का फर्जी नामांकन नहीं हो सकेगा और मध्याह्न भोजन योजना का लाभ पात्र बच्चों को आसानी से मिल सकेगा

मध्याह्न भोजन नियम

'मध्याह्न भोजन नियम' को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है और वह इसके प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर, 2015 से प्रभावी हो गया है सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को सभी पात्र स्कूलों को 'एमडीएम नियम 2015' के बारे में समझाने और उन्हें लागू करने के लिए परामर्श दिया गया है उन्हें इन नियमों के अमल के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है सभी बच्चों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को क्रियान्वयन के प्रभावी दिशानिर्देश तय करने को भी कहा गया है मध्याह्न भोजन नियम, 2015 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(i) खाने के नमूने की जांच को अनिवार्य बनाकर, गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;
(ii) स्कूलों में एमडीएम की निगरानी (अधीक्षण) में स्कूल प्रबंधन समितियों की विस्तारित भूमिका
(iii) बीपीएल दरों, चावल के लिए 5.65 रुपये और गेहूं के लिए 4.15 रुपये के स्थान पर एनएफएसए दरों यानी 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की आपूर्ति;

(iv) यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत, ईंधन अथवा रसोइया सह-सहायक की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से किसी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा

खाद्य नमूनों की जांच

मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा काम पर रखी जाने वाली अधिमान्य प्रयोगशालाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

सोशल ऑडिट

इस प्रक्रिया में लोग मिलजुल कर किसी कार्यक्रम या योजना की नियोजन तथा कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं सोशल ऑडिट जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति (एसएसएएटी) ने वर्ष 2012-13 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा खम्मम जिलों में किया था इसके नतीजों से उत्साहित होकर मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने के लिए वर्ष 2014 में विभाग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए अब तक 13 राज्य यह सोशल ऑडिट पूरा कर चुके हैं ये राज्य हैं- बिहार, महाराष्ट्र ओडिशा, कनार्टक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नगालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिज़ोरम और तमिलनाडु

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद से देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि है स्वतंत्रता के समय देश में कुल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे कॉलेजों की संख्या में 77 गुनी (अर्थात 38,498) और विश्वविद्यालयों की संख्या में 38 गुनी (अर्थात 760) वृद्धि हुई है इसी प्रकार, दाखिलों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है उच्च शिक्षा प्रणाली के सांख्यिकीय अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्थाओं (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं) के साथ उनमें पढ़ने वालों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना (एनआईआरएफ) की शुरुआत निष्पक्ष पैमानों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थाओं और अन्य हितसाधकों द्वारा संस्थाओं की रैंकिंग तय किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए की गई थी शिक्षा विशेषज्ञों और संस्था प्रमुखों के एक समूह द्वारा तैयार पोर्टल और संरचना वर्तमान में इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन संस्थाओं के बारे में उपलब्ध है

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना

देश की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दस लक्ष्यों की पहचान की गई है और प्रत्येक के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के वास्ते अनुसंधान समूह बनाए जा रहे हैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी और आईएससी जैसे अग्रणी संस्थानों का चयन किया गया है

नियामक समीक्षा

व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक निजी संस्थाएं उभर कर सामने आई हैं ये संस्थाएं प्रायः निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करती यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का पूरा काम-काज अनुदान प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमता है और वह न्यूनतम मानदंडों को लागू करवाने तथा नियमन पर समय नहीं दे पाता

इसी प्रकार की एक समिति, 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (एआईसीटीई) के लिए भी गठित की गई है यह समिति एआईसीटीई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा बेहतर कार्य निष्पादन हेतु उसके पुनर्गठन और पुनर्संरचना के उपाय सुझाएगी

बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़

यूजीसी ने 'राष्ट्रीय कौशल पात्रता तंत्र' (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा व अग्रवर्ती डिप्लोमा के एकाधिक-निकास के विविध पाठ्यक्रमों वाली बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है इसके उद्देश्य हैं- (i) युवाओं की रोज़गार पाने की क्षमता में वृद्धि करना; (ii) एकाधिक-प्रवेश और एकाधिक–निकास के अध्ययन अवसरों और विषम गतिशीलता के प्रावधानों के जरिए उनकी प्रतियोगी क्षमता बनाए रखना; (iii) शिक्षित और रोज़गार योग्य लोगों के बीच के अंतर को दूर करना और (iv) माध्यमिक स्तर पर स्कूल/पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना वर्तमान में 25 राज्यों के 2,035 स्कूल इस योजना पर अमल कर रहे हैं

युवाओं की व्यावसायिक उन्नति हेतु कौशल आकलन मैट्रिक्स

एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच विषम तथा पार्श्विक गतिशीलता को सुगम बनाता है शैक्षिक ज्ञान और व्यावहारिक-व्यावसायिक कौशल की प्रगति के प्रयासों का निर्बाध एकीकरण ही इस फ्रेमवर्क की शक्ति है

शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद

'शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद' का गठन वर्ष 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक योग्यता से इतर रोज़गार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया था एसएससी के कार्यों में 'श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली' (एलएमआईएस) का गठन शामिल है ताकि कौशल विकास की ज़रूरतों की पहचान कर प्रशिक्षण की योजना बनाई और प्रदान की जा सके तथा कौशल के प्रकारों का कैटलॉग तैयार किया जा सके कौशल विकास योजना तैयार करना और कौशल इंवेंट्री बना कर रखना, कौशल दक्षता मानकों और योग्यताओं का विकास करना भी इसके कार्यों में सम्मिलित हैं

युक्ति-योग्य कलाकृति की तकनीक

युक्ति का उद्देश्य कौशल विकास तथा अभिकल्पन और प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना है ताकि पारंपरिक शिल्प और कला से जुड़े लोगों की आजीविका और आर्थिक संभावनाएं विस्तार पा सकें इसका उद्देश्य अभिकल्पन, प्रौद्योगिकी और कौशल के उन्नयन की शुरुआत के लिए शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना है

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति (एआईसीटीई) की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को शिक्षण शुल्क और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है उन्हें यह सहायता इसलिए दी जाती है ताकि वे अध्ययन की समस्याओं, पर्यावरणीय चुनौतियों और चिकित्सा पर व्यय के बावजूद कॉलेज के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु ईशान उदय

यूजीसी ने वर्ष 2014-15 के शिक्षा सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 'ईशान उद्य' नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है योजना में क्षेत्र के उन 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है इन छात्रों को देश के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर तक के अध्ययन के लिए प्रतिमाह 3,500 से 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी

ईशान विकास-पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु शैक्षणिक अवसर

ईशान विकास, यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के कॉलेज और स्कूलों के चुनिंदा छात्रों को उनके लंबे अवकाश

के दौरान आइआइटी एवं आइटी और आइएसइआर संस्थानों के निकट संपर्क में लाने की योजना के तहत शुरू किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसरों का ज्ञान हो सके

महिला नेता

महिलाओं को शीर्ष तकनीकी शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इतिहास में पहली बार दो महिला वैज्ञानिकों को आईआईटी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है

प्रगति

'प्रगति' (छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति) एआईसीटीई की इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है यह 'तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण' द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है इस योजना की प्रमुख विशेषताएं: प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या 4,000 प्रति परिवार एक बालिका, जहां परिवार की आय सालाना 6 लाख रुपये से कम हो अभ्यर्थियों का चयन पात्रता परीक्षा के जरिए योग्यता के आधार पर किया जाएगा इसमें छात्रवृत्ति की राशि शिक्षण शुल्क 30,000 रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो और आकस्मिक व्यय हेतु 2,000/- रुपये, दस महीनों के लिए प्रतिवर्ष है अनु.जा. 15 प्रतिशत, अनु.जन,जा, 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के उम्मीदवार आवेदक के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है प्रत्येक योजना में छात्रवृत्तियां प्रत्येक डिग्री व डिप्लोमा स्तर पर उपलब्ध हैं और किसी वर्ग में पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर स्थानांतरणीय हैं

स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति

शिक्षा के अनेक स्तरों पर बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने का अनुपात बालकों की तुलना में कहीं अधिक है महिला शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए 'स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति' शुरू की है इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन लड़कियों की उच्च शिक्षा के खर्च की सीधे-सीधे प्रतिपूर्ति करना है जो अपने परिवार की एकमात्र संतान हैं

अपना कॉलेज जानो

'अपना कॉलेज जानो' (नो योर कॉलेज) एक ऐसा पोर्टल है जो कॉलेजों के बारे में आवश्यक जानकारी देकर छात्रों को कॉलेज के चयन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है सहयोग, मोबाइल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कॉलेज आईसीटी का उपयोग, आदर्श पाठ्यचर्या और अनुसंधान जैसे विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त, दिव्यांगों हेतु सुविधाएं, बालिकाओं हेतु सुविधाएं स्थापन (प्लेसमेंट) सुविधाएं और उद्यमिता के विवरण भी उपलब्ध हैं छात्र निराकरण के लिए अपनी शिकायतें भी पोर्टल पर डाल सकते हैं यह एप्लीकेशन (एप) देश के अंदर अथवा बाहर से छात्रों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर देता है

कैंपस कनेक्ट

'राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना का उद्देश्य अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रियाओं के लिए आईसीटी की संभावनाओं का लाभ उठाना है इस मिशन के दो प्रमुख अंग हैं (क) सामग्री सृजन (ख) संस्थाओं और छात्रों को आवश्यक यंत्र प्रदान करने के साथ संपर्क सुविधा प्रदान करना एनएमईआईसीटी मिशन के तहत 419 विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और 25,000 से अधिक कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय

'राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय' की परिकल्पना ज्ञान की ऐसी राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में की गई है जो सर्वव्यापी डिजिटल ज्ञान स्रोत उपलब्ध कराएगी यह देशभर में सभी प्रकार के अध्येता समूहों की शिक्षा, शोध और नवाचार की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करेगी विभिन्न पृष्ठभूमि, अपेक्षाओं और भाषाओं के विभिन्न अध्येताओं के मतानुसार गुणात्मक ई-सामग्री तैयार करना और उसे दक्षतापूर्वक सुलभ कराना भी इसका लक्ष्य है

स्वयं- (स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड) महत्वाकांक्षी युवाओं हेतु सक्रिय पठन के लिए अध्ययन वेब्स

'स्वयं' व्यापक शैक्षिक संरचना वाला एक राष्ट्रीय विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम (एमओओसी) है यह एकीकृत मंच इंजीनियरिंग, मानविकी एवं सामाजशास्त्र आदि जैसे पाठ्यक्रम पेश करेगा ताकि शिक्षार्थी (अध्येता) व्यापक रूप से इसका लाभ उठा सकें

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल 'ज्ञान' (जीआईएएन) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और उद्यमी प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उच्च अध्ययन के भारतीय संस्थानों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है इससे देश के वर्तमान शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग हो सकेगा, गुणात्मक सुधार को गति मिलेगी और भारत की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमता को विश्वस्तरीय उत्कृष्टता प्रदान की जा सकेगी कार्यक्रम को विभिन्न देशों के सहयोग से शुरू करने का प्रस्ताव है

अनुसंधान पार्क

'अनुसंधान पार्क' का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान और नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार करना है इससे वैश्विक स्तर से भी बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सकेगा

संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण

महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्मशती के अवसर पर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण (जीएएनआईटी) 'सप्ताह' मनाया गया इसका उद्देश्य गणित में छात्रों की रुचि को सक्रियता से बढ़ावा देना था

स्वत्वाधिकार

स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) प्राप्त करना स्वतः प्रक्रिया है और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है हालांकि कानून की धारा-48 के तहत कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र और उसमें की गई प्रविष्टियां कॉपीराइट के स्वामित्व संबंधी विवादों के संदर्भ में अदालत में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मानी जाती हैं

कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है इसका अध्यक्षता कॉपीराइट पंजीयक होता है, जिसके पास कॉपीराइट संबंधी मामलों से निपटने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां होती हैं कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य काम कॉपीराइट का पंजीकरण करना है कॉपीराइट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया कॉपीराइट रजिस्टर आम लोगों को कॉपीराइट के काम के बारे में जानकारी देता है अब कॉपीराइट कार्यालय को अलग कर दिया गया है और यह एक पृथक संस्था के तौर पर काम कर रहा है कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकरण के अलावा रजिस्टर की जांच और उसमें से उद्धरण लेने जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं

कॉपीराइट कानून-1957 के अनुच्छेद-13 के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित वर्गों या कार्यों में निहित होता है; (क) मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य; (ख) सिनेमैटोग्राफिक फिल्म और (ग) साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट कार्यालय, वर्ष 2013 के कॉपीराइट नियमों के नियम 70 के अनुसार कॉपीराइट रजिस्टर में शामिल कॉपीराइट के ब्योरों में बदलाव का भी पंजीकरण करता है कानून के अनुच्छेद-47 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क अदा करके कॉपीराइट के रजिस्टर से उद्धरण की पंजीकृत प्रतियां ले सकता है या कॉपीराइट के रजिस्टर की जांच कर सकता है इसके लिए कॉपीराइट कार्यालय में उन कार्यों की सूची भी बनाई जाती है, जिनके बारे में रजिस्टर में जानकारी दी गई होती है हालांकि पंजीयक रजिस्टर में शामिल ब्योरे में छोटे-मोटे सुधार और बदलाव कर सकता है, किसी असंतुष्ट व्यक्ति अथवा पंजीयक के निवेदन पर रजिस्टर में शामिल किसी भी लेख को हटाने का अधिकार केवल कॉपीराइट बोर्ड के पास ही होता है

कॉपीराइट पंजीकरण हेतु प्रक्रियाः कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा-45 के तहत लेखक या प्रकाशक या कॉपीराइट मालिक या किसी भी काम के कॉपीराइट का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य के ब्योरे को शामिल कराने के लिए निवेदन कर सकता है कॉपीराइट कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों के लिए पंजीकरण सुविधा मुहैया कराता है पंजीकरण के आवेदन डाक से कॉपीराइट कार्यालय भेजे जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है

कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरणः ई-फाइलिंग सुविधा की शुरुआत 17 फरवरी, 2014 को की गई और नई तरह से डिजाइन किए गए प्रमाण-पत्र के साथ कॉपीराइट का नया प्रतीकचिह्न भी प्रयोग किया जा रहा है कॉपीराइट अभिलेखों का डिजिटीकरण भी जल्दी शुरू किया जा रहा है लगभग 6 लाख कॉपीराइट रजिस्टरों को स्कैन किया जा चुका है

'अर्द्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड' का गठन सितंबर 1958 में किया गया और यह अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहा था कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण और कॉपीराइट निर्धारण संबंधी विवादों को निपटाने, पंजीकरण में सुधार, जनता से रोके गए कार्य के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस की मंजूरी, अप्रकाशित भारतीय कार्य, दिव्यांगों के लाभ के लिए अनुवादों का प्रकाशन तथा प्रस्तुति और विशेष मकसद के कार्यों के मामले में निर्णय लेने का काम सौंपा गया है कॉपीराइट बोर्ड, कवर संस्करण और साहित्यिक एवं संगीतमय कार्यों के प्रसारण और साउंड रिकॉर्डिंग के वैधानिक लाइसेंसों के लिए अधिशुल्क की दरें भी तय करता है बोर्ड कॉपीराइट कानून के तहत इसके सामने लाए गए अन्य मामलों में भी सुनवाई करता है कॉपीराइट (संशोधन) कानून 2012 के तहत कॉपीराइट बोर्ड के तीन स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य हैं

11 ऊर्जा



ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने का एक आवश्यक साधन है समाज में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है ऊर्जा के गैर-परंपरागत, वैकल्पिक, नए और नवीकरणीय स्रोतों जैसे- सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्धन पर लगातार ध्यान दिए जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है देश में समग्र ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए परमाणु

ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है

विद्युत

भारत में विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंत में, सन् 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति की शुरुआत से हुआ उसके बाद सन् 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में पनबिजली घर काम करने लगा स्वतंत्रता से पहले विद्युत की आपूर्ति मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन, देशभर में विद्युत आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ हुई और ताप, जल और परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के बाद से विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई

विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है मंत्रालय परिप्रेक्ष्य नियोजन, नीति निर्धारण, निवेश संबंधी निर्णयों के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों का विकास और प्रशासन तथा तापीय एवं पनबिजली उत्पादन के संबंध में कानून का अधिनियमन, पारेषण एवं वितरण से संबद्ध है सभी तकनीकी मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है

केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों यथा- नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन-एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन(एनईईपीसीओ) तथा पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड-पीजीसीआईएल) को सौंपा गया है पॉवर ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी पारेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है संयुक्त क्षेत्र के दो बिजली निगमों- सतलुज जलविद्युत निगम (एसजेवीएन) (जो पूर्व में एनजेपीसी के नाम से जाना जाता था) और टिहरी पनबिजली विकास निगम- टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) क्रमशः हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पॉवर कॉम्प्लेक्स के लिए जिम्मेदार हैं तीन वैधानिक निकाय यथा- दामोदर घाटी निगम (दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी), भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन-आरईसी) वित्तीय सहायता देता है विद्युत वित्त निगम

(पीएफसी) और ग्रामीण विदुयतीकरण निगम (आरईसी) विदुयत क्षेत्र की परियोजनाओं को मियादी वित्तीय सहायता देते हैं दो स्वायत्त निकाय (संस्थाएं) यथा- केंद्रीय विदुयत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और राष्ट्रीय विदुयत प्रशिक्षण संस्थान (एनटीपीआई) भी विदुयत मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की विशाल विदुयत परियोजनाओं की सहायता के लिए बिजली व्यापार निगम का गठन किया गया है, जो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को अंतिम रूप देने वाला एकमात्र संगठन है

वेबसाइट: www.energy.gov., www.powermin.nic.in

विदुयत उत्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान 1229.4 बिलियन यूनिट (बीयू) विदुयत उत्पादन का लक्ष्य नियत था वास्तविक उत्पादन (अप्रैल-दिसंबर 2017 के दौरान) 906.2 बीयू रहा, जिसमें पिछले साल की आलोच्य अवधि में हुए 873.1 बीयू उत्पादन की तुलना में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

मार्च 2019 तक देश में सभी घरों के विदुयतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये की कुल लागत से सौभाग्य योजना की शुरुआत की है योजना के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर- विदुयतीकृत मकानों को विदुयत कनेक्शन उपलब्ध कराना एपीएल परिवार 500 रुपये के भुगतान पर विदुयत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे (जो विदुयत बिलों में 10 किस्तों में देय है), दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गैर-विदुयतीकृत मकानों और गैर-पहुंच वाले उन गांवों/बस्तियों, जहां ग्रिड एक्सटेंशन व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, के लिए एकल प्रणाली आधारित सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) उपलब्ध कराना और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब और सभी गैर-विदुयतीकृत मकानों को विदुयत कनेक्शन उपलब्ध कराना

वर्ष 2017-18 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम और उपलब्धि

वर्ष 2017-18 के लिए 500 मेगावॉट परमाणु बिजली सहित 13171.15 मेगावॉट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस लक्ष्य की तुलना में 31 दिसंबर, 2017 तक 4,765 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की जरूरत को स्वीकार करते हुए चरणबद्ध तरीके से अंतर-क्षेत्रीय लिंक्स की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया है इस दिशा में काम करते हुए सभी पांचों क्षेत्रीय ग्रिडों को समसामयिक रूप से कनेक्ट किया गया है 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विदुयत अंतरण क्षमता लगभग 78,050 मेगावॉट है, जो 11वीं योजना के अंत तक 27,750 मेगावॉट थी

ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का अद्यतन संस्करण 2017 को प्रारंभ किया गया ईसीबीसी, 2017 के कार्यक्षेत्र में कवर/आवरण, लाइटिंग, हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सहित भवन डिजाइन के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं यह 100 किलोवॉट और उससे अधिक या 120 केवीए और उससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को

बिना जमा राशि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाइ) का शुभारंभ किया इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना तथा घर के भीतर गंभीर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जलावन की लकड़ी, कोयला, गाय का गोबर आदि जैसे ईंधन के परंपरागत साधनों के गंभीर प्रभावों को घटाते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है खाना पकाने के ईंधन के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल महिलाओं को जलावन की लकड़ी बीनने की मशक्कत से छुटकारा दिलाता है, खाना पकाने पर लगने वाले समय में कमी लाता है और वनों की कटाई रोकता है अब तक 5.55 करोड़ बीपीएल परिवार इस योजना से लाभांवित हो चुके हैं

इसके पात्र परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के जरिए की जाती है एसईसीसी सूची में नाम नहीं पाए जाने की स्थिति में, सात श्रेणियों यथा- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमजेवाई-ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वनवासी, चाय/पूर्व चाय बागान जनजातियों और द्वीपसमूहों/नदी द्वीपों के निवासी योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में लाभांवित हो सकते हैं

पहल

सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 'पहल' के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराने की लक्षित योजना का शुभारंभ किया है इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी बंद करना नहीं, बल्कि सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडीज को युक्तिसंगत बनाना है उपयुक्त सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है अब तक 22.40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के साथ जुड़ चुके हैं विश्व की अब तक की विशालतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण पहल योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है अब तक 83,653 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं के खातों में भेजी जा चुकी है

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण (तरल प्राकृतिक गैस के आयात सहित) और उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात-निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबद्ध है

ऊर्जा आर्थिक प्रगति का मुख्य चालक है सक्षम, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा भारत की समग्र अर्थव्यवस्था के सतत् विकास और समेकित प्रगति के लिए आवश्यक है तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाज़ार बन चुका है भारत 2015 के दौरान रूस को पीछे छोड़ते हुए चीन और अमरीका के बाद विश्व में तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का भाग लगभग 35 प्रतिशत रहा वास्तव में, भारत ने 2015 के दौरान अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ दिया

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

वर्ष 2016-17 में 36.01 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2017-18 के कच्चे तेल का उत्पादन 35.68 एमएमटी रहा, जो लगभग 0.9 प्रतिशत की मामूल गिरावट दर्शाता है वर्ष 2017-18 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 32.649 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो 2016-17 में 31.8970 बीसीएम के उत्पादन से 2.35 प्रतिशत अधिक है

रिफाइनिंग क्षमता

भारतीय रिफाइनरी उद्योग ने, स्वयं को एक वैश्विक उद्योग स्थापित करने में अच्छा प्रदर्शन किया है भारत, जो चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है, मांग से अधिक रिफाइनिंग क्षमता वाला एक रिफाइनरी हब है देश की रिफाइनरी क्षमता अप्रैल 2018 में बढ़कर 247.57 एमएमटीपीए हो गई है

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और खपत

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन वर्ष 2016-17 के 243.55 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2017-18 में 254.40 एमएमटी रहा, जो लगभग 4.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 204.92 एमएमटी रही, जो वर्ष 2016-17 के दौरान 194.60 एमएमटी की खपत की तुलना में 5.31 प्रतिशत अधिक है

कच्चे तेल का आयात

वर्ष 2017-18 के दौरान 220.43 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 5,65,951 करोड़ रुपये आंका गया, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 213.93 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 4,70,159 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा के संदर्भ में 3.04 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 20.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात

वर्ष 2017-18 के दौरान 35.89 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ, जिनका मूल्य 86,946 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित 36.29 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका मूल्य 71,566 करोड़ रुपये आंका गया था की तुलना में मात्रा के संदर्भ में 1.09 प्रतिशत की गिरावट और मूल्य के संदर्भ में 21.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है वर्ष 2017-18 के दौरान 66.76 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनका मूल्य 2,25,139 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यात किए गए 65.51 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका मूल्य 1,94,893 करोड़ रुपये आंका गया था, की तुलना में मात्रा के संदर्भ में 1.91 प्रतिशत तथा मूल्य के संदर्भ में 15.52 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है

मेक इन इंडिया

तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का आरंभ करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खरीद वरीयता उपलब्ध कराने की दिशा में एक नीति को मंजूरी दी गई इस नीति का उद्देश्य घरेलू गैस और तेल क्षेत्र में घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसरों का सृजन करना, देश में विनिर्मित उत्पादों तथा तेल और गैस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में उच्च मूल्य वृद्धि जोड़ना था तथा आयात पर निर्भरता में कमी लाना था

ऊर्जा सुरक्षा

सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अनेक प्रमुख नीतिगत उपाय किए हैं तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ओएनजीसी और ओआईएल के ऐसे डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के मुद्रीकरण के लिए डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (डीएसएफ) नीति को अधिसूचित किया गया, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया गया था वहां इस नीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के जरिए 30 संविदा क्षेत्रों के विकास का दायित्व सौंपा गया

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम (पीएसयू), है, जिसे 'नवरत्न' का दर्ज़ा प्राप्त है इसकी दो मुख्य रिफाइनरियां हैं, एक रिफाइनरी, मुंबई (पश्चिमी तट) पर स्थित है जिसकी क्षमता 7.5 एमएमटीपीए है तथा दूसरी विशाखापट्टनम (पूर्वी तट) पर स्थित है और इसकी क्षमता 8.3 एमएमटीपीए है ये रिफायनरियां ईंधन, ल्यूब्रीकेंट्स और विशिष्ट उत्पाद सहित व्यापक विविधता वाले पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करती हैं एचपीसीएल पंजाब के बठिंडा में 11.3 एमएमटीपीए क्षमता वाली एचएमईएल रिफाइनरी में एक संयुक्त उद्यम में साझेदार भी है, जहां उसकी इक्विटी 48.99 प्रतिशत है इसके अलावा एचएमईएल की मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में 16.96 प्रतिशत की हिस्सेदारी है यह मंगलूर स्थित अत्याधुनिक रिफायनरी है, जिसकी सालाना क्षमता 15 एमएमटीपीए है

एचपीसीएल के विशाल विपणन नेटवर्क में मुख्य शहरों में 14 आंचलिक कार्यालय एवं 128 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके पास 41 टर्मिनल्स, 41 एविएशन सर्विस स्टेशन्स, 48 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, 6 ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट्स, 41 इनलैंड रिले डिपो और 27 विशिष्ट ल्यूब डिपो आदि जैसी आपूर्ति एवं वितरण की बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं 31 मार्च, 2018 तक इसके कस्टमर टच प्वाइंट्स में 15,062 रिटेल आउटलेट्स, 1638 एसओ/एलडीओ डीलर, 266 ल्यूब डिस्ट्रीब्यूटर्स, 116 कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स, 4849 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स तथा 6.9 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता शामिल हैं

एचपीसीएल ने ऊर्जा क्षेत्र में नवोन्मेषी और अग्रणी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करने के लिए बंगलुरु में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने क्रियाकलापों को करने के लिए एचपीसीएल के पास हैदराबाद में विश्वस्तरीय आईएसओ 27001 प्रमाणित इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर (आईएससी) है

वेबसाइटः www.hindustanpetroleum.com

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (इंडियन ऑयल) भारत की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है और इसके व्यापारिक हित समस्त हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में व्याप्त हैं, जिसमें तेलशोधन, पाईपलाइन परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से लेकर तेल और गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स आदि का विपणन शामिल है इसने डाउनस्ट्रीम प्रचालनों के वैश्वीकरण में भी कदम रखा है और प्रौद्योगिकी प्रदाता बनकर उभर रही है तथा जैव ईंधनों, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है

'महारत्न' उद्यम इंडियन ऑयल सर्वाधिक लाभ कमाने वाला पीएसयू है (वित्त वर्ष 2017-18 में शुद्ध लाभ 21,346 करोड़ रुपये था) और यह वर्ष 2018 की फॉर्चून 500 ग्लोबल लिस्टिंग की शीर्ष भारतीय कंपनी (रैंक 137) रही

भारत में 23 में से 11 रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन इंडियन ऑयल समूह की कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनकी प्रतिवर्ष 80.07 मिलियन मीट्रिक टन तेलशोधन क्षमता देश की कुल तेलशोधन क्षमता का 35 प्रतिशत है इंडियन ऑयल की पाईपलाइनों का नेटवर्क परे भारत में सबसे बड़ा है, जो 13,400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को सुरक्षित, किफायती तथा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है

इंडियन ऑयल 48,000 से अधिक कस्टमर टच प्वाइंट्स के माध्यम से देशभर में बड़ी संख्या में मौजूद अपने ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाती है इनमें 27,000 ईंधन स्टेशनों में 7,500 से ज्यादा ग्रामीण बाज़ारों में किसान सेवा केंद्र आउटलेट हैं

इंडियन ऑयल का एलपीजी कुकिंग गैस का ब्रांड इंडेन 10,200 से अधिक वितरकों के माध्यम से 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सेवाएं प्रदान करता है इसके 107 एविएशन फ्यूल स्टेशन मिलकर एक दिन में 1,750 से अधिक विमानों को, यानी प्रति मिनट एक से अधिक उड़ानों को ईंधन उपलब्ध कराते हैं

इंडियन ऑयल की वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि हो रही है:

- श्रीलंका, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), में इसके सुस्थापित डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग प्रचालन हैं अब वह दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के बाज़ारों में प्रवेश करने की योजना बना रही है
- इंडियन ऑयल की रूस, नाइजीरिया, ओमान, यूएई, वेनेजुएला, कनाडा और अमरीका में 10 विदेशी अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाएं हैं
- सर्वो ल्यूब्रीकेंट्स और प्रोपेल पेट्रोकेमिकल्स का दुनियाभर में निर्यात किया जा रहा है

वेबसाइट: www.iocl.com

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसे 'महारत्न' का दर्जा प्राप्त है इसकी दो रिफायनरियां मुंबई और कोच्चि में हैं मुंबई की रिफायनरी कीशोधन क्षमता 12 एमएमटीपीए तथा कोच्चि की शोधन क्षमता 15.5 एमएमटीपीए है फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी बीपीसीएल प्रमुख एकीकृत कंपनियों में से एक है, जो कच्चे तेल के शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है तथा जिसकी तेल और गैस क्षेत्र के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है

'महारत्न' नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड (एनआरएल) में बीपीसीएल की चुकता पूंजी 61.65 प्रतिशत है बीपीसीएल की 100 प्रतिशत अनुषंगियां यथा- भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (बीआरपीएल) तेल अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं बीपीसीएल ने मैसर्ज ओमान ऑयल कंपनी के साथ मिलकर बीना, मध्य प्रदेश में 6 एमएमपीटीए क्षमता वाली संयुक्त उद्यम रिफायनरी लगाई है

बीपीसीएल का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है और उसने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट (एसबीयू), साझा सेवाओं और इकाइयों की रचना की है संगठनात्मक परिकल्पना में उपभोक्ता-केंद्रित छह एसबीयू यथा- विमानन, औद्योगिक और वाणिज्यिक, एलपीजी, ल्यूब्रीकेंट्स, गैस, खुदरा और परिसंपत्तियों पर आधारित दो एसबीयू यथा- मुंबई और कोच्चि रिफायनरी शामिल हैं

बीपीसीएल के विशाल विपणन नेटवर्क में चार प्रमुख शहरों में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनकी सहायता स्थानीय कार्यालय करते हैं रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय कार्यालयों के अधीन होते हैं आपूर्ति एवं वितरण अवसंरचना में टर्मिनल्स, एविएशन सर्विस स्टेशन्स, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, ल्यूब ऑयल ब्लेंडिंग प्लांट्स डिपो, इंस्टालेशन टैंकेज और पाईपलाइन नेटवर्क शामिल है

बीपीसीएल के पास पेट्रोलियम के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए नोएडा में एक विशाल आरएंडडी सेंटर है बीपीसीएल के पास अपने कारोबार की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं इसका डेटा सेंटर और ईआरपी सेंटर सेवरी, मुंबई में है तथा बिजनेस प्रॉसेस एक्सीलेंस सेंटर (बीपीईसी) खारघर, नवी मुंबई में स्थित है

वेबसाइट: www.bharatpetroleum.com

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मिनीरत्न अनुसूची 'क' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और विदेशी शाखा है ओवीएल की स्थापना 5 मार्च, 1965 को हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई थी 1989 से इस कंपनी का नाम बदल कर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कर दिया गया ओवीएल का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वर्धित करने के लिए विदेश में मौजूद गुणवत्तापूर्ण तेल और गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है वर्तमान में, ओवीएल के 20 देशों में 41 तेल और गैस परिसंपत्तियों में शेयर हैं, इनमें अजरबेजान (2 परियोजनाए), बांग्लादेश (2 परियोजनाएं), ब्राज़ील (2 परियोजनाएं), कोलंबिया (7 परियोजनाएं), ईरान(1 परियोजना), इराक(1 परियोजना), इस्राइल (1 परियोजना), कज़ाखस्तान (1 परियोजना), लीबिया (1 परियोजना), मोजाम्बिक (1 परियोजना), म्यामां (6 परियोजनाएं), नामीबिया (1 परियोजना), न्यूजीलैंड (1 परियोजना), रूस (3 परियोजनाएं), दक्षिण सूडान (2 परियोजनाएं), सूडान (2 परियोजनाएं), सीरिया (2 परियोजनाएं), यूएई (1परियोजना), वेनेजुएला (2 परियोजनाएं) और वियतनाम (2 परियोजनाएं) शामिल हैं ओएनजीसी विदेश 15 परिसंपत्तियों से तेल और गैस का उत्पादन करती है, 4 परिसंपत्तियों में हाइड्रोकार्बन्स की खोज की गई है और वे विकास की विविध अवस्थाओं में हैं, 18 परिसंपत्तियां अन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा 4 परियोजनाएं पाईपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) का गठन 2006 में किया गया था यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और अन्वेषण एवं उत्पादन इकाई है

बीपीसीएल जहां भारत के मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों के साथ संलग्न है, वहीं बीपीआरएल भारत तथा विदेश में अपस्ट्रीम कार्यकलाप करती है बीपीआरएल के 8 देशों में फैले 24 ब्लॉक्स में भागीदारी हित (पीआई) हैं और इसके साथ ही साथ 4 निर्माण परिसंपत्तियों के लिए लाइसेंस प्राप्त 2 रूसी इकाइयों में इक्विटी है

ऑयल इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) देश और विदेश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1959 को असम के नहारकटिया और मोरान के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों के विस्तार और विकास के लिए की गई थी 1961 में ओआईएल, भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके, की संयुक्त उद्यम बन गई 1981 में ओआईएल भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बन गया तथा अप्रैल 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया देश में इसके प्रचालन क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, पुदुदचेरी, और राजस्थान में फैले हैं कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 1134.90 करोड़ रुपये है आईओएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपिटल की 66.13 प्रतिशत है

विदेशों में ओआईएल के अन्वेषण और उत्पादन पोर्टफोलियो में 17 ब्लॉक्स/12 परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनका प्रसार 9 देशों में है इन देशों में- लीबिया, गैबॉन, नाईजीरिया, वेनेजुएला, अमरीका, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, रूस और इस्राइल शामिल हैं देश में कंपनी के क्षेत्रफल में 331.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले नामांकन के आधार पर प्रदत्त 3 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल), तथा 5004 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 22 पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) शामिल हैं कंपनी के विदेशी पोर्टफोलियों में– रूस, अमरीका और वेनेजुएला में फैली पांच परिसंपत्तियां शामिल हैं इसके अलावा ओआईएल की सूडान में 741 किलोमीटर लंबी मल्टीप्रोडक्ट पाईपलाइन निर्माण और प्रचालन परियोजना में 10 प्रतिशत पीआई हैं, जो वर्ष 2005 में पूर्ण हो चुकी है ओआईएल ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 9,860 एमएमटी कच्चे तेल और 8,656 बीसीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया है

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य

पिछले कुछ वर्षों में देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ग्रिड संबद्ध विदुयत उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है यह राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के समाधान के अभिन्न अंग और ऊर्जा तक पहुंच के अनिवार्य क्षेत्र के रूप में उभरते हुए सरकार की सतत विकास संबंधी कार्यसूची का समर्थन करता है यह समझा जा चुका है कि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया काअभिन्न अंग बनने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को आने वाले वर्षों में काफी गहन भूमिका निभानी होगी पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ाने की त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढांचे में कई बदलाव देखने को मिला है ऐसी अवधारणा बनी है कि नवीकरणीय ऊर्जा अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही अब प्रौद्योगिकियों में विश्वास और यह कर पाने की क्षमता है राष्ट्रीय सौर मिशन के दायरे को व्यापक बनाया जाना इन दोनों का प्रतीक है और यह वस्तुतः भविष्य के लिए दृष्टि और महत्वाकांक्षा को संपुष्टित करता है

विकास के मुख्य वाहक

वर्तमान में भारत की लगभग 69.5 प्रतिशत विदुयत उत्पादन क्षमता कोयले पर आधारित है इसके अलावा आयातित तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता की बदौलत उसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 33 प्रतिशत आयात से पूरी हो रही हैं 65 वर्षों में संस्थापित क्षमता में 113 गुना से अधिक वृद्धि होने के बावजूद भारत अब तक अपनी चरम विदुयत मांग और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान चरम विदुयत अभाव 12.2 प्रतिशत यानी लगभग 9,252 मेगावाट था, लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक चरम विदुयत अभाव घटकर 2.4 हो गया इसके परिणामस्वरूप, मांग और पूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए सरकार और यूटिलिटीज द्वारा योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध उपाय किए गए अपने समस्त नागरिकों के लिए ऊर्जा के विश्वसनीय और आधुनिक स्वरूपों की उपलब्धता

सुनिश्चित करना भारत के लिए एक चुनौती हैं लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ठोस ईंधन पर निर्भर करते हैं और केवल 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की ही बिजली तक पहुंच हैं हालांकि इतनी कम पहुंच के बावजूद, ज्यादातर ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांवों में प्रकाश की व्यवस्था में कमी के कारण मिट्टी के तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है इसमें कमी किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है और आयात पर निर्भरता बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है

भारत ने 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने की स्वेच्छा से प्रतिबद्धता व्यक्त की है हाल ही में पेरिस में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का प्रारूप (यूएनएफसीसीसी) के 21वें सम्मेलन में भारत ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) सहित कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण की मदद से वर्ष 2030 तक अपनी लगभग 40 प्रतिशत संचयी इलेक्ट्रिक विद्युत संस्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 1982 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित समस्त पहलुओं पर गौर करने के लिए मंत्रालय में एक पृथक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग (डीएनईएस) का सृजन किया गया वर्ष 1992 में विभाग का उन्नयन कर इसे एक पृथक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रायल (एमएनईएस) बना दिया गया और अक्टूबर 2016 में इसका नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया

ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए बायोगैस संयंत्र, फोटोवोल्टिक प्रणालियों, बायोगैस गैसीफायर, सौर कुकर तथा सौर तापीय प्रणाली आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों की संस्थापना के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी)

एनबीएमएमपी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण/अर्ध शहरी परिवारों की खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन संबंधी जरूरतें पूरी करने तथा खेतों में उपज एवं उत्पादकता बढ़ाने और मृदा का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए जैविक खाद उपलब्ध कराने हेतु बायोगैस संयंत्रों को पारिवारिक परिसंपत्ति के तौर पर उपलब्ध कराना है इस प्रकार बायोगैस संयंत्र जैविक खेती अपनाने में किसानों की मदद करने का संभावित स्रोत हैं बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए खेती से जुड़ी एक छोटी अवसंरचना परिसंपत्ति है तथा अन्य लोगों के लिए घरेलू उपयोग की सुविधा है

एनबीएमएमपी वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों की ओर से उनकी निर्धारित राज्य नोडल एजेंसियों/ विभागों, केवीआईसी और बीडीटीसी के माध्यम से प्राप्त मांग और वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है एनबीएमएमपी के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान 65,180 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने का निर्धारित लक्ष्य समस्त राज्य नोडल विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों और खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) और बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केंद्रों (बीडीटीसी) को सौंप दिया गया है

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) डाउनस्ट्रीम सेक्टर की एक एकीकृत तेल कंपनी है, जो कच्चे तेल के शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है कंपनी ने पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के उत्पादन और विपणन में भी विविधता उत्पन्न की है बीपीसीएल की रिफायनरियां मुंबई और कोच्चि में हैं, जिनकी मिश्रित शोधन क्षमता 21.5 एमएमटीपीए है दोनों रिफायनरियां एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत प्रमाणित हैं, जिसका लक्ष्य आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस

18001 के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रबंधन प्रणालियों को मिलाते हुए गुणवत्ता, वातावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रॉसेसिज, इंटरफेसिज, संरचना एवं प्रलेखन प्रणालियों में एकीकृत रवैया अपनाना है

बीपीसीएल का प्रमुख भंडारण प्रतिष्ठानों और डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, 1938 किलोमीटर (संयुक्त उद्यम कंपनी पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड द्वारा स्थापित 292 किलोमीटर पाईपलाइन सहित) क्रॉस-कंट्री पाईपलाइन और 2 ल्यूब्रीकेंट ब्लैंडिंग प्लांट्स वाला सशक्त वितरण नेटवर्क है

कोयला

कोयला मंत्रालय (एमओसी) कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी संबद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि.(एनएलसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है

भारत में कोयला भंडार

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार भारत में कोयले का भंडार, 308.802 बिलियन टन है यह कोयला भंडार मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है

भारत में लिग्नाइट भंडार

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश में लिग्नाइट भंडारों का अनुमान लगभग 44.59 बिलियन टन लगाया गया है प्रमुख भंडार तमिलनाडु में और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र पुदुदचेरी में पाए जाते हैं

कोयला उत्पादन

2017-18 के दौरान भारत में कोयले के समग्र उत्पादन का अनुमान 730.10 मि.टन लगाया गया था अप्रैल-दिसंबर 2017 की अवधि के 461.42 मि.टन (एमटी) वास्तविक उत्पादन की तुलना में 2016-17 की अवधि में 452.97 मि.टन रहा जो 1.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत 'महारत्न' कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है सीआईएल दुनिया में अकेली सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और 3,46,638 कर्मचारियों के साथ विशालतम कॉरपोरेट नियोक्ताओं में से एक है सीआईएल भारत के 8 राज्यों में फैले 82 खनन क्षेत्रों के जरिए संचालन करती है कोल इंडिया लिमिटेड की 429 खदाने हैं, जिनमें से 237 भूमिगत, 166 खली खदाने और 26 मिश्रित खदाने हैं कोलकाता में अपने मुख्यालय के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कोयला उद्योग की शीर्ष संस्था है सीआईएल 7 पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक अनुषंगियों और एक खान आयोजना एवं परामर्शी कंपनी के साथ नियंत्रक कंपनी है यह कोयला रिजर्व की पहचान, अपनी खानों से कोयला निकालने के लिए विस्तृत अन्वेषण के बाद उनकी योजना एवं कार्यान्वयन और संचालन सहित व्यापक कार्य करती हैं इसकी उत्पादक कंपनियों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश, महानदी कोलफील्ड्स् लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर,

ओड़ीसा, हैं परामर्शदाता कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची झारखंड शामिल हैं

वेबसाइट: www.coalindia.in

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) का कंपनी के रूप में पंजीयन 1956 में हुआ था माइन–1 में खनन कार्य औपचारिक रूप से 1957 को शुरू हुआ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में और कॉरपोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेवेली में है यह ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्रणी है एनएलसी नेवेली में सालाना 28.5 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली लिग्नाइट की तीन खुली खदानों और बड़सिंगार, राजस्थान में सालाना 2.1 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली एक खुली खदान का संचालन करती है वह नेवेली में 2,490 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ तीन ताप बिजली घरों और बड़सिंगार, राजस्थान में 250 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एक ताप बिजली घर का संचालन करती है एनएलसी की सभी खानों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त है एनएलसी के सभी बिजली घर भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणित हैं एनएलसी की प्रगति निरंतर जारी है और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है

वेबसाइट: www.nlcindia.com

12 पर्यावरण



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, जो झीलों तथा नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव विविधता, वनों तथा वन्यजीवन के संरक्षण से संबंधित पर्यावरण एवं वन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है ताकि प्राणियों का कल्याण एवं प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण सुनिश्चित किया जा सके मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए इन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की भी नोडल एजेंसी है पर्यावरण से जुड़े मामलों में मंत्रालय सतत विकास आयोग (सीएसडी) तथा ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और एशिया तथा प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (एस्कैप) व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ भी समन्वय करता है

वेबसाइट: www.envfor.nic.in

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन शीर्ष अनुसंधान संगठन है देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1890 में की गई थी कोलकाता में 'रॉयल बॉटेनिकल गार्डन' के तत्कालीन अधीक्षक सर जॉर्ज किंग को बीएसआई का पहला पदेन मानद निदेशक नियुक्त किया गया था आजादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के हिस्से के रूप में विभाग का पुनर्गठन किया बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बीएसआई के काम-काज का आधार बढ़ा दिया गया और उसमें कई अन्य गतिविधियां भी शामिल कर दी गईं, जैसे- स्थानीय, दुर्लभ तथा ज़ोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीतियां तैयार करना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीवमंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्बल पारितंत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना, वनस्पति उद्यानों तथा ऑर्किड उद्यानों में स्थानीय तथा ज़ोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों, जंगली सजावटी पौधों को बढ़ाना तथा संवारना, पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को लिखकर रखना तथा हर्बेरियम के नमूनों/जीवित संग्रहों/वनस्पति के चित्रों/रेखाचित्रों, पौधों के वितरण एवं नामकरण, पौधों के उपयोग आदि का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

मंत्रालय के अधीन अग्रणी शोध संस्था भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) को देश की सेवा करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 1916 में अपनी स्थापना के बाद से ही इसने सर्वेक्षण, खोज एवं अनुसंधान का काम सक्रियता के साथ किया है, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध प्राणी विविधता के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जेडएसआई का कामकाज भी लगातार बढ़ता गया और उसमें पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन; संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण; लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण; प्राणी संसाधनों के बारे में जानकारी का कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण; जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस); पहचान एवं परामर्श सेवाएं; नमूनों

की नेशनल डीजिग्नेटेड रिपॉजिटरी; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करने में सहायता करना; संरक्षण के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए समुद्री जलीय जीवशाला एवं संग्रहालय की स्थापना आदि शामिल कर दिए गए साथ ही, यह राष्ट्रीय प्राणी संग्रहों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न हिस्सों में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं

भारतीय वन सर्वेक्षण

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में 'प्री–इंवेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज' (पीआईएसएफआर) के स्थान पर की गई पीआईएसएफआर को भारत सरकार द्वारा 1965 में आरंभ किया गया था और यह एफएओ एवं यूएनडीपी द्वारा प्रायोजित था पीआईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के चुनिंदा क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल मिलता रहे 1976 में अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) ने सिफ़ारिश की थी कि नियमित अंतराल पर देशभर में वन संसाधनों के समग्र सर्वेक्षण के जरिए विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने हेतु राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की जाए उसके बाद जून 1981 में पीआईएसएफआर का पुनर्गठन कर एफएसआई की स्थापना की गई इसकी गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद 1986 में एफएसआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया ताकि वह देश की तेज़ी से बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरा उतर सके

जैव विविधता संरक्षण

जैव विविधता संधि (सीबीडी) 1992 में रियो डि जेनेरो में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किए गए प्रमुख समझौतों में से एक हैं सीबीडी के उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी 1994 में भारत द्वारा सीबीडी को अंगीकार किए जाने के बाद से संधि के तहत किए गए संकल्पों को पूरा करने एवं संधि से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं इन प्रयासों का उद्देश्य सीबीडी के त्रिस्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप विधायी, प्रशासनिक तथा नीतिगत प्रणालियां लागू करना है इस संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्ययोजना भी तैयार की तथा 2014 में इस कार्य योजना में 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जोड़े गए

सीबीडी के अंतर्गत 2010 में अंगीकार की गई नगोया उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी करना है

जीवमंडल (बायोस्फियर) रिजर्व

'बायोस्फियर रिजर्व' का विचार यूनेस्को ने 1973-74 में अपने मैन एंड बायोस्फियर (एमएबी) कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया था 1970 में यूनेस्को द्वारा आरंभ किया गया एमएबी व्यापक पारिस्थितिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जीवमंड़ल के संसाधनों के तार्किक प्रयोग एवं संरक्षण के लिए और मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंध सुधारने हेतु प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के भीतर ही आधार तैयार करना था उद्देश्य यह भी था कि इससे आज की गतिविधियों के भविष्य की दुनिया पर होने वाले प्रभावों का अनुमान लगाया जा सकेगा और इस तरह जीवमंडल के प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की मनुष्य की क्षमता में इज़ाफ़ा होगा

भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीवमंडल (एमएबी) समिति यूनेस्को के दिशानिर्देशों और मानदंडों पर चलते हुए बायोस्फियर रिजर्व के लिए संभावित स्थान पहचानती है और उनकी सिफ़ारिश करती है 18 बायोस्फियर रिजर्व निर्धारित किए गए हैं इनमें से 10 बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फियर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है

संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग/लाइन विभाग इसे क्रियान्वित

करने वाले संगठन हैं बायोस्फियर रिजर्व के लिए चिह्नित शोध संस्थान मंजूर की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर शोध की गतिविधियां करते हैं तथा आवधिक समीक्षाओं एवं प्रगति रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है पूरी रिपोर्ट का मूल्यांकन निर्धारित समिति द्वारा किया जाता है

जैव सुरक्षा से संबंधित जैव विविधता संरक्षण योजना

जैव विविधता संरक्षण की योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991-92 में आरंभ की गई थी ताकि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो सके और उसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों की समीक्षा, निगरानी एवं विकास हो सके मुख्य उद्देश्य है जैव सुरक्षा पर कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा (द्वितीय चरण) पर यूएनईपी-जीईएफ समर्थित क्षमता निर्माण परियोजना का क्रियान्वयन करना और जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना

कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल (सीपीबी): इस पर जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तत्वावधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव सवंर्धित प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना है, जिनका मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है

वन संरक्षण

वन प्रबंधन योजना के सघनीकरण की यह केंद्र प्रायोजित योजना दावानल यानी जंगल की आग के प्रबंधन से संबंधित है ताकि जंगल में आग की प्रतिकूल प्रभावों की बढ़ती चिंता दूर की जा सके इसके साथ ही वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की गई

वन्यजीव संरक्षण

मंत्रालय का एक वन्यजीव विभाग हैं, जिसमें दो भाग प्रोजेक्ट एलिफेंट विभाग और वन्यजीव विभाग हैं साथ ही तीन स्वायत्तशासी निकाय- वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, संरक्षण एवं चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय को बाघ संरक्षण के लिए स्वायत्तशासी संस्था बनाकर किया गया राजधानी में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग का हिस्सा है

वन्यजीव विभाग जैव विविधता तथा संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण के लिए नीति एवं कानून बनाने हेतु प्रक्रियाओं एवं विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से नीति एवं कानून के मामलों एवं जानकारी के प्रबंधन का काम करता है मंत्रालय का यह विभाग केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास के अंतर्गत तथा केंद्र की योजना - वन्यजीव विभाग का सुद्दढ़ीकरण तथा विशेष कार्यों के लिए परामर्श के जरिए तथा केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को अनुदान के माध्यम से सहायता कर वन्यजीव संरक्षण में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देता है

भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण की गतिविधियों में राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे 'वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास' के जरिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करती है योजना के तीन घटक हैं- संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व एवं कम्युनिटी रिजर्व) को सहायता प्रदान करना; वन्यजीव बाहरी संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा अत्यंत विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है, जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा जबलपुर में इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय;

गुवाहाटी, अमृतसर तथा कोच्चि में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय; और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला एवं मोरे में पांच सीमावर्ती इकाइयां हैं इसका काम है संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना; वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटाबैंक स्थापित करना; अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना; वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु समन्वित एवं एकसमान कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद करना; वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक तथा पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण करना और वन्यजीव अपराधों के मामले में सफल अभियोजन के लिए राज्य सरकारों की मदद करना; राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभावों वाले वन्यजीव अपराध संबंधी मसलों, नीतियों एवं कानूनों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 2007 में की गई थी

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण: नई दिल्ली में मुख्यालय वाले केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी और इसका कार्य संरक्षण में प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों की भूमिका बढ़ाने के लिए देश में चिड़ियाघरों का कामकाज देखना है केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानकों तथा नियमों को लागू करना, मौजूदा चिड़ियाघरों की निगरानी तथा मूल्यांकन करना और देश में चिड़ियाघरों के सुधार के तरीके और उपाय सुझाना है ताकि उन्हें विलुप्तप्राय जंगली प्राणियों को उनके आवास से दूर संरक्षण करने वाला प्रभावशाली स्थान बनाया जा सके

राष्ट्रीय प्राणी उद्यानः राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में की गई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन उद्यान का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता विशेषकर जंगली वनस्पति के संरक्षण हेतु हो रहे राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करना और उन्हें मजबूत बनाना है इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है- विलुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन उनके मूल स्थान से बाहर की स्थितियों में कराने एवं उचित तथा वांछित समय पर जंगल में उनके पुनर्वास के लिए संतानों का पालन पोषण करने के प्रयासों द्वारा उनके संरक्षण में मदद करना; चिड़ियाघर में आने वालों में वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति जगाना, उनमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन बरकरार रखने की जरूरत के प्रति समझ तथा जागरुकता विकसित करना तथा संरक्षण के लिए उपयोगी वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करना और मूल स्थान पर तथा उससे बाहर संरक्षण में लगी एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए डेटाबेस तैयार करना

प्रोजेक्ट एलिफेंट

प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1991-92 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया इसका उद्देश्य था हाथियों, उनके आवास स्थल तथा गलियारों का संरक्षण करना; मानव और हाथी के टकराव की समस्या पर काम करना; पालतू हाथियों के कल्याण का ध्यान रखना

पशु कल्याण

सामान्य पशु कल्याण-भारतीय पशु कल्याण बोर्ड: सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), चेन्नई, तमिलनाडु के जरिए जानवरों विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद कर रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है एडब्ल्यूबीआई सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरुकता उत्पन्न करना तथा पशुओं के कल्याण के लिए एडब्ल्यूबीआई की नियमित योजनाओं एवं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है

मुफ्त सचल पशु क्लिनिकः बोर्ड गरीबों के बीमार तथा घायल पशुओं को चेन्नई स्थित मुख्यालय से संचालित अपने सचल पशु क्लिनिक कार्यक्रम के जरिए मौके पर मुफ्त पशु चिकित्सा मुहैया कराता है

विश्व पशु दिवस सप्ताह में आयोजित जागरुकता रैलियां: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने मानव शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चेन्नई के स्कूलों एवं करुणा इंटरनेशनल, चेन्नई के साथ मिलकर दया एवं करुणा उत्पन्न करने के लिए रैलियां कीं

पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन

पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को योजना के आरंभिक चरण से ही विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का तरीका है भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं में किया गया था और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में भी आजमाया गया, जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है इन तरीकों को पहली बार ईआईए अधिसूचना, 1994 में संहिताबद्ध किया गया इसमें 37 प्रकार की परियोजनाओं/प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी आवश्यक कर दी गई और इनकी सूची अधिसूचना में दी गई थी निवेश का मानदंड ही विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं की बुनियाद था

प्रदूषण नियंत्रण

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या विशेषकर महानगरों में गंभीर समस्या बनती जा रही है बड़ी संख्या में शहर और नगर प्रदषणकारी तत्वों विशेषकर कणों के मानकों का पालन नहीं करते दिल्ली समेत कछ शहरों में वातावरण में कणों की सघनता मानकों से बहुत अधिक कई बार तीन या चार गुना अथवा और भी ज्यादा है वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता नियमों एवं कार्यों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के विभन्न प्रावधानों के अंतर्गत अमल में लाया जाता है इन कानूनों में इस समस्या से निपटने के तरीके और प्राधिकरण बताए गए हैं बड़ा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है दिल्ली और एनसीआर के पिछले पांच वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कणों या पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10 और पीएम) की सघनता समूचे क्षेत्र के लिए चिंता का बड़ा विषय है किंतु दिल्ली, मेरठ और फरीदाबाद में नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड की सघनता में कुछ गड़बड़ देखी गई है पिछले पांच वर्ष में लगभग सभी स्थानों पर सल्फर डाई-ऑक्साइड की सघनता मानक सीमा के भीतर ही रही है पीएम10 सांस में जाने लायक मोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है पीएम2.5 बारीक कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है

आम तौर पर युवा एवं स्वस्थ लोगों पर मध्यम वायु प्रदूषण के गंभीर अल्पकालिक प्रभाव होने की आशंका नहीं रहती लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने या अधिक समय तक प्रदूषण में रहने से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले लक्षण दिख सकते हैं इससे श्वसन तंत्र पर प्रभाव तो पड़ ही सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है फेफड़ों अथवा हृदय की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ने की आशंका अधिक होती हैं

वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 12 प्रदूषकों वाले राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित किया गया है साथ ही परिवेशी वायु के लिए 32 सामान्य मानकों के अतिरिक्त 104 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन/उत्प्रवाह मानक भी अधिसूचित किए गए हैं सरकार परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चला रही है नेटवर्क में 691 मैनुअल परिचालन केंद्र हैं, जिनके दायरे में 29 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के 303 शहर या नगर आते हैं वाहनों से होने वाले प्रदूषण की बात करें तो गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) प्रचलित करने, एथेनॉल मिश्रण, 2017 तक सभी जगह भारत स्टेज 4 लागू करने, 1 अप्रैल, 2020 तक भारत-4 से सीधे भारत-6 तक जाने, मेट्रो, बस, ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क एवं कारपूलिंग को बढ़ावा देने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बनाने, लेन में अनुशासन बरतने, वाहन की देखभाल करने जैसे कदम उठाए गए हैं

2015 में 14 शहरों से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आरंभ किया गया और अब यह 34 शहरों में लागू हैं दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया योजना अधिसूचित की गई है इस योजना में विभिन्न स्रोतों से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन पर नियंत्रण करने तथा पीएम10 और पीएम2.5 के स्तर को 'मध्यम' राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से ऊपर जाने से रोकने की

आवश्यकता है उपाय एक साथ अपनाने हैं आपातकाल तथा गंभीर स्तरों में वे सभी उपाय एक साथ अपनाए जाते हैं, जो बेहद खराब, ख़राब और मध्यम जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के निचले स्तरों में सूचीबद्ध हैं ख़राब और मध्यम श्रेणी में सूचीबद्ध कार्य पूरे वर्ष करने की आवश्यकता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली तथा एनसीआर समेत बड़े शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 42 उपायों को लागू करने के लिए निर्देशों की व्यापक सूची जारी की है लोगों को इन प्रयासों में शामिल करने के लिए सरकार ने 2017 में 'हरित दीवाली एवं स्वस्थ दीवाली' नाम का एक अभियान चलाया, जिसमें दिल्ली के 2,000 से अधिक स्कूल तथा देश में 2 लाख से अधिक स्कूल शामिल होंगे 'स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ हवा' के नाम से एक मिनी मैराथन 2017 में आयोजित की गई

ध्वनि प्रदूषण

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति - 2006 के अनुच्छेद 5.2.8(4) पर कार्रवाई करते हुए परिवेश में व्याप्त शोर को निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में निगरानी के लिए नियमित पैमाने के रूप में शामिल किया गया राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क कार्यक्रम की शर्तें तैयार कर ली गई हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बांट दी गई हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर 7 महानगरों में वास्तविक समय में परिवेशी शोर की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना की साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद में 70 शोर निगरानी प्रणाली स्थापित की गईं ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए इन कदमों में दूसरी बातों के साथ दीपावली के मौके पर शोर पर नज़र रखने; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक; पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार करने, पटाखे रोकने के लिए सामान्य जनता में जागरुकता पैदा करने के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम के जरिए इसके प्रति संवेदनशील बनाने की सलाह एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(बी) के अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है

सामान्य तरल क़चरा शोधन संयंत्रों की योजना

सामान्य तरल क़चरा शोधन संयंत्रों का विचार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहकारी आंदोलन खड़ा करने के इरादे से आया इन संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की अधिक से अधिक रक्षा करते हुए एकल इकाई के लिए शोधन के खर्च को कम से कम करना है बेकार पानी का शोधन एवं जल संरक्षण सामान्य तरल क़चरा शोधन संयंत्रों के प्रमुख उद्देश्य हैं इन संयंत्रों का विचार अनुकूल लघु उद्योगों के क्लस्टरों से निकलने वाले तरल क़चरे के शोधन के उद्देश्य से रखा गया था

देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को नए सामान्य तरल क़चरा शोधन संयंत्र स्थापित करने एवं पुराने संयंत्रों का उन्नयन करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरंभ की है संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में (क) केंद्रीय सब्सिडी को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना; (ख) शोधन के तीनों स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए सहायता देना एवं (ग) सीईटीपी का प्रबंधन उचित विधान के अंतर्गत पंजीकृत की गई विशेष उद्देश्य वाली कंपनी को सौंपा जाना शामिल है

हानिकारक पदार्थों का प्रबंधन

हानिकारक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग हानिकारक पदार्थों एवं रासायनिक आपात स्थितियों समेत ठोस क़चरे के प्रबंधन के लिए मंत्रालय के भीतर ही नोडल बिंदु है प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ठोस क़चरे के सुरक्षित प्रबंधन, हानिकारक रसायनों समेत हानिकारक पदार्थों एवं क़चरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाले नुक़सान से बचा जा सके

इसके अतिरिक्त प्रभाग सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके तहत तय किए गए नियमों को लागू करने काम भी करता है प्रभाग की गतिविधियां तीन प्रमुख क्षेत्रों - हानिकारक क़चरा प्रबंधन, ठोस क़चरा प्रबंधन एवं रासायनिक सुरक्षा के अंतर्गत चलाई जाती हैं

रासायनिक सुरक्षा

रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमों के दो समूह अधिसूचित किए हैं- (क) हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण तथा आयात के नियम, 1989 (एमएसआईएचसी); और (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपातकाल, नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 (ईपीपीआर) एमएसआईएचसी नियमों के मुख्य उद्देश्य हैं: (अ) औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं रोकना; और (आ) ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभाव सीमित करना ये नियम गुणवत्ता आधारित दृष्टिकोण के जरिए इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं एमएसआईएचसी नियमों के तहत उद्योग वाले व्यक्ति को निकटवर्ती जनता के बीच यह सूचना देनी पड़ती है कि उद्योग के कारण उस स्थान पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है एमएसआईएचसी नियम, 1989 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि विभिन्न प्राधिकरणों की गतिविधियों का उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एवं स्थान से दूर आपातकाल योजना तैयार करने, संभालने एवं क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार जिलाधिकारी की मदद करने हेतु देश में रासायनिक संकट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए इसलिए रासायनिक दुर्घटना (आपातकाली नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 नाम का नियमों का एक सेट अधिसूचित किया गया, जिसका लक्ष्य रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रभावी नियोजन, तैयारी तथा प्रतिक्रियाओं के लिए विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि दुर्घटना से प्रभावित हो सकने वाली जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके रासायनिक दुर्घटना (ईपीपीआर) अधिनियम, 1996 में देश में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की कल्पना की गई थी

हानिकारक क़चरा प्रबंधन

हानिकारक क़चरा को संभालते समय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे क़चरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक क़चरा (प्रबंधन, रखरखाव तथा सीमा पार परिवहन) नियम, 2008 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया नियमों ने हानिकारक क़चरा उत्पन्न करने तथा उसका इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को अनुमति देने के लिए प्रावधान तैयार कर इस प्रक्रिया की कार्यप्रणाली तय की है हानिकारक क़चरे का निस्तारण करने के लिए नियमों में शोधन, भंडारण तथा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी है नियमों में हानिकारक क़चरे के आयात निर्यात के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जो हानिकारक क़चरे के सीमा के आर-पार परिवहन तथा निपटारे पर नियंत्रण की बेसल संधि के तहत हमारी बाध्यताओं के अनुरूप हैं भारत भी इस संधि में शामिल है

हानिकारक तथा अन्य क़चरा (प्रबंधन एवं सीमा पार परिवहन) नियम, 2016 की कई विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं- अन्य क़चरे को शामिल कर नियमों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना; हानिकारक एवं अन्य क़चरा संभाल रहे सभी हितधारकों के लिए अनुमति एवं पंजीकरण के स्थान पर केवल इस नियम के तहत अनुमति की व्यवस्था करना; क़चरा प्रबंधन के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना, जिसमें सबसे पहले रोकथाम, फिर कम से कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, फिर प्राप्त करना (रिकवरी), साथ प्रसंस्करण करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना शामिल हैं; प्रक्रिया को सरल बनाकर और आयात/निर्यात के नियमन वाले क़चरे की सूची संशोधित कर इन नियमों के तहत क़चरे के आयात निर्यात के तरीकों को सुगम बनाना; धातु कबाड़, कागजी क़चरे तथा दोबारा इस्तेमाल होने लायक बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क़चरे आदि के लिए अलग अनुसूची तैयार करना, जिसे मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं आयात के लिए प्रतिबंधित क़चरे की सूची को संशोधित कर उसमें खाने योग्य बेकार वसाओं तथा जानवर या वनस्पति से बनने वाले तेल, घरेलू क़चरे, गहन चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, ठोस प्लास्टिक क़चरे और तरल रासायनिक क़चरे को शामिल किया गया है

ई-क़चरा प्रबंधन

ई क़चरे से संबंधित नियम सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उपकरणों एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले ई-क़चरे पर लागू होते हैं जैसे टेलीविजन सेट (एलसीडी तथा

एलईडी), रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर संबंधित राज्य एजेंसियों को इन नियमों के तहत ई-क़चरा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों जैसे संग्रह करना, अलग-अलग करना, तोड़ना और पुनर्चक्रण करना के नियंत्रण, निगरानी तथा नियमन का अधिकार मिल जाता है क़चरा उत्पादकों को संग्रह की व्यवस्था तैयार करनी होती है तथा उनके अपने उत्पादों के बेकार होने पर उत्पन्न होने वाले ई-क़चरे के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन का ख़र्च वहन करना पड़ता है साथ ही बिजली के उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली छह हानिकारक सामग्री के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार्य सीमा तय की गई है उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल तय सीमा के भीतर ही करें ई-क़चरे के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल निपटारे में ये नियम प्रमुख भूमिका निभाते हैं

ठोस क़चरा प्रबंधन

ठोस क़चरा प्रबंधन नियम, *2016*

मंत्रालय ने नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस क़चरा प्रबंधन के नियम 16 वर्ष बाद संशोधित किए नए नियम नगरपालिका क्षेत्रों से परे लागू होते हैं और शहरी समुदाय, जनगणना नगर, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेलवे के अधीन आने वाले क्षेत्र, हवाईअड्डे, हवाई टिकाने, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य तथा केंद्र सरकार के संगठन, तीर्थस्थल, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी उनके दायरे में आते हैं स्रोत स्थल पर ही क़चरे को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है क़चरा तैयार करने वालों पर ही उसे तीन श्रेणियों- गीला (स्वाभाविक तरीके से समाप्त होने वाला), सूखा (प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि) और घरेलू हानिकारक क़चरा (डायपर, नैपकिन, सफाई करने वाले पदार्थों के खाली डिब्बे, मच्छर भगाने वाले पदार्थ आदि) - में बांटकर अलग-अलग करने का जिम्मा दे दिया गया है नियमों में क़चरा इकट्ठा करने वालों को शामिल करने के तरीके भी हैं नियमों में स्थानीय निकायों को अधिकार दिया गया है कि वे 'यूज़र शुल्क' लगाने के लिए उपनियम बना सकते हैं, जो शुल्क क़चरा बनाने वाले उसे इकट्ठा करने वाले को देंगे और क़चरा फैलाने एवं उसे अलग नहीं करने पर 'तुरंत जुर्माना' भी लगाया जा सकता है स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिस साझेदारी की परिकल्पना की गई है, उसे लागू कर दिया गया है, जैसे थोक एवं संस्थागत क़चरा उत्पादक, बाज़ार संगठन, कार्यक्रम आयोजक तथा होटल एवं रेस्तरां को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर क़चरा अलग-अलग कने और उसका प्रबंधन करने के लिए सीधे जिम्मेदार बना दिया गया हैं सभी निवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले गेटयुक्त समुदायों और संस्थाओं, नई टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को क़चरे के प्रबंधन तथा स्वयं समाप्त होने वाले क़चरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था स्वयं ही करने का जिम्मा सौंप दिया गया है

प्लास्टिक क़चरा प्रबंधन नियम, *2016*

सर्वविदित है कि प्लास्टिक के विविध प्रयोग होते हैं और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों ने व्यावसायिक रूप से उसे सफल बना दिया है लेकिन उनका अंधाधुंध निटारा पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गया है प्लास्टिक की थैलियां खासतौर पर बिखरे हुए क़चरे में सबसे अधिक योगदान करती हैं और हर वर्ष प्लास्टिक की लाखों थैलियां जमीन, जल निकायों, जल प्रवाहों के जरिए पर्यावरण में मिल जाती हैं इन्हें पूरी तरह समाप्त होने में औसतन 1,000 वर्ष लगते हैं इसीलिए वैज्ञानिक प्लास्टिक क़चरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए 2011 में नए नियम- प्लस्टिक क़चरा (प्रबंधन एवं व्यवहार) नियम, 2011 अधिसूचित किए गए, जिनमें प्लास्टिक क़चरे का प्रबंधन शामिल है किंतु ये नियम इतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सके क्योंकि इन नियमों का दायरा नगरपालिका क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि आज प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है इन समस्याओं से निपटने तथा क़चरा प्रबंधन के लिए स्वावलंबी व्यवस्था तैयार करने के लिए मंत्रालय ने प्लास्टिक क़चरा प्रबंधन नियम अधिसूचित किए नियमों के तहत (अ) प्लास्टिक की थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन की गई है; (आ) वस्तुओं को पैक करने तथा लपेटने के लिए प्लास्टिक शीट की न्यूनमत मोटाई 50 माइक्रॉन तय करने का काम पहली बार किया गया है ताकि प्लास्टिक क़चरा इकट्ठा करना तथा उसका पुनर्चक्रण करना आसान हो; (इ) प्लास्टिक की थैलियों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया दुरुस्त कर प्लास्टिक क़चरा प्रबंधन शुल्क शुरू किया

गया है, जिसे वे खुदरा दुकानदार अथवा सड़क पर दुकान लगाने वाले पूर्व पंजीकरण शुल्क के रूप में भरेंगे, जो प्लास्टिक की थैलियां देना चाहते हैं; (ई) प्लास्टिक के क़चरे के लाभकारी इस्तेमाल जैसे बिजली बनाना, सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना को बढ़ावा देने के तरीके लाए गए हैं और (उ) स्थानीय प्रशासन द्वारा यूजर शुल्क तथा स्पॉट जुर्माना आरंभ किया गया है

निर्माण एवं तोड़फोड़ से तैयार क़चरे का प्रबंधन, *2016*

मंत्रालय ने देश में निर्माण तथा तोड़-फोड़ से होने वाले क़चरे के प्रबंधन के लिए पहली बार निर्माण तथा तोड़ फोड़ प्रबंधन नियम, 2016 तैयार किए इन नियमों से पहले इसका नियमन नगरीय ठोस क़चरा प्रबंधन नियम, 2000 के तहत होता था और इसे शहरी स्थानीय निकायों के जिम्मे छोड़ दिया गया था नए नियम नगरीय ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत और तोड़-फोड़ से निकलने वाले क़चरा का नियमन करते हैं और ऐसे क़चरे का लाभकारी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने या पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था करते हैं नए नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, जो निर्माण तथा तोड़-फोड़ से निर्माण सामग्री का क़चरा उत्पन्न होने के लिए, किसी भी निजी अथवा संगठन अथवा प्रशासन के नगरीय ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत अथवा विध्वंस से मलबा या रोड़ा तैयार होने के लिए जिम्मेदार है नियमों के अंतर्गत क़चरा बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोड़ा, मिट्टी और अन्य क़चरे को इकट्ठा करने, अलग-अलग करने तथा निर्माण एवं विध्वंस से तैयार हुए क़चरे को अलग-अलग इकट्ठा करने, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किए गए संग्रह स्थल पर जमा करने अथवा अधिकृत प्रसंस्करण संयंत्रों को सौंपने का जिम्मा सौंपा गया है उसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कूड़ा न तो बिखरे और न ही जमा हो, जिससे यातायात या नालियां बाधित नहीं हों सेवा प्रदाताओं को समग्र क़चरा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में निर्माण तथा तोड़-फोड़ के कारण उत्पन्न हुए क़चरे को अलग-अलग करना, भंडारण करना, संग्रह करना, पुनः इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, ढुलाई करना और निपटाना शामिल होगा निर्माण तथा तोड़-फोड़ का क़चरा हटाने का जिम्मा भी उन्हीं का होगा

फ्लाई ऐश का उपयोग

बिजली की तेज़ी से बढ़ती मांग और बिजली की दो-तिहाई जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले पर निर्भर रहने के कारण भारी मात्रा में फ्लाई ऐश तैयार हो रही है फ्लाई ऐश का प्रबंधन चिंता का विषय हो गया है क्योंकि उसके निपटारे के लिए बड़े भू-भाग की जरूरत पड़ती है फ्लाई ऐश के निपटारे की पर्यावरण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय ने 1999 में फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की, जिसमें कोयले/लिग्नाइट से चलने वाले ताप बिजली संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश के लक्ष्य इस विचार के साथ तय किए गए कि चरणबद्ध तरीके से उसका 100 प्रतिशत उपयोग किया जाने लगेगा 2003, 2009 और 2016 में अधिसूचना में संशोधन किया गया फ्लाई ऐश का उपयोग 1996-97 में 6.64 मिलियन टन से बढ़कर 2015-16 में 107.77 मिलियन टन तक पहुंच गया है पहले फ्लाई ऐश को 'हानिकारक औद्योगिक क़चरा' माना जाता था, लेकिन अब उसे उपयोगी और बिक्री लायक सामग्री कहा जाता है इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, मिट्टी की ऊपरी परत को संरक्षित रखना, ताप बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उड़कर जमीन पर फैलने से रोकना और उस राख का इस्तेमाल निर्माण सामग्री तैयार करने और निर्माण गतिविधियों में करना

अंतरराष्ट्रीय संधियां

बेसल संधि

हानिकारक क़चरे के सीमा पार आवागमन तथा निस्तारण पर नियंत्रण हेतु बेसल संधि को बेसल, स्विट्जरलैंड में 1989 में स्वीकार किया गया बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक क़चरे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना हैं अपने उद्भव और/अथवा संरचना एवं गुणों के आधार पर 'हानिकारक क़चरे' के रूप में परिभाषित किया गया विभिन्न प्रकार का क़चरा और 'अन्य क़चरे' के रूप में परिभाषित दो प्रकार का क़चरा (घरेलू क़चरा और भट्टी की राख) इसके दायरे में आता है

रॉटरडम संधि

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए रॉटरडम संधि 2004 में लागू हुई भारत ने एक वर्ष बाद यह संधि स्वीकार कर ली भारत में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय इसके लिए निर्धारित संस्थाएं हैं आधिकारिक संपर्क बिंदु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बनाए गए हैं इस संधि की अनुसूची 3 में 47 रसायन दिए गए हैं, जिनमें 33 ऐसे कीटनाशक तथा 14 ऐसे औद्योगिक रसायन हैं, जिन्हें स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण कारणों से दो या अधिक सदस्य देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है या बहुत सीमित कर दिया है तथा जिन्हें सदस्यों के सम्मेलन ने पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के अधीन घोषित कर दिया है

स्टॉकहोम संधि

जिद्दी जैविक प्रदूषक तत्वों (पीओपी) पर स्टॉकहोम संधि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है संधि में आरंभ में 12 रसायन थे, जिनके उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबंध था अब इसमें 23 रसायन हैं संधि 2004 में लागू हुई भारत ने 2006 में इसे लागू किया संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार संधि के सदस्यों राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना तैयार कर यह दिखाना होगा कि संधि के प्रति अपने संकल्पों को वे कैसे पूरा करेंगे और यह योजना वैश्विक पर्यावरण प्रतिष्ठान के धन से तैयार की गई है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जीईसी तथा स्टॉकहोम संधियों के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करता है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय एवं रसायन तथा पेट्रोरसायन मंत्रालय इसके लिए लिए निर्धारित राष्ट्रीय संस्थाएं हैं

पारे पर मीनामाता संधि

फरवरी 2009 में यूएनईपी की प्रशासनिक परिषद ने पारे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक योजना तैयार करने के मामले में निर्णय 25/5 लिया जापान के मीनामाता तथा कुमामोतो में 2013 में आयोजित दूतों के सम्मेलन में 'पारे पर मीनामाता संधि' को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली वैश्विक संधि है

अंतरराष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण

2006 में भारत समेत 190 से अधिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण (एसएआईसीएम) स्वीकार किया, जो रसायनों के सही प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला अंतरराष्ट्रीय नीतिगत ढांचा है एसएआईसीएम के अंतर्गत आरंभिक गतिविधियों में राष्ट्रीय रसायन प्रोफाइल का निर्माण अथवा उसे अद्यतन करना, संस्थाओं को मजबूत करना तथा रसायनों के सही प्रबंधन को राष्ट्रीय रणनीतियों की मुख्यधारा में लाना शामिल थीं भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन प्रोफाइल तैयार करना आरंभ किया, जिससे रसायनों के प्रबंधन हेतु भारत के बुनियादी ढांचे और क्षमता का पता लग सके

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

1985 में गंगा कार्ययोजना आरंभ होने के साथ ही नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ गंगा कार्ययोजना को 1995 में बढ़ाया गया और अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत ले लिया गया एनआरसीपी का उद्देश्य देश में जल के बड़े स्रोत के रूप में काम कर रही नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारना है इसके लिए नदियों के प्रदूषित भाग के रूप में चिह्नित हिस्सों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जाता है, जिसका खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं फिलहाल एनआरसीपी (गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के अंतर्गत 14 राज्यों के 75 शहरों में 31 नदियों के प्रदूषित हिस्से आते हैं और इसके अंतर्गत अभी तक 2,445 मिलियन लीटर पानी के शोधन की क्षमता तैयार कर ली गई है

झील संरक्षण

एनएलसीपी/एनपीसीए के अंतर्गत अभी तक 14 राज्यों में 63 झीलों के संरक्षण के लिए कुल 46 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें मैले जल को निकालने की प्रणाली तथा क़चरा शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने, क़चरे को रोकने और उसकी दिशा मोड़ने, गाद समाप्त करने, जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, तूफानी जल के प्रबंधन आदि पर काम होता है 34 झीलों के संरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है जिन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है, उनमें जम्मू-कश्मीर में डल झील, मध्य प्रदेश में शिवपुरी तथा सिंध सागर झील, नगालैंड (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में मोकोकचंग स्थित जुड़वां झीलें, राजस्थान में अन्नसागर, पुष्कर तथा पिचोला झीलें और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल तथा लक्ष्मीताल प्रमुख हैं

जलमय भूमि का संरक्षण

जलमय या दलदली भूमि बड़ी आबादी के लिए जीवनरेखा सरीखी होती हैं और ताजे जल का बड़ा स्रोत भी होती हैं उनमें बहुत अधिक जैव-विविधता तो होती ही है, मानव जाति को वे पारितंत्र संबंधी कई सेवाएं भी देती हैं किंतु मानव की गतिविधियों के कारण जलमय भूमि कम होती जा रही है जलमय भूमि पर पड़ने वाले बड़े दबावों में जलविज्ञान की प्रणालियों का बंटना, बर्बाद हुए जलग्रहण क्षेत्र से गाद का आना, प्रदूषण, अतिक्रमणकारी प्रजातियों का फैलना तथा संसाधनों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल होना शामिल हैं

बर्बादी पर नियंत्रण करने और जलमय भूमि को बचाने के लिए 1987 में राष्ट्रीय जलमय भूमि संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया और चिह्नित जलमय भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्ययोजना लागू करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है

रामसर संधि

संभावित जलमय भूमि संरक्षण के हेतु प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया इस संधि के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोग करेगा और जलमय भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्ताभरे प्रयोग के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाएगा फिलहाल भारत में 26 रामसर क्षेत्र हैं

जलमय भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन) नियम

संधि के उद्देश्यों को लागू करने के लिए दिसंबर 2010 में जीएसआर-951(ई) के जरिए जलमय भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम बनाकर नियामकीय प्रणाली लागू की गई जलमय भूमि नियम, 2010 के अंतर्गत केंद्रीय जलमय भूमि नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है 14 राज्यों में फैले 25 जलमय क्षेत्रों को पहले ही इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है

विश्व जलमय भूमि दिवस

दुनियाभर में जलमय भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए जागरुकता फैलाने हेतु हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व जलमय भूमि दिवस (वर्ल्ड वेटलैंड्स डे) मनाया जाता है 'जलमय भूमि और आपदा के ख़तरे में कमी' विषय के साथ विश्व जलमय भूमि दिवस-2017 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भोज जलमय भूमि, भोपाल में मनाया गया भोज जलमय भूमि रामसर संधि के तहत भारत में निर्धारित 26 रामसर स्थलों में शामिल है

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड

देश में वनरोपण, पौध रोपण, पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एनएईबी) की स्थापना की गई एनएईबी समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों से लगी भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों तथा पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे- पश्चिमी हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट आदि के पुनर्विकास पर विशेष ध्यान देता है

एनएईबी के उद्देश्यों में समाप्त हुए वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि का व्यवस्थित नियोजन एवं क्रियान्वयन द्वारा पर्यावरणीय पुनर्वास करने की प्रणाली विकसित करना; पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए तथा गामीण समुदायों की जलावन, चारे संबंधी एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए वन आवरण को प्राकृतिक पुनर्निर्माण

अथवा समुचित हस्तक्षेप के जरिए बहाल करना; समाप्त हुए जंगल तथा करीबी भूमि से जलावन, चारे, लकड़ी तथा अन्य वनोपज की उपलब्धता बढ़ाना ताकि इन उत्पादों की मांग पूरी हो सके; समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए नई तथा उचित प्रौद्योगिकियां प्रचारित करने के लिए अनुसंधान प्रायोजित करना तथा जानकारी फैलाना; वनरोपण और पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य के साथ मिलकर सामान्य जागरुकता उत्पन्न करना तथा जनांदोलन को मजबूत करना एवं समाप्त हुए वन क्षेत्र तथा समीप की भूमि के सहभागितापूर्ण एवं सतत टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम योजना

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) योजना भारत सरकार में एनएईबी की प्रमुख वनरोपण योजना है 2000-02 में आरंभ की गई यह योजना अपने क्रियान्वयन के पिछले सोलह वर्षों में पूरे भारत में फैल गई है और देश के 28 राज्य वन विभाग की जमीन पर वन विकास एजेंसियों और गांवों के स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की दोहरी संस्थागत व्यवस्था के जरिए इसे क्रियान्वित कर रहे हैं 2010-11 से एफडीए हेतु धन की आवक सुगम बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी बनाई गई हैं यह कार्यक्रम अब राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी, जिला/वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के त्रिस्तरीय ढांचे से संचालित होता है आरंभिक गतिविधियों के अंतर्गत 'केयर एंड शेयर' के विचार के साथ सामुदायिक संपत्तियां तैयार की गई हैं योजना का उद्देश्य है - सक्रिय जन सहभागिता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सुरक्षा; भूमि का विनाश, वनोन्मूलन तथा जैव विविधता की बर्बादी रोकना; पर्यावरण बहाल करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण विकास; ग्राम स्तर पर जन संगठन तैयार करना, जो गांवों के भीतर और आस-पास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तथा ग्रामीण जनता की रोज़गार हासिल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्द्धन करेंगे

पर्यावरण विकास बल योजना

पर्यावरण विकास बल (ईडीएफ) योजना को 1980 के दशक में अत्यधिक नष्ट हो जाने के कारण अथवा सुदूर स्थित होने के कारण अथवा कानून-व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण मुश्किल मान लिए गए क्षेत्रों के पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के रूप में आरंभ किया गया था यह मुश्किल क्षेत्रों में पर्यावरण के पुनर्वास तथा पूर्व सैन्यकर्मियों को सार्थक रोज़गार देने के दोहरे उद्देश्य पर आधारित है

इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरण कार्यबल (ईटीएफ) की बटालियनों की स्थापना तथा संचालन पर होने वाला खर्च पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उठाता है और पौधों, बाड़ लगाने जैसी सामग्री एवं पेशेवर तथा प्रबंधकीय निर्देशन राज्य वन विभागों से प्राप्त होते हैं

राष्ट्रीय हरित भारत अभियान

राष्ट्रीय हरित भारत अभियान (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत चलने वाले आठ अभियानों में से एक है, जिसका लक्ष्य भारत के नष्ट होते वन को बचाना तथा बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला किया जा सके इसमें हरियाली बढ़ाने का सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्बन को अलग करने (सीक्वेस्ट्रेशन) तथा उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ के साथ पारितंत्र की विभिन्न सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है

अभियान में उप अभियानों तथा हस्तक्षेपों के जरिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने तथा उसे कम करने की चुनौतियों से निपटा जाता है इसके तहत वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तथा पारितंत्र की सेवाएं बेहतर की जाती हैं; पारितंत्र बहाल किया जाता है और वन आवरण में वृद्धि की जाती है; कृषि-वानिकी तथा सामाजिक वानिकी पर ध्यान दिया जाता है और वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है

पश्चिमी घाट पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

पश्चिमी घाट जैव विविधता के प्रमुख वैश्विक केंद्र हैं और जैविक विविधता की खान हैं, जहां फूल वाले पौधों, मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों और अकशेरुकी प्राणियों की कई विलुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और प्रायद्वीपीय भारत की कई अन्य नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं है, जिन पर इस क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्था निर्भर करती है इसीलिए पश्चिमी घाट के सतत एवं समावेशी विकास को जारी रखते हुए उसकी अनूठी जैव विविधता को संरक्षित करने तथा बचाने की जरूरत है पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की अवधारणा किसी क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने तथा उसका टिकाऊ विकास होने देने का तरीका है

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र

मंत्रालय की 'राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र' (एनएनआरएमएस) योजना पूर्ववर्ती योजना आयोग की योजना समिति- राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र योजना (पीसी-एनएनआरएमएस) का ही अंग है और 1985 से चल रही है देश के प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा निगरानी करने के लिए दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही पीसी-एनएनआरएमएस का मुख्य उद्देश्य है

वानिकी अनुसंधान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में अग्रणी संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के समग्र विकास पर काम कर रही है तथा वानिकी के सभी पक्षों को इसमें शामिल कर रही है परिषद समाधान आधारित वानिकी अनुसंधान करती हैं, जो इस क्षेत्र में आने वाली नई समस्याओं के अनुरूप होता है इसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण, मरुस्थलीकरण तथा संसाधनों के सतत प्रबंधन एवं विकास जैसे वैश्विक मसले भी शामिल हैं वन अनुसंधान में जुटे प्रमुख संस्थान हैं- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर; काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान, शिमला; वन उत्पादकता संस्थान, रांची और वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी

1938 में स्थापित भारतीय वन महाविद्यालय को उन्नत बनाकर तथा नाम बदलकर 1987 में इस अकादमी की स्थापना की गई थी अकादमी भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को सेवाकाल के बीच में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसे 'स्टाफ कॉलेज' का दर्जा दिया गया है अकादमी का कार्य आईएफएस के प्रोबेशन पर आए अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए पेशेवर वन अधिकारी वाला ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना तथा उन्हें देश के वन एवं वन्यजीव संसाधनों को लगातार संभालने योग्य दक्षता प्रदान करना है साथ ही यह उन्हें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम करने योग्य भी बनाता है इसके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सेवा में आए नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, सेवारत आईएफएस अधिकारियों के बैचों को प्रशिक्षण (मिड् करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम) देना, राज्य वन सेवा से प्रोन्नति पाकर आईएफएस में शामिल हुए अधिकारियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है अकादमी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारतीय राजस्व सेवाओं के प्रोबेशनरों, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों जैसे कई अन्य हितधारकों को भी ओरियंटेशन पाठ्यक्रम प्रदान करता है

भारतीय वन्यजीव संस्थान

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना 1986 में मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी यह संस्थान वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का

प्रतिष्ठित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनकर उभरा है इसके प्राथमिक कार्य हैं (क) वन्यजीव तथा जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक अनुसंधान करना; (ख) वन्यजीव विज्ञान को शैक्षिक गतिविधियों के जरिए विकसित करना; (ग) वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण नियोजन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण; (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराना संस्थान अनुसंधान के जरिए वन्यजीव विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त जानकारी तथा ज्ञान संबंधी उत्पाद तैयार कर रहा है और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में उनका उपयोग कर रहा है साथ ही वह केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श सेवा भी प्रदान कर रहा है

जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना

भारतीय वन्यजीव संस्थान परियोजना क्रियान्वित करने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिए और जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण पर ज्ञान प्रबंधन केंद्र के रूप में इस परियोजना के क्रियान्वयन में साझेदार हैं

राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम

राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) का गठन 2001-02 में किया गया एनजीसी को मिली शानदार प्रतिक्रिया ने 16 वर्ष में देशभर में 1 लाख ईको क्लबों का नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिससे यह सबसे बड़े संरक्षण नेटवर्कों में शुमार हो गया है एनजीसी कार्यक्रम के अंतर्गत 86,765 ईको क्लबों को सहायता प्रदान की गई

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान

राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ 1986 के मध्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान (एनईएसी) आरंभ किया गया इस अभियान में देशभर के एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला तथा युवा संगठनों, सैन्य इकाइयों, सरकारी विभागों आदि में जागरुकता बढ़ाने और कार्योन्मुख गतिविधियों के लिए छोटा-सा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है 2016-17 के लिए विषय 'स्वच्छ भारत अभियान, गंगा पुनर्वास एवं नदी स्वच्छता' था

राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाना, उसके बारे में समझाना तथा उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना है इस पहल के जरिए यह उम्मीद की जाती है कि मिडल स्कूल (कक्षा 6 से 8) जाने वाले प्रत्येक बच्चे को उन वर्षों के दौरान कम से कम 2-3 दिन के लिए शिविर में रहने का अनुभव प्राप्त होगा

ग्लोब

ग्लोब लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टु बेनिफिट द एन्वायरन्मेंट (ग्लोब) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान तथा शिक्षा कार्यक्रम है, जो छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को वैश्विक पर्यावरण के अध्ययन के लिए एक साथ लाता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अमरीकी सरकार ने भारत में ग्लोब कार्यक्रम लागू करने के लिए 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था इंडियन एन्वायरन्मेंटल सोसायटी, दिल्ली भारत में ग्लोब की क्रियान्वयन एजेंसी है

उत्कृष्टता केंद्र

उत्कृष्टता केंद्र की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, एनजीओ समेत प्रतिष्ठित संस्थानों, पेशेवर संगठनों और अन्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को चुनिंदा सहयोग प्रदान करना है ताकि वे मंत्रालय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उस विशिष्ट विषय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत केंद्र बन सकें फिलहाल मंत्रालय के अधीन सात उत्कृष्टता केंद्र काम कर रहे हैं ये हैं- पर्यावरण शिक्षा संस्थान, अहमदाबाद; सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई; पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु; सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं इतिहास केंद्र, कोयंबटूर: सेंटर फॉर एन्वायरन्मेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड ईको सिस्टम्स, दिल्ली; मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई और

फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, बंगलुरु

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से 18 अक्टूबर, 2010 को एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुक़सान से राहत एवं मुआवज़ा दिलाना और उससे संबंधित अथवा उससे मिलते-जुलते मामलों को देखना भी शामिल है

यह विशेष निकाय है, जिसके पास विभिन्न विषयों वाले मामलों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है अधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया से नहीं बंधा है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलना होता है अधिकरण को आवेदनों तथा अपीलों का निपटारा दाखिल होने के 6 महीने के भीतर करने का प्रयास करना होता है

एनजीटी के पांच पीठ हैं; मुख्य पीठ दिल्ली में है और पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पीठ भी हैं अधिकरण के शिमला, शिलॉग और जोधपुर में सर्किट पीठ भी हैं

जलवायु परिवर्तन

पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है उनमें से कुछ परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुए हैं किंतु अन्य परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के कारण हुए हैं, जैसे- वनोन्मूलन, उद्योग एवं परिवहन आदि से होने वाले उत्सर्जन, जिसके कारण वातावरण में गैसें और एरोसॉल जमा हो गई हैं इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वे गर्मी को रोक लेती हैं और ज़मीन के पास हवा का तापमान बढ़ा देती हैं, जैसे ग्रह की सतह पर ग्रीनहाउस करते हैं देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषक क्षमता तैयार करने और बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम (सीसीएपी) के तहत विभिन्न अध्ययन किए गए हैं विभिन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें तथा वार्ताएं की गईं, जिनमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-22) शामिल हैं

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एवं राज्य कार्ययोजना

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की घरेलू रणनीति उसके कई सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में निहित है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) को विशिष्ट क्षेत्रों में नोडल मंत्रालयों के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है सौर ऊर्जा, अधिक ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ कृषि, टिकाऊ आवास, जल, हिमालयी पारितंत्र, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के क्षेत्र में आठ राष्ट्रीय अभियान एनएपीसीसी के केंद्र में हैं

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष केंद्र की एक योजना है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इसमें राष्ट्रीय क्रियान्वयन निकाय है कोष का वास्तविक उद्देश्य अनुकूलन की ठोस गतिविधियों में सहायता करना है, जो समुदायों, क्षेत्रों तथा राज्यों के सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने वाली राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जारी गतिविधियों में नहीं आती हैं

जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम

मंत्रालय जनवरी, 2014 से ही 'जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम' नाम की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा नीतिगत कार्यक्रमों के लिए उचित संस्थागत ढांचा स्थापित करते हुए और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक एवं विश्लेषक क्षमता निर्मित करना एवं मजबूत करना है एनसीएपी विभिन्न संस्थाओं वाला तथा विभिन्न एजेंसियों वाला अध्ययन है इस पहल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय आदर्श तकनीकों का प्रयोग करते हुए ब्लैक कार्बन के प्रभावों की निगरानी एवं मूल्यांकन के जरिए जलवायु परिवर्तन में ब्लैक कार्बन की भूमिका की समझ बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ काम करता है

पेरिस संधि

भारत ने 2016 में यूएनएफसीसी की पेरिस संधि को अंगीकार कर लिया पेरिस संधि तथा उसके घटकों के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है

जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें एवं अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं आयोजित की गईं

ओजोन प्रकोष्ठ

ओजोन परत का संरक्षण

ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना अणु है, जो सूर्य से तीव्र ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी स्तरों में ऑक्सीजन से प्राकृतिक रूप से बनती है पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देता है और परमाणुओं को मुक्त कर देता है, जिनमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं इस प्रकार बनी लगभग 90 प्रतिशत ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसे वायुमंडल का क्षेत्र (स्ट्रेटोस्फियर) कहते हैं वातावरण के इस हिस्से में पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन की पर्त कहा जाता है

ओजोन की पर्त सूर्य से निकलने वाले हानिकारक यूवी-बी विकिरण को समूचा सोख लेती है यह पौधों और पशुओं को यूवी-बी विकिरण से बचाती है यूवी-बी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है इसी के कारण 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि की गई और 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन एवं खपत समाप्त करना है भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुई वियना संधि और ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा उनमें होने वाले सभी संशोधन/परिवर्तन में शामिल है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधि के प्रभावी एवं सामयिक क्रियान्वयन के लिए और ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ओजोन इकाई के रूप में ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की है

वियना संधि

ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि तथा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल वायुमंडलीय ओजोन के संरक्षण के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल इतिहास में सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि माना गया है इसे सभी ने स्वीकार किया है और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देश वियना संधि तथा उसके मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हैं मॉण्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 29 वर्षों के दौरान इस संधि के तहत असाधारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने सीएफसी, सीटीसी और हैलोन जैसे ओजोन को नुक़सान पहुंचाने वाले कई प्रमुख पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग 2010 से ही बंद कर दिया है

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि

भूमि के क्षरण तथा मरुस्थलीकरण को रोकने एवं भूमि वापस प्राप्त करने की चिंता कई राष्ट्रीय नीतियों में परिलक्षित होती है, जैसे- राष्ट्रीय जल नीति, 2012; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000; वन

(संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006; राष्ट्रीय कृषि नीति, 2007; राष्ट्रीय वर्षा जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) - 2007 इनमें इन समस्याओं से निपटने में सहायक प्रावधान हैं सतत वन प्रबंधन, सतत कृषि, सतत भूमि प्रबंधन के लक्ष्यों तथा देश सतत विकास के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उनमें भी यह स्पष्ट होता है भारत ने 1994 में मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र की संधि (यूएनसीसीडी) पर हस्ताक्षर कर दिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है और संधि से संबंधित सभी मसलों के समन्वय के लिए मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय के भीतर नोडल बिंदु है

अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास

मंत्रालय का अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास (आईसीएंडएसडी) विभाग अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग एवं सतत विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करता है, जिसमें सतत विकास के लक्ष्य भी शामिल हैं

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

भारत यूएनईपी का सदस्य हैं और हर वर्ष यूएनईपी पर्यावरण कोष में 1 लाख डॉलर का वार्षिक वित्तीय योगदान करता है यूएनईपी के अंतरराष्ट्रीय संसाधन समूह के 33 सदस्यों में से तीन इस समय भारत से हैं मंत्रालय आईआरपी संचालन समिति का सदस्य है आईआरपी यूएनईपी की संसाधन कुशलता/सतत उपभोग एवं उत्पादन उप कार्यक्रम में मदद करता है और वह सरकारी नीति निर्माताओं, उद्योग एवं समाज के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने के इरादे से दुनिया की सबसे गंभीर संसाधन समस्याओं का आकलन कर रहा है

द ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी

भारत ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी (जीईएफ) का संस्थापक सदस्य है 1991 में स्थापित जीईएफ 183 देशों की बहुपक्षीय वित्तीय सहायता प्रणाली है, जो वैश्विक पर्यावरणीय लाभों, जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में चिह्नित भी किया गया है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जीईएफ के कार्य जैव विविधता संधि, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप संधि, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि, स्टॉकहोम पीओपी संधि और मीनामाता पारा संधि जैसी बहुपक्षीय पर्यावरण संधियों के सदस्यों के सम्मेलन से मिलने वाले निर्देशन के अनुसार तय किए गए हैं जीईएफ के अनुदान पांच केंद्रीय क्षेत्रों- जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, अंतरराष्ट्रीय जल तथा रसायन एवं क़चरा के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं

13 वित्त



वित्त मंत्रालय पर सरकार के वित्त का प्रशासन संभालने का दायित्व है इसका संबंध पूरे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से है जिनमें विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है यह राज्यों को संसाधन के अंतरण समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है सरकार के अधीन देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो भारतीय राजकोष विभाग के रूप में कार्य करता है विशेष रूप से यह कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार, केंद्र और राज्य–वित्त और संघ-बजट के साथ संबंधित है इस मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय लागत लेखा सेवा और भारतीय सिविल लेखा सेवा का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण भी है इस मंत्रालय में पांच विभाग हैं, जिनके नाम हैं: (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (iii) राजस्व, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, तथा (v) वित्तीय सेवाएं

आर्थिक मामलों का विभाग

आर्थिक कार्य विभाग, सरकार की नोडल एजेंसी है जो देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को निरूपित और निगरानी करती है इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक, राष्ट्रपति-शासन और संघशासित प्रदेश प्रशासन के तहत राज्य सरकारों व संसद के लिए केंद्रीय बजट (रेल बजट सहित) की तैयारी और प्रस्तुति करना है इसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों में व्यापक आर्थिक नीतियों का निर्माण और निगरानी करना, वित्तीय नीति और सार्वजनिक वित्त से संबंधित मुद्दों सहित मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और स्टॉक एक्सचेंजों सहित पूंजी बाज़ार को क्रियाशील बनाना, बैंक-नोट और विभिन्न तरह के सिक्कों, डाक स्टेशनरी, डाक टिकटों का निर्माण और भारतीय आर्थिक सेवा (आईबीएस) के लिए कैडर प्रबंधन, करियर योजना और करियर प्रशिक्षण देना भी शामिल है

विभाग अन्य बातों के साथ वर्तमान आर्थिक रुझानों पर नज़र रखता है और मूल्य, ऋण, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति एवं निवेश संबंधी नियमन समेत उन सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक एवं विदेशी पहलुओं पर प्रभाव हो सकता है एफएओ, आईएलओ, यूनिडो जैसे विशेषज्ञता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहयोग के अतिरिक्त भारत को मिलने वाले सभी प्रकार के विदेशी, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की निगरानी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है आर्थिक मामलों के विभाग में निम्नलिखित प्रभाग हैं: (i) एकीकृत वित्त प्रभाग, (ii) राजकोषीय ज़िम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सहित बजट प्रभाग, (iii) वित्तीय बाज़ार, (iv) द्विपक्षीय सहयोग और प्रशासन, (v) बहुपक्षीय संस्थाएं, (vi) बहुपक्षीय संबंध, (vii) सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा के नियंत्रक, (viii) आर्थिक प्रभाग, (ix) निवेश एवं मुद्रा तथा (x) अवसंरचना एवं ऊर्जा

केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रा निदेशालय के पास होता है एसपीएमसीआईएल भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है बैंक नोट एवं सिक्कों के डिजाइन अथवा सुरक्षा तत्वों से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम

तैयार करने तथा क्रियान्वित करने एवं स्मारक सिक्के जारी करने के अतिरिक्त निदेशालय को इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित करने तथा बैंक नोट एवं अन्य सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री का स्वदेशीकरण करने का अधिकार है

वेबसाइट: www.dea.gov.in

वार्षिक बजट

भारत का केंद्रीय बजट, (रेल बजट समेत) फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद-112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहलाने वाला यह विवरण ही बजट का मुख्य दस्तावेज होता है वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की आय एवं भुगतान को तीन भागों में दिखाता है, जिनमें सरकार के खाते विभाजित किए जाते हैं: (क) समेकित कोष, (ख) आकस्मिक कोष और (ग) लोक खाता सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से हुई प्राप्तियां समेकित कोष कहलाती हैं सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से ही होता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता ऐसे अवसर आ सकते हैं, जब सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं ऐसे व्यय के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक कोष होता है ऐसे व्यय के लिए तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित कोष से करने के लिए बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और आकस्मिक कोष से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है संसद द्वारा अधिकृत कोष में अभी 500 करोड़ रुपये की राशि है

सरकार की समेकित कोष से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य निश्चित लेन-देन सरकार के खातों में आते हैं, जिनके संदर्भ में सरकार बैंकर के समान काम करती है उदाहरण के लिए भविष्य निधि कोष, लघु बचत संग्रह एवं अन्य जमा आदि से संबंधित लेन-देन इस प्रकार प्राप्त धन को लोक खाते में रखा जाता है और संबंधित भुगतान भी वहीं से किए जाते हैं, इसलिए लोक खाते से इस प्रकार के भुगतानों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती कुछ मामलों में विशिष्ट उद्देश्यों जैसे-सड़क विकास, मध्याह्न भोजन समेत प्राथमिक शिक्षा आदि पर व्यय के लिए सरकार के राजस्व का एक अंश अलग कोषों में रखा जाता है इन राशियों को संसद की अनुमति के बाद समेकित कोष से आहरित किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय हेतु लोक खाते में रखा जाता है विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रस्तावित वास्तविक व्यय के लिए भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है

संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग करना होता है, इसलिए सरकार का बजट (I) राजस्व बजट एवं (II) पूंजी बजट से मिलकर बनता है

अनुदान मांगें

समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है और संसद में जिन पर मतदान होता है, संविधान के अनुच्छेद-113 के अनुसार अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती हैं किंतु बड़े मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक से अधिक मांगें रखी जाती हैं प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए सभी प्रावधान होते हैं अर्थात् राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्यों तथा केंद्रशासित सरकारों के लिए अनुदान एवं सेवा से संबंधित ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान होते हैं बिना विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में प्रत्येक केंद्रशासित क्षेत्र के लिए अलग से मांग रखी जाती है जहां सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह से समेकित कोष पर 'भारित' व्यय के रूप में होता है, जैसे ब्याज का भुगतान, वहां उस व्यय के लिए मांग के अतिरिक्त अलग से विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए संसद में मतदान की

आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहां भी किसी सेवा पर व्यय में 'स्वीकृत' और 'भारित' व्यय शामिल होते हैं, वहां भारित व्यय को भी सेवा के लिए प्रस्तुत की गई मांग में सम्मिलित कर लिया जाता है किंतु 'स्वीकृत' और 'भारित' के प्रावधान मांग में अलग- अलग दिखाए जाते हैं अनुदानों के लिए मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत की जाती हैं

वित्त विधेयक

वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद-110 (1)(ए) की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उनका नियमन करने का विवरण होता है वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद-110 में परिभाषित धन विधेयक होता है इसके साथ उसमें शामिल किए गए प्रावधानों के विवरण वाला एक ज्ञापन संलग्न होता है

विनियोग विधेयक

अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि का आहरण समेकित कोष से करने तथा समेकित कोष पर 'भारित' व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है संविधान के अनुच्छेद-114 (3) के अंतर्गत संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष से किसी भी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती

लेखानुदान

बजट प्रस्तुत होने के साथ आरंभ होने वाली और अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान के साथ समाप्त होने वाली पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है, इसलिए लोकसभा को मांगों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संदर्भ में किसी भी अग्रिम अनुदान को मंजूरी देने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है 'लेखानुदान' का उद्देश्य 'वित्तीय आपूर्ति' पर मतदान लंबित रहने तक सरकार के क्रियाकलापों को जारी रखना है संसद से लेखानुदान एक विनियोजन (लेखा अनुदान) विधेयक 114 (3) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है

राजस्व के स्रोत

संविधान (18वां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे 1 अप्रैल, 1996 से लागू किया गया है, के अनुसार अनुच्छेद-268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों एवं करों, अनुच्छेद-271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर संबंधित अधिभार एवं संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य उसी विधि से वितरित किया जाएगा, जिस विधि का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं 2015-2020 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण की विधि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार के पश्चात् जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित कर दी गई है केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, निगम एवं आय कर होते हैं गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज से होने वाली प्राप्तियां, लाभांश/लाभ, जुर्माने तथा प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन, नियामकीय शुल्कों एवं लाइसेंस शुल्क तथा सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपयोग शुल्क से होने वाली अन्य प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं

सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं

भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताओं की तीन श्रेणियों आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और अन्य देयताओं में विभाजित किया गया है

भारत सरकार के आंतरिक ऋण में प्रमुख अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों (दिनांकित प्रतिभूतियां एवं सरकारी हुंडियां) का होता है, जिनका निर्गम नीलामियों के माध्यम से किया जाता

है इनमें बाज़ार ऋण (दिनांकित प्रतिभूतियां), सरकारी हुंडियां (91, 182 और 364 दिन) और 14 दिन की अवधि वाली सरकारी हुंडियां (केवल राज्य सरकारों के लिए निर्गम), नकदी प्रबंधन बिल, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण-पत्र (बॉण्ड), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की जाने वाली गैर-विनिमय एवं गैर-ब्याज वाली रुपये की प्रतिभूतियां तथा बाज़ार स्थायित्व योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां होती हैं इसका उद्देश्य भौतिक सोने पर निर्भरता कम करना और आयात कम करना है

विदेशी ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का सूचक होता है केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों से सीधे ऋण नहीं लेती है विदेशी मुद्रा में उधारी लेने की इसकी प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों एवं द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है और आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) का हिस्सा होती है

'अन्य' देयताएं सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत नहीं आतीं उनमें सरकार की ब्याज प्रदान करने वाली अन्य बाध्यताएं होती हैं, जैसे- डाकघर बचत जमा, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा, डाकघर नकद प्रमाण-पत्र के माध्यम से लिए गए ऋण, भविष्य निधि एवं कुछ अन्य निश्चित जमा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (धारा 20 एवं 21) के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन करता है और उनके लिए बैंकर का काम करता है रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए भी, संबंधित राज्य के सरकार की सहमति द्वारा, समान कार्यों का दायित्व लेता है (धारा 21 ए के अंतर्गत)

बजट *2018-19* में सुधार

2018-19 के बजट में प्रमुख सुधारों में प्रमुख हैं: आलु, टमाटर और प्याज के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का निवारण करने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन', मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 10,000 करोड़ की दो नई निधियों का गठन, राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन, उज्ज्वला, सौभाग्य अभियान एवं मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए स्वच्छ मिशन, बिजली और शौचालय के लिए उच्च लक्ष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय, 2022 तक जनजातीय छात्रों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय, वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को 3.5 प्रतिशत तक पहुंचाना, दस प्रमुख स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती सीमा में वृद्धि और सेक्शन 80 डी के तहत 30,000 से 50,000 तक चिकित्सा पर खर्च, नौकरियों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में प्रस्तावित बदलाव और घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने और भारत में बनाने वाली चीजें जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटकों, जूतों, फर्नीचर इत्यादि के लिए सीमा शुल्क में प्रस्तावित परिवर्तन

2017-18 के बजट में तीन मुख्य सुधार शामिल हैं: पहला, बजट के प्रस्तुतीकरण की तिथि पहली फरवरी की गई ताकि संसद लेखानुदान से बच सकें और वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व 2017-18 हेतु एक ही विनियोग विधेयक पारित करना पड़े इसने मंत्रालयों एवं विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही, नई योजनाओं सहित सभी योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन हेतु सक्षम बनाया वे मानसून प्रारंभ होने से पूर्व के काम करने के समय का पूरा उपयोग कर पाएंगे दूसरा, रेलवे बजट का सामान्य (आम) बजट में विलय एक ऐतिहासिक कदम था 1924 से जारी औपनिवेशिक परिपाटी समाप्त की गई इस निर्णय से रेलवे को सरकार की राजकोषीय नीति में अहम स्थान मिला तथा रेलवे, राजमार्गों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच बहुआयामी (मल्टी मॉडल) परिवहन की योजना बनाने की सुविधा प्राप्त हुई हालांकि रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता जारी रहेगी तीसरा, व्यय के योजना एवं गैर-योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया इससे क्षेत्रों तथा मंत्रालयों हेतु आवंटनों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होगा और संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन की सुविधा मिलेगी

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

सात मुख्य कार्यक्रमों यथा-सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और 100 स्मार्ट शहर को उच्च प्राथमिकता जारी है

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया एक मुख्य सुधार पहल है यह विभिन्न सरकारी नकद अंतरण के लाभ हेतु व्यापक दृष्टि और निर्देश देता है आधार परियोजना का लाभ लेने हेतु डीबीटी की कल्पना अभीष्ट लाभार्थियों की सही पहचान और दक्षता बढ़ाने, योजनाओं के अंतर्गत लाभों/सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से की गई थी

डीबीटी के आदेश को व्यापक बनाया गया तथा इसका विस्तार कर व्यक्तिगत लाभार्थियों को नकद लाभ अंतरण के अवयव वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया गया

डीबीटी के क्षेत्र का पुनः विस्तार कर इसे लाभार्थियों के नकद अंतरण तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि जैसी सरकारी योजनाओं के विभिन्न अवयवों को दिए जाने वाले अंतरणों/मानदेयों और लाभार्थियों को वस्तु हस्तांतरण को भी इसमें शामिल किया गया डीबीटी पहल (एलपीजी सब्सिडी हेतु संशोधित डीबीटीएल) जैसी योजनाओं, पुदुद्चेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली में सार्वजनिक वितरण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी योजनाओं ने पूरे देश में उत्साहजनक परिणाम का प्रदर्शन किया है

पूरे देश में बड़े पैमाने पर डीबीटी के क्रियान्वयन हेतु नए तंत्र की स्थापना सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना तथा अधिकार का समुचित वितरण, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक लाभों/सेवाओं की डिलीवरी हेतु वित्तीय संसाधन की जरूरत है

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2005-06 से अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण हेतु योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेज़ में शामिल किया गया था वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह विवरण केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से संबंधित 'अनुसूचित जाति उपयोजना' और 'जनजातीय उपयोजना' के अंतर्गत योजना (प्लान) स्कीमों पर केंद्रित है इसमें वर्षवार वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान होता है वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्ववर्ती योजना आयोग योजना आवंटनों के एक भाग के रूप में एससीएसपी और टीएसपी हेतु अलग-अलग आवंटन कर रहा है

आर्थिक वृद्धि

सुस्त वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद, भारत ने 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है अर्थव्यवस्था में सकल जोड़े गए मूल्य (जीवीए) की वृद्धि 2016-17 में 7.1 प्रतिशत थी

आर्थिक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर सरकार के व्यवस्थित ध्यान देने और अच्छे मानसून के कारण विकास के प्रति आशान्वित दृष्टिकोण बना है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से उद्योग, व्यापार और संबंधित आर्थिक गतिविधियों की बाधाओं को दूर कर विकास की गति में सुधार का महत्वपूर्ण अवसर मिला है

मूल्य और मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित मुद्रास्फीति दर वर्ष 2012-14 के दौरान उच्च स्तर पर 9-10 प्रतिशत रही जो 2014-15 में उल्लेखनीय रूप से 5.9 प्रतिशत और 2015-16 में 4.9 प्रतिशत हो गई वर्ष 2016-17 के जुलाई में 2.4 प्रतिशत रहा

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान दालों, सब्जियों और मसालों में निम्न मुद्रास्फीति के कारण औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक रहा है अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई) यथा, औद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में मुद्रास्फीति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जुलाई) में औसतन 1.5 प्रतिशत के आस-पास रही

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के रूप में मुद्रास्फीति वर्ष 2016-17 में इसका औसत 1.7 प्रतिशत

और यह अनुपात 2.9 प्रतिशत 2017-18 (अप्रैल-जनवरी) तथा इस तरह जनवरी 2018 में 2.8 प्रतिशत रहा

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं- उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ शामिल हैं- (i) अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन; (ii) बाज़ार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने का अनुमोदन; (iii) अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकृत करना और (iv) उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, ताकि मूल्यों में सुधार हो उच्चतर समर्थन मूल्य की घोषणा

जलवायु परिवर्तन वित्त

भारत ने वर्ष 2016 में पेरिस समझौते की पुष्टि की भारत का विस्तृत एनडीसी लक्ष्य है 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना, गैर-जीवाश्म इंधनों पर आधारित विदुयत उत्पादन क्षमता का हिस्सा 2030 तक स्थापित विदुयत क्षमता के 40 प्रतिशत तक करना और अतिरिक्त वन और पेड़ लगाकर 2030 तक 2.5-3 जीटीसीओ$_2$ई के अतिरिक्त (संचयी) कार्बन सिंक का सृजन

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए विकसित देशों द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक स्रोतों का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है विकासशील देशों के अनुकूलन एवं शमन जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्त का प्रावधान यूएनएफसीसीसी में सन्निहित है और पेरिस समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया है जलवायु कार्रवाइयों से बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की उलझने पैदा होंगी, खासकर भारत जैसे देश में भारत की जलवायु कार्रवाइयों का वित्तपोषण अब तक घरेलू संसाधनों से ही किया गया है राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2015 से 2030 के बीच, प्राथमिक घरेलू जरूरत 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की है इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होगी भारत जैसे विकासशील देशों में संसाधनों की कमी है और जलवायु परिवर्तन पर अच्छी-खासी राशि खर्च की जा रही है जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं क्षमन कार्यों को लागू करने के लिए, संसाधन की जरूरत और संसाधन के अंतर को देखते हुए, घरेलू और विकसित देशों से नए और अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु ग्रीन जलवायु कोष (जीसीएफ), जो एक बहुपक्षीय कोष है, बनाया गया है जीसीएफ ने प्रारंभिक रूप से संसाधन जुटाना वर्ष 2014 में शुरू किया और 10.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के संसाधन जुटाए अब तक जीसीएफ बोर्ड द्वारा 43 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है भारत की भी एक परियोजना बोर्ड द्वारा नाबार्ड के साथ अनुमोदित है यह परियोजना- 'ओडिशा के कमजोर आदिवासी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लचीलापन बढ़ाने हेतु भू-जल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई' जीसीएफ बोर्ड की 16वीं बैठक में अनुमोदित किया गया यह परियोजना 34.357 मिलियन अमरीकी डॉलर के जीसीएफ अनुदान सहित 166.29 मिलियन अमरीकी डॉलर परिव्यय हेतु अनुमोदित है, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था ओडिशा सरकार और विश्व बैंक द्वारा की जाएगी

विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा संपत्तियों (एफसीए), स्वर्ण, एसडीआर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में आरक्षित अंश (आरटीपी) से मिलकर बना है विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि चालू खाते की वित्तीय आवश्यकताओं एवं लाभ/हानि के मूल्यांकन की तुलना में अधिक पूंजी प्रवाह आ जाने के कारण होती है पिछले कुछ समय में अन्य चीजों के साथ कच्चे तेल का मूल्य कम होने से व्यापार घाटा कम हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर, विशेषकर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति काफी हद तक विदेशी मुद्रा बाज़ार में रुपये के मूल्य को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का परिणाम है मार्च 2017 के अंत में

अमरीकी डॉलर 370 एक अरब अमरीकी डॉलर की तुलना में, विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2018 तक 421.7 अरब अमरीकी डॉलर था वर्तमान स्थिति, अंतरराष्ट्रीय व्यापक आर्थिक अनिश्चितता, विनिमय दर की किसी भी अस्थिरता की गुंजाइश से सुखद आश्वस्ति के स्तर पर है

रुपये की विनिमय दर

2017-18 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (आर.बी.आई.) की संदर्भ दर) जनवरी 2017 में 65.08 प्रति अमरीकी डॉलर और जनवरी 2018 अक्टूबर में 63.64 डॉलर प्रति डॉलर के बीच परिवर्तित थी

विदेशी ऋण

2017 मार्च के आखिर में विदेशी ऋण भंडार 495.7 अरब अमरीकी डॉलर था, जो सितंबर 2017 के अंत तक 23.9 अरब अमरीकी डॉलर के ऊपर के स्तर तक की वृद्धि दर्ज कर रहा था

विदेशी ऋण का पूर्णता प्रोफाइल, दीर्घकालिक उधार के प्रभाव की तरफ इशारा करता है सितंबर 2017 के अंत में, दीर्घकालिक विदेशी ऋण, 403 अरब अमरीकी डॉलर था, जो मार्च 2017 के अंत तक अमरीकी डॉलर के 38.38 अरब के स्तर पर 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा था सितंबर 2017 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने तक विदेशी ऋण भंडार में 80.7 प्रतिशत के नुकसान को भर दिया था

सरकार की विदेशी ऋण प्रबंधन नीति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की निगरानी पर जोर देती है, भारी रकम के साथ रियायती शर्तों पर स्वायत्त ऋण बढ़ाती है, विभिन्न प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधार को विनियमित करना और प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋण, नियंत्रणीय सीमा पर बना रहे

सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार एवं मानव विकास

शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मानव पूंजी में निवेश आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार हेतु उचित कौशल प्रदान करने में निवेश द्वारा मानव पूंजी को बढ़ाकर भारत की निर्धनता काफी हद तक दूर की जा सकती हैं यद्यपि भारत की सामाजिक नीतियां जनता के कल्याण और मानव विकास पर केंद्रित हुई हैं, तथापि समाज के अधिकारविहीन, महिलाएं और अन्य कमजोर वर्गों की क्षमताओं में वृद्धि में बाधक सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को दूर करने की चुनौतियां बरकरार हैं भारत ज्ञान अर्थव्यवस्था के सहारे उच्चतर वृद्धि हेतु अग्रसर है, मानव पूंजी में निवेश द्वारा लाभ प्राप्त किया जाना है

दिवाला और दिवालियापन कोड

व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने हेतु वैश्विक मानदंडों के अनुरूप भारत में आवश्यक न्यायिक क्षमता वाले उद्यमों अनुकूल कानूनी दिवालियापन ढांचा प्रदान करने के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 22 अगस्त, 2014 को किया गया था तदनुसार, दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) 2016 से प्रभाव में आया

इस कोड का लक्ष्य है- उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और समयबद्ध रूप में निगम के लोगों, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाने और उसे संबंधित मामलों के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन प्रस्ताव से संबंधित कानूनों के एकीकरण और संशोधन द्वारा सभी भागीदारों के हितों में संतुलन कायम करना यह कोड निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करने हेतु एक ढांचे का प्रस्ताव करता है- किसी व्यापार में तनाव का जल्दी पता लगाना; कर्जदाता; वित्तीय ऋणदाता या परिचालन लेनदार द्वारा दिवालियापन प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ करना; अलाभकारी व्यवसायों का परिसमापन और विफल व्यवसायों के मूल्य में नुकसान से परहेज करना कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस कोड के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती

और संस्थानीकरण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना 2010 में की गई थी यह परिषद, अन्य बातों के साथ, बड़ी वित्तीय कंपनियों के संगठन के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहत् विवेकशील पर्यवेक्षण को मॉनीटर करता है तथा वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों का समाधान करता है आर्थिक मामलों के विभाग में अवस्थित एसएसडीसी सचिवालय परिषद को सचिवालय सहयोग देता है

वित्तीय स्थिरता बोर्ड

कमजोरियों के समाधान और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक, पर्यवेक्षकीय और अन्य नीतियों के क्रियान्वयन और विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक स्थापित करने वाले निकायों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को साथ लाकर वर्ष 2009 में जी-20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना की गई थी भारत एफएसबी का एक सक्रिय सदस्य है और पूर्ण अधिवेशन में इसके तीन सदस्य हैं

अवसंरचना वित्त पोषण

निवेश की आवश्यकताओं और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु जन संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु माध्यमों की तलाश आवश्यक है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना में दीर्घावधि निवेश जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **बैंक वित्तपोषण:** बैंक अवसंरचना वित्त पोषण के मुख्य स्रोत रहे हैं आरबीआई 5/25 योजना; टेक आउट वित्तपोषण सहित अवसंरचना के लिए अग्रिमों के दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है

(ii) **संस्थागत वित्त:**

अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)' की स्थापना की है आईआईएफसीएल दीर्घावधि ऋण, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है, जिसकी अवधि 10 वर्षों से अधिक की अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में होती है

(ii)* अवसंरचना ऋण कोष *(आईडीएफ): भारत सरकार ने परिचालन संपत्ति के लिए परियोजना ऋणों का बैंकों से निश्चित आय बाज़ार में स्थानांतरण में सहायता हेतु अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और तीव्र करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ) की अवधारणा को जन्म दिया

(iv)* रियल एस्टेट निवेश न्यास *(रीट्स)/* अवसंरचना निवेश न्यास *(इनविट्स): ये न्यास-

आधारित ढांचे हैं जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं इनविट्स तथा रीट्स हेतु दिशानिर्देश/नियामक सेबी द्वारा 2014 में अधिसूचित किए गए थे

सार्वजनिक-निजी भागीदारियां

निरंतर आधार पर व्यापक और समावेशी विकास हेतु अच्छी निरंतर आधार पर उपलब्धता पहली आवश्यकता है उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा हेतु भी अवसंरचना महत्वपूर्ण है निवेश जरूरतों की व्यापकता और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु सार्वजनिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के मेल द्वारा अवसंरना में निवेश बढ़ाने के लिए रास्ते की तलाश आवश्यक है पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की कमी को पूरा करता है तथा सृजित परिसंपत्ति के रखरखाव और संचालन हेतु प्रभावी लागत वाली नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रस्ताव के लिए लंबी अवधि का मूल्य प्राप्त करता है भारत ने उच्च प्राथमिकता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचना की डिलीवरी हेतु योजनाबद्ध तरीके से पीपीपी कार्यक्रम लागू किया है तथा पिछले दशक में संभवतः विश्व के सबसे बड़े पीपीपी कार्यक्रमों में से एक विकसित किया है

सूचना प्रसार

भारत में पीपीपी प्रयासों से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने हेतु डीईए का पीपीपी प्रकोष्ठ एक वेबसाइटः www.pppiuindia.gov.in का रखरखाव करता है यह वेबसाइट भारत में पीपीपी पहलों पर सूचना भंडार के रूप में काम करता है जिसमें संबंधित नीतिगत दस्तावेज, ऐसी परियोजनाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु जारी सरकारी दिशानिर्देश हैं इसमें पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित मूल्यांकन और पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन हेतु योजनाओं के सांस्थानिक तंत्र संबंधी सूचनाएं शामिल हैं इस वेबसाइट में पीपीपी द्वारा विकसित विभिन्न ज्ञान उत्पादों सहित ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले लोक अधिकारियों और निजी डेवलेपरों से सर्वोत्तम पीपीपी साझा कर उनकी योग्यता में वृद्धि करना शामिल है

भारत के सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे पीपीपी समेत अवसंरचना परियोजनाओं का एक डाटा बे स www.infrastructureindia.gov.in है यह सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है

जी-20

जी-20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में यह मानकर की गई कि वैश्विक आर्थिक महत्व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाज़ारों वाली अर्थव्यवस्था की ओर व्यापक रूप से स्थानांतरित हो रही है विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में जी-8 की लगातार घटती भूमिका तथा आर्थिक प्रशासन पर वैश्विक बातचीत में उभरते बाज़ारों वाली अर्थव्यवस्था के बढ़ते वर्चस्व के कारण 1999 में जी-8 के स्थान पर जी-20 आ गया

जी-20 को वास्तव में प्रमुखता 2008 में मिली, जब 2007-10 के वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभावी रूप से उत्तर देते हुए इसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच की बजाय राष्ट्राध्यक्षों के मंच का रूप दे दिया गया

ब्रिक्स

ब्रिक्स राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग के पांच मुख्य स्तंभ हैं और जी-20 जैसे वैश्विक फोरम में उभरते हुए बाजार तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्वर हैं ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित नवीन विकास बैंक ने मार्च 2017 में मध्य प्रदेश में मुख्य जिला सड़क परियोजना के वित्तपोषण हेतु ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित कर भारत में अपनी पहली छाप छोड़ी स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के सुदृढ़ पाईपलाइन के विकास हेतु भारत बैंक के प्रबंधन के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर काम कर रहा है 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की पूंजी के साथ ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के रूप में कल्पित विनिमय का ढांचा, किसी सदस्य राष्ट्र को अल्पावधि के लिए नकदी समर्थन की जरूरत होने की स्थिति में परिचालित होता है व्यापक आर्थिक स्थिति के आदान-प्रदान की पद्धति विकसित कर ब्रिक्स केंद्रीय बैंक सीआरए के अंतर्गत अपनी शोध क्षमताओं को मजबूत करने हेतु काम कर रहे हैं

भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) है यूएनडीपी का उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल देशों में दरिद्रता उन्मूलन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समेत सतत मानव विकास हेतु क्षमता विकास के माध्यम से सहयोग करना है यूएनडीपी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी प्रकार की सहायता अनुदान के रूप में होती है

यूएनडीपी को विभिन्न दाता देशों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक योगदान से धन मिलता है यूएनडीपी में भारत का वार्षिक योगदान 45 करोड़ डॉलर तक रहा है, जो विकासशील देशों के बीच बहुत बड़ा योगदान है वार्षिक योगदान के अतिरिक्त भारत सरकार स्थानीय कार्यालय के व्यय का भी आंशिक भुगतान करता है यूएनडीपी संसाधनों का देशवार आवंटन सहयोग ढांचे (सीसीएफ) के अंतर्गत पांच वर्ष में एक बार किया

जाता है, जो प्रायः भारत की पंचवर्षीय योजना के साथ ही चलता है

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना है इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं इसका सचिवालय काठमांडू में है इसने इस क्षेत्र के नागरिकों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के समाधान हेतु कई क्षेत्रीय समझौते किए हैं तथा संस्थान बनाए हैं, यह विचारों के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विकास के लिए आम सहमति के आधार का एक मंच है लघु अवधि के विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने या दीर्घ अवधि के लिए व्यवस्था होने तक अथवा लघु अवधि में ही मुद्दे का समाधान हो जाने तक भुगतान शेष के संकटों के समाधान की राह प्रदान करने के इरादे से सार्क देशों के बीच मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था की गई थी इस सुविधा के अंतर्गत सार्क के प्रत्येक सदस्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के लिए आरबीआई उनके दो महीने की आयात जरूरतों पर निर्भर तथा अमरीकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में कुल 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हो; विभिन्न आकार के मुद्रा की अदला-बदली प्रदान करता है अभी तक भूटान, श्रीलंका और मालदीव द्वारा इस सुविधा का लाभ लिया गया है

सार्क विकास कोष

सार्क विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना 2008 में सार्क देशों द्वारा क्षेत्र में लोंगों के जीवनयापन में सुधार और आर्थिक वृद्धि तेज करने, सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन हेतु की गई थी एसडीएफ में परियोजना की फंडिंग तीन मुख्य क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना) के अंतर्गत की जानी है अप्रैल 2010 में इसके शुरू होने से अब तक महिला सशक्तीकरण, कृषि, बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत तेरह परियोजनाएं शुरू की गई हैं एसडीएफ को लगभग 47.492 करोड़ अमरीकी डॉलर का कोष प्राप्त हुआ था, जिसमें 29.5 करोड़ (लगभग) अमरीकी डॉलर सदस्य देशों से प्राप्त पूंजी योगदान और भारत द्वारा सामाजिक मुद्दे हेतु 10 करोड़ अमरीकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान शामिल है परियोजना क्रियान्वयन के लिए एसडीएफ के तीन मुद्दों में से आर्थिक और अवसंरचना मुद्दे परिचालित किए जा रहे हैं

द्विपक्षीय सहयोग

आर्थिक मामलों के विभाग का द्विपक्षीय सहयोग डिवीजन जी-8 देशों, संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित डील करता है यह डिवीजन विकासशील देशों के लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार से संबंधित कार्य को भी डील करता है यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों/देशों द्वारा चार हफ्तों तक के लघु आवधिक विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशासन के लिए केंद्र बिंदु है

द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति

भारत अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास और केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर भारतीय नागरिकों के ज्ञान/कौशल की वृद्धि के लिए अपने द्विपक्षीय पार्टनरों से ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में विदेशी सहायता स्वीकार करता रहा है 2005 में जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता सभी जी-8 देशों, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपियन कमीशन, से स्वीकार किए जा सकते हैं जी-8 से बाहर के यूरोपियन यूनियन के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता दे सकते हैं बशर्ते वे न्यूनतम 2.5 करोड़ डॉलर वार्षिक विकास सहायता के लिए प्रतिबद्ध हों

भारत-यूके द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम

यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को विकास सहायता प्रदान करता रहा है यूके से विकास सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों, झुग्गी विकास आदि के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को (एसडीजी) प्राप्त करने के लिए मिलती है पारस्परिक सहमति वाली सरकारी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए यूके से सहायता अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायोग के रूप में प्राप्त होती है वर्तमान में तीन राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार पर डीएफआईडी का फोकस है यूके सरकार ने घोषणा की है कि सभी नए विकास सहयोग कार्यक्रम ऊर्जा, शहरी एवं आर्थिक नीतियों आदि के क्षेत्र में केवल तकनीकी सहायता (टीए) कार्यक्रमों के लिए होगा अथवा गरीबों की मदद पर केंद्रित निजी क्षेत्र परियोजनाओं में निवेश हेतु होगा दोनों पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत हैं

भारत-यूरोपीय संघ विकास सहयोग

यूरोपीय संघ (ईयू) अनुदान के रूप में विकास सहायता उपलब्ध कराता रहा है इसके प्राथमिकता क्षेत्र में वातावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है ईयू विकास सहयोग कार्यक्रमों को कंट्री स्ट्रेटजी पेपर (सीएसपी) के माध्यम से लागू करता है सीएसपी ईयू के उद्देश्यों, साझीदार देश की नीति संबंधी एजेंडा और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित है

यूरोपीय निवेश बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) यूरोपीय संघ की वित्त पोषण संस्था है, जिसका गठन पूंजीगत निवेश प्रदान करने के लिए रोम संधि (1957) के अंतर्गत 1958 में किया गया था ईआईबी के सदस्य, यूरोपीय संघ के सदस्य देश होते हैं, जो सभी बैंक की पूंजी के ग्राहक होते हैं यरोपीय संघ के बाहर ईआईबी का वित्त पोषण परिचालन सैद्धांतिक रूप से बैंक के निजी संसाधनों से किया जाता है और अधिकार मिलने पर संघ अथवा सदस्य देशों के बजटीय संसाधनों से भी किया जाता है इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईआईबी के कोष का उपयोग ईयू के साथ सहयोग हेतु समझौता पर दस्तख़त करने वाले देशों में वित्तीय निवेश हेतु किया जाता है

भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग

जर्मनी 1958 से ही अपने आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के माध्यम से भारत को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है वर्ष 2008 में जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (बीएमयू) ने भी जर्मन सरकार के 'अंतरराष्ट्रीय जलवायु संरक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत भारत को सहयोग आरंभ कर दिया, जो आधिकारिक विकास सहयोग के वर्तमान स्रोतों में कटौती किए बगैर जर्मनी सरकार की अतिरिक्त सहायता है जर्मनी और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल हैं: ऊर्जा सतत शहरी विकास तथा पर्यावरण और प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन

भारत-फ्रांस विकास सहयोग

फ्रांस सरकार 1968 से ही भारत को विकास संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है किंतु फ्रांसीसी सहायता की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह फ्रांस से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबद्ध रही भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा वित्तपोषण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: (i) ऊर्जा सक्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा; (ii) शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल आदि); और (iii) जैव विविधता का संरक्षण

नार्वे

वर्ष 2005 से आज तक करीब 24 एनजीओ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है भारत और नार्वे के वित्त मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के बीच समय-समय पर द्विपक्षीय बैठकें होती हैं

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड वर्ष 1964 से ही अनुदानों और तकनीकी सहायता के रूप में भारत को आर्थिक और तकनीकी

सहयता प्रदान करता रहा है स्विट्जरलैंड ने ऊर्जा क्षेत्र की परियोजना हेतु 40 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण वाला मिश्रित ऋण प्रदान किया था

अमरीकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी

भारत को अमरीका की द्विपक्षीय विकास सहायता 1951 में आरंभ हुई भारत को अमरीकी सहायता मुख्य रूप से अमरीकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के माध्यम से प्राप्त होती है वर्तमान में यूएसएआईडी स्वास्थ्य प्रणाली, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, कम उत्सर्जन एवं ऊर्जा सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने, जंगलों के द्वारा कार्बन अवशोषण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी कर रही है वर्तमान में, यूएसएआईडी द्वारा भारत सरकार के साथ साझेदारी में निम्नलिखित सात परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; (i) कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; (ii) स्थायी जंगल और जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम हेतु साझेदारी समझौता; (ii) जल, स्वच्छता और सफाई (वॉश) हेतु साझेदारी समझौता; (iv) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार हेतु साझेदारी समझौता; (V) स्वास्थ्य परियोजना हेतु साझेदारी समझौता; (vi) आपदा प्रबंधन समर्थन परियोजना; और (vii) ऊर्जा सक्षमता प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और नवाचार परियोजना हेतु साझेदारी समझौता

अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी

यूएस व्यापार एवं विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अमरीकी कारोबारों की प्रतिभागिता बढ़ाकर उन देशों की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देती है एजेंसी का उद्देश्य व्यापार के लिए अवसंरचना निर्माण में मदद करना, अमरीकी तकनीकी विशेषज्ञता को विदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और अमरीकी तथा उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्था के बीच दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी में सहायता करना है 1992 से अमरीकी व्यापार एवं विकास एजेंसी ने भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रायोजकों के साथ 100 से अधिक प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं को समर्थन दिया है

कनाडा

अंतरराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है

विकासशील देशों के लिए ऋण सहायता

ऋण सहायता (एलओसी) भारत की कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा साख बनाने और लंबे समय के लिए साझेदारी निर्माण के कार्य में बहुत उपयोगी रहा है यह योजना एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और विकासशील देशों हेतु साझेदार के रूप में विदेशों में भारत की रणनीतिक राजनीतिक और आर्थिक हितों के विकास का भी प्रयास करता है इस योजना से माल और भारतीय सेवाओं का निर्यात करता है इस योजना से माल और सेवाओं का भारतीय निर्यात अब तक अप्रयुक्त बाज़ारों में बढ़ने की उम्मीद है और परियोजना प्लानिंग, सामाजिक-आर्थिक विकास के ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, परिवहन आदि विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन एवं क्रियान्वयन में भारत की विशेषज्ञता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकेगा 2005-06 से लागू भारतीय विकास और आर्थिक सहयोग योजना (आईडियाज) के अंतर्गत भारत सरकार अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को ऋण सहायता दे रहा है वर्तमान योजना के अंतर्गत राजनयिक विचारों और विभिन्न विकासशील देशों से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय विशिष्ट योजनाओं का चयन करता है

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का संस्थापक सदस्य है इसकी स्थापना सहयोगी और स्थायी मौद्रिक ढांचा के विकास हेतु की गई थी वर्तमान में 188 देश आईएमएफ के सदस्य हैं स्थापना के बाद से

ही इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु इसके परिचालन में, जिसमें निगरानी, वत्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है, विकसित हो रहे विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकास हुआ है आईएमएफ के शासक मंडल में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देशों से एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं भारत के लिए वित्तमंत्री आईएमएफ के शासक मंडल हेतु पदेन गवर्नर हैं आईएमएफ में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के वैकल्पिक गवर्नर हैं

वेबसाइट: www.imf.org

विश्व बैंक

भारत गरीबी में कमी लाने, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, आदि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक (आईबीआरडी) और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के माध्यम से विश्व बैंक से कर्ज लेता है भारत सरकार के लिए आईडीए कोष सबसे रियायती विदेशी ऋण है तथा इसका उपयोग मुख्यतः सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाता है हालांकि, भारत आईडीए से डिग्री प्राप्त है

वेबसाइट: www.wordlbank.org

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है 1956 में स्थापित आईएफसी में 184 सदस्य हैं भारत आईएफसी का संस्थापक सदस्य है, जो देश में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण और सलाह को परिचालित करता है भारत आईएफसी के सबसे बड़े पोर्टफोलियो जोखिम का विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है 1958 से अब तक आईएफसी ने 15 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक भारत में लगाया है भारत में आईएफसी का निवेश अवसंरचना, निर्माण, वित्तीय बाज़ारों, कृषि व्यवसाय, एसएमई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला है विश्व बैंक समूह के देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) के अनुरूप भारत में आईएफसी का ध्यान भारत के निम्न आय वाले राज्यों पर केंद्रित है

नवीन विकास बैंक

नवीन विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत विकास पहलों को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है एनडीबी के संस्थापक सदस्य हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), जिन्होंने प्रारंभिक योगदान द्वारा एक बिलियन अमरीकी डॉलर की पूंजी जुटाई है नवीन विकास बैंक (एनडीबी) ने 2015 में अपनी स्थापना के बाद से दो वर्ष पूरा कर लिए हैं

वेबसाइट: www.ndb.int

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) है जिसकी स्थापना अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा एशिया में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष 2016 में स्थापित किया गया भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है एआईआईबी की बीजिंग में स्थापना हेतु वर्ष 2016 में भारत और बीस अन्य देशों ने अंतरसरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया

वेबसाइट: www.aiib.org

कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष

कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र के 13वें विशेषज्ञता

प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और भूख उन्मूलन के प्रति समर्पित है 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है- सूची (क) विकसित देश, सूची (ख) तेल उत्पादक देश और सूची (ग) विकासशील देश भारत सूची (ग) में है भारत कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) का एक संस्थापक सदस्य है और इसने अब तक आईएफएडी के संसाधनों में 14.7 करोड़ अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है जीईएफ पात्र देशों को पांच मुख्य क्षेत्रों में अनुदान देता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अंतरराष्ट्रीय जल, रसायन एवं कचरा यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉक होल्म सम्मेलन (पीओपीएस), बंजर से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी), मरकरी के विषय में मिनामाटा सम्मेलन के लिए वित्तपोषक तंत्र के रूप में भी काम करता है तथा ओज़ोन परत (एमपी) नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है

एशियाई विकास बैंक

भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का एक संस्थापक सदस्य है एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी एडीबी के 67 सदस्य हैं (48 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है दिसंबर 2016 तक एडीबी में भारत का 6,72,030 शेयरों के साथ 6.331 प्रतिशत शेयर होल्डिंग तथा मताधिकार 5.363 प्रतिशत है

बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के कार्य में लगा है इस कार्य हेतु ऋण और इक्विटी निवेश, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और अन्य सलाहकार सेवाएं गारंटी, अनुदान और नीति चर्चाएं इसके मुख्य यंत्र हैं भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन नीति के अंतर्गत जिसमें रियायती शर्तों पर कम व्ययशील स्रोतों से और दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले कोष प्राप्त करने पर केंद्रित है, एडीबी से ऋण प्राप्त करता है भारत ने 1986 में एडीबी से ऋण लेना शुरू किया

वेबसाइट: www.adb.org

मुद्रा एवं सिक्के

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एसपीएमसीआईएल आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम हैं यह नौ इकाइयों- चार टकसाल, चार प्रेस (दो मुद्रा नोट प्रेस एवं दो प्रतिभूति प्रेस) एवं एक कागज मिल के निगमीकरण से बनी है, जो पहले वित्त मंत्रालय के अधीन थीं कंपनी आरबीआई को मुद्रा/बैंक नोट एवं सिक्के, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टॉप-पत्र, डाक विभाग को डाक स्टेशनरी एवं टिकट, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, वीजा स्टिकर एवं यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करती है अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, एमआईसीआर एवं नॉन-एमआईसीआर चेक आदि शामिल हैं

बैंक नोट कागज के उत्पादन में स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसपीएमसीआईएल) और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के 50:50 वाले संयुक्त उपक्रम बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की भी स्थापना दो स्टेट -ऑफ-दि-आर्ट प्रौद्योगिकी वाले 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पेपर लाइनों को लागू करने हेतु की गई है, जिसकी कुल वार्षिक क्षमता लगभग 12,000 मीट्रिक टन है इन दोनों स्रोतों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है वेबसाइट: www.spmcil.com

नए मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करना

सरकार द्वारा आकार, विषय, रंग और डिज़ाइन के अनुमोदन के बाद 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नए नोट जारी किए गए निर्दिष्ट बैंक नोटों को वैध मुद्रा की मान्यता खत्म किए जाने के बाद इससे तेज पुनर्मुद्रीकरण में सहायता मिली

एसबीएन की वैद्यता की समाप्ति

काले धन, एफआईसीएन और अन्य विभिन्न विध्वंसकारी गतिविधियों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए 8 नवंबर, 2016 के बाद 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों यानी निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की वैधता समाप्त कर दी गई थी एसबीएन को रद्द करने को सांविधिक समर्थन हेतु यथाशीघ्र एक अध्यादेश लाया गया था ताकि अवांछित तत्वों द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की राह बनाने से रोका जा सके और आरबीआई की देयता का शमन किया जा सके

दिसंबर 2016 में उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने में बड़े पैमाने पर परिश्रम करना पड़ा जिसमें 1.3 लाख़ बैंक शाखाएं, 1.5 लाख डाकघर की शाखाएं, 1 लाख बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, 2.2 लाख एटीएम शामिल हुए और अर्थव्यवस्था के प्रभावकारी पुनः मुद्रीकरण के लिए करेंसी प्रेसों में रात-दिन काम करना पड़ा था

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

भारत सरकार ने अपने आर्थिक कार्यक्रम के मूल तत्वों में से एक अवसंरचना में निवेश किया है 1992 से 2010 के दौरान अवसंरचना में भारत का औसत निवेश जीडीपी का 4.7 प्रतिशत था; इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों में इक्विटी के प्रवाह में कमी आई है जिससे आगे निवेश बाधित हुआ है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का निर्माण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड दोनों में तथा रुकी हुई परियोजनाओं समेत अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से इक्विटी निवेश पाने के उद्देश्य से की गई थी वेबसाइट: www.nifindia.in

अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौते एवं ढांचा

भारत सरकार ने विस्तृत आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जो वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था, के एक भाग के रूप में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी)/द्विपक्षीय निवेश प्रोन्नति एवं सुरक्षा समझौते (बीआईपीए) करने की शुरुआत की थी बीआईटी अनिवार्यतः एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारा हेतु एक स्वतंत्र फोरम प्रदान करते हुए व्यवहार का एक न्यूनतम मानक और सभी मामले में भेदभाव नहीं होना सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के सुविधा स्तर को बढ़ाता है और उनमें विश्वास की वृद्धि करता है बदले में बीआईटी से भारत को एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और विदेशों को जाने वाले भारतीय एफडीआई की रक्षा करना अपेक्षित है

वर्ष 1993 के बाद से हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए बीआईटी से जुड़े मुद्दों के सारे पहलू और सीईसीए/सीईपीए मुक्त व्यवसाय समझौतों (एफटीए) के सावधानीपूर्वक परीक्षण की जरूरत थी वर्ष 2015 के नए भारतीय बीआईटी मॉडल का लक्ष्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों और व्यवहारों के आलोक में भारत में विदेशी निवेशकों और विदेशों में भारतीय निवेशकों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना है

व्यय विभाग

व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देख-रेख करने वाला नोडल विभाग है यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, ऑडिट टिप्पणियों/अवलोकनों की मॉनीटरिंग, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों का अनुकूलन करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है विभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल है- वित्तीय

नियमों/विनियमों/आदेशों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय/विभागों में व्यय प्रबंधन की देखरेख, प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्व मंजूरी का मूल्यांकन तथा राज्यों को हस्तांतरित थोक केंद्रीय बजटीय संसाधनों की हैंडलिंग, कार्मिक एवं स्थापना डिवीजन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का नियमन, पेंशन मामलों पर नीति और पदों के सृजन एवं उन्नयन तथा कैडर की समीक्षा जैसे कार्मिक मामलों से संबद्ध मामलों सहित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों (डीएफपीआर) आदि जैसे विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है वेबसाइट: www.doe.gov.in

महालेखा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक (सीजीए) भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखा जिम्मेवार है सीजीए का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, देनदारियों और विभिन्न राजकोषीय सूचकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है संविधान की धारा 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं इन दस्तावेजों के साथ 'लेखा एक नजर में' शीर्षक वाला एम.आई.एस रिपोर्ट तैयार कर संसद में वितरित किया जाता है यह सामान्य सिद्धांतों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए प्रपत्र और लेखा की प्रक्रिया से संबद्ध नीतियां बनाता है यह केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, प्राप्तियां और लेखा की प्रक्रिया निर्धारित करता है सरकार की राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक मजबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति के माध्यम से केंद्रीय सरकार के मासिक और वार्षिक लेखा तैयार, समेकित और जमा करता है संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अपने आंतरिक लेखापरीक्षा इकाइयों के माध्यम से विभागीय लेखा कार्यालयों में लेखा के निर्दिष्ट तकनीकी मानकों को बनाए रखने और सिविल मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों के वित्तीय निष्पादन और प्रभावोत्पादकता की मानिटरिंग हेतु उत्तरदायी है

वेबसाइट: www.cga.nic.in

डिजिटलीकरण पहलें

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (पीएफ़एमएस) सीजीए द्वारा डिजाइन किया गया, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है पीएफएमएस का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है इसका उद्देश्य है- (i) समय पर कोषों का अंतरण और (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर पीएफएमएस डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण योगदान करता है विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय आईटी पद्धतियों के साथ एकीकरण पीएफएमएस का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्त के समग्र अवलोकन की सुविधा मिलेगी

गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) प्रारंभ करना

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के अलावा सरकारी राजस्व की तेज वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पद्धति का विकास किया गया है जिसके द्वारा आम जनता सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों/पीएसयू आदि से मंत्रालयों/विभागों को प्राप्तियां लेने में सुविधा होगी

वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा (डब्ल्यूआरपीएस) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने केंद्रीय सिविल पेंशनरों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनरों की सेवा प्रारंभ कर उनकी अधिकारिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इस आईटी पहल से पेंशन एवं भुगतान संबंधी सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा तथा पेंशनरों की ट्रैकिंग सहित विभिन्न सेवा प्रदान करता है

स्वायत्त निकायों हेतु पहल

व्यय विभाग में स्वायत्त निकायों हेतु एक केंद्रीयकृत डाटाबेस की स्थापना की गई थी

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की स्थापना वर्ष 1990 में केंद्रीय (सिविल) पेंशनधारियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लेखा एवं भुगतान के लिए किया गया था सीपीएओ व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के अधीन एक सहायक कार्यालय है यह अधिकृत बैंकों के जरिए केंद्र सरकार (सिविल) के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है इसके मुख्य कार्य हैं- पेंशन वितरण बैंकों के सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्रों) को नए पेंशन और पेंशन पुनरीक्षण मामलों में भुगतान के लिए प्राधिकृत करने हेतु स्पेशल सील ऑथोरिटीज (एसएसए) निर्गत करना; पेंशन अनुदान और संबंधित लेखा हेतु बजट की तैयारी; केंद्रीय सिविल पेंशनरों के पीपीओ और पुनरीक्षण प्राधिकारों में दर्ज सभी विवरणों वाले डाटा बैंक का अनुरक्षण; केंद्रीय सिविल पेंशनरों की शिकायतों को संभालना

(1) सातवें सीपीसी पेंशन संशोधन की ई-संशोधन उपयोगिताः सीपीएओ ने ई-संशोधन उपयोगिता विकसित की है जिसमें सीपीओज़ को भेजे जाने वाले सातवें सीपीसी पेंशन मामलों के संशोधन के लिए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित संशोधन अधिकार पत्र भेजना भी शामिल है इस सुविधा का इस्तेमाल केंद्र नागर मंत्रालयों/विभागों के 600 भुगतान एवं लेखा कार्यालय कर रहे हैं सीपीएओ पेंशन हेतु अधिकार प्राप्त सभी 24 बैंकों के 39 सीपीसीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्र) को डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक विशेष सील प्राधिकार (ई-एसएसए) उपलब्ध करा रहे हैं इस सेवा के आधार पर लिखित शब्द सीमा पीएओज़ से सीपीएओं तक और सीपीओं से बैंकों तक सीमित रह गई है

(2) ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स (पीआरओज़) नंबर आवंटनः वर्ष 2016 से केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग (सीपीएओ) ने वेतन और लेखा कार्यालय की सीपीएओ वेबसाइट पर ऑनलाइन पीपीओ नंबर आवंटन की सुविधा आरंभ की है ताकि कागज आधारित पीपीओ नंबरों के आवंटन की आवश्यकता न पड़े इसके आधार पर कागजी कार्य कम और कार्य प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी इसकी मदद से समय और डाक खर्च की भी बचत होगी

(3) इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान *(*ई-पीपीओ*):* केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा कागज रहित कार्यप्रणाली हेतु पेंशन के लिए 24 आधिकारिक बैंकों के 39 केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों (सीपीपीसीज़) को प्रस्तावित डिजिटलीकृत हस्ताक्षरित ई-विशेष सील प्राधिकार (ई-एसएसए) कार्यरत है साथ ही, सभी सीपीसीसीज़ अपने एसटीटीपी सर्वरों में नए तथा संशोधित पेंशन मामलों के डिजिटल हस्ताक्षरित विशेष सील प्राधिकार प्राप्त कर रहा है

(4) वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सेवा *(*डब्ल्यूआरपीएस*):* भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में अवसंरचना में सुधार के जरिए तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाए यह कार्य सुरक्षित एवं स्थायी डिजिटल अवसंरचना; सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रारूप में; वृहद डिजिटल शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है

(5) सीपीएओ को सोशल मीडिया उपस्थितिः पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को बेहतर सेवा और उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं पेंशनधारी को सीपीएओं से संपर्क करने के लिए यह नवीनतम तरीके हैं पेंशनधारकों एवं अन्य लाभार्थियों को ई-संशोधन उपयोगिता के लिए डब्ल्यूआरपीएस सुविधा के बेहतर इस्तेमाल हेतु कई शिक्षाप्रद वीडियो भी बनाए गए हैं

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) की स्थापना वर्ष 1993 में एक पंजीकृत सोसायटी तौर पर की गई केंद्र के कैबिनेट में विचार किया गया कि एनआईएफएम, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भर्ती किए गए और सरकार में लेखा एवं वित्त से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ एवं उच्च प्रबंधकीय पदों पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होगा संस्थान का लक्ष्य न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में वित्तीय प्रबंधन एवं संबंधित विधाओं के क्षेत्र में

उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर विकसित होना है संस्थान संकाय की योग्यता तथा क्षमता के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है

वर्तमान में यह संस्थान एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पांच दीर्घावधि कार्यकम संचालित करता है; लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन नए चयनित व्यक्तियों हेतु एक वर्ष का पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा; सरकारी वित्त प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम; केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु प्रबंधन में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय प्रबंधन) सक्षम शोधकर्ताओं, शिक्षकों और सलाहकारों के निर्माण हेतु प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय बाज़ार)

वेबसाइट: www.nifm.ac.in

सामान्य वित्तीय नियमों का पुनरीक्षण

सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से संबंधित नियम एवं आदेश हैं सामान्य वित्तीय नियम पहली बार 1947 में, वित्तीय मामलों से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों और अनुदेशों को एक साथ लाकर, जारी किए गए थे इनमें क्रमशः संशोधन कर इन्हें जीएफआर 1963 और जीएफआर 2005 के रूप में जारी किया गया सेवाओं की समयानुसार डिलीवरी की सुविधा में जरूरी लचीलापन प्रदान करते हुए राजकोषीय प्रबंधन की उन्नत, दक्ष और प्रभावकारी फ्रेमवर्क में सक्षमता हेतु सामान्य वित्तीय नियम-2017 जारी किया गया था विगत कुछ वर्षों में सरकार ने अपने व्यवसाय संचालन के तरीकों में कई अभिनव बदलाव किए हैं गैर-योजना और योजना व्यय में अंतर को हटाना, रेलवे बजट को सामान्य दस्तावेज के माध्यम से परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना जैसे सरकारी बजट में सुधार इन सभी का जीएफआर में परिलक्षित होना जरूरी है सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (पीएफएमएस) पर ज्यादा ध्यान, अधिकारों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना पर भरोसा, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटिंग (जीईएम) पोर्टल, गैर-कर राजस्व पोर्टल जैसे नए ई-साइटों के लागू होने से भी वर्तमान जीएफआरएस के पुनरीक्षण की जरूरत हुई ताकि बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ सामंजस्य रखा जा सके इसका उद्देश्य था जीएफआर को जवाबदेही के सिद्धांतों और वित्तीय अनुशासन तथा यथेष्ट प्रशासनिक तत्परता की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दक्षता बनाए रखना स्वशासी निकायों को चलाने के तरीकों के अतिरिक्त गैर-कर राजस्वों, उपयोग प्रभारों, ई-प्राप्ति पोर्टल पर नए नियम जोड़े गए थे

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी राजस्व मामलों के संबंध में दो वैद्यानिक निकायों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से नियंत्रण रखता है यह विभाग केंद्रीय बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य संबंधित राजकोषीय विधियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक उपायों को लागू करने तथा प्रशासन संबंधी कार्य भी करता है यह विभाग अफ़ीम का उत्पादन और इसके उत्पादों के निष्पादन पर भी नियंत्रण रखता है

वस्तु एवं सेवा कर

विधायी विकास

राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2006-07 में पेश किया गया था वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन 2016 में किया गया था वर्तमान में जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है केंद्रीय जीएसटी बिल 2017; एकीकृत जीएसटी बिल 2017; जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) बिल 2017; पारित कर देश में जीएसटी जुलाई 2017 में

लागू किया गया था इसकी मुख्य विशेषताएं हैं- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय निर्माणों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर,

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क जाना जाता है, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और केंद्रीय अधिप्रभारों एवं चुंगियों में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबद्ध है को सम्मिलित करना; वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतरराजीय के लेन-देन पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाना; वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मानव खपत हेतु अल्कोहॉलिक शराब के अतिरिक्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करना पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में यह प्रावधान है कि इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में जीएसटी की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि तक नहीं रखा जाएगा संसद एवं राज्य विधान सभाओं को वस्तु एवं सेवा कर को संचालित करने वाले नियमों को बनाने हेतु समवर्ती शक्ति प्रदान करना; वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई जिसकी अवधि पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है

भारतीय स्टाम्प अधिनियम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 लेन-देन के रिकॉर्ड किए गए दस्तावेजों से संबंधित स्टाम्प के रूप में नियमों के अनुरूप एक राजकोषीय कानून है संक्षेप में, स्टाम्प शुल्क से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान संविधान में हैं: अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 91 में निर्धारित दस्तावेजों पर (यथा), विनिमय के बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों, लदान-पत्रों, साख पत्रों, बीमा की पॉलिसियों, ऋण-पत्रों, प्रॉक्सी और प्राप्तियों) संघ द्वारा अनुच्छेद 268 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क लिए जाते हैं सभी राज्य जिनमें ये वसूले जाते हैं, प्राप्तियों को जमा कर अपने पास रखता हैं (केंद्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहां ये प्राप्तियां भारत के समेकित कोष का अंश होती हैं) वर्तमान में चेकों को छोड़कर इन सभी दस्तावेजों पर शुल्क लिए जाते हैं:

(i) उपरोक्त में वर्णित दस्तावेजों के अलावा अन्य पर स्टाम्प शुल्क राज्यों द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में वर्णित प्रवृष्टि 63 के आधार पर लगाया और संग्रहित किया जाता है

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रवृष्टि 44 के अंतर्गत शुल्क की दरों से संबंधित के अलावा अन्य प्रावधान संघ और राज्यों दोनों की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं

(iii) ऋण-पत्रों और प्रतिज्ञा पत्रों के मामले में स्टाम्प शुल्क की दरों को सितंबर 2008 में केंद्र सरकार युक्तिसंगत बनाया गया हैं

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रत्यक्ष कर

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा बनाया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व वाला शीर्ष निकाय है यह आयकर विभाग (आईटीडी) का कैडर नियंत्रक प्राधिकारी होता है

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे सीबीडीटी ने आयकर विभाग के विस्तृत कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है इस कार्यक्रम का लक्ष्य है करदाता अनुकूल क्षेत्र की स्थापना, कर-आधार में वृद्धि करना, पर्यवेक्षण में सुधार और सरकार के लिए अधिक राजस्व पैदा करना

करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन और बिना हस्तक्षेप वाला और गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन के सृजन को बढ़ाने का प्रयास है

वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in

राजस्व संग्रह

प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह निरंतर बढ़ रहा है उन्नत कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन के परिणाम स्वरूप एक निर्धारित अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में सकारात्मक झुकाव दिख रहा है

ई-गवर्नेंस पहलें

पैन

(क) स्थायी खाता संख्या

स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं और इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवंटित किया जाने वाला 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है स्थायी खाता संख्या (पैन) विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन-देन को लिंक करने में सक्षम बनाता है पैन के माध्यम से जोड़े गए लेन-देन में कर भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट, आय/ संपत्ति के रिटर्न, विशिष्ट लेन-देन, पत्राचार आदि इस तरह पैन आयकर विभाग के लिए किसी व्यक्ति हेतु पहचानकर्ता का काम करता है

(ख) सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या

पैन के पहचानकर्ता की भूमिका अब आयकर विभाग से बाहर भी फैल गई है क्योंकि अब इसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, डी मैट खाता खोलने, सेवा कर हेतु पंजीकरण प्राप्त करने, बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क पंजीकरण आदि के लिए भी है कई सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए पंजीकरण हेतु सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या (सीबीआईएन) अथवा केवल व्यावसायिक पहचान संख्या (बीआईएन) बनने का लाभ भी पैन को है

(ग) एक व्यक्ति एक पैन

आयकर विभाग किसी एक व्यक्ति को एक ही पैन रखने की अनुमति देता है डुप्लीकेट पैन निर्गत होने से रोकने के लिए 'फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिथ्म' वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा डाटा के प्रतिलिपिकरण की जांच की जाती है आधार नामांकन के माध्यम से संग्रहित बायोमीट्रिक डाटा का फायदा उठाने के क्रम में आधार कार्ड को पहचान के वैध प्रमाण (पीओआई), जन्म तिथि के प्रमाण (पीडीओबी) और पते का प्रमाण (पीओए) आयकर नियम 1962 के अंतर्गत पैन के आवंटन हेतु दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया था प्रतिलिपिकरण नहीं होने देने की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने के लए पैन डाटाबेस का व्यक्तियों के कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) से जोड़ा जा रहा है

(घ) पैन सेवा प्रदाता

पैन से जुड़ी सेवाएं जैसे पैन आवेदन-पत्र प्राप्त करना, जमा किए गए दस्तावेजों की जांच, पैन आवेदन-पत्र का डिजीटलीकरण, डाटा की एनसीसी (राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र) पर अपलोडिंग, पैन कार्डों की छपाई और पैन कार्डों को भेजना को पैन सेवा प्रदाता मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलई गौण को आउटसोर्स किया गया हैं अपने 20,000 से अधिक फ्रंट कार्यालयों (पैन केंद्रों) के नेटवर्क के माध्यम से आवेदकों के द्वारा जमा किए पैन आवेदन को प्राप्त और प्रॉसेस किया जाता है हालांकि, पैन आयकर विभाग के राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र (एनसीसी) के सुदृढ़ सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग के डाटाबेस में केंद्रीय रूप से उत्पन्न (जेनरेट) किया जाता है और उसके बाद सेवा प्रदाता द्वारा छपाई कर भेजा जाता है

(ङ) पैन सत्यापन सुविधा

पैन सत्यापन सुविधा सीबीडीटी के ई-फाइलिंग सर्वर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा सरकारी विभागों को प्रदान किया जाता है इस यूजर के द्वारा एक-एक कर पैन सत्यापन अथवा एक हजार पैन का थोक सत्यापन फाइल प्रोसेसिंग द्वारा किया जा सकता है

नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि (डीओबी)/शामिल किए जाने की तिथि (डीओआई) मालूम होने पर आयकर के सरकारी बेवसाइट: www.incometaxindia.gov.in पर 'अपना पैन जानें' सुविधा के माध्यम से भी पैन का सत्यापन किया जा सकता है आयकर पैन सेवा प्रदाताओं (यूटीआईआईटीएसएल और एनएसडीएलईजीओवी) द्वारा (i) वित्तीय संस्थानों (आरबीआई/बैंकों), (ii) सरकारी एजेंसियों, (iii) वार्षिक सूचना रिटर्न भरने वाले व्यक्ति, (iv) वार्षिक सूचना रिटर्न फाइल करने वाली कोई अन्य संस्था, (v) क्रेडिट कार्ड कंपनियों/संस्थानों, आदि जैसी एजेंसियों को पैन सत्यापन हेतु सेवा भी प्रदान की जाती है

(च) शिकायत निवारण मशीनरी

पैन से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी पूर्णतः स्पष्ट हैं पैन से संबंधित कोई शिकायत जब भी प्राप्त होती है उसे दिशानिर्देश और वर्तमान अनुदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने सहित उचित कार्रवाई

की जाती है केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग पद्धति (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त की जाती है पैन से जुड़ी सभी शिकायतें सीपीजीआरएसएस के वेबसाइट से डाउनलोड की जाती हैं और उनकी जांच के बाद निदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है तथा ऐसे मामलों में की गई निवारक कार्रवाई के बारे में सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाती है पैनधारकों और नए पैन आवेदकों के लिए ई-फाईलिंग पोर्टल पर ई-निवारण सुविधा के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराने का नया तरीका उपलब्ध कराया गया है यहां शिकायतकर्ता विशिष्ट शिकायत और इस मामले के निवारण के लिए उत्तरदायी अधिकारी का चयन कर सकता है यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और विभाग के पदाधिकारियों के अलावा पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलई (जीओवी) के ई-निवारण तंत्र के साथ सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए समेकित कर दिया गया है

नई पहलें

(क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ई-बिज कार्यक्रम एक मिशन मोड परियोजना है जो निवेशकों को लाइसेंसिंग, पर्यावरण एवं भूमि मंजूरी, स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से अनुमोदन जैसी एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का ई-बिज पोर्टल के साथ पैन एवं टैन सेवा का एल1 एल3 एकीकरण पूरा कर लिया गया है एल1 एकीकरण में पैन तथा टैन हेतु आवेदन ई-बिज पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और पैन सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित किए जाते हैं

(ख) एमसीए पोर्टल के साथ एकीकरण

एमसीए पोर्टल पर सामान्य एप्लीकेशन प्रपत्र 'स्पाईस' (आईएनसी32) के प्रयोग द्वारा नई कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ पैन एवं टैन प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया गया है पैन एवं टैन का आवंटन एमसीए पोर्टल से प्रपत्र 49ए और 49बी में आवेदन डाटा प्राप्त होने के समय से चार घंटे के टर्न अराउंड समय (टीएटी) में किया जा रहा है इस प्रक्रिया द्वारा नई कंपनियों के समावेशन का प्रमाण-पत्र पर सीआईएन के साथ पैन भी छापा जा रहा है

(ग) डीएससी और ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए कागजविहीन आवेदन

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र और आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए पैन के आवेदन हेतु ऑनलाइन पेपर लेस प्रक्रिया दोनों सेवा प्रदाताओं मेसर्स एनएसडीएल और मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल के वेबसाइटों पर प्रारंभ किया गया है इस प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र या ई-सिग्नेचर वाला कोई व्यक्ति पैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 49ए द्वारा आवेदन कर सकता है और पहचान के प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियों के साथ फोटो और हस्ताक्षर सहित डिजिटल हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड कर सकता है उसे भौतिक रूप से डाक द्वारा दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं है

(घ) आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस आवेदन

आधार डाटा और आवेदक के फोटो का उपयोग करते हुए पैन के आवंटन हेतु दूसरी पेपरलेस प्रक्रिया आरंभ की गई है इस प्रक्रिया को ई-केवाईसी प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक द्वारा सीधे आधार डाटाबेस से आवेदक का जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो लिया जाता है आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करता है यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस है और कुछ भी संलग्न करने की जरूरत नहीं है जिससे पैन का आवंटन जल्दी होता है

(ङ) ई-पैन कार्ड

सभी नए आवेदकों और कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को अब ई-आधार की तर्ज पर ई-मेल द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित ई- पैन कार्ड प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है इस पहल से डाक द्वारा पैन कार्ड के प्रेषण के समय में कमी आई है

(च) सामान्य सेवा केंद्र

देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पैन आवेदन प्राप्त करने के लिए पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलईजीओवी के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (ग्राम स्तरीय उद्यम) को नामांकित किया गया है इस पहल के परिणामस्वरूप ग्रामीण स्तर पर पैन सेवाओं की पहुंच बढ़ी है

आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

आयकर रिटर्नों की ई-फाइलिंग सर्वप्रथम 2006-07 में निगमों हेतु शुरू की गई थी ई-फाइल्ड रिटर्नों की संख्या वित्त वर्ष 2006-07 के लगभग 4 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 में 5.28 करोड़ हो गई है यह सुविधा करदाताओं के लिए नि:शुल्क है विभाग में फाइल किए गए कुल रिटर्नों का लगभग 98 प्रतिशत ई-रिटर्न हैं ई-फाइलिंग वेबसाइट जिसके 6.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं लेखा परीक्षा रिपोर्टों, करदाताओं द्वारा आवेदनों और सूचनाप्रद विवरणों सहित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु सुविधा प्रदान करता है 50 से अधिक प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं

व्यावसायिक प्रक्रियाओं की आईटी सक्षमता

कर प्रशासन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कर्मचारियों को सुसंगत और सक्षम रूप से परिणामों की डिलीवरी में समर्थ बनाता है आयकर विभाग के सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण हेतु नए एप्लीकेशन के विकास के साथ ही आयकर व्यावसायिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) की परिकल्पना की गई थी आईटीबीए का मुख्य उद्देश्य सभी आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ई-समर्थ बनाना है ताकि निर्णय लेने और रिपोर्टिंग, पत्राचार और आंतरिक अनुमोदनों में परिश्रम को कम करने हेतु सूचना और कार्य को एक ही स्थान पर लाकर अधिकारी और कर्मचारी अपनी दक्षता बढ़ाने में समर्थ हो पाएं

शिकायत निवारण पद्धति ई-निवारण का एकीकरण

ई-निवारण का उद्देश्य विभाग द्वारा प्राप्त सभी ऑनलाइन और भौतिक शिकायतों के एकीकरण द्वारा जब तक ये तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने हेतु कर दाताओं के शिकायत निवारण का त्वरित निपटारा है

आयकर विभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट: *http..incometaxindia.gov.in*

आयकर विभाग द्वारा आयकर दाताओं की सेवाओं में वृद्धि हेतु वर्ष 2014 में नए राष्ट्रीय (www.incometax india.gov.in) की शुरुआत एक मुख्य पहल के रूप में की गई थी इसमें वर्ष 2015 में विभिन्न उपयोगकर्ताओं, व्यापार संघों और अन्य हिस्सेदारों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कई सेवाओं को शामिल कर सुधार किया गया था नए ले-आउट वाला वेबसाइट उपयोगकर्ताओं और करदाताओं के लिए वर्ष 2015 में शुरू कराया गया था कई नए फीचर, सेवाएं और कार्यात्मकताओं को इसके साथ जोड़ा गया ताकि इसे यूजर फ्रेंडली सूचनाप्रद और उपयोगी बनाया जा सके

प्रमुख नागरिक उपयोगी पहलें

आयकर सेवा केंद्र

दूसरी एआरसी के 12 रिपोर्ट का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नागरिक केंद्रित शासन है आयकर सेवा केंद्र (एएसके) आयकर विभाग के सिटिजन चार्टड के कार्यान्वयन हेतु सिंगल विंडो पद्धति

और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु एक तंत्र है एएसके में प्राप्त सभी पत्रों और रिटर्नों का नियमित निष्पादन अनिवार्य है जिसकी मॉनिटरिंग और समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा सकती है इससे आयकर विभाग में ई-गवर्नेंस की मजबूत संरचना की स्थापना और निरंतरता सुनिश्चित होती है

आयकर सेतु

स्मार्ट फोन का उपयोग दिनानुदिन बढ़ रहा है आयकर दाता की सेवाओं और मोबाइल द्वारा पहुंच के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप (एन्ड्रोयड/आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और आयकर दाता सेवाओं (टीपीएस) के अनुभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट पर एक उत्तरदायी संस्करण 'आयकर सेतु' 2017 में आरंभ किया गया है आयकर सेतु से आयकरों के ऑनलाइन भुगतान, करों की गणना, ई-निवारण मोड्यूल के जरिए शिकायतों का निवारण, कर ज्ञान, टीडीएस/ट्रेसेज और अन्य विशिष्टताओं की सुविधा होगी

टीडीएस एसएमएस चेतावनी योजना

सीबीडीटी ने करदाताओं को समय पर और सही डाटा प्रदान कर बेहतर करदाता सेवा प्रदान करने के क्रम में इस योजना में वेतनभोगी कर्मियों को त्रैमासिक आधार पर एसएमएस चेतावनी देने की योजना शुरू की गई है

प्रचार अभियान

विगत कई वर्षों से विभाग ने अपनी संवाद रणनीति में बदलाव द्वारा शुद्ध प्रवर्तन एजेंसी की बजाय करदाता सुविधा प्रदाता, सेवा प्रदाता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की स्वीकृति संबंधी संवाद को प्रभावी रूप से लागू किया है वित्त वर्ष 2016-17 में बहुत सारे प्रचार अभियान चलाए गए जिनमें अग्रिम कर के भुगतान की निर्धारित तिथि, रिटर्नों को फाइल करना, टीडीएस विवरणों की फाइलिंग और टीडीएस प्रमाण पत्रों को जारी करना, वार्षिक सूचना रिटर्न की फाइलिंग, टीआरपी की सेवाओं, सतर्कता जागरुकता सत्ता, आय घोषणा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, विमुद्रीकरण और पुराने बकायादारों के नामों का प्रकाशन जैसे जागरुकता अभियान

सोशल मीडिया

विभाग ने दिसंबर 2015 से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुमोदित सोशल मीडिया नीति के अनुसार सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया संबंधी गतिविधियां आधिकारिक ट्विटर खाता @incometaxindia के माध्यम से भी लगातार जारी है विभाग के ट्विटर खाते के 1,00,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का कार्य सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाने और उनका संग्रह करने, तस्करी रोकने और शुल्कों के अपवंचन से संबंधित नीति बनाने और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों से संबंधित है सीबीईसी के मुख्य उद्देश्य हैं: अप्रत्यक्ष कर राजस्वों का संग्रह, करदाता सेवाओं में सुधार, निष्पक्ष व्यापार हेतु अनुपालन में सुधार तथा सीमा नियंत्रणों को लागू करना और दक्षता तथा पारदर्शिता को उन्नत करना और ऐसे उद्देश्यों हेतु मानव संसाधनों का विकास सीबीईसी में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं

वेबसाइट: www.cbic.gov.in

विवाद निपटारा एवं अपील

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवा कर नियमों (वित्त अधिनियम, 1944) के अंतर्गत मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है आयुक्त (अपील) वाली अपीलीय तंत्र सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद के आयुक्त से नीचे रैंक वाले अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हैं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण, सीईएसटीएटी (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तों हेतु एक स्वतंत्र मंच है और आयुक्त (अपील) द्वारा

पारित आदेशों के विरुद्ध दूसरा अपील है

सीमा शुल्क

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई पद्धति (आईसीईएस) एक ईडीआई आधारित कार्य प्रवाही एप्लीकेशन है जो (i) आयात एवं निर्यात घोषणाओं/मालसूचियों की फाइलिंग और प्रोसेसिंग, (ii) चुने गए मालों का प्रणाली मूल्यांकन, (iii) माल निकासी के प्रभारी और अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ संदेश का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने में सक्षम बनाता है 214 स्थानों पर कार्यान्वित आईसीईएल के दायरे में सामग्रीवार देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 98 प्रतिशत से अधिक और मूल्यवार 90 प्रतिशत आता है वार्षिक 200 करोड़ से अधिक हिट वाला ई-कॉमर्स वेबपोर्टल भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईजीएटीई), आईसीईएस और सीमाशुल्क समुदाय के साझीदारों के बीच बातचीत का एकमात्र स्थल है यह पंजीकरण, ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, दस्तावेज की स्थिति और हेल्पडेस्क तथा सीमा शुल्क और विभिन्न नियामक और लाइसेंसिंग पदाधिकारियों के बीच डाटा (लेन-देन और अनुवर्ती व्यापार की सुविधा प्रदान करना लेन-देन की लागत और कार्गों में लगने वाले समय में सहवर्ती कमी के साथ) जैसी सेवाएं प्रदान करता है तथा जोखिम प्रबंधन पद्धति के माध्यम से गैर-अनुरूप अथवा जोखिमभरे लेन-देनों को लक्षित करता है 2016 में छह मुख्य भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के साथ सीमा शुल्क ईडीआई स्थलों पर व्यापार को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) को आयातित मालों की निकासी हेतु एकमात्र स्थल, इंटरफेस के रूप में प्रारंभ किया गया स्विफ्ट आवेदकों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' हेतु सक्षम बनाता है जिसमें सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, पादक संगरोधन, पशु संगरोधन, ड्रग नियंत्रक वन्य जीवन नियंत्रण ब्योरों और वस्त्र समिति की जरूरतों के अनुसार सूचनाएं संग्रहित होती हैं और इससे इन एजेंसियों के नौ अलग-अलग प्रपत्रों को हटा दिया गया है

सीबीईसी-जीएसटी आवेदन

जीएसटी की व्यवसाय प्रक्रियाओं यथा, पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान और वापसी जीएसटीएन द्वारा प्रबंधित समान पोर्टल www.gst.gov.in से प्रदान किया जाता है अनुकूलन बैंक एंड प्रक्रियाएं प्रदान करने हेतु चरणबद्ध रूप में सीबीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन का डिज़ाइन विकास कर उसे लगाया जा रहा है इसके अतिरिक्त व्यापार और विभागीय उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आवश्यकतानुसार सीईसी-जीएसटी एप्लीकेशन पर यूज़र इंटरफेस के साथ पूरक व्यवसाय प्रक्रियाओं जैसे- आकलन, लेखा परीक्षा, न्यायिक निर्णय आदि को भी डाला जा रहा है इसके लिए सीबीईसी-जीएसटी सर्वर प्राप्ति, भंडारण, एपीआई डाटा की प्रोसेसिंग विभागीय उपयोगकर्ता के लिए डाटा का प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट निकालना, एमआईएस और विश्लेषण यंत्रों जैसे उच्चस्तरीय गतिविधियों से लैस हैं

उद्यम डाटा वेयरहाउस

सीबीईसी उद्यम डाटा वेयरहाउस को सर्वप्रथम क्रियान्वित करने वाले सरकारी विभागों में से एक है यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित वास्तविक समय के करीब एक साफ और अनुरूप केंद्रीय भंडार है ऑनलाइन विश्लेषक प्रोसेसिंग और डाटा माइनिंग हेतु इसके पास अपने वर्ग में सर्वोत्तम व्यवसाय आसूचना यंत्र है और वर्तमान में सीबीईसी, अन्य मंत्रालयों और बाहरी एजेंसियों द्वारा वांछित डाटा और रिपोर्ट का प्राथमिक स्रोत हैं

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1947 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में नई दिल्ली में की गई थी फेरा, 1947 को बाद में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 से बदल दिया गया था फेरा एक आपराधिक अधिनियम था जिसमें निर्णय देने वाले अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों पर निर्णय देने के अलावा अदालत में अभियोजना पक्ष के दाखिल होने का प्रावधान था फेरा को वर्ष 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) से बदल दिया गया बाद में निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनीलॉन्डरिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए), जो 2005 में प्रभाव में आया, के

उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया था वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय दो कानूनों यथा- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और काले धन को वैध करने की रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) को लागू करने के अलावा फेरा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बचे हुए कार्य भी देख रहा है निदेशालय विशिष्ट आसूचना/सूचना के आधार पर विदेशी मुद्रा के लेन-देन से संबंधित उल्लंघनों हेतु जांच प्रारंभ करता है और फेमा के अंतर्गत उचित कार्रवाई करता है अधिनियम के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकरणों की समस्त शिकायतें दर्ज की जाती हैं सक्षम निर्णायक प्राधिकरणों द्वारा आरोप सही होने का निर्णय होने पर उल्लंघनों की राशि अधिकतम तीन गुणा तक की राशि का दंड प्राधिकरण द्वारा आरोपित किया जा सकता है निर्णायक प्राधिकारी ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है

पीएमएलए के अंतर्गत अधिनियम का अनुसूची में दर्ज अपराधों में से किसी एक के अंतर्गत कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद ही निदेशालय जांच शुरू कर सकता है निदेशालय मामले की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि क्या अपराध की आमदनी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज विधेय अपराधों से प्राप्त हुई है और ऐसी आमदनी के अवैध धन को वैध बनाया गया है प्रथम दृष्टया मामला बनने की स्थिति में निदेशालय उस दागी संपत्ति को जब्त या अटैच कर सकता है अधिनियम में सीमा पार से संबंध रखने वाले लेन-देन से उत्पन्न दागी संपत्ति का पता लगाने और उसे गतिहीन कर देने हेतु जांच प्रारंभ करने का भी प्रावधान है ऐसे अन्वेषण विदेशी प्रशासकों के साथ निवेदन-पत्र के माध्यम से किए जाते हैं पीएमएलए के अंतर्गत अवैध धन को वैध बनाने का अपराध दंडनीय है जिसकी सजा जुर्माने के साथ कम से कम तीन वर्षों की कैद जिसकी अवधि सात वर्षों तक हो सकती है एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन संबंधी अपराधों की स्थिति में 10 वर्षों तक की कैद हो सकती है पीएमएलए के अंतर्गत सजा होने की स्थिति में अटैच की गई संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है

वेबसाइट: www.enforcementdirectorate.gov.in

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण करने और प्रसार हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है एफआईयू-आईएनडीकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अवैध धन को वैध बनाने, संबंधित अपराधों और आतंकवादियों के वित्तपोषण का सामना करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय नेटवर्क हेतु की गई थी यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले आर्थिक आसूचना परिषद (आईईसी) को रिपोर्ट करती है प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु एफआईयू-आईएनडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है एफआईयू-आईएनडी की स्थापना एक प्रशासनिक एफआईयू के रूप में की गई है यानी- विश्लेषणों को पाने वाले और समुचित कानूनी प्रवर्तन या अन्वेषण एजेंसी को एसटीआर का प्रसार करने वाले एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में एफआईयू-आईएनडी मामलों का अन्वेषण नहीं करता है एफआईयू-आईएनडी के मुख्य कार्यों में घरेलू सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आउटरीच, अनुरोध करने एवं फीडबैक देने सहित फाइलिंग, विश्लेषण और सूचना के प्रसार हेतु पूरा समाधान देते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म (एफआईएन नेट) का अनुपालन और प्रशासन शामिल है

वेबसाइट: www.finindia.gov.in

नशीले पदार्थों का नियंत्रण

नशीले पदार्थों का नियंत्रण डिवीजन नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अधिनियम 1985 को लागू करता है यह अधिनियम चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, धारण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतरराज्यीय आयात, अंतरराज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का निषेध करता है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) की स्थापना क्रमशः सीमा शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त/आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई हेतु अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी प्रतिपालन मामलों में अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और ऐसे मामलों की सुनवाई अध्यक्ष, सीईएसटीएटी की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ द्वारा की जाती है अधिकरण का मुख्यालय और प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है क्षेत्रीय शाखाएं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में है, जिनके अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं जहां दिल्ली और मुंबई दोनों की चार-चार पीठें हैं, चेन्नई, में 2 पीठ और अन्य स्थानों पर एक-एक पीठ हैं इस न्यायाधिकरण की सभी पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं

वित्तीय सेवा विभाग

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों से संबंद्ध नीतिगत मुद्दों हेतु उत्तरदायी है, जिसमें पीएसबी और वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी एवं सीईओ), कार्यकारी निदेशकों (ईडी), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) की नियुक्ति, विधायी मामले, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संबंध शामिल हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) औरग्रामीण कृषि साख से जुड़े मामलों हेतु भी विभाग उत्तरदायी है यह विभाग सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण के प्रवाह की सुविधा पर केंद्रित अन्य लक्षित योजनाएं, बीमा क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों से जुड़े मामले, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन को भी प्रशासित करता है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से जुड़े मामले, नई पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधारों से जुड़े मामले, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीईआरडीए) आदि से संबंधित विधायी एवं अन्य मुद्दे भी विभाग देखता है

इसमें पेंशन और औद्योगिक वित्त और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम भी शामिल हैं इसमें उपक्रम शुरू किए, इसने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण सांविधिक मण्डल है जो इस विभाग के अंतर्गत भी काम करता है

वेबसाइट: www.financialservices.gov.in

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जो भारतीय रुपये की मुद्रा संबंधी नीति को नियंत्रित करता है भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय अधिनियम, 1934 के अनुसार संचालन शुरू किया 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, आरबीआई को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया

आरबीआई के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में चार आंचलिक कार्यालय हैं पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप-कार्यालय हैं क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, देवास, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, देहरादून और तिरुवनंतपुरम में हैं और उप-कार्यालय अगरतला, आइजॉल, देहरादून, गैंगटोक, इंफाल, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला और श्रीनगर में स्थित हैं

केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई भारत का एक शीर्ष स्वतंत्र वित्तीय प्राधिकरण है जो बैंकों को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार संग्रहण जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है अलग-अलग देशों में केंद्रीय बैंक विभिन्न नामों से जाना जाता है सभी देशों में केंद्रीय बैंक के कार्य भिन्न हैं और वे स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करते हैं केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शीर्ष संस्था है और सभी देशों में केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं फिर भी वे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य के साथ गतिविधियों और कार्यों का निष्पादन करते हैं

आरबीआइ देश की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह बैंक एशियाइ समाशोधन संघ का सदस्य है 21 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल, राज्यपाल, चार उप-गवर्नर, वित्त मंत्रालय के दो प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित दस सरकारी निदेशक और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली मुख्यालयों के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार निदेशक आरबीआई का सामान्य अधीक्षण और नीतियों का संचालन करते हैं

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक नीति की देख-रेख, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सरकार के लिए एक बैंक के रूप में और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कई कार्योंको निष्पादित करता है यह देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करता है आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य, वित्तीय क्षेत्र का संगति पर्यवेक्षण करना है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल हैं भुगतान और निपटान प्रणाली, आर्थिक निपुणता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम), रिज़र्व बैंक को देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है

आरबीआई की भूमिका, सकुशल, सुरक्षित और निपुण भुगतान और निपटान तंत्र के विकास और कार्यकलाप पर केंद्रित है भुगतान की दो प्रणालियां, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों को एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है इन सुविधाओं का उपयोग केवल देश के भीतर धन हस्तांतरण के लिए ही किया जा सकता है अधिक विस्तृत अर्थव्यवस्था और पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण और इस सेगमेंट को विनियमित और प्रबंधित करने में आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यह देश के विदेशी मुद्रा और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है

आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है मुद्रा जब परिसंचरण के लिए उपयुक्त नहीं होती तो बैंक उसे वहीं नष्ट कर देता है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी पैसे इसकी मौद्रिक देयता है, यानी केंद्रीय बैंक कागज़ मुद्रा में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, समान मूल्य की संपत्तियों के साथ मुद्रा को वापस करने के लिए बाध्य है इसका उद्देश्य बैंक नोट जारी करना है और मुद्रा को बनाए रखना और पर्याप्त सार्वजनिक आपूर्ति करना है तथा देश के क्रेडिट सिस्टम को इसका सबसे अच्छे लाभ का इस्तेमाल करने के लिए और भंडार बनाए रखना है रुपयों की प्रिंटिंग के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने नासिक, महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए हैं भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) ने भी कर्नाटक के मैसूर में प्रिंट प्रेस और पश्चिम बंगाल की सालबोनी में स्थापना की है एसपीएमसीआईएल के पास मुंबई, भारतीय, कोलकाता और हैदराबाद में चार टकसाल हैं

आरबीआई ने बाज़ार में नकली मुद्रा की समस्या को रोकने के लिए, लोगों के बीच नकली नोटों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट www.paisaboltahai.rbi.org.in लॉन्च की है जो नकली मुद्रा की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करती है

वेबसाइट: www.rbi.org.in

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, सहकारी ऋण योजना के वैकल्पिक सृजन हेतु और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त सांस्थानिक ऋण सुनिश्चित करने हेतु की गई थी आरआरबी भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में है, इसकी जारी पूंजी क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के अनुपात में हैं

किसान क्रेडिट कार्ड

कच्चे माल की खरीद समेत कृषि संबंधी सभी आवश्यकताओं को लचीले, सुविधाजनक एवं किफायती

तरीके से पूरा करने के लिए किसानों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण आपूर्ति की अनूठी प्रणाली किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 1998-99 में आरंभ की गई थी यह योजना सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है केसीसी कृषि ऋण प्रदान करने की सबसे प्रभावी योजना है सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के संबंध में योजना की निगरानी नाबार्ड करता है और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आरबीआई निगरानी करता है आरबीआई एवं नाबार्ड के द्वारा केसीसी की एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसमें केसीसी को एटीएम कार्ड के समान एटीएम/पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर प्रयोग किया जा सकता है

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

1995-96 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने नाबार्ड द्वारा संचालित होने वाला कोष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) स्थापित किया, जिसे कृषि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/दुर्बल क्षेत्रों के ऋण में से देश के अंदर संचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास बची राशि जमा कराकर नाबार्ड में ही स्थापित किया गया उसके बाद से यह कोष काम कर रहा है और इसके लिए आवंटन प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट में कर दिया जाता है वर्षों से काम करते हुए आरआईडीएफ का दायरा विस्तृत होता गया और अभी यह विभिन्न क्षेत्रों में 34 गतिविधियों हेतु वित्त पोषण करता है

बीमा

वित्त क्षेत्र के अनन्य अंग के तौर पर बीमा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मृत्यु, संपत्ति और दुर्घटना से जुड़े खतरों से बचाने के अलावा, यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और साथ ही, बचत के अलावा देश के अवसंरचनात्मक विकास और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराता है बीमा क्षेत्र का विकास इसके अपने आर्थिक रूपांतरण के लिए आवश्यक है इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं: (1) जीवन बीमा निगम; (2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (3) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (5) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (6) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और (7) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के आधार पर की गई थी इसका कार्यान्वयन बीमा अधिनियम, 1938, एलआईसी अधिनियम, 1956, एलआईसी नियामकों, 1959 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया जाता है 31 मार्च, 2016 तक देश में एलआईसी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडलीय कार्यालय, 2045 शाखा कार्यालय, 73 उपभोक्ता क्षेत्र, 1401 अनुषंगी कार्यालय और 1240 लघु कार्यालय हैं मौजूदा समय में 14 अन्य देशों में भी एलआईसी के कार्यालय हैं यह कार्यालय शाखा/संयुक्त उद्यम कंपनियों और पूर्ण अधीनस्थ कंपनी के तौर पर कार्यरत हैं

वेबसाइट: www.licindia.in

बीमा क्षेत्र में सुधार

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 को अमल में लाए जाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में निजी सहभागिता की शुरुआत हुई भारत का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तेलंगाना में हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करता है प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं; (1) बीमा करने वाले और बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना; (2) वित्तीय और विनियामक देखरेख; (3) प्रीमियम दरों को तय करना; और (4) पॉलिसीधारकों की ब्याज दरों की सुरक्षा बीमा क्षेत्र के विकास को देखते हुए, प्राधिकरण ने पॉलिसीधारकों के हित में नियामक जारी किए हैं, जो ग्रामीण और सामूहिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व को देखते हुए; माइक्रो फाइनेंस और लाइसेंसिंग एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, आढ़तिये, सर्वेक्षक और थर्ड पार्टी प्रबंधकों से जुड़े हैं आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण,

ऋणशोधन सीमा, निवेश और वित्तीय रिपोर्टिंग की जरूरतों के लिए भी नियामक तय किए हैं निजी एवं विदेशी निवेश के लिए इस क्षेत्र के द्वार खुलने के बाद 31 मार्च, 2018 तक इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों की संख्या सात से बढ़कर साठ हो चुकी है जो जीवन बीमा, जनरल, और पुनर्बीमा क्षेत्र (जिसमें विशेषज्ञ बीमाकर्ता, जैसे निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी (एआईसी)) क्षेत्रों में कार्यरत हैं

इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 को पारित करने से जुड़ा है इस कानून के आधार पर बीमा अधिनियम, 1938 में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और इंश्योरेंस विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 में बड़े परिवर्तन किए गए बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने बिना किसी बड़े परिवर्तन के बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 की जगह ली संशोधन कानून ने कानूनों में निहित पुरानी और व्यर्थ प्रस्तावनाओं को हटाकर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को कुछ नए प्रावधानों की सुविधा दी ताकि वह अपना कार्य अधिक असरकारी और सुचारू तौर पर कर सके इस कानून के आधार पर किसी भी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई, हालांकि, कंपनी पर भारतीय मालिकाना अधिकार और कब्जे को सुनिश्चित रखा गया बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विदेशी बीमाकर्ताओं को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की भी सुविधा दी गई है कानून ने पुनर्बीमा व्यवसाय या किसी भारतीय बीमा कंपनी में 49 प्रतिशत अधिकार प्राप्ति के लिए यूनाइटेड किंगडम के लॉयड्स और उसके सदस्यों को भारत में शाखाएं खोलने के भी अधिकार दिए हैं

प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना

सरकार ने 60 वर्ष और अधिक आयु के बुजुर्गों की ब्याज आधारित आय को बाज़ार की अनिश्चितता से बचाने और वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का शुभारंभ किया है यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए अमल में लाई जा रही है योजना के अंतर्गत 10 वर्षों तक प्रतिमाह की दर से देय सालाना 8 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया है अंतर प्रत्यागम यानी जीवन बीमा द्वारा उत्पादित देय और भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सुनिश्चित 8 प्रतिशत देय वहन किया जाएगा 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के एक वर्ष की अवधि के दौरान यह योजना ग्राहकी शुल्क के लिए खुली रही थी 2018-19 के आम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री विजय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक के लिए पारित किया और प्रति परिवार रुपये 7.5 लाख तथा प्रति वरिष्ठ नागरिक रुपये 15 लाख की अधिकतम क्रय सीमा बढ़ा कर निश्चित कर दी

आम आदमी बीमा योजना

समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने बड़ी छूट वाली बीमा योजनाओं की शुरुआत की है आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को भारतीय जीवन बीमा निगम की मदद से संचालित किया जाता है इस सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 48 निर्धारित पेशों से जुड़े गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से आंशिक तौर पर ऊपर के नागरिकों को समाहित किया गया है योजना के अंतर्गत प्राकृतिक तौर पर मृत्यु होने के कारण रुपये 30,000 को मृत्यु बीमा प्रदान किया जाता है मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण पूर्ण अशक्तता (दोनों आखों या दो अंगों के नुकसान) के कारण रुपये 75,000 और आंशिक स्थायी अशक्तता (एक आंख या एक अंग) के कारण नामित/लाभार्थी को रुपये 37,500 का भुगतान किया जाता है यह सभी लाभ वार्षिक तौर पर प्रतिव्यक्ति रुपये 200 के आंशिक प्रीमियम के आधार पर दिए जाते हैं, जिनमें से रुपये 100 केंद्र सरकार एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से देती है और रुपये 100 का शेष प्रीमियम बीमाधारका/या प्रमुख एजेंसी/या केंद्र/राज्य सरकार का वह विभाग देता है जो नोडल एजेंसी के तौर पर कार्यरत है साथ ही, बीमित सदस्य के नौवीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई कोर्स सहित) में अध्ययनरत दो बच्चों वाले परिवार के लिए प्रति बालक/बालिका वार्षिक रुपये 1200 की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, के जोखिम के निवारण हेतु की गई थी एपीवाई असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होते हैं, पर केंद्रित है कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो अपने बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से इससे जुड़ सकता है 18 वर्ष की उम्र में जुड़ने वालों को न्यूनतम मासिक अंशदान 42 रुपये, 84 रुपये, 125 रुपये, 168 रुपये अथवा 210 रुपये देने वाले भागीदारों को भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये अथवा 5,000 रुपये है ग्राहक के निधन के बाद उसके पति/पत्नी को उसकी मृत्यु तक पेंशन की यह राशि मिलती रहेगी ग्राहक एवं उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति पेंशन कोष में ग्राहक की आयु 60 वर्ष होने तक जमा धन को पाने के लिए अधिकृत होगा

एपीवाई में संशोधन

अभिदाता यानी ग्राहक की असामयिक मृत्यु के मामले में, सरकार ने उसके पति/पत्नी को ग्राहक के खाते में सहयोग राशि जमा कराते रहने की सुविधा दी है वह यह राशि निश्चित अवधि तक जमा करा सकते हैं, यानी जब मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष की हो गई हो इससे पहले 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर मूल अभिदाता के जीवनसाथी को एकमुश्त राशि देने का प्रावधान था अब ग्राहक के जीवनसाथी को ग्राहक वाली ही पेंशन राशि उसे जीवनपर्यन्त प्राप्त होगी अभिदाता और उसकेजीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता के नामित व्यक्ति को, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु के समय की पेंशन निधि प्राप्त होगी

अभिदाता को उनके एपीवाई खातों के संचालन में आसानी लाने के लिए, पीएफआरडीए ने एपीवाई के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है इसकी मदद से खाताधारक मोबाइल फोनों के जरिए अपने खातों का ब्योरा और अपने एपीवाई खातों से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे अब सभी एपीवाई अभिदाता अपने एपीवाई खातों को वास्तविक समय में देखने के लिए गूगल स्टोर से एनपीएस लाइट मोबाइल एप्लिकेशन्स डाउनलोड कर उन्हें अपने मोबाइल फोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं इसके फीचर्स का अनुभव लेने के लिए वह वेबसाइट http://npslite-nsdl.com/CRAlite/ देख सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार उसका अन्वेषण भी कर सकते हैं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

सरकार ने गरीबों और वंचितों को लक्षित कर एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पद्धति विकसित करने हेतु तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की ये हैं- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है जिसका हर वर्ष नवीकरण किया जाएगा इसमें किसी भी कारण हुई मौत के लिए दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर है और यह 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग (लाइफ कवर 55 वर्ष तक) के लोगों के लिए जिनका बैंक में बचत खाता है और जो उसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देते हैं, उपलब्ध है इसमें आईटी मोड में क्रियान्वयन के साथ बैंक खाता से जुड़ा नामांकन और उपभोक्ता के बैंक खाता से ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम भुगतान शामिल है इस योजना के क्रियान्वयन से वहन करने की क्षमता के साथ गरीबों तथा वंचितों को लक्षित करना संभव होता है और इससे देश में जीवन बीमा की कम पहुंच की स्थिति में भी सुधार होगा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीकरण साल-दर-साल किया जाता है दुर्घटना होने पर मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए हैं और इसका फायदा उन लोगों को

दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और वे इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानी खाते से स्वत: प्रीमियम काटने के विकल्प को अपनाते हैं इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे इस योजना में सूचना टेक्नोलॉजी से समन्वित बैंक खाते के आधार पर आसानी से शामिल हुआ जा सकता है और खातेदार के बैंक खाते से स्वतः ही बीमा प्रीमियम काटने की सुविधा है गरीबों के लिए इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है क्योंकि यह उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है इससे देश में दुर्घटना बीमा सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग सेवाओं का बढ़ा हुआ उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी किहर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो पीएमजेडीवाई के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं– (*i*) संपूर्ण देश में एक बैंक की शाखा अथवा नियत स्थल पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) जो कम दूरी पर हों के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, (*ii*) प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो जो रुपये डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर हो (*iii*) 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद रुपये 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच पहली बार खाता खोलने वालों के लिए 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर

पेंशन सुधार

राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था

सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त आय उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की 1 जनवरी, 2004 से सरकार में नई नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों (सैन्य बलों के अतिरिक्त) के लिए यह अनिवार्य है और 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर इसे सभी नागरिकों के लिए भी आरंभ कर दिया गया है एनपीएस के डिजाइन की विशेषताएं हैं कि यह स्वयं चलने वाली, वहनीय अर्थात् पोर्टेबल एवं बढ़ाए जाने योग्य है व्यक्तिगत पसंद पर आधारित इस योजना को किफायती एवं प्रभावी पेंशन प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है, जो ठोस नियमों के अंतर्गत कार्य करती है 'विशुद्ध परिभाषित योगदान' योजना के रूप में इस पर प्रतिफल पूरी तरह बाज़ार द्वारा तय होंगे एनपीएस लोगों को निवेश के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराती है एवं एक विकल्प से दूसरे विकल्प अथवा एक कोष प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक तक जाने की स्वतंत्रता भी कुछ नियामकीय प्रतिबंधों के साथ देती है

एनपीएस का ढांचा पारदर्शी एवं वेब सक्षम है यह ग्राहक को अपने निवेश एवं रिटर्न पर नज़र रखने देता है बाधा रहित पोर्टेबिलिटी की सुविधा ग्राहकों को बचत की पूरी अवधि के दौरान एक ही पेंशन खाता स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) बनाए रखने में सक्षम बनाती है पेंशन क्षेत्र के लिए नियामक के रूप में स्थापित पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पूर्ण एनपीएस ढांचे के संबंध में अभी तक आरंभ किए गए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने में तथा एनपीएस वितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में लगा है सभी नागरिकों को एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में एनपीएस मध्यस्थों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है, जिनमें पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में संस्थागत निकाय हैं, जो पेंशन खाता खोलने एवं संग्रह करने के केंद्र के रूप में काम करेंगे, एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) है और निवेशकों की पेंशन संपदा का प्रबंधन करने हेतु पेंशन कोष प्रबंधक है

अन्य वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त डाक विभाग को भी पीओपी नियुक्त किया गया है, जिससे पीओपी-एसपी नेटवर्क का पांच गुना से अधिक विस्तार हो गया है

स्वावलंबन योजना

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2010 में स्वावलंबन योजना का आरंभ किया गया यह सह-योगदान वाली पेंशन योजना है, जिसमें

केंद्र सरकार 1,000 रुपये से 12,000 रुपये की वार्षिक बचत वाले प्रत्येक एनपीएस खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का योगदान करेगी सरकार का वार्षिक योगदान पात्रता वाले लाभार्थियों के लिए 2016-17 तक बढ़ा दिया गया है योजना 76 समूहों के सहयोग से काम करती है जिनमें कुछ राज्यसरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एमएफआई, एनबीएफसी एवं निजी क्षेत्र के निकाय शामिल हैं

ग्रामीण आवासीय कोष

2008-09 में ग्रामीण आवासीय कोष का गठन किया गया जिससे प्राथमिक ऋण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धी दरों में आवास ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु धन प्राप्त हो सके

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 5.77 करोड़ रुपये अनुमानित लघु व्यवसाय-इकाइयां हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार या सेवा व्यवसाय चला रही है, जिन्हें क्रेडिट की औपचारिक प्रणाली तक पहुंचना मुश्किल लगता है, इन इकाइयों में ऋण की आवश्यकता, आमतौर पर 10 लाख रुपये से कम होती है हालांकि ऐसी इकाइयों के लिए औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंचने हेतु पहले भी कई बार सुधारों की पहल की गई थी, मगर अभी तक एक भी महत्वपूर्ण और बड़े वर्ग के लिए ऋण/क्रेडिट की सुविधाएं नहीं थी ऐसी इकाइयों के लिए एक योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 2015 में शुरू की गई थी, जिससे आय उत्पन्न करने वाले लघु व्यवसाय उद्यम ऋण तक पहुंचने में सक्षम हो सके जिसके परिणामस्वरूप, प्रमुख संस्थानों के सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की पूंजी दी जाएगी पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु उद्योगों की उद्यमशीलता सक्रियता में वृद्धि करना और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है

सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ गहन प्रचार अभियान, आवेदन-पत्रों का सरलीकरण, क्रेडिट गारंटी योजना, यूडीआरए लिमिटेड से पुनर्वित्त, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, प्रगति की निगरानी के लिए साप्ताहिक वीडियो सम्मेलन इत्यादि शामिल हैं

लघु इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा गठित संस्था है जिसका उद्देश्य लघु इकाइयों के विकास हेतु भारत के उद्यमशीलता, खासकर गैर-कॉरपोरेट जो छोटे व्यवसाय क्षेत्र से आते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त प्रदान करना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दिशानिर्देशों के तहत मुद्रा ने अपने तीन उत्पाद शुरू किए हैं जिनके नाम हैं– शिशु , किशोर और तरुण ये तीनों लघु उत्पाद, लघु इकाइयों या उद्यमियों के विकास के चरणों और वित्त पोषण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं

मुद्रा बैंक राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है मुद्रा बैंक एनबीएफसी, एमएफआई, ग्रामीण बैंकों, जिला बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, प्राथमिक ऋण संस्थानों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से ऋण वितरित करता है

उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र जैसी आय अर्जित करनेवाली गतिविधियों में संलग्न कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी ऋण जरूरत 10 लाख रुपये से भी कम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण का लाभ उठाने के लिए बैंकों, एमएफआई वित्तीय संस्थानों या एनबीएफसी से संपर्क कर सकता है पीएमएमवाई के तहत कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है

कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी कोष

कौशल ऋण योजना के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम करनेवाले पात्र ऋण लेनेवालों को ₹ 1.5 लाख (टर्म लोन) या अवस्थापक द्वारा निर्धारित कोई अन्य रकम तक बिना सहवर्ती प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण देनेवाले संस्थानों द्वारा स्वीकृति और भुगतान की गारंटी है कोई भी भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो कौशल ऋण प्राप्त कर सकता है

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

विनिवेश विभाग 1999 में एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में इसे विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था वर्ष 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में से एक है वर्ष 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है

इस विभाग के कार्यों में शामिल है: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर विनिवेश सहित शेयर में केंद्रीय सरकार के निवेश प्रबंधन से जुड़े सभी मामले योजनाबद्ध विनिवेश समेत विनिवेश हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की अनुशंसाओं पर निर्णय विनिवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन हेतु स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर से संबंधित सभी मामले राष्ट्रीय निवेश कोष में डाले गए विनिवेश के लाभों के उपयोग के संबंध में वित्तीय नीति

वेबसाइट: www.dipam.gov.in

विनिवेश नीति

विनिवेश पर नीति में महत्वपूर्ण विकास हुआ है इस नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है– (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति जनता के हाथों में है सीपीएसई में जनता के स्वामित्व का विकास (ख) सीपीएसई की कम संख्या में शेयर बिक्री द्वारा विनिवेश करते समय सरकार अपने पास शेयर का अधिक हिस्सा रखेगी यानी– शेयरहोल्डिंग का कम से कम 51 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधकीय नियंत्रण भी रखेगी (ग) चिह्नित सीपीएसई में प्रबंधकीय नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ सरकार की शेयरधारिता का 50 प्रतिशत या अधिक हिस्से की बिक्री द्वारा युक्तिपूर्ण विनिवेश

राष्ट्रीय निवेश कोष

सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का गठन 2005 में किया जिसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को दिशा देना था एनआईएफ का कोष स्थायी था और सरकार को सतत लाभ प्रदान करने के लिए कोष में कमी किए बिना एनआईएफ को व्यावसायिक प्रबंध करना था सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए म्युचुअल फंडों यथा– यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीआई कोष प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड) और एलआईसी म्युचुअल फंड ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एनआईएफ कोष के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया इस योजना के अनुसार एनआईएफ की वार्षिक आय का 75 प्रतिशत का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को बढ़ाने वाले चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाना था एनआईएफ के बचे हुए 25 प्रतिशतआय का उपयोग पुनर्निवेश करने वाले और लाभदायक पीएयू की पूंजी निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना था वर्ष 2008-09 के भूमंडलीय मंदी और 2009-10 के भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन किया इसमें विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग व्यय विभाग/योजना आयोग द्वारा नियत चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु एक बार के लिए छूट दी गई

एनआईएफ को विनिवेश नीति के अनुरूप रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से विनिवेश प्राप्तियों को वर्तमान एनआईएफ में, जोकि सरकारी लेखा के अंतर्गत एक सार्वजनिक लेखा है, जमा किया जाएगा और यह कोष अनुमोदित उद्देश्यों में निवेश किए जाने तक वहीं रहेगा साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एनआईएफ का उपयोग निम्नांकित उद्देश्यों हेतु किया जाएगा– यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीपीएसई में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी कम नहीं हो सीपीएसई द्वारा अधिकार आधार पर जारी किए जा रहे शेयरों को खरीदना सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता का मुद्दा) विनियम, 2009 के अनुसार प्रोमोटरों को सीपीएसई के शेयरों का प्राथमिक आवंटन ताकि सीपीएसई द्वारा अपने पूंजी व्यय कार्यक्रम को पूरा करने हेतु नए शेयर जारी करने संबंधी सभी मामलों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे न हो

सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु एनआईएफ द्वारा वित्तपोषण को भी अनुमोदित किया– आरआरबीएस/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में सरकार द्वारा निवेश, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी निवेश, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश, भारतीय रेल में पूंजी व्यय के लिए निवेश का प्रावधान रखा है

नोटों का विमुद्रीकरण

8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और महात्मा गांधी श्रृंखला नोटों की कानूनी वैधता 9 नवंबर, 2016 से समाप्त हो गई हालांकि, इस नीति के द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला के 5, 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट की वैधता अप्रभावित रही और इनकी कानूनी वैधता बरकरार रही सरकार ने कहा कि विमुद्रीकरण का कदम वर्तमान नोटों की नकल रोकने का प्रयास तो है ही, जिनका प्रयोग कथित रूप से आतंकवाद की आर्थिक मदद में हो रहा है, साथ ही यह देश में काले धन पर भी प्रहार है

14 कॉरपोरेट मामले



कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय मुख्यतः कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता साझेदारी फर्म अधिनियम, 2008 और अन्य संबंधित कानूनों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं ताकि कॉरपोरेट क्षेत्र के कामकाज का नियमन किया जा सके मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है ताकि प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन और निरंतरता मिले और कानून के तहत बने आयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान अधीक्षण भी करता है, जिनका गठन संबंधित व्यवसायों के उचित और व्यवस्थित विकास के लिए संसद के तीन अधिनियमों के तहत किया गया था मंत्रालय के पास भागीदारी अधिनियम, 1932, कंपनी (राष्ट्रीय निधियों के लिए दान) अधिनियम, 1951 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों को अंजाम देने की भी जिम्मेदारी है

मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा त्रि-स्तरीय है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और सात क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा शिलांग में हैं इसके अतिरिक्त 15 कंपनी पंजीयक कार्यालय और 14 आधिकारिक परिसमापक हैं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी कंपनी (आरओसी) पंजीयक और आधिकारिक परिसमापक भी है

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र

कंपनी निगमीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए ई-प्रपत्र परियोजना लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि एक कंपनी के नाम आरक्षण तथा निगमीकरण को संसोधित श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप भुगतान पुष्टि की तिथि+1 दिन में संपन्न करनी चाहिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिए 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण शुरू किया और 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया सरकार का प्रोसेस री–इंजीनियरिंग अभ्यास (जीपीआर) सभी हितधारकों को अधिक से अधिक कारोबार करने की सहजता प्रदान करने के मंत्रालय के उद्देश्य के अनुकूल है इसका परिणाम निगमीकरण संबंधी आवेदनों की तेजी से प्रोसेसिंग के रूप में आया है और नियम लागू करने तथा विवेकाधिकार को कम करने में एकरूपता आई है

कंपनी निगमीकरण आवेदनों की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय जून 2014 के 5 से 15 कार्यदिवस के बीच से घटकर मार्च 2017 में औसत 0.6 कार्यदिवस रह गया इसी तरह, नामउपलब्धता आवेदनों का प्रोसेसिंग समय जून 2014 के 5 से 6 कार्यदिवस के बीच से घटकर मार्च 2017 में औसत 0.4 कार्यदिवस रह गया इसके अतिरिक्त, एक कार्यदिवस में 90 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं इसके परिणामस्वरूप गति में तेजी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है, एकरूपता आई हैं और विवेकाधिकार में कमी आई है

व्यवसाय करने की सुगमता

मंत्रालय ने इ-एमओ (इलेक्ट्रॉनेक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) तथा इ-एओए (इलेक्ट्रॉनेक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ कंपनियों के निगमीकरण के लिए सरल निर्देशन-पत्र (एसपीआईसीई) तय किया है जिससे आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के भारत में कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है निगमीकरण के लिए फीस 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है एकीकृत फार्म आईएनसी 29 के स्थान पर एसपीआईसीई लाया गया है इस फार्म की 1-2 कार्यदिवसों में की जा रही है पैन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनियों के निगमीकरण के लिए एसपीआईसीई का उपयोग करते हुए निगमित कंपनी को पहला टैन जारी करने के लिए एमसीए 21 प्रणाली का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया गया है अब हितधारक पैन और टैन के लिए निगमीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के समय आवेदन करते हैं आय कर विभाग द्वारा दिया गया पैन फरवरी 2017 से कंपनी निगमीकरण के प्रमाण-पत्र पर लगा दिया जाता है इससे अनेक तरह की प्रोसेसिंग की संख्या और देश में व्यवसाय शुरू करने में लगने वाले समय में कमी आई है

एसपीआईसीई एक बहुउपयोगी प्रारूप है और इससे भौतिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को ई–फार्म में संलग्न करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो सका है हितधारक एकीकृत ई-फॉर्म एस.पी.आई.सी.ई. का इस्तेमाल करते हुए नई निगमीकृत कंपनी के लिए एक साथ पांच सेवाओं- कंपनी नाम, कंपनी निगमीकरण, निदेशकों का डीआईएन, परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एकाउंट नंबर (टैन) के लिए आवेदन कर सकते हैं एस.पी.आई.सी.ई. ई-फार्म का उपयोग करने वाली सभी निगमीकृत कंपनियां अब निगमीकरण प्रमाण–पत्र पर अंकित पैन प्राप्त कर रही हैं और अलग से ई-मेल से टैन प्राप्त कर रही हैं डिजिटल हस्ताक्षर शुरू होने से मशीन फार्मों को आसानी से पढ़ लेती है, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग में तेजी आती है और अभिदाता की सार्थक पहचान हो जाती है इससे अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय और भारत में व्यवसाय प्रारंभ करने के समय में कमी आई है

कंपनी नियम 2014 (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) के नियम 15 में मार्च 2017 से संशोधन किया गया है ताकि निवल मूल्य/निवल कारोबार की सीमा 10 प्रतिशत से कम हो पहले 10 प्रतिशत से अधिक की सीमा के लिए केवल बोर्ड के स्थान पर सदस्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी इससे वोटिंग और संबंधित पक्ष व्यवस्था के बारे में अंशधारक के अधिकारों में वृद्धि हुई है

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक समान मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सभी कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले रजिस्ट्रार का अधिकार सीआरसी रजिस्ट्रार द्वारा निगमित कंपनियों पर बना हुआ है यह अधिकार अधिनियम के सभी अन्य प्रावधानों और उनके अधीन बने प्रासंगिक नियमों पर भी लागू है

आधिकारिक परिसमापक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं और संबंधित उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं वे मुख्य रूप से कंपनियों के परिसमापन और विघटन से संबंधित न्यायालय के आदेशों को लागू कराने के उत्तरदायी होते हैं

कंपनी अधिनियम, 2013

30 अगस्त 2013 को अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट क्षेत्र को बेहतर अनुपालक हेतु पारदर्शिता बनाए रखने तथा विस्तृत प्रकटीकरण के लिए स्व-नियमन का अवसर प्रदान करता है कंपनी अधिनियम, 2013 में 407 अनुच्छेद हैं इनमें से बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान और पुनर्वास से संबंधित 39 अनुच्छेद (अनुच्छेद 253 से 269) अध्याय 19 में हैं अध्याय 20 में वर्णित कंपनी समाप्त करने संबंधी अनुच्छेद 289, 304, 323 तथा 325 को दिवाला तथा नष्टनिधि संहिता, 2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है शेष 431 सेक्शनों में से 428 अनुच्छेद अधिसूचित किए गए हैं बाकी तीन अनुच्छेद यानी– (i) अनुच्छेद 132 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), (ii) अनुच्छेद 257 परिसमापक पंजीकरण तथा (iii)

अनुच्छेद 465 निरस्तीकरण और संक्रमण से संबंधित हैं तीनों अनुच्छेद जांच के विभिन्न चरणों में हैं और शीघ्र ही इन्हें भी अधिसूचित कर दिया जाएगा

कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य भारत की कंपनियों को विश्व में प्रचलित श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप चलाना है कॉरपोरेट क्षेत्र को अपने मामले नियम के अनुरूप निपटाने की छूट दी गई है बशर्ते उनके क्रियाकलापों का पहले से प्रकटीकरण किया जाए और दायित्व निर्धारण किया जाए सरकार कार्य अनुमोदन प्रक्रिया में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी यह अधिनियम नए उद्यमियों को और अधिक अवसर प्रदान करता है और कॉरपोरेट क्षेत्र के अपने मामलों के संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल की सुविधा देता है अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएं

– सरकारी स्वीकृति आधारित व्यवस्था के स्थान पर प्रकटीकरण/पारदर्शिता सहित स्व-नियमन का प्रावधान
– कंपनियों के रिकार्डों/बैठकों का ऑटोमेशन-(1) कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को रखने, (2) बोर्ड बैठक आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की वैधानिक मान्यता
– संक्षिप्त विलय और सीमापार विलय सहित त्वरित विलय और अधिग्रहण
– फौरी परिसमापन : 1 करोड़ और उससे कम की परिसंपत्तियों वाली कंपनियों के लिए आधिकारिक परिसमापकों को निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं
– 1 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या एस. 1932 (ई) के माध्यम से अनुच्छेद 408 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का गठन
– निष्क्रिय कंपनियों की अवधारणा प्रारंभ (लगातार दो वर्षों तक व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है
– एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की शुरुआत
– अनुच्छेद 149(4) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता के रूप में स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा की शुरुआत
– बोर्ड की अनेक समितियों (लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अंशधारी संबंध समिति तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति) के गठन का प्रावधान
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए महिला निदेशक
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित कॉरपोरेट दायित्व समिति के गठन और सीएसआर नीति बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान
– दोषी अधिकारी 'शब्दावली' को और प्रासंगिक बनाने की समीक्षा
– कंपनी के प्रमुख कार्यों का दायित्व तय करने के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएसवी) और प्रवर्तक शब्दावली को परिभाषित किया गया है
– अंशधारियों, कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के प्रति निदेशकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया
– निदेशकों की संख्या सीमा निर्धारितः 20 कंपनियों में 10 सार्वजनिक कंपनियां हो सकती हैं
– केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में स्वतः जांच की शक्ति होगी
– गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण (एसएफआईओ) कार्यालय को वैधानिक मान्यता
– 18 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1976 (ई) के माध्यम से अनुच्छेद 435 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन किया गया है
– जांच के दौरान मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती
– जांच के दौरान कंपनी के अवैध लाभों या परिसंपत्तियों के उपयोग से वंचित करना
– लेखा और लेखा परीक्षण मानकों की मान्यता
– लेखा परीक्षकों के लिए अयोग्यता के कठोर मानक
– लेखा परीक्षक विनिर्दिष्ट गैर-लेखा परीक्षण सेवाएं नहीं देगा
– लेखा परीक्षकों की कार्यावधि तथा क्रमावर्तन निर्धारित
– बड़ी कंपनियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण

– अनुपालन नहीं करने पर लेखा परीक्षक के लिए पर्याप्त दीवानी और आपराधिक दायित्व
– धोखाधड़ी का पता लगने पर न्यायाधिकरण को लेखा परीक्षक बदलने संबंधी निर्देश देने का अधिकार
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए सचिवालयीन लेखा परीक्षण
– राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन किया जाएगा
– छोटे अंशधारकों का संरक्षण
– यदि उद्देश्य की धारा अथवा सुलह के दौरान आदि किसी तरह की असहमति हो तो अलग होने या बाहर निकलने का अधिकार
– सुलह व्यवस्थाओं के दौरान मूल्यांकन अनिवार्य
– विलय का छोटे अंशधारकों पर प्रभाव का खुलासा अनिवार्य
– सूचीबद्ध कंपनियों में छोटे अंशधारियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक निदेशक
– जनता से जमा राशि स्वीकार करने के कठोर नियम
– निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की भूमिका को मजबूत बनाना
– आईईपीएफ से लाभांश दावों पर कोई समय सीमा नहीं
– क्लास एक्शन सूट्स को मान्यता
– छोटे अंशधारियों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण को अधिक शक्तियां

कंपनी संशोधन अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया ताकि व्यवसाय को सुगम बनाया जा सके और हितधारकों की कुछ तात्कालिक चिंताओं को दूर किया जा सके मंत्रालय ने 5 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम की धारा 462 के तहत ये संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं जो संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत (1) निजी कंपनियों, (2) सरकारी कंपनियों, (3) अनुच्छेद 8 की कंपनियों और (4) निधियों को छूट प्रदान करते हैं

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, *2016*

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 (आईबीसी, 2016) 28 मई, 2016 को सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद से काम करने लगी है भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करके 01 अगस्त, 2016 को प्रकाशित कर दिया गया, जिसके तहत संहिता लागू करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को दी गई है यह संहिता कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी में चलने वाली कंपनियों तथा व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान समयबद्ध रूप से करने संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाने और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई है

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना आईबीसी 2016 के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचित गजट के अनुसार है बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी उसी अधिसूचना के तहत की गई थी मंत्रालय के आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 के अनुसार बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है

बोर्ड को संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और कार्यों के पालन के अतिरिक्त दिवाला विशेषज्ञों, दिवाला विशेषज्ञ एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है

विशेष न्यायालय

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 435 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2016 को जारी अधिसूचना सं. एसओ 1976 (ई) के तहत वर्तमान सत्र न्यायालयों तथा अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय घोषित करके विशेष अदालतों का गठन किया है ये न्यायालय जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर,

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (कोयंबटूर), केंद्रशासित प्रदेश पुदुदचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं अन्य राज्यों में भी विशेष अदालतों की अधिसूचना जारी की जा रही है

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एवं अपीली न्यायाधिकरण

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन की अधिसूचना 1 जून, 2016 को जारी कर दी गई थी इन संस्थानों का गठन कॉरपोरेट विवादों के तेज समाधान तथा अनेक एजेंसियों की संख्या में कमी लाने के लिए किया गया हैं ताकि देश में व्यवसाय करने की सुगमता हो राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन के साथ कंपनी कानून बोर्ड को भंग कर दिया गया और सीएलबी में लंबित मामलों को एनसीएलटी में हस्तातंरित कर दिया गया

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 तथा एसआईसीए निरस्तीकरण अधिनियम, 2003 के बारे में केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना जारी की थी इसके साथ ही 'औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड' (बीआईएफआर) तथा 'औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन की अपीलीय प्राधिकरण' भंग हो गया है एनसीएलएट की पीठों को दिवाला और नष्टनिधि संहिता 2016 के भाग दो के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, शक्तियां और न्यायक्षेत्र प्राधिकार प्रदान किया गया है केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 119 (ई.) दिनांक 07 दिसंबर, 2016 के असार पंचाट, समझौता, प्रबंधन तथा एनसीएलटी की पीठों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाहियों के हस्तांतरण के प्रावधान को अधिसूचित कर दिया है कंपनी समेटने के बारे में उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित आवेदनों पर उच्च न्यायालय सुनवाई करते रहेंगे और नए आवेदन एनसीएलटी के समक्ष दायर करने होंगे

एनसीएलटी की पीठों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और इसमें भौतिक अवसंरचना, सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जा रहा है एनसीएलटी का मुख्यालय दिल्ली में है और एनसीएलटी पीठें दस स्थानों नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़ , चेन्नई, गुवाहाटी , हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं इन सभी स्थानों में समुचित अवसंरचना उपलब्ध कराई गई समय-समय पर इन संस्थाओं से प्राप्त वृद्धि के जरूरतों के अनुरोधों का भी ध्यान रखा जाता है

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को 2017 में भंग करके एनसीएलटी में विलय कर दिया गया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील अब एनसीएलटी में सुनी जाएगी प्रतिस्पर्धा आयोग (सीओएमपीएटी) के लंबित मामलों को एनसीएलटी में हस्तातंरित कर दिया गया है एनसीएलएटी 30 नवंबर, 2017 तक 1052 मामलों का निपटारा कर चुका है और पंजीकरण कार्यालय में कंपनियों की संख्या 264 मामले लंबित थे

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा पूर्ववर्ती कंपनी कानूनों के अंतर्गत मार्च 2017 तक देश में पंजीकृत कंपनियों की संख्या 16,41,333 थी इनमें से 3,01,778 कंपनियां बंद हो गई, 802 कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 455 के अनुसार निष्क्रिय पड़ी हैं; 1,38,206 कंपनियों ने पिछले दो वर्षों से वैधानिक वार्षिक विवरणिका को नहीं भरा है; 5,698 कंपनियां परिसमापन की प्रक्रिया में हैं; 25,264 कंपनियों के नाम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं और 282 कंपनियां फिर से सक्रिय बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2017 तक 11,69,303 कंपनियां सक्रिय हैं

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

भारत में कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निभाना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की 7वीं अनुसूची के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया और कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया और पहली अप्रैल 2014 को लागू हुआ

मंत्रालय ने समय-समय पर कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 27 फरवरी,

2014 को संशोधित किया है और सर्कुलर के रूप में स्पष्टीकरण और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जारी किए हैं ताकि सीएसआर को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और इसका परिपालन सुनिश्चित किया जा सके क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय पेशेवर संस्थानों और उद्योग चैंबर के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ताकि कंपनियां कारगर तरीके से सीएसआर का परिपालन कर सकें सीएसआर पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वार्षिक सीएसआर पुरस्कारों का गठन किया है

सीमित दायित्व साझेदारियां

भारत में औद्योगिक इकाइयों का 95 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मझोले (एमएसएमई) क्षेत्र में हैं सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, 2 से 3 प्रतिशत साझेदारी वाली कंपनियां हैं तथा 2 प्रतिशत से कम कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं एमएसएमई क्षेत्र में व्यापक रूप से कॉरपोरेट स्वरूप दिखाई नहीं देता एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों से पता लगता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उच्च परिपालन लागत के कारण एमएसएमई कॉरपोरेट स्वरूप नहीं ले पातीं

स्वामित्व और साझेदारी वाली कंपनियों का कामकाज अपारदर्शी होने के कारण बैंकों द्वारा ऋण पात्रता का मूल्यांकन कठिन होता है इसलिए एसएमई कंपनियां बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के मामले में कॉरपोरेट की तुलना में अलाभकारी स्थिति में हैं एक ऐसे नए कॉरपोरेट स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो एक तरफ पारंपरिक साझेदारी की असीमित व्यक्तिगत दायित्व का विकल्प प्रस्तुत करे और दूसरी ओर सीमित दायित्व वाली कंपनी को विधि-सम्मत प्रशासनिक संरचना प्रदान करे इस संदर्भ में 2008 में 'सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम' बनाया जो 31 मार्च, 2009 को अस्तित्व में आया

एलएलपी एक कारोबारी इकाई है जो साझेदारी वाली कंपनियों में साझेदारों के संयुक्त तथा अन्य देनदारियों से व्यक्तिगत साझेदार को संरक्षण प्रदान करती है सामान्य कारोबार के सिलसिले में साझेदारों की देनदारी साझेदारों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से अलग होती है यह करार करने और संपत्ति बनाए रखने में स्वतंत्र रूप से सक्षम होती है एलएलपी अपने सीमित दायित्व के कारण अनुपालन मानक को सहजता से पूरा कर सकेंगी अपेक्षा है कि एलएलपी के कॉरपोरेट ढांचा तथा प्रकटीकरण की वैधानिक अनिवार्यता के कारण उन्हें बाजार से ऋण लेने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे 31 मार्च, 2017 को 88,543 एलएलपी इकाइयां थीं जिनमें से 86,287 सक्रिय एलएलपी हैं

एमसीए 21 ई-गवर्नेंस परियोजना

मंत्रालय ने कंपनी तथा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) के पंजीकरण, निगमीकरण, रजिस्ट्री तथा परिपालन संबंधी सेवाओं को शामिल करते हुए प्रारंभ से अंत तक 'एमसीए 21' नामक ई-गवर्नेंस परियोजना का संचालन किया मार्च 2006 में बीओओटी (बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल के आधार पर यह परियोजना प्रारंभ की गई ताकि सरकारी सेवाओं की डिजाइन और डिलिवरी में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके यह परियोजना मिशन मोड में चलाई गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा एलएलपी अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाए इसमें (1) कंपनियों और एलएलपी के त्वरित निगमीकरण और (2) कारोबारी सुगमता प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया

यह परियोजना मंत्रालय के मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू की गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा एलएलपी अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और दाखिल किए गए सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं

ई-सेवाओं की मदद से एमसीए 21 प्रणाली हितधारकों को सुविधाजनक, सरल और सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है तथा बेहतर गति और निश्चितता के साथ सभी एमसीए सेवाएं प्रदान करती है इससे मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता, गति और सक्षमता आई है मार्च 2016 में एमसीए 21 के एसएपी आधारित प्लेटफार्म संस्करण 2 के सफल शुरुआत के बाद परियोजना आगे और सुधार के उद्देश्य से नए चरण में

प्रवेश कर गइ है

लागत लेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत वस्तुओं के उत्पादन और सेवा देने के काम में लगी कंपनियों के अपने बही खातों में सामग्रियों, श्रम तथा लागत वाली उपयोग अन्य मदों को शामिल करना अनिवार्य है जिन कंपनियों के लिए लागत रिकार्ड रखना जरूरी है और जिनका कारोबार निर्धारित है, उन्हें अपनी लागत रिकॉर्ड का ऑडिट लागत लेखाकार से कराना जरूरी होगा

केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकार्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 को अधिसूचित किया है जिसे दिसंबर 2014 और 14 जुलाई, 2016 को संशोधित किया जा चुका है इसमें उन कंपनियों के वर्ग, न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया है, जिनके लिए लागत लेखाजोखा रखना और लेखा परीक्षण कराना अनिवार्य है उपरोक्त नियमों में से 6 नियमित क्षेत्र 33 गैर-नियमित क्षेत्र में शामिल हैं, जो लागत रिकॉर्ड रखने तथा उनका लेखा परीक्षण करने के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते वे निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा में हों

लागत रिकार्ड से कंपनियों को अपने ही उपयोग के लिए लागत प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए डाटाबेस संकलन में सहायता मिलती है इन रिकार्डों का इस्तेमाल, मूल्य निर्धारण प्राधिकार, नियामक संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठन की क्रियान्वयन और निगरानी एजेंसियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राजस्व प्राधिकारों तथा अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है मंत्रालय लागत लेखा परीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण करता है और निर्दिष्ट कंपनियों द्वारा नियमों व कानूनों के अनुपालन पर नजर रखता है

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरुकता को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की स्थापना का प्रावधान है

लाभांश राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचरों तथा आवेदन राशि जिनका भुगतान नहीं हुआ है, जिनका देय तिथि से 7 वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया है, कोई दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाता है कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 205सी में इस 13वीं राशि के आईईपीएफ में अंतरण करा दिए जाने के बाद व्यक्ति को वापस करने की अनुमति नहीं थी कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 125 आईईपीएफ में अंतरित भुगतान नहीं की गई राशि की वापसी की अनुमति देता है ऐसी राशि की वापसी अधिनियम के अनुच्छेद 125 के अंतर्गत 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकार' द्वारा की जाती है

आईईपीएफ प्राधिकार सितंबर 2016 से काम कर रहा है आईईपीएफ प्राधिकार को आईईपीएफ में अंतरित राशि का उपयोग करते हुए निवेशक जागरुकता गतिविधियां चलाने की जिम्मेदारी दी गई है प्राधिकार का एक अध्यक्ष होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए 6 अन्य सदस्य भी होते हैं

निवेशक जागरुकता कार्यक्रम (आईएपी) तीन पेशेवर संस्थानों– (1) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, (2) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान तथा (3) भारतीय लागत लेखा संस्थान-के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं सीएससीई भारत सरकार सेवा में संचार एवं आईटी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) नई दिल्ली को वर्ष 2012-13 से ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है

इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक जागरुकता बढ़ाने के लिए 90 दिनों के लिए दूरदर्शन पर क्रॉलर संदेश और आकाशवाणी पर जिंगल्स प्रसारित किए जाते हैं

भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय 'भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा' (आईसीएलएस) का कैडर नियंत्रण प्राधिकार

है पूर्ववर्ती 'कंपनी विधि सेवा वर्ष का नामकरण' 2008 में बदलकर 'भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा' किया गया था

गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय

भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक संकल्प के जरिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना की गई कंपनी अधिनियम 2013 में एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके कार्य और शक्तियों का पर्याप्त विस्तार किया गया है इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत किया गया है जिसकी अधिसूचना सं. 2005(ई) दिनांक 21 जुलाई, 2015 को जारी की गई

एसएफआईओ का मुख्य कार्य गंभीर और जटिल स्वरूप की कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करना है एसएफआईओ ऐसे जटिल मामलों की जांच का कार्य अपने हाथ में लेता है जिनका प्रभाव अन्य विभागों और शाखाओं पर पड़ सकता है एसएफआईओ धन के विनियोग के आकार अथवा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ कानून, प्रक्रिया तथा व्यवस्था में सुधार और अन्वेषणों की आवश्यकता का संकेत देने वाले मामलों की जांच करता है जांच का काम बहु-विभागीय दल द्वारा किया जाता है जिसमें लेखा क्षेत्र, फारेंसिक लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजी बाज़ार, वित्तीय लेनदेन (बैंकिंग सहित) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं

भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान

मंत्रालय ने भारतीय कॉरपोरेट मामला संस्थान (आईआईसीए) का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया है इसका उद्देश्य ऐसे समग्र थिंक टैंक और क्षमता निर्माण सेवा प्रदाय संस्थान के रूप में काम करना है जो समन्वित, साझेदारियों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से कॉरपोरेट विकास और सुधारों के लिए नीति निर्धारण और क्षमता सृजन की सेवा एक ही स्थान पर प्रदान कर सके संस्थान अपने विभिन्न स्कूलों तथा केंद्रों के नेटवर्क के जरिए भारतीय कंपनी विधि सेवा (आईसीएलएस) तथा मंत्रालय, कॉरपोरेट, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण आवश्कताओं की पूर्ति करता है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का राष्ट्रीय फाउंडेशन भी आईआईसीए तंत्र से जुड़ा है यह संस्थान कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा और संरक्षण, व्यवसाय दायित्व, वित्त, प्रतिस्पर्धा कानून आदि विविध क्षेत्रों में सेवा प्रदान व्यवस्था में सुधार करने में मदद देता है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 14 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य स्पर्धा, संवर्धन तथा स्पर्धा की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत में कारोबार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 तथा सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा दो बार संशोधन किया गया है

संयोजन के नियमन के संदर्भ में आयोग को मार्च, 2017 तक संयोजन के लिए 498 नोटिस (स्वतः संज्ञान के 9 मामलों सहित) मिली है इनमें से 482 मामलों का निष्पादन निर्धारित समय में कर लिया गया दाखिल नोटिसों की निपटान दर 96.78 प्रतिशत रही है

15 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय में दो विभाग हैं- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) देश में उभरते उपभोक्ता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक विभाग बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होने के कारण मंत्रालय के दो विभागों में से एक- उपभोक्ता मामले विभाग को जून 1997 में पृथक विभाग बनाया गया

विभाग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं- आंतरिक व्यापार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि, काला बाज़ारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, डिब्बाबंद वस्तुओं का नियंत्रण, विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण, उपभोक्ता सहकारिताएं आदि

मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है यह खाद्यान्नों की खरीद, उनके भंडारण, ढुलाई तथा उन्हें वितरण एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे विविध कार्यकलाप करता है इस विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और उपयोगी खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है इसमें विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का स्टॉक रखना और उनका रखरखाव करना, खाद्यान्नों की ढुलाई तथा वितरण करने वाली एजेंसियों को उनकी सुपुर्दगी करना और खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना शामिल है

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं भुखमरी की कगार पर पहुंचे परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है

वेबसाइट: www.consumeraffairs.nic.in, www.dfpd.nic.in

उपभोक्ता मामले

उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) का अधिदेश उपभोक्ताओं की हिमायत करना है भारत ने उपभोक्ताओं की हिमायत में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम(सीपीए) को 1986 में अधिनियमित किया, जो उस समय का सबसे प्रगतिशील कानून था और 1997 में उपभोक्ता मामलों को समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की इस अधिदेश कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं- उपभोक्ताओं को कुशल विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना; उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के विवादों का समयोचित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना

उपभोक्ता जागरुकता

उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरुकता अभियान संचालित कर रहा है 'जागो ग्राहक जागो' अब घर-घर प्रचलित हो चुका है हाल ही में जनसाधारण तक व्यापक पहुंच रखने वाले सभी सरकारी विभागों/संगठनों

की भागीदारी से संयुक्त अभियान चलाए गए हैं उदाहरण के लिए खाद्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक संगठन (एफएसएसएआई) के साथ, वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ, और औषधियों के संबंध में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के साथ टेलीविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, और आउटडोर विज्ञापनों जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए हैं उपभोक्ता जागरुकता अभियान का कार्यान्वयन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन नेटवर्क (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से किया जाता है

उपभोक्ता कल्याण कोष

केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया इस कोष में प्रतिवर्ष वह राशि जमा की जाती है, जिसमें दावा न किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व शामिल हैं और जो राशि विनिर्माताओं को नहीं लौटाई जाती है उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण, संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरुकता उत्पन्न करने और देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता विभाग द्वारा किया जा रहा है वर्ष 2014 में इसके नियम संशोधित किए जाने के बाद से उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत ऐसी कोई एजेंसी/संगठन जो कम से कम पांच साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कंपनी अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है मार्च 2017 को कोष में 26.23 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध थी दिसंबर 2017 तक कोष में से 11.65 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया

उपभोक्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता

उपभोक्ता मामले विभाग, जागरुकता और शिक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों के निवारण के जरिए उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देकर, मानकों और उनकी अनुरूपता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और संरक्षा बढ़ाकर तथा वहनीय एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना चाहता है वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बाज़ारों में काफी बदलाव आया है इस बदलाव के प्रमुख कारण उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन, नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में नवाचार, नई उपभोक्ता सेवाओं का उद्‌भव तथा बेहतर वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाएं हैं आधुनिक बाज़ारों में जटिल उत्पादों और सेवाओं की आवक निहित है विश्व आपूर्ति श्रृंखलाओं का उदय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और ई- वाणिज्य के तीव्रतम विकास ने वस्तुओं और सेवाओं की नई सुपुर्दगी प्रणाली विकसित की है तथा उपभोक्ताओं को नए अवसर प्रदान किए हैं सामानांतर रूप से इसने उपभोक्ताओं को नए किस्म के अनुचित व्यापार और कारोबार की अनैतिक पद्धतियों के प्रति असहाय भी बनाया है इन चुनौतियों को हल करने के लिए नीतिगत अनुकूलता, समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन, नियामक कार्रवाई के सामंजस्य और ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सरकार के हस्तक्षेप के सर्वोत्कृष्ट नतीजे निकल सकें यह विभाग सुशासन के लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता आया है यह कार्य विविध हितधारकों- भारत सरकार के संबद्ध विभागों, राज्य सरकारों, विनियामक एजेंसियों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी से किया गया है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियमन देश में उपभोक्ताओं के समर्थन की दिशा में प्रमुख मील का पत्थर है यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक औपचारिक किंतु अर्द्ध-न्यायिक विवाद निवारण तंत्र का सृजन करके विधिक

अवसंरचना उपलब्ध कराता है इस प्रगतिशील कानून ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रि-स्तरीय अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित और उचित निवारण उपलब्ध कराना है

भारतीय मानक ब्यूरो

नया भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016, वर्ष 2017 से लागू हुआ इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है इसमें ऐसे प्रावधान हैं, जो सरकार को किसी भी अनुसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को, जिसे वह सार्वजनिक हित में या मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझती हो, उसे अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने में समर्थ बनाते हैं बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं नया कानून मानक के अनुपालन की स्व-घोषणा सहित विविध प्रकार की सरलीकृत अनुपालन योजनाओं की भी अनुमति प्रदान करता है, जो विनिर्माताओं को मानकों का पालन करने और अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के सरलीकृत विकल्प प्रदान करेंगी यह कानून केंद्र सरकार को उत्पादों और सेवाओं के अनुपालन को मानक के अनुकूल सत्यापित करने तथा अनुपालन का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए बीआईएस के अलावा, अन्य किसी भी प्राधिकरण/एजेंसी को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है इतना ही नहीं, उत्पाद के उत्तरदायित्व सहित ऐसे उत्पादों में सुधार करने या वापस लेने के प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन पर का मानक चिह्न मौजूद हो, लेकिन वे उपयुक्त भारतीय मानक का अनुपालन न करते हों नया कानून देश में कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने में भी सहायता करके 'मेक इन इंडिया' अभियान को प्रोत्साहन देगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 भी वर्ष 2017 में अधिसूचित किए गए

1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था (आईएसआई) की परिसंपत्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 32 शाखा कार्यालय और 8 प्रयोगशालाएं हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो, सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी संपर्क सूत्र का काम करते हैं ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रमुख गतिविधियों यथा- मानक निर्धारण, उत्पाद प्रमाणन और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और हॉलमार्किंग में निरंतर प्रगति की है

वेबसाइट: www.bis.gov.in

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के अधीन संचालित की जा रही एक परियोजना है इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और एक पीआरआई लाइन के माध्यम से कॉल प्राप्त करने और उत्तर देने के लिए, इसका एक कस्टमाईज्ड सॉफ्टवेयर है जो आईआईपीए में सर्वर आधारित है यह परियोजना, उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से हल किए जाने की उपभोक्ता की आवश्यकता को समझता है इसका प्राथमिक उद्देश्य, उपभोक्ताओं के टेलीफोन कॉल प्राप्त करना तथा कॉलर को जानकारी प्रदान करना और उनकी शिकायतों को इनग्राम पोर्टल पर पंजीकृत करना, उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए परामर्श एवं सलाह प्रदान करना, इनग्राम पोर्टल, ईमेल, एसएमएस इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का समाधान करना, उपभोक्ताओं को उचित उपभोक्ता मंचों में उनकी शिकायत दर्ज करने के संबंध में सहायता/सलाह प्रदान करना, अन्य संबंधित संचालनों का निष्पादन करना है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की प्रमुख कड़ी है यह केवल कॉल सेंटर के रूप में ही कार्य नहीं करती इसने 373 कंपनियों के साथ भागीदारी की है जो शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन प्रत्युत्तर देती हैं इसे कंवर्जेंस तंत्र कहा जाता है यह कंवर्जेंस कंपनी के साथ शिकायतों का अनुसरण करती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करती है, शिकायत के संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण करती है एनसीएच एक राष्ट्रीय टॉल-फ्री नंबर 1800-11-4000 उपलब्ध कराती है नाम और शहर का उल्लेख करके

918130009809 पर एसएमएस (शुल्क लागू) भी भेजा सकता है उपभोक्ता अपने प्रश्नों और शिकायतों के बारे में सूचना, परामर्श या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं

उपभोक्ता शिकायत निवारण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में एक त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो अपने समक्ष दायर शिकायतों पर निर्णय सुनाता है और उपभोक्ताओं का त्वरित क्षतिपूर्ति करता है इसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष (क्षतिपूर्ति) आयोग (राष्ट्रीय आयोग), जिसके अधिकार क्षेत्र में समूचा देश आता है और जिसका आर्थिक क्षेत्राधिकार एक करोड़ से ऊपर के दावों संबंधी उपभोक्ता विवादों/शिकायतों का है और जो राज्य/आयोगों पर अपीलीय प्राधिकरण है, 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग), जिनका अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख (बीस लाख) रुपये से अधिक और 1 करोड़ (एक करोड़) रुपये तक की राशि की उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित दावों का है और जो जिला मंचों के ऊपर अपीलीय प्राधिकरण है तथा 679 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच), जिनके अधिकार क्षेत्र में पूरा जिला आता है और जिनका आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख (बीस लाख) रुपये तक का है

राष्ट्रीय परीक्षण शाला

भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1912 से क्रियाशील राष्ट्रीय परीक्षणशाला - औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षणों तथा गुणता मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख प्रयोगशाला है इस एक सदी पुराने वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान को भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के उद्देश्य से सीमित परीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (मूलतः सरकारी परीक्षणशाला के नाम से मशहूर) के रूप में मूलतः भारतीय रेलवे बोर्ड ने अलीपुर, कोलकाता में स्थापित किया था एन.टी.एच. द्वारा प्रथम क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1963 में मुंबई में की गई और इसके बाद चेन्नई (1975), गाजियाबाद (1977), जयपुर (1994) तथा गुवाहाटी (1996) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप उपकरणों/उपस्करों तथा यंत्र आदि के व्यास नापन के क्षेत्र में कार्य करता है स्पष्ट रूप से कहें तो राष्ट्रीय परीक्षण शाला, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशनों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशनों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य करता है

कीमतों की निगरानी

उपभोक्ता मामले विभाग, एक कीमत निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) का संचालन करता है, जिसका कार्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करना है यह निगरानी दैनिक खुदरा और थोक, दोनों कीमतों के संबंध में दैनिक आधार पर की जाती है यह प्रकोष्ठ राज्य/संघशासित प्रदेशों के नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से देशभर के 71 रिपोर्टिंग केंद्रों से एकत्र की गई 22 आवश्यक वस्तुओं, जिनमें अनाज, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, चीनी, दूध आदि शामिल हैं, की कीमतों की निगरानी करता है इन वस्तुओं की दैनिक कीमतें विभाग की वेबसाइट (www.fea.min.nic.in) पर उपलब्ध होती हैं और इन्हें नियमित रूप से अपलोड किया जाता है

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के बाज़ारों में वर्तमान कीमतों की स्थिति के साथ-साथ कीमतों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का विश्लेषण किया जाता है और यथोचित नीतिगत कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श तंत्र के नोटिस में लाया जाता है कीमतों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शून्य अथवा रियायती आयात दरों पर आम उपयोग की विभिन्न वस्तुओं के आयात की अनुमति, आवश्यकता पड़ने पर निर्यात पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक धारण सीमा का निर्धारण तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत उचित मूल्य पर खाद्यान्नों के आवंटन सहित विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं उपभोक्ता मामले विभाग समुचित नीतिगत हस्तक्षेप को सुगम बनाने के लिए रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या, जो वर्तमान में 71 है, से बढ़ाकर चरणबद्ध रूप से 100 करने, कीमतों की निगरानी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ाने, उपभोग की

बदलती परिपाटियों के मद्देनज़र समय-समय पर बाज़ार के सर्वेक्षणों के जरिए निगरानी की जा रही आवश्यक वस्तुओं की मौजूदा सूची में विस्तार करने, आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति और उपभोग की परिपाटियों के विश्लेषण जैसे वस्तु विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण पर कार्य कर रहा है

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की पयार्प्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहित उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, जैसे उचित नीतिगत उपायों के जरिए चीनी तथा खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है विभाग की खाद्य प्रबंधन नीति के मुख्य साधन अनाजों की खरीद, भंडारण और ढुलाई, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक का अनुरक्षण है

अनाज की खरीद

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों की खरीद करता है प्रत्येक रबी/खरीफ मौसम से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों की लागत और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है खाद्यान्न खरीद के लिए खोले जाने वाले खरीद केंद्रों की संख्या तथा पैकेजिंग सामग्रियों की खरीद और भंडारण स्थान जैसे प्रबंधों का ख्याल रखा जाता है खरीद मौसम प्रारंभ होने से पहले संबंधित राज्य की खरीद क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए एफसीआई और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा आपसी सलाह से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केंद्रों की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम सरकारी खरीद की जा सके, ढुलाई लागत में कमी आए और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों की पहुंच का विस्तार किया जा सके इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वयं अनाजों की खरीद और वितरण का कार्य करती हैं राज्य की आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदे गए अनाजों को अन्य स्थानों पर वितरण के लिए केंद्रीय पूल में रखा जाता है

हाल के वर्षों में अनाज पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि और पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर बल दिए जाने से अनेक राज्यों में खरीद कार्यों का विस्तार हुआ है, जिससे खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में 2012 में रिकॉर्ड 805.16 लाख टन पहुंच गया है इसलिए अब खरीद, वितरण और खाद्यान्न निपटान की संतुलित नीति अपनाई जा रही है, ताकि किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले, टीपीडीएस आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अधिकतम खरीद की जा सके, बफर स्टॉक बनाए रखा जा सके और भविष्य में बाज़ार को असंतुलित किए बिना अतिरिक्त अनाजों का निपटान किया जा सके

केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार

खाद्य सुरक्षा के लिए नियत न्यूनतम भंडारण मानदंडों की पूर्ति करने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के लिए मासिक स्तर पर अनाज जारी करने के लिए, अनेपक्षित रूप से फसल खराब होने, प्राकृतिक आपदाओं, त्योहारों आदि के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा खुले बाजार की कीमतों को कम करने में सहायता करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय मूल के अनाजों के भंडार का उपयोग बाज़ार हस्तक्षेप में करने के लिए अनाज भंडारण के मानदंड (बफर मानदंड) का निर्धारण किया गया

केंद्रीय पूल में अनाज (गेहूं और चावल) का भंडार सितंबर, 2018 में 590.86 लाख एमटी (205.77 लाख

एमटी चावल और 385.09 लाख एमटी गेहूं) था जो मानकों के अनुसार आवश्यकता से उसी मात्रा में अधिक था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 बनाया, जो 2013 से लागू हो गया इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है यह कानून खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव का संकेत देता है और अब खाद्य सुरक्षा कल्याण आधारित न रह कर अधिकार आधारित हो गई है

इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है इस तरह आबादी का दो-तिहाई हिस्सा कवर हो जाता है उच्च रियायती दर पर अनाजों की प्राप्ति दो श्रेणियों- अंत्योदय अन्न योजना(एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार की श्रेणी और प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में होती है एएवाई निर्धनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए वर्ष 2000 में लांच की गई अधिनयम के अंतर्गत ऐसे परिवार को 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम मोटे अनाज/गेहूं/चावल प्राप्त करने का अधिकार है प्राथमिकता वाले परिवारों को उपरोक्त रियायती दरों पर प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है

इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का प्रावधान है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं

एनएफएसए अब सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 80.55 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है, जबकि वांछित लक्ष्य 81.34 करोड़ व्यक्तियों को कवर करना था चंडीगढ़, पुदुदचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में यह कानून नकद अंतरण रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है, जिससे लाभार्थी अपनी पसंद के अनाज खुले बाज़ार से खरीद सकते हैं

प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ लागत साझेदारी के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली- टीपीडीएस संचालनों में प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना लागू कर रहा है इसके लिए 884.07 करोड़ रुपये की कुल राशि की आवश्यकता है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 489.37 करोड़ रुपये और राज्यों की हिस्सेदारी 394.70 करोड़ रुपये की है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद यह कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज की कीमत और कम होती है इस योजना की अवधि एक वर्ष के लिए 2019 तक बढ़ा दी गई है इसकी प्रमुख गतिविधियों में (क) लाभार्थियों की सही पहचान करने, जाली राशन कार्डों को हटाने, खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण करना, (ख) उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए अनाजों का ऑनलाइन आवंटन करना, और (ग) पारदर्शी पोर्टलों, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लागू करने के माध्यम से टीपीडीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व लाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था और पारदर्शिता पोर्टल

सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों से राशन कार्ड डेटाबेस में आधार संख्या जोड़ने का अनुरोध किया गया है इतना ही नहीं, राशन दुकानों के ऑटोमेशन के लिए भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं इनमें राशन की दुकानों पर लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण लगाना, राशन की दुकानों पर लाभार्थियों को की गई बिक्री का रिकार्ड रखना और केंद्रीय सर्वर में कारोबारी डेटा अपलोड करना शामिल है

पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन

केंद्रीय क्षेत्र की एक नयी योजना- पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (पीडीएसएन) की स्थापना करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों के डुप्लीकेशन को समाप्त करने, पोर्टेबिलिटी लागू करने का कार्य किया जा सके यह योजना खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने को मजबूती प्रदान करेगी और लाभार्थियों को अपनी पसंद की एफपीएस से अनाज उठाने में सहायता करेगी

2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, (समय-समय पर यथा संशोधित) आधार (वित्तीय और अन्य प्रकार की सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 के तहत, एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणन कराना होगा जिनके पास आधार नहीं होगा, उन्हें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ राशन कार्ड का नंबर और अन्य विवरण उपलब्ध कराते हुए उचित दर की दुकान के मालिक के जरिए या राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के जरिए आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया था कि जब तक लाभार्थियों का आधार नियत नहीं हो जाता, तब तक एनएफएसए के तहत पात्रताएं उन व्यक्तियों को राशन कार्ड दिखाने पर या आधार नामांकन आईडी स्लिप या उनके अनुरोध की प्रति के साथ निम्नलिखित में किसी भी प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज़ यथा- (1) मतदाता पहचान-पत्र या (2) पैन कार्ड या (3) पासपोर्ट या (4) ड्राइविंग लाइसेंस या (5) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र या (6) डाक विभाग द्वारा जारी पते का कार्ड जिस पर नाम और पता दर्ज हो या (7) किसान फोटो पासबुक या (8) राज्य सरकार या संघशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज दिखाने पर उपलब्ध करायी जाएंगी

विभाग ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग की समस्या या लाभार्थी की खराब बायोमीट्रिक या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमीट्रिक प्रमाणन विफल होने की सूरत में लाभार्थी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा या खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण उस पुरुष/या महिला द्वारा अपने बायोमीट्रिक प्रमाणन की जगह अपना आधार कार्ड दिखाने के आधार पर किया जाएगा इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल आधार कार्ड न होने के कारण किसी को भी अनाज देने से मना नहीं किया जाएगा या राशन कार्ड के डेटाबेस से उसका नाम नहीं मिटाया जाएगा

यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी परिवार के सभी सदस्यों को आधार संख्या नियत नहीं की गई हो, तो राशन कार्ड में नामित पात्र परिवार का कोई भी सदस्य, जो पहचान की शर्तों को पूरा करता हो और जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज हो, वह एनएफएसए के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज की पूरी मात्रा या खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है यह योजना सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकाय़ों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है प्रति बच्चा प्रत्येक स्कूल दिवस प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम की दर से तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत पका भोजन/प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है या प्रति विद्यार्थी प्रति महीने 3 किलोग्राम अनाज वितरण किया जाता है इस दौरान कच्चा अनाज वितरित किया जाता है वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 10.25 लाख टन चावल और 1.87 लाख टन गेहूं सहित 12.12 लाख टन अनाज आवंटित किया गया

गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम

यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है इसके तहत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत 0-6 आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक और ऊर्जायुक्त आहार देने के लिए किया जाता है इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 19.90 लाख टन अनाज आवंटित किया गया, जिसमें 9.63 लाख टन चावल और 10.27 लाख टन गेहूं शामिल है इसके अतिरिक्त इसी अवधि में योजना के अंतर्गत 13,000 टन मक्का आवंटित की गई

किशोरियों के लिए योजना

यह योजना केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय चलाता है लेकिन इस योजना के लिए अनाज, महिला और बाल विकास मंत्रालय को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल दरों पर आवंटित किया जाता है सबला योजना 2010 में दो योजनाओं- पौष्टिकता कार्यक्रम और किशोरियां (एनपीएजी) तथा किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) को मिलाकर लांच की गई इस योजना का उद्देश्य 11-18 साल की लड़कियों की पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और उनके लिए उपयोगी विभिन्न कौशलों को उन्नत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना और वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निर्देशित करना भी है पौष्टिकता के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष में 300 दिन प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम आहार देने की आवश्यकता है वर्ष 2017-18 के दौरान 0.77 लाख टन चावल और 1.27 लाख टन गेहूं सहित 2.04 लाख टन अनाज आवंटित किया गया

कल्याणकारी संस्थाओं को अनाज की आपूर्ति

टीपीडीएस या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गईं कल्याणकारी संस्थाओं यथा- भिक्षुगृह, नारी इसी निकेतन और अन्य प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को बीपीएल दरों पर अतिरिक्त अनाज (चावल और गेहूं) का आवंटन किया गया है, जो बीपीएल आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी छात्रावासों को अनाज की आपूर्ति

यह योजना 1994 में लागू की गई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी से संबंधित दो तिहाई विद्यार्थियों वाले छात्रावासों में रहने वाले प्रति महीने, प्रति निवासी 15 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के पात्र हैं इस योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अनाज आवंटन राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर करता है

अन्नपूर्णा योजना

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(एनओएपीएस) के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है

मुक्त बाज़ार बिक्री योजना *(घरेलू)*

बफर स्टॉक बनाए रखने के अतिरिक्त तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफसीआई समय-समय पर खुले बाज़ार में केंद्रीय पूल के गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री मुक्त बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-टेंडर के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर करता है, ताकि शुष्क मौसम में विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाई जा सके

अनाज का भंडारण

एफसीआई और राज्य एजेंसियों की क्षमता

सभी राज्यों में एफसीआई के पास अपने कवर्ड गोदामों का ग्रिड है, जहां केंद्रीय पूल के अनाज का सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है इसके अतिरिक्त एफसीआई केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भंडारण निगमों जैसी राज्य एजेंसियों तथा निजी पक्षों से किराये पर क्षमता प्राप्त करता है निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है और जुलाई 2018 में 876.31 लाख एमटी क्षमता उपलब्धता की तुलना में 627.13 लाख एमटी का केंद्रीय अनाज स्टॉक था

भंडारण क्षमता में वृद्धि

अनाज उत्पादन और खरीद में हो रही लगातार वृद्धि के प्रबंधन के लिए विभाग देश में कवर्ड भंडारण क्षमता संवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना लागू कर रहा है वर्ष 2008 में लांच किए गए पीईजी कार्यक्रम के अंतर्गत गोदाम सार्वजनिक-निजी-भागीदारी प्रणाली के तहत बनाए जाते हैं और चुनिंदा साझेदार भूमि तथा निर्माण लागत वहन करते हैं एफसीआई अपनी ओर से निजी निवेशकों को 10 वर्ष तक भंडारण क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष तक उपयोग की गारंटी देता है एफसीआई भंडारण अंतर को कम करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों की सिफ़ारिशों के आधार पर गोदाम निर्माण के लिए स्थलों को चिह्नित करता है उपयोगकर्ता क्षेत्रों में पीडीएस और ओडब्ल्यूएस की चार महीने की आवश्यकता के आधार पर भंडारण अंतराल का आकलन किया जाता है, जबकि खरीदार राज्यों के भंडारण अंतर का आकलन पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर तथा अनाज खरीद क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाता है योजना के अंतर्गत जुलाई 2018 तक 22 राज्यों में 141.47 एमटी की क्षमता निर्माण का काम पूरा किया गया

भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण के तहत स्टील साइलो रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भंडारण सविधाएं बनाई जा रही हैं प्रत्येक साइलो की क्षमता 25,000 या 50,000 एमटी इससे वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला का मशीनीकरण हो जाएगा और संचालन क्षमता में सुधार होगा

भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित हुए गोदामों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर राज्य में कार्यान्वित की जा रही है इसके अंतर्गत, पीडीएस के आपूर्ति संभार तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयरहाउसिंग (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 बनाया यह 2010 से लागू है सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2010 में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का गठन किया वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा कराए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) से किसानों को बैंक से ऋण लेने में मदद मिलेगी इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को आनन-फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी सहायता मिलेगी एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए वेयरहाउस को डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा पंजीकरण की अनुमति देने से पूर्व पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा वेयरहाउस का निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि तथा अन्य जिन्सों को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से रखने की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वेयरहाउस द्वारा पूर्ण रूप से की गई है

प्राधिकरण ने एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, वनस्पति तेल, गिरी तथा रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी मखाना आदि तथा आलू, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसन, अदरक, हल्दी, सेब और किशमिश जैसी 26 बागवानी वस्तुओं सहित 123 कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया हैं

केंद्रीय भंडारण निगम

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यसी) विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्रियों और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी 431 भंडारागारों या वेयरहाउसेज का प्रचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 100.28 लाख एमटी है, जिसमें से 44 कस्टम बांडेड वेयरहाउस, 29 कंटेनर फ्रेट स्टेशन/इनलैंड क्लीयरेंस डिपो 3 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और 3 टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयरहाउसेज हैं, जो आयात/निर्यात व्यापार को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी के पास 19 सहभागी राज्य भंडारण निगम हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 352.65 लाख एमटी है

सीडब्ल्यूसी की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) है, जो रेलसाइड वेयरहाउस परिसरों (आरडब्ल्यूसी) का विकास करती है सीआरडब्ल्यूसी के पास 19 आरडब्ल्यूसी हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता अगस्त 2018 में 3,46,267 एमटी है

फसल कटाई के बाद अनाज का प्रबंधन

अनाज के लिए गुणवत्ता के मानक

सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई और पटना स्थित फील्ड कार्यालय खरीदे गए और भंडार में रखे गए अनाजों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और एफसीआई तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वितरण के लिए जारी करते हैं वर्ष 2017-18 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों के अधिकारियों द्वारा 1170 अनाज भंडारण डिपों का निरीक्षण किया गया

भारतीय अनाज भंडारा प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई), हापुड़ तथा लुधियाना (पंजाब) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित उसके फील्ड स्टेशन अनाज के भंडारण प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य संचालित करते हैं आईजीएमआरआई भंडारण एजेंसियों और कीट नियंत्रण संचालकों आदि के लिए अनाज के भंडारण, निरीक्षण तथा कीट नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है

केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल) गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण करके सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण के समय अनाज गुणवत्ता की निगरानी में विभाग की मदद करती है वर्ष 2017-18 के दौरान पदार्थ संबंधी मापदंडों के लिए कुल 1,548 नमूनों, प्रोटीन निर्धारण के लिए 667 नमूनों तथा गेहूं में घटती संख्या के लिए 664 नमूनों का विश्लेषण किया गया

अनाज का आयात और निर्यात

चावल और गेहूं की निर्यात नीति

सरकार ने वर्ष 2011 से निजी पक्षों द्वारा रखे गए स्टॉक में से निजी स्तर पर गैर-बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी है मेसर्स एनसीसीएफ तथा नेफेड सहित राज्य व्यापार उद्यमों को भी निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है इसी वर्ष से गेहूं निर्यात की अनुमति भी दी गई सीमा शुल्क ईडीआई बंदरगाहों के माध्यम से भी गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई है भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर गैर ईडीआई लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए डीजीएफटी में मात्रा पंजीकरण अनिवार्य है बीज गुणवत्ता वाले चावल तथा अन्य चावल (बीज गुणवत्ता से भिन्न भूसायुक्त चावल (

धान या मोटा चावल) के निर्यात की अनुमति लाइसेंस के अंतर्गत दी गई है

गेहूं और चावल के निर्यात की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान 86.46 लाख एमटी गैर-बासमती चावल और 2,25,208 लाख एमटी गेहूं का निर्यात नियंत्रण मुक्त श्रेणी के अंतर्गत किया गया

सरकारी तौर पर निर्यात की स्थिति

सरकार विदेश मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राजनयिक आधार/मानवीय सहायता रूप में भी विभिन्न मित्र देशों को गेहूं और चावल के निर्यात की अनुमति देती है

चावल और गेहूं का आयात

वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय पूल भंडारों के लिए गेहूं और चावल का आयात नहीं किया गया हालांकि 2017-18 के दौरान निजी व्यापारियों/मिल मालिकों द्वारा 16,49,725 एमटी गेहूं और 2,122 एमटी गैर-बासमती चावल का आयात किया गया

चीनी

चीनी उत्पादन

भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चालू चीनी मौसम 2017-18 में 322.00 लाख एमटी चीनी के उत्पादन का अनुमान है

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

वर्ष 2009 में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में हुए संशोधन के साथ गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) निर्धारित करने के स्थान पर वर्ष 2009-10 तथा परवर्ती चीनी मौसमों के लिए गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) की अवधारणा अपनाई गई केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने का कृषि मूल्य, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है आयोग मूल्य की सिफ़ारिश राज्य सरकारों तथा चीनी उद्योग संगठनों से परामर्श के बाद करता है गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के संशोधित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित घटकों के संदर्भ में गन्ने का एफआरपी निर्धारित किया जाता है ये घटक हैं- (क) गन्ना उत्पादन की लागत, (ख) उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से लाभ तथा कृषि जिन्सों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति, (ग) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता, (घ) वह मूल्य जिस पर चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से तैयार चीनी बेची जाती है, (ङ) गन्ने से चीनी प्राप्त करना, (च) उप-उत्पादकों यानी शीरा,खोई तथा प्रेस मड की बिक्री से अर्जित आय अथवा इन उत्पादों का अधिरोपित मूल्य और (छ) जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन

एफआरपी प्रणाली में, किसानों को पेराई मौसम खत्म होने या चीनी मिलों या सरकार द्वारा लाभों की घोषणा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होती नई प्रणाली में किसानों के लिए मुनाफ़ा और जोखिम को ध्यान में रखकर लाभ सुनिश्चित किया जाता है चाहे चीनी मिल लाभ में हो या न हो और यह किसी एक मिल के निष्पादन पर निर्भर नहीं है अधिक मात्रा वाले गन्ना उत्पादकों को चीनी का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा चीनी मिलों के बीच के अंतर को देखते हुए एफआरपी को गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा से जोड़ा गया है और गन्ने से अपेक्षाकृत अधिक चीनी प्राप्त होने पर किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है इसी के अनुसार, चीनी मौसम 2018-19 के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का एफआरपी तय किया गया है यह दर 10 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर से जुड़ी है जिसमें तय स्तर से ऊपर प्रति 0.1 प्रतिशत प्वाइंट रिकवरी पर 2.75 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा

चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त बनाना

चीनी उद्योग के लिए वर्ष 2013-14 ऐतिहासिक रहा केंद्र सरकार ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त बनाने के

लिए डॉ. सी रंगराजन के अध्यक्षता में बनी समिति की सिफ़ारिशों पर विचार किया और सितंबर 2012 के बाद उत्पादित चीनी के लिए मिलों पर लेवी लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने और खुले बाज़ार में चीनी की बिक्री पर नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का कम चीनी मिलों की वित्तीय हालत सुधारने, नकद प्रवाह बढ़ाने, इंवेंटरी लागत कम करने तथा गन्ना किसानों के लिए गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करने के लिए उठाया गया गन्ना क्षेत्र आरक्षण, न्यूनतम दूरी मानक तथा गन्ना मूल्य फार्मूला अपनाने के बारे में समिति की सिफ़ारिशों को लागू करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया क्योंकि राज्य सरकारें अपने विवेक से इस पर निर्णय लेने में सक्षम हैं

अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी वितरण की समीक्षा

राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सस्ते दामों पर चीनी का वितरण किया जाता था, जिसके लिए केंद्र सरकार सहभागी राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 18.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रतिपूर्ति करती थी यह योजना 2001 की जनगणना के अनुसार देश की समस्त बीपीएल आबादी तथा पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी/पहाड़ी राज्यों तथा द्विपीय क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या को कवर करती थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को अब सभी 36 राज्यों/ संघशासित प्रदेशों द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है एनएफएसए के तहत, बीपीएल श्रेणी की पहचान नहीं की गई है तथापि, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली गई है भारत सरकार ने चीनी सब्सिडी योजना की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग अर्थात अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को उनके आहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में चीनी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है तदनुसार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की मौजूदा पद्धति को निम्नानुसार जारी रखा जाए:- (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त चीनी की आपूर्ति संबंधी मौजूदा स्कीम को केवल अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के सीमित कवरेज हेतु जारी रखा जाए उन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम चीनी उपलब्ध करायी जाएगी, (2) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही चीनी पर दी जा रही 18.50 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली आबादी के लिए जारी रखा जा सकता है संशोधित योजना 2017 में लागू की गई थी वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना में 12 राज्यों ने भाग लिया था और इसके तहत सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

एथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है, जो मूल रूप से चीनी उद्योग के शीरा जैसे उप-उत्पादों से तैयार किया जाता है जिस वर्ष गन्ने की उपज जरूरत से ज्यादा होती है और चीनी के भाव गिर जाते हैं उस वर्ष चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत उपलब्ध नहीं करा पाता इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपी) इथेनॉल को मोटर स्पिरिट के साथ मिश्रित करके प्रदूषण स्तर कम करने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाने और चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन करने का प्रयास करता है, ताकि उसे किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके

केंद्र सरकार ने ईबीपी के अंतर्गत मिश्रण लक्ष्य 5 से बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया है ईबीपी के अंतर्गत संपूर्ण इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित बनाने के लिए इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इथेनॉल का लाभकारी एक्स-डिपो मूल्य निर्धारित किया गया है नए मिश्रण लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए एक ग्रिड तैयार किया गया है, जो डिस्टीलरी को ओएमसी डिपो से नेटवर्क करता है और सप्लाई की जाने वाली मात्रा का ब्योरा देता है

चीनी विकास कोष

चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देश में किसी भी चीनी फैक्टरी द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली समस्त चीनी पर उत्पाद शुल्क के रूप में वसूले जाने वाले उपकर को करारोपण कानून अधिनियम, 2017 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है एकत्रित उपकर से बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से एसडीएफ के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता था भारत सरकार द्वारा चीनी विकास कोष अधिनियम, 1982 का

उपयोग चीनी फैक्टरी या उसकी किसी यूनिट के पुनर्वास और आधुनिकीकरण में सहायता देने, गन्ना, खोई आधारित बिजली सह-उत्पादन परियोजनाओं, निर्जल अल्कोहल उत्पादन या अल्कोहल से इथेनॉल उत्पादन, वर्तमान इथेनॉल संयंत्र को शून्य तरल निष्पादन संयंत्र में बदलने, चीनी उद्योग के विकास वाली किसी भी अनुसंधान परियोजना को अनुदान देने, किसी चीनी मिल को चीनी मूल्य स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षित भंडार बनाने और उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च को वहन करने, चीनी मिल को निर्यात खेप पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभार पर किए गए खर्च को चुकाने, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी कार्यक्रम के संदर्भ में चीनी फैक्टरियों को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से दिए गए ऋण पर ब्याज चुकाने, कच्चे उत्पाद के विपणन और उन्नयन सेवाओं पर होने वाला व्यय चुकाने, चीनी मिलों को आसान ऋण देने के लिए ब्याज वहन, गन्ना लागत को समायोजित करने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी तथा अधिनियम के प्रयोजनार्थ किए गए किसी अन्य व्यय को चुकाने में किया जाता है

उत्पादन सब्सिडी

सरकार ने गन्ना लागत समायोजित करने तथा चीनी मौसम 2015-16 के लिए किसानों की गन्ने की बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में सहायता के लिए चीनी मिलों को 2015 से 4.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन सब्सिडी का विस्तार किया है इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि चीनी के दाम प्रचालनगत व्यवहार्यता के लिए अपेक्षित स्तरों से ऊपर है, सरकार ने वर्ष 2016 से उत्पादन सब्सिडी योजना वापस ले ली है

खाद्य तेल

देश में खाद्य तेलों के कारगर प्रबंधन के कदमों में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है वर्ष 2017-18 के तीसरे अग्रिम पूर्वानुमान (नवंबर-अक्टूबर) के अनुसार, पिछले वर्ष के 312.76 लाख टन की तुलना में 306.38 लाख टन तिलहन उत्पादन का अनुमान है

वनस्पति तेल उद्योग

देश में लगभग 100 वनस्पति तेल इकाइयां और 651साल्वेंट एक्सट्रैक्शन संयंत्र/रिफायनरियां हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 6800 लाख एमटी कच्चे माल को संसाधित करने की है साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुमान के अनुसार, विभिन्न कारणों से विशेष रूप से कच्चा माल मौसम के अनुसार उपलब्ध होने से खाद्य तेल उद्योग की कुल क्षमता का लगभग 35 प्रतिशत उपयोग हो रहा है

खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध

मार्च 2008 से खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन समस्त इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज(ईडीआई) बंदरगाहों और अधिसूचित लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से नारियल तेल, कैस्टर आयल और लघु वन उत्पादों से तैयार होने वाले कुछ तेलों जैसे कुछ उत्पादों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है इसके अतिरिक्त, खाद्य तेल के निर्यात की अनुमति 5 किलोग्राम के ब्रांडशुदा उपभोक्ता पैकेटों में दी गई हैं, जिनका न्यूनतम निर्यात मूल्य 900 अमरीकी डॉलर प्रति टन हो यह 2015 में 1100 अमरीकी डॉलर प्रति टन था 2015 से चावल की भूसी के तेल का बल्क में निर्यात करने की अनुमति है 2017 से मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल और मक्का (कॉर्न ऑयल) को प्रतिबंध से छूट दी गई है

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक बने रहने से दो दशकों से अधिक समय से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेलों की अबाधित आपूर्ति बनाए रखने और साथ-साथ किसानों, उद्योग तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखने के उद्देश्य से कच्चे तथा रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क क्रमशः 35 और 45 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जबकि जैतून के तेल पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है कच्चे और पॉम ऑयल पर आयात शुल्क क्रमशः 44 और 54 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों से जुड़ा हुआ है इनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), सार्क फूड बैंक, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी) और अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) आदि शामिल हैं

सार्क फूड बैंक

वर्ष 2007 में, नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, सार्क देशों के प्रमुखों ने सार्क फूड बैंक स्थापित करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए फूड बैंक क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयासों में पूरक भूमिका निभाएगा इस समझौते के अनुसार, सार्क फूड बैंक में अनाज का भंडार रखा जाएगा रखरखाव का काम सभी सदस्य देश करेंगे जिसमें देश के मूल्यांकित हिस्से के अनुसार केवल गेहूं या चावल अथवा दोनों का समीकरण होगा

खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति

वर्ष 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषज्ञता संपन्न एजेंसियों में से एक है इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ा कर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना है विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) खाद्य उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए एक मंच के रूप में काम करती है भारत एफएओ और सीएफएस दोनों का सदस्य है खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) डब्ल्यूएफएस कार्ययोजना की प्रगति की निगरानी करती है

अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद

भारत अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी) का सदस्य हैं परिषद को 1995 तक अंतरराष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था यह गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए निर्यात–आयात करने वाले देशों का अंतर- सरकारी मंच है यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन, 1995 को प्रशासित करता है इसका सचिवालय 1949 से लंदन में है, जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी सेवाएं प्रदान करता है अंतरराष्ट्रीय अनाज समझौते में अनाज व्यापार समझौता और अनाज सहायता समझौता शामिल है भारत 1995 से अंतरराष्ट्रीय अनाज समझौते और 1995 से लागू अनाज व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है आईजीसी के दो प्रकार के सदस्यों में आयातक सदस्य देश और निर्यातक सदस्य देश शामिल होते हैं भारत को जुलाई 2003 में निर्यात सदस्य की श्रेणी में शामिल किया गया और भारत ने समय-समय पर आयोजित परिषद की बैठकों/सत्रों में प्रतिनिधित्व किया है

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में स्थापित किया गया बाद में इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था तथा कृषि मंत्रालय के अधीन लाया गया इसे 2001 में पुनः मंत्रालय बना दिया गया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नाम रखा गया

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है एक मजबूत एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यीकरण में जीवंत भूमिका निभाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, कृषि उपजों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करता है, रोज़गार के अवसर बढ़ाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए बाज़ार सृजित करता है मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक निवेश लाने, उद्योग का मार्गदर्शन और सहायता करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के यथेष्ट विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के तहत मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार हैं: (1)

निम्नलिखित से संबंधित उद्योगः (क) कतिपय कृषि उत्पादों (दूध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दूध, घी एवं अन्य डेयरी उत्पाद), कुक्कुट एवं अंडे, मांस एवं मांस उत्पादों का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन (ख) मत्स्य प्रसंस्करण (केनिंग एवं फ्रीजिंग सहित) (ग) मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना तथा सेवा प्रदान करना (घ) मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता एवं सलाह (ङ) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन एवं निर्जलीकरण सहित) एवं (च) खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

(2) ब्रेड, तिलहन, आहार (खाद्य), नाश्ते के भोजन, बिस्कुट, कनफेक्शनरी (कोको प्रसंस्करण तथा चॉकलेट बनाने सहित), जौ सत्व , प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन आहार, दूध छुड़ाने वाले आहार तथा अन्य निष्क्रमित खाद्य पदार्थों (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों सहित) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास एवं नियंत्रण तथा सहायता (3) बीयर गैर-अल्कोहलयुक्त बीयर सहित (4) गैर-शीरा आधारित अल्कोहलयुक्त पेय (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष पैकेजिंग (6) वातित जल तथा सॉफ्ट ड्रिंक
वेबसाइट: www.mofpi.nic.in

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

कुछ वर्षों से भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है भारत दूध, घी, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है इसके अतिरिक्त, भारत चावल, गेहूं, और कई अन्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोज़गार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रमुख रोज़गार सघन क्षेत्र है जिसका 2014-15 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में सृजित रोज़गार में 12.77 प्रतिशत हिस्सा था वर्ष 2014-15 के लिए उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 17.73 लाख थी एनएसएसओ के 67वें दौर, 2010-11 के अनुसार, गैर-पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 47.9 लाख कामगारों को रोज़गार प्राप्त हुआ

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्थायी पूंजी

स्थायी पूंजी में निवेश के संदर्भ में, 2014-15 को समाप्त होने वाले 6 वर्षों के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 15.60 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि करता रहा है नवीनतम एएसआई 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्थायी पूंजी 1.92 लाख करोड़ रुपये थी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत शत -प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति है

खाद्य प्रसंस्करण और मेक इन इंडिया

'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता का क्षेत्र माना गया है इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना में निवेश कर रहा है सुदृढ़ कृषि संसाधन आधार वाले क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं यथा-सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवेज सुविधा और सार्वजनिक प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे पल्पिंग (लुगदीकरण), पैकेजिंग, शीतागार, शुष्क भंडारण और संभार से सुसज्जित मेगा फूड पार्कों को बढ़ावा दिया जा रहा है ये फूड पार्क उद्यमियों को दीर्घावधि लीज के आधार पर पूर्णतः विकसित प्लॉट और फैक्ट्री शेड उपलब्ध कराते हैं जहां पर वे 'प्लग एंड प्ले मॉडल' में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं

मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्पित 'निवेशक पोर्टल' के माध्यम से

संभावित निवेशकों तक सूचना का प्रसार किया जा रहा है संयुक्त उपक्रम सहभागियों को खोजने, सहायता करने और परामर्श सेवाएं देने, विनियामक अनुमोदनों में तेजी लाने और निवेशकों को कार्य के बाद सहायक सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में निवेशकों की सहायता करने के लिए मंत्रालय इन्वेस्ट इंडिया के साथ भी साझेदारी कर रहा है मंत्रालय खुदरा बाज़ार में एफडीआई सहित एफडीआई को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रोड शो भी कर रहा है

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

मंत्रालय ने 2012 में, 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) लांच किया 11वीं योजना की केंद्रीय क्षेत्र में पांच जारी योजनाओं तथा चार नई योजनाओं का मिशन में विलय किया गया सीएसएस-एनएमएफपी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की गई हालांकि 2015 में 14वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आलोक में सीएसएस- एनएमएफपी से केंद्रीय समर्थन वापस ले लिया गया और इसके परिणामस्वरूप मिशन की सभी 9 योजनाएं खत्म कर दी गईं

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना- किसान संपदा योजना-(कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना) 2017 में लांच की और 2016-20 के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई यह योजना 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ-साथ समाप्त होगी यह एक विस्तृत पैकेज है, जो खेत से खुदरा दुकानों तक कारगर सप्लाई श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना निर्माण में सहायक होगा यह न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा यह किसानों की आय दोगुनी करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर प्रदान करने, कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम है

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

मंत्रालय ने 2012 में हरियाणा के कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की निफ्टेम को डी नोवों श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और यह संस्थान बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का संचालन कर रहा है योजना के अंतर्गत, निफ्टेम को विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, खेल सुविधाओं, हानिकारक रसायन भंडारण ,शोधन संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली और आवासीय सुविधाओं जैसी अकादमिक तथा बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार, गांव गोद लेने (वीएपी) संबंधी कार्यक्रम के विस्तार तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा योजना अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान

मंत्रालय ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु को 2008 में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उन्नत किया यह संस्थान बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करता है योजना के अंतर्गत आईआईएफपीटी को अवसंरचना सुविधाएं विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा इसमें परिसर विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन (22.7 एकड़) खरीदना और मशीन फैब्रिकेशन और टेस्टिंग केंद्र, खेल परिसर, सभागार, ट्रेनिंग कम इनक्यूबेशन सेंटर खोलना तथा आवासीय सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है संस्थान को अपनी गतिविधियों के विस्तार में समर्थ बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और दुर्गम क्षेत्रों को शामिल करेंगे तथा देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के हो रहे विस्तार में मदद देने के लिए योजना अवधि में 75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

16 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है इस पर स्वास्थ्य तथा संबंधित विषयों पर नीतियां बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों के मार्गदर्शन, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबंधन, चिकित्सा, नियमन (औषधियां और उपकरण) और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी है इन पर किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीधे तौर पर केंद्रीय योजनाओं या स्वायत्त/सांविधिक निकायों को अनुदान सहायता के जरिए देता है इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दो विभाग थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

एड्स नियंत्रण विभाग का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया है अब इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के नाम से जाना जाता है आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में बदल दिया गया इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना था स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय इसका संबद्ध कार्यालय है जो जनस्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 15 वर्ष के बाद जारी की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी तथा महामारी संबंधी परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के बारे में है इसमें स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा पैकेज सुनिश्चित करने की संकल्पना की गई है नई नीति का उद्देश्य रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सबके लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें किसी को भी पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं मिलने की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा और उन्हें सस्ता करना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में संसाधनों का बड़ा हिस्सा (दो-तिहाई या इससे अधिक) प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटित करने की हिमायत की गई है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रति 1,000 की आबादी के लिए कम से कम दो बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं यह व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि आपात स्थिति में ये उपलब्ध हो सकें

नीति की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोणः यह निवारक और उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तेजी से बढ़ने वाले सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण की हिमायत करती है

(2) अल्प पोषकता अपूर्णताः अल्प पोषकता तथा कुपोषण को कम करने और सभी क्षेत्रों में पोषकता की कमी की विविधता के समाधान के लिए व्यवस्थित तरीके अपनाना *(3)* मेक इन इंडिया पहलः भारतीयों को परंपरागत स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने पर जोर देना

(4) डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल: स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और उनमें सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्था स्थापित करना ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक अनुभव में सुधार हो सके

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में एक प्रावधान स्वास्थ्य देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्न पहल की हैं:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टलः यह स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जानकारी, नागरिकों और संबद्ध पक्षों को विभिन्न भाषाओं (वर्तमान में छह) में उपलब्ध कराने के लिए एक नागरिक पोर्टल के रूप में कार्य करता है इस पर निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1800-180-1104 पर जानकारी दी जाती है एक मोबाइप एप की शुरुआत भी की गई है यह स्वास्थ्य और रोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है जिनमें शामिल हैं- नियमों, मानकों, नीतियों, कार्यक्रमों, आयोगों इत्यादि और डाइरेक्टरी सेवाएं जैसे- अस्पताल, रक्त बैंक तथा एंबुलेंस सेवाएं

अस्पताल सूचना प्रणालीः इसे सीएचसी स्तर तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में दक्षता तथा बेहतर सेवाओं के लिए अस्पताल प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण, फीस भुगतान तथा मिलने का समय निश्चित करने, ऑनलाइन नैदानिक रिपोर्ट, रक्त की उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी इत्यादि के लिए विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने के बारे में है लगभग 124 अस्पतालों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है ये अस्पताल हैं- एम्स (नई दिल्ली, जोधपुर, बिहार, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, रायपुर, भोपाल), राममनोहर लोहिया अस्पताल, एसआईसी सफदरजंग अस्पताल, एनआईएमएचएएनएस, अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, जेआईपीएमईआर इत्यादि
- मेरा अस्पताल एप्लीकेशन, शॉर्ट मैसेज सर्विस, आउटबाउंड डायलिंग वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे मल्टी चैनलों का इस्तेमाल करते हुए रोगी के संतुष्टि के स्तर की जानकारी एकत्र करने की आईटी आधारित फीडबैंक व्यवस्था है इसके जरिए ओपीडी खत्म होने के बाद और भर्ती मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय, स्वचालित रूप से संपर्क किया जाता है और उक्त का इस्तेमाल कर रोगियों से उनकी संतुष्टि के स्तर की जानकारी ली जाती है
- मां और शिशु पर नज़र रखने की प्रणाली/प्रजननीय बाल स्वास्थ्य एप्लीकेशन के तहत सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में समय पर प्रसव की सुविधाएं और प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात देखभाल और बच्चों के टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि मां तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके
- किलकारी एप्लीकेशन की शुरुआत गर्भधारण, शिशु जन्म और देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक श्रव्य संदेश के लिए की गई है यह असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के लिए है
- मोबाइल अकादमी, एक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं की जानकारी बढ़ाना और उनके संवाद कौशल में सुधार करना है इसे 2016 में शुरू किया गया था वर्तमान में यह बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में चलाया जा रहा है
- टीबी के रोगियों पर निगरानी की प्रणाली 'निकश्य' के तहत सभी राज्यों में टीबी रोगियों के इलाज के लिए उन पर नज़र रखी जाती है इसके अलावा ऐसे रोगियों को सलाह और इलाज संबंधी सहायता के लिए मिस्ड कॉल केंद्र सुविधा भी शुरू की गई है, जिसका नंबर है 1800-11-6666
- तंबाकू निवारण कार्यक्रम एक मोबाइल आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए लोगों को सहायता और सलाह दी जाती है इसके लिए 011- 22901701 पर मिस्ड कॉल की सुविधा उपलब्ध है
- मधुमेह कार्यक्रम, मोबाइल आधारित कार्यक्रम है, जिसमें मधुमेह की बीमारी पर काबू पाने और इलाज संबंधी जानकारी 011-22901701 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राप्त की जा सकती है
- ई-सीजीएचएस कार्ड, किसी भी स्थान से सीजीएचएस कार्ड के स्व प्रकाशन की सुविधा है

सुगम, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है जिसके तहत विशेषकर दवाओं, क्लिनिकल ट्रायल, आचारनीति समिति और चिकित्सा उपकरणों, टीकों तथा सौंदर्य प्रसाधनों के संदर्भ में आवेदनों पर कार्यवाही और मंजूरी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है

औषधियां और टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जिला औषधि भंडारगृहों, जिलों अस्पतालों तथा उनके उप- भंडारों इत्यादि को औषधियां, सीवन और सर्जिकल उपकरणों की खरीद, स्टॉक प्रबंधन और वितरण, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में खरीद, आपूर्ति चेन, गुणवत्ता नियंत्रण और वित्तीय विभाग के कार्य को स्वचालित बनाकर करने के बारे में है

मोबाइल एपः विभिन्न मोबाइल एप की शुरुआत की गई है, जो निम्न प्रकार हैं-

- इंद्रप्रस्थ, टीकाकरण का कार्यक्रम,
- इंडिया फाइट्स डेंगू (डेंगू के लक्षणों, निकटम अस्पताल/रक्त बैंक की जानकारी और फीड बैक देना),
- एनएचपी स्वस्थ भारत (रोग, जीवन शैली तथा प्राथमिक चिकित्सा सहायता),
- एचएचपी डायरेक्टरी सेवाएं (देशभर के अस्पतालों और रक्त बैंकों की जानकारी)
- नो मोर टेंशन (मानसिक दबाब संबंधी मुद्दों पर जानकारी)
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (सभी राज्यों में गर्भाधारण के मामलों की सूचना)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्ट रोग जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाने के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम दो प्रतिशत करने पर दिया गया है 2005 में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की शुरुआत की गई 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर दिया गया इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो उपमिशन बन गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सबको आवश्यकतानुसार एक समान, सस्ती और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना और प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु तथा किशोरों के स्वास्थ्य और संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों पर काबू पाना शामिल है

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी इसका उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगे हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है

मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन

मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन की परिभाषा के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में जन्म के समय हर एक हज़ार पर एक से भी कम शिशु टिटेनस का मामला होने की स्थिति है भारत को मई 2015 में मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन करने वाले देश के रूप में मान्यता दी गई देश ने यह लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर हासिल किया जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाए गए

नए टीके

पोलियों से बचाव का टीकाः विश्व में पोलियो उन्मूलन की रणनीति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नवंबर 2015 से यह कार्यक्रम छह राज्यों में शुरू किया गया जून 2016 तक इसका विस्तार समूचे देश में कर दिया गया अगस्त 2017 तक बच्चों को लगभग 2.79 करोड़ खुराक दी जा चुकी थीं

रोटा वायरस टीकाः इसकी शुरुआत मार्च 2016 में रोटा वायरस के कारण होने वाले अतिसार पर काबू पाने के लिए की गई थी प्रारंभ में इसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में शुरू किया गया तथा बाद में पांच और राज्यों- असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु में इसका विस्तार किया गया इसकी शुरुआत के बाद बच्चों को लगभग 88.73 लाख खुराक दी जा चुकी थीं

खसरा रुबेला टीके के रूप में रुबेला टीका : खसरा रुबेला टीका अभियान 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फरवरी 2017 में शुरू किया गया था इसकी शुरुआत पांच राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप और पुदुदचेरी से की गई थी जहां यह अभियान पूरा होने के बाद खसरा रुबेला टीके को 9 से 12 महीने की आयु और 16 से 24 महीने की आयु में लगाए जाने वाले 1 तथा 2 खसरा वाले टीके के स्थान पर नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया

वयस्क जापानी एन्सैफेलाइटिस टीका : जापानी एन्सैफेलाइटिस टीकाकरण 2006 में बच्चों के लिए शुरू किया गया 2015 में इस रोग से पीड़ित वयस्कों की अधिक संख्या वाले जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया इसके लिए 35 जिलों का चयन किया गया है ये जिले असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं

नूमैटिक कॉन्जुगेट टीका : यह टीका बाल मृत्यु के एक बड़े कारण, निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए है इसका पहला चरण 2017 में 3 राज्यों- हिमाचल प्रदेश (12 जिलों), उत्तर प्रदेश (6 जिलों) और बिहार (17 जिलों) में शुरू किया गया था

भारत नवजात शिशु कार्ययोजना

भारत में नवजात शिशुओं के लिए कार्ययोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी इसका उद्देश्य 2030 तक नवजात शिशुओं और जन्म के समय मृत्युदर को दस से कम करना है इस योजना के तहत जिला स्तर पर 661 विशेष नवजात देखभाल इकाइयां, प्रथम रेफरल इकाइयों के स्तर पर नवजात इकाइयां और प्रसव केंद्रों में 18,323 नवजात देखभाल इकाइयां हैं

आयुष्मान भारत

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई योजना, आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'आयुष्मान भारत मिशन' के तहत चलाई जा रही है इसके तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है इस योजना का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित गरीब और कमजोर वर्गों के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया जाएगा

इस योजना की कई विशेषताएं हैं और इसे गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा लगभग दूसरे दर्जे की सभी और तीसरे दर्जे की अधिकतर स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी यह सुविधा सभी लाभार्थियों (विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों) के लिए सुनिश्चित करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है इसमें अस्पताल में दाखिल किए जाने से पहले और बाद के खर्चे भी शामिल होंगे इस योजना के तहत निर्धारित सभी सेवाएं नीति लागू होने के पहले दिन से ही मुहैया कराई जाएंगी लाभार्थी को हर बार अस्पताल में भर्ती किए जाने पर निर्धारित परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा इसके तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं- सूची में शामिल देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नगदी रहित इलाज की सुविधा

यह पात्रता आधारित योजना है इसमें पात्रता का आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित मानदंड महिला मुखिया वाले परिवार, परिवार में 16 से 59 वर्ष तक की आयु के किसी

व्यस्क पुरुष सदस्य का न होना, दिव्यांग सदस्य और परिवार में दिव्यांगता के बिना किसी व्यस्क का न होना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार और ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य स्रोत अस्थाई मजदूरी है इलाज के लिए भुगतान पैकेज की दर के आधार पर किया जाएगा (सरकार द्वारा पहले से निर्धारित) पैकेज दरों में इलाज से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे लाभार्थियों के लिए इससे संबंधित लेन-देन नकदीरहित और कागजरहित होगा राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन दरों में सीमित बदलाव कर सकेंगे

आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख नियमों में एक, सहकारिता संघवाद और राज्यों को स्वतंत्रता है सह–सहयोग के जरिए राज्यों को भागीदार बनाने का भी प्रावधान है इससे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों (अपने खर्च पर) की मौजूदा सुरक्षा योजनाओं/स्वास्थ्य बीमा को मिलाया जा सकेगा राज्य सरकारों को इस योजना में विस्तार की अनुमति होगी वे इसे बीमा कंपनियों के जरिए या सीधे न्यास/समिति के जरिए या मिश्रित मॉडल के जरिए लागू कर सकते हैं राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की आवश्यकता होगी

लाभार्थियों और अन्य संबद्ध पक्षों के लिए योजना के वांछित लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक मीडिया और पहुंच रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, परंपरागत मीडिया, आईईसी सामग्री और बाहरी गतिविधियां शामिल होंगी इनके अलावा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लोगों की पूरी न की जा सकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा

मां के असीम वात्सल्य का कार्यक्रम

मां के असीम वात्सल्य के व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी यह स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रयास है इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के जरिए इसे बढ़ावा देना, सुरक्षित बनाना तथा इसमें मदद करना है इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं- स्तनपान के प्रति जागरुकता पैदा करना, इसे बढ़ावा देना, सामुदायिक स्तर पर व्यक्तियों के बीच सलाह-मशविरा, प्रसव स्तर पर सहायता, निगरानी और पुरस्कार/मान्यता

अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा

यह बच्चों की अतिसार से मृत्यु पर काबू पाने का कार्यक्रम है इसका एक विशेष उद्देश्य ऐसी स्थिति बनाना है जिसके कारण किसी भी बच्चे की मौत न हो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अतिसार से होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण के लिए जुलाई 2014 से अभियान के रूप में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत पांच वर्ष तक की आयु के 14.7 करोड़ से अधिक बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ओआरएस उपलब्ध कराया गया है इसके प्रमुख कार्यों में प्रतिपादन तथा जागरुकता गतिविधियां, अतिसार प्रबंधन सेवा प्रावधान, ओआरएस- जिंक प्रदर्शन स्थल स्थापन, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर ओआरएस का वितरण, बच्चों में पोषकता की कमी का पता लगाना तथा उसका निवारण, शिशुओं और बड़े बच्चों की आहार संबंधी गतिविधियों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर बढ़ावा देना और शिशु तथा बड़े बच्चों के आहार-आईवाईसीएफ स्थलों की स्थापना

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों से होने वाले संक्रमण की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय एक दिन का यह कार्यक्रम लागू कर रहा है इसके तहत स्कूलों और आंगनवाड़ियों के 1 से 9 वर्ष के बच्चों को इसकी एक खुराक दी जाती है फरवरी 2017 तक 27.8 करोड़ बच्चों की यह खुराक दी जा चुकी है

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 2013 में शुरू किया गया था इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और इन चार रोगों के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाता है जन्म के समय की अपूर्णता; रोग, कमी; अपंगता

तथा विकास में देरी इसमें 30 स्वास्थ्य खामियों का निःशुल्क निदान भी किया जाता है इसमें तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जरी भी शामिल है इसके तहत देशभर में चरणबद्ध रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत, किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी इनमें शामिल हैं:

साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण : आईएफए अनुपूरण के साप्ताहिक अंतर्ग्रहण के जरिए किशोर लड़कों तथा लड़कियों में एनीमिया की स्थिति के बारे में प्रामाणिकता आधारित अनुक्रिया कार्यक्रम है

मासिक धर्म संबंधी साफ-सफाई योजना : इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोरियों को मासिक धर्म और सेनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी हो उन्हें उत्तम किस्म के सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं साथ ही इनके निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों की जानकारी दी जाए

मित्र-समूह शिक्षक कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि किशोरियों की पोषण, सेक्स तथा प्रजनन, एनसीडी की स्थितियों, उनके दुरुपयोग, चोट, हिंसा (जीबीवी सहित) और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नियमित रूप से मित्र-समूह शिक्षक कार्यक्रम का लाभ मिल सके इन शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 2017 में 'साथिया रिसोर्स किट' की शुरुआत की मोबाइल आधारित एप यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए 'साथिया रिसोर्ट किट' में 'साथिया सलाह एप' को भी शामिल किया गया इस एप को जानकारी के एक अन्य महत्वपूर्ण और सस्ते स्रोत निःशुल्क साथिया हेल्पलाइन से जोड़ा गया है

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को ऑपरेशन सहित सभी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाना है

परिवार नियोजन

मिशन परिवार विकास, सात राज्यों के सबसे अधिक प्रजनन वाले 146 जिलों में गर्भनिरोधक और परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम

निःशुल्क दवाएं

निःशुल्क दवाओं की पहल का उद्देश्य, सुविधानुसार आवश्यक औषधियों की सूची, बृहद् खरीद प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी वाली सुविधाएं , आपूर्ति चेन प्रबंधन, समुचित भंडारण, आवश्यक औषधि नियामक, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं , मानक प्रशोधन दिशानिर्देश, नुस्खा परीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना है ताकि निःशुल्क दी जाने वाली आवश्यक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके

निःशुल्क नैदानिक सेवाएं

निःशुल्क नैदानिक सेवाओं का उद्देश्य निदान पर अत्यधिक खर्च को कम करना और चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार करना है राज्यों के जनस्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक नैदानिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं इनके बारे में दिशानिर्देश 2 जुलाई, 2015 में जारी किए गए थे राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप पांच राज्य- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा पहले ही इन्हें लागू कर चुके हैं

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक उपलब्धि, डायल 108/102 एम्बुलेंस सेवा के तहत चलने वाली रोगी परिवहन एम्बुलेंस है डायल 108 आपात कार्रवाई व्यवस्था है इसे मुख्य रूप से गंभीर हालत वाले रोगियों और सदमा तथा दुर्घटना पीड़ितों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है डायल 102 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए रोगी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, हालांकि अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं

राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई

राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई का उद्देश्य, ग्रामीण और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले इलाकों में लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है देश के 335 जिलों में 1,122 राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं इनके तहत छोटे-मोटे रोगों, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कुछ मामलों में ये लक्षित क्षेत्रों में नि:शुल्क नैदानिक सेवाएं मुहैया कराती हैं

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं के अंतरण को मजबूत करने की पहल है इसके तहत 1,057 शहरों/कस्बों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इसके अलावा, 4,544 मौजूदा केंद्रों को जनस्वास्थ्य केंद्र के रूप में मजबूत किया जा रहा है

प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान

इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व नि:शुल्क, सुनिश्चित तौर पर, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इसमें दूसरी/तीसरी बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्ण देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी दी गई है कार्यक्रम के अंतर्गत इन कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यवस्थित रवैया अपनाया जाता है इनमें निजी डॉक्टरों को इस अभियान के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता पैदा करने के लिए नीतियां बनाना और निजी क्षेत्र को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के इस अभियान में शामिल होने की अपील करना शामिल है

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों को गरीबों के लिए नि: शुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता दी जा रही है जिला अस्पतालों में पीपीपी तरीके से डायलिसिस सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहभागिता रही है यह कार्यक्रम 384 जिलों में राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है इसके तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में 6 डायलिसिस मशीनें होंगी और बाद में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी

सस्ती औषधियों और इलाज के लिए प्रतिरोपकों की विश्वसनीय

कैंसर और कार्डियक इम्प्लांट के साथ कार्डियोवसकुलर के लिए सस्ती औषधियों और इलाज के लिए विश्वसनीय प्रतिरोपकों की उपलब्धता के लिए बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं इन्हें बाजार दर पर 60 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है जुलाई, 2017 तक ऐसे 84 स्टोर खोले जा चुके थे और

इनसे 30 लाख रोगियों को लाभ पहुंचा है

कायाकल्प

कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत जनस्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, आरोग्य और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से की गई है इस पुरस्कार के तहत स्वच्छता के मानकों को पूरा करने और संक्रमण नियंत्रण जैसे अनुकरणीय कार्य करने वाले जन-स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं

अंग प्रत्यारोपण

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, मानव अंग और ऊतक अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्यारोपण कार्यों, प्रशिक्षण देने और मृतकों के अंगदान देने को बढ़ावा देने के बारे में है इसके तहत शीर्ष स्तर का एक संगठन- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्थापित किया गया है मृतक के अंगों और ऊतकों के दान को बढ़ावा देने और इन्हें प्राप्त करने तथा वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री भी बनाई गई है इसके अलावा, दिन-रात काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है जिसका नंबर हैं- 1800114770 इस कार्यक्रम के संचालन के बारे में दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा और कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए नीति और मानदंडों की मंजूरी दे दी गई है विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों के लिए एसओपी को भी स्वीकृति दी जा चुकी है और इन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया है

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की संयुक्त पहल है

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित प्रावधान किए गए हैं यह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकसमान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की अधिकतम देखभाल हो सके और वे सम्मान तथा गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता में सुधार के लिए संस्थागत व्यवस्था को मज़बूत करता है यह कानून मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों की जवाबदेही बढ़ाता है यह केंद्र और राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले और उन्हें सेवाएं देने वालों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है

इस अधिनियम का सबसे प्रगतिशील प्रावधान यह है कि अग्रिम निर्देश, नामित प्रतिनिधि, प्रवेश के संबंध में महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, इलाज, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई और इलेक्ट्रो-कनवलसिव थैरेपी तथा साइकोसर्जरी पर प्रतिबंध आत्महत्या को अपराध न मानना इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे आत्महत्या की कोशिशों के कारक-गंभीर तनाव का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा

एचआईवी और एड्स

एचआईवी और एड्स (रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 2017 का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप इस संक्रामक रोग को खत्म करना है इसके तहत एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ रोज़गार, शिक्षा संस्थानों, संपत्ति किराए पर देने, सार्वजनिक या निजी कार्यालय में या स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता इस कानून का उद्देश्य एचआईवी की जांच, उपचार और क्लिनिकल अनुसंधान के लिए जानकारी देकर सहमति और

गोपनीयता बनाए रखते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना भी है राज्य की देखभाल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एचआईवी रोकथाम, प्रशिक्षण, उपचार और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और क्लिनिकल केयर में तिगुनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता के विकास के बारे में है इसका उद्देश्य सस्ती/ विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना है इस योजना के दो घटक हैं- देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन योजना के तहत 2014-15 से इससे सबंधित सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज किया गया और हर वर्ष पूंजीगत व्यय में औसतन 42 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई

चिकित्सा शिक्षा

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 2016 के जरिए एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया है कि पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा - राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, शिक्षण वर्ष 2016-17 से शुरू की गई, इससे इन पाठ्यक्रमों में विशेषकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अनुचित तरीकों पर रोक लग सकेगी और चिकित्सा शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा इसमें उच्च मानदंड सुनिश्चित हो सकेंगे

दंत चिकित्सा शिक्षा

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के प्रारूप के तहत 2014 से 2016 के दौरान 12 नए कॉलेज खोले गए पिछले तीन वर्षों में बीडीएस की 1,670 और एमडीएस की 943 सीटें बढ़ाई गई हैं

संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र

संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र, आधुनिक और भारत की प्राचीन तथा परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के सम्मिलन के लिए अनुसंधान के वास्ते नई दिल्ली के एम्स की अग्रगामी पहल है इसका उद्देश्य एक आधुनिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना है इसे भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावोत्पादकता साबित करने के लिए गहन अनुसंधान के समुचित केंद्र के रूप में गठित किया गया है

कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार और जीवन- शैली में बदलाव से असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना है इस कार्यक्रम के तहत जांच और निरोधक एनसीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं

संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तपेदिक के रोगियों और इसके कारण होने वाली मौतों को कम करना और देश में एक बड़ी जनस्वास्थ्य समस्या बनने से रोकने के लिए इसके संक्रमण पर काबू पाना है सरकार इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मानव संसाधनों, औषधियों, निदान और उपभोग्य सामग्री के लिए सहायता देती है

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है एचआईवी संक्रमणग्रस्त दस लाख

से अधिक लोग पूर्वव्यापी वायरल रोधी-एआरटी उपचार ले रहे हैं इनके अलावा एक लाख से अधिक लोगों को परीक्षण और उपचार नीति के अनुरूप पूर्वव्यापी वायरलरोधी (एआरवी) उपचार के दायरे में लाया गया है यह नीति एआरटी उपचार ले रहे सभी रोगियों के लिए है, चाहे वे सीडी काउंट या क्लिनिकल चरण में हों

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007-08 में नौ राज्यों के 18 जिलों में शुरू किया गया था 2008-09 में इसे और 12 राज्यों के 24 जिलों में भी शुरू कर दिया गया वर्तमान में यह 29 राज्यों के 53 जिलों में लागू है

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है इसके लिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तरीय कार्यों में सहायता दी जा रही है इस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में नियमित रूप से मनोविकारी ओपीडी तथा आईपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है मादक दवाओं की नि:शुल्क आपूर्ति की जाती है; औषधालय संबंधी मदद उपलब्ध कराई जाती हैं और तालुका अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामुदायिक, शिविर और पहुंच क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा करने संबंधी गतिविधियां चलाई जाती हैं

राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के बुजुर्गों को अलग से विशेषज्ञता और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना है

जलने के घावों की रोकथाम और ऐसी घटनाओं के प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलने की घटनाओं और इनकी वजह से होने वाले घावों, अपंगता तथा मृत्युदर में कमी लाना है इसके लिए लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और उद्योगों तथा खतरनाक व्यवसायों में लगे कर्मियों में इसके प्रति जागरुकता पैदा करना तथा उनका पुनर्वास कराना है

नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014-15 में की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य देश की जनस्वास्थ्य सुविधाओं में ओरल हेल्थ देखभाल सेवाओं को मजबूत कर ऐसे रोगियों की संख्या कम करना है इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों की दंत सर्जन की अनुबंध पर नियुक्ति, डेंटल हाइजिनिस्ट, दंत सहायक उपकरणों की खरीद, डेंटल क्लिनिक के नवीकरण, इलाज के लिए आवश्यक सामग्री, दंत रोगों के प्रति जागरुकता, क्षमता विकास और प्रशिक्षण से संबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाती है

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के जरिए सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराकर कुष्ठ रोगियों में कमी लाना है, ताकि सभी राज्यों और जिलों में जनस्वास्थ्य की समस्या बनी इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों की संख्या कम कर प्रतिवर्ष एक लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिशत तक की जानी है इस कार्यक्रम के कार्यकलापों में शामिल हैं- रोग का पता लगाना तथा उसका इलाज, अपंगता रोकथाम, स्वास्थ्य बहाली, व्यवहार परिवर्तन संचार सहित आईईसी, मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन

यह योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल की जा चुकी है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

यह योजना, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकतर रोगों के लिए सरकारी और सूची में शामिल निजी अस्पतालों में नकदीरहित इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है इससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी

समावेशी रोग निगरानी कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित यह योजना सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में चलाई जा रही है इसके मुख्य उद्देश्य और रणनीति में शामिल हैं- महामारी का रूप लेने की आशंका वाली बीमारियों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी की मदद से संचालित निगरानी प्रणाली को मज़बूत और कार्यरत बनाए रखना, ताकि रोग के लक्षणों पर नज़र रखी जा सके और प्रशिक्षित तथा त्वरित कार्रवाई दलों के माध्यम से रोग के फैलने की शुरुआत में ही इसका पता लगाकर इलाज किया जा सके वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक जिले ई-मेल और पोर्टल के जरिए साप्ताहिक डाटा भेजते हैं एसएसयू/डीएसयू इसके आधार पर रोग के लक्षणों का आकलन करते हैं अगर कभी रोग के बढ़ने के लक्षण पाए जाते है तो बीमारी का पता लगाने और इसके फैलने से रोकने के लिए आरआरटी द्वारा जांच की जाती है

खाद्य नियम

अधिकृत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 125 और रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या 16 कर दी गई है खाद्य पदार्थों के संबंध में 19 मानक और नियम हैं इनमें शामिल हैं- खाद्य सुरक्षा तथा मानक (स्वास्थ्य अनुपूरकों, पोषकों के लिए खाद्य; विशेष आहार के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा के उद्देश्य के लिए खाद्य, फंक्शनल खाद्य और नए खाद्य) नियम, 2015; चांदी के वर्क के मानकों में संशोधन; फलों को पकाने के लिए एथेलीन गैस का इस्तेमाल; खाद्य योगजों का कोडेक्स के साथ मिलान, कच्ची दालों के लिए मानक, मीट तथा उससे तैयार उत्पादों और दूध तथा उससे बने उत्पादों के लिए जीवाणु तत्व संबंधी मानक, ट्रेडमार्क युक्त खाद्य के लिए मानक; खाद्य सुरक्षा तथा मानक, खाद्य अधिनियम 2016; खाद्य सुरक्षा तथा मानक (आयात अधिनियम 2017) और खाद्य सुरक्षा तथा मानक (खाद्य प्रत्याहार प्रक्रिया) अधिनियम, 2017

इनके अलावा प्रयोगशालाओं और घरों में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का पता लगाने के लिए तुरंत जांच के वास्ते नियमावली बनाई गई है राष्ट्रीय दुग्ध गुणवत्ता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है सेफ वाटर पोर्टल भी शुरू किया गया है जिस पर बोतलबंद पेयजल के बारे में एफएसएसएआई या बीआईएस के तहत लाइसेंस नंबर और विधि मान्यता की जांच की जा सकती है बाज़ार में खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वालों के लिए स्किल इंडिया की भागीदारी से क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है

औषधि अधिनियम

चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है इसके तहत चिकित्सा उपकरणों का जोखिम आधारित वर्गीकरण, लाइसेंसिंग और नियमन किया जाता है राष्ट्रीय नियमन प्राधिकरण को पांच में से चार और चार में से तीन कार्यों के सर्वाधिक परिपक्वता स्तर के साथ क्रियाशील घोषित किया गया 344 इरेशनल फिक्स्ड डोज़ कंबीनेशन पर रोक लगा दी गई है आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है अब इस सूची में 376 दवाएं हैं कोरोनरी स्टेंट को एनएलईएम 2015 में शामिल किया गया है और रोगियों को राहत देने के लिए इनकी अधिकतम कीमत तय कर दी गई है

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना 1997 में की गई थी इसका उद्देश्य खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे गरीबीरेखा से नीचे के लोगों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है यह सहायता एकमुश्त अनुदान के रूप में उस अस्पताल के अधीक्षक को पहुंचाई जाती है जिसमें रोगी का इलाज चल रहा होता है इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को रोगी सहायता कोष के लिए भी सहायता अनुदान देती है इस कोष में राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों का योगदान 50 प्रतिशत होता है

स्वास्थ्य मंत्रालय का कैंसर रोगी कोष

स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर रोगी कोष को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 2009 में शुरू किया गया था इस कोष के इस्तेमाल के लिए 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत एक कोष बनाया गया है इन उपायों से राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर रोगी कोष के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता बिना देरी के सुनिश्चित हो सकेगी

स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान

स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत बड़ी बीमारियों के इलाज और सर्जरी के लिए अस्पताल का कुछ खर्च चुकाने के वास्ते गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के लिए सवा लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो लोग गरीबीरेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ नहीं उठा सकते और उनकी सालाना आमदनी सवा लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं

वैश्विक उपस्थिति

भारत, वैश्विक आयोजनों जैसे- विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2017 और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य सम्मेलन में नियमित रूप से भाग लेता है वह प्रमुख वक्ता के रूप में भागीदारी करता है भारत ने ब्रिक्स 2017 की मेजबानी की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठकों के आयोजन में समन्वय किया इसमें भारत ने क्षय रोग, चिकित्सा उपकरणों और एमएआर जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सदस्य देशों को मदद जारी रखने की हिमायत की भारत अंतर-सरकारी संगठन 'जनसंख्या और विकास में भागीदारी' का संस्थापक सदस्य है यह संगठन, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान बनाया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन संरचना सभा के पक्षों के सम्मेलन के सातवें सत्र का आयोजन किया

स्वास्थ्य अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद- आईसीएमआर की स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ के रूप में की गई थी यह विश्व की सबसे पुरानी अनुसंधान इकाइयों में से एक है परिषद ने अपने सौ वर्ष से अधिक लंबे कार्यकाल में भारत और विश्व में बायोमेडिकल अनुसंधान के नियोजन, सूत्रीकरण, समन्वयन, कार्यान्वयन और संवर्द्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है यह अनुसंधान, व्यावसायिक विकास, सहयोग और ज्ञान के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बल पर देश की शीर्ष और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान संस्था बनी हुई है अपने 32 अनुसंधान संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों तथा गैरसरकारी संगठनों के बाहरी वित्तपोषण से परिषद ने मलेरिया, जापानी एन्सेफलिटिस, तपेदिक, एड्स, काला-ज़ार, फिलारियासिस, कुष्ठ रोग और पोलियो जैसे रोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान किया है इसने पोषण, प्रजनन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, व्यावसायिक तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों संबंधी अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है परिषद के अनुसंधान के नतीजों से महत्वपूर्ण और सतत विकास को बल मिला है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से चिकित्सा अनुसंधान के भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है इसमें, चिकित्सा तथा औषधि अनुसंधान में व्यवसाय की तैयारी करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, लघु अवधि अनुसंधान स्टूडेंटशिप शामिल हैं इसमें अनुसंधान के क्षेत्र में आने वालों के लिए उनके करियर के शुरू में उनके कौशल तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुसंधान फैलोशिप और लघु अवधि विज़िटिंग फैलोशिप शामिल है परिषद विशेष विषयों पर अनुसंधान जारी रखने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सा वैज्ञानिकों और अध्यापकों की वैज्ञानिकों के

पद पर नियुक्ति करती है परिषद के अनुसंधानों का लाभ पूरी दुनिया को मिला है और यह हर महाद्वीप में अनुसंधान सहयोग बढ़ा रही है इसमें 553 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा और मंजूरी शामिल हैं इनमें से 68 को परिषद ने पिछले कुछ वर्षों में धन उपलब्ध कराया है परिषद ने समझौता ज्ञापनों के जरिए विश्वभर के विश्वविद्यालयों की भागीदारी से कैंसर, मधुमेह, संचारी रोगों और टीकों के विकास जैसे स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अनुसंधान की दिशा में प्रभावशाली प्रयास किए हैं इस सहयोग में वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, संयुक्त परियोजनाओं, बैठकों का सह-लेखन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और स्पिपोज़िया शामिल हैं

प्रमुख कार्यक्रम

भारतीय तपेदिक अनुसंधान संकाय: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मुख्य भूमिका निभाते हुए एक नया प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया ताकि भारतीय तपेदिक अनुसंधान और विकास संकाय की स्थापना की जा सके इसका उद्देश्य तपेदिक की समस्या को लक्ष्य बनाकर निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में (अंतरराष्ट्रीय सहयोगकर्ताओं के साथ) सभी बड़े राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं को एक मंच पर लाना है

तपेदिक नैदानिक पहल: टीबी/एमडीआर-टीबी के लिए देश में निर्मित सस्ती, त्वरित अणु संबंधी नैदानिक किट-ट्रुएनट रिफ का विकास आईसीएमआर, डीबीटी और उद्योग के सहयोग से किया गया है वर्तमान में इस पर एक सौ जिलों में अध्ययन जारी है जनजातीय लोगों को दी जा रही सेवाओं में खामियों को दूर करने के लिए प्रमुख परियोजना, एक्टिव केस फाइंडिंग पांच राज्यों में शुरू की गई है

ई-हेल्थ/एम हेल्थ और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग

समय बदलने के साथ-साथ आईसीएमआर, ई-हेल्थ/एम हेल्थ के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर जोर दे रही है आईसीएमआर ने मोबाइल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए मलेरिया के लिए एक मोबाइल आधारित रोग निगरानी प्रणाली विकसित की है इस प्रौद्योगिकी का विकास आरएमआरसी, डिब्रूगढ़ ने सीडीएसी, पुणे के सहयोग से किया है जिसे असम के तेंगाघाट पीएचसी में लगाया गया है आईसीएमआर ने स्वास्थ्य अनुसंधान में विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रम भी बनाए हैं और तपेदिक दवाओं, डीडीआरटीबी, खाद्य और पोषण डाटाबेस भी तैयार किया है मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को दूर करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर ने ऊपरी असम के लिए जेई की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है, मलेरिया और मच्छरजनित स्थितियों पर अध्ययन शुरू किया है और फिलारियासिस के बारे में पूर्वानुमान के तरीके का विकास किया है

रोग जिम्मेदारी अनुमान

राज्य स्तरीय रोग जिम्मेदारी अनुमान की शुरुआत अमरीका में वाशिंगटन के एक विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से की गई इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नियोजन में सुधार के लिए राज्य स्तरीय रोगों की जिम्मेदारी और जोखिम का अनुमान लगाना है

ज़ीका वायरस के प्रकोप से निपटने की तैयारी

आईसीएमआर-एनआईवी ने ज़ीका परीक्षण के लिए देश में 25 स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था की है 25 प्रयोगशालाओं और 11 आईडीएसपी प्रयोगशालाओं के लिए पुनरावर्ती प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया है आईसीएमआर के निगरानी नेटवर्क से ज़ीका वायरस के चार मामलों का पता चला है (तीन गुजरात में एक तमिलनाडु में पाया गया है) ज़ीका वायरस के लिए एन्टोमोलोजिकल निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है

राष्ट्रीय रोटा वायरस निगरानी नेटवर्क *(2012-16)*

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटा वायरस टीके के असर और रोटा वायरस डायरिया की प्रवृत्ति

का पता लगाने के लिए चार प्रमुख रेफरल प्रयोगशालाओं, सात आइसीएमआर की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और 23 अस्पताल स्थलों पर अध्ययन किया गया
वेबसाइट: www.icmr.nic.in

आयुष

आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का अधिकतम विस्तार और प्रचार हो सके इससे पहले इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग के नाम से जाना जाता था जिसे 1995 में बनाया गया था 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग कर दिया गया इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान विकास पर ध्यान केंद्रित करना था स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणाली में बाद में तिब्बती पद्धति सोवा-रिग्पा को भी शामिल कर दिया गया

स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियां

आयुर्वेद

आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है- जीवन विज्ञान आयुर्वेद वेदों से निकला है जो जीवन, रोग और स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित है 2500 ईसा पूर्व के आस-पास विकसित चरक संहिता और सुश्रुता संहिता आयुर्वेद के मुख्य नुस्खे में पूरी तरह उपलब्ध हैं आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की पहली जरूरत स्वास्थ्य है आयुर्वेद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है

योग

योग अध्यात्म से जुड़ा है यह स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच समरसता पैदा करता है योग शब्द के दो अर्थ हैं- पहला युजिर अर्थात जोड़ और दूसरा युजा जिसका अर्थ है- समाधि, यानी मन की सर्वोत्तम और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था संस्कृत के जाने-माने व्याकरण के ज्ञाता पाणिनी के अनुसार योग के ये दो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ हैं

लोग स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग को अपना रहे हैं और यह हमारी आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा बन गया है वर्तमान समय में दुनियाभर में योग के प्रति रुझान बढ़ा है, क्योंकि यह जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है, रोगों का निवारण कर स्वस्थ बनाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है विभिन्न अध्ययनों से साबित हुआ है कि जीवनशैली संबंधी और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने में योग बहुत कारगर है इसकी विशेषता यह है कि इसे स्वास्थ्य देखभाल की अन्य पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है

प्राकृतिक चिकित्सा

प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है इसमें औषधियां नहीं दी जातीं और यह पूरी तरह संस्थापित तत्व ज्ञान पर आधारित है स्वास्थ्य, रोग और इलाज के सिद्धांतों के बारे में इसकी अपनी अवधारणा है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियोजन के बारे में प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सुव्यवस्थित जीवन की हिमायती है इसमें स्वास्थ्यवर्द्धन, बलवर्द्धन, रोग निवारण और आरोग्य बनाने की क्षमता है

यूनानी

यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ ग्रीस में हुआ बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद यह भारत पहुंची यह पद्धति पूर्ण स्वास्थ्य के संवर्धन और रोगों के निवारण से संबंधित संस्थापित ज्ञान और प्रयोग पर आधारित है इसमें मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के परंपरागत ज्ञान का समावेशन है इसमें प्राकृतिक पदार्थों, ज्यादातर जड़ी-बूटियों, जानवरों, समुद्री उत्पादों और कच्ची धातुओं

से बनी दवाओं के प्रयोग पर जोर दिया जाता है इस पद्धति को शेख बू-अली सिना (अविसेना) (980-1037 ईसा पश्चात) ने चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अल-क्युनून में, रज़ी ने (850-923) अल-हवी में और कई अन्य यूनानी चिकित्सकों ने अन्य पुस्तकों में लिखा

सिद्ध

यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है इसका द्रविड़ संस्कृति से गहरा संबंध है सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां कहा जाता है कि इसमें प्रवीणता हासिल करने वाले 18 सिद्धों ने इसके व्यवस्थित विकास में योगदान किया और अपने अनुभव तमिल भाषा में दर्ज किए

होम्योपैथी

हिप्पोक्रेट्स के समय (लगभग 400 ई.पू.) से चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वस्थ व्यक्तियों में उसी तरह रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में जर्मनी के डॉ. क्रिस्टियन फ्रायडरिच सेमुएल हाह्नेमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया भारत में यह पद्धति 1810 ई.पू. के आस-पास यूरोपीय मिशनरियों के जरिए आई 1948 में संविधान सभा और बाद में तत्कालीन संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इसे सरकारी मान्यता दी गई

सोवा-रिग्पा

यह दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है इसका इतिहास ढाई हजार वर्ष से भी पुराना है यह हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर), हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित है यह पद्धति दमा, ब्रोंकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में असरदार है सोवा रिग्पा के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं (1) शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु हैं; (2) एंटीडॉट जैसे इलाज; (3) एंटीडॉट के जरिए इलाज का तरीका; (4) रोग का निदान करने वाली औषधियां तथा (5) औषध विज्ञान सोवा-रिग्पा में मानव शरीर की रचना में ब्रह्माण्ड संबंधी पांच भौतिक तत्वों, विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया जाता है

आयुष स्वास्थ्य देखभाल संरचना

वर्तमान में आयुष प्रणाली के तहत 3,632 अस्पताल; लगभग 58,020 बिस्तर; 26,325 डिस्पेंसरियां; 7,44,563 डॉक्टर, 9,282 औषधि उत्पादन इकाइयां और 550 शिक्षा संस्थान हैं इन शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट के लिए 32,256 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4,339 सीटें हैं इनके अलावा, 512 जिला अस्पताल; 2,739 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 9,112 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2014 में अधिसूचित किया गया था यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने; मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष डिस्पेंसरियों के उन्नयन और अधिकतम 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना पर ध्यान देता है इसके अलावा, यह आयुष शिक्षा संस्थानों, को मजबूत करता है; आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी दवाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था करता है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है

आयुष औषधि गुणवत्ता नियंत्रण

आयुष मंत्रालय की अपनी औषधि नियंत्रण इकाई है जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं से संबंधित मुद्दों की देखरेख और समन्वय का काम करती है मंत्रालय ने औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 में संशोधन किया है ताकि वैज्ञानिक आंकड़ा आधारित शेल्फ लाइफ अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके और पारंपरिक संविन्यासों के नाम के आगे या पीछे कुछ जोड़ने पर रोक लगाई जा सके राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्र प्रायोजित पहल के तहत राज्यों को दवाओं के उत्पादन तथा परीक्षण और नियामक प्रावधानों के अनुपालन के लिए नियामक क्षमता, बुनियादी ढांचा और कार्यप्रणाली को मजबूत करने के वास्ते सहायता

अनुदान दिया जाता है राज्यों के वैज्ञानिकों और नियामक कार्मियों के क्षमता निर्माण के लिए फार्माकोपोएइअल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फार्माकोपोएअल लेबोरेटरी नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती हैं

आयुष में चिकित्सा शिक्षा

सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वैधानिक इकाई है इसका गठन इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत किया गया है यह अपने विभिन्न विनियमों के जरिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में चिकित्सा शिक्षा के मानक तय करती है होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा का नियमन सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी अपने विभिन्न विनियमों के जरिए, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 के तहत करती है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इस प्रकार का कोई संचालन निकाय नहीं है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेज विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहे हैं ये हैं- बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, विभिन्न विशेषज्ञता (एमडी/एमएस-आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों में पोस्ट ग्रेजुएट, आयुर्वेद डिग्री विभिन्न विशेषज्ञता (एमडी/एमएस-सिद्ध) पाठ्यक्रमों में पोस्ट ग्रेजुएट सिद्ध डिग्री और विभिन्न विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों (एमडी-होम्योपैथी) में पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी डिग्री

अंडर ग्रेजुएट शिक्षा

देश में कुल 549 आयुष कॉलेज (297 आयुर्वेद, 9 सिद्ध, 46 यूनानी और 197 होम्योपैथी) शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इनमें से 543 आयुष कॉलेज (295 आयुर्वेद, 8 सिद्ध, 45 यूनानी और 195 होम्योपैथी) पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा दे रहे हैं 01.01.2016 तक इनकी प्रवेश क्षमता 33,611 विद्यार्थियों की थी कुल 543 कॉलेजों में 102 सरकारी क्षेत्र के हैं (57 आयर्वेद, 3 सिद्ध, 10 यूनानी और 32 होम्योपैथी) इनमें 5,236 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं (2,967 आयुर्वेद, 160 सिद्ध, 431 यूनानी और 1,678 होम्योपैथी) नए राज्य तेलंगाना सहित 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 295 आयुर्वेद कॉलेज 17,202 विद्यार्थियों को, 195 होम्योपैथी कॉलेज 13,658 विद्यार्थियों को, 45 यूनानी कॉलेज 2,331 विद्यार्थियों को, 8 सिद्ध कॉलेज, 420 विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा दे रहे हैं

पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम

चिकित्सा शिक्षा देने वाले कुल कॉलेजों में से छह कॉलेज (2 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी, 1 यूनानी, 1 सिद्ध) केवल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए हैं इनमें 225 विद्यार्थियों (60 आयुर्वेद, 72 होम्योपैथी, 47 यूनानी और 46 सिद्ध) को प्रवेश दिया जाता है

आयुष शिक्षा देने वाले स्वायत्त संस्थान

(i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुरः यह आयुर्वेद में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फैलोशिप पाठ्यक्रमों के लिए है इसमें अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में 92 और 14 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 104 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है यह आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहा है इसमें 300 बिस्तरों वाले दो अस्पताल हैं अनुसूचित जातियों/जन जातियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल इलाकों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाता है

(i) आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर: यह संस्थान 10 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है इसमें पीएचडी के 50 छात्र भी हैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कानून एवं संविधि द्वारा संचालित इस संगठन को भारत सरकार से धन प्राप्त होता है यह गुजरात के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिविरों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करता है इसमें अच्छे प्रबंधन वाले अस्पताल हैं जिनमें ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं हैं

(iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाताः यह होम्योपैथी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का

संचालन करता है अंडर ग्रेजुएट के लिए 93 और 6 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 36 सीटें हैं इसका 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है जिसमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 250 की जा रही है सीपीडब्ल्यूडी ने इसके नए भवन का निर्माण किया है जिसमें अतिरिक्त नैदानिक सुविधाएं हैं अकादमिक ब्लॉक की तीन मंजिला इमारत को सात मंजिला किया गया है

(iv) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलुरु: यह यूनानी चिकित्सा में आठ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है इसमें 47 सीटें हैं इसका एक 180 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है संस्थान, सीएमई कार्यक्रम, कार्यशालाएं गोष्ठियां और अतिथि व्याख्यानों का आयोजन करता है इसके अस्पताल में त्वचा, जीआईटी, यकृत, तंत्रिका तथा मानसिक विकारों के लिए सामान्य और स्पेशिलिटी ओपीडी सेवाएं हैं

(v) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नईः इसमें सिद्ध चिकित्सा के छह पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम हैं जिनमें 46 सीटें हैं स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा वाला यह संस्थान सिद्ध पद्धति के प्रचार और संवर्द्धन के लिए अनुसंधान भी करता है अस्पताल में 160 बिस्तर हैं संस्थान हर शनिवार को दो स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है एक शिविर ग्रामीण इलाके में और दूसरा अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में लगाया जाता है इसका उद्देश्य नि: शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा कर सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में समाज के लिए कुछ करने की भावना पैदा करना है

नए स्वायत्त संस्थान

(i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्लीः यह आयुर्वेद का शीर्ष संस्थान है, जिसमें 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल है इसमें आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्स हैं 18 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 84 सीटें हैं इसमें ओपीडी भी है

(ii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलॉग: इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी कॉलेजों के अलावा अस्पताल भी हैं आयुर्वेद अस्पताल में 100 और होम्योपैथी अस्पताल में 50 बिस्तर हैं

आयुष में अनुसंधान

सरकार ने पांच स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है ये हैं- केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद्, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद इन्हें संबंधित चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए अधिकृत किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मधुमेह के इलाज के लिए 05 आयुर्वेदिक औषधियों के पौधों से ‘आयुष 82’ नाम की दवा विकसित की है इस दवा के परीक्षण में ब्लड शुगर में काफी कमी पाई गई है और मधुमेह में अन्य सुधार भी देखे गए हैं परीक्षण के दौरान इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं पाया गया परिषद ने इसके वाणिज्यीकरण के लिए काम शुरू कर दिया है परिषद के इसके अधीनस्थ 81 संस्थान, अनुसंधान कार्य के अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने अपने कार्यक्रम - ‘स्वस्थ बच्चों के लिए होम्योपैथी’ के तहत दांत निकलने के दौरान और रोगों के इलाज में सहायता देने के लिए 40,000 बच्चों का नाम दर्ज किया है

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वय करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी बोर्ड, संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा एजेंसियों की परामर्शवादी इकाई है यह औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण तथा इनके चहुंमुखी विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की योजना बनाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और औषधीय पौधों से संबोधत गतिविधियों के लिए कार्य नीति बनाने में परामर्श देता है

आयुष सेवाएं

राष्ट्रीय आयुष मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है इसके तहत अन्य बातों के अलावा बेहतर आयुष सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं इसके लिए आयुष अस्पतालों, डिस्पेंसरियों की संख्या बढ़ाई जाती है और आयुष दवाओं तथा प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है इसका उद्देश्य आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है इसके लिए शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाना तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्यों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना है इन प्रयोगशालाओं पर औषधि तंत्र लागू करने की जिम्मेदारी है

आयुष भेषज प्रयोगशालाएं

(i) भारतीय औषधियों के लिए भेषज प्रयोगशाला

गाज़ियाबाद स्थित यह प्रयोगशाला आयुष मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है इसकी स्थापना 1970 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी मेडिसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेषज मानक निर्धारक और औषध जांच प्रयोगशाला के रूप में की गई थी ये औषधि और सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 के तहत इन चारों चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के परीक्षण के लिए एक अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में काम करती हैं भेषज प्रयोगशाला का उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शामिल करने के लिए आमंत्रित औषधियों और यौगिक सूत्रीकरण के भेषज मानकीकरण के विकास तथा प्रमाणीकरण और औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों तथा न्यायालयों से प्राप्त वैध औषधि नमूनों का विश्लेषण करना है

(ii) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला

होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला की स्थापना (गाज़ियाबाद) एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में की गई थी इसका उद्देश्य होम्योपैथिक दवाओं की पहचान, शुद्धता तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण करना तथा मानकों का निर्धारण करना है यह प्रयोगशाला होम्योपैथिक दवाओं की परीक्षण की केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है प्रयोगशाला द्वारा बनाए जाने वाले मानकों को भारतीय होम्योपैथिक भेषज में प्रकाशित किया जाता हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी है

(iii) भारतीय औषधियां और होम्योपैथी भेषज आयोग

आयुष मंत्रालय की प्राथमिकता आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और इनका नियतकालिक नवीनीकरण करना है इन दवाओं की लोकप्रियता और मांग तेज़ी से बढ़ रही हैं आयोग, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है इसे मुख्य रूप से भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भेषज का समुचित समय के अंतराल में प्रकाशन तथा परिशोधन; आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी सूत्रीकरण तथा होम्योपैथिक औषधीय नियम संग्रहों का प्रकाशन तथा परिशोधन; आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं/नुस्खों और इन चिकित्सा पद्धतियों के उत्पादों पर औषध अनुसंधान के प्रति जागरुकता पैदा करने और उसे बढ़ावा देने; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विकास तथा अनुरूपण के लिए विश्व की विशेषज्ञ समितियों के साथ संवाद तथा जानकारी के आदान-प्रदान; अधिमूल्य पर संबद्ध पक्षों को रेफरेंस मानकों की आपूर्ति और रेफरेंस के उद्देश्य के लिए औषधियों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रामाणिक रेफरेंस कच्चे माल का राष्ट्रीय संग्रह बनाने; औषधियों के मानकीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे या अन्य सामग्री के रसायन रेफरेंस निर्माता मिश्रण का संग्रह बनाने तथा इसे बरकरार रखने और इन्हें अधिमूल्य पर रेफरेंस मानकों के रूप में संबधित पक्षों को आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है

17 | आवास एवं शहरी कार्य



आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) पर शहरी आवास एवं शहरी विकास के लिए कार्यक्रमों से जुड़ी व्यापक योजनाओं की तैयारी और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है यह केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के नीति निर्माण और उनके समन्वयन का नोडल मंत्रालय है शहरी विकास राज्यीय कार्य होता है और संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस संबंध में कई कार्य शहरी स्थानीय निकायों के सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है हालांकि, भारत सरकार विभिन्न केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के आधार पर शहरी परियोजनाओं, शहरी आजीविका मिशन और समग्र शहरी विकास कार्यक्रमों के समन्वयन और उनकी निगरानी का कार्य करती है मंत्रालय शहरी क्षेत्र के लिए उचित नीति निर्धारकों, अधीनस्थ कानूनों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है

वेबसाइट: www.mohua.gov.in

भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय तथ्य बन चुका है और आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्धारक भी है बड़े शहरों की संख्या में हुई प्रभावशाली वृद्धि शहरीकरण की प्रक्रिया के मूल में है, हालांकि, भारत अभी भी व्यापक तौर पर ग्रामीण से अर्ध-शहरी समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया के बीच में है संयुक्त राष्ट्र के 2030 के विकास एजेंडा में शहरों के लिए संधारणीय स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर जोर दिया गया है, इसका अर्थ, मानव बस्तियों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीली और स्थायी बनाने के लिए शहरों एवं समुदायों के संधारणीय विकास पर जोर दिया गया भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी 1210.50 मिलियन थी जिसमें 377.10 मिलियन (31.2 प्रतिशत) शहरों में और 833.40 मिलियन (68.8 प्रतिशत) ग्रामीण इलाकों में थी शहरी क्षेत्रों की आबादी 7,933 कस्बों में थी, जिनमें 4,041 सांविधिक शहरों और 3,892 जनगणना शहरों में रही थी पूर्ण तौर पर 2001-2011 के दशक के दौरान शहरी आबादी में 90.99 मिलियन की वृद्धि हुई, जिसके बरक्स, ग्रामीण जनसंख्या में 90.97 मिलियन की वृद्धि हुई थी मौजूदा वृद्धि दर के अनुसार अनुमान है कि 2030 तक शहरी जनसंख्या 575 मिलियन और 2050 तक 875 मिलियन तक पहुंच जाएगी

प्रधानमंत्री आवास योजना - सब के लिए (शहर) आवास

सब के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का आरंभ किया था, जिसे 2015-2022 तक अमल में लाया जाना है मिशन में सभी सांविधिक शहरों के सभी उपयुक्त परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित सांविधिक शहरों के संबंध में निर्धारित (ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त) और अन्य योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त) को सम्मिलित करने की छूट है शहरी क्षेत्र में सब के लिए आवास मिशन पर कार्य करने के लिए चार पहलें की गई हैं: (1) निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता से स्वस्थ झोपड़ी पुनर्विकास रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर) के साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले पात्रों के लिए उन स्थानों पर आवास विकास; (2) ऋण युक्त अनुदान के माध्यम से वहन योग्य आवास विकास (सीएलएसएस का नाम बदल कर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस कर दिया गया है); लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से मूल्य वहन योग्य आवास निर्माण (एएचपी); लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण/वृद्धि; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 30 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्र वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य इन मकानों

के आकार में वृद्धि भी कर सकते हैं आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार सालाना 3 लाख से कम आमदनी वाले होते हैं और 3-6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले वर्गों को निम्न आय वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है

योजना की प्रगति

29 राज्यों और 6 संघशासित प्रदेशों में 35 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं; मिशन के अंतर्गत 35 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 4,302 शहरों का चुनाव हुआ है मिशन के अंतर्गत सरकार ने 35 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 57,652 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के लिए 7,474 परियोजनाओं को स्वीकार किया है जिनके अंतर्गत 3,361 शहरों में 37,43,631 मकानों का निर्माण किया जाएगा

अमृत योजना

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) की शुरुआत 2015 में की गई थी 500 शहरों को इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है एक लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), राज्यों की राजधानियां/केंद्रशासित प्रदेश, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई) के अधीन शहर, मुख्य नदियों के किनारों पर चिह्नित शहर, पर्वतीय राज्य, द्वीप एवं पर्यटन केंद्र इस श्रेणी में आते हैं अमृत योजना में देश की 60 प्रतिशत शहरी आबादी को समाहित किया गया है यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका कुल व्यय एक लाख करोड़ रुपये तक रहा है जिसमें 5 वर्षों के दौरान कुल 50,000 करोड़ रुपये केंद्रीय कोष से दिए जा रहे हैं यह राशि 2015-2016 से 2019-2020 के अरसे में दी जाएगी 50,000 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से आएगी

मिशन के प्रमुख कार्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, बरसाती पानी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटरयुक्त शहरी यातायात एवं क्षमता विकास हैं मिशन के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों में बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास पर केंद्रित किया गया है जिससे निम्न नतीजे अपेक्षित हैं: (1) प्रत्येक घर को पेयजल आपूर्ति दायरे में लाना; (2) सीवरेज क्षमता व्याप्ति एवं उसके रखरखाव में व्यापक सुधार; (3) सिटी पार्कों का विकासः (4) सुधार कार्यान्वयन और क्षमता विकास पेयजल क्षेत्र में मौजूदा समस्या को दूर करने के लिए, पुरानी पेयजल आपूर्ति प्रणाली और अन्य विषयों के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें जल स्रोतों, विशेषकर जलापूर्ति एवं भूजल पुनर्भरण और उपचार संयंत्र होंगे व्यर्थ जल को पुनः प्रयोग में लाया जाना, राजस्व रहित जल में कमी और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए संभावनाएं तलाशना योजना के महत्वपूर्ण अंश हैं

दीनदयाल अंत्योदय योजना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धन घरों की गरीबी एवं संबंधित संवेदनशीलता दूर करने के लिए 2013 से केंद्र द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना संचालित कर रहा है मिशन के अंतर्गत देश के सभी सांविधिक शहरों को शामिल किया जाता है जिनका चुनाव राज्य स्थानीय जरूरत एवं क्षमता के आधार पर करता है

इसके सात प्रमुख अंश हैं सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास (एसएम एंड आईडी) योजना के अंतर्गत शहरी निर्धन महिलाओं, दिव्यांगों और मितव्ययी एवं ऋण आधारित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके समुदाय आधारित संगठनों को गतिशील करने से जुड़ी एक नीति बनाई गई है; (2) कौशल विकास एवं प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) के जरिए शहरी निर्धन वर्ग को बाजार व्यवस्था आधारित कार्यों में प्रशिक्षित कर स्थायी आजीविका कमाने के लिए दक्ष बनाना; (3) स्वरोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत शहरी निर्धन व्यक्तियों/समूहों को रोज़गार उपक्रम/लघु उद्यम खोलने के लिए सहायता दी जाती है; (4) गलियों में फेरी लगाने वालों के लिए योजना, फेरी लगाने वालों के लिए बाजार विकास, ऋण अधिकार, गली में फेरी लगाने वालों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास एवं लघु उद्यम विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहयोग विलयन; (5) नवीकृत एवं विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी) लोक, निजी एवं सामुदायिक सहभागिता (पीपीसीपी) के माध्यम से नगरीय रोज़गार के

स्थायी स्रोतों को प्रोत्साहन देने का प्रयास है

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी इस मिशन का लक्ष्य ऐसे शहरों को तैयार करना है जो अपने नागरिकों को बुनियादी अवसंरचना और बेहतर जीवनशैली उपलब्ध कराते हों, साथ ही स्वच्छ एवं संधारणीय वातावरण और 'स्मार्ट' सॉल्यूशन्स को अमल में लाना हैं स्मार्ट सिटी में निहित बुनियादी अवसंरचनात्मक तत्वों में प्रचुर जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुचारू नागरी आवागमन और जन यातायात, वहनीय आवास, खासकर निर्धन वर्ग के लिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता, नागरिक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए एवं स्वास्थ्य और शिक्षा

कार्यनीति

स्मार्ट सिटीज मिशन के नीतिगत अवयवों में शहरी सुधार (पुनः संयोजन), शहरी नवीकरण (पुनःविकास) और शहरी क्षेत्र विस्तार (हरितपट्टी विकास) के साथ-साथ समूचे शहर में स्मार्ट सॉल्यूशन्स अमल में लाना जिन्हें शहर के अधिकांश हिस्सों पर लागू किया जाएगा क्षेत्र आधारित विकास से मौजूदा क्षेत्रों का कायापलट होगा, जिनमें झुग्गी बस्तियों को बेहतर मानवीय रिहायशों में बदलना जिस आधार पर समूचे शहरों को रहने लायक बनाया जा सके शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही आबादी को बसाने के लिए उनके इर्द-गिर्द सुनियोजित और पूर्णतया व्यवस्थित नए क्षेत्रों (हरितपट्टी) का विकास

इस मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को शामिल किया गया हैं और इसकी अवधि पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) की होगी इसके बाद मंत्रालय द्वारा अध्ययन और उससे प्राप्त तथ्यों को कार्य में समाहित करने के बाद ही मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा

वित्त

मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और अगले पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार मिशन को 48,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, जिसका अर्थ है प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इतनी ही राशि का सहयोग राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा, अतः स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट के लिए सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की ओर से करीब 100,000 करोड़ रुपये का सहयोग दिया जाएगा अनुमान है कि स्मार्ट सिटीज प्रस्ताव के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की जरूरत रहेगी

भू-संपदा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2015 को पारित किया था 2016 में यह कानून बना इसका लक्ष्य भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण का गठन करना है ताकि भू-संपदा क्षेत्र के लिए नियम बनाए जा सकें एवं उसे प्रोत्साहित किया जा सके और जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके यह कानून जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है इनमें से 6 पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं जहां सामुदायिक और स्वायत्त परिषदों की संपदा वाली जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर कुछ संवैधानिक विवाद शेष हैं जिन पर जांच जारी है शेष 29 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में से 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भू-संपदा कानून के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कानून के तहत भू-संपदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है 24 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने कानून के अंतर्गत आम नियमों एवं अन्य नियमों को भू-संपदा बिक्री समझौते के साथ अधिसूचित कर दिया है अन्य 3 राज्यों ने नियमावली तैयार कर ली है परंतु अभी उसे अधिसूचित नहीं किया है 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने स्थायी भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण स्थापित कर दिया हैं 21 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने अंतरिम भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण स्थापित कर दिया है गुजरात, तमिलनाडु एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपील संबंधी ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया गया है 11 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने भू-संपदा अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम अपील संबंधी ट्रिब्यूनल स्थापित कर दिया है

14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट परियोजनाओं एवं एजेंटों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी तरह से सुचारू वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी है

पथ विक्रेता कल्याण योजना

पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का लक्ष्य नागरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा और फेरी लगाने की गतिविधियों को नियमित करना है राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभाओं के साथ) अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पथ विक्रेता अधिनियम के अंतर्गत नियम एवं योजनाएं बनाने के सबसे उपयुक्त पात्र हैं केंद्रशासित प्रदेशों (विधानसभा रहित) के लिए सबसे उपयुक्त सरकार होने के कारण मंत्रालय ने कानून के अंतर्गत नियम एवं योजनाएं बनाई हैं अभी तक 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने नियमों को अधिसूचित किया है जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं इनके अलावा, 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने योजना को अधिसूचित किया है जिनमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, छत्तीगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह हैं

हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट

द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई) भारत सरकार की केंद्रीकृत योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था इसका लक्ष्य सम्मिलित तौर पर शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है ताकि प्रत्येक हेरिटेज सिटी का मूल चरित्र सुरक्षित रह सके नवंबर 2018 तक और 500 करोड़ रुपये की राशि की लागत से इस योजना को अमल में लाने के लिए 12 शहरों का चुनाव किया गया जिनके नाम हैं अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल

शहरी यातायात

किसी भी शहर की उत्पादकता तब बढ़ जाती है यदि उसका अवसंरचनात्मक ढांचा बेहतर और सेवा व्यापार अच्छा हो इस कार्य में शहरी यातायात शहरी अवसंरचना का महत्वपूर्ण अंश है इसकी मदद से शहरी आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है अच्छा रोड नेटवर्क और सुचारू शहरी यातायात किसी भी शहर और उसके वातावरण में कार्यकारी सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यातायात व्यवस्था जितनी तेजी से लोगों और वस्तुओं को लाने-ले जाने का कार्य करेगी, यह उतनी ही तेजी से आर्थिक कार्य व्यापार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी शहरों की बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर शहरी यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है जिस कारण आर्थिक उत्पादकता दर में गिरावट देखने को मिल रही है अतः शहरों में यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए नागरी विकास की दिशा में काम करना सही कदम है वैश्विक अनुभव बताते हैं कि शहरी यातायात को अपने हित में तभी इस्तेमाल में लाया जा सकता है जब उसकी नींव शहरी विकास एवं भूमि उपयोग की प्राथमिक अवस्था में रखी जाए यह मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के मामलों के योजना निर्माण और समन्वयन का नोडल मंत्रालय है हालांकि, रेल यातायात की तकनीकी योजना बनाने का कार्य रेलवे मंत्रालय के पास है इसी तरह, मार्ग यातायात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी है इसके बावजूद, शहरी यातायात अवसंरचना और सेवा वितरण कार्य राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की बड़ी जिम्मेदारी होती है

18 भारत और विश्व



विश्व के साथ संपर्क कायम करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया में शांतिपूर्ण और स्थिरता वाला माहौल बने जिससे भारत की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां बनें वैश्विक मामलों में देश की निखरती छवि और दुनिया के कठिन आर्थिक वातावरण के बावजूद भारत का तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना एक ऐसा अवसर है जिसका फायदा भारत के नीतिगत और आर्थिक विकल्पों में विविधता लाने में उठाया जा सकता है इसी संदर्भ में भारत ने प्रत्येक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय साझेदारों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया है ताकि संबंधित क्षेत्रों में इस तरह के संबंधों से भारत को अधिकतम फायदा दिलाया जा सके इस अवधि के दौरान भारत के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के समूचे परिदृश्य को आपस में जोड़ने वाले सूत्रों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है

विदेश मंत्रालय या विदेशी मामलों का मंत्रालय दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली एजेंसी है

वेबसाइट: www.mea.gov.in

विगत वर्षों की तरह 2017-18 में भी भारत की व्यावहारिक और परिणाममूलक विदेश नीति जारी रहीं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, देश में आमूल आर्थिक बदलाव लाने जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर गौर करना था भारत की इस नीति की झलक पारंपरिक संबंधों में नयी जान डालने के हमारे प्रयासों, हमारे सामरिक व वाणिज्यिक संबंधों में नयी ऊर्जा के संचार और भारतवंशियों के साथ हमारे लगातार संपर्कों में देखने को मिलती है

वर्ष के दौरान सघन राजनयिक संपर्कों का सिलसिला जारी रहा भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहसों में तमाम मुद्दों पर रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ हिस्सा लिया वर्ष के दौरान भारत वासेनार अरेंजमेंट, शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन (शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ) और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे संगठनों का सदस्य बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन) के गठन के बाद, जो संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जलवायु परिवर्तन के मसले से निपटने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है भारत ने शंघाई सहयोग संगठन, जी-20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच जैसी विभिन्न बैठकों में भी हिस्सा लिया नवंबर 2017 में भारत ने विश्व उद्यमिता शिखर सम्मेलन और साइबर स्पेस के बारे में वैश्विक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग के तीसरे संस्करण और जनवरी 2018 में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया

'पड़ोसी को तरजीह' देने की सरकार की नीति के तहत भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखा प्रधानमंत्री ने श्रीलंका और म्यामां की यात्रा की और विदेश मंत्री ने नेपाल और बांग्लादेश का दौरा किया इसी तरह श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए और अफगानिस्तान सरकार के मुख्य कार्यकारी के भारत दौरे से पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्कों का सिलसिला और मजबूत हुआ जून 2017 में अफगानिस्तान के साथ डेडिकेटेड एयर कार्गो कॉरीडोर (हवाई माल ढुलाई गलियारे) का उद्घाटन किया गया जिसके तहत काबुल-दिल्ली और कंधार-दिल्ली के बीच हवाई माल परिवहन सुविधा शुरू होने से क्षेत्रीय संपर्क संबंधी बाधा दूर हुई और दोनों देशों के व्यापार में और तेजी आई इस हवाई गलियारे से अब तक 1,000 टन सामान का परिवहन पहले ही किया जा चुका है बांग्लादेश के साथ संबंधों की खास बात यह रही कि असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और

रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई बांग्लादेश के लिए 4.5 अरब डॉलर के तीसरे ऋण की घोषणा की गई जिसकी मदद से अत्याधुनिक किस्म के बंदरगाहों के निर्माण, रेलवे, बिजली और ऊर्जा, दूरसंचार तथा जहाज़रानी से संबंधित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी श्रीलंका के साथ सघन उच्चस्तरीय संपर्क से विकास परियोजनाओं को और बढ़ावा मिला और हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों में और अधिक तालमेल कायम करने में मदद मिली श्रीलंका में मई 2017 में आई बाढ़ के समय भारत ने तत्काल सहायता भेजकर उसके साथ अपनी एकजुटता प्रकट की प्रधानमंत्री की म्यामां की पहली द्विपक्षीय यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा मिला और द्विपक्षीय सहयोग भी सुदृढ़ हुआ नेपाल में 2016 के विनाशकारी भूकंप के बाद 75 करोड़ डॉलर की पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए ऋण समझौतों पर अमल किया गया भूटान के साथ भी उच्चस्तरीय आदान-प्रदान जारी रहा और महामहिम भूटान नरेश ने नवंबर 2017 में भारत का दौरा किया जिससे दोनों देशों के बहु-आयामी द्विपक्षीय संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग में लगातार प्रगति हुई और भारत-भूटान व्यापार और पारगमन समझौते का नवंबर 2017 में नवीकरण किया गया और जुलाई 2017 से इस पर अमल शुरू हो गया व्यापार को और सुगम बनाने के इन अतिरिक्त उपायों से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में और तेज़ी आई मालदीव के साथ पुराने संबंधों को उनकी प्रतिरक्षा और सुरक्षा सुदृढ़ करने, संस्थाओं और उनकी क्षमता के सृजन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत की सहायता से और मजबूती मिली

सांस्कृतिक और भौतिक संपर्क तथा डिजिटल कनेक्टिविटी भारतीय राजनय के महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामाने आए हैं दक्षिण एशिया उपग्रह के ऐतिहासिक प्रक्षेपण से भारत ने टेक्नोलॉजी संबंधी अपनी क्षमताओं को क्षेत्र के पड़ोसी देशों के साथ साझा करने की भारत की वचनबद्धता को प्रमाणित कर दिया भारत के भीतर और अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस में कनेक्टिविटी यानी संपर्क सुविधाओं की कमी हमारी क्षमताओं और हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता दोनों के लिए एक बड़ी बाधा है म्यामां और बांग्लादेश के साथ बहु-आयामी संपर्कों के विकास में लगातार प्रगति हो रही है ईरान में चाबहार बंदरगाह के चालू हो जाने से मध्य एशिया के हमारे सहयोगी देशों के साथ संपर्कों के और मजबूत होने और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को बढ़ावा मिलने की संभावना है दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में परिवहन संबंधी दक्षता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिमस्टेक और बीबीआईएन जैसे संगठनों के माध्यम से संपर्क सुविधाओं के विकास के प्रयास किए गए भारत ने जून 2017 में आयोजित टी.आई.आर. (ट्रांसपोर्ट्स इंटरनॉक्स रॉउटीर्स) सम्मेलन में भी हिस्सा लिया

सरकार ने दुनिया की तमाम प्रमुख शक्तियों के साथ संपर्क कायम करने और संबंध मजबूत करने के प्रयास जारी रखें इससे नये रास्ते और पारस्परिक हित के अवसर उत्पन्न हुए हैं अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ अपने द्विपक्षीय संपर्कों में सरकार ने हर संबंध के साथ अधिकतम क्षमता के क्षेत्रों पर जोर दिया भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारत ने विभिन्न देशों के साथा साझेदारी में हितों में पारस्परिक समानता का फायदा उठाया है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जी-20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पूर्व-एशिया शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहु-पक्षीय संगठनों की बैठकों के दौरान भारत ने दुनिया के नेताओं के साथ अलग से भी बैठकें आयोजित कीं

व्यापक विश्व के साथ संपर्क की भारत का राजनयिक नीति ऐसे उदीयमान शक्ति के रूप में देश के विश्वास की द्योतक है जो बहुध्रुवीय विश्व के समक्ष उभरकर सामने आ रहे वैश्विक विमर्श को आकार देने की क्षमता रखती है जून 2017 में प्रधानमंत्री की अत्यंत सफल अमरीका यात्रा के दौरान हिंद-प्रशांत के उभार और इसके महत्व को लेकर साझा समझ तथा समूचे क्षेत्र में नौ-परिवहन, विमानों की आवाजाही और वाणिज्य की स्वतंत्रता के महत्व की फिर से पुष्टि होना सबसे महत्वपूर्ण बात रहीं नये नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श में भी भारत-अमरीका संबंधों को और मजबूत करने को दोनों तरफ से फिर समर्थन मिला और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की आफत से विश्व के लिए उत्पन्न ख़तरे को एकजुट होकर मुक़ाबला करने की वचनबद्धता व्यक्त की गई रूस के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने जून में रूस की यात्रा की और कुदनकुलम के परमाणु बिजलीघर की पांचवीं और छठी इकाइयों की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर दशकों पुराने संबंधों को और मजबूत किया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच सहयोग के नये क्षेत्रों की भी पहचान की गई ये क्षेत्र हैं- गहरे समुद्र में खोज, विज्ञान व टेक्नोलॉजी, नवाचार, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समन्वित ज्ञान

आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, कृषि, समुद्री जहाज़ निर्माण, रेलवे, उड्डयन और संपर्क विस्तार सितंबर 2017 में भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में भारत की पहली तेज़ रफ़्तार रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई इसमें दोनों देशों ने अपने उस संकल्प को दोहराया जिसमें ऐसे मुक्त, खुले और खुशहाल हिंद-प्रशात क्षेत्र के निर्माण बात कही गई है जिसमें संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है 2017 में भारत और यूरोपीय संघ ने राजनयिक संबंध कायम होने की 55वीं जयंती मनाई और इस सिलसिले में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने अक्टूबर में 14वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया इस शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों पक्षों के एकसामन विचारों के साथ-साथ आतंकवाद से निपटने में घनिष्ठ सहयोग की इच्छा का भी पता चलता है सम्मेलन में आतंकवाद से संघर्ष में सहयोग के बारे में एक संयुक्त वक्तव्य को भी पारित किया गया

राजनयिक संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों की मुख्य विशेषता यह रही कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के देशों के साथ संबंधों के विस्तार के एक साथ प्रयास किए गए पूर्व के देशों को महत्व देने की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत प्रधानमंत्री ने नवंबर 2017 में मनीला में आयोजित 15वें आसियान- भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया क्षेत्र के लिए परंपरागत और गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी संपर्क बढ़ाने तथा और अधिक आपसी तालमेल पर अधिक जोर दिया जा रहा है आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25वीं जयंती पर सालभर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जनवरी 2018 में सरकार ने ऐतिहासिक आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया इसमें दसों आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्माननीय अतिथि के रूप में हिस्सा लिया

जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की पहली इस्राइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को बढ़कर सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया दोनों देशों ने अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए चार करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से भारत-इस्राइल औद्योगिक अनुसंधान व विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि गठित करने के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए

पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र से पिछले साल अबूधाबी के युवराज भारत के 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर आए इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विस्तृत सामरिक साझेदारी के स्तर पर उच्चीकृत करने का फैसला किया जिससे खाड़ी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सामरिक और आर्थिक दोनों ही मामलों में भारत की प्रमुख साझेदार हो गई है

आलोच्य वर्ष के दौरान ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन हुआ 15 हजार टन गेहूं की खेप नवंबर 2017 में चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई भारत-अफगानिस्तार हवाई माल ढुलाई गलियारे की स्थापना के साथ ही चाबहार बंदरगाह का खुलना अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे पर स्थित मध्य एशिया के क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नयी पहल है इससे चाबहार बंदरगाह को वैकल्पिक, विश्वसनीय और मजबूत संपर्क केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापक क्षेत्र में व्यापार और पारगमन को बढ़ावा मिलेगा

जून 2017 में 17वें शंघाई सहयोग संगठन के 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की कजाखस्तान की यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क को और बढ़ावा मिला इस सम्मेलन में भारत को शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया आतंकवाद का मुकाबला मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है और कजाखस्तान तथा उज़बेकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी दो संयुक्त कार्यदल गठित किए गए हैं इसके अलावा वस्त्र, धातुकर्म, हाइड्रोकार्बन, खनिज प्रसंस्करण, सूचना टेक्नोलॉजी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं

हिंद महासागर क्षेत्र भारत के राजनयिक संपर्कों की प्राथमिकता और आधार स्तंभ बना हुआ है हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन (आई.ओ.आर.ए) ने पहला आई.ओ.आर.ए शिखर सम्मेलन मार्च 2017 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जिसमें तीन दस्तावेज़ों को स्वीकार किया गया ये थे- आई.ओ.आर.ए समझौता जिसमें इस संगठन की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, हिंसक उग्रवाद और

आतंकवाद का मुक़ाबला करने के लिए घोषणा और अगले 5 वर्ष के लिए आइ.ओ.आर.ए. की कार्ययोजना

मानवीय और आपदा राहत उपलब्ध कराने में भारत ने अपने आप को पहले मददगार के रूप में स्थान दिलाया भारत ने संकट की घड़ी में अपनी सीमाओं के पार पहले मददगार के रूप में और बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी उठाने की दिलचस्पी और संकल्प प्रदर्शित किया है श्रीलंका और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोरा की विनाशलीला के बाद भारत ने बाढ़ पीड़ितों को जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई इतना ही नहीं, सरकार ने यमन को 10 लाख डॉलर की चिकित्सा सहायता का वचन दिया है और बांग्लादेश में विस्थापित हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 'ऑपरेशन इंसानियत' प्रारंभ किया है

सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव को अपनी विदेश नीति संबंधी कार्यनीति का अंतर्निहित तत्व बना दिया है विदेश नीति और विकास संबंधी अपनी आकांक्षाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों के अच्छे परिणाम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ते प्रवाह के रूप में सामने आए हैं और देश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है इसका प्रमाण कारोबारी सहूलियत के बारे में विश्व बैंक की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार है जिसमें भारत 2014 में 142 में पायदान से छलांग लगाकर 2017 में 100वें स्थान पर आ गया इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को भी नयी रफ़्तार दी गई जिसका उद्देश्य भारत की विकास संबंधी प्रमुख पहलों जैसे स्मार्ट सिटीज, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे को बढ़ावा देना और मदद देना था इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली तेज रफ़्तार रेल परियोजना थी जिसकी आधारशिला सितंबर 2017 में रखी गई भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक समूह की 52वीं वार्षिक बैठक की भी मेजबानी की

नये देशों और नये क्षेत्रों के साथ भारत के राजनयिक संबंध स्थापित करने पर इस साल भी जोर दिया जाता रहा और दुनिया के अनेक देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्क स्थापित किए गए इन देशों से हाल के वर्षों में कोई संपर्क नहीं हुआ था इनमें अफ्रीका, लैटिन अमरीका और कैरीबियन क्षेत्र के हमारे सहयोगी देश शामिल थे राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर के कई नेताओं ने इस साल भारत का दौरा किया श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लातविया, मॉरीशस, उगांडा, इस्राइल और इटली के प्रधानमंत्री भारत आए तथा तुर्की, बेलारूस, आर्मीनिया, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, साइप्रस और स्विटजरलैंड के राष्ट्रपतियों ने भी देश का दौरा किया इसी तरह भारत के राष्ट्रपति ने जिबूती और इथोपिया का दौरा किया तथा उप राष्ट्रपति पोलैंड, आर्मीनिया, उगांडा, रवांडा और जकार्ता की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने अमरीका और फ्रांस के नये नेताओं से बातचीत की और संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, इस्राइल, फिलिपीन्स, म्यामां, चीन, श्रीलंका, पुर्तगाल, कज़ाखस्तान और रूस के साथ मौजूदा सौहार्दपूर्ण संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार किया राजनयिक संपर्क के इन विस्तृत प्रयासों से तेज़ी से बदलती विश्व व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों के संरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार की सक्रिय संपर्क की नीति का पता चलता है

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति की लगातार वकालत की आतंकवाद से संघर्ष और इस चुनौती से निपटने के प्रयासों को सहयोग व समर्थन देने की अपनी वचनबद्धता में भी भारत डटा रहा आलोच्य अवधि के दौरान भारत ने हैम्बर्ग में जी-20 के नेताओं की बैठक और क्षिआमेन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ग्यारह सूत्री कार्ययोजना का प्रस्ताव किया इस योजना में आतंकवादी गतिविधियों का संकल्प लेने, इनको अंजाम देने और इनका समर्थन करने वालों को इनके लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कही गई है सरकार ने आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को बंद करने और उनकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहले से स्थापित ढांचे के तहत अमरीका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखा

बीते वर्षों में सरकार सांस्कृतिक राजनय पर भी प्रमुख रूप से जोर देती रही है इसके लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत मूल्यों तथा जातीय संस्कारों का उपयोग करते हुए विश्व में देश का सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है इस राजनयिक संपर्क में भारतवंशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे इसका हिस्सा होने के साथ ही इसका लक्ष्य भी हैं तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल और व्यापक आयोजन तथा इसमें दुनियाभर के लोगों की भागीदारी से भारत की सार्वभौम संस्कृति के लगातार प्रभावी बने रहने का पता चलता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक प्रस्तुत करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें संस्कृत के बारे में फ्रांस में सेमिनार

और ब्रिटेन में विराट कवि सम्मेलन शामिल हैं इस्राइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान तल अविव में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई

बीते वर्षों में सरकार ने भारतवंशियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं और अपने मूल देश के प्रति उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया है दो वर्ष में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के अलावा मंत्रालय नियमित रूप से क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवसों का देश से बाहर आयोजन करता है ताकि उस खास क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़कर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सके जिससे वे भारत के विकास और प्रगति में योगदान कर सकें

नागरिकों को केंद्र में रखकर शासन व्यवस्था और जनसेवा प्रदान करने के उसके कार्यों में और दक्षता लाने पर सरकार का ज़ोर इस साल भी बना रहा अप्रैल 2015 में शुरू की गई ई-वीजा योजना को और उदार बनाया गया है और पर्यटन के साथ-साथ व्यापार तथा इलाज कराने के लिए भी इस सेवा का विस्तार कर दिया गया है इसका विस्तार दुनिया के 161 देशों के लिए कर दिया गया हैं और इसके अंतर्गत देश में रहने की अवधि भी बढ़ा दी गई है कांसुलर सेवा प्रबंधन प्रणाली (मदद) को मोबाइल एप और सोशल मीडिया में उपलब्ध कराकर विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए कांसुलर शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार किया गया है

पड़ोस

अफगानिस्तान: भारत-अफगानिस्तान सामरिक संबंधों के तमाम पहलुओं में बहु-आयामी सहयोग के विस्तार से और मजबूती आई इन क्षेत्रों में राजनीतिक, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार व निवेश, आपसी संपर्क, विकास साझेदारी तथा सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे, शिक्षा और क्षमता निर्माण शामिल हैं इस कार्य में कई उच्चस्तरीय दौरों से बड़ी मदद मिली जिनमें अक्टूबर में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और सितंबर व नवंबर 2017 में वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिसंबर में द्वितीय उप राष्ट्रपति और सितंबर 2017 में विदेश मंत्री की भारत यात्रा शामिल हैं

इन सभी मुलाक़ातों में दोनों पक्षों ने आतंक और हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इस बात को रेखांकित किया कि आतंकवाद इस क्षेत्र के अंदर और इससे बाहर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए बड़ा ख़तरा है अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को वहां के नेताओं द्वारा भारत के बारे में व्यक्त विचारों के आधार पर लगाया जा सकता हैं जिसमें उन्होंने भारत को विकास में प्राथमिकता दिए जाने वाला साझेदार बताया है

बांग्लादेश: भारत और बांग्लादेश के बीच सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर यात्रा के साथ साथ लगातार उच्चस्तरीय यात्राओं और विनिमय से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में विकास की रफ़्तार बनाए रखने में मदद मिली अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आईं जिससे सहयोग बढ़ाने तथा यात्रा के दौरान लिये गए निर्णयों पर अमल के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहमति से तय की गई पहलों की दिशा में ठोस प्रगति हुई

भूटान: भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध हैं जिनकी विशेषता गहरा आपसी भरोसा और समझ है 2017-18 में 2017-18 में सहयोग के तमाम क्षेत्रों में प्रगति देखी गई उच्चस्तरीय यात्राओं और विभिन्न द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की बैठकों से इसे और रफ़्तार दी गई

भूटान के प्रधानमंत्री मार्च 2017 में 'नमामि ब्रह्मपुत्र' नदी महोत्सव में भाग लेने के लिए सम्मानीय अतिथि के रूप में गुवाहाटी पधारे भूटान के वित्त मंत्री ने भी दक्षिण एशियाई उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन (एस.ए.एस.ई.सी.) के वित्त मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में नयी दिल्ली की यात्रा की

महामहिम भूटान नरेश अपनी रानी और राजकुमार के साथ 2017 में भारत यात्रा पर आए यह यात्रा महामहिम ग्यालसे की पहली भारत यात्रा थी यात्रा के दौरान भूटान नरेश ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठकें कीं

चीन: भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में दोनों देशों की घनिष्ठ विकास साझेदारी के समग्र संदभ में और प्रगति हुई और बातचीत के जरिए दोनों पक्ष अपने मतभेदों को सुलझाने के प्रयास जारी रखे भारत और चीन के बीच शीर्ष स्तर पर भी नियमित विचार विनिमय हुआ चीन में आयोजित ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में मंत्रिस्तरीय और कामकाजी स्तर की बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ

मालदीव: 'पड़ोस को प्राथमिकता' देने की भारत की नीति मालदीव के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों का मार्गदर्शन करती रही इस अवधि के दौरान संस्थाओं और क्षमता के निर्माण पर विशेष रूप से जोर देने के साथ ही प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को सहायता जारी रही नीति-निर्माताओं के स्तर पर दौरों के जारी रहने से घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंधों में और मजबूती आई

मॉरीशस: भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रवासियों के पीढ़ियों पुराने संबंध हैं मॉरीशस की 70 प्रतिशत आबादी भारतवंशियों की होने से यह वित्तीय सेवाओं का केंद्र और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे प्रमुख मार्ग है मॉरीशस अफ्रीका में भारत के निवेश का महत्वपूर्ण मार्ग भी है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी जिसमें समुद्री सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है

इस अवधि के दौरान भारत-मॉरीशस साझेदारी के विभिन्न पक्षों में प्रगाढ़ता और विविधता आई मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मई 2017 में भारत यात्रा और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के जून 2017 में मॉरीशस के दौरे से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ भारत की सहायता से मॉरीशस में इस समय चल रही विकास परियोजनाओं से इस विशेष साझेदारी में नया आयाम जुड़ गया है

म्यामां: 2017 में म्यामां के साथ भारत के विशेष संबंध बने रहे जिनकी सबसे बड़ी विशेषता दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और उनके नागरिकों के बीच आपसी रिश्ते हैं जिन्हें बौद्ध धर्म ने और मजबूती दी है म्यामां दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान का एकमात्र देश है जो भारत से जुड़ा है और इस तरह यह भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार और हमारी 'एक्ट ईस्ट' का नीति का पहला साझेदार है

2017 में म्यामां के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता वहां के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा रही भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी फरवरी 2017 में म्यामां का दौरा किया जून 2017 में नई दिल्ली में भारत-म्यामां संयुक्त व्यापार समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई इसके अलावा 2017 में पूरे साल भारत ने म्यामां की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं पर अमल जारी रखकर उसके प्रति अपनी वचनबद्धता का परिचय दिया इनमें प्रशिक्षण, विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, ऋण सुविधा प्रदान करना तथा अनुदान सहायता शामिल हैं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उद्देश्य समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है जिससे दोनों के साथ साथ समूचे क्षेत्र में शांति, खुशहाली और स्थिरता को बढ़ावा मिले

नेपाल: भारत और नेपाल के बीच संबंधों को उनके सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों, नागरिकों के बीच आपसी संपर्कों, बहु आयामी आर्थिक व विकास संबंधी साझेदारी से और मजबूती मिलती है दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं और एक-दूसरे देश के नागरिकों के साथ अपने ही देश के नागरिकों जैसा व्यवहार करने से संबंधों को नया आयाम प्राप्त होता है

सघन द्विपक्षीय संपर्क के हिस्से के रूप में नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी अप्रैल 2017 में भारत की राजकीय यात्रा पर आईं नेपाल के प्रधानमंत्री भी अगस्त 2017 में भारत के सरकारी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने अगस्त 2017 में काठमांडू में आयोजित 15वीं बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया लगातार उच्चस्तरीय विनिमय की परंपरा को जारी रखते हुए विदेश मंत्री ने इससे पहले फरवरी 2017 में भी नेपाल की यात्रा की थी

उच्चस्तरीय दौरों और द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की नियमित बैठकों से द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के लिए नयी पहलों के बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ भारत और नेपाल के बीच विस्तृत आर्थिक और विकास सहयोग का समझौता है नेपाल के विभिन्न जिलों में भारत की सहायता से समुदाय संचालित स्कूल, सड़क, पुल और सिंचाई सुविधा जैसी विकास परियोजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है भारत सरकार ने चार ऋण योजनाओं के तहत नेपाल को बुनियादी ढांचे की कई परियोजनाओं के लिए 1.65 अरब डॉलर के कर्ज की सुविधा प्रदान की जिनमें भूकंप के बाद वहां चलाई जा रही पुनर्निर्माण योजनाएं भी शामिल हैं

भारत हर साल नेपाल के विद्यार्थियों को अपने देश में या भारत में पढ़ाई करने के लिए करीब 3,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आई.टी.ई.सी) के तहत हर साल नेपाल के सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों को भारत की तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए 250 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं

पाकिस्तान: आलोच्य वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संपर्क सीमित रहा पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से घुसपैठ को समर्थन देना जारी रखकर और नियंत्रण रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से गोलीबारी करके विफल किया जाता रहा सरकार ने कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए राजनयिक और कानूनी प्रणाली के जरिए अपने प्रयास जारी रखे पाकिस्तान में मुसीबत में पड़ी भारतीय महिलाओं उज़्मा और बिजोयेता बैनर्जी की वापसी में कानूनी और राजनयिक उपायों का सहारा लिया गया

सेशेल्स: हाल के महीनों में भारत भारत सेशेल्स संबंध मजबूत विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, समुद्री सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय के माध्यम से सहयोग के नये पायदान में पहुंचे हैं समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और इस अवधि में इनमें आपसी संबंध और सुदृढ़ हुए हैं

हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सामरिक तालमेल को महत्व प्रदान करने के लिए 2018 में माहे के विक्टोरिया में सेशेल्स में एजम्शन आयलैंड के विकास, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए यह समझौता द्विपक्षीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

श्रीलंका: भारत-श्रीलंका संबंध उच्चस्तरीय राजनीतिक संपर्क और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों तथा आर्थिक क्षेत्रों में तेज़ी से विकास होते रहे आपसी संबंधों के इस सक्रिय दौर की सबसे बड़ी खूबी आर्थिक और विकास-सहयोग के क्षेत्रों में सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना है जिसके तहत द्विपक्षीय परियोजाओं को लागू करने में समय सीमाओं के पालन करने में ज्यादा जोर दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री की मई 2017 में श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संपर्कों में जबरदस्त गुणात्मक बदलाव आया है अप्रैल 2017 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से द्विपक्षीय आर्थिक परियोजनाओं में घनिष्ठ सहयोग को और भी बढ़ावा मिला है इस अवधि में भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी के दायरे का और विस्तार हुआ है तथा उसमें और प्रगाढ़ता आई है 2017 में श्रीलंका में प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राहत और पुनर्वास सहायता लेकर भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचा

हिंद महासागर क्षेत्र: अवधि के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी में और तेजी आई इस क्षेत्र में भारत की नीति क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास के आदर्श (एसएजीएआर) के अनुरूप सहयोग बढ़ाने और वृहत्तर लाभ के लिए क्षमताओं का उपयोग करने की है

हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन (आई.ओ.आर.ए) की इस क्षेत्र की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है भारत आई.ओ.आर.ए को सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए

बहुत अहम मानता है इस अवधि के दौरान जकार्ता में आयोजित आइ.ओ.आर.ए नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित अनेक उपायों को लागू करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया

दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत

ऑस्ट्रेलिया: वर्ष के दौरान दोनों तरफ से उच्च स्तरीय यात्राओं का सिलसिला जारी रहने से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध मजबूती के नये पायदान पर पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों के विकास विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कौशल तथा जल संसाधन प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के महत्व को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा जारी विदेश नीति संबंधी श्वेत-पत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की प्रथम पंक्ति में रखा गया है

ब्रुनेई-दारुस्सलाम: भारत और ब्रुनेई-दारुस्सलाम के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण बने रहे यह साल आसियान-भारत वार्ता साझीदारी की 25वीं जयंती का वर्ष है 2017 में आसियान की स्थापना का 70वां वर्ष भी है इन महत्वपूर्ण घटनाओं से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

कंबोडिया: कंबोडिया के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षमता निर्माण, विकास परियोजनाओं और दोनों देशों के नागरिकों के स्तर पर संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए जून 2017 में भारत की राज्यसभा और कंबोडिया की सीनेट के बीच सितंबर 2016 में हुए समझौता ज्ञापन के सिलसिले में राज्यसभा सचिवालय के एक शिष्टमंडल ने जून 2017 में वहां का दौरा किया जल संसाधन विकास, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने, मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कंबोडिया को भारत की सहायता जारी रही

इंडोनेशिया: दिसंबर 2016 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास का सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 में दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय राजनितिक संपर्क हुए जिनसे आपसी संबंधों में नयी स्फूर्ति का संचार हुआ और उन्हें नयी रफ़्तार मिली

लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक: वर्ष के दौरान लाओ (पीडीआर) के साथ द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हुआ सिंचाई प्रणाली, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन, धरोहर स्मारकों के संरक्षण में सांस्कृतिक सहयोग जारी रहा और नियमित उच्चस्तरीय यात्राओं में इन क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान दिया गया

मलेशिया: दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की शुरुआत अक्टूबर 2010 में हुई थी और 2015 में प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा से परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और भी बढ़ावा मिला 2017 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा से संबंध उच्चतर स्तर पर पहुंचे यह यात्रा भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की के 60 साल पूरे होने के अवसर पर हुई

न्यूजीलैंड: न्यूजलैंड के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई तथा आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, दोनों देशों की आम जनता के बीच आपसी संपर्क तथा क्षेत्रीय व वैश्विक महत्व के मुद्दों पर तालमेल में भी और सुधार हुआ लगातार उच्चस्तरीय संपर्क से द्विपक्षीय संबंधों के नये आयाम खुले तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर तालमेल में भी बढ़ोतरी हुई

फिलिपीन्स: 2017 में भारत और फिलिपीन्स के संबंधों में मजबूती जारी रहीं और मनीला में 31वें आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की फिलिपीन्स यात्रा से ये अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए

सिंगापुर: वर्ष के दौरान भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों में व्यापार और निवेश, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास, शहरी नियोजन और नागर विमानन जैसे विविध क्षेत्रों में नया सुधार हुआ

थाइलैंड: वष के दौरान थाइलैंड के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ तथा मजबूत हुए और उच्चस्तरीय दौरों तथा व्यापार, निवेश प्रतिरक्षा व सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी संपर्क में भी बढ़ोतरी हुई 2017 में दोनों देशों ने आपसी राजनयिक संबंध कायम होने की 70वीं जयंती मनाई

टिमोर-लेस्टे: 2017 में भारत ने टिमोर-लेस्टे की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह और वहां स्वतंत्रता बहाली की 15वीं जयंती में हिस्सा लिया

वियतनाम: वियतनाम और भारत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 45 वर्ष और सामरिक साझेदारी के दस साल पूरे होने के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान): वर्ष 2017 आसियान और आसियान-भारत संबंध, दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण वर्ष था जहां एक ओर आसियान ने इस साल अपने गठन के 50 साल पूरे होने का जश्न मनया, वहीं भारत ने आसियान-भारत वार्ता साझेदारी की 25 वीं जयंती, शिखर सम्मेलन स्तरीय साझेदारी के 15 साल पूरे होने और आसियान-भारत साझेदारी के पांच साल पूरे होने के सिलसिले में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया आसियान-भारत साझेदारी के 25वें वार्षिकोत्सव में 'साझा मूल्यों और एक जैसी नियति' के थीम के आधार पर भारत ने अपने यहां और आसियान देशों में स्मारक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें राजनीतिक सुरक्षा के तीन आधार स्तंभों, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को भी शामिल किया गया था

पूर्व एशिया

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया: दिसंबर 1973 में अपने गठन से भारत और डी.पी.आर. कोरिया के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं 2017 में डी.पी.आर कोरिया ने कई परमाणु और मिसाइल परीक्षण किए भारत ने उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की निंदा की और उसकी परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतित रहा क्योंकि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ख़तरे की आशंका बनी

जापान: हाल के वर्षों में उच्चस्तरीय और नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं से भारत-जापान संबंधों में महत्वपूर्ण और गुणात्मक बदलाव आया है 2017 में भारत-जापान संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण बात 12वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा थी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी के ढांचे के तहत बहुआयामी सहयोग में हाल में हुई प्रगति की समीक्षा की

कोरिया गणराज्य: 201 में प्रधानमंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान भारत-कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया जिससे उनके संबंधों में और प्रगाढ़ता आई जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की जून 2017 में दोनों देशों के निर्यात-आयात बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए जिसके अनुसार 9 अरब अमरीकी डॉलर से कोरियाई रियायती ऋण निधि बनायी जाएगी और भारत में बुनियादी ढांचे की विकास परियोजनाओं के लिए एक अरब डॉलर की कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग निधि बनाने पर भी सहमति हुई

मंगोलिया: मई 2015 में प्रधानमंत्री की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा से विगत वर्षों में मंगोलिया के साथ भारत के परंपरागत रूप से मित्रता और सौहार्दपूर्ण संबंध में निरंतर सुधार हुआ है इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाकर सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया गया भारत ने मंगोलिया को उच्च शिक्षा, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में तकनीकी और आर्थिक सहयोग देना जारी रखा

यूरेशिया

2017 में भारत के रूस के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हुए और यूरेशिया के अन्य देशों के साथ भी राजनयिक संबंधों को 25 साल पूरे हुए इस अवसर पर दोनों देशों ने एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजे, संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए गए और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री 18वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून 2017 में सेंट पीट्सबर्ग गए और यह बड़ी सफल यात्रा रही इस यात्रा के अंत में सेंट पीट्सबर्ग घोषणा जारी की गई और परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रेलवे, संस्कृति, बहुमूल्य रत्न, इंजीनियरी, वित्त, आधारभूत ढांचे और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग के 12 दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया

रिक (रूस, भारत और चीन) के विदेशमंत्रियों की 15वीं बैठक 2017 में नई दिल्ली में आयोजित की गई इसी दौरान बैठक से हटकर विदेशमंत्री ने रूस और चीन के विदेशमंत्रियों से अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ताएं भी की प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की राज्याध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2017 में कजाखस्तान की यात्रा की

वर्ष के दौरान भारत से इस क्षेत्र के देशों के बीच कई व्यावसायिक शिष्टमंडलों का आवागमन हुआ और व्यापार संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जून 2017 में यूरेशिया के सभी देशों में उत्साह से मनाया गया ट्रैक टू वार्ता, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों का विनिमय, उच्च शिक्षा, विश्व विद्यालयों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक संबंध, लोगों के बीच आपसी संपर्क और भारत में इलाज कराने की सुविधा से सरकारी स्तर पर होने वाली बातचीत को बल मिल उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण संबंधों का मार्ग प्रशस्त हुआ इस क्षेत्र के देशों में आई.टी.ई.सी पाठ्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्तियां काफी लोकप्रिय हैं

खाड़ी देश और पश्चिम एशिया

खाड़ी*:* खाड़ी देशों के साथ बढ़ते राजनीतिक संपर्कों का सिलसिला जो अबूधाबी के युवराज की 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा से शुरू हुआ, वर्ष के दौरान जारी रहा इसके अलावा ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ईराक और कतर के विदेश मंत्री भी भारत यात्रा पर आए और उनके साथ भी उच्चस्तरीय संपर्क बना रहा भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री ने 2017 में इराक की यात्रा की विदेश राज्यमंत्री के नेतृत्व में जेद्दाह गया और एक अन्य शिष्टमंडल ने सितंबर 2017 में कुवैत में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी संबंधी तीसरे मंत्रिस्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लिया

ईरान*:* 2017 में ईरान के साथ राजनीतिक और कामकाजी स्तर पर सघन संपर्क का सिलसिला जारी रहा वर्ष के दौरान एक-दूसरे देश की कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं हुईं और बहुपक्षीय मंचों पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श हुआ ईरान के राष्ट्रपति ने फरवरी 2018 में भारत का दौरा किया

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका *(वाना):* ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और विश्व में शांति व सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण बना हुआ है वाना क्षेत्र के तमाम देशों के साथ संबंधों को संस्थागत वार्ताओं के नियमित आयोजन और एक-दूसरे देश की उच्चस्तरीय यात्राओं के जरिए सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया जहां तक इस्राइल, फिलिस्तीन और ज़िबूती के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, इस क्षेत्र में कई नई पहल की गईं राष्ट्रपति ने जिबूती की यात्रा की जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा थी जिबूती के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 25 साल पूरे होने के सिलसिले में प्रधानमंत्री ने इस्राइल की यात्रा की मग़रिब क्षेत्र हमारी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि के लिए रॉक फॉस्फेट और इससे संबंधित पदार्थ यहीं से प्राप्त होते हैं सोमालिया, जिबूती और इरीट्रिया सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित हैं और लाल सागर व अदन की खाड़ी से होने वाले समुद्री व्यापार के लिहाज से यह इलाक़ा बहुत अहम है

अफ्रीका

पूर्व और दक्षिण अफ्रीका: वर्ष 2017-18 के दौरान अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में एक नयी विशेषता आई और उनमें नया आयाम जुड़ गया भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस तृतीय)

लैटिन अमरीका और कैरीबियाई देश: भारत और लातीनी अमरीकी क्षेत्र एक-दूसरे के लिए स्पष्ट रूप से प्राथमिकता बने रहे भारत लैटिन अमरीका और कैरीबियाई क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और क्षेत्र के प्रत्येक देश साथ उसके घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध हैं उनकी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था है और वे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं भारत और ये देश कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र, जी-77 और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों में घनिष्ठ सहयोग के साथ काम करते हैं लातीनी अमरीका और भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत कुछ साझा है और विविधतापूर्ण वंश परंपरा, जातीय समूहों और जातियों में भी बड़ी समानता है इन देशों में करीब 10 लाख भारतवंशियों के होने से इस संबंध में एक नया आयाम जुड़ गया है

लैटिन अमरीकी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों के महत्व को प्रधानमंत्री ने 2014 में इस क्षेत्र (ब्राजील) की अपनी यात्रा के दौरान रेखांकित किया जिसे और बढ़ावा मिलना और हमारे संबंधों में और मजबूती आने का सिलसिला जारी है

भारत और लैटिन अमरीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करना जारी रखा इसी संदर्भ में यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि न्यायाधीश दलवीर भंडारी के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुने जाने में इन देशों का बहुमूल्य योगदान रहा

लातीनी अमरीका क्षेत्र के पांच देश ब्राज़ील, कोस्टा रीका, डोमिनिकल रिपब्लिक, पेरू और वेनेजुएला ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जो भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ भारत के संपर्क का सिलसिला पिछले वर्षों की तरह ही जारी रहा जलवायु परिवर्तन, चिरस्थायी विकास, मानवाधिकार और संस्कृति समेत अपने हित के तमाम मुद्दों पर भारत का संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ बहुपक्षीय संपर्क कायम रहा आलोच्य अवधि के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंतर्गत यूनीवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (वैश्विक आवधिक समीक्षा) प्रणाली; संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, चिरस्थायी विकास के बारे में इकोसोक के उच्चस्तरीय राजनीतिक मंचों और जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा संधि के विभिन्न पक्षों के 23वें उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच की बैठकों जैसे प्रमुख आयोजनों में हिस्सा लिया संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सुरक्षा परिषद (इकोसोक) के उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच में भारत ने चिरस्थायी विकास लक्ष्यों को लागू करने के बारे में अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रारूप संधि में भारत ने क्योतो प्रोटोकॉल पर दोहा संशोधन को स्वीकार किया अंततः भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, समुद्री कानून के बारे में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण, अंतरराष्ट्रीय समुद्री समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्यपालक बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास अभिशासन परिषद समेत प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए चुना गया

निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले

भारत ने वर्ष के दौरान निरस्त्रीकरण, हथियारों पर नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर आयोजित कई बैठकों में हिस्सा लिया बांग्लादेश, जापान और वियतनाम के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के समझाते हुए विभिन्न निर्यात नियंत्रण संगठनों के साथ सक्रिय संपर्क के सिलसिले में भारत वासेनार व्यवस्था का 42वां सदस्य बना

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का संस्थापना सम्मेलन मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया यह बात ध्यान देने की है कि आईएसए 2017 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में सामने आया था

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका): भारत ने 2017 में शियामेन में आयोजित नौवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया इसमें नेताओं ने आर्थिक और वित्तीय सहयोग, वैश्विक आर्थिक शासन व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की सम्मेलन के अंत में शियामेन घोषणा जारी की गई जिसमें नेताओं ने आतंकवाद की भर्त्सना की

***20*वां जी-*20* शिखर सम्मेलन**: 2017 में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आयोजित 20वें जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने हिस्सा लिया शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में वैश्विक विकास और व्यापार, चिरस्थायी विकास, जलवायु और ऊर्जा, अफ्रीका के साथ साझेदारी, आव्रजन, स्वास्थ्य, डिजिटाइजेशन, महिला सशक्तीकरण और रोज़गार जैसे विषय शामिल थे

इबसा *(* भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका*):* 2017 में इब्सा के विदेश मंत्रियों की दो बैठकें आयोजित की गईं

सार्क और बिमस्टेक

विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों की पहल यानी बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फार मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक को-ऑपरेशन-बिमस्टेक पड़ोसी देशों को तरजीह देने (नेबरहुड फर्स्ट) और पूर्वी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने (एक्ट ईस्ट) जैसी भारतीय विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पहली पसंद है भारत बिमस्टेक को कारगर और परिणाममूलक संगठन बनाने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में खुशहाली आए और इसका विकास हो

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है हाल के वर्षों में विभिन्न दशों में भारत के विकास कार्यक्रमों का भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय कवरेज दोनों ही दृष्टियों से व्यापक विस्तार हुआ है अन्य बातों के अलावा इसमें शामिल है विकास अनुदान सहायता, ऋण व्यवस्था, तकनीकी परामर्श सेवा, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्तियां और क्षमता सृजन के कई कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें अल्पकालिक असैनिक और सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हैं

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यामां, श्रीलंका और मालदीव में बुनियादी ढांचे, जलविद्युत, विजली ट्रांसमिशन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में इन देशों की सरकारों द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में चिह्नित प्रमुख विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ सीमा के आर-पार भारत के संपर्कों के विकास तथा उसे और सुदृढ़ करने के लिए कई परियोजनाएं संतोषजनक तरीके से चल रही हैं पड़ोसी देशों के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका पुरातत्व संरक्षण, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी तथा छोटे और मझोले उद्यमों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाएं चल रही हैं

2017-18 में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 161 सहयोगी देशों के लिए असैनिक प्रशिक्षण के 10,918 अवसर उपलब्ध कराए गए क्षमता सृजन के इन पाठ्यक्रमों में सहयोगी देश के विशिष्ट अनुरोध पर विशेष रूप से तैयार किए गए अनेक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता उपलब्ध करायी इसके अलावा मोजाम्बिक और म्यामां को चिकित्सा सहायता दी गई लेसोथो, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और म्यामां

को खाद्य पदार्थों के रूप में मानवीय सहायता भी उपलब्ध करायी गइ

आर्थिक राजनय

विदेश मंत्रालय के आर्थिक राजनय प्रभाग ने भारत की विदेश नीति के आर्थिक राजनय संबंधी आयाम पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए 2016-17 के दौरान कई पहल कीं 'बाजार विस्तार गतिविधियों' के तहत प्रभाग दूतावासों को संबंधित देशों में आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिए धन उपलब्ध कराता है इस धनराशि का उपयोग प्रदर्शनियों के आयोजन के जरिए निर्यात बढ़ाने, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करने, परामर्शदाताओं के जरिए बाज़ार अध्ययन कराने, विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए व्यावसायिक सेमिनारों के आयोजन और विदेशों में कारोबार के अवसरों की तलाश कर रहे भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रचार-प्रसार करने में किया गया

राज्य

विदेशों में भारतीय दूतावासों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ संपर्क कायम करने के लिए विदेश मंत्रालय में राज्य प्रभाग 2014 में बनाया गया था प्रभाग ने द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से विदेशों तक राज्यों की पहुंच बढ़ाने का सफल प्रयास किया है 2017 में प्रभाग ने भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के अन्य देशों के राज्यों के इसी तरह के संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोगी राज्य/नगर के समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत कराने में मदद की राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की विदेशों में पहुंच बढ़ाने के लिए प्रभाग ने राज्यों में आयोजित विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिया जिनमें विश्व निवेशक सम्मेलन और राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल थे इनसे भारत के राज्यों को विदेशों में बड़ा प्रचार मिला प्रभाग ने मुसीबत में पड़े विदेशियों को मदद दी और इस बात का प्रयास किया कि किसी अप्रिय घटना की वजह से विदेशों में प्रतिकूल असर न पड़े

आतंकवाद का मुक़ाबला

2017 में दुनिया के विभिन्न भागों में हुई आतंकवाद संबंधी विभिन्न घटनाओं को देखते हुए आतंकवाद के मुद्दे का विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में खुलकर जिक्र किया गया इस तरह की तमाम चर्चाओं में भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बुराई से विश्व स्तर पर निपटने का अपना संकल्प दोहराया

वैश्विक साइबर मसले

राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग होने से दुनियाभर में साइबर मसले राजनयिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं विदेश मंत्रालय ने अपनी छवि के अनुरूप अपने वैश्विक साइबर मुद्दा प्रकोष्ठ का स्तर बढ़ा दिया है और एक नया साइबर राजनय प्रभाग गठित किया है प्रभाग का इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत के हितों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है

कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करना इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक और नागरिक सेवा के रूप में उभर कर सामने आई है मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने में कई गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार किए हैं मंत्रालय केंद्रीय पासपोर्ट संगठन और 37 पासपोर्ट कार्यालयों तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अपने अखिल भारतीय नेटवर्क के जरिए भारतीय पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज, जैसे- पहचान प्रमाण-पत्र, भारत वापस लौटने वालों के लिए आपात् प्रमाण-पत्र, पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र और जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट जारी करता है इस नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया गया है और इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले 92 पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तार शाखा के रूप में संचार मंत्रालय के सहयोग से 60 डाकघर पासपोर्ट सेवा

केंद्र और जोड़े गए हैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट, प्रवासी भारतीय कार्ड, आपात प्रमाण-पत्र और अन्य विभिन्न कांसुलर सेवाओं के साथ-साथ कांसुलर दस्तावेज के सत्यापन की सुविधाएं 184 भारतीय मिशनों/विदेशी कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं

2017 में मंत्रालय ने करीब 1.17 करोड़ पासपोर्टों और उनसे संबंधित सेवाओं के आवेदनों पर कार्रवाई की जबकि इससे पहले के वर्ष 2016 में 98.4 लाख पर कार्रवाई की थी जिससे इनमें 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पता चलता है

विदेश मंत्रालय ने संचार मंत्रालय के साथ मिलकर देश के मुख्य डाकघरों/शाखा डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की पहल की है जिन्हें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहा जाता है मंत्रालय ने 251 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा की है जिनमें से 60 ने जनवरी 2018 तक काम करना भी शुरू कर दिया था 2017 में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में करीब पांच लाख पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई 251 डाकघर पासपोर्ट कार्यालयों के जुड़ जाने से नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाना आसान हो जाएगा

महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने संपर्क के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय ने मुंबई में अपने चार कार्यालयों 1) पासपोर्ट कार्यालय, 2) आप्रवासियों के महासंरक्षक का कार्यालय, 3) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय और 4) शाखा सचिवालय को एक ही भवन 'विदेश भवन' में स्थानांतरित कर दिया ठाणे के पासपोर्ट कार्यालय का मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय के साथ विलय कर दिया गया

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट अधिनियम 1957 के 50 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में एक आयोजन किया यह अधिनियम 24 जून, 1967 को पारित हुआ था इस सिलसिले में भारतीय डाक विभाग ने 2017 में पांचवें पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन में एक विशेष स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण जारी किया

पासपोर्ट का पहले से छपा हुआ हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है इस समय आवेदक का व्यक्तिगत ब्योरा केवल अंग्रेज़ी में छापा जाता है सरकार ने अब फ़ैसला किया है कि पासपोर्ट में व्यक्तिगत ब्योरा भी हिंदी और अंग्रेजी में छापा जाएगा

प्रवासी भारतीय मामले

सरकार ने प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भारत के संपर्कों में आमूल परिवर्तन ला दिया है प्रवासी भारतीयों के तमाम तबकों के साथ संपर्क और पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार ने उनके कल्याण और संरक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और प्रवासी भारतीयों की मदद और कल्याण के लिए संस्थागत ढांचे को काफी सुदृढ़ कर दिया गया है यह कार्य हमारे उन प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों और सरोकारों को खासतौर पर ध्यान में रखकर किया गया है जो प्रवासी भारतीय समुदाय का सबसे नाजुक हिस्सा हैं

भारतवंशियों के साथ संपर्कों को मजबूत करने की सरकार की वचनबद्धता के हिस्से के रूप में 2017 में जो प्रमुख पहल/कार्यक्रम प्रारंभ/आयोजित किए गए उनमें विदेश संपर्क आउटरीच कार्यक्रम, नो इंडिया (भारत को जानो कार्यक्रम), प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, भारतवंशियों के बच्चों के लिए वजीफे का कार्यक्रम, आव्रजन के सुरक्षित और वैधानिक तरीके के बारे में प्रचार और एन.आर.आई के साथ विवाह से संकट में पड़ी भारतीय महिलाओं के लिए मंत्रालय की योजना का भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि में विलय

19 उद्योग



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का गठन 1995 में किया गया था और वर्ष 2000 में इस विभाग में औद्योगिक विकास विभाग का विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया था इससे पहले लघु व कुटीर उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग (एसएसआई एंड एएंडआरआई) और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (एचआईएंडपीई) की स्थापना 1999 में की गई थी 1991 में शुरू किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से उदारीकरण के साथ इस विभाग की भूमिका और उसके कार्यों में सिलसिलेवार बदलाव होते रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र के नियमन और प्रशासन से शुरू होकर अब यह एक उदार वातावरण में निवेश एवं तकनीकी को सुगम बनाने और औद्योगिक विकास पर नजर रखने वाले विभाग का रूप ले चुका है

डीआईपीपी की भूमिका और उसके कार्यों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं, वे इस प्रकार है: (क) विकास की जरूरतों और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप उद्योग के लिए औद्योगिक नीति एवं रणनीतियों का निरूपण और उसे लागू करना; (ख) सामान्य रूप से औद्योगिक वृद्धि, और विशेष रूप से निर्दिष्ट उद्योगों के काम-काज पर नजर बनाए रखना इसमें सभी औद्योगिक व तकनीकी मामलों पर सलाह देना भी शामिल है; (ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का निरूपण करना और एफडीआई को प्रोत्साहन और स्वीकृति देने के साथ ही उसे सुगम बनाना; (घ) पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन एवं वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों और उसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रशासन में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निर्माण

यह विभाग मुख्य रूप से औद्योगिक वृद्धि एवं उत्पादन और विशेष रूप से चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे- सीमेंट, कागज़ व लुगदी, चमड़ा, टायर व रबर, हल्के इलेक्ट्रिकल उद्योगों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, हल्के यांत्रिक औजारों, हल्के औद्योगिक मशीनों, हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों आदि पर नजर रखने का काम करता है औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी और समय-समय पर उसकी समीक्षा से प्राप्त नीतिगत जानकारियों के आधार पर उसमें समुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं यह विभाग कुछ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकीगत विकास के लिए जरूरी बातों का अध्ययन करता है, उनका आकलन करता है और पूर्वानुमान लगाता है इस आधार पर वह भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधार की योजना बनाता है ताकि वह औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके

औद्योगिक विकास एवं निवेश को सुगम बनाने की अपनी भूमिका को निभाते हुए यह विभाग देश में निवेश के वातावरण और अवसरों पर सूचनाओं के प्रसार के जरिए निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है साथ ही इसके लिए संभावित निवेशकों को लाइसेंस की नीति एवं प्रक्रिया, विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल आदि के बारे में सलाह भी देता है यह विभाग पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निरूपण भी करता है और उनके उन्नयन व संरक्षण से संबंधित प्रयासों का भी निरीक्षण करता है

औद्योगिक साझेदारी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह की बातचीत के माध्यम से हासिल किए जाते हैं इंडो-स्वीडिश, इंडो-लीबियन, इंडो-हंगेरियन और इंडो बेलारूस संयुक्त आयोगों के लिए एक नोडल विभाग होने के साथ ही कछ चुनिंदा देशों के साथ संयुक्त आयोगों और संयुक्त कार्य समूहों में यह विभाग प्रतिनिधित्व करता है यूरोपीय संघ के साथ भी यही व्यवस्था अपनाई जाती है

यह विभाग केंद्रीय कानूनों को भी संचालित करता है विस्फोटक पदार्थ कानून 1884, ज्वलनशील पदार्थ कानून 1952; नमक उपकर कानून 1953; पेटेंट कानून 1970, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज़ मार्क्स कानून 1958,

डिजाइंस एक्ट, 2000 एवं उनसे संबंधित नियम और ब्वायलर्स एक्ट 1923

भारत सरकार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, बेहतर रोज़गार मुहैया कराना, मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर तक पहुंचना और वैश्विक परिदृश्य में भारत को बड़ा प्रतिभागी और खिलाड़ी बनाना है इसे और भी बल देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ये हैं (1) इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, (2) डेटोनेटिंग फ्यूजों समेत औद्योगिक विस्फोटक, बारूद, सेल्युलोज़ और माचिस, (3) कुछ विशेष प्रकार के हानिकारक रसायन जैसे- हाइड्रोरासायनिक एसिड और उसके व्युत्पाद, फॉसजीन और उसके व्युत्पाद, हाइड्रोकार्बन के आईसोसाइनेट्स और डाइसोसाइनेट्स, जिनका उल्लेख अन्य कहीं नहीं है (जैसे- मिथाइल आईसोसाइनेट) और (4) तंबाकू वाले सिगार व सिगरेट और तंबाकू से बने अन्य पदार्थ

आयुध कानून, 2016 की अधिसूचना के बाद, सैनिक इस्तेमाल के लिए प्रबंधित वस्तुएं, गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आती हैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को हथियार व गोला-बारूद और प्रतिरक्षा के उपकरणों की श्रेणी से संबंधित वस्तुओं के निर्माण का लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है इस समय कोई भी वस्तु एमएसई क्षेत्र द्वारा विशिष्ट निर्माण के लिए आरक्षित नहीं है

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को भी कम कर दिया गया है इस समय निर्माण, परिचालन और रखरखाव के क्षेत्रों के अलावा केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं जो उद्योग लाइसेंस की अनिवार्यता के दायरे में नहीं आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं, उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) देना होता है 2014 के बाद से प्रक्रिया के मामले में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बहुत से नए कार्यक्रम जैसे- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, मेक इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आदि शुरू किए गए हैं

वेबसाइट: www.dipp.nic.in

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

विनिर्माण क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए और उसे जरूरी बल देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की गई, जिसका उद्देश्य एक दशक में जीडीपी में विनिर्माण का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक पहुंचाना और 10 करोड़ से अधिक रोज़गार का सृजन करना था यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास करने के सिद्धांत पर आधारित है केंद्र सरकार इसके लिए नीतिगत रूपरेखा विकसित करेगी, उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहन देगी और राज्य सरकारों को इनकी योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) इस नीति की प्रमुख विशेषता है इन क्षेत्रों की परिकल्पना एक विशाल समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में की गई है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं होंगी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा वाली तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा और कौशल विकास की सुविधाएं होंगी ताकि विनिर्माण वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा सके

विनिर्माण के केंद्र

विनिर्माण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक केंद्रों के विकास के तमाम मॉडलों को एक साथ जोड़ना है ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और लागत को कम किया जा सके इसका अनुसरण करते हुए डीआईपीपी ने एक औद्योगिक सूचना सिस्टम (यूआरएलः WWW.ncog.gov.in/IIS) विकसित किया है यह एक वेब पोर्टल है जो वर्तमान में मौजूद सभी औद्योगिक केंद्रों/मंडलों/पार्कों के अलावा भविष्य के ऐसे केंद्रों की सूचनाओं को ग्रहण करता है इस सिस्टम को बीआईएसएजी द्वारा विकसित जीआईएस लेयरों पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में विकसित किया गया है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) पर नीति बनाने के मामले में डीआइपीपी एक नोडल विभाग है यह भारत में भेजी गई रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर एफडीआई के डाटा के रखरखाव और प्रबंधन का काम भी देखता है अधिक के अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक उदार नीति बनाई गई है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई को स्वतः अनुमति दी गई है हाल के दिनों में इस नीति के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एफडीआई के मामले में लगातार एक आकर्षक स्थान बना रहे

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के विघटन के बाद एफडीआई को मंजूरी देने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है जिसमें एफडीआइ के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग और एफडीआई व एफईएमए (फेमा) की मौजूदा नीति के तहत सरकार की मंजूरी का काम संबंधित मंत्रालय विभाग देखता है बहरहाल, डीआईपीपी सरकार का एकल सेवा केंद्र है, जो निवेशकों के लिए एफडीआई को सुगम बनाने का काम करता है इसके लिए एक नया पोर्टल (http.//www.fifp.gov.in) बनाया गया है जिसका संचालन यह विभाग करता है और आवेदनों को मंजूरी दिलाने की सुविधा देता है सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, नॉन-रेजीडेंट इंडियन / एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स निवेशों से संबंधित मंजूरियों के लिए डीआईपीपी एक नोडल विभाग है पूंजीगत माल,मशीनरी, प्री-ऑपरेटिव और प्री-इनकॉरपोरेशन खर्चे के बदले में शेयर जारी करने से संबंधित मामले भी डीआईपीपी देखता है

निवेश संवर्धन

यह विभाग देश में निवेश के वातावरण और अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करके निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा वह संभावित निवेशकों को निवेश की नीतियों, प्रक्रियाओं और अवसरों के बारे में सलाह देने का काम भी करता है औद्योगिक साझेदारियों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल किए जाते हैं यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुगमता एजेंसी), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचेम) आदि जैसे सर्वोच्च औद्योगिक संघों के साथ सहयोग करता है ताकि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को गति प्रदान की जा सके

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस

देश में व्यापार का वातावरण बेहतर बनाने के लिए डीआईपीपी ने नियामक प्रक्रिया (पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रिया) को सरल और प्रशासन को ज्यादा कुशल व सक्षम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए कई कदम उठाए हैं इन प्रयासों का दायरा बढ़ाने के राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है डीआईपीपी राज्य सरकारों और केंद्रशासित राज्यों के साथ मिलकर काम करता रहा है ताकि व्यापार के मामले आने वाली समस्याओं की पहचान करने और कारोबार का वातावरण बेहतर बनाने के काम में उनकी सहायता की जा सके इसने वास्तविक समय के आधार पर सुधारों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है यह www.eodb.dipp.gov.in पर उपलब्ध है

भारत वर्ल्ड बैंक के वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) में 2018 में 100वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2017 में यह 130वें स्थान पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक का उद्देश्य उन नियमों का आकलन करना है जो व्यापार को सीधे प्रभावित करते हैं इसके अलावा देश का स्थान 10 संकेतकों के औसत पर निर्भर करता है जो इस प्रकार हैं- व्यापार शुरू करना, निर्माण की अनुमति मिलना, बिजली प्राप्त करना, प्रापर्टी का पंजीकरण, ऋण प्राप्त करना, छोटे निवेशकों का संरक्षण देना, टैक्स का भुगतान करना, सीमा के आर-पार व्यापार करना, अनुबंध बनाना, दिवालियेपन का समाधान करना

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना, नए प्रयोगों को बढ़ावा देना, विनिर्माण की सर्वश्रेष्ठ सविधाओं का निर्माण करना, व्यापार को आसान बनाना और कौशल

विकास को प्रोत्साहन देना था 21 प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्ययोजनाओं की पहचान की गई ताकि (1) नीतिगत प्रयासों; (2) राजकोषीय प्रोत्साहन; (3) बुनियादी सुविधाओं का निर्माण (4) व्यापार को आसान बनाने; और (5) कौशल विकास के क्षेत्रों के तहत विशेष कदम उठाए जा सकें

इंवेस्ट इंडिया

इंवेस्ट इंडिया की स्थापना डीआईपीपी, फिक्की, सीआईआई, नैसकॉम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयक्त उपक्रम (लाभ के लिए नहीं) के तौर पर की गई है इंवेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सहयोग एजेंसी है जो निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के तौर पर काम करती है यह निवेशकों के लिए व्यापार की परिस्थितियों को आसान बनाकर देश में निवेश के वातावरण को क्रांतिकारी रूप से अनुकूल बना रही है विभिन्न देशों, राज्यों और क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले इसके विशेषज्ञ उनके निवेश जीवनचक्र 'निवेश-पूर्व से लेकर बाद के देखभाल तक' में निवेशकों की सहायता करते हैं यह उपक्रम कई रूपों में सहयोग करता है जैसे— बाज़ार में प्रवेश की रणनीतियां बनाना, उद्योग का गहन विश्लेषण करना, साझेदार की खोज करना और निर्णय लेने वालों के साथ स्थान आकलन नीति पर चर्चा करना

स्टार्ट-अप इंडिया

किसी नए उद्यम को स्थापित करने और शुरू करने में लगने वाले लंबे समय को ध्यान में रखते हुए डीआईपीपी ने स्टार्ट-अप इंडिया की परिभाषा में संशोधन किया है अब नए नियम के अनुसार किसी भी उपक्रम को उसकी स्थापना या पंजीकरण की तारीख से सात वर्ष तक स्टार्ट-अप माना जाएगा हाल ही में बजट में स्टार्ट-अप के लिए टैक्स में छूट को बढ़ाकर इसकी निरंतरता को भी सुनिश्चित किया जाएगा देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप की परिभाषा को विस्तृत किया गया है ताकि व्यापार के मॉडल की मापनीयता को शामिल करने के साथ रोज़गार या संपत्ति के सृजन उच्च क्षमता को इसमें शामिल किया जा सके स्टार्ट-अप को मान्यता देने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए किसी उद्योग संघ से सिफ़ारिश का पत्र लाने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है यह मान्यता लेने और टैक्स में छूट का प्रमाण-पत्र लेने के लिए जरूरी होता था

फंड्स ऑफ फंड्स

स्टार्ट-अप उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने स्माल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबी) में 10,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ ,फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्ट- अप, (एफएफएस) शुरू किया है एफएफएस की ओर से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) की राशि में योगदान दिया जाएगा ताकि स्टार्ट-अप के उपक्रम और उससे संबंधित साधनों में निवेश किया जा सके

सरकारी खरीद के नियमों में ढील

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की सरकारी खरीद की नीति में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए नियमों में ढील दी जा सके

कर प्रलोभन

स्टार्ट-अप को 7 वर्षों में से लगातार किसी 3 आकलन वर्षों में आयकर में मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष कर दिया गया है इन लाभों को पाने के लिए स्टार्ट-अप को इंटर-मिनिस्ट्रीयल बोर्ड (आईएमबी) से पात्रता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है

त्वरित पेटेंट जांच

स्टार्ट-अप की ओर से पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की फाइलिंग को त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्टार्ट अप्स आईपीआर प्रोटेक्शन (एआईपीपी) की एक योजना शुरू की गई है यह योजना पेटेंट के लिए किए गए आवेदन की जांच के काम में तेजी लाती है इससे पेटेंट हासिल करने में समय की बचत होगी स्टार्ट-अप के लिए पेटेंट के आवेदन का शुल्क भी 80 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है

स्वयं-प्रमाणीकरण अनुपालन व्यवस्था

स्टार्टअप पर नियमों का भार कम करने के लिए पर्यावरण और श्रम कानूनों से संबंधित अनुपालन शर्तों को आसान बना दिया गया है ऐसा करने से स्टार्टअप को अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा और अनुपालन से संबंधित लागत में कमी आएगी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने श्वेत श्रेणी के 36 उद्योगों की सूची प्रकाशित की है इस श्रेणी में आने वाले स्टार्टअप नियमों के अनुपालन का प्रमाण स्वयं दे सकेंगे

अनुसंधान पार्क

आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, आईआईएससी बंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और मुंबई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग के बीच संयुक्त शोध एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से नए सफल प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके

जैव-तकनीकी में स्टार्टअप को प्रोत्साहन

जैव-उद्यमिता, बायो-क्लस्टर्स, बायो-इनक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज़ (टीटीओ) और बायो-कनेक्ट कार्यालय देशभर के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत जैव-तकनीकी के स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए प्रारंभिक कोष और इक्विटी फंडिंग मुहैया कराया जा रहा है

मोबाइल एप और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल

स्टार्टअप इंडिया वेब पोर्टल और मोबाइल एप 2016 से विकसित और संचालित किए गए हैं

स्टार्ट-अप इंडिया हब

स्टार्ट-अप से संबंधित तमाम सवालों का जवाब आसानी से पाने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया हब शुरू किया गया था इसे डिजिटल विस्तार देने के लिए एक इंटेलीजेंट ऑनलाइन हब 2017 में चालू किया गया था जो एक प्लेटफार्म की तरह काम करेगा जहां स्टार्टअप से जुड़े सभी पक्ष अपने-अपने प्रयासों में आपसी सहयोग बना सकेंगे

बौद्धिक संपदा अधिकार

डीआईपीपी को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में नीति तैयार करने का काम सौंपा गया है जिसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्क और वस्तु के भौगोलिक संकेत शामिल हैं यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के कानून जैसे पेटेंट कानून 1970, डिजाइन कानून 2000, ट्रेड मार्क कानून 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) कानून 1999, कॉपीराइट कानून 1957 (2012 में संशोधित) और अर्ध-संवाहक एकीकृत परिपथ लेआउट-डिजाइन कानून 2000 को प्रशासित करता है यह बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड (आईपीएबी) से संबंधित मामलों को भी देखता है डीआईपीपी सरकार की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के मामलों को भी देखता है यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संबंधित सभी मामलों के लिए एक केंद्रीय (नोडल) विभाग है

उत्पादकता एवं गुणवत्ता

डीआईपीपी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता के संवर्धन एवं गुणवत्ता के लिए एक केंद्रीय (नोडल) विभाग है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) टोक्यों स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, में भारत का प्रतिनिधित्व करता है एनपीसी विशेष परामर्श, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ सम्मेलनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि लाने का काम देखता है इसके अलावा वह उत्पादकता से संबंधित अनुसंधान,

निरीक्षण, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन और एपीओ के सहयोग से सूचनाओं के प्रसार का काम भी देखता है

इस विभाग के अधीन एक अन्य स्वायत्त संस्था भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडीज़ (एनएबीसीबी) द्वारा मान्यता सेवाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 9001 सीरीज), पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 14001 सीरीज), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 22000 सीरीज), उत्पाद प्रमाणीकरण और निरीक्षण संस्थाओं के संबंध में गुणवत्ता के मानदंडों को अपनाने का प्रोत्साहन देता है एनएबीसीबी के अलावा चार अन्य बोर्ड भी हैं जैसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी), नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच), नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेबोरेटीज़ (एनएबीएल) और नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन (एनबीक्यूपी) जो क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य और क्वालिटी प्रोत्साहन को मान्यता प्रमाणपत्र देते हैं

औद्योगिक/आर्थिक गलियारे

औद्योगिक विकास, आय और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक/आर्थिक गलियारों का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) की परियोजना 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच तैयार हुए एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) के आधार पर शुरू की गई थी इस परियोजना के तहत दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), नवी मुंबई के बीच 1504 किमी. लंबे वेस्टर्न डेडीकेटेड रेल फ्रेट कॉरीडोर के दोनों तरफ डीएमआईसी को विकसित किया जा रहा है

चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा

चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) का उद्देश्य एक सर्वांगीण दृष्टिकोण रखते हुए बुनियादी ढांचागत समस्याओं को दूर करना है साथ ही सीबीआईसी से जुड़े दोनों राज्यों की विशेषताओं का पूरा लाभ उठाना है

बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा

बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) का उद्देश्य एक सुनियोजित और संसाधन-संपन्न औद्योगिक केंद्र विकसित करना है जहां विश्व स्तर की संपर्क सुविधाएं हों और जिनसे नए प्रयोग, विनिर्माण, रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही दोनों ही राज्यों को संसाधन की सुरक्षा मिल सके

अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा

उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बल देने के लिए सरकार अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा (एकेआईसी) बनाने का काम शुरू करना चाहती है इसे ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) के आस-पास एक मेरुदंड के तौर तैयार किया जाएगा

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) भारत के पहले समुद्र-तटीय गलियारा पूर्वी समुद्र तटीय आर्थिक गलियारा कॉरीडोर (ईसीईसी) का एक मुख्य हिस्सा हैं वीसीआईसी स्वर्णिम चतुर्भुज के सीध में बनाया जा रहा है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास

डीएमआईसी परियोजना की सफलता और उसके महत्व को देखते हुए चार अन्य औद्योगिक गलियारों की

घोषणा की गई, जिनके नाम हैं अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी), बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी), चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) और ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक गलियारा जिसमें विकास के शुरुआती चरण के तौर पर विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारे (वीसीआईसी) को विकसित किया जा रहा है इस पूरी परियोजना को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) नाम दिया गया है

संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना

2003 में औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (आईआईयूएस) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए स्थानों, जिनमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होने की संभावना हो, पर सरकारी व निजी भागीदारी के जरिए उत्तम स्तर का बुनियादी ढांचा मुहैया करके घरेलु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (एमआईआईयूएस) को जुलाई 2013 में अधिसूचित किया गया था एमआईआईयूएस के अंतर्गत मौजूदा औद्योगिक पार्कों/ एस्टेट/ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं पिछड़े और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों (एनईआर) में नई परियोजनाओं को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है

औद्योगिक प्रदर्शन

औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के साथ ही उपयोग-आधारित समूहों जैसे– प्राथमिक, पूंजीगत, माध्यमिक, बुनियादी ढांचागत/निर्माणगत वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर नज़र रखता है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2017 में आधार वर्ष में संशोधन किया 2011-12 के आधार वर्ष के साथ ताजा सीरीज़ मौजूदा संरचना और संयोजन का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है नए आधार वर्ष के अनुसार आईआईपी ने विद्युत उत्पादन, खनन और विनिर्माण में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है

आठ मूलभूत उद्योगों का प्रदर्शन

आठ मूलभूत उद्योगों का सूचकांक (आईसीआई) हर महीने आठ मूलभूत या प्रमुख उद्योगों के कामकाज पर नजर रखता है ये उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए आर्थिक सलाहकार कार्यालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन करके 2011-12 कर दिया औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ उद्योगों का भार 42.27 प्रतिशत होता है

चमड़ा उद्योग

चमड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में उत्पादन, निर्यात से होने वाली आय और रोज़गार देने की क्षमता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है देश से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के निर्यात में पिछले दो दशकों में संरचनात्मक परिवर्तन आया है सरकार की नीति के तहत चमड़े के बेहतरीन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के कारण कुल निर्यात में चमड़े के जूते-चप्पलों, चमड़े के पोशाकों, चमड़े के सामान और चमड़े की अन्य वस्तुओं का हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया है

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

भारतीय विकास कार्यक्रम का लक्ष्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के जरिए कच्चे माल का स्रोत बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी समस्याएं दूर करना, मानव संसाधन विकास, पारंपरिक चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचे की बाधाएं दूर करना और संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है

सीमेंट उद्योगः सीमेंट देश में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उद्योगों में से एक है अर्थव्यवस्था के आवासीय और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है सीमेंट के मूल्य और वितरण

का नियंत्रण 1989 से हटा दिया गया और सीमेंट उद्योग को औद्योगिक विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस से 1991 से मुक्त कर दिया गया है उसके बाद से सीमेंट उद्योग ने क्षमता/ उत्पादन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है भारत विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, जैसे सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी), पोर्टलैंड पोलोजना सीमेंट (पीपीसी), पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट (पीबीएफएस), ऑयल वेल सीमेंट, व्हाइट सीमेंट आदि सीमेंट के ये प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट के स्तर की होती है बीआईएस निशान के बिना सीमेंट को देश में बेचा नहीं जा सकता है भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक प्रौद्योगिकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कामयाब रहा है उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से उद्योग को ऊर्जा, ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करके अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है

सिरेमिक उद्योगः सिरेमिक उद्योग लगभग 50 वर्ष पुराना है इसमें सिरेमिक टाइल्स, सैनिटरीवेयर और क्रॉकरी शामिल है सिरेमिक उत्पाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा बड़े एवं छोटे स्तर पर बनाए जाते हैं जिनके प्रकार, आकार, गुणवत्ता व मानक अलग-अलग होते हैं टाइल्स के उत्पादन और उपभोग के मामले में चीन और ब्राजील के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर बना हुआ है यह उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोज़गार देता है टाइल्स के उत्पादन के लिए जरूरी अधिकतर कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होने से टाइल उद्योग समय के साथ बदल रहा है, डिज़ाइन तथा विनिर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है और विश्वस्तरीय टाइल्स बनाने में सक्षम है

टायर एवं ट्यूब उद्योग

टायर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों व माल की ढुलाई के आवागमन और परिवहन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रयोग ठेलों, ट्रैक्टरों, ट्रकों और बसों से लेकर एक्सप्रेस-वे पर दौड़ने वाली आधुनिक यात्री कारों में होता है घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरी सभी प्रकार के टायर भारत में बनाए जाते हैं इन टायरों में मोपेड के 1.5 किग्रा. के टायरों से लेकर अर्थमूवर्स के 1.5 टन वजन तक के टायर शामिल हैं बायस प्लाई टायरों से लेकर मजबूत ऑल स्टील रेडियल ट्रक टायर और यात्री कारों के उच्च प्रदर्शन वाले रेडियल एवं ट्यूबलेस टायर तक शामिल हैं भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने हर प्रकार के उद्देश्य के लिए टायरों के निर्माण में स्वावलंबन प्राप्त कर लिया है मानव जीवन व वाहनों की सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा 2009 में ऑटोमोटिव वाहनों के न्यूमैटिक टायर एवं ट्यूब के लिए गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया गया इस आदेश के तहत न्यूमैटिक टायरों और ट्यूबों के आयात, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध है जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरे नहीं उतरते और जिन पर मानक चिह्न अंकित नहीं हैं भारतीय टायर उद्योग में 39 कंपनियां और 60 टायर विनिर्माण संयंत्र हैं बड़ी टायर कंपनियां एमआरएफ लिमिटेड, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, सिएट, गुडईयर, मोदी रबर आदि हैं तीन भारतीय कंपनियां (एमआरएफ लिमिटेड, अपोलो टायर्स और जेके टायर्स) शीर्ष 25 वैश्विक टायर कंपनियों में गिनी जाती हैं रबर के सामान का उद्योगः टायर और ट्यूब के अतिरिक्त रबर उत्पादों के उद्योग में 4,550 छोटी और अति छोटी इकाइयां हैं जो लगभग 5.50 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करती हैं रबर उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे रबर के एप्रन, गर्भनिरोधक, फुटवियर, रबर होज, तार, जीन, बैटरी के डिब्बे, लेटेक्स उत्पाद, कन्वेयर बेल्ट, सर्जिकल दस्ताने, गुब्बारे, सांचे से बनी रबर की वस्तुएं आदि तैयार करता है रबर का सामान बनाने वाले उद्योग में प्राकृतिक रबर, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रबर, कार्बन ब्लैक, रबर रसायन आदि मुख्य कच्चा माल होता है

सिगरेट उद्योगः सिगरेट उद्योग कषि आधारित श्रम केंद्रित उद्योग है उद्योग विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में सिगरेट भी शामिल है और इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है

पेंट एवं सहायक उत्पाद उद्योगः लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त पेंट एवं उसका सहायक उत्पाद उद्योग में

मुख्य रूप से पेंट, इनेमल, वार्निश, रंजक, छपाई की स्याही, कृत्रिम रंग आदि से शामिल हैं राष्ट्रीय संपदा को क्षरण से बचाकर ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन उत्पादों को संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बनाया जाता है

कांच उद्योग: कांच उद्योग लाइसेंस से मुक्त उद्योगों की श्रेणी में आता है इसमें सात प्रकार के उत्पाद जैसे फ्लैट ग्लास(शीट, फ्लोट, फिगर्ड, वायर्ड, सेफ्टी, मिरर ग्लास), ग्लास फाइबर एवं ग्लास वूल, हालो ग्लासवेयर, लेबोरेटरी ग्लासवेयर, टेबल एवं किचन ग्लास वेयर, कांच की चूड़ियां और कांच के अन्य सामान आते हैं भारत के चपटे कांच उत्पादों की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बढ़ रही है भारतीय निर्माताओं ने इसके नए बाज़ार तलाश लिए हैं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र और सहयोगी उत्पादों की वृद्धि के कारण ग्लास फाइबर की मांग में काफी संभावनाएं हैं

कागज़ उद्योग: भारत विश्व में कागज़ के सबसे तेजी से बढ़ते बाज़ारों में से एक है ज्ञान के बढ़ते आधार और सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), विकलांगों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, शिक्षा का अधिकार और केंद्र सरकार छात्रवृत्ति एवं शिक्षा ऋण योजना के कारण कागज़ और दफ्ती की मांग बढ़ी है इस उद्योग को जुलाई 1997 में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था मौजूदा नीति के अनुसार लुगदी और कागज़ क्षेत्र के में स्वतः मंजूरी के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है कागज़, गत्ता और अख़बारी कागज़ का निर्माण करने वाली लगभग 850 इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता करीब 250 लाख टन है जिसमें से करीब 35 लाख टन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है भारत में कागज़ का प्रतिव्यक्ति उपभोग करीब 13 किग्रा है जो विश्व औसत (58 किग्रा) से काफी कम है भारतीय कागज़ उद्योग बंटा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 0.5 टन से लेकर 1,500 टन तक उत्पादन करने वाली छोटी, मझोली और बड़ी कागज़ मिलें शामिल हैं ये इकाइयां लकड़ी, कृषि अवशेष और पुराने कागज़ का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करती हैं

कागज़ एवं गत्ता क्षेत्रः देशी कागज़ एवं गत्ता क्षेत्र कागज़ के उन सभी प्रमुख प्रकारों का उत्पादन करता है जिनकी बाज़ार में मांग है जैसे लिखने एवं छपाई का कागज़ (38 प्रतिशत), पैकिंग श्रेणी का कागज़ (53 प्रतिशत), अख़बारी कागज़ (8 प्रतिशत) तथा विशेष प्रकार का कागज़ लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कागज़ों जैसे कोटेड कागज़, सेक्युरिटी कागज़ और चेक आदि के कागज़ों का आयात किया जाता है

अख़बारी कागज़ः देश में अख़बारी कागज़ उद्योग को न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश (एनसीओ), 2004 से नियंत्रित किया जाता है इस आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध मिलों को वास्तविक प्रयोग के अनुसार उत्पाद शुल्क से छूट मिलती है इस समय एनसीओ की अनुसूची में 124 मिलें पंजीकृत हैं लेकिन सालाना 9.9 लाख टन स्थापित क्षमता के साथ केवल 35 मिलें ही अख़बारी कागज़ का उत्पादन कर रही हैं, 23 मिलों ने एनसीओ में सूचीबद्ध होने के बाद काम बंद कर दिया है और 89 मिलों ने अख़बारी कागज़ का उत्पादन रोक दिया है देश में अख़बारी कागज़ की करीब आधी मांग आयात से पूरी की जा रही हैं

नमक उद्योग: विश्व में नमक उत्पादन में चीन और अमरीका के बाद भारत का तीसरा स्थान है और हमारा वार्षिक उत्पादन 260 लाख टन है आयोडीन-युक्त नमक के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है आज़ादी के समय नमक की कमी और आयात के दौर को पीछे छोड़कर भारत सही नीतियों के चलते कुछ ही समय में काफी आगे आ चुका है देश ने आत्मनिर्भरता (1953) में हासिल कर ली थी और निर्यात के बाजार में अपनी जगह बना ली थी उसके बाद से देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा

विस्फोटकः इस समय मझोले और लघु क्षेत्र में 74 कारखाने विस्फोटकों का उत्पादन कर रहे हैं साइट मिक्स्ड विस्फोटक (एसएमई) इकाइयों को कुल 16,56,555.5 मीट्रिक टन विस्फोटकों की उत्पादन क्षमता का लाइसेंस प्राप्त है

हल्का बिजली उद्योग: हल्के बिजली उद्योग एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत से विशिष्ट उत्पाद और सहायक

उत्पाद शामिल हैं इनमें बिजली के तार और केबल, ट्रांसमिशन टॉवर, क्रेन, लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ियां, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्टोरेज बैटरियां, ड्राइ सेल बैटरियां, बिजली के लैंप एवं ट्यूब आदि शामिल हैं

बिजली के तार व केबल: बिजली के तार व केबल उद्योग देश में शुरू हुए कुछ सबसे पुराने उद्योगों में से एक हैं देश में बहुत तरह के बिजली के तारों और केबलों का निर्माण किया जाता है, जिनमें जेली से भरे टेलीफोन केबल जैसे– संचार केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, स्विचबोर्ड केबल, को-ऐक्सियल केबल, वीएसएटी केबल, इलेक्ट्रिक केबल, लचीले तार, कम वोल्टेज वाले बिजली के केबल और ईएचटी पॉवर केबल शामिल हैं

पारेषण टॉवरः पारेषण टॉवर लंबी दूरी तक बिजली ले जाने वाली उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों को सहारा देते हैं ये लाइनें सब-स्टेशनों में बिजली पहुंचाती हैं ताकि बिजली का वोल्टेज कम करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सके भारत में बड़े बिजली संयंत्र विशेषकर मेगा एवं अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है इससे जहां संख्या में कम लेकिन बिजली पैदा करने वाले बड़े स्टेशन होंगे, उसके साथ ही बिजली के पारेषण की मांग भी तेजी से बढ़ेगी

केनः भारी सामान उठाने के लिए लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेन की मांग होती है देश में आज विभिन्न प्रकार की क्रेनें बनाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, मोबाइल क्रेन, लैडल क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, क्रैब क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन और कंट्रोलर क्रेन आदि शामिल हैं विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण उद्योग में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं हैं

लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ियाः औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा बहुमंजिला इमारतों, अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले विशाल मॉल एवं सुपरमार्केट के निर्माण, हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में अत्यधिक निवेश के कारण लिफ्ट एवं स्वचालित सीढियों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है भारत में विभिन्न प्रकार के लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाती हैं इनमें सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, गियरलेस, हाइड्रोलिक, सर्वो एवं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) एलीवेटर शामिल हैं

रेफ्रिजरेटर: टेलीविजन को छोड़ दें तो रेफ्रिजरेटर भारत में उपभोक्ताओं की सर्वाधिक पसंदीदा उत्पाद रहा है बाज़ार में विभिन्न प्रकार के ब्रांडों के आने से रेफ्रिजरेटर उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और उपभोक्ताओं के पास बहुत विकल्प आ गए हैं देश में बनने वाले रेफ्रिजरेटरों में इस समय दो मूलभूत डिजाइनों का प्रयोग किया जा रहा है इन्हें सामान्य भाषा में डायरेक्ट कूलिंग एवं फ्रास्ट फ्री कहा जाता है इन दिनों उपभोक्ताओं में फ्रास्ट फ्री का चलन बढ़ता जा रहा है दोहरी आय वाले परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण 180 लीटर के पारंपरिक रेफ्रिटरेटरों के स्थान पर दो दरवाजों वाले 220 लीटर अथवा अधिक क्षमता के रेफ्रिजरेटरों की मांग बढ़ती जा रही है

वाशिंग मशीनः देश में वाशिंग मशीन के बाज़ार को सेमी-ऑटोमेटिक एवं फुली-ऑटोमेटिक में विभाजित किया जा सकता है आय बढ़ने और आकांक्षाएं बढ़ने के कारण अधिक क्षमता वाली और फुली-ऑटोमेटिक वाशिंग मशीनों की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है पूरी तरह यांत्रिक की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का प्रयोग होता जा रहा है क्योंकि वाशिंग मशीनों की डिजाइन में माइक्रो-कंट्रोल लगाए जा रहे हैं माइक्रो-कंट्रोल जहां इन मशीनों को इंटेलिजेंस या चतुरता प्रदान करते हैं, वहीं इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ाते हैं और साथ ही लागत कम करते हैं व बिजली की बचत भी करते हैं

एयरकंडीशनर: बदलती जीवन शैली के कारण बदले हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में एयरकंडीशन हमारी जरूरत बनते जा रहे हैं एयरकंडीशनर के बाज़ार को तीन श्रेणियों- विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एसी में बांटा जा सकता है जगह कम होने तथा बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण तथा कम शोर करने वाले स्प्लिट एसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है बिजली मंत्रालय के अधीन सांविधिक संस्था ऊर्जा दक्षता (बीईई) ने एयरकंडीशनरों के लिए ऊर्जा की बचत के

आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान करना आरंभ किया है ताकि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक ऊर्जा बचाने वाले उत्पाद खरीदने में मदद मिल सके

लेड एसिड स्टोरेज बैटरी: लेड एसिड बैटरियां करेंट एवं बिजली का संग्रह करती हैं और कुछ समय बाद खाली (डिस्चार्ज) हो जाती हैं इन्हें वाहनों में प्रयोग किया जाता है और यूपीएस, नियंत्रण कक्षों, बिजलीघरों, दूरसंचार आदि के लिए बैकअप बिजली के रूप में औद्योगिक प्रयोग भी किया जाता है इसके अलावा घरों में इमरजेंसी लाइट, टेलीफोन सिस्टम और खनन के काम में प्रकाश के स्रोत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है लेड एसिड बैटरियों का नया प्रयोग बिजली से चलने वाले वाहनों में होने लगा है इस तरह की बैटरी की आयु लगभग दो वर्ष होती है, इसलिए इन बैटरियों को वाहन अथवा मशीनों में प्रयोग के दौरान बार-बार बदलना पड़ता है हालांकि भारत में इन बैटरियों का बड़े स्तर पर निर्माण करने वाली कुछ बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बेहद असंगठित तरीके से इनका निर्माण करने वाली अत्यंत छोटी-छोटी इकाइयों की भरमार है इन छोटी इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली बैटरियां बीआईएस के मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं लेड एसिड बैटरियों के सुरक्षित निस्तारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बैटरियां (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 2001 अधिसूचना जारी की है

शुष्क बैटरियां: शुष्क बैटरियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक हैं ये सबसे पुराने प्रकार की बैटरियां हैं, जिनका प्रयोग आज भी हो रहा है तकनीकी में विकास के कारण शुष्क बैटरियों का प्रदर्शन लगातार सुधरा है नए प्रकार की शुष्क बैटरियों का जीवन लंबा होता है और उन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है इसके अलावा अब रिचार्ज करने योग्य सेल भी आ गए हैं रक्षा, दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में निकल कैडमियम बैटरियां एवं अन्य रिचार्ज योग्य बैटरियां बनती हैं सेल्युलर फोन, लैपटॉप एवं आयातित खिलौनों की लोकप्रियता बढ़ने से नए तरह की बैटरियों का बाज़ार खुल सकता है जिनका निर्माण अभी नहीं हो रहा है

बल्ब एवं ट्यूबः देश में विभिन्न प्रकार के बल्ब और ट्यूब का निर्माण किया जाता है जिनमें सामान्य बल्ब जैसे- फिलामेंट वाले बल्ब, हैलोजन बल्ब, गैस डिस्चार्ज बल्ब जैसे- फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, उच्च दाब युक्त मरकरी वाले बल्ब, मेटल हैलाइड लैंप, निम्न दाब एवं उच्च दाब वाले सोडियम वेपर लैंप तथा विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बल्ब शामिल हैं बिजली महंगी होने के कारण बिजली की कम खपत करने वाले ऐसे बल्बों का विकास हुआ जो लगभग दिन के प्रकाश के समान रोशनी देते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सीएफएल) जो साधारण बल्बों जितनी रोशनी देने के बावजूद केवल 20 प्रतिशत बिजली की खपत करते हैं और इनका जीवन भी सामान्य बल्ब के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होता है ये बल्ब अब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं सामान्य बल्ब और फ्लोरेसेंट लैंप की अपेक्षा एलईडी लैंप अधिक रोशनी देते हैं और इनसे पर्यावरण को हानि पहुंचने की संभावना भी कम होती है भारत में एलईडी का प्रयोग बढ़ने से रोशनी के लिए बिजली के लोड़ को बहुत कम किया जा सकता है क्योंकि लगभग 22-25 प्रतिशत बिजली का उपयोग केवल रोशनी के लिए होता है सिर्फ लाइटिंग के लिए इतनी बिजली खर्च होने से बिजली की मांग बढ़ जाती है महंगी होने के कारण एलईडी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रही हैं, हालांकि देश में इसका निर्माण शुरू हो चुका है

हल्का इंजीनियरिंग उद्योग: हल्का इंजीनियरिंग उद्योग विभिन्न क्षेत्रों वाला विविधताभरा उद्योग है इस उद्योग में कास्टिंग और फोर्जिंग जैसे सभी उद्योगों की जननी से लेकर अत्यंत परिष्कृत माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रोसेस कंट्रोल उपकरण और निदान संबंधी चिकित्सा उपकरण तक शामिल हैं इस समूह में बेयरिंग, स्टील पाइप एवं ट्यूब, फास्टनर आदि उद्योग भी शामिल हैं इंजीनियरिंग उद्योग में आने वाले उत्पादों का सामान्यतः पूंजीगत वस्तु उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है इसलिए इस क्षेत्र में मांग सामान्यतः पूंजीगत वस्तु उद्योग की मांग पर निर्भर करता है

रोलर बेयरिंग उद्योगः रोलर बेयरिंग लगभग सभी मशीनों जैसे- वाहन, इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन, औद्योगिक मशीनरी तथा औजार आदि में घूमने वाले पुर्जे के तौर पर जरूरी हिस्सा होता है बेयरिंग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है इसलिए उत्पाद भी विभिन्न प्रकार के होते हैं देशी विनिर्माता विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य उपयोग वाले उच्च क्वालिटी के बेयरिंग बना रहे हैं जो विश्व के प्रतिष्ठित विनिर्माताओं के स्तर

के होते हैं लेकिन जिनका इस्तेमाल विशेष कार्यों के लिए होता है और जिन्हें बनाने के लिए उच्च तकनीकी की जरूरत होती है, उनका अब भी आयात किया जा रहा है कम अथवा अधिक तापमान वाली कर परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छोटे आकार और कम वजन के बेयरिंग का निर्माण करने की बहुत संभावनाएं हैं

लौह कास्टिंगः इंजीनियरिंग उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में लौह कास्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वाहन, औद्योगिक मशीनरी, बिजली संयंत्र, रसायन एवं उर्वरक संयंत्र आदि के लिए ये मध्यवर्ती का काम करते हैं भारत का फाउंड्री या ढुलाई उद्योग विश्व में तीसरा स्थान है देश में अब यह एक सुस्थापित उद्योग है और बड़े, मझोले व सूक्ष्म क्षेत्र में फैला हुआ है इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह कुछ खास स्थानों पर है हर स्थान या क्लस्टर किसी विशिष्ट बाज़ार की आवश्यकताएं पूरी करता है उदाहरण के लिए कोयंबटूर क्लस्टर पंप सेट कास्टिंग के लिए, कोल्हापुर और बेलगांव वाहनों की कास्टिंग, राजकोट डीजल इंजन की कास्टिंग और बाटला तथा जालंधर मशीनरी के कलपुर्जा और कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है

प्रोसेस नियंत्रण उपकरण उद्योग: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों की निगरानी और मापन के लिए जरूरी उपकरण और सिस्टम प्रोसेस नियंत्रण उपकरणों की श्रेणी में आते हैं इनका इस्तेमाल दाब, तापमान, आर्द्रता, तरलता स्तर, प्रवाह, विशिष्ट गुरुत्व, पीएच समेत रासायनिक संघटन और विभिन्न प्रकार के स्पेक्टोमेट्री व स्पेक्ट्रोफोटोमेटी ट्रेन प्रोसेस के नियंत्रण और मापन में किया जाता है प्रोसेस नियंत्रण उपकरण आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गए हैं ऑटोमेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाला यह एक प्रमुख उद्योग है अधिक लागत वाले विशाल एवं परिष्कृत प्रोसेस उद्योगों जैसे- उर्वरक, इस्पात, बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, सीमेंट एवं प्रोसेस उद्योगों में इनका बहुत महत्व होता है वर्तमान तकनीकी एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित केंद्रीकृत नियंत्रण सिस्टम है

जोड़रहित स्टील पाइप एवं ट्यूबः जोड़रहित स्टील पाइप और ट्यूब अलग-अलग आकारों में बनाए जाते हैं अलग-अलग आकार में होने के कारण विभिन्न तरह के कामों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है निर्माण की खास प्रक्रिया के चलते इन पाइपों में मजबूती आती है और वे टिकाऊ बनते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जंगरोधी पाइपों के तौर पर किया जा सकता है इन पाइपों का इस्तेमाल विमान, मिसाइल तथा घर्षणरोधी बेयरिंग, आयुध आदि में भी किया जाता है अत्यधिक शक्तिशाली और जंगरोधी गुणों के कारण ये तेल एवं गैस उद्योग, रसायन उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं जोड़रहित पाइपों की कुल जरूरत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा तेल क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता हैं बेयरिंग और ब्वायलर के क्षेत्र में इसकी मांग करीब 30 प्रतिशत है यह उद्योग 14 इंच के बाहरी व्यास तक के ट्यूब बनाने में सक्षम है

विद्युतरोधी वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू) स्टील पाइप एवं ट्यूबः ग्राहकों की जरूरत के आधार पर ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप और ट्यूब विभिन्न प्रकार की क्वालिटी, दीवार की अलग-अलग मोटाई एवं अलग-अलग व्यास में उपलब्ध हैं उच्च क्षमता वाले ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप एवं ट्यूब में उच्च जंगरोधी क्षमता, उच्च नम्यता, अत्यधिक मजबूती और उच्च स्तर की कठोरता होती है इन पाइपों का प्रयोग फेंसिंग, लाइनिंग पाइप, ऑयल कंट्री ट्यूबलर, स्केफोल्डिंग, पानी एवं गैस के परिवहन, ढांचागत इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है तेल एवं गैस उद्योग, बुनियादी ढांचा और ऑटोमोबाइल उद्योग में इनकी मांग बढ़ने के कारण ईआरडब्ल्यू स्टील पाइपों के निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है एमएसएमई सेक्टर में बड़ी संख्या में इनकी इकाइयां हैं

सब मर्ज्ड आर्क वेल्डेड (एसएडब्ल्यू) पाइप: दो प्रकार के सब मर्जड आर्क वेल्डेड (एसएडब्ल्यू) पाइप- लांगिट्यूडिनल एवं हेलिकल वेल्डेड एसएडब्ल्यू पाइप होते हैं लांगिट्यूडिनल एसएडब्ल्यू पाइप को उच्च दाब वाली गैस पाइप लाइन में तथा 25 मि.मी. से अधिक मोटाई वाले पाइप की आवश्यकता होने पर प्रयोग किया जाता है हेलिकल वेल्डेड पाइप कम दाब वाले कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं हेलिकल एसएडब्ल्यू पाइप लांगिट्यूडिनल पाइपों से सस्ते होते हैं तेल एवं गैस के परिवहन एवं जल के पारेषण के कारण देश में एसएडब्ल्यू पाइपों की बहुत मांग है

औद्योगिक फास्टनरः भारत में फास्टनर उद्योग को दो श्रेणियों- उच्च लचीलापन (हाइ टेंसाइल) वाले और नरम इस्पात वाले फास्टनर में बांटा जा सकता है उच्च लचीलापन वाले और नरम इस्पात वाले फास्टनरों में नट, बोल्ट, स्टड, रिवेट और पेंच आते हैं नरम स्टील फास्टनर मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में बनाए जाते हैं जबकि उच्च नम्यता वाले फास्टनर के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और उन्हें संगठित क्षेत्र की कंपनियां बनाती हैं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा मांग है टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र और रेलवे में भी उच्च नम्यता वाले फास्टनरों की बहुत ज्यादा मांग है ऑटोमोबाइल क्षेत्र फास्टनर उद्योग में तेजी ला सकता है

स्टील फोर्जिंग: फोर्जिंग मध्यवर्ती उत्पाद हैं जिन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में मौलिक पुर्जे बनाने वाले निर्माता बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं भारतीय फोर्जिंग उद्योग को चार श्रेणियों- बड़े, मझोले, लघु और सूक्ष्म में बांटा जा सकता है इस उद्योग का बड़ा हिस्सा लघु और मझोली इकाइयों या उद्यमों (एसएमई) से बना है इस उद्योग में पहले श्रम का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था लेकिन वैश्वीकरण बढ़ने के साथ ही अब इसमें पूंजी का अधिक उपयोग होने लगा है फोर्जिंग पर निर्भर रहने वाले उद्योगों में वाहन, कृषि मशीनरी एवं उपकरण, वाल्व फिटिंग एवं पेट्रोरसायन प्रणाली, हाथ के औजार एवं हार्डवेयर, ऑफ-हाइवे एवं रेलरोड उपकरण, सामान्य औद्योगिक उपकरण, आयुध एवं पानी के जहाज़ व विमान निर्माण शामिल हैं फोर्जिंग की मांग में मुख्य भूमिका वाहन उद्योग की है कुल फोर्जिंग का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र में प्रयोग होता है

साइकिल उद्योगः भारत में साइकिल उद्योग सबसे स्थापित उद्योगों में से एक है भारत विश्व में चीन के बाद साइकिल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है साइकिल की अधिकांश विनिर्माण इकाइयां पंजाब और तमिलनाडु में स्थित हैं तथा लुधियाना (पंजाब) साइकिल का प्रमुख निर्माण केंद्र है यह उद्योग निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि भारतीय साइकिलों, साइकिल के पुर्जों एवं साइकिल के अन्य सामानों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं साइकिल कंपनियां अब शहरी बाज़ारों पर ध्यान दे रही हैं तथा पेशेवर व एडवेंचर श्रेणियों में अपना आधार बढ़ा रही हैं

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी: आय के स्तर में वृद्धि, कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ने, तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और बड़े स्तर पर मीडिया के प्रचार के कारण प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ने से खाद्य प्रसंस्करण की मशीनों के लिए भारतीय बाज़ार लगातार वृद्धि कर रहा है फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस, मुर्गीपालन, दूध एवं समुद्री खाद्य, डिब्बाबंद भोजन, शीतल पेय एवं अनाज प्रसंस्करण में वृद्धि की सर्वाधिक संभावनाएं हैं खान-पान की आदतों में तेज़ी से बदलाव होने और देश में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है मशीन निर्माताओं ने डेयरी मशीनरी एवं खाद्य प्रसंस्करण की अन्य मशीनें बनाने में दक्षता हासिल कर ली है

पैकेजिंग मशीनरी उद्योगः उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों की पैकेजिंग मार्केटिंग रणनीति की विशेषता बनती जा रही है पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में विकास से उत्पाद देखने में न केवल आकर्षक होते जा रहे हैं बल्कि उनकी जीवन अवधि भी बढ़ जाती है कुछ मामलों विशेष तरह की पैकेजिंग एक आवश्कता बन गई है औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं और उपभोक्ताओं में पैकेजिंग के प्रति बढ़ती जागरुकता देखते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है बड़ी संख्या में उत्पादों की पैकेजिंग के लिए देश में विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग मशीनरी उपलब्ध है सामान्य रूप से मिलने वाली कुछ पैकिंग मशीनों में कोडिंग की मशीन एवं ऑनलाइन प्रिंटिंग मशीन, फीडिंग एवं लेबलिंग मशीन, स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन, फार्म फिल एवं सील मशीन, कार्टन फिलिंग मशीन, पूरी तरह स्वचालित बैग निर्माण मशीन एवं स्वचालित माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पैकेजिंग मशीन शामिल हैं

जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण: जल प्रदूषण रोकने के प्रति जागरुकता बढ़ने और प्रसंस्करण उद्योगों समेत विभिन्न प्रयोगों के लिए कठोर पर्यावरण नियंत्रण मानक लागू किए जाने के कारण जल/बेकार जलशोधन उद्योग में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है जल प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों में बेकार

जल शोधन संयंत्र, पेयजल जलशोधन संयंत्र एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्र शामिल हैं जल, बेकार जलशोधन में प्रदूषण करने वाले तत्वों को निकालना होता है और इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया अपनाई जाती है शोधन की प्रक्रिया में पहला चरण प्राथमिक शोधन है और उसमें नीचे बैठे हुए अथवा तैरते हुए प्रदूषणकारी तत्वों को हटाया जाता है सामान्य औद्योगिक उपकरणों में क्लेयरिफायर एवं ऑयल-वाटर सेपरेटर शामिल हैं दूसरे चरण में सीवेज की जैविक सामग्री को कम किया जाता है इसके लिए सामान्य उपकरण हैं उत्प्रेरित स्लज, फिल्टर, जैविक रिएक्टर आदि जलशोधन के तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण में छूट गए प्रदूषणकारी एवं घुले हुए ठोस पदार्थों जैविक अवयवों और विषैले तत्वों को हटाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है तीसरे चरण की भौतिक प्रक्रिया में प्रदूषणकारी तत्वों को छानना और कार्बन का अवशोषण शामिल है इसकी रासायनिक प्रक्रिया में अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, निष्प्रभावीकरण शामिल है जैविक प्रक्रिया में जैविक तत्वों को कम करना शामिल है बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट और एल्जी जैसे जीवों का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को खत्म करने के लिए किया जाता है इसके बाद शोधित जल से कोशिका ऊतकों को हटाया जाता है

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणः औद्योगिकीकरण और और शहरीकरण ने भारत की वायु की गुणवत्ता का बहुत क्षरण किया है भारत की सबसे गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्या के कई कारण दिखाई देते हैं जिनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और उद्योगों का अशोधित धुआं शामिल है विभिन्न उद्योगों में पर्यावरण संबंधी कठोर मानकों को अपनाए जाने के साथ, विशेष रूप से महानगरों और बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसलिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उपकरणों के उद्योग का महत्व बढ़ गया है इसके अलावा न्यायिक फ़ैसलों ने वायु प्रदूषण रोकने वाले उपायों को अपनाने के लिए कुछ निश्चित निर्देश दिए हैं नियंत्रण की विधियों का चयन प्रदूषणकारी तत्वों की प्रकृति, प्रवाह दर (प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन की मात्रा), कणों के आकार और संग्रह की वांछित क्षमता पर निर्भर करता है वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है जैसे सेटलिंग चैंबर्स, साइक्लोन एवं मल्टी-साइक्लोन, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर, स्प्रे टॉवर, वेंचरी स्क्रबर, आयनाइजिंग स्क्रबर एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर

औद्योगिक गियरः औद्योगिक गियर में मुख्यतः गियर और गियर बॉक्स होते हैं गियर का प्रयोग दो मूलभूत उद्देश्यों के लिए होता है- घूर्णन की गति को बढ़ाना अथवा घटाना एवं शक्ति अथवा टार्क को बढ़ाना या घटाना मशीन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण विभिन्न उद्योगों में गियर का अधिक प्रयोग होता है इनमें ऑटोमोटिव उद्योग, कोयला संयंत्र उद्योग, कागज़ उद्योग, खनन एवं कई अन्य उद्योग शामिल हैं इन उद्योगों में इनका व्यापक प्रयोग होता है इनका इस्तेमाल कन्वेयरों (चलने वाले पट्टा), एलीवेटरों, भट्ठों, सेपरेटरों, क्रेनों और लुब्रीकेशन सिस्टमों में किया जाता है गियरबॉक्स एक प्रकार का धातु का केस है जिसमें गियरों की एक ट्रेन सीलबंद कर दी जाती है गियर और गियर बॉक्सों के विनिर्माण में उच्च सूक्ष्मता वाली मशीनों और सटीक असेंबली का प्रयोग होता है क्योंकि मशीनी शक्ति को शोर के बगैर और कम से कम नुकसान के साथ अंतरित करना होता है देश में विभिन्न प्रकार के गियर जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, वार्म गियर, स्पाइरल गियर आदि बनाए जाते हैं गियर और गियर बॉक्स की मांग मुख्य रूप से औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स एवं उपभोक्ता तथा वाहन उद्योगों के विकास पर निर्भर करती है वाहन उद्योग में औद्योगिक वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए गियर और गियर बॉक्सों के मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

पिछले पांच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जीवंत और मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा है एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुक़ाबले अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर न केवल बड़े स्तर पर रोज़गार के अवसर मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में भी मदद कर रहे हैं, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर रहे हैं

एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं यह क्षेत्र देश के सामाजिक व आर्थिक

विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को सहयोग देकर और नए उद्यम शुरू करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देकर संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और इससे जुड़े अन्य पक्षों के सहयोग से इस क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम एवं कोयर उद्योग भी शामिल हैं, के प्रोत्साहन और विकास के द्वारा एक गतिशील क्षेत्र की परिकल्पना करता है

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कानून 2006 में अधिसूचित किया गया था जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की परिधि और निवेश की सीलिंग के साथ एमएसएमई को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना था यह कानून पहली बार, उद्यम, की अवधारणा की मान्यता के लिए कानूनी रूपरेखा मुहैया कराता है जिसमें विनिर्माण एवं सेवा इकाइयां दोनों शामिल हैं इस कानून में पहली बार मध्यम उद्यम को परिभाषित किया गया है और इन उद्यमों की तीन श्रेणियों सूक्ष्म, लघु और मध्यम को आपस में जोड़ता है इसके अलावा यह कानून संबंधित पक्षों के सभी वर्गों खासकर उद्यमों की तीन श्रेणियों के संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्श तंत्र मुहैया कराता है

सन् 2007 में भारत सरकार (कार्य नियतन) कानून, 1961 में संशोधन के बाद पूर्ववर्ती लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय बना दिया गया था अब यह मंत्रालय एमएसएमई की सहायता करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ उसके लिए नीतियां बनाता है और प्रोत्साहन देता है, कार्यक्रम तैयार करता है एमएसएमई के संवर्धन और विकास का पहला उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है लेकिन भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है मंत्रालय और इसके संगठनों का काम राज्य सरकारों की ओर से उद्यमिता, रोज़गार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहन देने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के प्रयासों में सहयोग करना है वेबसाइट www.msme.gov.in

एमएसएमई की संख्या

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कराए गए नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 73वें चक्र के अनुसार देश में 633.88 लाख गैरनिगमित गैर-कृषि आधारित एमएसएमई इकाइयां थीं जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगीं थीं इनमें वे एमएसएमई शामिल नहीं थीं जो (ए) फैक्टरीज़ एक्ट 1948, के सेक्शन 2एम(i) और 2एम(ii), (बी) कंपनीज़ एक्ट 1956 और (सी) नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (एनआईसी) 2008 के सेक्शन एफ के अंतर्गत आने वाली निर्माण गतिविधियों के तहत पंजीकृत थीं

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (1956 का 61) के अंतर्गत की गई थी और 1987 व 2006 में जिसमें संशोधन किया गया था, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संस्था है यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करने और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है केवीआईसी गांवों में निम्न प्रतिव्यक्ति निवेश के साथ विकेंद्रीकृत क्षेत्र में गैर-कृषिगत रोज़गार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है यह कौशल विकास, तकनीकी के हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां चलाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद करता है
वेबसाइट: www.kvic.org.in

कोयर बोर्ड

कोयर उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने एवं इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े कामगारों की जीवन स्थितियां सुधारने के लिए कोयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित कोयर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है कोयर उद्योग के विकास के लिए कोयर बोर्ड का काम कोयर उद्योग के वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां संचालित करना, कोयर एवं कोयर उत्पादों के निर्यात तथा आंतरिक उपभोग संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना, नए उत्पादों एवं डिजाइन का विकास करना, निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के प्रोत्साहन के लिए प्रचार करना, भारत और विदेश में कोयर एवं कोयर उत्पादों की मार्केटिंग करना, निर्माताओं और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाना, उत्पादों के

विनिर्माताओं के लिए इकाइयों की स्थापना में सहयोग करना, भूसी, कोयर फाइबर, कोयर धागे के निर्माताओं एवं कोयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना, उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के लिए लाभ सुनिश्चित करना शामिल है
वेबसाइट: www.coirboard.gov.in

कपड़ा उद्योग

भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी पूरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के विशाल आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े कपड़ा उद्योगों में से एक है इस उद्योग का अनोखापन यह है कि यह हथकरघा क्षेत्र और पूंजीप्रधान मिल क्षेत्र दोनों में ही मज़बूत है मिल क्षेत्र में 3,400 कपड़ा मिलें हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा तकलियों और 8,42,000 से ज्यादा रोटरों की स्थापित क्षमता के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है पारंपरिक क्षेत्र जैसे- हैंडलूम, हस्तशिल्प और लघु स्तर की पॉवरलूम ईकाइयां ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोज़गार का सबसे बड़ा स्रोत हैं कपड़ा उद्योग का कृषि, संस्कृति और देश की परंपरा के साथ एक अंतर्निहित संबंध है जिससे यह विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार करता है जो घरेलू और निर्यात दोनों ही बाज़ारों के अनुकूल होते हैं कपड़ा उद्योग को अगर मूल्य के मामले में आंकें तो यह कुल उद्योग में 7 प्रतिशत, देश के जीडीपी में 2 प्रतिशत, देश के कुल निर्यात आय में 15 प्रतिशत का योगदान करता है 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाला यह उद्योग देश में सबसे ज्यादा रोज़गार का सृजन करने वाले स्रोतों में से एक है भारत के विकास को समावेशी और सहभागी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण की बेहतरीन सुविधाओं का निर्माण करके, नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का आधुनिकीकरण करके और कौशल व कपड़ा क्षेत्र में पारंपरिक विशेषताओं को प्रोत्साहन देकर विनिर्माण को बढ़ाना है
वेबसाइट: www.texmin.nic.in

इंडिया हैंडलूम ब्रांड: इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) के जरिए भारतीय हथकरघा की दुनियाभर में पहचान बन गई है जो उच्च क्वालिटी और प्राकृतिक सामग्री से बने असली हैंडलूम के उत्पाद की गारंटी देता है इसने आईएचबी के उत्पादों को बेचने के लिए 100 खुदरा स्टोरों से साझेदारी कर रखी है देशभर में 25 खुदरा स्टोरों ने काम शुरू कर दिया है 23 परिधान निर्माता आईएचबी के पंजीकृत बुनकरों से कपड़ा मंगाने के लिए आईएचबी के निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने परिधानों की एक अलग श्रेणी तैयार करके बाज़ार में उतार दी है दुनियाभर में परिधानों के बड़े ब्रांड हथकरघों के इस्तेमाल से परिधानों की एक अलग श्रेणी तैयार करने के लिए आईएचबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं बीबा, पीटर इंग्लैंड ओनाया पहले ही हैंडलूम के कपड़ों की एक अलग श्रेणी शुरू कर चुके हैं हैंडलूम के बुनकरों/कारीगरों को मार्केटिंग का सीधा मंच मुहैया कराने के लिए ई-कॉमर्स की 21 बड़ी कंपनियां हैंडलूम के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में लगी हुई हैं

नए कदम

वीवर्स मुद्रा योजनाः बुनकरों को रियायती कर्ज़ देने के लिए वीवर्स मुद्रा योजना शुरू की गई थी हर बुनकर को मार्जिन मनी असिस्टेंस के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये और 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है

ई-धागा एपः भारत सरकार ने हथकरघा के बुनकरों को अच्छी सेवा और चौबीसों घंटे जरूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2016 में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और ई-धागा मोबाइल एप शुरू किया था यह एप 10 भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, ओडिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम, उर्दू और बांग्ला में उपलब्ध है

बुनकर मित्र हेल्पलाइन: हथकरघा के बुनकरों को उनके पेशे से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए 2017 में एक बुनकरमित्र हेल्पलाइन शुरू किया गया है जिसका नंबर है 1800 208 9988 यह सेवा हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सात भाषाओं- हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगू, बंगाली, कन्नड़ और

असामिया में उपलब्ध है

वित्तीय निगमों के साथ एमओयू: 14 चिह्नित जगहों पर ओबीसी व एससी कारीगरों और बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजनाएं लागू करने के लिए नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल शिड्यूल कास्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसएफडीसी) के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किया गया

हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं: बुनकरों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (आईजीएनओयू) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (आईजीएनओयू) के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किया गया जिसके तहत मंत्रालय एससी, एसटी, बीपीएल और महिला बुनकरों के परिवारों को 75 प्रतिशत फीस देती है

कारीगर हेल्पलाइन: 2017 में सात भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, असमिया, बंगाली, तमिल और तेलुगू में एक हेल्पलाइन नंबर 1800 208 4800 शुरू किया गया

हस्तकला सहयोग शिविरः हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए देशभर में हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित जाते हैं इन शिविरों में लगभग 94,000 बुनकरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया इनमें कई तरह की गतिविधियां जैसे बुनकरों और कारीगरों को मुद्रा ऋण, करघे, उनसे जुड़े सामान और टूल किट बांटे गए, पहचान, आईडी कार्ड और सूत पासबुक जारी किए गए, इग्नू और एनआईओएस के तहत बुनकरों के परिवार के सदस्यों के नाम लिखाए गए, जीएसटी, जीआई, बुनकरमित्र हेल्पलाइन और सरकार के हथकरघा व हस्तशिल्प विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गईं

रेशम

भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम (सिल्क) एक विलासिता की वस्तु है भारत में 97 प्रतिशत कच्चा मलबेरी (शहतूत) रेशम का उत्पादन पांच राज्यों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में होता है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण तीन अन्य तरह के रेशम गैर-मलबरी रेशम की श्रेणी में आते हैं जिनके नाम हैं- एरी, तसर और मूगा

कपास

कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसलों में से एक है और दुनिया में कुल फाइबर उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा देश में ही होता है भारतीय कपड़ा उद्योग के कच्चा माल खपत वर्ग या बास्केट में कपास का हिस्सा करीब 59 प्रतिशत है कपास करीब 58 लाख कपास किसानों और कपास से जुड़े कामों जैसे कपास की प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे 4 से 5 करोड़ लोगों को आजीविका मुहैया कराता है भारत में सबसे ज्यादा करीब 105 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह पूरी दुनिया में कपास की खेती की कुल ज़मीन का करीब 35 प्रतिशत है कपास उद्योग को सहयोग देने के लिए भारत सरकार दो बुनियादी रेशा समूहों यानी मीडियम स्टेपल (रेशा) और लंबा रेशा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास की कीमतें एमएसपी के स्तर पर आ जाने की स्थिति में एमएसपी का काम देखने के लिए भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है

जूट

भारत सालाना 80 लाख गट्ठों के साथ दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत सरकार भारतीय जूट निगम द्वारा न केवल एमएसपी के जरिए जूट किसानों का सहयोग करती है बल्कि जूट पैकेजिंग मैटीरियल (सामान पैक करने के लिए अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले जूट के बोरों की सीधे तौर पर खरीद करके भी उन्हें लाभ पहुंचाती

है यह केवल जूट किसानों के लिए ही नहीं बल्कि जूट मिल श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा सहयोग है 2016 से जूट के बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म, जूट-स्मार्ट, (जूट सैकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन टूल) लागू किया गया था इस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग-अलग राज्य सरकारों की एजेंसियां सालाना करीब 27 से 30 लाख गट्ठों (जूट के कुल सामानों का करीब 68 प्रतिशत) की खरीद कर रहीं हैं जिनकी कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपये होती है यह प्लेटफार्म ई गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां इस उद्योग से जुड़े ढेरों हिस्सेदार विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जूट के बोरों की खरीद, जिसमें कई सारे जूट मिल और मझोलिए भी शामिल होते हैं, से संबंधित जटिल लेन-देन के लिए बड़े पारदर्शी तरीके से एक ही प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जूट किसानों की आय कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों और कृषि की बेहतर जानकारी के जरिए, जूट-आईकेयर, शुरू किया गया है

ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम हैं एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में ऊन का उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाएगा पशमीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी

तकनीकी कपड़ा

तकनीकी कपड़े को कपड़ा उद्योग का भविष्य माना जा रहा है इसके रेशे वजन में हल्के और इससे बने कपड़े अब तक के सबसे मजबूत कपड़े हैं इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, वास्तुशिल्प और बिल्डिंग, व्यावसायिक चिकित्सा, खेलकूद और परिधान उद्योग में किया जाता है 11 फोकस इनक्युबेशन सेंटर (एफआईसी) प्लग एंड प्ले मॉडल पर (पांच सीओई में और छह आईआईटी–दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा खड़गपुर) में लगाए हैं ताकि संभावित उद्यमियों को तकनीकी कपड़ा उद्योग में कदम रखने में मदद मिल सके एग्रो टेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्र और देश के शेष हिस्सों में 9 प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) ने कार्बन फाइबर पर आधारित अंतरिक्ष संचार सिस्टम विकसित किया है इसके अलावा कम लागत वाले मॉड्युलर शौचालय भी बनाए गए हैं जिनमें जूट के रेशों का इस्तेमाल किया गया है

पॉवरलूम क्षेत्र को प्रोत्साहन

भारत में पॉवरलूम क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है, जिसमें ढेरों सूक्ष्म और छोटी इकाइयां काम कर रही हैं 24.86 लाख पॉवरलूम देश में कुल कपड़े के 57 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन कर रहे हैं पॉवरलूमों की क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने साधारण पॉवरलूमों को उन्नत बनाने के लिए पॉवरटेक्स इंडिया योजना के अंग के तौर पर साधारण पॉवरलूमों के उन्नयन शुरू किया है जिसके तहत साधारण पॉवरलूमों को प्रोसेस कंट्रोल उपकरण से जोड़ा जाता है और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, क्वालिटी बेहतर होती है और कुल उत्पादकता के मूल्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हो जाती है

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अधीन काम करता है भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में एक राज्य मंत्रालय भी होता है यह मंत्रालय तीन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहन देता है जो इस प्रकार हैं- पूंजीगत माल, ऑटो और भारी विद्युत उपकरण इसके अलावा यह 31 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), 5 स्वायत्तशासी संगठनों को संचालित करता है, केंद्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए नीति-निर्देश तैयार करता है और समग्र रूप से सीपीईसी का प्रशासन देखता है अपनी भूमिका पूरी करने के लिए यह विभाग दूसरे मंत्रालयों, सीपीईसी और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है इस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हैं- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रभावित करने वाली आम नीति से संबंधित मामलों का समन्वय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन

और उसके कामकाज पर नज़र रखना जिसमें समझौता ज्ञापन (एमओयू) की व्यवस्था भी शामिल है, इस तरह के उद्यमों के लिए परमानेंट मशीनरी ऑफ आरबिट्रेशन यानी मध्यस्थता की स्थायी व्यवस्था (पीएमए) से संबंधित मामले, सीपीएसयू में कर्मचारियों के लिए परामर्श, प्रशिक्षण और पुनर्वास, उद्यम को दोबारा खड़ा करने, पुनर्संरचना या उसे बंद करने से संबंधित मामलों में सलाह देना और सीपीएसी को श्रेणीबद्ध करना, जिसमें रत्न का दर्जा देना भी शामिल है
वेबसाइट: www.dhi.nic.in, www.dpe.gov.in

उद्योग का कामकाज

सरकार ने औद्योगिक विकास को बल देने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं इनमें अन्य कदमों के साथ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल हैं व्यापार की स्थितियों को आसान और बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें मौजूदा नियमों को सरल व युक्तिसंगत बनाना और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करना, ई-बिज़ पोर्ट शुरू करना और रक्षा उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति को उदार बनाना शामिल है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को अत्यधिक सरल और उदार बना दिया गया है सरकार ने देशभर में औद्योगिक गलियारों की निर्माण योजनाएं बनाई हैं जिसका उद्देश्य औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए विकसित ज़मीन और उत्तम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है

लोक उद्यम सर्वेक्षण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) प्रतिवर्ष संसद को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करता है जिसे देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के वित्तीय एवं भौतिक कामकाज पर लोक उद्यम सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है इस सर्वेक्षण में सीपीएसई आते हैं जो कंपनी एक्ट के तहत या तो सरकारी कंपनी के तौर पर स्थापित किए गए हैं या संसद के किसी अधिनियम के तहत सांविधिक निगम हैं इसके अलावा यह केवल उन सरकारी कंपनियों का सर्वेक्षण करता है जिनमें भुगतान की गई पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा है लेकिन इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कॉमर्शियल बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां शामिल नहीं हैं

इस्पात

भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय लोहा एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, आवश्यक कच्चे माल जैसे- लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैगनीज़ अयस्क, क्रोमाइट, लौह-अलॉय, स्पंज आयरन आदि के विकास और संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है कच्चे इस्पात के उत्पादन और उसकी क्षमता में 2013-2014 से लगातार बढ़ोतरी हुई है

भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

प्रोविज़नल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्ड स्टील) डाटा (स्रोत: वर्ल्ड स्टील इन फीगर्स, 2018) दिखाता है कि 2017 में विश्व में कच्चा इस्पात का उत्पादन 1689 एमटी था जो उससे पहले की अपेक्षा 3.8 प्रतिशत ज्यादा था चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर बना रहा और 2017 के दौरान एशिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में उसका हिस्सा 72 प्रतिशत और विश्व में 49 प्रतिशत रहा जबकि 2016 में यह क्रमशः 74 प्रतिशत और 50 प्रतिशत था लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन पहली बार 10 करोड़ टन का सीमा पार करके 2018 में 101.4 एमटी हो गया इस प्रकार घरेलू इस्पात उद्योग के लिए 2017 मील का पत्थर साबित हुआ

उर्वरक

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग सातवें भाग का योगदान देने वाली कृषि देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या का पालन-पोषण करती है इसके अलावा यह शेष जनसंख्या को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहारा

देती है पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया गया है और इस दिशा में सतत प्रयासों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है घरेलू जरूरत को पूरा करने और निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है

उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है इस विभाग का मुख्य उद्देश्य वहन करने योग्य क़ीमत पर उर्वरकों की पर्याप्त व समय पर उपलब्धता और देश में कृषि उत्पादन में अधिकतम सीमा तक वृद्धि सुनिश्चित करना है विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग का नियोजन, संवर्धन एवं विकास, उत्पादन का नियोजन एवं उस पर नज़र रखना, उर्वरकों का निर्यात और वितरण, स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी की रियायत के जरिए वित्तीय सहायता का प्रबंधन शामिल है

इस विभाग के पास अपने अधीन एक संबद्ध कार्यालय फर्टिलाइज़र इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी (एफआईसीसी) है यह उर्वरकों की सार्वजनिक क्षेत्र की 9 इकाइयों (पीएसयू) को भी प्रशासित करता है
वेबसाइट: www.fert.nic.in

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां

फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जनवरी 1961 को स्थापित एफसीआई को 1978 से नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमि. (एचएफसी) के साथ मिलाकर पांच कंपनियों एफसीआई, एनएफएल, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमि. (एचएफसी), राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमि. (आरसीएफ) एवं प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमि. (पीडीआईएल) में विभाजित कर दिया गया पुनर्संरचना के बाद एफसीआई के पास सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामगुंडम (आंध्र प्रदेश) और तलचर (ओडिशा) में चार इकाइयां हैं, जिनकी सालाना 5.87 लाख एमटी की कुल नाइट्रोजन उत्पादन क्षमता है कोरबा (छत्तीसगढ़ में भी एक परियोजना है, जो बीच में ही छोड़ दी गई
वेबसाइट: www.fertcorpindia.nic.in

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का गठन 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) तथा एनएफएल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पुनर्गठन के फलस्वरूप किया गया था एचएफसीएल में बरौनी इकाई (बिहार), दुर्गापुर इकाई एवं हल्दिया इकाई (प.बंगाल) तथा नामरूप इकाई (असम) थीं 2002 में नामरूप इकाई को अलग करके ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के नाम से अलग कंपनी बना दी गई

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) का गठन 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के पुनर्गठन के बाद हुआ था गठन के समय कंपनी के पास ट्रांबे (मुंबई के निकट) में केवल एक चालू इकाई थी और दो बड़ी परियोजनाओं ट्रांबे 4 और ट्रांबे 5 पर काम चल रहा था ट्रांबे से लगभग 100 किमी दूर गैस से चलने वाली थल-वैशेट उर्वरक परिसर को बाद में आरसीएफ ने तैयार किया और उसने व्यावसायिक उत्पादन 1985 में शुरू किया
वेबसाइट: www.refltd.com

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की स्थापना 1974 में भटिंडा (पंजाब) एवं पानीपत (हरियाणा) में एलएसएचएस के साथ दो नाइट्रोजन संयंत्र बनाने के लिए की गई थी, जिनमें प्रत्येक की सालाना 5.11 लाख एमटी यूरिया उत्पादन की क्षमता थी 1978 में एफसीआई का पुनर्गठन होने के बाद उसकी नांगल इकाई (नांगल विस्तार परियोजना समेत) भी एनएलएफ को दे दी गई

वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), जो पहले फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्रभाग था, का 1978 में एक अलग कंपनी के तौर पर पंजीकरण कर दिया गया इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में है

वेबसाइट: www.pdilin.com

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) का गठन 1943 में किया गया था 1947 में एफएसीटी ने कोचीन (अब कोच्चि) के निकट उद्योगमंडल में वार्षिक 50,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन शुरू किया 1980 में एफएसीटी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई और 1982 के अंत में भारत सरकार इसमें बड़ी शेयरधारक बन गई धीमी शुरुआत के बाद एफएसीटी उर्वरकों एवं पेट्रोरसायनों के विनिर्माण एवं विपणन, इंजीनियरिंग परामर्श एवं डिज़ाइन तथा औद्योगिक उपकरणों के फैब्रिकेशन एवं निर्माण में रुचि के साथ बहु-आयामी संगठन बन गई

वेबसाइट: www.pdilin.com

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) की स्थापना भारत सरकार और अमरीका की अमोको (एएमओसीओ) इंडिया इनकॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1906 में की गई थी इसमें 1985 में भारत सरकार की इक्विटी शेयर पूंजी 51 प्रतिशत थी 1985 में अमोको अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर दिया जिसे भारत सरकार और एनआईओसी ने अपने-अपने अनुपात के हिसाब से खरीद लिया नई हिस्सेदारी के अनुसार भारत सरकार के पास 67.55 प्रतिशत और एनआईओसी के पास 32.45 प्रतिशत शेयर थे

वेबसाइट: www.madrasfert.nic.in

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) की नामरूप (असम) में दो परिचालन ईकाइयां हैं इसका कॉरपोरेट कार्यालय भी नामरूप में स्थित है कंपनी के अन्य प्रतिष्ठानों में नोएडा व कोलकाता में जनसंपर्क कार्यालय एवं गुवाहाटी, सिलीगुड़ी तथा पटना में विपणन कार्यालय हैं

वेबसाइट: www.bvfel.com

एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड

एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की जोधपुर माइनिंग आर्गेनाइजेशन (जेएमओ) से अलग होने के बाद 2003 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई थी

वेबसाइट: www.fagmil.nic.in

रसायन एवं पेट्रोरसायन

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था उसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया फिर 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया यह विभाग रसायन, पेट्रोरसायन और दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमों के लिए उत्तरदायी है इसके अधीन आने वाले कुछ उत्पाद और कार्य इस प्रकार हैं– दवाएं, उन दवाओं को छोड़कर जो अन्य विभागों के लिए आवंटित हैं; कीटनाशक, कीटनाशक कानून, 1968 को छोड़कर; शीरा; अल्कोहल– औद्योगिक एवं शीरे से बना पेय; सभी कार्बनिक एवं

अकार्बनिक रसायन, केवल उन्हें छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के लिए आवंटित नहीं हैं; पेट्रोरसायन; सिंथेटिक रबर; विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और उनका सहयोग
वेबसाइट: www.chemicals.nic.in

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग ज्ञान और पूंजी के भारी उपयोग वाला उद्योग है यह बढ़ते हुए भारतीय उद्योग का अभिन्न अंग है इसमें मूलभूत रसायन और उनके उत्पाद जैसे पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र और टायलेटरी तथा औषधि आते हैं यह उद्योग मूलभूत जरूरतें पूरी करने और जीवन स्तर बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास की रीढ़ है और कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों मसलन- कपड़ा, कागज, पेंट, साबुन, डिटरजेंट, औषधि, वार्निश आदि उद्योगों को बुनियादी सामग्री देता है भारत में कई उत्कृष्ट एवं विशेष रसायन बनते हैं जिनका फूड एडिटिव, पिगमेंट, पॉलिमर एडिटिव और रबर उद्योग में ऐंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होता है

रसायन उद्योग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है ज्यादातर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक उत्पाद लाइसेंस से मुक्त हैं उद्यमी को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) जमा करना होता है, बशर्ते इसमें स्थान की समस्या न आ रही हो हानिकारक होने के कारण केवल निम्नलिखित उत्पादों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है: हाइड्रोसाइनिक एसिड और उसके व्युत्पन्न पदार्थ, फॉसजीन और उसके व्युत्पन्न पदार्थ, हाइड्रोकार्बन के आईसोसाइनेट और डाई-आईसोसाइनेट रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के तहत तीन कार्यक्रम लागू कर रहा है: (i) प्लास्टिक पार्क स्थापित करना (ii) पॉलिमर तकनीकी में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करना, और (iii) पेट्रोरसायन और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में नई तकनीकी खोज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति का उद्देश्य बहुत बड़े स्तर पर एकीकृत और अनुकूल वातावरण में पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है 2017 में इस नीति का मसौदा तैयार किया गया जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है
वेबसाइट: www.chemicals.nic.in

हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

मूलभूत कार्बनिक रसायनों में आत्मनिर्भरता पाने के लिए 1960 में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) का गठन किया गया कंपनी की रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में दो विनिर्माण इकाइयां हैं रसायनी इकाई (रासायनिक यौगिक) ने 1970-71 में और कोच्चि इकाई (फेनोल यौगिक) ने 1987-88 में उत्पादन शुरू किया एचओसीएल भारत में डाई-नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड बनाने वाली इकलौती कंपनी हैं और इस रसायन की आपूर्ति इसरो को उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए की जाती है एचओसीएल की एक सहयोगी कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) है जो तेलंगाना के रुद्रारम में स्थित है और हाइटेक इंजीनियरिंग प्लास्टिक पॉली ट्रेटाफ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो डाइ-फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) का उत्पादन करती है
वेबसाइट: www.hoclindia.com

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड (एचआईएल) की स्थापना डीडीटी के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में की गई थी 1957 में कंपनी ने डीडीटी बनाने के लिए उद्योग मंडल, केरल में और 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में कीटनाशक मैलाथियन बनाने के लिए कारखाने लगाए एचआईएल की तीसरी इकाई पंजाब के भटिंडा 2003 में स्थापित की गई रसायनी और उद्योगमंडल की इकाइयों में डीडीटी और कृषि रसायन दोनों के निर्माण की सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा की इकाई में केवल फार्मूलेशन और पैकेजिंग की सुविधा है

एचआइएल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मच्छरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के लिए डीडीटी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी है कंपनी के कुल कारोबार में डीडीटी का हिस्सा करीब 50 प्रतिशत है कंपनी कुछ अफ्रीकी देशों को डीडीटी और ब्राज़ील व अर्जेंटीना जैसे देशों को मैलाथियन एवं मैंकोजेब जैसे उत्पादों का निर्यात करती है कृषि क्षेत्र को उचित कीमत पर गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचआईएल ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों का निर्माण भी करने लगी और उसके पास कई प्रकार के तकनीकी और फार्मुलेशन ग्रेड के कीटनाशक हैं अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने बीज के कारोबार में भी कदम बढ़ा दिया है कृषि मंत्रालय से इसे राष्ट्रीय स्तर की बीज एजेंसी (एनएलए) का दर्जा मिला हुआ है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम), राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) तथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करती है इसके अतिरिक्त कंपनी ने उर्वरक के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है ताकि कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों जैसी कृषि संबंधी जरूरतें एक ही स्थान से पूरी की जा सकें
वेबसाइट: www.hil.gov.in

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस लिमिटेड

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) की स्थापना 1983 में की गई थी यह रुद्रारम, जिला मेडक, तेलंगाना में स्थित है कंपनी ने 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉलीट्रेटा फ्लूरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डाइ-फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) बनाती है पीटीएफई का इस्तेमाल रासायनिक, यांत्रिक, विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत ज्यादा होता है इसके अलावा रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भी इसका रणनीतिक उपयोग होता है सीएफएम-22 का प्रयोग प्रशीतक के तौर पर किया जाता है और पीटीएफई के उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग होता हैं

वेबसाइटः www.hfl.co.in

असम गैस क्रैकर परियोजना-ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

केंद्र सरकार, ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) और ऑल असम गणपरिषद (एएजीपी) के बीच समझौते के फलस्वरूप 1985 में असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) आरंभ की गई यह परियोजना असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अत्यंत आर्थिक महत्व रखती है एजीसीपी को 2016 में देश को समर्पित किया गया था

केंद्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

केंद्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) आईएसओ 9001:2008 क्यूएमएस, आईएसओ/आईईसी-17020 प्रमाणन वाला उत्कृष्ट प्लास्टिक संस्थान है जो रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत आता है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी सीआईपीईटी की विविध गतिविधियों में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों जैसे- डिजाइन, सीएडी/सीएम/सीएई, टूल, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन आदि में कौशल विकास, उद्योग को तकनीकी सहयोग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास (स्टार) आदि शामिल हैं सीआईपीईटी का दायरा बढ़ा दिया गया है और यह अब देश के 18 राज्यों में 30 केंद्रों पर काम कर रहा है इसके पांच हाई लर्निंग सेंटर (एचएलसी) हैं जिनमें अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्रियां दी जाती हैं इनके अलावा 12 डिप्लोमा सेंटर हैं जो डिप्लोमा व कौशल वाले कोर्सों पर केंद्रित हैं, 6 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) हैं जो बेरोज़गार युवाओं को बेहतर रोज़गार देने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास का प्रशिक्षण देते हैं, 3 आरएंडडी विंग्स हैं जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवहारमूलक अनुसंधान में लगे हैं, 3 विशेष सेंटर हैं जो अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में शैक्षिक कोर्स और तकनीकी सहयोग सेवा मुहैया कराते हैं और प्लास्टिक प्रसंस्करण एवं रिसाइकिलिंग तकनीकी में ऑपरेटर स्तर का प्रशिक्षण कोर्स कराते हैं और एक पॉलिमर डेटा सर्विस सेंटर है जो डेटाबेस बनाने का काम देखता है ये सेंटर अपने-अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) की स्थापना 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई आईपीएफटी कीटनाशकों के तकनीकी एवं सूत्रीकरण, विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेषों और सीडब्ल्यूसी संबंधित रसायनों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला है संस्थान की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों की फार्मुलेशन (सूत्रीकरण) प्रौद्योगिकी तैयार करनी है आईपीएफटी ने कीटनाशक उद्योग के साथ मिलकर अच्छा तालमेल बिठा लिया है और अभी तक वह भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को 50 से अधिक कीटनाशकों की फार्मुलेशन प्रौद्योगिकी सौंप चुका है

औषधि क्षेत्र

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था उसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया फिर 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया यह विभाग रसायन, पेट्रोरसायन और दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमों के लिए उत्तरदायी है इसके अधीन आने वाले कुछ उत्पाद और कार्य इस प्रकार हैं– दवाएं, उन दवाओं को छोड़कर जो अन्य विभागों के लिए आवंटित हैं; कीटनाशक, कीटनाशक कानून, 1968 को छोड़कर; शीरा; अल्कोहल- औद्योगिक एवं शीरे से बना पेय; सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, केवल उन्हें छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के लिए आवंटित नहीं हैं; पेट्रोरसायन; सिंथेटिक रबर; विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और उनका सहयोग
वेबसाइट: www.pharmaceuticals.gov.in

औषधि मूल्य निर्धारण नीति

राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति-2012 (एनपीपीपी-2012) वर्ष 2012 में अधिसूचित की गई थी जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर दवाओं 'आवश्यक दवाओं' की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढांचा बनाना था, साथ ही दवा उद्योग की वृद्धि को सहयोग देने के लिए नई खोज व प्रतिस्पर्धा को भी पर्याप्त अवसर मुहैया कराना था ताकि रोज़गार के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और सभी को अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सके इसके बाद, एनपीपीपी-2012 को लागू करने के लिए 2013 में एक नया ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) ऑर्डर अधिसूचित किया गया ताकि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची-2011 (एनएलईएम-2011) के अनुसार विशिष्ट खुराकों व शक्तियों के मूल्य नियंत्रित किए जा सकें इसे एनएलईएम-2015 में शामिल की गई दवाओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया उपरोक्त सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्राप्त की गई थी, जिसने चिकित्सा संबंधी उत्पादों के इस्तेमाल के सम-सामयिक ज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम-2011) के संशोधन की समीक्षा व सिफ़ारिश के लिए एक एक्सपर्ट कोर कमेटी गठित की थी

चिकित्सा उपकरण उद्योग

चिकित्सा उपकरण उद्योग एक विविध उत्पादों वाला उद्योग है जो विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में भारत एक बड़े बाज़ार के तौर पर बढ़ रहा है भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग करीब 70 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी वाले नए उपकरण और प्रौद्योगिकी एक अच्छी तरह से विकसित ढांचे में बनते हैं, जिसे भारत में उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि देशी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकते और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके 2014 में भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया था जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना था और इस प्रकार विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी को भारत में लाना था

भारत में चिकित्सा उपकरण बाज़ार का आभार

भारतीय चिकित्सा उपकरण बाज़ार 15.8 प्रतिशत सीएजीआर से 2009 में 2.02 अरब डॉलर (13,130 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2015 में 3.9 अरब डॉलर (25,259 करोड़ रुपये) हो गया

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

जनऔषधि योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां किफायती कीमतों पर बेचना था इसके लिए देशभर के विभिन्न जिलों में जन औषधि केंद्र बनाए गए थे इस योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं: बेहतर क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि प्रतिव्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना ताकि क्वालिटी का मतलब केवल ऊंची कीमत न हो

पहला जनऔषधि केंद्र 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था इस योजना का मूल लक्ष्य देश के हर जिले में जन औषधि स्टोर खोलना था हाल ही में, प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना (पीएमजेएवाई) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, (पीएमबीजेपी) और प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र, (पीएमजेएके) का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, (पीएमबीजेके) कर दिया गया

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड

भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) की स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना था कंपनी के पास इस समय तीन विनिर्माण ईकाइयां हैं- एक ऋषिकेश (उत्तराखंड), एक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और एक गुड़गांव (हरियाणा) में आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां हैं जिनके नाम हैं आईडीपीएल लिमिटेड, चेन्नई (तमिलनाडु) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड इसके अलावा आईडीपीएल के पास दो संयुक्त उपक्रम हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें मदद देती हैं ये हैं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर और ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल), भुवनेश्वर हालांकि सरकार ने आरडीपीएल को आईडीपीएल से अलग करने का निर्णय लिया है और अलग करने की प्रक्रिया अभी चल रही है
वेबसाइट: www.idplindia.in

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) पहले निजी क्षेत्र की एक बीमार कंपनी थी जिसका नाम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स था 1961 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के नाम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दी गई कंपनी की चार विनिर्माण ईकाइयां माणिक लाल, कोलकाता, उत्तरी 24 परगना (प.बंगाल), मुंबई (महाराष्ट्र) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हैं यह कंपनी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायनों का निर्माण और बिक्री करती है, सौंदर्य प्रसाधनों और घरेलू उत्पादों के अलावा विभिन्न प्रकार की दवाएं और औषधियां भी बनाती है इसके लोकप्रिय घरेलू उत्पादों में कैंथराइडिन हेयर ऑयल और लैंप ब्रांड फिनायल प्रमुख हैं
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in

खदान एवं खनिज

खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों के सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, सीसा, सोना, निकल इत्यादि जैसे गैर-लौह धातुओं के खनन और धातु शोधन के लिए तथा खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 और उसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खानों व खनिजों के संबंध में बनाए गए नियमों के साथ-साथ तटीय क्षेत्र खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है

खान मंत्रालय जिन कार्यों के लिए जिम्मेदार है, वे हैं; समय-समय पर संसद द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत भारत की सीमा में आने वाले क्षेत्र के भीतर खानों के नियमन खनिजों के विकास के लिए कानून बनाना इसमें समुद्री क्षेत्र या महाद्वीपीय सीमा या विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर पानी के नीचे स्थित खान और खनिज शामिल हैं; कोयला, लिग्नाइट और रेत के अलावा खानों के लिए विनियमन और खनिजों के विकास और कानून द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उद्देश्य के लिए उल्लिखित किसी अन्य खनिज के साथ विभिन्न राज्यों में खनिजों के विकास एवं विनियमन से जुड़े प्रश्न और उनसे जुड़े मामले; किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित नहीं की गई धातुएं एवं खनिज जैसे एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल; मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाले सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और सहायता; भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासन और प्रबंधन
वेबसाइट: www.minesgov.in

खनिज कानून और सुधार

खानों एवं खनिजों के विकास एवं विनियमन के लिए केंद्रीय कानून खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 है जो 1958 से लागू हुआ एमएमडीआर की धारा-13 प्रमुख खनिजों को खनिज छूट देने के लिए विनियमन संबंधी कानून बनाने का अधिकार सरकार को देती है खनिज छूट नियम, 1960 इसके अनुसार ही बनाए गए हैं यह पर्यावरण की रक्षा के लिए और खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार सरकार को देती है जिसके अनुसार खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 बनाया गया एमएमडीआर, 1957 अधिनियम की धारा-15 छोटे खनिजों के संबंध में पट्टे का आवंटन करने, खनन पट्टे का आवंटन या अन्य खनिज रियायतों के विनियमन के लिए नियम बनाने की अनुमति राज्य सरकारों को देती है जिसके अनुसार सभी राज्य सरकारों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों ने इस संबंध में अपने-अपने नियम बनाए हैं

केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित नियम बनाए गए और उपरोक्त अधिनियम के नए संशोधित प्रावधान को प्रभावी बनाने तथा खनन क्षेत्र को बल देने के लिए बनाए गए नए नियम इस प्रकार हैं: खनिज (खनिज सामग्री के प्रमाण) नियम 2015; खनिज (गैर-विशेष टोह परमिट), 2015; खनिज (नीलामी) नियम, 2015; और खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियम, 2015; खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन को योगदान) नियम, 2015; राष्ट्रीय अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015; खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकॉर्बन ऊर्जा खनिज छूट) नियम, 2016; खनिज (सीमित उद्देश्य के लिए नीलामी द्वारा मंजूर खनन लीज़ का हस्तांतरण) नियम, 2016; परमाणु खनिज छूट नियम, 2016; और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट

सरकार ने खुदान एवं खनिज (विकास एवं कानून) संशोधन अधिनियम 1957 की धारा 9सी की उपधारा 1 का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 को अधिसूचित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया जा सके और खनिज उत्पादन में वृद्धि के अलावा खनिज के क्षेत्र में टिकाऊ विकास हासिल किया जा सके

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफ) द्वारा लागू किया जाएगा पीएमकेकेकेवाई खनन का अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रभावित व्यक्ति की दशा में सुधार करने और सभी पक्षों को फायदा पहुंचाने में सहायता करेगी डीएमएफ के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है जो पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने में मदद करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा पीएमकेकेकेवाई की निगरानी करेगी

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, 2016 (एनएमईपी) बनाई जो देश के खनिज संसाधनों (गैर-ईंधन और गैर-कोयला) की गहन खोज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति का उल्लेख करती है और उसकी कार्य योजना के बारे में बताती है एनएमईपी का मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के जरिए देश में खनिजों के अन्वेषण को तेज करना है

पारदर्शिता, नीलामी, निगरानी और संसाधन संवर्धन

खनिज ब्लॉक आवंटित होने के बाद जरूरी विभिन्न मंजूरियों को दिलाने में सहयोग करने और उसे तेज करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया गया है जो उत्खनन का काम जल्दी शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियों में तेजी लाएगा मंत्रालय ने एक पारदर्शिता, नीलामी, निगरानी और संसाधन संवर्धन (टीएएमआरए) पोर्टल और मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया है सांविधिक/अन्य मंजूरियों के लिए समय के नियोजन में सभी पक्षों के बीच आपसी संवाद के लिए एक मंच का काम करेगा

खदानों की स्टार रेटिंग

खान मंत्रालय ने स्थायी विकास ढांचा (एसडीएफ) लागू करने के लिए 2016 में खदानों/खनन पट्टों की स्टार रेटिंग की योजना शुरू की स्टार रेटिंग तकनीकी, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणगत मानदंडों पर खदानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं और उनके गतिविधियों की वस्तुपरक रिपोर्टिंग देती हैं

खनन निगरानी सिस्टम

अवैध खनन के खतरे को रोकने के लिए एक उपग्रह-आधारित निगरानी सिस्टम (एमएसएस) विकसित किया गया और शुरू किया गया जिसका उद्देश्य स्वतः दूर संवेदी खोज तकनीकी के जरिए एक प्रभावी खनिज प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करना है उपग्रह से मिली ताजा छवियों का भू-संदर्भित खनन लीज़ मानचित्र से मिलान किया जाता है ताकि क्षेत्र में किसी अवैध खनन का पता लगाया जा सके

खनिज संसाधन

संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण संरचना (यूएनएफसी) पर आधारित विभिन्न खनिजों के भंडारों/संसाधनों का वर्गीकरण अप्रैल 2010 में किया गया था जिसके बाद राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार की जाती है यूएनएफसी में तीन आयामी व्यवस्था है जिसके तीन क्षेत्र हैं- आर्थिक दृष्टि से लाभ की संभावना, व्यावहारिकता का आकलन और भौगोलिक आकलन

बॉक्साइट

संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण (यूएनएफसी) के मुताबिक 2015 में बॉक्साइट का कुल संसाधन 38,970 लाख टन है इन संसाधनों में 6,560 लाख टन भंडार और 32,400 लाख टन शेष संसाधन शामिल हैं ग्रेड के अनुसार करीब 80 प्रतिशत संसाधन धातु-शोधन ग्रेड के हैं असाध्य किस्म के संसाधन और रासायनिक ग्रेड सीमित मात्रा में हैं जिनकी कुल संख्या करीब 5 प्रतिशत है राज्यों के अनुसार, अकेले ओडिशा में देश के कुल बॉक्साइट का 51 प्रतिशत संसाधन है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (16 प्रतिशत), गुजरात (9 प्रतिशत), झारखंड (6 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश (प्रत्येक 4 प्रतिशत) का स्थान आता है बॉक्साइट के बड़े संसाधन ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी समुद्रतट के भंडारों में हैं

क्रोमाइट

संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण (यूएनएफसी) प्रणाली के मुताबिक, 2015 में क्रोमाइट का कुल संसाधन करीब 3,440 लाख टन होने का अनुमान था जिसमें 1,020 लाख टन भंडार (30 प्रतिशत) और 2,420 लाख टन शेष

संसाधन (70 प्रतिशत) था क्रोमाइट के करीब 90 प्रतिशत संसाधन ओडिशा में हैं, ज्यादातर जाजपुर और क्योंझर जिलों के सुकिंदा घाटी में स्थित हैं छोटे भंडार मणिपुर, नगालैंड, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिखरे हुए हैं ग्रेड के हिसाब से चार्ज-क्रोम ग्रेड की मात्रा 31 प्रतिशत है, जिसके बाद फेरोक्रोम ग्रेड (18 प्रतिशत), लाभप्रद ग्रेड (25 प्रतिशत) और असाध्य ग्रेड (14 प्रतिशत) का नंबर आता है निम्न, अन्य, गैर-वर्गीकृत और अज्ञात ग्रेड की कुल मात्रा 13 प्रतिशत है

तांबा

2015 में तांबे के अयस्क का कुल संसाधन 15,115 लाख टन है जिसमें करीब 121.6 लाख टन तांबा धातु हैं इसमें से 2077.70 लाख टन (13.74 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में आता है जिसमें करीब 27.30 लाख टन तांबा है और शेष 13,037.30 लाख टन (86.26), शेष संसाधन, हैं जिनमें 94.20 लाख टन तांबा है राजस्थान में सबसे ज्यादा 8,133.30 लाख टन तांबे का अयस्क (54 प्रतिशत) है जिसमें 44.80 लाख टन तांबा है इसके बाद मध्य प्रदेश 2834.30 लाख टन अयस्क (19 प्रतिशत) और 34.20 लाख टन तांबा, झारखंड 2953.90 लाख टन अयस्क (20 प्रतिशत) और 32.80 लाख टन तांबा, और शेष 7 प्रतिशत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बिखरे हैं

सोना

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में सोने का कुल संसाधन (प्राथमिक एवं प्लेसर) देश में 5.279.60 लाख टन था इसमें से 172.30 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखे गए थे और शेष 5.107.30 लाख टन शेष संसाधन की श्रेणी में सोने (प्राथमिक) का कुल संसाधन, धातु के मामले में, 654.74 टन था इसमें से 70.09 टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया था और 584.65 टन शेष संसाधन की श्रेणी में इन संसाधनों में प्लेसर टाइप के सोने का अयस्क केरल में है जो अनुमानित 261.20 लाख टन है और इसमें 5.86 टन सोना धातु है

राज्यवार देखें तो सोने के अयस्क (प्राथमिक) का सबसे बड़ा संसाधन बिहार (44 प्रतिशत) में है, जिसके बाद राजस्थान (25 प्रतिशत) और कर्नाटक (21 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 3 प्रतिशत), तेलंगाना और मध्य प्रदेश (प्रत्येक 2 प्रतिशत) का नंबर आता है शेष बहुत कम मात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है धातु की मात्रा के मामले में कर्नाटक सबसे ऊपर है जिसके बाद राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि का स्थान आता है

लौह अयस्क

हेमाटाइट और मैगनेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क हैं करीब 50 प्रतिशत हेमाटाइट अयस्क के भंडार पूर्वी सेक्टर में पाए जाते हैं करीब 92 प्रतिशत मैगनेटाइट अयस्क के भंडार दक्षिणी सेक्टर में हैं, खासकर कर्नाटक में हेमाटाइट को उसके ऊंचे ग्रेड के कारण बेहतर माना जाता है हेमाटाइट के भारतीय भंडार प्री-कैंब्रियन लौह अयस्क सीरीज के हैं और यह अयस्क बैंडेड लौह अयस्क फॉरमेशन के अंतर्गत हैं जो विशाल चट्टानों, परतदार, भुरभुरे और चूर्ण के रूप में भी होते हैं

यूएनएफसी प्रणाली के मुताबिक, 2015 में हेमाटाइट का कुल संसाधन 2,24,870 लाख टन होने का अनुमान था इसमें से 54,420 लाख टन (24 प्रतिशत), आरक्षित श्रेणी में हैं और शेष 17,0450 लाख टन (76 प्रतिशत), शेष संसाधन, की श्रेणी में हैं ग्रेड के हिसाब से गांठों का हिस्सा करीब 56 प्रतिशत, कोमल (फाइन) 21 प्रतिशत है, गांठ और कोमल 13 प्रतिशत और शेष 10 प्रतिशत काला लौह अयस्क, अज्ञात व अन्य ग्रेड के हैं हेमाटाइट के बड़े संसाधन ओडिशा में स्थित हैं जो अनुमानित 75,590 लाख टन (34 प्रतिशत), इसके बाद झारखंड-52,860 लाख टन (24 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ 48,580 लाख टन (22 प्रतिशत), कर्नाटक-24,870 लाख टन (11 प्रतिशत) और गोवा-11,890 लाख टन (5 प्रतिशत) का स्थान आता है हेमाटाइट के शेष संसाधन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं

मैग्नेटाइट एक अन्य मुख्य लौह अयस्क है यह भी ऑक्साइट के रूप में मिलता है यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में मैग्नेटाइट का कुल संसाधन 1,97,890 लाख टन था जिसमें, आरक्षित, का हिस्सा केवल

530 लाख टन है जबकि 1,07,360 लाख टन को शेष संसाधनों में रखा गया है ग्रेड के आधार पर 20 प्रतिशत संसाधन शोधन ग्रेड के हैं जबकि 80 प्रतिशत संसाधन गैर-वर्गीकृत, अज्ञात और अन्य ग्रेड में आते हैं कोल वाशरी और फाउंड्री ग्रेड का अनुपात बहुत कम है भारत के 96 प्रतिशत मैग्नेटाइट संसाधन चार राज्यों- कर्नाटक 78,020 लाख टन (72 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश 13,920 लाख टन (13 प्रतिशत), राजस्थान 6170 लाख टन (6 प्रतिशत), और तमिलनाडु 5,070 लाख टन (5 प्रतिशत) बाकी का 4 प्रतिशत असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय और नगालैंड को मिलाकर है

सीसा और जस्ता

युएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में सीसा और जस्ता के अयस्कों का कुल संसाधन 7494.60 लाख टन था इसमें से 1,061.20 लाख टन आरक्षित श्रेणी में है और शेष 6,433.40 लाख टन (86 प्रतिशत) शेष संसाधन, की श्रेणी में हैं अयस्क के संसाधन, जिसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा सीसा और जस्ता था, उसकी मात्रा अनुमानित 1243.30 लाख टन थी और 5 से 10 प्रतिशत सीसा व जस्ता वाले संसाधन की मात्रा 3298.80 लाख टन थी, 5 प्रतिशत से कम सीसा व जस्ता वाले संसाधन की मात्रा 2,953.50 लाख टन थी

राजस्थान में सीसा और जस्ता का संसाधन सबसे ज्यादा 6,703.40 लाख टन (89.44 प्रतिशत) था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश 226.90 लाख टन (3.02 प्रतिशत), मध्य प्रदेश 148.40 लाख टन (1.98 प्रतिशत), बिहार 114.30 लाख टन (1.52 प्रतिशत) और महाराष्ट्र 92.70 लाख टन (1.24 प्रतिशत) था गुजरात, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसके संसाधनों का अनुमान है

मैगनीज़ अयस्क

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, देश में 2015 में मैगनीज़ का कुल संसाधन 4,960 लाख टन था इसमें से 940 लाख टन को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और बाकी 4,020 लाख टन शेष की श्रेणी में ग्रेड के हिसाब से फेरो-मैगनीज़ की मात्रा 7 प्रतिशत, मीडियम ग्रेड 11 प्रतिशत, बीएफ ग्रेड 28 प्रतिशत और शेष 54 प्रतिशत निम्न, अन्य और अज्ञात ग्रेड में आते हैं जिनमें 1.70 लाख टन बैटरी/रासायनिक ग्रेड शामिल है

राज्यों के हिसाब से ओडिशा 44 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे ऊपर हैं, जिसके बाद कर्नाटक 22 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 12 प्रतिशत, महाराष्ट्र और गोवा प्रत्येक 7 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 4 प्रतिशत और झारखंड 2 प्रतिशत का स्थान आता है राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल को मिलाकर करीब 2 प्रतिशत संसाधन है

निकेल

ओडिशा के जाजपुर जिले की सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट की परतों में निकेलिफेरस लिमोनाइट मिलता हैं जो ऑक्साइड के रूप में होता है इसके उपयोग के लिए कोई समुचित तरीका विकसित किया जा रहा है झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में निकेल तांबे के खनिजीकरण के साथ सल्फाइड के रूप में भी होता है इसके अलावा यह झारखंड के जादुगुड़ा में यूरेनियम के भंडारों के साथ भी पाया जाता है कर्नाटक, केरल और राजस्थान में भी निकल होने की ख़बरें हैं समुद्र के तल में पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकल के एक अन्य स्रोत हैं यूएनएफसी के अनुसार, 2015 में निकल का कुल संसाधन 1,890 लाख टन आंका गया था करीब 92 प्रतिशत यानी 1,750 लाख टन अकेले ओडिशा में है बाकी 8 प्रतिशत संसाधन झारखंड (90 लाख टन) और नगालैंड (50 लाख टन) में हैं कर्नाटक (2.30 लाख टन) में भी निकेल का मामूली-सा संसाधन मिलता है

टंगस्टन

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में टंगस्टन अयस्क का कुल संसाधन 874 लाख टन था, जिनमें 1,42,094 टन डब्ल्यूओ3 (टंगस्टन ऑक्साइड) सामग्री थी इन सभी संसाधनों को, शेष संसाधनों, की श्रेणी में रखा गया है इसके संसाधन मुख्य रूप से कर्नाटक (42 प्रतिशत), राजस्थान (27 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (

17 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9 प्रतिशत) पाए जाते हैं बाकी 5 प्रतिशत संसाधन हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और प. बंगाल में हैं राजस्थान के देगाना में शिरानुमा भंडारों में (वेन डिपॉजिट्स) डब्ल्यूओ3 सामग्री 0.13 से लेकर 0.80 प्रतिशत तक पाई जाती है जबकि बजरी वाले भंडारों में यह औसतन 0.04 प्रतिशत होती है राजस्थान के सिरोही भंडार में डब्ल्यूओ3 सामग्री 0.18 से 0.51 प्रतिशत तक है

बैराइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में बैराइट का कुल संसाधन 867 लाख टन था जिसमें 59.2 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में और 40.8 प्रतिशत शेष श्रेणी में रखा गया है ग्रेड के अनुसार 64 प्रतिशत संसाधन तेल-कूप ड्रिलिंग ग्रेड का है और उसके बाद 6 प्रतिशत रासायनिक ग्रेड, 0.5 प्रतिशत पेंट ग्रेड, 27 प्रतिशत निम्न ग्रेड़ है करीब 2.5 प्रतिशत संसाधन अन्य, गैर-वर्गीकृत और अज्ञात श्रेणी के हैं आंध्र प्रदेश में देश के कुल बैराइट संसाधन का 92 प्रतिशत भाग है जिसके बाद तेलंगाना और राजस्थान का स्थान आता है

हीरा

देश में हीरे की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल से है इस समय भारत में हीरे के खानों को चार क्षेत्रों में बांटा जाता है: (1) आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा और कुरनूल जिलों और तेलंगाना के महबूब नगर जिले के हिस्से आते हैं, (2) मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना इलाका और छतरपुर जिला आता है, (3) छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बेहरादीन- कोडावली इलाक़ा और बस्तर जिले में टोकापाल, डुगापाल आदि इलाक़ा और (4) मुख्य रूप से ओडिशा का पूर्वी भारतीय क्षेत्र, जो महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच पड़ता है

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में भारत में हीरे का कुल संसाधन करीब 318.40 लाख कैरेट था इसमें से 96 लाख कैरेट को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और 308.70 लाख कैरेट शेष श्रेणी में रखा गया है ग्रेड के अनुसार, करीब 2.38 प्रतिशत संसाधन रत्न किस्म के हैं, 2.64 प्रतिशत औद्योगिक किस्म के और 95 प्रतिशत संसाधन गैर-वर्गीकृत श्रेणी में आते हैं राज्यों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में अकेले 90.18 प्रतिशत संसाधन हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (5.73 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.10 प्रतिशत) का स्थान आता है

डोलोमाइट

डोलोमाइट पूरे देश में पाया जाता है यूएनएफसी के अनुसार, 1.4.2015 में डोलोमाइट का कुल संसाधन 84,150 लाख टन था इसमें से 6790 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है करीब 88 प्रतिशत संसाधन आठ राज्यों में थे: मध्य प्रदेश (27 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (15 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (11 प्रतिशत), ओड़िशा (10 प्रतिशत), कर्नाटक और राजस्थान (प्रत्येक 7 प्रतिशत), गुजरात (6 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (5 प्रतिशत) बाकी 12 प्रतिशत संसाधन अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बंटे हैं

फायर-क्ले

भारत में फायरक्ले ऊष्मारोधी मिट्टी के पर्याप्त भंडार हैं इसके सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के लोवर, गोंडवाना के कोयला खदानों में कोयले की परतों के साथ मिलते हैं इसके अलावा झारखंड, प.बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में नेवेली के लिग्नाइट कोयला खदानों में भी ये मिलते हैं कुछ बड़े भंडार, जो कोयला खदानों से जुड़े नहीं हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के जबलपुर, और ओडिशा के बेलपहाड़-सुंदरगढ़ इलाके में हैं

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में फायरक्ले का कुल संसाधन और भंडार 7,230 लाख टन था इसमें से अकेले ओडिशा में 24 प्रतिशत था, जिसके बाद मध्य प्रदेश (18 प्रतिशत), तमिलनाडु (16 प्रतिशत), झारखंड (9 प्रतिशत), राजस्थान व गुजरात (प्रत्येक 8 प्रतिशत) का नंबर आता है ग्रेड के हिसाब से कठोर प्लास्टिक ग्रेड सबसे ज्यादा 37 प्रतिशत है, जिसके बाद कठोर-अनिर्दिष्ट (14 प्रतिशत) और कठोर-गैर-प्लास्टिक, सेमी-प्लास्टिक (16 प्रतिशत) का स्थान आता है शेष 33 प्रतिशत अन्य, अवर्गीकृत

और अज्ञात ग्रेड की श्रेणी में आते हैं

फ्लोराइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में फ्लोराइट का कुल संसाधन 188.8 लाख टन था इसमें से 2.9 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है राज्यों के हिसाब से गुजरात में 120 लाख टन के साथ कुल संसाधन का 66 प्रतिशत हिस्सा है इसके बाद 52.40 लाख टन के साथ राजस्थान (29 प्रतिशत), 5.5 लाख टन के साथ छत्तीसगढ़ (3 प्रतिशत) और 3.9 लाख टन के साथ महाराष्ट्र (2 प्रतिशत) का स्थान है ग्रेड के हिसाब से संसाधनों को बिक्री योग्य ग्रेड (81 प्रतिशत), निम्न ग्रेड (17 प्रतिशत) और गैर-वर्गीकृत ग्रेड (2 प्रतिशत) में बांटा जाता है

जिप्सम

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में भारत में जिप्सम खनिज का कुल संसाधन 13,300 लाख टन था जिसमें से 370 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और 12,930 लाख टन शेष श्रेणी में कुल संसाधनों में से उर्वरक/पॉटरी ग्रेड 80 प्रतिशत है और सीमेंट/पेंट ग्रेड 13 प्रतिशत अवर्गीकृत और अज्ञात ग्रेड को मिलाकर 5 प्रतिशत संसाधन हैं बाकी के 2 प्रतिशत संसाधन सर्जिकल प्लास्टर, मिट्टी शोधन ग्रेड में बंटे हैं राज्यवार ढंग से देखें तो राजस्थान में अकेले 81 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 14 प्रतिशत संसाधन हैं बाकी 5 प्रतिशत तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंटे हैं

ग्रेफाइट

ग्रेफाइट के स्रोत वैसे तो कई राज्यों में मिलते हैं लेकिन आर्थिक महत्व की दृष्टि से यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में ग्रेफाइट का कुल संसाधन 1,948.90 लाख टन था जिसमें से 79.60 लाख टन आरक्षित श्रेणी में और 1869.30 लाख टन शेष श्रेणी में रखा गया है कुल संसाधन का 37 प्रतिशत हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है जिसके बाद जम्मू-कश्मीर (32 प्रतिशत), ओडिशा (10 प्रतिशत), झारखंड (9 प्रतिशत) और तमिलनाडु (4 प्रतिशत) का स्थान आता है लेकिन भंडार के मामले में झारखंड 52 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है और उसके बाद 41 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु आता हैं

लिमेनाइट

अन्य भारी खनिजों के साथ लिमेनाइट और टाइल समुद्री तटों की रेत भंडारों के महत्वपूर्ण घटक हैं जो पश्चिम में रत्नागिरि तट (महाराष्ट्र) से लेकर पूर्व में ओडिशा के तट पर पाए जाते हैं ये खनिज मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में लिमेनाइट (ल्युकोक्सीन समेत) का कुल संसाधन 3554.80 लाख टन था

केओलिन

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चीनी मिट्टी (केओलिन) का कुल संसाधन 29,412.50 लाख टन था इसमें से 2294.70 लाख टन (8 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में रखा गया है ये संसाधन कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें केरल 23 प्रतिशत के साथ सबसे आगे हैं, उसके बाद राजस्थान (18 प्रतिशत), प.बंगाल (14 प्रतिशत), ओडिशा (10 प्रतिशत) और कर्नाटक (9 प्रतिशत) का नंबर आता है ग्रेड के हिसाब से देखें तो करीब 25 प्रतिशत या 7,710 लाख टन सेरामिक/पॉटरी ग्रेड में आता है, 4 प्रतिशत को केमिकल, पेपर फिलर और सीमेंट ग्रेड में रखा जाता है और करीब 70 प्रतिशत या 20,400 लाख टन संसाधन मिश्रित, अवर्गीकृत, अन्य व अज्ञात ग्रेड में आता है

कायनाइट एवं सिलिमैनाइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में भारत में कायनाइट का कुल संसाधन 1,050 लाख टन था राज्यवार ढंग से अकेले तेलंगाना में 46 प्रतिशत संसाधन हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (30 प्रतिशत), कर्नाटक (13 प्रतिशत) और झारखंड (7 प्रतिशत) का नंबर आता है शेष 4 प्रतिशत संसाधन केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैं यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में सिलिमैनाइट का कुल संसाधन 702 लाख टन था ये संसाधन मुख्य रूप से तमिलनाडु व ओडिशा (प्रत्येक 25 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (16 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (13 प्रतिशत), केरल (10 प्रतिशत) और असम (7 प्रतिशत) में मिलते हैं बाकी के 4 प्रतिशत संसाधन झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और प. बंगाल में हैं

चूना पत्थर

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चूना पत्थर का कुल संसाधन 20,32,250 लाख टन था 27 प्रतिशत संसाधन के साथ कर्नाटक सबसे ऊपर है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान (प्रत्येक 12 प्रतिशत), गुजरात (10 प्रतिशत), मेघालय (9 प्रतिशत), तेलंगाना (8 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (5 प्रतिशत) आता है यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चाक या खड़िया मिट्टी का कुल संसाधन 67.5 लाख टन था जिसमें से 50.6 लाख टन (75 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और बाकी 16.9 लाख टन शेष श्रेणी में है

अभ्रक (माइका)

अभ्रक वाले पिग्मेटाइट पत्थर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिलते हैं इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी ये पत्थर मिलते हैं यूएनएफसी प्रणाली के मुताबिक 2015 में इसका कुल संसाधन 63,53,020 लाख टन था आंध्र प्रदेश 40 प्रतिशत संसाधन के साथ सबसे ऊपर था, जिसके बाद राजस्थान (28 प्रतिशत), ओडिशा (16 प्रतिशत), महाराष्ट्र (13 प्रतिशत), बिहार (2 प्रतिशत) और शेष (1 प्रतिशत से कम) झारखंड व तेलंगाना में है

मैग्नेसाइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में मैग्नेसाइट का कुल भंडार/संसाधन करीब 3,940 लाख टन था सबसे ज्यादा संसाधन उत्तराखंड (59 प्रतिशत) है, उसके बाद तमिलनाडु (25 प्रतिशत) और राजस्थान (14 प्रतिशत) का स्थान है इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल में भी इसके संसाधन हैं तमिलनाडु में मैग्नेसाइट की उपस्थिति में चूने की मात्रा कम और सिलिका (पत्थर) की मात्रा ज्यादा है जबकि उत्तराखंड में चूने की मात्रा ज्यादा और सिलिका की मात्रा कम है

फास्फेट खनिज

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में एपेटाइट का कुल संसाधन 240.40 लाख टन था इसकी सबसे ज्यादा मात्रा पश्चिम बंगाल (57 प्रतिशत) में है, जिसके बाद झारखंड (30 प्रतिशत) और मेघालय (5 प्रतिशत) है बाकी 8 प्रतिशत संसाधन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में हैं

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में रॉक फॉस्फेट का कुल संसाधन 3,126.80 लाख टन था कुल संसाधन का 34 प्रतिशत झारखंड, 31 प्रतिशत राजस्थान, 19 प्रतिशत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8-8 प्रतिशत है गुजरात और मेघालय में भी थोड़े से संसाधन मिलते हैं

अन्य खनिज

भारत में बड़ी मात्रा में मिलने वाले अन्य खनिज हैं बेंटोनाइट (राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु झारखंड और

जम्मू एवं कश्मीर), कोरंडम (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना और छत्तीसगढ़), कैल्साइट (आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात), मुल्तानी मिट्टी (राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक), गारनेट या लाल मणि (तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल), पाइराइट (बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, प.बंगाल और आंध्र प्रदेश), स्टीलाइट या सोपस्टोन (राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश), वोलैस्टोनाइट (राजस्थान और गुजरात), जरिकोन (केरल, तमिलनाडु और ओडिशा की समुद्र तटीय रेत), क्वार्ट्ज एवं सिलिका खनिज और ग्रेनाइट लगभग सभी राज्यों में मिलते हैं इसके अलावा देश में संगमरमर, स्लेट और बलुआ पत्थर भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं संगमरमर मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, जम्मू-कश्मीर में और स्लेट आंध्र प्रदेश व हरियाणा में मिलता है

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण

देश में पृथ्वी विज्ञान का प्रमुख संगठन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) सरकार, उद्योग और भूवैज्ञानिक क्षेत्र को पृथ्वी विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है 1851 में मुख्य रूप से कोयले का अनुसंधान करने वाले विभाग के रूप में आरंभ हुए जीएसआई ने पिछले 166 वर्षों में अपनी गतिविधियों में कई गुना विस्तार किया है और राष्ट्र निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान किया है स्वतंत्रता के बाद शानदार विकास करने वाले इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट एवं बिजली जैसे जीवंत उद्योग राष्ट्रीय विकास में जीएसआई के योगदान का बेहतरीन उदाहरण हैं

जीएसआई के पास अब डेढ़ शताब्दी से भी ज्यादा समय में एकत्र की गई सबसे अधिक एवं व्यापक पृथ्वी विज्ञान संबंधी जानकारियां हैं भारत सरकार द्वारा निर्धारित इसके परिचालन अधिकार पत्र में जीएसआई की गतिविधियों एवं दायित्वों का विवरण दिया गया है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान से संबंधित लगभग सभी गतिविधियां शामिल हैं राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं ज्ञान के आधार को भूमि, समुद्री एवं हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से तैयार एवं अद्यतन करना एवं उनका प्रसार करना जीएसआई का प्राथमिक लक्ष्य है

जीएसआई की वर्तमान गतिविधियों में सतह की मैपिंग, हवाई एवं दूरसंवेदी सर्वेक्षण, तट से दूर सर्वेक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का अन्वेषण, इंजीनियरिंग भूविज्ञान, भू-तकनीकी जांच, भू-पर्यावरणीय अध्ययन, जल संसाधनों का भू-विज्ञान, भू-जोखिमों का अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं सूचना सेवाएं आदि शामिल हैं
वेबसाइट: www.gsi.gov.in

ओसीबीआईएस एंड नेशनल एयरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम

जीएसआई ने 2017 में एक ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) शुरू किया जो एक अत्याधुनिक आईटी आधारित सिस्टम है और जिसमें एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए जीएसआई की सभी प्रमुख गतिविधियों को समाहित किया गया है इस सिस्टम में डाटा संकलन से लेकर डेटा संचयन, विश्लेषण और वितरण तक जीएसआई के कार्यों को डिजिटल रूप में ग्रहण किया जाता है, साथ ही इसमें जीएसआई की सभी प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियां भी शामिल होती हैं जीएसआई की सभी उपलब्ध भू-विज्ञान के डेटा को मुफ्त में देखने एवं हासिल करने के लिए जियोस्पैटियल प्लेटफार्म पर डाल (अपलोड) कर दिया जाता है

भारतीय खान ब्यूरो

1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है जिस पर कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों एवं लघु खनिजों के अतिरिक्त खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा व्यवस्थित अन्वेषण का सांविधिक और विकासात्मक दायित्व है

भारतीय खान ब्यूरो खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (2015 में संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों तथा खनिज सर्वेक्षण एवं विकास नियम, 2017, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) छूट नियम, 2016 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियामक संबंधी कार्य करता है

आईबीएम खनन उद्योग को खनिज संसाधनों का भू-वैज्ञानिक आकलन करने तथा बेनिफिसिएशन संयंत्रों समेत खनन परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है यह खनिजों का मानचित्र बनाता है और देशभर में पट्टे वाले क्षेत्र एवं फ्रीहोल्ड क्षेत्र में खनिज संसाधनों के भंडारों का आकलन करता है यह खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता हैं आईबीएम खान एवं खनिजों के डेटाबैंक के रूप में भी कार्य करता है और सांख्यिकीगत सूचनाओं को प्रकाशित करता है यह खनिज जिंसों पर तकनीकी प्रकाशन/मोनोग्राफ/बुलेटिन भी तैयार करता है यह खनिज उद्योग के सभी पक्षों व्यापार और कानून आदि के बारे में केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देता है

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खनन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करते हैं और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) खनिजों की खोज के क्षेत्र में काम करता है

वेबसाइट: www.ibm.nic.in

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) इस्पात एवं खान मंत्रालय के अधीन नवरत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हैं सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी स्थापना 7 जनवरी, 1981 को हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है यह कंपनी समूह 'ए' का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो खनन, धातु एवं बिजली क्षेत्रों में एकीकृत व विविध क्षेत्रों में काम करता है 2016-17 में इसका कुल बिक्री कारोबार 7,933 करोड़ रुपये था नालको देश में सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट-एल्यूमिना एल्युमिनियम-पॉवर-कॉम्प्लेक्स में से एक है कंपनी के पास ओडिशा में कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में 68.25 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली बॉक्साइट खान एवं 21 लाख टन वार्षिक क्षमता (मानक क्षमता) वाली एल्युमिना रिफायनरी है तथा ओडिशा के अंगुल में 4.60 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एल्युमिनियम स्मेल्टर व 1,200 मेगावाट क्षमता वाला कैप्टिव बिजली संयंत्र भी है एल्युमिना/एल्युमीनियम के निर्यात और कास्टिक सोडा के आयात के लिए विजाग बंदरगाह में नालको के पास परिवहन सुविधाएं भी हैं और वह कोलकाता तथा पारादीप बंदरगाहों पर भी सुविधाओं का उपयोग करती है कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में हैं तथा घरेलू विपणन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर उसके 11 गोदाम हैं

नालको देश में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने 1989 में लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर पंजीकरण कराकर बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कदम रखा था कंपनी 1992 से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध है आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18000 एवं एसए 8000 प्रमाणन के अतिरिक्त कंपनी ने ऊर्जा प्रमाणन प्रणाली के लिए आईएसओ 5001 मानक भी अपनाए हैं

वेबसाइट: www.nalcoindia.com

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1967 में किया गया था तांबे के भंडार के उत्खनन और अन्वेषण से संबंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं एवं अध्ययन को अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार के इस उपक्रम की स्थापना की गई थी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का अधिग्रहण भी इसमें शामिल था यह तांबे का पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र कंपनी है जो उत्खनन एवं तांबे को लाभकारी बनाने से लेकर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग तक और तांबे को बिक्री योग्य उत्पादों में ढालने तक सभी कार्य स्वयं करती है

वेबसाइट: www.hindustancopper.com

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) आइएसओ 9001-2008 प्रमाणन के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्ट खनिज अन्वेषण कंपनी है 1972 में अपने गठन के बाद से कंपनी ने विस्तृत खनिज अन्वेषण एवं खान विकास की 1,371 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं राष्ट्रीय खनिज भंडार में 160 अरब टन खनिज संसाधनों की वृद्धि की है यह सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है जो एक ही स्थान पर खनिज अन्वेषण से संबंधित सारे कार्य करती है 1972 में अपनी स्थापना के समय से एमईसीएल खनिज अन्वेषण की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाती आ रही है और अब यह देश में अन्वेषण की एक प्रमुख एजेंसी बन गई है
वेबसाइट: www.mecl.gov.in

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स (एनआईआरएम) पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र संस्थान है जो रॉक मेकेनिक्स में अनुसंधान के लिए बनाया गया है 25 वर्षों से यह संस्थान उत्खनन, पनबिजली परियोजनाओं, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, तेल एवं गैस सेक्टर और रेल, सड़क, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के प्राधिकरणों समेत विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार की एजेंसियों को विशेषज्ञता मुहैया कराता है
वेबसाइट: www.nirm.in

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर (एनआईएचएस) खान मंत्रालय के अधीन स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसका उद्देश्य खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों में कार्यरत लोगों में व्यावसायिक स्वास्थ्य को एवं व्यावसायिक बीमारियों के निरोध को प्रोत्साहित करना है यह संस्थान व्यावसायिक स्वास्थ्य, कार्य स्थल की निगरानी से संबंधित अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियां चलाता है संस्थान ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में ब्रांड इमेज और व्यापक तकनीकी सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है
वेबसाइट: www.nimh.gov.in

जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर

जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट (जेएनआरडीडीसी) भारत सरकार के खान मंत्रालय और यूएनडीपी के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1989 में स्थापित उत्कृष्टता का केंद्र है जिसका उद्देश्य भारत में उभरते आधुनिक एल्युमिनियम उद्योग को अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है यह केंद्र 1996 से काम कर रहा है केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है बॉक्साइट से लेकर तैयार उत्पाद तक सभी प्रकार का अनुसंधान एवं विकास एक ही स्थान पर करने वाला भारत का यह एकमात्र संस्थान है

यह केंद्र बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के बुनियादी और व्यावहारिक क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकंडरी दोनों हीं एल्यूमिनियम उत्पादकों को अनसंधान एवं विकास की जरूरतों को पूरा करता है जेएनएआरडीडीसी रेड मड, धातुमल एवं रद्दी आदि जैसे एल्युमिनियम उद्योग के अवशिष्टों का प्रभावी तरीके से उपयोग करके लाभकारी बनाने की प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन, बॉक्साइटों के उन्नतीकरण, बिजली की खपत व पर्यावरण का प्रदूषण कम करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रोसेस मॉडलिंग की सुविधा के साथ एल्युमिनियम उद्योग व पूरे देश के हित में काम किया है
वेबसाइट: www.jnarddc.gov.in

20 विधि और न्याय



विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है यह 1833 से पुराना है जब ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1833 में चार्टर अधिनियम बनाया था इस अधिनियम में पहली बार एक प्राधिकार, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को विधायी शक्तियां प्रदान की गईं थीं इस प्राधिकार के प्रभाव और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की धारा 22 के अंतर्गत निहित अधिकारों से गवर्नर जनरल की काउंसिल ने वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक देश के लिए कानून बनाए भारत सरकार अधिनियम, 1919 की शुरुआत के बाद इसके अंतर्गत गठित भारतीय विधानमंडल ने विधायी शक्तियों का प्रयोग किया भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र उपनिवेश बन गया और स्वतंत्र उपनिवेश के विधानमंडल ने इंडिया (अस्थायी संविधान) आर्डर, 1947 द्वारा रूपांतरित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए भारत के संविधान के अंतर्गत जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, उसके अंतर्गत विधायी शक्तियां संसद को प्रदान की गईं
वेबसाइट: www.lawmin.gov.in

विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग, विधायी मामलों के विभाग और न्याय विभाग को मिलाकर बना है विधिक मामलों के विभाग को संविधान और कानूनों की विवेचना, अभियोग, कानूनी पेशे, कानूनों में सुधार, नागरिक कानूनों से जुड़े मुद्दों पर भारतीय विधि सेवाओं सहित वृहद विधि सेवाओं आदि पर, विदेशों के साथ संधियां एवं समझौते करने से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं वहीं विधायी विभाग के पास केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनों के आलेखन का कार्य होता है न्याय विभाग के पास भारत के प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस्तीफे और उन्हें हटाए जाने से जुड़े .
वेबसाइट: www.legalaffairs.gov.in, www.doj.gov.in, www.legislative.gov.in

भारतीय विधि व्यवस्था

भारतीय विधि व्यवस्था में चार घटकों को शामिल किया गया है ये हैं:- संविधान में निहित बुनियादी मूल्य तथा सिद्धांत, साधारण कानून से सौंपे गए अधिकार और जिम्मेदारियां; संविधानिक नियमों के तहत इन अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और विधि तथा न्यायिक कर्मी भारत एक लोकतांत्रिक देश होने और यहां प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होने के नाते इसे जनता में निहित संप्रभुत्ता के प्रति कई उत्तरदायित्वों को निभाना होता है

विधि के स्रोत

भारत में विधि के प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि (कानून), पारंपरिक (कस्टमरी) कानून और निर्णय विधि (केस लॉ) हैं कानून संसद, राज्य विधानसभाओं और संघशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं इनके अलावा अनेक अधीनस्थ कानून हैं जिन्हें नियमों, विनियमों और उप-कानूनों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारों जैसे- नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया है ये अधीनस्थ कानून संसद अथवा संबद्ध राज्य अथवा संघशासित प्रदेश के विधानमंडलों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अंतर्गत बनाए जाते हैं उच्च अदालतों जैसे- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो अधिनियम, नैतिकता

आदि के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें भी मान्यता है और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतों द्वारा इन्हें भी ध्यान में रखा जाता है

कानून बनाना

केंद्रीय सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है राज्य सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम हैं राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है समवर्ती सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं लेकिन विरोध की स्थिति में, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से अधिक महत्वपूर्ण संसद द्वारा बनाया गया कानून होगा विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून तब तक निष्प्रभावी होगा जब तक उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती और ऐसी स्थिति में वह उस राज्य में प्रभावी रहेगा

न्यायपालिका

संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष में भारत का उच्चतम न्यायालय है प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का अनुक्रम है कुछ राज्यों में छोटे-मोटे और स्थानीय प्रकृति के दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करने के लिए न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से पंचायत अदालतें काम कर रही हैं इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के कानून प्रदान किए गए हैं

प्रत्येक जिले में सर्वोच्च अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश की होती है यह जिला अदालत दीवानी न्याय सीमा की प्रधान अदालत है और इसमें मृत्युदंड दिए जाने वाले मामलों सहित हर तरह के अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है जिला और सत्र न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार है उसके नीचे दीवानी न्याय करने का अधिकार रखने वाली अदालतें हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप-न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और इसी तरह के अन्य न्यायाधीशों के नाम से जाना जाता है इसी प्रकार से दीवानी अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं

उच्चतम न्यायालय

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, किंग इन काउंसिल अथवा प्रीवि काउंसिल जैसाकि आमतौर पर बुलाया जाता था, भारत में अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों और आदेशों से की गई अपीलों को सुनने का सर्वोच्च मंच था 1833 में न्यायिक समिति कानून लागू होने के बाद, इसे प्रीवि काउंसिल की न्यायिक समिति कहा जाने लगा न्यायिक समिति के फैसलों का सलाहकार मंच में वर्णन किया जाता था, हालांकि, व्यवहार में सम्राट हमेशा उसकी सलाह मानता था और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसकी रिपोर्ट को अमल में नहीं लाया जाएगा प्रीवि काउंसिल एक चैनल के रूप में काम करती थी, जिसके जरिए अंग्रेजी विचारों को भारतीय कानूनों के साथ सम्मिलित किया गया इसने भारतीय और अंग्रेजी विधि व्यवस्था के बीच सेतु का काम किया, जिसके मार्फत इंग्लैंड से भारत तक कानूनी ज्ञान पहुंचा इसी निकाय के जरिए भारत में कानूनी व्यवस्था के आधार के रूप में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत इंग्लैंड के सामान्य कानून की शुरुआत की गई अपने करियर के दौरान भारत की सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में करीब 200 वर्षों की अवधि के लिए प्रीवि काउंसिल ने 2,500 फैसले सुनाए, और आज तक ये फैसले भारत में अनेक बिंदुओं पर कानून का प्रमुख स्रोत हैं

हालांकि, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की मांग बढ़ रही थी, यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रीवि काउंसिल में अपील करना काफी खर्चीला है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसने भारत की जनता के आत्मसम्मान को कम किया था भारत सरकार कानून, 1935 ने भारत में संघीय संविधान पेश किया, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र और संघटक इकाइयों के बीच किया गया भारत के संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 1937 से काम करना शुरू कर दिया पहले से ही, संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र काफी सीमित था, यह केंद्र और संघटक इकाइयों

अथवा संघटक इकाइयों के बीच आपस में, परामर्शी तथा उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपीलीय न्याय करने के अधिकार तक सीमित था मूल रूप से न्याय करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिए गए फैसलों अथवा संघीय न्यायालय अथवा प्रीवि काउंसिल की अवकाश अवधि में संघीय न्यायालय से अपीलें प्रीवि काउंसिल में जा सकती थीं संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में, पक्षकारों को सबसे पहले उच्च न्यायालय से अपील में संघीय न्यायालय में जाना पड़ता था और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलें सीधे प्रीवि काउंसिल में जाती थीं वह सार्वजनिक महत्व के ऐसे सवालों पर सलाह दे सकती थीं जैसाकि अपने विवेक से गवर्नर जनरल द्वारा उल्लिखित किया जाता था संघीय न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र 1948 की अधिनियम संख्या 1 के लागू होने पर बढ़ गया और उन्हीं परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के फैसलों से संघीय न्यायालय को अपीलें प्रदान की जाती थीं, जिसमें अपीलों को विशेष अनुमति के बिना और किसी अन्य मामले में संघीय अदालत की विशेष अनुमति के बिना प्रीवि काउंसिल में लाया जा सकता था हालांकि, प्रीवि काउंसिल में संघीय न्यायालय अथवा काउंसिल की अनुमति से अपील करना अभी भी संभव था

अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को हासिल करने के बाद, भारतीय सरकार की ओर से संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और उसे अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग उठी 1949 से प्रीवि काउंसिल में अपीलों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अपीलीय न्याय करने का संपूर्ण अधिकार संघीय न्यायालय में निहित कर दिया गया 26 जनवरी, 1950 को संघीय न्यायालय ने नए संविधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का मार्ग प्रशस्त किया भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है

28 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन के बाद न्यायालय की कार्यवाही संसद भवन के एक हिस्से में शुरू हुई न्यायालय अपनी वर्तमान इमारत में 4 अगस्त, 1958 को आया 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अधीनस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई और इनकी संख्या बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया शुरुआती वर्षों में सामने आने वाले सभी मामलों पर सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक साथ बैठा करते थे जैसे-जैसे न्यायालय का काम बढ़ता गया और मामले बकाया होते चले गए, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25 और 2009 में 30 कर दी जो 1950 में केवल 7 थी जैसे ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी वे दो और तीन की छोटी पीठों में बैठने लगे, जरूरत पड़ने पर मतभेदों और विवादों का निपटारा करने के लिए 5 और अधिक की बड़ी पीठों में एक साथ आने लगे

भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है और वह कम से कम पांच वर्ष के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसे ही दो या अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अथवा कम से कम दस वर्ष के लिए दो या अधिक ऐसी ही अदालतों में अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए प्रावधान मौजूद है संविधान में विभिन्न तरीकों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल उसी स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन में संबोधन के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करे और इसके लिए उस सदन में दो-तिहाई सदस्यों की मौजूदगी और मतदान जरूरी है अभद्र व्यवहार अथवा अक्षमता साबित होने के आधार पर न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसके किसी भी न्यायालय अथवा भारत के अन्य किसी प्राधिकार में वकालत करने पर रोक है उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में ही होती है उच्चतम न्यायालय के 2013 के नियमों ने 1966 के नियमों का स्थान लिया है ये नियम उच्चतम न्यायालय में वकालत करने और उसकी कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं माननीय न्यायाधीश रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं
वेबसाइट: www.supremecourtofindia.nic.in

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का अर्थ है राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से तीन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है संघशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है अन्य छह संघशासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल इतना अंतर है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफ़ारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है

न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक कार्यभार संभाल सकते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य होने के लिए किसी का भी भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसने 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक कार्यालय संभाला हो अथवा इतनी ही अवधि के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसी ही दो या अधिक अदालतों में अनुक्रम में अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उसकी पीठ

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों की देखरेख करने का अधिकार है वह ऐसी अदालतों से कामकाज का ब्योरा मांग सकता है, सामान्य नियम बना सकता है और उन्हें जारी कर सकता है और अदालतों की कार्यवाही को नियमित करने तथा तरीका तय करने के लिए निर्धारित फार्म बना सकता है जिसमें खाता प्रविष्टियां और लेखा ब्योरा रखा जा सकता है नीचे दी गई तालिका में उच्च न्यायालयों की पीठ और उनके क्षेत्राधिकार की जानकारी दी गई है

उच्च न्यायालयों का नाम, उनकी प्रमुख पीठ, बेंच और उनके अधिकार क्षेत्र

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	प्रमुख पीठ	अधिकार क्षेत्र	स्थायी पीठ और जिस तारीख से पीठ ने काम करना शुरू किया
1.	इलाहाबाद	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (01.07.1948)
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	–
3.	बंबई	बंबई	महाराष्ट्र, गोवा; दमन और दीव दादरा और नगर हवेली	नागपुर (01.05.1960) पणजी (01.07.1948) औरंगाबाद (27.08.1984)
4.	कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ (काम शुरू करना बाकी)
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	–
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–
7.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, नगालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश	कोहिमा (10.02.1990) आईज़ाल (05.07.1990) ईटानगर (12.08.2000)
8.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	–
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	–
11.	झारखंड	रांची	झारखंड	–

12.	कर्नाटक	बंगलुरु	कर्नाटक	सर्किट पीठ धारवाड़ (07.02.2008) गुलबर्गा (07.02.2008)
13.	केरल	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप द्वीप	–
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	ग्वालियर (01.11.1956) इंदौर (01.11.1956)
15.	मद्रास	चेन्नई	तमिलनाडु और पुदुचेरी	मदुरई (24.07.2004)
16.	ओडिसा	कटक	ओडिसा	–
17.	पटना	पटना	बिहार	–
18.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
19.	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	जयपुर (31.01.1977)
20.	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	–
21.	उत्तराखंड	नैनीताल	उत्तराखंड	नैनीताल
22.	मणिपुर	इंफाल	मणिपुर	–
23.	मेघालय	शिलांग	मेघालय	–
24.	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	–

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की मंजूर एवं कार्य शक्ति

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के मंजूर पदों, कार्यरत न्यायाधीशों और रिक्त पदों की संख्या (01.02.2018 तक)

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मंजूर संख्या			कार्यरत संख्या			मंजूर संख्या के अनुसार रिक्त पद		
क.	भारत का उच्चतम न्यायालय	31			25			06		
ख.	उच्च न्यायालय	स्थ.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1.	इलाहाबाद	76	84	160	67	43	104	14	42	56
2.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश*	46	15	61	31	0	31	15	15	30
3.	बंबई*	71	23	94	50	20	70	21	03	24
4.	कलकत्ता	54	18	72	26	07	33	28	11	39
5.	छत्तीसगढ़	17	05	22	09	03	12	08	02	10
6.	दिल्ली*	45	15	60	38	00	38	07	15	22
7.	गुवाहाटी	18	06	24	07	11	18	11	−05	06

8.	गुजरात	39	13	52	25	06	31	14	07	21
9	हिमाचल प्रदेश *	10	03	13	08	0	08	02	03	05
10.	जम्मू और कश्मीर	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11.	झारखंड *	19	06	25	10	07	17	09	-01	08
12.	कर्नाटक *	47	15	62	17	07	24	30	08	38
13.	केरल *	35	12	47	29	08	37	06	04	10
14.	मध्य प्रदेश	40	13	53	16	17	33	24	-04	20
15.	मद्रास	56	19	75	43	15	58	13	04	17
16.	मणिपुर *	04	01	05	02	0	02	02	01	03
17.	मेघालय	03	01	04	02	0	02	01	01	02
18.	ओडिसा	20	07	27	17	0	17	03	07	10
19.	पटना	40	13	53	20	12	32	20	01	21
20.	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	40	10	50	24	11	35
21.	राजस्थान	38	12	50	19	15	34	19	-03	16
22.	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23.	त्रिपुरा	04	0	04	02	0	02	02	0	02
24.	उत्तराखंड	09	02	11	08	01	09	01	01	02
	कुल	771	308	1079	495	181	696	276	127	403

* कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार

उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकार और सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश दे सकता है अथवा रिट जारी कर सकता है इन अधिकारों का इस्तेमाल किसी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जो वाद हेतु क्षेत्रों के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से इन अधिकारों को प्रयोग में ला रहा हो, चाहे सरकार का आधार अथवा प्राधिकार अथवा ऐसे व्यक्ति की रिहायश उन क्षेत्रों में न हो

अधीनस्थ अदालतें

अधीनस्थ अदालतों की संरचना और कामकाज कुल मिलाकर देशभर में एक जैसा है अदालतों के पदनाम उनके कामकाज की जानकारी देते हैं यह अदालतें हर प्रकार के दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमों का निपटारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के अनुसार करती हैं ये अदालतें प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण कोडों, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (सीपीसी), 1908 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सी.आर.पी.सी., 1973 का पालन करती हैं और राज्य स्तर पर संशोधनों द्वारा और मजबूत होती हैं अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के मामले में डबल्यूपी (दीवानी) 1022/1989 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार देशभर में अधीनस्थ न्याय प्रणाली के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक समान पदनाम लाया गया यानी दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष में जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि जैसे कि जानकारी सी.आर.पी.सी. में दी गई है सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों द्वारा इनमें से किसी भी श्रेणियों के साथ उनके समकक्ष को दिखाकर वर्तमान पदों में जरूरत पड़ने पर उचित तालमेल किया जाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद-235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय

के पास है इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद-233 और 234 के साथ व्याख्या करने वाले अनुच्छेद-309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते समय राज्य सरकार ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय की सलाह से नियम और विनियम बना सकती है राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं

न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त 2011 में की गई इसके दो उद्देश्य हैं- देरी और बकाया मामलों को कम करके पहुंच बढ़ाना और ढांचागत परिवर्तनों और कामकाज के मानक और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना यह मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों को चरणबद्ध तरीके से निपटाने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कंप्यूटरीकरण सहित अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, अधीनस्थ अदालतों की संख्या बढ़ाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी की संभावना वाले क्षेत्रों में नीतिगत तथा विधायी उपाय करना, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अदालती प्रक्रिया की पुनर्रचना करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना है मिशन ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्रों में अनेक कदम उठाए हैं

सभी राज्यों ने सरकारी अभियोजन में कमी लाने के लिए अपनी अभियोग नीतियों को व्यवस्थित किया है राज्य एजेंसियों द्वारा अभियोजन के प्रसार में कमी लाने के लिए उनसे राज्य अभियोजन नीतियों का आकलन करने का निवेदन किया गया है कानूनी मामलों के विभाग ने 2015 की राष्ट्रीय अभियोजन नीति का सूत्रपात किया जिस पर मौजूदा समय में सरकार गहराई से विचार कर रही है

न्यायिक सुधार का एक जरूरी पक्ष अदालतों की पुनर्रचना प्रणाली और कानूनी मामलों के शीघ्र निपटान से जुड़ा है समुचित न्याय मिलने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया को बड़ी अड़चन के तौर पर माना गया है दीवानी और फौजदारी के मामलों में कानूनी प्रक्रिया की दिशा सुधारने के लिए उच्च न्यायालयों को एक शोध-पत्र भेजा गया शोध-पत्र में प्रस्तावित सलाह को कई उच्च न्यायालयों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई इसी तरह अदालतों की पुनर्रचना और कानूनी मामलों को व्यवस्थित करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एनसीएमएस) के अधीन विचारणीय है पुनर्रचना प्रक्रिया भी ई-कोटर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रही है विवाद निपटारों के लिए वैकल्पिक विधियों को बढ़ावा देने हेतु जिला और तालुका स्तर अदालतों में मध्यस्थता केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है सरकारी अनुबंधों में सरकारी एजेंसियों को मध्यस्थता धारा रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिला और छोटी अदालतों में मामलों के लंबित रहने के पीछे न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कमी मुख्य कारण है अतः नेशनल मिशन लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विमर्श कर रहा है नतीजतन, इस दिशा में सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयासों के अनुसार, जिला और अधीनस्थ अदालतों न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की संख्या 2012 में 17,715 से बढ़ाकर 2015 में 20,358 तक पहुंच गई अब मौजूदा रिक्त स्थानों को भरने के लिए मिशन उच्च न्यायालयों के साथ विमर्श कर रहा है सभी अदालती कर्मचारियों को पूर्णतः प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है

न्यायिक अवसंरचना

अधीनस्थ न्यायिक संबंधी अवसंरचनात्मक विकास की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है राज्यों को न्यायिक अवसंरचनात्मक विकास में मदद देने के लिए 1993-94 में एक केंद्र प्रायोजित योजना अमल में लाई गई इसके अंतर्गत, अदालती इमारतों और न्यायिक अधिकारियों को रिहायशी सुविधाएं विकसित करने का कार्य किया गया 2011 तक केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना में बराबर अंशदान कर रही थीं, परंतु 2011-12 से केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना अंशदान 75 प्रतिशत कर दिया पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत आर्थिक सहयोग करती है हालांकि, केंद्रीय निधि, योजना के लिए बजट संबंधी आवंटन पर निर्भर करती है 2015-16 वित्त वर्ष में योजना के लिए बजटीय आवंटन रुपये 562.99 करोड़ था, 31 दिसंबर, 2015 तक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रुपये 542.62 करोड़ की राशि पारित की गई 2015-16 से योजना के लिए आर्थिक अनुदान साझा करने का अनुपात 75:25 से 60:40 (केंद्रः राज्य) किया गया पूर्वोत्तर के 8 राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रहा

ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना

ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालयों में लागू की जा रही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का अंश है इस परियोजना की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटी द्वारा 'भारतीय न्यायाधिकरण-2005 में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अमलीकरण की राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना' के अंतर्गत तैयार की गई थी प्रधान तथा तदर्थ अध्यक्ष के तौर भारत के प्रधान न्यायाधीश के संरक्षण में ई-कमिटी का गठन 2004 में न्यायपालिका को आईसीटी समर्थ बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के आधार पर हुआ था

मार्च 2015 के अंत तक 14,249 अदालतों के कंप्यूटरीकरण के साथ ही सभी अदालतों (100 प्रतिशत) को कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी शुरू हो गई थी इनमें से, 13,606 अदालतों (95.49 प्रतिशत) में एलएएन, 13,426 (94.3 प्रतिशत) में हार्डवेयर और 13,672 (95.90 प्रतिशत) अदालतों में सॉफ्टवेयर की शुरुआत हो चुकी है

अधिकारविहीन लोगों के लिए न्याय की पहुंच

अधिकारविहीन लोगों तक न्याय तक पहुंच बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में न्याय विभाग ने 2008 में एक दशक लंबा कार्यक्रम शुरू किया यह परियोजना बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिसा के आठ यूएनडीएएफ राज्यों में प्रसारित की गई है इस परियोजना में मुख्यतः अधिकारविहीन लोगों को न्याय दिलाने के लिए रणनीति विकसित करने का प्रयास किया गया है ताकि कानूनी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंचने में अड़चने दूर हो सकें इस समय परियोजना अमलीकरण के दूसरे दौर में है 2008 से 2012 तक के इसके पहले चरण के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है

परियोजना का दूसरा चरण 2013 से 2017 तक पांच वर्षों के दौरान चला इस चरण में पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाया गया और न्याय की मांग और उसकी आपूर्ति की दिशा में काम किया गया परियोजना के अंतर्गत, न्याय विभाग के साथ न्याय देयता और कानूनी सुधारों के विशिष्ट लक्ष्य के लिए एक तकनीकी सहयोग टीम को जोड़ा गया परियोजना के दूसरे चरण में मांग और आपूर्ति पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा भौगोलिक व्याप्ति के मामले में, परियोजना बेहतर नतीजों के लिए, आठ राज्यों, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1-2 चुनिंदा जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी पिछले चरण में प्राप्त नतीजों को भावी कार्य में भी स्थायी रखे जाने को सुनिश्चित किया जाएगा

विधि मामले

न्यूयॉर्क समझौते के अनुसार, 1996 के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अधिनियम की धारा 44(बी) के अंतर्गत, विदेशों से आपसी रजामंदी के साथ विधि मामलों का विभाग, पंचाट पुरस्कारों को अमल में लाने वाला प्रमुख विभाग है 1965 के हेग सम्मेलन के अनुसार, विधि मामलों का विभाग, नागरिक और वित्तीय मामलों में, न्यायिक और न्यायेत्तर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण है इस दायित्व के अनुसार, मई 2014 से मई 2017 तक 9309 प्रार्थना-पत्रों पर काम किया गया

विधिक सूचना प्रबंधन और विवरण तंत्र

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, यह प्रणाली अदालती मामलों के ब्योरों का डिजिटलीकरण कर विभिन्न साझीदारों को एक मंच पर लाती है किसी भी अदालती मामले के समूचे कार्यकाल के दौरान एलआईएमबीएस उस मामले से जुड़े विभिन्न साझीदारों के बीच पारदर्शिता और प्रभुत्व भाव को बनाए रखता है विभिन्न मंत्रालयों, उनके नोडल अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनों की मदद से, अल्पावधि में ही एलआईएमबीएस ने 1.36 लाख अदालती मामलों सहित 5,500 पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं, 14,000 से अधिक वकीलों और 12,00 न्यायालयों तक पहुंच स्थापित की है इसके पोर्टल पर 452 पंचाट मामले पहुंचे हैं 62 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंधित अधिकारियों के लिए 200 प्रस्तुतियां तैयार की गईं

भावी दिशा

विधि मामलों के विभाग ने संरचना और उसे दिए गए आदेश के भीतर सुशासन, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से अन्य बातों के अनुरूप सार्वजनिक संबंधों से निपटने में पारदर्शिता निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की कल्याणकारी प्रकृत्ति होने के कारण सरकार का आकार विशाल है वृद्धि, विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या में वृद्धि और अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरुकता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए नए साधन और कानून बनाए गए हैं इस दिशा में नया भारत-2022 की संकल्पना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित बड़ी पहलों/सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है :

मुकदमों का आकलन

विभाग ने छोटे से विवाद के मुकदमेबाजी का रूप लेने, उसके नतीजे लागू करने या न करने से उत्पन्न सफर के दौरान मामले की जांच के लिए आकलन/विधि परीक्षण/दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रारंभिक उपाय किए हैं तैयार किए जाने वाले दिशा-निर्देशों की सहायता से इस प्रयोग से निश्चित तौर पर मुकदमों से काफी हद तक बचा जा सकेगा और अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका सहारा लिया जा सकेगा

अगर मुकदमे का आकलन, नीति निर्माण के स्तर पर किया जाता है तो इसके नतीजे इस प्रकार होंगे:-

i. प्रस्ताव में पूरी तस्वीर उभरकर आएगी;
ii. मुकदमेबाजी को और बढ़ने से रोका जा सकेगा;
iii. न्यायालयों में बढ़ते मामलों का दबाव कम होगा और;
iv. सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा

राष्ट्रीय मुकदमा नीति

भारत की विभिन्न अदालतों में लगभग 3.2 करोड़ मामले लंबित हैं समझा जाता है कि सबसे अधिक मामले सरकार से संबंधित हैं विधि आयोग की अनेक रिपोर्टों में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने, अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने और सरकारी खजाने पर इनके खर्च का बोझ कम करने की सलाह दी गई है अतः राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2017 के मसौदे में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुकदमेबाजी पर रोक लगाई जा सके, उन पर नियंत्रण रखा जा सके और उनकी संख्या कम की जा सके

नीति के कार्यान्वयन से :

- मुकदमेबाजी की संख्या कम की जा सकेगी और विभाग/संगठन मुकदमेबाजी से मुक्त विभाग के रूप में आगे बढ़ सकेंगे
- शिकायतों के मुकदमेबाजी का रूप लेने से बचा जा सकेगा
- जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सकेगी
- न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम किया जा सकेगा और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा

पंचाट को संस्थागत बनाना

कानूनी प्रक्रिया और समय पर निपटाए जाने की आवश्यकता वाले पूंजी निवेश संबंधी मामलों/आवेदनों में देरी अंतरराष्ट्रीय पंचाट का कारण बनती है जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है अपनी कानूनी और न्याय संबंधी व्यवस्था को सुचारू बनाने की जरूरत है ताकि वाणिज्यिक विवादों को जल्द सुलझाया जा सके और यह एक आवश्यकता है विधि विभाग ने भारत में पंचाट व्यवस्था को संस्थागत बनाने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा को इसका अध्यक्ष बनाया गया इस समिति ने 30 जुलाई, 2017 को विधि और न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी

कानूनी पेशे में सुधार

विधिक बिरादरी समाज का सबसे प्रबुद्ध और पारंपरिक तौर पर सम्मानित वर्ग होता है लोकतांत्रिक राजतंत्र में इस पेशे की भूमिका तो सदा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है यह लोकतंत्र का पहरेदार होता है और संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए कानून और व्यवस्था के मामलों को लेकर हमेशा सतर्क रहता है भारत में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को कानूनी कार्य करने के विरुद्ध हमेशा से कड़ा विरोध होता रहा है, इसकी बुनियाद में तर्क दिया जाता है कि विदेशों में कानूनी कार्य करने के लिए भारतीय वकीलों को भी कार्यविधि संबंधी अड़चनें आ सकती हैं अतः कानूनी कार्य करने के अवसर को समतामूलक आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए

जीएटीएस की तर्ज पर विधि व्यवसाय में सुधार ताकि कानूनी सेवाएं खोली जा सकें

विधि जगत से जुड़े लोग समाज के सबसे अधिक प्रबुद्ध और परंपरागत रूप से सम्मानित वर्ग से आते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार में, इस प्रतिष्ठित व्यवसाय की भूमिका हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रही है यह लोकतंत्र का प्रहरी है और हमेशा कानून के शासन से जुड़े मामलों में सतर्क रहता है जैसाकि हमारे संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है और गारंटी दी गई है

विदेशी वकीलों और विधि फर्मों को भारत में वकालत करने की अनुमति देने के मुद्दे पर कड़ी आपत्ति की जाती रही है इसके लिए अन्य बातों के अलावा भारतीय वकीलों द्वारा यह दलील भी दी जाती है कि उन्हें विदेशों में वकालत करने के लिए कई प्रक्रियागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है अतः परस्पर आधार पर वकालत के अवसर देने के मामले में यह बराबरी का मुद्दा है

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 18 के अंतर्गत जून, 2000 में की गई थी फेमा की धारा 19 के अंतर्गत, धारा 17 के उप खंड (i) में उल्लिखित के अलावा विशेष निदेशक (अपील) अथवा किसी निर्णायक प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश से असंतुष्ट केंद्र सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने को प्राथमिकता दे सकता है जिसे आदेश मिलने की तारीख से 45 दिन के भीतर असंतुष्ट व्यक्ति अथवा केंद्र द्वारा दायर किया जा सकता है

फेमा की धारा 20 में व्यवस्था है कि अपीलीय न्यायाधिकारण में एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होने चाहिए जितना केंद्र सरकार उचित समझे अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल पीठों द्वारा किया जा सकता है पीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं जो भी अध्यक्ष को उपयुक्त लगे अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्य तौर पर नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर बैठती हैं जिसकी केंद्र सरकार अध्यक्ष से सलाह करें और उनकी बारे में अधिसूचना दें अध्यक्ष किसी भी सदस्य का तबादला एक पीठ से दूसरी पीठ में कर सकता है यदि किसी भी अवस्था में ऐसा लगता है कि मामले की सुनवाई दो सदस्यों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, अध्यक्ष उस मामले को उस पीठ में स्थानांतरित कर सकता है जिसे वह इसके योग्य समझे कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उसे न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और जो व्यक्ति जिला न्यायाधीश के लिए योग्यता प्राप्त हो उसकी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है धारा 49 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अंतर्गत सभी अपीलें जो पेरा के समक्ष लम्बित हैं, उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के नियंत्रण में है

प्रवर्तन एजेंसियां

पुलिस

देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस

का रख-रखाव और नियंत्रण राज्यों द्वारा किया जाता है किसी भी राज्य में पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है राज्य को उपयुक्त क्षेत्रीय खंडों में विभाजित किया गया है जिसे रेंज कहा जाता है और प्रत्येक पुलिस रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में है अनेक जिले रेंज का गठन करते हैं जिला पुलिस को पुलिस डिवीजनों, सर्कलों और पुलिस स्टेशनों में उप-विभाजित किया गया है इसके अलावा नागरिक पुलिस, राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस और पृथक गुप्तचर शाखाएं, अपराध शाखाएं आदि हैं बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि, में पुलिस सीधे तौर पर पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आती है जिसके पास मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकार होते हैं विभिन्न राज्यों में सभी वरिष्ठ पुलिस पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर होती है

केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बलों, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पुलिस अधिकारियों और अपराध विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की देखरेख करती है ताकि विशेष आपराधिक मामलों की जांच करने में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने में राज्यों की सहायता की जा सके और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की स्थापना चीनी हमले के मद्देनजर 1962 में की गई जिसकी शुरुआत में केवल चार बटालियनें थीं मूल रूप से इसकी संकल्पना एक समेकित गुरिल्ला और खुफिया तथा लड़ाकू बल के रूप में की गई थी, जो आपूर्ति, संचार और खुफिया जानकारी एकत्र करने में आत्मनिर्भर था, समय बीतने के साथ यह परंपरागत सीमा प्रहरी बल में बदल गया आज, यह 3,488 किलोमीटर भारत-चीन सीमा की रखवाली कर रहा है और आईटीबीपी 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रखवाली करता है और 176 सीमा चौकियों पर इसके जवान तैनात हैं आज लद्दाख में कराकोराम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप-ला तक भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फुट से 18,750 फुट की ऊंचाई पर स्थित 176 सीमा चौकियों पर इसके जवान तैनात हैं आईटीबीपी की आठ बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित इलाके में हैं बल पांच सीमांत मुख्यालयों, 14 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सेवा बटालियनों, चार विशेष बटालियनों, दो आपदा प्रबंधन बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए संचालन करता है, जिसमें कुल 89,432 जवान हैं

आईटीबीपी मुख्यत: पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र बल है और इसके अधिकांश अधिकारी और जवान प्रशिक्षित पर्वतारोही और स्कीयर्स हैं जो 2012 के अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चार बार और 180 अन्य हिमालयी चोटियों पर परचम लहरा चुके हैं आईटीबीपी के पर्वतारोही नेपाल, ईरान, जापान और दक्षिण अमरीका के कई पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं वहीं, आईटीबीपी के स्कीयर्स नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं और शीत ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं इसके अलावा, यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा जैसी विशाल नदियों के तेज बहाव में वाइट वाटर राफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके हैं इस क्षेत्र में भी कई अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान इनके नाम हैं

वेबसाइट www.itbpolice.nic.in

सीमा सुरक्षा बल

सितंबर 1965 में भारत-पाक युद्ध तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर संबद्ध देशों का राज्य पुलिस बल तैनात था इस व्यवस्था की कुछ अंतर्निहित कमियां युद्ध के दौरान सामने आईं और यह फैसला किया गया कि भारत संघ के अंतर्गत पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली के लिए एक बल होना चाहिए

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में 25 बटालियनों और 3 कॉय की मदद से की गई थी इतने वर्षों में बल का आकार बढ़ गया और आज इसकी 186 बटालियनें हैं जिसमें एनडीआरएफ की तीन बटालियनें, पांच बड़े प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्र और तीन छोटे प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं बल का

मुख्यालय नई दिल्ली में है इसके दो विशेष महानिदेशालय (विशेष डीएसजी) यानी विशेष डीजी (पूर्व कमान) और विशेष डीजी (पश्चिमी कमान) और 01 अपर महानिदेशक (विशेष ऑपरेशन, 13 फ्रन्टियर और 46 सेक्टर मुख्यालय, जल शाखा, वायु शाखा और अन्य सहायक इकाइयां हैं 31.12.2016 को बीएसएफ की मंजूर क्षमता 2,57,363 थी

शांतिकाल के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है: (i) सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना; (ii) सीमा पार से अपराधों की रोकथाम, भारत के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश अथवा निकासी को रोकना; (iii) सीमा पर तस्करी और किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना; (iv) घुसपैठ रोकने का कर्तव्य; और (v) सीमा पार की खुफिया जानकारी एकत्र करना

युद्ध के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है: (i) सौंपे गए क्षेत्रों में मैदान संभालना; (ii) दुश्मन की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस अथवा अनियमित बलों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई; (ii) सेना के नियंत्रण के तहत व्यवस्थित दुश्मन के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना; (iv) युद्धबंदियों के शिविरों की पहरेदारी; (v) सीमावर्ती इलाकों में सेना के लिए गाइड के रूप में कार्य करना; (vi) शरणार्थियों के नियंत्रण में सहायता; (vii) क्षेत्रों का प्रावधान; और (viii) छापों सहित गुप्तचर के साथ जुड़े विशेष कार्य करना

वेबसाइट: www.bsf.nic.in

असम राइफल्स

असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई और यह भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल है इस बल की स्थापना प्रारंभिक तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले जंगली और बेलगाम आदिवासियों से असम की जलोढ़ समतल भूमि की रक्षा करने के लिए की गई थी यह शुरुआत में सम्मिलित इकाई थी जो असम राइफल्स के रूप में विकसित हो गई धीरे-धीरे ऐसी कुछ और इकाइयों की स्थापना की गई और उन्हें सुदूरवर्ती इलाकों में चौकियां स्थापित करने के लिए तैनात किया गया और इन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रभुत्व को बढ़ाने में नागरिक प्रशासन के मजबूत हथियार के रूप में काम किया बल ने दुर्गम और निर्जन इलाकों को खोलने और विकास गतिविधियां हाथ में लेने में मदद की; प्रशासन से इन्हें अनेक पुरस्कार मिले असम राइफल्स का योगदान पूर्वोत्तर के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में वास्तव में महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र से उनका लंबा जुड़ाव बल में झलकता है और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और भारत-म्यामां सीमा की रखवाली करने के लिए प्रेमपूर्वक 'पूर्वोत्तर का पहरेदार' और 'पहाड़ी जनता का मित्र' कहा जाता है

इसका मुख्यालय शिलांग में है और 1,631 किलोमीटर लंबी भारत-म्यामां सीमा की रखवाली के लिए पूर्वोत्तर में बल को पूरी तरह तैनात किया गया है यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक आधार हैं इसके जवानों की कुल क्षमता 63,747 है

वेबसाइट: www.assamrifles.gov.in

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

70 के दशक के दौरान पश्चिम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद ने अपना सिर उठा लिया था यह विमान अपहरण, लोगों को बंधक बनाने, गणमान्य और अन्य व्यक्तियों की हत्याओं सहित अनेक रूपों में सामने आ रहा था कानून और व्यवस्था का सामान्य तंत्र और पश्चिम के रक्षा बल इस बुराई से निपटना चाहते थे विशेष हथियारों से लैस और प्रशिक्षित बल जैसे ब्रिटेन का एसएएस, अमरीका का डेल्टा फोर्स और पश्चिम जर्मनी जीएसजी-9 की विदेश में स्थापना हो चुकी थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय नीतिगत गुप्तचर पर आधारित सर्जिकल कार्रवाई करने के लिए भारत में विशेष बल के गठन की आवश्यकता महसूस की गई स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई ने न केवल उसे भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और इन सबसे ऊपर सिखों के मानस को बुरी तरह ठेस पहुंची ब्रिटेन में एसएएस, फ्रांस में जीआईजीएन, जर्मनी में जीएसजी-9, इज़राइल में शार-एट-मटकल और अमरीका में डेल्टा फोर्स जैसे विशेष बलों का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की संकल्पना और उसका गठन किया गया फलस्वरूप, गृह मंत्रालय के अंतर्गत

संघीय आकस्मिक बल के रूप में अक्टूबर, 1985 में एनएसजी की स्थापना की गई इसे सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के चुने हुए और अत्यधिक प्रेरित जवानों की मदद से बनाया गया है 53 प्रतिशत जवान सेना से लिए गए हैं जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी का योगदान 47 प्रतिशत है एनएसजी की गौरवशाली विरासत रही है और इसे बहुत आदर से देखा जाता है अपनी स्थापना के समय से ही इसके कमांडो 114 प्रमुख सफल आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में शामिल हुए हैं इसे अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं और तीन अशोक चक्रों, दो कीर्ति चक्रों, तीन शौर्य चक्रों और दस पीपीएमजी से इसे सम्मानित किया जा चुका है एनएसजी के 9 कमांडो ने एनएसजी के आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के अनुरूप आचरण करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है

वेबसाइट: www.nsg.gov.in

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में किया गया था स्वतंत्रता के बाद इसे नया नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके लिए बहुआयामी भूमिका की संकल्पना की सीआरपीएफ की झोली में अनेक उपलब्धियां हैं यह सीआरपीएफ ही थी जिसने 1959 में लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स पर पहले चीनी हमले का हिम्मत से सामना किया जब सीआरपीएफ के एक छोटे गश्ती दल पर अधिक संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया इस संघर्ष में सीआरपीएफ के दस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी अब हर वर्ष 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है बल ने 1965 में एक बार फिर अपनी वीरता को साबित किया जब सैकिंड बीएन सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात में सरदार पोस्ट पर 9 अप्रैल को पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा किए गए एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया और 4 को जिंदा पकड़ लिया गया सैनिक युद्ध के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि थोड़े से पुलिसकर्मी इस तरीके से सम्पूर्ण पैदल सेना के दल को खदेड़ दें इस घटना में सीआरपीएफ के 6 बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी हमारे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 9 अप्रैल अब हर वर्ष बल के वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है

सीआरपीएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में भी तैनात किया गया श्रीलंका में सीआरपीएफ की दो बटालियनें और महिला बटालियन की एक कम्पनी भारतीय शांति सेना का हिस्सा थी एलटीटीई का पहला बड़ा हमला सीआरपीएफ के खिलाफ था, गैर-परंपरागत युद्ध का प्रयोग करते हुए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया अब संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार, पूरी तरह गठित महिला इकाई को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लाइबेरिया में तैनात किया गया है 13 दिसंबर, 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया, उस वक्त सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में, पांचों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया महिला कैप्टन कमलेश कुमारी जिसने इस घटना के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिया जाना वाला शौर्य पुरस्कार 'अशोक चक्र' मरणोपरांत प्रदान किया गया जब 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने जुलाई 2005 में अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर में घुसने का प्रयास किया और बाहरी सुरक्षा घेरे को भेदकर घुस गए, उनका मुकाबला अंदरूनी सुरक्षा घेरे में तैनात सीआरपीएफ जवानों से हुआ सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए आतंकवादियों के खराब मंसूबों पर पानी फेर दिया और मौके पर सभी आतंकियों को मार गिराया

सीआरपीएफ की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर चार जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियनें हैं बल के अधिकतर जवानों को आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात किया गया है वर्तमान में नक्सल गतिविधियों से निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयां विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है कोबरा बटालियनों को रणनीतिक दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है सीआरपीएफ ने हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब विनाशकारी सुनामी ने जान-माल को नुकसान पहुंचाया अथवा जब जम्मू और कश्मीर के भूकंप ने विशाल क्षेत्र में तबाही मचाई और बड़े पैमाने

पर जीवन को अस्त-व्यस्त किया, सीआरपीएफ ने राहत, बचाव और पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज हमारी सीआरपीएफ की दो बटालियनें आपदा प्रबंधन बटालियनों के रूप में कार्य कर रही हैं और उन्हें पुणे और अहमदाबाद में रखा गया है

वेबसाइट: www.crpf.nic.in

रेपिड एक्शन फोर्स

1992 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को पुनर्गठित किया गया और इन्हें रेपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की प्रत्येक 4 कॉय की 10 बटालिनों में बदल दिया गया आरएएफ के जवान प्रशिक्षित हैं और सांप्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लैस किया गया है इन बटालियनों को देशभर सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 10 स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की वारदात की स्थिति में ये तेजी से निपट सकें ये सभी बटालियनें असंबद्ध स्वरूप पर संगठित हैं और एक महानिरीक्षक की देखरेख में कार्य कर रही हैं

आरएएफ को सांप्रदायिक समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया और वह लगातार जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवाद, पूर्वोत्तर में विद्रोही गतिविधियों से निपट रहा है आरएएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए हैती, बोस्निया और कोसोवो में, राहत और बचाव (ओडिशा में जबरदस्त तूफान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भूकम्प) के लिए तैनात किया गया आरएएफ भारी संख्या में एकत्र भक्तजनों (अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा आदि), एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद से निपट रहा है वह प्रमुख धर्मस्थलों अयोध्या, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी और रघुनाथ मंदिर, जम्मू की रखवाली कर रहा है, वह श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को भूमि के हस्तांतरण को समाप्त करने के मुद्दे पर कानून और व्यवस्था की स्थिति, राजस्थान में गुज्जर आंदोलन के कारण कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति, जम्मू और कश्मीर में पथराव की गंभीर घटना से प्रभावी तरीके से निपट चुका है और उसने विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक चुनाव कराने की निगरानी की है

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1969 में गठित, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 59 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों सहित 303 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है यह 87 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तक केंद्रित संगठन नहीं रह गया है बल्कि यह आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा ठिकानों को सुरक्षा प्रदान करने वाली देश की प्रमुख बहु-कौशल सुरक्षा एजेंसी बन गई है सीआईएसएफ इस समय 308 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाइयां, खानें, तेल क्षेत्र और रिफाइनरियां, प्रमुख समुद्री बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग इस्पात संयंत्र, फर्टिलाइजर इकाइयां, हवाईअड्डे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक/ताप बिजली संयंत्र, संवेदनशील सरकारी इमारतें और यहां तक कि धरोहर स्मारक (ताजमहल और लाल किला सहित) और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं

यह देश के सबसे बड़े अग्नि सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियों में से एक है यह 86 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा प्रदान करती है सीआईएसएफ के सुरक्षा दायरे में रत्नागिरि गैस और ताप ऊर्जा स्टेशन लि., हरियाणा के हिसार स्थित राजीव गांधी ताप ऊर्जा परियोजना को भी जोड़ा गया है इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज को हाईजैक कर कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा सीआईएसएफ के सुपुर्द की गई है

देश के सभी प्रमुख हवाईअड्डों की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ के पास है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे भी शामिल हैं साथ ही, इसने 45 सरकारी इमारतों की सुरक्षा का भी जिम्मा लिया है, जिनमें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का एक हिस्सा और सीजीओ कॉम्प्लेक्स हैं सीआईएसएफ अधिनियम को, देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक निजी/संयुक्त उपक्रम औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मानदेय प्राप्ति आधार पर संशोधित किया गया था नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद, एजेंसी को निजी क्षेत्र को सीधे सुरक्षा प्रदान करने के

भी अधिकार दिए गए हैं 175 से अधिक निजी क्षेत्र उपक्रमों ने सीआइएसएफ सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है और अगस्त 2009 में बंगलुरु स्थित इंफोसिस का मुख्यालय निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी जिसे सीआईएसएफ सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ सीआईएसएफ लागत प्रतिपूर्ति वाली एजेंसी है, यानी, इसके रखरखाव का खर्च राजकोष पर नहीं पड़ता अक्टूबर 2009 में सीआईएसएफ ने अपनी वेबसाइट www.cisf.gov.in पर यात्री मित्र सेवा की शुरुआत की इसके अंतर्गत, जिन हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ तैनात रहती है, वहां गुम और प्राप्त सामान की सूचना वेबसाइट पर दी जाती है

वेबसाइट: www.cisf.gov.in

सशस्त्र सीमा बल

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भारतीय संघ का नवीनतम सीमा सुरक्षा बल है जिस पर भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है 2001 से सीमा सुरक्षा बल भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा कर रहा है और 2004 में इसे भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई सशस्त्र सीमा बल की शुरुआत, भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद, 1963 के आरंभ में की गई थी उस समय इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था इसका शुरुआती लक्ष्य तत्कालीन नेफा, उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) के लोगों का मनोबल बढ़ाना था बाद में, 1965-1991 के बीच में इसका कार्यक्षेत्र मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, मिज़ोरम, दक्षिण बंगाल और नगालैंड तक बढ़ा दिया गया

एसएसबी के पहले की भूमिकाओं में इसके कार्य थेः (1) सीमांत क्षेत्रों की जनता का मनोबल बढ़ाना और उनमें सुरक्षा की भावना मजबूत करना; (2) राष्ट्रीय जागरुकता और सुरक्षा के प्रति सतर्क बनाना; और (3) दुश्मन का सामना करने के लिए सीमांत क्षेत्रों की जनता को व्यवस्थित और तैयार करना

वेबसाइट: www.ssb.nic.in

नागरिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा में ऐसे उपाय शामिल हैं जिनका संबंध वास्तव में युद्ध से नहीं है नागरिक सुरक्षा के तहत भारत अथवा क्षेत्र के किसी भी भाग में वायु, भूमि, समुद्र अथवा किसी भी अन्य स्थान से होने वाले शत्रुओं के हमले से किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान अथवा वस्तु को सुरक्षा प्रदान करना अथवा उसके प्रभाव से बचाना है, चाहे ऐसे उपाय पहले किए जाएं, हमले के दौरान किए जाएं अथवा हमले के बाद किए जाएं, अथवा किसी आपदा से पहले, उसके दौरान अथवा उसके बाद आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किए जाएं

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के लिए संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा घटकों की अतिरिक्त भूमिका को कानूनी मंजूरी दी गई नागरिक सुरक्षा आपात स्थितियों के दौरान संवर्धित प्रतिष्ठान और वैतनिक कर्मचारियों के छोटे केंद्र को छोड़कर मुख्य रूप से स्वयंसेवी आधार पर संगठित की जाती है नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी देश निर्माण और कई अन्य सकारात्मक कार्यों से जुड़ते हैं जिसमें, सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं के लिए प्रशासन को सहयोग, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान और उनके बाद राहत एवं बचाव कार्यों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना शामिल हैं इस संगठन का प्रशिक्षण तीन स्तरों पर होता है मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण और नागपुर स्थित राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण तथा राज्य नागरिक सुरक्षा संस्थानों में टीम/लीडरशिप प्रशिक्षण संचालित किया जाता है नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण स्थानीय/कस्बाई स्तर पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षकों के अधीन होता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागरिक सुरक्षा परिदृश्य को तरोताजा करने के लिए 2009 में रुपये 100 करोड़ की एक केंद्र प्रायोजित योजना स्थापित की गई थी योजना में 10 राज्यों में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (सीटीडीआई) की स्थापना और 17 राज्यों के सीटीडीआई में अवसंरचनात्मक विकास की रूपरेखा तैयार की गई थी इसके अलावा, नागरिक सुरक्षा अवसंरचना के निर्माण हेतु 100 समस्याग्रस्त जिलों की भी पहचान की गई थी 40 चुने गए कस्बों में एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई जहां आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर काम में लाया जाएगा

होम गार्ड

होमगार्ड स्वयंसेवी बल है, इसकी स्थापना आंतरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करने के उद्देश्य से दिसंबर 1946 में की गई थी इसके बाद स्वयंसेवी नागरिकों के बल की संकल्पना को अनेक राज्यों ने अपनाया 1962 में चीनी हमले को ध्यान में रखकर केंद्र ने राज्यों और संघशासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे अपने वर्तमान स्वयंसेवी संगठनों का एक समान स्वयंसेवी बल, होमगार्ड के रूप में विलय कर लें होमगार्डों की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे हवाई हमले, अग्नि, तूफान, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की मदद करना, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में मदद करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों की रक्षा करने में प्रशासन की सहायता करना, सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में भागीदारी और नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वाह करना है होमगार्ड दो प्रकार के हैं- ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती राज्यों में, सीमा खंड की होमगार्ड बटालियन भी बनाई गई है, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करती है संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में फैला हुआ है सात सीमावर्ती राज्यों में सीमा खंड होमगार्डों (बीडब्ल्यूएचजी) की कुल 18 बटालियनें स्थापित की गई हैं, ये हैं पंजाब (6 बटालियनें), राजस्थान (4 बटालियनें), गुजरात (4 बटालियनें) और असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में एक-एक बटालियन स्थापित की गई है ताकि वह बाहरी आक्रमण की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा/तटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने, वीवीआईपी और संचार लाइनों की पहरेदारी में सीमा सुरक्षाबल के सहायक के रूप में कार्य कर सके

होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम और राज्यों/संघशासित प्रदेशों के नियमों के अंतर्गत की गई थी इनकी नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों जैसे- डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि और औद्योगिक कामगारों आदि से की जाती है जो समुदाय की बेहतरी के लिए संगठन को अपना खाली समय दे सकें भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18-50 वर्ष है, वे होमगार्ड के सदस्य बन सकते हैं होमगार्ड में सदस्यता का सामान्य कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है होमगार्ड के जवानों को वीरता, उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पदक प्रदान किया जाता है जब भी किसी होमगार्ड को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, उसे खर्चे के लिए निर्धारित दरों पर ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है संगठन में होमगार्ड के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करने, अपराध रोकने, डकैती के विरुद्ध उपाय करने, सीमा पर गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटी और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है राष्ट्रीय आपात काल की स्थिति में, नागरिक सुरक्षा के कुछ हिस्से का कार्य भी होमगार्ड को सौंप दिया जाता है गृह मंत्रालय होमगार्ड संगठन की भूमिका, उसके लक्ष्य, उसके बढ़ने, प्रशिक्षण, सज्जित करने, स्थापना और अन्य मामलों में मदद करता है होमगार्डों पर होने वाले खर्च को वर्तमान वित्तीय नीति के अनुसार आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट लिया जाता है

दमकल सेवा

दमकल सेवा राज्य का विषय है और इसे अनुच्छेद 243-डब्ल्यू के संदर्भ में भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निगम के कार्यों के रूप में शामिल किया गया है राज्य सरकारों/नगर निगम निकायों की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड को लागू करना और दमकल सेवाओं को मजबूत बनाने और उन्हें सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके 13वें वित्त आयोग ने देशभर में दमकल और आपात सेवाओं को नया रूप देने की बात को स्वीकार करते हुए सिफारिश की कि शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए आर्थिक सहायता के एक हिस्से को उनके संबद्ध इलाकों की दमकल सेवाओं के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जाए इसके अलावा, वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि 10 लाख (2001 की जनगणना) से अधिक की आबादी वाले सभी नगर निगम अपने संबद्ध इलाकों में आग लगने के खतरे की जानकारी देने और ऐसी घटनाएं कम करने संबंधी योजना तैयार करें भारत सरकार पूरक पहल के रूप में अग्नि और आपात सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए देश में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्र प्रायोजित योजना को

लागू कर रही है आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक दमकलों, मिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हाई प्रेशर पंप, त्वरित प्रतिक्रिया टीम वाहन, तलाशी और बचाव के लिए कॉम्बी उपकरण और विभिन्न साझेदारों के क्षमता निर्माण शुरू करके यह योजना वर्तमान अग्नि शमन और राहत क्षमताओं में वर्तमान अंतर को भरने का प्रयास है

पर्सनल लॉ

भारत में विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोग हैं विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, वसीयत आदि से जुड़े पारिवारिक मामलों में वे विभिन्न पर्सनल लॉ के अधीन हैं पर्सनल लॉ की विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की सूची III-की प्रविष्टि 5 से संबंधित है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधान विधायिका, संसद का विषय हैं राज्य विधानसभाएं भी इससे जुड़े कानून बना सकती हैं

विवाह

विवाह और तलाक से जुड़े कानून को विभिन्न कानूनों में विधिबद्ध किया गया है जो विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं ये हैं: (1) धर्मांतरण विवाह विच्छेद कानून, 1866; (2) तलाक कानून, 1869; (3) भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872:(4) काज़ी कानून, 1180; (5) आनंद विवाह कानून, 1909; (6) भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925; (7) पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936; (8) मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, 1939; (9) विशेष विवाह कानून, 1954; (10) हिंदू विवाह कानून, 1955; (11) विदेशी विवाह कानून, 1969; और (12) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की रक्षा) कानून, 1986

विशेष विवाह कानून, 1954 में विवाह की विशेष विधि की व्यवस्था की गई और इस तरह के विवाह के पंजीकरण का दायरा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत में फैल गया, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों पर भी लागू होता है इस कानून से संचालित विशेष तौर से इस कानून के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं चाहे वे विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले क्यों न हों इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि किसी भी रीति से होने वाले विवाह को विशेष विवाह कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, यदि वह कानून की जरूरतों को पूरा करता हो अथवा 'मिरगी' शब्द को हटाने के लिए कानून की धारा 4(बी) (iii) में संशोधन किया गया निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और नाबालिग बच्चों की शिक्षा के लिए आवेदन को प्रतिवादी के नोटिस देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाने के लिए धारा 36 और 38 में संशोधन किया गया हिंदू विवाह कानून, 1955 द्वारा हिंदुओं में प्रचलित व्यावहारिक कानून को विधिबद्ध करने का प्रयास किया गया ये कानून जिसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है जहां इस कानून का विस्तार हुआ है जो क्षेत्र इन क्षेत्रों से बाहर हैं यह उन हिंदुओं (अपने किसी भी स्वरूप अथवा विकास में) बौद्धों, सिखों, जैनियों और उन लोगों पर भी लागू होता है जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं हैं तथापि यह कानून किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार अपने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश न दे तलाक के संबंध में प्रावधान हिंदू विवाह कानून की धारा 13 और विशेष विवाह कानून की धारा 27 में निहित हैं इन कानूनों के अंतर्गत जिन सामान्य कारणों के आधार पर कोई पति अथवा पत्नी तलाक की मांग कर सकते हैं, वह हैं व्याभिचार, परित्याग, क्रूरता, दिमागी अस्वस्थता, यौन रोग, कोढ़, आपसी सम्मति और सात वर्ष से जीवित होने की जानकारी न हो

ईसाई समुदाय के संबंध में, विवाह और तलाक से जुड़े प्रावधान क्रमशः भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872 और भारतीय तलाक कानून, 1869 की धारा 10 में निहित हैं इस धारा के अंतर्गत कोई भी पति अपनी पत्नी से व्याभिचार के आधार पर तलाक ले सकता है और पत्नी अपने पति के धर्म परिवर्तन करने और किसी अन्य महिला से विवाह करने अथवा (क) किसी सगे-संबंधी के साथ यौन संबंध स्थापित करने; (ख) व्याभिचार के साथ दो पत्नियां रखने; (ग) व्याभिचार के साथ दूसरी महिला से विवाह; (घ) बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पाशविकता; (ङ) व्याभिचार के साथ ऐसी क्रूरता जो व्याभिचार के बिना उसे तलाक की हक़दार बनाए, मेन्सा एतोरो (तलाक की ऐसी व्यवस्था जो रोमन कैथलिक चर्च ने बनाई जो व्याभिचार,

विकृत आचरण, क्रूरता के आधार पर न्यायिक तौर पर अलग होने के बराबर है) और (च) दो वर्ष अथवा अधिक समय के लिए बिना किसी तर्कसंगत बहाने के परित्याग के साथ व्याभिचार का दोषी पाए जाने पर तलाक ले सकती है

तलाक के मामले में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने और आपसी सम्मति से विवाह विच्छेद के लिए तलाक कानून, 1869 में भारतीय तलाक (संशोधन) कानून 2001 के जरिए व्यापक संशोधन किए गए साथ ही, 1869 के कानून की धारा 41 में संशोधन विवाह कानून (संशोधन) कानून, 2001 द्वारा किया गया ताकि निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा संबंधी आवेदन का निपटारा प्रतिवादी नोटिस की तारीख से 60 दिन के अंदर निपटाया जा सके मुसलमानों के संबंध में, विवाह देश में मौजूद मुसलमान कानून द्वारा संचालित है तलाक के मामले में किसी मुस्लिम पत्नी के पास अपने विवाह को तोड़ने के संबंध में अधिक प्रतिबंधित अधिकार हैं लिखे नहीं गए और परंपरागत कानून मुस्लिम महिला को अपनी स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित रूपों के अंतर्गत विवाह तोड़ने की इज़ाज़त देते हैं: *(क)* तलाक-ए-तफवीद : यह प्रदत्त तलाक की एक विधि हैं इसके अनुसार पति विवाह समझौते में तलाक का अपना अधिकार दूसरों को सौंप देता है जो गारंटी देता है, अन्य बातों के साथ, उसके दूसरी पत्नी लाने पर, पहली पत्नी को उसे तलाक देने का अधिकार है; (ख) खुला *:* यह विवाह के पक्षों के बीच विच्छेद का एक समझौता है जिसमें पत्नी विवाहसूत्र से मुक्त होने के लिए कुछ निमित्त देती है शर्तें मोल-तोल का मामला हैं और आमतौर से पत्नी को मेहर अथवा उसका एक हिस्सा देते हैं और (ग) मुबारत : यह आपसी सम्मति से लिया जाने वाला तलाक है

साथ ही, मुस्लिम विवाह कानून, 1939 द्वारा, किसी मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह को तोड़ने का इन आधारों पर अधिकार दिया गया है; (i) चार वर्ष से पति का ठौर-ठिकाना पता न हो; (ii) पति ने दो वर्ष से पत्नी की परवरिश न की हो; (iii) सात वर्ष या अधिक समय के लिए पति जेल में रहा हो; (iv) पति बिना किसी उपयुक्त कारण के तीन वर्ष तक अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा हो; (v) पति की नपुंसकता; (vi) दो वर्ष लंबा पागलपन; (vii) कोढ़ अथवा संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो; (viii) 15 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाह हो चुका हो; और (ix) विवाह को शारीरिक संबंध स्थापित करके पूर्ण नहीं किया हो; और (x) क्रूरता

पारसी विवाह और तलाक कानून, 1935 पारसियों के वैवाहिक संबंधों से संचालित है कानून, में पारसी शब्द को पारसी जोरोएस्ट्रियन के रूप में परिभाषित किया गया है जोरोएस्ट्रियन वह व्यक्ति है जिसने जोरोएस्ट्रियन धर्म को अपनाया है इसका जातिगत महत्व है इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक विवाह और तलाक को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत कराना जरूरी है केवल पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 के प्रावधानों से तैयार इस कानून का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसे हिंदू विवाह कानून, 1955 के समकक्ष लाया जा सके पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 की धारा 39 और 49 में विवाह कानून (संशोधन) द्वारा संशोधन किया गया और पत्नी अथवा पति को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा का निपटारा किया जाना चाहिए यहूदियों के विवाह संबंधी कानूनों के लिए, भारत में कोई विधिबद्ध कानून नहीं है यहां तक कि आज तक, वे अपने धार्मिक कानूनों से संचालित हैं यहूदी विवाह को आपस में इकरारनामा नहीं मानते, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध मानते हैं जिसमें काफी समर्पित कर्तव्य शामिल हैं विवाह को व्याभिचार अथवा क्रूरता के आधार पर अदालतों के जरिए तोड़ा जा सकता है विवाह एक स्त्री के प्रति समर्पित रहने का रिश्ता है

गोद लेना

हालांकि गोद लेने के लिए संचालित कोई सामान्य कानून नहीं है, लेकिन हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 और हिंदुओं के बीच और संख्या की दृष्टि से नगण्य व्यक्तियों के कुछ वर्गों में इसकी इज़ाज़त है चूंकि गोद लेना किसी बच्चे का कानूनी संबंध है, यह पर्सनल लॉ की विषय-वस्तु बनाता है मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के कोई दत्तक ग्रहण कानून नहीं हैं और उन्हें अभिभावक और देखरेख कानून, 1890 के अंतर्गत अदालत की शरण में जाना पड़ता है इस कानून के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई और पारसी केवल पोषक देखभाल के लिए बच्चे को ले जा सकते हैं पोषक देखभाल के अंतर्गत रह रहा बच्चा जब वयस्क यानी अट्ठारह वर्ष का हो जाता है, वह इन सभी संपर्कों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है इसके अलावा, ऐसे बच्चे के पास उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार नहीं होता विदेशी, जो भारतीय बच्चों को गोद लेना

चाहते हैं उन्हें उक्त कानून के अंतर्गत अदालत का सहारा लेना पड़ेगा

गोद लेने से संबंधित हिंदू कानून में संशोधन किया गया और उसे हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन पोषण–कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया, जिसके अंतर्गत कानूनी हैसियत से पुरुष अथवा हिंदू महिला पुत्र अथवा पुत्री को गोद ले सकती है एक नाबालिग बच्चे के अभिभावक के सवाल से निपटने में, जैसा कि अन्य क्षेत्रों के पारिवारिक कानून में है, कोई समान कानून नहीं है हिंदू कानून, मुस्लिम कानून और अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 तीन अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं जो प्रचलन में हैं एक अभिभावक स्वाभाविक अभिभावक हो सकता है, वसीयती अभिभावक हो सकता है अथवा अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक हो सकता है अभिभावक के सवाल का फैसला करने में दो पृथक बातों को ध्यान में रखना होगा- नाबालिग की शख्सियत और उसकी संपत्ति अक्सर एक ही व्यक्ति को दोनों नहीं सौंपे जाते हालांकि, पर्सनल लॉ (संशोधन) कानून, 2010 के जरिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 में संशोधन किया गया ताकि केवल अपने विवाहित होने के आधार पर पुत्र अथवा पुत्री को गोद लेने के लिए विवाहित महिला की अयोग्यता को समाप्त किया जा सके और यह व्यवस्था की जा सके कि पिता की सहमति से मां और पिता को मां की सहमति से अपने बच्चों को किसी को गोद देने के लिए सौंपने का समान अधिकार होगा

हिंदू अल्पमत और संरक्षकता कानून, 1956 ने अल्पमत और संरक्षकता से जुड़े हिंदुओं के कानूनों को विधिबद्ध किया है गैर विधिबद्ध कानून के मामले में इसमें पिता के उच्चतर अधिकार की पुष्टि की गई है इसमें निर्धारित किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक नाबालिग है मां के पूर्वगामी अधिकार को केवल पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखने के लिए मान्यता दी जाएगी नाजायज बच्चों के मामले में, तथाकथित पिता के मुकाबले मां का दावा अधिक होगा इस कानून में नाबालिग और उसकी संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया है, इसलिए अभिभावक के पद का दोनों पर नियंत्रण रहेगा मुस्लिम लॉ (शरीयत) के अंतर्गत, पिता प्रधान होता है इसमें अभिभावक के पद और संरक्षण में अंतर रखा गया है अभिभावक के पद के लिए, जिसका आमतौर पर संपत्ति के संरक्षक के रूप में उल्लेख होता है, सुन्नियों के अनुसार, पिता वरीय है और उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाहक यदि पिता द्वारा किसी निर्वाहक की नियुक्ति नहीं की गई है, तो दादा अभिभावक के पद की जिम्मेदारी उठाएंगे, न कि निर्वाहक दोनों मत हालांकि इस बात से सहमत हैं कि अपने जीवनकाल में पिता ही एकमात्र संरक्षक है पिता की मृत्यु के बाद भी मां को स्वाभाविक संरक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है स्वाभाविक संरक्षक के अधिकारों के संबंध में, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि पिता का अधिकार संपत्ति और बच्चे की शख्सियत दोनों पर है यहां तक कि जब मां नाबालिग बच्चे की संरक्षक होती है, पिता का देखरेख और नियंत्रण का सामान्य अधिकार बरकरार रहता है पिता हालांकि मां को वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है अतः, हालांकि मां को स्वाभाविक संरक्षक के रूप में पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन पिता की इच्छानुसार उसकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है

मुस्लिम लॉ इस बात की मान्यता देता है कि नाबालिग बच्चों को रखने का मां का अधिकार पूर्ण अधिकार है यहां तक कि पिता भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता दुर्व्यवहार एकमात्र ऐसी शर्त है जो मां को इस अधिकार से वंचित करती है किस आयु में संरक्षण में रखने का मां का अधिकार समाप्त होता है, शिया मत है कि मां का अधिकार केवल बच्चे के खड़े होकर चलने तक है जो बच्चे के दो वर्ष की आयु पूरी करने पर समाप्त हो जाता है, जबकि हनाफी मत है कि यह अवधि नाबालिग बच्चे के सात वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक रहती है लड़कियों के मामले में, शिया कानून मां के अधिकार का लड़की के सात वर्ष की उम्र हासिल करने तक समर्थन करता है और हनाफी मत उसके यौवन अवस्था तक पहुंचने को मानता है

अभिभावक के पद और संरक्षक के संबंध में सामान्य कानून अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 में निहित है इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पिता का अधिकार प्रमुख है और तब तक किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक पिता अस्वस्थ नहीं है यह कानून इसकी भी व्यवस्था करता है कि कानून के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति करते समय बच्चों के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाए हालांकि, पर्सनल लॉ (संशोधन) कानून, 2010 से अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 में संशोधन किया गया था ताकि मां को भी पिता के साथ बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए शामिल किया जा सके और अदालतें ऐसी स्थिति में नाबालिग बच्चे के अभिभावक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति न करें जब ऐसे नाबालिग के माता-पिता में से कोई एक अभिभावक स्वस्थ हो

भरण-पोषण

पति का अपनी पत्नी को संभालने का दायित्व विवाह की स्थिति से उत्पन्न होता है भरण-पोषण का अधिकार पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार न केवल पत्नी और आश्रित बच्चों का है, बल्कि गरीब माता-पिता और तलाकशुदा पत्नी का भी है पत्नी आदि के दावे, हालांकि पति के पास पर्याप्त साधन पर निर्भर करते हैं सभी आश्रित व्यक्तियों के लिए भरण पोषण का दावा 500 रुपये प्रतिमाह तक सीमित है, लेकिन इस सीमा को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संशोधन) कानून, 2001 द्वारा हटा दिया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत भरण-पोषण के अधिकार को शामिल करने का लाभ है कि तेज़ और सस्ता उपाय किया जा सकता है हालांकि, तलाकशुदा पत्नियां जिन्हें प्रचलित पर्सनल लॉ के अंतर्गत भुगतान किया गया धन प्राप्त होता है वह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं हैं

हिंदू कानून के अंतर्गत, पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन वह अपना अधिकार खो सकती है यदि वह शुचिता के रास्ते से भटक जाए भरण-पोषण के उसके अधिकार को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया है भरण-पोषण की राशि का आकलन करते समय, अदालत पति की दशा और देनदारियां जैसे विभिन्न कारणों को ध्यान में रखती है वह यह भी अनुमान लगाती है कि क्या पत्नी का पति से अलग रहना न्यायोचित है कानून में तर्कसंगत कारणों की व्याख्या की गई है भरण-पोषण (अनिर्णित मुकदमा) और यहां तक कि वैवाहिक मुकदमे का खर्च पति या पत्नी उठाएगी, यदि अन्य पति या पत्नी की अपनी सहायता के लिए कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं है यही सिद्धांत स्थायी भरण-पोषण के भुगतान को संचालित करता है

मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया है अथवा उन्होंने तलाक ले लिया है तथा इसके अतिरिक्त घटना से संबंधित समस्या को रखकर भरण-पोषण किया जाएगा यह अधिनियम अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी करता है कि तलाकशुदा महिला (क) पर्याप्त और न्यायपूर्ण भरण पोषण का प्रबंध पाने और उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के भीतर भुगतान करने; (ख) अपने जन्मे बच्चों के जन्म की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्व पति से पहले अथवा बाद में खुद भरण–पोषण करने; (ग) विवाह के समय अथवा मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी समय तय मेहर अथवा दहेज की रकम के बराबर उसे भुगतान करने पर सहमति; और (घ) विवाह से पहले अथवा विवाह के समय अथवा विवाह के बाद उसके रिश्तेदारों अथवा मित्रों अथवा पति अथवा पति के किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्र द्वारा उसे दी गई संपत्ति की हक़दार है

इसके अलावा, कानून में यह भी व्यवस्था है कि जहां कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद खुद का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है, मजिस्ट्रेट उसके रिश्तेदारों को निर्देश दे सकता है कि उसे पर्याप्त और न्यायपूर्ण भरण-पोषण दिया जाए क्योंकि मुस्लिम लॉ के अनुसार मृत्यु होने पर उसकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार हो सकता है वह तलाकशुदा महिला की जरूरतों, विवाह के दौरान उसके द्वारा भोगे गए जीवन स्तर के संबंध में उपयुक्त और जायज भरण-पोषण निर्धारित करेगा और महिला की ली गई पैतृक संपत्ति के आकार के अनुपात में ऐसे रिश्तेदारों की धन दौलत और उनके द्वारा दिए गए भरण-पोषण का भुगतान उस अवधि में करना होगा जिसका जिक्र मजिस्ट्रेट अपने आदेश में करता है

जहां ऐसी तलाकशुदा महिला के बच्चे होंगे, मजिस्ट्रेट ऐसे बच्चों को महिला को भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकता है और यदि बच्चे भरण-पोषण का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसी तलाकशुदा महिला के माता-पिता को भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं ऐसे रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में अथवा जहां ऐसे रिश्तेदार उसे भरण-पोषण देने की स्थिति में नहीं हैं, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 के अंतर्गत स्थापित उस इलाके के वक्फ बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जहाँ महिला रहती है

पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 निर्वाह खर्च और स्थायी निर्वाह खर्च, दोनों के लिए पत्नी के अधिकार को मान्यता देता है अदालत में लंबित वैवाहिक मुकदमे के दौरान निर्वाह खर्च के रूप में अदालत द्वारा अधिकतम राशि के संबंध में दिया गया आदेश, पति की कुल आमदनी का पांचवां हिस्सा होगा स्थायी भरण-पोषण के रूप में मात्रा तय करते समय, अदालत यह पता लगाएगी कि क्या न्यायोचित है, इसके लिए

वह पाते की भुगतान क्षमता, पत्नी की अपनी संपत्ति और संबद्ध पक्षों के आचरण को ध्यान में रखेगा आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक पत्नी पवित्र और अविवाहित रहती है तलाक अधिनियम, 1869, अन्य बातों के अलावा ईसाई पत्नी के भरण-पोषण अधिकारों से संचालित है इसके प्रावधान वही हैं जो पारसी कानून के हैं और भरण-पोषण की इज़ाज़त देते समय दोनों निर्वाह खर्च और स्थायी भरण-पोषण लागू होते हैं

उत्तराधिकार

1925 अस्तित्व में रहे निर्वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकार कानून को मज़बूत बनाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार कानून बनाया गया यह अधिनियम संघशासित पुदुदचेरी में लागू नहीं होता जबकि उत्तराधिकार के संबंध में कानून को मजबूत बनाते समय, दो योजनाओं, एक जिसका संबंध भारतीय ईसाइयों, यहूदियों और विशेष विवाह कानून, 1954 के अंतर्गत विवाहित व्यक्तियों की संपत्ति के उत्तराधिकार से था और दूसरा पारसियों के उत्तराधिकार से संबंधित था, को अपनाया गया

पहली योजना में, जो पारसियों के अलावा अन्य पर लागू की गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयत (वसीयत किए बिना) मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी और उसके नजदीकी वंश के लोग हैं, तो उसकी विधवा संपत्ति का एक-तिहाई नियत हिस्सा लेने की हक़दार है और नजदीकी वंश के लोग शेष दो-तिहाई हिस्सा लेने के हक़दार हैं विधवा महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने के लिए बाद में इस कानून में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जहां किसी व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी है और नजदीकी वंश का कोई नहीं है और संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, ऐसी स्थिति में विधवा महिला पति की पूरी संपत्ति की हक़दार है जहां संपत्ति का कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, वह चार प्रतिशत भुगतान पर ब्याज के साथ 5,000 रुपये ले सकती है और बची हुई संपत्ति में वह अपने हिस्से की हक़दार है यह कानून संपत्ति की वसीयत करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाता

दूसरी योजना के अंतर्गत, कानून में निर्वसीयत पारसियों के उत्तराधिकार के लिए व्यवस्था की गई है भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 1991 से इस कानून में संशोधन किया गया ताकि माता–पिता की संपत्तियों में पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा मिल सके चाहे वह पिता की हो अथवा माता की इसमें पारसियों के लिए यह भी व्यवस्था की गई कि वे बेरोकटोक किसी धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्य से अपनी संपत्ति वसीयत में दे सकते हैं वास्तव में संशोधित कानून में यह व्यवस्था की गई कि जब किसी पारसी की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति और बच्चे रह जाते हैं, उसकी संपत्ति का विभाजन होगा ताकि विधवा, विधुर और प्रत्येक बच्चे को समान हिस्सा मिल सके इसके अलावा, जब किसी पारसी की मृत्यु के बाद उसके परिवार में एक या दोनों माता-पिता, विधवा/विधुर रह जाते हैं, संपत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि माता-पिता या माता अथवा पिता को प्रत्येक बच्चे की संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाएगा

इस कानून में संशोधन भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2002 द्वारा किया गया यह महसूस किया गया कि मुख्य कानून की धारा 32 विधवाओं के लिए भेदभावपूर्ण है और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए धारा 32 के प्रावधानों को हटा दिया गया इस संशोधित कानून द्वारा धारा 213 में भी संशोधन किया गया ताकि ईसाइयों को भी अन्य समुदायों के बराबर लाया जा सके

हिंदुओं, बौद्धों, सिखों अथवा जैनियों के बीच वसीयतनामे से जुड़ा कानून कुछ प्रतिबंधों का विषय है और भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925 तीसरी अनुसूची के अंदर समझा जाए की धारा में संशोधन किए गए हिंदुओं में निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इसका पूरे भारत में विस्तार हुआ कानून की उल्लेखनीय विशेषताओं में महिला द्वारा बिना वसीयत वाली संपत्ति का पुरुषों के बराबर उत्तराधिकार हासिल करने के अधिकार को मान्यता देना था इसमें इस व्यवस्था को समाप्त किया गया कि महिला वारिस के जीवनकाल तक ही उसके पास संपत्ति का स्वामित्व रहेगा साथ ही (देखें हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005), हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में संशोधन किया गया ताकि एक संयुक्त हिंदू संपत्ति में सह-समांशभागी पुत्री को समान हिस्सा मिल सके

भारत में अधिकांश मुसलमान सुन्नी कानून के हनाफी मत का अनुसरण करते हैं अदालतों का मानना है

कि मुसलमान तब तक हनाफी कानून के अधीन हैं जब तक यह स्थापित न हो जाए कि वह असंगत है हालांकि शिया और सुन्नी मतों के बीच अनेक विशेषताएं सर्वनिष्ठ हैं, लेकिन कुछ बातों में मतभेद हैं सुन्नी कानून कुरान की उत्तराधिकार की आयतों को इस्लाम पूर्व व्यावहारिक कानून के जोड़ के रूप में मानता है उसने पुरुष पूर्वजों की श्रेष्ठ स्थिति को सुरक्षित रखा है हिंदू और ईसाई कानूनों के विपरीत, मुस्लिम कानून किसी व्यक्ति के वसीयत के अधिकार पर रोक लगाता है एक मुसलमान अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई वसीयत में दे सकता है वारिस की इज़ाज़त के बिना किसी अजनबी को वसीयत देना वैध है यदि वह संपत्ति के एक-तिहाई से अधिक नहीं है, लेकिन किसी वारिस को अन्य वारिसों की मंजूरी के बिना वसीयत में देना अमान्य है उत्तराधिकार प्रारंभ करने के बाद वसीयत देने के लिए वारिस की मंजूरी अवश्य ली जानी चाहिए और वसीयत देने वाले को वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान वसीयत देने की मंजूरी को उसकी मृत्यु के बाद लौटाया जा सकता है शिया कानून में मुसलमानों को प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए वसीयत देने की आजादी है

आनंद विवाह *(संशोधन)* कानून, *2012*

सिखों के विवाह अधिकार जिन्हें आनंद कारज कहा जाता था, उसकी वैधता के संदेहों को मिटाने के लिए आनंद विवाह कानून, 1909 बनाया गया और इसमें विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं प्रदान की गई हिंदू विवाह कानून, 1955 धर्म द्वारा सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों अथवा सिखों पर लागू होता है यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं है बशर्ते वे यह स्थापित न कर दें कि वे इस कानून से पहले हिंदू कानून, रीति रिवाजों और परिपाटियों से नियंत्रित नहीं थे हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था है और क्योंकि हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 2 के अंतर्गत सिखों को हिंदुओं की परिभाषा में शामिल किया गया है, सिख विवाह रस्म के अनुसार होने वाले सिख विवाह जिसे आनंद कहा जाता है अथवा अन्य प्रचलित रस्मों को यहां हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है

हालांकि देखें आनंद विवाह (संशोधन) कानून, 2012, आनंद विवाह कानून, 1909 में संशोधन किया गया ताकि आनंद कराज के रूप में मशहूर आनंद विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था हो सके

चुनाव कानून और चुनाव सुधार

संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के संबंध में कानूनः (i) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950; (ii) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951; (iii) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव कानून, 1952; (iv) परिसीमन कानून, 2002; (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद कानून, 2005; और (vi) तमिलनाडु विधान परिषद कानून, 2010 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि संबंधी विभाग द्वारा प्रभाव में लाया जाएगा

हमारे देश की चुनाव प्रणाली जिसे चुनावों का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, उसके छियासठ वर्ष पूरे हो चुके हैं

देश में लगातार बदलते चुनावी परिदृश्य ने अनेक अवसरों पर चुनाव कानूनों में सुधार को आवश्यक बना दिया चुनावों के दौरान हुए अनुभवों, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक दलों, जानी-मानी हस्तियों समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रस्तावों और विधायिकाओं और विभिन्न सार्वजनिक निकायों में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकारों ने समय-समय पर अनेक उपाय किए ताकि चुनाव सुधार किए जा सकें; हालांकि चुनाव सुधारों के व्यापक पैकेज के असर की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता वर्तमान में समग्रता के साथ चुनाव सुधार का मुद्दा भारत के विधि आयोग के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा जा चुका है विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने पर साझेदारों के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श कर इसकी जांच की जाएगी

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

प्रतिनिधित्व व्यवस्था में लोक सभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवधिक पुनर्व्यवस्थापन अनिवार्य है जहां एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए किया जाता है

पिछली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव संबंधी सीमाएं तय की जाती हैं और यह तुलनात्मक रूप से आबादी के बराबर होती हैं समान रूप से बसे हुए निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं को विधायिका में समान महत्व के मत डालने का अधिकार प्रदान करता है जिन निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में बहुत परिवर्तन आया है- जिस स्थिति को खराब विभाजन कहा जाता है- वह लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, सभी मतदाताओं को समान महत्व के मत डालने का अधिकार हो परिसीमन और चुनाव संसदीय लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं

भारत के पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, दूसरे का 1962 में और तीसरे का 1973 में किया गया था 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का तीसरा प्रयोग वर्ष 1975 में पूरा हुआ वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित है, जिसे 30 वर्ष बाद हाथ में लिया गया जनसंख्या में करीब 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और देश में निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति कुल मिलाकर खराब विभाजन वाली है

सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति योजना के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम में राज्य सरकारों के निर्भीक होकर लगे रहने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के प्रेरक उपायों में वर्ष 2026 तक ताजा परिसीमन का काम हाथ में लेने पर वर्तमान संवैधानिक रोक को बढ़ाने का फैसला किया यह भी फैसला किया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्व्यवस्थापन और उसकी बुद्धिसंगत व्याख्या करने का कार्य एक साथ हाथ में लिया जाए राज्यों के विधानमंडलों के लिए आवंटित सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना इनमें वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया जाए ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी/मतदाताओं की असंगत वृद्धि के कारण उत्पन्न असंतुलन को ठीक किया जा सके संविधान (चौरासीवां संशोधन) कानून, 2001 को 2002 में कानून बनाया गया इसके पश्चात परिसीमन कानून 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया और भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बी.बी.टंडन को इसका पदेन सदस्य नियुक्त किया गया आयोग का प्रमुख कार्य प्रत्येक राज्य में निचले सदन में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के खंडों की सीटों के क्षेत्रीय स्तर पर बंटवारे का पुनर्व्यवस्थापन करना था इसके बाद संविधान (सत्तासीवां संशोधन) कानून, 2003 लागू किया गया और इस कानून के जरिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बदलकर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दिया गया

हालांकि परिसीमन के नियम देशभर में अलग हैं, आमतौर पर सीमांकन का कार्य एक जैसा है भारत में सीमांकन के कार्य के लिए आमतौर पर आवश्यक है: (क) राज्यों और राज्य के भीतर को सीटों का आवंटन; (ख) मानचित्रों, आबादी के आंकड़ों और संबद्ध इलाके की भौगोलिक/प्राकृतिक/प्रशासनिक स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को दर्ज कर एक डेटाबेस तैयार करना; (ग) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सांविधिक प्रतिनिधियों को जोड़ना; (घ) राज्यों और जिलों को भौगोलिक इकाइयों में बांटना जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है; (ङ) परिसीमन की प्रक्रिया में सार्वजनिक सहयोग के लिए विस्तृत अभ्यास; (च) निर्वाचन क्षेत्रों का सार और मूल्यांकन; और (छ) अंतिम आदेश को पारित और प्रकाशित करना निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन कानून, 2002 में स्पष्ट व्याख्या की गई है यह कानूनी रूपरेखा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परिसीमन आयोग की व्यवस्था करती है आयोग के अंतिम आदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार के सुधार अथवा वीटों का विषय नहीं हैं

परिसीमन आयोग पारदर्शी तरीके से कार्य करता है इसके लिए कार्य पद्धति और दिशा-निर्देश स्पष्ट तौर पर स्थापित किए गए हैं और पहले से प्रकाशित कर लिए गए हैं निर्वाचन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करते समय आयोग ने जहां तक व्यावहारिक हो-आपस में एक-दूसरे में रुचि रखने वाले समुदायों जैसे जहां एक तरह के आदिवासी, जाति अथवा नस्ल के लोग हैं और जिन्हें भौगोलिक दृष्टि से अथवा प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, जंगलों, नदियों आदि द्वारा परिभाषित किया गया है, को ध्यान में रखा है आयोग ने संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया है संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे प्रावधान और अनुच्छेद 170 की उपधारा (3) के दूसरे प्रावधान के पालन में परिसीमन की अंतिम स्थिति प्राप्त होने के बाद, 19 फरवरी 2008 को राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देशभर में नये परिसीमन को प्रभावी बनाया गया हालांकि परिसीमन कानून, 2002 की धारा 10(बी) ने झारखंड राज्य के संबंध में 2007 के परिसीमन आदेश के कानूनी प्रभाव को निरस्त कर दिया

परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आदेशों के बारे में निर्दिष्ट तिथि की अधिसूचना देने वाले राष्ट्रपति के आदेश के जारी होने के साथ, अमल में आने पर, यह जरूरी हो गया कि संबद्ध प्रावधानों और परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित परिसीमन आदेशों के जरिए किए गए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने वाले जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जाए फलस्वरूप, पड़ने वाली जरूरतों के रूप में, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करते हुए परिसीमन की सहमति के साथ जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) कानून, 2008 बनाया गया जो 16 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हो गया इस संशोधन कानून के जरिए अन्य संशोधनों सहित जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में अन्य बातों के साथ एक नई धारा 8(ए) को शामिल किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नगालैंड राज्यों में वर्तमान स्थिति और हालात परिसीमन का कार्य कराने के लिए हितकर हैं, तो वे, आदेश द्वारा, इनमें से किसी भी राज्य के संबंध में परिसीमन कानून 2002 की धारा 10(ए) के अंतर्गत जारी स्थगन आदेश को रद्द कर सकते हैं और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों में परिसीमन का कार्य कराने की व्यवस्था कर सकते हैं इसके अलावा, भारत के निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की उप-धारा (धारा 8(ए) के 2) के अनुसार उपर्युक्त चार राज्यों के संबंध में जल्द से जल्द ताजा परिसीमन का काम हाथ में ले, जो हो सकता है कि इन राज्यों के संबंध में स्थगन आदेशों को रद्द करने के बाद कराया जाए परिसीमन का कार्य नये सिरे से शुरू किया जाएगा जब इन राज्यों में परिसीमन का कार्य कराने के लिए स्थिति हितकर होगी

राष्ट्रपति के 2008 के आदेश के जारी होने के बाद, परिसीमन आयोग ने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार और गुजरात राज्यों के संबंध में अपने पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए आठ (8) आदेश/शुद्धिपत्र जारी किए

महिलाओं के लिए सीट आरक्षण

पिछले कई वर्षों से संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु लगातार मांग उठती रही है 1992 में किए गए संविधान संशोधन 73 और 74 में ऐसी ही मांग को समर्थन दिया गया इसके आधार पर संसद और राज्य विधायिकाओं में सीट आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल देश में प्रयोग के आधार पर 1982 में शुरू किया गया ईवीएम के सार्वभौमिक इस्तेमाल में दो दशक से अधिक समय लगा और 2004 में लोक सभा चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया इसके बाद से लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के आदेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) ने 1989 में ईवीएम विकसित की

मतदाता फोटो पहचान-पत्र

निर्वाचन आयोग ने 1993 में देशभर में मतदाता फोटो पहचान-पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनावों में जाली मतदान को रोका जा सके पंजीकृत मतदाता को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है मतदाता सूची को आमतौर पर चुनाव संबंधी तारीख के रूप में हर वर्ष पहली जनवरी से संशोधित किया जाता है भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र इस तारीख को 18 वर्ष या अधिक है वह मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है एक बार उसके मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने पर, उसे मतदाता पहचान-पत्र मिल जाएगा मतदाता पहचान–पत्र जारी करने की योजना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती

हालांकि ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान-पत्र जल्द से जल्द जारी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुके हैं इनमें से कुछ प्रयास इस प्रकार हैं: (i)

सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान; (ii) मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए मतदाताओं को अपनी फोटो की प्रतियां देने की इज़ाज़त; (iii) फोटो एकत्र करने और सभी मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति; (iv) मतदाताओं के नामांकन और मतदाता पहचान-पत्र बनाने पर विशेष ध्यान देने के लिए 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित; (v) मतदाता पहचान–पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी मतदाता को देने के लिए विशेष प्रचार अभियान शुरू; और (vi) यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मतदाता पहचान-पत्र संख्या एक बार जारी हो जाने पर यह मतदाता के पूरे जीवनकाल में वैध रहेगी चाहे उसका पता बदल जाए

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार

जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 19 में व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र चुनाव संबंधी तारीख पर 18 वर्ष से कम नहीं है और वह निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतः निवासी है वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हक़दार है ‘साधारणतः निवासी’ का अर्थ इस अधिनियम की धारा 20 में दिया गया है मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका में अध्याय-III के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा रोज़गार के सिलसिले में देश से बाहर गया है उसे उस स्थान से बाहर निकला हुआ माना जाएगा किसी इमारत अथवा किसी अन्य अचल संपत्ति का केवल स्वामित्व होने से मालिक को निवासी होने की योग्यता नहीं मिलती

बड़ी संख्या में भारत के नागरिक विभिन्न कारणों से भारत से बाहर रह रहे हैं वे लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाए

सरकार ने मांग के सभी पहलुओं पर विचार किया और फलस्वरूप 27 फरवरी, 2006 को राज्य सभा में जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2006 पेश किया ताकि उन भारतीय नागरिकों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकें जहां के वे साधारणतः निवासी हैं और जिसका जिक्र उनके पासपोर्ट में है तथा जो रोज़गार, शिक्षा अथवा किसी अन्य सिलसिले में बाहर होने के कारण अपने सामान्य निवास में उपस्थित नहीं हैं ताकि वे चुनाव के समय यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान कर सकें

स्थायी समिति की सिफ़ारिशों का पालन करते हुए सरकार ने राज्य सभा में 27 फरवरी, 2006 को पेश किए गए जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 को वापस ले लिया और अन्य बातों के साथ एक नया विधेयक जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2010, अगस्त 2010 में पेश किया ताकि जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन किया जा सके जिससे : (क) प्रबंध किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है और जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिली है और जो अपने रोज़गार, शिक्षा अथवा किसी अन्य कारण से भारत में अपने साधारणतः निवास स्थान में उपस्थित नहीं है और भारत के बाहर है (चाहे अस्थायी तौर पर अथवा नहीं), वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हक़दार है जहां भारत में उसका निवास है जिसका जिक्र उसके पासपोर्ट में किया गया हो; (ख) प्रबंध किया गया है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूचियों में संशोधन करे और यथोचित सत्यापन के बाद मतदाता सूचियों में नाम शामिल करे; और (ग) केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करे कि वह भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह करने के बाद, नियमों द्वारा, उस समय के अंदर बताए जिसमें ऊपर उप पैरा में दिए गए लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकें और ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का तरीका और प्रक्रिया बताई जाए

इस विधेयक ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) कानून, 2010 के रूप में कानून का रूप लिया इस कानून के प्रावधानों का पालन करके केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग की सलाह से 3 फरवरी, 2011 को मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 और 23 फरवरी, 2011 को मतदाता पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम 2011 तैयार किया और उसे प्रकाशित किया केंद्र सरकार कानून को फरवरी 2011 में अमल में लाकर आवश्यक अधिसूचना जारी कर चुकी है विदेशों में रहने वाले भारतीय अब स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करके अपने संबद्ध निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षण

हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य को लेकर पूरी तरह से सचेत थे कि हमारे समाज में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विगत कई सदियों से शोषित रहे हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी स्थिति में व्यापक सुधार हो सके इसलिए हमारे संविधान में कई विशेष प्रावधानों को समाहित किया गया ऐसा एक प्रावधान लोक सभा और राज्य विधान परिषदों में इन जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा था संविधान की धाराओं 330 और 332 में इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है इसी तरह, संविधान निर्माता आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों की संभावी समस्याओं को लेकर भी संवेदनशील थे नतीजतन, समाज के इस छोटे हिस्से को उचित प्रतिनिधित्व देने के उपाय किए गए संविधान की धारा 331 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को संसद में नामांकित करते हैं

इसी तरह, जहां भी आवश्यकता हो, राज्य विधान सभाओं में भी इस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करने के अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होते हैं आरंभ में, यह प्रावधान संविधान निर्माण के पहले दस वर्षों के लिए ही निर्धारित किए गए थे हालांकि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, फिर भी, यह समुदाय अन्य समुदायों से काफी पीछे हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी इस समुदाय के नुमाइंदे, अपने दम पर, उचित संख्या बल के साथ चुन कर प्रतिनिधि के तौर पर सामने नहीं आ सके हैं कुछ ऐसे ही, आंग्ल-भारतीय समुदाय के भी लोग हैं जिन्हें राजनीतिक हलकों में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए लिहाज़ा, संविधान निर्माण के साथ निर्धारित दस वर्षों के प्रावधान को समय-समय पर बढ़ाया गया है हाल में, 2009 के संविधान विधेयक (109वां संशोधन) की अवधि को संसद के दोनों सदनों में अगले दस वर्षों तक बढ़ाने के लिए पारित किया गया और इसे जनवरी 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली इस तरह, उपर्युक्त 2009 का संविधान विधेयक (109वां संशोधन) अमल में लाया गया

21 श्रम, कौशल विकास और रोजगार



श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है सामान्य श्रमिकों के साथ-साथ विशेष रूप से समाज के निर्धन, वंचित एवं उपेक्षित वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा कर उन्हें संरक्षण देना इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व है इसके अलावा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करना एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सेवाओं का विकास एवं समन्वय करना मंत्रालय का लक्ष्य है उदारीकरण की प्रक्रिया में साथ-साथ चलने व बने रहने के लिए मंत्रालय का ध्यान श्रम कल्याण के संवर्धन और उन्हें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है यह विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के माध्यम से प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है जिनके द्वारा श्रमिकों के रोज़गार और सेवा शर्तों को नियमित एवं नियंत्रित किया जा सके भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं

वेबसाइट: www.labour.gov.in

नई पहलें

राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना

राष्ट्रीय रोज़गार सेवा को रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं, प्रशिक्षुता इत्यादि का प्रदाता में रूपांतरित करने के लिए मंत्रालय मिशन मोड में राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना लागू कर रहा है एनसीएस का पोर्टल (www.ncs.gov.in) 2015 से चल रहा है एनसीएसपी की सहायता के लिए प्रत्येक मंगलवार से रविवार तक (प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक) एक समर्पित बहुभाषी हेल्पडेस्क उपयोगकर्ताओं की सहायता हेतु 18004251514 पर उपलब्ध है इस हेल्पडेस्क में 3600 से अधिक आजीविकाओं के बारे में अच्छी-खासी जानकारी उपलब्ध है

सभी रोज़गार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल से परस्पर जोड़ने के लिए एनसीएस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सेवाएं दी जा सके योजना में राज्यों को अपने आईटी तंत्र को अद्यतन करने एवं रोजगार मेलों का आयोजन करने के लिए अपने रोज़गार कार्यालयों की सूक्ष्म पुनर्सज्जा हेतु आंशिक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय 2016-17 से ही प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत कराने के लिए सभी नवनियुक्त कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में पहले तीन वर्ष तक 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी इससे नियोक्ताओं को बेरोज़गार व्यक्तियों को नियुक्ति देने एवं अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति देने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा यह योजना 15,000 रुपये प्रतिमाह की आय

वाले व्यक्तियों पर लागू होगी इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है

श्रम निरीक्षण योजना

जोखिम कर्म मानकों के आधार पर किए गए निरीक्षणों की आकस्मिक क्रम रहित अनिवार्य कंप्यूटरीकृत सूची बनाई जाती है

1. गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण की सूची के अनुसार देखा जाता है
2. शिकायत मिलने के उपरांत आंकड़ों और साक्ष्यों की जांच के बाद केंद्रीय स्तर पर जांच का निर्णय लिया जाता है
3. जांच किए जाने के 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा

श्रम सुविधा पोर्टल

श्रम कानूनों को लागू करने और उनके सुगम अनुपालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत वेब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है यह मंत्रालय के अधीन कार्यरत चार प्रमुख संगठनों की आवश्यकताएं पूरी करता है ये संगठन हैं: प्रमुख श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय), महानिदेशक खान सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम

एकल समेकित वार्षिक विवरणी

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने आठ श्रम कानूनों (अधिनियमों) के लिए एकल समेकित वार्षिक विवरण शुरू की है इससे विभिन्न उपक्रमों (औद्योगिक इकाइयों) को अलग-अलग विवरणी भर कर देने की बजाय सरलीकृत एकल ऑनलाइन विवरणी भरकर जमा करने में आसानी होगी ये कानून हैं: (1) वेतन/मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; (2) न्यूनतम वेतन/मजदूरी अधिनियम, 1948; (3) अनुबंध श्रमिक (पंजीकरण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970; (4) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; (5) भवन निर्माण व अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996; (6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; (7) अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोज़गार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा (8) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

सामान्य पंजीकरण

पांच केंद्रीय श्रम कानूनों (अधिनियमों) के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण की सुविधा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-ब्रिज पोर्टल पर विकसित की गई है इसके अंतर्गत आने वाले अधिनियम (कानून) इस प्रकार हैं कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; भवन निर्माण व अन्य निर्माण श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1996; अनुबंध श्रमिक (पंजीकरण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1979

श्रम संहिता

मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन (लागू करने) में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ करना एवं एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए प्रेरित होकर नियमों का पालन करने वाला बनाना है प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रशासन में सुधार लाना और वर्तमान श्रम कानूनों का सरलीकरण, उन्हें तर्कसंगत बनाना एवं मिला कर चार संहिताओं में लिपिबद्ध करके विधायी सुधार करना इन कदमों में शामिल है

विधायी पहलें

ड्राफ्ट लघु उद्योग विधेयक

इस विधेयक में 40 से कम श्रमिकों वाली लघु उत्पादन इकाइयों में श्रमिकों के लिए कार्य और सेवा शर्तों के नियमन का प्रावधान है यह विधेयक इन लघु उद्योगों के लिए छह श्रमिक कानूनों को आपस में मिलाने, उनके सरलीकरण और उन्हें तर्कसंगत बना कर उन्हें एक स्थान पर रखने का प्रावधान करता है यह विधेयक लघु उद्योगों के संचालन को आसान बनाते हुए उन्हें और अधिक रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगा

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व तथा नौकरी के समय दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सहायता देने के लिए 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1952 से लागू ईएसआई योजनाओं को चला रहा है उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

ईएसआईसी का स्वास्थ्य सुधार एजेंडाः स्वास्थ्य सुधार एजेंडा (प्रारूप) की पूरी श्रृंखला लागू की गई इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ईएसआई लाभार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों की ऑनलाइन (बीमित व्यक्ति और उनके आश्रित परिवारी सदस्य;
- अभियान इंद्रधनुषः सप्ताह के दौरान प्रतिदिन 'वीआईबीजीवाईओ आर' प्रकार से बिस्तर की चादर बदलना;
- आपात स्थिति में एवं ईएसआई अस्पताल की कैजुअल्टी/इमरजेंसी से निर्देश प्राप्त करने के लिए चिकित्सा हेल्पलाइन नं. 1800113839;
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक खंड;
- ईएसआई अस्पतालों में अपराह्न में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष ओपीडी

ईएसआईसी 2.0 की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: चरणबद्ध रूप में औषधि वितरण केंद्रों को छह बिस्तरों वाले अस्पतालों में उच्चीकृत करना, विभिन्न स्तरों पर अस्पतालों में पर्याप्त एवं उचित कैंसर, हृदय रोग के निदान व उपचार, योग सुविधाओं का प्रावधान, सभी ईएसआईसी अस्पतालों में पीपीपी आधार पर डायलिसिस सुविधाएं देना, अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा उपलब्ध सुविधाओं को उच्चीकृत करके सभी संभव पैथोलॉजी सुविधाओं का प्रावधान, रोगियों के सुगम पंजीकरण और औषधि वितरण के लिए प्रत्येक अस्पताल में पंक्ति प्रबंध प्रणाली, रोगियों/उनकी सुश्रुषा (तीमारदारी) में लगे व्यक्तियों को संभालने के कार्य में सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए अस्पतालों के गैर-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों को व्यवहारजन्य प्रशिक्षण देना, सभी अंतरंग (भर्ती) रोगियों के लिए फीडबैक प्रणाली, अस्पताल में आने वाले लोगों को उचित दिशानिर्देशों एवं सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए सभी ईएसआईसी अस्पतालों में आवश्यक स्थानों पर आकर्षक दिशापट्ट लगाना, डिस्पेंसरी स्तर पर विभिन्न चरणों में आयुष (एवाईयूएसएच) सुविधाओं का विस्तार, लाभार्थियों के लिए विभिन्न चरणों में टेली-मेडिसिन सुविधा का प्रावधान

डिजिटल भारत-ईएसआईसी की ई-पहलें

ई-बिज प्लेटफॉर्म: ईएसआईसी केंद्र सरकार का ऐसा पहला संगठन था जिसने अपनी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने और वित्तीय लेन-देन की लागत घटाने के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण करने लिए नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के ई-बिज पोर्टल के माध्यम का उपयोग किया है

ई-पहचानः आधार संख्या को बीमा संख्या से जोड़कर बीमित व्यक्ति की पहचान आधार संख्या से करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है इससे बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों द्वारा सभी प्रकार के लाभों की सुविधा लेते समय विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पहचान की प्रक्रिया सरल हो गई है इससे बीमित व्यक्ति और

उसके आश्रितों को अपने बायोमीट्रिक कार्ड जारी करवाने के लिए आवश्यक बायोमीट्रिक पहचान देने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की बोझिल प्रक्रिया से बच सकेंगे

आईपी के लिए मोबाइल एप: विभाग के आईपी के लिए एक मोबाइल एप 'आस्क एंड अप्वाइमेंट' (एएए +) की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी रोगी को वास्तव में अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर से ऑनलाइन अप्वाइमेंट मिल जाएगा

शासकीय निर्देशों का समावेशनः जीईएम, ई-ऑफिस से संबंधी विभिन्न शासकीय निर्देशों का या तो समावेशन कर लिया गया है अथवा उनके समावेशन, अनुकूलन और अंगीकरण की प्रक्रिया चल रही है

आईपी का सशक्तीकरण: एक व्यवस्था ऐसी भी की गई है जिसके द्वारा श्रमिक यह जान सकते हैं कि वे इस योजना में शामिल हैं/नहीं हैं/उनकी उपस्थिति/वेतन/दिहाड़ी/नियोक्ता द्वारा जमा कराए गए अंशदान की क्या स्थिति है आईसीटी प्रभाग ने बदलते व्यवसाय नियमों एवं परिवेश को ध्यान में रखने के साथ ही ईएसआईसी की तीव्र गति से बढ़ती हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक अपनी व्यवस्था का उच्चीकरण कर लिया है इसके अंतर्गत, (क) नए कार्यान्वित क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए घटी हुई दर पर अंशदान का समावेशन, (ख) वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा कर 21,000 रुपये किए जाने का समावेशन, (ग) ईएसआई अंशदान के भुगतान की तिथि को माह समाप्त होने के बाद 15 दिन आगे किया जाना शामिल है

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 12 महीने के स्थान पर 24 महीने मिलेगा आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए अंशदान करने की पात्रता की शर्त भी अब तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए अब नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के अंशदान का भुगतान अब शुरुआती दस वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों व संस्थानों में कार्यरत सभी स्थायी दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर विचार किए बगैर नियोक्ता द्वारा देय अंशदान पर शुरुआती दस वर्षों के लिए छूट मिलेगी

प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए ईएसआईसी ने 'एक आईपी-दो डिस्पेंसरी' नाम से एक नई योजना शुरू की है अब अपने नियोक्ता के माध्यम से कोई भी श्रमिक/कर्मचारी दो डिस्पेंसरियां चुन सकेगा- एक अपने लिए तथा दूसरी अपने उस परिवार के लिए जो देशभर में कहीं भी किसी दूसरे स्थान पर रह रहा हो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संविधान की अनुसूची-1 में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है

यद्यपि ईएसआईसी के कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों में निगरानी करने के लिए उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत निर्देशपालन अनुरक्षण (निगरानी) प्रणाली के रूप में सहायता उपकरण (प्रकल्प) उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन उन निर्देशों का पालन कराने वाली व्यवस्था के पास इन संस्थानों की पहचान करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की थी इसके कारण कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों का विलंब से निरीक्षण हो रहा था क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगियां आने लगी थीं और इसका कारण यह था कि ये संस्थान पिछली तारीखों से कार्यक्षेत्र में आने योग्य पाए गए किंतु इन्होंने नियमानुसार देय बकाया राशि, ब्याज के भुगतान और देरी से जुर्माने सहित बकाया राशि जमा कराने और मुकदमेबाजी से जुड़ी पिछली दावेदारियों का जिम्मा लेने से इंकार कर दिया था यह अधिनियम अपने-आप ही लागू किया जा सकता है और इसके न मानने पर किसी भी कारण से उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में अनुसूची में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन

योजना और बीमा कोष का प्रावधान है

भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करवाती है तथा निम्नलिखित तीन योजनाएं इसके अंतर्गत बनाई गई हैं:

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, तथा कर्मचारी-बचत से जुड़ी बीमा योजना, 1976

पेंशन सुधार

न्यूनतम पेंशन के क्रियान्वयन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया केंद्र सरकार श्रमिक/कर्मचारी के परिवार जनों/विधवा(विधुर)/अक्षम/नामित आश्रित अभिभावक पेंशनरों को 1000 रुपये प्रतिमाह, अनाथ पेंशनरों को 750 रुपये प्रतिमाह और अल्प वयस्क बालक/बालिका पेंशनरों को 250 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दे रही है

न्यूनतम पेंशन अधिघोषणा के लागू होने के बाद ऐसे सभी परिवार सदस्यों/विधवा(विधुर)/ अक्षम/नामित आश्रित अभिभावक पेंशनरों, जिनकी मूल पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम थी, को भी न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे सदस्यों को मिलने वाले लाभों में से की जाने वाली कटौती पेंशन के लिए दावा किए जाते समय प्राप्त कंयूटेशन, पूंजी की वापसी और लघु अवधि सेवा जैसे विकल्प के भुगतान के अनुसार ही होगी

ऑनलाइन पंजीकरण

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए अपने संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है

सार्वभौमिक खाता संख्या

ईपीएफ खाताधारकों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर-यूएएन) की औपचारिक शुरुआत 2014 में हुई थी रोज़गार/जीविका में परिवर्तन होने पर यूएएन की स्वतः संवहनीयता ही इसकी अंतर्निहित विशेषता है बशर्ते कि कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से 'अपने उपभोक्ता को जानें' विवरणों में अपने यूएएन को सक्रिय करवा ले

औद्योगिक संबंध

केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में औद्योगिक विवादों के संदर्भ में न्यायिक निर्णयों हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत बाइस केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)-सह-श्रम न्यायालयों का गठन किया गया है वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के कारण उत्पन्न होने वाली अपीलों के निस्तारण का अधिकार भी इन न्यायाधिकरणों को दिया गया है ये न्यायाधिकरण धनबाद (झारखंड), मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्णाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में एक-एक न्यायालय है साथ ही मुंबई और कोलकाता के दो औद्योगिक न्यायाधिकरण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं

विलंबित मुकदमों की संख्या कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) (सीजीआईटी) वैकल्पिक शिकायत निस्तारण प्रणाली के रूप में लोक अदालतों का भी आयोजन कर रही है

बाल श्रम

बाल श्रम बहुत चिंता का विषय है और केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है समस्या के आकार और प्रकृति को देखते हुए सरकार सुदृढ़ बहु-संतति योजनाओं पर अमल कर रही है इनमें वैधानिक एवं

विधिक उपाय, बचाव एवं पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा के साथ, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उपशमन तथा रोज़गार सृजन योजनाएं निहित हैं इस कवायद का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें परिवारों को अपने बच्चों को काम पर न भेजना पड़े सरकार ने सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बच्चों को निकालने और उनका पुनर्वास करने की नीति अपनाई है

बाल श्रम पर नीति

अगस्त 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति इस जटिल एवं उलझे हुए विषय का व्यापक, समग्र और समन्वित रूप में समाधान करती है इस नीति की कार्ययोजना बहु-आयामी है और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

विधायी कार्ययोजना; बाल श्रम के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्यवाही तथा ऐसे श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना

विधायी कार्ययोजना

विधायी कार्ययोजना के अंतर्गत बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में लागू हुआ था अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 18 पेशों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोज़गार देने पर प्रतिबंध लगाया गया था इसके अनुसरण में केंद्र सरकार ने बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया नया अधिनियम 2016 से ही लागू हो गया था इस संशोधन में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के पेशे और प्रक्रिया में काम पर रखने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था और रोज़गार पर प्रतिबंध की आयु को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु से जोड़ना; जोखिम वाले कार्यों अथवा प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष के)के रोज़गार पर प्रतिबंध और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं को कठोर दंड की व्यवस्था; राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुपालन में बाल श्रम के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में बाल श्रम से छुड़ाए बच्चों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) शुरू की गई यह केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत चलने वाली सतत योजना है और वर्तमान में देश के 270 जिलों में स्वीकृत की गई है इस योजना के अंतर्गत बाल श्रमिक सर्वेक्षण के माध्यम से कामगार बाल श्रमिकों को छुड़वाकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है जहां पढ़ते हुए उन्हें कालांतर में मुख्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने का परिवेश और अवसर मिलता है इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति, पूरक पोषाहार, व्यावसायिक शिक्षा और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलती है

निर्धनता ही ऐसी सामाजिक बुराइयों की जड़ है अतः ऐसे बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास उनके परिवारों का आर्थिक पुनर्वास करके किया जाता है इसके लिए समाभिरूपता नीति के अंतर्गत उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं के लाभ दिए जाते हैं

एनसीएलपी योजना का आरटीई अधिनियम, 2009 के साथ पुनः संयोजन

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के लागू होने के साथ ही एनसीएलपी योजना को आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के साथ पुनः संयोजित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी आरटीई अधिनियम के उपबंध-4 और बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसार अब एनसीएलपी विद्यालय अभी तक अपंजीकृत और विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं केंद्रीय अधिनियमों की सूची के अध्याय-1 में क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का वर्ष 2016 से नाम बदल कर उसे अब 'बाल एवं किशोर श्रम' (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कर दिया गया है

बंधुआ श्रमिक

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए 1978 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को समान अनुपात में (50:50) केंद्रीय अनुदान सहायता दी जाती है इस योजना को वर्ष 2000 में जबरदस्त रूप से संशोधित कर दिया गया ताकि जिले के आधार पर बंधुआ श्रमिकों की पहचान, जागरुकता बढ़ाने वाली गतिविधियों और उनका मूल्यांकन करने वाले अध्ययनों के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जा सके पुनर्वास अनुदान राशि को भी 10,000 प्रति बंधुआ श्रमिक से बढ़ाकर 20,000 प्रति बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है साथ ही यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अपने लिए निर्दिष्ट समतुल्य राशि जुटाने में असमर्थ रहते हैं तो भी उन्हें शत-प्रतिशत अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी

वेतन *(* मजदूरी*)* एवं बोनस

अधिकतर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन (मजदूरी) अधिनियम, 1948 लागू किया गया था अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित रोज़गारों में श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन (मजदूरी) के निर्धारण, संशोधन, समीक्षा और उसे लागू करवाने के लिए सक्षम प्रशासक हैं इस समय केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में क्रमशः 45 और 1697 अनुसूचित रोज़गार हैं न्यूनतम वेतन (मजदूरी) अधिनियम, 1948 के अनुपालन को दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है जहां एक ओर केंद्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम की पालना मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आपमें निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कराई जाती है जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध प्रशासन (सीआईआरएम) के रूप में नामित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों में इन नियमों का अनुपालन राज्य प्रवर्तन विभाग द्वारा करवाया जाता है

न्यूनतम वेतन (मजदूरी) को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) देना प्रारंभ किया है जहां तक राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों की बात है, उनमें से 27 ने वीडीए को न्यूनतम वेतन (मजदूरी) का एक घटक बना लिया है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही समय-समय पर इन अनुसूचित रोज़गारों के लिए देय न्यूनतम वेतन (मजदूरी) में संशोधन करते रहते हैं

पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन (मजदूरी) ढांचा तैयार करने एवं न्यूनतम वेतन (मजदूरी) में असमानता को कम करने के लिए 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग (एनसीआरएल) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मजदूरी) (एनएफएलएमडब्ल्यू) की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मजदूरी) में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एनएफएलएमडब्ल्यू को 137 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 160 रुपये प्रतिदिन किया है तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मजदूरी) एक गैर-संवैधानिक उपाय है

वेतन *(* मजदूरी*)* का भुगतान

वेतन (मजदूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान समय पर हो और कामगारों के वेतन में से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कटौती न की जाए अधिनियम के अनुच्छेद 1 के उप-बंध (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार मानते हुए वर्ष 2012 से वेतन (मजदूरी) की सीमा 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है

वेतन *(*मजदूरी*)* का भुगतान *(*संशोधन*)* अधिनियम*, 2017:* वेतन (मजदूरी) का भुगतान नकद अथवा चेक से या फिर कर्मचारी के बैंक खाते में सीधा भेजने के लिए वेतन (मजदूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुच्छेद 6 में 2017 में संशोधन किया गया संशोधन के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि सक्षम सरकार सरकारी राजपत्र (गज़ट) में अधिघोषणा कर सकती है कि किसी भी उद्योग या उपक्रम में नियोक्ताओं में से कौन अपने यहां कार्यरत कर्मचारी के वेतन का भुगतान चेक द्वारा अथवा बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत होगा

बोनस का भुगतान

बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया है अब इसके अनुच्छेद 2 (13) के अंतर्गत पात्रता की योग्यता सीमा को 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत गणना की सीमा को 3,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने या सक्षम सरकार अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम वेतन (मजदूरी), जो भी अधिक हो, की व्यवस्था की गई है ये सभी संशोधन 2014 से प्रभावी होंगे

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और कारखाना सुरक्षा सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) महानिदेशालय के माध्यम से लागू किया जा रहा है डीजीएमएस खान सुरक्षा अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त अपने निरीक्षकों के माध्यम से खनन उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधानों को लागू करवाते हैं डीजीएफएएसएलआई अपने डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से बंदरगाहों और पोतों में सुरक्षा प्रावधान लागू करवाते करवाते हैं और इसके साथ ही वे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों के लिए समन्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करते हैं

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार

यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/लोक उपक्रमों तथा ऐसी निर्माण इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों जिनमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत हैं को उनके कार्य निष्पादन, कर्तव्यनिष्ठा के सम्मान स्वरूप प्रति वर्ष दिए जाते हैं

विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार

ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों अथवा समूह को उनके ऐसे उत्कृष्ट सुझावों के लिए दिए जाते हैं जिससे उत्पादकता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ आयात में कमी लाने के वे विकल्प मिलें जिनके कारण विदेशी मुद्रा की बचत हो सके

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाईयों, गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986; तथा भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिक (रोज़गार का विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं में उत्तम सुरक्षा कार्य निष्पादन की पहचान और सम्मान के लिए दिए जाते हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाली खानों में सुरक्षा के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए दिया जाता है

अनुसंधान और प्रशिक्षण

श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बोर्ड

श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी इसका कार्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्राम स्तर पर श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना है बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के सभी वर्गों में जागरुकता लाना है संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों में परिवीक्षक और प्रबंधक संवर्ग के व्यक्तियों को भी बुलाया जाता है बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में हैं और देशभर में इसके 50 क्षेत्रीय एवं 08 उप-क्षेत्रीय निदेशालय हैं बोर्ड के 06 संभागीय निदेशालय नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और भोपाल में हैं जो क्षेत्रीय निदेशालयों की अपने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का लेखा-जोखा लेते रहते हैं बोर्ड की प्रकृति त्रिपक्षीय है और इसमें केंद्रीय श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं, केंद्र/राज्य सरकारों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं

वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत इस स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी अब यह श्रमिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन चुका है अपनी स्थापना के समय से ही संस्थान ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न विषयों और संबंधित समूहों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए अपनी ओर से, प्रशिक्षण, शिक्षा और साहित्य प्रकाशन के व्यापक प्रयास किए हैं ऐसे प्रयासों का उद्देश्य नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाना एवं समतावादी व लोकतांत्रिक समाज में श्रमिक को सम्मानजनक स्थान दिलाना सुनिश्चित करना है

कौशल विकास

देशभर में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अभी तक छिटपुट प्रयास ही होते रहे हैं विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत पीछे दिख रहा है कौशल विकास की तात्कालिकता व सभी संबंधित पक्षों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया इस मंत्रालय का नाम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रखा गया यह मंत्रालय सभी प्रकार के कौशल विकास में समन्वयन, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच आ गए अंतर को पाटने, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक ढांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन, नए कौशल सृजित करने, ऐसी अनूठी सोच जो न केवल वर्तमान आजीविकाओं वरन आगे सृजित होने वाले रोज़गारों का भी ध्यान रख सके जैसे उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी है मंत्रालय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर द्रुत गति और ऊंचे मानकों से युक्त ऐसे कौशल का विकास करना है जिससे उसके अपने 'कौशल भारत' के संकल्प की पूर्ति हो सके

इन अनूठी पहलों में मंत्रालय की सहायता के लिए इसके क्रियात्मक अंग हैं: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) एवं 33 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) और एनएसडीसी के पास पंजीकृत 187 प्रशिक्षण सहयोगी

इस मिशन का लक्ष्य एक उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले ढांचे के माध्यम से समभारिता तैयार करने एवं विविध-पक्षीय निर्णयों में तेजी लाना है इससे अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास गतिविधियों का एकीकरण, समन्वयन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण (निगरानी) किया जा सकेगा

यह एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे वाला मिशन है जिसमें सभी निकायों की निर्बाध गतिविधियों में नीति संबंधी निर्देश और परामर्श देना, समूची प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना और मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करना शामिल है साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुने हुए उप-मिशन चलाना भी इस मिशन के कार्यों में आता है शुरू में निम्नलिखित सात क्षेत्रों में उप-मिशन प्रस्तावित हैं: (1) संस्थागत प्रशिक्षण; (2) अवसंरचना; (3) एकीकरण; (4) प्रशिक्षक; (5) विदेशों में रोज़गार; (6) स्थायी आजीविका; (7) लोक अवसंरचना का लाभ उठाना

वेबसाइट: www.msde.gov.in

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर पहली राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडी) वर्ष 2009 में अधिसूचित हुई थी एनपीएसडी में विस्तृत ढांचे के साथ ही देश में कौशल परिदृश्य के लिए लक्ष्यों और परिणामों की भी रूपरेखा तैयार की गई थी देश के कौशल पारिस्थितिकीय तंत्र में आदर्श परिवर्तन और कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान मिले अनुभव इस नीति पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता दर्शा रहे थे साथ ही 2009 की नीति में स्वयं ही प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा करने का प्रावधान किया गया था ताकि नीतिगत ढांचे को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आ रहे बदलावों से जोड़ा जा सके तदनुसार ही 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता पर नई राष्ट्रीय नीति की अधिसूचना जारी की गई जिसने 2009 की नीति का स्थान लिया

इस नीति का कौशल घटक अन्य बातों के अलावा कौशल परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों जैसे- कम महत्वाकांक्षा; औपचारिक शिक्षा से असंबद्धता; परिणामों पर ध्यान देने का अभाव; प्रशिक्षण अवसंरचना

और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता का समाधान करता है इस नीति का उद्देश्य मान और पूर्ति को जोड़ना, वर्तमान कौशलों के बीच की खाई को पाटना, उद्योग संबद्धता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता विश्वास के ढांचे को चालू करना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एवं चिन्हित विषयों के समाधान के लिए प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) को बढ़ावा देना इसका एक अन्य लक्ष्य महिलाओं सहित सामाजिक/भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़े एवं अभी तक वंचित समूहों के लिए समान कौशल विकास के अवसर मुहैया कराना भी है

उद्यमिता के क्षेत्र में यह नीति उद्यमिता औपचारिक/कौशल शिक्षा के एक अंश रूप में शिक्षा के समर्थन और एकीकरण के माध्यम से उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने, ऋण और बाजार सम्पर्क के संदर्भ में उद्यमियों के लिए सहायता जुटाने, नवाचार-संचालित सामाजिक उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापार करने की सुगमता में सुधार की इच्छुक है यह नीति सामाजिक/भौगोलिक रूप में अलग-थलग पड़े एवं वंचित समूहों की उद्यमिता आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा महिलाओं की उद्यमिता के विकास हेतु भी सुझाव देती है

योजनाएं एवं पहलें

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पीएमकेईवाई इस मंत्रालय की परिणाम आधारित फ्लैगशिप योजना है इस कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार के योग्य बनाने तथा अपनी आजीविका से धन अर्जन कर सकने के लिए परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र करना है यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और केंद्र द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू की जा रही है

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

यह मंत्रालय देश के हर जिले में आदर्श कौशल केंद्र की स्थापना के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों की कवरेज को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना लागू करता है

पीएमकेके में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- बेंचमार्क संस्थान बनाए जो कार्यक्रम की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर महत्वाकांक्षी मूल्य आकस्मिकता आधारित कौशल विकास का प्रदर्शन कर सके;
- गुणवत्ता और स्थायित्व के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करे और कौशल वितरण प्रक्रिया में हित धारकों से जुड़े;
- एक जनादेश संचालित किसी भी दिशा में चले जाने वाले मॉडल

उद्यमिता हेतु योजना

प्रधानमंत्री युवा योजना

इस योजना का लक्ष्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परामर्श, उद्यमिता समर्थन तंत्र तक सुगम पहुंच और सामाजिक उद्यमिता के संवर्धन के माध्यम से उद्यमिता के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(क) संभावित एवं शुरुआती चरण वाले उद्यमियों को शिक्षित एवं सुसज्जित करना;
(ख) समकक्षों, अनुभवी सलाहकारों, सहारा देने वालों (इंक्यूबेटर्स), वित्तीय सहायता और व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों को जोड़ना;
(ग) उद्यमिता हब्स (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता देना; तथा
(घ) आकांक्षी उद्यमियों को सहायता देने के लिए अब तक चली आ रही मनोवृत्ति में बदलाव के लिए प्रेरित करना यह योजना निजी एवं लोक भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है

उड़ान

जम्मू-कश्मीर के लिए बनी यह विशेष उद्योग पहल (एसआईआई) योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है यह कार्यक्रम राज्य में विभिन्न आर्थिक मुद्दों के समाधान की समग्र पहल का एक हिस्सा है तथा राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार देने पर केंद्रित है साथ ही इसका उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों को राज्य की प्रतिभाओं से भी परिचित करवाना है

22 जनसंचार



सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रकाशन, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधनों और संचार के पारंपरिक तरीकों जैसे- नाटक, संगीत और नृत्य के जरिए लोगों को निर्बाध रूप से सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और उनको राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता मिटाने तथा महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करता है मंत्रालय चार खंडों में विभाजित है यथा- सूचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड और एकीकृत वित्त खंड मंत्रालय 21 मीडिया इकाइयों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है

सूचना खंड प्रकाशन और प्रेस से संबंधित नीतिगत मुद्दों के अलावा सरकार की प्रचार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करता है मंत्रालय का सामान्य प्रशासन संबंधी कामकाज भी इसी खंड के अधीन है

प्रसारण खंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों व निजी टीवी चैनलों के प्रसारणों की विषयवस्तु के नियमन के साथ ही साथ आकाशवाणी व दूरदर्शन के कार्यक्रमों तथा केबल टीवी और सामुदायिक रेडियो चैनलों के संचालन संबंधी मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी आदि भी संभालता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) जो अधीनस्थ कार्यालय है, वह भी इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है

मंत्रालय का फिल्म खंड, फिल्म जगत से जुड़े मामले देखता है वृत्तचित्रों का निर्माण और वितरण, फिल्म उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने, प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों के आयोजन, फिल्मों के आयात और निर्यात से संबंधित सभी पहलुओं पर यह खंड काम करता है एकीकृत वित्त खंड, मंत्रालय के वित्तीय मामलों को देखता है

वेबसाइटः www.mib.gov.in

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश में लोकसेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को सूचित, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है

उद्देश्य

प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अंतर्गत प्रसार भारती निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- (1) देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना, (2) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, (3) लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष एवं संतुलित सूचना प्रदान करना, (4) शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, (5) महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के

लिए विशेष कदम उठाना, (6) विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना, (7) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा कामगारों एवं अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और (8) प्रसारण प्रौद्योगिकी का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना

प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष होती है सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है प्रसार भारती बोर्ड की बैठक समय-समय पर होती है जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श होता है तथा कार्यकारी को नीतिगत दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं
वेबसाइट: www.prasarbharati.gov.in

आकाशवाणी

रेडियो के आविष्कार और कुछ पश्चिमी देशों में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई जैसे भारतीय शहरों में कुछ निजी रेडियो क्लब द्वारा प्रसारण शुरू हुआ

जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया इसके बाद एक प्रसारण सेवा की स्थापना हुई जिसमें भारत सरकार और एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के बीच समझौते के तहत 23 जुलाई, 1927 को मुंबई और कोलकाता में एक साथ प्रायोगिक आधार पर रेडियो प्रसारण शुरू किया गया 1930 में इस कंपनी के दिवालिया होने पर 'प्रसारण नियंत्रक' विभाग के अंतर्गत भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया और 1935 में लियोनेल फील्डन को भारत में प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया गया भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम जनवरी 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया 1 से 4 वर्ष की अवधि तक ऑल इंडिया रेडियो को संचार विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग और सूचना और कला विभाग के अधीन रखा गया और उसके बाद से अंततः यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है विभाजन के समय भारत में छह रेडियो केंद्र थे (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरूचिरापल्ली और लखनऊ) और तीन रेडियो केंद्र पाकिस्तान में चले गए (लाहौर, पेशावर और ढाका, जो अब बांग्लादेश में है)

1,000 किलोवॉट के दो अति शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर 1969 में कोलकाता के पास मोगरा और 1971 में राजकोट में लगाए गए 500 किलोवॉट के चार अति शक्तिशाली शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर 1994 में बंगलुरु में शुरू किए गए, जिससे ये केंद्र दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण केंद्रों में शामिल हो गया मद्रास में 23 जुलाई, 1977 को देश की पहली एफएम सेवा की शुरुआत हुई 1985 में सभी आकाशवाणी केंद्रों को 5 चैनल रिसीवर टर्मिनल उपलब्ध कराए गए 1994 में मुंबई और 1995 में चेन्नई में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टूडियों की शुरुआत हुई

अवसंरचना

1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा ब्रिटिश काल से मूल राज्यों द्वारा संचालित किए जा रहे आकाशवाणी मैसूर, हैदराबाद रेडियो और रेडियो कश्मीर आदि जैसे रेडियो स्टेशनों का दायित्व आकाशवाणी ने संभाल लिया

1947 में मात्र 18 ट्रांसमीटर से पहली पंचवर्षीय योजना के अंत तक 46, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 59, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 110 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 433 ट्रांसमीटर हो गए, इस प्रकार मार्च 2018 तक आकाशवाणी के देशभर में कुल 662 ट्रांसमीटर हो गए जिनमें से 139 मीडियम वेव, 48 शार्ट वेव और 475 एफएम ट्रांसमीटर हैं 1947 के छह रेडियो केंद्रों की तुलना में मार्च

2018 में देशभर में 469 रेडियो केंद्र हो गए

सॉफ्टवेयर

आकाशवाणी कई वर्षों से त्रि-स्तरीय प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रसारण में कर रहा है वह अपने स्टेशनों के जरिए महाद्वीपीय आयाम और बहुलवादी समाज में श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी जरूरतें पूरी करता है ये स्टेशन 23 भाषाओं और 176 बोलियों में समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम पूरे देश की जनसंख्या तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जो हाल ही में एक बिलियन से अधिक हो चुकी है

आकाशवाणी का विविध भारती नामक मनोरंजन चैनल 3 अक्टूबर, 1957 को शुरू हुआ और इस चैनल पर 1 नवंबर, 1967 से विज्ञापनों का प्रसारण होने लगा पहला रेडियो संगीत सम्मेलन 1954 में आयोजित किया गया और उसके बाद से यह हर साल आयोजित होने लगा कार्यक्रम, अभियांत्रिकी, समाचार और श्रोता अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 1974 में आकाशवाणी के वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई 1 अप्रैल, 1976 को दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया चुनावों से पूर्व राजनीतिक पार्टियों का पहला प्रसारण आकाशवाणी के विविध स्टेशनों से 1977 से शुरू हुआ आकाशवाणी के शिलांग परिसर से 3 जनवरी, 1990 से आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा शुरू हुई शाम के समय लोकसेवा प्रसारण शुरुआत में रोजाना करीब साढ़े पांच घंटे तक होता था इसे तीन प्रसारणों तक बढ़ा दिया गया है 50 केवी एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर के जरिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की विभिन्न भाषाओं/बोलियों में संगीत कार्यक्रमों के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं फोन-इन-प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं

चैनल एवं कार्यक्रम

आठ दशकों में ऑल इंडिया रेडियो ने जबरदस्त तरक्की की है और वह दुनिया के सबसे विशाल मीडिया संगठनों में से एक हो गया है वर्तमान में इसके 469 स्टेशन और 667 ट्रांसमीटर हैं देश की विविध प्रकार की सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रम बनाने की तकनीकों के जरिए इसके नेटवर्क में विस्तार किया गया है आकाशवाणी की सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है

उद्देश्य

जनता के कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने (बहुजन हिताय बहुजन सुखाय) के लिए उसे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु आकाशवाणी की ओर से निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं: (i) देश की एकता और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना, (ii) किसी विचारधारा या अपनी विचारधारा की वकालत किए बगैर विपरीत दृष्टिकोणों सहित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय हित संबंधी सूचना का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करना, (ii) सभी वर्गों के लोगों को जागृत, सूचित, प्रबुद्ध, शिक्षित करने, उनका मनोरंजन करने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए विविध कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करना, (iv) कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य के विस्तार सहित विकास से संबंधित गतिविधियों के सभी आयामों से जुड़े कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करना (v) युवाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, जनजातीय आबादी और सीमावर्ती क्षेत्रों, पिछड़े अथवा दूरदराज के इलाक़ों में रहने वाली आबादी की विशेष जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण, निरक्षर और वंचित आबादी को सेवाएं प्रदान करना, (vi) ग्रामीण आबादी, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, बच्चों, निरक्षर लोगों, साथ ही साथ समाज के कमज़ोर एवं असहाय वर्गों को सेवाएं प्रदान करना (vii) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना

त्रि-स्तरीय प्रसारण

आकाशवाणी के प्रसारण की त्रि-स्तरीय व्यवस्था महाद्वीपीय आयाम वाले इस देश और बहुलवादी समाज के श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी जरूरतें अपने स्टेशनों के माध्यम से पूरी करती है ये स्टेशन देश की लगभग समस्त आबादी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.0 करोड़ है, के लिए समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं इसकी व्यापक पहुंच, विशेषकर

ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में इसकी पहुंच इसे प्राथमिक और कई बार सूचना और मनोरंजन का एकमात्र स्रोत बनाती है

देशभर के ज्यादातर हिस्सों में मीडियम वेव पर सुने जाने वाले राष्ट्रीय सेवा के राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले चरण की प्रसारण जरूरतें पूरी करते हैं हाल ही में यह प्रसारण शॉर्ट वेव पर भी शुरू हो चुका है क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्टेशन क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम देकर और क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर प्रसारण का दूसरा चरण उपलब्ध कराते हैं इसके अलावा महानगरों में एफएम चैनल यानी एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड जनता, विशेषकर युवाओं की आधुनिक जरूरतें पूरी करते हैं 40 स्थानों पर विविध भारती भी प्रसारण व्यवस्था की एफएम पद्धति अपना चुका है एफएम पद्धति पर 86 स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस) हैं, जो देश के विभिन्न भागों में छोटे शहरों के श्रोताओं की जरूरतों और पसंद के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं देश में उपलब्ध विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से सामुदायिक रेडियो हाल ही में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं स्थानीय जनजातीय आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए आकाशवाणी ने पांच स्थानों पर सामुदायिक रेडियों केंद्र भी स्थापित किए गए हैं

क्षेत्रीय चैनल

क्षेत्रीय चैनल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों और प्रत्येक राज्य के प्रमुख भाषाई, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हैं ऐसे 128 चैनल 29 राज्यों और 6 संघशासित प्रदेशों में हैं आकाशवाणी की लोक प्रसारण सेवा इकाई- क्षेत्रीय चैनल अपने श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं क्षेत्रीय चैनल मोटे तौर पर मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करते हैं और वे कंपोजिट प्रोग्रामिंग मिक्स का अनुसरण करते हैं वे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रमुख बल देते हुए कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं प्रमुख चैनलों के कुल प्रसारण का करीब 40 प्रतिशत संगीत पर आधारित होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम, लोक, फ़िल्म और अन्य भाषाओं का संगीत शामिल है प्रसारण समय के 20 से 30 प्रतिशत हिस्से में समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं रेडियो नाटक और ड्रामा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम, ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने के लक्ष्य वाले खेती और घरेलू कार्यक्रम प्रमुख चैनलों के अन्य महत्वपूर्ण खंड हैं ये चैनल आकाशवाणी के सभी चैनलों में से सबसे ज्यादा पहुंच वाले हैं वे अपने श्रोताओं तक उस भाषा में पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं जो सभी लोगों द्वारा समझी जाती हो

स्थानीय रेडियो केंद्र

देशभर में इस समय 86 स्थानीय रेडियो केंद्र (एलआरएस) हैं ये केंद्र क्षेत्र की स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं

एफएम रेनबो

आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल की शुरुआत उस वक्त हुई, जब बड़े शहरों में रेडियो सुनने वालों की संख्या घट रही थी एफएम रेडियो ने श्रोताओं को बाधारहित और उच्च गुणवत्ता का संगीत उपलब्ध करवाकर इस कमी को सफलतापूर्वक दूर किया एफएम रेडियो पर प्रस्तुतकर्ताओं के नए अंदाज ने भी श्रोताओं की अपेक्षाओं और बदलती जरूरतों को पूरा किया प्रस्तोता की बातचीत की शैली ने युवाओं की नब्ज़ पकड़ी है और उन्हें रेडियो के करीब आने के लिए प्रेरित किया है चौबीसों घंटे के प्रसारण के दौरान श्रोताओं के लिए मनोरंजन की बिल्कुल नई शैली प्रस्तुत की जाती है जल्दी ही एफएम रेडियो ने आधुनिक रेडियो का दर्जा प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह उनके अंदाज़ में बात कर रहा था और उन्हें सुनने का मजा दे रहा था श्रोताओं के प्रतिशत के लिहाज से रेडियो का पुराना गौरव फिर बहाल हो चुका है

एफएम गोल्ड

एफएम गोल्ड चैनल की शुरुआत दिल्ली में 1 सितंबर, 2001 को एक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक चैनल के रूप में हुई, जिसमें 30 प्रतिशत समाचार और समसामयिक कार्यक्रम और 70 प्रतिशत मनोरंजक कार्यक्रम शामिल थे एफएम गोल्ड चैनल इस समय पांच स्थानों- चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई

तथा एक अन्य स्थान लुधियाना में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त चैनल ने श्रोताओं को आकाशवाणी के अन्य प्रसारणों और क्षेत्र के निजी एफएम स्टेशनों के दो विकल्पों में एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया यह चैनल मनोरंजन और ज्ञान के साथ-साथ यातायात, एयरलाइंस, रेल सेवाओं और मौसम आदि के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं

डीटीएच सेवा

टेलीविजन सेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए डीटीएच रेडियो चैनल के माध्यम से सैटेलाइट सेवा प्रदान की जाती है डीटीएच सेवा प्रसार भारती के डीटीएच प्लेटफार्म के ज़रिए दिल्ली के टोडापुर से अपलिंक द्वारा उपलब्ध है ये टेरिस्ट्रीयल प्रसारण सेवा नहीं है और इसके कार्यक्रम सामान्य रेडियो सेट्स पर नहीं सुने जा सकते यह 24 घंटे की डिजिटल प्रसारण सेवा है इसके कार्यक्रमों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि पुनः प्रसारण कम से कम होता है

डीटीएच सेवा 39 भाषाओं में चैनल मुहैया कराती है, जो देश के प्रत्येक कोने में उपलब्ध हैं इस प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलु इसका डिजिटल गुणवत्ता है

विविध भारती

लोकप्रिय विविध भारती सेवा 41 सीबीएस-वीबी केंद्रों से दिन में 17 घंटे मनोरंजन उपलब्ध कराती है विविध भारती सेवा देशभर में 65 स्थानीय रेडियो स्टेशनों और 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए भी प्रसारित होती है

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंच कायम करने के लक्ष्य के साथ अपनी उपस्थिति विविध क्षेत्रों में बढ़ा रहा है समाचार सेवा प्रभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति में पर्याप्त वृद्धि की है और बड़े पैमाने पर श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है

समाचार सेवा प्रभाग की 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू), लोगों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आरएनयू ख़बर को क्षेत्र विशेष के लिहाज से और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 77 क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रम बनाती हैं क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 444 बुलेटिन हर रोज़ प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल प्रसारण अवधि करीब 33 घंटे है इनमें क्षेत्रीय, विदेशी, डीटीएच सेवाएं और एफएम हेडलाइंस शामिल हैं आरएनयू हर महीने समाचारों पर आधारित 12,720 कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल अवधि करीब 1,706 घंटे होती है इनके अलावा राज्य विधानसभाओं के सत्र के समय इन इकाइयों से विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं

एफएम हेडलाइंस शहरों और कस्बों में अपने दैनिक व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का जरिया है वर्तमान समय में आरएनयू द्वारा 16 भाषाओं में 249 हेडलाइन बुलेटिन तैयार किए जा रहे हैं

एनएसडी की इकाइयां

समाचार संग्रहण और प्रसारण सुगम बनाने के लिए एनएसडी में विभिन्न इकाइयां हैं यथा- रिपोर्टिंग इकाई, वार्ता और समसामयिक कार्यक्रम इकाई, संदर्भ इकाई और अनुश्रवण इकाई इन इकाइयों के सहयोग से एनएसडी घटनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आदर्श आदि सरीखी सरकार की नयी पहलों जैसे विविध समाचारों और घटनाओं को समग्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका एनएसडी प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के विदेश दौरों/यात्राओं के भी व्यापक कवरेज में सक्षम हो सका

वेबसाइट्स: www.newsonair.com, www.newsonair.nic.in

मन की बात

मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट newsonair.nic.in पर लाइव वेबकास्टिंग की जाती है इस प्रयोजन के लिए विशेष विंडों और पेज सृजित किया गया है

प्रतिलेखन और कार्यक्रम विनिमय सेवा

आकाशवाणी में प्रतिलेखन और कार्यक्रम विनिमय सेवा भी है, जिसमें सेंट्रल आर्काइव्स, साउंड आर्काइव्स, डिजिटल साउंड आर्काइव्स, डिजिटल लाइब्रेरी, रेडियो आत्मकथा, प्रतिलेखन इकाई और नवीकरण इकाई शामिल हैं

केंद्रीय अभिलेखागार

आकाशवाणी की लिप्यंतरण सेवा अप्रैल 1954 को प्रारंभ हुई थी और इसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों की लिपि तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया था इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष संदर्भ तैयार करना महत्वपूर्ण था यह यूनिट विनियल डिस्क लेबल्ड 'एआईआर- टीएस रिकार्ड्स' की प्रोसेसिंग के दायित्व का भी निर्वाह करती है ताकि भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंग्स को संरक्षित किया जा सके वर्ष 1959 से इस सेवा को 'ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस' यानी लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा का नाम दिया गया प्रोसेस किए गए रिकॉर्ड लागत की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध न हो पाने के कारण प्रोसेसिंग कार्य 1967 में बंद कर दिया गया और एनालॉग मैगनेटिक टेप्स जैसे नए संरक्षण माध्यम इस्तेमाल किए गए

साउंड आर्काइव्स

आकाशवाणी की साउंड आर्काइव्स को राष्ट्रीय ऑडियो आर्काइव्स नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास विभिन्न श्रेणियों में संगीत और बोले गए शब्दों की कीमती रिकॉर्डिंग का खजाना है भारतीय संगीत रिकार्डिंग का यह सबसे बड़ा ऑडियो पुस्तकालय है इस पुस्तकालय में महात्मा गांधी के भाषणों का एक अलग संग्रह मौजूद है, जिसमें सोदपुर आश्रम, कोलकाता में 11 मई, 1947 को दिया गया पहला प्रार्थना भाषण और दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में 29 जनवरी, 1948 का अंतिम प्रार्थना भाषण भी शामिल है दिल्ली आकाशवाणी से गांधीजी का 12 नवंबर, 1947 का एकमात्र प्रसारण भी सुरक्षित है पुस्तकालय में भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, सरदार पटेल, सरोजनी नायडु और बहुत-सी अन्य जानी-मानी हस्तियों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स भी संरक्षित हैं इसके अलावा पुरस्कार विजेता रेडियो ड्रामा, फीचर, वृत्तचित्र और अन्य स्मारक व्याख्यान इस पुस्तकालय में मौजूद है

डिजिटल साउंड आर्काइव्स

प्रतिलेखन एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा (टी एंड पीईएस) ने सारे एनालॉग कंटेंट का डिजिटीकरण करने की वृहद परियोजना का दायित्व लिया है इस दिशा में प्रमुख कदम उठाए गए हैं इसके परिणामस्वरूप, आकाशवाणी प्रसारण नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के साथ प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरीज़ में से एक हो गया है

आर्काइव डिजिटल लाइब्रेरी

रेडियो आत्मकथा

रेडियो आत्मकथा में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विख्यात हस्तियों की रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखा गया है आकाशवाणी का सेंट्रल आर्काइव्स जाने-माने संगीतज्ञों, जानी-मानी हस्तियों, साहित्यकारों आदि की रेडियो आत्मकथा की बहुमूल्य रिकॉर्डिंग्स का समृद्ध खजाना है इन प्रमुख हस्तियों में श्री जे.आर.डी. टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, श्री हरिवंश राय बच्चन और डॉ. वर्गीज कुरियन शामिल हैं प्रमुख हस्तियों की पहचान आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से की गई

कार्यक्रम आदान-प्रदान पुस्तकालय

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का स्टेशनों के बीच जरूरत के मुताबिक आदान-प्रदान है पीईयू पुस्तकालय में लगभग 8,000 टेप्स हैं, जिनमें संगीत और बोले गए शब्दों के कार्यक्रम इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किए गए हैं विविध भारतीय भाषाओं में संगीत और बोले गए शब्दों के आइटम्स के अलावा, पीईयू पुस्तकालय बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, संस्कृत, तमिल और तेलुगू भाषा के सबक भी संरक्षित कर रहा है

प्रतिलेखन इकाई

प्रतिलेखन इकाई का मुख्य कार्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का प्रतिलेखन तैयार करना और उन्हें संस्करणों के रूप में भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भाषण की रिकॉर्डिंग्स के टेप्स और उनका प्रतिलेखन प्राप्त किया जाता है सभी प्रतिलेखनों के जिल्दबंद संस्करण तैयार करके आर्काइव्स में रखे जाते हैं

नवीकरण इकाई

आर्काइव्स की पुरानी संगीत रिकॉर्डिंग्स का नवीकरण करने के लिए कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस इकाई का गठन किया गया था सैकड़ों घंटों के संगीत और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि की आवाज की रिकॉर्डिंग्स का यहां नवीकरण किया गया वर्तमान में यह इकाई आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा जारी की जाने वाली रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो की गुणवत्ता का ध्यान रखती है

विदेश सेवा विभाग

विदेश नीति और सरकारी कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय/विदेश प्रसारण सेवा द्वारा अदा की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को विस्तार से बताए जाने की दरकार नहीं है इंग्लैंड के साथ औपनिवेशिक संपर्क के कारण, भारत और इंग्लैंड में प्रसारण लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ इसी प्रकार बीबीसी द्वारा प्रथम विदेशी प्रसारण 1938 में अरबी भाषा में शुरू किए जाने के बाद आकाशवाणी ने भी 1 अक्टूबर, 1939 को विशुद्ध रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण पश्तो भाषा में शुरू किया इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मनी रेडियो ब्लिट्जक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ईएसडी को एक उभरते हुए राष्ट्र, एक प्राचीन सभ्यता की आवाज़ और कूटनीति के एक साधन के रूप में नया रूप धारण करना पड़ा विभिन्न प्रकार के संकटों के समय एक कारगर प्रचार मशीनरी के रूप में भी उसे अपनी भूमिका निभानी थी तभी से आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारत और शेष विश्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, विशेषकर उन देशों में, जहां भारतीय लोगों के रहने की वजह से उनके साथ भारत के हित गुंथ गए हैं

लगभग 100 देशों को कवर करते हुए और 27 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की गिनती पहुंच और रेंज की दृष्टि से विश्व के चुनिंदा विदेश सेवा नेटवर्कों में होती है इस सेवा के माध्यम से विदेशों में रहने वाले लोगों को भारत से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है यह प्रभाग विदेशी श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, पश्तो, दारी, बलूची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और भाषा इंडोनेशिया में कार्यक्रम प्रसारित करता है प्रवासी भारतीय श्रोताओं के लिए यह विभाग हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालमय और गुजराती में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सैराइकी, कन्नड़ और बांग्ला भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम) (कार्यक्रम) जिसे अब तक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) के नाम से जाना जाता था, प्रसार भारती का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है यह

आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध स्टेशनों में कार्यरत कार्यक्रम और प्रशासनिक कर्मियों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है

श्रोता अनुसंधान इकाई

जनसंचार के बदलते परिदृश्य के साथ, श्रोता अनुसंधान महत्वपूर्ण स्थान पा चुका है दुनियाभर में, लगभग सभी बड़े मीडिया संगठन आंतरिक स्तर पर किसी न किसी रूप में या 'मार्केट रिसर्च' के रूप में श्रोता अनुसंधान में जुटे हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया संगठन श्रोताओं(उपभोक्ताओं) की क्षमता और अपनी मीडिया विषयवस्तु के लिए बाज़ार को जाने बगैर अपने अपर्याप्त संसाधनों को दाव पर नहीं लगा सकता

आकाशवाणी इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है उसके पास देशभर में श्रोता अनुसंधान इकाइयों का विशाल नेटवर्क है, जो 1946 से मौजूद है यह कार्यक्रम के निर्माताओं को कार्यक्रम का फीडबैक उपलब्ध कराता है, ताकि वे लक्षित श्रोताओं की जरूरतों, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम की योजना, डिजाइन और उनमें सुधार ला सकें

दूरदर्शन

दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में सितंबर 1959 को प्रायोगिक सेवा के तौर पर हुई थी हाल के वर्षों में इसने ज़बरदस्त प्रगति की है और वह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है हाल के वर्षों में दूरदर्शन ने न सिर्फ देश के कोने-कोने तक ही अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं किया, बल्कि वह टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय घटनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चला है वर्तमान में दूरदर्शन के 34 उपग्रह चैनल हैं और इसका 67 स्टूडियो और 1,416 ट्रांसमीटरों वाला विशाल नेटवर्क भी है, जिसके बल पर यह देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक कवरेज उपलब्ध कराता है इसके अलावा दूरदर्शन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा भी प्रदान कर रहा है

दूरदर्शन की कमान महानिदेशक के हाथ में है, जो नीति निर्धारण, योजना और विकास, अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय विकास, बजटीय नियोजन और नियंत्रण, मानव संसाधन विकास, प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यकलापों की निगरानी करने आदि का दायित्व संभालते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्र में प्रोजेक्ट और अनुरक्षण गतिविधियों की देखरेख करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न प्रतिष्ठान हैं- दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो सेंटर), हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स (एलपीटी) और वेरी लो पॉवर ट्रांसमीटर्स (वीएलपीटी) अनुरक्षण केंद्र एलपीटी और वीएलपीटी के समूहों की देखरेख करते हैं

डीडी नेशनल

डीडी नेशनल चैनल, विश्व का सर्वाधिक बड़े टेरस्ट्रीयल नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है यह देश की लगभग 92.0 प्रतिशत आबादी एवं 81.0 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है लोक सेवा प्रसारक होने के कारण चैनल ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्रम में तेजी लाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, लोगों में एकता एवं भाईचारे के भाव उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ाने में सार्थक योगदान देना जारी रखा है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन के साधनों और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के उपायों के बारे में यह जनता के बीच जागरुकता फैलाने के लिए जानकारी/शिक्षा और सूचना के प्रसार में योगदान करता है यह चैनल मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध कराता है इसकी सेवाएं टेरस्ट्रीयल मोड में प्रातः 5.30 से लेकर मध्य रात्रि तक उपलब्ध हैं उपग्रह मोड में ये सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज भारत का एकमात्र स्थलीय-सह-उपग्रह बहुभाषी समाचार चैनल है यह समाचार चैनल सफलतापूर्वक विभिन्न विचारों को व्यक्त करने और साथ ही सनसनी रहित, संतुलित, निष्पक्ष और सटीक खबर देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है डीडी न्यूज को नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में शुरू किया गया था इसके उपग्रह प्रसारण पूरे देश में

उपलब्ध हैं डीडी न्यूज स्थलीय संचार द्वारा देश के 49 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच बनाए हुए है यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है इसमें लाइव प्रसारण द्वारा 18 घंटे विभिन्न भाषाओं में 40 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है डीडी न्यूज की देशभर में 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) हैं, जो बुलेटिन प्रसारित करती हैं

डीडी इंडिया

दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रारंभ करके दुनिया के लिए अपनी खिड़कियां खोल दीं पहले इस चैनल का नाम डीडी वर्ल्ड रखा गया, जिसे बाद में 2002 में बदल कर डीडी इंडिया कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में इस चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं

डीडी भारती

दूरदर्शन का डीडी भारती चैनल भारतीय संस्कृति और धरोहर को प्रामाणिकता के साथ संरक्षित रखने और उसे बड़े पैमाने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 2012 में पुनः प्रारंभ किया गया यह एकमात्र चैनल है, जो भारत में कला और संस्कृति के लिए समर्पित है डीडी भारती ने चैनल की प्रकृति और दर्शकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के लेखागार में उपलब्ध दुर्लभ कार्यक्रमों का न्यायपूर्ण चुनाव कर उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके साथ साझेदारियां की हैं

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू 2006 को अस्तित्व में आया, नवंबर 2007 से इसका प्रसारण चौबीसों घंटे होने लगा यह चैनल समाचार, स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आयोजनों का सीधा प्रसारण, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों, राज्य नेताओं पर विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त लक्षित दर्शकों के लिए धरोहर, संस्कृति, साहित्य, सूचना, शिक्षा और समाज से संबंधित मुद्दों का सार दर्शाने वाले नए और पुनः प्रसारित, प्राप्त और इन-हाउस सॉफ्टवेयर का मिश्रण उपलब्ध कराता है इस प्रसारण का प्रमुख उद्देश्य/विषय लक्षित दर्शकों के शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण से संबंधित है

स्पोर्ट्स चैनल

स्पोर्ट्स चैनल 1999 में प्रारंभ किया गया इस चैनल के प्रसारण का समय 2000 से 24 घंटे कर दिया गया

डीडी कशीर

डीडी कशीर चैनल प्रतिदिन साढ़े चौदह घंटों के प्रसारण के साथ 2000 में प्रारंभ किया गया था एक साल बाद इसे 24 घंटों के प्रसारण वाले चैनल में परिवर्तित कर दिया गया

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा (डीसीएस) एक स्वंतत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एयर टाइम की बिक्री, एजेंसियों/ग्राहकों/निर्माताओं से राजस्व एकत्र करने के किए जा रहे सभी व्यावसायिक कार्यकलापों में ताल-मेल बैठाने के लिए उत्तरदायी है यह प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है

डीडी आर्काइव्स

डीडी आर्काइव्स वर्ष 2003 में नए दृष्टिकोण के साथ खुद में नयापन लेकर आया और उसने ऑडियो-विजुअल डिजिटल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया

दर्शक अनुसंधान

देशभर में दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों के साथ कुल 19 दर्शक अनुसंधान इकाइयां काम कर रही हैं वर्ष 1976 से ये इकाइयां प्रसारण से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परीक्षण में लगी हैं
वेबसाइट: www.newsonair.nic.in

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली अवांछनीय सामग्री से अपने नागरिकों की रक्षा करने के नियम का पालन विश्व के सभी प्रमुख लोकतंत्र करते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है ईएमएमसी विश्व के उन प्रमुख संगठनों में से एक है, जो प्रसारण क्षेत्र और प्रसारकों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी करते हैं यह केंद्र देश में सरकार के स्वामित्व वाली मीडिया इकाइयों में सबसे नवीनतम है

यहां यह बताना जरूरी है कि कंटेंट की निगरानी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टेलीविजन उद्योग में घटिया रियलिटी शो, टॉक शो, न्यूज, वृत्तचित्रों और सोप ऑपेरा के खिलाफ विभिन्न हलकों से शिकायतें आती हैं

ईएमएमसी लगभग 600 चैनलों की सामग्री पर नजर रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, जोकि भारतीय क्षेत्र में दिखाए जाते हैं जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले नियम के उल्लंघन की जांच की जा सके केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कई नियम हैं जिनका सभी प्रसारण संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए भारतीय दर्शकों के लिए प्रसारित चैनलों के संशोधित अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशानिर्देशों के लिए संभावित उल्लंघनों का निरीक्षण अपेक्षित है जिससे संबंधित उपाय किए जा सकें

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लोक महत्व के मामलों को चिन्हित करता है और यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय को मूल्यांकन और कार्रवाई करने के लिए उनके संबंध में जानकारी देता है ईएमएमसी सरकार द्वारा वांछित विषयों पर मंत्रालय के लिए विशेष रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करता है सफलता का एक उदाहरण स्थापित करते हुए ईएमएमसी ने 1 जनवरी, 2015 से रेडियो की निगरानी प्रारंभ की है ईएमएमसी का नया विंग वर्तमान में संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की निगरानी कर रहा है वर्तमान में देशभर के 30 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी यह देखने के लिए की जा रही है कि कहीं वे भारत सरकार और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बीच सामान्य समझौता(जीओपीए) और आकाशवाणी के कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का उल्लंघन करने वाले प्रसारण तो नहीं कर रहे बहुत ही कम समय में सीआरएस की सामग्री में अनेक स्पष्ट उल्लंघन पाए गए जिनके संबंध में ईएमएमसी ने मंत्रालय को जानकारी दी ये स्पष्ट उल्लंघन न केवल अश्लील और अभद्र कार्यक्रमों को लेकर हैं, बल्कि ऐसी सामग्री के भी है जो मंत्रालय के सामान्य नियमों का उल्लंघन करती है

चैनलों की बढ़ती संख्या के कारण उन सभी के बीच ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आर्कषित करने को लेकर होड़ मची रहती है, जिसके कारण अधिकतर चैनल अपनी हद पार कर जाते हैं और अक्सर उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए नियामक दिशानिर्देशों के प्रति टीवी चैनलों का ढीला-ढाला रवैया बहुत हद तक चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर जब एक औसत भारतीय परिवार पहले से अधिक समय तक टीवी देखता है टीवी देखने की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि टेलीविजन उद्योग पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ा हो गया है टीवी शो भी लगातर विकसित हो रहे हैं और अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कई बार अनुचित सामग्री का सहारा लेते हैं यह देखा गया है कि कुछ टीवी शो कम उम्र के दर्शकों को प्रभावित करते हैं और यह एक समस्या बनता जा रहा है टेलीविजन ने छोटे बच्चों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है घर पर ही बच्चे का संपर्क हिंसा और विषम संस्कृति से हो रहा है मास मीडिया अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान कई बार जनहित के दायित्व भूल जाता है

विज्ञापन क्षेत्र भारतीय टेलीविजन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोगों पर टीवी मीडिया के बढ़ते

प्रभाव के साथ यह उपभोक्तावाद का एक उत्प्रेरक बन गया है विज्ञापन के क्षेत्र में रचनात्मकता के लिए अपार संभावनाएं हैं लोग विज्ञापनों को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि वे बाजार में आए नए उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं और उनके बारे में जागरुकता उत्पन्न करते हैं हमारे द्वारा किसी उत्पाद को खरीदने या न खरीदने का फैसला अक्सर पूरी तरह संबंधित कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही प्रचार की गतिविधियों से प्रभावित होता है इसलिए व्यापार के अनुचित तरीकों, भ्रामक विज्ञापनों और तंबाकू और शराब जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विज्ञापन के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारत सरकार उचित कानूनों, आदेशों और निर्देशों के माध्यम से अंकुश लगाने या कम से कम उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल उत्पादों को प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्देश के फलस्वरूप शराब और तंबाकू बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने 'सरोगेट विज्ञापन' का रास्ता अपनाया है इन विज्ञापनों को दर्शकों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि वे शराब और तंबाकू के ब्रांडों को भूल न जाएं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना प्रतिबंधित है

'रियलिटी शोज के दौर' के आगमन से भारतीय टीवी उद्योग में कई टीवी चैनलों ने काफी अच्छी टीआरपी हासिल की जब हर दूसरा टीवी चैनल 'उधार के विचारों और मुल्यों पर आधारित रियलिटी कार्यक्रम' का अपना संस्करण लेकर आ रहा है, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वे हमारे देश के युवाओं के मानस के साथ खिलवाड़ न करें अन्य टीवी कार्यक्रमों की तुलना में इस तरह के कार्यक्रमों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे वास्तविक जीवन स्थितियों की व्याख्या करते हैं रियलिटी शो वयस्कों के लिए होते हैं और उचित ज्ञान, समझ और मार्गदर्शन के बिना इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को गुमराह कर सकते हैं कुछ रियलिटी शो में बच्चे ही प्रतिभागी होते हैं जिन पर प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव होता है इसके अलावा बच्चे टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रमों को देखकर चकित होते हैं और स्वयं और अपने साथियों से उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करने लगते हैं

बड़ी संख्या में भ्रामक विज्ञापन कुछ उत्पादों के संबंध में निराधार दावे करते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आगाह किया है कि विज्ञापनों को उत्पादों के ऐसे चमत्कारी गुणों के बारे में नहीं बताना चाहिए जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता है यह इस विज्ञापन संहिता, विशेष रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के नियम 7 (5) का का उल्लंघन है

वेबसाइट: www.emmc.gov.in

प्रेस और प्रिंट मीडिया

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है अपने वैधानिक और व्युत्पन्न कार्यों के तहत यह समाचार-पत्रों के नामों को मंजूरी देता और उन्हें सत्यापित करता है, उन्हें पंजीकृत करता है एवं उनके प्रसार के दावों की जांच करता है तथा उन्हें स्थापित करता है कार्यालय हर वर्ष 31 दिसंबर तक सूचना एवं प्रसारण सचिव को देश में प्रेस की स्थिति पर'प्रेस इन इंडिया' नामक रिपोर्ट सौंपता है इसे भारत में 'प्रेस इन इंडिया' के नाम से प्रकाशित किया जाता है अपने गैर-वैधानिक कार्यों के तहत, आरएनआई पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं को अख़बारी कागज़ (न्यूजप्रिंट) के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है, साथ ही मुद्रण मशीनरी आदि के आयात के लिए भी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है

शीर्षक का सत्यापन

आएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के आवेदन जिलाधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं और कार्यालय पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के तहत सत्यापन प्रक्रियाओं पर कार्य करता है 2015 के दौरान आरएनआई ने नामों के सत्यापन के लिए 15,293 आवेदनों की जांच की, जिनमें से 9,272 नाम सत्यापित किए गए आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है संबद्ध डीएम द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदक से भरे हुए

फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने की अपेक्षा की जाती है जिसे आरएनआइ को अग्रेषित करने के लिए संबद्ध डीएम को सौंपा जाता है आवेदकों को आरएनआई द्वारा आवेदन प्राप्ति और नाम के सत्यापन के संबंध में एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है जिससे पारदर्शिता बनी रहे आवेदनों की स्थिति के बारे में आरएनआई वेबसाइट से जाना जा सकता है विसंगति-पत्र और नाम सत्यापन-पत्र भी आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं

शीर्षकों से रोक हटाना

शीर्षक के सत्यापन के बाद प्रकाशकों को उस शीर्षक का पंजीकरण कराना होता है यदि 2 वर्ष तक आरएनआई को पंजीकरण के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तो शीर्षक से रोक हटा ली जाती है और वह शीर्षक अन्य इच्छुक आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाता था

पंजीकरण

शीर्षक के सत्यापन के बाद अधिनियम के तहत प्रकाशक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत घोषणा-पत्र, प्रमाणीकरण के बाद निर्दिष्ट दिनों के भीतर प्रकाशित प्रथम अंक की एक प्रति और कोई विदेशी टाई-अप न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र सौंपना होता है यह सुनिश्चित होने के बाद कि पीआरबी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत निर्दिष्ट नियमों के तहत प्रकाशन प्रकाशित और मुद्रित किया गया है, अखबार/पत्रिका को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाता है और आरएनआई के रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाती है इसके बाद प्रकाशक को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (सीआर) जारी किया जाता है

वार्षिक विवरणी

पीआरबी अधिनियम की धारा 19डी के तहत, समाचार-पत्र के प्रकाशक से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वर्ष 31 मई तक फॉर्म 2 में वार्षिक विवरण, जो समाचार-पत्र पंजीकरण (सेंट्रल) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस रजिस्ट्रार को सौंपे, जिसमें नियम के तहत विभिन्न सूचनाएं दर्ज होती हैं यह हर प्रकाशक के लिए बाध्यकारी है कि वह अपने प्रकाशन में हर साल फरवरी माह के अंतिम दिन के बाद पहले अंक में फार्म 4 में स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को प्रकाशित करे वार्षिक विवरण वह बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर आरएनआई प्रेस संबंधी संकलन और विश्लेषण करता है जिसे उसकी वार्षिक रिपोर्ट में 'भारत में प्रेस' में शामिल किया जाता है

वेबसाइट: www.rni.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया तक प्रसारित करने की नोडल एजेंसी है यह सरकार तथा मीडिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करती है और मीडिया में आ रही जनता की प्रतिक्रियाओं को भी सरकार तक पहुंचाती है इसके 5 ज़ोन हैं, जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं पीआईबी क्षेत्रीय मीडिया की जरूरतें पूरी करने के लिए विविध साधनों जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, फीचर, लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग्स, साक्षात्कारों, संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस दौरों आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है पीआईबी सूचना का प्रसार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करता है सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ-साथ 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है, जो देशभर के अख़बारों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है पीआईबी मीडिया कर्मियों को प्रत्यायन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ताकि वे सरकारी स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंच बना सकें

प्रचार

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध विभागीय प्रचार अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, बैकग्राउंडर्स तथा

संवाददाता सम्मेलनों, प्रेस दौरों, मीडिया ब्रीफिंग्स आदि के जरिए मीडिया तक सूचना का प्रचार-प्रसार करते हैं ये अधिकारी अपने-अपने मंत्रियों को आवश्यक सेवा उपलब्ध कराते हैं तथा साथ ही उन मंत्रालयों के बारे में मीडिया की सूचना संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं

प्रधानमंत्री इकाई

प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल के लिए एक समर्पित इकाई है इस इकाई द्वारा मीडिया से संबंधित संकलन तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख मामलों को हाईलाइट करने वाली समाचार-पत्रों की कतरनें, साप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पोर्टलों की ओर से फीडबैक रिपोर्ट्स तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं के बारे में प्रेस कवरेज का विशेष सारांश शामिल हैं

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर पीआईबी की उपस्थिति ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न आयोजनों/कार्यकलापों/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर तत्काल और व्यापक प्रसार के लिए उपलब्ध कराई जाती है बजट प्रस्तुति, योग दिवस, स्वाधीनता दिवस आदि जैसे विशिष्ट आयोजनों के लिए विशेष इंफोग्राफिक्स, वीडियो मैसेज आदि तैयार किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं पीआईबी के अनेक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के भी अपने समर्पित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं

ट्विटर: ट्विटर पर पीआईबी के हैंडल @pibindia और @pibindia पर क्रमशः 1.35 मिलियन से अधिक तथा 42,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं

फेसबुक: पीआईबी के फेसबुक पेज www.facebook.com/pibindia को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 1,20,000 से अधिक हो चुकी है

इंस्टाग्रामः पीआईबी की इंस्टाग्राम गैलरी www.instagram.com/pibindia को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 52,000 से अधिक हो चुकी है

मीडिया इंटरैक्टिव सत्र

मीडिया इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन चुनिंदा राज्यों की राजधानियों में सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना, विकास योजनाओं आदि मुद्दों पर किया जाता है इस पहल के अंतर्गत, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आयोजन में भाग लेने तथा राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करने और सरकार के महत्वपूर्ण कदमों पर रोशनी डालने के लिए आमंत्रित किया जाता है 'वार्तालाप' कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विविध प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से छोटे शहरों/ग्रामीण पत्रकारों को परिचित कराने/अवगत कराने के लिए किया जाता है देशभर में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की सफलता गाथाएं बताने के लिए पीआईबी के मुख्यालय/स्थानीय व शाखा कार्यालय प्रेस दौरों का आयोजन करते हैं

ऑनलाइन प्रेस प्रत्यायन

पत्र सूचना कार्यालय विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से मान्यता प्रदान करता है मान्यता प्रक्रिया को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पीआईबी द्वारा प्रत्यायन के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली का संचालन 2010 से प्रारंभ किया गया, जिसे प्रत्यायन के अनुरोधों की बढ़ती संख्या के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए निरंतर अद्यतन किया जाता है

पत्रकार कल्याण कोष

पत्र सूचना कार्यालय की ओर से गंभीर बीमारी के कारण अत्यंत वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे पत्रकारों एवं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत तत्काल आधार पर एक बार अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार के परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है कैंसर, गुर्दा खराब होने, हृदय रोग, ब्रेन हैमरेज जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के खर्च हेतु भी 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है दुर्घटनाग्रस्त होने, गंभीर चोट के कारण हॉस्पिटल में दाखिल होने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है

आपात स्थितियों में कंट्रोल रूम

आपात स्थिति से निपटने के लिए पीआईबी के पास एक न्यूजरूम/कंट्रोल रूम है, जो सालभर, किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात सक्रिय रहता है किसी भी आपात और अनपेक्षित परिस्थिति में भी बहुत कम समय में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने तथा उसे उसी समय पीआईबी केंद्रों के माध्यम से देशभर में वेबकास्ट करने की व्यवस्था रात 9 बजे के बाद भी हमेशा तैयार रहती है आपात स्थिति तथा संकट के समय में कंट्रोल रूम रोज़ाना चौबीसों घंटे काम करता है

फीडबैक, फीचर एवं फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में परिलक्षित लोगों की धारणा से सरकार को अवगत कराना है इस बारे में देश की राजधानी में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों से, स्थानीय/शाखा कार्यालयों से स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों से प्राप्त होने वाले व टीवी समाचार चैनलों, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं से इनपुट प्राप्त किए जाते हैं

इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर मीडिया के रुझानों के बारे में भी उन्हें जानकारी प्रदान करता है कार्यालय की फीचर इकाई फीचर, सफलता की गाथाएं, पृष्ठभूमि, इंफो-नगेट्स, फोटो फीचर्स भी जारी करता है, जो क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भी अनुवाद और स्थानीय मीडिया में प्रसारित करने के लिए भेजे जाते हैं

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

पत्र सूचना कार्यालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)-2017 का अंग था, जिसका कार्य गोवा में समारोह स्थल पर मीडिया को समारोह के बारे में सूचनाएं प्रदान करने में सहायता करना था इसने समारोह में शिरकत करने वाले मीडियाकर्मियों को मीडिया केंद्र में कार्य करने के लिए अनुकूल एवं प्रोत्साहक वातावरण उपलब्ध कराया

वेबसाइट: www.pib.gov.in

समाचार एजेंसियां

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे बड़ी बिना मुनाफ़े वाली सहकारी संस्था है, जो देश के अख़बारों द्वारा चलाई जाती है और जिसका उद्देश्य अपने सभी ग्राहकों को संतुलित और निष्पक्ष खबरें प्रदान करना है पीटीआई की स्थापना अगस्त 1947 को हुई, लेकिन इसने काम करना फरवरी 1949 से शुरू किया पीटीआई की सेवाएं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं भाषा पीटीआई की हिंदी समाचार सेवा है पीटीआई के ग्राहकों में 500 भारतीय और कई विदेशी अखबार शामिल हैं देश के सभी बड़े टेलीविजन और रेडियो चैनल और बीबीसी लंदन जैसे- विदेशी चैनल इसकी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं पीटीआई के पास इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांस्पोंडर की सहायता से अपनी सेटेलाइट डिलिवरी प्रणाली है जिसकी बदौलत उसकी सेवाएं देशभर में कहीं भी सीधे प्राप्त की जा सकती हैं अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक

सैटेलाइट के जरिए पीटीआइ की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं पीटीआइ की फोटो सेवा को सैटेलाइट के साथ-साथ डायल-अप के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है

पीटीआई ने के-यू बैंड के जरिए समाचारों का सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहक ये सेवाएं सस्ते सैटेलाइट रिसीवर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं पीटीआई इंटरनेट पर भी उपलब्ध है एजेंसी की समाचार सेवा www.ptinews.com पर उपलब्ध है उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट पर पीटीआई की किसी भी सेवा को प्राप्त करने का विकल्प मौजूद है बर्ड स्पेस रेडियो प्रसारण के जरिए भी पीटीआई के समाचार उपलब्ध हैं पीटीआई की फोटो सेवा को सैटेलाइट के साथ-साथ डायल-अप के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है पीटीआई अब तस्वीरों का पुरालेखण कर रही है देश के लगभग हर जिले और कस्बे में पीटीआई के 400 से ज्यादा पत्रकार और लगभग 500 स्ट्रिंगर्स मौजूद हैं प्रतिदिन कुल मिलाकर पीटीआई अपने ग्राहकों को अलग-अलग श्रेणियों में 2,000 से ज्यादा खबरें और 200 से ज्यादा फोटोग्राफ प्रदान करती है

पीटीआई संवाददाता दुनियाभर में प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करते हैं दुनिया में अपनी पहुंच व्यापक बनाने के लिए पीटीआई के कई विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान संबंधी समझौते हैं वर्तमान में भारत में समाचार एजेंसी बाज़ार के नब्बे प्रतिशत हिस्से पर पीटीआई का कब्जा है समाचार और फोटो सेवाओं के अलावा पीटीआई फीचर, विज्ञान सेवा, आर्थिक सेवा, डाटा इंडिया और न्यूज स्कैन और स्टॉक स्कैन सेवाएं भी उपलब्ध कराती है पीटीआई टीवी बड़े निगमों के लिए वृत्तचित्र सेवा भी प्रदान करता है पीटीआई ने भारत में समाचार सेवा प्रदान करने के लिए एसोसिएटेड प्रेस (एपी) और एजेंसी फ्रांस प्रेस (एएफपी) के साथ करार किया हुआ है एपी की तस्वीरें और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक सूचनाएं देशभर में पीटीआई के माध्यम से वितरित होती हैं

वेबसाइट www.ptinews.com

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1959 में किया गया था और इसने 1961 से काम करना शुरू किया पिछले पांच दशकों में यूएनआई भारत में एक बड़े समाचार संगठन के रूप में उभरी है, जिसने समाचार संग्रह और उसके प्रसार में एक स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म दिया इसने 1982 में पूर्ण रूप से हिंदी सेवा 'यूनीवार्ता' की शुरुआत की इसी दशक में यूएनआई ने फोटो सेवा और ग्राफिक सेवा की भी शुरुआत की जून 1992 में यूएनआई ने पहली बार उर्दू समाचार सेवा की शुरुआत की यूएनआई की फोटो सेवा प्रतिदिन लगभग 200 तस्वीरें वितरित करती है जिनमें यूरोपीय प्रेस फोटो एजेंसी (ईपीए) और रॉयटर्स से प्राप्त 60 अंतरराष्ट्रीय तस्वीरें भी होती हैं इसकी ग्राफिक सेवा पांच या छह ग्राफिक हर रोज वितरित करती है

वेबसाइट: www.uniindia.gov.in

नैम समाचार नेटवर्क

नैम न्यूज नेटवर्क (एनएनएन) गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार और फोटो विनियम के लिए एक नयी इंटरनेट आधारित व्यवस्था है इस नेटवर्क की वेबसाइट www.namnews network.org पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियां समाचार और फोटो के रूप में योगदान करती हैं मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा कुआलालंपुर से इस नेटवर्क को संभाल रही है

अप्रैल 2006 से अस्तित्व में आई एनएनएन ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एनएएनएपी) की जगह ली, जिसने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच 30 वर्षों तक समाचार विनिमय किया इंटरनेट सस्ते और विश्वसनीय संचार माध्यम है और वह एनएनएन के 116 सदस्यों वाले गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के बीच सूचना का निरंतर प्रवाह करता है एनएएनएपी की स्थापना 1976 में हुई और यह सदस्य देशों के बीच सूचना के प्रसार का पहला प्रयास था जिन दिनों संचार लागत बहुत अधिक थी, उस दौरान एनएएनएपी ने गुटनिरपेक्ष समूह के देशों की समाचार एजेंसियों को समाचारों के आदान-प्रदान के लिए संचार के चैनल उपलब्ध कराए, ताकि उन सभी में समाचारों के विनिमय का एक साझा नेटवर्क स्थापित हो सके

वेबसाइटः namnewsnetwork.org

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने तथा भारत में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए संसद से अधिदेश प्राप्त है, यह अधिकारियों और प्रेसकर्मियों दोनों के लिए समान अर्धन्यायिक प्राधिकरण की तरह कार्य करती है परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं परिपाटी के अनुसार, जहां इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, वहीं इसके 28 सदस्यों में से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा पाठकों के हितों की निगरानी करने वाले 8 अन्य सदस्यों में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा-3 और राज्य सभा-2) तथा देश के प्रमुख साहित्यिक एवं विधिक निकायों यथा-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि होते हैं कानून के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद के पास अपना कोष होता है, जिसमें पंजीकृत समाचार-पत्रों पर उनके प्रसार के आधार पर लगाया जाने वाला शुल्क और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और अन्य पावतियां शामिल हैं

देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार-पत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना प्रेस परिषद का उत्तरदायित्व है परिषद सलाहकार की भूमिका भी निभाती है या तो स्वयं संज्ञान लेकर या कानून की धारा 13(2) के तहत सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर वह किसी भी विधेयक, विधान, कानून या प्रेस संबंधित अन्य मामलों का अध्ययन करती है और सरकार को या अन्य संबद्ध व्यक्ति को अपनी राय देती है सार्वजनिक महत्व के मामलों पर भी, उनकी संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बारे में, स्वतः संज्ञान लेकर परिषद मौके पर जांच कर सकती है

परिषद शिकायतों के मामलों पर, चाहे वे प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन की शिकायत हो या प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की शिकायत हो, अधिनिर्णय के माध्यम से प्रमुख रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करती है जांच के बाद यदि परिषद इस बात पर आश्वस्त हो जाती है कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के आदर्शों के मानकों या लोक रुचि का उल्लंघन किया है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई पेशेवर कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, डांट सकती है या उनकी भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण की निंदा कर सकती है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में परिषद के पास यह अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता में बाधक सरकार सहित किसी भी संस्था के आचरण पर अपनी टिप्पणी कर सकती है धारा (4) के तहत परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पंजीकरण कानून, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद की धारा 6 या उक्त अधिनियम की धारा 8बी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है इस बोर्ड में एक चेयरमैन और एक सदस्य होता है भारतीय प्रेस परिषद अपने सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करता है

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

देश में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है

वेबसाइट: www.presscouncil.nic.in

नया मीडिया प्रकोष्ठ

वर्ष 1945 में स्थापित अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम अब 'नया मीडिया प्रकोष्ठ' रखा गया है और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा एकांश के रूप में काम करता है यह मंत्रालय, उसकी मीडिया इकाइयों तथा जनसंचार से संबद्ध अन्य इकाइयों के इस्तेमाल के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है

सोशल मीडिया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सोशल मीडिया प्रकोष्ठ 2012 में अपनी शुरुआत के साथ ही अंतिम छोर तक पहुंच बनाने के लिए विविध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है मंत्रालय सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय है और उसने श्रोताओं के साथ सशक्त संबंध कायम किया है टॉकेथॉन और फेसबुक लाइव जैसे विभिन्न प्रारूपों में सोशल मीडिया संपर्कों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाता है, ताकि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता के बीच सीधा संवाद कायम किया जा सके ट्विटर पर मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल *@MIB_India* के प्रतिमाह औसतन 6 मिलियन इंप्रेशन्स सहित 929 फॉलोअर्स हैं मंत्रालय के फेसबुक पेज *@inbministry* पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं हाल ही में मंत्रालय ने सोशल मीडिया जगत में हिंदी भाषी लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हिंदी में भी ट्विटर हैंडल *@MIB_Hindi* प्रारंभ किया है

भारत-वार्षिक संदर्भ पुस्तक

प्रभाग अंग्रेजी में 'इंडिया-ए रैफरेंस एनुवल' के नाम से एक सालाना संदर्भ पुस्तक का प्रकाशन करता है जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विकास और प्रगति की जानकारी का संकलन होता है इसके साथ ही हिंदी में भारत नाम से प्रकाशित किया जाता है

फोटो प्रभाग

भारत सरकार की गतिविधियों की फोटो कवरेज करके दृश्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित फोटो प्रभाग एक स्वतंत्र मीडिया इकाई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है तथा यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश में अपने किस्म की सबसे बड़ी निर्माण इकाई है फोटो प्रभाग की स्थापना 1959 में इस माध्यम के महत्व को देखते हुए, पृथक विभाग की स्थापना करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप की गई थी, क्योंकि तस्वीर सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सटीक ब्योरा प्रस्तुत करती हैं साथ ही साथ सही प्रक्षेपण के लिए नए माध्यम को मान्यता देती है, व्यावसायिक विशेषज्ञों की देखरेख में पुरातात्विक रिकॉर्ड तैयार करती है यह कार्य प्रकाशन विभाग और पत्र-सूचना कार्यालय और डीएवीपी की फोटो इकाई को जोड़कर किया गया, ताकि कार्य-कलापों का दोहराव समाप्त हो सके यह प्रभाग भारत सरकार की उपलब्धियों और कार्यकलापों के देश और विदेशों में प्रसार और अन्य उद्देश्यों के लिए फोटोग्राफिक विजुअल तैयार करता है अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 59 साल में प्रभाग के पास लगभग 10 लाख चित्रों का संकलन है प्रभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर साल 2010 में राष्ट्रीय फोटो-चित्र पुरस्कारों की शुरुआत की, ताकि देश की कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, दैनिक जीवन, समाज और इसकी परंपराओं को प्रोत्साहित किया जा सके और देशभर के पेशेवर और उभरते हुए छायाकारों को बढ़ावा दिया जा सके आधिकारिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रभाग की अपनी वेबसाइट है प्रभाग तस्वीरों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जाने की प्रक्रिया में है

अन्य मीडिया इकाइयों से तालमेल

मीडिया की अन्य इकाइयों से तालमेल स्थापित करने के लिए प्रभाग ने कई उपाय किए हैं 8-10 लाख अभिलेखीय और वर्तमान चित्रों के बीच वैश्विक स्तर पर तालमेल के लिए प्रभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है इस वेबसाइट के माध्यम से प्रभाग ने छवियों को ई-कॉमर्स के जरिए खरीदने/बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है अभिलेखीय छवियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्ति के लिए एक उच्च क्षमता वाला सर्वर लगाया गया है समाचार-पत्रों और पत्र-सूचना कार्यालय को चित्र भेजने में देरी न हो इसके लिए फोटो समाचार नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल शैली में काम कर रहा है विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्रदर्शनी के उद्देश्य से बड़ी डिजिटल छवियों की आपूर्ति कर सके इसके लिए भी प्रभाग पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है

वेबसाइट: www.photodivision.gov.in

प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार के रूप में प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा है: (1) भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन, (2) राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन से समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना; समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तकें छापना और (3) बाल साहित्य का प्रकाशन

यह लोकप्रिय पुस्तकों तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पत्रिकाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण में संलग्न भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन संगठनों में से एक है विभाग अन्य विषयों के अलावा भारतीय पैनोरमा के विविध पहलुओं यथा— कला और संस्कृति, आधुनिक भारत के निर्माताओं व सांस्कृतिक नेताओं की जीवनियों, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के जीवन और कार्य, भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है

विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खंडों में अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) और हिंदी में संपूर्ण गांधी वाङ्मय शामिल है, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी का ई- संस्करण (ईसीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है मास्टर कॉपी सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में उपलब्ध है, इसमें किसी भी विषय को आसानी से खोजा जा सकता है विशेषज्ञ पैनल की देखरेख में मास्टर कॉपी के आधार पर सीडब्ल्यूएमजी का प्रिंट संस्करण भी तैयार किया गया है प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के साथ साझेदारी में कई धरोहर प्रकाशनों को बहाल और पुनः प्रकाशित करने करने में संलग्न है

2019 में गांधीजी की 150वीं जयंती मनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण गांधीवादी प्रकाशन यथा— इंडियन वीमेन इन सत्याग्रह, गांधीः एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका (अंग्रेजी), गांधी इन चंपारण (तमिल और कन्नड़ संस्करण) तथा अनेक अन्य गांधीवादी पुस्तकों का बच्चों और युवाओं के लिए अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन किया गया है

पत्रिकाएं

पुस्तकों के अलावा, प्रकाशन विभाग 18 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है, जिनमें योजना- अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में, आजकल (हिंदी और उर्दू), बाल भारती (हिंदी) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी) और साप्ताहिक पत्र रोज़गार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में) का प्रकाशन शामिल हैं विभाग की पत्रिकाओं के पाठक बहुत बड़ी संख्या में हैं और इन पत्रिकाओं की जनता के बीच विश्वसनीयता बहुत अधिक है ये पत्र और पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, बाल साहित्य और रोज़गार एवं करियर के विकल्पों पर सूचना जैसे व्यापक विषय वाले क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों को परिलक्षित करते हैं इन पत्रिकाओं का ऑनलाइन ग्राहक भी बना जा सकता है, विवरण इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है

एम्प्लॉइमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार, हर शनिवार को जारी होने वाला साप्ताहिक अखबार है और यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में एक साथ प्रकाशित होता है इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के बारे में सूचना प्रदान करता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के नोटिस, परीक्षा के नोटिस और यूपीएससी, एसएससी जैसे संगठनों और अन्य सामान्य भर्ती निकायों के परिणामों का प्रकाशन करता है

डिजिटल आर्काइव्स और ई-पुस्तकें तैयार करना: प्रकाशन विभाग ने अब अपने प्रकाशनों को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से उनका डिजिटीकरण करने का महत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण किया है तथा वह चुनिंदा विक्रय योग्य पुस्तकों की ई-बुक्स तैयार करवा रहा है अभिलेखीय मूल्य वाली पुस्तकों को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल आर्काइव किया जा रहा है वर्ष 2015 से, प्रमुख प्रकाशन-वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया और भारत का डिजिटीकरण कर दिया गया है और उन्हें विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्णतया खोजे जा सकने वाली और डाउनलोड की जा सकने वाली ई-बुक्स में परिवर्तित कर दिया गया है

पुस्तकों और पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री: डीपीडी ने महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय के साथ सहयोग से भारतकोष पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपनी प्रकाशित पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है

सूची और व्यापार संबंधी अन्य प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण: सूची प्रबंधन, रॉयल्टी के भुगतान, बिक्री, लेखा, ग्राहक प्रबंधन, बिक्री एम्पोरियम के साथ नेटवर्किंग सहित प्रकाशन विभाग की समूची व्यापार संबंधी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है, जो वेबसाइट्स को प्रकाशित पुस्तकों साथ ही साथ ई-बुक्स की उसके डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री करने में समर्थ बनाता है

विभाग की समर्पित वेबसाइट्स http://www.publicationsdivision.nic.in है, योजना के लिए www.yojana.gov.in और रोज़गार समाचार के लिए वेबसाइट http://employmentnews.gov.in हैं

प्रकाशन विभाग फेसबुक पर https://www.facebook.com/prakashan.vibhag और ट्विटर डॉट कॉम @DPD_India पर भी मौजूद है

व्यापार एवं वितरण नेटवर्क

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री एवं वितरण सूचना भवन स्थित उसके मुख्यालय और दिल्ली सचिवालय, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम स्थित कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है व्यापार संबंधी प्रश्नों के उत्तर dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com और pdjucis@gmail.com ई-मेल भेजकर और प्रकाशन विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की गाथा आजादी के बाद से देश के घटनाप्रधान वर्षों के समकालिक है और पिछले 67 वर्षों से यह प्रभाग भारतीय जनता को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है फिल्म प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्य देश के राष्ट्रीय स्वरूप पर केंद्रित हैं, ताकि लोगों को शिक्षित और प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके तथा भारतीय और विदेशी दर्शकों के समक्ष भारत की समृद्ध विरासत की तस्वीर पेश की जा सके देश के वृत्तचित्र आंदोलन को मजबूती और गति प्रदान करना भी फिल्म प्रभाग का एक लक्ष्य है, क्योंकि यह देश के सूचना, संवाद और सौहार्द के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र, लघु फिल्में, एनिमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है प्रभाग देशभर के लगभग 4,000 सिनेमाघरों और साथ ही गैर-थियेटर सर्किटों जैसे- क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की इकाइयों, दूरदर्शन, शैक्षिक संस्थानों, फिल्म समितियों और स्वयंसेवी संगठनों की जरूरतों को पूरा करता है फिल्म प्रभाग के थियेटर सर्किटों में राज्य सरकारों के वृत्तचित्रों और न्यूज रील्स को भी जारी किया जाता है फिल्म प्रभाग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी वृत्तचित्र फिल्मों और फीचर फिल्मों के प्रिंट, स्टॉक शॉट और डीवीडी/वीसीडी और उनके वितरण अधिकार बेचता है फिल्म निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग फिल्म निर्माताओं को अपने रिकॉर्डिंग थियेटर, एडिटिंग कक्ष और अन्य सिने उपकरण किराए पर उपलब्ध कराता है

अभिलेखीय शोध केंद्र

अभिलेखीय शोध केंद्र(एआरसी) फोटो प्रभाग की एक मल्टी स्टेशन शोध सुविधा है जिसकी शुरुआत 26

अक्टूबर, 2013 में की गई थी यह सुविधा का लक्ष्य उस विजुअल इतिहास और विजुअल प्रलेखन की विपुल संपदा को साझा करना है, जिसे फिल्म प्रभाग अपनी संकल्पना के बाद से संजोता आया है एआरसी ने फिल्म प्रभाग के संपूर्ण अभिलेखागार को 15 शोध केंद्रों पर उपलब्ध कराया है अनुसंधान इत्यादि के उद्देश्य से इन पंद्रह केंद्रों पर फिल्म प्रभाग का अभिलेखागार उपलब्ध रहेगा

अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह

फिल्म प्रभाग 1990 से द्विवार्षिक 'वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव' (एमआईएफएफ) का आयोजन कर रहा है यह फिल्मोत्सव फिल्मकारों, निर्माताओं, वितरकों, प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को मिलकर विचारों और धारणाओं का आदान-प्रदान करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की अवधारणा एक विलक्षण विचार है, जिसका अनुसरण भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार किया गया है भारतीय सिनेमा के 100 साल के इतिहास में, ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी बहुत-सी सामग्री नष्ट या खराब हो गई है अथवा संरक्षण के अभाव उसकी उचित देखरेख नहीं की गई है क्योंकि भारत में कोई फिल्म संग्रहालय नहीं है इसलिए यह संग्रहालय सिर्फ आम लोगों के लिए ही सूचना का विशाल खजाना नहीं साबित होगा, बल्कि फिल्मकारों, समीक्षकों और विद्यार्थियों को भी न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर सिनेमा के विकास क्रम को समझने में मदद करेगा

एफडी जोन

एफडी जोन फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं का संयुक्त अनुभाग है, जो डॉक्युमेंटरी, लघु फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों तथा कला के क्षेत्र में अग्रगामी और सार्थक सिनेमा की नियमित क्युरेटिड स्क्रीनिंग का आयोजन करता है प्रत्येक स्क्रीनिंग के लिए कोई स्वतंत्र फिल्मकार स्वैच्छिक आधार पर फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के मिश्रण को स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत करता है कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाने वाली स्वतंत्र फिल्मों के निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर या संपादक, ध्वनि रिकार्डिस्ट और निर्माण दल के प्रमुख सदस्यों को दर्शकों के साथ वार्तालाप के लिए स्क्रीनिंग के समय आमंत्रित किया जाता है फिल्मों की स्क्रीनिंग निःशुल्क और सबके लिए खुली होती है
वेबसाइट: www.filmsdivision.org

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) का निगमन (शत-प्रतिशत स्वामित्व वाला भारत सरकार का निकाय) 1975 में किया गया था इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करना है फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) तथा इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (आईएमपीईसी) के एनएफडीसी में विलय के द्वारा 1980 में एनएफडीसी का पुनर्निगमन किया गया था

पूर्व फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) का गठन 1964 में हुआ था इसका प्रमुख उद्देश्य युवा प्रतिभावान फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था, जबकि स्वायत्त निकाय इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आईएमपीईसी) का गठन फिल्मों के आयात-निर्यात के नियमन और देश में नए स्टॉक के प्रबंधन के लिए हुआ था भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को समुचित माहौल उपलब्ध कराने के लिए एक निकाय की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने एफएफसी और आईएमपीईएस का विलय एनएफडीसी में कर दिया एनएफडीसी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों को या तो वित्तीय सहायता दी है या निर्माण किया है विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी इन फिल्मों को व्यापक पैमाने पर सराहा गया है और इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं निगम का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है, जबकि इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में और एक शाखा कार्यालय

तिरुवनंतपुरम में है

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय है यह निकाय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत जारी किए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही भारत में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है भारत में पहली फिल्म (राजा हरिशचंद्र का निर्माण 1931 में दादासाहेब फाल्के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1920 में पारित और लागू किया गया उन दिनों सेंसर बोर्ड्स (तब उन्हें इसी तरह पुकारा जाता था) मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और रंगून के पुलिस प्रमुखों के नियंत्रण में होते थे क्षेत्रीय सेंसर्स स्वतंत्र थे स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय सेंसर्स की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई और उन्हें बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के अंतर्गत लाया गया सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के लागू होने के साथ ही बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के रूप में एकीकृत और पुनर्गठित किया गया

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों को 1983 में संशोधित किया गया और तब से केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाने लगा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है) और यह अपने मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ काम करता है इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं फिल्मों की जांच में परामर्शी पैनल क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा परामर्शी पैनलों के सदस्यों के रूप में 2 साल की अवधि के लिए नामित किया जाता है

प्रमाणन की प्रक्रिया सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983, और अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार है शुरुआत में केवल दो प्रमाण-पत्र यू और ए होते थे 1983 में दो और प्रमाण-पत्र अर्थात यूए और एस शुरू किए गए यूए का आशय है कि यह फिल्म बे-रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई है, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता से कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हैं, 'एस' प्रमाण-पत्र कुछ ख़ास दर्शकों जैसे डॉक्टरों के लिए उपयुक्त फिल्मों को दिया जाता है

वेबसाइट: www.cbfcindia.gov.in

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी इसके लिए यह मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है- (ए) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, (बी) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, (सी) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में दूतावासों के जरिए भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन, (डी) भारतीय पैनोरमा का चयन, (ई) विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी, (एफ) भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन और (जी) प्रिंट संग्रहण तथा प्रलेखन

ये गतिविधियां सिनेमा के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों, संस्कृति तथा अनुभव के आदान-प्रदान के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करती हैं ये भारतीय सिनेमा को सशक्त मंच प्रदान करती हैं तथा भारतीय फिल्मों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देती हैं देश के भीतर इसने विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियां आम जनता, फिल्म उद्योग तथा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है

भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत का 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), नौ दिन तक फिल्म प्रदर्शन, मास्टर क्लासेस, विचार-विमर्श और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के पश्चात् 28 नवंबर, 2018 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ

वेबसाइट: www.iffigoa.goa

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हैं जोकि सिनेमाई उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, साथ ही साथ सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है 3 मई, 1913 को पहली भारतीय फ़ीचर फ़िल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे

*64*वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार सुमित्रा भावे और सुनील सुकथनकर द्वारा निर्देशित फ़िल्म कसाव (मराठी) ने जीता संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार वी.वी. रेड्डी द्वारा निर्देशित फ़िल्म सथमनाम भवाथी (तेलुगू) को दिया गया अक्षय कुमार को फ़िल्म रुस्तम (हिंदी) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सुरभि सी.एम. को फ़िल्म मिन्नामिनुनगु-द फायर फ्लाई (मलयालम) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया चंद्रशेखर रेड्डी द्वारा निर्देशित फ़िल्म द फायर फ्लाइज इन द अबिस को सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार लताः सुरगाथा नामक पुस्तक को दिया गया जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्रा हैं जबकि जी. धनंजयन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समालोचक का सम्मान दिया गया भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए वर्ष 2016 का प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के पुरस्कार विख्यात फिल्मकार के. विश्वनाथ को दिया गया

महात्मा गांधी फिल्मोत्सव

महात्मा गांधी फिल्मोत्सव का आयोजन मोतीहारी, बिहार में 14-16 अप्रैल, 2017 की अवधि में किया गया यह फिल्मोत्सव महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाए गए चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया इसका आयोजन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी के सहयोग से किया गया
वेबसाइट: www.dfl.nic.in

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सिनेमा के संरक्षण का अपना महत्व है और दुनियाभर में इसे मान्यता दी गई है सिनेमा को इसके तमाम रूपों और प्रकारों में संरक्षित करने के लिए एक ऐसा संगठन जरूरी है जिसका स्थायी ढांचा हो, जिसे फिल्म उद्योग का विश्वास प्राप्त हो और जिसके पास पर्याप्त संसाधन तथा विशेषज्ञता हो इसीलिए मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में फरवरी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) की स्थापना की गई इसके निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य हैं: राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, उसे जानना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संग्रह तैयार करना, फिल्मों से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकृत और अभिलेखबद्ध करना, सिनेमा पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा इसके नतीजों का प्रकाशन-वितरण करना, देश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने के केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना, एनएफएआई ने अपने अस्तित्व के 50 वर्षों के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं

फिल्म भंडारण/संरक्षण

एनएफएआई में अंतरराष्ट्रीय मानकों और विशिष्टताओं से युक्त लगभग 27 अत्याधुनिक फिल्म संरक्षण सुविधाएं/कक्ष हैं इन कक्षों में लगभग 2 लाख फिल्म रील के भंडारण की क्षमता है फिल्म कक्षों में श्वेत-श्याम फिल्मों, रंगीन फिल्मों और नाइट्रेट आधारित फिल्मों के लिए निम्नलिखित तापमान रखे जाते हैं:

फिल्मों का प्रकार	तापमान	संबंधित आर्द्रता
नाइट्रेट फिल्में	10-12 डिग्री सेल्सियस	40 प्रतिशत
श्वेत-श्याम फिल्में	10-12 डिग्री सेल्सियस	40 से 50 प्रतिशत
रंगीन फिल्में	2 डिग्री -4 डिग्री सेल्सियस	30 प्रतिशत

फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स

फिल्म संस्कृति के प्रसार के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि स्क्रीन शिक्षा योजना है, जिसमें भारतभर में विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले दीर्घ या लघु अवधि के फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स शामिल हैं

फिल्मों की आपूर्ति

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एनएफएआई विभिन्न गतिविधियां चलाता है उसके वितरण पुस्कालय में देशभर में लगभग 25 सक्रिय फिल्म क्लब/सदस्य हैं देशभर में विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रमों और फिल्म समारोहों के लिए आर्काइव फिल्मों की आपूर्ति करता है

फिल्म समारोहों में शिरकत

एनएफएआई ने देश-विदेश में विभिन्न फिल्म समारोहों में हिस्सा लेता है और महोत्सव के लिए निर्धारित विलक्षण विषयों पर विभिन्न रेट्रस्पेक्टिव में उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों और पोस्टरों प्रदर्शनियों के संग्रह का प्रदर्शन करता है

वेबसाइट: www.nfai.gov.in

राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन

भारत सरकार के प्रतिष्ठित मिशन- राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) की शुरुआत नवंबर 2014 में देश की फिल्म धरोहर को बहाल करने और उसका संरक्षण करने के लिए की गई यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंग है, जो 13वीं योजना में जारी रहेगी इस पहल की फिल्म उद्योग द्वारा बड़े पैमाने पर सराहना की गई इस नई योजना के आयोजना में एनएफएआई के पास उपलब्ध फिल्मों के डिजिटीकरण/बहाली का ध्यान रखा गया है

एनएफएचएम के उद्देश्यों में (1) फिल्म संग्रह की स्थिति का आकलन करना और फिल्म के शेष जीवन का पता लगाना, (2) 1,32,000 फिल्म रीलों का बचाव व संरक्षण, (3)1,086 युगांतकारी फिल्मों और भारतीय सिनेमा के 1,152 शॉटर्स के 2के/4के चित्र और ध्वनि की बहाली तथा नयी पिक्चर की रिकॉर्डिंग और प्रत्येक फिल्म के साउंड इंटर-निगेटिव्स की रिकॉर्डिंग, (4) 1,160 फ़ीचर फ़िल्मों और 1,660 शॉटर्स का डिजिटिकरण, (5) एनएफएचएम के अंतर्गत बहाल की गई सामग्री के संरक्षण के लिए एनएफएआई परिसर, पुणे में धूलरहित, कम आर्द्रता और कम तापमान वाली परिस्थितियों में अभिलेखीय और संरक्षणात्मक सुविधाओं का निर्माण और (6) संरक्षण, परिरक्षण और पुरालेखन के क्षेत्र में इस क्षेत्र की विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम

बाल चित्र समिति, भारत

बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1955 से कार्य करना शुरू किया था यह बच्चों की रचनात्मकता, करुणा और महत्वपूर्ण चिंतन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से बाल फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन करने तथा देश में उत्साहजनक बाल संस्कृति का सृजन और पोषित करने के लिए अधिदेशित है सीएफएसआई ने इस तरह की फिल्मों, धारावाहिकों, एनिमेशन्स और वृत्तचित्रों का निर्माण, प्रदर्शन और वितरण किया है, जो बच्चों का मनोरंजन करते हैं और उन्हें अपने आस-पास की दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं 15 भाषाओं में 260 से

अधिक फिल्मों की आकर्षक सूची के साथ सीएफएसआई देश में बाल फिल्मों की प्रमुख निर्माता है इनमें से अनेक फिल्मों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं

सीएफएसआई फिल्में सिनेमा के माध्यम से बड़ी तादाद में बच्चों को मूल्यों पर आधारित मनोरंजन उपलब्ध कराती हैं ये फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि उनमें ढेरों संदेश भी शामिल किए जाते हैं, जिनमें जब इरादे मजबूत हों, तो सपने साकार होना नामुकिन नहीं रहता, बड़ों का सम्मान करो, जनजातीय लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, परिवार सबसे बढ़कर होता है और इसके प्रत्येक सदस्य को बचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए, चमत्कार नहीं, कड़ी मेहनत आपको फल दिलाती है, खेलों के माध्यम से सामाजिक संबंध, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से प्रेम करो, अपनी शारीरिक अक्षमता के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस करो, बच्चे भी राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता आदि में योगदान कर सकते हैं, आदि शामिल हैं

फिल्म निर्माण

सीएफएसआई की ओर से भावी फिल्म निर्माताओं को 23 भारतीय भाषाओं में किसी भी शैली या अवधि की बाल फिल्म का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है सीएफएसआई का वार्षिक लक्ष्य एनई संघटक सहित 10 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ 3 फीचर और 2 लघु फिल्मों का निर्माण करना है सीएफएसआई पुरस्कृत विदेशी फिल्मों की डबिंग, सबटाइटलिंग खरीद भी करती है

राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भागीदारी

सीएफएसआई फिल्मों ने विविध विख्यात राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भाग लिया है और वाह-वाही बटोरी है तथा अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की स्थापना 1955 में हुई थी और ये भारत सरकार की नोडल मल्टी-मीडिया विज्ञापन एजेंसी है गत 63 वर्षों के दौरान यह निदेशालय लगभग सभी मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचार संबंधी जरूरतों को, एक ही स्थान पर किफायती दरों पर सेवा उपलब्ध करा के पूरा करता आ रहा है ये निदेशालय ग्रामीण और शहरी लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित और शिक्षित करता है और उन्हें विकासशील गतिविधियों में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है इसके लिए निदेशालय प्रिंट मीडिया विज्ञापनों, श्रव्य दृश्य विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार सामग्री, प्रदर्शनियों और बाह्य प्रचार, न्यू मीडिया और मास मेलिंग जैसे संचार के साधनों का इस्तेमाल करता है डीएवीपी के मुख्यालय के संगठनात्मक ढांचे के कई खंड हैं जैसे-अभियान, विज्ञापन, बाह्य प्रचार, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, मास मेलिंग, श्रव्य-दृश्य खंड डिज़ाइन स्टूडियो, प्रशासन और खाता इसके बंगलुरु और गुवाहाटी स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो इन क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों का संचालन करते हैं

डीएवीपी की देशभर में 32 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाई सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में काम करती है ये क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां, देश के दूर-दराज के इलाकों में मल्टी-मीडिया प्रदर्शनियां लगाकर प्रमुख राष्ट्रीय मामलों पर केंद्र सरकार की सामाजिक और विकासप्रद नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को सूचित करती हैं

डीएफपी, एसएंडडीडी और डीएवीपी का एकीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एकीकृत प्रचार/संचार अभियान चलाते हुए क्षेत्र प्रचार निदेशालय (डीएफपी), गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) और डीएवीपी के मानव और वित्तीय संसाधनों को सम्मिलित कर दिया है

क्षेत्रीय और फील्ड इकाइयों के लिए एसएंडडीडी और डीएवीपी की समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड इकाइयां 22 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डीएफपी की 147 फील्ड इकाइयों में सम्मिलित कर दी गई हैं तद्नुसार, एसएंडडीडी और डीएवीपी को अपनी मौजूदा क्षेत्रीय फील्ड इकाइयां बंद करनी होंगी और उन्हें

उनकी नजदीकी क्षेत्रीय फील्ड इकाइयों के साथ-साथ रखना होगा इन एकीकृत क्षेत्रीय इकाइयों का नया नाम रीजनल आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) हो गया है

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी), एक मीडिया इकाई है, जो भारत सरकार के अंतर्गत लोगों से सीधे संपर्क साधने वाला एकमात्र निदेशालय है डीएफपी लोगों से सीधे संपर्क साधकर और माइक्रो स्तर की संचार गतिविधियों यथा— प्रभावशाली व्यक्तियों को जानकारी प्रदान कर, लक्षित लाभार्थियों के साथ परस्पर संवाद, सामूहिक चर्चाओं, प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताएं जैसे- स्वस्थ मां और बच्चा शो, फाटो प्रदर्शनियों, जलसों, फिल्म प्रदर्शनों, जनसभाओं के आयोजन के जरिए प्रभावी ढंग से तैयार संचार कार्यक्रमों का लक्षित और संभावित लाभार्थियों के बीच संचालन करता है इस प्रक्रिया में डीएफपी को अन्य केंद्रीय और राज्यस्तरीय विभागों/एजेंसियों से भी सहायता मिलती है

इसके 22 क्षेत्रीय कार्यालय और कुल 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां हैं, जो देशभर में फैली हैं और ज्यादातर जिला मुख्यालयों में स्थित हैं हर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 6 से 14 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां हैं अपनी गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय प्रचार इकाई के पास वाहन और अन्य श्रव्य और दृश्य उपकरण होते हैं डीएफपी के संचार दल सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जनता को, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में जनता को जागरूक करते हैं

डीएफपी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में कामकाज को सुगम बनाने के लिए सूचना और संचार तकनीक (आईसीटी) को प्रभावी ढंग से अपनाया है सभी क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां अपने कार्यक्रमों, वित्त और प्रशासन संबंधी विषयों पर ऑनलाइन रिपोर्ट देती हैं डीएफपी वेबसाइट काफी सूचनाप्रद है और 22 क्षेत्रीय कार्यालयों की अपनी वेबसाइट्स हैं डीएफपी अपनी पहुंच संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डालने और सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में संदेशों का प्रचार करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है
वेबसाइट: www.dfp.nic.in

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत और नाटक प्रभाग को ऑल इंडिया रेडियो की एक इकाई के रूप में 1954 में स्थापित किया गया था और विकास संचार के अधिदेश के साथ 1956 में एक स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दिया गया था यह संचार के एक माध्यम के रूप में कला प्रदर्शन का उपयोग करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है प्रभाग सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय विषयों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों के माध्यम से नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, लोक एवं पारंपरिक गायन जैसे कला रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

भारतीय फिल्म संस्थान (एफटीआईआई) की स्थापना 1960 में की गई थी 1974 में टेलीविजन शाखा खोलने के बाद इसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नाम दिया गया अक्टूबर 1974 में यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी बन गया सोसायटी में मशहूर हस्तियां हैं जिनमें फिल्म, टेलीविजन, संचार से जुड़े लोग तथा संस्थान के छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं संस्थान एक शासी परिषद के अंतर्गत कार्य करता है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है अकादमिक परिषद संस्थान की शैक्षिक नीतियां और योजनाएं तैयार करती हैं स्थायी वित्त समिति संस्थान के वित्त से जुड़े मामलों को देखती है संस्थान के दो खंड हैं- फिल्म और टेलीविजन खंड, दोनों श्रेणियों में पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं इनमें तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से लेकर फिल्म निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और फिल्म संपादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं संस्थान अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाता है तथा एक साल का स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेजीविजन निर्माण कला और तकनीक में

आधुनिकतम शिक्षा प्रदान करता है दूरदर्शन और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है यह संस्थान आधुनिकतम डिजिटल और प्रसारण उपकरणों से लैस है जैसे- नॉन लीनियर बीटा कैम और ए/बी ऑल एडिटिंग सेटअप, डिजिटल कैमरा जैसे- सोनी बीवीपी-500 पी, सॉफ्ट क्रोमा कीयर, डिजिटल स्पेशल इफेक्ट्स जेनेरेटर, एलियास सॉफ्टवेयर के साथ सिलिकॉन ग्राफिक्स 02 वर्कस्टेशन, आधुनिक फिल्म कैमरा और रिकार्डिंग स्टूडियो आदि जो संस्थान के प्राध्यापकों और छात्रों को एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं
वेबसाइट: www.ftiindia.in

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेजीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना एक स्वायत्तशासी शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण कानून, 1961 के अधीन पंजीकृत कराया गया फिल्म जगत की मशहूर हस्ती सत्यजीत रे के नाम पर कोलकाता में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है इनके अलावा संस्थान टेलीविजन और फिल्म से संबंधित लघु और मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है समाजशास्त्र, संस्कृति एवं फिल्म और टेलीविजन की टेक्नॉलोजी के बारे में शोध एवं अन्वेषण अध्ययन ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जिन पर एसआरएफटीआई द्वारा ध्यान दिया जाता है

एसआरएफटीआई का संचालन भारत सरकार द्वारा गठित सोसायटी द्वारा किया जाता है अध्यक्ष के नेतृत्व में यह सोसायटी शासी परिषद के जरिए संस्थान को चलाती है शासी परिषद का गठन सोसायटी के चुनिंदा सदस्यों से किया जाता है यह शासी परिषद संस्थान के सभी कार्यकारी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है आवश्यकता पड़ने पर यह अकादमिक परिषद्, स्थायी वित्त समिति आदि जैसी विविध समितियों/निकायों का गठन भी करती है
वेबसाइट: www.srfti.in

भारतीय जनसंचार संस्थान

सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की स्थापना 1965 में की गई थी संस्थान की स्थापना जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य के साथ की गई थी

यह संस्थान प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो और टेजीविजन पत्रकारिता और विज्ञापन और जनसंपर्क में कई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है 1969 से संस्थान, एशियाई, अफ्रीकी देशों के मध्यमस्तरीय पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है ये पाठ्यक्रम विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में चलाया जाता है

इसके अलावा संस्थान छोटी अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है जो एक सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक के होते हैं ये पाठ्यक्रम केंद्र, राज्य सरकार में मीडिया प्रचार विभागों में काम करने के इच्छुक मीडियाकर्मियों के लिए होते हैं ये संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करता और अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है

संस्थान न सिर्फ भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों की सूचना संबंधी जरूरतों के लिए उपयोगी सूचना ढांचे को बनाने और मजबूत करने में अपना योगदान देता है संस्थान अपनी विशेषज्ञ और सलाहकार सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों/अंगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदान करता है संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसकी एक शाखा 1993 में ओडिशा के धेनकलान में खोली गई

वर्तमान में यहां दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पत्रकारिता अंग्रेजी और उड़िया में चलाए जाते हैं भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है संस्थान की गतिविधियों की देखरेख के लिए कार्यकारी परिषद होती है जिसके अध्यक्ष (पदेन रूप में) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव होते हैं और वे संस्थान (सोसायटी) के अध्यक्ष भी होते हैं इनके साथ-साथ

परिषद में मीडिया के क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियां तथा संस्थान के फैकल्टी के सदस्य भी होते हैं अपने चार दशक से अधिक के निरंतर अथक परिश्रम और बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत संस्थान ने 'उत्कृष्टता के केंद्र' का दर्जा हासिल किया है

शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान

संस्थान की शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों को चार कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है- छात्रों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम: इनके अंतर्गत पत्रकारिता में चार पाठ्यक्रम और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में एक पाठ्यक्रम शामिल हैं (1) अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (2) हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (3) ओड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (4) अंग्रेजी और हिंदी में रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (5) विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी और हिंदी)

इस चार महीने के पाठ्यक्रम की एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमरीकी और अन्य विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों के बीच खूब मांग है पाठ्यक्रम के हर समूह में 20 से 25 प्रतिभागी होते हैं संस्थान हर वर्ष ऐसे दो पाठ्यक्रम चलाता है

अल्पावधि पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन

भारत और अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में बेहतर समझ कायम करने में योगदान देने और उभरती नई तकनीकों और उनके बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए संस्थान संचार और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अल्पावधि पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करता रहता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के लिए समय-समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता रहता है रक्षा अधिकारियों और केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मीडिया और प्रचार विभागों में काम करने वाले लोगों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान एक सप्ताह से लेकर 12 हफ्तों तक के कार्यक्रम चलाता है
वेबसाइट: www.iimc.nic.in

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) लाभ अर्जित करने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी इसका उद्देश्य निजी प्रसारणकर्ताओं को राष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओं की विशेषज्ञता उपलब्ध कराना था वर्तमान में, बेसिल प्रसारण अभियांत्रिकी में एक स्थापित सलाहकार, समेकित प्रणाली और समाधान उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है बेसिल द्वारा कई प्रकार की प्रसारण प्रणालियों का संचालन और रखरखाव भी किया जाता है इसके ग्राहकों में सरकारी, अर्द्धसरकारी, विदेशी और निजी संगठन शामिल हैं

बेसिल के विशेषज्ञता क्षेत्र निम्नलिखित हैं: फ्रीक्वेंसी, कवरेज योजना और अनुमान आदि के साथ रेडियो और टीवी प्रसारण सुविधाओं की स्थापना आदि, सीधे प्रसारण और डाटा प्रसारण में सक्षम ईथरनेट संयोजकता सहित ध्वनि और दृश्य के लिए अत्याधुनिक स्टूडियो सुविधाओं की स्थापना, केबल टीवी प्रणालियों और एचआईटी (हेड एंड इन द स्काई) तथा वायरलाइन प्रसारण की स्थापना, सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए टर्न-की समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी समाधान (रेडियो और टीवी टेरिस्ट्रीयल या सैटेलाइट) और जीएसएम, सीडीएमए और वी-सैट के लिए सुरक्षा संबंधित निगरानी प्रणाली की अवधारणा से लेकर उसे शुरू करने तक की व्यवस्था, सभी प्रकार के प्रसारण इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों की बिक्री और सहायता, नई तकनीक से डीएसएनजी वाहनों का डिजाइन और एकीकरण, प्रसारण केंद्रों, टीवी स्टूडियो, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी क्षेत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए पेशेवर लोग उपलब्ध कराना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए विभिन्न प्रकार के निगरानी, अवरोधक और कूटलेखन, विकोडन उपकरणों की आपूर्ति और सहायता पर उपलब्ध कराना

बेसिल के ग्राहकों में सरकारी, अर्द्धसरकारी, विदेशी और निजी संगठन शामिल हैं इसे भारत में कई

तरह की पहल करने का श्रेय प्राप्त है जिनमें प्रथम टेलीपोर्ट की स्थापना करना, पहली बार अवसरंचना स्थापित करना, बंगलुरु में 7 एफएम चैनलों को मिलाते हुए भारत में पहली बार मल्टी चैनल प्रसारण शुरू करना, राष्ट्रपति सचिवालय और लोकसभा टीवी के लिए पहली बार एचडीटीवी स्टुडियो सेटअप को डिजाइन और स्थापित करना शामिल है

वेबसाइट: www.becil.com

23 आयोजना



भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है निजी क्षेत्र के अंतर्गत संगठित उद्योगों के अलावा लघु उद्योग, कृषि, व्यापार, आवास निर्माण और संबंधित क्षेत्र आते हैं विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत और निजी प्रयासों को अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग के साथ आवश्यक समझा जाता है

नीति आयोग

राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) की स्थापना 2015 में की गई थी इसकी स्थापना 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई नीति आयोग, योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है इस नई संस्था की परिकल्पना भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे पूर्णतावादी दृष्टिकोण के ज़रिए विकास प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में चहुंमुखी विकास के लिए की गई थी इसे सहकारिता संघवाद के सिद्धांत के तहत राष्ट्रीय विकास के समान भागीदारों के तौर पर राज्यों की सशक्त भूमिका के मूल सिद्धांत के जरिए हासिल किया जाना है यह नई संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे जाकर विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है विकास की समग्र पहल से उसके लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण का कार्य करती है इस अवधारणा का आधार है: सहकारी संघवाद के सिद्धांत के राष्ट्रीय विकास में राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी; आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों हेतु सरकार को सहयोग देना, ज्ञान और नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान कर थिंक टैंक (विचार केंद्र) के रूप में काम करना; विकास के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति में प्रगति की निगरानी कर, खामियों को दूर कर और केंद्र तथा राज्यों को साथ लाकर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक साझा मंच तैयार करना

उद्देश्य

2015 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन आयोग अर्थात नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष हैं यह संस्था केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती है और भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नज़र रखती है यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्वों पर रणनीतिगत और तकनीकी सलाह देने का काम करती है इनमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामले देश के अंदर से और विदेशों की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार और नए नीतिगत विचारों और समस्या आधारित विशिष्ट सहयोग का अनुप्राणन शामिल है वह परामर्श के रूप में या अन्य किसी व्यवस्था के जरिए एक या अधिक राज्यों या विश्व के अन्य भागों में अपनायी जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में सभी राज्यों को उपलब्ध कराता है ताकि वे भी उन्हें अपना सकें यह आयोग संरचनाबद्ध सहयोग और नीति निर्देशन के माध्यम से सहयोगी संघवाद को निरंतर बढ़ावा देता है यह संस्था महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की संरचना और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करती है और उनकी प्रगति तथा प्रभावी व्यापकता पर नियमित रूप से नज़र रखती है निगरानी और फ़ीडबैक से सीखे सबक का उपयोग यह संस्था नवाचारी सुधार के लिए करती है प्रायः नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बीच में भी सुधार किए जाते हैं इसके अतिरिक्त, नीति

आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और प्रयासों के क्रियान्वयन की सक्रियता से निगरानी और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों की सफलता की संभावना सुदृढ़ हो सके आयोग समसामयिक विषयों पर नीति संबंधी शोध-पत्रों का प्रकाशन करता है; सर्वोत्तम पद्धतियों पर पुस्तक प्रकाशित करता है; नीतियों में सुधार लाने के लिए राज्यों के आदर्श कानून का प्रारूप तैयार करता है और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है दिशा और नीति संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुशासन पर शोध के आधार के रूप में काम करता है और यह अनुसंधान संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराता है

संरचना

नीति आयोग का गठन इस प्रकार है- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं संचालन (शासी) परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले सभी केंद्रशासित राज्यों यथा- दिल्ली, पुदुदचेरी के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं

विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है:

- उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- पूर्णकालिक सदस्य : अधिकतम दो सदस्य, जो प्रमुख विश्वविद्यालयों से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाएंगे अंशकालिक सदस्य बारी-बारी से बदलते रहेंगे
- पदेन सदस्य : अधिकतम चार सदस्य जिनका मनोनयन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद से करेंगे
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी : भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री एक निश्चित अवधि के लिए करेंगे

वर्तमान में नीति आयोग का गठन निम्न प्रकार है:

अध्यक्षः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

उपाध्यक्षः डॉ. राजीव कुमार, कैबिनेट मंत्री के रैंक में

सदस्यः

डॉ. बिबेक देबरॉय,
डॉ. वी. के. सारस्वत
प्रो. रमेश चंद
डॉ. विनोद के. पॉल
राव इंद्रजीत सिंह, योजना राज्यमंत्री
अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

केंद्रीय सचिवालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना के अनुसार इसमें शामिल हैं:—

डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य नीति आयोग- अध्यक्ष

डॉ. सुरजीत भल्ला, अंशकालिक सदस्य
डॉ. रथिन रॉय, अंशकालिक सदस्य
डॉ. आशिमा गोयल, अंशकालिक सदस्य
सुश्री शमिका रवि, अंशकालिक सदस्य

श्री रतन पी वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग, सदस्य-सचिव

संचालन परिषद की तीसरी बैठक

नीति आयोग की संचालन परिषद की तीसरी बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2017 में हुई इसमें गृहमंत्री, रेलमंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पदेन सदस्य के रूप में और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री और कपड़ा मंत्री ने विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया मानव संसाधन विकास मंत्री, राज्यमंत्री- (आई/सी), नियोजन, उपाध्यक्ष- नीति आयोग, नीति आयोग के स्थायी सदस्य, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए इसमें संचालन परिषद की दूसरी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई और उसके फैसलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की समीक्षा की गई

अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन, प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल है इसे देशभर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है अटल नवाचार मिशन को एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के तौर पर तैयार किया गया है जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के तहत नवाचार नीतियां बनाने में, हायर सेकेंडरी स्कूलों और विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं उच्च शिक्षा संस्थानों और लघु व मध्यम उद्यमों/कॉरपोरेट जैसे विभिन्न स्तरों पर नवाचार तथा उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने में सहायक की भूमिका निभाएगा

स्कूलों में रचनात्मक और प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन, देश के सभी 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोल रहा है इनमें 1000-1500 वर्गफुट क्षेत्र में नवाचार गतिविधियां होती हैं इनमें 3डी प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिनिआच्योराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डू इट योरसेल्फ किट्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई है इसके लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ताकि छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर नए आविष्कार कर सकें

विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अटल इन्क्यूबेटर्स मिशन, विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन और कॉरपोरेट उद्योग स्तर पर विश्वस्तरीय अटल इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर रहा है ताकि देश के हर क्षेत्र/राज्य में निरंतर स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें और देश में उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके तथा रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें ये मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को अपना कामकाज बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं अटल इन्क्यूबेटर्स मिशन के तहत ग्रीनफील्ड इन्क्यूबेटर्स की स्थापना करने वालों या मौजूदा का प्रवर्द्धन करने वाले आवेदकों को 10 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहा है इस मिशन का उद्देश्य यह है कि नामित 110 स्मार्ट सिटी के हरेक और हर राज्य के 5-10 बड़े शिक्षणऔद्योगिक संस्थानों में एक विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर हो ताकि विश्वविद्यालयों/उद्योगों में युवाओं/स्टार्ट-अप समुदायों को नए स्टार्ट-अप शुरू करने का अवसर मिल सके

चौदहवां वित्त आयोग

हर पांच साल में गठित किया जाने वाला वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है इसे केंद्र-राज्य संघीय संबंधों को परिभाषित करने के व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण काम केंद्र द्वारा विभाज्य पूल में संग्रहीत राज्यों के राजस्व के, केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे और प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से के आवंटन के बारे में सिफारिश करना है

चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें 2014 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल है- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल से राज्यों को दी जाने वाली 32 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया जाए

पूर्व योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का पूरी तरह दोहन, उत्पादन में वृद्धि और सबको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराकर, लोगों के जीवन-स्तर में तेज़ी से वृद्धि करने के सरकार के घोषित लक्ष्य को आगे बढ़ाना था इसे देश के सभी संसाधनों का आकलन कर संसाधनों में वृद्धि करने, संसाधनों के अधिकतम प्रभावी तथा संतुलित इस्तेमाल के लिए योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे

पहली पंचवर्षीय योजना

1951 में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों के आयात और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें सिंचाई और बिजली परियोजनाएं प्रमुख थीं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय 2,069 करोड़ रुपये (जो बाद में बढ़कर 2,378 करोड़ रुपये हो गया) का 44.6 प्रतिशत आवंटित किया गया योजना का लक्ष्य निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग सात प्रतिशत करने का रखा गया

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1957 से 1960-1961) का लक्ष्य विकास के प्रारूप को बढ़ावा देना था इसका उद्देश्य अंततः भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था इसका प्रमुख लक्ष्य था: (1) राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना, (2) आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष ज़ोर देकर औद्योगीकरण को तीव्र करना, (3) रोज़गार के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा (4) आय और धन की असमानता कम करना और आर्थिक शक्ति के वितरण में और समानता लाना योजना का लक्ष्य 1960-61 तक पूंजी निवेश की दर को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के लगभग सात प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना था इसमें औद्योगीकरण, लौह एवं इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों सहित भारी रसायनों तथा भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन निर्माण उद्योगों के विकास पर ज़ोर दिया गया

तीसरी पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) का लक्ष्य आत्मनिर्भर विकास को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना था इसके तात्कालिक उद्देश्य (1) राष्ट्रीय आय को 5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक करना और इसी के साथ यह सुनिश्चित करना कि निवेश का यह तरीका आगामी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रह सके; (2) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग तथा आयात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना; (3) इस्पात, रसायन, ईंधन और ऊर्जा जैसे आधारभूत उद्योगों का प्रसार और मशीन निर्माण की क्षमता का विकास करना ताकि 10 वर्षों के भीतर देश के अपने संसाधनों से औद्योगीकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके (4) देश के श्रम शक्ति संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना और रोज़गार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार करना; और (5) अधिक से अधिक अवसरों की समानता का उत्तरोत्तर विकास करना और आय व धन की असमानता में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना था इस योजना में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1965-66 तक लगभग 19,000 करोड़ रुपये (1960-61 की दर पर) करने और इसी अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में 17 प्रतिशत वृद्धि कर इसे 330 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया था

वार्षिक योजना

1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, निरंतर दो वर्ष भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और योजना के निर्धारण के लिए उपलब्ध संसाधनों में क्षरण होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्णय में देरी हुई इसके स्थान पर 1966 और 1969 के बीच चौथी योजना के मसौदा की रूपरेखा के तहत तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं

चौथी पंचवर्षीय योजना

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव के साथ साथ विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करने के लिए विकास की गति को तीव्र करने का लक्ष्य रखा गया इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए तैयार कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई थी इस योजना में विशेषतौर पर रोज़गार और शिक्षा के प्रावधानों के ज़रिये कम सुविधा प्राप्त और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष ज़ोर दिया गया समानता को बढ़ावा देने के लिए धन, आय और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाने पर ज़ोर दिया गया था योजना में शुद्ध घरेलू उत्पाद (1968-1969 के फैक्टर कॉस्ट पर) को 1969-1970 में 29,071 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया विकास की परिकल्पित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) गंभीर मुद्रास्फीति के दबावों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी इसके प्रमुख उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा गरीबीरेखा के नीचे रह रहे लोगों के खपत मानक में वृद्धि करने के उपायों को अपनाना था इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व लाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई थी इसमें राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य भी तय किया गया था पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में चार वार्षिक योजनाएं पूर्ण की गईं इसके उपरांत पांचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978-79 के वार्षिक योजना के अंत के साथ ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का सबसे प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था इसमें कृषि एवं औद्योगीकरण के लिए एक साथ अवसंरचना को मज़बूत करने की रणनीति अपनाई गई थी सभी क्षेत्रों में वृहत प्रबंधन, कार्यक्षमता और व्यापक निगरानी के साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण से अंतर्संबंधित समस्याओं के निराकरण पर बल दिया गया था इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष योजनाएं बनाने में जन-भागीदारी तथा योजनाओं के तीव्र और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को प्रमुखता दी गई थी छठी योजना का वास्तविक खर्च, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये (1979-80 के मूल्य) की तुलना में 1,09,291.7 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) था इस प्रकार इसमें सामान्य अवधि में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई योजना के लिए औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया था, जो खाद्यान्न, रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी और विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि नियोजन के बुनियादी सिद्धांतों की संरचना में उत्पादकता पर केंद्रित थे खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 1967-68 और 1988-89 के बीच की अवधि में 2.68 प्रतिशत की तुलना में सातवीं योजना के दौरान 3.23 प्रतिशत पर पहुंच गई कुल मिलाकर अनुकूल मौसम, प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सरकार तथा किसानों के सम्मिलित प्रयासों के कारण अस्सी के दशक में विकास दर 2.55 प्रतिशत हो गई बेरोज़गारी और उसके परिणामस्वरूप गरीबी की स्थिति में कमी लाने के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोज़गार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए पहचान कायम कर चुके संगठनों को भूमिका दी गई, लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस संबंध में भूमिका निभा सकते थे सातवीं योजना का कुल खर्च कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिकल्पित परिव्यय 1,80,000 करोड़ रुपये की तुलना में 2,18,729.62 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) रहा, इस प्रकार इसमें सामान्य अवधि में 21.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई इस योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा यह निर्धारित विकास दर से 0.8 प्रतिशत अधिक था

वार्षिक योजनाएं

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) केंद्र में तेज़ी से बदल रही राजनीतिक स्थिति के कारण आरंभ नहीं की जा सकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुई और 1990-91 और 1991-92 को पृथक वार्षिक योजना के रूप में देखा गया आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) की पृष्ठभूमि में तैयार की गई इन वार्षिक योजनाओं का मूल उद्देश्य रोज़गार और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना था

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शुरुआत 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति और महंगाई की स्थिति में विकृति आ जाने के बाद उसकी भरपाई के लिए शुरू की गई ढांचागत समायोजन नीतियों और दीर्घ स्थिरीकरण नीतियों के तुरंत बाद की गई थी उसके बाद विभिन्न संरचनात्मक समायोजन नीतियों को लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर के पथ पर लाया जा सके और इसे सुदृढ़ किया जा सके तथा इस प्रकार से भविष्य में भुगतान संतुलन और महंगाई के संकट की स्थिति को रोका जा सके इन सुधारों के कारण आने वाले नीतिगत बदलावों में से कुछ का आठवीं योजना में जायज़ा लिया गया इस योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत और औसत औद्योगिक विकास दर 7.5 प्रतिशत तय की गई इन विकास लक्ष्यों को सापेक्ष मूल्य स्थिरता और देश के भुगतान संतुलन में ठोस सुधार करके पाने की योजना बनाई गई आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक प्रदर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं:- (क) तीव्र आर्थिक विकास, (ख) निर्माण क्षेत्र और कृषि व सहायक क्षेत्र का तीव्र विकास, (ग) आयात और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर, व्यापार और चालू खाता घाटे में सुधार तथा केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण केंद्रीय क्षेत्र में व्यय की कमी रही राज्यों के मामले में, वर्तमान राजस्व के संतुलन में कमी, राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के अनुदान में कमी, नकारात्मक शुरुआती संतुलन, गैर-योजनागत व्यय में बढ़ोतरी और लघु बचतों के संग्रह में कमी होने से उचित संसाधनों को जुटाने में विफलता, राज्यों में धन की कमी का बड़ा कारण था आठवीं योजना का कुल खर्च कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय 4,34,100 करोड़ रुपये (1991-92 के मूल्य) की तुलना में 1996-1997 (संशोधित अनुमान) को लेते हुए वर्तमान मूल्य पर 4,95,669 करोड़ रुपये रहा, तथा 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई आठवीं योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.6 प्रतिशत परिकल्पित की गई थी इसके स्थान पर इस योजना के दौरान 6.8 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर हासिल हुई

नौवीं पंचवर्षीय योजना

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई थी इस योजना में जीडीपी की सात प्रतिशत वार्षिक दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और सात केंद्रीय आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज- बीएमएस) पर ज़ोर दिया गया था समयबद्ध तरीके से जनसंख्या को पूर्ण रूप से शामिल करने हेतु इन सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता निश्चित की गई इसके तहत स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं , प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बेघर गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता, बच्चों को पोषण सहायता, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़कें और गरीबों को ध्यान में रखकर जन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना शामिल था इस योजना में सुदृढ़ राजस्व संग्रह और विशेषकर छूट संबंधी अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित कर, उपभोक्ता शुल्क की प्राप्ति कर, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं पर और अधिक विश्वास रखते हुए नियोजन एवं क्रियान्वयन का विकेंद्रीकरण कर केंद्र, राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सरकार के राजस्व घाटे में कमी लाने के लिए राजकोषीय समेकन की नीति अपनाई गई थी

नौवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष उद्देश्य थेः (1) पर्याप्त उत्पादक रोज़गार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रमुखता; (2) स्थिर मूल्य के साथ आर्थिक विकास की दर को तीव्रतर करना; (3) सभी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्ग पर ध्यान दिया गया था; (4) निश्चित समय सीमा में सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए आश्रय और संपर्क की आधारभूत न्यूनतम सेवा मुहैया

कराना; (5) जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना; (6) सभी स्तरों पर लोगों को लामबंद करना और जनभागीदारी सुनिश्चित करना; (7) महिलाओं और अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों, सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक बदलाव और विकास का वाहक बनाकर सशक्त करना, (8) पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी और स्व-सहायता समूहों जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और विकसित करना; (9) आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रयासों को मज़बूत करना नौंवी योजना के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तय की गई, पहले दृष्टि-पत्र में यह 7 प्रतिशत तय की गई थी विकास दर के लक्ष्य में यह कटौती नौंवी योजना के पहले दो वर्ष में राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए की गई थी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में औसत वार्षिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रही

दसवीं पंचवर्षीय योजना

राष्ट्रीय पंचवर्षीय विकास परिषद् (एनडीसी) ने दिसंबर 2002 में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 2007) का अनुमोदन किया था इस योजना में एनडीसी के अधिदेश उद्देश्यों को बढ़ाते हुए दस वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने और वार्षिक विकास दर जीडीपी के आठ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया एकमात्र उद्देश्य आर्थिक विकास ही नहीं था, बल्कि योजना में विकास के लाभ का उपयोग लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए: वर्ष 2007 तक गरीबी के अनुपात को कम कर 26 प्रतिशत से 21 प्रतिशत पर लाना, दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 1991-2001 में 21.3 प्रतिशत से घटाकर 2001-2011 में 16.2 प्रतिशत पर लाना, लाभकारी रोज़गार में वृद्धि, कम से कम श्रम बल को जोड़कर गति बनाए रखना, 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना और 2007 तक सभी बच्चे स्कूल में पांच वर्ष पूर्ण करें- यह सुनिश्चित करना, महिलाओं पुरुषों की साक्षरता और मजदूरी दरों के अंतर में 50 प्रतिशत तक कमी लाना, साक्षरता दर को 1999-2000 में 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007 में 75 प्रतिशत करना, सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना, शिशु मृत्युदर को 1999-2000 में 72 प्रतिशत से घटाकर 2007 में 45 प्रतिशत किया जाना, वन/पेड़ से घिरे क्षेत्र को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना और प्रमुख प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सफाई करना

दसवीं पंचवर्षीय योजना की कई विशेषताएं हैं जिनमें प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: पहला, योजना में श्रम बल में तीव्र वृद्धि को प्रमुखता दी गई वर्तमान विकास दर और उत्पादन में श्रम की उपयोगिता को देखते हुए भारत में बेरोज़गारी बढ़ने की संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बेचैनी बढ़ती, इसलिए दसवीं योजना में 5 करोड़ नौकरी के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया इसके लिए कृषि, सिंचाई, वानिकी, लघु एवं मझौले उद्यम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं अन्य सेवाओं जैसे वृहत रोज़गारपरक क्षेत्रों पर विशेष ज़ोर दिया गया दूसरे, योजना में गरीबी और सामाजिक संकेतकों के अस्वीकार्य निम्न स्तर के मुद्दे का हल दिया गया यद्यपि ये सभी पिछली योजनाओं के उद्देश्यों में शामिल थे, वर्तमान योजना में विशेष निगरानी लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिन्हें विकास लक्ष्यों के साथ ही पूर्ण किया जाना था

अर्थव्यवस्था के वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) नौंवी योजना के 4.5 प्रतिशत से घटकर दसवीं योजना में 3.6 हो गया आईसीओआर में यह कमी मुख्य तौर पर मौजूदा क्षमता के कुशल उपयोग और पूंजी के उपयुक्त क्षेत्रवार आवंटन और इसके प्रभावी उपयोग से पाई जा सकी अतः विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीडीपी के 28.4 प्रतिशत की निवेश दर की आवश्यकता पड़ी इसे जीडीपी की 26.8 प्रतिशत घरेलू बचत और 1.6 प्रतिशत की बाहरी जमा से पूरा किया गया अतिरिक्त घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा सरकार की बचत को जीडीपी के -4.5 प्रतिशत (2001-02) से घटाकर -0.5 प्रतिशत (2006-07) कर पूरा किया गया दसवीं योजना के अंतिम चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) में औसत विकास दर आठ प्रतिशत से कुछ अधिक थी, इस प्रकार संपूर्ण दसवीं योजना के दौरान विकास दर 7.7 प्रतिशत रही यद्यपि यह दसवीं योजना के लिए 8 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही, लेकिन यह किसी योजना में हासिल की गई विकास दर में उच्चतम है

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत पर निर्माण के साथ उभर कर आई कमज़ोरियों को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान की इसमें पांच वर्षों के दौरान 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना और योजना के अंत में इसे तीव्र कर 10 प्रतिशत पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था

बारहवीं योजना

बारहवीं योजना में इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है कि विकास का उद्देश्य देशवासियों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में व्यापक सुधार लाना है तथापि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तेज वृद्धि इस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है

बारहवीं योजना के दृष्टि-पत्र में इस पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान औसत विकास दर जीडीपी के 9 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया यह लक्ष्य उस वर्ष के यूरो ज़ोन संकट के पहले निर्धारित किया गया था इस संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भारी उलटफेर देखा गया और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के परिमाण का पता लगा था बारहवीं योजना में इस बात का ध्यान रखा गया कि जीडीपी में वर्तमान गिरावट को, विशेषतौर पर मुद्रास्फीति के दबाव के नियंत्रण में रखने के लिए बचत में वृद्धि के साथ ही निवेश में वृद्धि जैसे ठोस सुधारात्मक उपाय कर दूर किया जा सकता है हालांकि, जब हमारी पूर्ण विकास क्षमता 9 प्रतिशत के आस-पास है, इस स्तर तक वृद्धि केवल चरणबद्ध रूप से ही हो सकती है; विशेषकर तब जब योजना के पूर्वार्द्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहने की संभावना है

समग्रता यथा गरीबी कम करना

परंपरागत रूप से बंटवारे का मतलब गरीबों और सबसे ज्यादा अधिकार विहीनों को भरपूर लाभ सुनिश्चित करना समझा जाता रहा है बारहवीं योजना में इसे एक महत्वपूर्ण नीति मानते हुए इस पर पूरा ज़ोर दिया जाना चाहिए यह गौर करने लायक है कि समग्रता के पहलू पर जिस तरह ध्यान दिया गया है वह काफी उत्साहवर्द्धक है अधिकृत रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या कम हो रही है गरीबी के बारे में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित ताजा अधिकृत अनुमानों के अनुसार देश में 2009-10 में 29.8 प्रतिशत यानी 350 मिलियन आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी

जीवन प्रत्याशा

देश की आज़ादी के समय जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी, लेकिन अब यह बढ़कर 67 वर्ष हो गई है अन्य शब्दों में हर भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जितना जीने की प्रत्याशा करता था अब वह उससे दोगुनी आयु तक जीने की प्रत्याशा कर सकता है बारहवीं योजना भारत की इस परिकल्पना से निर्देशित होनी चाहिए कि भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है उससे यह सुनिश्चित होगा कि देश के सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा और विकास की यह प्रक्रिया अतीत की तुलना में अधिक समावेशी और पर्यावरण की दृष्टि से अधिक वहनीय होगी

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है इसने नवाचार के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराकर, उत्पादकता बढ़ाकर, लोगों तथा समुदायों के बीच संपर्क बढ़ाकर, जीवन-स्तर में सुधार कर और विश्वभर में अवसर प्रदान कर, दुनिया को बदल दिया है सूचना प्रौद्योगिकी व्यक्ति के जीने, बातचीत तथा काम करने के तरीके में बदलाव लाते हुए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और आर्थिक सामाजिक आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण साबित हुई है इसके अलावा यह सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने और गरीबी दूर करने में भी सहायक रही है प्रौद्योगिकी विकास की गति तेज़ हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईसीटी लोगों के जीवन, सामाजिक नेटवर्क, कारोबारी कार्यकलापों, सरकारी गतिविधियों और सेवा प्रावधानों का मूलभूत और सर्वत्र व्याप्त अंग बन गया है सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर किए जाने वाले इन बदलावों से, भविष्य में भी सरकार, उद्यमों तथा प्रबुद्ध वर्ग पर सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालते हुए मानव प्रगति को निर्देशित किया जाता रहेगा

दृष्टिकोण-पत्र

चौदहवें वित्त आयोग के अंतिम तीन वर्ष का कार्यवाही एजेंडा 2017-18 से 2018-19 तक है अधिक खुली तथा उदार होती अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई वास्तविकताओं के साथ उसे विकास प्रक्रिया की संकल्पना के लिए साधनों तथा तरीकों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता थी कार्यवाही एजेंडा संरचना के तहत विकास रणनीति को भारत की बदली वास्तविकता के साथ बेहतर तरीके से तय किया जा सकता है नीति आयोग ने यह एजेंडा बनाने में राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से जानकारी मांगी और प्राप्त की वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा उद्योग परिसंघों के समूहों और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, परिवहन तथा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया कई विशेषज्ञों ने लिखित रूप में उपयोगी जानकारी दी

वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन *2017*

भारत और अमरीका ने संयुक्त रूप से भारत में वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन 2017 की मेजबानी की इसका विषय था- 'पहले महिलाएं, सबके लिए समृद्धि' इसका उद्देश्य था ऐसा माहौल बनाना जिसमें नवाचार करने वाले, विशेषकर महिलाएं अपने विचारों के साथ आगे बढ़ सकें सम्मेलन में चार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया ये हैं- ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल तथा जीवन विज्ञान, वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था और मीडिया तथा मनोरंजन

24 ग्रामीण और शहरी विकास



स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र रहा है और सरकार के समस्त प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य देश के लोगों का कल्याण रहा है नीतियां और कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किए जाते रहे हैं, जो भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है यह महसूस किया गया कि गरीबी उपशमन की स्थायी कार्यनीति को विकास की प्रक्रिया में निरंतर लाभकारी रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर आधारित होना चाहिए गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां और अवसरों की असमानता जैसी कुप्रवृत्तियों का अंत तथा बेहतर और उच्चतर गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करना बुनियादी सिद्धांत रहे हैं, जिन पर सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया ग्रामीण विकास के अंतर्गत लोगों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक परिवर्तन दोनों को ध्यान में रखा गया है ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी, आयोजना का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर प्रवर्तन और ऋण सुलभ कराना जैसे उपाय किए गए प्रारंभ में कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुषंगी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, परंतु बाद में यह महसूस किया गया कि तीव्र विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में निचले स्तर के लोगों की प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदारी शामिल की जाए

तदनुरूप 1952 में योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजनाएं प्रशासन नाम के एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व सौंपा गया 1952 में प्रारंभ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में मील का पत्थर था इस कार्यक्रम में बाद में कई बदलाव आए और इसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किया गया अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया अगस्त 1979 में इस विभाग का दर्जा बढ़ाया गया और इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम दिया गया बाद में इस मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया और एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया सितंबर 1985 में इसे एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ा कर ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया 1992 में इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया

मार्च 1995 में इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया और तीन विभागों- ग्रामीण रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन; ग्रामीण विकास विभाग और बंजर भूमि विकास विभाग को इसके तहत रखा गया 1999 में मंत्रालय के नाम में पुनः बदलाव किया गया और इसमें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग को इससे पृथक कर जुलाई 2011 में एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन नामक दो विभाग हैं

वेबसाइट: www.rural.nic.in, www.dolr.gov.in

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: दिहाड़ी आधार पर रोज़गार देने

के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए); स्वरोज़गार एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम); बीपीएल परिवारों को आवास (घर) उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी); उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); सामाजिक पेंशन हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन (आरयूआरबीएएन) मिशन; भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

ग्रामीण रोज़गार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अपनी शुरुआत के बाद से कई बदलावों से गुजरा है और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा बन गया है इस अधिनियम का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के लिए दिहाड़ी रोज़गार पक्के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते उसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में सामाजिक समावेशन, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और समानता पर आधारित विकास शामिल है

इस कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 दिन के लिए अकुशल श्रम कार्य के रूप में दिहाड़ी रोज़गार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित गुणवत्ता के साथ स्थिर लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है; संबद्ध क्षेत्र के ढांचागत आधार का विकास करने वाले कार्यों में दिहाड़ी रोज़गार सृजित करते हुए ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि; ग्रामीण निर्धनों का आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना; महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना; ग्रामीण निर्धनों का सक्रिय सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना; निचले स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करना

सरकार नए उपायों के जरिए इस कार्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के समग्र फ्रेमवर्क के अंदर मनरेगा कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक बजट आवंटन सुनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस), आधार संबद्धता, सृजित संपत्तियों की जियो टैगिंग और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण आदि जैसे उपाय किए गए हैं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

धन प्रवाह व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने और दिहाड़ी के भुगतान में विलंब दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 राज्यों और 1 संघशासित प्रदेश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) लागू की है इस प्रक्रिया से राज्यों को दिहाड़ी के भुगतान के लिए धन के आवंटन में विलंब में कमी आती है और विभिन्न स्तरों पर धन का ठहराव समाप्त होता है कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 96 प्रतिशत दिहाड़ी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के जरिए सीधे मनरेगा श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जा रहा है

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का नया नाम दिया गया है यह कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था इसका लक्ष्य 8-9 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंचना है इसमें प्रत्येक परिवार से एक महिला सदस्य को शामिल करते हुए महिला स्वयं-सहायता समूह का गठन किया जाता है और ग्राम स्तर और उससे उच्चतर स्तरों पर इन सहायता समूहों के परिसंघ बनाए जाते हैं ऐसा करते समय डीएवाई एनआरएलएम समाज के कमजोर वर्गों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करता है, जैसे लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समूहों और 3 प्रतिशत विकलांगजन समूहों को शामिल किया जाता है ग्रामीण निर्धन परिवारों की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निर्धन परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना (एसईसीसी) और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के जरिए की जाती है और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाता है

डीएवाई एनआरएलएम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(i) निर्धनों के संस्थानों को प्रोत्साहित करनाः स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों के रूप में प्राथमिकता के आधार पर निर्धनों के गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना की जाती है बचत और ऋण आधारित सामान्य सामुदायिक संस्थानों और उनके परिसंघों के अतिरिक्त, डीएवाई-एनआरएलएम विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों को भी प्रोत्साहित करता है, जैसे आजीविका संगठन, उत्पादक सहकारी संस्थाएं/ आजीविका प्रोत्साहन कंपनियां निर्धनों के लिए कार्य करने वाले संस्थान अपने सदस्यों का सशक्तिकरण करते हैं और जानकारी एवं प्रौद्योगिकी संप्रेषण का माध्यम बनते हैं तथा उत्पादन, सामूहिकीकरण और व्यापार के केंद्र बनते हैं

(ii) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माणः स्वयं सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कार्यकर्ताओं, बैंकरों, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य हितभागियों में क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित और बहुआयामी कार्यनीति अपनाई जाती है क्षमता निर्माण का लक्ष्य निर्धनों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है ताकि वे अपने संस्थानों का प्रबंधन कर सकें, बाज़ारों से जुड़ सकें, अपनी मौजूदा आजीविकाओं का प्रबंधन कर सकें और अपनी ऋण इस्तेमाल क्षमता और तत्संबंधी साख में वृद्धि कर सकें समय पर सहायता प्रदान करने और गरीबी का स्तर कम करने के लिए सामुदायिक व्यावसायियों और विशेषज्ञों को काम पर लगाने को तरजीह दी जाती है

(iii) समुदाय निवेश सहायता निधिः परिसंघों (प्राथमिक और माध्यमिक स्तर) के माध्यम से समुदाय निवेश सहायता निधि स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचाई जाती है, ताकि जहां-कहीं संभव हो, वहां सदस्यों के लिए उपयुक्त आजीविका के विकास और सामूहिक गतिविधियां प्रारंभ करने में सहायता की जा सके समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) का एक हिस्सा अत्यंत निर्धन समुदायों के समावेशन के लिए असुरक्षा कमी निधि (वीआरएफ) के रूप में प्रदान किया जाता है और उनकी पहुंच ब्याज सहित या ब्याज रहित ऋण तक कायम करने में मदद की जाती है

(iv) समाभिरूपता में सहायता के लिए राष्ट्रीय विशेष निधिः डीएवाई-एनआरएलपी के अंतर्गत राज्यों को राष्ट्रीय विशेष निधि प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें गरीबी कम करने और ग्रामीण निर्धनों के सशक्तिकरण के लिए समाभिरूपता को एक कारगर पद्धति के रूप में अपनाने में सहायता प्रदान की जा सके

(v) ढांचा निर्माण और विपणन सहायता*:* डीएवाई-एनआरएलएम यह सुनिश्चित करता है कि निर्धनों की प्रमुख आजीविका गतिविधियों की जरूरतें पूरी की जाएं यह कार्यक्रम निर्धनों के संस्थानों को विपणन के लिए भी सहायता प्रदान करता है विपणन सहायता गतिविधियों के दायरे में बाज़ार पहुंच, बाज़ार ज्ञान, प्रौद्योगिकी विस्तार, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संपर्क विकसित करना, आजीविका समूहों का निर्माण और उनकी व्यापार योजनाओं में मदद करना शामिल हैं

(vi) संवेदनशील सहायता संगठनः डीएवाई - एनआरएलएफ ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला संवेदनशील और प्रतिबद्ध सहायता संगठनों की स्थापना की है इन सहायता संगठनों में प्रतिबद्ध व्यवसायी काम पर लगाए गए हैं

(vii) महिला किसान सशक्तिकरण योजना *(*एमकेएसपी*):* महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) एनआरएलएम का एक उप-घटक है, जो महिला किसानों की विशेष जरूरतें पूरी करता है और ग्रामीण महिला किसानों, जिनमें मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसान शामिल होते हैं, का सामाजिक आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण करता है

(vii) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनाः भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) नाम का एक नया उप-कार्यक्रम शुरू किया है इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना, जिसके लिए राज्यों द्वारा पहचान किए गए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इन सहायता समूहों को सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाती है; और दूरदराज के गांवों को महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं (बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कायम करने सहित) से जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और समुदाय नियंत्रित ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना ताकि डीएवाई-एनआरएलएम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का इस्तेमाल क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए किया जा सके

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान

यह निर्णय किया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की जाए आरएसईटीआई संस्थान बैंक के नेतृत्व और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संचालित भारत सरकार इसके लिए एकबारगी एक करोड़ रुपये की ढांचागत सहायता प्रदान करती है इसके अलावा निर्धन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की लागत अदा करती है राज्य सरकार निःशुल्क अथवा मामूली मूल्य पर भूमि प्रदान करती है और बैंक आरएसईटीआई संस्थानों के रोज़मर्रा की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं आरएसईटीआई संस्थानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर वर्ष 750 ग्रामीण निर्धन युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वे अपने निवास के इलाके में स्व-रोज़गार शुरू कर सकें आरएसईटीआई संस्थान समय-समय पर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, ताकि निरंतर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में स्वरोज़गार उद्यमियों के प्रस्तावों को व्यवहार्य और मूर्तरूप प्रदान किया जा सके वर्तमान में देश में 583 आरएसईटीआई संस्थान काम कर रहे हैं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गरीबी उपशमन कार्यनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की थी केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बनाने के काम में राज्यों की मदद करना था, हालांकि ग्रामीण सड़कें संविधान में राज्य सूची का विषय हैं इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य कोर नेटवर्क के अनुरूप अभी तक सड़क से न जुड़ पाई पात्र बस्तियों को हर मौसम में काम करने वाली सड़कों (आवश्यक पुलियों और नालियों सहित, जो पूरे साल काम करती हों) के साथ जोड़ना है मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बस्तियों को पात्र समझा गया है इसी प्रकार 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों' (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड) रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों और 88 चुने हुए जनजातीय और पिछड़े जिलों के मामले में कोर-नेटवर्क के अनुरूप अभी तक सड़क से न जुड़ पाई 250 या उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली पात्र बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है

वांछित गुणवत्ता मानकों के साथ कार्यक्रम के निष्पादन के लिए 3 स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था संस्थाबद्ध रूप में की गई है इस व्यवस्था का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट स्तर पर विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण से संबद्ध है इस स्तर का लक्ष्य फील्ड प्रयोगशाला स्तर पर अनिवार्य परीक्षणों और वर्कमैनशिप के जरिए प्रक्रिया नियंत्रण करना है दूसरे स्तर की व्यवस्था राज्य गुणवत्ता नियंत्रकों के जरिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में की गई है, जिसमें बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान है तीसरे स्तर के अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक एनआरआरडीए द्वारा तैनात किए जाते हैं, जो बेतरतीब सड़क कार्यों का निरीक्षण करते हैं और न केवल गुणवत्ता की जांच करते हैं, बल्कि फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ व्यावसायियों के माध्यम से मार्गदर्शन भी करते हैं

ग्रामीण आवास

आवास को सर्वत्र बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से निर्धनों के लिए मकानों की कमी दूर करना और आवास की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है इंदिरा आवास योजना एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराना है इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से तीन करोड़ साठ लाख मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा चुकी है

2022 तक 'सबके लिए आवास' प्रदान करने की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में ग्रामीण आवास कार्यक्रम आईएवाई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू हुआ इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (क) 2016-17 से 2018-19 के दौरान 3 वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना; (ख) मैदानी इलाकों में प्रति मकान दी जाने वाली सहायता के ₹ 70,000 से बढ़ाकर 1.20 लाख की गई और पर्वतीय राज्यों, कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिलों में यह सहायता 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये हो गई; (ग) सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना (एसईसीसी 2011) से संबंधित परिवारों के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों का चयन, जिसके अनुसार स्वतः बहिष्करण श्रेणी में आने वाले परिवारों को बाहर करने के बाद बेघर या कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले 2 कमरे के या उससे कम के मकानों में रहने वाले परिवार पात्र समझे जाते हैं; (घ) कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को मकानों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने और परियोजना के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना की गई है

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह बेरोज़गार, वृद्ध, बीमार और अक्षम होने की स्थिति में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करेगा भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने साधनों के भीतर कल्याण करे इन्हीं नैक सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रारंभ किया यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड, दिशानिर्देशों और शर्तों के अनुरूप लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के मामले में वृद्धों, विधवाओं, विकलांगजनों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे अथवा भविष्य में प्रदान किए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सहायता सुनिश्चित की जा सके शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के पीछे लक्ष्य यह है कि समूचे देश में लाभार्थियों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जा सके इस सहायता में और सहायता जोड़ने अथवा कवरेज का विस्तार करने के लिए राज्य स्वतंत्र है

एनएसएपी के अंतर्गत वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए निम्नांकित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना *(आईजीएनओएपीएस):* इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है इस तरह 60-90 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों को प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये की और 80 वर्ष और अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन कार्यक्रम *(आईजीएनडब्ल्यूपीएस):* यह योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 18 से 79 वर्ष आयु समूह में आने वाली विधवा को ₹ 300 प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है

80 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थी को आइजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि वह ₹ 500 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगजन पेंशन कार्यक्रम (आईजीएनबीपीएस): वर्ष 2009 में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 18-79 वर्ष आयु समूह में आने वाले गंभीर तथा अधिसंख्य दिव्यांगता/विकलांगता वाले व्यक्ति को ₹ 300 प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि वह ₹ 500 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके

राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम (एनएफबीएस): इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु समूह में आने वाले परिवार के प्रमुख जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है यह सहायता राशि 20,000 रुपये होती है

अन्नपूर्णाः इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है, जो आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र हों, लेकिन उन्हें आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त न हो रही हो

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण के साथ ही रोज़गार मुहैया कराने के भी प्रयास किए जाते हैं 2014 में घोषित डीडीयू जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है इस कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी कार्यसूची है, जिसके तहत यह वैश्विक मानकों और जरूरतों के अनुसार एक बेंचमार्क रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य भारत के जनसांख्यिकीय अधिशेष को जनसांख्यिकीय लाभ में रूपांतरित करना है, ताकि ग्रामीण भारत का विकास वैश्विक रूप में वरीयता वाले कुशल श्रमिकों के स्रोत के रूप में किया जा सके परिणामस्वरूप, यह कार्यक्रम 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को भी लाभ पहुंचाएगा, जो स्थिर रोजगार प्रदान किए जाने पर कौशल प्रशिक्षण हासिल करने के लिए तैयार हैं इस तरह इस कार्यक्रम से पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी

यह ऐसा प्रथम कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं और यह पहला कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने में आईटी सोल्यूशन्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से टेबलेट प्रदान करना, उपस्थिति की आधार से संबद्ध बायोमीट्रिक जानकारी और प्रशिक्षण केंद्रों एवं कक्षाओं का जियो-टैग्ड समयबद्ध रिकॉर्ड शामिल है डीडीयू-जीकेवाई मूल रूप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) का नया रूप है एसजीएसवाई का सृजन 1999 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) को पुनर्गठित करके किया गया था, जिसमें विशेष परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत आवंटन का प्रावधान था 2010 में एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करने के लिए 2013 में आजीविका कौशल के बारे में दिशानिर्देशों को संशोधित किया 25 सितंबर, 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका कौशल को डीडीयू-जीकेवाई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को घरेलू और वैश्विक रोज़गार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया

महत्वपूर्ण विशेषताएं: डीडीयू-जीकेवाई सरकारी-निजी-भागीदारी पद्धति में एक तीन स्तरीय कार्यान्वयन ढांचे का अनुपालन करता है, जिसमें राष्ट्रीय यूनिट नीति, केंद्रीय निवेश और तकनीकी सहायता से संबद्ध है, एसआरएलएम्स/राज्य कौशल मिशन सरकारी निवेश, कार्यान्वयन एवं निगरानी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं और कौशल प्रशिक्षण में विरासत के साथ सार्वजनिक और निजी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां संसाधन जुटाने, प्रशिक्षण और रोज़गार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं

(i) इस कार्यक्रम में निर्धन परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के निम्नांकित से संबंधित ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है; (क) मनरेगा श्रमिक परिवार, जिसमें परिवार के सदस्यों ने मिला कर 15 कार्यदिवस पूरे कर लिए हों; (ख) आरएसबीवाई परिवार; (ग) अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक परिवार; (घ) बीपीएल पीडीएस कार्डधारी; (ङ) एनआरएलएम-एसएचजी परिवार; और (च) एसईसीसी-2011 के मानदंडों के अंतर्गत स्वतः कवर किए जाने वाले परिवार

(ii) सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित समूहों को अनिवार्य रूप से कवर करने अजा/अजजा समूहों के लिए 50 प्रतिशत आवंटन, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत और विकलांगजनों के लिए 3 प्रतिशत सुरक्षित कवरेज की व्यवस्था से लाभार्थियों का पूर्ण सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जाता है

(iii) सभी सफल उम्मीदवारों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत को न्यूनतम 6,000 रुपये प्रतिमाह वेतन अथवा न्यूनतम दिहाड़ी राशि, इनमें जो भी अधिक हो, के साथ दिहाड़ी रोज़गार अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान है

(iv) बहुआयामी संबद्धता के जरिए उद्योग के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह कार्यक्रम आर्थिक कार्यनीतियों - मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है इसमें चैंपियन नियोक्ता नीति, कैप्टाइव नियोक्ता नीति और औद्योगिक इंटर्नशिप नीति शामिल है

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ 2014 में किया गया था इसका उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा एक गांव का विकास 2016 तक आदर्श गांव के रूप में और 2019 तक ऐसे 2 अन्य गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य महात्मा गांधी के व्यापक और मौलिक आदर्श ग्राम के सपने को वर्तमान संदर्भ में पूरा करना है दूसरे शब्दों में एसएजीवाई के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन के जरिए मूल्य श्रृंखला विकसित करने का प्रयास किया जाता है अभी तक इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में संसद सदस्यों द्वारा 702 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं यह कार्यक्रम बेजोड़ और परिवर्तनकारी है, चूंकि इसमें विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है इसमें चुने हुए गांव का समन्वित विकास करने की व्यवस्था है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है ढांचागत विकास मात्र से परे जाकर एसएजीवाई का लक्ष्य गांवों और वहां के लोगों में विभिन्न मूल्यों का समावेश करना है, जैसे लोगों की भागीदारी, अंत्योदय, लिंग समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलता, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, शांति और सद्भाव, परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही आदि शामिल हैं ताकि इन गांवों को अन्य गांवों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनाया जा सके

मुख्य विशेषताएं

एसएजीवाई की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं ग्राम विकास योजना- एसएजीवाई के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं, जिनमें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध गतिविधियां शामिल की जाती हैं, ताकि संसाधनों के समाभिरूपण के जरिए गांव की समग्र प्रगति का लक्ष्य हासिल किया जा सके ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा को शामिल करते हुए विकास की अत्यंत व्यवस्थित नीति अपनाई है और अपने विकास के लिए व्यापक ग्राम विकास योजनाएं तैयार की हैं ग्राम विकास योजनाओं में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक ट्रैकिंग टेम्पलेट विकसित किया गया है और प्रगति पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाती है; पंचायत दर्पण: मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के कार्यान्वयन के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक 35 सूत्री प्रभाव निगरानी केंद्र का विकास किया है प्रगति का मूल्यांकन परिणाम संकेतकों के जरिए किया जाता है, जिनमें मोटेतौर पर बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे संकेतक शामिल किए जाते हैं प्रभाव का मूल्यांकन तिमाही (22 संकेतक), छमाही (7 संकेतक) और वार्षिक (6 संकेतक) आधार पर किया जाता है

'ग्राम स्वराज अभियान' नाम का एक अभियान भी शुरू किया गया था 'सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास' के अंतर्गत प्रारंभ इस अभियान का लक्ष्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा निर्धनों के कल्याणार्थ उठाए गए कदमों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने एवं निर्धन परिवारों को सूची में शामिल करने के लिए प्रयास करने और विभिन्न कल्याणकारी कदमों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है इस दौरान निर्धनों के लिए चलाई जा रही सात फ्लैगशिप योजनाओं- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा इंद्रधनुष के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों/परिवारों को शत-प्रतिशत शामिल किया जाएगा

भूमि सुधार

जल संभरण कार्यक्रम

भूमि एवं जल दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं भूमि एवं जल पर जनसंख्या के दवाब एवं इसकी मांग के साथ ही इन संसाधनों के तेजी से घटते जाने ने हमारी पारिस्थितिकी एवं पर्याप्त और लचीलेपन को प्रभावित किया हैं मानवीय बस्तियों एवं आधारभूत ढांचे के फैलाव कृषि और उससे संबद्ध कार्यो के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में विस्तार और गहनता ने भूमि एवं जल स्रोतों की समन्वित योजना एवं प्रबंधन की महती आवश्यकता को रेखांकित कर दिया है

जल-संभर एक स्थलाकृतिक रूप से अंकित क्षेत्र होता है जो निकासी प्रणाली से सूख जाता है इसमें भौतिक एवं जलीय प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जल-संभरण प्रबंधन में सर्वोत्तम उत्पादकता के लिए मानवीय बसावटों को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए भूमि एवं जलीय संसाधनों का यथोचित उपयोग किया जाता है जल-संभरण प्रबंधन किसी भी जल-संभर में विद्यमान भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निर्देशन और उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है भूमि उपयोग, मृदा एवं जल संरक्षण तथा ऊपरी और निचले जल क्षेत्रों के परस्पर आंतरिक जुड़ाव की पहचान को भी इस प्रक्रिया में समाहित कर लिया जाता है स्थायी एवं दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए जल-संभर का विकास बहु-आयामी क्षेत्र है जल-संभर विकास कार्यों से पृथ्वी का तापमान बढ़ने (ग्लोबल वार्मिंग) की प्रक्रिया में भी कमी आती है

जल-संभर विकास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 में तीन मंत्रालयों की निम्नलिखित योजनाओं-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) का त्वरित (बंजर) सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा एमएसकेवाई (डब्ल्यूआर); ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि सुधार विभाग का समेकित जल संभर-प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के अंतर्गत दीर्घकालीन कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के कृषि जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) के सूक्ष्म सिंचाई घटक को मिलाकर प्रारंभ किया गया था पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 की अवधि में 28 राज्यों में (गोवा को छोड़कर) 03 करोड़ 90 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8214 जल-संभर विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी जो मुख्य रूप से वर्षा जल से सिंचाई पर आधारित कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बनाए जा सकने वाली परती (बंजर) भूमि के विकास हेतु थी इसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों में पहाड़ी क्षेत्र उपचार, निकासी लाइन उपचार, भूमि एवं उसमें उपस्थित नमी का संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, पौधशालाएं निर्मित करने, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, भूमिहीन विभिन्न व्यक्तियों के लिए आजीविका प्रबंध शामिल हैं वर्ष 2015-16 में आईडब्ल्यूएमपी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जल-संभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में समाहित कर लिया गया था हालांकि 2015-16 के बाद से किसी भी नई जल-संभर परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है वर्तमान में चल रही जल-संभर विकास परियोजनाओं के गुणात्मक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन और पूर्णता पर ही मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है

राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल

इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआइएलआरएमपी) का नाम दिया गया इसे 2008 से लागू किया जा रहा है इसके अंतर्गत 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने अपने क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण कर दिया है 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि के रिकॉर्ड हस्तलिखित रूप में जारी करना बंद कर दिया है और 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि रिकॉर्ड वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए हैं इसके अलावा, 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण कर दिया है तथा 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने भूमि रिकॉर्डों को पंजीकरण के साथ एकीकृत कर दिया है इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण की बात करें तो एनआईआरडी और पीआर ने 864 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 22,032 प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया इन कार्यक्रमों में 400 एनआईआरडी और पीआर नेटवर्किंग कार्यक्रम शामिल थे, जो देश में ग्रामीण विकास के 28 राज्य संस्थानों के सहयोग से चलाए गए थे

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में की गई थी इसका प्रमुख कार्य संविधान के भाग-9 के प्रावधानों, अनुच्छेद 243 जेडडी और पीईएसए के अनुसार जिला आयोजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है मंत्रालय का मिशन पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण, उन्हें सक्षम एवं जवाबदेह बनाना है ताकि सामाजिक न्याय और सक्षम सेवा वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके मंत्रालय अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है पंचायती राज मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने पर बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हों, उनके लिए सार्थक कार्यनीतियां तैयार की जाएं और सरकार के भीतर और गैर-सरकारी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों के बीच भागीदारी हो मंत्रालय विभिन्न राज्यों में सीखने के लिए तकनीकी सहायता और सुविधाएं भी प्रदान करता है हाल में किए गए नीतिगत परिवर्तनों और उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय ने अपने अधिदेश में बुनियादी परिवर्तन करते हुए अपने को नए ढंग से तैयार किया है

वेबसाइट: www.panchayat.gov.in

संवैधानिक लक्ष्य

भारत के संविधान के भाग-9 में तीन स्तरीय पंचायतों की स्थापना (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में केवल 2 स्तरीय) का प्रावधान है (i) गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत; (ii) जिला स्तर पर जिला पंचायतें; और (iii) ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बीच उप-जिला स्तर पर मध्यवर्ती पंचायतें इसमें ग्राम सभा (ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत मतदाताओं की आम सभा) का भी प्रावधान है, जो ग्रामवासियों को स्थानीय शासन में सीधे भागीदारी के लिए एक मंच है भारत के संविधान ने इन पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है और इनमें महिलाओं एवं भारतीय समाज के सीमांत वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है, जबकि महिलाओं के लिए 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है परंतु , अनेक राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों और मुखिया के पदों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है भारत के संविधान में पंचायतों के सभी सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की गई है इन चुनावों के संचालन के लिए सभी राज्यों को एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का अधिदेश दिया गया है राज्यों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे हर पांच वर्ष बाद राज्य वित आयोग (एसएफसी) का गठन करें, जो राज्य और स्थानीय सरकारों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के सिद्धांतों की अनुशंसा करे राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टॉल और प्रशुल्कों आदि की निवल प्राप्तियों के वितरण के बारे में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देंगे वे पंचायतों को सौंपे गए या उनके द्वारा अधिगृहित करों, प्रशुल्कों, टॉल और फीस तथा राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान का निर्धारण करेंगे और पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उपाय सुझाएंगे

उपरोक्त व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर, चूंकि स्थानीय सरकार राज्य का विषय है, अतः अपने-अपने राज्यों

में पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं के निर्धारण में राज्य विधानमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका है जहां तक पंचायतों के अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न है, राज्य उसकी कुंजी है संविधान में प्रावधान किया गया है कि पंचायतें स्थानीय शासन के संस्थानों के रूप में काम करेंगी और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी तथा उन्हें लागू करेंगी, परंतु पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार हस्तांतरित करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया गया

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान

पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि यानी 2012-13 से 2015-16 तक राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) चलाया इस अभियान के दौरान पंचायतों के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे अधिकारों का अपर्याप्त हस्तांतरण, कार्मिकों का अभाव, बुनियादी ढांचे का अभाव और पंचायतों की कारगर कार्यप्रणाली में सीमित क्षमता का अध्ययन किया गया और उन्हें दूर करने के लिए कार्मिक, ढांचा, प्रशिक्षण और पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने तथा जवाबदेही का ढांचा कायम करने के उपाय किए गए

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि बुनियादी सेवाएं वितरित करने के लिए समाभिरूप कार्रवाई की जा सके और विकास के लक्ष्य हासिल किए जा सकें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जीपीडीपी के पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए सभी संबद्ध पक्षों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने और उनके संवर्धन के व्यापक प्रयास किए जाएंगे

ई-पंचायत

ई-पंचायत, 2006 में तैयार की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत तय की गई 27 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के अनुसार संविधान के भाग-9 के अंतर्गत देश में गठित ग्राम पंचायतों को 2,00,292.20 करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया इसका अर्थ है, 26 राज्यों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 488 रुपये की सहायता प्रदान की गई, ताकि नियमित अंतरालों पर इन संस्थानों के लिए संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके इससे इन संस्थानों के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी और वे सौंपे गए सांविधिक कार्यों के निर्वहन के लिए संसाधनों में वृद्धि कर सकेंगे 14वें वित्त आयोग ने मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, मणिपुर के पर्वतीय जिलों, नगालैंड एवं मिज़ोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूची 6 के अंतर्गत भाग-9 से इतर पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुदान की अनुशंसा नहीं की है

पेयजल और स्वच्छता

पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की स्थापना 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, जिसे बाद में 2010 में पेयजल और स्वच्छता विभाग का नाम दिया गया ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के रूप में एक पृथक मंत्रालय अधिसूचित किया पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, जो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और देश में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), के लिए समग्र नीति, आयोजना, वित्त पोषण और समन्वय के लिए जिम्मेदार है
वेबसाइट: www.mdws.gov.in

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2014 में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के पीछे यह धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शौचालयों, ठोस और तरल कचरे के निपटान की प्रणालियों और ग्राम स्वच्छता सहित स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई जाएं यह कार्यक्रम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है 2019 तक, अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत को वास्तविकता बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है इस मिशन का लक्ष्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना है यह 2014 में 39 प्रतिशत थी, जिसे अक्टूबर 2019 तक बढ़ा कर शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य है कार्ययोजना में 5 वर्षों में भारत को खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है प्रारंभ में स्वच्छ भारत के हिस्से के रूप में देश के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी गई यह कार्य एक वर्ष में पूरा कर लिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जैसेः (क) जल और स्वच्छता दोनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, जिसके अनुसार जल और स्वच्छता के लिए धन का इस्तेमाल परस्पर एक-दूसरे के लिए किया जा सके, ताकि राज्यों के पास धन अधिशेष न रहे और दोनों क्षेत्रों में से किसी के लिए भी धन की कमी के कारण लक्ष्य पूरे करने पर प्रभाव न पड़े; (ख) केंद्र द्वारा राज्यों को धन देने के लिए अपनाई गई 'ठीक समय पर' आवंटन नीति का अनुपालन करना, ताकि भारत सरकार को धन पर अतिरिक्त लागत वहन न करनी पड़े; (ग) नाबार्ड, सिडबी (अथवा बिना किसी प्रतिभूति के बैंकों के जरिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) जैसी एजेंसियों के जरिए ऐसे परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करने की प्रणाली विकसित करना, जो प्रोत्साहन के पात्र हैं अथवा जो नहाने के स्थान सहित बेहतर शौचालय बनाना चाहते हैं; (घ) प्रत्येक गांव के लिए एक स्वच्छताग्राही (प्रेरक व्यक्ति) की पहचान करना, उसे स्वच्छता कौशल प्रदान करना और कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना; और (ङ) परिवार के स्तर पर गहन निगरानी मंत्रालय के आईएमआईएस के जरिए रखी जाएगी, चूंकि पेयजल आपूर्ति मंत्रालय ने बेसलाइन डेटा के जरिए प्रत्येक परिवार की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली है

स्वच्छ भारत मिशन *(ग्रामीण)*

ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उपाय सर्वप्रथम 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किए गए थे सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और गरिमा प्रदान करना था 1999 से 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' के अंतर्गत 'मांग संचालित' दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें ग्रामीण लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों पर बल दिया गया, ताकि स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग का सृजन हो सके 'निर्मल भारत अभियान' (एनबीए), जो पूर्ण स्वच्छता अभियान का उत्तराधिकारी कार्यक्रम था, 2012 में प्रारंभ किया गया इसका लक्ष्य एमएनआरईजीएस के साथ समाभिरूपता के जरिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करके निर्मल गांवों का विकास करना था इन सभी कार्यक्रमों की अपनी-अपनी उपलब्धियां रहीं, फिर भी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा रह गया, जिसकी पहुंच शौचालयों तक नहीं थी इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण आकार प्रदान करने और स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शुरू किया गया नई कार्यनीति में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य सरकारों (चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है) को छूट प्रदान की जाए कि वे राज्य विषयक जरूरतों को ध्यान में रख कर अपनी कार्यान्वयन नीति और व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय कर सकें

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वस्थता को प्रोत्साहित करना और खुले में शौच जाने की कुप्रवृत्ति को समाप्त करना; (ख) 2 अक्टूबर , 2019 तक स्वस्थ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना; (ग) पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती और समुचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

मंत्रालय स्वच्छता क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार लाने के लिए शौचालयों के निर्माण के जरिए गांवों को खुले में

शौच जाने से मुक्त करने पर जोर दे रहा है खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के बुनियादी साधन के रूप में मुख्य रूप से व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इसके लिए संकेंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम में महिलाओं की दृष्टि से संवेदनात्मक जानकारी, व्यवहार परिवर्तन के बारे में दिशानिर्देश और लोगों को शिक्षित बनाने की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है मंत्रालय ने लिंग संबंधी दिशा निर्देश 2017 में जारी किए इससे पहले, 2015 में मासिक धर्म संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में प्रारंभ हुआ इसका उद्देश्य एक पखवाड़े के दौरान सरकारी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में सफाई संबंधी मुद्दों और स्वच्छता की पद्धतियों पर गहन ध्यान केंद्रित करना है स्वच्छता पखवाड़ों के आयोजन के लिए योजना बनाने में मंत्रालयों की सहायता के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालयों में पहले से ही वितरित कर दिया जाता है

नमामि गंगे

नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की एक पहल है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे इस कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त करने और ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन के उपाय लागू करने पर बल दिया जा रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में करीब 52 जिलों में गंगा किनारे स्थित कुल 4,470 गांवों को राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खुले में शौच जाने से मुक्त कराया गया है मंत्रालय ने अब गंगा नदी के किनारे बसे 24 गांवों को चुना है, जिन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ समन्वय कायम करते हुए गंगा ग्राम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है

स्वच्छता कार्ययोजना

स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी) अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें स्वच्छता के लिए अंतर–मंत्रालयी गतिविधियां संचालित की जाती हैं यह कार्यक्रम स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस उपाय है सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने इस लक्ष्य को महत्वपूर्ण ढंग से हासिल करने की दिशा में समुचित बजट प्रावधानों के साथ काम करना शुरू कर दिया है

प्रतिष्ठित स्थलों की स्वच्छता

मंत्रालय ने देशभर में 100 स्थानों को स्वच्छ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहु-हितभागी कार्यक्रम शुरू किया है यह स्थान धरोहर, धार्मिक और आमजन या सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से 'प्रतिष्ठित' स्थल हैं इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन प्रतिष्ठित स्थलों की स्वच्छता स्थितियों में सुधार लाना है ताकि उन्हें स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया जा सके यह कार्यक्रम शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के साथ भागीदारी के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है प्रथम दो चरणों के दौरान 20 प्रतिष्ठित स्थलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निर्दिष्ट किए गए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को समुचित मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है एनआरडीडब्ल्यूपी भारत निर्माण का एक घटक है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इस कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति क्षेत्र में महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान करने और पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिली है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे विषयों में भी रखा गया है, जो राज्यों

द्वारा पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं इस प्रकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है

जलापूर्ति क्षेत्र में भारत सरकार ने बड़ा कार्यक्रम 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के रूप में शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 'समस्याग्रस्त गांवों' में जलापूर्ति की कवरेज में तेजी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता दी जाती थी जल की गुणवत्ता, समुचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य संबंधित गतिविधियों पर बल देने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया, जिसे बाद में 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) का नया नाम दिया गया 1999-2000 के दौरान पेयजल कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाएं शुरू की गईं, जिन्हें 2002 में स्व जलधारा कार्यक्रम के रूप में संगठित कर दिया गया 2009 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम दिया गया

25 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सरकारी विभागों से जोड़ने वाली नोडल एजेंसी की तरह काम करता है यह विभाग विभिन्न संस्थाओं एवं क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने में बाहर से सबसे अधिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग प्रदान करता है रणनीतिक महत्व वाले इस काम से हमारे देश के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों का परिणाम बेहतर होता है तथा देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बदलने में भी मदद मिलती है

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग

देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता तथा सामर्थ्य बढाने के प्रयास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई योजनाएं चलाईं ताकि भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय को वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके विभाग ने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनमें से कुछ हैं: विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर होड़ करने योग्य अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी जानकारों की संख्या बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की वैश्विक रैंकिंग बेहतर करने के लिए आरएंडडी संस्थानों को प्रोत्साहन देना तथा ढांचागत सुविधाएं तैयार करना, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारी की प्रणाली लागू करने में सहयोग करना, राष्ट्रीय अभियानों के जरिए प्रौद्योगिकी लागू करना, राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करने के लिए संस्थाओं और उद्योग की क्षमता विकसित करना, समाज के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र के लिए नीति बनाना
वेबसाइट: www.dst.gov.in

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

2013 में लाई गई नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया गया है एसटीआई नीति का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होड़ करने की क्षमता हासिल करने और विज्ञान को देश के विकास के एजेंडा से जोड़ना है नीति का मुख्य लक्ष्य है साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया (सृष्टि) विज्ञान, अनुसंधान तथा नवाचार प्रणालियों का एकीकरण करने और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में पांच या छह शीर्ष शक्तियों में पहुंचाने की इच्छा नई एसटीआई नीति में स्पष्ट रूप से जताई गई है इस सपने को साकार करने के लिए विभाग ने पहले ही एक समर्पित नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ गठित कर दिया है देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में लागू करने के लिए नए कार्यक्रम एवं कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षिक संस्थानों में पांच नीति अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में बहुत मदद मिली है बोर्ड के बहुआयामी कार्यक्रमों ने विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी के विभिन्न हितधारकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है वैज्ञानिकों के सेवाकाल के विभिन्न चरणों में प्रतिभा पलायन रोकने के लिए बोर्ड ने कई नए कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे अनुसंधान जल्द आरंभ करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना करने में युवा अध्यापकों की सहायता हेतु अर्ली करियर रिसर्च अवार्ड्स (ईसीआरए) ईसीआरए के अंतर्गत प्रतिवर्ष 300 अभ्यर्थियों की सहायता की जाएगी

टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस (तारे) मोबिलिटी स्कीम: 2016-17 में आरंभ हुई इस योजना का लक्ष्य राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में नियमित रूप से काम कर रहे शिक्षकों को आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, राष्ट्रीय प्रयोगशाला जैसी शैक्षिक संस्थाओं में भेजना है इन शिक्षकों को अपने कार्यस्थल के नजदीकी शहर में स्थित संस्थाओं में ही भेजा जाएगा इससे बेकार पड़ी वैज्ञानिक श्रमशक्ति को मामूली निवेश से ही हमारी अनुसंधान की धारा में शामिल कर लिया जाएगा और दो स्तरों वाली संस्थाओं में अनुसंधान एवं शिक्षण की संभावना बेहतर होगी 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप, 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिकता अनुदान का प्रावधान किया गया है

युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना

विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इनोवेशन इन साइंस पर्सुट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर) कार्यक्रम चलाया जा रहा है पिछले 3 वर्ष में 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 3.67 लाख विद्यार्थियों को इंस्पायर अवार्ड दिए गए हैं कक्षा 11 में विज्ञान पढ़ रहे छात्रों को भारत तथा विदेश के नोबेल विजेताओं समेत प्रमुख वैज्ञानिक हस्तियों से मिलने का मौका देने के लिए विज्ञान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि वे भी आविष्कार करने का आनंद उठा सकें पिछले तीन वर्षों में लगभग 40,000 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी गई है 27 से 32 वर्ष आयु वर्ग में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने वालों को बुनियादी एवं व्यावहारिक विज्ञान में 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर पद देकर इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्रदान किया जाता है पिछले चार वर्षों में 700 से अधिक अभ्यर्थियों को फैकल्टी अवार्ड दिए गए हैं

महिला वैज्ञानिकों के लिए अवसर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी प्रमुख योजना किरण (नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग) के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए इस अनूठी पहल के जरिए विभाग उन महिला वैज्ञानिकों को भौतिक एवं गणितीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पूरा करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें मुख्य तौर पर पारिवारिक कारणों से अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा था 2500 से अधिक महिला वैज्ञानिक इस योजना का लाभ उठा रही हैं

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अनुसंधान के इस उभरते क्षेत्र में आरएंडडी को सभी प्रकार से बढ़ावा देने के लिए 2007 में राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभियान आरंभ किया गया इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं- बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान के बुनियादी ढांचे का विकास, नैनो एप्लिकेशन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, मानव संसाधन विकास, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन तथा राष्ट्रीय विमर्श आरंभ करना

जलवायु परिवर्तन

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के अंतर्गत आरंभ किए गए राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन (एनएमएसएचई) तथा जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के राष्ट्रीय मिशन (एमएमएसकेसीसी) का क्रियान्वयन यही विभाग कर रहा है इन राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत छह प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं हिमालय के विषय में जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों और समुदायों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हिमालयाज क्लाइमेट चेंज पोर्टल (http://knowledgeportal-nrmshe.in/) आरंभ किया गया

नवाचार के माहौल को बिना किसी व्यवधान के बढ़ावा देने के इरादे से नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (निधि) योजना आरंभ की गई है नवाचार को बाजार की मूल्य श्रृंखला से जोड़ने वाली प्रमुख कड़ियों को देश भर में विभिन्न बिंदुओं (प्रत्येक बिंदु में 3 पड़ोसी जिलों का क्लस्टर होगा) पर सहायता प्रदान की जाएगी और मजबूत किया जाएगा ताकि नवाचार, उद्यमशीलता एवं विकास में सहयोग के जरिए राष्ट्र निर्माण का अभियान पूरा हो सके निधि के विशिष्ट घटक हैं नवाचार को तलाशने के लिए प्रतियोगिताएं; प्रमोशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ यंग एंड एस्पाइरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स (प्रयास) - विचार से लेकर प्रोटोटाइप तक सहायता; ऑन्त्रप्रेन्यर इन रेजिडेंस (ईआईआर) - जोखिम कम करने के लिए सहायता प्रणाली, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार एवं उद्यमशीलता विकास केंद्रों (आईईडीसी) के जरिए स्टार्टअप-निधि; मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से स्टार्ट-अप केंद्र - राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में उद्यमशीलता की भावना भरना; टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) - नए विचारों को स्टार्टअप में बदलना; एक्सीलरेटर - लक्षित हस्तक्षेप के जरिए स्टार्टअप को गति देना; सीड सपोर्ट सिस्टम (एसएसएस) - आरंभ में ही निवेश उपलब्ध कराना; उत्कृष्टता केंद्र - स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर जाने अथवा आकार बढ़ाने में सहायता करने के लिए विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी और यह देश का सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र तैयार करने वाला राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्र की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी के रूप में इसे जो भूमिका दी गई है, उसके अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि देश के भू-भाग का सर्वेक्षण कर उसके सटीक मानचित्र बनाए जाएं ताकि तीव्र एवं एकीकृत विकास के लिए आधार मानचित्र तैयार हो सकें साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि देश की प्रगति, समृद्धि एवं सुरक्षा में सभी संसाधनों का भरपूर योगदान रहे भारतीय सर्वेक्षण विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी 1:25OK, 1:50K तथा 1:25K पैमानों पर स्थलीय भाग के मानचित्र तैयार करना है 1:250K तथा 1:50K पैमानों पर पूरे देश के स्थलीय भाग के मानचित्र तैयार हो चुके हैं तथा मानचित्रों को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है ताकि भू-भाग की नवीनतम जानकारी उनमें शामिल की जा सके केंद्र/राज्य सरकारों एवं अन्य प्रयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप 1:25K पैमाने पर सर्वेक्षण आरंभ किया गया इसे भू-गणितीय एवं भू-भौतिकी क्षेत्र में, भूकंप विज्ञान तथा ग्लेशियरों के अध्ययन में, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों तथा डिजिटल मानचित्रण एवं डिजिटल फोटोग्रामेट्री से संबंधित परियोजनाओं में हिस्सेदारी के लिए अपनी महारत का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ तालमेल वाली प्राथमिक जानकारी उपलब्ध हो सके

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न पैमानों पर स्थानिक मानचित्रों के डिजिटल मानचित्र भंडार का जिम्मा भी अपने हाथों में लिया है इस डिजिटल जानकारी का उपयोग विभिन्न एजेंसियां योजना बनाने एवं जीआईएस एप्लिकेशनों के लिए कर रही हैं इसने जलविद्युत, सिंचाई, कमान क्षेत्र, नहर क्षेत्र, छावनी क्षेत्र योजनाओं समेत विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं का व्यापाक स्तर पर सर्वेक्षण भी किया है भारत की बाहरी सीमा तय करना, देश में प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में उन्हें दिखाना तथा राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन पर सलाह देना भी विभाग की ही जिम्मेदारी है द्विपक्षीय संधियों के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रण, सर्वेक्षण संबंधी शिक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सर्वेक्षण संबंधी अन्य कई प्रौद्योगिकियों के मामले में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, केन्या, इराक, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, भूटान, मॉरीशस आदि देशों को भी सहायता प्रदान करता है संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के कारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थान संबंधी आंकड़ों का बुनियादी ढांचा तैयार करने की क्षमता हासिल करने में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों की भी मदद करता है

यूएनडीपी की सहायता के अंतर्गत स्थापित किया गया सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद एक उत्कृष्ट संस्थान है, जो विभाग, राज्य/केंद्र सरकारों के अन्य संगठनों तथा पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षुओं को सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है

मई, 2005 में घोषित राष्ट्रीय मानचित्र नीति को ध्यान में रखते हुए उन ओपन सीरीज़ मानचित्रों का प्रकाशन उपयोगकर्ताओं के लिए किया जा रहा है, जो यूटीएम प्रोजेक्शन पर आधारित हैं और सर्वेक्षण तथा मानचित्रण की सभी गतिविधियों में इस्तेमाल हुई जीपीएस प्रणाली के अनुकूल डब्ल्यूजीएस-84 आंकड़े पर आधारित हैं लैंबर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन तथा डब्ल्यूजीएस-84 आंकड़े पर आधारित रक्षा श्रृंखला के मानचित्र रक्षा बलों के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं और उन्हें गोपनीय करार दिया गया है भारत तथा अन्य देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर समुद्री स्तर के आंकड़े देखकर हिंद महासागर में ज्वार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में भारतीय सर्वेक्षण विभाग सबसे आगे है जलवायु विज्ञान संबंधी नमूने तैयार करने, समुद्र के जलस्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करने, सुनामी का पूर्वानुमान लगाने जैसे वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हैं इसके अतिरिक्त समुद्री यात्रा के लिए भी ये महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं

विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक जानकारी तैयार की जा रही है उनका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ लाना होता है जानकारी का एकीकरण करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने देश भर में मानक भू-नियंत्रण बिंदुओं का नेटवर्क स्थापित किया है और जिऑयड के लंबवत विवरण को नए सिरे से परिभाषित करने का भारीभरकम काम अपने हाथ में ले लिया है इससे भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे उद्योगों तथा अन्य एजेंसियों के साथ-साथ राज्य भू- कर विभाग को राष्ट्रीय संदर्भ प्रणाली में अपना काम करने में सुविधा होगी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रण के क्षेत्र में देश की आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के मुताबिक विशेष विषयों पर मानचित्र उपलब्ध कराने का काम विभाग के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्रण संगठन (नैटमो) करता है वह समुचित सामाजिक-आर्थिक जानकारी के साथ संसाधन मानचित्रों को एक साथ लाता है तथा उन्हें स्थान के रूप में प्रदर्शित करता है, जो विकास की योजनाएं बनाने के लिए उपयोगी हैं नैटमो अपने मानचित्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर रिवर्स प्रिंटिंग की तकनीक भी विकसित करने का प्रयास कर रहा है वह मानचित्र छापने के लिए धातु रंगों के प्रयोग की तकनीक अपनाने का प्रयास भी कर रहा है

वेबसाइट: www.Surveyofindia.gov.in

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 1942 में स्थापित की गई स्वायत्तशासी संस्था है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अत्याधुनिक आरएंडडी जानकारी के लिए विख्यात है पूरे देश में पैठ रखने वाले सीएसआईआर के पास 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों तथा 5 इकाइयों का गतिशील नेटवर्क है आरएंडडी में उसकी विशेषज्ञता तथा अनुभव का कारण 4,000 सक्रिय वैज्ञानिक हैं, जिन्हें करीब 7,000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मियों की मदद मिलती है रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, औषधि, जीनोम अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, यंत्रीकरण, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तमाम विषय इसके दायरे में आते हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, चमड़ा, कृषि एवं गैर कृषि जैसे सामाजिक प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करता है पूरे देश के लिए द्रव्यमान, दूरी, समय, तापमान, प्रवाह आदि को नापने के मानकों का ध्यान भी सीएसआईआर ही रखता है इसने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) बनाया है और वही उसका संरक्षक है यह पुस्तकालय भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनैतिक व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ शक्तिशाली हथियार है यह माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन (एमटीसीसी) और जीन बैंक का संचालन करता है भारत के बौद्धिक संपदा आंदोलन का अगुआ सीएसआईआर आज अपने पेटेंट के जखीरे को समृद्ध कर रहा हैं ताकि चुनिंदा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश को वैश्विक प्रतिष्ठा मिल सके

वेबसाइट: www.csir.res.in

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की स्थापना 1954 में हुई थी और यह परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्रों तथा मूलभूत अनुसंधान में विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग में लगा है उनमें से कुछ हैं: (अ) स्वदेशी तथा अन्य आजमाई हुई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और उससे जुड़े ईंधन चक्र की सुविधाओं वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एवं थोरियम रिएक्टर विकसित करना; (आ) रेडियोआइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण एवं संचालन करना तथा चिकित्सा, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना; (इ) एक्सीलरेटर, लेजर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना; (ई) परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित अग्रणी वैज्ञानिक क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान में सहायता करना, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क करना, डीएई के कार्यक्रमों पर प्रभाव डालने वाली आरएंडडी परियोजनाओं में मदद करना तथा अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग; तथा (उ) राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना संगठनों के एकीकृत समूह के रूप में कार्य करने वाला विभाग पांच अनुसंधान केंद्रों, तीन औद्योगिक संगठनों, पांच सार्वजनिक उपक्रमों और तीन सेवा संगठनों से मिलकर बना है परमाणु एवं संबंधित क्षेत्रों और गणित में बाहरी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसमें दो बोर्ड हैं यह बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनुसंधान में जुटे अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त सात संस्थानों की मदद करता है और एक सोसायटी की सहायता भी करता है, जो डीएई के कर्मचारियों की संतानों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती है

डीएई के पास यूरेनियम खनन तथा खनिज प्रसंस्करण की व्यापक क्षमताएं हैं और भारी जल के उत्पादन तथा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए जर्कोनियम मिश्र धातु के घटकों तथा अन्य सामग्री तथा आपूर्ति की उसकी अपनी व्यवस्था है हैदराबाद में यह न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों, बॉयलिंग वाटर रिएक्टरों तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए फ्यूल असेंबली तैयार करता है

वेबसाइट www.dae.nic.in

भारी जल बोर्ड

भारी जल बोर्ड ने सभी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए किफायत के साथ भारी जल का उत्पादन कर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण में सफल योगदान किया है, जिससे विभाग को सस्ती परमाणु ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिली बोर्ड देश में भारी जल की मांग स्वयं ही पूरी करने में सक्षम है और डीएई ने परमाणु ऊर्जा के जिस कार्यक्रम की परिकल्पना की है, उसके अनुरूप भविष्य में बनने वाले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों तथा एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए भारी जल उपलब्ध कराने के लिए भी वह तैयार है पिछले कुछ समय में भारी जल बोर्ड इस रणनीतिक सामग्री का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए इन कोर तथा आउट ऑफ कोर सामग्री हेतु तकनीकियों के विकास, प्रदर्शन तथा इस्तेमाल के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने में भारी जल बोर्ड आगे रहा है इस सामग्री की जरूरत परमाणु ईंधन चक्र के फ्रंट एंड तथा बैक एंड दोनों में ही पड़ती है और यह मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों के लिए होती है- परमाणु ईंधन चक्र की फ्रंट एंड तथा बैक एंड हाइड्रोमेटालर्जी से संबंधित गतिविधियों के लिए विलायक (सॉल्वेंट) के रूप में; विभिन्न दुर्लभ धातुओं को प्राप्त करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए 10बी एवं सामाजिक प्रयोग के लिए 18ओ जैसे स्थिर आइसोटोप का निर्माण करने में

सॉल्वेंट प्रौद्योगिकी

सॉल्वेंट के क्षेत्र में टीबीपी (ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट) और डी2एचपीए के निर्माण के लिए एचडब्ल्यूपी, वडोदरा तथा तलचर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे भारी जल बोर्ड को एनएफसी, एनआरबी तथा डीएई की अन्य सभी इकाइयों की सभी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है

बोरॉन संवर्द्धन

भारी जल बोर्ड के पास आइसोटोप को अलग करने की प्रक्रिया में दशकों का अनुभव है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में जिस सामग्री की आवश्यकता है, उसे देखते हुए बोर्ड ने संवर्द्धित बोरॉन के निर्माण के लिए देशी तकनीकी का विकास, प्रदर्शन और उपयोग किया इस क्षेत्र में बोर्ड अब पूरी तरह सक्षम है और विभिन्न रासायनिक रूपों में वह 95 प्रतिशत से अधिक संवर्द्धन कर सकता है

सोडियम

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए सोडियम एक अन्य महत्वपूर्ण सामग्री है, जो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए कूलैंट के रूप में काम करती है भारतीय आरएंडडी संगठनों के साथ नेटवर्क तैयार कर भारी जल बोर्ड ने परमाणु ग्रेड वाले सोडियम के उत्पादन के लिए स्वदेशी और अधिक सुरक्षित क्लोज्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्रौद्योगिकी विकसित की है लगातार बढ़ते आकार वाले सेल का परीक्षण किया जाता है और अंत में औद्योगिक स्तर पर उत्पादन का संयंत्र स्थापित करने की इच्छा है

खजिन अन्वेषण एवं खनन

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) का जोर यूरेनियम, थोरियम तथा दुर्लभ धातुओं के संवर्द्धन पर है इसके लिए उसने एकीकृत, बहुपक्षीय पद्धति एवं कर्मचारियों के समझदारी भरे उपयोग द्वारा अन्वेषण की गतिविधियां जारी रखीं परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा झारखंड में 15,775 टन से भी अधिक यूरेनियम ऑक्साइड (U_3O_8) का अतिरिक्त भंडार तैयार हो गया

विदुयत क्षेत्र को आरएंडी सहायता

परमाणु बिजली कार्यक्रम को अनुसंधान एवं विकास सहयोग डीएई के अनुसंधान केंद्रों से मिलता है हाइड्रोजन दहन के दौरान विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायोगिक आंकड़ों का उपयोग कर दहन, ज्वाला में तीव्रता तथा विस्फोट के संख्यात्मक नमूने विकसित किए गए एवं उन्हें प्रमाणित किया गया सीमित तत्व विश्लेषण तथा सीमित लोड अनुमानों द्वारा एचडब्ल्यूपी, कोटा के दूसरे चरण वाले हॉट टावर की काम करने की क्षमता तथा बची हुई जीवन अवधि का आकलन किया गया

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं वातावरण

परिचालन केंद्रों की सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की गई इसने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परिचालन के कारण सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विकिरण का उत्सर्जन कम से कम रखा एनपीसीआईएल के सभी चालू संयंत्रों में आईएसओ-14001:2004 प्रमाणन वाली पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आईएसओ-18001:2007 प्रमाणन वाली पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) रखी जाती है और लगातार सुधार के लिए ऑडिट (आंतरिक, वाह्य तथा प्रबंधन) किए गए

ट्रॉम्बे में पीआरटीआरएफ में ऑनलाइन थोरॉन निगरानी नेटवर्क लगाया गया ताकि संयंत्र में विभिन्न स्थानों पर थोरॉन गैस के घनत्व पर नजर रखी जा सके मुंबई तथा तारापुर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) के विभिन्न संयंत्रों में संपूर्ण शरीर/फेफड़ों एवं जैव अपशिष्टों (मल-मूत्र) के नमूनों के विश्लेषण द्वारा पेशेवर कर्मचारियों का आंतरिक जोखिम आकलन किया गया भारी जल बोर्ड के सभी संयंत्र आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं ओएसएचए द्वारा प्रमाणित हैं भारी जल के संयंत्रों के सकल सुरक्षा मानक देश में उन्हीं के समान रासायनिक उद्योगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) सोडियम से ठंडे होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा उनसे जुड़ी ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहा है ब्रीडर रिएक्टर जितने ईंधन की खपत करते हैं, उससे ज्यादा ईंधन का उत्पादन करते हैं आईजीसीएआर के फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम को रिएक्टर अभियांत्रिकी, धातु कर्म, सामग्री विज्ञान, यंत्रीकरण, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उसके अनुसंधान तथा विकास प्रयासों से बल मिलता है कलपक्कम पर

25 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने भी फास्ट रिएक्टरों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता की है

थोरियम आधारित रिएक्टर

विश्व की ऊर्जा संबंधी मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल वाली परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र टिकाऊ विकल्प है दुनिया में यूरेनियम से अधिक थोरियम भंडार हैं इसीलिए थोरियम 'भविष्य का ईंधन' माना जाता है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य वाणिज्यिक स्तर पर बिजली उत्पादन के लिए थोरियम को बतौर ईंधन प्रयोग करना है थोरियम के ईंधन चक्र में थोरियम-232 को विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-233 में बदल दिया जाता है, जो परमाणु ईंधन है

कलपक्कम मिनी (कामिनी) रिएक्टर

अंतरिक्ष विभाग के लिए विभिन्न पाइरो उपकरणों की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी हेतु कामिनी रिएक्टर का सफल परिचालन किया गया पीएफबीआर के न्यूट्रॉन प्रवाह को नापने के लिए आवश्यक उच्च तापमान वाले विखंडन चैंबरों का सफल परीक्षण किया गया

अनुसंधान रिएक्टर

ध्रुव ने उच्च सुरक्षा स्तर तथा उपलब्धता कारक पर 100 मेगावाट थर्मल की ऊर्जा पर परिचालन किया देश भर के कई अनुसंधानकर्ताओं ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यूजीसी-डीएई गठबंधन की न्यूट्रॉन बीम सुविधा का प्रयोग किया

उन्नत प्रौद्योगिकियां

डीएई के अनुसंधान केंद्र एक्सीलरेटर, लेजर, उन्नत सामग्री, रोबोटिक्स, सुपरकंप्यूटर, यंत्रीकरण एवं अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे रहते हैं बार्क, आरआरकैट, वीईसीसी और ब्रिट विकिरण प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे हैं साथ ही वे फसल की बेहतर किस्मों, फसल सुरक्षा की तकनीकों, कटाई के बाद के लिए विकिरण आधारित तकनीकों, कैंसर जैसे रोगों के रेडियो-निदान तथा रेडियोधर्मी उपचार के लिए तकनीकों, सुरक्षित पेयजल, बेहतर पर्यावरण तथा औद्योगिक वृद्धि हेतु तकनीकों में उनके उपयोग तलाशने में भी जुटे हैं

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यंत्रीकरण

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना एवं आरंभ में लगी रहीं

रोबोटिक्स

न्यूरोसर्जरी करने के लिए बार्क में रोबोट पर आधारित फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें फ्रेम आधारित प्रणाली के बराबर सटीकता है और मरीजों के लिए आराम का स्तर भी उतना ही है बेहद सटीक क्षमता वाले (पैरेलल मैकेनिज्म पर आधारित) रोबोट को प्रयोग कर यह फ्रेमरहित स्टीरियोटैक्सी का स्वचालित बना देता है

क्रायोजेनिक्स

वीईसीसी में सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और हेवी आयन लाइनैक्स के लिए तरल हीलियम एवं तरल नाइट्रोजन हेतु क्रायोजेन वितरण लाइन, हीलियम के लिए वातावरण के नीचे निर्वात की परत वाली लाइन, हीलियम बफर टैंकों एवं कंप्रेसरों के बीच गर्म हीलियम की लाइन वाली क्रायोजेनिक प्रणाली तथा 500 वाट का हीलियम लिक्विफायर लगाए जा रहे हैं

रेडियोआइसोटोप एवं विकिरण प्रौद्योगिकी तथा उनके प्रयोग

स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान में विभिन्न रेडियोआइसोटोप के विकास तथा प्रयोगों में परमाणु ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है डीएई के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारत आइसोटोप प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों में शामिल है

रेडियोआइसोटोप ट्रॉम्बे के ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में, एक्सीलरेटर कोलकाता तथा एनपीसीआईएल के विभिन्न परमाणु बिजली संयंत्रों में बनाए जाते हैं चिकित्सा, औद्योगिक एवं अनुसंधान प्रयोग के लिए बार्क द्वारा विभिन्न प्रकार के आइसोटोप तैयार किए गए एवं उपलब्ध कराए गए विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) ने चिकित्सा एवं औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पाद एवं विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरणों का निर्माण किया तथा आपूर्ति की

होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के दस वर्ष पूरे हो गए एचबीएनआई ने अपने आठ शिक्षा बोर्डों में विभिन्न पाठ्यक्रमों - रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामरिक अध्ययन तथा स्नातक अध्ययन - के जरिए अपने शैक्षिक कार्यक्रम जारी रखे

प्रशिक्षण

बार्क में ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स तथा डीएई ग्रैजुएट फेलोशिप स्कीम्स के तहत उच्च मानकों के साथ प्रशिक्षुओं का चयन किया गया आईजीसीएआर में प्रशिक्षु वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शामिल किए गए शोधार्थियों अभियांत्रिकी एवं मूलभूत विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में डॉक्टोरल कार्यक्रम जारी रखे गए

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

देश में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ आरंभ हुईं उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर भी कार्य आरंभ हो गया अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की गई 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थाना की गई तथा अंतरिक्ष विभाग स्थापित हुआ और 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया अंतरिक्ष आयोग देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाता है तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर नजर रखता है अंतरिक्ष विभाग इन कार्यक्रमों को मुख्यतया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र तथा सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला के जरिए क्रियान्वित करता है 1992 में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गठित एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं की मार्केटिंग करती है

मार्च, 2016 से जून, 2017 के बीच भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कई उपलब्धियां हासिल कीं प्रक्षेपण यानों के बारह अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें सात पीएसएलवी, दो जीएसएलवी- एमके 2 और एक जीएसएलवी-एमके 3 शामिल हैं, जिनका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (शार), श्रीहरिकोटा से किया गया इसके अलावा इसरो के दस उपग्रह, छात्रों द्वारा बनाए गए चार उपग्रह तथा 152 विदेशी उपग्रह भी इन मिशनों द्वारा प्रक्षेपित किए गए भारत के संचार उपग्रह जीसैट-18 और जीसैट-17 भी फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) ने एक ही अभियान में 104 उपग्रह छोड़ने की अनूठी उपलब्धि हासिल की और एक ही अभियान के दौरान दो अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता भी दिखाई

इसरो ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में नई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल-टेक्नोलॉजी डेमॉन्सट्रेटर (आरएलवी-टीडी) तथा स्क्रैमजेट इंजिन टेक्नोलॉजी डेमॉन्सट्रेटर अपनी पहली

परीक्षण उड़ान में सफल रहे इसके अलावा जियोसिन्क्रॉनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल - मार्क 2 (जीएसएलवी-एमके 2) के रूप में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज ले जा रहे जीएसएलवी का लगातार तीसरा सफल प्रक्षेपण हुआ मंगलयान ने मंगल ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में दो वर्ष की वांछित अवधि सफलतापूर्वक पूरी की साथ ही भारत की अनेक तरंगदैर्ध्यों वाली वेधशाला एस्ट्रोसैट ने कक्षा में अपना एक वर्ष पूरा किया

2017 में इसरो ने जीएसएलवी-एफ 09 का प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक किया, जिसने दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) को सफलतापूर्वक भूसमकालिक अंतरक्षण कक्षा (जीटीओ) में डाला यह दक्षेस देशों के लिए भारत का उपहार था उस वर्ष ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) ने दो सफल प्रक्षेपण किए- (1) एक ही बार में रिकॉर्ड 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने की अनूठी उपलब्धि प्राप्त की और (2) 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए जून, 2017 में फ्रेंच गुयाना से संचार उपग्रह जीसैट-17 छोड़ा गया लेकिन अपनी 41वीं उड़ान में पीएसएलवी भारत के आठवें नेविगेशन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में नहीं रख पाया और सफल नहीं रहा 2017 में भारत के मंगलयान अभियान वाले अंतरिक्ष यान ने मंगल के चारों ओर अपनी कक्षा में तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, जबकि भारत की बहु-तरंगदैर्ध्य वेधशाला एस्ट्रोसैट ने भी कक्षा में दो वर्ष पूरे कर लिए दोनों उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और संतोषजक प्रदर्शन कर रहे हैं

वेबसाइट: www.isro.org

अंतरिक्ष अनुप्रयोग

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता उसके उपयोग केंद्रित प्रयास और देश को उनसे मिलने वाले लाभ हैं दूर-शिक्षा (टेली-एजूकेशन) तथा दूर-चिकित्सा (टेली-मेडिसिन) के साथ संचार के विभिन्न क्षेत्रों में इनसैट/जीसैट उपग्रहों द्वारा की जा रही समाज सेवा जारी है देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के सुस्थापित बहुआयामी क्रियान्वयन ढांचे के जरिए देश में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर चलाई जा रही दूर-संवेदी अनुप्रयोग परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह समूह ने कृषि फसलों के भंडार, कृषि अकाल के आकलन, दावानल पर नजर रखने, भूजल संभावना के मानचित्रों के बेहतर उपयोग तथा अन्य प्रशासन संबंधी प्रयोगों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद की

इसरो का आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) कार्यक्रम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्थान आधारित जानकारी एवं सूचना तथा संचार के साधन उपलब्ध करा रहा है राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र में स्थापित निर्णय सहायता केंद्र (डीएमएस-डीएससी) बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में लगा हुआ है भारत में जून से सितंबर के दौरान भारी बाढ़ आईं, जिन्होंने 8 राज्यों - असम, गजरात, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 104 से अधिक जिलों को प्रभावित किया बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों पर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के जरिए नजर रखी गई और संबंधित राज्यों/विभागों को लगभग 100 मानचित्र भेजे गए

आग के मौसम (फरवरी से जून) में उपग्रह के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रोजाना लगभग वास्तविक समय में आग यह जानकारी उपग्रह गुजरने के बाद 30 मिनट से भी कम समय में उपलब्ध कराई गई यह काम भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर पूरे देश में किया गया 2017 में जंगल की आग के लगभग 32,546 मामलों में आग के सक्रिय स्थान की जानकारी तैयार की गई और राज्यों के संबंधित वन विभागों तथा भारतीय वन सर्वेक्षण को उपलब्ध कराई गई 2017 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोटरोपी गांव के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (मंडी और पठानकोट के बीच की सड़क) पर भारी भूस्खलन हो गया इस पर रिसोर्ससैट-2 और कार्टोसैट-2 के जरिए नजर रखी गई माना गया कि बारिश के कारण ही ऐसे भूस्खलन होते हैं

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम) बहुमानक भूस्थानिक डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आपदा संबंधी जानकारी देता रहा इस दैनिक जानकारी के अलावा अनुमान लगाने वाली एजेंसियों से मिलने वाली चेतावनियों को भी एनडीईएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया गया इसरो ने 'अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं' के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष आंकड़े एकत्र करने और आपदा से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने की

एकीकृत प्रणाली तैयार करना है इसके लिए इसरो चार्टर का समर्थन तथा सेंटिनेल एशिया की मदद करता है और विभिन्न भारतीय दूरसंवेदी उपग्रहकों से आंकड़े इकट्ठा करने की योजना बनाता है एवं तय समय में उपलब्ध कराता है 2017 में इसरो ने आईआरएस आंकड़ों के 140 सेट उपलब्ध कराते हुए 22 देशों में 29 आपदाओं के समय मदद की

अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रह अनुसंधान

दो ग्रहों के बीच चलाया जा रहा भारत का पहला अंतरिक्ष यान अभियान मंगलयान मंगल के चारों ओर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूरे कर चुका है और नियमित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा है अंतरिक्ष यान के स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं अंतरिक्ष यान से मिली जानकारी का वैज्ञानिक विश्लेषण उपग्रह के विभिन्न आयामों पर किया जा रहा है वर्ष के दौरान अंतरिक्षयान पर कक्षा में दिशा परिवर्तन भी किया गया, जिससे 2021 तक दीर्घकालिक ग्रहण का खतरा खत्म हो गया

भारत की पहली विविध तरंगदैर्ध्य वाली वेधशाला ने कक्षा में दो वर्ष पूरे कर लिए उपग्रह से अब 'वेधशाला' की तरह काम लिया जा रहा है, जिसमें दिलचस्पी रखने वाले अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों से इसरो के अनाउंसमेंट ऑफ अपॉरर्च्युनिटी के जरिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निगरानी का समय आवंटित किया जाता है

क्षमता निर्माण

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का प्रमुख कारण किसी कार्य को हाथ में लेने और संकल्प, समर्पण तथा पेशेवर रवैये के साथ उसे पूरा करने की सुस्थापित कार्यप्रणाली है ऐसी अनूठी प्रतिभाओं तथा प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देने की महत्ता भांपकर विभाग ने हमेशा ही क्षमता निर्माण से संबंधित पहलुओं पर जोर दिया है क्षमता निर्माण में विकास के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जिनसे विभाग का अपनी योजना के अनुसार ही अपने लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके क्षमता निर्माण के कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का अटूट अंग रहा है और इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों एवं अंतरिक्ष से संबंधित निकायों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबधों को महत्व देना जारी रखा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख उद्देश्य नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी चुनौतियों का सामना करना, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय खाका परिभाषित करना, अंतरिक्ष नीतियों को बेहतर बनाना तथा देशों के साथ संबंध स्थापित करना एवं मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाना है इसरो ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका, वियतनाम, अफगानिस्तान एवं रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों और अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के साथ सहयोग के समझौते किए

अंतरिक्ष वाणिज्य

अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन वैश्विक बाजार में भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग कर रही है एंट्रिक्स विदेशी ग्राहकों समेत अन्य एजेंसियों के साथ विशिष्ट वाणिज्यिक करारों के जरिए अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है एंट्रिक्स के साथ वाणिज्यिक करार के तहत अभी तक पीएसएलवी 1999 से 2018 के बीच अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के 237 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुका है 2017 में ही पीएसएलवी ने 130 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन तैयार करने और कार्यक्रम की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 2007 में तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की स्थापना की गई, जो मानद विश्वविद्यालय है

पृथ्वी विज्ञान

पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, थलमंडल और जीवमंडल तथा उनके बीच के संबंधों से संबंधित है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम, जलवायु, समुद्र, तटवर्ती स्थल, जलमंडलीय एवं भूसंवेदी सेवाएं प्रदान करने के लिए भू विज्ञान से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी करता है सेवाओं में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी तथा चेतावनी शामिल है उपलब्ध कराई गई सेवाओं का उपयोग विभिन्न एजेंसियां एवं राज्य सरकारें कर रही हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल की क्षति कम से कम की जा सके
वेबसाइट: www.moes.gov.in

वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान

12 किलोमीटर के क्षैतिज रिजॉल्यूशन पर मौसम संबंधी कारगर भविष्यवाणी उपलब्ध कराने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाला वैश्विक निर्धारण योग्य मौसम पूर्वानुमान मॉडल तैयार किया गया इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाले वैसे ही मॉडल इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर ली, जैसी अमेरिका में है भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों से सांख्यिकी मॉडलों में मिली जानकारी को ग्रहण करने के लिए जानकारी के संग्रह में बहुत सुधार किया गया है मॉनसून मिशन के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र तथा मौसम के पूर्वानुमानों हेतु कारगर गतिशील मॉडल प्रणालियां लागू की गईं पहली बार भारतीय मौसम विभाग ने गर्मी की लहरों समेत गर्म मौसम (अप्रैल से मई) के दौरान समय के अलग-अलग पैमानों पर पूर्वानुमान जारी किए

मौसम तथा चक्रवात की बेहतर भविष्यवाणी

मौसम संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में पिछले तीन वर्ष के दौरान सराहनीय सुधार हुए हैं भारी वर्षा एवं तीव्र चक्रवातों जैसे फेलिन, हुदहुद तथा वरदा एवं उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और चेन्नई में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाने के कौशल में भी खास तौर पर बहुत अधिक सुधार हुए हैं चेन्नई शहर तथा आसपास के इलाकों में भारी क्षति करने वाले चक्रवात वरदा के बारे में करीब 3 दिन पहले ही एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिससे हजारों जान बच गईं पिछले तीन वर्षों में तीव्र चक्रवातों के कारण मरने वालों की संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है, जबकि पिछले दशक में हजारों लोगों की मौत हुई थी

कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं

मंत्रालय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं (एएएस) मुहैया कराता है किसान बुआई, सिंचाई, उर्वरक एवं कीटनाशक के इस्तेमाल, कटाई तथा प्रतिकूल मौसम से फसलों के बचाव जैसे कामों में इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं 130 कृषि मौसम क्षेत्रों (4-6 जिलों के समूह) में आरंभ की गई सेवाएं अब सफलतापूर्वक जिला स्तर तक पहुंचा दी गई हैं और देश के 608 जिलों में काम कर रही हैं इस समय लगभग 21.69 मिलियन किसान क्षेत्रीय भाषाओं में फसल विशेष के लिए कृषि मौसम संबंधी परामर्श प्राप्त कर रहे हैं

गर्म एवं ठंडी हवा की लहरों का पूर्वानुमान

ग्लोबल वार्मिंग के कारण सतह की हवा का तापमान और भी बढ़ने की आशंका है तथा गर्म हवा की लहरों की आवृत्ति भी बढ़ सकती है गर्म हवा की लहरों तथा उनके कारण सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में पर्याप्त चेतावनी देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहली बार देश भर में गर्म हवाओं के पूर्वानुमान जारी करना आरंभ किया है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों की सरकारों ने गर्मी के मौसम में इन पूर्वानुमानों के आधार पर अपने-अपने राज्य के अनुकूल योजनाएं आरंभ की हैं इनसे उन्हें लोगों को गर्म हवा की लहरें चलने की चेतावनी पहले ही दे देने और उनकी जान बचाने में मदद मिल सकती है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर गर्म हवा के बारे में ऐसी कार्ययोजनाएं बनाने की पहल भी की है

समुद्र सेवाएं, प्रौद्योगिकी एवं पर्यवेक्षण

संभावित मत्स्य क्षेत्र (पीएफजेड) के परामर्श

भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) 2.75 लाख मछुआरों को रोजाना पीएफजेड के बारे में परामर्श जारी करता है, जिससे उन्हें समुद्र में अधिक मछलियों वाले क्षेत्र पहचानने में मदद मिलती है

समुद्र की स्थिति की भविष्यवाणी (ओएसएफ)

मछुआरों, जहाजरानी उद्योग, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, नौसेना, तटरक्षक बल तथा अन्य पक्षों को समुद्र की स्थिति (लहरों, प्रवाह, समुद्र की सतह के तापमान आदि) के बारे में मुहैया कराए जाने वाले पूर्वानुमानों में बहुत सुधार आया है तेल रिसाव के परामर्श मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि तेल रिसाव की स्थिति में पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों, मछली मारने की संभावना वाले क्षेत्रों और मछली का शिकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशसन के प्रक्षेपण के दिन से पहले और उस दिन भी समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान उपलब्ध कराए गए थे

समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान की सेवाएं हिंद महासागर रिम संगठन के दो सदस्य देशों श्रीलंका तथा सेशेल्स को भी दी जा रही हैं उन्हें ये सेवाएं अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-जोखिम शीघ्र चेतावनी प्रणाली (राइम्स) के तहत दिए जाने वाले मानचित्र में हवा, लहरों, प्रवाह तथा तापमान जैसे पैमानों पर दी जाती हैं

सुनामी चेतावनी प्रणाली

मंत्रालय द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) में स्थापित भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को हिंद महासागर के देशों को चेतावनी देने के मामले में यूनेस्को द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है इसमें हिंद महासागर के लिए दूसरे स्तर की सुनामी परामर्श सेवाएं भी शामिल हैं भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली के पास भूकंप आने के 10 मिनट के भीतर ही चेतावनी जारी करने की क्षमता है भारतीय सुनामी शीघ्र चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूएस) ने हिंद महासागर के भीतर तथा आसपास सुनामी भूकंप पर नजर रखी तथा सुनामी की आशंका का खतरा होने पर समुचित संदेश जारी किए

समुद्र प्रेक्षण प्रणाली

2016 में इनकॉइस ने हिंद महासागर में 23 अर्गो नौकाएं तैनात की गईं, जिनमें भौतिक मानदंड इकट्ठे करने के लिए सेंसर लगे हुए थे इनमें से 11 नौकाओं में भौतिक के साथ जैवरासायनिक सेंसर भी लगे थे 732 से अधिक नौकाएं हिंद महासागर में सक्रियता के साथ काम कर रही हैं, जिनमें 136 भारत ने तैनात की थीं अभी तक भारतीय क्षेत्रों में अर्गो नौकाओं ने ताप तथा लवणता के 340856 नमूने, घुली हुई ऑक्सीजन के 18993 और क्लोरोफिल के 7614 नमूने इकट्ठे किए हैं

ओपन केज कल्चर

मत्स्य प्रोटीन की लगातार बढ़ती मांग को पूरी करने का व्यावहारिक विकल्प यही है कि मैरीकल्चर के द्वारा भारी स्तर पर मछलियों का उत्पादन किया जाए इस मांग को उपलब्ध इंजीनियरिंग तथा जैविक विशेषज्ञता के साथ पूरा करने के लिए भारतीय समुद्री परिस्थितियों के अनुरूप और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछलियों हेतु खुले पिंजड़ों वाला ओपन सी केज कल्चर तैयार किया गया यह प्रौद्योगिकी तट पर रहने वाले मछुआरों के लिए आजीविका का आदर्श विकल्प प्रतीत होती है, जो देश में रोज़गार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है और राष्ट्र के मत्स्य खाद्य उत्पादन का लक्ष्य भी प्राप्त करती है

दूर से संचालित वाहन

500 मीटर की गहराई वाले उथले जल/ध्रुव में दूर से संचालित होने वाले स्वदेश में विकसित वाहन को

अंड़मान के मूंगे के द्वीपों में सफलतापूर्वक तैनात किया गया मूंगे की चट्टानों की जैव विविधता के दृश्य वर्णक्रम दीप्ति के साथ रिकॉर्ड करने के लिए इस वाहन ने मूंगे के ऊबड़खाबड़ क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिचालन किया

ध्रुवीय एवं क्रायोस्फियर रिसर्च *(पेसर)*

राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान (एनसीएओआर), गोवा ने हिमालय में काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे हिमांश कहा गया यह 13,500 फुट (4,000 मीटर से अधिक) से ऊपर स्पीति, हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है इस केंद्र में ऑटोमैटिक मौसम केंद्र, वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्टीम ड्रिल, स्नो/आइस कोरर, ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रेडार, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्नो फॉर्क, फ्लो ट्रैकर, थर्मिस्टर स्ट्रिंग, रेडियोमीटर आदि जैसे उपकरण हैं जलीय संतुलन/मॉडलिंग के लिए पश्चिमी हिमालय में चंद्र नदी के 130 किलोमीटर लंबे हिस्से में पांच स्थानों पर वाटर लेवल रिकॉर्डर तैनात किए गए द्रव्यमान संतुलन, गतिकी, ऊर्जा संतुलन तथा जल विज्ञान के लिए ग्लेशियरों की निगरानी की गई

भूकंप विज्ञान एवं भू-विज्ञान अनुसंधान *(सेज)*

82 वेधशालाओं वाला राष्ट्रीय भूसंवेदी नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है भूकंप संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी जानकारी राज्यों तथा केंद्र सरकार की उन सभी संबंधित एजेंसियों को दे दी गई, जो क्षेत्र में राहत एवं बचाव के काम से जुड़ी थीं यह जानकारी वेबसाइट पर भी डाली गई 2016 में कोयना में आरंभ की गई वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग का उद्देश्य गहराई में बोरहोल वेधशाला स्थापित करना है, जिससे भूकंप के स्थान के आसपास के इंट्राप्लेट, सक्रिय फॉल्ट जोन में मौजूद चट्टानों के भौतिक गुणों, छिद्र में तरल के दबाव, जलीय मानदंडों, तापमान तथा अन्य मानदंडों को भूकंप से पहले, उसके दौरान एवं उसके बाद सीधे मापा जा सके इससे फॉल्टिंग की प्रक्रिया, जलाशय के कारण आए भूकंपों की भौतिकी की बेहतर समझ होती है एवं अनुमान लगाने वाला मॉडल तैयार करने में मदद मिलती है

अनुसंधान, शिक्षा पहुंच एवं प्रशिक्षण

इसमें मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाहरी सहायता तथा आउटरीच एवं जागरुकता कार्यक्रमों के लिए पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों में अनुसंधान तथा विकास शामिल है कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य देश के विभिन्न शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों में हो रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा परिणाम को मंत्रालय द्वारा कामकाजी प्रयोग में बदलना है

जैव प्रौद्योगिकी

मनुष्य तथा पशु का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता सुधारने, कृषि गतिविधियां बढ़ाने तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में जैव प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता को देखते हुए सरकार ने 1982 में ही कई एजेंसियों वाला बोर्ड राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड गठित कर दिया था जैव प्रौद्योगिकी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यूजीसी, आईसीएमआर और सीएसआईआर शामिल है बाद में बोर्ड को 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में बदल दिया गया इससे जैव प्रौद्योगिकी को आवश्यक बल मिला और विभाग ने अपने निर्धारित कामकाज के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए और एकीकृत कार्यक्रम बनाए

विभाग ने आधुनिक जीव विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी में घटनाओं को नई गति प्रदान की है पिछले 30 वर्ष में विभाग ने शैशवावस्था वाले एक क्षेत्र को तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनते हुए देखा है उसने कृषि, स्वास्थ्य सेवा, जीव जलजीव विज्ञान तथा जैव संसाधनों एवं पर्यावरण की निरंतरता के मामले में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग और वृद्धि में अनेक उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा है एवं देश में नवाचार तथा उद्यमिता का माहौल मजबूत बनाते हुए देखा है आज भारत दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी के बड़े केंद्रों में गिना जाता है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उसका तीसरा स्थान है अमेरिका के बाद भारत के पास ही अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (यूएसएफडीए) से मंजूरी पाए सबसे अधिक पौधे हैं

विभाग ने फलोशिप/अवार्ड तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए देश में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर दिया है इससे हमें युवा प्रतिभाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर और समुचित पारितोषिक देकर आगे बढ़ाने में मदद मिली है

चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और कंप्यूटेशनल जैव प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तथा तकनीकों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रायोगिक प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए ताकि प्रशिक्षु उद्योगों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, निदान प्रयोगशालाओं आदि में काम करने के लिए तैयार हो जाएं

वेबसाइट: www.dbtindia.nic.in

स्वायत्तशासी संस्थान

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं संवर्द्धन की कल्पना करने के कारण जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि एवं संबंधित विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान करने के लिए 16 स्वायत्तशासी संस्थान स्थापित किए हैं इनमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के साथ विषय आधारित अनुसंधान होता है स्वायत्तशासी संस्थानों के प्रयासों के कारण 80 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं और उनमें से कई का तकनीकी के हस्तांतरण द्वारा व्यावसायीकरण भी कर लिया गया है विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों ने कई अनुसंधान किए हैं, जिनमें बौद्धिक संपदा के अधिकार अथवा पेटेंट भी शामिल हैं

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई): नई दिल्ली ने जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके यह अलग-अलग विषयों वाले दृष्टिकोण का प्रयोग कर उन्नत जीव विज्ञान में अत्याधुनिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देता है ताकि देश के कुशल मानव संसाधन में उच्चतम स्तर की योग्यता तथा क्षमता हो

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस): पुणे ने अपने पीएचडी कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में नई पहल की हैं साथ ही उसने जैविक नियंत्रण प्रक्रियाओं और याद्दाश्त के कोशीय तथा आणविक आधार में आरएनए की भूमिका समझने के लिए अनुसंधान में भी नई पहल की हैं

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी): हैदराबाद के पास जीवन विज्ञान में अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में कामकाज सुचारु करने के लिए विश्वस्तरीय अत्याधुनिक यंत्र एवं कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा मौजूद है यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिंसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है इसके लिए यह ऐसे डीएनए मार्करों का प्रयोग करता है, जो बासमती की विभिन्न किस्मों में भेद कर सकते हैं, उनके गुण पहचान सकते हैं तथा उनकी पुष्टि कर सकते हैं केंद्र में अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र सेल सिग्नलिंग, ट्रांसक्रिप्शन, संरचनात्मक जीव विज्ञान, कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान एवं जैवसूचना विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवंशिकी एवं मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस के आसपास केंद्रित रहे हैं

जैविक विज्ञान संस्थान (आईएलएस): भुवनेश्वर का जोर संक्रामक रोग जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा रूपांतरकारी (ट्रांसलेशनल) शोध पर है इसके पास जैविक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अत्याधुनिक एवं विविध विषयक अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी): मानेसर मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है संस्थान का जोर मस्तिष्क अनुसंधान में कुशल मानव संसाधन के सृजन पर है, जिससे भारत को विज्ञान के इस अग्रणी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त हो सके

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर): दिल्ली का ध्यान पादप जीनोम में जीन के

विन्यास के साथ उनकी संरचना, प्रकटीकरण एवं कामकाज की समझ के क्षेत्र में अनुसंधान करने और पादप जीन/जीनोम में परिवर्तन करने पर है ताकि अधिक उपज एवं बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों हेतु खाद्य एवं औद्योगिक फसलों की बेहतर किस्में तैयार की जा सकें यह बुनियादी अनुसंधान गतिविधियों के जरिए तैयार की गई कुछ प्रौद्योगिकियों को कृषि में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है

राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र *(आरजीसीबी):* तिरुवनंतपुरम गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है

जैव-संसाधन एवं सतत विकास संस्थान *(आईबीएसडी):* इंफाल पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जैव-संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है संस्थान ने जैव-संसाधनों को साझा करने एवं उनका लगातार दोहन करने के लिए उचित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों/ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर पहल की है

नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र *(सीआईएबी):* मोहाली का ध्यान द्वितीयक कृषि जैव-उत्पादों के उत्पादन के लिए द्वितीयक कृषि एवं उत्प्रेरक अनुसंधान, नवोन्मेष तथा ज्ञान पर है संस्थान फिलहाल खेतों और खाद्य उद्योग से बचे जैव पदार्थों के रासायनिक, जैविक तथा जैव प्रौद्योगिकी तरीके से प्रसंस्करण करने में लगा हुआ है साथ ही वह खाद्य एवं गैर खाद्य उपयोग के लिए उत्पादक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धित प्राथमिक तथा द्वितीयक कृषि जैव उत्पादों हेतु जैव-संसाधनों का ज्ञान भी प्रसारित कर रहा है

राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान *(एनआईबीएमजी):* कल्याणी स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी में तीव्रता लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा है यह समय पूर्व जन्म के जैविक एवं पर्यावरणीय संबंधों की खोज एवं रोग तथा स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों के प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र *(आरसीबी):* फरीदाबाद विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है और नवोन्मेषी अनुसंधान कर रहा है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले अनुसंधान जगत में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार किए जा सकें

ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान *(टीएचएसटीआई):* फरीदाबाद चिकित्सा, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रांसलेशनल ज्ञान तथा जैवचिकित्सा नवाचार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत तरीके पर काम कर रहा है संस्थान एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टरों में तथा ट्रांसलेशनल अनुसंधान तथा उससे संबंधित प्रयासों में विशेषज्ञता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान *(एनआईएबी):* हैदराबाद ने संक्रामक रोगों: ब्रुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबेसियोसिस, न्यूकैसल डिजीज वायरस (एनडीवी), लेप्टोस्पाइरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मैस्टाइटिस, पेस्टे डेस पटीट र्यूमिनेंट्स वायरस (पीपीआर) तथा फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) पर और इन रोगों के निदान एवं रोकथाम के नए तरीके विकसित करने पर पहल की है

इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन *(इनस्टेम):* बंगलुरु ने विशिष्ट जांचकर्ताओं को इकट्ठा किया है, जिन्होंने विषय विशेष पर कार्यक्रम आरंभ किए हैं स्टेम सेल अनुसंधान और अनुप्रयोग में फेलोशिप कार्यक्रम के जरिए युवा जांचकर्ताओं का साथ देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है

राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी केंद्र *(नाबी):* मोहाली उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों एवं प्रौद्योगिकियों में जुटा है ताकि भारतीय कृषि तथा खाद्य उद्योग को अधिक नवाचार केंद्रित, लाभकारी तथा टिकाऊ बनाया जा सके यह गुणवत्तायुक्त पोषण का टिकाऊ एवं सार्थक साधन दे रहा है तथा कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी संबंधी तथा आविष्कारी उत्पाद मुहैया कराता है

अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आइसीजीईबी): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है संस्थान का मिशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता लाना है केंद्र मलेरिया, पादप विकास में माइक्रोआरएनए एवं तनाव प्रबंधन की नई दवाएं खोजने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है मलेरिया, विषाणु विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, रीकॉम्बिनेंट जीन उत्पाद, संरचनात्मक एवं कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, पादप मॉलिक्युलर जीव विज्ञान, कीट प्रतिरोध, पादप कायांतरण एवं सिंथेटिक जीव विज्ञान तथा जैव-ईंधन इसके अनुसंधान के क्षेत्र हैं

औद्योगिक तथा उद्यमिता विकास

औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत विभाग ने ट्रांसलेशनल अनुसंधान तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम को सहारा दिया, जिनमें बायो-इनक्यूबेटर तथा बायोटेक पार्क शामिल हैं

बायोटेक्नोलॉजी पार्क तथा इनक्यूबेटर

जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अनुसंधान के जरिए उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करने में मदद करता है नए वाणिज्यिक उत्पादों के विकास का एक तरीका बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना है, जहां प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा प्रायोगिक पादप अध्ययन की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि जैव प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक विकास तेज हो सके विभाग ने राज्य सरकारों/राज्य सरकार के संगठनों/केंद्र सरकार के संगठनों की साझेदारी में देश के विभिन्न हिस्सों में बायोटेक्नोलॉजी पार्क तथा इनक्यूबेटर स्थापित किए हैं, जिनसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास, उद्यमिता, अनुसंधान एवं नवोन्मेष में मदद मिलती है

बंगलुरु लाइफ साइंसेज क्लस्टर फॉर मल्टी-स्केल बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज (बी-लाइफ) विचारों के सृजन, भागीदार संस्थानों के बीच संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे की साझेदारी के जरिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है क्लस्टर में भागीदारी करने वाले संस्थान हैं; इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम), राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस), सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर प्लेटफॉर्स (सी-कैंप) और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड एप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी (आईबीएबी) क्लस्टर अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनूठे संस्थागत मॉडल की स्थापना में लगे हैं, जहां मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग नई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नए केंद्रों के विकास में किया जाता है

एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पांच स्वायत्तशासी संस्थानों (एनआईआई, एनआईपीजीआर, एनबीआरसी, टीएचएसटीआई और आरसीबी) को मिलाकर की गई क्लस्टर बायोटेक बिजनेस इनक्यूबेटर एवं पार्कों के जरिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में खोज आधारित अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में तथा निजी-सार्वजनिक साझेदारी में मदद करता है यह घटक बनने की संभावना वाली संस्थाओं का नेटवर्क तैयार करता है, जिससे खोजों की गति तेज करने के लिए तालमेल वाला माहौल तैयार हो सके

सार्वजनिक उपक्रम

विभाग ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नए संपर्क (इंटरफेस) को बढ़ावा दिया है और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषकर स्टार्ट-अप एवं एसएमई की रणनीतिक अनुसंधान एवं नवोन्मेष क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है ताकि समाज के बड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक किफायती उत्पाद तैयार हो सकें इंटरफेस एजेंसी के रूप में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बिराक) की स्थापना की गई है ताकि नवोन्मेष तथा उद्यमशीलता बढ़ सके, प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में किफायती नवोन्मेष को बढ़ावा मिले, स्टार्ट-अप तथा छोटे एवं मझोले उद्यमों को मजबूती मिले, नवोन्मेष के क्षमता विस्तार एवं प्रसार के लिए साझेदारों के जरिए योगदान हो, खोज का व्यावसायीकरण हो और भारतीय उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता सुनिश्चित हो बिराक ने मिलकर काम करने और अपनी जिम्मेदारी के तहत विभिन्न कार्य पूरे करने के लिए कई राष्ट्रीय एवं वैश्विक साझेदारों के साथ साझेदारी की है बिराक के अंतर्गत

बायोटेक इग्नीशन ग्रांट (बिग) योजना युवा खोजकर्ताओं के लिए उत्साहवर्द्धक योजना है, जो इनक्यूबेटर के जरिए जैव प्रौद्योगिकी में एसएमई की उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास को बढ़ावा देती है

विभाग के पास दो सार्वजनिक उपक्रम भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बिराक) भी हैं बिबकॉल उत्तर प्रदेश में स्थित अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी वैक्सीन), जिंक की गोलियां और डायरिया से छुटकारा दिलाने वाले किट जैसे विभिन्न औषधीय उत्पाद बनाती है इसका लक्ष्य पोलियो के टीके के जरिए लाखों बच्चों को अपंगता से बचाना है बिराक धारा 8, अनुसूची बी में आने वाला गैर लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है, जिसे इंटरफेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था इसका काम उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी उपक्रमों को देश के लिए प्रासंगिक उत्पादों के विकास की जरूरतें पूरी करने हेतु रणनीतिक अनुसंधान एवं नवोन्मेष का मौका देने के लिए मजबूत बनाना है

बिराक उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नया इंटरफेस है और प्रभाव डालने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, चाहे वह लक्षित फंडिंग के जरिए जोखिम पूंजी मुहैया कराना हो, तकनीकी हस्तांतरण हो, बौद्धिक संपदा का प्रबंधन हो या दिशा दिखाने की योजनाएं हों इनसे जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों को नवोन्मेष के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल होती है और वे वैश्विक स्पर्धा में आ जाती हैं स्थापना के बाद तीन वर्ष में बिराक ने विभिन्न योजनाएं नेटवर्क और प्लेटफॉर्म किए हैं, जिन्होंने उद्योग-शिक्षा नवोन्मेष अनुसंधान में मौजूद खामियों को दूर करने में और अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए नए, उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पादों के विकास में मदद की है

26 परिवहन



देश के सतत आर्थिक विकास में परिवहन की समन्वित और सुचारू संपर्क प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-वहन, हवाई परिवहन शामिल हैं कुछ वर्षों में इस प्रणाली की क्षमता और नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी जहाज़रानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय की है

रेलवे

भारत में रेलवे, यात्री परिवहन और माल ढुलाई का एक प्रमुख साधन है यह देश के सुदूर कोने-कोने से लोगों को मिलाती है और कारोबार, पर्यटन, तीर्थयात्रा तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम है भारतीय रेल पिछले 164 से अधिक वर्षों के दौरान एक बड़ी समावेशी ताक़त बन गई है इसने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है इसने उद्योग और कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करने में मदद की है पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इसकी यात्रा का दायरा अब 67,368 किलोमीटर तक पहुंच गया है इसमें 7,349 स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क है इसके बेड़े में 11,461 इंजन, 53,453 यात्री गाड़ियां, 6,714 अन्य कोचिंग वाहन और 2,77,987 डिब्बे हैं इस तरह भारतीय रेल ने अपने अस्तित्व में आने के बाद 165 वर्षों में असाधारण प्रगति की है इसने देश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

भारतीय रेलवे के बेड़े में मार्च 2017 तक 39 भापचालित 6,023 डीजल चालित और 5,399 विद्युयत चालित इंजन थे इस समय माल परिवहन के लिए कम ईंधन की खपत वाले, नए डिजायन के तथा अधिक हॉर्स पावर के तीव्र गति के डिब्बे और आधुनिक बोगियां शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है आधुनिक सिग्नल जैसे पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, स्वचालित सिग्नल और बहुआयामी रंगीन लाइट वाले सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं भारतीय रेलवे ने इंजन तथा रेल डिब्बों और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के देश में ही निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है अधिकतर वस्तुओं के मामले में यह अब आत्मनिर्भर हो गया है

कुल मार्ग के लगभग 35.32 प्रतिशत, परिचलन मार्ग के 47.09 प्रतिशत और कुल पटरी मार्ग के 48.26 प्रतिशत का विदुयतिकरण किया जा चुका है समूचा नेटवर्क 17 मंडलों में विभाजित है इसके प्रभाग आधारभूत प्रचालन इकाइयां हैं 17 मंडल और उनके मुख्यालय के नाम अगले पृष्ठ पर दिए जा रहे हैं

मंडल रेलवे		मुख्यालय
मध्य	–	मुंबई
पूर्वी	–	कोलकाता
पूर्व तट	–	भुवनेश्वर
पूर्व मध्य	–	हाजीपुर
उत्तरी	–	नई दिल्ली
उत्तर मध्य	–	प्रयागराज
उत्तर पूर्वी	–	गोरखपुर
पूर्वोत्तर फ्रंटियर	–	मालीगांव (गुवाहाटी)
उत्तर पश्चिम	–	जयपुर
दक्षिण	–	चेन्नई
दक्षिण मध्य	–	सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्वी	–	कोलकाता
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	–	बिलासपुर
दक्षिण पश्चिम रेलवे	–	हुबली
पश्चिमी	–	मुंबई
पश्चिमी मध्य रेलवे	–	जबलपुर
मेट्रो रेलवे	–	कोलकाता

रेलवे नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवहन के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है ताकि अनुमानित यातायात के अनुरूप क्षमता निर्माण किया जा सके और अर्थव्यवस्था की विकास-जरूरतों को पूरा किया जा सके 1950-51 में नियोजन युग की शुरुआत से भारतीय रेलवे ने वार्षिक योजनाओं के अलावा नौ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया है इन योजनाओं के दौरान प्रणाली के आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया रेल परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी संबंधी बदलावों का लाभ उठाना अनिवार्य बन गया है परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार पर प्रमुखता से जोर देने के साथ-साथ रेल पटरियों, इंजनों, यात्री डिब्बों, वैगन बोगी डिजाइन, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव और मानकों का उन्नयन शुरू किया गया है

वेबसाइट: www.indiarailways.gov.in

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तेरह प्राधिकरण आते हैं ये हैं: (1) राइट्स लिमिटेड, (2) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, (3) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, (4) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (5) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, (6) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, (7) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (8) रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (9) रेल विकास निगम लिमिटेड, (10) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (11) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, (12) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और (13) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

अनुसंधान और विकास

लखनऊ का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे की अनुसंधान और विकास शाखा है यह तकनीकी मामलों में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है यह रेलवे विनिर्माण और डिजाइन से संबद्ध अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है

रेलवे वित्त

भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का हिस्सा होने के बावजूद, 1924 की पृथक्करण परिपाटी के कारण वर्ष 1924-25 से रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाता रहा है रेलवे की अपनी 16 अनुदान मांगे हैं इन पर संसद में अलग से चर्चा कर पारित किया जाता है रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा का मुख्य कारण इसके वैधानिक आकलन के लिए नियमितता सुनिश्चित करना है क्योंकि रेलवे वित्त, आम वित्त का एक बड़ा हिस्सा होता है सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का फैसला किया संयुक्त बजट होने से रेलवे से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आने से सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की जा सकेगी इस विलय से राजमार्गों, रेलमार्गों और जलमार्गों से परिवहन के साधनों के नियोजन में मदद मिलेगी

विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक अधिकरण के रूप में रेलवे का अलग अस्तित्व बना रहेगा उसकी वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय अधिकार इत्यादि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बरकरार रहेंगे अनुदान के लिए 16 मांगों की पहले की योजना के स्थान पर अब रेल मंत्रालय के लिए वित्त मंत्रालय एक अनुदान मांग शुरू की है

माल परिवहन

कृषि और उद्योगों में तेज गति से हुई प्रगति के कारण उच्चतर स्तर के रेल परिवहन की मांग बढ़ी है विशेषकर कोयला, लौह तथा इस्पात अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादों तथा खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल इत्यादि की ढुलाई के लिए रेल परिवहन की मांग बढ़ी है रेलवे की राजस्व वाली माल ढुलाई 1950-51 के 73.2 लाख टन से 2016-17 में बढ़कर 1106.15 मिलियन टन हो गई इसी अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने 1110.95 मिलियन टन की माल ढुलाई की इसमें से 1106.15 मिलियन टन से राजस्व प्राप्त हुआ और 4.80 मिलियन टन गैर राजस्व अर्जन वाली ढुलाई थी इस दौरान 621 बिलियन कुल शुद्ध टन कि.मी. हासिल किया, जो 2015-16 में 656 बिलियन का था

यात्री कारोबार

वर्ष 2016-17 में यात्री परिवहन से 44,280.46 करोड़ 26 लाख रुपये की आय हुई यह वर्ष 2015-16 की आय से 1997.70 करोड़ रुपये (4.51 प्रतिशत) अधिक है कुल आय में उपनगरीय यातायात का योगदान 5.81 प्रतिशत था द्वितीय तथा स्लीपर श्रेणी मेल/एक्सप्रेस यात्री परिवहन से प्राप्त आय कुल यात्री आय का 50.20 प्रतिशत थी भारतीय रेल का इस्तेमाल आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन के रूप में किया जाता है वर्ष 2016-17 के दौरान 8,116 मिलियन यात्रियों ने रेलगाड़ी से यात्रा की

सड़कें

देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है यह विकास की गति, संरचना और तरीकों को प्रभावित करता है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रखरखाव करता है और मोटर वाहन अधिनियम 1988; केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का संचालन और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008; सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ऑटोमोटिव मानकों आदि से संबंधी नीतियां बनाता है इसके अलावा यह पड़ोसी देशों में वाहनों की आवाजाही का इंतजाम भी करता है परिवहन (यात्री और माल) के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए भारत में 56.03 लाख कि.मी. से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 1,29,709 कि.मी. है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी मंत्रालय पर हैं राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं राज्य सड़कों के विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क कोष और अंतर राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है

एनएचडीपी को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लि. द्वारा सात चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा था इस पर 6,00,000 करोड़ रुपये की लागत आने

का अनुमान है इस कार्यक्रम के तहत निर्मित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में चार महानगरों-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला गोल्डन क्यूएड्रिलेटरल, पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कोरिडोर हैं, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ता है यह सलेम से कोच्चि तक प्रमुख बंदरगाहों को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है एनएचडीपी के तहत शेष कार्य अब मंत्रालय के नए कार्यक्रम- भारतमाला में शामिल कर दिए गए हैं

वेबसाइट: www.morth.nic.in

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव

सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है वर्ष 2000 से चलाई जा रही यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड कर रहे हैं

भारतमाला परियोजना

मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत सागरमाला के समाकलन से सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने, छोटे बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारे के विकास, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 26,000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है आशा है कि इससे गोल्डन क्यूएड्रिलेटरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों के साथ सड़क परिवहन से अधिकतम माल की ढुलाई की जा सकेगी लगभग 8,000 कि.मी. के अंतर गलियारे और लगभग 7,500 कि.मी. फीडर मार्गों की पहचान की गई है ताकि आर्थिक गलियारों, गोल्डन क्यूएड्रिलेटरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों की कार्य क्षमता में सुधार किया जा सके इस कार्यक्रम के तहत ढुलाई क्षमता बढ़ाने और शहरों में वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए रिंग रोड/बाई पास और ऊंचे गलियारों का विकास किया जाना है इस सिलसिले में रिंग रोड के लिए 28 शहरों और 125 रोधक तथा 66 भीड़-भाड़ वाले स्थलों की पहचान की गई है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई थी इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रबंधन और इनसे संबंधित या आकस्मिक कार्यों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम (एनएचआईडीसीएल), पूर्णतः मंत्रालय के स्वामित्व वाली कंपनी है पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ लगे देश के सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन और उन्हें चौड़ा करने का कार्य केवल निगम का ही है

भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी

भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई), मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पंजीकृत समिति है इसकी स्थापना 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से की गई थी इसका उद्देश्य देश के राजमार्ग इंजीनियरों की भर्ती के स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण की लंबे समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करना है

प्रमुख पहल

राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के सड़क नेटवर्क का केवल दो प्रतिशत है, लेकिन यह परिवहन का 40 प्रतिशत बोझ उठाता है सरकार, लंबाई और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विस्तार की योजना है ताकि देश के सभी हिस्से सड़कों से जुड़ सकें सड़क संपर्क निर्माण में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पिछड़े तथा अंदरूनी इलाकों, सीमा संपर्क सड़कों, तटीय

सड़कों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मंत्रालय ने, भूमि के अधिग्रहण, पेड़ गिराने और पुरानी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने तथा संतुलन बनाने के लिए विभिन्न मानकों और नीतियों का सरलीकरण किया है

राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री और लाइसेंस रिकार्ड

इस क्षेत्र में सुधार के लिए बदलावों के वास्ते मंत्रालय ने कई नीतियां लागू की हैं ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत आरटीओ कार्यों को सफलतापूर्वक स्वचालित बनाया है और समेकित परिवहन डाटाबेस तैयार किया गया है इसके साथ ही कई नागरिक और व्यापार केंद्रित एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं इस मिशन मोड परियोजना के मुख्य पहलू, दो प्रमुख एप्लीकेशन - वाहन और सारथी हैं वाहन-देशभर में पंजीकरण, कराधान, परमिट, फिटनेस और अन्य सेवाओं के लिए है सारथी- ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूलों और अन्य संबद्ध कार्यों से संबंधित है इसे 13 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक आरटीओ में, संबद्ध राज्य के नियमों, कर व्यवस्था आदि के अनुरूप लागू किया जा रहा है

इस डाटाबेस को, बायोमीट्रिक प्रमाणन तथा ई-केवाईसी, डिजीलॉकर के साथ समाकलन के लिए आधार से जोड़ा गया है इससे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों, परमिट इत्यादि जैसे वर्चुअल दस्तावेजों को अधिकृत सॉफ्टकॉपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है

सड़क सुरक्षा

सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाई है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम-से-कम किया जा सके इस नीति के तहत जागरुकता को बढ़ावा दिया जाता है, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस बनाया जाता है, दुर्घटना की आशंका वाली जगहों की पहचान तथा परिशोधन किया जाता है, दुर्घटना आंकड़ा संग्रहणन में सुधार तथा आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, राजमार्ग इंजीनियरों तथा पेशेवरों को सड़क इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है, वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाता है, सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जाता है और सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाता है सड़क सुरक्षा के बारे में मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हैं- प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान, ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण जांच उपकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन

यात्रियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी यात्री बसों और टैक्सियों में जीपीएस उपकरण और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मुसीबत में फंसने पर उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके और मदद की जा सके

ई-टोलिंग

टोल प्लाजा पर परिवहन बाधाएं दूर करने और वाहनों के सुचारू संचालन तथा टोल संग्रह के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवस्था लागू की है, जो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन पर आधारित है और ईपीसी जैन-2, आईएसओ 18000 - 6सी मानकों के अनुरूप है इससे फास्टैग के जरिए टोल का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह किया जाता है यह परियोजना 2015 में शुरू की गई थी

राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना

राजमार्गों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए इन पर पौधरोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव नीति 2016 में बनाई गई यह जहाज़रानी से संबंधित नियम, विनियम वाला एक अग्रणी निकाय है इस नीति का उद्देश्य समुदाय, किसानों गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यावरण हितैषी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है नीति के तहत शुरुआत में 1500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधे लगाए गए इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए

जहाज़रानी

जहाज़रानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजन कर 2009 में जहाज़रानी मंत्रालय का गठन किया गया देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से नौ-वहन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है यह विकास की गति, संरचना और प्रतिमानों को प्रभावित करता है जहाज़रानी मंत्रालय में पोत परिवहन, बंदरगाह, जहाज़ निर्माण तथा मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है इस पर इनसे संबंधित नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है समुद्री परिवहन देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जल परिवहन के विकास की गति, संरचना और तरीके इससे निर्धारित होते हैं इसे इन विषयों पर नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है

वेबसाइटः www.shipmin.gov.in

समुद्री विकास

भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी समुद्री रेखा है यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली है यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं भारत के जहाज़रानी उद्योग ने पिछले कई वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश का 95 प्रतिशत व्यापार इसी माध्यम से होता है यह व्यापार के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत है इस स्थिति के मद्देनज़र जहाज़रानी, समुद्री संसाधन, जहाज़ डिज़ाइन तथा निर्माण, बंदरगाह, पोतायन, मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दों, वित्त, सहायकों और नई प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है जहाज़रानी हमेशा से पूरी दुनिया में परिवहन का सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका है इसलिए इसकी उपयोगिता को समझते हुए गुणवत्ता को बढ़ाने की जरूरत है

सागरमाला कार्यक्रम

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज़ चलने लायक 14,500 कि.मी. समुद्री किनारे के उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है इससे देश में बंदरगाह से संबद्ध विकास हो सकेगा इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम ढांचागत निवेश के साथ घरेलू व्यापार और निर्यात-आयात के लिए माल ढुलाई की लागत कम करना है इनमें शामिल हैं– घरेलू कार्गो परिवहन की लागत कम करना, तट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाकर बड़ी मात्रा में वस्तुओं की ढुलाई की लागत कम करना; बंदरगाह के निकट अलग विनिर्माण समूहों इत्यादि का विकास इस कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं- बंदरगाह आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क, तटीय सामुदायिक विकास इत्यादि

जहाज़रानी उद्योग

जहाज़रानी उद्योग सबसे अधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबार के माहौल में कार्य करता है यह अन्य अधिकतर उद्योगों की तुलना में बहुत ज्यादा उदार है, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ा है जहाज़रानी उद्योग विशेषकर निर्यात-आयात व्यापार में भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 68 प्रतिशत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है

भारतीय जहाज़रानी नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं- विदेशों के साथ व्यापार में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जहाज़रानी को बढ़ावा और निर्यात-आयात में संबद्ध पक्षों के हितों की रक्षा करना

जहाज़ निर्माण

भारतीय जहाज़ निर्माण उद्योग, रक्षा, तटीय और अंतरदेशीय पोतों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है भारतीय पोत कारखाने मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में विस्तार और भारतीय तटरक्षकों के लिए पोत निर्माण पर बल देते है भारत के जहाज़ निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वास्ते 1971 तक जहाज़ निर्माण सब्सिडी योजना लागू थी अक्टूबर 2002 में देश के सभी पोत कारखानों को इस

योजना में शामिल कर लिया गया इससे देश के पोत कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला

जहाज़ मरम्मत

विश्व के जहाज़ मरम्मत बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगातार कम बनी हुई है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता विकास किया है दक्षता की कमी और अधिक करों के कारण भारत के जहाज़ मालिक विदेशों की मरम्मत सुविधाओं पर निर्भर बने हुए हैं देश में कुल 27 पोत कारखाने हैं इनमें छह केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं दो राज्य सरकारों के उपक्रम हैं और 19 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं

जहाज़ पुनरावर्तन

विश्व के जहाज़ पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30 प्रतिशत है जहाज़ पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग-सोसिया में किया जाता है अलांग-सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज़ पुनरावर्तन कारखाना है इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था अलांग-सोसिया गांव से लगी कैंबे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर लगभग 10 किमी. समुद्री इलाके के निकट जहाज़ पुनरावर्तन कारखाना स्थापित किया गया है यहां उच्च ज्वार-भाटा रेंज, मामूली ढलान और पक्की जमीन के साथ लंबा बीच है इससे उसे वहीं पर जहाज़ों की बीचिंग की सुविधा भी मिली हुई है इसमें प्रतिवर्ष 450 से अधिक (लगभग 4.5 मिलियन एलडीटी) जहाज़ों के पुनरावर्तन की क्षमता है जहाज़ पुनरावर्तन से प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन से अधिक पुनः रोलेबल स्टील का उत्पादन होता है यह काम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना किया जाता है और अयस्क से इस्पात बनाने की बजाय इसका पुनरावर्तन किया जाता है

प्रमुख बंदरगाह

उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से समुद्रवर्ती क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं आर्थिक विकास में बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण है भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी तटीय रेखा के निकट 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं छह बड़े बंदरगाह-कोलकाता, परादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार (एन्नौर), चेन्नई और वी.ओ. चिदमननार पूर्व तट पर है अन्य बड़े बंदरगाह कोच्चि, न्यू मंगलोर, मोर्मूगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (शेवा, नवी मुंबई) और दीनदयाल (पहले का कांडला) पश्चिम तट पर हैं बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में आते हैं प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर शेष संबंधित राज्य सरकार अधिकार क्षेत्र में है और समवर्ती सूची में है

भारत के सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल परिवहन यातायात में से 57 प्रतिशत बड़े और 43 प्रतिशत छोटे बंदरगाहों के जरिए होता है

कोलकाता बंदरगाह: कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नद तटीय प्रमुख बंदरगाह है इसकी स्थापना लगभग 138 वर्ष पहले हुई थी इसके वृहद भीतरी प्रदेश में समूचा पूर्वी भारत आता है इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश/असम, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और दो पड़ोसी देश- नेपाल और भूटान शामिल हैं इसमें दो गोदी प्रणालियां-हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है

पारादीप बंदरगाहः पारादीप बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है भारत सरकार ने 1996 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार से अपने हाथ में ले लिया भारत सरकार ने 1966 में पारादीप बंदरगाह न्यास को देश का आठवां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया और इसे स्वतंत्र भारत में गठित पूर्व तट का पहला प्रमुख बंदरगाह बना दिया

न्यू मंगलोर बंदरगाह: न्यू मंगलोर बंदरगाह को 1974 में नौवां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया 1975 में इसका उद्घाटन किया गया यह एकल बिंदु लंगर है इसकी कुल क्षमता 87.63 एमटीपीए है

कोच्चि बंदरगाह: कोच्चि के इस आधुनिक बंदरगाह का विकास 1920-40 के दौरान सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के

अथक प्रयासों से किया गया था 1930-31 तक इसे पोतों के लिए 30 फुट तक औपचारिक रूप से खोला गया था इसे 1936 में प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया प्रमुख बंदरगाह न्यास कानून 1963 के तहत 1964 में इसका प्रशासन न्यासी बोर्ड के हाथों में था कोच्चि बंदरगाह भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित है और पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में है बंदरगाह के परिक्षेत्र में समूचा केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ इलाके हैं

यूरोप तथा सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग की निकटता के कारण कोच्चि बड़ी संख्या में कंटेनर लाइंस आकर्षित कर सकता है और कारोबार के प्रचुर अवसर पैदा कर सकता है

जवाहरलाह नेहरू बंदरगाहः जवाहरलाह नेहरू बंदरगाह का निर्माण 1980 के दशक के मध्य में किया गया था इसे 1989 में चालू किया गया था इसने विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर वाले बंदरगाह का दर्जा हासिल कर लंबी विकास यात्रा तय की है निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी नई पहल के जरिए इसने भारत में बंदरगाह विकास का नमूना पेश किया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सभी मौसमों में काम कर सकता है इसमें 12 लंगरगाह हैं इसकी कुल क्षमता 89.37 एमटीपीए है

मुंबई बंदरगाहः मुंबई बंदरगाह पूर्णतः एकीकृत बहुउद्देश्यीय बंदरगाह है जिसमें कंटेनर, सूखा बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैं इसमें व्यापक गीली और सूखी गोदी सुविधाएं हैं जिनसे यहां के जहाज़ों की सामान्य जरूरतें पूरी होती हैं इसमें 33 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 65.33 एमटीपीए है

चेन्नई बंदरगाह: चेन्नई बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम बंदरगाह है इसमें एक आंतरिक और एक बाहरी बंदरगाह है इसके अलावा एक गीली गोदी तथा एक नौका घाटी है जहां चौबीसों घंटे नौवहन सुवधाएं उपलब्ध हैं इसमें 24 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 93.44 एमटीपीए है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी

मोरमुगाओ बंदरगाह: भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह एक दशक से भी अधिक पुराना है आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाले इस बंदरगाह को कई प्रकार की कार्गो गतिविधियों में दक्षता हासिल है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो ब्रेकवाटर और मोल से घिरा है सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे वाले इस बंदरगाह में काम करने के लिए प्रेरक माहौल है इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल होने के कारण बड़े पोत भी इसमें जा सकते हैं बंदरगाह में सात लंगरगाह हैं और एक ट्रांस-शिपमेंट हैं इसकी कुल क्षमता 50.04 एमटीपीए है

दीनदयाल बंदरगाह (कांडला): दीनदयाल बंदरगाह (पूर्व नाम कांडला बंदरगाह) की स्थापना 1950 में केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में की गई थी केंद्र सरकर ने एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए कांडला को अपने अधिकार में लिया था 150.26 एमटीपीए क्षमता वाले इस बंदरगाह में अपतटीय सहित तीन तैरते हुए नौबंध सहित 28 लंगरगाह हैं

वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतिकोरिन): वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के दक्षिण-पूर्व तट पर पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग के निकट 8°45’ अक्षांश उत्तर और देशांतर रेखांश 78°13’ पूर्व पर स्थित है बंगाल की खाड़ी पर स्थित इस बंदरगाह के दक्षिण-पश्चिम में श्रीलंका और पश्चिम में भारत भूमि का बड़ा हिस्सा है इसमें 15 लंगरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 65.90 एमटीपीए है

विशाखापत्तनम बंदरगाहः विशाखापत्तनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए खोला गया यह एकमात्र भारतीय बंदरगाह है जिसे तीन अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन-आईएसओ 14001; 2004 (ईएमएस) ओएचएसएएस 18001 और आईएसओ 90001:2000 (क्यूएमएस) प्राप्त है इसमें लौह अयस्क, लौह पट्टिकाओं, अल्यूमिना, उर्वरक, कच्चा माल, कच्चा तेल तथा पीओएल उत्पाद, तरल अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा और अन्य तरल सामग्री के लदान की यंत्रीकृत सुविधा है इसमें 24 लंगरगाह हैं और इसकी क्षमता 110.75 एमटीपीए है

कामराज बंदरगाह लिमिटेड (एन्नौर): कामराज बंदरगाह लिमिटेड, जहाज़रानी मंत्रालय के तहत संचालित 12वां प्रमुख बंदरगाह है इसकी स्थापना 2001 में मुख्य रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु विदुयत बोर्ड की थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित प्रमुख बंदरगाहों में यह एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है इसमें 8 लंगरगाह हैं इसकी कुल क्षमता 57 एमटीपीए है

अंतरदेशीय जल परिवहन

भारत सबसे लंबे जहाज़रानी और अंतरदेशीय जल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है फिर भी देश में जहाज़ों के जरिए हाने वाली कुल माल ढुलाई के केवल एक प्रतिशत की ही ढुलाई अंतरदेशीय जलमार्गों से होती है जहाज़रानी और नौवहन के लिए अंतरदेशीय जलमार्गों के नियमन और विकास के लिए 1986 में भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतरदेशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा के बाद पूर्व-संभाव्यता अध्ययन तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है इसमें अन्य विषयों के अलावा नौ-परिवहन, नौभार की उपलब्धता, विकास की लागत इत्यादि शामिल होगी

जल मार्ग विकास परियोजना

जल मार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन, भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण करता है इसका उद्देश्य गंगा - भगीरथी = हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया - वाराणसी भाग पर राष्ट्रीय जल की क्षमता बढ़ाना है यह कार्य विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है परियोजना के मुख्य कार्यों में शामिल हैं- तीन मल्टीमॉडल और इंटर-मॉडल टर्मिनल लॉक का निर्माण तथा फरक्का में नए नेविगेशनल रखरखाव सुविधाएं, दिन-रात जहाज़रानी सहायता, नदी संरक्षण कार्य इत्यादि

तटीय जहाज़रानी

तटीय जहाज़रानी से ईंधन की बचत होती है यह पर्यावरण हितैषी है और सड़कों पर वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने में मददगार है चीन, अमरीका और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में परिवहन में जलमार्गों की भागीदारी, भारत की तुलना में काफी अधिक है वर्तमान में अंतरदेशीय जलमार्गों से देश के अंदर माल ढुलाई, इसकी क्षमता से बहुत कम होती है

क्रूज नौवहन

दुनियाभर में 'क्रूज पर्यटन' का तेजी से विकास हो रहा है इस प्रकार के आवास पर्यटन से काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है उचित बुनियादी ढांचे और नीतियों से अनुकूल माहौल बनाकर इसे आय का साधन बनाया जा सकता है भारत में तीव्र आर्थिक विकास और मध्यम वर्ग के बढ़ने तथा आय में वृद्धि होने से देश में क्रूज पर्यटन के अनुकूल माहौल बना है

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय के कैंपस चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम में हैं सात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों का भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विलय कर दिया गया है ये संस्थान हैं- मेरिन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता; मेरिन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई; लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस्ड मेरीटाईम स्टडीस एंड रिसर्च, मुंबई; टी.एस. चाणक्य, नवी मुंबई; नेशनल मेरीटाइम अकादमी, चेन्नई; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट कोलकाता और नेशनल शिप डिजायन एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम

लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय

विशाल समुद्र में नाविकों को अपनी स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जमीन या अंतरिक्ष से किसी संकेतक से दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय, नौवहन में दृश्य सहायता उपलब्ध कराता है जिससे नाविक धरती पर एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह दृश्य सहायता लाइटहाउस, लाइटशिप, पानी पर तैरने वाले चिन्हें, प्रकाशस्तंभों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है नाविकों को अंतरीय ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, राडार संकेत दीपों, पोत यातायात सेवा, स्वचालित पहचान प्रणाली जैसी रेडियो सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है

जहाज़रानी महानिदेशालय, मुंबई

जहाज़रानी मंत्रालय से संबद्ध जहाज़रानी महानिदेशालय की स्थापना 1949 में की गई थी इस पर भारतीय व्यापारिक जहाज़रानी अधिनियम, 1958 को लागू करने की जिम्मेदारी है इनमें जहाज़रानी नीति तथा कानून और सुरक्षा, प्रदूषण रोकथाम से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों के अन्य आदेशात्मक नियमों को लागू करना, समुद्र संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, परीक्षा लेना व प्रमाण-पत्र देना और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभावी काम-काज के लिए उन पर निगरानी रखना शामिल है
वेबसाइट: www.dgshipping.gov.in

भारतीय जहाज़रानी निगम लिमिटेड

भारतीय जहाज़रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में, जहाज़रानी निगम एकीकरण आदेश 1961 के तहत ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का विलय कर की गई थी दोनों कंपनियों के बीच नीतियों के बेहतर समन्वय, बेहतर अर्थप्रबंधन तथा कार्य संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए इनका विलय किया गया था भारतीय जहाज़रानी निगम, पांच दशक की अपनी इस यात्रा में जहाज़रानी के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है निगम के पास 70 जहाज़ों का बेड़ा है
वेबसाइट: www.shipindia.com

कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड

केरल के कोच्चि में स्थित कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड देश का सबसे बड़ा पोत कारखाना है, इसकी पोत निर्माण क्षमता 1,10,000 डीडब्ल्यूटी है इसने 100 से अधिक पोतों का निर्माण कर उनकी आपूर्ति की है इनमें टेंकर, बल्क करियर, पोर्टक्रॉफ्ट, अपतट पोत, कर्षण नौकाएं और यात्री पोत शामिल हैं कंपनी ने पिछले एक दशक से अधिक समय में लगभग 45 जहाज़ों का निर्यात किया है फिलहाल यह भारतीय सेना के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित लड़ाकू जहाज का निर्माण कर रही है इसमें भारतीय तटीय सुरक्षा बल को एयरक्राफ्ट करियर के अलावा 20 तीव्र गति के गश्ती पोत भी बनाकर दिए हैं जहाज़ों की मरम्मत का काम भी इसने बखूबी किया है

कंपनी ने व्यापारिक, नौसैन्य जहाज़, तट रक्षक पोत, निकर्षण पोत जैसे विभिन्न प्रकार के जहाज़ों की मरम्मत की है भारतीय नौसेना के विमान वाहकों की नियमित रूप से सूखी गोदी मरम्मत करने वाला यह एकमात्र कारखाना है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 13 बार आईएनएस विराट की मरम्मत की अंतिम बार इसकी मरम्मत 2016-17 में की गई थी इसे आईएसओ 9001 प्रमाण-पत्र मिल चुका है
वेबसाइट: www.cochinshipyard.com

भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड

भारतीय निकर्षण निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी इसे देश में अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाने, समुद्र तट विकास, भूमि सुधार, अंतरदेशीय निकर्षण, पर्यावरण सुरक्षा और निकर्षण के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी बनने के लिए एकीकृत निकर्षण और इससे संबंधित अन्य समुद्री सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है सामरिक दृष्टि से विशाखापत्तनम में भारत के पूर्वी तट पर स्थापित यह कंपनी बड़े तथा छोटे बंदरगाहों के शिपिंग चैनलों, नौसेना, मछली पकड़ने के स्थानों और अन्य समुद्री

संगठनों में वांछित गहरेपन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है निगम, नए बंदरगाहों की स्थापना के लिए केपिटल निकर्षण, मौजूदा बंदरगाहों को गहरा करने या विभिन्न बंदरगाहों पर आवश्यक गहराई बनाए रखने के लिए निकर्षण के रखरखाव जैसे कार्यों से राष्ट्र की सेवा करता है
वेबसाइट: www.dredging-india.nic.in

अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स

जहाज़रानी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स की स्थापना 1965 में अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप द्वीपसमूह की सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी इसे इन द्वीप समूहों में बंदरगाह और पत्तन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहाज़रानी मंत्रालय के कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है
वेबसाइट: www.andsswland.nic.in/alhw

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता 1984 में केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना कंपनी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में दो कार्यरत इकाइयां है एक इकाई सईकिया में और दूसरी नजीरगुंजे में है इसकी स्थापित क्षमता जहाज़ निर्माण में 1,100 टन और जहाज़ मरम्मत में 125 जहाज़ सालाना है इसमें एक सूखी गोदी और एक जलबंधक के अलावा छह जलावतरण मंच भी हैं इसका पोत कारखाना विभिन्न प्रकार के जहाज़ (यात्री जहाज़ सहित) और निकर्षण पोत, कर्षण, आपूर्ति और सहायता पोत, बहु उपयोगी पत्तन, पोत, लाइटहाउस टेंडर पोत, माल ढुलाई नौका, नौबंध नाव जैसे विभिन्न प्रकार के पोत निर्माण में सक्षम है

नागर विमानन

नागर विमानन मंत्रालय पर देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने की ज़िम्मेदारी है इस पर विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 1937 और नागर विमानन क्षेत्र संबंधी अन्य कानूनों के लागू करने का उत्तरदायित्व भी है मंत्रालय, नीतियां बनाने के मुख्य कार्य के अलावा नीतिगत दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में संगठनों का मार्गदर्शन करता है, उनकी गतिविधियों की निगरानी और आकलन करता है यह सरकार के विशेष कार्यक्रमों खासकर समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाए गए विशेष कार्यक्रमों के संगठनों द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी करता है
वेबसाइट: www.civilaviation.gov.in

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति अधिसूचित की गई इसका उद्देश्य ऐसा पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है जिससे नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिले इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सकेगा इस नीति का उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता तथा सुविधाजनक बनाकर यात्रियों की संख्या को बढ़ाना है इसका मकसद इस कारोबार को आसान बनाने के लिए नियंत्रण हटाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और ई-गवर्नेंस तथा समूचे नागर विमानन क्षेत्र को सुसंगत रूप से बढ़ावा देना है इसमें कार्गो, एमआरओ, सामान्य विमानन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी निर्माण और कौशल विकास भी शामिल है

क्षेत्रीय संपर्क योजना

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान को राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में शामिल किया गया है इसके दो उद्देश्य-संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना है यह योजना 10 वर्ष तक लागू रहेगी इसके तहत मौजूदा हवाईपट्टियों और हवाईअड्डों का पुनरुद्धार कर हवाई संपर्क सुविधा से वंचित या इसके अभाव वाले क्षेत्रों में यह सुविधा पहुंचाना है

एयर सेवा

नागर विमानन मंत्रालय ने सुविधाजनक और आरामदायक हवाई यात्रा के लिए 2016 में एयर सेवा की शुरुआत की थी यह एन्ड्रॉएड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों के लिए मोबाइल एप या इंटरएक्टिव वेब पोर्टल (airsewa.gov.in) से संचालित है इसमें शिकायत निपटान, शिकायत निपटान के लिए बैक ऑफिस ऑपरेशन, फ्लाइट स्टेटस/समय-सारणी सूचना, हवाईअड्डा संबंधी जानकारी और एफएक्यूएस के लिए व्यवस्था है एयर सेवा पहल से विमानन क्षेत्र में उन संबद्ध पक्षों को एकीकृत किया गया है, जिनसे विमान यात्रियों को संवाद की जरूरत होती है

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

भारत सरकार ने अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई यातायात सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दी है

अनुसूचित एयरलाइंस में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत है और इससे अधिक के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है प्रवासी भारतीयों के लिए स्वतः तरीके से शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जारी रहेगी

नागर विमानन महानिदेशालय

नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय से संबद्ध है इसका प्रमुख महानिदेशक (नागर विमानन) है इसका मुख्यालय दिल्ली में और उप-क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में हैं निदेशालय का मुख्य उत्तरदायित्व देश के भीतर विमान सेवाओं का नियमन और नागरिक उड्डयन नियमों, विमान सुरक्षा, हवाई उपयुक्तता मानकों को लागू करना है विमान रखरखाव इंजीनियरों, पायलटों को लाइसेंस देना; चालक दल के सदस्यों के मानकों की निगरानी; विमानों का नियमन; छोटी विमान दुर्घटनाओं की जांच; फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब की प्रशिक्षण गतिविधियों की निगरानी और अन्य नियामक कार्य भी इसकी जिम्मेदारी हैं ये नियम, विमान कानून 1934, विमान नियम, नागर विमानन आवश्यकताओं, वैमानिक सूचना परिपत्र के रूप में हैं

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, हैदराबाद और इंफाल हवाईअड्डे पर है

वेबसाइट: www.dgcas.nic.in

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का गठन प्रारंभ में डीजीसीए की एक इकाई के रूप में 1978 में किया गया था इस पर नागर विमानन सुरक्षा मामलों में समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व है 1987 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया ब्यूरो, देश में नागर विमानन सुरक्षा नियामक की भूमिका निभाता है इसे उड़ानों में तोड़-फोड़ निरोधक और पूर्व आरोहण सुरक्षा के लिए मानक तय करने और इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके लिए वह नियमित निरीक्षण और सुरक्षा जांच करता है मुख्य रूप से इस पर विदेशों के हवाईअड्डों से भारतीय विमानों के संचालन और भारत में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के मानक तय करने और इन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व है ब्यूरो का उद्देश्य, विमानन कार्यों में आ रहे गैर-कानूनी व्यवधानों को दूर करना है विमानन सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व के लिए यह नियामक प्राधिकरण है यह अन्य विषयों के अलावा नियोजन, विमानन संबंधी सभी सुरक्षा गतिविधियों में समन्वय, संचालन, आपदाओं तथा संकट प्रबंधन का काम करता है यह अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठनों के साथ सभी नियामक कार्यकलापों में समन्वय बनाता है

वेबसाइट: www.bcasind.nic.in

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 1995 में की गई थी यह मिनी रत्न श्रेणी-1 का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देशभर में भवन उन्नयन और हवाईअड्डों के आधारभूत ढांचे को प्रबंधन और रखरखाव करता है इसके पास 125 हवाईअड्डे हैं (96 चालू और 29 बंद अवस्था में) इनमें से 21 अंतरराष्ट्रीय (3 सिविल एन्क्लेव), 8 सीमा शुल्क हवाईअड्डे (4 सिविल एन्क्लेव), 77 घरेलू हवाईअड्डे और 19 घरेलू सिविल एन्क्लेव हैं
वेबसाइट: www.aai.acro

एयर नेविगेशन सेवाएं

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण देश के सभी नागरिक अड्डों पर एयर नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराता है यह 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील प्राधिकृत एयर स्पेस का प्रबंधन करता है इसमें 1.05 मिलियन वर्ग समुद्री मील और 1.75 मिलियन वर्ग समुद्री एयरस्पेस शामिल है भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण 11 अन्य हवाईअड्डों पर एयर नेविगेशन सेवाएं भी उपलब्ध कराता है ये हवाईअड्डे हैं- बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, लेंगपुई, दीव, लातूर, मुंद्रा, नांदेड़ और सत्यसाईं पुट्टापार्थी हवाई अड्डे ये संयुक्त उद्यम, राज्य सरकार के या निजी हवाईअड्डे हैं

जीपीएस की सहायता से संवर्धित मार्ग निर्देशन(गगन) प्रणाली, नागर विमानन क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जीपीएस संकेतों को अधिक सटीक और निर्बाध बनाती हैं भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और इसरो मिलकर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं यह मई 2015 से पूरी तरह सक्रिय है और प्रतिदिन चौबीसों घंटे उपलब्ध है वर्तमान में गगन सिंगल-इन-स्पेस, दो भू-स्थिर उपग्रहों (जी सैट-8 और जी सैट-10) से प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध है गगन प्रणाली को तीसरे भू-स्थिर जी सैट-15 के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जारी है

एयर इंडिया

एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर एक नई कंपनी- भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी बनाई गई थी इस विलय के बाद अस्तित्व में आई नई कंपनी को एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है इसके विलय की तिथि 1 अप्रैल, 2007 है इसका शुभंकर महाराजा को ही बनाए रखा गया एयर इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से यात्री एयरलाइन है जो 72 ऑनलाइन घरेलू स्टेशनों (अलाएंस एयर सहित) और 28 देशों में 42 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है यह नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में परिवहन सेवा क्षेत्र की कंपनी है
वेबसाइट: www.airindia.in

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल), 65 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है यह एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी एयरलाइन सहायक कंपनियों की उड़ानों के प्रबंधन के अलावा 24 विदेशी अनुसूचित एयरलाइनों, 4 घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों, 3 क्षेत्रीय एयरलाइनों, 16 सीजनल चार्टर एयरलाइनों और 23 विदेशी एयरलाइनों के लिए भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईसीएल), एयर इंडिया एक्सप्रेस ब्रांड नाम से सस्ती एयरलाइन चलाती है इसे किराए पर लिए गए तीन बी 737-800 विमानों के साथ 2005 में शुरू किया गया था यह केरल के तीन स्टेशनों से खाड़ी में पांच स्टेशनों तक सेवाएं उपलब्ध कराती है 31 मार्च, 2016 को इसके पास सत्रह बी 737-800 विमान स्वयं के और एक किराए का विमान था यह 12 भारतीय और 13 विदेशी ऑनलाइन स्टेशनों की सेवाएं प्रदान करती है

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सेवा लिमिटेड

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सेवा लिमिटेड (एआईईएसएल) अभी एयर इंडिया लिमिटेड के 135 विमानों और इसकी सहायक कंपनियों-एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसिज लिमिटेड तथा कुछ अन्य एयरलाइन को रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध करा रही है सभी एयरलाइन और विमानों को अड्डे से पांच घंटे की उड़ान के दौरान ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं

एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी के पास 2016 में किराये के तीन एटीआर 42-320, पांच एटीआर 72-600 और तीन सीआरजे 700 विमानों का बेड़ा था इस वर्ष के अंत तक देश के भीतर कंपनी के नेटवर्क में 29 स्टेशन थे वर्तमान में इसकी हर सप्ताह लगभग 196 उड़ानें होती हैं

अलाएंस एयर पूर्वोत्तर परिषद के साथ समझौता ज्ञापन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है यह लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा व्यावहारिकता अंतरनिधीयन के अनुदान वचन के तहत अगात्ती और मुख्यभूमि के बीच विमान चलाती है यह पोर्टब्लेयर/कार निकोबार/पोर्टब्लेयर में चार्टर सेवाएं, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से सप्ताह में एक बार सीआरजे विमान की सेवाएं जुलाई 2014 से उपलब्ध करा रहा है

होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विनिवेश प्रक्रिया के तहत होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तीन इकाइयों (सेंटूर मुंबई एयरपोर्ट, सेंटूर जुहू बीच, मुंबई और इंडो होक्के होटल लिमिटेड, राजगीर) की बिक्री के बाद, वर्तमान में इसकी तीन इकाइयां हैं (सेंटूर लेक व्यू होटल , श्रीनगर , चैफेयर फ्लाइट कैटरिंग दिल्ली और चैफेयर फ्लाइट कैटरिंग मुंबई सहित सेंटूर दिल्ली हवाईअड्डा

वेबसाइट: www.Centaurhotels.com

पवन हंस लिमिटेड

पवन हंस लिमिटेड को अक्टूबर 1985 में कंपनी अधिनियम के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में (हेलिकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से) निगमित किया गया था इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लए हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है इसके अलावा पर्वतीय तथा दुर्गम इलाकों में सेवाएं उपलब्ध कराना और चार्टर विमान उपलब्ध कराना है ताकि यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में है इसके क्षेत्रीय कार्यालय- मुंबई, नई दिल्ली और गुवाहाटी में हैं कंपनी कई सरकारों- मेघालय, मिज़ोरम, महाराष्ट्र त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गृह मंत्रालय को हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को 4 डॉफिन हेलिकॉप्टर और लक्षद्वीप को 2 डॉफिन हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं कंपनी एनटीपीसी, गेल, जीएसपीसी और ऑयल इंडिया को भी हेलिकॉप्टर सेवाएं दे रही है

पवन हंस कंपनी हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है वर्तमान में इसके पास 43 हेलिकॉप्टरों का बेड़ा है और यह पूरे देश में सेवाएं उपलब्ध कराती है पवन हंस ने कड़ी स्पर्धा की स्थिति में संस्थागत ग्राहकों, मुख्यतः तेल उद्योग और सरकारी क्षेत्र में दीर्घावधि अनुबंध हासिल किए हैं यह ओएनजीसी की मुंबई स्थित ड्रिलिंग रिंग को चौबीसों घंटे महत्वपूर्ण आपूर्ति और कर्मियों के आवागमन और अपतटीय संचालन के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है इसमें मुंबई के समुद्री तट के पास ड्रिलिंग रिंग के लिए उसके कामगारों का आवागमन और सामग्री की दिन-रात ढुलाई शामिल है यह कंपनी मुंबई में मुख्य भूमि से 130 किमी. के दायरे में ओएनजीसी रिग के उद्गम और उत्पादन प्लेटफार्म कार्यों में मदद करती है

पवन हंस हर वर्ष मई-जून और सितंबर-अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है इसने श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए भी हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं

वेबसाइट: www.pawanhans.co.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शिअल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के फुर्सतगंज में की गई थी अकादमी के पास अति-आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण सहायक और अन्य सुविधाएं भी हैं अकादमी में योग्य और विमानन तथा उड़ान प्रशिक्षण में लंबे अनुभव वाले प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अकादमी का उद्देश्य केवल पायलटों को प्रशिक्षित करना ही नहीं है बल्कि वैमानिकी में योग्य प्रणाली प्रबंधक तैयार करना भी है इसमें फ्लाइंग प्रशिक्षणार्थियों को कॉकपिट में सहजता से पारगमन के लिए आवश्यक स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है यह नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है अकादमी ने अपने मौजूदा ढांचे में बड़ा विस्तार किया है छात्रावास के कमरों की संख्या 72 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है इनमें 20 कमरे लड़कियों के छात्रावास के हैं इसके अलावा सड़कें फिर से बनाई गई हैं, छात्रावासों में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली लगाई गई है, 60 टीआर X 3 क्षमता वाला एयर कंडिशनिंग संयंत्र लगाया गया है, नई जल आपूर्ति लाइनें बिछाई गई हैं, खेल परिसर का नवीकरण किया गया है और स्वीमिंग पूल तथा मनोरंजन केंद्र बनाया गया है

वेबसाइट: www.igrua.gov.in

भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण

भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है इसकी स्थापना 2009 में भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण कानून, 2008 के तहत की गई इसका मुख्यालय दिल्ली में है

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कानून, 2013 के अंतर्गत की गई है यह उत्तर प्रदेश में रायबरेली के फुर्सतगंज में है यह देश में विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा शोध का एक अग्रणी संस्थान है यह विश्वविद्यालय नागर विमानन क्षेत्र में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है इसका उद्देश्य विमानन उद्योग के सभी उपक्षेत्रों के संचालन और प्रबंधन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर विमानन अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना है

वेबसाइट: www.rgnau.ac.in

27 जल संसाधन



जल उपलब्धता

देशभर में या उसके किसी भी क्षेत्र में सालाना तौर पर जल उपलब्धता ज्यादातर विज्ञान और भूगर्भीय कारकों पर निर्भर करती है समेकित जल संसाधन प्रबंधन के राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल प्राप्त होता है वाष्पन के उपरांत 1869 बीसीएम जल प्राकृतिक तौर पर बचता है भूगर्भीय और अन्य कारकों से, प्रतिवर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल की मात्रा 1,137 बीसीएम रह जाती है जिसमें 690 बीसीएम सतह का और 447 बीसीएम पुनः इस्तेमाल किया जा सकने वाला भूजल होता है

देश में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है और भारत में प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार गिरती जा रही है वर्ष 2001 और 2011 में प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता क्रमशः 1,820 क्यूबिक मीटर्स और 1,545 क्यूबिक मीटर्स आंकी गई थी जोकि 2025 और 2050 वर्षों में घटकर क्रमशः 1,340 और 1,140 क्यूबिक मीटर्स तक रह जाएगी वार्षिक तौर पर प्रतिव्यक्ति 1,700 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता उसकी कमी वाली स्थिति मानी जाती है, जबकि सालाना प्रतिव्यक्ति 1,000 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता को जलाभाव की स्थिति माना जाता है अस्थायी और विभिन्न स्थानों पर अनियमित वर्षा के कारण देश के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है जिसे जल की कमी/जलाभाव की स्थिति कहा जा सकता है वर्ष 2025 और 2050 में बड़ी जरूरतों को देखते हुए विभिन्न तरह के इस्तेमाल के लिए यह जरूरत क्रमशः 843 और 1,180 बीसीएम आंकी गई है

राष्ट्रीय जल नीति

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी इस नीति के तहत देश में जल स्रोतों के संरक्षण, विकास एवं उनके रखरखाव के लिए कई सिफारिशें दी गई थी इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय जल संरचना कानून पर है; अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए व्यापक योजना; विभिन्न कार्यों के लिए पानी के उचित इस्तेमाल के लिए मानदंड स्थापित करना; प्रत्येक राज्य द्वारा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और जल के पुनः इस्तेमाल और री-साइकिल करने को प्रोत्साहन देना है नीति में जल स्रोत परियोजनाओं और सेवाओं के रखरखाव में सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया गया है; सूक्ष्म सिंचाई, स्वचालित सिंचाई प्रणाली आदि के लिए जल संचयन को प्रोत्साहन; नदियों, रिवर कॉरिडोर, जल निकायों और अवसंरचना को सामुदायिक सहयोग से नियोजित तरीके से वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना; अत्यधिक दोहन किए जाने वाले इलाकों में गिरते भूजल का बचाव करना प्रमुख कार्य हैं

राष्ट्रीय जल मिशन

जलवायु परिवर्तन और संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) की तैयारी की है, जिसके अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों के जरिए जलवायु परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों को सामना करने हेतु तैयारियां की जाएंगी इनमें से एक राष्ट्रीय जल मिशन है

राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य है ‘जल संरक्षण, अपव्यय से बचाना और समेकित जल स्रोत विकास

और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के अंदर और बाहर जल की बराबर आपूर्ति करना' मिशन के पांच निर्धारित लक्ष्य हैं : (1) जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा बेस तैयार करना और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन; (2) जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना; (3) अति-दोहित क्षेत्रों सहित अन्य असुरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना; (4) जल इस्तेमाल में मितव्ययिता में 20 प्रतिशत सुधार और (5) जलाशय स्तर के जल स्रोतों के प्रबंधन को प्रोत्साहन इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहभागियों के सक्रिय सहयोग के साथ स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन के आधार पर विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं

राष्ट्रीय जल मिशन की प्रमुख गतिविधियां:

जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा बेसः इंडिया- डब्ल्यूआरआईएस (जल संसाधन सूचना पद्धति), केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल स्रोतों के संबंध में सूचना देने वाला एक पोर्टल इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस पर सतह जल और भूजल से जुड़ा समूचा डाटा उपलब्ध कराया जाता है इंडिया- डब्ल्यूआरआईएस पर सतही जल स्रोतों और भूजल स्रोतों के बारे में जीआईएस डाटा उपलब्ध कराया जाता है

एनडब्ल्यूएम वेब पोर्टल: एनडब्ल्यूएम के स्वतंत्र वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है पोर्टल का लक्ष्य किसी एक समय पर जल स्रोतों, संगठनों और जल स्रोतों के विभिन्न पक्षों पर उनकी गतिविधियों की प्रत्येक सूचना देना है

जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलनः मंत्रालय की शोध एवं विकास योजना के अंतर्गत एनडब्ल्यूएम ने आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और एनआईएच के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन का पता लगाने के लिए आठ नदी घाटियों की पहचान की है ये हैं महानदी, माही, लूनी, तापी, सतलुज, साबरमती, सुबर्णरिखा और तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन

गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है यहां केवल भारत में ही 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं इससे भारत की 28 प्रतिशत जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत का 26 प्रतिशत भूक्षेत्र के साथ 43 प्रतिशत जनसंख्या आती है गंगा का प्रमुख प्रवाह पांच राज्यों से होकर निकलता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2,525 किलोमीटर की यात्रा तय करता है गंगा घाटी में इसकी सभी उपधाराओं की गिनती भी होती है जो देश के 11 राज्यों में एक मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं गंगा घाटी पूरी तरह 'जलीय सभ्यता' है, जहां नदी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और उसकी विध्वंसक क्षमता पर रोक लगाना स्थायी एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से जरूरी है इसके अलावा नदी में घड़ियाल, कछुए, गंगा डॉल्फिनें और सुनहरी महसीर आदि जीव भी इसमें पाए जाते हैं इसकी भौतिक क्षमता के अतिरिक्त गंगा भारत के लिए सांस्कृतिक तौर पर भी गहरा महत्व रखती है धार्मिक/आध्यात्मिक अवसरों पर लाखों लोग गंगा किनारे जुटते हैं और वहां पूजा- अर्चना तथा स्नान करते हैं, इसलिए उनके लिए स्वच्छ गंगा का बड़ा महत्व है वर्ष 2013 में 120 मिलियन लोग प्रयागराज कुंभ में पहुंचे थे, जो अब तक एक स्थान पर जुटा दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह रहा

देश के हृदयस्थल के लिए बहुत पवित्र और प्रमुख जलस्रोत होने के बावजूद, आज गंगा गंभीर रूप से प्रदूषित और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद तनावपूर्ण कारण बन चुकी है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवनशैली में विकास और औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण विराट गंगा कई रूपों में दुर्दशा का सामना कर रही है गंगा कई तरह के जैविक और बैक्टीरियाई प्रदूषणों से जूझ रही है, खासकर इसके मध्य प्रसार में, जिस कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि, नागरी सेवाएं एवं पर्यावरण से जुड़े कई नकारात्मक असर सामने खड़े हैं गंगा में प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू और औद्योगिक तरल व्यर्थ पदार्थ है इसमें से 70 प्रतिशत प्रदूषण घरेलू सीवेज के कारण, 20 प्रतिशत विषाक्त औद्योगिक तरल पदार्थों और 10 प्रतिशत कृषि अपशिष्ट, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट आदि के कारण होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन, पिघलते हिमखंडों का गंगा के बहाव और अवसंरनात्मक ढांचों का नदी के ऊपरी क्षेत्रों पर असर के कारण कई मुद्दे उठ खड़े हुए हैं जिनका व्यापक निवारण आवश्यक है

गंगा को साफ करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, जिनके मिले-जुले नतीजे रहे गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) की शुरुआत 1985 में हुई थी और अगले दो दशकों में इसे दो चरणों (जीएपी 1 और जीएपी 2) के आधार पर आगे बढ़ाया गया इस योजना का प्रमुख फोकस शहरी व्यर्थजल अवसंरचना पर था और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) और संबंधित नगरीय व्यर्थ जल अवसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया प्रस्तुत डाटा के अनुसार, शहरी और औद्योगिक विकास के कारण फैलने वाले प्रदूषण के कारण समग्र तौर पर कार्यक्रम के आधार पर जल की गुणवत्ता को स्थायी रखा जा सका या उसमें सुधार देखा गया हालांकि, इसके अमलीकरण में कई सीमाएं भी रहीं- (1) अपर्याप्त निवेश, (2) स्थापित क्षमता का अधूरा इस्तेमाल, (3) स्थानीय निकायों का अल्प स्वामित्व, (4) दीर्घकालिक विलंब और कमजोर संप्रेषण - जिस कारण जनसंपर्क असफल रहा

2015 में 20,000 करोड़ रुपये की निर्देशात्मक राशि के साथ 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पिछली और मौजूदा परियोजनाओं को समाहित किया गया है और कई नई शुरुआतें भी इसका हिस्सा रहीं

2016 में, गंगा नदी (पुनर्नवीकरण, रक्षण और रखरखाव) प्राधिकरण आदेश 2016, एनजीआरबीए को नमामि गंगे के तौर पर एक प्राधिकरण में भी बदला गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भी एक प्राधिकरण के रूप में बदला गया है

जल क्रांति अभियान

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2015-16 से 2017-18 तक के लिए जल क्रांति अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य देश में सभी सहभागियों को एकजुट कर, समग्र प्रयास से जल संरक्षण और रखरखाव करना था ताकि यह जन आंदोलन के तौर पर सामने आए जल क्रांति अभियान के लक्ष्य इस प्रकार हैं: जल संरक्षण और विकास योजनाओं (उदाहरण, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल कर सभी सहभागियों की मदद से इसे मूल स्तर पर सशक्त करना; जल स्रोत संरक्षण और उनके रखरखाव के संबंध में पारंपरिक ज्ञान को अपनाना और उसे अमल में लाने को प्रोत्साहन देना; सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों आदि में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र आधारित विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करने को बढ़ावा देना

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरुआत देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता देने के लक्ष्य से 1996-97 में की गई थी इसका लक्ष्य यह भी था कि जिन राज्यों के पास ऐसी योजनाओं के लिए उचित स्रोत नहीं हैं या जहां यह पूर्ण होने वाले हैं, उन्हें भी तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके इसमें प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी गई जो पांचवीं योजना से पहले या उसके दौरान शुरू की गई हों, और उन्हें भी जो कबीलायी या अकाल पीड़ित इलाकों के हित में काम कर रही हों 1999-2000 से एआईबीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों जिनमें पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और ओडिशा के कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट जैसे क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय ऋण सहयोग भी पारित किया गया है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत 2015-16 से की गई इसका लक्ष्य सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेत जल के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतना, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है

इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश अभिसरण (जिला स्तर पर और यदि आवश्यक हुआ तो जल उपयोग योजनाओं की उप-जिला स्तर पर तैयारी); खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास; खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार जिससे वह व्यर्थ न जाए और उसकी अवधि तथा प्रसार दोनों की उपलब्धता बढ़े; जलभृत का पुन:भरण और जल

संरक्षण से जुड़े स्थायी उपायों का आरंभ; किसानों और जमीनी स्तर पर कार्यकारियों के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल एकत्रीकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई में निजी निवेश को बढ़ावा देना है

प्रमुख और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देशीय सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के जरिए आर्थिक तौर पर पोषित किया जा रहा है और मरम्मत, नवीकरण एवं जल निकायों की बहाली (आरआरआर), सतही छोटी सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है

केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में किसानों के खलिहानों तक सिंचाई जल को सुचारू तरीके से पहुंचाने के लिए विकसित किया गया था इसका लक्ष्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रति यूनिट भूमि और जल से उपजने वाली जोत के उत्पादन और उत्पादन क्षमता के लिए जल के इस्तेमाल में बढ़ावा देना है कार्यक्रम में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बहुविषयक टीम के माध्यम से समन्वित विधि से सिंचित कृषि संबंधित सभी गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ने का विचार रखा गया है

2004 में कार्यक्रम को कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) के तौर पर पुनर्गठित कर नया नाम दिया गया इस कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के साथ अमल में लाया जा रहा है प्रोग्राम 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के उपांश हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अधीन कार्यरत है सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को 2016-17 से एआईबीपी की 99 सीएडी प्राथमिक परियोजनाओं के अमल तक सीमित कर दिया गया है सीएडी अंश के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को वृहद तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर-संरचनात्मक' हस्तक्षेप के तौर पर श्रेणीगत किया गया, जो इस प्रकार है: गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेपः सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन एवं कार्यान्वयनः (1) ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य; (2) खेत, मध्यवर्ती एवं संपर्क नालों का निर्माण; (3) व्यवस्थागत कमियों का निवारण; और (4) जलप्लावित क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति

गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेपः इसमें सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित होती हैं: (1) पंजीकृत जल उपभोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एक बार कार्यात्मक अनुदान; (2) पंजीकृत डब्ल्यूयूए को एक बार अवसंरचना अनुदान; (3) जल उपभोग में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूलन विधियां और साथ ही, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्थायी सिंचाई सहभागिता परिवेश विकास

सिंचाई में जल उपभोग में मितव्ययिता बरतने के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाता है ताकि वह फील्ड चैनलों के विकल्प के तौर पर लघु सिंचाई में स्प्रिंक्लर/ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवस्था की शुरुआत करें प्रत्येक परियोजना के कम-से-कम 10 प्रतिशत सीसीए को लघु-सिंचाई के दायरे में लाया जाता है लघु-सिंचाई अवसंरचना में जल वहन और खेत कार्यों के लिए सम्प, पम्प, हाई-डेन्सिटी पॉलीथीन और उपयुक्त उपकरणों (स्प्रिंक्लर, रेन गन, पिवट आदि) का इस्तेमाल किया जाता है लघु-सिंचाई के मामले में जमीन को समतल करने वाले, ड्रेनेज कार्यों आदि के उपकरणों को कम इस्तेमाल किया जाता है या पूरी तरह हटा दिया जाता है; इससे खर्च में कटौती होती है जिससे लघु-सिंचाई अवसंरचना की उच्च लागत में कमी आती है स्प्रिंक्लर/रेन गन/ड्रिप सेट्स आदि को किसानों को खेतों के केंद्र के नीचे लगाना पड़ता है- ये उपकरण लघु सिंचाई अवसंरचना के अंश नहीं होते किसानों के समक्ष कृषि मंत्रालय की प्रचलित योजनाओं से जुड़ा अनुदान प्राप्त करने या ऐसे उपकरणों को खरीदने में से एक विकल्प रहता है

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन

राष्ट्रीय जल नीति जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता के भाव पर जोर देती है यह देखा गया है कि सिंचाई व्यवस्था और सिंचाई जल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों की सहभागिता बहुत कारगर साबित होती है सिंचाई व्यवस्था में किसानों के सहयोग से उसके कार्यान्वयन और रखरखाव की जिम्मेदारी हस्तांतरण में और जल उपभोक्ता संघों को उनके अधिकार क्षेत्रों में जल शुल्क एकत्र करने में भी मदद मिलती है प्रति हेक्टेयर 1200 रुपये का एक बार का अनुदान जल उपभोग संघों को केंद्र, राज्य और किसानों द्वारा क्रमशः

45:45:10 के अनुपात में आवंटित होता है और इस राशि से प्राप्त ब्याज रखरखाव के काम आता है

बाढ़ प्रबंधन योजनाएं

भारत में बाढ़ द्वारा बारंबार तबाही होती है लगभग प्रत्येक वर्ष, देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है इससे निजी और सार्वजनिक, जान-माल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही, अवसंरचना पर भी गहरा असर पड़ता है और लोगों में मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनीय तौर पर भी गहरा असर पड़ता है 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) ने देश में 40 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) बाढ़ प्रवण क्षेत्र का अनुमान लगाया था, जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ प्रबंधन कार्यकारी समूह ने बढ़ाकर 49.815 एमएचए कर दिया था बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि और संपत्ति को बचाने के लिए पिछले पांच दशकों से राज्य सरकारें बाढ़ प्रबंधन कार्यों में लगी हैं

फरक्का बैराज परियोजना

फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में है यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ है फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण 1961 में स्थापित किया गया था इसके पास फरक्का बैराज परियोजना कॉम्प्लेक्स को बनाने एवं उसके बाद उसे चलाने और रखरखाव के अधिकार हैं इस परियोजना में फरक्का बैराज, जंगीपुर बैराज, फीडर कैनाल, नेविगेशन लॉक एवं संबंधित ढांचे आते हैं

बैराज में 112 गेट (108 मेन गेट और 4 फिश लॉक गेट) हैं इसके अतिरिक्त, लगभग 40000 क्यूसेक (1035 क्यूमेक) जल फीडर कैनाल में छोड़ने के लिए 11 नंबर हेड रेगुलेटर गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा से उचित मात्रा में जल भागीरथी-हुगली नदी समूह में छोड़ना है, जिसके लिए 38.38 कि.मी. लंबी फीडर कैनाल के जरिए कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और देखभाल की जाती है इसके लिए भागीरथी-हुगली नदियों की व्यवस्था और नौ-परिवहन में सुधार किया जाता है

इसके अतिरिक्त, गंगा/पद्मा नदियों के संवेदनीय क्षेत्रों में क्षरण को समयबद्ध तरीके से रोकने और किनारों को बचाने के लिए एफबीपी प्राधिकरण फरक्का बैराज को बचाने का कार्य कर सका, साथ ही, स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षा की दिशा में भी कार्यरत रहा है इन उपलब्धियों के अतिरिक्त, फरक्का बैराज परियोजना ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल को बांटने के लिए 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि भी की थी

भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग

भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग (जेआरसी) 1972 से कार्यरत है इसका मुख्य कार्य संयुक्त नदी व्यवस्था से एक समान लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए संपर्क साधे रखना है इसके लिए भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे ताकि जल की कमी वाले मौसम में फरक्का के माध्यम से गंगा जल साझा किया जा सके संधि के अनुसार, फरक्का (नदी पर स्थापित अंतिम बांध) से जल बांटा जाता है यह अभ्यास, संधि के अनुसार, प्रतिदिन 10 के आधार पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक जारी रहता है संधि की मियाद 30 वर्षों की है जल आवंटन पर दोनों ओर से जेआरसी की संयुक्त समिति के सदस्य नजर रखते हैं

भारत-नेपाल जल संसाधन सहयोग

नेपाल से भारत आने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ पर रोक लगाना अक्सर चिंता का विषय होता है और इससे संबंधित विषयों पर भारत-नेपाल द्विपक्षीय प्रणाली विमर्श करती है, जिसमें हैं: (1) जल संसाधन के लिए मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (2) जल संसाधन पर संयुक्त आयोग (जेसीडब्ल्यूआर), और (3) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी), (4) बाढ़ प्रबंधन में जल प्लावन पर संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम), (5) कोसी गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से इन नदियों पर बांध बनाए जाने पर जोर दे रही है जिससे दोनों देशों को आपसी लाभ पहुंच सकता है

केंद्रीय भूजल बोर्ड

जलभर मापन एवं जलभर प्रबंधन योजना निरूपण

जलभर सतह से नीचे की चट्टानों का ऐसा संस्तर होता है जहां भूजल एकत्र और प्राप्त होता है बारहवीं योजना में सीजीडब्ल्यूबी ने राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना (एनएक्यूयूआईएम) के अंतर्गत भूजल की पहचान, निरूपण, विवरण एवं असरकारी प्रबंधन का कार्य अपने हाथों में लिया है परियोजना के अधीन मौजूदा डाटा, डाटा में अंतर का आकलन, जलभर मानचित्र हेतु अतिरिक्त डाटा तैयारी और जलभर प्रबंधन योजना की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है इससे जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के अधीन अन्य गतिविधियां एवं कार्यों को विस्तृत कार्यविधि से अमल में लाया जा रहा है

'कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संग्रहण' पर प्रदर्शन परक परियोजनाएं

सीजीडब्ल्यूबी ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संग्रहण पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रदर्शन परक परियोजनाएं आयोजित की हैं

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं इस संबंध में वह आवश्यक आदेश भी दे सकता है प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियम 5 के अंतर्गत प्राधिकारों को प्रस्तावित अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2) से संबंधित सभी मामलों में निर्देश देने एवं कार्यवाही का अधिकार है; उक्त कानून की धाराओं 15 से 21 की सहायता लेना; देश में भूजल नियमन एवं नियंत्रण, प्रबंधन और विकास की दिशा में कार्य करना और आवश्यक हो तो इस दिशा में जरूरी नियामक दिशानिर्देश जारी करना

भूजल विकास

देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल क्षमता कई स्तरों पर पाई जाती है एक ओर जहां गंगा के जलोढ़ क्षेत्रों में भूजल की अपार क्षमता है, वहीं दूसरी ओर पथरीले क्षेत्रों में भूजल स्रोत बहुत सीमित हैं इसी तरह, देश के भिन्न क्षेत्रों में भूजल स्रोत विकास की दिशा में भी एक समान कार्य नहीं हुआ है देश के कुछ हिस्सों में भूजल विकास की दिशा में किए गए कार्यों के कारण अत्यधिक दोहन हुआ है और भूजल स्तर गिरा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भूजल क्षेत्र में अभी तक सामान्य से कम विकास कार्य हुआ है, जिस कारण अभी इस क्षेत्र में कार्य की कई संभावनाएं हैं सीजीडब्ल्यूबी राज्य भूजल विभागों के साथ निश्चित अवधि के बाद भूजल स्रोतों का आकलन करता रहता है

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) केंद्रीय भूजल बोर्ड की प्रशिक्षण इकाई है यह केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य संगठनों, अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों की प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करता है जलभर प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय, राज्यीय एवं ब्लॉक स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम को अमल में ला रहा है

केंद्रीय जल आयोग

केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार का कोई पदेन अधिकारी होता है आयोग के कार्य मुख्यतः तीन खंडों में बंटे हैं, जो हैं, डिजाइन एवं शोध खंड (डी एंड आर), जल प्रबंधन एवं परियोजना खंड (डब्ल्यूपी एंड पी) और नदी प्रबंधन खंड (आरएम) प्रत्येक खंड में कई इकाइयां/संगठन आते हैं और वह उन्हें प्रदान किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और राज्य सरकार

के विभागों के साथ कुशल तालमेल के लिए सीडब्ल्यूसी ने 13 स्थानीय कार्यालय स्थापित किए हैं ये कार्यालय बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग, सिलिगुड़ी एवं गांधी नगर में हैं केंद्रीय एवं राज्य के कार्यरत अभियांत्रिकों एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रशिक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी के प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में स्थित है

कार्य

सीडब्ल्यूसी पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके राज्यों में जल संसाधनों के रखरखाव, संरक्षण एवं इस्तेमाल के लिए शुरुआत, समन्वय एवं उसे विकसित करने की जिम्मेदारी होती है यह कार्य बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन के क्षेत्रों में किए जाते हैं यदि आवश्यक हो तो आयोग, ऐसी किसी भी योजना के निर्माण और कार्यान्वयन का काम अपने हाथ में ले सकता है

उपरोक्त जिम्मेदारियों के निर्वहन में सीडब्ल्यूसी के प्रमुख कार्य होते हैं: राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और बहुआयामी परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक पक्ष को प्रोत्साहन; देश की प्रमुख नदियों के जलीय एवं जलीय-मौसमी परियोजनाओं से जुड़े डाटा को एकत्र, संकलित, प्रकाशित और उसका आकलन करना यह मुख्यतः वर्षा, अतिरिक्त बहाव और तापमान आदि के लिए कार्य करता है; देशभर में जल संसाधनों और उनके इस्तेमाल एवं जल की गुणवत्ता से जुड़े विवरण संबंधी डाटा को एकत्र करना, जारी रखना और प्रकाशित करना; देश के सभी नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों को बाढ़ की भविष्यवाणी से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना; भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के लिए किसी भी नदी घाटी विकास योजना में निर्माण कार्य; केंद्र एवं राज्य संगठनों के कार्यरत अभियांत्रिकों को जल संसाधन विकास के भिन्न पक्षों से जुड़ा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना; जल संसाधन विकास के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, बाढ़ की भविष्यवाणी और संबंधित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी डाटा एकत्र करने वाली तकनीक को प्रोत्साहन; आकृति विज्ञान की मदद से नदियों के आचरण, तट क्षरण समस्याओं का आकलन करना और इन मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना

जलीय अवलोकन

केंद्रीय जल आयोग देशभर में सभी प्रमुख नदी घाटियों पर जलीय मौसमी अवलोकन का कार्य करने वाले 878 स्टेशनों का नेटवर्क चला रहा है, जिनके कार्य हैं: (1) जल स्तर (मापक), (2) बहाव, (3) जल गुणवत्ता, (4) गाद, (5) खास स्टेशनों पर बर्फ का अवलोकन करने वाले चुनिंदा मौसम विज्ञानी मानदंडों का इस्तेमाल इसके अतिरिक्त, आयोग 76 विशिष्ट मौसम विज्ञान अवलोकन केंद्र भी संचालित करता है इन कार्यों से प्राप्त डाटा का इस्तेमाल जल संसाधन परियोजनाओं के योजना निर्माण एवं विकास में, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, जल उपलब्धता अध्ययन, बाढ़/अंतर्वाह पूर्वानुमान, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मुद्दों की परख करने, नदी आकृति विज्ञान अध्ययन, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, जलकुंड गाद अध्ययन एवं शोध आधारित गतिविधियों के काम आता है

जल गुणवत्ता जांच

केंद्रीय जल आयोग देश की सभी प्रमुख नदी घाटियों में जल की जांच करने वाले 429 स्टेशनों का संचालन कर रही है सीडब्ल्यूसी जल के भौतिक-रासायनिक मानदंडों की जांच करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली का संचालन करता है प्रथम स्तरीय प्रयोगशालाएं भारत की प्रमुख नदियों पर 406 जल गुणवत्ता जांच केंद्रों पर स्थित हैं जहां तापमान, रंग, गंध विशेष चालकता, विदुयत चालकता, पूर्ण विघटित ठोस तत्व, पीएच एवं नदी जल की विघटित ऑक्सीजन का आकलन किया जाता है देशभर के चुनिंदा प्रखंडों में 18 द्वितीय स्तरीय प्रयोगशालाएं भी हैं जिनमें जल की 25 भौतिक-रासायनिक विशेषताओं और बैक्टीरियाई मानदंडों का आकलन किया जाता है वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोयंबटूर और गुवाहाटी में 5 तृतीय स्तर/द्वितीय प्लस प्रयोगशालाएं हैं जिनमें मजबूत धातुओं/विषाक्त मानदंडों एवं कीटनाशकों सहित 41 मापदंडों का अध्ययन होता है विभिन्न एजेंसियों द्वारा जल गुणवत्ता डाटा जल संसाधन परियोजनाओं, शोध उद्देश्यों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है एकत्रित जल गुणवत्ता डाटा उपयोग जल संसाधन परियोजनाओं की योजना एवं विकास संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है

बाढ़ का पूर्वानुमान

देश में प्रमुख बांधों/बैराजों से जुड़े 221 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र हैं, जिनमें से 166 समस्तर पूर्वानुमान एवं 55 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र हैं ये देश के 19 प्रमुख नदी केंद्रों और 72 नदी उप-घाटियों का अध्ययन करते हैं ये 20 राज्यों में कार्यरत हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश, दादर और नगर हवेली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हैं केंद्रीय जल आयोग प्रतिवर्ष बाढ़ के मौसम में औसतन 6,000 पूर्वानुमान घोषित करता है नदी प्रदेश को, बाढ़ पूर्वानुमान स्थान और बेस स्टेशन को देखते हुए आमतौर पर यह पूर्वानुमान 12 से 48 घंटे पहले घोषित कर दिए जाते हैं मौजूदा बाढ़ पूर्वानुमान कार्य प्रणाली को माइक-11 और एरिया इंडेशन मॉडलिंग जैसे वर्षा-अतिरिक्त बहाव गणितीय मॉडल की मदद से आधुनिक रूप दिया जा रहा है

सीडब्ल्यूसी पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड बिहार एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों के कहने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए सर्वेक्षण और जांच कर रहा है यह कार्य राज्यों के जल संसाधनों की क्षमता को सिंचाई, पनबिजली एवं अन्य इस्तेमाल के लिए जांच के लिए किया जा रहा है इस समय सिक्किम की कलेजखोला एचई परियोजना, असम की रुकनी एवं सोनाई सिंचाई परियोजना, असम की कताखल सिंचाई परियोजना, काली खोला एचई परियोजना, तरुम चू एचई परियोजना और सिक्किम की ही संटले एचई परियोजना, मिजोरम की त्वालांग एचई परियोजना, जम्मू और कश्मीर की कठुआ स्थित, 280 मेगावाट वाली उझ बहुद्देशीय परियोजना और बारीनियन एचई परियोजनाओं पर जांच जारी है

आकृति विज्ञान अध्ययन

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ रोके जाने के उपायों को इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, नदी आकृति विज्ञान और उपयुक्त नदी प्रशिक्षण कार्य को अमल में लाना हमारे जैसे विशाल देश के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहां प्रतिवर्ष बाढ़ से जान-माल का गंभीर नुकसान होता है बाढ़ की समस्या नदी के निचले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गाद/कीचड़ जमा होने के कारण सामने आती है इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए नदी की विशेषताओं को समझना आवश्यक है ताकि समस्या पर प्रभावशाली नीतियों से काबू पाया जा सके तीन नदियों, घाघरा, सतलुज एवं गंडक का आकृति विज्ञान अध्ययन पूरा हो चुका है साथ ही, 15 अन्य नदियों के आकृति विज्ञान अध्ययन चल रहे हैं, जिनमें गंगा, शारदा, राप्ती, कोसी, बागमती, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, पगलादिया, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानंदा, महानदी, हुगली और ताप्ती शामिल हैं

डिजाइन परामर्श

केंद्रीय जल आयोग भारत और पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों की अधिकांश विशाल जल संसाधन परियोजनाओं से जुड़ा है यह कार्य इन परियोजनाओं के डिजाइन परामर्श या तकनीकी समीक्षा के जरिए चल रहा है चार डिजाइन इकाइयां इस दिशा में आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों की डिजाइन संबंधित समस्याओं पर कार्य कर रही हैं

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना

विश्व बैंक की मदद से चलने वाली बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की लागत करीब 21,00 करोड़ रुपये की है इस परियोजना के अंतर्गत सात राज्यों के 223 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है ये राज्य हैं झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड इसके अतिरिक्त, परियोजना में शामिल राज्यों एवं केंद्रीय जल आयोग के सांगठनिक सशक्तिकरण अंश का भी प्रावधान निहित है

बड़े बांधों का नेशनल रजिस्टर

सीडब्ल्यूसी द्वारा रखे जाने वाले बड़े बांधों के नेशनल रजिस्टर (एनआरएलडी) की हालिया संग्रहित सूचना

के अनुसार देश में 5,701 बड़े बांध हैं इनमें से 5,254 बांध पूरे हो चुके हैं और 447 अन्य का कार्य चल रहा है एनआरएलडी सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है

जल संसाधन सूचना प्रणाली

सीडब्ल्यूसी और इसरो ने 2010 में संयुक्त रूप से जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस) विकसित की थी इसके उपरांत, इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस की वेबसाइट के चार संस्करण जारी किए जा चुके हैं संस्करण 4.1 वर्ष 2015 में जारी किया गया और पब्लिक डोमेन (जन क्षेत्र) पर यह 1:250000 के मापन पर उपलब्ध है इस सूचना प्रणाली में जल संसाधन परियोजनाओं, बड़े जल स्रोतों, भूमि उपयोग/आच्छादित भूक्षेत्र, बंजर जमीन, भूक्षरण आदि विषयक कार्यों के अतिरिक्त, पर्यावरण तथा अवसंरचना और अन्य प्रशासनिक सूचना भी निहित रहती है सूचना प्रणाली में मानचित्र देखने और नौ-परिवहन की बुनियादी क्षमताएं जैसे जूम, ओवरव्यू, बुकमार्क, विषय सूची आदि भी होती है जलीय-मौसम विज्ञान डाटा वितरण योजना 2013 (एमओडब्ल्यूआर) के प्रावधानों के अनुसार, सीडब्ल्यूसी जी एंड डी स्टेशनों के सभी अवर्गीकृत डाटा को इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

केंद्रीय जल आयोग प्रतिवर्ष जल क्षेत्र के प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), सीडब्ल्यूसी मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालयों में दी जाती है जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के अंतर्गत जल संसाधन परियोजना के नियोजन, डिजाइन, आकलन, निर्माण, संचालन और जांच जैसे सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाला सीडब्ल्यूसी अग्रणी संस्थान है साथ ही, यहां जल क्षेत्र के शीर्ष तकनीकी उपयोग की जानकारी भी दी जाती है

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत खड़कवासला, पुणे में की गई थी एनडब्ल्यूए का मुख्य लक्ष्य जल संसाधन योजना, विकास, प्रबंधन एवं सांगठनिक सुधार क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से जुड़ा प्रशिक्षण देने का है संस्थान का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर नई उभरती तकनीकों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाए एनडब्ल्यूए जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी और गैर-तकनीकी पक्षों से जुड़े सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है 1988 में स्थापना के बाद से एडब्ल्यूए ने जल संसाधन क्षेत्र के सभी कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण में अद्वितीय योगदान दिया है इसमें राष्ट्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा अधिकारों के लिए केडर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य संगठनों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम; अध्यापकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई), मीडियाकर्मियों, युवा प्रतिनिधियों आदि सभी सहभागियों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करता है

केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) भू-तकनीकी अभियांत्रिकी एवं सिविल इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला जांच और मूल तथा प्रायोगिक कार्य करने वाला अग्रणी संस्थान है यह कार्य विशेषकर नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण एवं बांधों की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है अनुसंधानशाला मुख्यतः भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के उपक्रमों के सलाहकार के तौर पर काम करता है अनुसंधानशाला में बेहतरीन सुविधाएं और उच्च योग्यता वाले अधिकारी हैं और इसने भू-तकनीकी अभियांत्रिकी और निर्माण सामग्री वर्णन के क्षेत्र में देश में विशिष्ट क्षमताएं हासिल की हैं अनुसंधानशाला मौजूदा जलीय ढांचों और विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के सुरक्षा आकलन से जुड़ी है जिनमें पड़ोसी देशों भूटान और नेपाल की परियोजनाएं भी शामिल हैं

अनुसंधानशाला की गतिविधियों को निम्न प्रमुख क्षेत्रों में रखा जा सकता है: प्रसरणशील मृदा, फैली हुई मृदा का अध्ययन, मूल सामग्री का द्रवचालित विभंजन और गुणवत्ता नियंत्रण; बांध भरण, मृदा विज्ञान, जियोसिंथेटिक्स, संख्यात्मक प्रतिमान और गुणवत्ता नियंत्रण; कंक्रीट डायग्नोस्टिक और कैमिस्ट्री में नैदानिक

जांच/स्वास्थ्य जांच, मरम्मत एवं पुनर्वास के लिए सामग्री, पेट्रोग्राफी, रासायनिक जांच, कंक्रीट का टिकाऊपन, रसायन एवं खनिज विज्ञान, जल गुणवत्ता, अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन, पॉलीमर जैसा नया पदार्थ, ग्राउट आदि; रॉक मेकेनिक्स में नींव शिला वर्णन, यथास्थान बल एवं विरूप्यता का यथास्थान मापन, भू-भौतिकीय जांच, सांख्यिकीय प्रतिमान

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा घाटी में बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीबी) की स्थापना की गई थी इसके कार्य हैं: व्यापक नीतियां बनाना और विभिन्न योजनाओं पर प्राथमिकता के अनुसार निर्णय लेना; गंगा घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करना और योजनाओं को पारित करना; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाला विभाग है जिसका मुख्यालय पटना में है इसकी स्थापना भी 1972 में गंगा घाटी राज्यों में बाढ़ से जूझने के लिए एक सचिवालय एवं कार्यकारी शाखा के तौर पर हुई थी

गंगा घाटी के 11 राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है गंगा घाटी के नदी तंत्र हैं (1) गोमती, (2) अधवारा समूह, (3) घाघरा, (4) महानंदा, (5) कमलाबालन, (6) बूढ़ीगंडक, (7) बागमती, (8) पुनपुन, (9) कोसी, (10) गंडक, (11) अजय, (12) किऊल-हरोहर, (13) दामोदर, (14) मयूराक्षी, (15) यमुना, (16) रामगंगा, (17) टोन्स, (18) बदुआ चंदन, (19) रूपनारायण हल्दी-रसूलपुर, (20) जलंगी, (21) सोन, (22) टाइडल नदियां और (23) मुख्य गंगा इनमें से अधिकांश नदियां अंतरराज्यीय नदियां हैं

बेतवा नदी बोर्ड

बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) की स्थापना 1976 में राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को स्थापित करने दृष्टि से हुई थी परियोजना प्राधिकरण ने इसकी शुरुआत बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कर दी थी परियोजना से प्राप्त लाभ और खर्च उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश द्वारा समान रूप से बांटे जाएंगे

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) की स्थापना भारत सरकार ने सितंबर 1980 में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार की थी एसएससीएसी के कार्यों में: बांध एवं बिजलीघर परियोजनाओं का आकलन और इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुमोदित करना; तकनीकी बारीकियों एवं डिजाइन से जुड़े सभी प्रस्तावों का आकलन और उनकी सिफारिश; पारित प्रोग्राम के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए वित्त से जुड़ी जरूरतों का आकलन; जिन कार्यों के अधिकार परियोजना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, उन अनुबंधों और खर्चों से जुड़ी सिफारिशें और आकलन का कार्य

तुंगभद्रा बोर्ड

तुंगभद्रा बोर्ड की शुरुआत 1953 में हुई थी बोर्ड में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं नियत कार्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड राज्य सरकार के अधिकारों का पालन करता है अपने कार्य व्यापार को पूरा करने के लिए बोर्ड अपने नियम निर्धारित करता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकारें निर्धारित अनुपात में वित्तीय सहयोग देती है और इसके निश्चित पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति भी करती है

अपर यमुना नदी बोर्ड

मंत्रालय के अंतर्गत अपर यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की स्थापना 1994 में हुई थी इसके सदस्य राज्यों

में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आते हैं केंद्रीय जल आयोग इसके सदस्य के तौर पर है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से इसमें एक प्रतिनिधि रहता है अपर यमुना नदी बोर्ड लाभान्वित राज्यों को पहुंचने वाले पानी और लौटने वाले पानी से जुड़े नियामक तय करता है; सतही और भूजल की गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण की जांच; नदी घाटी के लिए जलीय-मौसमविज्ञान संबंधी डाटा तैयार रखना; जलविभाजन प्रबंधन की देखभाल; ओखला बैराज और उस तक की सभी परियोजनाओं की प्रगति की देखभाल और अवलोकन

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त वैधानिक इकाई है जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों आते हैं इसके अतिरिक्त, समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाला पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं बोर्ड के प्रमुख कार्यों में बाढ़ रोकने के लिए मास्टर प्लान की तैयारी, तटीय क्षरण और जलनिकासी की रुकावट में सुधार, सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी योजना के जलीय स्रोतों का विकास एवं उपयोग, पनबिजली, नौवहन एवं अन्य लाभकारी उद्देश्यों की दिशा में काम करना है

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रायद्वीपीय घटकों के भीतरी संबंधों की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए की गई थी एनडब्ल्यूडीए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में समय-समय पर बदलाव लाया गया है और इसके मौजूदा कार्य हैं; (1) संभावित जलकुंड क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण और श्रृंखला को प्रस्तावित प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास के घटकों से जोड़ना जिससे जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिदृश्य के अवयव तैयार हो सकें; (2) प्रायद्वीपीय नदी एवं हिमालयी नदी क्षेत्रों में मौजूद अधिकांश जल का विस्तृत अध्ययन करना ताकि उसे निकट भविष्य में घाटियों/राज्यों की उचित जरूरतें पूरी करने के लिए वहां स्थानांतरित किया जा सके; (3) अपने या निर्धारित एजेंसी/संगठन/लोक विभाग अथवा कंपनी के आधार परियोजनाओं की जिम्मेदारी/निर्माण/मरम्मत/नवीकरण/पुनर्वास/अमल में लाना तथा नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाले कार्य जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और मिलती-जुलती अन्य परियोजनाएं भी आती हैं

नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड

नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) की स्थापना 1969 में नर्मदा से जुड़े जल विवाद पर निर्णय देने के लिए की गई थी ट्रिब्यूनल ने अपने निर्देश एवं निर्णयों को अमल में लाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है इसी तरह, केंद्र सरकार ने नर्मदा जल योजना को नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (एनसीए) के साथ संलग्न किया है

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) की स्थापना 1978 में मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के तौर पर हुई थी यह जलविज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में सभी विषयों में अनुसंधान का बुनियादी, व्यावहारिक और कूटनीतिक दायित्व, सहयोग, प्रोत्साहन और संयोजन करता है संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड के रुड़की में है देश के भिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए, संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र भी हैं ये केंद्र बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और भोपाल में हैं साथ ही, बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए दो केंद्र गुवाहाटी और पटना में हैं

संस्थान के लक्ष्य हैं: (1) जलविज्ञान से जुड़े सभी पक्षों के व्यवस्थागत एवं वैज्ञानिक कार्यों का दायित्व, सहयोग, प्रोत्साहन और संयोजन करना; (2) जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संयोजन एवं सहयोग करना; (3) समाज के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक शोध एवं संदर्भ पुस्तकालय की

स्थापना और उसका रखरखाव और उसे प्रासंगिक पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं और अन्य सामग्री से भरा-पूरा रखना; और (4) जिन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संस्थान की स्थापना हुई है, सामाजिक दृष्टिकोण से उन आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक उन कार्यों को पूरा करना इन लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए संस्थान ने जलविज्ञान में आणविक प्रयोग, जल गुणवत्ता, मृदा जल, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लिकेशन्स, हिम और हिमनद, न्यूमेरिकल ग्राउंडवाटर मॉडलिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाओं वाली अत्याधुनिक अनुसंधानशाला स्थापित की है

संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जलविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उपभोक्ता केंद्रित, मांग आधारित शोध के लिए उच्चकोटि के तकनीकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास एवं सांगठनिक विकास संस्थान के तौर पर कार्य करता है

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) की स्थापना 1957 में देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना निर्माण के लिए एक अग्रणी संस्था के तौर पर की गई थी थर्मल एवं हाइड्रो परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, औद्योगिक ढांचों, इमारतों, मकानों, मार्गों पुलों और अवसंरचना परियोजनाओं जैसे सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए एनपीसीसी आईएसओ 9001-2008 के गुणवत्ता मानकों की शर्तों का पालन करता है कॉरपोरेशन 59 वर्षों की अपनी यात्रा में कई राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ परिकल्पना से प्रवर्तन तक जुड़ा रहा है इनमें से कई देश के दुर्गम इलाकों में स्थित रहे हैं

सलाहकार सेवाएं

देश की विकास प्रक्रिया में प्रभावी तरीके से सहयोग देते हुए सलाहकार सेवाओं ने पारंपरिक एवं नवीकृत सेवाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है दुनियाभर में विकास के नित नए प्रचलनों को देखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों में सलाहकारों की सेवाओं की जरूरतों में तेजी देखी गई है और विभिन्न कार्यों में पेशेवर सहभागिता को देखते हुए सलाहकारों के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में जल संसाधनों एवं विदुयत परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया उसके बाद से करीब 4,300 बड़े बांधों (695 निर्माणाधीन) का निर्माण हो चुका है और साथ ही नहर एवं सहायक ढांचों का भी निर्माण हुआ है भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन और दंतेवाड़ा बांध दुनिया के कुछ सबसे बड़े बांधों में गिने जाते हैं स्वतंत्रता के बाद के पहले दो दशकों में बांध निर्माण की योजना और विकास के लिए विदेशी सलाहकारों की सहायता ली जाती थी आरंभिक कार्य करने वाले इंजीनियरों के अनुभवों का इस्तेमाल करने के लिए और प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव को अन्य विकासशील देशों के हितों में उपयोग करने और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लक्ष्य से जल एवं विदुयत सलाहकार सेवाएं (डब्ल्यूएपीसीओएस) की 1969 में स्थापना की गई थी

डब्ल्यूएपीसीओएस भारतीय इंजीनियरों को विविध भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्रदान करता है जिस कारण भारत की ज्ञान एवं विशेषज्ञ क्षमता में वृद्धि होती है यही कारण है कि भारत की पहचान तकनीकी जानकारी और समर्पित मानव संसाधन के तौर पर मजबूत हुई है अन्य विकासशील देशों के साथ राजनयिक पहल के आधार पर दीर्घकालिक संबंध कायम हुए हैं और इस क्षेत्र में सलाहकार सेवाओं ने भी आर्थिक विकास में अपने छोटे स्तर पर बड़ी भूमिका निभाते हुए देश को विदेशी मुद्रा का लाभ कराया है समय के साथ-साथ अन्य सलाहकार संगठन भी स्थापित हुए और उन्होंने भारतीय मानव संसाधन एवं नवीकृत तकनीकी के क्षेत्र में नाम और ख्याति अर्जित की

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल एवं भू-प्रबंधन संस्थान

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल एवं भू-प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) की स्थापना 1989 में असम के तेजपुर में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने की थी संस्थान का प्रशासनिक संचालन मंत्रालय के अधीन आता है

सिंधु जल समझौता

1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत एवं पाकिस्तान ने सिंधु जल कमिश्नर का स्थायी पद स्थापित किया है प्रत्येक कमिश्नर अपनी सरकार का प्रतिनिधि होता है और संधि को अमल में लाने के लिए संपर्क सूत्र का काम करते हैं दोनों कमिश्नर मिलकर स्थायी सिंधु परिषद (पीआईसी) संचालित करते हैं

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमएबी) की स्थापना मंत्रालय के अधीन 2014 में स्वायत्त इकाई के तौर पर की गई थी

बोर्ड के कार्य हैं: परियोजनाओं से परवर्ती राज्यों को जल आपूर्ति करना; अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल्स द्वारा निर्णय लिए जाते हैं; आंध्र प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के साथ किसी अनुबंध या समझौते से जुड़ा निर्णय; केंद्र सरकार द्वारा उल्लेख्य परवर्ती राज्यों को नदियों एवं उनकी उप-धाराओं में जल संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चल रहे या नए कार्यों का निर्माण; गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर नई परियोजनाओं के निर्माण और उनकी तकनीकी मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव का मूल्यांकन यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले से पूरी हो चुकी या नियत दिवस पर आरंभ होने वाली ऐसी परियोजनाएं किसी भी तरह जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव न डालें, जैसा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन निर्देशित किया गया हैं

28 | कल्याण



सन् 1985-86 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बांटकर महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग बना दिया गया साथ ही तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का गठन करने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, आदिवासी विकास प्रभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभाग को विधि मंत्रालय से हटा दिया गया इसके अलावा मंत्रालय का नाम बदलकर मई 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया अक्टूबर 1999 में एक पृथक आदिवासी मामलों का मंत्रालय बनाने के लिए आदिवासी विकास प्रभाग को हटा दिया गया जनवरी 2007 में वक्फ इकाई के साथ अल्पसंख्यक प्रभाग को मंत्रालय से हटा कर एक अलग मंत्रालय बना दिया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दो विभागों में बांट दिया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग
वेबसाइट: www.Socialjustice.nic.in, www.disabilityaffairs.gov.in

अनुसूचित जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं निम्नलिखित दो कानून विशेष रूप से इसे रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं: (i) छुआछूत और (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए: (i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 महत्वपूर्ण हैं

नागरिक अधिकारों का संरक्षण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का पालन करते हुए, छुआछूत (अपराध) कानून 1955 बनाया गया इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1976 में इसे नया नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1955' दिया गया इस कानून के अंतर्गत नियमों, यानी 'नागरिक अधिकार संरक्षण नियमों, 1977' को 1977 में अधिसूचित किया गया यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें छुआछूत के लिए सजा की व्यवस्था की गई सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों ने इसे लागू किया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून 1989 को 1990 में लागू किया गया इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था इस कानून के अंतर्गत विस्तृत नियम, जिनका शीर्षक है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) नियम, 1995 जिन्हें 1995 में अधिसूचित किया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है इन नियमों में इसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन कानून, 2015 और 2016

अत्याचारों की रोकथाम कानून में रक्षा के प्रावधान करने के बावजूद, अनुसूचित जातियों (अजा.) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा.) के सदस्यों के खिलाफ लगातार जारी अत्याचार चिंता का विषय है अजा. और अजजा. के सदस्यों के खिलाफ बार बार होने वाली आपराधिक घटनाएँ इस बात का संकेत हैं कि अत्याचारों की रोकथाम कानून का निवारक प्रभाव अपराधियों द्वारा पर्याप्त तरीके से महसूस नहीं किया जा रहा है अतः इस कानून को मजबूत बनाना और कानून के प्रमुख प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना उचित माना गया सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर, अत्याचार निरोधक कानून में संशोधनों का प्रस्ताव मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों में रखा गया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अजा. और राष्ट्रीय अजजा. आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के अनुच्छेद 383 के अंतर्गत की गई थी उसे 89वें संविधान (संशोधन) कानून 2003 के बाद दो भागों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की निगरानी और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है

एनसीएससी के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 (5) में इस प्रकार बताये गए हैं:— (क) संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की जांच और निगरानी करना और ऐसी सुरक्षा का मूल्यांकन: (ख) अनुसूचित जातियों को अधिकारों और संरक्षण से वंचित करने के संबंध में कुछ विशेष शिकायतों की जांच करना; (ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह तथा केंद्र और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना; (घ) इन संरक्षणों की कार्यप्रणाली की जानकारी हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, और किसी अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे; (ङ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन संरक्षणों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्टें, सिफारिशें तैयार करना और (च) संरक्षण, कल्याण, विकास और अनुसूचित जातियों की तरक्की के बारे में अन्य कार्यों को करने के लिए जैसा कि राष्ट्रपति की आज्ञा हो, विनिर्दिष्ट नियमों द्वारा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत है

वेबसाइट www.ncsc.nic.in

शिक्षा मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाना

यह केंद्र प्रायोजित योजना भी है, जिसे राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों ने लागू किया है, योजना के अंतर्गत संबद्ध प्रतिबद्ध देनदारी से अधिक और उससे ऊपर कुल खर्च के लिए सरकार से 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता मिलती है संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों की एक वर्ष के लिए प्रतिबद्ध देनदारी का स्तर पिछले पांच वर्ष की योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय के स्तर के बराबर होगा

इस योजना की शुरुआत 1977-78 में की गई थी आरंभ में इसमें केवल छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शामिल किया गया था बाद में 1991 में योजना के दायरे में दिन में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल कर लिया गया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों, यानी (i) मैला ढोने वाले, (ii) पशुओं की खाल को संसाधित करने वाले, (iii) चमड़ा उतारने वाले और (ii) कचरा उठाने वालों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

यह योजना 2012 में शुरू की गई थी यह केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों ने इसे लागू किया है, योजना के अंतर्गत संबद्ध देनदारी से अधिक और उससे ऊपर खर्च के लिए सरकार से 100 प्रतिशत सहायता मिलती है संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों की एक वर्ष के लिए प्रतिबद्ध देनदारी पिछले पांच वर्ष की योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तव में किए

गए व्यय के बराबर होगी, उनके द्वारा अपने बजट में इसका प्रावधान कर इसे वहन किया जाएगा

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

इस योजना में संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक, मासिक रखरखाव भत्ते, वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम आदि वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ते का शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था है योजना के अंतर्गत एक ही माता पिता / अभिभावक के दो बच्चे इसका लाभ लेने के पात्र हैं उसी माता-पिता / अभिभावक के दूसरे बच्चे के बारे में तभी विचार किया जाएगा यदि उस वर्ष के लिए निर्धारित स्थान अभी भी उपलब्ध है छात्रवृत्ति लेने वाले की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष कुल 100 छात्रवृत्तियां (अधिकतम) दी जाती हैं चयन का वर्ष 2014-15 से लागू किया गया है और 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं 2016-17 के दौरान 2014-15 और 2015-16 के नहीं भरे गए स्थानों को आगे 2016-17 में स्थानांतरित कर दिया गया और यह योजना पूरे वर्ष खुली रहेगी ताकि छात्र किसी भी समय आवेदन कर सकें योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पीएचडी के लिए अधिकतम 4 वर्ष और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है रोज़गार प्राप्त उम्मीदवार अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आमदनी की अधिकतम सीमा 50,000 प्रति महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

इस योजना का उद्देश्य मिडल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है राज्य सरकारें / केंद्रशासित प्रशासन और केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालय/संस्थान केंद्रीय सहायता के पात्र हैं, दोनों छात्रावास की इमारतों के नए निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान छात्रावास सुविधा का विस्तार कर सकते हैं जबकि एनजीओ और निजी क्षेत्र में स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय केवल अपनी वर्तमान छात्रावास सुविधा का विस्तार करने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को एम.फिल, पीएचडी और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में बराबर इनके अनुसंधान डिग्री के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रमुख एजेंसी है अनुसूचित जाति के छात्रों को करीब 2,000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) दी जाती है फेलोशिप की संख्या 2010 में 1,333 थी जिसे बढ़ाकर 2011 में 2,000 कर दिया गया अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उस वर्ष नहीं ली गई फेलोशिप की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है यदि उपलब्ध फेलोशिप के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो यूजीसी स्नातकोत्तर परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उनका चयन करता है योजना के अंतर्गत आय की कोई सीमा नहीं दी गई है

विशेष केंद्रीय सहायता

विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) से लेकर अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे 1980 में शुरू किया गया था इसके अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी अनुसूचित जाति उप योजना के लिए एक योज्य के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए परिवारोन्मुखी योजनाओं को प्रेरित करना है

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता

अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) के इक्विटी शेयर में हिस्सेदार बनने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 49:51 के अनुपात (केंद्र/राज्य) में 1979 में शुरू की गई इस समय एससीडीसी 27 राज्यों/

केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है एससीडीसी का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजना के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि भुगतान देनदारी को कम किया जा सके और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सके निगम ऋण प्रदान करने और मार्जिन मनी ऋण के रूप में निवेश तथा लक्षित समूह को सब्सिडी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना कंपनी कानून 2013 (पूर्व में कंपनी कानून, 1956 के अनुच्छेद 25) के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत फरवरी 1989 में की गई थी एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपये) से नीचे रह रहे लक्षित समूह के युवकों को उनके आर्थिक विकास के लिए कौशल और उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 17 फरवरी, 2014 को पेश अपने अंतरिम बजट में, अन्य बातों के अलावा अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की घोषणा की जो इस प्रकार है:

अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, आईएफसीआई अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित करेगा मैं 200 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिसमें हर वर्ष वृद्धि की जाएगी

यह आवंटन अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहलों के अंतर्गत किया गया है

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

वित्त मंत्री ने 18 जुलाई, 2014 को केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 के दौरान घोषणा की कि अनुसूचित जातियों में विश्वास पैदा करने के अलावा अनसूचित जातियों के उन युवा और स्टार्ट-अप उद्यमियों लिए ऋण वृद्धि सुविधा की दिशा में 200 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी जो रोज़गार सृजन करने वाले समाज के निचले स्तर में उद्यम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए मध्यम वर्ग की श्रेणी का हिस्सा बनना चाहते हैं

यह आवंटन अनुसूचित जातियों के उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत किया जाएगा जो समाज के निचले स्तर से ताल्लुक रखते हैं इसके लिए उन्हें ऋण वृद्धि गारंटी के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सहयोग मिलेगा जो अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे

दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से चल रहे कार्यों पर विशेष जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 मई, 2012 को दिव्यांग मामलों का एक अलग विभाग बनाया इस विभाग को 08.12.2014 को दिव्यांग जन को अधिकार संपन्न बनाने के विभाग के रूप में नया नाम दिया गया यह विभाग दिव्यांगता और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है साथ ही विभिन्न साझेदारों यथा- संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/केंद्रशासित सरकारों, एनजीओ आदि के साथ दिव्यांगता से जुड़े मामलों में प्रभावी निकट सहयोग बनाकर रखता है

2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग थे (जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है) दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी में से करीब 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं इनमें नेत्रहीन, बहरे, स्पीच और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मंद बुद्धि, बहु दिव्यांगता और

अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं

संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना के जरिए अन्य बातों के अलावा अपने सभी नागरिकों कोः न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, आस्था, विश्वास और आराधना; ओहदे और अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है संविधान का भाग-III सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है (और कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को भी) इनमें शामिल है- समानता का अधिकार; स्वतंत्रता का अधिकार; उत्पीड़न के खिलाफ़ अधिकार; धार्मिक आज़ादी का अधिकार; और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपायों का अधिकार ये सभी अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं हालांकि ऐसे व्यक्तियों का संविधान के इस हिस्से में कोई विशेष जिक्र नहीं है

संविधान के भाग-1 IV में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है गैर-न्यायिक होने के बावजूद, इन्हें देश के शासन में मौलिक सिद्धांत घोषित किया गया है ये सिद्धांत राज्य नीति के लिए अनिवार्य हैं वास्तव में इनकी प्रकृति निर्देश देने संबंधी है जो भविष्य में विधानमंडलों और कार्यकारिणी शक्ति को उनके मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाएंगे अनुच्छेद, 41 काम करने का अधिकार, कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे के भीतर, काम करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए और बेरोज़गारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अनुपयुक्त मांग के अन्य मामलों में प्रभावी प्रावधान बनाने होंगे इसके अलावा अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12वीं अनुसूची जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंचायतों और नगर निगमों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है, उसमें समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच दिव्यांगों के कल्याण और हितों की रक्षा शामिल है इस अनुसूची के संबद्ध निष्कर्षों को नीचे दोबारा तैयार किया गया है अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूचीः दिव्यांग और मंदबुद्धि के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण (प्रविष्टि संख्या 26) अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12वीं अनुसूचीः दिव्यांगों और मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा (प्रविष्टि संख्या 9)

विभाग दिव्यांगता और कल्याण तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के विभिन्न पहलुओं से जुड़े निम्नलिखित कानूनों को देखता है:—

- भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992;
- दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995; और
- ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999

दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने के विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्व्यापी अभियान सुगम्य भारत अभियान चलाया इस अभियान में सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग कार्यक्षेत्र लक्षित किए गए जिनमें माहौल बनाना, परिवहन पर्यावरण-प्रणाली और सूचना तथा संचार पर्यावरण प्रणाली शामिल है इस अभियान में निर्धारित समय सीमा के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं और अभियान के बारे में तथा विभिन्न साझेदारों की प्रतिबद्धता/उनके जुड़ने के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा विभाग ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि वे बड़े शहरों में 50 से 100 सार्वजनिक इमारतों और नागरिकों से जुड़ी सार्वजनिक वेबसाइटों की पहचान करें, जिनकी पूरी तरह पहुंच होगी, उसका दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा एक बार पहचान कर लिए जाने पर इन इमारतों और वेबसाइटों का पेशेवर एजेंसियों द्वारा एक्सेस ऑडिट (Access Audit) किया जाएगा निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार इमारतों में बदलाव और उनमें हिस्से जोड़ने, परिवहन और वेबसाइटों को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा हाथ में लिया जाएगा इसे दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना 'दिव्यांग कार्यान्वयन योजना' से सहयोग मिलेगा ताकि उन्हें सामाजिक

और आर्थिक दृष्टि से अधिकारसंपन्न बनाने के लिए लागू किया जा सके

विभाग देशभर में सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य अस्पताल और सुगम्य पर्यटन का सृजन करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है विभाग शीर्षक देने, भाषण के विषय और ऑडियो विवरण जैसी विशेषताओं को शामिल करके टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने का विभाग एक मोबाइल एप बनाने की प्रक्रिया में है, साथ ही वह एक वेबपोर्टल भी बना रहा है ताकि पहुंच के बाहर वाले स्थानों के बारे में सूचना मिल सके मोबाइल फोन में डाउनलोड किए गए एप की मदद से कोई भी व्यक्ति पहुंच के बाहर वाले सार्वजनिक स्थलों (जैसे- स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि) की फोटो अथवा वीडियो ले सकेगा और उसे सुगम्य इंडिया पोर्टल में अपलोड कर सकेगा पोर्टल पहुंच ऑडिट, वित्तीय मंजूरी के लिए अनुरोध को देखेगा और इमारत में नया एप जोड़े जाने की संभावना तलाशेगा ताकि इसे पूरी तरह सुगम्य बनाया जा सके मोबाइल एप और पोर्टल बड़े कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अभियान से जोड़ने का प्रयास करेगा और उन्हें आसानी से इस्तेमाल होने वाले, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और दिव्यांगों को इनमें मिलने वाली सुविधाओं के मामले में और इमारत/परिवहन और वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए बदलाव में उनकी मदद लेगा

दिव्यांग व्यक्ति

दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के अनुच्छेद 2 (टी) कानून 1995 में 40 प्रतिशत तक की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के रूप में परिभाषित किया गया है दिव्यांगता (क) नेत्रहीनता (ख) कम दिखाई देना (ग) उपचारित कुष्ठ रोग (घ) सुनने में परेशानी (ङ) लोको-मोटर दिव्यांगता (च) मानसिक बीमारी (छ) मंद बुद्धि (ज) ऑटिज्म (झ) सैरीब्रल पाल्सी अथवा (च) (छ), (ज) और (झ) के कोई दो अथवा अधिक का मिश्रण हो सकती है (अनुच्छेद 2 (झ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून, 1995 को ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु दिव्यांगता कानून, 1999 के अनुच्छेद 2 (झ) के साथ पढ़ा जाए

मानसिक स्वास्थ्य कानून

दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995 के अंतर्गत मानसिक बीमारी को एक प्रकार की दिव्यांगता के रूप में मान्यता दी गई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज और देखभाल मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987 से संचालित है यह कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू किया है

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून

एक विस्तृत कानून, जिसे दिव्यांगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून नाम दिया गया, उसे 1995 में बनाया गया और इसे फरवरी 1996 में लागू किया गया यह कानून रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा देने के पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोज़गार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधा मुक्त माहौल तैयार करने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और बेरोज़गारी भत्ता जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय केंद्र और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र द्वारा निपटाया जाता है

ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु दिव्यांगताः राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है न्यास का मुख्य उद्देश्य इन दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाना है ताकि जहां तक संभव हो वे पूर्णरूप से स्वतंत्र जीवन जी सकें साथ ही पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं तथा संरक्षण चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाना है

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय

मुख्य आयुक्त एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकारी है जिसकी नियुक्ति दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995 के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत की गई है मुख्य आयुक्त के कार्य और कर्तव्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य के साथ तालमेल, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के इस्तेमाल की निगरानी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को देखना शामिल है मुख्य आयुक्त किसी भी ऐसे नियम, कानून आदि को लागू नहीं करने के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है जो दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं और जिसमें गवाहों को बुलाने, खोज, किसी दस्तावेज़ को प्राप्त करने और पेश करने आदि से संबंधित दीवानी अदालत के अधिकार निहित हैं

पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992 के अंतर्गत की गई है परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है इसके कार्यों में शामिल है: (i) देशभर के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और नियंत्रण, (ii) देश के भीतर और बाहर आपस में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को मान्यता, (iii) पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा (iv) पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले पेशेवरों के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव और (V) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग करके चल रहे पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन

वेबसाइट: rehabcouncil.nic.in

राष्ट्रीय संस्थाएं

दिव्यांगों की आबादी की बहु आयामी समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दिव्यांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं: (i) राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान, देहरादून, (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, कोलकाता, (iii) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई, (iv) मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद, (v) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, (vi) शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली, (vii) विविध विकलांगता वाले लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई ये संस्थान मुख्य रूप से नवोन्मेष अनुसंधान कराने, मानव शक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और देश में सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं भारत का कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), कानपुर सार्वजनिक क्षेत्र की एक संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण बनाने के कार्य में लगी हुई है निगम द्वारा बनाए गए उत्पाद आईएसआई मानकों की पुष्टि करते हुए जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो से मंजूरी मिली हुई है उत्पादों का विपणन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों- कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर और दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्थानों, स्वयं सेवी संगठनों के जरिए किया जाता है

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में स्थित हैं ये केंद्र पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं रीढ़ की हड्डी की चोटों और हड्डियों से संबंधित अन्य दिव्यांगता के चार क्षेत्रीय केंद्र मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में स्थित हैं जो मौलिक प्रबंधन के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में आगे क्या करना है ये जानकारी ले रहे हैं ताकि प्रभावित व्यक्तियों को स्वतंत्र होकर काम करने लायक बनाया जा सके

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) एक शीर्ष स्तर का वित्तीय संस्थान है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं देता है वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के जरिए दी जाती है ये स्नातक और उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए ऋण देता है इसके अलावा यह तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशल के

उन्नयन में सहायता करता है ताकि लाभान्वित अपनी उत्पादन इकाइयों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर सकें
वेबसाइट: www.nhfdc.nic.in

दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक उपकरण

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना के अंतर्गत टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित, मानकीकृत साधन और सहायक उपकरण खरीदने/उनकी फिटिंग के लिए सहायता दी जाती है इनसे उनके दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिलता है और उनके लिए आर्थिक संभावनाएं बढ़ती हैं योजना को स्वयंसेवी संगठनों, मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान, एएलआईएमसीओ, जिला पंचायतों, डीआरडीए आदि के जरिए लागू किया गया है कार्यान्वयन एजेंसियां साधन और उपकरणों की खरीद, संरचना और वितरण के लिए सहायता अनुदान देती हैं इस योजना के दायरे में चिकित्सा/सर्जिकल इलाज और रोगी की बेहतरी के लिए अन्य उपाय शामिल हैं जो साधनों और उपकरणों को लगाने से पहले आवश्यक हो सकते हैं

जनजातीय मामले

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को विभाजित करने के बाद 1999 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित, अनुसूचित जनजातियों (अजजा.) के समन्वित सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में एक समन्वित और नियोजित तरीके से अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है मंत्रालय के गठन से पूर्व आदिवासी मामलों का प्रबंध अलग अलग समय पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता था सम्पूर्ण नीति, योजना और अनुसूचित अजजा. के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रमों का यह शीर्ष मंत्रालय है इस मंत्रालय ने उन क्रियाकलापों को हाथ में लिया है जो भारत सरकार के नियमों, 1961 के अंतर्गत आवंटित (कार्य का आवंटन) विषयों का पालन करते हैं
वेबसाइट: **www.tribal.nic.in**

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत समूहों में रहती हैं इसलिए विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रवार दृष्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है और उनके हितों की रक्षा के लिए नियामक प्रावधान भी अपनाए जा सकते हैं भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित इलाकों को ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राज्य के राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के अंतर्गत छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के उन इलाकों से है जिन्हें जनजातीय इलाको के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गई हैं इन परिषदों को व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र: किसी भी इलाके को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं: (क) जनजातीय आबादी की प्रचुरता, (ख) इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार, (ग) एक व्यवहार्य प्रशासनिक संस्था जैसे- जिला, ब्लॉक अथवा तालुक और (घ) पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछड़ापन किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित इलाकों का विनिर्देशन संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है यही तरीका परिवर्तन, वृद्धि, कटौती, नए इलाकों को शामिल करने, अथवा अनुसूचित इलाकों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के लिए लागू होता है

अनुसूचित इलाकों के लाभ इस प्रकार हैं: (क) कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास अनुसूचित इलाके हैं उसके राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाए: (i) जनजातीय लोगों से

भूमि के हस्तांतरण पर रोक अथवा प्रतिबंध; (ii) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने के व्यवसाय को नियंत्रित करना ऐसा कोई नियम बनाने में, राज्यपाल, संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है जो उस क्षेत्र के संबंध में लागू होता है (ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए निर्देश दे सकता है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई विशेष कानून अनुसूचित इलाकों अथवा राज्य में किसी अन्य हिस्से पर लागू नहीं किया जाए अथवा ऐसे इलाकों में लागू हो जो इसके अपवाद हों और जिनमें तबदीली की जा सके जिसकी वह विस्तृत जानकारी दे (ग) जिस राज्य के पास अनुसूचित इलाके हैं वहां के राज्यपाल हर वर्ष, अथवा भारत के राष्ट्रपति की जरूरत के मुताबिक उस राज्य के अनुसूचित इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे और केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राज्य को और उस इलाके के प्रशासन को निर्देश देने के लिए बढ़ाई जा सकती हैं (घ) जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) उन राज्यों में स्थापित की जा सकती हैं जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं टीएसी की भूमिका राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी तरक्की से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है जैसा कि उसे राज्यपाल ने निर्दिष्ट किया है टीएसी में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से करीब तीन चौथाई अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से होंगे टीएसी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी भी ऐसे राज्य में स्थापित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित इलाकों में नहीं आते (ङ) पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित इलाकों के विस्तार) कानून, 1996 (पीईएसए), संविधान के भाग-IX में इलाकों तक बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही इसमें अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं छठी अनुसूची- जनजातीय इलाके: संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय इलाकों में स्वायत्तशासी जिलों की पहचान करती है यह इन स्वायत्तशासी जिलों के भीतर स्वायत्तशासी क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान भी करती है इन्हें छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न तालिका के भाग I, II, II ए और III में निर्दिष्ट किया गया है दूसरे शब्दों में, जिन क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं उन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है जनजातीय इलाकों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

भाग-1 असमः (1) उत्तरी कछार पहाड़ी जिला; (2) कर्बी- आंगलोंग जिला; और (3) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले; भाग-II मेघालयः (1) खासी पहाड़ी जिला; (2) जयंतिया पहाड़ी जिला; और (3) गारो पहाड़ी ज़िला; भाग-II त्रिपुरा; त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला; भाग-III मिज़ोरम; (1) चकमा जिला; (2) मारा जिला; और (3) लाई जिला

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरियों, बाज़ार, मवेशियों के तालाब, नौकाओं, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण अथवा प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से नियम बनाएं उत्तरी कछार और कर्बी आंगलोंग पहाडी जिलों की स्वायत्तशासी परिषदों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे सेकेंडरी शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बना सकें परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए दीवानी कार्यविधि कोड और फौजदारी कार्यविधि कोड के अंतर्गत भी अधिकार दिए गए हैं, साथ ही उन्हें अपने इलाकों के राजस्व और कर एकत्र करने के लिए राजस्व प्राधिकरण की शक्तियां और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं

अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 366 (25) के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसाकि संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत माना गया अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है अनुच्छेद 342 (1) के मामले में किसी भी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश, और जहां यह राज्य है, के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श करने के बाद जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं यह जनजातीय अथवा उसके एक हिस्से को सांविधानिक दर्ज़ा देता है जिसमें संविधान में इन समुदायों को इनके संबद्ध राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान की गई है अतः अनुच्छेद 342 (1) के मामले में

केवल ऐसे समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा सूची में भविष्य में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के कानून (अनुच्छेद 342(2)) के जरिए किया जाएगा संसद अनुसूचित जनजाति, किसी भी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा इसके किसी भाग को कानून द्वारा सूची में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष के बारे में है दूसरे शब्दों में, यह जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति माना जाए

जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना और हटाना

किसी विशेष राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचित आदेश होता है अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मानदंड हैं: (क) प्रारंभिक लक्षणों के संकेत; (ख) विशेष संस्कृति; (ग) समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच; और (घ) भौगोलिक रूप से अलग-थलग यानी पिछड़ापन इनकी जानकारी संविधान में नहीं दी गई है लेकिन ये मानदंड भलीभांति स्थापित हो चुके हैं इसमें 1931 की जनगणना, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर समिति), 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों के संशोधन समिति सलाहकार समिति (लोकूर समिति), 1965 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों के बारे में संसद की संयुक्त समिति (संशोधन) विधेयक, 1967 और (चंदा समिति), 1969 की परिभाषाओं को ध्यान में रखा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जनजातियां (इनमें से अनेक एक से अधिक राज्यों में व्याप्त हैं) हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई हैं गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब तथा केंद्रशासित चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया

अनुसूचित जनजाति के दर्जे का पता लगाना

जहां भी कोई व्यक्ति जन्म से ही अनुसूचित जनजाति से तालुक रखने का दावा करता है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए (क) वह व्यक्ति और उसके माता पिता उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसका उसने दावा किया है; (ख) समुदाय को संबद्ध राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है; (ग) वह व्यक्ति उस राज्य और राज्य के भीतर किसी इलाके से संबंध रखता है जिसमें समुदाय को अनुसूचित किया गया है; (घ) वह किसी भी धर्म का हो सकता है; (ङ) उसे या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि को इस संबंध में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए; (च) जो व्यक्ति इस मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर था, उदाहरण के लिए वह आजीविका कमाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ था उसे भी अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यदि उसकी जनजाति को उसके गृह राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है; (छ) लेकिन उसे उसके अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता, चाहे उस राज्य के संबंध में उसकी जनजाति का नाम राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में अनुसूचित किया गया हो जहां वह अस्थाई रूप से बस गया है; (ज) राष्ट्रपति के संबद्ध आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनका रहने का स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता-पिता का स्थायी निवास होना चाहिए जिसके अंतर्गत वे उस जनजाति से तालुक रखने का दावा कर सकते हैं यह लक्ष्यद्वीप के अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जिनके लिए यह जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में ही जन्म लिया हो

निर्देशक सिद्धांत यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है लेकिन उसने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक नहीं रखता है

अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकार से निर्धारित फार्म में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र मिल सकता है:

जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त (अपर) जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त (अपर) उपायुक्त/उप कलेक्टर/वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त [प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट से कम रैंक का नहीं] (II) चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट; (III) राजस्व अधिकारी जिसका रैंक तहसीलदार से कम न हो; (IV) इलाके का सब डिवीजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्य तौर पर रहता है; (V) प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप) का प्रशासक/सचिव

यदि कोई अधिकारी यथोचित सत्यापन के बिना लापरवाही से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के उचित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी यह उन अन्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगी जिनमें उनके ऊपर लागू उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है

प्रवासियों का अनुसूचित जनजाति होने का दावा

रोज़गार, शिक्षा आदि के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, उन्हें उस राज्य से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है जिस राज्य को छोड़कर वह आए हैं इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया कि राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रशासन का नियत प्राधिकार दूसरे राज्य से आए व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है इसके लिए उस व्यक्ति को उस राज्य के नियत प्राधिकार द्वारा उसके पिता/माता को जारी किया गया वास्तविक प्रमाण-पत्र पेश करना होगा, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां उचित प्राधिकार महसूस करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य से विस्तृत जांच आवश्यक है प्रमाण- पत्र जारी किया जाएगा चाहे पूछताछ की जाने वाली जनजाति राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित है या नहीं जिस राज्य में व्यक्ति आया है

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एससीएसटी) की स्थापना संविधान (नवासीवां संशोधन) कानून, 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और नए अनुच्छेद 338ए को शामिल करके 19 फरवरी, 2004 को की गई आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया गया आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और उन्हें अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय अथवा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और उन्हें अधिकारों से वंचित करने से संबंधित किसी शिकायत की जांच करने के लिए मुकदमे की सुनवाई कर रहे एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं

जनजातीय उप-योजना

वर्तमान जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) कार्य नीति आरम्भ में 1972 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आदिवासी व्यक्तियों के तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकसित की गई और इसे पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया कुछ परिवर्तनों के साथ टीएसपी कार्य नीति आज तक जारी है और राज्यों के लिए टीएसपी के संबंध में विशेषताएं इस प्रकार हैं:

राज्य की जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में समान होनी चाहिए; राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश की जनजातियों और जनजातीय इलाकों को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सम्पूर्ण योजना से

धीरे-धीरे मिलने वाले लाभों के साथ ही टीएसपी के अंतर्गत फायदे दिए जाते हैं; उप योजना में; (क) जनजातीय लोगों की समस्याओं और जरूरतों तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण खामियों को पहचाना जाए; (ख) टीएसपी के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को पहचाना जाए; (ग) विकास के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए; (ङ) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक रणनीति तैयार करें; और (च) निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र की जानकारी दें

मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान और जनजातीय उप योजना (टीएसपी के लिए एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत अंतर-राज्य धनराशि के आवंटन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जून 2016 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए ये दिशा-निर्देश क्षेत्रीय आवंटन पर केंद्रीय दृष्टिकोण और लेनदेन करने वाली आबादी के अंतर-राज्य संशोधित आवंटन, क्षेत्र और पैरामीटर के रूप में परिणामोन्मुखी कार्य-निष्पादन करते हैं इसके अलावा अंतर-जिला आवंटन की स्पष्ट जानकारी दी जाती है प्रमुख अनुसूचित जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है लाइन विभाग की वर्तमान गतिविधियों से वित्तीय संसाधनों के ब्यौरे के साथ उनके इस्तेमाल से बृहद स्थानिक और उच्च भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होती है परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें इस वर्ष हुई जिसमें आदिवासी उपयोजना, अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान और पीवीटीजी योजना के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 26 राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार किया गया

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम

अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने और उनके आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए, तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को दो भागों में बांट दिया गया और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की स्थापना की गई एनएसटीएफडीसी को कम्पनी कानून के अनुच्छेद 25 (कंपनी जो लाभ कमाने के लिए नहीं है) के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया एनएसटीएफडीसी के लिए अधिदेश प्राप्त करने के लिए (स्वरोज़गार उद्यम/गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए) अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से दोगुनी है एनएसटीएफडीसी लक्षित समूह के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है वित्तीय सहायता संबद्ध मंत्रालयों/राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों द्वारा मनोनीत सरकारी एजेंसियों के जरिए दी जाती है एनएसटीएफडीसी लघु वन उत्पादों की खरीद और मार्केटिंग के लिए भी वित्तीय सहायता देता है ताकि अनुसूचित जनजातियां उत्पाद/उत्पादों की मजबूरन बिक्री से बच सकें

पात्रता मानदंड

लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित होने चाहिए और लाभान्वितों की परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय सीमा (वर्तमान में ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिवर्ष 39,500/- और शहरी इलाकों के लिए प्रतिवर्ष 54,500/-) से दोगुनी नहीं होनी चाहिए स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के मामले में, एसएचजी के सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए जिनकी परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय से दोगुनी है इसी प्रकार से सहकारी समिति के लिए ऋण सहकारी समिति के जरिए पात्र अनुसूचित जनजाति को देने की व्यवस्था की गई है जहां न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के सदस्य सहकारी समिति के सदस्य हैं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए एनएसटीएफडीसी निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रही है

आय सृजन करने वाले क्रियाकलापों के लिए मियादी ऋण प्रदान किया जाता है अनुसूचित जनजातियों और/अथवा संबंधित उत्पाद/सेवाओं द्वारा एकत्र/उगाए गए लघु वन उत्पाद/कृषि उत्पाद की खरीद और/अथवा मार्केटिंग के लिए केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशनों की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है मार्केटिंग सहायता लाभान्वितों को एससीए के जरिए दी जाती है, ब्याज दीर्घ अवधि के ऋण की ब्याज दरों के बराबर होता है और सहायता केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के संगठनों/प्रत्यक्ष खरीद से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशनों को दी जाती है, ब्याज दर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत है अनुदान के रूप में भी सहायता दी जाती

है

विशेष योजनाएं

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराने की एक विशिष्ट योजना है इस योजना के अंतर्गत एनएसटीएफडीसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए मियादी ऋण उपलब्ध कराता है जिन पर प्रति स्वतंत्र इकाई/लाभ केंद्र 50,000 लागत आती है इसके लिए योजना/परियोजना लागत के 99 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता एनएसटीएफडीसी द्वारा दी जाती है एससीए लाभार्थी महिला से प्रतिवर्ष अधिकतम चार प्रतिशत तक सालाना ब्याज दर ले सकता है

लघु ऋण योजना लाभ में चल रहे वर्तमान स्व सहायता समूहों के लिए अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को छोटे और स्व-रोज़गार उद्यमों/कार्यों को हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है एससीए लक्षित समूह के लिए योजना (योजनाओं के) अनुसार उपयुक्त सब्सिडी या मार्जिन राशि उपलब्ध करा सकता है और शेष राशि एनएसटीएफडीसी द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है सब्सिडी नहीं मिलने अथवा एससीए के रूप में एससीए/बैंकों की कोई अंश पूंजी नहीं मिलने की स्थिति में एनएसटीएफडीसी मांगी गई धनराशि का शत-प्रतिशत मियादी ऋण के रूप में प्रदान कर सकता है जो प्रति सदस्य अधिकतम 15,000 रुपये हो सकता है

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन

बहुराज्य सहकारी समिति कानून, 1984 (एमएससीएस कानून, 1984) के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन के रूप में 1987 में ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (एमएससीएस कानून, 2002) बनने के बाद ट्राइफेड को इसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया गया और यह कानून की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में भी सूचीबद्ध है

ट्राइफेड की नियमावली में बहुराज्यीय सहकारी समिति के नियमों में नए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम] 2002 के साथ गठित 2002 के अनुरूप अप्रैल 2003 में संशोधन किया गया इस संशोधित आदेश के अनुसार ट्राइफेड ने जनजातियों से लघु वनोत्पाद (एमएफपी) और अतिरिक्त कृषि उत्पादों (एसएपी) की बड़ी मात्रा में खरीद बंद कर दी है (यह खरीद अब राज्य स्तर की जनजातीय सहकारी समितियों/फेडरेशनों द्वारा की जाती है) ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है

ट्राइफेड अब अपनी दुकानों (ट्राइब्स इंडिया) के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों (प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, सत्यापन आदि) की मार्केटिंग के विकास में लगा हुआ है और दुकानों में इन उत्पादों की बिक्री प्रेषण आधार (कंसाइनमेंट बेसिस) पर की जा रही है
वेबसाइट: www.trifed.in

अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता

अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों (वन अधिकारों को मान्यता) के लिए कानून, 2006 वनों में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों की वन भूमि को मान्यता, वन अधिकार और वन भूमि पर कब्जे का अधिकार प्रदान करता है जिनकी पीढ़ियां सदियों से इन वनों में रह रही थी लेकिन उन्होंने पैतृक भूमि पर अधिकार चुना तथा उपनिवेशी शासन के दौरान और स्वतंत्र भारत में सरकारी वनों के एकीकरण में पैतृक भूमि और प्राकृतिक वास पर वन अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वनवासी अनुसूचित जनजातियों के साथ बेहद अन्याय हुआ जो जंगलों में अपना गुजारा कर रही थी यह कानून अमल में लाने के लिए 2007 को अधिसूचित किया गया

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम जनवरी 2008 को अधिसूचित किए गए और इनमें अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन के बारे में विचार किया गया, यानी राज्य सरकारों द्वारा सब डिवीजनल स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति; सभी राज्यों से

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है जिससे अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरुकता पैदा हो और मुद्रित सामग्री जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के जरिए जागरुकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न उपायों के जरिए नियमों की जानकारी हो; अधिनियमों और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन हो और सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों और पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय एवं समाज कल्याण व वन विभागों सहित सभी सरकारी विभागों में इनका वितरण सुनिश्चित करें; राज्य के अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, जिससे जागरुकता कार्यक्रमों में उनकी सहायता ली जा सके; सब-डिवीजनल तथा जिला स्तरीय समितियों को अधिनियम व नियमों के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है

अधिनियम के अनुसार, वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण और वन अधिकारों की पहचान और उन्हें प्रदान करने का उत्तरदायित्व अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत राज्य सरकार पर है सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार वन अधिकार प्रदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें अधिनियम के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब आधारित एमआईएस की 4 जून, 2008 से शुरुआत वेबसाइट: www.tribal.gov.in के परीक्षण के उद्देश्य से की गई है

वनबंधु कल्याण योजना

केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) शुरू की वीकेवाई को एक रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए आवश्यकता अनुरूप और परिणाम आधारित माहौल तैयार करना है इस प्रक्रिया की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के सभी भावी लाभ उपयुक्त संस्थागत तंत्र के जरिए संसाधनों के सम्मिलन द्वारा लक्षित समूहों तक पहुंच सकें

अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रमुख योजना

जनजातीय मामलों का मंत्रालय अपनी शिक्षा योजना को नया रूप दे रहा है इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक ढांचा और छात्रवृत्ति के जरिए उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है इसे मंत्रालयों की योजनाओं के समावेश के जरिए हासिल किया जा सकेगा जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और शिक्षा कार्य विधि में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी चूंकि अलग-अलग राज्यों की जरूरतें भी अलग-अलग हैं, प्रस्तावित नई योजना में प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को लचीलापन प्रदान करने की उम्मीद है प्रस्तावित प्रमुख योजना में, निम्नलिखित योजनाओं को मिला दिया गया है : (क) आश्रम स्कूलों की स्थापना और उन्हें बढ़ाना; (ख) छात्रावासों की स्थापना और उनकी वृद्धि; (ग) जनजातीय इलाकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण; (घ) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति; और (ङ) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

विदेशी छात्रवृत्ति

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संशोधित राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है योजना के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कार्यक्रम के लिए चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किए हैं

अध्ययन के क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए, छात्रवृत्तियों की संख्या वर्तमान 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है योजना को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए, कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 3 विशेष रूप से संवेदनशील

जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए और 30 प्रतिशत लड़कियों के लिए रखी गई हैं योजना में अब कुछ और विस्तृत आधार वाले क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विषयों के समूह बनाकर अध्ययन के क्षेत्र का पुनः संगठित किया गया है, इससे अनुसूचित जनजाति के अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा क्योंकि इनकी संख्या 35 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है

इससे पहले योग्यता का मानदंड 60 प्रतिशत अंक था, अब इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि एनओएस् के अंतर्गत अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकें आय की अधिकत्तम सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है लेकिन अन्य मानदंड पहले की तरह ही रहेंगे, कम आय वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी इसी प्रकार से, मुद्रास्फीति की दरों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता, उपकरण भत्ता और आकस्मिक यात्रा खर्चों को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है

अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण

दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (आमतौर पर मंडल आयोग नाम से मशहूर) का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा ओबीसी कहलाने वाले) के लिए केंद्र सरकार के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया उच्चतम न्यायालय ने 1992 में अनेक रिट याचिकाओं का निपटारा किया, जो आमतौर से इंदिरा साहनी मामले के रूप में मशहूर है इस फैसले में, न्यायालय ने क्रीमीलेयर को छोड़कर नागरिक पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा भारत सरकार ने, 1993 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों और सेवाओं के 27 प्रतिशत रिक्त पदों को अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के जरिए भरा जनवरी, 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन और जनवरी 2007 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिलों में आरक्षण) कानून को लागू करने के साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण हो गया इस कानून के अंतर्गत, ओबीसी छात्र केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2008-09 से तीन वर्षों की अवधि तक चरणबद्ध रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया था
वेबसाइट: www.ncbc.nic.in

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

इस योजना में, व्यय 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बंट जाता है इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के बच्चों को मैट्रिक पूर्व तक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है पात्रता के लिए आय की सीमा 2,50,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद/सेकेंडरी के बाद के स्तरों पर अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पीएचडी डिग्री के स्तर तक लाना है ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन के लिए उस राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रशासन के जरिए दी जाती हैं जिससे आवदेनकर्ता ताल्लुक रखता है यह योजना सीमित धनराशि योजना है योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को बजट की उपलब्धता के अनुसार उनकी प्रतिबद्ध देनदारी से अधिक 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है पात्रता के लिए माता पिता/अभिभावक की आय एक लाख प्रतिवर्ष (यदि काम में लगा है, स्व-रोज़गार से होने वाली आय सहित) है

ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

अन्य पिछड़ा वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना में 2017-18 से संशोधन किया गया इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और शिक्षा की

दृष्टि से पिछड़े छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे सेकेंडरी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें (i) विभिन्न क्षेत्रों में छात्रावास में प्रति सीट पर खर्च विभिन्न इलाकों में इस प्रकार है:- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र-3.50 लाख रुपये प्रति सीट, (ख) हिमालयी क्षेत्र-3.25 लाख रुपये प्रति सीट, (ग) देश के शेष हिस्से-3 लाख रुपये प्रति सीट (अथवा) संबद्ध राज्य सरकार के लिए दरों की अनुसूची के अनुसार जो भी कम हो), (ii) लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य आपस में बांटेंगे (iii) लड़कियों के छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी और 10 प्रतिशत लागत राज्य सरकारें वहन करेंगी, (iv) संघ शासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी और पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह 90 प्रतिशत है; (v) लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा; (vi) छात्रावास का निर्माण कार्य काम मिलने के 18 महीने के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता की पहली किश्त जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, जो भी पहले हो (vii) किसी भी मामले में समय 2 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जाएगा परियोजना में देरी के कारण यदि लागत बढ़ती है तो उसे राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा (viii) एकीकृत छात्रावास का प्रस्ताव जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक संख्या में सीटें आरक्षित हैं उस परियोजना के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए, (ix) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत चुने गए आदर्श गांवों में अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जा सकता है बशर्ते, भूमि उपलब्ध हो और चुना गया गांव वर्तमान शैक्षणिक संस्थान के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित हो
वेबसाइट: www.ncbc.nic.in

ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

इस योजना का उद्देश्य ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त कर सकें इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के छात्रों को वर्ष 2014-15 से प्रतिवर्ष कुल 300 जूनियर रिसर्च फैलोशिप और 2016-17 से 300 सीनियर रिसर्च फैलोशिप प्रदान की जा रही हैं योजना को लागू करने के लिए यूजीसी शीर्ष एजेंसी है और यह उपयुक्त तारीख पर मीडिया में विज्ञापन के जरिए योजना को अधिसूचित करता है योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं फैलोशिप एम.फिल और पीएचडी करने वाले रिसर्च के छात्रों को दी जाती है जेआरएफ स्तर के लिए फैलोशिप की दर 25,000 प्रतिमाह और एसआरएफ स्तर के लिए यह 28,000 प्रतिमाह है

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के योग्य छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकें और उनके नियोजन के अवसर बढ़ सकें ओबीसी उम्मीदवारों की पात्रता के लिए, नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से आमदनी, अथवा बेरोज़गार उम्मीदवार के मामले में उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आमदनी वर्तमान क्रीमीलेयर मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए ईबीसी उम्मीदवार की पात्रता के लिए नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से कुल आमदनी अथवा बेरोज़गार उम्मीदवार के मामले में उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आमदनी 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एक वर्ष के लिए कुल व्यय में से 50 प्रतिशत राशि लड़कियों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में रखी जाती है

ईबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

यह राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के जरिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना है योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद अथवा सेकेंडरी कक्षा की पढ़ाई कर रहे ईबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है इसकी पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की सीमा 1.00 लाख प्रतिवर्ष (स्व-रोज़गार सहित) है

खानाबदोशों/अर्द्ध खानाबदोशों (डीएनटी) के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक

के बाद डॉ. अम्बेड़कर छात्रवृत्ति

यह वर्ष 2014-15 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे उन डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए शुरू किया गया था जो एससी, एसटी, ओबीसी में शामिल नहीं हैं पात्रता के लिए आय की सीमा 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है इस योजना को राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों के जरिए लागू किया गया व्यय केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में आपस में बांटते हैं

छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना

यह वर्ष 2014-15 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जरिए लागू किया गया है इस योजना का उद्देश्य उन डीएनटी छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है जो एससी, एसटी अथवा ओबीसी में शामिल नहीं हैं, ताकि वे सेकेंडरी और उच्च शिक्षा हासिल कर सकें पात्रता के लिए आय सीमा 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है केंद्र सरकार देशभर से प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करेगी योजना के अंतर्गत व्यय मानक छात्रावास के लिए प्रति सीट 3.00 लाख रुपये है (जो केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है) और फर्नीचर के लिए 5,000 रुपये प्रति सीट है छात्रावास का निर्माण काम मिलने के 18 महीने के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए, जो भी पहले हो किसी भी मामले में समय 2 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जाएगा परियोजना में देरी के कारण यदि लागत बढ़ती है तो उसे राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को लाभ नहीं कमाने वाली कम्पनी के रूप में 1992 में शामिल किया गया जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा इन वर्गों के गरीब तबके को कौशल विकास और स्व-रोज़गार उद्यम में सहायता करना है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है निगम लक्षित समूह जैसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण देता है पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से दोगुने से कम (यानी ग्रामीण इलाकों में 98,000 रुपये और शहरी इलाकों में 1,20,000 रुपये) है वह एनबीसीएफडीसी योजना के अंतर्गत एससीए के जरिए ऋण ले सकते हैं विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के अलावा, निगम देश के प्रमुख मेलों जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हाट, सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला के साथ-साथ संबद्ध राज्यों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके लक्षित समूहों के कारीगरों के लिए मार्केटिंग की सुविधा को बढ़ावा दे रहा है

एनबीसीएफडीसी परंपरागत कारीगरों को मार्केटिंग संपर्क स्थापित करने के लिए इन प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करके मदद करता है एनबीसीएफडीसी निगम की उन योजनाओं, विविध उत्पादों और सेवाओं को दर्शाने के लिए अपने राज्य की रास्ता दिखाने वाली एजेंसियों को प्रदर्शनियां आयोजित करने अथवा उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है जिनके लिए एनबीसीएफडीसी ने एससीए के जरिए देश के विभिन्न भागों के पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के प्रति वचनबद्ध है लक्षित समूहों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति

बुजुर्गों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) की घोषणा जनवरी 1999 में की गई इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है इस नीति का उद्देश्य वित्तीय और खाद्य सुरक्षा,

स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, आश्रय और वृद्ध व्यक्तियों को अन्य जरूरतें उपलब्ध कराना, विकास में इक्विटी शेयर, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संरक्षण तथा उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- व्यक्ति को खुद की और अपने जीवन साथी की वृद्धावस्था की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवार द्वारा प्रदान की गई देखभाल में वृद्धि के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को सक्षम बनाना और इनका समर्थन करना;
- कमजोर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण;
- बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना;
- वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना; तथा
- वृद्धों में ऐसी जागरुकता पैदा करना जिससे वे उपयोगी और स्वतंत्र जीवन का मजा ले सकें

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद

वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद ने बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 1999 में बुजुर्गों की राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का गठन किया एनसीओपी बुजुर्गों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की संकल्पना और उनके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है एक पुख्ता ढांचे और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का पुनर्गठन किया गया और देखें दिनांक 17-02-2012 का प्रस्ताव जिसमें इसे नया नाम वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसआरसी) दिया गया जिसे 22-02-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया एनसीएसआरसी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देती है एनसीएसआरसी की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होती हैं एनसीएसआरसी की एक बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 19 जून, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ कानून, 1985 अन्य बातों के अलावा मादक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को मादक पदार्थों और मद्यपान की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए खर्च के 90 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम में 95 प्रतिशत) तक की अनुदान सहायता दी जाती है इस कानून के अनुच्छेद 71 (नशेड़ियों और नशीले पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की आपूर्ति की पहचान, उपचार आदि के केंद्र स्थापित करने के सरकार के अधिकार) में व्यवस्था है कि सरकार अपने विवेक से कई केंद्र स्थापित कर सकती है जिनके लिए वह समझती हो कि ऐसे केंद्र नशेड़ियों की पहचान करने, उनके उपचार, शिक्षा, इलाज के बाद देखभाल, पुनर्वास, दोबारा सामाजिक एकीकरण और अन्य कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं, अगर किसी संबद्ध सरकार द्वारा सरकार और अन्य के साथ पंजीकृत नशेड़ियों और अन्य के लिए किसी भी मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थों के बारे में स्थिति इस तरीके से बताई गई है जहां इनकी आपूर्ति चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है फलस्वरूप विभाग स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलइज्म एंड सब्सटांस (ड्रग्स) एब्यूज योजना के अंतर्गत नशेड़ियों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) को सहायता प्रदान कर रहा है

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नीति

वित्त मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहित सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करके

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नीति (एनडीपीएस), लाया जिसका उद्देश्यः (क) मादक और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रति भारत की नीति की व्याख्या करना; (ख) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तथा राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ आदि के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करना और (ग) समग्र रूप से मादक पदार्थों से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना है

अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था इसका उद्देश्य 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों के कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना है, जो भारत की आबादी का 19 प्रतिशत से अधिक हैं अक्टूबर 2016 से, मंत्रालय के आदेश पत्र का विस्तार किया गया ताकि इसमें हज यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की जा सके
वेबसाइट: www.ncm.nic.in, www.minorityaffairs.gov.in

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए *15* सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नये 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (क) शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी, (ख) मौजूदा और नई योजनाओं के जरिए स्वरोज़गार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य व केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के जरिए आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, (ग) ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, (घ) सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपेक्षितों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के उपेक्षित वर्गों को मिले इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक भी पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का कुछ हिस्सा केंद्रित करने पर विचार किया गया है यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 15 प्रतिशत वास्तविक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित हों

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है (i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति; और (iii) योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता सुधारने के लिए 2017-18 के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का एक नया और संशोधित संस्करण शुरू किया गया इस मंत्रालय की उपरोक्त तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल पर हैं छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाती हैं जहां आधार संख्या उपलब्ध है छात्रों के बैंक खातों को उनसे जोड़कर ऐसे खातों में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है

(i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 में मंजूरी दी गई थी केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए केंद्र से शत-प्रतिशत धनराशि मिलती है पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आमदनी 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है वह इस योजना के अंतर्गत मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं योजना के अंतर्गत नवीनीकरण के अलावा हर वर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं प्रत्येक चुने हुए छात्र को 1000 रुपये से लेकर 10,700 रुपये तक की

छात्रवृत्ति दी जाती है योजनावधि (2012-17) के दौरान 414.50 लाख ताजा छात्रवृत्तियां देने और पिछली के नवीनीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5,000 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है

(ii) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना 2007 में शुरू की गई थी यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत में सरकारी आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कॉलेजों सहित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कॉलेजों और संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चुने गए और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है पिछले वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आमदनी 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है वह इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं योजना के अंतर्गत नवीनीकरण के अलावा हर वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी तो ये छात्रवृत्तियां पात्र लड़कों को दे दी जाएंगी 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान 37.02 लाख ताजा छात्रवृत्तियां देने और नवीनीकरण के लिए 2850.00 करोड़ रुपये का खर्च प्रदान किया गया है

(iii) योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति योजना

योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2007 में शुरू किया गया था इस छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है इसके अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं इस योजना के अंतर्गत हर साल नवीनीकरणों के अतिरिक्त 60,000 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी तो ये छात्रवृत्तियां पात्र लड़कों को दे दी जाएंगी

योजना में पेशेवर और तकनीकी कोर्स के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला दिया जाता है और कोर्स की पूरी फीस लौटा दी जाती है अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की कोर्स फीस 20,000 रुपये प्रतिवर्ष लौटा दी जाती है इसके अलावा एक दिवाछात्र 5,000 रुपये और छात्रावास में रहने वाला छात्र 10,000 रुपये भरण-पोषण भत्ते का भी हकदार है पात्रता के लिए छात्र ने किसी ऐसे तकनीकी अथवा पेशेवर संस्थान में दाखिला लिया हो जो उपयुक्त प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो यदि छात्र का दाखिला प्रतिस्पर्धा परीक्षा के बिना हुआ है तो उसके 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 4.91 लाख ताजा छात्रवृत्तियां देने और नवीनीकरण के लिए 1580 करोड़ रुपये का खर्च प्रदान किया गया है

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप (एमएएनएफ) योजना की शुरुआत केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2009 में की गई थी इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के जरिए लागू किया गया योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है योजना का उद्देश्य एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों जैसे उच्च अध्ययनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष की फैलोशिप प्रदान करना है फैलोशिप में मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं यह फैलोशिप ऐसे रिसर्च स्कॉलर को दी जाती है जो जेआरएफ/एसआरएफ बनने के लिए नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहा है, युजीसी के नियम एम.फिल पूर्व और पीएचडी पूर्व अवस्था में लागू होंगे इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है 30 प्रतिशत फैलोशिप महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है यदि महिला उम्मीदवारों की संख्या कम पाई जाती है तो इसे उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष उम्मीदवारों को दे दिया जाता है

नया सवेरा- मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना की शुरुआत मंत्रालय द्वारा 2007 में की गई थी

नई उड़ान

इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही प्रारंभिक परीक्षा को पास कर रहे हैं ताकि उन्हें संघ और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके और प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशासनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके

पढ़ो परदेस में

इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और उनके नियोजन की संभावना बढ़ सके योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योग्य छात्रों को केवल एक बार उपलब्ध होगी चाहे स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अथवा पीएचडी स्तर के लिए छात्र को स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएचडी स्तर पर विदेश में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में दाखिला मिला हो इस योजना को एक प्रमुख बैंक यानी केनरा बैंक के जरिए लागू किया गया है जैसाकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमडीएमए) द्वारा योग्यता और धन आधारित योजना और केनरा बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

नई रोशनी

मंत्रालय ने नई रोशनी नाम से एक विशिष्ट योजना लागू की है यह योजना सभी स्तरों पर सरकारी व्यवस्थाओं, बैंकों और मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने और उनमें विश्वास कायम करने के उद्देश्य से लागू की गई इस योजना को गैर सरकारी संगठनों के जरिए लागू किया गया है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया पहले संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी एनसीएम 1992 के कानून में 1995 में संशोधन किया गया और आयोग में उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया 1995 में संशोधन के साथ आयोग में सदस्य संख्या 7 (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित) कर दी गई अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे
वेबसाइट: www.ncm.nic.in

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

तेरह राज्य सरकारों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक आयोग स्थापित किये वहीं दो राज्यों मणिपुर व उत्तराखंड ने गैर–संवैधानिक आयोगों का गठन किया

भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (सीएलएम)

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (सीएलएम) का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 350 बी के प्रावधान के मुताबिक जुलाई 1957 में स्थापित किया गया था जो राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की सिफारिशों

के फलस्वरूप संविधान (7वां संशोधन) कानून, 1956 के कारण अस्तित्व में आया अनुच्छेद 350 बी में व्यवस्था है कि सीएलएम भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी मामलों की जांच कर सकता है और ऐसे अंतराल में इन मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है जब राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं और सभी ऐसी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए प्रेरित करते हैं और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की संबद्ध सरकारों/प्रशासनों को भेजते हैं सीएलएम संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके तीन जोनल कार्यालय बेलागवी, चेन्नई और कोलकाता में हैं सीएलएम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ उन सभी मामलों पर बात करता है जो संवैधानिक और राष्ट्रीय सहमति के साथ भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संरक्षण के कार्यान्वयन से जुड़े हैं भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जुलाई 2014 से जून 2015 की अवधि तक की 52वीं रिपोर्ट को क्रमशः 3 मई, 2016 और 4 मई, 2016 को राज्य सभा और लोक सभा में रखा गया था

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण

भारत के संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने और उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है अनुच्छेद 347 किसी राज्य अथवा किसी हिस्से की बहुत अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है उससे इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं अनुच्छेद 350 केंद्र/राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में केंद्र अथवा राज्य के किसी प्राधिकार की शिकायतों के निपटारे के लिए अभिवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 350ए में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखने वालों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृ भाषा में देने की व्यवस्था है अनुच्छेद 350बी भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त विशेष अधिकारी प्रदान करता है जो संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच करता है

केंद्रीय वक्फ परिषद

वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए धार्मिक, पवित्र अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल अथवा अचल परिसंपत्तियों का स्थायी समर्पण है इन धार्मिक पहलुओं के अलावा वक्फ सामाजिक और आर्थिक उत्थान का माध्यम भी हैं वक्फ के लिए केंद्रीय कानून के प्रशासन का उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ कानून, 1954 की धारा 8 ए के अंतर्गत (अब वक्फ कानून 1995 की धारा (9) की उपधारा (1) के रूप में पढ़ें) एक संवैधानिक निकाय के रूप में की वर्तमान परिषद का 2005 में पुनर्गठन किया गया वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं केंद्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास और शिक्षा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है

वेबसाइट: www.centralwakfcouncil.org

दरगाह ख्वाजा साहब कानून

इस कानून के अंतर्गत दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आरए) की दरगाह और उसके धर्मार्थ दान के समुचित प्रबंध के लिए प्रावधान किये जाते हैं इस केंद्रीय कानून के अंतर्गत, दरगाह का प्रबंध, उसके धर्मार्थ दान का नियंत्रण और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति के रूप में जानी जाने वाली प्रतिनिधि समिति के पास है राजस्थान के अजमेर में जिले में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्फ है इस दरगाह का संचालन दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है भारत सरकार की मदद से शहरी विकास मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के जरिए राजस्थान सरकार की सक्रिय भागीदारी से दरगाह समिति सालाना उर्स में शामिल होने वाले लाखों जायरीनों के ठहरने के लिए एक योजना लागू कर रही है यह सुविधा पहले विश्राम स्थली के नाम से जानी जाती थी

और अब इसका नामकरण गरीब नवाज मेहमानखाना कर दिया गया है इसका उद्देश्य दरगाह ख्वाजा साहब के जायरीनों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिलाओं और बच्चों का विकास सर्वाधिक महत्व रखता है और इसी से संपूर्ण विकास की गति निर्धारित होती है महिला एंव बाल विकास मंत्रालय 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के मामले में सरकारी कार्यों की खामियों को दूर करने, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियों एवं कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों को एक तरफ ले जाने के लिए बढ़ावा देना है मंत्रालय का प्रमुख उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवित रहने, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सकें तथा अच्छी परवरिश के साथ बच्चों को सुरक्षित वातावरण में विकास करने और बढ़ने के सभी अवसर मिलें बच्चों के लिए इसका मिशन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाकर, शिक्षा, पोषण, संस्थागत सुविधाएं और कानूनी सहायता उपलब्ध करवा कर उनके समग्र विकास और उन्नति के लिए पूर्ण रूप से बच्चों का विकास, देख-रेख और सुरक्षा सुनिश्चित करना है

वेबसाइट: www.wcd.nic.in

महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून

मंत्रालय पर बच्चों और महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है: (ए) अनैतिक व्यापार (निरोधक) कानून, 1956 (1986 में संशोधित), (बी) महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986 (1986 का 60), (सी) दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित), (डी) सती प्रथा (निरोधक) कानून, 1987 (1988 का 3), (ई) बाल विवाह निषेध कानून, 2006 (जनवरी, 2007 में अधिसूचित), (एफ) घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून, 2005 (जी) राष्ट्रीय महिला आयोग कानून, 1990, (एच) शिशु दुग्ध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण) कानून, 1992 (1992 का 41), (आई) बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 और (जे) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) कानून, 2000 (के) बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पीओसीएसओ) कानून और पीओसीएसओ नियम 2012 तथा (एल) कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) 2012 संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक अगस्त 2011 में पारित कर दिया मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाना, उनसे संबंधित कानून बनाना और उनमें संशोधन करना तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन और उनमें समन्वयन स्थापित करना शामिल है मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम, उसके विकासात्मक कार्यक्रमों में पूरक और सहायक की भूमिका निभाते हैं

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिणामस्वरूप सार्वजनिक तौर पर घटते सीएसआर के मुद्दे पर जागरुकता, संवेदनशीलता बढ़ी है और लोग सचेत हुए हैं जन्म, संस्थागत डिलीवरी में लिंग अनुपात में बेहतर प्रवृत्ति, चुने हुए ज़िलों में से अधिकांश में एएनसी पंजीकरण, सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के दाखिले सहित उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं

इस योजना के विशेष उद्देश्यों में लिंग का पता लगाकर गर्भपात पर रोक; लड़की का बचाव और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लड़की की शिक्षा और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, जिलों में बहु क्षेत्रीय कार्य में विशेष ध्यान पीसी और पीएनडीटी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और उसकी निगरानी, गर्भधारण करने के बारे में जल्द पंजीकरण को बढ़ावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संस्थागत डिलीवरी

और जन्म का पंजीकरण, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूलों को लड़ाकियों के अनुकूल बनाना : स्कूल में लड़कियों का नाम लिखवाना, सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को रोकने का कार्य, चालू शौचालयों की उपलब्धता, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरुकता पैदा करना, हिमायत, सामुदायिक लामबंदी और साझेदारों का प्रशिक्षण, स्थानीय चैम्पियन, संस्थानों और आगे बढ़कर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कार शामिल है

इस योजना की परिकल्पना अल्प अवधि में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना है जबकि बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में लिंग समानता, बेहतर स्वच्छता, अवसरों के रूप में संपूर्ण विकास को दर्शाता है और लिंग के बीच विषमताओं को समाप्त करने का दीर्घकाल में प्रयोग होगा थोड़े से समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गूंज देशभर में सुनाई पड़ रही है यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में सीएसआर में सुधार करने में सफल रहा है इसने राष्ट्रीय नेतृत्व और सरकार के अंतर्विवेक को जगाया है, केंद्रीय और राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर दोनों ने पहल की है

इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक तौर पर घटते सीएसआर के मुद्दे पर जागरुकता, संवेदनशीलता बढ़ी है और लोग सचेत हुए हैं जन्म, संस्थागत डिलीवरी में लिंग अनुपात में बेहतर प्रवृत्ति, चुने हुए जिलों में से अधिकांश में एएनसी पंजीकरण, सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के दाखिले सहित उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं

सोशल मीडिया की उपस्थिति

BBBP फेसबुक पेजः www.facebook.com/WCD.BetiBachaoBetiPadhao

BBBP पर यूट्यूब चैनल (फिल्मों/ऑडियो-वीडियो स्पॉट)

V&aspedia:vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/child-development-i/girl-child-welfare/beti-bachao-beti-padhao

BBBP मोबाइल एप्लीकेशनः apps.mgov.gov.in/descp.do?appid=792

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

सरकार ने पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देशभर में घोषणा की इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाईजे) रखा गया पीएमएमवीवाईजे एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी की जाती है जिसे केंद्र और राज्य तथा विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश 60:40 के अनुपात में बांटते हैं पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है जबकि विधानमंडल के बिना केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह सौ प्रतिशत है

इस योजना में कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उनके बैंक/डाक घर डीबीटी मोड में पीडब्ल्यू और एलएम खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद राशि डाल दी जाती है

पोषण अभियान

पोषण अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जो विभिन्न कार्यक्रमों जैसे आंगनबाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), एमडब्ल्यूसीडी की किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के साथ मिलना सुनिश्चित करता है यह शिशु के शुरुआती 1000 दिन पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें नौ माह की गर्भावस्था, छह महीने तक केवल स्तनपान और 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की अवधि जिसमें अल्प पोषण जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके जन्म के बाद वजन बढ़ाने के अलावा, यह शिशु मृत्युदर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) दोनों को कम करने में मदद कर रहा है निरंतर अतिरिक्त एक वर्ष के हस्तक्षेप (3 वर्ष की उम्र तक) से सुनिश्चित होगा कि शुरुआती 1000 दिनों का ठोस लाभ हुआ है 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों

के संपूर्ण विकास की तरफ भी आंगनबाड़ी सेवाओं के जरिए ध्यान दिया जा रहा है

वन स्टॉप सेंटर

जो महिलाएं हिंसा का सामना करती हैं उन्हें न्याय हासिल करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है और कोर्ट केस लड़ने के लिए वकील की सहायता लेनी पड़ती है अनेक मामलों में जानकारी नहीं होने अथवा अपराधियों से दबाव के कारण चिकित्सा संबंधी सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है परिणामस्वरूप महिलाएं अक्सर हिंसा का सामना करती है लेकिन शिकायत नहीं करती ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए, एक नई पहल करते हुए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की कल्पना की गई और अप्रैल 2015 से इसे देशभर में स्थापित किया गया एक महिला जिसने हिंसा का सामना किया है उसे चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता इन केंद्रों में मिल सकती है इन स्थानों पर महिलाएं अस्थाई तौर पर रह भी सकती हैं यदि उनकी स्थिति इसकी मांग करती है ओएससी, जिसका लोकप्रिय नाम 'सखी' है, इसे अन्य मौजूदा 181 हेल्पलाइनों से जोड़ा जाएगा पहले केंद्र का उद्घाटन रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2015 में किया गया अब तक 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे 138 केंद्र काम कर रहे हैं इन केंद्रों में 4,000 से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है जो अंतिम एसबीसी महीनों में आईं कम से कम ऐसा एक केंद्र प्रत्येक जिले में 2018-19 की समाप्ति तक स्थापित किया जाएगा योजना को राज्य/केंद्रशासित सरकार के जरिए लागू किया गया है जिला कलेक्टर के नेतृत्व में प्रबंधन समिति ओएससी के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जिम्मेदार है

महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण

महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई थी इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिला को सिंगल यूनीफॉर्म नंबर (181) के जरिए देशभर के महिला संबंधी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना और नाम लेने के जरिए (उपयुक्त प्राधिकार जैसे- पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल से जोड़कर) आपात स्थिति और गैर-आपात स्थिति में 24 घंटे सेवा प्रदान करना है महिला हेल्पलाइन को वन स्टॉप सेंटर से जोड़ दिया जाएगा और सुधार सेवाओं की जरूरत में पड़ी महिला को यहां भेज दिया जाएगा योजना में व्यवस्था है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एक समर्पित सिंगल राष्ट्रीय नंबर के जरिए अपनी वर्तमान महिला हेल्पलाइन का इस्तेमाल करेंगे अथवा उसे आगे बढ़ाएंगे दूरसंचार विभाग, जीओएल ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लघु कोड 181 आवंटित किया है अब तक महिला हेल्पलाइन 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ (यूटी), दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, मिज़ोरम, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में काम कर रही है

मोबाइल फोन पर पैनिक बटन

परेशानी में पड़ी महिला को मदद प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मोबाइल फोनों पर पैनिक बटन लगाने का काम किया मंत्रालय की पहल से बड़ी संख्या में साझेदारों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर पैनिक बटन और मोबाइल फोन में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हैंडसेट नियम 2016, दूरसंचार विभाग ने अधिसूचित किया इस नियम के अंतर्गत सभी नये फीचर वाले फोनों में पैनिक बटन की सुविधा होगी जो न्यूमेरिक 5 अथवा 9 से काम करेगा और सभी स्मार्ट फोन ऑन-ऑफ बटन को तीन बार दबाने पर कनफिगर हो जाएंगे सभी नये मोबाइल फोनों में सेटेलाइट आधारित ओपीएस के जरिए स्थान की पहचान करने की सुविधा होनी चाहिए गृह मंत्रालय के सहयोग से निर्भया कोष के अंतर्गत एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) भी स्थापित किया गया है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए सभी आपात नंबरों को 112 से जोड़ देगा यह पैनिक बटन से भेजे गए परेशानी के सिगनल का जवाब देगा

महिला पुलिस स्वयंसेवी

महिला पुलिस स्वयंसेवी का प्रमुख कार्य महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा जैसे- घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज के लिए उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की जानकारी अधिकारियों/

पुलिस को देना है गृह मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने के लिए अप्रैल 2016 में अपनी सहमति दी

हरियाणा पहला राज्य है जिसने महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को चालू किया इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार ने 14 दिसंबर, 2016 में संयुक्त रूप से करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में शुरू किया अन्य राज्यों द्वारा भी जल्द ही इसे शुरू करने की उम्मीद है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और कडप्पा जिलों में महिला पुलिस स्वयंसेवियों की शुरुआत के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है गुजरात सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण

महिला और बाल विकास मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ पुलिस को लिंग की दृष्टि से और अधिक उत्तरदायी बनाने तथा बल में और अधिक महिलाओं को लाने तथा पुलिस बल में लिंग संवेदनशीलता को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य कर रहा है सभी राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी किया है कि वे पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढाकर कुल क्षमता का 33 प्रतिशत तक करें इसके परिणामस्वरूप 14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आरक्षण बढ़ाया गया है अब तक 8 राज्य बिहार, गुजरात, ओडिशा, नगालैंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और 6 केंद्रशासित प्रदेश-चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुदचेरी पुलिस बल में महिलाओं के लिए इस तरह के आरक्षण को बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर चुके हैं

एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल करना

एसिड हमले का शिकार किसी व्यक्ति के स्थायी नुकसान अथवा उसके बदसूरत होने तथा लगातार इलाज को ध्यान में रखते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आग्रह किया कि नुकसान अथवा बदसूरत होने को विशिष्ट दिव्यांगता की सूची में डाला जाए हाल ही में बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 में एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है एसिड हमले का शिकार व्यक्ति अब दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ ले सकता है

मेट्रीमोनियल वेबसाइट के लिए दिशानिर्देश

मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचना के आधार पर महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर गौर करने और इस दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक ढांचा बनाने का फ़ैसला किया गया मंत्रालय मेट्रीमोनियल वेबसाइट के लिए तत्परता से उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने के लिए पहले ही विस्तृत कार्य कर चुका है और उसने समस्या की सीमा, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था, वर्तमान कानूनी उपायों आदि के बारे में विस्तार से एक अवधारणा-पत्र तैयार कर लिया है जो संबद्ध साझेदारों के बीच बांटा जाएगा बड़े पैमाने पर साझेदारों के आधार पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श शुरू किया गया, मेट्रीमोनियल वेबसाइट के कामकाज के बारे में 6 जून, 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परामर्श जारी किया गया

एनआरआई विवाह विवाद

प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप विदेशों में होने वाले विवाहों के कारण, महिला चाहे भारत में रहती हो अथवा विदेश में, वह परित्याग किए जाने, घरेलू हिंसा, एकतरफा तलाक और बच्चों की रक्षा आदि जैसे मुद्दों का सामना कर रही है चूंकि ये मुद्दे अंतर-देशीय न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों से जुड़ी महिलाओं को दूसरे पक्ष के विदेश में रहने से जुड़ी प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना के अभाव के कारण कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एनएम विवाह विवाद में शामिल महिलाओं के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार की है ये एसओपी महिला द्वारा की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया की धीरे-धीरे सही जानकारी देगा ताकि उसे तेजी से न्याय मिल सके ये अदालत और देशभर के पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रभावी संदर्भ पुस्तिका का काम करेंगे जो ऐसे विवादों की जांच कर रहे हैं अथवा अदालतों में महिलाओं के हितों को रख रहे हैं

लिंग संबंधी बजट बनाने की पहल

लिंग संबंधी बजट बनाना (जेंडर बजटिंग पहल) लिंग को मुख्यधारा में लाने का एक शक्तिशाली औजार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ जितने पुरुषों तक पहुंचते हैं उतने महिलाओं तक भी पहुंचे यह कोई लेखा विधि प्रयोग नहीं है बल्कि बजट तैयार करते समय, उसके आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव/परिणाम आकलन, समीक्षा और लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कदमों पर लिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है देश में लिंग संबंधी बजट बनाने को संस्थागत बनाने के लिए 2007 में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग सेल्स (जीबीसी 5) स्थापित करने का आदेश दिया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग के लिए प्रमुख एजेंसी है जिसने इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आगे ले जाने के लिए अनेक पहल की है अब तक 57 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने जीबीसी की स्थापना कर ली है उम्मीद है कि यह जेंडर बजटिंग पहलों के साथ समन्वय के लिए अंतः और अंतर मंत्रालय स्तर पर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेंगे 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जेंडर बजटिंग नोडल केंद्र निर्दिष्ट कर दिए हैं

जेंडर चैंपियंस

जेंडर चैम्पियन्स पहल शैक्षणिक संस्थानों के जरिए लागू की जा रही है जिससे युवा छात्रों को संवेदनशील बनाया जा सके और कानून, विधि निर्माण, कानूनी अधिकारों और जीवन कौशल शिक्षा के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके जेंडर चैंपियन दिशानिर्देश महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किए हैं और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से अमल में लाया जा रहा है

जेंडर चैंपियन को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 150 विश्वविद्यालयों और 230 कॉलेजों ने जेंडर चैंपियन के कार्यान्वयन की शुरुआत की है

मृत्यु प्रमाण-पत्र पर विधवा का नाम अनिवार्य

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके सभी अधिकार मिलें, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत के महा पंजीयक और राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है ताकि पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र में महिला का नाम लिखना अनिवार्य किया जाए

विधवाओं के लिए आश्रय

यह अब तक की सबसे बड़ी सुविधा है जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और जिसके लिए सरकार धनराशि दे रही है इस आश्रय में 1,000 महिलाओं को रखने की क्षमता है जिसे वृंदावन में करीब 57 करोड़ रुपये (भूमि की कीमत सहित) की लागत से 1.424 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है इस आश्रय का डिजाइन 'हेल्पएज इंडिया' के साथ विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है और यह बुजुर्गों के अनुकूल है

पंचायतों में महिला पंचों का प्रशिक्षण

हालांकि ग्राम पंचायतों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण के अभाव में और पति के लगातार शासन/हस्तक्षेप के कारण ये पंच गांव की बेहतरी के लिए वास्तविक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती हैं इन महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर शक्तिशाली बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 लाख महिला पंचों को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम की पहल की है ग्रामीण विकास मंत्रालय की भागीदारी से मई 2016 से इनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है इस पहल के देश में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आने की उम्मीद है क्योंकि प्रशिक्षित और अधिकारसंपन्न महिला सरपंच सच्चे मायनों में राजनैतिक बदलाव लाने में सक्षम होंगी

प्रशिक्षण में हर स्तर के प्रबंधन के सभी पहलू शामिल हैं जिनमें सरकारी योजनाओं की बुनियादी जानकारी, सामाजिक मुद्दे और उनका समाधान, पंचायत का वित्तीय प्रबंधन, गांव का बुनियादी ढांचा आदि शामिल है यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से लागू की जा रही है अनेक राज्यों में अब 50

प्रतिशत से अधिक पंचायतों में महिला प्रमुख जबकि कानून द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है महिला सरपंचों के पहले बैच के प्रशिक्षण का आयोजन अप्रैल 2017 में झारखंड में किया गया और धीरे-धीरे इसमें सभी राज्यों को शामिल कर लिया जाएगा

मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार

कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर सात महीने करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्य कर रहा था ताकि शिशु को जन्म के बाद छह महीने तक स्तनपान कराया जा सके और इसके बाद पूरक भोजन दिया जाए ताकि कुपोषण के मामले कम हो सकें श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने इस पर विचार किया और कानून में उचित संशोधन किया जो इस प्रकार है:

(i) मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह

(ii) शिशु को गोद लेने वाली और सरोगेट मां के लिए मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी

(iii) कार्यालय/ फैक्टरी परिसर में क्रेच की सुविधा स्थापित करना यह कानून अब मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 कहलाता है

इस विधेयक को राज्य सभा और लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है अब इसे मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 के नाम से जाना जाता है

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कानून लागू करना

कार्यस्थल पर महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है इस संबंध में राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को परामर्श और निगरानी रूपरेखा जारी की जा चुकी है ताकि यौन उत्पीड़न कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, शिकायत पर तेज़ी से जांच हो सके और शिकायतकर्ता का भविष्य में उत्पीड़न रोका जा सके

साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक यौन उत्पीड़न कानून पर एक पुस्तिका तैयार की है और उसे जारी किया है जिसमें आसान शब्दों में कानून के प्रावधान बताए गए हैं सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 के अंतर्गत गठित आतंरिक शिकायत समितियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण मानदंड तैयार किया है इस मानदंड को अपने सेवा नियमों और शर्तों के अनुसार निजी संगठनों द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार किया जा सकता है उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संस्थानों/संगठनों को सूची में शामिल किया है

ग्राम समाभिरूपता और सुविधा सेवा (वीसीईएस)

ग्राम समाभिरूपता और सुविधा सेवा 2015 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सामुदायिक कार्य के जरिए जागरुकता पैदा करना है महिलाओं के मुद्दों पर झुकाव करके उन मुद्दों को सरल बनाने और ग्राम पंचायत और उसकी उप समितियों के साथ निकट सहयोग कायम करके कार्य करने के लिए समर्पित ग्राम संयोजकों का चयन किया जाता है इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार, हिफाजत और सुरक्षा जैसे मुद्दों का समाधान निकाला गया है और सरकार द्वारा लागू योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना तक पहुंच प्रदान की गई है एक स्थान पर सभी सुविधाएं और महिला हेल्पलाइन आदि दी गई है यह सेवा देशभर के लिंग की दृष्टि से नाजुक 100 जिलों से बढ़ाकर 303 जिलों में दी गई है

राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष (रामको) एक सोसाइटी है जिसका पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत किया गया था और इस शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन की स्थापना 1993 में की गई

रामको मध्यस्थ संगठनों (आइएमओ) के जरिए गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जिनमें अन्य के अलावा सेक्शन 25 कंपनियां, एनजीओ शामिल हैं ये इन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया अपनाकर रियायती शर्तों पर आजीविका संबंधी विभिन्न सहायता और कमाई में मदद करते हैं

राष्ट्रीय महिला कोष ने 1500 से अधिक एनओओ/आईएमओ के नेटवर्क के जरिए 7.35 लाख से अधिक गरीब महिला लाभान्वितों के लिए 360.00 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी मंजूरी दी है और 302.00 करोड़ रुपये का वितरण किया है

लक्षित लाभार्थियों में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों जैसे- परंपरागत और आधुनिक हस्तशिल्प से लेकर लघु व्यवसाय जैसे पैटीज़ की दुकान आदि के उद्यमी हैं ऋण रामको की विभिन्न योजनाओं के जरिए मंजूर किए जाते हैं जैसे मुख्य ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन योजना आदि

भारत की महिला प्रदर्शनी/महोत्सव

इस पहल की शुरुआत नवंबर 2014 में की गई ताकि आर्गेनिक महिला कृषक और उद्यमी सीधे बाज़ार से जुड़ सकें ये प्रदर्शनियां/महोत्सव दिल्ली में हो चुकी हैं, ऐसी अनेक प्रदर्शनियों/महोत्सवों का आयोजन दिल्ली से बाहर भी अनेक स्थानों पर किया जा रहा है ऐसी प्रदर्शनियां खासतौर से गांवों की महिला उद्यमियों और किसानों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन्हें बेचने के लिए मंच प्रदान करती हैं ऐसी प्रदर्शनियों/महोत्सवों के माध्यम से महिलाओं को एक-दूसरे से जानकारियां मिलती हैं और वित्तीय समावेशन के जरिए सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उद्यम संबंधी अवसर मिलते हैं

महिला ई-हाट

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई-हाट की मार्च 2016 में शुरुआत की, जो महिला उद्यमियों/ एसएचओ/एनओओ के लिए सीधे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक मंच है यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि यह महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है

राष्ट्रीय महिला नीति

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा अंतिम रूप लेने की अवस्था में है इस नीति में 15 वर्ष बाद संशोधन किया गया है और उम्मीद है कि यह अगले 15-20 वर्ष महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगी यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने, हिंसा, एक उदार माहौल तैयार करने आदि जैसे विस्तृत मुद्दों को सम्मिलित करेगी

बच्चों से जुड़े मुद्दे

लापता/तस्करी किए गए/भागे हुए बच्चों के लिए उठाए गए कदम

i. खोया पाया पोर्टल : बच्चों के संरक्षण के लिए नागरिकों की भागीदारी के लिए एक नया नागरिक पोर्टल 'खोया-पाया' जून 2015 में शुरू किया गया इस पोर्टल में लापता और देखे गए बच्चों के बारे में सूचना डाली जा सकती है यह पोर्टल दो डेटाबेस- लापता और देखे गए बच्चों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है
ii. रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन : महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पथ प्रवर्तक विशेष संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जिसे भागे हुए, छोड़े दिए गए, अपहृत बच्चों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास के लिए रेलवे की सहायता से लागू किया जाएगा 33 प्रमुख रेलवे स्टेशन जो यात्रा की शुरुआत/स्रोत गंतव्य/गाड़ी बदलने वाले स्टेशन हैं, जहां से बच्चों की तस्करी की जाती है, उन्हें लापता बच्चों को छुड़ाने, उनके पुनर्वास और उनकी वापसी की सुविधा से लैस किया गया है रेलवे स्टेशनों पर एनजीओ 5/चाइल्ड हेल्प ग्रुप/चाइल्डलाइन यूनिट होंगे जो बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों को सौंपने अथवा माता-पिता/अभिभावकों की अनुपस्थिति में उनके पुनर्वास के लिए रेलवे स्टेशनों के

साथ कार्य करेंगे

iii. चाइल्डलाइन का विस्तार : चाइल्डलाइन परेशानी में पड़े बच्चों को मुक्त कराने और उनकी सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है पिछले दो वर्षों में, चाइल्डलाइन (हेल्पलाइन संख्या 1098) का विस्तार 316 शहरों से 412 स्थानों पर किया गया है जल्दी ही 100 और शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा विस्तारित पहुंच के साथ चाइल्डलाइन लाखों बच्चों की मदद करने और उनको परिवार से मिलाने में सक्षम हुई है

पीओसीएसओ ई-बॉक्स

बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि यह आमतौर पर किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है वह अपनी शिकायत सुरक्षित और गुमनाम तरीके से कर सकें इसके लिए इंटरनेट आधारित सुविधा ई-बॉक्स प्रदान की गई है यहां बच्चा अथवा उसकी तरफ से कोई भी कम शब्दों में शिकायत दर्ज़ कर सकता है जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, एक प्रशिक्षित काउंसलर तत्काल बच्चे से संपर्क करेगा और उसे सहायता प्रदान करेगा जहां कहीं जरूरत होगी बच्चे की ओर से काउंसलर भी एक औपचारिक शिकायत दर्ज़ कराएगा पीओसीएसओ ई-बॉक्स अगस्त 2016 में शुरू किया गया, ये अब तक 300 शिकायतें प्राप्त कर चुका है और उनसे निपट चुका है

किशोर न्याय

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जेजे मॉडल नियम, 2016) को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया, अतः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (जेजे नियम, 2007) को 1.09.2016 को रद्द कर दिया गया जेजे मॉडल नियम, 2016 इस तर्क पर आधारित है कि बच्चों में सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें एक बार फिर समाज से जोड़ा जाना चाहिए नियम बच्चों की विकास की जरूरतों के लिए सराहनीय है और बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित शुरुआती चिंता है बोर्ड में बच्चों के अनुकूल कार्यप्रणाली शामिल की गई है

जेजे मॉडल नियम, 2016 में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत के लिए बच्चों के अनुकूल विस्तृत प्रक्रियाएं दी गई है इनमें से कुछ प्रकियाओं में शामिल है: किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाए, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाए, बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाए, कानूनी सहायता आदि के बारे में माता-पिता/अभिभावक को जानकारी दी जाए किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत को चाहिए कि वे बच्चे का तनाव कम करें और बच्चे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उससे पूछे गए सवालों को समझने के बाद उसे बिना किसी डर के सच्चाई और परिस्थितियां बताने के लिए प्रोत्साहित करें

जेजे मॉडल नियम, 2016 में किशोर न्याय प्रणाली बच्चे की प्रगति की समीक्षा करने और उसे पर्याप्त पुनर्वास और वापसी की सेवा देने के लिए विभिन्न नई विधियों को शामिल किया गया है कुछ नई विधियां हैं- मामला निगरानी शीट, बच्चे की देखभाल की विस्तृत योजना, बच्चे की देखभाल करने वाले संस्थान के पंजीकरण का आवेदन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट आदि इसके अलावा निगरानी के प्रावधान मजबूत बनाए गए हैं

विस्तृत दत्तक ग्रहण सुधार

- सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 को अधिसूचित कर दिया और इस कानून का अध्याय अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने तथा साथ ही रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है
- इस कानून में बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की गई है इसके अनुसार रिश्तेदारों के गोद लेने सहित सभी दत्तक ग्रहण की जानकारी देश में देनी पड़ेगी
- साथ ही कानून के अंतर्गत सभी दत्तक ग्रहण केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे
- इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का पुनर्गठन कर उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नाम दिया गया है

कानूनी दत्तक ग्रहण कारा और कैरिंग्स के जरिए ही होता है कारा की कार्यक्रम गतिविधियों में शामिल है- विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां और बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों के संपर्क, अक्षम बच्चों के नियोजन को बढ़ावा, कठिनाई से रखे जाने वाले बच्चों के लिए तत्काल नियोजन मानदंड, परामर्श केंद्र, प्रशिक्षण और विकास

सरकार ने 4.01.2017 को दत्तक ग्रहण नियम अधिसूचित किए और जेजे कानून, 2015 के अनुच्छेद 2 की धारा (3) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 68 की धारा (सी) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और बच्चों को गोद लेने के लिए संचालन दिशानिर्देश 2015 के स्थान पर 16.01.2017 से ये प्रभावी हो गए

i. भारत में कहीं भी बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है
ii. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और दिशानिर्देश प्रणाली (कैरिंग्स) कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के लिए कारा का एकमात्र सरकारी पोर्टल है
iii. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2015 की धारा 80 और 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के कार्य में शामिल है उसे दंडित किया जाएगा
iv. किसी बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेकर, आप गैर-इरादतन बच्चों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं
v. गोद लेना एक सामाजिक-कानूनी प्रकिया है और इसमें दलालों/बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं
vi. दत्तक ग्रहण नियमों में देश में और दूसरे देश से क्यूएएस (अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित) बच्चों को गोद लेने का प्रावधान है
vii. देश के भीतर और विदेश में रिश्तेदार द्वारा गोद लेने के संबंध में प्रक्रिया नियमों में परिभाषित की गई है
viii. सौतेले बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था की गई है
ix. नियमों में 32 अनुसूचियां संलग्न हैं इनमें अदालत में दायर किए जाने वाला आदर्श दत्तक ग्रहण आवेदन भी शामिल है और इससे अदालत का आदेश प्राप्त करने में होने वाली देरी भी समाप्त हो सकेगी

राष्ट्रीय पोषण मिशन

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है यह कार्य तीन वर्ष की अवधि में एक नियत समय के भीतर बच्चों (0-3 वर्ष) में अल्प-पोषण को कम करना; बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया को कम करना; महिलाओं और किशोर लड़कियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया की व्यापकता कम करना और जन्म के समय कम वजन के मामले घटाना

आंगनबाड़ी सेवा

समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, जिसे अब आंगनबाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 1975 में हुई थी इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना; बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखना; मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की घटनाओं को कम करना; बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन; और मां की क्षमता बढ़ाना ताकि वह उपयुक्त पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान दे सके इस योजना के लाभार्थियों में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं यह योजना खुद चुनी जा सकती है और बिना किसी शर्त के सभी लाभार्थियों के लिए खुली है उपरोक्त उद्देश्यों को आईसीडीएस योजना के अंतर्गत

एडब्ल्यूडब्ल्यू5/एडब्ल्यूएच द्वारा छह सेवाओं यानी पूरक पोषण, प्री-स्कूल और गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान कर हासिल किया जा सकता है सेवाओं का पैकेज प्रदान करने की अवधारणा प्रमुख रूप से इस बात पर आधारित है कि कुल मिलाकर इसका प्रभाव काफी विशाल हो सकता है यदि विभिन्न सेवाओं को समन्वित तरीके से विकसित किया जाए क्योंकि किसी विशेष सेवा की क्षमता संबद्ध सेवाओं से मिलने वाली सहायता पर निर्भर करती है तीन सेवाएं देशभर में फैली 14 लाख आंगनबाड़ियों के जरिए प्रदान की जा रही हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4,5,6 और 7 आईसीडीएस पर लागू है क्योंकि ये धाराएं कुपोषित बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने का प्रावधान करती हैं कानून के प्रावधानों के अनुसार, आईसीडीएस के अंतर्गत एसएनपी प्रदान करने के नियम 2017 में अधिसूचित कर दिए गए हैं

आंगनबाड़ी के बुनियादी ढांचे में सुधार

सरकार आंगनबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) को आकर्षक बचपन विकास केंद्र के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती शिक्षा की पहली ग्राम चौकी होगी पहले से तय उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आईसीडीएस योजना में सुधार और इसे मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन और संस्थागत क्षेत्र शामिल हैं

पूरक पोषण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), 2013 में शामिल प्रावधानों का पालन करते हुए, मंत्रालय ने पूरक पोषण (समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत) नियम, 2017 में अधिसूचित किया ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशु के जन्म के बाद स्तनपान कराने वाली माता को 6 महीने के लिए और 6 महीने से 6 वर्ष (कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों सहित) की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को इस कानून में अनुसूचित पोषण मानकों के अनुसार एक वर्ष में 300 दिन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकार के अनुसार पूरक पोषण मिल सके खाद्यान्न और भोजन की पात्रता मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर पात्र व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से उतने समय और तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जो केंद्र सरकार ने दिया हुआ है

आईसीडीएस प्रणाली

महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अमल में ला रहा है जो देश के 8 राज्यों के 162 अत्यधिक बोझ वाले जिलों की सहायता कर रहा है जहां निम्नलिखित परियोजना विकास उद्देश्यों के साथ 368 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं: (i) समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) नीतिगत ढांचे, प्रणाली और क्षमताओं को मजबूत बनाने, सामुदायिक कार्य को आगे बढ़ाने, तीन वर्ष की आयु के भीतर आने वाले बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना; (ii) बेहतर पोषण नतीजों के लिए सम्मिलित कार्यों को मजबूत करना आईसीडीएस प्रणाली को मजबूत बनाने और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) में एक प्रमुख गतिविधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम आईसीडीएस की रियल टाइम मॉनीटरिंग (आईसीटी-आरटीएम) प्रणाली स्थापित करना है ताकि सेवा डिलीवरी तंत्र में सुधार हो सके और चुने हुए राज्यों के आंगनबाड़ी केंद्रों में विशिष्ट रूप से निर्मित आईसीडीएस-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) मोबाइल सॉल्यूशन तैनात करके आईसीडीएस योजना की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आईसीडीएस सीएएस के साथ लगे मोबाइल डिवाइस के जरिए उनके द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में जानकारी डालते हैं इस सूचना तक महिला सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, राज्य कार्यालय और केंद्रीय स्तर की पहुंच होती है

आईसीडीएस और सहायक प्रणाली की आईटी सक्षम वास्तविक समय जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) के डिजाइन, विकास और उसके असरदार तरीके से इस्तेमाल के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए फलस्वरूप, बीएमजीएफ ने एक विशिष्ट रूप से निर्मित कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) विकसित किया

किशोर लड़कियों के लिए योजना

किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी) 2010-11 में शुरू की गई और यह देशभर के 205 चुने हुए ज़िलों में काम कर रही है इसका उद्देश्य प्रारंभिक आधार पर 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों का चौतरफा विकास करना है यह योजना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के जरिए लागू की जा रही है जिसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच (कानून के साथ) 50:50 के अनुपात में पोषण के लिए है और शेष घटकों के लिए यह अनुपात 60:40 है आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) तथा विशेष श्रेणी वाले तीन हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड) के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 होगी केंद्रशासित प्रदेशों (बिना विधान वाले) को शत-प्रतिशत धनराशि अथवा वास्तविक खर्च दिया जाता है जो भी कम हो आंगनबाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) सेवाओं की डिलीवरी का प्रमुख बिंदु है इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं- पोषण प्रदान करने वाले और पोषण नहीं प्रदान करने वाले पोषण प्रदान करने वाले घटक में, स्कूल से निकली किशोर लड़कियां (11-16 वर्ष) जो एडब्ल्यूसी जा रही है और सभी लड़कियों (14-18 वर्ष) को घर ले जाने के लिए राशन/गर्म पके हुए भोजन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है प्रत्येक किशोर लड़की को एक वर्ष में 300 दिन रोजाना 600 कैलरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रीएन्ट्स (जो आहार संबंधी अनुशंसित अंश का करीब एक तिहाई है) प्रदान किए जाते हैं पोषण गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता (पी और एल) के लिए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है पोषण प्रदान करने वाले घटक का उद्देश्य किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण अवस्था में सुधार लाना है जबकि पोषण नहीं प्रदान करने वाला घटक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करता है पोषण नहीं प्रदान करने वाले घटक में, 11-18 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को आईएफए सप्लीमेंटेशन, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, किशोरी को प्रजनन संबंधी यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) काउंसलिंग/परिवार कल्याण के बारे में दिशानिर्देश, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के बारे में दिशानिर्देश और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए) प्रदान किया जाता है इस योजना का एक और उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को मुख्यधारा में लाकर स्कूल व्यवस्था में शामिल करना है

जंक फूड दिशानिर्देश

जंक फूड दिशानिर्देश तैयार किए गए और इन्हें लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों से आग्रह किया कि वे इनका पालन करें इसके पश्चात मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करे दिशानिर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया कि विक्रेताओं/रेहड़ी-पटरी वालों को किसी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में स्कूल के समय के दौरान जंक फूड बेचने की इज़ाज़त नहीं दी जाए दिशानिर्देशों में ऐसे उपयुक्त भोजन की सूची प्रदान की गई थी जो स्कूल कैंटीन में बेचे जा सकते हैं

खाद्य और पोषण बोर्ड की प्रमुख पहलें

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी) 4 खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है ये हैं: फरीदाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला और मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में 3 क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जहां खाद्य सुरक्षा के लिए भोजन और पूरक पोषण का विश्लेषण किया जाएगा और आईसीडीएस योजना में पूरक पोषण के पोषण और भोजन संबंधी नियम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को गंभीरता से लेते हुए भोजन में अतिरिक्त सामग्री के जरिए इस समस्या को दूर करने के लिए पहल की इस संबंध में, भोजन में अतिरिक्त सामग्री के बारे में एक विस्तृत नियम बनाया गया जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक (भोजन का सुदृढ़ीकरण) नियमन, 2016 नाम दिया गया इसका संचालन एफएसएसएम कर रहा है जो प्रमुख मूल खाद्यानों गेहूं का आटा, चावल, दूध, खाने का तेल और नमक के सुदृढ़ीकरण मानक तय करता है सुदृढ़ीकृत खाद्यानों के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी

दिया गया है

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनपीएसी) 2016 राष्ट्रीय बाल नीति में अभिन्न अंग के रूप में शामिल सिद्धांतों पर आधारित है कार्ययोजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं; जीवित रहना, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण और भागीदारी एनपीएसी का कार्य सुनिश्चित करना है कि वर्तमान कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए और नये कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए ताकि पूर्णतः स्पष्ट रणनीतियों और क्रियाकलापों के जरिए लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा सके जिससे बच्चों के लिए वांछित नतीजे हासिल किए जा सकें

लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण

भारत सरकार ने लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण (डीबीटी) को अपनाया और सेवाएं देने, व्यक्तियों और समूहों को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ अथवा सब्सिडी देने के लिए लाभार्थियों की पहचान के रूप में आधार का इस्तेमाल किया जहां भारत की जमा राशि खर्च होती है अपनी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यान्वयन के लिए 15 योजनाओं/घटकों की पहचान की है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने के लिए, मंत्रालय ने एक पोर्टल pmmvy-cas.nic.in शुरू किया है यह पोर्टल स्थानीय सरकार निदेशक कोड (एलजीडी) से भी जुड़ा हुआ है जो स्थान को भी रिकॉर्ड करता है

सोशल मीडिया में भी मौजूदगी

मंत्रालय फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर भी सक्रिय है जिसके लाखों फॉलोअर हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों, सकारात्मक नज़रिया देने और आचरण में बदलाव जैसे विषयों पर आम जनता के बीच जागरुकता पैदा करना है इस माध्यम का इस्तेमाल सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करने के लिए भी किया जा रहा है ताकि नागरिकों की प्रतिबद्धता बढ़ाई जा सके सरकार के नागरिकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की पहुंच और शक्ति का इस्तेमाल करने के समान, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मदद शुरू कर दी है जहां महिलाएं और बच्चे अपनी शिकायतें भेज सकते हैं मंत्रालय एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी चला रहा है जो देशभर से महिलाओं और बच्चों की ई-मेल के जरिए मिलने वाली सीधी शिकायतों को दर्ज करता है और उनका जवाब देता है

29 युवा मामले और खेल



देश की आबादी में युवा सबसे ऊर्जावान और सक्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है यहां लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है देश की आबादी का 27.5 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का है अनुमान है कि 2020 तक भारत की आबादी की औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी जनसंख्या का यह हिस्सा अपार अवसर प्रदान करता है इस जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति में वृद्धि करते रहने की क्षमता होना जरूरी है साथ ही युवाओं के पास उचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता तथा अन्य योग्यताएं व क्षमताएं भी होनी चाहिए ताकि वे अर्थव्यवस्था में लाभकारी ढंग से योगदान कर सकें भारत सरकार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में निवेश करती है

राष्ट्रीय युवा नीति

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 को फरवरी 2014 में लागू किया गया था इसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था 2014 की नीति को सभी संबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था इस नीति में 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है

वेबसाइट: www.yas.nic.in

युवाओं के लिए योजनाएं

युवा मामले विभाग, युवाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है इनमें कुछ योजनाओं पर सालाना 10 करोड़ रुपये से कम खर्च किया जाता है इन योजनाओं की उपयोगिता में सुधार के लिए, इनका विलय कर केवल एक योजना तैयार करने की अनिवार्यता महसूस की गई, जो विभाग की सर्वोत्कृष्ट योजना की तरह काम कर सके इससे इन योजनाओं के बीच एक बेहतर तालमेल कायम किया जा सकेगा और इस तरह, इनकी प्रभाविता में सुधार कर, मौजूदा संसाधनों के साथ बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद मिलेगी

विभाग ने सभी योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण करने का व्यापक बीड़ा उठाया है जो अब निम्नलिखित तीन सर्वोत्कृष्ट योजनाओं के तहत युवा मामले विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं:

क्र.सं.	पूर्व योजना का नाम	नई योजनाओं का नाम
1.	नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)	इन योजनाओं का एक नई योजना (अंब्रेला स्कीम) में विलय हुआ जिसे राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) नाम दिया गया है
2.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	
3.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	
4.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	
5.	युवा छात्रावास (वाईएच)	
6.	स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता	
7.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एनडीएस)	
8.	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)	
9.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम

नेहरू युवा केंद्र संगठन

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की स्थापना 1972 में की गई थी यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है लगभग 87 लाख युवा, 3.04 लाख युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से इस संस्थान ने नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से 623 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व को निखारना, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगाना है संस्थान साक्षरता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वच्छता, साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरुकता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्व-रोज़गार, उद्यमशीलता विकास, नगर विषयक शिक्षा, आपदा राहत और पुनर्वास जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक और अभिप्रेरित होते हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों से सामाजिक विकास कार्यों के प्रति समर्पित भी होते हैं

राष्ट्रीय युवा कोर

राष्ट्रीय युवा कोर योजना 2010-11 में शुरू की गई थी इसे राष्ट्रीय युवा केंद्र संस्थान के माध्यम से लागू किया जा रहा है इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह बनाना जिनका झुकाव और जज्बा राष्ट्र निर्माण के कार्यों के प्रति है; समावेशी विकास (सामाजिक और आर्थिक) हासिल करने में मदद करना; अपरिवर्तक समूह और साथी समूह शिक्षक के रूप में कार्य करना; विशेषकर लोकाचार, सत्यनिष्ठा और श्रम की गरिमा की दृष्टि से युवा साथियों के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में कार्य करना

इस योजना के तहत 18 से 25 वर्ष के युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में अधिकतम दो वर्ष के लिए राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगाया जाता है इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास है इन्हें प्रारंभ में प्रतिमाह ढाई हजार रुपये मानदेय दिया जाता था जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है इनका चयन एक चयन समिति करती है, जिसका प्रमुख संबद्ध जिले का जिला कलेक्टर या उपायुक्त होता है स्वयंसेवकों को नियुक्ति के तुरंत बाद 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरे वर्ष में सात दिन का

पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है सामान्यतः प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वयंसेवक नियुक्त किए जाते हैं ये ब्लॉक में राष्ट्रीय युवा केंद्र संस्थान की विस्तारिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) 1969 में शुरू की गई थी इसका प्रमुख उद्देश्य स्वैच्छिक समाज सेवा के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है इस योजना का लक्ष्य 'सेवा के माध्यम से शिक्षा' है योजना का सिद्धांत महात्मा गाँधी के आदर्शों पर आधारित है इसका आदर्श वाक्य 'मैं नहीं, बल्कि आप हैं ' इसके स्वयं सेवक, अपने से अधिक, समुदाय को अहमियत देते हैं योजना का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में इन गुणों/क्षमताओं का विकास करना है- उस समुदाय को समझना जिसमें स्वयंसेवी काम करते हैं और उस समुदाय के संबंध में स्वयं को समझना; समुदाय की जरूरतों तथा समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना; अपने में सामाजिक तथा नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना; व्यक्तियों और समुदाय की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना; समुदाय को भागीदार बनाने का कौशल हासिल करना और राष्ट्रीय अखंडता तथा सामाजिक सद्भावना पर अमल करना

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है इसकी स्थापना समिति पंजीकरण कानून, 1975 के तहत 1993 में की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 में इसे 'डे-नोवो' श्रेणी के अंतर्गत विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा दिया यह संस्थान एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कई प्रकार के कार्य करता है यह देशभर में विस्तार और पहुंच पहल के अलावा स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है, युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अनुसंधान करता है और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाता है

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) 2008 से लागू किया गया था इसके अंतर्गत युवाओं और किशोरों के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है यह सहायता इन पांच प्रमुख घटकों के लिए दी जाती है- युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण; राष्ट्रीय अखंडता संवर्द्धन; साहसिक कार्य संवर्द्धन-तेजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार; किशोरों का विकास तथा सशक्तिकरण और तकनीकी तथा संसाधन विकास

राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल

एनपीवाईएडी के राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ावा कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन (12 जनवरी) मनाने के लिए, प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, यह नेशनल यूथ डे (राष्ट्रीय युवा दिवस) के रूप में मनाया जाता है यह फेस्टिवल उस राज्य में आयोजित किया जाता है जो इसे मनाने को इच्छुक हो तथा जिसके पास पर्याप्त संसाधन हों केंद्र और आयोजन करने वाला राज्य इसका खर्च बांटते हैं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों (प्रतियोगी व गैर-प्रतियोगी दोनों) सहित इस कार्यक्रम में युवा सम्मेलन, सुविचार, प्रदर्शनियां, रोमांचक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं इस फेस्टिवल में विभिन्न राज्यों, देश के संघ प्रशासित राज्यों से लगभग 5,000 युवा शामिल होते हैं

यूथ हॉस्टल

यूथ हॉस्टलों का निर्माण युवाओं को भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जान सकें इनका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है केंद्र सरकार इनके निर्माण में आए खर्च का वहन करती है तो राज्य सरकारें पूरी तरह विकसित जमीन

निःशुल्क उपलब्ध कराती है राज्य सरकारें जलपूर्ति, बिजली कनेक्शन और सड़क संपर्क की व्यवस्था भी करती है यूथ हॉस्टल ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों, शिक्षण केंद्रों और पर्यटन स्थलों में बनाए गए हैं ये हॉस्टल युवाओं को उचित दर पर ठहरने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं मौजूदा 83 हॉस्टलों में से 11 को नेहरू युवा केंद्र संस्थानों, भारतीय खेल प्राधिकरण और संबद्ध राज्यों को हस्तांतरित किया गया है ताकि युवा इनका अधिकतम इस्तेमाल कर सकें और खेलों का विकास हो सके शेष 72 हॉस्टल सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में हैं

स्काउट और गाइड संगठनों की सहायता

विभाग, स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता देता है ताकि देश में स्काउट और गाइड आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके यह एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य युवा लड़कों-लड़कियों में राष्ट्र भक्ति तथा सेवा की भावना पैदा करना और आदर्शवाद, विश्वास तथा चरित्र का निर्माण करना है स्काउट और गाइड संगठनों को प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उत्सवों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है इनकी अन्य गतिविधियों में प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जागरुकता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई को बढ़ावा देना शामिल हैं

खेल

मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में खेलों को हमेशा एक अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है मनोरंजन और शारीरिक फिटनेस का माध्यम होने के अलावा, खेल ने समुदाय के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जुड़ाव की भावना पैदा करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है खेलों में प्राप्त उपलब्धियां हमेशा राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत रही हैं आधुनिक खेलों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की वजह से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक आधारभूत ढांचा, उपकरण और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग ने खेलों के परिदृश्य को बदल दिया है उन्नत आधारभूत ढांचा, उपकरण और वैज्ञानिक सहायता के लिए बढ़ती मांगों के अनुरूप, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और वैज्ञानिक व उपकरणों के सहयोग द्वारा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के जरिए खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है

राष्ट्रीय खेल नीति

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में मुख्य रूप से खेलों में उत्कृष्टता के विस्तार और प्रचार की परिकल्पना की गई है इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं: (1) खेलों का व्यापक विस्तार और विशिष्टता हासिल करना, (2) आधारभूत ढांचे का उन्नयन और विकास, (3) राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन तथा सहयोग, (4) खेलों में वैज्ञानिक और कोचिंग समर्थन को सुदृढ़ करना, (5) खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, (6) महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, (7) खेलों के प्रचार-प्रसार में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी और (8) बड़े पैमाने पर जनता में खेलों के प्रति जागरुकता व रुचि पैदा करना

भारतीय खेल प्राधिकरण

1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की स्थापना मुख्य रूप से 1982 में हुए (एशियाड) एएसआईएडी के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलों के बुनियादी ढांचे के प्रभावी ढंग से रख-रखाव और उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी अब यह देश में खेलों का व्यापक रूप से विस्तार करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली एक नोडल एजेंसी है 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी (सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (एसएनआईपीईएस) का एसएआई के साथ विलय कर दिया गया इसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला और बंगलुरु, कोलकाता और गांधीनगर में इसके सहयोगी केंद्रों और तिरुवनंतपुरम स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक व्यायाम शिक्षा विद्यालय (लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन) एसएआई के तहत आ गया अब इसके बंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, सोनीपत,

भोपाल, इंफाल, चंडीगढ़ और लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र हैं एसएआइ शिल्लारू (हिमाचल प्रदेश) में एक उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण केंद्र (हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर-एचएटीसी) का भी संचालन करता है एसएआई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सब-जूनियर, जूनियर और वरिष्ठ स्तरों पर, जैसे- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), आर्मी ब्वॉयज स्पोर्टस कंपनी (एबीएससी), एसएआई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और विशेष क्षेत्रीय खेलों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है विशिष्ट वर्ग के खिलाड़ियों के लिए एसएआई ने अपने प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्रों में विशिष्टता केंद्र स्थापित किए हैं एक विशिष्टता केंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में भी स्थापित किया गया है एकल अनुशासन आधार पर खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 14 से 25 वर्षों के आयु वर्ग में संबंधित खेल अनुशासन में खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से एसएआई द्वारा राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना की गई है इस योजना में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों की परिकल्पना की गई है जिसमें उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं, उपकरण, आवश्यक खेल विज्ञान बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रशिक्षार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य प्रशिक्षक होंगे 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पर्याप्त लागत पर नवीनीकरण किए गए अपने पांच स्टेडियम का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2011 में 'आओ और खेलो योजना' शुरू की एसएआई स्टेडियम में नामित क्षेत्रों जैसे- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज, डॉ. एस.पी.एम, तैराकी पूल परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (जिमनास्टिक, कुश्ती और साइकलिंग वेलोड्रोम) को 2011 में स्थापित (प्रतिभाशाली) खिलाड़ियों को और नए उभरते खिलाड़ियों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षण देने के लिए खेलों में भाग लेने और स्टेडियम के इष्टतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खोला गया था

दिल्ली में इस योजना की सफलता के बाद, एसएआई ने स्थानीय युवाओं को इन केंद्रों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का उपयोग और कोचिंग प्रदान करने, खासतौर पर नए उभरते खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2011 से पूरे देश में फैले अपने सभी केंद्रों में 'आओ और खेलो योजना' की शुरुआत की

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान

आरंभ में इस संस्थान की स्थापना एक कॉलेज के रूप में 1957 को हुई थी यह भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई का शताब्दी वर्ष था यह विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संस्थान द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलों में दिए जाने वाले योगदान को एक पहचान देने के लिए इसे 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी (समकक्ष विश्वविद्यालय) में उन्नयन किया गया लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) को भारत सरकार से पूरी वित्तीय सहायता मिलती है संस्थान निम्नलिखित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है: (1) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीई), (4 वर्षीय डिग्री कोर्स), (2) शारीरिक शिक्षा में स्नात्तकोत्तर की डिग्री (एमपीई), (2 साल का कोर्स), (3) शारीरिक शिक्षा में एम फिल शिक्षा (1 वर्षीय पाठ्यक्रम) और (4) शारीरिक शिक्षा में पीएचडी इनके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा निम्नलिखित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं: (क) साहसिक खेल, (ख) विशेष खेल, (ग) युवा कार्यक्रम, (घ) सूचना प्रौद्योगिकी, (ङ) खेल कोचिंग, (च) योग और वैकल्पिक उपचार, (छ) खेल प्रबंधन और (ज) खेल पत्रकारिता यह संस्थान पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है इस संस्थान में विदेशों से भी छात्र आते हैं एलएनआईपीई का एक उत्तर पूर्वी परिसर गुवाहाटी (असम) में भी स्थापित किया गया जो 2010-11 से काम कर रहा है

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी)

उत्तर पूर्वी राज्यों और विशेष रूप से मणिपुर के खिलाड़ियों की प्रतिभा और योगदान को एक पहचान देने के लिए, भारत सरकार ने मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है मणिपुर सरकार ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए पश्चिम इंफाल जिले में 325.90 एकड़ भूमि

प्रदान की है इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को अपनाकर चुनिंदा खेल शिक्षणों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करने के अलावा, यह विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के विभिन्न क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला यह अपनी तरह का एकमात्र विश्वविद्यालय है

विश्वविद्यालय विभिन्न शिक्षणों में खेल कोचिंग, खेल विज्ञान, और शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नात्तकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा भविष्य में विभिन्न खेल शिक्षा और कोचिंग विषयों में विशिष्ट डिग्री कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है अकादमिक सत्र 2018-2019 से, एमएससी (स्पोर्टस कोचिंग-खेल कोचिंग) और एमए (स्पोर्ट्स साइकोलॉजी-खेल मनोविज्ञान) को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है

खेलो इंडिया

युवा मामले और खेल मंत्रालय 2008-2009 से 2013-14 तक पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहे थे इस योजना का उद्देश्य गांव और ब्लॉक / पंचायत स्तरों पर विकास के द्वारा आधारभूत खेल संरचनाओं को निर्मित करना और वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के संचालन के माध्यम से खेल के मैदानों के रखरखाव और खेल में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए प्रेरित करना था

अलग से, एक शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (यूएसआईएस) की भी 2010-11 में शुरुआत की गई थी जो 2015-16 तक चलती रही पीईकेकेए योजना की मध्यावधि की समीक्षा की गई उसके अनुसार, 2014-15 से 2015-16 के दौरान राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के रूप में इस योजना की समीक्षा और संशोधन किया गया था जिसमें सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से इनडोर और आउटडोर दोनों खेल सुविधाओं को शामिल करते हुए और खंडों (ब्लॉक) की प्रतिस्पर्धाओं को उन्नत बनाते हुए , ब्लॉक स्तर के खेल परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई थी वर्तमान में जारी योजना राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), शहरी खेल आधारभूत संरचना योजना (यूएसआईएस) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम (एनएसटीएसएसपी) को समाहित करने के बाद 2016-2017 के दौरान एक नई समग्र योजना 'खेलो इंडिया' शुरू की गई थी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खेल विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ बहुत विचार-विमर्श करने के बाद नवीकृत 'खेलो इंडिया' को विकसित किया गया है यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है नवीकृत खेलो इंडिया में बारह घटक हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के दो लक्ष्यों को हासिल करना है ये लक्ष्य हैं- खेलों का आधार व्यापक बनाना और खेलों में श्रेष्ठता हासिल करना इससे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इससे वे लाभ भी मिल सकेंगे जो खेल प्रदान करता है अर्थात्, बच्चों और युवाओं का विकास, सामुदायिक विकास, लड़के-लड़की में समानता, स्वस्थ राष्ट्र, राष्ट्रीय गौरव और खेल विकास संबंधी आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी

इसके 12 घटक हैं: प्ले फील्ड डेवलपमेंट, सामुदायिक कोचिंग डेवलपमेंट, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज और विकास, उपयोग और निर्माण/खेल बुनियादी ढांचे का उन्नयन, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को सहयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शारीरिक फिटनेस, महिलाओं के लिए खेल, विकलांग व्यक्तियों में खेल का प्रचार, शांति और विकास के लिए खेल और ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा

खेलों में उत्कृष्टता का प्रचार

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को देश में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाने, विदेशों में आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, खेल संबंधी उपकरणों की खरीद और विदेशी प्रशिक्षक (कोच) की नियुक्ति आदि हेतु को सहायता उपलब्ध कराती है

खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना

प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना के पूर्ण रूपेण संशोधन के बाद 2013-14 में खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रबंधन के अकादमिक (शैक्षिणक) और बौद्धिक पक्ष को, योग्य अभ्यर्थियों को खेलों से संबंधित ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें अभी तक अपर्याप्त मानव संसाधन हैं, में परा-स्नातक (मास्टर्स) और शोध (डॉक्टरेट) स्तर हेतु विशिष्ट अध्ययन के लिए फैलोशिप प्रदान करते हुए महत्व देना है यह योजना प्रशिक्षण/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों (कोच), तकनीकी और सहायक कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराती है

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की स्थापना 1998 में केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी / कॉरपोरेट क्षेत्र और अनिवासी भारतीयों सहित सरकार के संसाधनों के साथ-साथ गैर-सरकारी स्रोतों से धन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी इस कोष में योगदान देने को आकर्षक बनाने के लिए, इसमें आयकर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है एनएसडीएफ के तहत उपलब्ध कोष का इस्तेमाल खेलों का प्रचार करने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष खेल शिक्षणों तथा खिलाड़ियों को श्रेष्ठता हासिल करने, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों को संबंधित खेल क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने, खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को उपकरणों की आपूर्ति करने, समस्याओं की पहचान करने और खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन शुरू करने आदि के लिए किया जाता है

खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं

खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं भी लागू की जाती हैं

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

1991-92 में खिलाड़ियों के स्तर को बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मान और एक पहचान दिलवाने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत, जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाना है, उससे पहले चार साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है

2018 के लिए, यह पुरस्कार भारोत्तोलन के लिए श्रीमती सैखोम मीराबाई चानू और क्रिकेट के लिए श्री विराट कोहली को दिया गया है

अर्जुन पुरस्कार

अजुर्न पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी इस पुरस्कार को पाने के लिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है, वरन् जिस साल पुरस्कार की सिफारिश की गई हो, उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन विशिष्ट होना चाहिए इसके अलावा, उस खिलाड़ी में नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का गुण भी होना चाहिए पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं 2018 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 20 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया था

ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

यह पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान किया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद

भी वे खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं इस पुरस्कार में विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं 2018 के लिए यह पुरस्कार चार खिलाड़ियों को दिया गया था

द्रोणाचार्य पुरस्कार

इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में उन प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय नतीजे हासिल करने में सक्षम बनाया है पुरस्कार विजेता को गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाणपत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख नकद दिए जाते हैं 2018 के लिए आठ लोगों को विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए यह पुरस्कार दिया गया

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी

यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुई थी अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (माका) ट्रॉफी प्रदान की जाती है यह ट्रॉफी एक रोलिंग ट्रॉफी है जो पिछले विजेता से नए विजेता के पास जाती है माका ट्रॉफी का एक छोटा प्रतिरूप भी विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसे वे अपने पास रखता है 2018 के लिए यह ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ने जीती

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से, सरकार ने 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है इसमें चार श्रेणियां है: उभरती/युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोज़गार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल इन सभी श्रेणियों में इस पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा-पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है

2018 के लिए, तीन श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिए गए- उभरते/युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेल के लिए प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोज़गार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

यह योजना 1986 में बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को खेल को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है इसके तहत, एक साल के दौरान आयोजित मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को निम्न दरों के आधार पर विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं:

(क) श्रेणी *:* ओपन श्रेणी खेल

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	ओलंपिक खेल (ग्रीष्म एवं शीतकालीन)	75 लाख	50 लाख	30 लाख
2.	एशियाई खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
3.	राष्ट्रमंडल खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
4.	विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप (प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित)	40 लाख	25 लाख	15 लाख
5.	विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप (दो वर्ष में एक बार आयोजित)	20 लाख	14 लाख	8 लाख
6.	विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप (एक वर्ष में एक बार आयोजित)	10 लाख	7 लाख	4 लाख
7.	एशियाई चैंपियनशिप (चार वर्ष में एक बार)	15 लाख	10 लाख	5 लाख
8.	एशियाई चैंपियनशिप (दो वर्ष में एक बार)	7.5 लाख	5 लाख	2.5 लाख
9.	एशियाई चैंपियनशिप (एक वर्ष में एक बार)	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख
10.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (चार वर्ष में एक बार आयोजित)	15 लाख	10 लाख	5 लाख
11.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (दो वर्ष में एक बार आयोजित)	7.5 लाख	5 लाख	2.5 लाख
12.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (हर वर्ष आयोजित)	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख
13.	अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख

(ख) श्रेणी : पैरा-स्पोर्ट्स

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	पैरा ओलंपिक खेल (ग्रीष्म एवं शीतकालीन)	75 लाख	50 लाख	30 लाख
2.	पैरा एशियाई खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
3.	राष्ट्रमंडल खेल (पैरा एथलेटिक्स)	30 लाख	20 लाख	10 लाख
4.	आईपीसी विश्व कप/चैंपियनशिप (दो साल में एक बार आयोजित)	20 लाख	14 लाख	8 लाख
5.	आईपीसी विश्व कप/चैंपियनशिप (साल में एक बार आयोजित)	10 लाख	7 लाख	4 लाख

(ग) श्रेणी : दृष्टिबाधितों के खेल

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	आईबीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप	10 लाख	7 लाख	4 लाख

(घ) श्रेणी : बधिरों के लिए खेल

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	बधिर ओलंपिक खेल	15 लाख	10 लाख	5 लाख

(ड) श्रेणी : विशेष ओलंपिक खेल

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	विशेष ओलंपिक (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन)	5 लाख	3 लाख	1 लाख

(च) श्रेणी : दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप (चार साल में आयोजित)	5 लाख		

प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, उसके प्रशिक्षक को उसकी 50 फीसदी राशि पुरस्कार में दी जाती है यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हों तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांटा जाता है

शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना

यह योजना 1994 में शुरू की गई थी इस योजना के अनुसार, वे खिलाड़ी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों और पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवनभर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं अप्रैल 2018 से पेंशन की दरें दोगुनी हो गई हैं पेंशन की बढ़ी हुई दरें निम्नानुसार है:

क्र सं	शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन दर (रुपये/प्रति माह)
(क)	ओलंपिक खेलों/पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	20,000
(ख)	ओलंपिक में विश्व कप/ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता*	16,000
(ग)	ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप के रजत और कांस्य पदक विजेता	14,000
(घ)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	14,000
(ड)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता	12,000

* चार साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप को ही माना जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

वर्ष 2017 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष कर दिया गया था इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी, ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने वाले उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके जो इस समय गरीबी का जीवन जी रहे हैं खिलाड़ियों और उनके परिवार को यह सहायता प्रशिक्षण या खेल या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगी घातक चोट या अन्य चोट की स्थिति में, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे खिलाड़ी के परिवार के जीवनयापन के लिए, खिलाड़ियों के इलाज के लिए और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाले (रेफरी, कोच और अंपायर) गरीब व्यक्तियों को दी जाती है यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2,00,000 से कम होती है

एंटी-डोपिंग गतिविधियों के लिए सहायता की योजना

डोपिंग का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति/वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) के मेडिकल कमीशन द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ या तरीके का खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया गया इस्तेमाल स्वर्ण और प्रतिष्ठा की चाह में, दुनियाभर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जीत हासिल करने के प्रयास में अपना प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं भारत भी इस परेशानी से अछूता नहीं है ग्लोबल (वैश्विक) एंटी डोपिंग समुदाय के सहयोग से डोपिंग की जांच करने के लिए एक ठोस प्रयास शुरू करने के लिए तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल द्वारा स्थापित फाउंडेशन बोर्ड ऑफ वाडा का सदस्य बन गया है

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी

2009 में स्थापित राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (एनएडीए नाडा), देश में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय संगठन है नाडा के एंटी डोपिंग नियमों का पालन वाडा के डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप किया जाता है

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक स्वायत्त निकाय है यह आईएसओ 17025 (2003) और विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) (सितंबर 2008) के लिए मानव द्वारा खेले जाने वाले खेलों से मूत्र और रक्त के नमूनों के परीक्षण के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड एनएबीएल द्वारा मान्यताप्राप्त है एनडीटीएल दुनिया में 33 बड़े मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक है और एशिया में सातवें नंबर पर आती है इसमें सामान्य और अनुसंधान दोनों तरह की क्रियाकलापों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं एनडीटीएल 2008 में

रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, (संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860) 1860 के तहत पंजीकृत हुई थी
मानवीय डोप परीक्षण के अलावा, एनडीटीएल ने घोड़े के डोप परीक्षण और प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में भी विविधता हासिल की है

30 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश



आंध्र प्रदेश

क्षेत्रफल	:	1,60,200 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	4.9 करोड़ (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	:	हैदराबाद	मुख्य भाषाएं	:	तेलुगू , उर्दू, हिंदी, बंजारा

इतिहास और भूगोल

आंध्र प्रदेश के संबंध में प्रारंभिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (2000 ईसा पूर्व) में मिलता है इसमें संकेत दिए गए हैं कि आंध्र निवासी मूल रूप से आर्य जाति के थे और उत्तर भारत में रहते थे, जहां से वे विंध्य पर्वतों के दक्षिण में चले गए और बाद में गैर-आर्यों के साथ घुल-मिल गए इतिहासविदों के अनुसार आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास 236 ईसा पूर्व से शुरू होता है इसी वर्ष सम्राट अशोक का निधन हुआ था उसके बाद की शताब्दियों में सातवाहनों, शकों, इक्ष्वाकुओं, पूर्वी चालुक्यों और ककतियों ने तेलुगू देश पर शासन किया बाद में विजयनगर और कुतुबशाही शासकों का शासन रहा और उनके बाद मीरे कमरुद्दीन और निज़ाम के नाम से प्रसिद्ध उसके उत्तराधिकारियों ने आंध्र पर शासन किया धीरे-धीरे 17वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने निज़ाम के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और मद्रास प्रांत की स्थापना की स्वतंत्रता के बाद तेलुगू भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेजीडेंसी से अलग कर 1 अक्टूबर, 1953 को नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित होने के साथ ही हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को मिला दिया गया परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया

आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है यह राज्य भारत का आठवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार यह राज्य दसवें स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 4,93,86,799 है

भारत के सभी राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी तटरेखा 972 किलोमीटर है इस राज्य की सीमाओं में उत्तर पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में तटरेखा वाली बंगाल की खाड़ी है राज्य के उत्तर पूर्व में गोदावरी नदी के डेल्टा में पुदुचेरी का 30 वर्ग किलोमीटर का छोटा-सा क्षेत्र है

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, *2014*

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 जोकि तेलंगाना अधिनियम भी कहलाता है, भारतीय संसद का अधिनियम है, के अनुसार आंध्र प्रदेश का विभाजन दो राज्यों में हुआ है- तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश इस अधिनियम में संपत्ति और ऋण के विभाजन के सारे पहलू स्पष्ट हैं साथ ही प्रस्तावित नए राज्यों की सीमाएं और हैदराबाद का दर्जा निर्धारित है

कृषि

आंध्र प्रदेश के करीब 62 प्रतिशत हिस्से की आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती है चावल राज्य की मुख्य

फसल है तथा राज्य के कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 77 प्रतिशत है अन्य प्रमुख फसलें हैं– ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू, कपास, गन्ना, मक्का, दालें तथा अरबी इत्यादि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23 प्रतिशत हिस्से में वन हैं महत्वपूर्ण वन उत्पादों में सागवान, यूक्लिप्टस, काजू, बांस और इमारती लकड़ी इत्यादि शामिल हैं

सिंचाई

'जलयज्ञम' कार्यक्रम के तहत कुल 86 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 44 बड़ी, 30 मझोली, 4 बांधों के तटबंध तथा 8 आधुनिकीकरण परियोजनाएं हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संभव स्रोतों से धन प्राप्त कर सभी चालू तथा नई परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा करना है, जिसमें पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है

बिजली

राज्य की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं– नागार्जुन सागर और नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीसेलम पनबिजली परियोजना), ऊपरी सिलेरू, निचला सिलेरू, तुंगभद्रा पनबिजली परियोजना और नेल्लोर, रामगुंडम, कोठागुडम, विजयवाड़ा और मुड्डानूर तापबिजली परियोजना 770 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली श्रीसेलम (दायां तट) पनबिजली परियोजना, 900 मेगावाट क्षमता की श्रीसेलम (बायां तट) पनबिजली परियोजना और 960 मेगावाट क्षमता वाली नागार्जुन सागर परियोजना राज्य में पनबिजली के प्रमुख स्रोत हैं 1,260 मेगावाट क्षमता वाला विजयवाड़ा ताप बिजलीघर तथा 1,220 मेगावाट क्षमता वाला कोठागुडम ताप बिजलीघर ताप बिजली के प्रमुख स्रोत हैं 1,000 मेगावाट क्षमता वाले कोयले पर आधारित सिंहाद्रि ताप बिजलीघर का उद्देश्य संपूर्ण बिजली उत्पादन से प्रदेश की बिजली आवश्यकता को पूरा करना है

उद्योग

राज्य सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों, छोटे-मोटे क्षेत्रों और बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है राज्य सरकार निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सेज (विशेष आर्थिक जोन) में विदुयत शुल्क, भूमि आवंटन में रियायत देकर तथा श्रम कानूनों को उदार बना रही है राज्य ने केंद्र सरकार से सक्रिय निजी भागीदारी द्वारा 59 आईटी/आईटीईएस सेज खोलने की सिफारिश की है

खान एवं भूविज्ञान

आंध्र प्रदेश पूरे विश्व में चट्टानी तथा खनिज विविधता के लिए प्रसिद्ध है इसे 'रत्नगर्भा' कहा जाता है राज्य में उच्च स्तरीय क्राइसोलाइट एसबेस्टस का सबसे बड़ा भंडार है राज्य के अन्य महत्वपूर्ण खनिज तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला तथा चूना पत्थर है सिंगरेनी कोयला खदान से पूरे दक्षिण भारत में कोयले की आपूर्ति होती है राज्य 10-11 करोड़ टन औद्योगिक खनिज तथा 20 करोड़ घन मीटर पत्थर और भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन करता है देश में बैरिट्स तथा चूना पत्थर उत्पादन में यह पहले स्थान पर है

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है अवसरों का लाभ उठाने के मामले में यह अन्य राज्यों से बहुत आगे है आईटी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए राज्य सरकार ने बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं

परिवहन

सड़कें : राज्य में मौजूदा सड़कों- आर एवं बी की कुल लंबाई 69,051 कि.मी. है जिसमें राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4,472 कि.मी. राज्य राजमार्ग 10,519 किमी, मुख्य जिला सड़कें 32,170 कि.मी. तथा ग्रामीण सड़कें 21.714 कि.मी. है राज्य में आर एवं बी सड़क नेटवर्क के संदर्भ के तहत घनत्व 0.23 किमी प्रति वर्ग कि.मी. तथा 0.86 कि.मी. प्रति 1,000 व्यक्ति है

रेलवे : राज्य के 5,107 कि.मी. रेल मार्ग में से 4,633 कि.मी. बड़ी लाइन के, 437 मीटर गेज के तथा 37 किमी नैरो गेज के हैं

उड्डयन : शमशाबाद, तिरुपति तथा विशाखापत्तनम महत्वपूर्ण हवाईअड्डे हैं शमशाबाद से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है

बंदरगाह : भारत सरकार का मुख्य बंदरगाह विशाखपत्तनम तथा राज्य सरकार के 13 छोटे बंदरगाह राज्य में स्थित हैं समुद्री गतिविधियों जैसे- अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, तटीय शिपिंग, पोत मरम्मत, मछली पकड़ने, विशिष्ट उद्योगों के लिए केप्टिव पोर्ट (निजी बंदरगाह), हर मौसम के लिए अनुकूल बंदरगाहों, पर्यटन तथा खेलों आदि के लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण विकास की क्षमता रखते हैं

पर्यटन स्थल

आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने ईको-पर्यटन, बीच-पर्यटन तथा क्रूज-पर्यटन जैसे नए पर्यटन कार्यक्रमों से पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखा है निगम सभी प्रमुख स्थानों पर 52 होटल चलाता है जिनमें घरेलू परिवेश से सुसज्जित 1,043 कमरे और 2,222 बिस्तर हैं राज्य के भीतर और बाहर प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए निगम के पास 144 बसें हैं

हैदराबाद में चारमीनार, सालारजंग संग्रहालय और गोलकुंडा किला, वारंगल में सहस्र स्तंभ मंदिर और किला, यादागिरिगुट्टा में श्रीलक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, नागार्जुनकोंडा, नागार्जुन सागर में बौद्धस्तूप, तिरुमाला-तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीसेलम का श्रीमल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अन्नावरम में श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर, सिंहाचलम में श्री वराह नरसिंह स्वामी मंदिर, भद्राचलम में श्री सीताराम मंदिर, अरकुघाटी, होर्सले पहाड़ियां, नेलापट्ट आदि आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं

वेबसाइट : www.ap.gov.in

सरकार

राज्यपाल : श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन	**मुख्य सचिव** : श्री अनिल चंद्र पुनेठा
मुख्यमंत्री : श्री एन. चंद्रबाबू नायडू	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र** : आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना

अरुणाचल प्रदेश

क्षेत्रफल : 83,743 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या** : 13.84 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी : ईटानगर	**मुख्य आदिवासी** : न्यीशी, अदी, बंगाली, नेपाली, असमिया, वांचो, तंग्रा, मिशमी, मिशिंग, नोकटे आदि

इतिहास और भूगोल

अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 तक यह पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था 20 जनवरी, 1972 को इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला और अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया 15 अगस्त, 1975 को चयनित विधानसभा का गठन किया गया तथा पहली मंत्री परिषद ने कार्यभार ग्रहण किया प्रथम आम चुनाव फरवरी 1978 में करवाए गए राज्य में 16 जिले हैं राज्य की राजधानी ईटानगर पापुम पारा जिले में है ईटानगर नाम ईटा किले पर पड़ा है जिसका अर्थ है ईटों का किला 14वीं सदी में निर्मित इस किले का जिक्र कालिका पुराण तथा महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है यहां पुराणों में वर्णित प्रभु पर्वत नामक स्थान है अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है

कृषि और बागवानी

अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि है यहां कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम

खेती पर आधारित है अब नकदी फसल जैसे- आलू और बागवानी की फसलें जैसे सेब, संतरे और अन्नानास आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है

उद्योग और खनिज

राज्य की विशाल खनिज संपदा का पता लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड (एपीएमडीटीसीएल) की स्थापना की गई निगम ने नामचिक-नामफुक कोयला क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया है शिल्पियों को विविध उद्यमों में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं ये प्रशिक्षण संस्थान रोइंग और दपोरिजो में स्थित है

त्योहार

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारो में अदीस लोगों द्वारा मनाए जाने वाले मोपिन और सोलुंग; मोनपा लोगों का त्योहार लोस्सार; अपतानी लोगों का द्रीः तगिनों का सी-दोन्याई; इदु-मिशमी समुदाय का रेह; निशीस लोगों का न्योकुम, हिल-मिरी और शरदकूपन समुदाय का बूरी बूत आदि शामिल हैं अधिकांश त्योहारो पर पशुओं की बलि चढ़ाने का रिवाज़ आम है

पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं— तवांग, दिरांग, बोमडिला, टीपी, ईटानगर, मालिनीथान, लीकाबाली, पासी घाट, अलोंग, तेजू, मियाओ, रोइंग, दापोरिजो, नामदफा, भीष्मकनगर, परशुराम कुंड और खोंसा

वेबसाइट : www.arunachalpradesh.gov.in

सरकार

राज्यपाल : ब्रि. (डॉ.) बी.डी. मिश्र सेवानिवृत्त	मुख्य सचिव : सुश्री सत्य गोपाल
मुख्यमंत्री : श्री पेमा खांडु	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

असम

क्षेत्रफल : 78,438 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 3.12 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी : दिसपुर	मुख्य भाषा : असमिया, बोडो

इतिहास और भूगोल

असम भारत के उत्तर-पूर्वी कोने में 89°42 पूर्व से 96° पूर्व देशांतर और 24°8 उत्तर से 282 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है सदियों से लोग तथा विभिन्न समुदाय असम के उपजाऊ वातावरण तथा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से आकर्षित होते रहे हैं लोगों के दल आए, मिले और घुल-मिल गए संस्कृतियों तथा रीति-रिवाज़ों का विलय हुआ और इस प्रक्रिया में एक समृद्ध और मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ

असम, जिसे 'लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि' के नाम से भी जाना जाता है, देश के सर्वाधिक आकर्षक तथा रमणीक राज्यों में से एक है विशाल नदी ब्रह्मपुत्र इस राज्य से होकर बहती है, जो इसके दोनों किनारों पर बसे लोगों की जीवनरेखा के समान है माना जाता है कि असम शब्द संस्कृत के 'असोमा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- अनुपम अथवा अद्वितीय एक अन्य अर्थ के अनुसार यह शब्द मूल रूप से 'अहोम' से बना है ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग छह सौ वर्ष तक इस भूमि पर 'अहोम' राजाओं ने शासन किया ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय-समय पर आकर बसी और यहां की समृद्ध मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान किया

प्राचीनकाल में असम को 'प्राग्ज्योतिष' अर्थात 'पूर्वी ज्योतिष' का स्थान कहा जाता था बाद में इसका नाम कामरूप पड़ गया कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के शिलालेख में

मिलता है इसमें कामरूप का उल्लेख 'प्रत्यंत' यानी ऐसे सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था और जिसके साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे चीन का विद्वान यात्री ह्वेनसांग लगभग 743 ईस्वी में राजा कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप आया उसने कामरूप का उल्लेख 'कामोलुपा' के रूप में किया 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अलबरूनी की पुस्तक में भी कामरूप का उल्लेख मिलता है इस प्रकार महाकाव्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक समूचे आर्यावर्त में पूर्वी सीमांत देश को प्राग्ज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था यहां के राजा अपने आपको प्राग्ज्योतिष का नरेश कहते थे

सन् 1228 में पूर्वी पहाड़ियों पर 'अहोम' लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया उन्होंने लगभग छह सौ वर्षों तक असम पर शासन किया जब राजदरबार में व्याप्त असंतोष और लड़ाई-झगड़ा के कारण 'अहोम' शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तो पूर्वी सीमा से बर्मी लोगों ने आक्रमण किया उन्होंने यंडाबू संधि के तहत 1826 में असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया

असम 78,438 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जोकि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.39 प्रतिशत है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो लगभग 3,200 कि.मी. तक फैली है, राज्य को घेरे हुए हैं उत्तरपूर्वी राज्यों का प्रवेशद्वार असम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश से घिरा है इसके पूरब में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, दक्षिण में त्रिपुरा और मिज़ोरम, पश्चिम में बांग्लादेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल स्थिति है

भौगोलिक विशिष्टता

असम की भौगोलिक विशिष्टता यह है कि इसमें गिर्द–भारत के छह में से तीन भौगोलिक विभाजन मौजूद हैं- उत्तरी हिमालय (पूर्वी चोटियां), उत्तरी मैदान (ब्रह्मपुत्र के मैदान) और दक्खन घाटियां (कार्बी एंग्लोंग) ब्रह्मपुत्र के कारण असम की जलवायु ठंडी है और यहां बेहद वर्षा होती है कार्बी एंग्लोंज, उत्तरी कचार और गुवाहाटी के निकट की पहाड़ियां कभी दक्षिण भारतीय घाटियों का हिस्सा थे जो अब पृथक हो चुके हैं दक्षिण में बरेल रेंज से निकलने वाली बराक कचार जिले में बहती है यह 40-50 किमी चौड़ी घाटी में बहती है और बांग्लादेश पहुंच कर इसका नाम सुर्मा नदी हो जाता है बादामी आकार की यह घाटी अधिकांशतः ब्रह्मपुत्र और उसकी धाराओं के जमाव के कारण अस्तित्व में आई है असम के अधिकांश शहर तथा कस्बे इस घाटी में स्थित हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 725 कि.मी. और 80-100 कि.मी. है मेघालय के पठार और भूटान-अरुणाचल-हिमालय के संकरे दर्रे से होकर निकलती यह घाटी अंत में उत्तरी बंगाल के मैदानों में जाकर खुलती है

असम का दूसरा प्राकृतिक विभाजन बराक या सुरमा घाटी का है जो उत्तरी काचर, मणिपुर और मिजोरम से घिरी है इस घाटी में बराक नदी का विशेष महत्व है यह समूची घाटी से होकर जाती है और अंत में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है इस घाटी में कई पहाड़ियां और 'बील्स' या झीलें हैं यहां अक्सर बाढ़ भी आ जाती हैं जिसका असर घाटी की उर्वरक क्षमता पर सीधे तौर पर पड़ता है

पहाड़ों की लंबी श्रृंखला दोनों घाटियों को अलग करती है ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण की ओर करबी और एन.सी. की पहाड़ियां हैं करबी पहाड़ियां मेघालय के पठारों का ही हिस्सा हैं इन पहाड़ियों में समतल क्षेत्र भी हैं पठारों की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जिनमें चेंगेहिसियन (1359 मी.) और दंबक्सो (1361 मी.) जैसी कुछ अधिक ऊंची पहाड़ियां भी हैं हरियाली इन पहाड़ियों की ख़ास पहचान है और दीमा हसाओ जिले में यह श्रृंखला धीरे-धीरे अपना पूरा आकार लेते हुए बरेल श्रृंखला से मिलती जा रही है बरेल असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है स्थान विशेष के अनुसार बरेल श्रृंखला का उठान समुद्रतट से 1000 से 2000 मीटर ऊंचा रहता है बरेल श्रृंखला का दक्षिणी हिस्सा काफी ढलवां है हेफलोंग के पूरब में महादेव चोटी पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक, 1,953 फीट है यह घाटी घने जंगलों और वन्य जनजीवन से भरी-पूरी है

अर्थव्यवस्था

राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया है पिछले कुछ वर्षों से यहां उद्योग और व्यवसाय जगत ने रफ्तार पकड़ी है

कृषि

असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग कि.मी. है और इसे बेहद उपजाऊ भूमि तथा बड़ी मात्रा में जल संसाधनों का वरदान प्राप्त है ब्रह्मपुत्र और बराक नदी अपनी 121 छोटी और सूक्ष्म सहायक नदियों और शाखाओं के साथ दोनों घाटियों में बहती हैं तथा राज्य को हमेशा उपजाऊ और शीतल रखती हैं राज्य के जीडीपी में कृषि योगदान में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है चावल का उत्पादन बढ़कर 54.40 लाख मी.टन हो गया है इसी तरह खाद्यानों का उत्पादन भी 41.72 लाख मी.टन से बढ़कर 57.22 लाख मी.टन हो गया है

वन एवं वन्यजीव

असम में कुल 29,282 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वन एवं वृक्ष आच्छादित है जो राज्य के कुल क्षेत्र का 37.33 प्रतिशत है राज्य में 13,870 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन, 3,013 वर्ग कि.मी. प्रस्तावित आरक्षित वन, 5,850 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत राज्य वन और 3,925 वर्ग कि.मी. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (स्रोतः एफएसआई डाटा और 'असम 2011' पृष्ठ-152) है

असम में स्तनपायी जानवरों की करीब 180 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें गोल्डन लंगूर, हलुक लंगुर, बौना हॉग, हिस्पीड खरगोश, सफेद पंखवाला लकड़ी बत्तख, बाघ, धूमिल तेंदुआ, हाथी, दलदली हिरण, गंगा की डॉल्फिन आदि प्रजातियां हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में हैं राज्य में पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियां तथा सरीसृपों की करीब 195 प्रजातियां पाई जाती हैं वन्यजीव संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के फलस्वरूप राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है और 2010-11 के 143 से बढ़कर 2014 में 167 हो गई है 2015 की गणना के मुताबिक असम में गैंडों की संख्या 2,624 है वन समुदायों को टिकाऊ आजीविका प्रदान करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं

उद्योग

आज का असम स्थायी तौर पर पर्यावरण के अनुकूल संपत्तियों के सृजन द्वारा नई पूंजी गठन पर जोर दे रहा हैं पीएमआरवाई योजना (2008 तक) और पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र को ऋण दिया जा रहा है इन योजनाओं के अंतर्गत 2011 से 2014 के बीच 2,76,022 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री कर्मज्योति अचोनी (एमएमकेए) योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 तक विभिन्न एसएचजी के लाभार्थियों के बीच 3,946.11 लाख रुपये के यंत्र, उपकरण एवं कच्ची सामग्रियां वितरित की गई थीं राज्य सरकार ने 2010-11 में 'एंजेल फंड' की शुरुआत की जिसके अंतर्गत लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण नाममात्र ब्याज पर दिया जाता है

बिजली

राज्य में बिजली उत्पादन 2001 में 935 एमयू की तुलना में 2014-15 में 1894.7 एमयू रहा उपभोक्ताओं की संख्या भी 2001 के 9 लाख से बढ़कर 33 लाख हो गई है इसी तरह, प्रतिव्यक्ति बिजली की उपलब्धता भी 2001 के 83 यूनिट से बढ़कर 232 यूनिट हो गई है बिजली उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्रों में समयानुसार उन्नयन और नवीकरण कार्य के चलते ही यह संभव हो पाया है

परिवहन एवं संचार

राज्य सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार और विस्तार तथा पुराने लकड़ी के पुलों को सीमेंट कंक्रीट के पुल बनाकर बदलने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है वर्ष 2001 से अब तक 23,000 कि.मी. से अधिक सभी मौसम के अनुकूल सड़क और करीब 3,800 आरसीसी पुल बनाए जा चुके हैं तथा करीब 5,000 कि.मी. मौसम के अनुकूल सड़क तथा 1,250 आरसीसी पुल का कार्य प्रगति पर है

त्योहार

असम में, भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार मनाए जाते हैं यहां के स्थानीय त्योहारो की एक विशिष्ट श्रृंखला है जो इस भूमि के सांस्कृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है 'बिहु' असम का महत्वपूर्ण त्योहार है असमिया नववर्ष के दौरान पड़ने वाला रंगोली 'बिहु' या 'बोहाग बिहु' मुख्य 'बिहु' त्योहार है, परंतु फसल कटाई के समय आने वाला 'भोगली बिहु' या 'माघ बिहु' भी उतना ही महत्वपूर्ण पर्व है 'कांगली' या 'कटी बिहु'

नामक तीसरा 'बिहु' भी है जिसे केवल प्रेम की उपासना के लिए ही मनाया जाता है कभी-कभार इसमें यौन उन्मुक्तता की भी झलक दिखती है इसकी धुनें भी खासी कर्ण प्रिय होती है सबसे बड़ा जनजातीय समूह बोडो 'खेरई पूजा' को त्योहार की तरह मनाता है, जो कई स्थानों पर मेले का रूप ले लेता है 'खेरई' पूजा में शमानिस्टिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कुछ महिला कलाकार भाव समाधि में चली जाती हैं और कुछ सिर को तेजी से हिलाती-उछालती, हवा में अपने बाल लहराती हैं बैथों बोडो समुदाय की एक महत्वपूर्ण पूजा है

पर्यटन

पिछले कुछ वर्षों के दौरान असम, जिसे पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है, लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरा है अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, अनूठी वनस्पतियों और जीव-जगत, जैव विविधता, अछूते जंगल, उन्नत चोटियों तथा हरी-भरी घाटियों की वजह से असम इको-टूरिज्म तथा वन्यजीव का प्रमुख स्थान बन गया है असम समुद्र तल से करीब 79.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इसके पांच राष्ट्रीय उद्यान, उन्नीस वन्यजीव अभयारण्य और तीन पक्षी अभयारण्य दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों के भंडार हैं पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र - कामाख्या देवी का मंदिर, उमानंद (मोर द्वीप), नवग्रह (नवग्रह मंदिर), बशिष्ठ आश्रम, डोलगोबिंदा, राज्यीय प्राणी उद्यान, राज्यीय संग्रहालय, मदन कर्णदेव मंदिर - जो कि पुरातात्विक महत्व का स्थान है, सरायघाट सेतु, श्रीमाता शंकरदेव कलाक्षेत्र विज्ञान संग्रहालय, काजीरंगा पार्क आदि

वेबसाइट : www.assam.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: प्रो. जगदीश मुखी	मुख्य सचिव	: श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया
मुख्यमंत्री	: श्री सर्बानंद सोनोवाल	गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बिहार

क्षेत्रफल	: 94,163 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 10.41 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	: पटना	मुख्य भाषा	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों आदि में मिलता है तथा यह राज्य महात्मा बुद्ध और 24 जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र पर बिम्बिसार, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाले उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के सम्राट अशोक सहित मौर्य, शुंग तथा कण्व राजवंश के नरेशों ने राज किया इसके पश्चात कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज किया मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा बिहार पर विजय पाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तथा मुगल वंश का आधिपत्य था

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है यहां अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा अन्य नदियां हैं– सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा आदि

कृषि

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 55.54 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है वैसे राज्य में लगभग 72.95 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है यहां की प्रमुख खाद्य फसलें हैं: धान, गेहूं, मक्का और दालें मुख्य नकदी फसलें हैं: गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 6.65

प्रतिशत है लगभग 30.64 हजार हेक्टेयर शुद्ध तथा 44.33 हजार हेक्टेयर सकल क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई

सिंचाई

बिहार में 28.73 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता है जो बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है और 6.63 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है

त्योहार

त्योहार किसी भी भारतीय समाज की धमनियों की तरह होते हैं जो समूचे शरीर में फैली होती हैं बिहार इसका अपवाद नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले सभी त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, जन्माष्टमी, होली, ईद, क्रिसमस आदि बिहार के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन से गहरे से जुड़े हैं इसके अलावा, कई अनोखे और महत्वपूर्ण उत्सव भी हैं जो राज्य के सामाजिक ताने-बाने को व्याख्यायित करते हैं जिनमें छठ पूजा, जिसे छठी, डाला छठ और सूर्य षष्ठि भी कहते हैं, 'सामा चकेबा', सोनपुर का हरिहर मेला आदि प्रमुख हैं

पर्यटन

इतिहास और ज्ञान से समृद्ध इस राज्य में कई पर्यटन स्थल हैं केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी कई सैलानी बिहार आते हैं यहां पटना, बोध गया, गया, राजगीर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहां बाराबार गुफाएं, केसरिया स्तूप, औरंगाबाद में 100 फीट लंबा देव सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप भी हैं

वेबसाइट : www.gov.bih.nic.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री लालजी टंडन	मुख्य सचिव	:	श्री दीपक कुमार
मुख्यमंत्री	:	श्री नीतीश कुमार	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	पटना उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़

क्षेत्रफल	:	1,35,192 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	2.56 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	रायपुर	मुख्य भाषा	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र को अलग कर के वर्ष 2000 नवंबर में छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया था इसके निर्माण के साथ ही यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई थी प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण-कौशल नाम से जाना जाता था छठी से बारहवीं सदियों के बीच सरभपुरिया, पांडुवावंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंश साम्राज्यों का यहां शासन रहा कलचुरी साम्राज्य ने 980 से 1790 ईसवीं तक छत्तीसगढ़ पर राज किया 1845 में अंग्रेजों के आगमन के साथ, राजधानी रत्नपुर के स्थान पर रायपुर की प्रतिष्ठा बढ़ गई 1904 में सम्भलपुर को ओडिशा को सौंप दिया गया और सरगुजा रियासत को बंगाल से छत्तीगढ़ को सौंप दिया गया

छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में दक्षिणी झारखंड और ओड़िशा से लगती है इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती हैं क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ नवां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार यह देश में सत्रहवें स्थान पर आता है

कृषि

राज्य का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 137.90 लाख हेक्टेयर है जिसमें से कृषि योग्य भूमि 47.70 लाख हेक्टेयर है धान इस क्षेत्र की प्रमुख ख़रीफ फसल है और जो ख़रीफ की 76 प्रतिशत फसल है अन्य मुख्य फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, उड़द दाल और अरहर होती है इसी तरह रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी की पैदावार होती है

सिंचाई और बिजली

जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तब इसकी कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी जोकि कुल बुवाई क्षेत्र का 23 प्रतिशत थी अब यह बढ़कर 18.44 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो कुल बुवाई क्षेत्र का 33.15 प्रतिशत है

खनिज संसाधन

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, तथा डोलोमाइट के विशाल भंडार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले जैसे सरगुजा, रायगढ़, कोरिया तथा बिलासपुर विशाल कोयला भंडारों के लिए जाने जाते हैं

उद्योग

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है जिस पर राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी है सीमेंट, ऊर्जा, खनन, इस्पात तथा अल्युमिनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है भारत के सबसे समृद्ध खनिज वाले राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ सबसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर सीमेंट उत्पादन का अवसर प्रदान करता है

परिवहन

सड़कें : पीडब्ल्यूडी के तहत राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 31,803 कि.मी. है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,226 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 5,240 कि.मी., जिला सड़कों की लंबाई 10,539.80 कि.मी. और ग्रामीण और अन्य सड़कों की लंबाई 13,798 कि.मी. है राज्य में सड़कों की लंबाई 17.75 कि.मी. से 21.40 किमी प्रति 100 कि.मी. बढ़ी है

रेल : रायपुर, विलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं

पर्यटन स्थल

भारत के केंद्र में स्थित छत्तीसगढ़ में समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और आकर्षक प्राकृतिक विविधता है राज्य में प्राचीन स्मारक, दुर्लभ वन्यजीव, नक्काशीदार मंदिर, बौद्धस्थल, महल, जल-प्रपात, पर्वतीय पठार, रॉक पेंटिंग और गुफाएं हैं

वेबसाइट : www.cgstate.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	सुश्री आनंदीबेन पटेल (अतिरिक्त प्रभार)	मुख्य सचिव	:	श्री विवेक कुमार धांद
मुख्यमंत्री	:	श्री भूपेश बघेल	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	छत्तीसगढ़

गोवा

क्षेत्रफल	: 3,702 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	14.59 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	: पणजी	मुख्य भाषाएं	:	कोंकणी (राजभाषा)
		अन्य भाषाएं	:	मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़

इतिहास और भूगोल

गोवा प्राचीनकाल में गोमांचल, गोपाकपट्टम, गोपकपुरी, गोवापुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है राज्य के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा सातवाहन साम्राज्य का अंग था उसके बाद कदंब, मलखेड़ के राष्ट्रकूटों, चालुक्य तथा सिलहार राजवंशों का इस पर शासन रहा 14वीं शताब्दी के अंत में यादवों का साम्राज्य समाप्त हुआ और दिल्ली के खिलजी वंश ने इस पर अपना अधिकार किया इस प्रकार गोवा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया 1498 में वास्कोडिगामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद कई पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे 1510 में एल्फांसो द अलबुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर आक्रमण कर इस पर कब्जा कर लिया 1542 में जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का काम आरंभ हुआ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के कुछ वर्षों को छोड़कर, जब शिवाजी ने गोवा तथा उसके आस-पास के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, समूचे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन जारी रहा

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवावासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 19 दिसंबर, 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन तथा दीव के साथ मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला और पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर है पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा, तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं

कृषि

गोवा में कुल 1,60,320 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है जबकि कुल उत्पादन 1,08,333 टन होता है पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस निर्माण के लिए भी 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है इसी तरह की सब्सिडी ड्रिप सिंचाई तथा बायोगैस प्लांट निर्माण के लिए भी उपलब्ध है

जल संसाधन

राज्य की घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों को कच्चे पानी की आपूर्ति करने और पीडब्ल्यूडी की आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने के अलावा पीडब्ल्यूडी की कच्चे पानी की आपूर्ति में भी वृद्धि की है असोनरा वॉटर वर्क्स की आपूर्ति साल में चापोरा नदी से 25 एमएलडी और अम्थाने टैंक से 10 एमएलडी बढ़ाई गई है

उद्योग

राज्य औद्योगिक नीति के साथ-साथ राज्य बायोटेक नीति लागू रहेगी और उन्हें आगे बढ़ावा दिया जाएगा गोवा के शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए गोवा और गोवा से बाहर 'गोवा हाट-सह-शिल्प ग्राम' तथा विश्वभर में हस्तशिल्प सामानों की बिक्री के लिए ई-पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है

परिवहन

सड़कें : राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 264 किलोमीटर तथा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 279.4 किलोमीटर है इसके अलावा, 4501.18 किलोमीटर जिला तथा अन्य मार्ग हैं

रेलवे : गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलोर और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है इस रेलमार्ग पर

अनेक तेज रफ्तार रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं वास्कोडिगामा दक्षिण मध्य रेलवे के बंगलुरु और बेलगांव स्टेशनों से जुड़ा है इस मार्ग का इस्तेमाल फिलहाल केवल माल यातायात के लिए हो रहा है

उड्डयन : डबोलिम हवाईअड्डे से मुंबई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई, और बंगलुरु के लिए नियमित विमान सेवाएं हैं

बंदरगाह : मरमुगांव राज्य का प्रमुख बंदरगाह है यहां मालवाहक जहाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके अलावा पणजी, तिराकोल, चपोरा, बेतूल और तालपोना में भी छोटे बंदरगाह हैं, मगर इनमें से पणजी प्रमुख व्यस्त बंदरगाह है हाल में यहां जहाजों के लिए एक पत्तन (पोर्ट) चालू हुआ है

पर्यटन स्थल

गोवा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं– कोलवा, कालनगुटे, वागाटोर, बागा, हरमल, अंजुना और मीरामार समुद्र तट; पुराने गोवा में बैसीलिका ऑफ बोम जीसस और सेंट केथेड्रल चर्च; कावलेम, मारडोल, मंगेशी तथा बनडोरा मंदिर; अगुअडा, तेरेखोल, चपोरा और काबो डि रामा किले; प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं दूधसागर और हरवालेम जलप्रपात तथा माएम झील रिसॉर्ट हैं राज्य में समृद्ध वन्यप्राणी उद्यान हैं, जैसे— बोंडला, कोटीगांव तथा मोलेम वन्यप्राणी उद्यान और चोराव में डॉ. सालिम अली पक्षी उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर है

वन

गोवा में 33 प्रतिशत राष्ट्रीय आवश्यकता के मुकाबले 34 प्रतिशत वन हैं तथा करीब 67 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित है

स्वास्थ्य

गोवा मधुमेह पंजीकरण आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना मडगांव तथा मापुसा में नये जिला अस्पताल और पोंडा में नया 170 बिस्तर वाला संक्रामक रोग अस्पताल महत्वपूर्ण है वेबसाइट : www.goa.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्रीमती मृदुला सिन्हा	मुख्य सचिव	:	श्री धर्मेन्द्र शर्मा
मुख्यमंत्री	:	श्री मनोहर पर्रिकर	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है।

गुजरात

क्षेत्रफल	:	1,96,024 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	60,439,692 (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	गांधीनगर	मुख्य भाषा	:	गुजराती

इतिहास और भूगोल

गुजरात का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 2,000 साल पुराना है यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर जा बसे, जो द्वारका यानी प्रवेशद्वार कहलाया बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया चालुक्य (सोलंकी) राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमानों, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिन देखने पड़े आज़ादी से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बंटा था– एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देशी रियासतें राज्यों के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों और कच्छ के केंद्रशासित प्रदेश के साथ पूर्व के ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर सबसे बड़े द्विभाषी बंबई राज्य का गठन हुआ 1 मई, 1960 को वर्तमान गुजरात राज्य अस्तित्व में आया यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित

है इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है

कृषि

कृषि संवृद्धि दर को बढ़ाने और इसमें और सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2014-15 को 'कृषि विकास वर्ष' के रूप में मनाया किसानों को खेती की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक कृषि विधियों से अवगत कराने हेतु हर वर्ष 'कृषि महोत्सव' मनाया जा रहा है गुजरात कपास, मूंगफली तथा तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है और वस्त्र, साबुन तथा तेल जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में भी निवेश उपलब्ध कराता है अन्य मुख्य नकदी फसलें हैं: धान, गेहूं और बाजरा

विद्युयत

सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में सौर नीति बनाने वाला गुजरात पहला राज्य है इस परियोजना की स्थापित क्षमता 400 मेगावाट की है

सड़कें

सड़क मार्ग राज्य के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है एक नई पद्धति के तहत, राज्य सरकार ने एक मज़बूत सड़क तंत्र के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को सड़क निर्माण कार्य में शामिल किया है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में त्वरित आवाजाही के लिए बस रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (बीआरटीसी) सुविधा शुरू की गई है

बंदरगाह

पिछले दशक में गुजरात ने देश के प्रमुख समुद्रवर्ती राज्य का दर्जा प्राप्त किया है देश के गैर-प्रमुख बंदरगाहों के कुल यातायात का लगभग 80 प्रतिशत और सभी बंदरगाहों के कुल यातायात का लगभग 48 प्रतिशत गुजरात के बंदरगाहों से संचालित होता है जो राज्य के लिए गौरव का विषय है यहां 41 छोटे और एक बड़ा बंदरगाह है, जिसका नाम है कांदला बंदरगाह

त्योहार

सुरेंद्रनगर जिले के तरणेतर गांव में भाद्रपद मास (अगस्त/सितंबर) भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है पोरबंदर के निकट माधवपुर में माधवराय मेला लगता है चैत्र (मार्च/अप्रैल) के शुक्ल पक्ष की नवमी को यह मेला लगता है बनासकांठा जिले में अंबा देवी को समर्पित अंबाजी मेला लगता है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर लगने वाला मेला साल का सबसे बड़ा मेला है यह द्वारका तथा डाकोर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है नवरात्रि विश्व का सबसे बड़ा नृत्य मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसिद्ध रथ उत्सव, उत्तरी गुजरात के भगवान सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में मधेरा नृत्य उत्सव- उत्तरार्द्ध महोत्सव, रण उत्सव-कच्छ के विस्तृत मरुस्थल में चांदनी रातों में गुजरात के कुछ प्रसिद्ध मेले तथा उत्सव हैं इसके अलावा, मकर-संक्रांति, डांग दरबार, शामलाजी मेला तथा भावनाथ मेला यहां के कुछ अन्य त्योहार हैं

पर्यटन केंद्र

राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वारका सोमनाथ, पालीताना, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, शामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर तथा पुरातत्व एवं वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय पाटन, सिद्धपुर, घुरली, दाभेई, वड़नगर, मोधेरा, लोथल और अहमदाबाद जैसे स्थान हैं अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, उभारत तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सपुतड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभयारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभयारण्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं इसके अलावा साबरमती नदी का मुहाना विकास का स्तर तथा पर्यटन की संभावनाएं दर्शाता है, वडोदरा में सुर सागर झील: पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, नालसरोवर पक्षी विहारः दुनियाभर से आए प्रवासी पक्षियों का गृह है

बेवसाइट: www.gujratindia.com

सरकार

राज्यपाल	:	श्री ओम प्रकाश कोहली	मुख्य सचिव	:	श्री जे. एन. सिंह
मुख्यमंत्री	:	श्री विजयभाई आर. रूपानी	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	गुजरात उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है।

हरियाणा

क्षेत्रफल	:	44,212 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	2.54 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चंडीगढ़	मुख्य भाषा	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

हरियाणा का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है तथा यह वैदिक काल से आरंभ होता है यह राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हरियाणा की भूमि कला और संस्कृति का उत्पत्ति स्थल रही है 1915 में ई. गाय पिलग्रिम द्वारा की गई पुरातत्वीय खोज से स्थापित होता है कि 1.5 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन मानव शिवालिकों में रहते थे वामन पुराण में जिक्र है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में सोने का हल चलाया था जिसे भगवान शिव के नंदी ने सात कोस के क्षेत्र में खींचा था

पौराणिक तथा वैदिक संदर्भो के अनुसार हरियाणा का इतिहास बहुत गरिमामयी है वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पाठ यहीं पढ़ाया था महाभारत का महायुद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया उत्तरी भारत का द्वार होने के नाते यह क्षेत्र कई लड़ाइयों की युद्धभूमि रहा है हूण, तुर्क और तुगलकों ने भारत पर चढ़ाई की और कई निर्णायक युद्ध इस धरती पर लड़े गए 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर अपनी फौज इसी रास्ते से दिल्ली लाया बाद में, सन् 1526 में पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई में मुगलों ने लोदियों को हराया 1556 में एक अन्य निर्णायक युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया जिसने भारत में ब्रिटिश राज आने और दिल्ली के भारत साम्राज्यिक राजधानी और दिल्ली के भारत की साम्राज्यिक राजधानी बनने तक मुगलों की सत्ता कायम रखी

इसके बाद हरियाणा दिल्ली का ही हिस्सा बन गया और 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम महासंग्राम से पूर्व तक यह गुमनाम बना रहा विद्रोह को कुचलने के बाद जब ब्रिटिश प्रशासन फिर से स्थापित हुआ तो झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों, बल्लभगढ़ के राजा तथा रिवाड़ी के राव तुलाराम की सत्ता छीन ली गई उनके क्षेत्र या तो ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिए गए या पटियाला, नाभा और जींद के शासकों को सौंप दिए गए इस तरह हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण राज्य बन गया

हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से जुड़ा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दायरे में हरियाणा भी है मात्र 1.37 प्रतिशत भू-क्षेत्र और देश की कुल आबादी के केवल दो प्रतिशत से भी कम के साथ हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक, हरियाणा सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि से, गोवा के बाद, दूसरे स्थान पर है

कृषि

हरियाणा की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि है देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का रहता है फसलों में विविधता लाने के लिए गन्ना, कपास, तिलहन और सब्जियों तथा फलों जैसी नकदी फसलें अधिक उगाई जा रही हैं राज्य में गहन और विस्तृत खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों तथा कार्बनिक कृषि के प्रचार के ज़रिये चिरस्थायी कृषि को संवर्द्धन दिया जा रहा है

सिंचाई

1,429 नहरों का ठोस तंत्र हरियाणा की सिंचाई प्रणाली को आधार प्रदान करता है, जिसमें 6.83 लाख ट्यूबवेल और पंपसेटों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है राज्य में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं-पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर और गुड़गांव नहर प्रणाली भारत में पहली बार लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को व्यावहारिक आकार देते हुए, हरियाणा ने जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना के जरिये जल का स्तर निचले स्तरों से ऊंची शुष्क ढलानों तक पहुंचाया है हरियाणा बहुउद्देशीय सतलुज-ब्यास परियोजना के लाभार्थियों में से है इसके साथ दो अन्य लाभार्थी पंजाब तथा राजस्थान हैं

बिजली

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी धीरे-धीरे हरियाणा बिजली क्षेत्र में विद्युत अभाव वाले क्षेत्र से विद्युत 'सरप्लस' वाला राज्य बन रहा है

शिक्षा

हरियाणा आधुनिक तक्षशिला तथा नालंदा का रूप ले रहा है और शिक्षा के हब के रूप में अग्रसर है प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों की पहुंच में लाने और विश्वस्तरीय मानकों पर उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा कर हरियाणा शिक्षा का आधुनिक केंद्र बनने के पथ पर तेज़ी से अग्रसर है प्राथमिक शिक्षा राज्य के हर हिस्से में उपलब्ध कराई जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 76.64 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय दर 74.04 प्रतिशत है महिला साक्षरता दर 66.77 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 85.38 प्रतिशत है ग्रामीण आबादी के लिए एक कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, 1.17 कि.मी. के दायरे में माध्यमिक विद्यालय, 1.45 कि.मी. के दायरे में हाई स्कूल तथा 2.10 कि.मी. के दायरे में उच्चतम माध्यमिक विद्यालय हैं

उद्योग

सरकार की निवेश और औद्योगिक समर्थित नीतियों ने हरियाणा को निवेश की आंख का तारा बना दिया है और राज्य को औद्योगिक क्रांति के कगार पर खड़ा कर दिया है हरियाणा कारों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, रेफ्रिजरेटरों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है इसके अलावा, हरियाणा विश्व बाजार में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है पचरंगा अचार के अलावा पानीपत की हथकरघे की बनी वस्तुएं और कालीन विश्वभर में प्रसिद्ध हैं

स्वास्थ्य

उचित मूल्य पर हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जिला और उप-खंड अस्पतालों का राज्य व्यापी नेटवर्क है स्टाफ तथा उपकरणों द्वारा इन्हें मज़बूत किया जा रहा है और रेफेरल सेवाओं की कमियों को दूर किया जा रहा है राज्यव्यापी स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत 56 अस्पताल, 109 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 467 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2,630 उप-केंद्र, 15 जिला टीबी केंद्र, 639 आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी केंद्र, 90 शहरी स्वास्थ्य पोस्ट (आरसीएच) कार्य कर रहे हैं

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य में आईटी/साइबर पार्कों की स्थापना के लिए 85 प्रस्तावों, जिनकी सिफ़ारिश इस उद्देश्य से बनाई गई समिति द्वारा की गई है, में से 35 को टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं

परिवहन

हरियाणा में सड़क और रेल परिवहन यात्रा का प्रमुख साधन है हवाई यातायात की भी छोटी-सी भूमिका है हरियाणा में सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 35,303 किलोमीटर से अधिक है

राज्य के अंदर और राज्य से बाहर रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है कालका, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, हिसार, अंबाला, पानीपत और जाखल के रेलवे स्टेशन प्रमुख हैं जगाधरी शहर में रेलवे की एक वर्कशॉप है हरियाणा में असैनिक हवाईअड्डे- हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में हैं

पर्यटन स्थल

हाइवे पर्यटन में अग्रणी हरियाणा में 43 पर्यटन परिसर हैं जिनमें 846 रिहायशी कमरे हैं हरियाणा में प्रतिवर्ष 70 लाख पर्यटक आते हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई है इसके अलावा, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों में भी पर्यटन सुविधाएं स्थापित की गई हैं पर्यटन परिसरों में से कुछ हैं: दिल्ली के निकट सूरजकुंड तथा बडकल झील, सुल्तानपुर पक्षी विहार, (सुल्तानपुर), गुरुग्राम में सोहना तथा दमदमा और मनोरम चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध मोरनी हिल्स अन्य महत्वपूर्ण रिज़ॉर्ट हैं- एथनिक इंडिया राय, ब्लू जे (समालखा), स्काईलार्क (पानीपत), चक्रवर्ती झील और ओएसिस (उचाना), पराकीट (पीपली), किंगफ़िशर (अंबाला), मैगपाई (फरीदाबाद), दबचिक (होडल), शमा (गुड़गांव), जंगल बब्लर (दारुहेड़ा), गौरैया (बहादुरगढ़), मैना (रोहतक), ब्लू बर्ड (हिसार), रेड बिशप (पंचकुला) और पिंजौर गार्डन (पिंजौर)

वेबसाइट : www.haryana.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री सत्यदेव नारायण आर्य	मुख्य सचिव	:	श्री देपिन्दर सिंह धेसी
मुख्यमंत्री	:	श्री मनोहर लाल खट्टर	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	पंजाब और हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

क्षेत्रफल	:	55,673 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	68.65 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	शिमला	मुख्य भाषा	:	हिंदी और पहाड़ी

इतिहास और भूगोल

पश्चिमी हिमालय की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश खूबसूरत भूमि है मानचित्र पर यह 33.22.12’ उत्तरी अक्षांश और 75.47’.12 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है यह रमणीक क्षेत्र विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों का घर है और इसे ‘देवभूमि’ भी कहा जाता है हिमाचल का नाम हिमालय से ही प्रेरित है, जिसका अर्थ है ‘हिमाच्छादित भूमि’ इस क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, बाहरी हिमालय या शिवालिक, भीतरी हिमालय या मध्यवर्ती पर्वतमाला और ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन क्षेत्र समूचे राज्य में पत्थर और लकड़ी से बने हुए अनेकानेक मंदिर हैं हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपरा दुनिया में अनोखी है गहरी घाटियां, मजबूत चट्टानें, विशाल हिमनद, ऊंचे देवदार के पेड़, गर्जन करती नदियां और खूबसूरत वनस्पति हिमाचल को उसके अद्वितीय रूप में प्रस्तुत करती हैं

हिमाचल का राजनीतिक इतिहास भी खासा रोचक रहा है 15 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन तीस पहाड़ी रियासतों को मिलाकर यह राज्य अस्तित्व में आया था इन रियासतों में शिमला के 26 पहाड़ी राज्य और पंजाब सूबे की 4 पहाड़ी रियासतें थी उस समय हिमाचल का कुल क्षेत्र 27,018 वर्ग कि.मी. था और यहां की आबादी 9,35,000 थी पंजाब सीमा समिति की सिफारिश के बाद, भारत सरकार ने पंजाब को दो राज्यों, पंजाब और हरियाणा में विभक्त करते समय पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था यह क्षेत्र थे कांगड़ा जिला, शिमला, कुल्लू और लाहौल-स्पीति, अम्बाला जिले का नालागढ़ क्षेत्र, होशियारपुर जिले की उना तहसील और गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील यह विलयन 1 नवंबर, 1966 को संपन्न हुआ और इसके बाद हिमाचल के क्षेत्र में 55,673 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हो गई थी नए राज्य का उदघाटन शिमला में 1971 में किया गया था इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के तौर पर भारतीय संघ का 18वां राज्य अस्तित्व में आया था

कृषि

राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आबादी आजीविका के लिए सीधे कृषि से जुड़ी है कृषि और संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद का करीब 22.1 प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग कि.मी. में से 9.79 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य को समर्पित है

राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियां आलू, गैर मौसमी सब्जियों और अदरक जैसी नकदी फसलों के लिए उपयुक्त है अनाज की बेहतर पैदावार प्राप्ति के लिए, किसानों के बीच अधिक फसल देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया है किसानों की उत्साह वृद्धि के लिए 'मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना' की भी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश को 2014-15 और 2015-16 के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का 'कृषि कर्मण्य पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ है किसानों के कल्याण के लिए, राज्य भर में बैंकों की 2,061 शाखाएं किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अमल में ला रही हैं खलिहानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनके गिर्द सौर ऊर्जा युक्त बाड़ लगाने के लिए 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' की शुरुआत की गई ओलावृष्टि से बचने के लिए जालों पर छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर दी गई है

बागवानी

हिमाचल प्रदेश को देश का 'फल प्रदाता' कहा जाता है राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है 2.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फलों की खेती और उत्पादन के लिए तैयार करने के बाद उत्पाद 10.28 लाख एमटी तक पहुंच गया है राज्य की उपयुक्त जलवायु के कारण यहां सेब, नाशपाती, आड़ू, आलूबुखारा, खुबानी, आम, लीची, अमरूद, झरबेरी और नींबू प्रजातीय फलों जैसे विविध फलों का अच्छा उत्पादन होता है ओलावृष्टि से बागवानी की रक्षा करने के लिए 15,51,813 वर्ग मी. क्षेत्र को एंटी-हेल नेट्स से सुरक्षित किया गया है बागवानी के एकीकृत विकास के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जा रही है यह मिशन 'अंत से अंत' तक की अवधारणा पर आधारित है जिसके तहत राज्य में बागवानी विकास की सभी तरह की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा आम, सेब और नींबू प्रजातीय फलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मार्केटिंग मध्यवर्ती योजना की शुरुआत कर रही है

सड़कें

पहाड़ी राज्य होने के कारण सड़कें जीवनरेखा होने के साथ-साथ आवाजाही का मुख्य साधन हैं 1948 में जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तो यहां केवल 288 कि.मी. लंबी सड़कें थी राज्य में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत असाधारण विकास देखा गया है योजना को गांवों/निवास स्थानों को पूरी तरह सड़कों से जोड़ने के लिए अमल में लाया जा रहा है

पनबिजली उत्पादन

पनबिजली क्षमता राज्य की खुशहाली का आधार है और 27,436 मेगावाट की कुल मौजूदा क्षमता में से राज्य में 10,351 मेगावाट बिजली की खपत होती है राज्य में सौ प्रतिशत बिजली मुहैया कराई जा चुकी है

सिंचाई और जलापूर्ति

पानी किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण अंश होता है इसके लिए राज्य में कृषि और बागवानी के लिए सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है सिंचाई के लिए 3.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 2.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा चुका है सभी पेयजल योजनाओं के तहत जल उपचार संयंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं

वानिकी

हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 37,033 वर्ग कि.मी. है, जिस हिसाब से यह समूचे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 66.52 प्रतिशत बैठता है वानिकी प्रबंधन के अंतर्गत सरकार संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्र के बेहतर

इस्तेमाल और उसका क्षेत्र बढ़ाने का भी कार्य कर रही है वानिकी योजना और मृदा संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत वनरोपण का कार्य भी जारी है छोटे किसानों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए एकीकृत रूप से फसल और मवेशीपालन के साथ-साथ वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 'सब-मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री' नामक नई योजना शुरू की गई वन्यजीवन और प्राकृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाएं प्राणी उद्यानों एवं राष्ट्रीय पार्कों की दशा में सुधार कर रहे हैं, जिसके जरिए लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके पक्षी और जानवरों की सुरक्षा हो रही है

पर्यटन

राज्य में पर्यटन को सफल बनाने से जुड़े सभी बुनियादी स्रोत मौजूद हैं, जैसे कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ और शांत पर्यावरण और खूबसूरत नदियां, पवित्र स्थल, ऐतिहासिक इमारतें और मेहमाननवाज़ लोग पर्यटन उद्योग को यहां बहुत प्राथमिकता दी जाती है और सरकार ने इस दिशा में समुचित विकास भी किया है सरकार ने जनोपयोगी सेवाएं मार्ग, संचार नेटवर्क, हवाई अड्डे, यातायात सुविधाएं, बस अड्डों पर साफ टॉयलेट, रेस्तरां और पेट्रोल पंप, जलापूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढांचा तैयार किया है पर्यटन से राज्य के घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत आय जुड़ती है और 2020 तक यह आंकड़ा 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा बिजली की संशोधित दरों को नए पर्यटन उद्योग को सौंपा गया है राज्य में पैकेज टूर भी दिए जा रहे हैं और इनमें प्रमुख ध्यान रोमांच, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज, शीतकालीन खेलों, पैदल यात्राओं और बाहरी गतिविधियों को दिया गया है इनके अलावा, 70869 बिस्तरों वाले 2,064 होटल और करीब 787 होम स्टे इकाइयां भी राज्य में हैं

वेबसाइट : himachal.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	आचार्य देवव्रत	मुख्य सचिव	:	श्री बी. के. अग्रवाल
मुख्य मंत्री	:	श्री जयराम ठाकुर	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	हिमाचल प्रदेश

जम्मू - कश्मीर

क्षेत्रफल	:	2,22,236* वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	1.25 करोड़ (2011 जनगणना)
राजधानी	:	श्रीनगर (ग्रीष्मकाल में) जम्मू (शीतकाल में)	मुख्य भाषाएं	:	उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी, पंजाबी, गूजरी और दादरी।

* क्षेत्रफल में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से दिया गया 5,180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और चीन के अवैध कब्जे वाला 37,555 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है जनसंख्या के आंकड़ों में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जों वाले क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं कराई जा सकी

इतिहास और भूगोल

राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण नामक दो प्रामाणिक ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी इस कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने यहां से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया किंतु भू-गर्भशास्त्रियों का कहना है कि भू-गर्भीय परिवर्तनों के कारण खदियानयार, बारामुला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाने वाली कश्मीर घाटी अस्तित्व में आई ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया बाद में कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की छठी शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया यद्यपि 530 ईसवी में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया विक्रमादित्य राजवंश के पतन के पश्चात् कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे वहां हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विकसित हुआ कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य (697 से 738 ईसवी) सबसे प्रसिद्ध राजा हुए जिनका राज्य

पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर-पश्चिम में तुर्किस्तान, और उत्तर-पूर्व में तिब्बत तक फैला था ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ मुस्लिम शासकों में ज़ैन-उल-आबदीन (1420-70) सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जो कश्मीर में उस समय सत्ता में आया, जब तातारों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए बाद में चक शासकों ने जैन-उल-आबदीन के पुत्र हैदरशाह की सेना को खदेड़ दिया और 1586 तक कश्मीर पर राज किया सन् 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमजोर मुगल शासक के हाथ से निकलकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया 67 वर्षों तक पठानों ने कश्मीर घाटी पर शासन किया

जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ा है जम्मू 22 पहाड़ी रियासतों में बंटा हुआ था डोगरा शासक राजा मालदेव ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने विशाल राज्य की स्थापना की 1733 से 1782 तक राजा रंजीत देव ने जम्मू पर शासन किया किंतु उनके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया बाद में उन्होंने डोगरा शाही खानदान के वंशज राजा गुलाब सिंह को जम्मू राज्य सौंप दिया गुलाब सिंह रंजीत सिंह के गवर्नरों में सबसे शक्तिशाली बन गए और लगभग समूचे जम्मू क्षेत्र को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का शासन रहा इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए

परिवहन

सड़कें : राज्य 400 वर्ग कि.मी. लंबे एक राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1ए) द्वारा शेष देश से जुड़ा हुआ है, जिसका रखरखाव सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाता है रेल यातायात शुरुआती चरण में होने के कारण राज्य पूरी तरह से सड़क मार्ग पर निर्भर है, जो राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने का मुख्य जरिया है जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 1ए) के रखरखाव का खर्च विश्व में सबसे अधिक है

रेलवे : भौगोलिक कठिनाइयों के कारण राज्य में रेल का विकास, अन्य राज्यों के समान नहीं हो पाया है अभी तक जम्मू रेल लाइन को ऊधमपुर तक बढ़ाया गया है (53 कि.मी.) ऊधमपुर- बानिहाल रेल लाइन का काम चल रहा है और काजीगुंड से बारामुला के नीचे इन्ट्रा रेल लिंक पूरा हो चुका है जुलाई 2014 को राज्य में पहली कटरा उधमपुर ट्रेन शुरू हुई

उड्डयन : राज्य में तीन प्रमुख हवाईअड्डे हैं, जो राज्य के तीन क्षेत्रों और देश के बीच हवाई संपर्क उपलब्ध कराते हैं इसमें से श्रीनगर हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाकर इसका नाम शेख-उल-आलम हवाईअड्डा रखा गया है लेह तथा जम्मू हवाईअड्डों का भी उन्नयन किया गया है करगिल मुख्यालय पर एक अन्य हवाईअड्डे को डकोटा सेवा से जोड़ा गया है

कृषि

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी जीविका कृषि से अर्जित करती है राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है 49 प्रतिशत (2011) कार्यरत आबादी में से 42 प्रतिशत किसान तथा 7 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं, जो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं कृषि संवृद्धि का ग्रामीण रोजगार तथा आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के अलावा इसका ग्रामीण गैर कृषि-क्षेत्रों से महत्वपूर्ण द्वितीयक संबंध अधिक निर्णायक है केसर, शहद तथा बासमती जैसे दुर्लभ उत्पादों के निर्यात में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और यह कई उद्योगों की कच्चे माल की मांग की आपूर्ति करने का भी महत्वपूर्ण जरिया है

सिंचाई

सिंचाई खेती का एक अनिवार्य घटक है और विश्व के उन सभी हिस्सों में उपयोग में लाई जाती है जहां बारिश का पानी धरती को पर्याप्त नमी नहीं दे पाता राज्य में उपलब्ध सिंचाई क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का ही दोहन किया गया है राज्य की संभावित सिंचाई क्षमता 1,358 हजार हेक्टेयर है जिसमें 250 हजार हेक्टेयर

बड़ी और मझोली सिंचाई के जरिये तथा 1,108 हजार हेक्टेयर लघु सिंचाई से विकसित की जानी है

बागवानी

जम्मू-कश्मीर देश तथा विदेशों में अपने बागवानी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है राज्य में सभी प्रकार के बागवानी उत्पादों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं जिनमें सेब, नाशपाति, प्लम, खुबानी, आड़ू, बादाम, चेरी जैसे समशीतोष्ण और आम, अमरूद, नींबू, लीची आदि जैसे उपोष्णकटिबंधीय फल शामिल है इसके अलावा यहां कुछ स्थानों पर केसर तथा जीरा जैसे महत्वपूर्ण मसाले भी उगाए जाते हैं

उद्योग

औद्योगीकरण के नए युग की शुरुआत के लिए 2004 में व्यापक औद्योगिक नीति बनाई गई जो 2015 तक जारी रही इसके तहत राज्य में उद्योग को योजनाबद्ध प्रोत्साहन दिया गया है इसे मुख्यतः उपभोक्ता राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकताओं का स्तर इसके उत्पादन स्तर के बराबर है राज्य औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों की योजना के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे निकट भविष्य में इसे उत्पादक राज्य बनाया जा सके

हथकरघा

यह श्रम आधारित कुटीर उद्योग है जिसमें रोजगार के काफी अवसर हैं इस उद्योग की वृद्धि के लिए राज्य सरकार उत्पाद के डिजाइन एवं विविधीकरण, ऋण सुविधाएं तथा कौशल और हथकरघा उन्नयन के माध्यम से बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है व्यापक प्रचार तथा विपणन प्रोत्साहनों के जरिए हथकरघा उत्पादों के लिए बाजारी पैठ विस्तृत की जा रही है

पर्यटन

जम्मू-कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है घने हरे जंगल, मीठे झरने, सदाबहार नदियां, चीड़ के जंगलों के मनोहर नजारे और कश्मीर घाटी का सुहावना मौसम-धरती का यह स्वर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जबकि जम्मू क्षेत्र-मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है जिनमें प्रमुख मंदिर माता वैष्णों देवी का है लद्दाख-मूनलैंड, विशेष रूप से विदेशियों का प्रिय गंतव्य स्थल है जो रोमांचक पर्यटन का मशहूर केंद्र है

बिजली

राज्य की पनबिजली क्षमता 20,000 मेगावाट है जिसमें से 16,480 मेगावाट चिन्हित कर ली गई है

मेले और त्योहार

मेले और त्योहार राज्य की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतिबिंब हैं सभी हिंदू, मुस्लिम और सिख त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं भारत के अन्य भागों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी दीवाली, होली, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा तथा मिलाद-उन-नबी मनाए जाते हैं

वेबसाइट : www.jk.gov.in

सरकार

राज्यपाल :	श्री सत्यपाल मलिक	मुख्य सचिव	: श्री बी.आर. सुब्रह्मण्यम
मुख्यमंत्री :	—	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख

झारखंड

क्षेत्रफल	: 79,716 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 3,29,88,134 (जनगणना 2011)
राजधानी	: रांची	मुख्य भाषा	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

झारखंड 15 नवंबर, 2000 को संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया यह आदिवासियों की गृहभूमि है, जो लंबे समय से एक अलग राज्य का सपना देख रहे थे एक कथा के अनुसार, ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने तेरहवीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था झारखंड में मुख्य रूप से छोटानागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् की स्थापना की और अंततः पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया

झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा से घिरा हुआ है

कृषि

राज्य के 79,714 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 18,423 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन हैं कृषि और संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है

सिंचाई और बिजली

दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, संख, सुवर्णरेखा, खरकई और अजय राज्य के प्रमुख जल स्रोत हैं राज्य में कुल बुवाई क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है जिसमें 8 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है

उद्योग और खनिज

झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं: सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) अन्य प्रमुख उद्योग हैं: टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को), टिमकेन इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (धनबाद), खिलाड़ी सीमेंट फैक्टरी (पलामू), इंडियन एल्युमिनियम (मुरी), एसीसी सीमेंट (चाइबासा), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रांची), उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रान, यूरेनियम कारपोरेशन (आई) लिमिटेड (जादूगोड़ा), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (मुसाबनी), टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड (गोमिया) और हिंडालको बॉक्साइट (लोहरदगा), आदि

झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध है प्रमुख उपलब्ध खनिज हैं: कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज तांबा, बॉक्साइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बैंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिल्लौरी रेत और सिलिका बालू इस नवगठित राज्य में विशेषकर सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार क्षमताएं हैं

परिवहन

सड़कें : राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर है इसमें 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,711 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग शामिल हैं

रेलवे : राज्य में सुविकसित रेलवे प्रणाली है रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं

उड्डयन : विमान सेवा से रांची दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा है जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज तथा नोआमुंडी में हवाईपट्टियां हैं

पर्यटन स्थल

राज्य में अनेक मनोरम स्थल हैं ये हैं: इचागढ़ पक्षी विहार, उद्धव पक्षी विहार— साहिबगंज (पठारा झील), चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र— कोडरमा (तिलैया बांध), चंद्रपुरा पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान (बोकारो), तेनुघाट पक्षी विहार, डालमा वन्यजीव अभयारण्य (जमशेदपुर), टाटा स्टील जैविक उद्यान (जमशेदपुर), पलकोट वन्यजीव अभयारण्य (गमला), भगवान बिरसा जैविक उद्यान (रांची), बिरसा हिरन अभयारण्य (कालमाटी रांची), बेतला राष्ट्रीय उद्यान (पलामू), रांची मत्स्य केंद्र (रांची), हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तातोलोई गर्म पानी झरना (दुमका) और सारंदा वन

उपर्युक्त के अलावा झारखंड में कुछ मशहूर मंदिर हैं: झारखंड धाम, लंग्ता बाबा मंदिर/मजार, बिंधवासिनी मंदिर, मसनजोर धाम आदि

वेबसाइट: www.jharkhand.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू	मुख्य सचिव	: श्री सुधीर त्रिपाठी
मुख्यमंत्री	: श्री रघुबर दास	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: झारखंड

कर्नाटक

क्षेत्रफल	: 1,91,791 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 6.11 करोड़ (जनगणना 2001–अनंतिम)
राजधानी	: बंगलुरु	मुख्य भाषा	: कन्नड़

इतिहास और भूगोल

कर्नाटक का लगभग 2,000 वर्ष से भी अधिक पुराना लिखित इतिहास उपलब्ध है कर्नाटक पर नंद, मौर्य और सातवाहन राजाओं के शासन के अलावा चौथी शताब्दी के मध्य से इस क्षेत्र पर स्थानीय राजवंशों-बनवासी के कदंब तथा गंगों का अधिकार रहा श्रावणबेलगोला में विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा गंग वंश के एक मंत्री चावुंडराया ने ही बनवाई थी श्री गोमतेश्वर की यह विशाल प्रस्तर प्रतिमा जैन कला में सबसे भव्य है इसे तथा अन्य स्मारकों को देखने असंख्य आगंतुक श्रावणबेलगोला आते हैं बादामी के चालुक्य वंश (500 से 735 ई. तक) ने नर्मदा से कावेरी तक के विस्तृत क्षेत्र में पुलिकेशी द्वितीय (609 से 642 ई.) के समय से राज किया और उसने कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया इस राजवंश ने बादामी, एहोल और पट्टादकल में अनेक सुंदर कलात्मक तथा कालजयी स्मारकों का निर्माण किया इनमें चट्टानों को तराशकर बनाए गए मंदिर भी शामिल हैं एहोल देश के ऐसे स्थानों में से है जहां मंदिर वास्तुकला पनपी चालुक्यों की जगह लेने वाले माल्खेड़ के राष्ट्रकूटों ने तो (753 से 973 ई.) कन्नौज साम्राज्य के वैभव वाले युग में वहां के शासकों से कर भी प्राप्त किये इस काल में कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ भारत के श्रेष्ठ जैन विद्वान इन राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते थे कल्याण के चालुक्य राजाओं (973 से 1189 ई.) और उनके परवर्ती हलेबिड के होयसाल सामंतों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया और साहित्य तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहित किया सुविख्यात न्यायशास्त्री विज्ञानेश्वर (कृतिः मिताक्षर) कल्याण के रहने वाले थे महान धार्मिक नेता वासवेश्वर भी कल्याण साम्राज्य के मंत्री थे विजयनगर साम्राज्य (1335 से 1646 ई.) ने अपनी देशज परंपराओं का पोषण किया और कला, धर्म तथा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल साहित्य को प्रोत्साहित किया इस काल में विदेशों में व्यापार खूब फला-फूला बहमनी सुल्तानों (राजधानी : गुलबर्ग एवं बाद में बीदर) और बीजापुर के आदिलशाहों ने भारतीय-सारासैनिक शैली के भव्य भवनों का निर्माण किया और उर्दू व फारसी साहित्य को प्रोत्साहन दिया पुर्तगालियों के आगमन से राज्य में कई नई फसलों (तंबाकू, मक्का, मिर्च, मूंगफली, आलू आदि) की खेती होने लगी पेशवा (1818) और टीपू सुलतान (1799) की पराजय के पश्चात कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा तथा मशीनों से छपाई का प्रसार किया तथा परिवहन, संचार और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आई शहरी नगरों में मध्य वर्ग का उदय हुआ मैसूर साम्राज्य ने औद्योगीकरण एवं सांस्कृतिक विकास की शुरुआत की स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राज्य के

एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ हुआ

स्वतंत्रता के बाद 1953 में मैसूर राज्य बना और कन्नड़ भाषियों की अधिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण किया गया 1956 में कन्नड़ प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर विस्तारित मैसूर राज्य बना और 1973 में इसका नाम बदलकर 'कर्नाटक' कर दिया गया

कर्नाटक 11°31' और 18°14' उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 74°12' और 78°10' पूर्वी देशांतर के बीच में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है

वन और वन्यजीव

वन विभाग राज्य के 20.15 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंध करता है वनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है— सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ग्रामीण वन और निजी वन यहां 5 राष्ट्रीय पार्क और 23 वन्यजीव अभयारण्य है ईंधन की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए बेकार जंगलों और भूमि को विकसित किया जा रहा है पश्चिमी घाट की कोमल पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण और विकास पर बल दिया जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट जैसी अनेक योजनाएं केंद्रीय सहायता से लागू की जा रही हैं विदेशी सहायता से शुरू की गई दो परियोजनाओं-पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरण परियोजना (डीएफआईडी) तथा पूर्वी मैदान वानिकी और पर्यावरण परियोजना (जेबीआईएस) में लागू संयुक्त वन नियोजन एवं प्रबंधन की अवधारणा के परिणामस्वरूप ग्रामीण वन समितियों की स्थापना द्वारा ग्रामीण वन नियोजन एवं प्रबंधन हुआ है

कृषि

कर्नाटक की करीब 66 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और लगभग 55.60 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि श्रमिक हैं राज्य की 60 प्रतिशत (114 लाख हेक्टेयर) भूमि खेती योग्य है, जिसके 72 प्रतिशत क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है केवल 28 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की जाती है राज्य में 10 कृषि मौसम क्षेत्र हैं लाल मिट्टी राज्य की प्रमुख मृदा प्रकार है, जिसके बाद काली मिट्टी आती है कुल भूमि का केवल 5.17 प्रतिशत हिस्सा ही बुआई क्षेत्र है

डेयरी

कर्नाटक देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादकों में से एक है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के पास 21 डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 26.45 लाख लीटर प्रतिदिन है तथा 42 प्रतिशत शीत केंद्रों की क्षमता 14.60 लाख लीटर है

बागवानी

राज्य में 16.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी होती है इसमें 101 लाख मी. टन उत्पादन होता है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कर्नाटक के लिए 171.29 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं

विद्युत उत्पादन

कर्नाटक देश का ऐसा अग्रणी राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए आज राज्य की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 7,222.91 मेगावाट है और 31,229 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होता है

जैव प्रौद्योगिकी

कर्नाटक राज्य और विशेषकर बंगलुरु शहर देश का सबसे बड़ा जैव भंडार बन गया है

परिवहन

सड़कें : कर्नाटक में सड़कों की लंबाई 83,749 कि.मी. से बढ़ाकर 2,15,849 कि.मी. की गई है

बंदरगाह : राज्य में 155 समुद्री मील (300 कि.मी.) लंबे समुद्र तट पर केवल एक बड़ा बंदरगाह है— मंगलोर में यानी न्यू मंगलोर पोर्ट इसके अलावा 10 छोटे बंदरगाह हैं: कारवाड, बेलेकेरी, ताद्री, भत्कल, कुंडापुर, हंगरकट्टा, मालपे, पदुबिद्री, होन्नावर और पुराना मंगलोर इन 10 बंदगाहों में से केवल कारवाड़ हर मौसम के लिए है, अन्य सभी रिवराइन एंकरेज लाइटरेज पोर्ट हैं

उड्डयन : अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 50 प्रतिशत और घरेलू यात्रियों में 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है

पर्यटन

'एक राज्य कई दुनिया' के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र कर्नाटक में हाल ही में बहुत पर्यटक आए हैं यह राज्य अपने स्मारकों की विरासत और प्राकृतिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध है स्वर्ण रथ, जिसका नाम दक्षिण भारत की विश्व धरोहर 'हंपी' के प्रस्तर रथ के नाम पर रखा गया है, प्राचीन धरोहरों, भव्य महलों, वन्यजीवन और सुनहरे समुद्र-तटों के बीच भ्रमण करेगा इसकी 7 रात और 8 दिन की यात्रा प्रत्येक सोमवार को बंगलुरु से शुरू होती है मैसूर में श्रीरंगपटन, मैसूर महल, नगरहोल राष्ट्रीय पार्क (कबीनी) की सैर कराते हुए 11वीं शताब्दी के होयसाला स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला, बेलूर, हलेबिडु, हंपी से होते हुए बदामी, पट्टादकल और ऐहोल की त्रिकोणीय धरोहर से गोवा के सुनहरे समुद्र-तटों का अवलोकन कराते हुए अंत में यह बंगलुरु वापस आती है

वेबसाइट: www.karnataka.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: श्री वाजूभाई रुद्रभाई वाला	मुख्य सचिव	: टी. एम. विजयभास्कर
मुख्यमंत्री	: श्री एच.डी. कुमारस्वामी	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: कर्नाटक

केरल

क्षेत्रफल	: 38,852 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 3.34 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	: तिरुवनंतपुरम	मुख्य भाषा	: मलयालम

इतिहास और भूगोल

केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ तब त्रावनकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर जुलाई 1949 को त्रावणकोर-कोचीन राज्य बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत त्रावणकोर-कोचीन राज्य तथा मालाबार को मिलाकर नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया

पूर्व में ऊंचे पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर के बीच स्थित इस प्रदेश की चौड़ाई 35 कि.मी. से 120 कि.मी. तक है भौगोलिक दृष्टि से केरल को पर्वतीय क्षेत्र, घाटी, मध्यवर्ती मैदान तथा तटवर्ती क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है केरल नदियों और तालाबों के मामले में समृद्ध है 44 नदियां (41 पश्चिम की ओर और 3 पूर्व की ओर बहने वाली) अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ राज्य से होकर गुजरती हैं समुद्री झीलें केरल में आकर्षण का केंद्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं

कृषि

हरे-भरे धान के खेत, नारियल के पेड़, खुशबूदार मसाले के बागान और 'गॉड्स ओन कंट्री' के रूप में मशहूर केरल भारत के दक्षिणी छोर पर बसा है उपजाऊ जमीन तथा समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय केरल को विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र बनाती है, जिनमें नारियल, चावल, रबर, केला, मसाले, फल, सब्जियां, काजू, आलू, चाय, कॉफी, सुपारी तथा औषधीय पौधे आदि शामिल हैं

उद्योग

राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में मजबूत निवेश के लिए निवेशक हितैषी औद्योगिक नीति लागू करने की पहल की है, जिससे हर क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानक हासिल करने के उद्देश्य त्वरित, समग्र तथा स्थायी आर्थिक संवृद्धि के साथ केरल को जीवंत उद्यमी समाज में बदला जा सके

सिंचाई

राज्य में भूतल सिंचाई का प्रमुख हिस्सा है सिंचाई के लिए कुल 18 बांध हैं सिंचाई विकास मुख्यतः बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के विकास पर, सतही जल संसाधनों के विकास पर केंद्रित है प्रत्येक योजना में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होने वाली प्रमुख फसल धान की है केरल में कृषि के मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों से चावल की खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट आई है बदलावों के चलते चावलों की खेती की गुरुत्व सिंचाई सेवा के लिए विकसित की गई वितरण प्रणाली को भी फिर से श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है

पेयजल

देश में मानव गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी बढ़ रही है पेयजल सुविधा प्रदान करना राज्यों की प्रमुख जिम्मेदारी है 71 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 29 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध है

बिजली

सभी विकास गतिविधियों में बिजली क्षेत्र की भूमिका अहम है स्पष्टतः औद्योगिक क्षेत्र में नई पहल के लिए बिजली समस्या मुख्य अवरोधक है केरल उन कुछ राज्यों में से है जहां बिजली की कमी है और यह राज्य 60 प्रतिशत बिजली दूसरे राज्यों से खरीदता है सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य के सभी गांवों में बिजली है

परिवहन

अब किसी भी देश के समग्र विकास में परिवहन एक निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक विकास को सक्षम बनाता है परिवहन की ढांचागत सुविधाओं में स्थापित प्रतिष्ठान, सड़कें, रेलमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग, नहरें, पाइपलाइन तथा टर्मिनल शामिल हैं केरल में परिवहन प्रणाली अच्छी है केरल में सड़कों का रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्थानीय निकायों, सिंचाई विभाग, केरल राज्य विद्युत बोर्ड, वन विभाग, रेलवे इत्यादि का दायित्व है

बंदरगाह : केरल राज्य भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर है इसकी तटीय लंबाई 585 कि.मी. है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 60 कि.मी. है कोच्चि में इसका एक प्रमुख बंदरगाह है तथा 17 अन्य छोटे बंदरगाह हैं केरल की भौगोलिक स्थिति अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से बेहद करीब है यहां 17 छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से तीन को, उनमें उपलब्ध गोदी, पोतभार संचालन और भंडारण सुविधाओं के आधार पर मध्यवर्ती बंदरगाह माना जाता है इन्होंने देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा कृषि विकास में पर्याप्त योगदान किया है

रेलवे : रेलमार्ग निश्चित रूप से देश की औद्योगिक उन्नति का कारण है और यह आज भी देश का सबसे विशाल रोज़गार प्रदाता है केरल में रेलमार्ग की कुल लंबाई 1257 कि.मी. है और यह 13 रेलमार्गों को कवर करता है

हवाई परिवहन : केरल में तीन- तिरुवंतपुरम, कोच्चि तथा कोरिकोड हवाईअड्डे हैं, जो घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार की उड़ानों का संचालन करते हैं तिरुवंतपुरम तथा कोरिकोड हवाईअड्डा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का है, जिसकी स्थापना केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी

क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) से की गई है

त्योहार

केरल में कई रंग-बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं ओणम यहां का विशिष्ट त्योहार है, जो फसल कटाई के समय में आता है अब यह खगोलीय नव वर्ष दिवस पर मनाया जाता है नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है महा शिवरात्रि पेरियार नदी के तट पर एक शानदार उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जिसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है 41 दिन चलने वाला यह उत्सव, जोकि सबरीमाला स्वामी मंदिर में मकरविलाक्कु के साथ पड़ता है, देश-विदेश से लाखों लोगों को आकर्षित करता है वल्लमकलि अथवा नौका दौड़ केरल की खासियत है पुन्नयदा झील में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्राफी नौका रेस के अलावा, केरल के सभी नौका उत्सव धार्मिक होते हैं त्रिशूर में हर वर्ष अप्रैल-मई में पूरम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सुसज्जित हाथियों का एक शानदार जुलूस निकलता है और अनूठी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है ईसाइयों के प्रमुख त्योहार क्रिसमस तथा ईस्टर हैं पुम्बा रिवरबेड पर हर वर्ष होने वाला मॉरमॉन सम्मेलन एशिया में ईसाइयों की सबसे बड़ी गोष्ठी है मुस्लिम मिलाद-ए-शरीफ, रमजान, ईद-उल-फितर तथा बकरीद मनाते हैं

पर्यटन

केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति ने इसे विश्व के सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्यों में से एक बना दिया है गॉडस ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 ऐसे गंतव्यों में से एक के रूप में चुना है, जहां हर एक को जीवन में एक बार जाना ही चाहिये इसे दुनिया में मौजूद 13 जन्नतों में से एक बताया गया है इसके अनूठे ईको टूरिज्म प्रयास, संस्कृति तथा परंपराएं और इसकी विविध जनसांख्यिकी ने इसे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय गंतव्यों में से एक बना दिया है सौम्य जलवायु, शांत समुद्र तट, अप्रवाही जल (बैक वॉटर) का प्रशांत प्रसार, हरे-भरे पहाड़ी स्थल, तथा अनोखे वन्य जीव इस भूमि के प्रमुख आकर्षण हैं केरल घूमने का एक अनूठा लाभ ये भी है कि यहां अधिकांश पर्यटन स्थल एक-दूसरे से केवल दो-चार घंटे की दूरी पर ही हैं

वेबसाइट : www.kerala.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. सदासिवम	**मुख्य सचिव**	:	श्री टॉम जोस
मुख्यमंत्री	:	श्री पिनराई विजयन	**अधिकार क्षेत्र**	:	केरल और लक्षद्वीप

मध्य प्रदेश

क्षेत्रफल	:	3,08,252 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	7.27 करोड़ (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	भोपाल	**मुख्य भाषा**	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है भौगोलिक दृष्टि से यह देश में महत्वपूर्ण स्थान पर है सम्राट अशोक ने सबसे पहले उज्जैन पर शासन किया मध्य भारत का काफी बड़ा हिस्सा गुप्त साम्राज्य (300-500 ई.) का भाग था ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ सबसे पहले महमूद गजनी यहां आया और फिर मुहम्मद गौरी, जिसने वहां के कुछ भागों को अपनी दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया मध्य भारत मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा मराठों का प्रभाव आरंभ होने से लेकर 1794 में माधोजी सिंधिया के देहांत तक मध्य भारत पर मराठों का बोलबाला रहा परंतु उसके बाद छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य बनने लगे ये छोटे राज्य ही आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता के पैर जमने का कारण बने

इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर, गोंड की महारानी कमलापति और रानी दुर्गावती आदि कुछ महान

महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन से अपनी अमिट छाप छोड़ी मध्य प्रदेश नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया नये राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए इसे नवंबर 2000 को पुनर्गठित किया गया है मध्य प्रदेश के उत्तर में अब उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान है

अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलताएं हासिल की हैं और आज देश में इसकी सफलता अनेक अध्ययनों का विषय है एक दशक के दौरान ही इसकी जीएसडीसी ₹ 1 लाख करोड़ से ₹ 5 लाख तक पहुंच चुकी है

कृषि

देश में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर में पिछले चार वर्षों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है दालों, तिलहन, सोयाबीन, ग्राम, फलियां, लहसुन, अमरूद एवं औषधीय व सुगंधित जड़ी-बूटियों के उत्पादन में राज्य देश में अग्रणी है यहां बागवानी को भी बड़े तौर पर प्रश्रय दिया जा रहा है

सिंचाई

सिंचाई हेतु क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दस वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन बड़ी, पांच मझोली और 700 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया जिसके बाद नहर सिंचाई क्षमता में 2.5 गुना इजाफा हुआ है

बिजली

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षेत्र में असाधारण सफलता मिली है पिछले बारह वर्षों में विद्युत उत्पादन 4,500 मेगावाट से बढ़कर 17,169 मेगावाट हो चुका है देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच में स्थापित हो चुका है

उद्योग

लघु, छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई है राज्य सरकार की एमएसएमई नीति के अमलीकरण के लिए उद्योग आधारित ज्ञापन के अंतर्गत 50,000 इकाइयों का पंजीकरण किया गया है ₹ 5 हजार करोड़ के निवेश से स्थापित उन इकाइयों में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है

आनंद विभाग

लोगों को प्रसन्न और आनंदमय जीवन जीने के लिए उचित वातावरण तैयार करने के प्रयास में मदद के लिए सरकार ने आनंद विभाग की स्थापना की है भारत के प्राचीन ज्ञान के आधार पर और साथ ही राष्ट्रीय विकास के संबंध में विशिष्ट अवयवों को सूचीबद्ध करने तथा हमारी नीतियों और कार्यकारी योजनाओं में अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर राज्य ने प्रसन्नता की अवधारणा को तय करने का निर्णय लिया है

परिवहन

सड़कें : मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 58,423 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,709 कि.मी. और प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 10,501 कि.मी. है

रेलवे : उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला प्रमुख रेलमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है राज्य में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन मुख्य जंक्शन हैं रेलवे के क्षेत्रीय मंडल मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में हैं

त्योहार

राज्य में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार भगोरिया है, जो परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाता है खजुराहो, भोजपुर, पचमढ़ी और उज्जैन में शिवरात्रि पर्व के दौरान स्थानीय परंपराओं का रंग दिखाई देता है चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी पर्व के आयोजन की अनोखी परंपरा है ओरछा, मालवा और पचमढ़ी के उत्सवों में कला और संस्कृति का बड़ा सुंदर मेल दिखाई देता है ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह, मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उज्जैन के कालिदास समारोह और खजुराहो के नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध कला उत्सव हैं

पर्यटन स्थल

अपनी मध्यकालीन विशेषताओं को सहेजकर रखे हुए मध्य प्रदेश के शहर, स्फूर्ति भर देने वाले वन्य जीव अभयारण्य, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान और देश के पवित्रतम तथा महत्वपूर्ण तीर्थ इस राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं पचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें और जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीव हैं—ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरि, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं माहेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक ऐसे स्थान हैं जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है खजुराहो के मंदिर विश्व में अनूठे हैं इसके अलावा, ओरछा, भोजपुर और उदयपुर के मंदिर इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं सतना, सांची, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, रीवां और अन्य अनेक स्थानों के संग्रहालयों में पुरातत्वीय महत्व के भंडारों को संरक्षित रखा गया है माहेश्वर, ओंकारेश्वर तथा अमरकंटक को उनके धार्मिक महत्व के अनुसार समग्र विकास के लिए पवित्र शहर घोषित किया गया है

वेबसाइट: www.mp.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	सुश्री आनंदीबेन पटेल	मुख्य सचिव	:	श्री सुधी रंजन मोहंती
मुख्यमंत्री	:	श्री कमलनाथ	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल	:	3,07,713 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	11.24 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	मुंबई	मुख्य भाषा	:	मराठी

इतिहास और भूगोल

महाराष्ट्र के प्रथम प्रसिद्ध शासक सातवाहन (ई.पू. 230 से 225 ई.) थे जोकि महाराष्ट्र के संस्थापक थे उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने सर्व-भारतीय साम्राज्य की स्थापना की उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला तथा धर्म सभी दिशाओं में विकास हुआ उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्तिचित्र बनाए गए वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता में आए इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का नियंत्रण रहा यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कायम किया

हालांकि बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को कुछ हद तक समन्वित किया, पर शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ और यह एक अलग पहचान के साथ उभरकर सामने आया शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को

भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया

स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र सबसे आगे था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यहीं हुआ मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया गांधीजी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी

देश के राज्यों के भाषायी पुनर्गठन के फलस्वरूप मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ यह राज्य आसपास के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, जोकि पहले चार अलग-अलग प्रशासनों के नियंत्रण में थे इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निज़ाम की रियासत के पांच जिले, मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) के दक्षिण के आठ जिले तथा आसपास की ऐसी अनेक छोटी-छोटी रियासतें शामिल थीं, जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई थीं महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से एक समान है यहां का मुंबई बंदरगाह अरब सागर का महत्वपूर्ण बंदरगाह है भौतिक दृष्टि से यह राज्य मुख्यतः पठारी है महाराष्ट्र पठारों का पठार है इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्रि पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर हैं तथा इसकी ढलान पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ती है उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जबकि अजंता तथा सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती हैं अरब सागर राज्य की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में हैं राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में है

कृषि

महाराष्ट्र के लगभग 65 प्रतिशत श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं यहां की प्रमुख फसलें हैं– धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दलहन यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं– कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां

उद्योग

महाराष्ट्र को देश का पावर हाउस माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है खाद्य उत्पाद, ब्रेवरीज़, तंबाकू और इससे बनी चीजें, सूती कपड़ा, कपड़े से बना सामान, कागज और इससे बनी चीजें, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़, प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, मशीनें, बिजली की मशीनें, यंत्र व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कलपुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है

परिवहन

सड़कें : सड़कों की कुल लंबाई 2.43 लाख कि.मी. है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,376 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की 34,157 कि.मी., प्रमुख जिला सड़कों की 50,256 कि.मी., अन्य जिला सड़कों की लंबाई 46,817 कि.मी. और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,06,601 कि.मी. है

रेलवे : महाराष्ट्र में 5,983 कि.मी. रेल मार्ग है जोकि देश में कुल रेल मार्ग का 9.2 प्रतिशत है

उड्डयन : राज्य में 3 अंतरराष्ट्रीय तथा 5 घरेलू हवाईअड्डे हैं मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भीड़ कम करने के लिए नवी मुंबई में एक और हवाईअड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है

बंदरगाह : मुंबई प्रमुख बंदरगाह है राज्य में दो बड़े और 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह हैं

पर्यटन स्थल

यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं: अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा, कन्हेरी और कारला गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगनी, जवाहर, मालशेजघाट, अंबोली, चिकलधारा और पन्हाला पर्वतीय स्थल

पंढरपुर, नासिक, शिरडी, नांदेड, औंधा नागनाथ, त्रयंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतिपुले, भीमशंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव, कोल्हापुर, जेजुरी तथा अंबजोगई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं

वेबसाइट : www.maharashtra.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री चिन्नामनी विद्यासागर राव	मुख्य सचिव	:	श्री डी. के. जैन
मुख्यमंत्री	:	श्री देवेन्द्र फडणवीस	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	महाराष्ट्र और गोवा, दीव और दमन, दादरा और नगर हवेली

मणिपुर

क्षेत्रफल	:	22,327 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	28.56 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	इंफाल	मुख्य भाषा	:	मणिपुरी

इतिहास और भूगोल

ईसा युग के प्रारंभ होने से पहले से ही मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास है यहां के राजवंशों का लिखित इतिहास सन् 33 में नोगंडा लैरेन पखंगबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही उसके बाद सात वर्ष (1819 से 1826 तक) बर्मी लोगों ने यहां पर कब्जा करके शासन किया 1897 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया 1947 में इसे पुनः आज़ादी मिली और 1950 को यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग 'सी' के राज्य के रूप में मिला दिया गया 1950-51 के दौरान एक सलाहकार के रूप में सरकार बनी बाद में 1957 में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद् गठित की गई जिसमें 30 चयनित तथा 2 मनोनीत सदस्य थे इसके बाद 1963 में केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई दिसंबर 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई इसमें से 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है राज्य से लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक प्रतिनिधि है

मणिपुर भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है मणिपुर के पूर्व में उपरी म्यामां, उत्तर में नगालैंड, पश्चिम में असम का काचार जिला और दक्षिण में म्यामां की चिन पहाड़ियों और मिज़ोरम से घिरा हुआ है मणिपुर की सीमा रेखा कुल 854 कि.मी. है जिसमें 352 कि.मी. पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में म्यामां की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है भौगोलिक दृष्टि से यह अनोखी स्थिति है, क्योंकि यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से मिलाता है यह 23.80° से 25.68° उत्तरी अक्षांश और 93.03° से 94.78° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है

राज्य का कुल क्षेत्र 22,327 वर्ग कि.मी. है मध्य भाग में एक छोटा अंडाकार मैदान है इंफाल घाटी के नाम से जाना जाने वाला यह मध्य भाग समुद्र तल से लगभग 790 मीटर ऊपर है यह घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई हैं पहाड़ियां राज्य के 9/10 हिस्से को घेरे हुए हैं पहाड़ियां उत्तर में ऊंची है और दक्षिण में कम होते होते समाप्त हो जाती हैं घाटीं भी दक्षिण की ओर ढल जाती हैं

कृषि

कृषि और संबद्ध गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है 70 प्रतिशत आबादी इस पर निर्भर करती है घाटी तथा पर्वत राज्य के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है घाटी में उष्णकटिबंधीय से उष्ण-समशीतोष्ण जलवायु है पहाड़ियों पर उष्ण-समशीतोष्ण से समशीतोष्ण जलवायु है, जहां पर्वतों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3,000 मीटर ऊपर की है राज्य में विशिष्ट तरह का शीतकाल और गर्म, आर्द्र तथा बरसाती ग्रीष्मकाल होता है पिछले 10 वर्षों में राज्य में औसतन 1482.20 मि.मी. वर्षा हुई जून, जुलाई तथा अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है राज्य में कृषि का विकास भी असमान

है क्योंकि यह बरसात पर निर्भर करती है

वन

राज्य में 701 वर्ग कि.मी. अत्यधिक घना, 5474 वर्ग कि.मी. कम घना तथा 11,105 वर्ग किमी खुला वन क्षेत्र है

सिंचाई

वर्ष 1980 से राज्य में मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं अभी तक 8 बड़ी और मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं जिनमें से 5 लोकटक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खोपम बाँध परियोजना, इंफाल बैराज परियोजना, सेकमी बैराज परियोजना और सिंगड़ा बहुउद्देशीय परियोजना पूरी कर ली गई है

वाणिज्य तथा उद्योग

हथकरघा उद्योग बड़ा और महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है इससे बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधरती है, आधुनिक मशीनी युग में भी इसकी उत्कृष्टता बरकरार है नेशनल कांउसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा कराई गई तीसरी बुनकरों और सहयोगी कामगारों की राष्ट्रीय हथकरघा जनगणना 2010 के मुताबिक, मणिपुर बुनकर परिवार हिस्सेदारी में सबसे ऊपर है राज्य में कुल 218.753 हथकरघा कारीगर हैं (जिसमें 2,00,607 बुनकर और 18,146 श्रमिक) जोकि देश में चौथे स्थान पर है राज्य में 1,90,634 हथकरघा हैं जिसका देश में तीसरा स्थान है और जिसमें वर्ष 2009-10 में सूत की खपत 1,86,703 किलोग्राम रही जोकि देश में तीसरे स्थान पर है कुल हथकरघा श्रमिकों में से लगभग 91 प्रतिशत को-ऑपरेटिव/मास्टर वीर्वस कॉर्पोरेशन/केवीआईसी/निजी क्षेत्र के मालिकों से अलग, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं इसलिए मणिपुर देश के सर्वश्रेष्ठ चार ऐसे राज्यों में से एक है, जो हथकरघा उद्योग को संवर्द्धित तथा पोषित कर राज्य की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए रोज़गार पैदा कर रहा है

बिजली

मणिपुर राज्य की विदुयत आपूर्ति पूरी तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विदुयत उत्पादन स्टेशन पर निर्भर है चूंकि राज्य में उत्पादन स्टेशन जल आधारित हैं इसलिए कम पानी की स्थिति में उत्पादन घट जाता है और परिणामस्वरूप मणिपुर के हिस्से में भारी कमी आ जाती है

परिवहन

सड़कें : चूंकि राज्य में कोई अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे या रोपवे नहीं हैं अतः सड़क परिवहन ही विकास के लिए एकमात्र संचार साधन है सारी विकास गतिविधियां सड़क परिवहन सुविधाओं पर निर्भर हैं तीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39, 53 तथा 150 राज्य के सभी जिलों को जोड़ते हैं राजधानी इंफाल राष्ट्रीय राजमार्ग 39 द्वारा उत्तर में नगालैंड तथा पूर्व म्यामां से तथा एनएच 53 पश्चिम में असम से तथा एनएच 150 दक्षिण में मिज़ोरम से जोड़ता है

उड्डयन : इंफाल पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे बड़ा हवाईअड्डा है यह आईजॉल, गुवाहाटी, अगरतला और दीमापुर, कोलकाता, पुणे, सिलचर, बंगलुरु तथा नई दिल्ली से वायु सेवा द्वारा जुड़ा है

रेलवे : 1990 में जिरीबम में रेल का अंतिम स्टेशन हेड खोले जाने के साथ ही राज्य देश के रेल मानचित्र पर अंकित हो गया यह इंफाल से 225 कि.मी. है इंफाल का निकटवर्ती रेल का अंतिम स्टेशन दिमापुर (नगालैंड) 215 कि.मी. है जिरीबम-तुपुल इंफाल रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है लाइन का निर्माण 2014 तक (तुपुल तक) पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है और इसे इंफाल तक 2016 में बढ़ाया जाएगा

त्योहार

मणिपुर में वर्षभर त्योहार मनाए जाते हैं शायद ही कोई महीना हो जब कोई त्योहार न मनाया जाता हो

त्योहार मणिपुर निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आकांक्षाओं के प्रतीक हैं राज्य के प्रमुख त्योहार हैं— लाई हारोबा, रास लीला, चिराओबा, निंगोल चाक-कुबा, रथ यात्रा, ईद-उल-फितर, इमोइनुइराटपा, गान-नागाई, लुई-नगाई-नी, ईद-उल-जुहा, योशांग (होली), दुर्गा पूजा, मेरा होचोंगबा, दिवाली, कुट तथा क्रिसमस आदि

पर्यटन स्थल

मणिपुर न केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है बल्कि शौकीन पर्यटकों के लिए एक रोमांचक गंतव्य भी है स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा मनमोहक प्राकृतिक भू-दृश्यों से मणिपुर पर्यटकों को बार-बार आने के लिए लुभाता है मुख्य पर्यटन केंद्र— कांगला, श्रीश्री गोविंदाजी मंदिर, ख्वाराम्बंद बाजार (इमा किथेल), युद्ध स्मारक, शहीद मीनार, नूपी लेन (स्त्रियों का युद्ध) स्मारक परिसर, खोगंमपट्ट उद्यान, आजाद हिंद सेना (मोइरंग) स्मारक, लोकटक झील, केइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, सेंदरा, मोरेह, सिरोय पहाड़ियां, ड्यूको घाटी, राज्य संग्रहालय, कैना पर्यटक आवास, खोंग्जोम युद्ध स्मारक परिसर तथा भारत शांति स्मारक (रेड हिल), इत्यादि

वेबसाइट : www.manipur.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	डॉ. नजमा हेपतुल्ला	मुख्य सचिव	:	श्री रजनी रंजन रश्मि
मुख्यमंत्री	:	श्री एन. बीरेन सिंह	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मणिपुर

मेघालय

क्षेत्रफल	:	22,429 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	29.67 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	शिलांग	मुख्य भाषा	:	खासी, गारो तथा अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1970 को एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी, 1972 को अस्तित्व में आया इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है– 'मेघों का आलय' यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है यहां मुख्यतः खासी, जयंतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग, जिसमें खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, विशाल पठारी क्षेत्र है इस इलाके में विस्तृत मैदान, पहाड़ियां और नदी-घाटियां हैं इस पठार के दक्षिणी इलाके में गहरे खड्ड तथा खड़ी ढलानें हैं और पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है

कृषि

मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है यहां की लगभग 81 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर है यहां की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहां काफी क्षमता है शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहां अच्छी संभावनाएं हैं चावल और मक्का यहां की मुख्य फसलें हैं इनके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे (खासी मेंडेरियन), अनानास, केला, कटहल और आलूबुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, टैपियोका, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेस्टा, सरसों और तोरिया शामिल हैं इस समय गैर-परंपरागत फसलों जैसे तिलहनों (मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी), काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय और कॉफी, मशरूम, जड़ी-बूटियों, आर्किड और व्यावसायिक दृष्टि से

उगाई जाने वाले फूलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

वन

राज्य में कुल 9,49,56,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र है जिसमें आरक्षित, सुरक्षित, राष्ट्रीय उद्यान और श्रेणीहीन उद्यान आते हैं मुख्य वन्य उत्पादन हैं- लकड़ी, बांस, ईख, झाड़ की डंडी, बेंत, औषधीय जड़ी-बूटियां और पौधे, इलायची और छप्पर घास अजालीस तथा बुरुंश से खसी तथा जयंतियां पहाड़ियां भरे हुए होते हैं इन जंगलों में कई खूबसूरत ऑर्किड् भी पाए जाते हैं जयंतियां पहाड़ियों में कीट-पतंगों को खाने वाले अनोखे पिचर पौधे भी मिलते हैं यह बोटेनिकल अजूबे हैं ऐसा कहा जाता है कि ऐसे पौधे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते जंगली साइटरस और बौना लिली जैसे दुर्लभ और रोचक पौधे भी यहां मिलते हैं

वन्य जीव

मेघालय का वन्य जीवन बहुत ही समृद्ध है यहां पर हाथी, भालू, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुए, गोल्डन बिल्लियां, तेंदुआ, बिल्लियां, जंगली बिल्लियां, विभिन्न प्रकार के हिरण, बिन्टुरागस, स्लोलोरिस, विभिन्न प्रकार के बंदर, सुनहरी लंगूर और हूलाक, उड़ने वाली गिलहरी तथा विशालकाय गिलहरियां पाई जाती हैं यहां पर बहुत ही दिलचस्प और दुर्लभ जाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे- हॉर्नबिल, तीतर, टील, स्नाइप, हंस, बतख और कोयल इन सब की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं; नोकरेक और बालपकरम, और दो वन्य जीव अभयारण्य हैं- नोंगखाइलम और सीजू

उद्योग

राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कृषि रहित उद्योग सीमेंट है चूना पत्थर की बहुतायत के कारण यहां अनेक सीमेंट प्लांट सक्रिय हैं इसके अलावा, सेवा उद्योग, बेकरी, फर्नीचर निर्माण, लौह एवं इस्पात निर्माण, टायर पुनर्निर्माण आदि लघु उद्योग भी लगातार बढ़ रहे हैं मेघालय उद्योग विकास संगठन छोटे उद्यमियों से पंजीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करता है ताकि वह वित्तीय एवं लाभांश सहभागिता के आधार पर छोटे एवं लघु क्षेत्रों में उद्योग को मिलने वाले सहयोग और प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें

रोचक स्थल

मेघालय में अनेक रमणीक पर्यटन स्थल हैं राजधानी शिलांग में अनेक खूबसूरत स्थल हैं वार्ड झील, फान नोंगलेत पार्क, उच्चस्तरीय पोलो मैदान, एलिफेंट फाल्स और शहर की ओर देखती शिलांग पहाड़ियों प्रमुख हैं उमियम शिलांग से 17 किमी की दूरी पर स्थित है और राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान बना रहा है इसी तरह शिलांग चोटी शहर से 10 किमी की दूरी पर स्थित है और समुद्र तट से यह 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिलांग चोटी समुद्र तट से 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदर्श पिकनिक स्थल है और यह शहर से 10 किमी की दूरी पर स्थित है भारी वर्षापात के लिए प्रसिद्ध सोहरा शिलांग से 56 किमी पर स्थित है इसी तरह शिलांग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मॉसित्रम शिलांग-माफलांग मार्ग के एक ओर स्थित है यहां सोहरा जितनी ही वर्षा होती है जक्रेम जाना-माना हेल्थ रिजॉर्ट है जहां सल्फर जल के स्रोत हैं माना जाता है कि यहां से निकलने वाले जल में औषधीय तत्व होते हैं यह शिलांग से 64 किमी दूर है रानीकोर शिलांग से 140 किमी दूर है यह स्थान रमणीक सौंदर्य से आच्छादित है दावकी की दूरी शिलांग से 96 किमी है यह बेहद सुंदर पिकनिक स्पॉट है जहां स्वच्छ जल धाराएं और गहरे पानी के स्रोत हैं इसके एक ओर खासी की पहाड़ियां हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश पड़ता है

परिवहन

सड़कें : मेघालय से छह राष्ट्रीय राजमार्ग (कुल 606 किलोमीटर) गुजरते हैं राज्य में 9,350 कि.मी. लंबे मार्ग हैं प्रत्येक 100 वर्ग कि.मी. मार्ग घनत्व 41.69 किमी है

उड्डयन : राज्य में एकमात्र हवाईअड्डा उमरोई में है, जो शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है

प्राकृतिक विशेषताएं

मेघालय के मध्य और पूर्वी हिस्से में पड़ने वाली खासी और जयंतियां पहाड़ियां घास के मैदान, चोटियां और नदी-घाटियों के लुभावने पठार हैं पठारों के दक्षिणी हिस्से में गहरी घाटियां और ऊंची-नीची जमीन है इस ऊबड़-खाबड़ जमीन के अंत में संकरी मैदानी पट्टी है जो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचती है

मेघालय के पश्चिमी हिस्से में गारो पहाड़ियां अपेक्षाकृत छोटी हैं गारो पहाड़ियों का सबसे ऊपरी हिस्सा ऊंचाई में 450 मीटर से 600 मीटर तक है और उत्तर में यह सीधा ब्रह्मपुत्र घाटी में और दक्षिण में बांग्लादेश के मैदानों में उतरती हैं पश्चिमी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, तूरा नगर के पूर्व में स्थित 1412 मीटर ऊंची नोकरेक चोटी है

इस पहाड़ी राज्य में कई नदियां हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी नाव नहीं चलाई जा सकती गारो पहाड़ियों में मंदा, दामरिंग और जंजीराम नदियां उत्तर की ओर बहती हैं जबकि गेनल पश्चिमी दिशा की ओर बहती है दक्षिण को बहने वाली सिमसांग है, जोकि गारो पहाड़ियों और भोगाई की सबसे बड़ी नदी है

वेबसाइट : www.meghalaya.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री तथागत रॉय	मुख्य सचिव	:	श्री के.एस. क्रोफा
मुख्यमंत्री	:	श्री कोनराड कोंगकल	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मेघालय उच्च न्यायालय

मिज़ोरम

क्षेत्रफल	:	21,081 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	10.97 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	:	आईजॉल	मुख्य भाषा	:	मिजो, लुशाई और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मिज़ोरम पर्वतीय प्रदेश है फरवरी 1987 में यह भारत का 23वां राज्य बना 1972 में केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था 1891 में ब्रिटिश कब्जे में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम पड़ा– लुशाई हिल्स जिला और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिज़ोरम केंद्रशासित प्रदेश बन गया भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी, 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया पूर्व और दक्षिण में म्यामां और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिज़ोरम सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है

19वीं शताब्दी में यहां ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय तो अधिकांश मिजो लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं मिज़ो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है मिशनरियों ने मिजो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया

कृषि

मिज़ोरम के 60 प्रतिशत लोग कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में लगे हैं कृषि की मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है कुल क्षेत्र का 21 प्रतिशत धान/मौसमी फसलों वाला क्षेत्र है लगभग 63 प्रतिशत पर झूम खेती होती है विनाशक और अनुत्पादक झूम खेती को बदलने के लिए राज्य सरकार ने नई भूमि उपयोग नीति लागू की है, जो सभी जिलों को कवर करती है झूम खेती क्षेत्र 2014-15 के अंतर्गत घटकर 20,000 हेक्टेयर रह गया है जो कि 11वीं योजना में 44,947 हेक्टेयर था यह कमी 55.36 प्रतिशत की रही झूम खेती में यह कमी एमएलयूपी, नारियल तेल विकास कार्यक्रम, गन्ना खेती कार्यक्रम, आरकेवीई एवं आरएडी को अमल में लाए जाने के कारण आई है

बागवानी

अनुमानित 21 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6.30 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है बागवानी की मुख्य फसलें फल हैं इनमें मैंडिरियन संतरा, केला, सादे फल, अंगूर, हटकोरा, अन्नानास और पपीता आदि शामिल हैं इसके अलावा यहां एंथुरियम, बर्ड आफ पेराडाइज, आर्किड, चिरासेथिंमम, गुलाब तथा अन्य कई मौसमी फूलों की खेती होती है मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च और चिड़िया की आंख वाली मिर्चें भी उगाई जाती हैं इजराइल की मेसर्स अर्गोस (एग्रीप्रोजेक्टस) के साथ चिती में बहुउद्देशीय पैकिंग हाउस स्थापित किया गया है

पुष्पोत्पादन मिज़ोरम में फलता-फूलता पेशा है प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में एंथूरियम की खेती शुरू की आज मिज़ोरम एंथूरियम कट फूल देश के अन्य राज्यों और विदेशों में निर्यात हो रहा है 2006 में हाईटेक ग्रीन हाउस के तहत गुलाब की व्यापारिक खेती शुरू की गई अब लगभग 10,000 गुलाब के फूल रोज़ाना उगाए जा रहे हैं

वन

मिज़ोरम देश में सबसे अधिक घने वन क्षेत्रों में से एक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2015 के अनुसार राज्य का 91.47 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका है कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, कटिबंधीय नम पर्णपाती, उपकटिबंधीय वृहद्पर्णी हिल एवं उपकटिबंधीय चीड़ वृक्ष यहां आमतौर पर पाए जाते हैं यहां के 31 प्रतिशत (6,446 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र में बांस की बहुतायत होती है राज्य में बांस की 35 किस्में पाई जाती हैं जिनमें 77 प्रतिशत में मेलोकना बेसिफेरा (मॉतक) किस्म के बांस पाए जाते हैं

झूम की खेती प्राचीन परंपरा थी और यह वन क्षेत्र के लिए नुकसानदेह होती थी राज्य में सरकार की नवीन भूमि उपयोग नीति के तहत हाल के दशकों में इस में कमी आई है प्रतिवर्ष वनरोपण और उनके रखरखाव संबंधी गतिविधियों के चलते लोकप्रिय एवं असरकारी ग्रीन मिज़ोरम कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,700 हेक्टेयर वनरोपण किया गया है

सिंचाई

राज्य की पहाड़ी प्रकृति के चलते सभी सिंचाई परियोजनाएं लघु परियोजनाएं हैं मिज़ोरम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अनुसार कुल वेट राइस कल्टीवेशन क्षेत्र अनुमानित 74,644 हेक्टेयर है अब तक 18,223 हेक्टेयर कमांड एरिया से 439 लघु परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जो 1,559 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करती हैं 2016-17 के दौरान 1,117.90 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए 25 नई लघु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे 1,656 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास होगा प्रस्तावित परियोजना से राज्य भर में 791 किसानों को लाभ पहुंचेगा

उद्योग

अपनी स्थलाकृति तथा भौगोलिक स्थिति और कम विकसित ढांचा तथा परिवहन समस्याओं के कारण औद्योगिक विकास धीमा है हालांकि म्यामां और बांग्लादेश के साथ सीमा व्यापार खुलने और भारत सरकार की 'लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी' तथा राज्य में शांति के चलते भविष्य में औद्योगीकरण की रफ़्तार तेज होने के आसार हैं

राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में लघु उद्योग का विशेष स्थान है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को संवर्धन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 35 प्रशिक्षकों के साथ एक क्षेत्रीय औद्योगिक विकास निगम और दो सामान्य सुविधा केंद्र चला रही है

चाय की वैज्ञानिक तरीके से खेती आरंभ की गई है निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों (ईओयूज) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एपरेल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केंद्र तथा रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करने की इकाइयां लगाने की योजना है कुटीर उद्योगों में हथकरघा तथा हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा ये दोनों क्षेत्र मिज़ोरम तथा इसके पड़ोसी राज्यों— मेघालय तथा नगालैंड में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए फल-फूल रहे हैं

बिजली

भारत के 18वें ऊर्जा सर्वेक्षण के अनुसार, मिज़ोरम की कुल बिजली आवश्यकता 201 मेगावाट है और उसे 103.09 मेगावाट ऊर्जा आवंटित (आमतौर पर वास्तविक समय में ऊर्जा प्राप्यता 60 मेगावाट रहती है) होती है प्रतिव्यक्ति बिजली खपत 280 किलोवाट है वर्तमान जरूरत 102 मेगावाट है परंतु राज्य 29.35 मेगावाट उत्पादन स्टेशनों से केवल 15 मेगावाट ऊर्जा ही बना पाता है एनईईपीसीओ, एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसी केंद्रीय इकाइयों के रंगनदी स्थित लोकटक जैसे विभिन्न स्रोतों से शेष आवश्यकता हेतु ऊर्जा आयात की जाती है

परिवहन

सड़कें : सड़कें राज्य के भीतर, राज्य से बाहर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार संचार, परिवहन, यात्रियों और सामान ढोने का साधन हैं राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 6,349.60 कि.मी. है और सड़क घनत्व 3,00,012 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी. है 6 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से गुजरते हैं एनएच-54 आईजॉल को सिल्चर के जरिये बाकी देश से जोड़ता है आईजॉल अब शिलांग और गुवाहाटी से भी जुड़ा है

रेल : असम सीमा के पास बैराबी में ब्रॉड गेज रेल लिंक स्थापित की गई है

उड्डयन : लेंगपुई हवाईअड्डे तक कोलकाता, इंफाल और गुवाहाटी से उड़ानें पहुंचती हैं आइज़ॉल को लेंगलेई, ल्वांगतलाई, सेहा, चांग्ते, सेरछिप, चम्फाई, कोलासिब, ख्वाजोल, ममित और हुनाथियल तक आंतरिक हेलिकॉप्टर सेवा भी जोड़ती है

त्योहार

मिज़ो लोग मूलतः किसान हैं अतः उनकी तमाम गतिविधियां तथा त्योहार भी झूम खेती से ही जुड़े हैं त्योहार के लिए मिज़ो शब्द ‘कुट’ है मिज़ो लोगों के विभिन्न त्योहारो में से आजकल केवल तीन मुख्य त्योहार ‘चपचार कुट’ ‘मिम कुट’ और ‘थालफवांगकुट’ मनाए जाते हैं

पर्यटन स्थल

मिज़ोरम प्रचुर वानस्पतिक दृश्यावली और मधुर जलवायु वाला क्षेत्र है समुद्र तल से लगभग 3,715 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आईजॉल, मिज़ोरम का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है म्यामां की सीमा के निकट चंफाई एक सुंदर पर्यटन स्थल है तामदिल एक प्राकृतिक झील है जहां मनोहरी वन हैं यह आइजॉल से 76 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वानतांग जलप्रपात मिज़ोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है यह थेनज़ोल कस्बे से पांच किलोमीटर दूर है जो हथकरघा का प्रमुख क्षेत्र है फांगपुई इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है यह 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पर्वतारोहियों के लिए बड़ा आकर्षण है आइजॉल से 30 किमी की दूरी पर राईक चोटी भी है पुराने मिजो गांव की तर्ज पर ही आइजॉल से 24 किमी दूर फाक्आइन में एक गांव स्थापित किया गया है हुमईफांग तलांग और कियालसुक तलांग आइजॉल से क्रमशः 50 और 66 किमी दूर हैं और प्रमुख पर्यटन आकर्षण हैं पर्यटन विभाग ने राज्य में सभी बड़े कस्बों में पर्यटक आवास गृह तथा अन्य कस्बों में राजमार्ग रेस्तरां तथा यात्री सरायों का निर्माण किया है जोबौक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तिलिंग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं रेइक त्लांग में मिज़ो गांव, आधुनिक मिज़ो गांव और रिजॉर्ट बनाए गए हैं

वेबसाइट: www.mizoram.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री कुम्मनम राजशेखरन	मुख्य सचिव	:	श्री अरविंद रे
मुख्यमंत्री	:	श्री जोरामथंगा	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिज़ोरम में न्यायालय की एक खंडपीठ है।

नगालैंड

क्षेत्रफल	:	16,579 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	19.79 लाख (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	कोहिमा	मुख्य भाषाएं	:	अंग्रेजी, हिंदी, 16 आदिवासी बोलियां, नागामी

इतिहास और भूगोल

नगालैंड 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना यह राज्य पूर्व में म्यामां, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है यह पूर्व में 98° तथा 96° देशांतर तथा भूमध्य रेखा के उत्तर में 26.6° तथा 27.4° अक्षांश के बीच बसा हुआ है

नगा लोग भारतीय-मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं, जो भारत की उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों से सटे क्षेत्रों और पश्चिमी म्यामां के ऊपरी भाग में रहते हैं नगालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं: अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खिआमनीउंगन, कुकी, कोन्याक, कचारी लोथा, फौम, पोचुरी, रेंग्मा, संगताम, सुमी, यिमचुंगरू और ज़ेलिआंग नगा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी-कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है तथापि इन्हें तिब्बत-बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है

बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों से धीरे-धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन-सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया स्वतंत्रता के पश्चात् 1957 में यह क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा यह नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया यह जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और असंतोष पनपने लगा अतः 1961 में इसका नाम बदलकर ‘नगालैंड’ रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन दिसंबर 1963 को हुआ

कृषि

नगालैंड मूलतः कृषि की भूमि है लगभग 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है चावल यहां का मुख्य भोजन है कुल क्षेत्र के 70 प्रतिशत में धान की खेती होती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 75 प्रतिशत चावल है यहां मुख्यतः ‘स्लेश’ और ‘बर्न’ खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है कुल कृषि क्षेत्र 7,21,924 हेक्टेयर है

वन

कुल 16,579 वर्ग किलोमीटर भूमिक्षेत्र में से करीब 8,62,9.30 हेक्टेयर क्षेत्र में वन हैं पेरेन ज़िले में इंतंकी राष्ट्रीय उद्यान, तुएनसांग ज़िले में फाकिम, दीमापुर ज़िले में रंगापहाड़ और मोन ज़िले में सिंघफैन वन्य जीव अभयारणय तथा दीमापुर ज़िले में प्राणी उद्यान है

बिजली

राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता मात्र 27.84 मेगावाट है जबकि मांग 95 मेगावाट है अधिकतर बिजली केंद्रीय बिजली आवंटन क्षेत्र से मिलती है

सिंचाई

राज्य सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है ताकि मुख्यतः पहाड़ी झरनों की धारा मोड़कर घाटी में धान की खेती की सिंचाई में काम आए और 82,150 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सके

परिवहन

दीमापुर देश से हवाई और रेल यातायात से जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग 39 दीमापुर से वाया कोहिमा मणिपुर तक जाता है एनएच 39 शीघ्र ही सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के तहत अंतरराष्ट्रीय मार्ग बनने वाला है शेष राज्य केवल सड़कों से ही जुड़ा हुआ है, जिनकी कुल लंबाई 24,709 किलोमीटर है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 61 तथा राज्य राजमार्ग भी शामिल हैं राज्य सभी जिला मुख्यालयों में डाक सेवाओं, टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं से जुड़ा हुआ है

पर्यटन

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में ढील देने से राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आना-जाना शुरू हो गया है, अतः यहां देशी-विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं

पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 'हॉर्नबिल' उत्सव आयोजित करता है, जिसमें राज्य की सभी जनजातियां एक जगह आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती तथा बेचती हैं तीन पारंपरिक उत्सवों—कोहिमा जिले के तोउफेमा में सेकरेन्यो (फरवरी); लोंगलेंग उपमंडल के पोंगो में मोन्यू (अप्रैल) तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलांग में मोआत्सु (मई) की उत्सव गंतव्यों के रूप में पहचान की गई है

संगीत और नृत्य नगा जनजीवन के मूलभूत अंग हैं वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोकगाथाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है हर त्योहार पर दावत, नाच-गाना और उल्लास होता है विभिन्न आदिवासी समूह तथा उनके त्योहार हैं:- अंगामी-सेकरेन्यी, चाखेसांग-सुखुन्ये तथा त्सुखेन्ये, चांग-नाकन्युलेम, खियाम्नियुंगन-त्सोकुम, कुकी-मिमकुट, कोन्यक-आओलियांग मोन्यु, कचारी-बुशु, लोथा-तोखू, फोम-मोन्यु, पोचुरी-येमशी, रेम्मा-नगदा, सुमी-तुलनी, संगतम-एमोंगमोंग, यिमचंग्र-मितिमिन्यो, ज़ेलियांग-मिलिंगी/हेगा लेंग्सिंम्गी/चेगागड़ी आदि

उद्योग

'उद्यमी वर्ष 2010' के अंतर्गत, नगालैंड के सभी 11 जिलों में उद्यमी जागरुकता कार्यक्रम चलाये गए राज्य ने 17 सिट्रोनेला प्रदर्शन फार्म (जिसे आर्थिक संयंत्र कहा जाता है) स्थापित किए हैं ये राज्यभर में स्थापित किये गए हैं नगालैंड हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, दीमापुर राज्य के स्वामित्व वाला निगम संगठन है, जिस पर राज्य में हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन तथा विपणन का दायित्व है गणेशनगर, दीमापुर में एक औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है ताकि उद्यमियों तथा शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योगों के संवर्धन देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके

वेबसाइट : www.nagaland.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री पी. बी. आचार्य	**मुख्य सचिव**	:	श्री तेनजेन तोय
मुख्यमंत्री	:	श्री निफियू रियो	**उच्च न्यायालय**	:	नगालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ओडिशा

क्षेत्रफल	:	1,55,707 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	41,947.358 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	भुवनेश्वर	**मुख्य भाषा**	:	ओडिया

इतिहास और भूगोल

ओडिशा का इतिहास प्राचीन काल तक फैला है जब इसे कलिंग, उत्कल और ओद्रा नामों से जाना जाता था महावीर और बुद्ध के समय में समूचे पूर्वी तट पर कलिंग क्षेत्र की पहचान और प्रसिद्धि थी प्राचीन काल में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर हमला अद्वितीय घटना थी जिसके व्यापक असर रहे थे कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली गई थी परंतु विजय ने सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया था सम्राट अशोक के इस हृदय परिवर्तन ने न केवल भारतीय बल्कि समूचे एशिया के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की दिशा को बदल डाला था ओडिशा के इतिहास का अगला स्वर्णिम काल महामेघवाहन खारवेल के शासनकाल को कहा जाता है जिन्होंने दूसरी सदी ईसवी के पूर्वाद्ध में यहां शासन किया कलिंग पर खारवेल का शासन उत्तर में गंगा नदी तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैला था इसी तरह परवर्ती राजवंशों में शैलोद्वाबस, भौमकरा, सोमवंशियों और गंगों ने न केवल महान साम्राज्यों की स्थापना की, बल्कि वह कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षक और प्रोत्साहक भी थे कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की स्थापना तेरहवीं सदी में नरसिंह देव के राज में हुई थी और पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बारहवीं सदी में अनंगभीम देव के शासनकाल में बना तथा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ग्यारहवीं सदी के जजाति द्वितीय ने बनवाया था सोलहवीं सदी के मध्य से 1592 तक ओडिशा पर तब पांच मुस्लिम शासकों का भी राज रहा, जब अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ओडिशा पर मराठों का कब्जा हो गया और 1803 में इस पर अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ

आधुनिक ओडिशा की नींव 1936 में पड़ी थी भगवान जगन्नाथ की यह भूमि बंगाल की खाड़ी से लगती है और इसके उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश है इसका विविध भूदृश्य तटवर्ती मैदानों, पहाड़ी दर्रों, पठारों, सब्ज नदी घाटियों और झरनों, जल स्रोत, झीलों तथा विविधरूपी जंगलों से अटा है

कृषि

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के 2012-13 के सर्वेक्षण के अनुसार 2002-03 के सर्वेक्षणों की अपेक्षा कृषि से आय दोगुनी हो चुकी है राज्य सरकार ने प्रभावी विस्तार और उत्पादन क्षमता, फसल कटाई उपरांत के समाधान, असरकारी मूल्य संवर्धन और लाभकारी बाजार विकल्पों के आधार पर स्थायी कृषि नीतियों के चलते किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया है

राज्य सरकार ने 'बीजू कृषक कल्याण योजना' के अंतर्गत कृषि समुदाय के 1 लाख से 5 लाख सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा दी गई है राज्य देश भर में शकरकन्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और समूचे देश के उत्पाद का 30 प्रतिशत यहां से आता है काजू उत्पाद में भी राज्य देश में तीसरे स्थान पर है आम की कलम बांधने में भी ओडिशा अग्रणी है और इस क्षेत्र में उत्पादन 23.85 लाख से बढ़कर 54.56 लाख तक पहुंच गया है पिछले पांच वर्षों में 85200 एमटी वाले 19 नए कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं 2018-19 के दौरान टमाटर, प्याज और आलू के उत्पाद, संसाधन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार की गई है

सिंचाई

ओडिशा मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है यहां जोती जाने वाली भूमि लगभग 87.46 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 18.79 लाख पर सिंचाई होती है मौसम कई तरह की फसलों के लिए लाभकारी रहता है जिसमें प्रमुख हैं चावल, दालें, तिलहन, पटसन, गन्ना, नारियल और हल्दी राज्य सरकार ने किसानों की सिंचाई जरूरतों को देखते हुए मेगा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, डीप बोर वेल, निर्माण कार्यक्रम और चेक डैम निर्माण योजनाओं की शुरुआत की है इसका लक्ष्य 2019 के अंत तक अतिरिक्त 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि को जोड़ना है अपर इंद्रावती लिफ्ट नहर व्यवस्था में पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट इरिगेशन वर्क के अंतर्गत 171 मेगा लिफ्ट योजनाओं को जोड़ा गया है

उद्योग

राज्य में अधिकांश बड़े उद्योग खनिज आधारित हैं, जबकि यहां देश के लौह अयस्क का 25 प्रतिशत रिजर्व है हालिया वर्षों में राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में भारी विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है ओडिशा का देश में व्यवसाय करने में आसानी की सूची में अग्रणी स्थान है और देश में निर्माण संबंधित निवेश आकर्षित करने में इसका स्थान पहले तीन में है देश में औद्योगिक परियोजनाओं को अमल में लाने में भी राज्य सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है स्थायी औद्योगिक विकास, नवीकरण को प्रोत्साहन, उद्योग पक्षीय नीति और समावेशी ढांचे के कार्यान्वयन में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

परिवहन

सड़कें: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचनात्मक ढांचे को विकसित करने और सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं अमल में ला रही है 2017-18 के दौरान बीजू सेतु योजना ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 8000 किलोमीटर लंबे ग्रामीण मार्गों और उन पर 145 पुलों को बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया है सरकार ने सड़क निर्माण में कई उपलब्धियां हासिल की हैं औसतन, प्रतिदिन लोक निर्माण विभाग 2.1 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करता है और इस वर्ष विभाग ने 20 बड़े पुलों का निर्माण किया है

रेलवेः सरकार राज्य में रेल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है पहली बार मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों में रेल पहुंचाने के लिए 130 किलोमीटर लंबे जेपुर-मलकानगिरी और 38 किलोमीटर लंबे नबरंगपुर-जेपुर नामक दो परियोजनाओं पर रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए सरकार ने 32 किलोमीटर लंबी पुरी-कोणार्क रेलवे परियोजना के निर्माण और 50 प्रतिशत भूमि आवंटन का भी प्रस्ताव रखा है

बंदरगाहः भारत सरकार द्वारा 1966 में पारादीप बंदरगाह को देश के आठवें सबसे बड़े बंदरगाह के तौर पर घोषित किया गया था स्वतंत्र भारत में यह ओडिशा में पहला और पूर्वी तट पर पहला प्रमाणित बंदरगाह है 480 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा वाले ओडिशा में 13 छोटे बंदरगाहों के लायक भी स्थान है यह स्थान हैं गंजम जिले के गोपालपुर, बेहुदा मूहन और पलूर, पुरी जिले के बालिहरचंडी और अष्टरंगा, जगतसिंहपुर जिले का जटाधर मूहन, बालासोर जिले के इंचरी, चंडीपुर, बहाभलपुर, किर्तनिया और बिछरितपुर तथा भद्रक जिले के धामरा और चूड़ामणि ओडिशा सरकार पारादीप के निकट महानदी में तटीय नौपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक नदी बंदरगाह को विकसित करने के भी प्रयास कर रही है

ओडिशा में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) की व्यापक संभावना है परंतु छोटा नेटवर्क है दूरदराज के क्षेत्रों में यात्री सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जहां यातायात के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन उपलब्ध कराया जाता है

उड्डयन: उतकेला और जेपुर हवाई पट्टियों पर आरसीएस-उड़ान योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं झारसुगुड हवाई अड्डा अब पूरी तरह विकसित किया जा चुका है

बिजलीः आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बड़ी शक्ति होती है, चाहे वह कोयला, तेल और गैस के रूप में हो या पनबिजली ऊर्जा और जैव ईंधन या उसके द्वारा प्राप्त बिजली के रूप में हो चौबीस घंटे आमजन को सस्ती दरों पर गुणवत्तापरक और अबाध ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने संवर्द्धित विद्युत उत्पादन के लिए एक व्यापक नीति विकसित की है

पर्यटन

ओडिशा पर्यटकों के लिए आदर्श स्थल है जहां अलग-अलग रुचियों और पसंद के अनुसार विभिन्न तरह के अवसर उपलब्ध हैं चंडीपुर के रेतीले समुद्रतट, गोपालपुर का नीला सागर, कोणार्क और पुरी के सुनहरी तट, तालासारी तट के रेड क्रैब्स, पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका ओडिशा के तटीय क्षेत्र के बीच में स्थित है चिलिका झील एक पारिस्थितिक अजूबा है और यह एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा में स्थित महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है इसे रामसर स्थल भी कहा जाता है और यह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है भीतरकणिका दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है 672 वर्ग कि.मी. के इस वन्यजीव अभयारण्य के 175 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था यह

केंद्रापारा जिले में स्थित है भीतरकाणिका देश के सबसे अद्भुत और वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में से है यहां विशुद्ध मैंग्रोव वृक्ष और जलीय क्षेत्र हैं यहां मैंग्रोव की 71 किस्में और संबंधित नस्लें, सरीसृपों की 35 प्रजातियां, पक्षियों की 297 किस्मों की जैव विविधता संरक्षित है मध्य एशिया और यूरोप से शीतकाल के दौरान भी बड़ी संख्या में पक्षी यहां आते हैं धब्बेदार हिरण, सांबर, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, साही और ऊदबिलाव आदि जैसे स्तनधारियों की 26 किस्में भी यहां पाई जाती हैं

वेबसाइट: www.odisha.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	प्रो. गणेशी लाल	**मुख्य सचिव**	:	श्री आदित्य प्रसाद पाधी
मुख्यमंत्री	:	श्री नवीन पटनायक	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	ओडिशा

पंजाब

क्षेत्रफल	:	50,362 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	2,77,43,338 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चंडीगढ़	**मुख्य भाषा**	:	पंजाबी

इतिहास और भूगोल

प्राचीन पंजाब किसी जमाने में विस्तृत भारत-ईरानी क्षेत्र का हिस्सा रहा है बाद के वर्षों में यहां मौर्य, यूनानी, शक, कुषाण, गुप्त जैसी अनेक शक्तियों का उत्थान और पतन हुआ मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास ने नया मोड़ लिया गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से यहां भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा उन्हें सदियों के दमन और अत्याचार के खिलाफ एकजुट किया उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की एक फारसी लेखक के शब्दों में, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को 'मदम कदा' अर्थात् नरक से 'बाग-ए-बहिश्त' यानी स्वर्ग में बदल दिया किंतु उनके देहांत के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया अंग्रेजों और सिखों के बीच दो निष्फल युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया

स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा देश की आज़ादी के बाद भी पंजाब के कष्टों का अंत नहीं हुआ और उसे विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ा जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात तथा विस्थापन हुआ विस्थापित लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ राज्य को नए सिरे से संगठित करने की भी चुनौती थी

पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों को मिलाकर नए राज्य 'पेप्सू' अर्थात पूर्वी पंजाब राज्य-संघ पटियाला का निर्माण किया गया पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया और चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाया गया बाद में 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा बनाया गया पंजाब देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान है

दुनिया में समूचे गेहूं उत्पादन में पंजाब का सातवां स्थान है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद यह तीसरा सबसे अधिक उत्पादनकर्ता है जो दुनिया में गेहूं व्यापार का लगभग 1/10 हिस्सा है चावल उत्पादन में थाईलैंड के बाद इसका बिक्री योग्य उत्पाद दूसरे स्थान पर है ऐसा बेहतर अवसंरचनात्मक ढांचे के निर्माण, उचित तकनीकी के इस्तेमाल, कुशल प्रसारण सेवाओं और सरकारी सहयोग और सक्षम योजनाओं को

अपनाने के कारण संभव हो सका है राज्य सरकार कृषि के विकास पर लगातार जोर देती है 2016-17 में कपास की रिकार्ड पैदावार, 756 किग्रा लिंट प्रति हेक्टेयर रही 2017-18 के लिए कपास उत्पादन के लिए क्षेत्र 2.53 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है

बागवानी पंजाब में उच्च लाभांश वाला क्षेत्र है राज्य में केवल 4 प्रतिशत कुछ फसल वाले क्षेत्र के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी की फसलें कुल कृषि उत्पाद में लगभग 10.5 प्रतिशत का योगदान देती हैं

सिंचाई

राज्य में सतही और भूजल स्रोतों का पूरा दोहन हो चुका है, इसीलिए कृषि उत्पादन अब पूरी तरह पानी के कुशल इस्तेमाल पर निर्भर करता है राज्य इस दिशा में पानी के मितव्ययी इस्तेमाल के लिए कई उपायों पर जोर दे रहा है, जिनमें मौजूदा नहर व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी शामिल है यह व्यवस्था सदियों पुरानी है 2016-17 के दौरान जल संसाधनों को 4758 किमी क्षेत्र में क्रमबद्ध करने का कार्य किया गया था जिससे पंजाब जल स्रोत प्रबंधन एवं विकास कॉरपोरेशन द्वारा 210375 हेक्टेयर क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत लाया गया गहरे ट्यूबवेल्स और भूमिगत पाइपलाइनों के संस्थापन के बाद 6,700 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा चुका है

बिजली

पंजाब के तीन नए ताप ऊर्जा संयंत्रों, राजपुरा प्लांट (1400 मेगावाट), तलवंडी साबो (1980 मेगावाट) और गोंडवाल साहिब (540 मेगावाट) की वजह से राज्य देश में अधिशेष बिजली वाला प्रदेश बन गया है जिसकी कुल क्षमता 3920 मेगावाट तक पहुंच चुकी है इसके साथ ही, राज्य की कुल स्थापित क्षमता 13,960 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें एनआरएसई परियोजनाओं, बीबीएमबी और अन्य केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की स्थापित क्षमताएं भी शामिल हैं हरित ऊर्जा के मोर्चे पर, केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के आधार पर पीएसपीसीएल की स्थापित क्षमता/हिस्सेदारी 1253 मेगावाट तक पहुंच चुकी है जिसमें सौर परियोजनाओं की क्षमता 830 मेगावाट और शेष गैर-सौर ऊर्जा परियोजनाओं का योगदान है जिसमें बायोमास और मिनी/माइक्रो हाइडल परियोजनाएं शामिल हैं

सड़कें

राज्य में मार्गों की कुल लंबाई 71,742 कि.मी. है जिसमें 2,630 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 1,133 कि.मी. राज्य राजमार्ग हैं 1826 किमी बड़े जिला मार्ग और 5119 अन्य जिला मार्ग (ओडीआर) और 61034 किमी ग्रामीण लिंक मार्ग शामिल हैं लिंक मार्गों में पीडब्ल्यूडी बीएंडआर 31,696 कि.मी. और पंजाब मंडी बोर्ड 29,338 कि.मी. मार्गों की देखरेख करता है

नागरिक उड्डयन

पंजाब में दो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे अमृतसर (राजासांसी) और मोहाली में हैं मोहाली हवाईअड्डे के टर्मिनल भवन का पहला चरण पूरा हो चुका है और चालू किए जाने की प्रतीक्षा में है

मेले और त्योहार

दशहरा, दिवाली, होली के अतिरिक्त मुक्तसर में माघी मेला, किला रायपुर में ग्रामीण खेल, पटियाला का बसंत, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला, तलवंडी साबो में बैसाखी, सरहिंद में रौजा शरीफका उर्स, छप्पर में छप्पार मेला, फरीदबोट में फरीद आगमन पर्व, गांव राम तीरथ में राम तीरथ, सरहिंद में शहीदी जोड़-मेल, जालंधर में हरबल्लभ संगीत सम्मेलन बाबा सोदल प्रमुख मेले और त्योहार हैं इनके अतिरिक्त, अमृतसर, पटियाला, कपूरथला में भी प्रतिवर्ष तीन पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं और यह पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं

वेबसाइट: www.punjabgovt.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री वी.पी. सिंह बदनोरे	मुख्य सचिव	:	श्री करण अवतार सिंह
मुख्यमंत्री	:	श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

राजस्थान

क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	6.86 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	जयपुर	मुख्य भाषाएं	:	हिंदी और राजस्थानी

इतिहास और भूगोल

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है आज़ादी से पहले यह क्षेत्र राजपूताना या राजपूत एक योद्धा समुदाय कहलाता था राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है ईसा पूर्व 3,000 से 1,000 के बीच यहां की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी सातवीं शताब्दी में यहां चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और बारहवीं शताब्दी तक उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था चौहानों के बाद इस योद्धा जाति का नेतृत्व मेवाड़ के गहलोतों ने संभाला मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहीं, वे हैं— मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर और अलवर अन्य सभी रियासतें इन्हीं रियासतों से बनीं इन सभी रियासतों ने 1818 में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली जिसमें राजाओं के हितों की रक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन इस संधि से आम जनता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी

1857 के विद्रोह के बाद लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए 1935 में अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन और तेज हो गया 1948 में इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1956 में राज्य में पुनर्गठन कानून लागू होने तक जारी रही सबसे पहले 1948 में मत्स्य संघ बना जिसमें चंद राज्यों के हिस्से थे, लेकिन धीरे-धीरे अन्य राज्य भी इस संघ में आकर मिलने लगे 1949 तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर तथा जैसलमेर जैसे राज्य भी इस संघ से जुड़ गए और यह क्षेत्र वृहत राजस्थान संयुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान) बन गया अंततः 1950 में वर्तमान राजस्थान औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका और सुनेल तप्पा भी शामिल हो गए

राज्य का पूरा पश्चिमी भाग पाकिस्तान से सटा हुआ है, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है

कृषि

2014-15 में राज्य का कुल अनुमानित बुवाई क्षेत्र 241.21 लाख हेक्टेयर था मुख्य फसलें हैं— चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों और संतरा तथा माल्टा जैसे नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है लाल मिर्च, सरसों, मेथी और जीरा व्यावसायिक फसलें हैं

उद्योग

राजस्थान सांस्कृतिक रूप में समृद्ध होने के साथ-साथ खनिजों के मामले में भी समृद्ध रहा है और अब देश के औद्योगिक परिदृश्य में भी तेजी से उभर रहा है राज्य के प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठानों में देवारी (उदयपुर) और चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट, खेतड़ी नगर (झुंझुनूं) में हिंदुस्तान तांबा संयंत्र, सांभर (जयपुर) में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, अजमेर में एचएमटी लिमिटेड और कोटा में प्रिसीज़न इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री शामिल है मुख्य उद्योग हैं : वस्त्र, ऊनी कपड़े, इंजीनियरिंग के समान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

ऑटोमोबाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं गहने, संगमरमर के स्लैब एवं टाइलें, कांच और सिरामिक, सीमेंट, ऑक्सीजन, जस्ता, उर्वरक, रेल के डिब्बे, बॉल बियरिंग, पानी व बिजली के मीटर, टेलीविजन सेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक धागे, हस्तशिल्प की वस्तुएं, स्टेनलेस स्टील, रि-रोलिंग, स्टील फाउंड्री तथा तापरोधी ईंटें आदि बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों के अलावा कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड, नाइलोन तथा टायर आदि अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां हैं

राजस्थान में जिंक, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, चांदी, अभ्रक, धातु विशेष और अभ्रक के प्रचुर भंडार हैं राज्य से भारी मात्रा में निर्यात भी होता है इसीलिए निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक उद्यान की स्थापना सीतापुरा (जयपुर), बोरांडा (जोधपुर) में की गई है और उसे चालू भी कर दिया गया है निर्यात को संवर्द्धन देने के लिए इन्लैंड कंटेनर डिपो जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर और भिवाड़ी (अलवर) में स्थापित किए गए हैं सीतापुरा में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक जोन और बोरांडा (जोधपुर) में हस्तकला के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जयपुर के पीपीपी मॉडल में बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (जोन) महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी भी स्थापित की गई है

खनिज

राजस्थान देश में खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है राज्य के पास खान और खनिज के क्षेत्र में एक गौरवशाली विरासत है और खनिज संपदा के संबंध में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है राज्य को खनिजों का संग्रहालय के रूप में सम्मानित किया गया है जहां पर धातु और गैर-धातु दोनों खनिज पाए जाते हैं इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध इमारत का पत्थर और रेडियो एक्टिव खनिज, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के संसाधन भी पाए जाते हैं महत्वपूर्ण खनिज जिनका नाम शुरू से इस राज्य से जुड़ा हुआ है: वे हैं अलौह धातु जैसे- सीसा, जस्ता, ताबां और फेरोमैगनीशियन धातु जैसे कि टंगस्टन, बहुत से औद्योगिक खनिज और विभिन्न प्रकार के आयामी एवं सजावटी पत्थर पाए जाते हैं यहां 79 खनिज उपलब्ध हैं जिनमें से 57 का वाणिज्यिक उत्पादन होता है वर्तमान में राज्य वोलास्टोनाइट, सीसा-जस्ता, कैलसाइट तथा सेलेनाइट का एक मात्र उत्पादक है चांदी, संगमरमर, कैडमियम, बॉल क्ले, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, फेल्सपार का राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न रंगों के पत्थर जैसे- मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा कोटास्टोन की न केवल देश बल्कि विदेश में भी भारी मांग है पश्चिमी राजस्थान में तेल तथा प्राकृतिक गैस के स्रोत पता लगने के बाद राज्य का कच्चा तेल उत्पादक के रूप में बांबे हाई के बाद दूसरा स्थान हो गया है

भारत के 85 प्रतिशत से भी अधिक वोलास्टोनाइट, पोटाश, सीसा-जस्ता तथा चांदी के संसाधन राज्य में है राज्य में देश के कुल संसाधनों में से पोटाश (94 प्रतिशत), सीसा-जस्ता अयस्क (89 प्रतिशत), वोलास्टोनाइट (88 प्रतिशत), चांदी अयस्क (87 प्रतिशत), जिप्सम (82 प्रतिशत), फुलर्सअर्थ (74 प्रतिशत), डायटोमाइट (72 प्रतिशत), फेल्सपार (66 प्रतिशत), मार्बल (64 प्रतिशत), एस्बेस्टस (61 प्रतिशत), तांबा अयस्क (50 प्रतिशत), केल्साइट (50 प्रतिशत), पाउडर साबुन का पत्थर (49 प्रतिशत), ग्रेनाइट (42 प्रतिशत), बॉल-क्ले (38 प्रतिशत), रॉक फॉस्फेट (30 प्रतिशत), फ्लोराइट (29 प्रतिशत), टंग्सटन अयस्क (27 प्रतिशत), लेटेराइट (26 प्रतिशत), स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक) (23 प्रतिशत), माइका (21 प्रतिशत) तथा चीनी मिट्टी (16 प्रतिशत) है

बिजली

राज्य में स्थापित बिजली 15986.87 मेगावाट तक पहुंच गई जिसमें 5357.35 मेगावाट राज्य की परियोजनाओं, 853.44 मेगावाट समन्वित परियोजनाओं तथा 2803.47 मेगावाट केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त की गई पवन, सौर तथा जैविक परियोजनाओं से 3916.61 मेगावाट और 3056 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्त हुई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

यह योजना 6 जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही तथा उदयपुर) में लागू की गई द्वितीय चरण में 6 जिलों (बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर तथा टोंक) में लागू की गई तीसरे

चरण में यह योजना राज्य के बाकी जिलों में लागू कर दी गइ

परिवहन

सड़कें: राजस्थान में सड़कों की अनुमानित कुल लंबाई 2,07,019 किमी है

रेलवेः जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर राज्य के प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं राज्य में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 5871.65 कि.मी. है जिसमें 4801.18 कि.मी. ब्रॉड गेज, 983.71 कि.मी. मीटर गेज तथा 86.76 कि.मी. छोटी लाइन शामिल हैं

जयपुर मेट्रोः मानसरोवर से जयपुर रेलवे स्टेशन तक मेट्रो ट्रैक कार्य का चरण-1ए पूरा हो चुका है इस मार्ग की कुल लंबाई 9.72 कि.मी. है चरण-1बीः चांद पोल से बड़ी चोपड़ तक कुल 2.35 कि.मी. मेट्रो लाइन का काम प्रगति पर है

उड्डयनः जयपुर हवाईअड्डे से सभी प्रमुख शहर जुड़े हैं इनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी के लिए नियमित घरेलू विमान सेवाएं हैं दुबई, मस्कत तथा शारजाह के लिए जयपुर से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं भी उपलब्ध हैं

त्योहार

राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है होली, दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारो के अलावा अनेक देवी-देवताओं, संतों और लोकनायकों तथा नायिकाओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं यहां के महत्वपूर्ण मेले हैं- तीज, गणगौर, होली-धुलंडी, पतंग तथा राजस्थान दिवस (जयपुर), अजमेर शरीफ और गलियाकोट के वार्षिक उर्स (अजमेर) तथा पुष्कर मेला, रामदेवजी मवेशी मेला, (नागौर) ऊंट मेला (बीकानेर), मरुस्थल उत्सव (जैसलमेर), बेनेश्वर मेला (डूंगरपुर), ब्रज-होली महोत्सव (भरतपुर) केलादेवी मेला, श्री महावीर जी मेला (करौली), रनकपुर उत्सव, गोदवार उत्सव (पाली), मेवाड़ उत्सव (उदयपुर), ग्रीष्म और शीत उत्सव माउंट आबू (सिरोही), कजली तीज और बूंदी उत्सव (बूंदी), दशहरा उत्सव और साहसिक उत्सव (कोटा), मत्सय उत्सव (अलवर), मारवाड़ उत्सव (जोधपुर), चन्द्रभागा मेला (झालावाड़), जम्भेश्वर मेला और कोलायत मेला (नोखा-बीकानेर) और खाटू श्यामजी मेला (खाटू-सीकर) आदि

पर्यटन स्थल

राज्य में पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू , रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (बाघ रिजर्व)- सवाई माधोपुर, अलवर में सरिस्का बाघ विहार, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, अजमेर, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और शेखावटी आदि

वेबसाइट : www.rajsthan.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री कल्याण सिंह	मुख्य सचिव	:	श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता
मुख्यमंत्री	:	श्री अशोक गहलोत	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	राजस्थान

सिक्किम

क्षेत्रफल	:	7,096 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	6.11 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	गंगटोक	मुख्य भाषाएं	:	लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिंबू, सिक्किमी

इतिहास और भूगोल

सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है जब लेप्चा चीफटेन प्रमुख थेकोंग-टेक और

तिब्बत के राजकुमार खे-बूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काबी लुंगत्सोक में भाइचारे के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए इसके बाद 1641 में तिब्बत के सम्मानित लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युकसाम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खे-बूमसा के छठी पीढ़ी के वंशज फुत्सोग नामग्याल का सिक्किम के पहले चोग्याल के रूप में राज्याभिषेक किया और इस तरह सिक्किम में नामग्याल राजवंश का उदय हुआ समय के बदलाव के साथ सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा और 1975 में वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान इस स्थान को आशीर्वाद दिया था सिक्किम में सभी समुदायों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं सिक्किम में भिन्न-भिन्न मतों से जुड़े लोग हैं और शायद यह भारतीय संघ में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक शांति वाला राज्य है जिसकी भारत जैसे बहु-सामाजिक व्यवस्था वाले देश में नितांत आवश्यकता भी है

विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंघा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, इस राज्य पर अपनी मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है सिक्किम जैव विविधताओं से भरा दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में एक है राज्य में आवृतबीजी वनस्पतियों की 5,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जो देशभर में पाई जाने वाली आवृतबीजी प्रजातियों का एक तिहाई है फूल वाले पौधों की 4,500 जातियां, फर्न तथा एल्गी की 362 जातियां, 30 प्रजातियां प्राइमल की तथा बांस की 28 प्रजातियां, आर्किड की 550 प्रजातियां, रोडेन्ड्रान की 36 प्रजातियां, ओक की 11 प्रजातियां, उभयचर जीवों की 50 प्रजातियां, पक्षियों की 600 प्रजातियां, मछलियों की 48 प्रजातियां, स्तनधारियों की 150 प्रजातियां, तितली की 700 प्रजातियां तथा सरीसृपों की 80 प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं

दुर्लभ और विश्व स्तर पर खतरे की आशंका वाले हिम तेंदुए, तिब्बत की अरगली भेड़, लाल पांडा, याक और साथ में अधिक ऊंचाइयों पर पालतु बोविड, काली गर्दन वाले (क्रेन) सारस और फेरेरियम आदि यहां पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं

पर्यटन

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित सिक्किम भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से है विश्व के तीन सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक कंचनजंघा यहीं हैं, जिसे इस क्षेत्र में रक्षक के रूप में पूजा जाता है सिक्किम की हिमाच्छादित पर्वतमालाएं, घने जंगल, आकर्षक वनस्पति तथा जीव- जंतु, अविरल झरने, पवित्र झीलें, धार्मिक गुफाएं, गर्म पानी के औषधीय स्रोत, प्रपात के समान गिरती नदियां और सौम्य धाराएं इसे सदाबहार पर्यटन स्थल बनाती हैं यहां रह रहे विभिन्न समुदायों की संस्कृति की मिश्रित छटा लिए हुए यह राज्य एक-दूसरे समुदायों के सभी त्योहार तथा जश्न समान हर्षोल्लास के साथ मनाता है ध्यान लगाने हेतु एकांत चाहने वालों से लेकर साहसिक पर्यटन के लिए छुट्टियों पर जाने वालों तक के लिए यहां भरपूर आनंद है अधिक रोमांच चाहने वालों के लिए ट्रैकिंग है, रिवर राफटिंग है, माउंटेन बाइकिंग से लेकर, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग और एंग्लिंग तक सभी कुछ हैं यहां आप बर्ड वॉचिंग और बर्फ़ीली पहाड़ियों का अहसास पाने के लिए माउंटेनफ्लाइट का लुत्फ भी उठा सकते हैं

कृषि

कृषि क्षेत्र में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसी फसलों की शुरुआत से सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे किसान परिवारों की आय बढ़ी है नमी परिस्थितियों में उगने वाली फसलों तथा और अन्य अनाज जिनकी उच्च वैश्विक मांग है, जैसे- कुटूट, ज्वार तथा अन्य मोटे अनाज पर अधिक जोर है

बागवानी

फलों का उत्पादन 5,250 टन से बढ़कर 22,240 टन हो गया यानी 323 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि सब्जियों का उत्पादन 22,130 टन से बढ़कर 78,820 टन हो गया यानी 256 प्रतिशत की बढ़त सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि बागवानी में देखी गई जहां 200 हेक्टेयर के उत्पादन में 230 लाख कट फूल और पौध सामग्री का उत्पादन हुआ

सिंचाई

11वीं पंचवर्षीय योजना 2010-11 के दौरान सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 3866.68 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है

बिजली

केंद्रीय जल आयोग के मूल्यांकन के अनुसार सिक्किम की कुल जल विद्युत क्षमता लगभग 8,000 मेगावाट है सिक्किम सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य में विशाल जल विद्युत क्षमता के दोहन की दृष्टि से जल विद्युत विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए हाइड्रो समिति गठित की और जल विद्युत परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए सिफारिशें की

परिवहन

सड़कें : गंगटोक सड़क मार्ग से कोलकाता के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़ा है राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 3672.32 कि.मी. है और पुलों की संख्या 216 है इसमें 873.40 कि.मी. सड़कें सीमा सड़क संगठन ने बनाई हैं

रेलवे और उड्डयन : राज्य के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी (113 कि.मी.) और न्यू जलपाईगुड़ी (125 कि.मी.) हैं, जो इसे कोलकाता, दिल्ली तथा अन्य शहरों और बागडोगरा हवाईअड्डे से जोड़ते हैं पूर्वी सिक्किम के पक्योंग में हवाईअड्डे का उद्घाटन हो गया है और इसके साथ ही यह राज्य का प्रथम हवाईअड्डा है गंगटोक और बागडोगरा के बीच नियमित हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी परियोजनाओं के माध्यम से आम आदमी का जीवन सुधारने के लिए राज्य सरकार ने राज्यभर में, ग्रामीण इलाकों सहित कई कदम उठाए हैं, जैसे- 45 समुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना, स्टेट-वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), जिससे सूचना-प्रौद्योगिकी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर पैठ बना सके इससे सरकार के साथ जनता का संपर्क काफी बढ़ा है और कुछ राज्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है शेरथंग के सीएससी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्वोच्च साइबर कैफे घोषित किया गया है

वेबसाइट : www.sikkim.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री गंगा प्रसाद	मुख्य सचिव	:	श्री ए.के. श्रीवास्तव
मुख्यमंत्री	:	श्री पवन कुमार चामलिंग	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	सिक्किम

तमिलनाडु

क्षेत्रफल	:	1,30,060 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	7.21 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चेन्नई	मुख्य भाषा	:	तमिल

इतिहास और भूगोल

तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र के इतिहास का अस्पष्ट उल्लेख मिला है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है दक्षिण भारत पर कई शताब्दियों तक चोल, चेर और पांड्य राजाओं का शासन रहा चौथी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया अंतिम पल्लव राजा अपराजित थे, जिनके राज्य में लगभग दसवीं शताब्दी में चोल शासकों ने विजयालय और आदित्य के मार्गदर्शन में अपना महत्व बढ़ाया ग्यारहवीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा

मुसलमानों ने भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली जिसे चौदहवीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सल्तनत कायम हुई लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति बन चुका था, किंतु 1564 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुल्तानों की सामूहिक फौजों से वह पराजित हो गया

तालीकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने लगे पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी एक के बाद एक आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्रीज़ कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम (जो अब आंध्र प्रदेश में है) में अपनी फैक्ट्री लगाई और धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों को एक-दूसरे के खिलाफ करके उनके क्षेत्र हथिया लिए ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई 1901 में मद्रास प्रेसीडेंसी बना जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया

तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है

कृषि

मेटूटर बांध 2011 में खोल दिया गया, जिससे धान के कृषि क्षेत्र में 1,80,000 एकड़ का इजाफ़ा हुआ इससे लगभग 1,22,230 किसान लाभान्वित हुए किसानों का बोझ कम करने हेतु कृषि आगतों तथा खेती की मशीनरी इत्यादि के लिए वैट में 4 प्रतिशत की रियायत दी गई, जिससे 63.40 लाख किसानों को लाभ हुआ

पर्यटन

कला तथा संस्कृति का वास्तविक खज़ाना, तमिलनाडु पर्यटकों के लिए हमेशा ही प्रमुख आकर्षण रहा है तमिलनाडु बीते समय की कला तथा संस्कृति की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पेश करता है, वह देश में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती कला तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने के मामले में तमिलनाडु प्रसिद्ध प्रतिमाओं, दीवारों तथा स्तंभों पर खुदी कलाकृतियों तथा चित्रकारियों, मंदिरों की विशाल मीनारों; गोपुरम् का स्वामी है तमिलनाडु में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल हैं, जिनमें 1076 किलोमीटर का समुद्र तट, 30,000 से भी अधिक मंदिर तथा पूजा स्थल, जो ईसवी सन् की शुरुआत से भी कहीं पहले के हैं, जल-प्रपात, अभ्यारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस से बने हस्तशिल्प तथा हथकरघा, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि शामिल हैं

पर्यटकों की सुविधा के लिए तमिलनाडु पर्यटन विभाग सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तथा सेवाएं बेहतर बनाने के अथक प्रयास कर रहा है चिकित्सा पर्यटन, शिक्षा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा व्यापार पर्यटन जैसी वैकल्पिक मांगों के जरिए भी राज्य पर्यटकों के आगमन में भारी इजाफ़ा कर पाने में सफल रहा है

भू-तत्व तथा खनिज

खनिज कई महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मूल संसाधन होते हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं खनिजों को आर्थिक विकास का मेरुदंड माना जाता है और इन्हें देश की संपदा समझा जाता है राज्य की विकासात्मक गतिविधियां और इसकी आर्थिक समृद्धि खनिज संपदा की उपलब्धता तथा इसके विवेकपूर्ण दोहन से प्रतिबिंबित होती है

राज्य लिग्नाइट, चूना पत्थर, गार्नेट सैंड, सिलिका सैंड स्फगटिक तथा फेल्सपा, ग्रेफाइट, तेल तथा प्राकृतिक गैस, मैग्नेसाइट, लौह अयस्क इत्यादि जैसे कई औद्योगिक खनिजों से संपन्न है यहां आम प्रयोग वाले कुछ साधारण खनिजों के भंडार भी पाये जाते हैं, जैसे विश्व प्रसिद्ध काला ग्रेनाइट तथा मल्टी कलर ग्रेनाइट, जिससे राज्य में सीमेंट, रिफैक्ट्री, कांच, सेरामिक तथा ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग स्थापित करने में सहायता मिली है

परिवहन

सड़कें : 62,294 कि.मी. सड़कों का नेटवर्क राजमार्ग विभाग के नियंत्रण में है

रेलवे : (1) रेलवे लाइन की लंबाई 3,846 किलोमीटर है

(2) मार्च 2015 तक रनिंग ट्रेक की लंबाई 4,943 किलोमीटर है

मुख्य स्टेशन हैं; चेन्नई सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तिरुनलवेल्ली, नागरकोइल, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, जोलारपेट्टी, कटपडी और एराकोणम

बंदरगाह : चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन चेन्नई राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं इसके अलावा, सात सरकारी छोटे बंदरगाहों- कुड्डेलोर, नागापट्टीनम, रामेश्वरम, पंवन, कोलाचेल, कन्याकुमारी, वेलिनोक्कम - सहित 23 घोषित छोटे बंदरगाह हैं 16 घोषित कैप्टिव छोटे पोर्ट हैं जिनमें कट्टूपल्ली, एन्नोर माइनर पोर्ट पीवाई-3 ऑयल फील्ड और तिरुकड्डीयूर संचालन में है और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और विकास के विभिन्न चरणों में है

वेबसाइट : www.tn.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: श्री बनवारीलाल पुरोहित	**मुख्य सचिव**	: डॉ. गिरिजा वैद्यनाथन
मुख्यमंत्री	: श्री थिरु इदापड्डी के. पलनीस्वामी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: मद्रास उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र

त्रिपुरा

क्षेत्रफल	: 10,486 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 36.74 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: अगरतला	**मुख्य भाषाएं**	: बांग्ला और कोकबोरक

इतिहास और भूगोल

त्रिपुरा की अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोकगाथाएं हैं इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में 'राजमाला' गाथाओं तथा इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था जिसका अर्थ 'पिता' होता है 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार-बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए उनके उत्तराधिकारों ने 15 अक्टूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया शुरू में यह भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्रशासित प्रदेश बना 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया

त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यामां की नदी घाटियों के बीच स्थित है इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह असम और मिज़ोरम से जुड़ा हुआ है

कृषि

त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है 24 प्रतिशत भूमि इसी क्षेत्र से जुड़ी है 51 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिय कृषि पर ही निर्भर है

सिंचाई

त्रिपुरा राज्य मुख्यतः पहाड़ी इलाका है इसका भौगोलिक क्षेत्र 10,49,169 हेक्टेयर है अनुमान है कि 2,55,241 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है 11,700 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था है

पर्यटन

त्रिपुरा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छोटा परंतु मनोरम राज्य है यह लगभग 10,491,69 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है इसके उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं इसके पूर्व में बांग्लादेश है और इसकी सीमा दो राज्यों- असम तथा मिज़ोरम से लगी हुई है इस खूबसूरत राज्य में 19 पारंपरिक जनजातियां, बंगाली, मणिपुरी तथा अन्य रहते हैं

त्रिपुरा के मनोहारी दृश्य, इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति, पुरातत्व तथा वास्तुकला, इसकी हस्तशिल्प और हस्तकला के रंग, डिजाइन और शिल्पकारी सब अपनी ओर खींचते हैं त्रिपुरा की झीलें, मौसम, पेड़-पौधे और इससे ऊपर यहां के लोगों की मेहमाननवाजी सब आकर्षित करते हैं एक बार जो यहां आता है, वह बार-बार आना चाहता है

वेबसाइट: www.tripura.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री कप्तान सिंह सोलंकी	मुख्य सचिव	:	डॉ. एल.के. गुप्ता
मुख्यमंत्री	:	श्री बिप्लब कुमार देब	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	त्रिपुरा उच्च न्यायालय

तेलंगाना

क्षेत्रफल	:	11,4,840 वर्ग कि.मी.	जनसंख्या	:	3,51,93,978 (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	:	हैदराबार	मुख्य भाषाएं	:	तेलुगू तथा उर्दू

भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन 2014 को हुआ इसकी राजधानी हैदराबाद है 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के अनुसार तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था हैदराबाद सहित तेलंगाना के दस जिले हैं इनके नाम हैं- आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल

तेलंगाना का इतिहास

तेलंगाना नाम का संदर्भ त्रिलिंगा देसा शब्द से है राज्य में कालेस्वरम, श्रीसेलम और द्रकश्रमम्म में भगवान शंकर के तीन प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति के वजह से यह नाम अर्जित हुआ एक और ऐतिहासिक कारण यह है कि निजामों के राज में यह क्षेत्र तेलुगू अंगना के नाम से जाना जाता था ताकि इसे मराठी भाषी क्षेत्रों से अलग पहचाना जा सके इस क्षेत्र में सातवाहन, काकतीय, चालुक्य, मुगल कुतुबशाही और आसफजाही जैसे महान राजवंशों ने शासन किया सातवाहनों ने तेलंगाना में दूसरी शताब्दी बीसी (ईसापूर्व) से दूसरी शताब्दी (ईसवी) तक लगभग 400 वर्षों तक शासन किया फिर भी काकतीय का वास्तुकला में योगदान अधिक प्रभावशा काकतीयों में प्रतापरूद्रा महान शासक था, जिसने 1,323 ईस्वी तक शासन किया

तेलंगाना और आंध्र के विलय को रद्द करने के लिए कई आंदोलन हुए जिनमें से 1969, 1972 और 2009 वाले आंदोलन प्रमुख थे तेलंगाना को नया राज्य बनाने के लिए होने वाले आंदोलनों ने इन दशकों के दौरान गति पकड़ी भारत सरकार ने 2009 को तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया घोषित की घोषणा के तुरंत बाद तटीय आंध्र और रायल सीमा क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और दिसंबर 2009 को इस फैसले पर अमल रोक दिया गया हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में आंदोलन जारी रहा अलग राज्य की मांग करते हुए सैकड़ों आत्मदाह, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक जीवन की गड़बड़ी के मामले सामने आए

जुलाई 2013 में कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से एक अलग राज्य के गठन की सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया विभिन्न चरणों के बाद विधेयक संसद में रखा गया फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन

अधिनियम, 2014, आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम से दस जिलों वाले तेलंगाना राज्य के गठन के लिए भारतीय संसद में पारित किया गया

भूगोल

तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट के मध्य खंड में दक्कन के पठार पर स्थित है इसमें 1,14,800 वर्ग किलोमीटर (44,300 वर्ग मील) क्षेत्र शामिल है राज्य में 79 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र के साथ गोदावरी नदी और लगभग 69 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र वाली कृष्णा नदी दो मुख्य नदियां बहती हैं, परंतु फिर भी अधिकतर क्षेत्र सूखा है तेलंगाना में भीमा, मंजीरा और मूसी जैसी और भी बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां बहती हैं राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में ओडिशा है

कृषि

चावल राज्य की मुख्य फसल है तंबाकू, आम, कपास और गन्ना अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं प्रमुख खरीफ के मोटे अनाज में यहां मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी का उत्पादन होता है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40.5 प्रतिशत कुल बुवाई क्षेत्र, 23.9 प्रतिशत वन के तहत, 10.5 प्रतिशत परती भूमि, 7.7 प्रतिशत गैर-कृषि उपयोग के लिए और 5.4 प्रतिशत बंजर एवं अकृष्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुल फसली क्षेत्र 46.54 लाख हेक्टेयर है कृषि उत्पादन वहां होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है यहां प्रमुख प्रभाव दक्षिण-पश्चिमी मानसून का है

कला और शिल्प

हस्तकला तेलंगाना का अभिन्न अंग रहा है यह क्षेत्र अद्भुत हस्तशिल्प प्रदान करता है जैसे बिदरी शिल्प, बंजारा सुई शिल्प, डोकरा धातु शिल्प, निर्मल कला, कांस्य की ढलाई बारीक सुई की कारीगरी हो, कांस्य की अद्भुत ढलाई हो या धातु शिल्प या फिर अति उत्तम पाषाण शिल्प, तेलंगाना में हस्तकला के व्यापक संग्रह देखने को मिलते हैं

त्योहार

'बटूठकम्मा' राज्य का एक रंगीन और जीवंत त्योहार है फूलों का यह अद्वितीय त्योहार यहां की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है 'देवी महाकाली' की पूजा वाला 'बोनालू' वार्षिक हिंदू त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दशहरा, समक्का सारक्का यात्रा, पीरला पान्डगा और रमजान आदि त्योहार भी तेलंगाना में धूमधाम से मनाए जाते हैं

वेबसाइट : www.telangana.gov.in

सरकार

राज्य पाल	: श्री ई. एस. एल. नरसिम्हा	**मुख्य सचिव**	: श्री शैलेंद्र कुमार जोशी
मुख्य मंत्री	: श्री के. चंद्रशेखर राव	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: हैदराबाद उच्च न्यायालय

उत्तराखंड

क्षेत्रफल	: 53,483 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 1.01 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	: देहरादून	**मुख्य भाषाएं**	: हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली और कुमाऊंनी

इतिहास और भूगोल

उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में हुआ है इस क्षेत्र पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पौरवों, कतूरियों, पालों, चंद्रों, पंवारों और ब्रिटिश शासकों ने समय-समय पर राज किया है इसके पवित्र स्थलों और तीर्थस्थलों के कारण बहुधा इसे देवताओं की

धरती-'देवभूमि' कहा जाता है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था यह प्रांत 1902 में अस्तित्व में आया 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा

हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है

कृषि

यहां की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है राज्य का कुल खेती योग्य क्षेत्र 7,67,459 हेक्टेयर है

उद्योग और खनिज

राज्य में चूनापत्थर, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि के प्रचुर भंडार हैं

सिंचाई और बिजली

राज्य के 5,61,733 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है राज्य के पास पनबिजली उत्पादन की जबदस्त क्षमता है यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली नदियों पर अनेक पनबिजली संयंत्र हैं, जिनमें बिजली का उत्पादन हो रहा है

परिवहन

सड़कें : राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 33,914 किलोमीटर है सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई 25,665 किमी, स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई सड़कों की लंबाई 2,674 किमी है

रेलवे : प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं : देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, रामनगर और काठगोदाम

उड्डयन : जौली ग्रांट (देहरादून) और पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में हवाईपट्टियां हैं नैनी-सैनी (पिथौरागढ़), गौचर (चमोली) और चिनयालिसौर (उत्तरकाशी) में हवाईपट्टियां बनाई जा रही हैं पवनहंस लि. ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है

त्योहार

विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला/अर्द्ध कुंभ मेला हरिद्वार में प्रति बारहवें/छठे वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है अन्य प्रमुख मेले/त्योहार हैं: देवीधुरा मेला (चंपावत), पूर्णागिरि मेला (चंपावत), नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा), गौचर मेला (चमोली), बैसाखी (उत्तरकाशी), माघ मेला (उत्तरकाशी), उत्तरायणी मेला (बागेश्वर), विशु मेला (जौनसार भाबर), पीरान-कलियार (रुड़की) नंदा देवी राज जात यात्रा हर बारहवें वर्ष होती है

पर्यटन स्थल

तीर्थयात्रियों/पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता आदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कमाऊ क्षेत्र से होकर की जाती है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, रूपकुंड, दयारा बुग्याल, औली तथा मसूरी, देहरादून, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी और लैंसडाउन जैसे पर्वतीय स्थल पर्यटकों के आकर्षण के महत्वपूर्ण स्थल हैं

वेबसाइट : www.uk.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: डॉ. बेबी रानी मौर्य	मुख्य सचिव	: श्री उत्पल कुमार सिंह
मुख्यमंत्री	: श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल	: 2,36,286 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	: 19.98 करोड़ (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: लखनऊ	मुख्य भाषाएं	: हिंदी और उर्दू

इतिहास

उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन और दिलचस्प है उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था यह वैदिक काल के कई महान ऋषि-मुनियों, जैसे- भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गईं ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों जैन और बौद्ध के संपर्क में आया बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और अपने संप्रदाय की शुरुआत की तथा उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया उत्तर प्रदेश में कई नगर जैसे- अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे मध्य काल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया जिससे हिंदू और इस्लाम धर्मों के संपर्क से नई मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ तुलसीदास और सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर तथा कई अन्य संतों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान किया

उत्तर प्रदेश ने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता को ब्रिटिश शासनकाल में भी बनाए रखा अंग्रेजों ने आगरा और अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया जिसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा जाने लगा बाद में 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा पूर्व में बिहार राज्य है उत्तर प्रदेश को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है : 1. दक्षिणी पर्वत तथा 2. गंगा का मैदान

कृषि

लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है राज्य में कुल 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है

उद्योग और खनिज

राज्य में कुल 6,12,338 लघु इकाइयां थीं जिनमें 7172 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और सिलिकन रेत का खनन किया जाता है छोटे खनिजों तथा कुछ और बड़े खनिजों, जैसे- चूनापत्थर, सिलिका, मैगनेसाइट, फाइरोफाइलाइट और डायोस्पार के बड़े पैमाने पर उत्पादन का अधिकतर कार्य निजी क्षेत्र में है खनिज आधारित महत्वपूर्ण उद्योगों में सोनभद्र का बड़ा सीमेंट संयंत्र शामिल है

सिंचाई और बिजली

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पुनर्गठित करके उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन और उत्तर प्रदेश पनबिजली निगम की स्थापना की गई है विद्युत आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है

परिवहन

सड़कें : लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई 1,46,728 किलोमीटर है इसमें 3,820 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, 8,391 किलोमीटर लंबे प्रांतीय राजमार्ग, 1,19,726 किलोमीटर अन्य जिला सड़कें तथा 1,34,517 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं

रेलवे : रेलवे के उत्तरी नेटवर्क का मुख्य जंक्शन लखनऊ है अन्य महत्वपूर्ण रेल जंक्शन हैं- आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मुगलसराय, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी, टुंडला, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बरेली और सीतापुर

उड्डयन : प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, हिंडन (गाजियाबाद), गोरखपुर, सरसावा (सहारनपुर) और फुर्सतगंज (रायबरेली) में हवाईअड्डे हैं

त्योहार

प्रयागराज में प्रत्येक बारहवें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है जोकि संभवत: दुनिया का सबसे बड़ा मेला है इसके अलावा, प्रयागराज में प्रत्येक 6 साल में अर्द्ध कुंभ मेले का आयोजन भी होता है प्रयागराज में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी में माघ मेला भी आयोजित होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाते हैं अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या के झूला मेले शामिल हैं, जिनमें प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखा जाता है ये झूला मेले एक पखवाड़े तक चलते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाना अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरन, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया है इसके अतिरिक्त, यहां हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारो को राज्यभर में मनाया जाता है

पर्यटन केंद्र

उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के सैलानियों के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा, कंपिल, पिपरहवा और कौशांबी प्रमुख हैं आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल में हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने हैं

वेबसाइट : www.up.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: श्री राम नाईक	**मुख्य सचिव**	: श्री अनूप चंद्र पांडेय
मुख्यमंत्री	: योगी आदित्यनाथ	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	: 88,752 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 9.13 करोड़ (जनगणना 2011-अनंतिम)
राजधानी	: कोलकाता	**मुख्य भाषा**	: बांग्ला

इतिहास

बंगाल अथवा बांग्ला नाम प्राचीन राज्य वंग या बंग से लिया गया है हालांकि राज्य में खुदाई के दौरान 20,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं द्रविड़ों, तिब्बत-बर्मन और ऑस्ट्रो-एशियाई लोगों ने इसे बसाया यह क्षेत्र प्राचीन भारत के वंग राज्य का हिस्सा था यह मगध सम्राज्य का एक हिस्सा था महावीर और बुद्ध के समय में यह भारत के चार प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसके तहत कई जनपद थे प्राचीन ग्रीस ने लगभग 100 ई. पूर्व बंगाल को गंगारीदाई का नाम दिया, जिसका मतलब ऐसी धरती जिसके हृदय में गंगा है बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा शशांक था जिसने 7वीं सदी की शुरुआत में राज किया कुछ अवधि की अव्यवस्था के बाद, लगभग चार सौ वर्ष तक बौद्ध अनुयायी पाल वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया इसके बाद छोटी अवधि के लिए हिंदू सेन वंश का शासन भी रहा

बंगाल में सूफी मिशनरी 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म लेकर आये बाद में मुस्लिम हमलावरों ने मस्जिद, मदरसा और सूफी खानकाह के निर्माण से रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू की सोलहवीं शताब्दी में मुगलकाल के प्रारंभ से पहले बंगाल पर अनेक मुसलमान राजाओं और सुल्तानों ने शासन किया

मुगलों के पश्चात् आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया जब अंग्रेजों ने पहले-पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया राज्य के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर-पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार और झारखंड, दक्षिण-पश्चिम में ओडिशा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है

कृषि

कृषि 70 प्रतिशत जनसंख्या की आय का प्रमुख स्रोत है पटसन और चावल राज्य की प्रमुख फसलें हैं इनके अलावा चाय, मक्का, तम्बाकू और गन्ने की भी खेती होती है

उद्योग

राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन और आर्थिक विकास की नीति के अंतर्गत विदेशी तकनीक और निवेश को स्वीकार किया जाता है बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश तथा औद्योगिक अवसंरचना संशोधन और उन्नयन को राज्य का पूरा समर्थन है पेट्रोरसायन और संबंधित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, लौह और इस्पात, धातु विज्ञान और अभियांत्रिकी, टेक्सटाइल, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय पौधे, खाद्य तेल, वनस्पति प्रसंस्करण और मछली उत्पादन राज्य के प्रमुख उद्योग हैं

बिजली और सिंचाई

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बड़ी जरूरत है क्योंकि यह आर्थिक विकास को तेजी, रोजगार उत्पत्ति, गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ मानव विकास की अत्यावश्यक जरूरत है पश्चिम बंगाल में ऊर्जा क्षेत्र अधिकांशतः पनबिजली से जुड़ा है क्योंकि यह आसान और सस्ती होती है; राज्य की हाइडल– थर्मल ऊर्जा का प्रतिकूल अनुपात 3:97 है इसके विपरीत, नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में कई स्तरों पर काम हुआ है राज्य में तकनीकी परियोजनाओं को अमल में लाने वाली मुख्य एजेंसी डब्ल्यूबीआरईडीए ने सुंदरबन, पश्चिमी मिदनापुर और बंकुरा तथा मालदा, मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों के दूरदराज के कई गांवों में बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है

परिवहन

यात्रियों और सामान को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य मुख्यतः परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है विभाग यह कार्य यातायात आधारित अवसंरचना के विकास और उससे संबंधित नीतियों को अमल में लाकर पूरा करता है राज्यीय यातायात उपक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विभाग ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुछ नई शुरुआत की हैं जिनमें मोटर वाहन विभाग का कंप्यूटरीकरण, सड़क सुरक्षा योजनाएं, बस स्टैंड योजनाएं टीओआईपी योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 2-स्ट्रोक ऑटोरिक्शा को 4-स्ट्रोक ऑटोरिक्शा से बदलना, 15 वर्ष से पुरानी बसों को बदलना आदि शामिल हैं

त्योहार

राज्य में दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख (बंगाली नववर्ष), रथयात्रा, डोलयात्रा या बसंत उत्सव जैसे अनेकानेक उत्सव मनाए जाते हैं क्रिसमस कार्निवल से ईद उल-फितर और मुहर्रम तक; बुद्ध पूर्णिमा से प्रसिद्ध गंगा सागर यात्रा तक जैसे उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं

पर्यटन

पश्चिम बंगाल टेराकोटा कार्य, हथकरघा सिलाई, हेरिटेज साड़ियां और कई अन्य अनोखे हस्तशिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध है राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं जिनमें सबसे अधिक संख्या में शक्तिपीठ प्रमुख हैं कालीघाट मंदिर और तारापीठ ऐसे धर्मस्थल हैं बेलूर मठ, मायापुर इस्कॉन मंदिर, हंगेश्वरी मंदिर और ताराकेश्वर मंदिर, भव्य मस्जिदें जैसे मुर्शिदाबाद की निजामत इमामबाड़ा और कटरा मस्जिद, फुर्कुरा शरीफ और कोलकाता स्थित टीपू सुल्तान शाही मस्जिद भी यहां स्थित ह कई गुरुद्वारे और शानदार गिरजाघर भी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं जिनमें बंदेल का होली रोजरी, सेंट जॉन चर्च, सेंट जेम्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल और चर्च ऑफ लॉर्ड जीज़स हैं घूम का बौद्ध मठ, भूतिया बस्ती, माग-डोग योल्मोवा, थरपा चोलिंग, ज़ांग ढोक पलरी फोडंग जैसे कई मठ राज्य के आकर्षण हैं

राज्य में रोमांच आकर्षण की भी भरमार है सुंदरबन के घने मैंग्रोव में जलीय यात्रा का आनंद लेते हुए यहां की विविध वनस्पति को देखते हुए रॉयल बंगाल टाइगर को भी यहां देखा जा सकता है हिमालय पर ट्रेकिंग का आनंद या चिलापाता के जल्दापारा के धुंध भरे जंगलों सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है

वेबसाइट : www.westbengal.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	मुख्य सचिव	:	श्री मलय कुमार दे
मुख्यमंत्री	:	सुश्री ममता बनर्जी	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	कलकत्ता हाई कोर्ट

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल	:	8,249 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	3,79,944 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	पोर्ट ब्लेयर	मुख्य भाषाएं	:	हिंदी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगू

इतिहास और भूगोल

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 6° और 14° उत्तरी अक्षांश तथा 92° और 94° पूर्वी देशांतर में स्थित है 10° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अंडमान द्वीपसमूह कहलाते हैं जबकि 10° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबार द्वीपसमूह कहलाते हैं यहां की जलवायु नम, उष्णकटिबंधीय और तटीय है इस समस्त द्वीपसमूह में दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी-दोनों मानसूनों की वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा मई और दिसंबर के महीनों में होती है

इस द्वीपसमूह के मूल निवासी जंगलों में रहते थे और शिकार तथा मछलियां पकड़कर अपना गुजारा चलाते थे अंडमान के द्वीपसमूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जरवा और सेंटीनली नाम की चार निग्रेटो जातियां हैं तथा निकोबार द्वीपसमूह में निकोबारी तथा शोमपेन नाम की दो मंगोलाइड जातियां हैं

कृषि

कुल 8,249 वर्ग किमी के भाग में से केवल 6 प्रतिशत (50,000 हेक्टेयर) में से भी घटकर 47,000 हेक्टेयर भूमि 2004 के सुनामी के बाद कृषि के अंतर्गत है धान यहां की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि मुख्यतः अंडमान द्वीपसमूह में उगाई जाती है जबकि निकोबार द्वीपसमूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी हैं रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसके बाद धान की फसल बोई जाती है यहां के किसान पहाड़ी जमीन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के फल, जैसे– आम, चीकू, संतरा, केला, पपीता, अन्नानास और कंद-मूल आदि उगाते हैं यहां बहुफसल व्यवस्था के अंतर्गत मसाले, जैसे- मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि भी उगाई जाते हैं इन द्वीपों में रबड़, रेड आयल, ताड़ तथा काजू आदि भी थोड़ी-बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं

वन

इन द्वीपों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7,171 वर्ग किलोमीटर भाग वनों से ढका हुआ है लगभग सभी प्रकार के वन जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, गिरि शिखर पर होने वाले तथा तटवर्ती और दलदली वन पाए जाते हैं यहां विभिन्न प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं सबसे बहुमूल्य लकड़ियां पाडोक तथा गरजन की हैं ये निकोबार में नहीं मिलतीं

वन्यजीव

इन द्वीपों में 96 वन्यजीव अभयारण्य, नौ राष्ट्रीय पार्क तथा एक जैव संरक्षित क्षेत्र (बायोस्फियर रिजर्व) है स्तनपायी-अब तक अधिसूचित कुल 55 स्थलीय एवं 7 समुद्री स्तनपायी प्रजातियों में से 32 क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं पक्षी-इन द्वीपों में पक्षियों की 246 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां मिलती हैं जिनमें से 99 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं सरीसृप- इस राज्य में सरीसृपों की 76 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 24 क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं समुद्री जीव- इन द्वीपों के समुद्र में मछलियों की 1,200 से अधिक प्रजातियां, इकाइनो डर्म की 359, घोंघा (मोलस्क) समूह की 1,067 तथा अन्य सूक्ष्म प्रजातियां पाई जाती हैं कशेरूकी प्राणियों में मुख्यतः ड्यूगॉग, डॉल्फिन, व्हेल, खारे पानी के घड़ियाल, समुद्री कछुए तथा समुद्री सर्प इत्यादि मिलते हैं पूर्वी तट पर मुख्यतः झब्बेदार (फ्रिंजिंग) प्रकार के तथा पश्चिमी तट पर अवरोधी (बैरियर) प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं

उद्योग

राज्य में 1,833 लघु व मध्यम उद्यम एवं हस्तशिल्प इकाइयां पंजीकृत हैं झींगा मछली प्रसंस्करण के क्षेत्र में दो इकाइयां शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख हैं इसके अतिरिक्त सीपी एवं लकड़ी आधारित हस्तशिल्प इकाइयां हैं छोटे पैमाने की इकाइयां पेंट तथा वार्निश, छोटी आटा पिसाई चक्कियां, शीतल पेय एवं शराब, स्टील फर्नीचर एवं अन्य उपकरण, रेडीमेड कपड़े, लोहे के दरवाजे, ग्रिल इत्यादि के उत्पादन का कार्य करती हैं लघु औद्योगिक इकाइयां सीपी शिल्प, बेकरी उत्पाद, चावल निकालने तथा फर्नीचर बनाने का कार्य भी कर रही हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम ने पर्यटन, मत्स्य उद्योग तथा औद्योगिक ऋण के क्षेत्रों में काम करना आरंभ कर दिया है

परिवहन

मोटर परिवहन विभाग उत्तरी और दक्षिणी द्वीपसमूह के 14 केंद्रों से सेवा संचालित करता है विभाग के पास कुल 264 बसें हैं, जो अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं वर्ष 2007 से एटीआर एक्सप्रेस सेवा के लिए कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली शुरू की गई है यहां से अग्रिम टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं

पर्यटन

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है पर्यटकों के इस स्वर्ग में सेल्यूलर जेल, रॉस आइलैंड तथा हैवलॉक आइलैंड जैसे विशिष्ट स्थान हैं अंडमान के उष्णकटिबंधीय सदाबहार घने वन, सुंदर रूपहले व रेतीले समुद्र तट, सर्पाकार मैंग्रोव युक्त क्रीक, दुर्लभ समुद्री वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों युक्त समुद्री परिवेश तथा मूंगे यहां पर्यटकों को एक स्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं समुद्र तट पर बने रिसार्ट्स, जलक्रीड़ा केंद्रों तथा पानी के साहसिक खेलों, ट्रेकिंग, आइलैंड कैंपिंग, प्रकृति के बीच निवास (नेचर ट्रेल) स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक पर्यटन के रूप में यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं

यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के ठहरने की आरामदेह व्यवस्था के लिए पर्यटन विभाग की ओर से द्वीपों के विभिन्न भागों में विश्राम गृहों का संचालन किया जाता है यहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों में नृत्य संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय, जलक्रीड़ा परिसर, गांधी पार्क, उत्तरी खाड़ी (नार्थ बे), वाइपर आइलैंड,रॉस आइलैंड, चिड़िया टापू (बर्ड वाचिंग), रेडस्किन आइलैंड, कोर्बिन्स कोव बीच तथा नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, सिंक्र्, लघु अंडमान, दिगलीपुर (रॉस एवं स्मिथ) इत्यादि हैं

मुख्यभूमि से द्वीप हवाई और समुद्री यात्रा द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट

ब्लेयर के बीच इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन और जेटलाइट की नियमित उड़ानें हैं चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम से यहां के लिए नियमित यात्री नौका सेवा है

वेबसाइट : www.and.nic.in

सरकार

उप-राज्यपाल : एडमिरल डी.के. जोशी **मुख्य सचिव** : श्री अनिंदो मजूमदार	**उच्च न्यायालय** : अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चंडीगढ़

क्षेत्रफल	:	114 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	10.55 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चंडीगढ़	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी, पंजाबी

इतिहास और भूगोल

चंडीगढ़ आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न प्रदेश है शिवालिक पहाड़ियों की नयनाभिराम तलहटी में बसा चंडीगढ़ वास्तविक अर्थों में एक खूबसूरत शहर है फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ला कार्बूजिए द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है चंडीगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्र को 1 नवंबर, 1966 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है इसके उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व और दक्षिण में हरियाणा है

परिवहन

चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रयोक्ता-अनुकूल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को महसूस करते हुए जल्द ही, जन त्वरित परिवहन प्रणाली शुरू करने का निश्चय किया है चंडीगढ़ प्रशासन तथा पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारें मिल कर इस परियोजना पर काम कर रहीं हैं

सीटीयू (चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है अपनी फ्लीट की निगरानी के लिए उपक्रम चरणबद्ध ढंग से ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली; जीपीएस भी स्थापित करेगा

ग्रामीण विकास

गरीब तथा पिछड़े तबके के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराने के लिए विभिन्न गांवों में 14 विधि जागरुकता सेमिनार आयोजित किए गए यह पहल राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई खाजरी तथा पालसोरा गांव में सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ तथा नालियों को ढकने का काम पूरा कर लिया गया है मौली जागरण गांव में 70 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है

सूचना प्रौद्योगिकी

चंडीगढ़ जनता को प्रयोक्ता अनुकूल तथा त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में रोल मॉडल बन चुका है ई-गवर्नेंस पहल के तहत धनास, खुड्डा जस्सु, कैंबवाला, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, मक्खन माजरा तथा बहलाना में ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए गए पलसोरा, दादू माजरा, हल्लू माजरा, खुदा अलीसर, दरिया, मौली जागरण तथा मालोया में ग्राम संपर्क केंद्र कर रहे हैं प्रशासन ऊर्जा संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहा है टाटा बीपी सोलर लिमिटेड को वनस्पति उद्यान में ऊर्जा पार्क स्थापित करने का आर्डर दिया गया है गांवों की सभी स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी

उद्योग

प्रशासन मौली जागरण गांव के राजस्व इस्टेट में औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण का विकास कर रहा है

पर्यटन

प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रहा है जैसे विवाह पर्यटन चिकित्सीय, शैक्षिक तथा मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि कर प्रशासन सिनेमैटिक, खेल तथा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

बिजली

सभी निवासियों के लिए पर्याप्त बिजली का प्रावधान प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने तथा विद्युत वितरण नेटवर्क पर दबाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक विंग ने विभिन्न स्थानों पर स्थित 66 किलोवाट ग्रिड सब-स्टेशनों में 80 एमवीएआर स्वचालित कैपेसिटर बैंक लगाने की योजना बनाई है सभी सरकारी भवनों में सीएफएल अनिवार्य कर दिया गया है इसी प्रकार शैक्षणिक भवन अपने परिसर के पार्किंग स्थानों पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे

वेबसाइट: www.chandigarh.gov.in

सरकार

प्रशासक : श्री वी.पी. सिंह बदनोरे	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
प्रशासक के सलाहकार : श्री मनोज कुमार परिदा	

दादरा और नगर हवेली

क्षेत्रफल	:	491 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	3.44 लाख (जनगणना 2011-अनंतिम)
राजधानी	:	सिलवासा	**मुख्य भाषाएं**	:	गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

जनता द्वारा 1954 को मुक्त कराने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा जिसे 'स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन' ने चलाया, लेकिन 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकारकेंद्रशासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है पुर्तगाल के चंगुल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद से 'वरिष्ठ पंचायत' प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी परंतु इसे अगस्त 1989 में भंग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग कि.मी. में फैला छोटा-सा क्षेत्र है यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है इसके दो भाग हैं: एक दादरा और दूसरा नगर हवेली निकटतम रेलवे स्टेशन वापी में है, जो सिलवासा से 18 किलोमीटर दूर है सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा नगर परिषद 2006 में अस्तित्व में आई और यह मुख्यतः दो नगरों से बनी है- सिलवासा और आमली 2011 की जनगणना में अन्य पांच गांवों-दादरा, नरोली, समरवाणी, मस्त तथा रखोली को गैर-संवैधानिक जनगणना शहर माना गया

कृषि

दादरा और नगर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहां 79 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं इसका कृषि क्षेत्र लगभग 21,115 हेक्टेयर है मुख्य फसल धान (खरीफ) है तथा नागली और पहाड़ी बाजरा अन्य प्रमुख फसलें हैं फलों में आम, चीकू तथा केले का मुख्य उत्पादन होता है तथा कुल भू-भाग के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं पिछले कुछ वर्षों से गन्ने की खेती में वृद्धि हुई है सिंचित क्षेत्रों में बहु-फसल पद्धति के उपाय किए जा रहे हैं गैर-सरकारी संगठन, बीएआईएफ, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फाउंडेशन द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से दादरा तथा नगर हवेली के जनजातीय क्षेत्र में वाडी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है

उद्योग

1965-66 से पहले यहां कोई उद्योग नहीं था केवल कुछ दस्तकार परंपरागत रूप से बर्तन, चप्पल, जूते जैसे चमड़े का कुछ सामान और बांस की चीजें बनाते थे 1967-68 में दान उद्योग सहकारी संघ लि. ने सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना करके छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास के काम की शुरुआत की आर्थिक उदारता नीति लागू होने के बाद औद्योगिक विकास में उछाल आया इसके बाद सिलवासा, मसात और खदोली में तीन सरकारी औद्योगिक संपदाएं विकसित की गईं 1863 लघु उद्योग, 430 मझोली/लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत थीं, जिनमें 46,000 लोग काम कर रहे थे

सिंचाई और बिजली

इस क्षेत्र के स्वतंत्र होने से पहले, यहां किसी प्रकार की सिंचाई सुविधाएं नहीं थीं और किसानों को पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था प्रदेश के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बाद लघु सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त उपाय किए गए हैं अब तक सिंचाई कुओं से संबंधित 128 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिससे 1,851 हेक्टेयर और अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ी है मंझोली सिंचाई परियोजना जैसे दमनगंगा आरक्षित जल परियोजना के जरिए इस केंद्रशासित प्रदेश में 115 कि.मी. छोटी नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरी काम कर रही है 4,300 हेक्टेयर में सभी तरह के फील्ड चैनलों में विकास कार्य पूरा हो चुका है तथा 4,049 हेक्टेयर में परीक्षण किया गया है

परिवहन

केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के सड़क नेटवर्क पर निर्भर है क्योंकि मुंबई से इन दोनों राज्यों को पार करने के उपरांत हीं प्रदेश में पहुंचा जा सकता है वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 635 कि.मी. है जिसमें से 570 कि.मी. पक्की हैं लगभग सभी गांव ऐसी सड़कों से जुड़े हैं जो हर मौसम में ठीक रहती हैं मुंबई से अहमदाबाद का रेल मार्ग वापी से भी जुड़ा है निकटतम हवाईअड्डा मुंबई है बढ़ते यातायात की जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में सड़कें चौड़ी करने का काम हाल में शुरू किया गया है तेजी से बढ़ रहे औद्योगीकरण को देखते हुए सिलवासा और आस-पास के क्षेत्रों में अन्य छुट-पुट कार्यों के अलावा चार लेन सड़क-निर्माण का कार्य शुरू किया गया है

पर्यटन स्थल

घने वन क्षेत्र तथा अनुकूल जलवायु को देखते हुए यहां पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख स्थान हैं- ताड़केश्वर शिव मंदिर, बिन्द्राविन, खानवेल का हिरण पार्क, वाणगंगा झील और द्वीप उद्यान, दादरा, वनविहार उद्यान, लघु प्राणी विहार, बाल उद्यान, आदिवासी म्यूजियम और सिलवासा स्थित हिरवावन उद्यान सिलवासा के यात्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल तारपा उत्सव और विश्व पर्यटन दिवस आदि आयोजित किए जाते हैं

त्योहार

इस क्षेत्र में सामान्यतया सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई त्योहार मनाए जाते हैं आदिवासी अपने ही त्योहार मनाते हैं ढोडिया और वर्ती जनजातियों 'दिवसो' त्योहार मनाती हैं और ढोडिया जनजाति रक्षाबंधन भी मनाती है वर्ली और कोली जनजातियां भावड़ा त्योहार मनाती हैं यहां की सभी जातियों के लोग फसल काटने से पहले ग्राम देवी की पूजा करते हैं तथा फसल काटने के बाद 'काली पूजा' का त्योहार मनाते हैं

वेबसाइट : www.dnh.nic.in

प्रशासक	: श्री प्रफुल्ल पटेल
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	: मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

दमन और दीव

क्षेत्रफल	:	111 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	2,42,911 (जनगणना 2011-अनंतिम)
राजधानी	:	दमन	मुख्य भाषाएं	:	गुजराती

इतिहास और भूगोल

दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे 1961 में इन्हें भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया 30 मई, 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद दमन और दीव को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया दमन मुंबई से लगभग 193 किलोमीटर दूर है यह पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी तथा दक्षिण में कलाई नदी से घिरा है गुजरात का वलसाड, दमन का पड़ोसी जिला है दीव दो पुलों से जुड़ा हुआ द्वीप है दीव का पड़ोसी जिला गुजरात का जूनागढ़ है

कृषि और सिंचाई

दमन और दीव में कुल सिंचित क्षेत्र 393.93 हेक्टेयर है, जबकि असिंचित क्षेत्र 3304.73 हेक्टेयर है यहां की महत्वपूर्ण फसलें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, दालें, सेम, गेहूं, चीकू, आम, केला, नारियल और गन्ना हैं इस क्षेत्र में कोई बड़ा जंगल नहीं है

उद्योग और बिजली

दमन और दीव में 2,930 मंझोली तथा लघु उद्योग इकाइयां हैं दमन में ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम द्वारा दो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है दाभेल, भीमपोर, काचीगाम और कदाइया दूसरे औद्योगिक क्षेत्र हैं

सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है दमन और दीव को पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय बिजलीघरों से पर्याप्त बिजली मिल रही है

परिवहन

सड़कें : सड़कों की कुल लंबाई क्रमशः 191 कि.मी. और 78 कि.मी. है

रेलवे : दमन और दीव रेलमार्ग से नहीं जुड़े हैं दमन का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी है जो पश्चिम रेलवे के मुंबई-दिल्ली मार्ग पर है दीव का समीपवर्ती रेलवे स्टेशन मीटर गेज लाइन पर स्थित दलवाड़ा है

उड्डयन : दमन और दीव दोनों में ही हवाईअड्डे हैं दीव विमान सेवा से जुड़ा हुआ है तथा मुंबई से दीव तक की नियमित विमान सेवा उपलब्ध है

पर्यटन स्थल

दमन के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं- बॉम जीसस चर्च, अवर लेडी ऑफ सी चर्च, अवर लेडी ऑफ रेमेडिओज चर्च, मोती दमन और नानी दमन के किले, जंपौर और देवका समुद्र तट, नानी दमन और मोती दमन जेट्टी में सार्वजनिक उद्यान, परगोला गार्डन, मोती दमन; एम्यूजमेंट पार्क, देवका; दमनगंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, काचिगाम; सत्य सागर उद्यान; मिरासोल गार्डन, मिरासोल वाटर पार्क

दीव में सेंट पॉल चर्च, दीव फोर्ट और पानीकोटा फोर्ट, नागोआ और चक्रतीर्थ तथा घोघला और समर हाउस चिल्ड्रन पार्क प्रमुख पर्यटन स्थल हैं

वेबसाइट : www.daman.nic.in

प्रशासक	:	श्री प्रफुल्ल पटेल
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

दिल्ली

क्षेत्रफल	:	1,483 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	1.68 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	दिल्ली	मुख्य भाषाएं	:	हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

महाकाव्य महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक अफगान के तुर्क और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथों में पहुंचा 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19वीं सदी के पूर्वाद्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर यह शहर सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया 1956 में इसे केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ देश के उत्तरी भाग में स्थित दिल्ली पूर्व दिशा को छोड़कर सभी ओर से हरियाणा राज्य से घिरी है, पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ

कृषि

गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का यहां की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों की बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं ये गतिविधियां खाद्यान्नों, फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं

उद्योग

दिल्ली न केवल उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, बल्कि यह लघु उद्योगों का भी सबसे बड़ा केंद्र है इनमें टेलीविजन, टेपरिकार्डर, हल्का इंजीनियरिंग साज-सामान, मशीनें, मोटरगाड़ियों के हिस्से-पुर्जे, खेलकूद का सामान, साइकिलें, पी.वी.सी. से बनी वस्तुएं, जूते-चप्पल, कपड़ा, उर्वरक, दवाएं, होजरी का सामान, चमड़े की वस्तुएं, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं

सिंचाई और बिजली

दिल्ली के गांवों का तेजी से शहरीकरण होने की वजह से सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है राज्य में 'केशोपुर प्रवाह सिंचाई योजना चरण तृतीय' तथा 'जल संशोधन संयंत्र से सुधार एवं प्रवाह विस्तार सिंचाई प्रणाली' नामक दो योजनाएं चलाई जा रही हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में 350 हेक्टेयर की सिंचाई राज्य नलकूपों द्वारा और 1,376 हेक्टेयर की सिंचाई अतिरिक्त पानी द्वारा की जा रही है इसके अलावा 4,900 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हरियाणा सरकार के अधीन पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जा रही है

दिल्ली के लिए इसकी अपनी उत्पादन इकाइयों- राजघाट बिजलीघर, इंद्रप्रस्थ स्टेशन और बदरपुर ताप बिजलीघर सहित गैस टरबाइन पर आधारित इकाई से 850-900 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है शेष बिजली उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से प्राप्त की जाती है दिल्ली में कई बिजली उत्पादन इकाइयां शुरू करने की योजना है इंद्रप्रस्थ एस्टेट में प्रगति कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा चुका है 330 मेगावाट प्रगति पावर परियोजना निर्माणाधीन है और जल्दी ही चालू होने वाली है बिजली वितरण को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण कर दिया गया है और दिल्ली की बिजली व्यवस्था अब देश की दो जानी-मानी संस्थाओं- बीएसईएस तथा टाटा पावर (एनडीपीएल) द्वारा देखी जा रही है

परिवहन

दिल्ली सड़कों, रेल लाइनों और विमान सेवाओं के जरिये भारत के सभी भागों से भलीभांति जुड़ी हुई है यहां तीन हवाईअड्डे हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पालम हवाईअड्डा, घरेलू उड़ानों के लिए तथा सफदरजंग हवाईअड्डा, प्रशिक्षण उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली में पांच महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी हैं ये दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे

स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं तीन अंतर्राज्यीय बसअड्डे- कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में हैं

दिल्ली शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण और यातायात की अस्त-व्यस्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) लागू करने का निर्णय लिया यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली में आ गई है

त्योहार

महानगर होने की वजह से यहां भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं इनके अलावा, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं ये हैं: रोशनआरा उत्सव, शालीमार उत्सव, कुतुब मेला, शीतकालीन मेला, उद्यान पर्यटन मेला, जहान-ए-खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव

पर्यटन स्थल

दिल्ली के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेंपल, अक्षरधाम आदि प्रमुख हैं दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहां के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है निगम ने पैरा सेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बोटिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की हैं निगम ने दो 'दिल्ली हाट' का विकास किया है, जहां विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं और पेय एक ही जगह उपलब्ध हैं दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही 'हाट' बनाने की योजना है निगम दिल्ली के अनेक भागों में 'कॉफी होम' भी चला रहा है दिल्ली के दक्षिणी जिले में 'पंचेंद्रियों का पार्क' (गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज) भी खुला है जो दिल्ली में आने वाले बहुत-से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है

वेबसाइट : www.delhi.gov.in

उप-राज्यपाल	:	श्री अनिल बैजल	मुख्य सचिव	:	विजय कुमार देव
मुख्य मंत्री	:	श्री अरविंद केजरीवाल	उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	दिल्ली

लक्षद्वीप

क्षेत्रफल	:	30 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या	:	64,000 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	कवारत्ती	मुख्य भाषाएं	:	मलयालम, धिवेही और (द्वीप भाषा)

इतिहास और भूगोल

इन द्वीपों के बारे में, इनके पूर्व इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है समझा जाता है कि पहले-पहल लोग आकर अमीनी, अनद्रौत, कवारत्ती और अगात्ती द्वीपों पर बसे पहले यह विश्वास किया जाता था कि द्वीप में आकर बसने वाले मूल लोग हिंदू थे और लगभग 14वीं शताब्दी में किसी समय अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर मुसलमान बन गए परंतु हाल में पुरातत्वीय खोजों से पता चलता है कि लगभग छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास यहां बौद्ध रहते थे सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को अपनाने वाले जिन लोगों और निवासियों का पता चलता है, वे हिजरी वर्ष 139 (आठवीं शताब्दी) के समय के मालूम होते हैं इस तारीख का पता अगात्ती में हाल में खोजे गए मकबरों के पत्थरों पर खुदी तारीखों से लगता है स्थानीय परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, इस द्वीप में अरब सूफी उबैदुल्ला हिजरी सन 41 में इस्लाम को लेकर आए

शायद 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्र इन द्वीपों में बसने वाले लोगों को पुर्तगालियों के उपनिवेशों के आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए चिरक्कल के राजा की सहायता लेनी पड़ी इससे वह यहां अपना प्रभुत्व जमा सका और बाद में इन द्वीपों को कन्नानूर में मोपला समुदाय के प्रमुख अली राजा को जागीर के रूप में

सौंप दिया जो बाद में स्वतंत्र शासक बन बैठा अक्कल शासन लोकप्रिय नहीं हुआ और 1787 में टीपू सुल्तान ने इन द्वीपों पर कब्जा करने की उत्तर के द्वीपवासियों की याचिका को स्वीकार कर लिया टीपू सुल्तान के पतन के बाद ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में दे दिए गए, परंतु इन पर कन्नानूर के शासक वस्तुतः तब तक शासन करते रहे जब तक कि अंततः बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों ने इन पर कब्जा नहीं कर लिया 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया और तब से इसका शासन केंद्र सरकार के प्रशासक के माध्यम से चल रहा है 1973 में लक्का दीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, तीन प्रवाल भित्ति और 6 जलमग्न बालू के तट शामिल हैं यहां के कुल 36 द्वीपों में से केवल 11 में आबादी है ये द्वीप उत्तर में 8° और 12°3' अक्षांश पर तथा पूर्व में 71° और 74° देशांतर पर केरल तट से लगभग 280 से 480 कि.मी. दूर अरब सागर में फैले हुए हैं

कृषि

यहां की प्रमुख फसल नारियल है और प्रतिवर्ष 60 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है 2,689 हेक्टेयर भूमि में यहां खेती की जाती है यहां के नारियल को जैव उत्पाद (आर्गेनिक प्रोडक्ट) के रूप में जाना गया है भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है तथा प्रति हेक्टेयर उपज 20,600 नारियल है और प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष औसतन 82 नारियलों का उत्पादन होता है लक्षद्वीप के नारियलों में विश्व के अन्य नारियलों के मुकाबले सर्वाधिक तेल (82 प्रतिशत) पाया जाता है

मछली पालन

मछली पकड़ना यहाँ का अन्य प्रमुख कार्य है इसके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बहुत अधिक हैं लक्षद्वीप में प्रतिव्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है

उद्योग

नारियल के रेशे और उससे बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन यहां का मुख्य उद्योग है सरकारी क्षेत्र के अधीन नारियल के रेशों की सात फैक्ट्रियां, 5 रेशा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र और 7 रेशा बंटने वाली इकाइयां हैं इन इकाइयों में नारियल रेशों और सुतली के उत्पादन के अतिरिक्त नारियल के रेशे से बनी रस्सियां, कॉरीडोर मैट, चटाइयों और दरियों आदि का भी उत्पादन किया जाता है विभिन्न द्वीपों में निजी क्षेत्र में भी कई नारियल रेशा इकाइयां काम कर रही हैं

परिवहन

इस समय मुख्य द्वीपीय क्षेत्र में और अंतःद्वीपीय क्षेत्र एम. वी. कावारत्ती, एम. वी. अरब सागर, एम. वी. टीपू सुल्तान, एम. वी. भारत सीमा, एम. वी. मिनिकॉय, एम. वी. अमनदवी तथा एम. वी. दीपसेतु संचालित हैं इसके अतिरिक्त तीन 150 यात्री हाई स्पीड वैसल (उच्च गति जहाज़) (एचएससी पराली, एचएससी वलियापनी और एचएससी चिरयापन), तीन 50 यात्री वाले उच्च गति जहाज़ (एचएससी स्किप जैक, एचएससी ब्लू मार्लिन) और (एचएससी ब्लेक मार्लिन), एक 15 यात्री उच्च गति जहाज़, एचएसी वीरंजली और दो 100 यात्री फेरी जहाज़ (एमवी ख़दीजा बीवी और एम.वी. हमीद बी) अंतर द्वीपीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बनाए रखती हैं तीन 150 यात्री एचएससी आवश्यकता अनुसार द्वीप और मुख्य क्षेत्र को जोड़ते हैं चार कार्गो बार्ज- उबैदुल्ला, थिनाकारा, लाकादिव तथा चेरियम कार्गो सुविधा उपलब्ध कराते हैं द्वीपों से कावारत्ती तथा मुख्य भूमि तक गंभीर रोगियों को पहुंचाने के लिए प्रशासन चार्टर पर दो पवन हंस हेलीकॉप्टर चलाता है एयरलाइंस अगाती और कोच्चि को जोड़ने के लिए भी रविवार छोड़कर इंडियन एयरलाइन की वायुयान सेवा उपलब्ध है

पर्यटन स्थल

एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में पर्यटन का विकास हो रहा है अगाती, बंगारम, कलपेनी, कादमत, कावारत्ती तथा मिनीकॉय आदि मुख्य पर्यटन स्थल हैं

वेबसाइट : www.lakshadweep.gov.in

सरकार

प्रशासक : श्री फारुख खान

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पुदुदचेरी

क्षेत्रफल	:	490 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	12,47,953 (जनगणना 2011-अनंतिम)
राजधानी	:	पुदुचेरी	**मुख्य भाषाएं**	:	तमिल, तेलुगू, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

केंद्र शासित प्रदेश पुदुदचेरी, पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी रही है, जिसमें यहां के चार स्वायत्त क्षेत्र पुदुदचेरी, करईकल, माहे और यनम आते हैं पुदुदचेरी इस क्षेत्र की राजधानी है और एक समय यह भारत में फ्रांसीसी सरकार का मुख्यालय हुआ करती थी फ्रांस सरकार ने इन क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था 1954 में भारत सरकार को सौंप दी थी इन सभी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश पुदुदचेरी में शामिल कर लिया गया था पुदुदचेरी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष तीन ओर तमिलनाडु के कडलूर और विल्लुपुरम जिले हैं

कृषि

पोंडल की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को विस्तार देने और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को गोर्ड सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसके लिए उन्हें वित्तीय सहयोग दिया जाता है ताकि वह स्थायी पोंडल ढांचों को स्थापित कर सके निर्माण की उच्च लागत के कारण किसानों को पोंडल ढांचों के निर्माण में काफी समस्याएं आती हैं इस संबंध में 50 प्रतिशत छूट से लेकर प्रति एकड़ 1 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है सब्जी उत्पादकों के लिए प्रति यूनिट क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने और आमदनी में वृद्धि करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त विकल्प है

उद्योग

पुदुदचेरी का कुल क्षेत्र 479 वर्ग कि.मी. है और पिछली जनगणना के अनुसार यहां की कुल आबादी 12.44 लाख है यहां दक्षिण भारत के चार तटीय क्षेत्र जुड़ते हैं निवेशोन्मुख होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में यहां बड़ी संख्या में निवेश और औद्योगिक विकास देखा गया है हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल के कारण औद्योगिक मंदी भी देखने को मिली है, बावजूद इसके विकास जारी है पुदुदचेरी में 77 बड़े, 9,067 लघु, छोटी और मंझोली औद्योगिक इकाइयां हैं इनमें 2,909 करोड़ रुपये का निवेश है और यह इकाइयां क्षेत्र की जीवनधारा हैं और इनमें करीब एक लाख लोग काम करते हैं

पर्यटन

शहर के पुराने हिस्से को बुलेवार्ड टाउन कहा जाता है यह चार बुलेवार्ड्स से जुड़ा है जो एक समय शहर की बाहरी सीमा निश्चित करते थे बुलेवार्ड टाउन में तमिल और फ्रांसीसी अंशों का स्थापत्य झलकता है, जिनके बीच एक नहर बहती है और इन्हें एक आयताकार ग्रिड योजना की मदद से जोड़ा गया है कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और शहर के स्थापत्य पर तमिल एवं फ्रांसीसी क्षेत्रों में पारंपरिक शैली से बने घरों का गहरा असर पड़ा है प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में पुरातात्विक स्थल अरिकमेडु है जिसकी खोज 200 ईसापूर्व रोमनों ने की थी इसका खुदाई कार्य अभी चल रहा है आयीं मंडपम का निर्माण नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में हुआ था 1773 में बना आनंद रंगपिल्लई का भवन तथा अपने गॉथिक स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस गिरजाघर दर्शनीय स्थल हैं

बिजली

संघ शासित प्रदेश की मौजूदा बिजली आपूर्ति केंद्र सरकार के सेंट्रल जेनरेटिंग स्टेशंस (सीजीएस) और निकटवर्ती राज्यों के बिजली बोर्डों (टीएएनजीईडीसीओ और केएसईबी) से होती है पुद्दुचेरी पावर कॉरपोरेशन लि. द्वारा चालित करईकल क्षेत्र में एक 32.5 मेगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र भी है जो करईकल क्षेत्र की बिजली जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करता है

वेबसाइट : www.py.gov.in

सरकार

उपराज्यपाल	: डॉ. किरण बेदी, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	**मुख्य सचिव**	: श्री अश्विनी कुमार
मुख्यमंत्री	: श्री वी. नारायणसामी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: पुद्दुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

31 | राष्ट्रीय घटनाक्रम



1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018

जनवरी-*2018*

- प्रधानमंत्री के सरकारी वेबसाइट की असमिया और मणिपुरी संस्करण की शुरुआत की गई
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) पर नौवहन की क्षमता संवर्द्धन के लिए जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी इस पर 5,369.18 करोड़ रुपये की लागत आएगी विश्व बैंक इसमें निवेश और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए को जोड़ने वाले श्रीनगर-लेह खंड पर 95.00 कि.मी. और 118.00 कि.मी. पर उपमार्गों को छोड़कर पैरेलल एस्केप (एग्रेस) सुरंग के साथ दो लेन की दो दिशाओं की ज़ोजिला सुरंग के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव को मंजूरी दी
- केंद्र सरकार ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (संशोधन अधिनियम) को अधिसूचित किया
- पहली पीआईओ-सांसद कांफ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की गई
- आईपीआर संवर्द्धन तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम), औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने एसोचैम और एरिक्सन इंडिया के सहयोग से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक संपदा प्रतियोगिता आईपीरिज़्म शुरू की
- डिज़ास्टर रीसाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
- खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने 'खेलो इंड़िया गान' का लोकार्पण किया 'खेलो इंडिया' की शुरुआत का पहला कार्यक्रम 31 जनवरी, 2018 को शुरू हुए 'खेलो इंडिया स्कूल' खेल थे
- भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 के लिए संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्रदान किए
- लंबी दूरी की ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की पूर्ण श्रृंख़ला का ओडिशा के डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया यह इस मिसाइल का पांचवां परीक्षण था यह रोड मोबाइल लॉन्चर पर एक कनस्तर से लगातार तीसरा परीक्षण था सभी पांच अभियान सफल रहे हैं
- श्री ओमप्रकाश रावत को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया
- गणतंत्र दिवस 2018 समारोहों के तहत सरकार ने दिल्ली के लालकिले पर 26 से 31 जनवरी, 2018 तक 'भारत पर्व' का आयोजन किया
- वित्त मंत्री ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया इसमें वर्ष 2018-19 में 7-7.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान व्यक्त किया गया

फरवरी-*2018*

- वित्त मंत्री ने वर्ष 2018-19 का आम बजट संसद में पेश किया

- वित्त और कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री ने क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित अति लघु और लघु उद्यमों के लिए भारत के पहले सेंटीमेंट इंडेक्स क्रिसिडएक्स का शुभारंभ किया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारा पर मिनामटा संधि की पुष्टि के प्रस्ताव और भारत को संधि का एक पक्ष बनाने के लिए पुष्टि के दस्तावेज प्रदान करने को मंजूरी दी
- आय पर करों के संदर्भ में वित्तीय अपवंचन रोकने और दोहरे कर से बचने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते के संशोधन के प्रोटोकाल की पुष्टि और हस्ताक्षर की मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त निकायों- राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा जनसंख्या स्थिरता कोष को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और ये कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत लाने का प्रस्ताव दिया गया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,650 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री रिसर्च फैलो योजना को 2018-19 से सात वर्ष के लिए कार्यान्वयन के वास्ते मंजूरी दी
- नीति आयोग ने स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट की शुरुआत की सर्वांगीण निष्पादन के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, पंजाब और तमिलनाडु सर्वोपरि रहे
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फिलिस्तीन के सबसे बड़े सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन प्रदान किया गया
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना का आयोजन किया
- केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की स्थापना की नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर
- क्षेत्र विकास राज्यमंत्री इसके सह-अध्यक्ष होंगे फोरम का सचिवालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में होगा
- भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय-भारतीय मानक ब्यूरो ने डाटा साइंस फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में पांचवें अंतरराष्ट्रीय डाटा साइंस समिट का आयोजन किया
- डीआरडीओ ने रुस्तम 2 की उड़ान अपने वैमानिक परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग से सफलतापूर्वक पूरी की
- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर ई-गवर्नेंस पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
- टैंकरोधी नियंत्रित मिसाइल नाग का सफल परीक्षण रेगिस्तानी परिस्थितियों में विभिन्न रेंज और समय पर दो टैंक लक्ष्यों को निशाना बनाकर किया गया

मार्च-*2018*

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी इस प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य लेखा परीक्षण व्यवसाय के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाना है यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किए गए बदलावों में शामिल है
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और परिवर्तनीयता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
- केंद्रीय रसायन तथा उर्वरक और संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत शत-प्रतिशत ओक्सो-बायोडीग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन 'सुविधा' की शुरुआत की
- अखिल भारतीय मेट्रो रेल कंपनीज़ संघ, 'आई-मैट्रोज' की शुरुआत की गई
- सरकार ने 9 अनुसंधान पार्क, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थापित करने को मंजूरी दी
- 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने भारत की महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल www.udyarmskhi.org की शुरुआत की
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार कर देश के सभी 640 जिलों को इसके तहत लाया गया
- पयर्टन प्रदर्शनी इंटरनेशलन टूरिस्मस बोर्से 2018 में ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिआना श्रेणी के लिए भारत

को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार दिया गया

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संदर्भ में वित्तीय अपवंचन रोकने और दोहरे कर से बचने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौते को मंजूरी दी
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया और मोबाइल एप सिटिज़न सर्विसेस जारी किया
- प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े 75 मेगावाट (101 डीसी) क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया लगभग 528 करोड़ रुपये की लागत से मिर्जापुर में निर्मित इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 13 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा
- प्रधानमंत्री ने मणिपुर में 750 करोड़ रुपये की लागत की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की
- केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्री ने गोवा के बंदरगाह शहर वास्को में अंतरदेशीय नौका सेवाओं का उद्घाटन किया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 तक अफ्रीका में 18 नए भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी
- भारत के जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी-एफ) ने जीसैट-6ए उपग्रह को जियोसिंक्रोनस स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित नई योजना आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत केंद्रीय घटक के रूप में शुरू किया गया है

अप्रैल-*2018*

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एनआईआरएफ भारत रैंकिंग 2018 जारी की
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम- बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की मंजूरी दी इससे उनका वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिव के बराबर हो गए
- इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 41 ने अपनी 43वीं उड़ान में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसएचएआर से 1,425 कि.ग्रा वजन के आईआरएनएसएस-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया
- प्रधानमंत्री ने डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया
- केंद्रीय गृहमंत्री ने वेब आधारित एप्लीकेशन ई-एफआरआरओ (ई-फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय) का शुभारंभ किया
- डाक विभाग ने न्यू इंडिया के लिए ग्रामीण डाक कार्यालय की डिजिटल प्रगति (दर्पण) परियोजना की शुरुआत की इसका उद्देश्य डाक संबंधी और वित्तीय लेनदेन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना है
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ कर ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरुआत की
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2018-19 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये तक की वृद्धि की पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को भी मंजूरी दी गई
- हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य रेंज से परे की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अंब्रेला स्कीम, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति कृषोन्नति योजना को जारी रखने को मंजूरी दी

मई-*2018*

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर दुगुनी कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति कृषोन्नति योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमओओसी के प्लेटफार्म स्वयं का इस्तेमाल करने वाले 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा के शिक्षको के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास के लिए एक बड़ी और अनूठी पहल की शुरुआत की
- भारत सरकार ने, भारत सरकार (कारोबार आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए वाणिज्य विभाग में डंपिंगरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के स्थान पर व्यापार सुधार महानिदेशालय की स्थापना की इससे भारत में व्यापक और तीव्र व्यापार रक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत एकल स्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण-व्यापार सुधार महानिदेशालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड के देवघर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भोपाल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना, एक सोसायटी के रूप में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में करने को मंजूरी दी
- प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पाकल डल बिजली परियोजना की आधारशिला रखी और कृष्णगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया
- सेवा जीवन विस्तार कार्यक्रम के तहत ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया
- भारतीय नौवहन पोत तारिणी (आईएनएसवी तारिणी) ऐतिहासिक विश्व भ्रमण पूरा कर, गोवा बंदरगाह पहुंचा और आईएनएस मंडोवी घाट के निकट रखा गया
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार करते हुए यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम) नियम, 2018 को मंजूरी दी
- जनरेटर की इनवॉइसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए वेब पोर्टल और एप- प्राप्ति (बिजली खरीद में भुगतान संपुष्टि और आकलन) www.praapti.in शुरू किया गया

जून-*2018*

- लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से सफल परीक्षण किया गया
- भारत के निर्वाचन आयोग ने अपने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की
- खिलाड़ियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दी गई अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पेंशन दुगुनी कर दी गई
- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने yoga For 9 to 5 की शुरुआत की प्रतियोगिता में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर योग के लाभ के बारे में जागरुकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया
- राष्ट्रीय पठन दिवस के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई डिजिटल पहल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई
- प्रधानमंत्री ने एम्स में बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी

जुलाई *2018*

- निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत के लिए मोबाइल

एप इ विज़िल की शुरुआत की

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की शुरुआत की

अगस्त-*2018*

- डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एडवांस्ड एरिया डिफेंस का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया
- भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 100 घंटे का स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण की शुरुआत की

सितंबर *2018*

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली, बोध गया, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर, विशाखापत्तनम और जम्मू के सात नये भारतीय प्रबंधन संस्थानों में स्थाई कैंपस की स्थापना और कार्यसंचालन को मंजूरी दी
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनबाड़ी सहायकों का पारिश्रमिक बढ़ाने और एडब्ल्यूएच (अंब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम) के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन को मंजूरी दी
- सिक्किम के पोक्योंग में नये एयरपोर्ट का उद्घाटन यह हिमालयन क्षेत्र का पहला तथा देश का सौवां हवाई अड्डा है

अक्टूबर *2018*

- भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान समारोह-2018 का लखनऊ में आयोजन किया गया
- दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू की गई
- दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' राष्ट्र को समर्पित की गई गुजरात के नर्मदा जिले के केवाड़िया में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा उनकी जयंती पर राष्ट्र को समर्पित की गई

नवंबर-*2018*

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने राज्यों और जिलों के लिए स्वच्छ भारत विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता की घोषणा की
- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो के ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान (पीएसएलवी-सी 43) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 31 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया
- 49वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया उद्घाटन समारोह में फिल्म सुविधा कार्यालय के वेब पोर्टल की शुरुआत की गई इजरायल के मास्टर क्रॉफ्ट्समैन डोन वोल्मैन को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया
- नौ दिन तक चले अंतरराष्ट्रीय महोत्सव समारोह का समापन जर्मनी की फिल्म- सील्ड लिप्स के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ हुआ इसमें स्वर्ण मयूर, रजत मयूर और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए

दिसंबर-*2018*

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी, आधुनिकतम और उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह जीसैट-11 को फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया
- डिजिटल स्काई प्लेटफार्म की शुरुआत की गई भारत ड्रोन, पायलटों और ऑपरेटरों का पंजीकरण शुरू करेगा ऑनलाइन अनुमति के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की गई

- सुनील अरोड़ा ने भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला उन्होंने ओ. पी. रावत का स्थान लिया वे भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभार्थियों को सुगम, उपयोगी और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'एश्योर' की शुरुआत की गई
- कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इंटरडिसिपलिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी
- प्रयागराज में कुंभ मेला के लिए एक नए हवाईअड्डा परिसर और एक समन्वित कमान तथा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरई में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दी
- राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों के संग्रह द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एशियाई शेरों की दुनिया की अंतिम आबादी और इससे संबंधित पारिस्थितिकी के संरक्षण और रक्षण के लिए 'एशियाई शेर संरक्षण परियोजना' शुरू की
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने जालसाजी को रोकने के लिए उच्च सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रमाणन की शुरुआत की
- असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया गया यह धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रेल और सड़क पुल है
- मंत्रिमंडल ने भारतीय मानव अंतरिक्ष यान 'पहल' गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी दी दो मानवरहित और एक मानव सहित उड़ान की योजना

32 सामान्य सूचना



वरीयता तालिका[1]

राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता क्रम इस प्रकार है:

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति

5क. उप-प्रधानमंत्री

6. भारत के प्रधान न्यायाधीश
   लोकसभा अध्यक्ष
7. केंद्र के कैबिनेट मंत्री
   राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य में)
   उपाध्यक्ष, नीति आयोग
   पूर्व प्रधानमंत्री
   राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता

7क. भारत-रत्न से अलंकृत/सम्मानित

8. भारत में मान्यता प्राप्त अन्य देशों के असाधारण (विशेष) तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
   राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने-अपने राज्यों के बाहर)
   राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों के बाहर)
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9क. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
   मुख्य निर्वाचन आयुक्त
   भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक

10. राज्यसभा के उप-सभापति
    राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
    लोकसभा उपाध्यक्ष
    नीति आयोग के सदस्य
    केंद्र के राज्यमंत्री (और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)
11. भारत के महान्यायवादी
    मंत्रिमंडल सचिव
    अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल
12. पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक के सेनाध्यक्ष
13. भारत में मान्यता प्राप्त विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्य विधायिकाओं के सभापति और अध्यक्ष (अपने-अपने राज्यों में)
    अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
15. अपने-अपने राज्यों के कैबिनेट मंत्री अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और दिल्ली के

मुख्य कार्यकारी पार्षद
(क) केंद्र के उपमंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के स्थापन्न सेनाध्यक्ष
17. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश
18. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के कैबिनेट मंत्री
अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष
एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार कार्यकलाप आयोग के अध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों में राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति और उपाध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यमंत्री
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद,
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष
19. अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद रहित केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के उपमंत्री
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में वहां की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति
20. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति और उपाध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यमंत्री
अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश
21. संसद सदस्य
22. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप-मंत्री
23. सेना कमांडर/थल सेना उपाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष पदाधिकारी
अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
पूर्ण जनरल रैंक तथा समकक्ष रैंक के अधिकारी
भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन रूप में धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सचिव
राष्ट्रपति के सचिव
प्रधानमंत्री के सचिव
राज्यसभा/लोकसभा के सचिव
सॉलिसिटर जनरल
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष
24. लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी
25. भारत सरकार के अपर सचिव
अपर सॉलिसिटर जनरल
राज्यों के महाधिवक्ता
प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) के अध्यक्ष
प्रभारी राजदूत तथा अंतरिम कार्यवाहक उच्चायुक्त

अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कायकारी पाषद
अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के मुख्य सचिव
उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति
निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल
निदेशक, गुप्तचर ब्यूरो
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर उप-राज्यपाल
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य
एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार कार्यकलाप आयोग के सदस्य
संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद
मेजर जनरल तथा समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के प्रमुख स्टाफ अधिकारी
अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभापति और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष स्तर के अधिकारी मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारी

नोट

नोट-*1:* वरीयता सूची केवल राजकीय और रस्मी समारोहों के लिए है और इसका दैनिक सरकारी कार्य से कोई संबंध नहीं है

नोट-*2:* वरीयता सूची में उल्लिखित व्यक्ति अपने क्रम के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे एक ही क्रम में वर्णित प्रविष्टियां वर्णमाला क्रम के अनुसार दी गई हैं एक ही क्रम में जोड़े गए नामों के वरीयता क्रम उसमें की गई प्रविष्टि की तारीख के अनुसार होंगे यद्यपि एक ही क्रम में शामिल विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गणमान्य व्यक्ति, अपने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर किसी समारोह में उपस्थित हैं तथा उनकी प्रविष्टि की तारीख सुनिश्चित करना कठिन है तो उनको उक्त क्रम में प्रविष्टि की तारीख के अनुसार वरीयता क्रम निर्धारित किए जा चुके व्यक्तियों के बाद संबंधित राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार वरीयता क्रम दिया जा सकता है

नोट-*3:* क्रम 7 में पूर्व प्रधानमंत्रियों का वरीयता क्रम केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों तथा लोकसभा और राज्यसभा में विरोधी दल के नेताओं से पहले होगा अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वरीयता क्रम संबंधित राज्यों में आयोजित सरकारी समारोहों में केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों से पहले होगा

नोट-*4:* क्रम 8 में :

(क) असाधारण राजदूतों और पूर्णाधिकारी राजदूतों तथा भारत में मान्यताप्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्तों का अग्रता क्रम सामूहिक रूप से अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपालों से ऊपर होगा

(ख) अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यपाल सामूहिक रूप से अग्रता क्रम में अपने-अपने राज्यों से बाहर के मुख्यमंत्रियों से ऊपर होंगे

नोट-*5:* विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा पूर्णाधिकारी मंत्रियों की भारत यात्रा के दौरान उन्हें समुचित रैंक प्रदान कर सकता है

नोट-*6:* नोट-2 में निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद क्रम 10 में वर्णित व्यक्तियों का पारस्परिक अग्रता क्रम निम्नलिखित होगाः–

(1) उप-सभापति, राज्यसभा
(2) उपाध्यक्ष, लोकसभा
(3) रक्षा मामलों को देखने वाले रक्षा मंत्रालय में केंद्र के राज्य मंत्री तथा कोई अन्य मंत्री
(4) राज्यों के उप-मुख्यमंत्री तथा
(5) नीति आयोग के सदस्य

यद्यपि अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों का अग्रता क्रम हमेशा इस क्रम में वर्णित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के रैंक से नीचे होगा

नोट-*7:* एक ही दिन निर्वाचित होने की स्थिति में राज्यों की विधान परिषद के सभापतियों का अग्रता-क्रम विधानसभाओं के

अध्यक्षों से ऊपर होगा

नोट-*8:* बड़े राजकीय समारोहों में समूह में संसद सदस्यों को आमंत्रित किए जाने की स्थिति में उनके लिए आरक्षित स्थान प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा राजदूतों के बाद होना चाहिए

नोट-*9:* केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का अग्रता क्रम उसी क्रम में शामिल मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों से पहले होगा

नोट-*10:* क्रम संख्या 23 में :

(क) विदेश सचिव को छोड़कर विदेश मंत्रालय के सचिवों का पारस्परिक अग्रता क्रम वही होगा जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1 में उनका वरिष्ठतम क्रम है तथा दोनों ही विदेश सचिव के बाद होगा

अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का अग्रता क्रम हमेशा इन आयोगों के सचिवों से ऊपर होगा

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में, सेना कमांडरों/थल सेना उपाध्यक्षों तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों का अग्रता क्रम हमेशा भारत सरकार के सचिवों के बाद होगा

नोट-*11:* क्रम संख्या 25 में :

(क) विदेश मंत्रालय के अपर सचिवों का पारस्परिक अग्रता-क्रम वही होगा जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में उनका वरिष्ठतम क्रम है

(ख) अपर सॉलिसिटर जनरल का अग्रता क्रम राज्यों के महाधिवक्ताओं से ऊपर होगा

(ग) उप-राज्यपालों का अग्रता-क्रम मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर होगा तथा मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद का अग्रता-क्रम विधानसभाओं के अध्यक्षों तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष के पहले होगा

(ध) केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्षों तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति का अग्रता-क्रम केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों और दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद होगा

नोट-*12:* क्रम संख्या 26 के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के समकक्ष पदों के अग्रता-क्रम का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा

भारत के राष्ट्रपति[2]

नाम	अवधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950 — 13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	13 मई, 1962 — 13 मई, 1967
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967 — 03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)(कार्यवाहक)	03 मई, 1969 — 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 — 24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969 — 24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974 — 11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 — 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977 — 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982 — 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987 — 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992 — 25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997 — 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002 — 25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 — 25 जुलाई, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012 — 25 जुलाई, 2017
श्री रामनाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से अब तक

भारत के उप-राष्ट्रपति [3]

नाम	अवधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	13, मई, 1952 — 12 मई, 1962
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	13 मई, 1962 — 12 मई, 1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	13 मई, 1967 — 3 मई, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896–1982)	31 अगस्त, 1969 — 30 अगस्त, 1974
बी.डी. जत्ती (1912–2002)	31 अगस्त, 1974 — 30 अगस्त, 1979
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992)	31 अगस्त, 1979 — 30 अगस्त, 1984
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	31 अगस्त, 1984 — 24 जुलाई, 1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	3 सितंबर, 1987 — 24 जुलाई, 1992
के.आर. नारायणन (1920–2005)	21 अगस्त, 1992 — 24 जुलाई, 1997
कृष्णकांत (1927–2002)	21 अगस्त, 1997 — 21 जुलाई, 2002
भैरों सिंह शेखावत (1923–2010)	19 अगस्त, 2002 — 21 जुलाई, 2007
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	11 अगस्त, 2007 — 10 अगस्त, 2017
श्री एम. वेंकैया नायडू (जन्म 1949)	11 अगस्त, 2017 से अब तक

भारत के प्रधानमंत्री[4]

नाम	अवधि
पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	15 अगस्त, 1947 — 27 मई, 1964
गुलज़ारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964 — 09 जून, 1964
लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966)	9 जून, 1964 — 11 जनवरी, 1966
गुलज़ारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966 — 24 जनवरी, 1966
इंदिरा गांधी (1917–1984)	24 जनवरी, 1966 — 24 मार्च, 1977
मोरारजी देसाई (1896–1995)	24 मार्च, 1977 — 28 जुलाई, 1979
चरण सिंह (1902–1987)	28 जुलाई, 1979 — 14 जनवरी, 1980
इंदिरा गांधी (1917–1984)	14 जनवरी, 1980 — 31 अक्टूबर, 1984
राजीव गांधी (1944–1991)	31 अक्तूबर, 1984 — 02 दिसंबर, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931–2008)	2 दिसंबर, 1989 — 10 नवंबर, 1990
चन्द्रशेखर (1927–2007)	10 नवंबर, 1990 — 21 जून, 1991
पी.वी. नरसिम्हा राव (1921–2004)	21 जून, 1991 — 16 मई, 1996
अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1924)	16 मई, 1996 — 01 जून, 1996
एच.डी. देवेगौड़ा (जन्म 1933)	01 जून, 1996 — 21 अप्रैल, 1997
इंद्र कुमार गुजराल (जन्म 1919–2012)	21 अप्रैल, 1997 — 19 मार्च, 1998
अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1924)	19 मार्च, 1998 — 22 मई, 2004
डॉ. मनमोहन सिंह (जन्म 1932)	22 मई, 2004 — 26 मई, 2014
नरेंद्र मोदी (जन्म 1950)	26 मई, 2014 से अब तक

भारत के मुख्य न्यायाधीश[5]

नाम	अवधि
हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 — 06 नवंबर, 1951
एम. पतंजलि शास्त्री	07 नवंबर, 1951 — 03 जनवरी, 1954
मेहर चंद महाजन	04 जनवरी, 1954 — 22 दिसंबर, 1954
बी.के. मुखर्जी	23 दिसंबर, 1954 — 31 जनवरी, 1956
एस.आर. दास	01 फरवरी, 1956 — 30 सितंबर, 1959
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	01 अक्तूबर, 1959 — 31 जनवरी, 1964
पी.बी. गजेंद्रगडकर	01 फरवरी, 1964 — 15 मार्च, 1966
ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 — 29 जून, 1966
के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 — 11 अप्रैल, 1967
के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 — 24 फरवरी, 1968
एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 — 16 दिसंबर, 1970
जे.सी. शाह	17 दिसंबर, 1970 — 21 जनवरी, 1971
एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 — 25 अप्रैल, 1973
ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 — 28 जनवरी, 1977
एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 — 21 फरवरी, 1978
वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 — 11 जुलाई, 1985
पी. एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 — 20 दिसंबर, 1986
आर. एस. पाठक	21 दिसंबर, 1986 — 18 जून, 1989
ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 — 17 दिसंबर, 1989
एस. मुखर्जी	18 दिसंबर, 1989 — 25 सितंबर, 1990
रंगनाथ मिश्र	25 सितंबर, 1990 — 24 नवंबर, 1991
के.एन. सिंह	25 नवंबर, 1991 — 12 दिसंबर, 1991
एम.एच. कानिया	13 दिसंबर, 1991 — 17 नवंबर, 1992
एल.एम. शर्मा	18 नवंबर, 1992 — 11 फरवरी, 1993
एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 — 24 अक्टूबर, 1994
ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 — 24 मार्च, 1997
जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 — 17 जनवरी, 1998
एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 — 09 अक्टूबर, 1998
ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 — 31 अक्टूबर, 2001
एस.पी. भरूचा	01 नवंबर, 2001 — 05 मई, 2002
बी.एन. कृपाल	06 मई, 2002 — 07 नवंबर, 2002
जी.बी. पटनायक	08 नवंबर, 2002 — 18 दिसंबर, 2002
वी.एन. खरे	19 दिसंबर, 2002 — 01 मई, 2004
एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004 — 31 मई, 2004
आर.सी. लाहोटी	01 जून, 2004 — 31 अक्टूबर, 2005

वाई.के. सब्बरवाल	01 नवंबर, 2005	—	13 जनवरी, 2007
के.जी. बालाकृष्णनन	14 जनवरी, 2007	—	11 मई, 2010
एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	—	28 सितंबर, 2012
अल्तमश कबीर	29 सितंबर, 2012	—	18 जुलाई, 2013
पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	—	26 अप्रैल, 2014
आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	—	27 सितंबर, 2014
एच.एल. दत्तू	28 सितंबर, 2014	—	02 दिसंबर, 2015
टी. एस. ठाकुर	03 दिसंबर, 2015	—	03 जनवरी, 2017
जगदीश सिंह खेहर	04 जनवरी, 2017	—	27 अगस्त, 2017
दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	—	2 अक्टूबर, 2018
रंजन गोगोई	3 अक्टूबर, 2018 से अब तक		

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त[6]

नाम	अवधि		
सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950	—	19 दिसंबर, 1958
के.वी.के. सुंदरम	20 दिसंबर, 1958	—	30 सितंबर, 1967
एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967	—	30 सितंबर, 1972
डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972	—	06 फरवरी, 1973
टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973	—	17 जून, 1977
एस.एल. शकधर	18 जून, 1977	—	17 जून, 1982
आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982	—	31 दिसंबर, 1985
आर.वी.एस. पेरी सास्त्री	01 जनवरी, 1986	—	25 नवंबर, 1990
श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवंबर, 1990	—	11 दिसंबर, 1990
टी.एन. शेषन	12 दिसंबर, 1990	—	11 दिसंबर, 1996
एम.एस. गिल	12 दिसंबर, 1996	—	13 जून, 2001
जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001	—	07 फरवरी, 2004
टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004	—	15 मई, 2005
बी.बी. टंडन	16 मई, 2005	—	29 जून, 2006
एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006	—	20 अप्रैल, 2009
नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009	—	29 जुलाई, 2010
एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010	—	10 जून, 2012
वी.एस. संपत	11 जून, 2012	—	15 जनवरी, 2015
एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015	—	18 अप्रैल, 2015
नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015	—	05 जुलाई, 2017
अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017	—	22 जनवरी, 2018
ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018	—	1 दिसंबर, 2018
सुनील अरोड़ा	2 दिसंबर, 2018 से अब तक		

कैबिनेट सचिव[7]

कैबिनेट सचिव	अवधि		
श्री एन.आर. पिल्लै	06 फरवरी, 1950	—	13 मई, 1953
श्री वाई.एन. सूक्तांकर	14 मई, 1953	—	31 जुलाई, 1957
श्री एम.के. वेल्लोडी	01 अगस्त, 1957	—	04 जून, 1958
श्री विष्णु सहाय	01 जुलाई, 1958	—	10 नवंबर, 1960
श्री बी.एन. झा	10 नवंबर, 1960	—	08 मार्च, 1961
श्री विष्णु सहाय	09 मार्च, 1961	—	15 अप्रैल, 1962
श्री एस.एस. खेड़ा	15 अप्रैल, 1962	—	18 नवंबर, 1964
श्री धर्म वीरा	18 नवंबर, 1964	—	27 जून, 1966
श्री डी.एस. जोशी	27 जून, 1966	—	31 दिसंबर, 1968
श्री बी. सिवरामन	01 जनवरी, 1969	—	30 नवंबर, 1970
श्री टी. स्वामीनाथन	01 दिसंबर, 1970	—	02 नवंबर, 1972
श्री बी.डी. पांडे	02 नवंबर, 1972	—	31 मार्च, 1977
श्री एन.के. मुखर्जी	31 मार्च, 1977	—	31 मार्च, 1980
श्री एस.एस. ग्रेवाल	02 अप्रैल, 1980	—	30 अप्रैल, 1981
श्री सी.आर. कृष्णास्वामी राव	30 अप्रैल, 1981	—	08 फरवरी, 1985
श्री पी.के.कौल	08 फरवरी, 1985	—	22 अगस्त, 1986
श्री बी.जी. देशमुख	23 अगस्त, 1986	—	27 मार्च, 1989
श्री टी.एन. शेषन	27 मार्च, 1989	—	23 दिसंबर, 1989
श्री वी.सी. पांडे	23 दिसंबर, 1989	—	11 दिसंबर, 1990
श्री नरेश चंद्रा	11 दिसंबर, 1990	—	31 जुलाई, 1992
श्री एस. राजगोपाल	01 अगस्त, 1992	—	31 जुलाई, 1993
श्री ज़फर सैफुल्ला	31 जुलाई, 1993	—	31 जुलाई, 1994
श्री सुरेंद्र सिंह	01 अगस्त, 1994	—	31 जुलाई, 1996
श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन	01 अगस्त, 1996	—	31 मार्च, 1998
श्री प्रभात कुमार	01 अप्रैल, 1998	—	31 अक्टूबर, 2000
श्री टी.आर. प्रसाद	01 नवंबर, 2000	—	31 अक्टूबर, 2002
श्री कमल पांडे	01 नवंबर, 2002	—	14 जून, 2004
श्री बी.के. चतुर्वेदी	14 जून, 2004	—	13 जून, 2007
श्री के.एम. चंद्रशेखर	14 जून, 2007	—	13 जून, 2011
श्री अजीत कुमार सेठ	14 जून, 2011	—	13 जून, 2015
श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	13 जून, 2015 से अब तक		

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष[8]

नाम	अवधि		
सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926	—	अगस्त 1932
सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932	—	1936
सर आयरे गोर्डन	1937	—	1942
सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन	1942	—	1947
श्री एच.के. कृपलानी	01 अप्रैल, 1947	—	13 जनवरी, 1949
श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी, 1949	—	09 मई, 1955
श्री एन. गोविंदराजन	10 मई, 1955	—	09 दिसंबर, 1955
श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसंबर, 1955	—	09 दिसंबर, 1961
श्री बी.एन. झा	11 दिसंबर, 1961	—	22 फरवरी, 1967
श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल, 1967	—	02 मार्च, 1971
श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई, 1971	—	01 फरवरी, 1973
डॉ. ए.आर. किदवई	05 फरवरी, 1973	—	04 फरवरी, 1979
डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी, 1979	—	16 फरवरी, 1985
श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी, 1985	—	05 मार्च, 1990
श्री जे.पी. गुप्ता	05 मार्च, 1990	—	02 जून, 1992
श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितंबर, 1992	—	23 अगस्त, 1996
श्री एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त, 1996	—	30 सितंबर, 1996
श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितंबर, 1996	—	11 दिसंबर, 1998
लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर नाथ (सेनानिवृत)	11 दिसंबर, 1998	—	25 जून, 2002
श्री पी.सी. होता	25 जून, 2002	—	08 सितंबर, 2003
श्री माता प्रसाद	08 सितंबर, 2003	—	04 जनवरी, 2005
डॉ. एस.आर. हाशिम	04 जनवरी, 2005	—	01 अप्रैल, 2006
श्री गुरबचन जगत	01 अप्रैल, 2006	—	30 जून, 2007
श्री सुबीर दत्ता	30 जून, 2007	—	16 अगस्त, 2008
प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त, 2008	—	16 अगस्त, 2014
श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त, 2014	—	22 नवंबर, 2014
श्री दीपक गुप्ता	22 नवंबर, 2014	—	20 सितंबर, 2016
श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितंबर, 2016	—	03 जनवरी, 2017
प्रो. डेविड आर. सिमलिएह	4 जनवरी, 2017	—	21 जनवरी, 2018
श्री विनय मित्तल	22 जनवरी, 2018	—	19 जून, 2018
श्री अरविंद सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून, 2018	—	28 नवंबर, 2018
श्री अरविंद सक्सेना	28 नवंबर, 2018 से अब तक		

नागरिक सम्मान

भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण मानवीय सेवा/कार्यों के लिए दिया जाता है 1954 में इसकी शुरुआत के बाद आज तक भारत रत्न 45 लोगों को दिया जा चुका है वर्ष 2015 में देश के राष्ट्रपति ने पंडित मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया था

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

क्रम संख्या	नाम	पुरस्कार का वर्ष
1.	श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878-1972)	1954
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	1954
3.	डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)	1954
4.	डॉ. भगवान दास (1869-1958)	1955
5.	डॉ. मोक्षागुंडम विस्वेश्वरैया (1861-1962)	1955
6.	पं. जवाहरलाल नेहरू (1889-1964)	1955
7.	पं. गोविंद बल्लभ पंत (1887-1961)	1957
8.	डॉ. धोंडो केशव कर्वे (1858-1962)	1958
9.	डॉ. बिधानचंद्र रॉय (1882-1962)	1961
10.	श्री पुरुषोत्तम दास टंडन (1882-1962)	1961
11.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)	1962
12.	डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897-1969)	1963
13.	डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1880-1972)	1963
14.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत) (1904-1966)	1966
15.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	1971
16.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	1975
17.	श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत) (1903-1975)	1976
18.	मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा) (1910-1997)	1980
19.	आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत) (1895-1982)	1983
20.	खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान (1890-1988)	1987
21.	श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत) (1917-1987)	1988
22.	डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (मरणोपरांत) (1891-1956)	1990
23.	डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला (1918-2013)	1990
24.	श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत) (1944-1991)	1991
25.	सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत) (1875-1950)	1991
26.	श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई (1896-1995)	1991
27.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (मरणोपरांत) (1888-1958)	1992

28.	श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा (1904-1993)	1992
29.	श्री सत्यजित राय (मरणोपरांत) (1921-1992)	1992
30.	श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत) (1898-1998)	1997
31.	श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत) (1909-1996)	1997
32.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015)	1997
33.	श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी (1916-2005)	1998
34.	श्री चिदंबरम सुब्रमण्यम (1910-2000)	1998
35.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत) (1902-1979)	1999
36.	प्रोफेसर अमर्त्य सेन (जन्म 1933)	1999
37.	लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत) (1890-1950)	1999
38.	पंडित रविशंकर (1920-2012)	1999
39.	सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर (जन्म 1929)	2001
40.	उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (1916-2006)	2001
41.	पं. भीमसेन गुरुराज जोशी (1922-2011)	2009
42.	प्रो. सी.एन.आर. राव (जन्म 1934)	2014
43.	श्री सचिन रमेश तेंदुलकर (जन्म 1973)	2014
44.	पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) (1861-1946)	2015
45.	अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म 1924-2018)	2015

गणतंत्र दिवस, 2018 को घोषित पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से हैं पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं- 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री' यह पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, खेल, चिकित्सा आदि क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है वर्ष 2017 में, भारत के राष्ट्रपति ने 88 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जिनकी सूची नीचे दी गई है सूची में 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 74 पद्म श्री विजेताओं के नाम हैं सम्मानितों में 19 महिलाएं हैं और सूची में 10 व्यक्ति विदेशी, प्रवासी भारतीय और मरणोपरांत विजेता भी है

पद्म विभूषण से सम्मानित

श्री इलायराजा
उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान
श्री पी. परमेश्वरन

पद्म भूषण से सम्मानित

श्री पंकज आडवाणी
मोस्ट रेव. डॉ. फिलिपोस मार क्रिसोस्टम मार थोमा वलिया मेट्रोपोलिटन
श्री महेंद्र सिंह धोनी
महामहिम अलेक्जेंडर काडाकिन (विदेशी/मरणोपरांत)
डॉ. रामचंद्रन नागास्वामी
प्रो. वेद प्रकाश नंदा (ओसीआई)
श्री लक्ष्मण पई
पंडित अरविंद पारिख
डॉ. शारदा सिन्हा

पद्म श्री से सम्मानित

श्री अभय बंग (संयुक्त)
सुश्री रानी बंग (संयुक्त)
श्री दामोदर गणेश बापत
श्री प्रफुल्ल गोविंद बरुआ
श्री मोहन स्वरूप भाटिया
श्री सुधांशु बिस्वास
सुश्री सईखोम मीराबाई चानु
पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी
श्री होजे मा जोए कन्सेप्सियन (विदेशी)
श्रीमती लंग्पोक्लाक्पम सुबादानी देवी
श्री सोमदेव किशोर देवरमन
डॉ. येशी धोनदेन
श्री अरुप कुमार दत्ता
डॉ. डोड्डा रंगे गौडा
श्री अरविंद कुमार गुप्ता
प्रो. दिगंबर हंसदा
श्री दतुक रामली इब्राहिम (विदेशी)
श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी) (मरणोपरांत)
श्री एम. पियोंगतेम्जेन जमीर
श्रीमती सितवा दुंदप्पा जोदत्ती
श्रीमती मालती जोशी
श्री मनोज नवनीत जोशी
श्री रामेश्वरलाल काबरा
श्री प्राण किशोर कौल
श्री बोनलप केयोकंगना (विदेशी)
श्री विजय कुमार किचलु
प्रो. टॉमी कोह (विदेशी)
श्रीमती लक्ष्मीकुट्टी
सुश्री जयश्री गोस्वामी महंत

श्री नारायण दास महाराज
श्री प्रभाकर महाराणा
महामहिम हुन मेनी (विदेशी)
सुश्री नउफ मारवाई (विदेशी)
श्री झवेरीलाल दलपतरम मेहता
डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र
श्री शिशिर पुरुषोत्तम मिश्र
श्रीमती सुभाषिनी मिस्त्री
प्रो. तोमियो मिजोकामी (विदेशी)
परमपावन सोमदेत फरा अरियावोंगस्खोत्तयन सोमदेत फरा संघराज सकलमहासंघ परिनायक (विदेशी)
डॉ. केशव राव सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर
डॉ. थंट मिंट - यू (विदेशी)
सुश्री वी. नन्नमल
डॉ. सुलगित्ती नरसम्मा
सुश्री विजयलक्ष्मी नवनीतकृष्णन
श्री आई. न्योमन नुअर्त (विदेशी)
श्री मलई हाजी अब्दुल्ला बिन मलई हाजी ओथमन (विदेशी)
श्री गोवर्धन पनिक
श्री भबनी चरण पटनायक
श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर
प्रो. हबीबुल्लो राजाबोव (विदेशी)
डॉ. एम. आर. राजगोपाल
श्री संपत तुकाराम रामतेके (मरणोपरांत)
श्री चंद्रशेखर रथ (मरणोपरांत)
श्री सत्यनारायण सिंह शिवसिंहजी राठौर
श्री अमिताव रॉय
श्री संदुक रुइत (विदेशी)
श्री आर. सत्यनारायण
डॉ. पंकज मनुभाई शाह
श्री भज्जू श्याम
श्री महाराव रघुवीर सिंह सिरोही
श्री किदंबी श्रीकांत
श्री इब्राहिम नबीसाहेब सुतर
सुश्री लेंटीना अओ ठक्कर
डॉ. विक्रम चंद्र ठाकुर
डॉ. रुद्रपतनम नारायणस्वामी थरनतन (संयुक्त)
श्री रुप्रपतनम नारायणस्वामी त्यागराजन (संयुक्त)

श्री नारायण दास महाराज
श्री प्रभाकर महाराणा
महामहिम हुन मेनी (विदेशी)
सुश्री नउफ मारवाई (विदेशी)
श्री झवेरीलाल दलपतरम मेहता
डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र
श्री शिशिर पुरुषोत्तम मिश्र
श्रीमती सुभाषिनी मिस्त्री
प्रो. तोमियो मिजोकामी (विदेशी)
परमपावन सोमदेत फरा अरियावोंगस्खोत्तयन सोमदेत फरा संघराज सकलमहासंघ परिनायक (विदेशी)
डॉ. केशव राव सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर
डॉ. थंट मिंट - यू (विदेशी)
सुश्री वी. नन्नमल
डॉ. सुलगित्ती नरसम्मा
सुश्री विजयलक्ष्मी नवनीतकृष्णन
श्री आई. न्योमन नुअर्त (विदेशी)
श्री मलई हाजी अब्दुल्ला बिन मलई हाजी ओथमन (विदेशी)
श्री गोवर्धन पनिक
श्री भबनी चरण पटनायक
श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर
प्रो. हबीबुल्लो राजाबोव (विदेशी)
डॉ. एम. आर. राजगोपाल
श्री संपत तुकाराम रामतेके (मरणोपरांत)
श्री चंद्रशेखर रथ (मरणोपरांत)
श्री सत्यनारायण सिंह शिवसिंहजी राठौर
श्री अमिताव रॉय
श्री संदुक रुइत (विदेशी)
श्री आर. सत्यनारायण
डॉ. पंकज मनुभाई शाह
श्री भज्जू श्याम
श्री महाराव रघुवीर सिंह सिरोही
श्री किदंबी श्रीकांत
श्री इब्राहिम नबीसाहेब सुतर
सुश्री लेंटीना अओ ठक्कर
डॉ. विक्रम चंद्र ठाकुर
डॉ. रुद्रपतनम नारायणस्वामी थरनतन (संयुक्त)
श्री रुप्रपतनम नारायणस्वामी त्यागराजन (संयुक्त)
अति सम्मानित थीन ड्यू थीन (विदेशी)
प्रो. भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'
प्रो. राजागोपालन वासुदेवन
श्री मानस बिहारी वर्मा
श्री पंतवाने गंगाधर विट्ठोबाजी
श्री रोमुलस व्हिटेकर
श्री योगेंद्र
श्री ए. ज़किया

जीवन रक्षक पदक पुरस्कारों की श्रेणी
जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार भारी खतरे की परिस्थितियों में हिम्मत और तत्परता दिखाकर, बचाने वाले द्वारा अपने जीवन या शारीरिक चोट की परवाह न करते हुए मानवीय आधार पर किए गए बचाव कार्यों के लिए दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को डूबने, आग में जलने, खान में फंसने से बचाने आदि जैसे संकटों से बचाने वालों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है जीवन रक्षा पदक की तीन श्रेणियां हैं, जिनमें सर्वोत्तम रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक आते हैं जीवन रक्षा पदकों के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों एवं केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संस्तुतियां प्राप्त की जाती हैं पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने 2016 के लिए 7 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 13 व्यक्तियों को उत्तम रक्षा पदक और 23 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक (7)

1.	श्री एफ. लालचंदमा (मरणोपरांत)	मिज़ोरम
2.	श्री बबलू मार्टिन (मरणोपरांत)	मध्य प्रदेश
3.	श्री के. पुगजेंदी (मरणोपरांत)	पुदुचेरी
4.	मास्टर सुप्रीत राठी (मरणोपरांत)	दिल्ली
5.	श्री दीपक साहु (मरणोपरांत)	मध्य प्रदेश
6.	श्री सत्यवीर (मरणोपरांत)	दिल्ली
7.	श्री बसंत वर्मा (मरणोपरांत)	मध्य प्रदेश

उत्तम जीवन रक्षा पदक (13)

1.	श्री शेख सलीम गफूर	गुजरात
2.	श्री रवि गोरले	आंध्र प्रदेश
3.	श्री राजेंद्र तुकाराम गुरव	महाराष्ट्र
4.	डॉ. सुनीम अहमद खान	जम्मू और कश्मीर
5.	श्री बी. ललटनथंग	मिजोरम
6.	श्री लियानमिंगथंग	मिजोरम
7.	मास्टर पंकज महंत	ओडिशा
8.	श्री अमीन मुहम्मद	केरल
9.	श्री भानु चंद्र पांडे	महाराष्ट्र
10.	श्रीमती रीना पटेल	मध्य प्रदेश
11.	श्री सुजन सिंह	हिमाचल प्रदेश
12.	श्री सत्येन सिंह	कर्नाटक
13.	जोनंतलुअंग	मिजोरम

स्रोतः वेबसाइट: *www.mha.nic.in & padmaawards.gov.in*

जीवन रक्षा पदक (24)

1.	श्री हरिओम सिंह ब्यास	मध्य प्रदेश
2.	श्री अबीन चाको	केरल
3.	कुमारी ममता दलाई	ओडिशा
4.	मास्टर अभय दास	केरल
5.	मास्टर चिरायू गुप्ता	उत्तर प्रदेश
6.	श्री गायस जेम्स	अंडमान और निकोबार
7.	मास्टर स्टीफन जोसफ	केरल
8.	मास्टर हरीश के. एच.	केरल
9.	मास्टर निशांत के. यू.	कर्नाटक
10.	श्री प्रदीप कुमार	दिल्ली
11.	श्री सचिन कुमार	उत्तर प्रदेश
12.	मास्टर जॉन ललदित्सक	मणिपुर
13.	श्री प्रवीण कुमार मिश्र	मध्य प्रदेश
14.	श्री मदन मोहन	पंजाब
15.	श्रीमती राजश्री आर. नायर	केरल
16.	श्री नरेंदर	मध्य प्रदेश
17.	मास्टर तंबे प्रणय राहुल	महाराष्ट्र
18.	श्री सौरभ सिंह राजपूत	मध्य प्रदेश
19.	श्री निम्म वीरा वेंकट रमण	आंध्र प्रदेश
20.	कुमारी यामिनी साहु	छत्तीसगढ़
21.	श्री प्रभाकर गंगाधर साठे	महाराष्ट्र
22.	श्री सुरेंद्र शर्मा	मध्य प्रदेश
23.	श्री पूरनमल वर्मा	पश्चिम बंगाल
24.	मास्टर जेरमत्लुअंग	मिजोरम

नोबेल पुरस्कार विजेता

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954): कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करियर को तिलांजलि देते हुए उन्होंने 'बचपन बचाओ' आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म 1952): वेंकटरामन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे उन्होंने 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की उन्हें ओहायो विश्वविद्यालय से 1971 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने 1976 से 1978 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया

अमर्त्य सेन (जन्म 1933): प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री

लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमज़ोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं

सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर (1910-1995): भारत में जन्मे खगोल भौतिकी विज्ञानी को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में पढ़े सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे बाद में चंद्रशेखर अमरीका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला

मदर टेरेसा (1910-1997): मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला मदर का जन्म अल्बानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था सन् 1928 में वह डब्लिन में आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गईं उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शांति के लिए पहला नोबेल प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है

हरगोबिंद खुराना (1922-2011): हरगोबिंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया भारतीय मूल के डॉ. खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली सन 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970): भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन थे उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए उन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है सन 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुज़रने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941): रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध गुरुदेव ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ

कमांडर इन चीफ

नाम	कार्यकाल
जनरल सर रॉब लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसंबर, 1947
जनरल सर रॉय बूचर	01 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
जनरल (फील्ड मार्शल) के.एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

थल सेनाध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 07 मई, 1957
जनरल के.एस. तिमैया	08 मई, 1957 - 07 मई, 1961
जनरल पी.एन. थापर	08 मई, 1961 - 19 नवंबर, 1962
जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवंबर, 1962 - 07 जून, 1966
जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	08 जून, 1966 - 07 जून, 1969
फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	08 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
जनरल टी.एन. रैना	01 जून, 1975 - 31 मई, 1978
जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	01 जून, 1978 - 31 मई, 1981
जनरल के.वी. कृष्णा राव	01 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
जनरल ए.एस. वैद्य	01 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
जनरल के. सुंदरजी	01 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
जनरल वी.एन. शर्मा	01 जून, 1988 - 30 जून, 1990
जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	01 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
जनरल बी.सी. जोशी	01 जुलाई, 1993 - 19 नवंबर, 1994
जनरल एस. रायचौधरी	20 नवंबर, 1994 - 30 सितंबर, 1997
जनरल वी.पी. मलिक	01 अक्टूबर, 1997 - 30 सितंबर, 2000
जनरल एस. पद्मनाभन	01 अक्टूबर, 2000 - 30 सितंबर, 2002
जनरल एन.सी. विज	31 दिसंबर, 2002 - 31 जनवरी, 2005
जनरल जे.जे. सिंह	01 फरवरी, 2005 - 30 सितंबर, 2007
जनरल दीपक कपूर	30 सितंबर, 2007 - 30 मार्च, 2010
जनरल वी.के. सिंह	31 मार्च, 2010 - 31 मई, 2012
जनरल बिक्रम सिंह	01 जून, 2012 - 31 जुलाई, 2014
जनरल दलबीर सिंह	01 अगस्त, 2014 - 31 दिसंबर, 2016
जनरल बिपिन रावत	01 जनवरी, 2017 से अब तक

स्रोतः *www.indianarmy.nic.in*

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
रियर एडमिरल जे.टी.एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
एडमिरल सर एडवर्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955

वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लिल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 04 जून, 1962
वाइस एडमिरल बी.एस. सोमन	04 जून, 1962 - 03 मार्च, 1966
एडमिरल ए.के. चटर्जी	03 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
एडमिरल एस.एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
एडमिरल एस.एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
एडमिरल जे.एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
एडमिरल आर.एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
एडमिरल ओ.एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवंबर, 1984
एडमिरल आर.एच. तहिलियानी	30 नवंबर, 1984 - 30 नवंबर, 1987
एडमिरल जे.जी. नादकर्णी	30 नवंबर, 1987 - 30 नवंबर, 1990
एडमिरल एल. रामदास	30 नवंबर, 1990 - 30 सितंबर, 1993
एडमिरल वी.एस. शेखावत	30 सितंबर, 1993 - 30 सितंबर, 1996
एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितंबर, 1996 - 30 दिसंबर, 1998
एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसंबर, 1998 - 29 दिसंबर, 2001
एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसंबर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से अब तक

स्रोतः *www.india.gov.in*

वायु सेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसंबर, 1951
एयर मार्शल सर जेरल्ड ई. गिब्स	10 दिसंबर, 1951 - 31 मार्च, 1954
एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954 - 08 नवंबर, 1960
एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसंबर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
एयर चीफ मार्शल आई.एच. लतीफ	01 सितंबर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितंबर, 1981 - 3 सितंबर, 1984
एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे	04 सितंबर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
एयर चीफ मार्शल डी.ए.ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
एयर चीफ मार्शल एस.के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
एयर चीफ मार्शल एन.सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
एयर चीफ मार्शल एस.के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसंबर, 1995
एयर चीफ मार्शल एस.के. सरीन	31 दिसंबर, 1995 - 31 दिसंबर, 1998
एयर चीफ मार्शल ए.वाई. टिपणीस	31 दिसंबर, 1998 - 31 दिसंबर, 2001
एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसंबर, 2001 - 31 दिसंबर, 2004
एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसंबर, 2004 - 31 मार्च, 2007
एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसंबर, 2013
एयर चीफ मार्शल अरूप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसंबर, 2016
एयर चीफ मार्शल बी.एस.धनोआ	01 जनवरी, 2017 से अब तक

स्रोत : *www.indianairforce.nic.in*

परमवीर चक्र विजेता

1. मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1947 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)
2. सेकेंड लेफ्टिनेंट आर.आर राणे, क्रोप्स ऑफ इंजीनियर्स, अप्रैल 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)
3. कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत), जुलाई 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)
4. लांस नायक करम सिंह, सिख रेजीमेंट, अक्टूबर 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)
5. नायक जदुनाथ सिंह राजपूत रेजीमेंट (मरणोपरांत), फरवरी 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)
6. कैप्टन गुरबचन सिंह, सलारिया, गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1961 (कांगो)
7. मेजर धन सिंह थापा, गोरखा राइफल्स, अक्टूबर 1962 (लद्दाख)
8. सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिख रेजीमेंट (मरणोपरांत), अक्टूबर 1962 (नेफा)
9. मेजर शैतान सिंह, कुमाऊं रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1962 (लद्दाख)
10. कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत), सितंबर 1965 (पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान)
11. लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोर, पूना हॉर्स (मरणोपरांत), अक्टूबर 1965 (पाकिस्तान के खिलाफ

ऑपरेशन के दौरान)
12. फ्लाईंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, फ्लाइंग पायलट (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)
13. मेजर होशियार सिंह, ग्रेनेडियर्स, दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)
14. सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, 17 पूना हॉर्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)
15. लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)
16. नायब सूबेदार बाना सिंह, जे. एंड. के. लाइट इनफेंटरी, जून 1987 (सियाचीन ग्लेशियर ऑपरेशन)
17. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, महार रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1987 (श्रीलंका में आईपीकेएफ ऑपरेशन)
18. कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जे. एंड के. राइफल्स (मरणोपरांत), जून 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)
19. लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय, 11 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत), जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)
20. राइफल मैन संजय कुमार, 13 जे. एंड. के. राइफल्स, जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)
21. ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)

वीरता पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस 2018 के अवसर पर निम्न को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गयाः

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	01	01
शौर्य चक्र	14	02
सेना मेडल (वीरता)	96	08
मेंशन-इन-डिस्पेचेज़		

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017

भाषा	शीर्षक एवं विधा	लेखक
असमिया	मोरियाहोला (उपन्यास)	जयंत माधव बोरा
बांग्ला	सेई निखोंज मनुषता (उपन्यास)	अफसर अहमद
बोडो	थ्विसम (उपन्यास)	रीता बोरो
डोगरी	बन्ना (लघु कथाएं)	शिव मेहता
अंग्रेजी	दि ब्लैक हिल (उपन्यास)	ममंग दई
गुजराती	गुजराती व्याकरण भाषो वर्ष (आलोचना)	उर्मी घनश्याम देसाई
हिंदी	विश्व मिथक सरित सागर (साहित्यिक आलोचना)	रमेश कुंतल मेघ
कन्नड़	कथन भारती (साहित्यिक आलोचना)	टी. पी. अशोक
कश्मीरी	येली परदा वोथ (लघु कथाएं)	औतार कृष्ण रहबर
कोंकणी	खंड अनी हर कथा (लघु कथाएं)	गजानन जोग
मैथिली	झलक डायरी (कविता)	उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'
मलयालम	दैवथिंते पुस्तक (उपन्यास)	के.पी. रमनुन्नी
मणिपुरी	छाही तरेत खुंतकपा (नाटक)	राजन तोइजम्बा
मराठी	बोलावे ते अमही (कविता)	श्रीकांत देशमुख
नेपाली	कृति विमर्श (साहित्यिक आलोचना)	बीना हंगखिम
उड़िया	एतावतिरा शिल्पी (लघु कथाएं)	गायत्री सराफ
पंजाबी	स्लो डाउन (उपन्यास)	नछत्तर
राजस्थानी	बिना हसल पई (आलोचना)	नीरज दैया
संस्कृत	गंगपुत्रवदनम (कविता)	निरंजन मिश्र
संताली	तहेनन तंगी रे (कविता)	भुजंग टुडु
सिंधी	आछेंदे लजा मरान (निबंध)	जगदीश लच्छानी
तमिल	कांधल नाटकल (कविता)	स्वर्गीय इंकलाब
तेलुगू	गाली रंगू (कविता)	देवीप्रिया
उर्दू	दरख्मा (लघु कथाएं)	बेग अहसास

राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार

राजीव गांधी खेल रत्न, जिन्हें खेलों के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, देश में खेलों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है प्रतिवर्ष युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यह पुरस्कार देता है पुरस्कार ग्रहण करने वालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'चार वर्ष की अवधि के दौरान खेल के मैदान में असाधारण प्रदर्शन' के आधार पर चुना जाता है

देश में खेल एवं क्रीडा क्षेत्र में असाधारण प्रशिक्षकों को खेल प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष यह पुरस्कार चार वर्षों की अवधि के दौरान लगातार 'खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में निरंतर उच्चकोटि के असाधारण प्रदर्शन करने के लिए' प्रशिक्षित करने हेतु दिया जाता है

अर्जुन पुरस्कार खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है

ध्यानचंद पुरस्कार देश में खेल क्षेत्र में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों को चार श्रेणियों में दिया जाता है; (1) युवा प्रतिभाओं की पहचान एवं उन्हें प्रोत्साहन के लिए; (2) कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन; (3) खिलाड़ियों और खेल कल्याण योजनाओं को रोज़गार एवं प्रोत्साहन; और (4) विकास हेतु खेल

तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जमीन, समुद्र और हवा में रोमांच से जुड़ी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है यह खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किसी एक विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में व्यापक तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018

एस. मीराबाई चानू और विराट कोहली

द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018

सूबेदार छेनंद अचैय्या कुटप्पा; विजय शर्मा; ए, श्रीनिवास राव; सुखदेव सिंह पन्नू; क्लेरेंस लोबो; तारक सिन्हा; जीवन कुमार शर्मा और वी. आर. बीडू

अर्जुन पुरस्कार 2018

नीरज चोपड़ा; नायब सूबेदार जिनसन जॉनसन; हिमा दास; नेलकुर्ती सिक्की रेड्डी; सूबेदार सतीश कुमार; स्मृति मंधना; शुभांकर शर्मा; मनप्रीत सिंह; सविता; कर्नल रवि राठौर; राही सरनोबत; अंकुर मित्तल; श्रेयसी सिंह; मनिका बत्रा; जी. सथियन; रोहन बोपन्ना; सुमित; पूजा कादियान; अंकुर धामा और मनोज सरकार

ध्यानचंद पुरस्कार 2018

सत्यदेव प्रसाद; भारत कुमार छेत्री; बॉबी अलॉयसियस और चौगले दादू दत्तात्रेय

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2018

- नवोदित एवं युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रोत्साहन- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड;
- कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिये खेलों को प्रोत्साहन - जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स;
- विकास हेतु खेल - इशा आउटरीच

तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, 2017

डॉ. अंशु जम्सेन्पा; स्वर्गीय श्री रवि कुमार; ले. कमांडर वर्तिका जोशी; ले. कमांडर प्रतिभा जामवाल; ले. कमांडर पतरलपल्ली स्वाति; ले. कमांडर शोग्राक्पम विजया देवी; ले. कमांडर ऐश्वर्य बोदपत्ती; ले. पायल गुप्ता; कैप्टन उदित थापर; और सोनम वांग्याल

वर्ष 2017-18 के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को **मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी** से पुरस्कृत किया गया है

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई किलोमीटर में
1.	आंध्र प्रदेश	16जी.क्यू., 216, 216ए, 716, 26, 326, 326ए, 30, 40, 140, 42, 44एन.एस., 65, 165, 365बी.बी, 565, 67, 69, 71, 75, 340 765, 340सी, 516डी, 544डी, 167, 167बी, 167ए, 516ई, 544डी.डी., 544ई, 65 एवं 5-सभी नया नंबर	6,286
2.	अरुणाचल प्रदेश	13, 15, 115, 215, 315, 415, 515, 315ए, 113, 313, 2,537, 513, 713, 713ए - सभी नया नंबर	2,537
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 117ए नया, 127बी नया, 127ई नया, 151, 152, 153, 154, 315ए नया, 127सी नया, 127डी नया, 208ए नया, 329 नया, 329ए नया, 427 नया, 627 नया, 702 नया, 702सी नया, 702डी नया, 715ए नया	3,845

4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 120 नया, 122ए नया, 131ए नया, 133 नया, 133बी नया, 219 नया, 227ए नया, 327ए नया, 327 विस्तार नया, 333 नया, 333ए नया, 333बी नया, 527ए नया, 527सी नया, 727ए नया, 120 नया,	4,839
5.	चंडीगढ़	5 नया	15
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 45 विस्तार नया, 78, 111, 130ए नया, 130बी नया, 130सी नया, 130डी नया, 149बी नया, 163ए नया, 200, 202, 216, 217, 221, 343 नया, 930 नया	3,232
7.	दिल्ली	9, 19, 44, 48, 148ए, 248बी.बी - सभी नया नंबर	79
8.	गोवा	786, 66, 366, 566 - सभी नया नंबर	262
9.	गुजरात	एन.ई-1, 53 नया, 48 नया, 47 नया, 41 नया, 27 नया, 147 नया, 151 नया, 51 नया, 68 नया, 56 नया, 64 नया, 58 नया, 848 नया, 848ए नया, 848बी नया, 251 नया, 753बी नया, 341 नया, 351 नया, 953 नया, 927डी नया, 168ए नया, 168 नया	5,017
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 11 नया, 21ए, 22, 54 नया, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 148बी नया, 236, 248ए नया, 254 नया, 334बी नया, 352ए, 444ए नया, 703 नया, 709 विस्तार नया, 709ए नया, एनई-II	2,641
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 3 नया, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88, 73ए, 154ए नया, 305 नया, 503 नया, 503ए नया, 503 विस्तार नया, 505 नया, 505ए नया, 705 नया, 907ए नया	2,642
12.	जम्मू-कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 3 नया, 144 नया, 144ए नया, 301 नया, 444 नया, 501 नया, 701 नया, 244 नया	2,601
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 43 नया, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए नया, 133 नया, 133ए नया, 133बी नया, 143ए नया, 220 नया, 333 नया, 333ए नया, 343 नया एवं 419 नया	2,661
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 50 नया, 63, 67, 67 नया, 150 नया, 150 विस्तार नया, 150ए नया, 160 नया, 161ए नया, 166ई नया, 167 नया, 169ए नया, 173 नया, 206, 207, 209, 212, 218, 234, 275 नया, 367 नया, 544डी.डी. नया, 544ई नया, 548बी नया, 561ए नया, 752के नया, 766सी नया	6,791
15.	केरल	66, 85, 183, 185, 544, 744, 766, 966, 183ए, 966ए, 966बी - सभी नया नंबर	1,782
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 34 नया, 43 विस्तार नया, 45 विस्तार नया, 56 नया, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92, 135बी नया, 146बी नया, 161जी नया, 339बी नया, 346 नया, 347ए नया, 347बी नया, 347सी नया, 543 नया, 548सी नया, 552 विस्तार नया, 752बी नया, 752सी नया, 752जी नया, 753एबी नया, 927ए नया, 943 नया	7,854
17.	महाराष्ट्र	3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 50 नया, 63 नया, 69, 130डी नया, 150 विस्तार नया, 161 नया, 161ए नया, 161ई नया, 161जी नया, 161एच नया, 204, 211, 222, 247 नया, 848 नया, 160 नया, 166 नया, 166ए नया, 166ई नया, 266 नया, 347ए नया, 347सी नया, 348 नया, 348ए नया, 353बी नया, 353सी नया, 353डी नया, 353ई नया, 353आई नया, 353जे नया, 353के नया, 361 नया, 361बी नया, 361सी नया, 361एच नया, 543 नया, 547ई नया, 548नया, 548ए नया, 548बी नया, 548सी नया, 548सी.सी. नया, 548डी नया, 548ई नया, 561 नया, 561ए नया, 752ई नया, 752जी नया, 752एच नया, 752आई नया, 752के नया, 753 नया, 753ए नया, 753बी नया, 753ई नया, 753एफ नया, 753जे नया, 753एल नया, 753एम नया, 848ए नया, 930 नया, 930डी नया, 953 नया, 965 नया, 965सी नया, 965जी नया	15,436
18.	मणिपुर	39, 53, 102ए नया, 102बी नया, 102सी नया, 129ए नया, 108ए नया, 129 नया, 137 नया, 137ए नया, 150, 155, 702ए नया	1,746
19.	मेघालय	40, 44, 217 नया एवं 127बी नया	1,204
20.	मिज़ोरम	2, 6, 108, 302, 502ए, 306ए, 102बी, 306, 502 - सभी नया नंबर	1,422
21.	नगालैंड	36, 39, 61, 150, 155, 129ए नया, 229 नया, 329ए नया, 702 नया, 702ए नया, 702बी नया, 702डी नया	1,547
22.	ओडिशा	5, 5ए, 6, 20 नया, 23, 43, 55 नया, 57 नया, 60, 130सी नया, 153बी नया, 157 नया, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220 नया, 326 नया, 326ए नया	4,838
23.	पुदुचेरी	45ए, 66 - सभी नया नंबर	64

24. पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95, 103ए नया, 154ए नया, 205ए नया, 254 नया, 344ए नया, 344बी नया, 503 विस्तार नया, 503ए नया, 703नया, 703ए नया, 754 नया एवं 148बी नया	2,769
25. राजस्थान	3, 11 नया, 123 नया, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 25 विस्तार नया, 54 नया, 65, 458 नया, 71बी, 76, 58 विस्तार नया, 758 नया, 79, 79ए, 89, 90 113, 112, 114, 116, 148बी नया, 148डी नया, 158 नया, 162ए नया, 162 विस्तार नया, 168 नया, 168ए नया, 248ए नया, 325 नया, 709 विस्तार नया, 927ए नया	7,906
26. सिक्किम	10, 310, 310ए, 510, 710, 717ए, 717बी – सभी नया नंबर	463
27. तमिलनाडु	32, 36, 38, 40, 42, 66, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 132, 136, 138, 181, 183, 332, 336, 381, 532, 536, 544, 648, 716, 744, 944, 948, 16जी.क्यू., 44एन.एस., 48जी.क्यू., 544एच, 136, 179ए – सभी नया नंबर	5,381
28. तेलंगाना	30, 44, 61, 161, 161बी, 63, 163, 163 विस्तार, 63 विस्तार, 363, 563, 65, 365, 365बी, 365बी.बी, 565, 765, 150, 167, 353सी, 365ए, 167 विस्तार, 353बी, 765डी, 161ए.ए, 161बी.बी., 248बी.बी., – सभी नया नंबर	3,786
29. त्रिपुरा	8, 108, 108ए, 208, 208ए, 108बी – नया नंबर	854
30. उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 123नया (3ए पुराना), 7, 11, 12ए, 19, 21 नया, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 135बी नया, 219 नया, 227ए नया, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330 नया, 330ए नया, 330बी नया, 334बी नया, 334सी नया, 552 विस्तार नया, 709ए नया, 727ए नया, 730 नया, 730ए नया, 731ए नया, 931 नया, 931ए नया एवं एनई।	8,711
31. उत्तराखंड	9 नया, 58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 107ए नया, 108, 109, 123, 119, 121, 125, 309ए नया, 309बी नया, 334ए, 707ए नया	2,842
32. पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 6, 10 नया, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए नया, 116बी नया, 117, 131ए नया, 133ए नया, 317ए नया, 327, नया, 327बी नया	2,998
33. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4 नया	331
34. दादर और नगर हवेली	848ए नया	31
35. दमन एवं दीव	848बी नया, 251 नया	22
कुल		**115,435**

स्रोत: सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

संविधान में संशोधन

1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, *1950*- इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद-19 में वर्णित वाणी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका,व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद-31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके

2. संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, *1952*— इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया

3. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, *1954*— इस संशोधन द्वारा (सातवीं अनुसूची की) सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई है, ताकि वह अनुच्छेद-396 के समरूप हो सके

4. संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, *1955*— निजी संपत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत करने की राज्य की शक्तियों की फिर से ठीक-ठीक ढंग से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से जहां राज्य की विनियमनकारी और प्रतिषेधात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-31(2) में संशोधन किया गया संविधान के अनुच्छेद-31क की

परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोजन और देश के खनिज तथा तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया नौवीं अनुसूची में छह अधिनियम भी शामिल किए गए राज्य एकाधिपत्यों के लिए उपबंध करने वाली विधियों के समर्थन में अनुच्छेद- 305 में भी संशोधन किया गया

5. संविधान *(* पांचवां संशोधन*)* अधिनियम, *1955*— इस संशोधन में अनुच्छेद-3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान-मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं

6. संविधान *(*छठा संशोधन*)* अधिनियम, *1956*— इस संशोधन द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद-269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक प्रविष्टि 92क शामिल की गई

7. संविधान *(*सातवां संशोधन*)* अधिनियम, *1956*— राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और पारिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है

8. संविधान *(*आठवां संशोधन*)* अधिनियम, *1960*— संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद-334 में संशोधन किया गया

9. संविधान *(*नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *1960*— भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य-क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद-3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है

10. संविधान *(10*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1961*— दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियों के तहत् उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद-240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया

11. संविधान *(11*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1961*— इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद-66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचक मंडल में किसी ख़ाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके

12. संविधान *(12*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1962*— इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद-240 का संशोधन किया गया

13. संविधान *(13*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1962*— इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नगा पीपुल्स कंवेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद-371(ए) जोड़ा गया

14. संविधान *(14*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1962*— इस अधिनियम के द्वारा पुदुदचेरी केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुदचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सका

15. संविधान *(15*वां संसोधन अधिनियम, *1963*— इस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता देने का उपबंध किया गया इस अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किए जाने की भी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद-226 का भी विस्तार किया गया, ताकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे किसी प्राधिकारी को निर्देश, आदेश या हुक्मनामा (रिट) जारी कर सकें यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का कारण उन राज्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो, जिनमें वहां का उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, चाहे उस सरकारी अधिकारी का स्थान इन राज्य क्षेत्रों के अंदर नहीं हो इस अधिनियम द्वारा सेवा आयोगों के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने का भी प्रावधान है

16. संविधान *(16*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1963—* इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-19 में संशोधन किया गया, जिसमें भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के हित में शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सम्मिलन तथा संस्था बनाने के लिए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अधिनियम का संशोधन करके उसमें यह शर्त भी शामिल की गई कि वे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है

17. संविधान *(17*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1964—* अनुच्छेद-31क में और आगे संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में उसका बाज़ार मूल्य न दिया जाए साथ ही, इस संशोधन द्वारा उक्त अनुच्छेद में दी गई 'संपदा' की परिभाषा को पीछे की तारीख से लागू किया गया नौवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया और उसमें 44 और अधिनियम शामिल किए गए

18. संविधान *(18*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1966—* इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि 'राज्य' शब्द में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल होगा और इस अनुच्छेद के तहत् नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया

19. संविधान *(19*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1966—* निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद-324 का संशोधन इस पारिणामिक परिवर्तन के लिए किया गया

20. संविधान *(20*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1966—* यह संशोधन चन्द्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था एक नया अनुच्छेद-233ए जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को वैध बना दिया गया

21. संविधान *(21*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1967—* इस अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया

22. संविधान *(22*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1969—* यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया

23. संविधान *(23*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1969—* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद-334 का संशोधन किया गया

24. संविधान *(24*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1971—* यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद-13 और अनुच्छेद-368 में संशोधन किया गया

25. संविधान *(25*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1971—* इस संशोधन द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद-31 में संशोधन किया गया 'मुआवज़ा' शब्द की 'पर्याप्त मुआवज़ा' के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए 'मुआवज़ा' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द रखा गया

26. संविधान *(26*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1971—* इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के

'प्रिवी' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया

27. संविधान *(27*वां संशोधन) अधिनियम, *1971*— यह संशोधन अधिनियम उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया एक नया अनुच्छेद-239ख जोड़ा गया, जिससे कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए

28. संविधान *(28*वां संशोधन) अधिनियम, *1972*— यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया

29. संविधान *(29*वां संशोधन) अधिनियम, *1972*— संविधान की नौवीं अनुसूची का संशोधन करके उसमें भूमि सुधार के बारे में केरल के दो अधिनियम शामिल किए गए

30. संविधान *(30*वां संशोधन) अधिनियम, *1972*— इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद-133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना है, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाण-पत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न शामिल है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है

31. संविधान *(31*वां संशोधन) अधिनियम, *1973*— इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़कर 525 तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया

32. संविधान *(32*वां संशोधन) अधिनियम, *1973*— इस अधिनियम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की अधिकारिता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया इसके द्वारा संसद को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बना सकती है

33. संविधान *(33*वां संशोधन) अधिनियम, *1974*— इस संशोधन द्वारा संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनुच्छेद-101 तथा 190 में संशोधन किया गया

34. संविधान *(34*वां संशोधन) अधिनियम, *1974*— इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया

35. संविधान *(35*वां संशोधन) अधिनियम, *1974*— इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद-2(क) जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय केंद्र के सह-राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद-80-81 में परिणामिक संशोधन किए गए एक नई अनुसूची, अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें सिक्किम के भारतीय केंद्र में शामिल होने की नियम एवं शर्तें दी गई हैं

36. संविधान *(36*वां संशोधन) अधिनियम, *1975*— सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक-एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद-2(क) और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद-80 और 81 में समुचित संशोधन किया गया

37. संविधान *(37*वां संशोधन) अधिनियम, *1975*— इस अधिनियम द्वारा केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद-240 का भी संशोधन किया गया और यह उपबंध किया गया कि विधानमंडल वाले अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकेगा, जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य निलंबित हों

38. संविधान *(38*वां संशोधन) अधिनियम, *1975*— इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी

39. संविधान *(39*वां संशोधन) अधिनियम, *1975*— इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो

संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया

40. संविधान *(40*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1976*— इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा महाद्वीपीय जल सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को केंद्र के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह केंद्र के अधिकार में होंगे इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा, महाद्वीपीय जल सीमा और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं तथा समुद्री क्षेत्र पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर संसद अथवा संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी साथ ही साथ, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए

41. संविधान *(41*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1976*— इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद-316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया

42. संविधान *(42*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1976*— इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए ये संशोधन मुख्यतः स्वर्णसिंह आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए थे

कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्चादर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक-आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं द्वारा, निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम-से-कम दो तिहाई न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायापालिका संबंधी उपबंधों में भी संशोधन किया गया

उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए और सेवा, राजस्व, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-136 के अधीन ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के गठन के लिए उपबंध किया गया अनुच्छेद-226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किया गया

43. संविधान *(43*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1977*— इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद-32क, 131क, 144क 226क और 228क को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-31 को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई थीं, हटा दिया गया

44. संविधान *(44*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1978*— संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े संविधान के अनुच्छेद- 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा आंतरिक गड़बड़ी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसा कि अनुच्छेद-21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है जिसके तहत् निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत दो महीने से अधिक नज़रबंद नहीं किया जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह

रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नज़रबंदी के पर्याप्त कारण हैं इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफ़ारिशों के अनुसार किया जाएगा

विलंब से बचने के लिए अनुच्छेद-132 और 134 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 134क जोड़ा गया जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, अंतिम आदेश अथवा सज़ा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने पर विचार करे इस अधिनियम द्वारा किए गए अन्य संशोधन मुख्य रूप से आंतरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान किए गए संशोधन के कारण संविधान में आई विकृतियों को दूर करने अथवा सुधार करने के लिए हैं

45. संविधान *(45*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1982—* यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया

46. संविधान *(46*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1982-* इसके द्वारा अनुच्छेद-269 में संशोधन किया गया, ताकि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए इस अनुच्छेद का संशोधन इस दृष्टि से भी किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सके कि किस स्थिति में भेजा जाने वाला माल अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के तहत् भेजा हुआ माना जाएगा केंद्र सूची में एक नई प्रविष्टि 92 ख भी शामिल की गई, ताकि ऐसी स्थिति में जब माल अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा जाए तो उस माल पर कर लगाया जा सके

अनुच्छेद 286 के खंड 3 का संशोधन किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा कार्य-संविदा के निष्पादन के दौरान वस्तुओं के हस्तांतरण में, किराया-ख़रीद अथवा किस्तों में अदायगी के आधार पर माल की सुपुर्दगी पर कर लगाने की प्रणाली, दरों और अन्य बातों के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकें

'माल के क्रय और विक्रय पर कर' की परिभाषा में यह जोड़ने के लिए अनुच्छेद-366 का यथोचित संशोधन किया गया कि उसमें नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफलार्थ अंतरण, कार्य-संविदा के निष्पादन से संबंधित वस्तुओं के रूप में संपत्ति का अंतरण, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी आदि की प्रणाली में माल की सुपुर्दगी को भी शामिल किया जा सके

47. संविधान *(47*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1984-* इस संशोधन का उद्देश्य संविधान की नवम अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करना है, ताकि उन अधिनियमों को लागू किए जाने में रुकावट डालने वाली मुकदमेबाजी को रोका जा सके

48. संविधान *(48*वाँ संशोधन*)* अधिनियम, *1984-* संविधान के अनुच्छेद-356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, जब तक कि उक्त अनुच्छेद-के खंड 5 में उल्लिखित शर्त पूरी नहीं होती चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है, ताकि इस मामले में अनुच्छेद-356 के खंड 5 में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पाएं

49. संविधान *(49*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1984-* त्रिपुरा सरकार ने सिफ़ारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य राज्य में काम कर रही स्वायत्तशासी जिला परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है

50. संविधान *(50*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1984-* संविधान के अनुच्छेद-33 द्वारा संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी को सशस्त्र सेनाओं अथवा लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार बलों पर लागू करने में किस सीमा तक प्रतिबंधित अथवा निराकृत किया जाए, ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके

अनुच्छेद-33 की परिधि में निम्नलिखित बातों को लाने के लिए इसका संशोधन प्रस्तावित है:

(1) राज्य की अथवा उसके प्रभार या कब्जे में संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रभारित बलों के सदस्य, अथवा

(2) आसूचना अथवा प्रति-आसूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो अथवा अन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, अथवा

(3) किसी बल, ब्यूरो अथवा संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में नियुक्त अथवा उनसे संबंधित व्यक्ति

अनुभव से पता चला है कि इनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित्त करने की आवश्यकता राष्ट्रीय हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है

51. संविधान *(51*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1984*— इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-330 में संशोधन किया गया, ताकि मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान सुरक्षित किए जा सकें साथ ही साथ, स्थानीय जनजातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद-332 में संशोधन करके नगालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी इसी तरह का आरक्षण किया गया

52. संविधान *(52*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1985*— इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद-सदस्य या विधानसभा-सदस्य दल-बदल करता है या उस दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान है

53. संविधान *(52*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1986*— यह भारत सरकार और मिज़ोरम सरकार द्वारा मिज़ोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून, 1986 को हुए मिज़ोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है इसके लिए नया अनुच्छेद-371-जी संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिज़ो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत कानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की मनाही, दीवानी तथा फ़ौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिज़ों लोगों के परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय कानून लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती लेकिन यह धारा मिज़ोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय कानूनों पर लागू नहीं होगी नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिज़ोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे

54. संविधान *(54*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1986*— इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को निम्न प्रकार से बढ़ाया गया है

1.	भारत के प्रधान न्यायाधीश	₹ 10,000 प्रतिमाह
2.	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	₹ 9,000 प्रतिमाह
3.	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश	₹ 9,000 प्रतिमाह
4.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	₹ 8,000 प्रतिमाह

इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद-125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि संसद कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है

55. संविधान *(55*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1986*— इसमें केंद्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया है इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद-371 एच जोड़ा गया है अन्य बातों के अलावा, इस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश की अत्यंत नाजुक स्थिति के कारण कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई है इसके अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद में सलाह-मशविरा करके की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकेंगे यदि राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल की यह ज़िम्मेदारी खत्म की जा सकेगी नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे

56. संविधान *(56*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1987—* भारत सरकार के केंद्रशासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्रशासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया है इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया गया कि नए राज्य गोवा की विधानसभा में 40 सदस्य होंगे केंद्रशासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव की मौजूदा विधानसभा में 30 निर्वाचित सदस्य हैं तथा तीन मनोनीत सदस्य हैं ऐसा विचार किया गया कि जब तक मौजूदा विधानसभा की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होकर नए निर्वाचन न कर लिए जाएं, तब तक गोवा राज्य के लिए बनी नई विधानसभा में दमन व दीव का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों को शामिल न किया जाए अतएव, नए राज्य गोवा को ऐसी विधानसभा देने का निश्चय किया गया, जिसमें 30 से कम सदस्य न हों इस संशोधन ने उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाया

57. संविधान *(57*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1987—* संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम, 1984 लोकसभा में नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने तथा संविधान के अनुच्छेद-330 व 332 को समुचित प्रकार से संशोधित करके नगालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था यद्यपि ये क्षेत्र जनजाति-बहुल हैं, तथापि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां अपना न्यूनतम प्रतिनिधित्व तो कर ही सकें, क्योंकि वे विकसित वर्ग के लोगों के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं यद्यपि संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम औपचारिक रूप से प्रभावी था, फिर भी यह पूरी तरह से तब तक लागू नहीं हो सकता था, जब तक यह निर्धारित न हो जाए कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए किन-किन स्थानों का आरक्षण करना है किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद-332 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-332(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है, किंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के विकास व अन्य संबंधित बातों पर विचार करके यह जरूरी समझा गया कि इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि ये लोग भी, जैसा कि संविधान में संकल्पना की गई है, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें संविधान के अनुच्छेद-332 को अस्थाई प्रावधान बनाने के लिए फिर से संशोधित किया गया, जिससे अनुच्छेद-170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पुनः निर्धारण किया जा सके इस संशोधन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि यदि ऐसे राज्यों की विधानसभाओं (जो संशोधित अधिनियम के लागू होने की तिथि पर अस्तित्व में थीं) में सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अधिग्रहीत किए गए हों, तो एक को छोड़कर सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएं तथा अन्य किसी मामले में जहां पर स्थानों की संख्या कुल संख्या के बराबर हो, एक ऐसा अनुपात हो जिसमें मौजूदा विधानसभा के सदस्यों की संख्या मौजूदा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बराबर हो यह अधिनियम इन उद्देश्यों को प्राप्त करता है

58. संविधान *(58*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1987–* हिंदी में संविधान के प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन की मांग सामान्यतः रही है विधि प्रक्रिया में संविधान का आसानी से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसका हिंदी पाठ भी प्राधिकृत हो संविधान का कोई भी हिंदी संस्करण न केवल संवैधानिक सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद के अनुरूप हो, बल्कि हिंदी में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के भी अनुरूप हो संविधान को संशोधित करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने प्राधिकार के तहत् संविधान के हिंदी अनुवाद को, जिस पर संवैधानिक सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा जिनमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर लिया गया है जिससे यह हिंदी भाषा के केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के अनुरूप हो, प्रकाशित करा सकें राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्रदत्त की गई है कि वह संविधान में किए गए प्रत्येक अंग्रेज़ी संशोधन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएं

59. संविधान *(59*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1988–* इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद -356 (5) का संशोधन किया गया, जिससे कि अनुच्छेद -356 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का एक वर्ष की अवधि से आगे विस्तार किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो पंजाब राज्य में अशांति की स्थिति बनी

रहने के कारण अनुच्छेद-356 के खंड (4) के अधीन यथा अनुज्ञेय तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी बनाया जा सके इस अधिनियम द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद-352 का, पंजाब राज्य में इसे लागू किए जाने की बाबत संशोधन किया गया है जिसके अनुसार आंतरिक गड़बड़ी को पंजाब में आपातस्थिति की उद्घोषणा हेतु एक आधार बनाया गया है अनुच्छेद -352 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य के संबंध में अनुच्छेद 358 और 359 के संशोधन की तारीख 30 मार्च, 1988 से जो इस संशोधन के प्रारंभ की तारीख है, दो वर्ष की अवधि के लिए ही प्रवर्तनीय रहेंगे

60. संविधान *(60*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1988*– अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद-276 के खंड (2) का इस दृष्टि से संशोधन करता है, जिससे कि व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिवर्ष किया जा सके इस कर में वृद्धि करने से राज्यों को अतिरिक्त स्रोत जुटाने में सहायता मिलेगी धारा (2) के उपबंध का लोप किया गया है

61. संविधान *(61*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1989*– इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा- वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सकें

62. संविधान *(62*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1989*– संविधान के अनुच्छेद-334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान में लागू होने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी हालांकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने गत 40 वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है, किंतु संविधान सभा के सामने इस तरह की व्यवस्था बनाते समय जो कारण थे, वे अभी बरकरार हैं इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद-334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा

63. संविधान *(63*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1989*– संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम मार्च 1988 में लागू किया गया, जिससे पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए थे इस पर पुनर्विचार करने पर सरकार ने निर्णय किया कि संशोधन में पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा के संबंध में जिस विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, उनकी अब जरूरत नहीं रही तदुनसार, अनुच्छेद–356 की धारा 5 तथा अनुच्छेद 359(क) को हटा दिया गया है

64. संविधान *(64*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1990*– इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद- 356 की धारा 4 व 5 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-356 की धारा 1 के तहत् पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को संशोधित की गई घोषणा की अवधि को साढ़े तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया

65. संविधान *(65*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1990*– संविधान के अनुच्छेद-338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जो संविधान के तहत् अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा यह अनुच्छेद संशोधित कर दिया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मुहर से नियुक्त करेंगे संशोधित अनुच्छेद में आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसके उन कदमों के बारे में भी बताया गया है, जो उसे केंद्र अथवा राज्य सरकार को कमीशन की रिपोर्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाने होंगे इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आयोग के पास शिकायत पर की जाने वाली जांच के दौरान वे सभी अधिकार होंगे, जो कि एक न्यायिक अदालत को होते हैं और आयोग की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाएगी

66. संविधान *(66*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1990*– इस अधिनियम के तहत् भूमि सुधार तथा कृषिभूमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पुदुदचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी

67. संविधान *(67*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1990*– संविधान के 64वें संशोधन के तहत् पंजाब के संबंध में 11

मई, 1987 को की गई तीन वर्ष की अवधि की घोषणा को साढ़े तीन वर्ष किया था 67वें संशोधन के तहत् अनुच्छेद -356 की धारा 4 को पुनः संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है

68. संविधान *(68*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1991*– संविधान के 67वें संशोधन के तहत् पंजाब के संबंध में 17 मई, 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था 68वें संशोधन के तहत् अनुच्छेद-356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है

69. संविधान *(69*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1991*– भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक ढांचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की थी पूरी जांच-पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद् भी हो, जो आम आदमी से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकार संपन्न हो कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो यह अधिनियम उपरोक्त सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया

70. संविधान *(70*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1992*– संविधान (74वें संशोधन) विधेयक, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र सरकार, विधेयक 1991 पर संसद के दोनों सदनों में विचार प्रकट करते समय केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी संविधान के अनुच्छेद-54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचनमंडल में शामिल करने के पक्ष में विचार प्रकट किए गए

इस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद-54 में निर्वाचनमंडल के लिए केवल निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों (इसमें केंद्रशासित प्रदेश शामिल नहीं हैं) को शामिल करने का प्रावधान है इसी प्रकार अनुच्छेद-55 में इस प्रकार के चुनाव के तरीके के लिए राज्यों की विधानसभाओं की भी बात की गई है

अनुच्छेद-54 में शामिल की गई एक व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद-54 और 55 में राज्य के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचनमंडल में राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुदुदचेरी को भी शामिल किया जाएगा इससे अनुच्छेद 239ए के प्रावधानों के तहत् केंद्रशासित प्रदेश पुदुदचेरी के लिए बनाई गई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और अनुच्छेद-239एए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली की प्रस्तावित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचनमंडल में शामिल किया जा सकेगा

71. संविधान *(71*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1992*– संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाएं जोड़ने की मांग चल रही थी इस अधिनियम से संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है

72. संविधान *(72*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1992*– त्रिपुरा राज्य में जहां गड़बड़ी का माहौल बना हुआ है, शांति और सद्भाव कायम करने के लिए गत 12 अगस्त, 1988 को भारत सरकार और नेशनल वालेंटियर्स त्रिपुरा के बीच एक समझौते को लागू करने के लिए संविधान (72वां संशोधन) अधिनियम, 1972 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद -332 में संशोधन किया गया है, ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थाई व्यवस्था की जा सके, जब तक कि संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल न हो जाए

73. संविधान *(73*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1993*– संविधान के अनुच्छेद-40 में सुरक्षित किए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए क़दम उठाने चाहिए, जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हैं

इसके आलोक में पंचायतों से जुड़ा एक नया भाग IX संविधान में जोड़ा गया है इसका उद्देश्य अन्य चीजों के अलावा, एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्रामसभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यता के

लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम-से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए पांच साल की कार्यवधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है

74. संविधान *(74*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1993*– विभिन्न कारणों से अनेक राज्यों के स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल हैं इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं

इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9 ए शामिल किया गया है, ताकि अन्य चीज़ों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें: तीन तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम

75. संविधान *(75*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1994*– इन दिनों विभिन्न राज्यों में जो किराया नियंत्रण कानून लागू हैं, उनमें कई खामियां हैं, जिनके कारण अनेक अवांछनीय परिणाम हो रहे हैं किराया नियंत्रण कानूनों के कुछ वैधानिक दुष्परिणाम हैं- लगातार बढ़ती हुई मुकदमेबाजी, न्यायालयों द्वारा समय पर न्याय न दे पाना, किराया नियंत्रण कानूनों से बचने के तरीके निकालना और किराए के लिए मिल सकने वाले मकानों की निरंतर कमी

उच्चतम न्यायालय ने देश में किराया नियंत्रण कानूनों की अनिश्चित और तर्करहित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभाकरण नय्यर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सिविल रिट पेटीशन संख्या 506 ऑफ 1986) तथा अन्य रिट याचिकाओं के संदर्भ में यह विचार प्रकट किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किराया विवादों के जबरदस्त भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए इन मुकदमों में अपील करने के अवसर कम कर दिए जाने चाहिएं किराया नियंत्रण कानून, सरल, विवेकपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिएं मुकदमेबाजी जल्दी ही अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए

इस कानून द्वारा संविधान के भाग 14(क) के अनुच्छेद-323(ख) में संशोधन किया गया है ताकि किराएदारों और मकान मालिकों को समय पर राहत मिल सके इस संशोधन में राज्य स्तर पर किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने और अन्य सभी अदालतों में मकान मालिक-किराएदार से संबंधित मुकदमे दायर करने पर रोक लगाने की व्यवस्था है इस व्यवस्था के कारण से मुकदमों के फैसलों की अपील संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत् केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी

76. संविधान *(76*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1994*– पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करने की नीति का लंबा इतिहास 1921 में तमिलनाडु से शुरू हुआ था राज्य सरकार अधिकांश लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित स्थानों की संख्या समय-समय पर बढ़ती रही अब आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई है-18 प्रतिशत अनुसूचित जातियां, एक प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां और 50 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग

उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (एआईआर 1993 एससी 477) में 16 नवंबर, 1992 को फैसला दिया कि अनुच्छेद-16(4) के अधीन कुल आरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों (शिक्षा संस्थाओं में स्थान और राज्य के अधीन नौकरियां या पद आरक्षण) विधेयक 1993 पारित कर, इसे संविधान के अनुच्छेद-31सी की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेजा भारत ने राज्य सरकार के इस कानून की व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के इस विधेयक को स्वीकृति दे दी इस निश्चय के परिणास्वरूप यह जरूरी था कि 1994 के तमिलनाडु कानून, 45 को संविधान की नौवीं अनुसूची की परिधि में लाया जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद-31बी के अधीन न्यायालयों द्वारा विचार न कर सकने के बारे में इस कानून को संरक्षण मिल सके

77. संविधान *(77*वां संशोधन*)* अधिनियम, *1995*– अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 1955 से ही पदोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा मिल रही है लेकिन इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और

अन्य के मुकदमे में 16 नवंबर, 1992 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण केवल शुरू में की जाने वाली नियुक्ति पर लागू होता है तथा इसे पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिस स्तर पर होना चाहिए था, अतः अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की वर्तमान छूट को जारी रखना आवश्यक है अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने का फैसला किया है इसके लिए यह आवश्यक था कि संविधान के अनुच्छेद-16 में एक नई धारा (4ए) जोड़कर उसमें संशोधन किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान किया जा सके

78. संविधान *(78*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1995*– संविधान का अनुच्छेद-31बी नौवीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर कानूनी चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड-3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है, जो अन्य चीजों के अलावा भूमि-सहित संपत्ति के हितों और अधिकारों को प्रभावित करती है

पहले जब कभी यह महसूस किया गया कि जिन प्रगतिशील कानूनों की परिकल्पना जनता के हित में गई है, उन्हें मुकदमेबाजी का ख़तरा है तो उसके लिए नौवीं अनुसूची का सहारा लिया गया तदनुसार, भूमि सुधारों और कृषि योग्य भूमि की हदबंदी से संबंधित विभिन्न राज्यों के कानूनों को पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है चूंकि सरकार भूमि सुधारों को महत्व देने के प्रति वचनबद्ध है, अतः भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया गया, ताकि उन्हें अदालतों में चुनौती न दी जा सके बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भूमि से संबंधित अपने कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया है

चूंकि उन कानूनों में संशोधन को, जो पहले ही नौंवी अनुसूची में शामिल हैं, कानूनी चुनौती से स्वतः छूट नहीं मिली हुई है, अतः नौवीं अनुसूची में कुछ मूलभूत कानूनों के साथ-साथ अनेक संशोधित कानूनों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू होने पर ये कानून मुकदमेबाजी से प्रभावित नहीं होंगे

79. संविधान *(79*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 1999*— इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है

80. संविधान *(80*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 2000*- दसवें वित्त आयोग की सिफरिशों के आधार पर संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम-2000 में केंद्र और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व बांटने के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई है इस योजना के अनुसार आयकर, उत्पाद शुल्कों, विशेषतः उत्पाद शुल्कों तथा रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदानों के लिए अब तक राज्य सरकारों को केंद्रीय करों तथा शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलता था अब उसके स्थान पर 26 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाएगा

81. संविधान *(81*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 2000*— इस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद-16 की किसी भी व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित वर्ष में जितने ख़ाली सरकारी पद हैं यदि वे पद उसी वर्ष नहीं भरे जाते हैं तो उन पर आगामी वर्ष में या वर्षों में नियुक्ति की जाएगी जिन्हें नियुक्ति वर्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत आरक्षित पदों की अधिकतम में शामिल नहीं किया जाएगा

82. संविधान *(82*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 2000*— इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र या किसी राज्य के मामलों से संबद्ध किसी सेवा के किन्हीं वर्गों या वर्ग अथवा पदों पर पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने के लिए की गई किसी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद-335 का कोई भी प्रावधान

राज्य को नहीं रोक सकेगा

83. संविधान (*83*वां संशोधन) अधिनियम, *2000*— इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद-243 (एम) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है

84. संविधान (*84*वां संशोधन) अधिनियम, *2001*— इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है ताकि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं ऐसा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी-मतदाताओं की संख्या में अनियमित वृद्धि के कारण पैदा हुए असंतुलन को दूर करने के लिए किया गया है इससे वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के लिए आरक्षित, अनुसूचित और जनजाति की सीटों की संख्या भी फिर से निर्धारित की जा सकेगी

85. संविधान (*85*वां संशोधन) अधिनियम, *2001*— इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद- 16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत् पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके इसे 17 जून, 1995 से प्रभावी माना गया है

86. संविधान (*86*वां संशोधन) अधिनियम, *2002*— इसका संबंध अनुच्छेद-21 के पश्चात् जोड़े गए नए अनुच्छेद-21 ए से है नया अनुच्छेद-21ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है– 'राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत् होगी

संविधान के अनुच्छेद-45 को बदलकर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है संविधान के अनुच्छेद-45 छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद बदला जाएगा अनुच्छेद-45 'राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है '

संविधान के अनच्छेद-51 ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद-(के) जोड़ा गया है, 'इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है '

87. संविधान (*87*वां संशोधन) अधिनियम, *2003*— संविधान के अनुच्छेद-81 के खंड (3) के उपबंध में धारा (II) में, '1991' की जगह '2001' लिखा जाए

संविधान के अनुच्छेद-32 के तीसरे उपबंध की धारा (II) में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए

संविधान के अनुच्छेद-170 व्याख्या में (i) धारा 2 के उपबंध की व्याख्या में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए; (ii) धारा 3 के तीसरे उपबंध की व्याख्या में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए

संविधान के अनुच्छेद-330 में व्याख्या में उपखंड में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए

88. संविधान (*88*वां संशोधन) अधिनियम, *2003*— यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बजट में अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा

संविधान के अनुच्छेद-268 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए:

'268 ए (1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार और राज्यों द्वारा धारा (2) में दिए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा '

(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में धारा (1) में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक लगाए गए ऐसे किसी भी कर को, (क) भारत सरकार और राज्य एकत्रित करेंगे; (ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा इसका उचित इस्तेमाल किया जाएगा और यह संग्रहण और उपयोग उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा जैसा कि संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किया हो

संविधान के अनुच्छेद-270 की धारा (1) में 'अधिनियम 268 और 269' के स्थान पर 'अधिनियम, 268, 268ए और 269' लिखा जाए

संविधान की सातवीं अनुसूची में **सूची -केंद्रीय सूची** में 92 बी के बाद '92सी-सेवाओं पर कर' को सूचीबद्ध किया जाए

89. संविधान *(89*वां संशोधन) अधिनियम, *2003*— यह संशोधन उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से केंद्र सरकार इसे अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में शामिल करेगी

संविधान के अनुच्छेद 338 में :

(ए) उपातिक (मार्जिनल) शीर्षक की जगह निम्नलिखित उपांतिक शीर्षक लिखा जाए:

'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग'

(बी) धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं शामिल की जाएं:

1. अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाए

2. संसद द्वारा इस बारे में बनाए गए कानून के प्रावधानों के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे

(सी) धारा (5), (9) तथा (10) में जहां भी अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयुक्त हुआ हो, उसे हटा दिया जाए

अनुच्छेद-338 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए

"338ए- (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा

(2) संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित किसी कानून के प्रावधानों के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ से जारी सीलबंद वारंट द्वारा की जाएगी

(4) आयोग को अपनी कार्यप्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार होगा

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि- (क) संविधान या वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के तहत् अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की छानबीन एवं निगरानी तथा इन तय सुरक्षा मानदंडों का मूल्यांकन; (ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा से वंचित करने के संदर्भ में किसी विशेष शिकायत की जांच; (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में शामिल होना एवं सलाह देना और केंद्र तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास का मूल्यांकन; (घ) निर्धारित सुरक्षा मानकों के कारगर होने या न होने के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक तथा अन्य किसी ऐसे समय, जब उसे उचित लगे, राष्ट्रपति को सौंपेगा; (ङ) ऐसी रिपोर्ट अथवा सिफ़ारिशें करेगा, उपाय सुझाएगा जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा इन सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जाएंगे ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, उनका कल्याण और आर्थिक-सामाजिक विकास हो सके; और (च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उनकी प्रगति संबंधी ऐसे अन्य कार्य करेगा जोकि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे

(6) राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए साथ ही, केंद्र से संबंधित सिफ़ारिशों के संदर्भ में उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में ज्ञापन भी हो जिसमें किसी सिफ़ारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया हो तो उसका कारण भी निर्दिष्ट हो

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई हिस्सा, किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जोकि किसी राज्य सरकार से संबद्ध हो, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जानी चाहिए जोकि यह सुनिश्चित करे कि वह रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य से संबंधित अनुशंसाओं के संदर्भ में 36 (ए) गए या

प्रस्तावित कदमों के बारे में ज्ञापन सहित रखी जाए. साथ ही, राज्य से संबद्ध सिफ़ारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसकी अस्वीकृति के कारणों के बारे में भी बताया जाए

(8) आयोग को धारा 5 की उपधारा (ए) में दिए गए किसी मामले की छानबीन करने या उपधारा (बी) के तहत् किसी शिकायत की जांच करने के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी मुकदमें की सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट को प्राप्त होती हैं, विशेषतौर से निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में, जो इस प्रकार हैं:

(क) भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए उसे समन जारी करना तथा उसकी उपस्थिति दर्ज करना और शपथ से उसकी जांच करना; (ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुति की आवश्यकता पड़ने पर; (ग) शपथ-पत्र पर प्रमाण प्राप्त करने पर; (घ) किसी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकार्ड या प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना; (ङ) गवाहों तथा दस्तावेज़ों की जांच-परख के लिए कमीशन जारी करना, (च) अन्य कोई मामला जो किसी नियम के मुताबिक राष्ट्रपति सामने रखे

(9) केंद्र तथा सभी राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर आयोग से विचार-विमर्श करेंगी."

90. संविधान *(90*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 2003*— संविधान के अनुच्छेद-332 की धारा (6) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, जो कि इस प्रकार है:

'असम राज्य के लिए विधानसभा चुनावों हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि अधिसूचित हो, तथा जो वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला गठित होने से पहले हैं, को बरकरार रखा जाए.'

91. संविधान *(91*वां संशोधन*)* अधिनियम*, 2003*— संविधान के अनुच्छेद-75 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं, जो कि इस प्रकार हैं:

'(1ए) मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.'

(1बी) संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो कि किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा उसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया हो, वह धारा (1) के तहत् मंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा और यह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख तक लागू रहेगी जिस अवधि तक उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त नहीं होता या उस अवधि के समाप्त होने से पहले उस तारीख तक, जब वह कहीं से संसद के किसी भी सदन के लिए हुए चुनाव में खड़ा हुआ हो, और उसे निर्वाचित घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो

संविधान के अनुच्छेद-164 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं:

'(1ए) राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए:

बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो:

बशर्ते जहां किसी राज्य में मंत्रीपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 लागू होने की तारीख को उपरोक्त 15 प्रतिशत या पहले उपखंड में निर्दिष्ट संख्या से ज्यादा हो, जैसा भी मामला हो, तब उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या को इस धारा के प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर इस धारा के प्रावधानों का पालन किया जाए

(1बी) राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, जहां विधानपरिषद हो, का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत् उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, धारा (1) के तहत् उसे मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा तथा वह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जारी रहेगी जब तक उसकी उस सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस अवधि के समाप्त होने से पहले, उस तारीख से, जब वह राज्य विधानसभा या विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए चुनाव लड़े, जहां विधानपरिषद हो, जैसा भी मामला हो, उसे निर्वाचित घोषित किया जाए, जो भी पहले हो

संविधान के अनुच्छेद-361ए के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए, जो इस प्रकार है:

'316-बी- किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध सदन का सदस्य जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया हो, वह उस अवधि में किसी लाभकारी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा यह उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से तब तक के लिए होगा, जब तक उसकी सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस तारीख तक, जब वह सदन के लिए कोई चुनाव लड़े और निर्वाचित घोषित किया जाए जो भी पहले हो '

व्याख्याः इस अनुच्छेद के उद्देश्य से-

(ए) 'सदन' का अर्थ वही समझा जाएगा जो दसवीं अनुसूची के पैरा 1 की धारा (ए) में दिया गया है

(बी) शब्द 'लाभकारी राजनीतिक पद' से तात्पर्य किसी कार्यालय में (I) भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत्, जहां ऐसे कार्यालय में वेतन या पारिश्रमिक भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक राजस्व से दिया जाता हो, जैसा भी मामला हो, या (II) ऐसा संकाय, जो निगमित हो या नहीं, पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो तथा ऐसे कार्यालय का वेतन या परिश्रमिक ऐसे संकाय द्वारा दिया जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिपूरक के रूप में दिया जाता हो

संविधान की दसवीं अनुसूची में (ए) पैरा 1 में धारा बी में शब्दों तथा संख्या को 'पैरा 3 या, जैसा भी मामला हो, हटा दिया जाए;' (बी) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में शब्दों तथा संख्या 'पैरा 3, 4 तथा 5', के स्थान पर 'पैरा 4 तथा 5' लिखा जाए; (सी) पैरा 3 को हटा दिया जाए

92. संविधान *(92*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2003*— संविधान की आठवीं अनुसूची में:

(क) वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएं: *'3* बोडो*; 4* डोगरी'

(ख) वर्तमान 4 से 7 तक की प्रविष्टि को क्रमशः प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए;

(ग) वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए: *'10* मैथिली'

(घ) वर्तमान 9 से 14 तक की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः 12 से 17 लिखा जाए;

(ङ) वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएः *'18* संथाली'

(च) वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए

93. संविधान *(93*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2006*— बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों और सामाजिक तथा शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए अन्य वर्गों के नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण समस्या है शिक्षा संस्थानों में, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद-15 की धारा (4) के प्रावधानों के तहत् की गई है इस समय सहायता प्राप्त अथवा प्रशासन द्वारा संचालित संस्थानों में विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं, वे गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों की तुलना में सीमित हैं

संविधान के अनुच्छेद-30 की धारा (1) के प्रावधानों के तहत् सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को संस्थानों की स्थापना और उसके संचालन के बारे में जो अधिकार मिले हुए हैं, उनकी रक्षा करना आवश्यक है इसके फलस्वरूप जिन संस्थानों को सरकार ने अनुच्छेद-30 की धारा (1) के तहत् अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है, उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है

सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों, अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को, अनुच्छेद-30 की धारा (1) के तहत् आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद-15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया है अनुच्छेद-15 की नयी धारा (5) के तहत् संसद तथा राज्यों की विधायिकाएं ऊपर

दिए गए उद्देश्य के लिए समुचित कानून बना सकती हैं

94. संविधान *(94*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2006*— संविधान के अनुच्छेद-164 की धारा (1) के प्रावधान में 'बिहार' शब्द के स्थान पर 'झारखंड, छत्तीसगढ़' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा

95. संविधान *(95*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2009*— लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद-334 में संशोधन किया गया

96. संविधान *(26*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2011*— संविधान की आठवीं अनुसूची में 'उडिया' के स्थान पर 'ओडिया' लिखा जाए

97. संविधान *(97*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2011*— अनुच्छेद 19 (i) (ग) में अथवा 'संघों' शब्दों के बाद अथवा 'सहकारी सोसायटी' शब्द जोड़े गए अनुच्छेद-43(ख) यानी सहकारी सोसायटियों के संवर्धन को शामिल किया गया और खंड-18 यानी सहकारी सोसायटी जोड़ा गया

98. संविधान *(98*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2012*— संविधान में अनुच्छेद-371(जे) जोड़ा गया इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए शक्ति प्रदान करना था

99. संविधान *(99*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2014*— नए अनुच्छेद-124क, 124ख, 124ग को संविधान के अनुच्छेद-124 के बाद शामिल किया गया यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन तथा अधिकार को तैयार करता है

100. संविधान *(100*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2015*— संविधान की पहली अनुसूची को 16 मई, 1974 को हस्ताक्षरित भू-सीमा के सीमांकन से समझौते तथा दिनांक 6 सितंबर, 2011 को हस्ताक्षरित उसके मूल पत्र के अनुसरण में हानिकर आधिपत्य को बनाए रखते हुए तथा विदेशी अंतः क्षेत्र की अदला-बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया

101. संविधान *(101*वां संशोधन*)* अधिनियम, *2016*— इस अधिनियम द्वारा "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)" लागू करने के लिए संविधान की धाराएं 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 एवं 368 में संशोधन किया गया है अनुच्छेद 268ए को हटाकर नए अनुच्छेद 269ए (अंतरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर की लेवी तथा संग्रह) तथा 279ए (वस्तु एवं सेवा कर परिषद) जोड़े गए इस अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से राज्यों के राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है

स्रोत *: www.indiacode.nic.in*

परिशिष्ट

भारत सरकार

श्री रामनाथ कोविंद - राष्ट्रपति

श्री एम. वेंकैया नायडू - उपराष्ट्रपति

मंत्रिपरिषद[1]

(31 दिसंबर, 2018 तक)

1.	श्री नरेंद्र मोदी	प्रधान मंत्री; साथ ही निम्न मंत्रालयों का प्रभार है: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी विभाग/अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं

कैबिनेट मंत्री

2.	श्री राजनाथ सिंह	गृह मंत्री
3.	श्रीमती सुषमा स्वराज	विदेश मंत्री
4.	श्री अरुण जेटली	वित्त मंत्री; कॉरपोरेट मामलों के मंत्री
5.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री; पोत परिवहन; जल संसाधन; नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री
6.	श्री सुरेश प्रभु	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और नागर विमानन मंत्री
7.	श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और रसायन और उर्वरक मंत्री
8.	सुश्री उमा भारती	पेयजल और स्वच्छता मंत्री
9.	श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
10.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	महिला एवं बाल विकास मंत्री
11.	श्री रवि शंकर प्रसाद	विधि एवं न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
12.	श्री जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
13.	श्री अनंत गीते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
14.	श्रीमति हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
15.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर	संसदीय कार्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज; और खान मंत्री
16.	श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह	इस्पात मंत्री
17.	श्री जुऐल ओराम	जनजातीय कार्य मंत्री
18.	श्री राधा मोहन सिंह	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
19.	श्री थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
20.	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	वस्त्र मंत्री
21.	डॉ. हर्षवर्धन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पर्यावरण

		वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
22.	श्री प्रकाश जावडेकर	मानव संसाधन विकास मंत्री
23.	श्री धर्मेंद्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री
24.	श्री पीयूष गोयल	रेलवे और कोयला मंत्री
25.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	रक्षा मंत्री
26.	श्री मुख्तार अब्बास नक़वी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)[2]

1.	श्री राव इंद्रजीत सिंह	योजना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री
2.	श्री संतोष कुमार गंगवार	श्रम एवं रोज़गार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
3.	श्री श्रीपद येस्सो नाईक	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4.	डॉ. जितेंद्र सिंह	पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्यमंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री
5.	डॉ. महेश शर्मा	संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री
6.	श्री गिरिराज सिंह	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
7.	श्री मनोज सिन्हा	संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्यमंत्री
8.	कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर	युवा मामले और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
9.	श्री राजकुमार सिंह	विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
10.	श्री हरदीप सिंह पुरी	आवासीय एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
11.	श्री एल्फोंस कन्ननथानम	पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्यमंत्री[3]

1.	श्री विजय गोयल	संसदीय कार्य राज्यमंत्री और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री
2.	श्री राधाकृष्णन पी.	वित्त राज्यमंत्री और पोत परिवहन राज्यमंत्री
3.	श्री एस. एस. अहलूवालिया	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक राज्यमंत्री
4.	श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी	पेयजल और स्वच्छता राज्यमंत्री
5.	श्री रामदास आठवले	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री
6.	श्री विष्णु देव साइ	इस्पात राज्यमंत्री
7.	श्री राम कृपाल यादव	ग्रामीण विकास राज्यमंत्री
8.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	गृह राज्यमंत्री
9.	श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी	खान मंत्रालय में राज्यमंत्री और कोयला राज्यमंत्री
10.	श्री राजेन गोहेन	रेल राज्यमंत्री
11.	जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह	विदेश राज्यमंत्री
12.	श्री परषोत्तम रूपाला	कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री और पंचायती राज मंत्रालय

		में राज्यमंत्री
13.	श्री कृष्ण पाल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री
14.	श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री
15.	श्री शिवप्रताप शुक्ला	वित्त राज्यमंत्री
16.	श्री अश्विनी कुमार चौबे	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
17.	श्री सुदर्शन भगत	जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री
19.	श्री किरेन रिजिजु	गृह राज्यमंत्री
20.	डॉ. वीरेंद्र कुमार	महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री
21.	श्री अनंतकुमार हेगड़े	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्यमंत्री
22.	साध्वी निरंजन ज्योति	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री
23.	श्री जयंत सिन्हा	नागर विमानन राज्यमंत्री
24.	श्री बाबुल सुप्रियो	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्यमंत्री
25.	श्री विजय सांपला	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री
26.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय मामलों के राज्यमंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्यमंत्री
27.	श्री अजय टम्टा	वस्त्र राज्यमंत्री
28.	श्रीमती कृष्णा राज	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
29.	श्री मनसुख एल. मांडविया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री; पोत परिवहन राज्यमंत्री; और रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री
30.	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री
31.	श्री सी. आर. चौधरी	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री
32.	श्री पी. पी. चौधरी	विधि एवं न्याय राज्यमंत्री और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री
33.	डॉ. सुभाष रामराव भामरे	रक्षा राज्यमंत्री
34.	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत	कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री
35.	डॉ. सत्यपाल सिंह	मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्यमंत्री

राज्यसभा[4]

राज्यसभा सदस्य (राज्यवार सूची)

सभापति : श्री एम. वेंकैया नायडू

उपसभापति : श्री हरिवंश

क्र.सं. नाम दल/समूह

राज्य

अरुणाचल प्रदेश (1)

1.	श्री मुकुट मीथि	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

असम (7)

2.	श्री बिस्वजीत दैमारी	बीपीएफ

3.	श्री भुवनेश्वर कालिता	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	डॉ. संजय सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5.	डॉ. मनमोहन सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6.	श्री सन्तियुस कुजूर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	श्रीमति रानी नाराह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8.	श्री रिपुन बोरा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

आंध्र प्रदेश (11)

9.	श्री सी. एम. रमेश	तेलुगू देशम पार्टी
10.	डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
11.	डॉ. के. केशव राव	तेलंगाना राष्ट्र समिति
12.	श्री मोहम्मद अली खान	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
13.	श्री वाई. एस. चौधरी	तेलुगू देशम पार्टी
14.	श्री कनकमेदला रवीन्द्र कुमार	तेलुगू देशम पार्टी
15.	श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी	वाईएसआरसीपी
16.	श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी	तेलुगू देशम पार्टी
17.	श्री सुरेश प्रभु	भारतीय जनता पार्टी
18.	श्री टी. जी. वेंकटेश	तेलुगू देशम पार्टी
19.	श्री वी. विजयसाई रेड्डी	वाईएसआरसीपी

ओडिशा (10)

20.	श्री अच्युतानंद सामंत	बीजू जनता दल
21.	श्री सौम्या आर. पटनायक	बीजू जनता दल
22.	श्री प्रशांत नंदा	बीजू जनता दल
23.	श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम	बीजू जनता दल
24.	श्री रंजिब बिस्वाल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
25.	श्री नरेंद्र कुमार स्वैन	बीजू जनता दल
26.	श्री भास्कर राव नेक्कांति	बीजू जनता दल
27.	श्री प्रसन्न आचार्य	बीजू जनता दल
28.	श्री प्रताप केसरी देब	बीजू जनता दल
29.	श्री अनुभव मोहंती	बीजू जनता दल

उत्तर प्रदेश (31)

30.	डॉ. अनिल अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
31.	डॉ. अनिल जैन	भारतीय जनता पार्टी
32.	डॉ. अशोक बाजपेयी	भारतीय जनता पार्टी
33.	श्रीमती कांता कर्दम	भारतीय जनता पार्टी
34.	श्री जी. वी. एल. नरसिम्हा राव	भारतीय जनता पार्टी

35.	श्री विजयपाल सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी
36.	प्रो. पी. एल. पुनिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
37.	श्री अमर सिंह	निर्दलीय
38.	श्री कपिल सिब्बल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
40.	श्री वीर सिंह	बहुजन समाज पार्टी
41.	श्रीमती जया बच्चन	समाजवादी पार्टी
42.	श्री सतीश चंद्र मिश्रा	बहुजन समाज पार्टी
43.	श्री हरदीप सिंह पुरी	भारतीय जनता पार्टी
44.	श्री सकलदीप राजभर	भारतीय जनता पार्टी
45.	श्री हरनाथ सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
46.	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	समाजवादी पार्टी
47.	डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव	समाजवादी पार्टी
48.	श्री जावेद अली खान	समाजवादी पार्टी
49.	डॉ. तज़ीन फातमा	समाजवादी पार्टी
50.	श्री नीरज शेखर	समाजवादी पार्टी
51.	श्री अरुण जेटली	भारतीय जनता पार्टी
52.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	समाजवादी पार्टी
53.	श्री अशोक सिद्धार्थ	बहुजन समाज पार्टी
54.	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	समाजवादी पार्टी
55.	श्री रेवती रमन सिंह	समाजवादी पार्टी
56.	श्री शिव प्रताप शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
57.	श्री संजय सेठ	समाजवादी पार्टी
58.	चौधरी सुखराम सिंह यादव	समाजवादी पार्टी
59.	श्री सुरेंद्र सिंह नागर	समाजवादी पार्टी

उत्तराखंड (3)

60.	श्री प्रदीप टम्टा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
61.	श्री राज बब्बर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
62.	श्री अनिल बलूनी	भारतीय जनता पार्टी

कर्नाटक (12)

63.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	भारतीय जनता पार्टी
64.	श्री डी. कुपेंद्र रेड्डी	जनता दल (एस)
65.	प्रो. एम.वी. राजीव गौडा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
66.	श्री के.सी. राममूर्ति	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
67.	डॉ. एल. हनुमंतय्या	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
68.	श्री जी. सी. चंद्रशेखर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
69.	श्री राजीव चंद्रशेखर	भारतीय जनता पार्टी

70.	श्री जयराम रमेश	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
71.	डॉ. प्रभाकर कोरे	भारतीय जनता पार्टी
72.	श्री बी.के. हरिप्रसाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
73.	श्री ऑस्कर फर्नांडिस	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
74.	श्री सैयद नासिर हुसैन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

केरल (9)

75.	श्री वायालार रवि	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
76.	श्री ए.के. अन्तोनी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
77.	श्री अब्दुल वहाब	आईयूएमएल
78.	श्री बिनोय विस्वम	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
79.	श्री जोस के. मणि	केरल कांग्रेस (एम)
80.	श्री इलामारम करीम	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
81.	श्री के.के. रागेश	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
82.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	जनता दल यूनाइटेड
83.	श्री के. सोमप्रसाद	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)

गोवा (1)

84.	श्री विनय दीनू तेंदुलकर	भारतीय जनता पार्टी

गुजरात (11)

85.	श्री परशोत्तम रूपाला	भारतीय जनता पार्टी
86.	डॉ. अमी यज्ञिक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
87.	श्री अहमद पटेल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
88.	श्री अमित अनिल चंद्र शाह	भारतीय जनता पार्टी
89.	श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी	भारतीय जनता पार्टी
90.	श्री मनसुख मांडविया	भारतीय जनता पार्टी
91.	श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल	भारतीय जनता पार्टी
92.	श्री महंत शंभुप्रसाद जी. तुंदिया	भारतीय जनता पार्टी
93.	श्री लाल सिंह वड़ोदिया	भारतीय जनता पार्टी
94.	श्री मधुसूदन मिस्त्री	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
95.	श्री नारणभाई जे. राठवा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

छत्तीसगढ़ (5)

96.	श्री मोतीलाल वोरा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
97.	सुश्री सरोज पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
98.	श्री रामविचार नेताम	भारतीय जनता पार्टी

99.	श्रीमती छाया वर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
100.	श्री रणविजय सिंह जूदेव	भारतीय जनता पार्टी

जम्मू-कश्मीर (4)

101.	श्री शमशेर सिंह मन्हास	भारतीय जनता पार्टी
102.	मीर मोहम्मद फ़ैयाज	जम्मू कश्मीर पीडीपी
103.	श्री नज़ीर अहमद लवाय	जम्मू-कश्मीर पीडीपी
104.	श्री गुलाम नबी आज़ाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

झारखंड (6)

105.	श्री प्रेमचंद गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
106.	डॉ. मुख्तार अब्बास नक़वी	भारतीय जनता पार्टी
107.	श्री परिमल नथवानी	निर्दलीय
108.	श्री धीरज प्रसाद साहू	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
109.	श्री समीर उरांव	भारतीय जनता पार्टी
110.	श्री महेश पोद्दार	भारतीय जनता पार्टी

पश्चिम बंगाल (16)

111.	श्री मनीष गुप्ता	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
112.	श्री मोहम्मद नदिमुल हक	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
113.	श्री अभिषेक मनु सिंघवी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
114.	श्री कनवर दीप सिंह	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
115.	श्री देरेक ओब्राईन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
116.	श्री मानस रंजन भूनिया	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
117.	श्री पि. भट्टाचार्य	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
118.	श्री सुखेंदु शेखर राय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
119.	प्रोफेसर जोगेन चौधरी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
120.	श्री शुभाशीष चक्रबर्ती	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
121.	श्री अहमद हसन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
122.	श्री रीताब्रता बनर्जी	निर्दलीय
123.	डॉ. सांतनु सेन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
124.	श्री अबीर रंजन बिस्वास	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
125.	श्रीमती शांता क्षत्री	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
126.	सुश्री दोला सेन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

पंजाब (7)

127.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

128.	श्री श्वेत मलिक	भारतीय जनता पार्टी
129.	श्री शमशेर सिंह दुलो	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
130.	श्री नरेश गुजराल	शिरोमणि अकाली दल
131.	सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर	शिरोमणि अकाली दल
132.	सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा	शिरोमणि अकाली दल
133.	श्रीमती अंबिका सोनी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

पुदुदचेरी (1)

134.	श्री एन. गोकुलकृष्णन	एआईएडीएमके

बिहार (16)

135.	श्री गोपाल नारायण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
136.	श्रीमती मीशा भारती	राष्ट्रीय जनता दल
137.	डा. महेन्द्र प्रसाद	जनता दल यूनाईटेड
138.	श्री आर. के. सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
139.	श्री रामनाथ ठाकुर	जनता दल यूनाईटेड
140.	श्री हरिवंश	जनता दल यूनाइटेड
141.	श्रीमति कहकशां परवीन	जनता दल यूनाइटेड
142.	श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह	जनता दल यूनाइटेड
143.	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
144.	श्री राम जेठमलानी	राष्ट्रीय जनता दल
145.	प्रो. मनोज कुमार झा	राष्ट्रीय जनता दल
146.	श्री रवि शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
147.	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह	जनता दल यूनाइटेड
148.	-	-
149.	डॉ. सी. पी. ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
150.	श्री अहमद अशफाक करीम	राष्ट्रीय जनता दल

महाराष्ट्र (19)

151.	श्री अमर शंकर साबले	भारतीय जनता पार्टी
152.	श्री पी. चिदंबरम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
153.	डॉ. विकास महात्मे	भारतीय जनता पार्टी
154.	डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे	भारतीय जनता पार्टी
155.	श्री नारायण राणे	भारतीय जनता पार्टी
156.	श्री रामदास अठावले	आरपीआई (ए)
157.	श्री संजय दत्तात्रय काकडे	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
158.	श्री माजीद मेमन	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
159.	श्री शरद पवार	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

160.	श्री प्रकाश जावडेकर	भारतीय जनता पार्टी
161.	श्रीमती वंदना चव्हाण	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
162.	श्री अनिल देसाई	शिवसेना
163.	श्री वी. मुरलीधरन	भारतीय जनता पार्टी
164.	श्री पीयूष गोयल	भारतीय जनता पार्टी
165.	श्री हुसैन दलवई	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
166.	श्री राजकुमार धूत	शिवसेना
167.	श्री संजय राउत	शिवसेना
168.	श्री प्रफुल्ल पटेल	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
169.	श्री कुमार केतकर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मध्य प्रदेश (11)

170.	श्री एम.जे. अकबर	भारतीय जनता पार्टी
171.	श्री विवेक के. तन्खा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
172.	श्री प्रभात झा	भारतीय जनता पार्टी
173.	श्री कैलाश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
174.	श्री धर्मेंद्र प्रधान	भारतीय जनता पार्टी
175.	श्री अजय प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
176.	श्रीमति संपतिया उइके	भारतीय जनता पार्टी
177.	श्री थावर चंद गहलोत	भारतीय जनता पार्टी
178.	डॉ. सत्यनारायण जटिया	भारतीय जनता पार्टी
179.	श्री दिग्विजय सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
180.	श्री राजमणि पटेल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मणिपुर (1)

181.	श्री के. भावानंद सिंह	भारतीय जनता पार्टी

मेघालय (1)

182.	श्रीमती वानसुक साइम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मिज़ोरम (1)

183.	श्री रोनाल्ड सपा लाउ	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

तमिलनाडु (18)

184.	श्री आर. वैद्यलिंगम	एआईएडीएमके
185.	श्री ए. विजयकुमार	एआईएडीएमके

186.	श्री एस.आर. बालासुब्रमण्यन	एआइएडीएमके
187.	श्री टी.के.एस. एलंगोवन	डीएमके
188.	श्री आर.एस. भारती	डीएमके
189.	श्री ए. नवनीतकृष्णन	एआईएडीएमके
190.	श्री टी.के. रंगराजन	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
191.	श्रीमती कानीमोझी	डीएमके
192.	श्री डी. राजा	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
193.	डॉ. वी. मैत्रेयन	एआईएडीएमके
194.	श्री तिरुची शिवा	डीएमके
195.	श्री के.आर. अर्जुनन	एआईएडीएमके
195.	डॉ. आर. लक्ष्मणन	एआईएडीएमके
197.	श्री टी. रतिनावेल	एआईएडीएमके
198.	श्री ए.के. सेल्वाराज	एआईएडीएमके
199.	डा. शशिकला पुष्पा रामास्वानमी	एआईएडीएमके
200.	श्रीमती विजिला सत्यानंत	एआईएडीएमके
201.	श्री एस. मुत्तुकरुप्पन	एआईएडीएमके

तेलंगाना (7)

202.	श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार	टीआरएस
203.	श्री बी. लिंग्याह यादव	टीआरएस
204.	डॉ. के.वी.पी. रामचंद्र राव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
205.	श्री गरिकपति मोहन राव	तेलुगू देशम पार्टी
206.	श्री वी. लक्ष्मीकांत राव	टीआरएस
207.	श्री धर्मपुरी श्रीनिवास	टीआरएस
208.	डॉ. बांडा प्रकाश	टीआरएस

त्रिपुरा (1)

209.	श्रीमती झरना दास बैद्य	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा)

नगालैंड (1)

210.	श्री के.जी. केन्ये	नगालैंड पीपुल्स फ्रंट

राजस्थान (10)

211.	श्री रामकुमार वर्मा	भारती जनता पार्टी
212.	श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर	भारती जनता पार्टी
213.	श्री विजय गोयल	भारती जनता पार्टी

214.	श्री राम नारायण डूडी	भारती जनता पार्टी
215.	श्री नारायण लाल पंचारिया	भारती जनता पार्टी
216.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	भारती जनता पार्टी
217.	श्री ओम प्रकाश माथुर	भारती जनता पार्टी
218.	श्री मदनलाल सैनी	भारती जनता पार्टी
219.	श्री भूपेंद्र यादव	भारती जनता पार्टी
220.	श्री के.जे. एल्फोंस	भारती जनता पार्टी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (3)

221.	श्री संजय सिंह	आम आदमी पार्टी
222.	श्री नारायण दास गुप्ता	आम आदमी पार्टी
223.	श्री सुशील कुमार गुप्ता	आम आदमी पार्टी

सिक्किम (1)

224.	श्री हिशे लाचुंगपा	एसडीएफ

हिमाचल प्रदेश (3)

225.	श्रीमती विप्लव ठाकुर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
226.	श्री आनंद शर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
227.	श्री जगत प्रकाश नड्डा	भारतीय जनता पार्टी

हरियाणा (5)

228.	कुमारी शैलजा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
229.	श्री राम कुमार कश्यप	इंडियन नेशनत लोकदल
230.	चौधरी बीरेंद्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
231.	डॉ. डी.पी. वत्स	भारतीय जनता पार्टी
232.	डॉ. सुभाष चंद्र	निर्दलीय (आई एन डी)

नामांकित (12)

233.	डॉ. सोनल मानसिंह	भारतीय जनता पार्टी
234.	श्री के.टी.एस. तुलसी	नामांकित
235.	डॉ. नरेंद्र जाधव	नामांकित
236.	श्री स्वपन दासगुप्ता	नामांकित
237.	डॉ. रघुनाथ महापात्र	भारतीय जनता पार्टी
238.	श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम	नामांकित
239.	श्री संभाजी छत्रपती	भारतीय जनता पार्टी

240.	श्री राम शकल	भारतीय जनता पार्टी
241.	श्री राकेश सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
242.	श्री गोपी सुरेश	भारतीय जनता पार्टी
243.	डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी	भारतीय जनता पार्टी
244.	श्रीमती रूपा गांगुली	भारतीय जनता पार्टी

सदस्य : लोकसभा[5]
स्पीकर : श्रीमती सुमित्रा महाजन
डिप्टी स्पीकर : डॉ. एम. थंबी दुरई

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल
अरुणाचल प्रदेश (2)			
1.	अरुणाचल पूर्व	श्री निनोंग इरिंग	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	अरुणाचल पश्चिम	श्री किरन रिजीजु	भारतीय जनता पार्टी
असम (14)			
3.	स्वशासी जिला(अ.जा.)	श्री बिरेनसिंह इंगती	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अ.ज.जा.)
4.	बारपेटा	श्री सिराजुद्दीन अजमल	एआईयूडीएफ
5.	धुबरी	श्री बदरुद्दीन अजमल	एआईयूडीएफ
6.	डिब्रुगढ़	श्री रामेश्वर तेली	भारतीय जनता पार्टी
7.	गौहाटी	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	भारतीय जनता पार्टी
8.	जोरहाट	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	भारतीय जनता पार्टी
9.	कलियाबोर	श्री गौरव गोगोई	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
10.	करीमगंज(अ.जा.)	श्री राधेश्याम बिश्वास	एआईयूडीएफ
11.	कोकराझार(अ.ज.जा.)	श्री नबा (हीरा) कुमार सरनीया	निर्दलीय
12.	मंगलदोई	श्री रमेन डेका	भारतीय जनता पार्टी
13.	नौगोंग	श्री राजेन गोहेन	भारतीय जनता पार्टी
14.	सिल्चर	कुमारी सुष्मिता देव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
15.	तेजपुर	श्री राम प्रसाद शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16.	लखीमपुर	श्री प्रदान बरुआ	भारतीय जनता पार्टी
आंध्र प्रदेश (25)			
17.	अमलापुरम(अ.जा.)	डॉ. रविन्द्र बाबू पांडुला	तेलुगू देशम पार्टी
18.	अनकापल्ली	श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)	तेलुगू देशम पार्टी
19.	अनंतपुर	श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी	तेलुगू देशम पार्टी
20.	अराकु(अ.ज.जा.)	श्रीमती गीता कोथापल्ली	वाईएसआर कांग्रेस पार्टी
21.	बापतला(अ.जा.)	श्री श्रीराम मलयाद्रि	तेलुगू देशम पार्टी
22.	चित्तूर(अ.जा.)	डॉ. नारामल्ली शिवप्रसाद	तेलुगू देशम पार्टी
23.	इलूरू	श्री वेंकटेश्वर राव (बाबू) मगंती	तेलुगू देशम पार्टी
24.	गुंटूर	श्री जैदेव गल्ला	तेलुगू देशम पार्टी
25.	हिंदुपुर	श्री क्रिष्टप्पा निम्मला	तेलुगू देशम पार्टी

26.	काकीनाडा	श्री नरसिम्हम थोटा	तेलुगू देशम पार्टी
27.	कुरनूल	श्रीमती रेणुका बुत्ता	वाईएसआर कांग्रेस पार्टी
28.	मछलीपट्टनम	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	तेलुगू देशम पार्टी
29.	नांदयाल	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	वाईएसआर कांग्रेस पार्टी
30.	नरसाराओपेट	श्री रायापति सम्बासिवा राव	तेलुगू देशम पार्टी
31.	नरसापुरम	श्री गोकाराजू गंगा राजू	भारतीय जनता पार्टी
32.	राजामुंदरी	श्री मुरली मोहन मगंती	तेलुगू देशम पार्टी
33.	श्रीकाकुलम	श्री किन्जरापु राम मोहन	तेलुगू देशम पार्टी
34.	विजयवाड़ा	श्री श्रीनिवास केसिनेनी	तेलुगू देशम पार्टी
35.	विशाखापट्टनम	डॉ. हरि बाबू कंभमपति	भारतीय जनता पार्टी
36.	विजियानगरम	श्री अशोक गजपति राजू	तेलुगू देशम पार्टी
37.	कडपा	—	—
38.	नेल्लौर	—	—
39.	ओंगोले	—	—
40.	राजमपेट	—	—
41.	तिरुपति(अ.जा.)	—	—

ओडिशा (21)

43.	बालासोर	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	बीजू जनता दल
44.	बारगढ़	डॉ. प्रभास कुमार सिंह	बीजू जनता दल
45.	बरहामपुर	श्री सिद्धांत महापात्र	बीजू जनता दल
46.	भद्रक(अ.जा.)	श्री अर्जुन चरण सेठी	बीजू जनता दल
47.	भुवनेश्वर	श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी	बीजू जनता दल
48.	बोलनगीर	श्री कलिकेश नारायण सिंह देव	बीजू जनता दल
49.	कटक	श्री भर्तृहरि महताब	बीजू जनता दल
50.	ढेंकानाल	श्री तथागत सत्पथी	बीजू जनता दल
51.	जगतसिंहपुर(अ.जा.)	डॉ. कुलमणि सामल	बीजू जनता दल
52.	जाजपुर (अ.जा.)	श्रीमती रीता तराई	बीजू जनता दल
53.	कालाहांडी	श्री अर्का केशरी देव	बीजू जनता दल
54.	कंधमाल	श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह	बीजू जनता दल
55.	क्योंझर(अ.ज.जा.)	श्रीमती सकुंतला लागुरी	बीजू जनता दल
56.	कोरापुट(अ.ज.जा.)	श्री झीना हीकाका	बीजू जनता दल
57.	मयूरभंज(अ.ज.जा.)	श्री रामचन्द्र हाँसदा	बीजू जनता दल
58.	नबरंगपुर(अ.ज.जा.)	श्री बलभद्र माझी	बीजू जनता दल
59.	पुरी	श्री पिनाकी मिश्रा	बीजू जनता दल
60.	संबलपुर	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	बीजू जनता दल
61.	सुंदरगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री जुएल ओराम	भारतीय जनता पार्टी
62.	केंद्रपाड़ा	—	—

उत्तर प्रदेश (80)

63.	आगरा	प्रो. रामशंकर	भारतीय जनता पार्टी
64.	अकबरपुर	श्री देवेन्द्र (उर्फ) भोले सिंह	भारतीय जनता पार्टी
65.	अलीगढ़	श्री सतीश कुमार गौतम	भारतीय जनता पार्टी
66.	इलाहाबाद	श्री श्यामा चरण गुप्त	भारतीय जनता पार्टी
67.	अंबेडकर नगर	श्री हरिओम पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
68.	अमेठी	श्री राहुल गांधी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
69.	अमरोहा	श्री कंवर सिंह तंवर	भारतीय जनता पार्टी
70.	आंवला	श्री धर्मेंद्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी
71.	आज़मगढ़	श्री मुलायम सिंह यादव	समाजवादी पार्टी
72.	बदायूं	श्री धर्मेंद्र यादव	समाजवादी पार्टी
73.	बागपत	डॉ. सत्यपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
74.	बहराइच(अ.जा.)	साध्वी सावित्री बाई फूले	भारतीय जनता पार्टी
75.	बलिया	श्री भरत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76.	बांदा	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
77.	बांसगांव(अ.जा.)	श्री कमलेश पासवान	भारतीय जनता पार्टी
78.	बाराबंकी (अ.जा.)	श्रीमती प्रियंका सिंह रावत	भारतीय जनता पार्टी
79.	बरेली	श्री संतोष कुमार गंगवार	भारतीय जनता पार्टी
80.	बस्ती	श्री हरीश द्विवेदी	भारतीय जनता पार्टी
81.	भदोही	श्री वीरेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
82.	बिजनौर	कुंवर भारतेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
83.	बुलंदशहर	श्री भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
84.	चंदौली	डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
85.	देवरिया	श्री कलराज मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
36.	धौरहरा	श्रीमती रेखा अरुण वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
87.	डुमरियागंज	श्री जगदम्बिका पाल	भारतीय जनता पार्टी
88.	एटा	श्री राजवीर (राजू भैय्या) सिंह	भारतीय जनता पार्टी
89.	इटावा(अ.जा.)	श्री अशोक कुमार दोहरे	भारतीय जनता पार्टी
90.	फैजाबाद	श्री लल्लू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
93.	फरूखाबाद	श्री मुकेश राजपूत	भारतीय जनता पार्टी
92.	फतेहपुर	साध्वी निरंजन ज्योति	भारतीय जनता पार्टी
93.	फतेहपुर सीकरी	श्री बाबुलाल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
94.	फिरोजाबाद	श्री अक्षय यादव	समाजवादी पार्टी
95.	गौतमबुद्ध नगर	श्री महेश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
96.	गाज़ियाबाद	जन. (सेवानिवृत्त)विजय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
97.	गाजीपुर	श्री मनोज कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
98.	घोसी	श्री हरिनरायन राजभर	भारतीय जनता पार्टी
99.	गोंडा	श्री कीर्तिवर्धन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
100.	हमीरपुर	कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल	भारतीय जनता पार्टी

101.	हरदोई(अ.जा.)	श्री अंशुल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
102.	हाथरस(अ.जा.)	श्री राजेश कुमार दिवाकर	भारतीय जनता पार्टी
103.	जालौन(अ.जा.)	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
104.	जौनपुर	डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
105.	झांसी	सुश्री उमा भारती	भारतीय जनता पार्टी
106.	कैराना	बेगम तबस्सुम हसन	आरएलडी
107.	कैसरगंज	श्री बृजभूषण शरण सिंह	भारतीय जनता पार्टी
108.	कन्नौज	श्रीमती डिम्पल यादव	समाजवादी पार्टी
109.	कानपुर	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	भारतीय जनता पार्टी
110.	कौशांबी(अ.जा.)	श्री विनोद कुमार सोनकर	भारतीय जनता पार्टी
111.	खीरी	श्री अजय (टेनी) मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
112.	कुशीनगर	श्री राजेश पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
113.	लालगंज(अ.जा.)	श्रीमती नीलम सोनकर	भारतीय जनता पार्टी
114.	लखनऊ	श्री राजनाथ सिंह	भारतीय जनता पार्टी
115.	मछलीशहर	श्री राम चरित्र निषाद	भारतीय जनता पार्टी
116.	महाराजगंज	श्री पंकज चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
117.	मैनपुरी	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	समाजवादी पार्टी
118.	मथुरा	श्रीमती हेमा मालिनी	भारतीय जनता पार्टी
119.	मेरठ	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
120.	मिर्जापुर	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	अपना दल
121.	मिस्रेख(अ.जा.)	श्रीमती अंजू बाला	भारतीय जनता पार्टी
122.	मोहनलालगंज(अ.जा.)	श्री कौशल किशोर	भारतीय जनता पार्टी
123.	मुरादाबाद	श्री कुँवर सर्वेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
124.	मुजफ्फरनगर	डॉ. संजीव कुमार बालियान	भारतीय जनता पार्टी
125.	नगीना(अ.जा.)	डॉ. यशवंत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
126.	पीलीभीत	श्रीमती मेनका संजय गांधी	भारतीय जनता पार्टी
127.	प्रतापगढ़	श्री कुंवर हरिवंश सिंह	अपना दल
128.	रायबरेली	श्रीमती सोनिया गांधी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
129.	रामपुर	डॉ. नैपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
130.	रॉबर्ट्सगंज(अ.जा.)	श्री छोटेलाल	भारतीय जनता पार्टी
131.	सहारनपुर	श्री राघव लखनपाल	भारतीय जनता पार्टी
132.	सलेमपुर	श्री रविंदर कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
133.	संभल	श्री सत्यपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
134.	संत कबीर नगर	श्री शरद त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
135.	शाहजहाँपुर(अ.जा.)	श्रीमती कृष्णा राज	भारतीय जनता पार्टी
136.	श्रावस्ती	श्री दद्दन मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
137.	सीतापुर	श्री राजेश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
133.	सुल्तानपुर	श्री वरुण फीरोज़ गांधी	भारतीय जनता पार्टी
139.	उन्नाव	डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज	भारतीय जनता पार्टी

140.	वाराणसी	श्री नरेन्द्र मोदी	भारतीय जनता पार्टी
141.	गोरखपुर	श्री प्रवीन कुमार निषाद	समाजवादी पार्टी
142.	फूलपुर	नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल	समाजवादी पार्टी

उत्तराखंड (5)

143.	अल्मोड़ा(अ.जा.)	श्री अजय टम्टा	भारतीय जनता पार्टी
144.	गढ़वाल	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त)	भारतीय जनता पार्टी
145.	हरिद्वार	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	भारतीय जनता पार्टी
146.	नैनीताल-ऊधमसिंह नगर	श्री भगत सिंह कोश्यारी	भारतीय जनता पार्टी
147.	टिहरी गढ़वाल	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	भारतीय जनता पार्टी

कर्नाटक (28)

148.	बागलकोट	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	भारतीय जनता पार्टी
149.	बंगलुरु सेंट्रल	श्री पी.सी. मोहन	भारतीय जनता पार्टी
150.	बंगलुरु उत्तर	श्री डी.वी.सदानंद गौड़ा	भारतीय जनता पार्टी
151.	बंगलुरु ग्रामीण	श्री डी.के. सुरेश	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
153.	बेलगाम	श्री सुरेश चनबसप्पा अंगड़ी	भारतीय जनता पार्टी
154.	बेल्लारी	श्री वी.एस. उगरप्पा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
155.	बीदर	श्री भगवंत खुबा	भारतीय जनता पार्टी
156.	बीजापुर(अ.जा.)	श्री रमेश जिगाजिनागि	भारतीय जनता पार्टी
157.	चामराजनगर	श्री आर. ध्रुवनारायण	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
158.	चिकबलपुर	श्री एम. वीरप्पा मोइली	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
159.	चिक्कोडी	श्री प्रकाश हुक्केरी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
160.	चित्रदुर्ग(अ.जा.)	श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
161.	दक्षिण कन्नड़	श्री नलिन कुमार कटील	भारतीय जनता पार्टी
162.	दावनगेरे	श्री गौडर मल्लिकार्जुनप्पा सिद्देश्वर	भारतीय जनता पार्टी
163.	धारवाड़	श्री प्रहलाद जोशी	भारतीय जनता पार्टी
164.	गुलबर्गा(अ.जा.)	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
165.	हसन	श्री एच. डी. देवगौडा	जनता दल
166.	हावेरी	श्री शिवकुमार सी. उदासी	भारतीय जनता पार्टी
167.	कोलार	श्री के.एच. मुनियप्पा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
168.	कोप्पल	श्री सनगन्ना अमरप्पा करादी	भारतीय जनता पार्टी
169.	मांडया	श्री एल. आर.शिवराम गौड़ा	जनता दल
170.	मैसूर	श्री प्रताप सिम्हा	भारतीय जनता पार्टी
171.	रायचूर	श्री बी.वी . नाईक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
172.	शिमोगा	श्री राघवेन्द्र येद्द्यूप्पा	भारतीय जनता पार्टी

173.	तुमकुर	श्री एस.पी. मुदाहनुमेगौड़ा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
174.	उदुपी चिकमंगलूर	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	भारतीय जनता पार्टी
175.	उत्तर कन्नड़	श्री अनंत कुमार हेगड़े	भारतीय जनता पार्टी

केरल (20)

176.	अलप्पुझा	श्री के.सी. वेणुगोपाल	भारतीय जनता पार्टी
177.	अलथूर	श्री परयमपरम्बिल कुट्टप्पन बीजू	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
178.	अट्टिंगल	श्री अनिरुद्धन संपत	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
179.	चालाकुडी	श्री इन्नोसेंट	निर्दलीय
180.	एर्नाकुलम	प्रो. के.वी. थॉमस	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
181.	इडुक्की	श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज	निर्दलीय
182.	कन्नूर	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
183.	कासरगोड	श्री पी. करुणाकरन	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
184.	कोल्लम	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	आर.एस.पी.
185.	कोट्टायम	-	-
186.	कोझीकोड	श्री एम. के. राघवन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
187.	मलप्पुरम	श्री कुन्हालीकुट्टी पी.के.	आई.यू.एम.एल
188.	मावेलीक्करा	श्री सुरेश कोडिकुन्नील	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
189.	पलक्काड	श्री एम. बी. राजेश	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)
190.	पथनमथीट्टा	श्री एंटो एंटोनी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
191.	पोन्नानी	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	आई.यू.एम.एल
192.	तिरुवनंतपुरम	डॉ. शशि थरूर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
193.	त्रिस्सूर	श्री सी.एन. जयदेवन	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
194.	वडकरा	श्री रामचंद्रन मुल्लापल्ली	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

गोवा (2)

196.	उत्तर गोवा	श्री श्रीपद येसो नाईक	भारतीय जनता पार्टी
197.	दक्षिण गोवा	एडवोकेट श्री नरेंद्र केशव सवईकार	भारतीय जनता पार्टी

गुजरात (26)

198.	अहमदाबाद पूर्व	श्री परेश रावल	भारतीय जनता पार्टी
199.	अहमदाबाद पश्चिम	डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
200.	अमरेली	श्री नारणभाई काछड़िया	भारतीय जनता पार्टी
201.	आनन्द	श्री दिलीप पटेल	भारतीय जनता पार्टी
202.	बनासकांठा	श्री हरिभाई चौधरी	भारतीय जनता पार्टी

203.	बारडोली	श्री प्रभुभाइ नागरभाइ वसवा	भारतीय जनता पार्टी
204.	भरूच	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसवा	भारतीय जनता पार्टी
205.	भावनगर	डॉ. भारती धीरूभाई शियाल	भारतीय जनता पार्टी
206.	छोटा उदयपुर	श्री रामसिंह राठवा	भारतीय जनता पार्टी
207.	दाहोद	श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर	भारतीय जनता पार्टी
208.	गांधीनगर	श्री लालकृष्ण आडवाणी	भारतीय जनता पार्टी
209.	जामनगर	श्रीमती पूनमबेन माडम	भारतीय जनता पार्टी
210.	जूनागढ़	श्री राजेशभाई चुड़ासमा	भारतीय जनता पार्टी
211.	कच्छ(अ.जा.)	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	भारतीय जनता पार्टी
212.	खेडा	श्री देवुसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
213.	मेहसाणा	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
214.	नवसारी	श्री सी.आर. पाटील	भारतीय जनता पार्टी
215.	पंचमहल	श्री प्रभातसिंह प्रतापसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
216.	पाटन	श्री लीलाधरभाई खोडाजी वाघेला	भारतीय जनता पार्टी
217.	पोरबंदर	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रदाडिया	भारतीय जनता पार्टी
218.	राजकोट	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	भारतीय जनता पार्टी
219.	साबरकंठा	श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
220.	सूरत	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	भारतीय जनता पार्टी
221.	सुरेन्द्रनगर	श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा	भारतीय जनता पार्टी
222.	वडोदरा	श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट	भारतीय जनता पार्टी
223.	वलसाड(अ.ज.जा.)	डॉ. के.सी.पटेल	भारतीय जनता पार्टी

चंडीगढ़ (1)

224.	चंडीगढ़	श्रीमती किरण खेर	भारतीय जनता पार्टी

छत्तीसगढ़ (11)

225.	बस्तर(अ.ज.जा.)	श्री दिनेश कश्यप	भारतीय जनता पार्टी
226.	बिलासपुर	श्री लखन लाल साहू	भारतीय जनता पार्टी
228.	जांजगीर-चंपा(अ.जा.)	श्रीमती कमला पाटले	भारतीय जनता पार्टी
229.	कांकेर (अ.ज.जा.)	श्री विक्रम उसेंदी	भारतीय जनता पार्टी
230.	कोरबा	डॉ. बंशीलाल महतो	भारतीय जनता पार्टी
231.	महासमुंद	श्री चंदुलाल साहू	भारतीय जनता पार्टी
232.	रायगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री विष्णुदेव साय	भारतीय जनता पार्टी
233.	रायपुर	श्री रमेश बैस	भारतीय जनता पार्टी
234.	राजनन्दगांव	श्री अभिषेक सिंह	भारतीय जनता पार्टी
235.	सरगुजा(अ.ज.जा.)	श्री कमल भान सिंह मराबी	भारतीय जनता पार्टी

जम्मू-कश्मीर (6)

236.	बारामुल्ला	श्री मुजफ्फर हुसैन बेग	जम्मू-कश्मीर पीडीपी
237.	जम्मू	श्री जुगल किशोर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
239.	श्रीनगर	डॉ. फारुख अब्दुल्ला	जम्मू-कश्मीर एनसी
240.	उधमपुर	डॉ. जितेंद्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी

झारखंड (14)

242.	चतरा	श्री सुनील कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
243.	धनबाद	श्री पशुपति नाथ सिंह	भारतीय जनता पार्टी
244.	दुमका(अ.ज.जा.)	श्री शिबु सोरेन	झारखंड मुक्ति मोर्चा
245.	गिरिडीह	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
246.	गोड्डा	श्री निशिकांत दुबे	भारतीय जनता पार्टी
247.	हज़ारीबाग	श्री जयंत सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
243.	जमशेदपुर	श्री विद्युयत वरन महतो	भारतीय जनता पार्टी
249.	खूँटी(अ.ज.जा.)	श्री कड़िया मुंडा	भारतीय जनता पार्टी
250.	कोडरमा	डॉ. रवीन्द्र कुमार राय	भारतीय जनता पार्टी
251.	लोहरदगा(अ.ज.जा.)	श्री सुदर्शन भगत	भारतीय जनता पार्टी
252.	पलामू(अ.जा.)	श्री विष्णु दयाल राम	भारतीय जनता पार्टी
253.	राजमहल(अ.ज.जा.)	श्री विजय कुमार हांसदाक	झारखंड मुक्ति मोर्चा
254.	राँची	श्री रामटहल चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
255.	सिंहभूम(अ.ज.जा.)	श्री लक्ष्मण गिलुवा	भारतीय जनता पार्टी

पश्चिम बंगाल (42)

256.	अलीपुरद्वार(अ.ज.जा.)	श्री दशरथ तिर्की	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
257.	आरामबाग(अ.जा.)	श्रीमती अपरूपा पोद्दार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
258.	आसनसोल	श्री बाबुल सुप्रियो	भारतीय जनता पार्टी
259.	बहरामपुर	श्री अधीर रंजन चौधरी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
260.	बलूरघाट	कुमारी अर्पिता घोष	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
261.	बनगांव(अ.जा.)	श्रीमती ममता ठाकुर	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
262.	बांकुरा	श्रीमती देव वर्मा	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
263.	बारासात	डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
264.	बर्धमान-पूर्व(अ.जा.)	श्री सुनील कुमार मंडल	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
265.	बर्धमान-दुर्गापुर	प्रो. डॉ. ममताज संघमिता	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
266.	बैरकपुर	श्री दिनेश त्रिवेदी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
267.	बसीरहाट	श्री इदरिस अली	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
268.	बीरभूम	श्रीमती शताब्दी राय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
269.	विष्णुपुर(अ.जा.)	श्री सौमित्र खान	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

270.	बोलपुर(अ.जा.)	डॉ. अनुपम हाजरा	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
271.	कूचबिहार	श्री प्रार्थ प्रतिम राय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
272.	दार्जिलिंग	श्री एस.एस. अहलुवालिया	भारतीय जनता पार्टी
273.	डायमंड हार्बर	श्री अभिषेक बनर्जी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
274.	दमदम	प्रो. सौगत राय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
275.	घाटल	श्री दीपक (देव) अधिकारी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
276.	हुगली	डॉ. (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
277.	हावड़ा	श्री प्रसून बनर्जी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
278.	जादवपुर	प्रो. (डॉ.) सुगात बोस	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
279.	जलपाईगुड़ी(अ.जा.)	श्री बिजय चन्द्र बर्मन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
280.	जंगीपुर	श्री अभिजित मुखर्जी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
281.	जयनगर(अ.जा.)	श्रीमती प्रतिमा मंडल	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
282.	झाड़ग्राम(अ.ज.जा.)	डॉ. उमा सरेन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
283.	कांथी	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
284.	कोलकाता दक्षिण	श्री सुब्रत बक्शी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
285.	कोलकाता उत्तर	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
286.	कृष्णनगर	श्री तापस पाल	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
287.	माल्दहा दक्षिण	श्री अबूहशीम खान चौधरी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
288.	माल्दहा उत्तर	श्रीमती मौसम नूर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
289.	मथुरापुर(अ.जा.)	श्री चौधरी मोहन जटुआ	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
290.	मेदिनीपुर	श्रीमती संध्या राय	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
291.	मुर्शिदाबाद	मोहम्मद बदरुद्दुदज़ा खान	भा.क.पा.(मा.)
292.	पुरुलिया	डॉ. मृगांका महतो	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
293.	रायगंज	श्री मोहम्मद सलीम	भा.क.पा.(मा.)
294.	राणाघाट(अ.जा.)	डॉ. तापस मंडल	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
295.	श्री रामपुर	श्री कल्याण बनर्जी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
296.	तामलुक	श्री दिव्येंदु अधिकारी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
297.	उलूबेरिया	श्रीमती सज़दा अहमद	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

पंजाब (13)

298.	अमृतसर	श्री गुरजीत सिंह औजला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
299.	आनंदपुर साहिब	श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा	शिरोमणि अकाली दल
300.	भटिंडा	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	शिरोमणि अकाली दल
301.	फरीदकोट(अ.जा.)	प्रो. साधू सिंह	आम आदमी पार्टी
302.	फतेहगढ़ साहिब(अ.जा.)	श्री हरिंदर सिंह खालसा	आम आदमी पार्टी
303.	फिरोजपुर	श्री शेर सिंह गुबाया	शिरोमणि अकाली दल
304.	गुरदासपुर	श्री सुनील कुमार जाखड़	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
305.	होशियारपुर(अ.जा.)	श्री विजय सांपला	भारतीय जनता पार्टी
306.	जालंधर	श्री संतोख सिंह चौधरी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

307.	खडूर साहिब	श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा	शिरोमणि अकाली दल
308.	लुधियाना	श्री रवनीत सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
309.	पटियाला	डॉ. धर्मवीर गांधी	आम आदमी पार्टी
310.	संगरूर	श्री भगवंत मान	आम आदमी पार्टी

पुदुदचेरी (1)

311.	पुदुदचेरी	श्री आर. राधाकृष्णन	एआईएनआरसी

बिहार (40)

312.	आरा	श्री राजकुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
313.	औरंगाबाद	श्री सुशील कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
314.	बांका	श्री जयप्रकाश नारायन यादव	राष्ट्रीय जनता दल
315.	बेगूसराय	-	-
316.	भागलपुर	श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल)	राष्ट्रीय जनता दल
317.	बक्सर	श्री अश्विनी कुमार चौबे	भारतीय जनता पार्टी
318.	दरभंगा	श्री कीर्ति आजाद	भारतीय जनता पार्टी
319.	गया(अ.जा.)	श्री हरि माझी	भारतीय जनता पार्टी
320.	गोपालगंज(अ.जा.)	श्री जनक राम	भारतीय जनता पार्टी
321.	हाजीपुर(अ.जा.)	श्री रामविलास पासवान	लोक जनशक्ति पार्टी
322.	जहानाबाद	डॉ. अरुण कुमार	आरएलएसपी
323.	जमुई(अ.जा.)	श्री चिराग पासवान	लोक जनशक्ति पार्टी
324.	झंझारपुर	श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
325.	काराकाट	श्री उपेन्द्र कुशवाहा	आरएलएसपी
326.	कटिहार	श्री तारिक अनवर	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
327.	खगड़िया	चौधरी महबूब अली कैसर	लोक जनशक्ति पार्टी
329.	मधेपुरा	श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)	राष्ट्रीय जनता दल
330.	मधुबनी	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी
331.	महाराजगंज	श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल	भारतीय जनता पार्टी
332.	मुंगेर	श्रीमती वीणा देवी	लोक जनशक्ति पार्टी
333.	मुजफ्फरपुर	श्री अजय निषाद	भारतीय जनता पार्टी
334.	नालंदा	श्री कौशलेंद्र कुमार	जनता दल यूनाइटेड
335.	नवादा	श्री गिरिराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
336.	पश्चिम चंपारण	डॉ. संजय जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
337.	पाटलिपुत्र	श्री राम कृपाल यादव	भारतीय जनता पार्टी
338.	पटना साहिब	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
339.	पूर्णिया	श्री संतोष कुमार	जनता दल यूनाइटेड
340.	पूर्वी चंपारण	श्री राधा मोहन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
341.	समस्तीपुर(अ.जा.)	श्री रामचन्द्र पासवान	लोक जनशक्ति पार्टी

342.	सारण	श्री राजीव प्रताप रूडी	भारतीय जनता पार्टी
343.	सासाराम(अ.जा.)	श्री छेदी पासवान	भारतीय जनता पार्टी
344.	शिवहर	श्रीमती रमा देवी	भारतीय जनता पार्टी
345.	सीतामढ़ी	श्री कुशवाहा राम कुमार शर्मा	आरएलएसपी
346.	सीवान	श्री ओम प्रकाश यादव	भारतीय जनता पार्टी
347.	सुपौल	श्रीमती रंजीत रंजन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
343.	उजियारपुर	श्री नित्यानन्द राय	भारतीय जनता पार्टी
349.	वैशाली	श्री रामाकिशोर सिंह	लोक जनशक्ति पार्टी
350.	वाल्मीकि नगर	श्री सतीश चंद्र दूबे	भारतीय जनता पार्टी
351.	अररिया	श्री सरफराज आलम	भारतीय जनता दल

महाराष्ट्र (48)

352.	अहमदनगर	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	भारतीय जनता पार्टी
353.	अकोला	श्री संजय धोत्रे	भारतीय जनता पार्टी
354.	अमरावती	श्री आनंदराव अडसुल	शिवसेना
355.	औरंगाबाद	श्री चन्द्रकांत भाऊराव खैरे	शिवसेना
356.	बारामती	श्रीमती सुप्रिया सुले	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
357.	बीड	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	भारतीय जनता पार्टी
358.	भंडारा-गोंदिया	श्री मधुकर राव यशवंत राव कुकडे	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
359.	भिवंडी	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	भारतीय जनता पार्टी
360.	बुलढाना	श्री प्रतापराव जाधव	शिवसेना
361.	चन्द्रपुर	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	भारतीय जनता पार्टी
362.	धुले	डॉ. सुभाष रामराव भामरे	भारतीय जनता पार्टी
363.	दिन्डोरी(अ.ज.जा.)	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	भारतीय जनता पार्टी
364.	गढ़चिरोली- चिमुर(अ.ज.जा.)	श्री अशोक महादेवराव नेते	भारतीय जनता पार्टी
365.	हातकणंगले	श्री राजू शेट्टी	एस.डब्ल्यू.पी.
366.	हिंगोली	श्री राजीव शंकरराव सातव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
367.	जलगांव	श्री ए.टी. नाना पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
368.	जालना	श्री रावसाहेब पाटील दानवे	भारतीय जनता पार्टी
369.	कल्याण	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	शिवसेना
370.	कोल्हापुर	श्री धनंजय भीमराव महाडीक	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
371.	लातूर(अ.जा.)	डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़	भारतीय जनता पार्टी
372.	माधा	श्री विजय सिंह मोहिते पाटील	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
373.	मावल	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	शिवसेना
374.	मुंबई दक्षिण-मध्य	श्री राहुल रमेश शेवाले	शिवसेना
375.	मुंबई-उत्तर	श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी	भारतीय जनता पार्टी

376.	मुंबइ उत्तर-मध्य	श्रीमती पूनम महाजन	भारतीय जनता पार्टी
377.	मुंबई उत्तर-पूर्व	डॉ. किरीट सोमैया	भारतीय जनता पार्टी
378.	मुंबई उत्तर-पश्चिम	श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर	शिवसेना
379.	मुंबई-दक्षिण	श्री अरविंद गणपत सावंत	शिवसेना
380.	नागपुर	श्री नितिन गडकरी	भारतीय जनता पार्टी
381.	नांदेड	श्री अशोक शंकर राव चव्हाण	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
382.	नंदुरबार(अ.ज.जा.)	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	भारतीय जनता पार्टी
383.	नासिक	श्री हेमंत तुकाराम गोडसे	शिवसेना
384.	उस्मानाबाद	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	शिवसेना
385.	पालघर	श्री राजेन्द्र गावित	भारतीय जनता पार्टी
386.	परभणी	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	शिवसेना
387.	पुणे	श्री अनिल (उर्फ पद्माकर) गुलाब राव शिरोले	भारतीय जनता पार्टी
388.	रायगढ़	श्री अनंत गंगाराम गीते	शिवसेना
389.	रामटेक(अ.जा.)	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	शिवसेना
390.	रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग	श्री विनायक भाउराव राउत	शिवसेना
391.	रावेर	श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	भारतीय जनता पार्टी
392.	सांगली	श्री संजय काका पाटील	भारतीय जनता पार्टी
393.	सतारा	श्री उदयनराजे भोंसले	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
394.	शिरडी (अ.जा.)	श्री सदाशिव लोखंडे	शिवसेना
395.	शिरूर	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	शिवसेना
396.	शोलापुर (अ.जा.)	एडवोकेट शरद कुमार मारुति बंसोडे	भारतीय जनता पार्टी
397.	ठाणे	श्री राजन विचारे	शिवसेना
393.	वर्धा	श्री रामदास चन्द्रभानजी तडस	भारतीय जनता पार्टी
399.	यवतमाल-वाशिम	सुश्री भावना पुंडलिकराव गवली(पाटील)	शिवसेना

मध्य प्रदेश (29)

400.	बालाघाट	श्री बोध सिंह भगत	भारतीय जनता पार्टी
401.	बेतूल(अ.ज.जा.)	श्री मती ज्योति धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी
402.	भिंड(अ.जा.)	डॉ. भागीरथ प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
403.	भोपाल	श्री आलोक संजर	भारतीय जनता पार्टी
404.	छिंदवाड़ा	श्री कमल नाथ	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
405.	दमोह	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
406.	देवास	श्री मनोहर उटवाल	भारतीय जनता पार्टी
407.	धार(अ.ज.जा.)	श्रीमती सावित्री ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
408.	गुना	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
409.	ग्वालियर	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	भारतीय जनता पार्टी

410.	होशंगाबाद	श्री उदय प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
411.	इंदौर	श्रीमती सुमित्रा महाजन(ताई)	भारतीय जनता पार्टी
412.	जबलपुर	श्री राकेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी
413.	खजुराहो	श्री नागेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
414.	खंडवा	श्री नन्दकुमार सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
415.	खरगौन(अ.ज.जा.)	श्री सुभाष पटेल	भारतीय जनता पार्टी
416.	मण्डला(अ.ज.जा.)	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	भारतीय जनता पार्टी
417.	मंदसौर	श्री सुधीर गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
418.	मुरैना	श्री अनूप मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
419.	राजगढ़	श्री रोडमल नागर	भारतीय जनता पार्टी
420.	रतलाम(अ.ज.जा.)	श्री कांतिलाल भूरिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
421.	रीवा	श्री जनार्दन मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
422.	सागर	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	भारतीय जनता पार्टी
423.	सतना	श्री गणेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी
424.	सीधी	श्रीमती रीती पाठक	भारतीय जनता पार्टी
425.	टीकमगढ़(अ.जा.)	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	भारतीय जनता पार्टी
426.	उज्जैन(अ.जा.)	प्रो. चिंतामणि मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
427.	विदिशा	श्रीमती सुषमा स्वराज	भारतीय जनता पार्टी
428.	शहडोल(अ.जा.)	श्री ज्ञान सिंह	भारतीय जनता पार्टी

मणिपुर (2)

429.	आंतरिक मणिपुर	डॉ. थोकचोम मेन्या	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
430.	बाहरी मणिपुर (अ.ज.जा.)	श्री थांगसो बाइटे	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मेघालय (2)

431.	शिलांग (अ.ज.जा.)	श्री विनसेंट एच. पाला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
432.	तुरा(अ.ज.जा.)	रिक्त	-

मिज़ोरम (1)

433.	मिजोरम(अ.ज.जा.)	श्री सी.एल. रुआला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

तमिलनाडु (39)

434.	अराकोनम	श्री जी.हरी	एआईएडीएमके
435.	अरानी	श्री एलुमलाई वी.	एआईएडीएमके
436.	चेन्नई मध्य	श्री एस.आर. विजय कुमार	एआईएडीएमके
437.	चेन्नई उत्तर	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	एआईएडीएमके

438.	चेन्नइ दक्षिण	डॉ. जयकुमार जयवधन	एआइएडीएमके
439.	चिदंबरम(अ.जा.)	श्री एम. चंद्राकाशी	एआईएडीएमके
440.	कोयंबटूर	श्री नागराजन पी.	एआईएडीएमके
441.	कुड्डालोर	श्री ए. अरुणमणिदेवन	एआईएडीएमके
442.	धर्मपुरी	डॉ. अंबुमनि रामदास	पीएमके
443.	डिंडीगुल	श्री एम.उदयकुमार	एआईएडीएमके
444.	इरोड	श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन	एआईएडीएमके
445.	कल्लाकुरिची	डॉ. के. कामराज	एआईएडीएमके
446.	कांचीपुरम(अ.जा.)	श्रीमती के. मरगथम	एआईएडीएमके
447.	कन्याकुमारी	श्री पोन राधाकृष्णन	भारतीय जनता पार्टी
448.	करूर	डॉ. एम. तंबिदुरै	एआईएडीएमके
449.	कृष्णागिरि	श्री के. अशोक कुमार	एआईएडीएमके
450.	मदुरै	श्री आर. गोपालकृष्णन	एआईएडीएमके
451.	मइलादुथुरई	श्री आर.के. भारती मोहन	एआईएडीएमके
452.	नागापट्टिनम(अ.जा.)	डॉ. के. गोपाल	एआईएडीएमके
453.	नामाक्कल	श्री पी.आर. सुंदरम	एआईएडीएमके
454.	नीलगिरि(अ.जा.)	श्री गोपालकृष्णन चिन्नाराज	एआईएडीएमके
455.	पैरम्बलुर	श्री आर.पी. मरुदराजा	एआईएडीएमके
456.	पोल्लाची	श्री सी. महेंद्रन	एआईएडीएमके
457.	रामनाथपुरम	श्री अनवर राज़ा	एआईएडीएमके
458.	सेलम	श्री वी. पन्नीर सेल्वम	एआईएडीएमके
459.	शिवगंगा	श्री पी.आर सेनथिलनाथन	एआईएडीएमके
460.	श्रीपरुम्बुदूर	श्री कृष्णन नारायणसामी रामचंद्रन	एआईएडीएमके
461.	तेनकासी(अ.जा.)	श्रीमती एम. वसंती	एआईएडीएमके
462.	तंजावूर	श्री परसुरमन के.	एआईएडीएमके
463.	थेनी	श्री आर. पार्थिपन	एआईएडीएमके
464.	थूथुक्कुडी	एडवोकेट जे.जे.टी. नट्टर्जी	एआईएडीएमके
465.	तिरुचिरापल्ली	श्री पी. कुमार	एआईएडीएमके
466.	तिरुनेलवेली	श्री के.आर.पी. प्रभाकरन	एआईएडीएमके
467.	तिरूप्पुर	श्रीमती वी.सत्यबामा	एआईएडीएमके
468.	तिरुवल्लूर(अ.जा.)	डॉ. पोन्नुसामी वेणुगोपाल	एआईएडीएमके
469.	तिरुवन्नामलाई	श्रीमती आर. वनरोजा	एआईएडीएमके
470.	वेल्लौर	श्री बी. सेनगुट्टुवन	एआईएडीएमके
471.	विलुपुरम(अ.जा.)	श्री एस. राजेंद्रन	एआईएडीएमके
472.	विरुधुनगर	श्री टी. राधाकृष्णन	एआईएडीएमके

तेलंगाना (17)

473.	आदिलाबाद(अ.ज.जा.)	श्री नागेश गोडम	ते.रा.स.

474.	भाँगीर	डॉ. बूरा नरसैय्या गौड	ते.रा.स.
475.	चेवेल्ला	श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी	ते.रा.स.
476.	हैदराबाद	श्री असादुद्दीन ओवैसी	एआईएमआईएम
477.	करीमनगर	श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली	ते.रा.स.
478.	खम्मम	श्री पोंगुलेटि श्रीनिवास रेड्डी	वाईएसआर कांग्रेस पार्टी
479.	महबूबाबाद	डॉ. (प्रो.) अजमीरा सीताराम नायक	ते.रा.स.
480.	महबूबनगर	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	ते.रा.स.
481.	मल्काजगिरि	श्री चा. मल्ला रेड्डी	तेलुगू देशम पार्टी
482.	मेडक	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	ते.रा.स.
483.	नगरकुरनूल(अ.जा.)	श्री नन्दी येल्लईया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
484.	नालगौंडा	श्री सुकेंद्र रेड्डी गुत्था	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
485.	निजामाबाद	श्रीमती कविता कल्वकुंतला	ते.रा.स.
486.	पेड्डापल्ले (अ.जा.)	श्री बलका सुमन	ते.रा.स.
487.	सिकन्दराबाद	श्री बंडारू दत्तात्रेय	भारतीय जनता पार्टी
488.	वारंगल	श्री पसुनूरी दयाकर	ते.रा.स.
489.	ज़ाहीराबाद	श्री भीमराव बसवंतराव पाटील	ते.रा.स.

त्रिपुरा (2)

490.	त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा.)	श्री जितेन्द्र चौधरी	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा)
491.	त्रिपुरा पश्चिम	श्री शंकर प्रसाद दत्ता	भा.क.पा. (मा.)

दादर और नगर हवेली (1)

492.	दादर और नागर हवेली(अ.ज.जा.)	श्री नटूटभाई गोमनभाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी

नगालैंड (1)

493.	नगालैंड	श्री तोखेहो	एनडीपीपी

राजस्थान (25)

494.	बांसवाड़ा(अ.ज.जा.)	श्री मानशंकर निनामा	भारतीय जनता पार्टी
495.	बाड़मेर	कर्नल सोना राम चौधरी वीएसएम (सेवानिवृत्त)	भारतीय जनता पार्टी
496.	भरतपुर (अ.जा.)	श्री बहादुर सिंह कोली	भारतीय जनता पार्टी
497.	भीलवाड़ा	श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया	भारतीय जनता पार्टी
498.	बीकानेर(अ.जा.)	श्री अर्जुन राम मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी
499.	चित्तौड़गढ़	श्री सी.पी. जोशी	भारतीय जनता पार्टी

500.	चुरू	श्री राहुल कस्वां	भारतीय जनता पार्टी
501.	दौसा(अ.ज.जा.)	श्री हरीश चन्द्र मीणा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
502.	गंगानगर(अ.जा.)	श्री निहाल चंद्र चौहान	भारतीय जनता पार्टी
503.	जयपुर	श्री रामचरण बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
504.	जयपुर ग्रामीण	कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर	भारतीय जनता पार्टी
505.	जालौर	श्री देवजी मानसिंहराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
506.	झालावाड़-बारां	श्री दुष्यंत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
507.	झुंझुनू	श्रीमती संतोष अहलावत	भारतीय जनता पार्टी
508.	जोधपुर	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	भारतीय जनता पार्टी
509.	करौली-धौलपुर(अ.जा.)	डॉ. मनोज राजोरिया	भारतीय जनता पार्टी
510.	कोटा	श्री ओम बिरला	भारतीय जनता पार्टी
511.	नागौर	श्री सी.आर. चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
512.	पाली	श्री पी.पी. चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
513.	राजसमंद	श्री हरिओम सिंह राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
514.	सीकर	श्री सुमेधानंद सरस्वती	भारतीय जनता पार्टी
515.	टोंक-सवाई माधोपुर	श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया	भारतीय जनता पार्टी
516.	उदयपुर	श्री अर्जुनलाल मीणा	भारतीय जनता पार्टी
517.	अजमेर	डॉ. रघु शर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
518.	अलवर	डॉ. करण सिंह यादव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (7)

519.	चांदनी चौक	डॉ. हर्षवर्धन	भारतीय जनता पार्टी
520.	पूर्वी दिल्ली	श्री महेश गिरी	भारतीय जनता पार्टी
521.	नई दिल्ली	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	भारतीय जनता पार्टी
522.	उत्तर-पूर्व दिल्ली	श्री मनोज कुमार तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
523.	उत्तर-पश्चिम दिल्ली (अ.जा.)	डॉ. उदित राज	भारतीय जनता पार्टी
524.	दक्षिण दिल्ली	श्री रमेश बिधूड़ी	भारतीय जनता पार्टी
525.	पश्चिम दिल्ली	श्री प्रवेश साहिब सिंह	भारतीय जनता पार्टी

सिक्किम (1)

526.	सिक्किम	श्री प्रेम दास राई	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट

लक्षद्वीप (1)

527.	लक्षद्वीप(अ.ज.जा.)	श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

हिमाचल प्रदेश (4)

528.	हमीरपुर	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
529.	कांगड़ा	श्री शांता कुमार	भारतीय जनता पार्टी
530.	मंडी	श्री राम स्वरूप शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
531.	शिमला(अ.जा.)	श्री वीरेन्द्र कश्यप	भारतीय जनता पार्टी

हरियाणा (10)

532.	अंबाला(अ.जा.)	श्री रत्न लाल कटारिया	भारतीय जनता पार्टी
533.	भिवानी-महेंद्रगढ़	श्री धर्मवीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
534.	फरीदाबाद	श्री कृष्ण पाल गूर्जर	भारतीय जनता पार्टी
535.	गुरुग्राम	श्री राव इंद्रजीत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
536.	हिसार	श्री दुष्यंत चौटाला	इंडियन नेशनल लोकदल
537.	करनाल	श्री अश्विनी कुमार	भारतीय जनता पार्टी
538.	कुरुक्षेत्र	श्री राज कुमार सैनी	भारतीय जनता पार्टी
539.	रोहतक	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
540.	सिरसा(अ.जा.)	श्री चरणजीत सिंह रोड़ी	इंडियन नेशनल लोकदल
541.	सोनीपत	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	भारतीय जनता पार्टी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)

542.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्री विष्णु पद राय	भारतीय जनता पार्टी

दमन और दीव (1)

543.	दमन और दीव	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	भारतीय जनता पार्टी

नामित (2)

544.	श्री बेकर जॉर्ज	नामित एंग्लो-इंडियन (प. बंगाल)	भारतीय जनता पार्टी
545.	प्रो. हे. रिर्चड	नामित एंग्लो-इंडियन (केरल)	भारतीय जनता पार्टी

एक भारत श्रेष्ठ भारत

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2019, विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाने वाला वृहद संग्रह है इसमें गांवों से लेकर शहरों तक, उद्योग से लेकर बुनियादी ढांचे तक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से लेकर कला तथा संस्कृति तक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य तथा रक्षा से लेकर शिक्षा और जनसंचार तक, विकास के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई है

सामान्य ज्ञान, ताजा घटनाओं, खेलों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में इसके खंड विस्तृत जानकारी से ओत-प्रोत हैं और पाठकों की पहली पसंद है तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिकता के कारण यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए बहुत उपयोगी है



स्टैच्यू ऑफ यूनिटी : गुजरात के
केवाड़िया में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति

पादलेख

1. भारत भूमि और उसके निवासी

[1] अनंतिम-आंकड़े

3. राजनीतिक संरचना

[1] मंत्रालय/विभागों की सूची समय-समय पर संशोधित कामकाज़ आवंटन नियम, 1961 में दी गई सूचना पर आधारित है और कैबिनेट

32. सामान्य सूचना

[1] स्रोतः http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha files/table_of_precedence.pdf
[2] स्रोतः भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट : http://presidentofindia.nic.in
[3] स्रोतः भारत के उप-राष्ट्रपति की वेबसाइट : http://vicepresidentofindia.nic.in
[4] स्रोत : प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट : *http://pmindia.nic.in*
[5] स्रोत : भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट : *http://supremecourtofindia.nic.in*
[6] स्रोत : भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट : *http://eci.nic.in*
[7] स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : *http://cabsec.nic.in*
[8] स्रोतः यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट *2009-10*, परिशिष्ट-*44*

परिशिष्ट

[1] स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : : *www.cabsec.nic.in/council-ministerofstatephp,*
[2] स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : www.cabsec.nic.in/council-ministerofstate.php,
[3] स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : www.cabsec.nic.in/council_ministerofstate.php,
[4] स्रोत : http://rajyasabha.nic.in
[5] स्रोत : http://loksabha.nic.in



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार









वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2019 विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाने वाला वृहद संग्रह है। इसमें गांवों से लेकर शहरों तक, उद्योग से लेकर बुनियादी ढांचे तक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से लेकर कला तथा संस्कृति तक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य तथा रक्षा से लेकर शिक्षा और जनसंचार तक, विकास के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई है।

सामान्य ज्ञान, ताजा घटनाओं, खेलों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में इसके खंड विस्तृत जानकारी से ओत-प्रोत हैं और पाठकों की पहली पसंद हैं। तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिकता के कारण यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए बहुत उपयोगी है।